

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान

प्रवृत्तियाँ

- १ अनुसन्धान
- २ अध्यापन व निर्देशन
- ३ पुस्तकालय व वाचनालय
- ४ शोधवृत्तियाँ
- ५ छात्रावास व छात्रवृत्तियाँ
- ६ श्रमण (मासिक)
- ७ व्याख्यानमाला
- ८ प्रकाशन

पार्श्वनाथ विद्याश्रम ग्रन्थमाला

: ११ :

सम्पादक :

पं० दलसुख मालवणिया

डा० मोहनलाल मेहता

जैन इतिहास

का

हृद् इतिहास

भाग ३

आगरि व्याख्याएँ

लेखक

डा० मोहनलाल मेहता

अध्यक्ष, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान

एवं

सम्मान्य प्राध्यापक, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी



सन्च लोगम्भि सारभूय

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सं न

जै ना श्र म

हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

प्रकाशक .

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान
जैनाश्रम

हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

प्रकाशन-वर्ष :

सन् १९६७

मूल्य :

पन्द्रह रुपये

मुद्रक

चलदेवदास

ससार प्रेस, ससार लिमिटेड

काशीपुरा, वाराणसी



स्वर्गीय लाला मुनिलाल जा जेन

प्रकाशकीय

जैन साहित्य के बृहद् इतिहास का यह तीसरा भाग है। जैनागमों का व्याख्यात्मक साहित्य इसका विषय है। डा० मोहनलाल मेहता, अध्यक्ष, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, इसके लेखक हैं। श्री दलसुखभाई मालवणिया और वे इसके सम्पादक हैं। श्री दलसुखभाई इस समय टोरोटो यूनिवर्सिटी, केनेडा, में भारतीय दर्शन के अध्यापन के लिए वार्षिक १५००० डालर वेतन पर नियुक्त होकर गये हुए हैं। इससे पहले वे कई वर्षों से लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद, के अध्यक्ष थे। पंडित श्री सुखलालजी के बाद घनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन वर्षों तक पढाते रहे। जबसे पार्श्वनाथ विद्याश्रम का आरम्भ हुआ, श्री दलसुखभाई इस शोध सस्थान के सखा और सहायक रहे हैं। उनका स्नेह और सहानुभूति आज तक हमें प्राप्त है। केनेडा जाने से पूर्व वे अगले भाग के सम्पादन-कार्य को भी पूरा कर गये हैं। उनकी विद्वत्ता और योग्यता प्रामाणिक है। डा० मोहनलाल मेहता हिन्दू यूनिवर्सिटी में सम्मान्य प्राध्यापक हैं। वे एम० ए० की कक्षाओं में जैन दर्शन का अध्यापन तथा पी०एच० डी० के छात्रों को शोध-निर्देशन भी करते हैं। उन्होंने जैन आचार ग्रंथ भी लिखा है। इस समय जैन संस्कृति पर ग्रंथ लिख रहे हैं।

पार्श्वनाथ विद्याश्रम की स्थापना जुलाई, सन् १९३७ में हुई थी। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन का सम्बन्ध वाराणसी से घनिष्ठ रहा है। इसी प्रेरणा से वर्तमान शोध सस्थान के नामकरण के समय उनका नाम इस ज्ञान-प्रसारक सस्था के साथ जोड़ना अभीष्ट समझा गया है।

पार्श्वनाथ विद्याश्रम भारतीय विद्या के अन्तर्गत प्राकृत और जैन विषयों में शोध-कार्य करने की प्रेरणा लेकर उपस्थित हुआ है। उस शोधफल को प्रकाशित करना भी इसकी प्रवृत्ति है। प्रति वर्ष चार-पाँच रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर शोधकार्य करते हैं और अपने-अपने विषय पर थीसिस हिन्दू यूनिवर्सिटी में परीक्षणार्थ पेश करते हैं। अब तक

७ रिसर्च-स्कॉलर पी-एच० डी० हो चुके हैं। प्रत्येक रिसर्च-स्कॉलर को दो वर्ष तक मासिक २००) रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है।

स्वतन्त्र शोध और प्रकाशन-कार्य भी बराबर होता है। इस इतिहास की योजना उस कार्य का एक रूप है।

शतावधानी रत्नचद्र लायब्रेरी शोध सस्थान का अंग है। उसमें शोध के हेतु से ही ग्रंथ-संग्रह होता रहता है। अपने स्कॉलरों के अलावा हिन्दू-यूनिवर्सिटी के अन्य स्कॉलरों और उसके अध्यापकों के लिए भी हमारा संग्रह बड़ा उपयोगी है।

सस्थान की अपनी चार एकड़ जमीन पर १०४×५२ फुट का विशाल लायब्रेरी भवन है। अध्यक्ष के लिए स्वतन्त्र निवास-स्थान है। अन्य कर्मचारियों के लिए भी निवास की व्यवस्था है। रिसर्च-स्कॉलरों के लिए दस क्वार्टरों के होस्टल की नींवें भर चुकी हैं।

संस्थान से जैनविद्या का मासिक 'श्रमण' निकलता है। उसके अधिकांश लेख शोधपूर्ण होते हैं। इस समय यह पत्रिका उन्नीसवें वर्ष में है।

इनका और अन्य आवश्यक प्रवृत्तियों का संचालन श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति करती है। समिति रजिस्टर्ड सोसायटी है। इसको दिया जाने वाला दान इन्कमटेक्स से मुक्त होता है।

इस तीसरे भाग के प्रकाशन का व्यय समिति के सर्वप्रथम और आयुपर्यन्त खजाची स्व० श्री मुनिलालजी के सुपुत्रों—श्री मनोहरलाल जैन, बी० कॉम, श्री रोशनलाल जैन, श्री तिलकचद्र जैन और श्री धर्मपाल जैन ने वहन किया है। इन्हीं भाइयों ने पहले भाग के प्रकाशन का खर्च भी दिया था।

रूपमहल
फरीदाबाद
५ १२ ६७

}

हरजसराय जैन
मन्त्री,
श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति
अमृतसर

थन

जैन साहित्य का वृद्ध इतिहास, भाग ३, पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इससे पूर्व प्रकाशित दोनों भागों का विद्वज्जनों व अन्य पाठकों ने हृदय से स्वागत किया एतदर्थं सस्थान के उत्साह में वृद्धि हुई है। यह भाग भी विद्वानों व सामान्य पाठकों को पसंद आएगा, ऐसा विश्वास है।

प्रथम भाग में जैन सस्कृति के आधारभूत अग भागों का तथा द्वितीय भाग में अगबाह्य भागों का सर्वांगीण परिचय प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत भाग में इन सब भागों के व्याख्यात्मक साहित्य का सांगोपाग परिचय दिया गया है। इन तीन भागों के अध्ययन से पाठकों को समस्त मूल भागों तथा उनकी विविध व्याख्याओं का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा।

भागिक व्याख्याएँ पाँच कोटियों में विभक्त की जाती हैं १ निर्युक्तियाँ, २ भाष्य, ३ चूर्णियाँ, ४ सस्कृत टीकाएँ और ५ लोकभाषाओं में विरचित व्याख्याएँ। प्रस्तुत भाग में इन पाँचों प्रकार की व्याख्याओं तथा व्याख्याकारों का सुव्यवस्थित परिचय दिया गया है।

अन्य भागों की तरह प्रस्तुत भाग के सम्पादन में भी पूज्य दलसुखभाई का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है एतदर्थं मैं आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। ग्रन्थ के मुद्रण के लिए ससार प्रेस का तथा प्रूफ-सशोधन आदि के लिए सस्थान के शोध-सहायक प० कपिलदेव गिरि का आभार मानता हूँ।

पादर्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान
वाराणसी-५
१५ १२-६७

मोहनलाल मेहता
अध्यक्ष

प्रस्तुत पुस्तक में

प्रास्ताविक

७

निर्युक्तियाँ

१. निर्युक्तियाँ और निर्युक्तिकार	६३
२. आवश्यकनिर्युक्ति	७१
३. दशवैकालिकनिर्युक्ति	९७
४. उत्तराध्ययननिर्युक्ति	१०५
५. आचारागनिर्युक्ति	११०
६. सूत्रकृतागनिर्युक्ति	११९
७. दशाश्रुतस्वर्धननिर्युक्ति	१२०
८. बृहत्कल्पनिर्युक्ति	१२३
९. व्यवहारनिर्युक्ति	१२५
१०. अन्य निर्युक्तियाँ	१२६

भाष्य

१. भाष्य और भाष्यकार	१२९
२. विशेषावश्यकभाष्य	१३८
३. जीतकल्पभाष्य	२०२
४. बृहत्कल्प-लघुभाष्य	२१३
५. व्यवहारभाष्य	२५३
६. ओषधिनिर्युक्ति-लघुभाष्य	२७२
७. ओषधिनिर्युक्ति-बृहद्भाष्य	२७४
८. पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य	२७५
९. पचकल्प-महाभाष्य	२७६
१०. बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य	२८४

चूर्णियाँ

१. चूर्णियाँ और चूर्णिकार	२८९
२. नन्दीचूर्णि	२९४

३ अनुयोगद्वारचूर्णि	२९६
४ आवश्यकचूर्णि	२९७
५ दशवैकालिकचूर्णि (जिनदासगणिकृत)	३०६
६ उत्तराध्ययनचूर्णि	३०८
७ आचारागचूर्णि	३१०
८ सूत्रकृतागचूर्णि	३१२
९ जीतकल्प-वृहत्चूर्णि	३१४
१० दशवैकालिकचूर्णि (अगस्त्यसिंहकृत)	३१५
११. निधीय-विशेषचूर्णि	३२१
१२ दशाश्रुतस्कषचूर्णि	३४५
१३ वृहत्कल्पचूर्णि	३४७

टीकाएँ

१ टीकाएँ और टीकाकार	३५३
२ जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति	३५५
३ हरिभद्रकृत वृत्तियाँ	३५९
४ कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्य-विवरण	३७८
५ गन्धहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञा-विवरण	३८०
६ शीलककृत विवरण	३८२
७ शातिसूरिकृत उत्तराध्ययनटीका	३८८
८ द्रोणसूरिकृत ओषधिर्युक्ति-वृत्ति	३९४
९ अभयदेवविहित वृत्तियाँ	३९६
१० मलयगिरिविहित वृत्तियाँ	४१५
११ मलघारी हेमचद्रकृत टीकाएँ	४४०
१२ नेमिचद्रविहित उत्तराध्ययन-वृत्ति	४४७
१३. श्रीचंद्रसूरिविहित व्याख्याएँ	४४९
१४ अन्य टीकाएँ	४५२
१५ लोकभाषाओं में विरचित व्याख्याएँ	४६८
अनुक्रमणिका	४७५
सहायक ग्रन्थों की सूची	५४७



आ

ग

मि

क

व्या

ख्या

एँ

प्रास्तावि

निर्युक्तियों
निर्युक्तिकार भद्रबाहु
आवश्यकनिर्युक्ति
दशवैकालिकनिर्युक्ति
उत्तराध्ययननिर्युक्ति
आचारागनिर्युक्ति
सूत्रकृतागनिर्युक्ति
दशाभुतस्कन्धनिर्युक्ति
बृहत्कल्पनिर्युक्ति
व्यवहारनिर्युक्ति
भाष्य
भाष्यकार
विशेषावश्यकभाष्य
जीतकल्पभाष्य
- बृहत्कल्प-लघुभाष्य
बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य
व्यवहारभाष्य
ओषनिर्युक्ति-भाष्य
पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य
पचकल्प महाभाष्य
चूर्णियों
चूर्णिकार

नन्दीचूर्णि
 अनुयोगद्वारचूर्णि
 आवश्यकचूर्णि
 दशवैकालिकचूर्णि (जिनदासकृत)
 उत्तराध्ययनचूर्णि
 आचारागचूर्णि
 सूत्रकृतागचूर्णि
 जीतकरूप-बृहन्चूर्णि
 दशवैकालिकचूर्णि (अगस्त्यसिंहकृत)
 निशीथ-विशेषचूर्णि
 दशाभुतस्क्रुधचूर्णि
 बृहत्करूपचूर्णि
 टीकाएँ और टीकाकार
 जिनभद्रकृत विशेषावश्यकमाध्य स्वोपशब्दवृत्ति
 हरिभद्रसुरिकृत टीकाएँ
 नन्दीवृत्ति
 अनुयोगद्वारटीका
 दशवैकालिकवृत्ति
 प्रज्ञापना-प्रदेशव्याख्या
 आवश्यकवृत्ति
 कोट्याचार्यविहित विशेषावश्यकमाध्य-विवरण
 आचार्य गधहस्तिकृत शास्त्रपरिज्ञाविवरण
 शीलाकाचार्यकृत टीकाएँ
 आचारागविवरण
 सूत्रकृतागविवरण
 वादिवेताल शान्तिसुरिकृत उत्तराध्ययनटीका
 द्रोणसुरिविहित ओषधिनिर्युक्ति वृत्ति
 अमयदेवसुरिकृत टीकाएँ
 स्थानागवृत्ति
 समवायागवृत्ति
 व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति

शाताधर्मकथाविवरण
 उपासकदशागवृत्ति
 अन्तकृद्दशावृत्ति
 अनुत्तरीपपातिकदशावृत्ति
 प्रश्नव्याकरणवृत्ति
 विपाकवृत्ति
 औपपातिकवृत्ति
 मलयगिरिसुरिकृत टीकाएँ
 नन्दीवृत्ति
 प्रज्ञापनावृत्ति
 सूर्यप्रशस्तिविवरण
 ज्योतिष्करण्डकवृत्ति
 जीवाभिगमविवरण
 व्यवहारविवरण
 राजप्रश्नीयविवरण
 पिण्डनिर्युक्ति-वृत्ति
 आवश्यकविवरण
 बृहत्कल्प पीठिकावृत्ति
 मलधारी हेमचन्द्रसुरिकृत टीकाएँ
 आवश्यकटिप्पण
 अनुयोगद्वारवृत्ति
 विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्बृत्ति
 नेमिचन्द्रसुरिकृत उत्तराध्ययनवृत्ति
 श्रीचन्द्रसुरिकृत टीकाएँ
 निशीथचूर्णि-दुर्गपदव्याख्या
 निरयावल्लिकावृत्ति
 जीतकल्पबृहच्चूर्णि विषमपदव्याख्या
 आचार्य क्षेमकीर्तिकृत बृहत्कल्पवृत्ति
 माणिक्यशेखरसुरिकृत आवश्यकनिर्युक्ति-टीपिका
 अबितदेवसुरिकृत आचारागदीपिका
 विजयविमलगणिविहित गच्छाचारवृत्ति

विजयविमलगणिविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति
 वानरर्षिकृत गच्छाचारटीका
 भावविजयगणिकृत उत्तराध्ययनव्याख्या
 समयसुन्दरसूरिसद्वन्ध दशवैकालिक्रदीपिका
 शानविमलसूरिप्रथित प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्ति
 लक्ष्मीवल्लभगणिविरचित उत्तराध्ययनदीपिका
 दानशेखरसूरिसकलित भगवती-विशेषपदव्याख्या
 संघविजयगणिकृत कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका
 विनयविजयोपाध्यायविहित कल्पसूत्र सुबोधिका
 समयसुन्दरगणिविरचित कल्पसूत्र-कल्पलता
 शान्तिसागरगणिविद्वन्ध कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी
 पृथ्वीचन्द्रसूरिप्रणीत कल्पसूत्र टिप्पणक
 लोकभाषाओं में निर्मित व्याख्याएँ
 आगमिक व्याख्याओं में सामग्री वैविध्य
 आचारशास्त्र
 दर्शनशास्त्र
 ज्ञानवाद
 प्रमाणशास्त्र
 कर्मवाद
 मनोविज्ञान और योगशास्त्र
 कामविज्ञान
 समाजशास्त्र
 नागरिकशास्त्र
 भूगोल
 राजनीति
 ऐतिहासिक चरित्र
 सस्कृति एव सम्यता।

वि

मूल ग्रंथ के रहस्योद्घाटन के लिए उसकी विविध व्याख्याओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं तो भी आवश्यक तो है ही। जब तक किसी ग्रन्थ की प्रामाणिक व्याख्या का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया जाता तब तक उस ग्रंथ में रही हुई अनेक महत्त्वपूर्ण बातें अज्ञात ही रह जाती हैं। यह सिद्धान्त जितना वर्तमान-कालीन मौलिक ग्रंथों पर लागू होता है उससे कई गुना अधिक प्राचीन भारतीय साहित्य पर लागू होता है। मूल ग्रंथ के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए उस पर व्याख्यात्मक साहित्य का निर्माण करना भारतीय ग्रंथकारों की बहुत पुरानी परंपरा है। इस प्रकार के साहित्य से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। व्याख्याकार को अपनी लेखनी से ग्रंथकार के अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण करने में असीम आत्मोल्लास होता है तथा कहीं-कहीं उसे अपनी मान्यता प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है। दूसरी ओर पाठक को ग्रंथ के गूढार्थ तक पहुँचने के लिए अनावश्यक भ्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार व्याख्याकार का परिश्रम स्व-पर उभय के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। व्याख्याकार की आत्मतुष्टि के साथ ही साथ जिज्ञासुओं की तृषा भी शान्त होती है। इसी पवित्र भावना से भारतीय व्याख्याग्रंथों का निर्माण हुवा है। जैन व्याख्याकारों के हृदय भी इसी भावना से भावित रहे हैं।

प्राचीनतम जैन व्याख्यात्मक साहित्य में आगमिक व्याख्याओं का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन व्याख्याओं को हम पाँच कोटियों में विभक्त करते हैं। १. निर्युक्तियाँ (निञ्जुत्ति), २. भाष्य (भास), ३. चूर्णियाँ (चुण्णि), ४. सत्कृत टीकाएँ और ५. लोकभाषाओं में रचित व्याख्याएँ। आगमों के विषयों का संक्षेप में परिचय देनेवाली समग्रहणियाँ भी काफी प्राचीन हैं। पचकल्प-महाभाष्य के उल्लेखानुसार समग्रहणियों की रचना आर्य कालक ने की है। पाक्षिक-ग्रंथ में भी निर्युक्ति एवं समग्रणी का उल्लेख है।

विजयविमलगणिविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति
 वानरर्षिकृत गच्छाचारटीका
 भावविजयगणिकृत उत्तराध्ययनव्याख्या
 समयसुन्दरसूरिसद्वन्ध दशवैकालिकदीपिका
 ज्ञानविमलसूरिप्रथित प्रश्नव्याकरण-सुलबोधिकावृत्ति
 लक्ष्मीवल्लभगणिविरचित उत्तराध्ययनदीपिका
 दानशेखरसूरिसकलित भगवती-विशेषपदव्याख्या
 सधविजयगणिकृत कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका
 विनयविजयोपाध्यायविहित कल्पसूत्र सुबोधिका
 समयसुन्दरगणिविरचित कल्पसूत्र-कल्पलता
 शान्तिसागरगणिविद्वन्ध कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी
 पृथ्वीचन्द्रसूरिप्रणीत कल्पसूत्र टिप्पणक
 लोकमाषाओं में निर्मित व्याख्याएँ
 आगमिक व्याख्याओं में सामग्री वैविध्य
 आचारशास्त्र
 दर्शनशास्त्र
 ज्ञानवाद
 प्रमाणशास्त्र
 कर्मवाद
 मनोविज्ञान और योगशास्त्र
 कामविज्ञान
 समाजशास्त्र
 नागरिकशास्त्र
 भूगोल
 राजनीति
 ऐतिहासिक चरित्र
 संस्कृति एवं सम्यक्ता

प्रास्तावि

मूल ग्रथ के रहस्योद्घाटन के लिए उसकी विविध व्याख्याओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं तो भी आवश्यक तो है ही। जब तक किसी ग्रन्थ की प्रामाणिक व्याख्या का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया जाता तब तक उस ग्रन्थ में रही हुई अनेक महत्त्वपूर्ण बातें अज्ञात ही रह जाती हैं। यह सिद्धान्त जितना वर्तमान-कालीन मौलिक ग्रन्थों पर लागू होता है उससे कई-गुना अधिक प्राचीन भारतीय साहित्य पर लागू होता है। मूल ग्रन्थ के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए उस पर व्याख्यात्मक साहित्य का निर्माण करना भारतीय ग्रन्थकारों की बहुत पुरानी परंपरा है। इस प्रकार के साहित्य से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। व्याख्याकार को अपनी लेखनी से ग्रन्थकार के अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण करने में असीम आत्मोल्लास होता है तथा कहीं-कहीं उसे अपनी मान्यता प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है। दूसरी ओर पाठक को ग्रन्थ के गूढार्थ तक पहुँचने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार व्याख्याकार का परिश्रम स्व-पर उभय के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। व्याख्याकार की आत्मतुष्टि के साथ ही साथ जिज्ञासुओं की तृषा भी शान्त होती है। इसी पवित्र भावना से भारतीय व्याख्याग्रन्थों का निर्माण हुआ है। जैन व्याख्याकारों के हृदय भी इसी भावना से भावित रहे हैं।

प्राचीनतम जैन व्याख्यात्मक साहित्य में आगमिक व्याख्याओं का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन व्याख्याओं को हम पाँच कोटियों में विभक्त करते हैं : १. निर्युक्तियाँ (निज्जुत्ति), २. भाष्य (भास), ३. चूर्णियाँ (जुण्णि), ४. संस्कृत टीकाएँ और ५. लोकभाषाओं में रचित व्याख्याएँ। आगमों के विषयों का संक्षेप में परिचय देनेवाली समग्रहणियाँ भी काफी प्राचीन हैं। पंचकल्प-महाभाष्य के उल्लेखानुसार समग्रहणियों की रचना आर्य कालक ने की है। पाक्षिक-सूत्र में भी निर्युक्ति एव समग्रहणी का उल्लेख है।

निर्युक्तियों :

निर्युक्तियाँ और भाष्य जैन आगमों की पत्रबद्ध टीकाएँ हैं। ये दोनों प्रकार की टीकाएँ प्राकृत में हैं। निर्युक्तियों में मूल ग्रन्थ के प्रत्येक पद का व्याख्यान न किया जाकर विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दों का ही व्याख्यान किया गया है।

उपलब्ध निर्युक्तियों के कर्ता आचार्य भद्रबाहु (द्वितीय) ने निम्नोक्त आगम-ग्रन्थों पर निर्युक्तियाँ लिखी हैं - १. आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३. उत्तराध्ययन, ४ आचाराग, ५. सूत्रकृताङ्ग, ६ दशाश्रुतस्कन्ध, ७ बृहत्कल्प, ८ व्यवहार, ९ सूर्यप्रज्ञप्ति, १०. ऋषिभाषित। इन दस निर्युक्तियों में से सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषिभाषित की निर्युक्तियाँ अनुपलब्ध हैं। ओषनिर्युक्ति, पिंडनिर्युक्ति, पचकल्पनिर्युक्ति और निशीथनिर्युक्ति क्रमशः आवश्यकनिर्युक्ति, दशवैकालिक-निर्युक्ति, बृहत्कल्पनिर्युक्ति और आचारागनिर्युक्ति की पूरक हैं। ससक्तनिर्युक्ति बहुत बाद की किसी की रचना है। गोविन्दान्चार्यरचित एक अन्य निर्युक्ति (गोविन्दनिर्युक्ति) अनुपलब्ध है।

निर्युक्तियों की व्याख्यान-शैली निक्षेप-पद्धति के रूपमें प्रसिद्ध है। यह व्याख्या-पद्धति बहुत प्राचीन है। इसका अनुयोगद्वार आदि में दर्शन होता है। इस पद्धति में किसी एक पद के सम्भवित अनेक अर्थ करने के बाद उनमें से अग्रस्तुत अर्थों का निषेध करके प्रस्तुत अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैन न्याय-शास्त्र में इस पद्धति का बहुत महत्त्व है। निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने निर्युक्ति का प्रयोजन बताते हुए इसी पद्धति को निर्युक्ति के लिए उपयुक्त बताया है। दूसरे शब्दों में निक्षेप-पद्धति के आधार पर किये जानेवाले शब्दार्थ के निर्णय—निश्चय का नाम ही निर्युक्ति है। भद्रबाहु ने आवश्यक निर्युक्ति (गा ८८) में स्पष्ट कहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किन्तु कौन-सा अर्थ जिस प्रसङ्ग के लिए उपयुक्त होता है, भगवान् महावीर के उपदेश के समय कौन-सा अर्थ किस शब्द से सम्बद्ध रहा है, आदि बातों को दृष्टि में रखते हुए सम्यक् रूप से अर्थ-निर्णय करना और उस अर्थ का मूल सूत्र के शब्दों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना—यही निर्युक्ति का प्रयोजन है।

आचार्य भद्रबाहुकृत दस निर्युक्तियों का रचना क्रम वही है जिस क्रम से ऊपर दस ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं। आचार्य ने अपनी सर्प प्रथम कृति आवश्यक निर्युक्ति (गा ८५-६) में निर्युक्ति-रचना का सक्न्प करते समय

इसी क्रम से ग्रन्थों की नामावली दी है। निर्युक्तियों में उल्लिखित एक-दूसरी निर्युक्ति के नाम आदि के अध्ययन से भी यही तथ्य प्रतिपादित होता है।

निर्युक्तिकार भद्रबाहु :

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु, छेदसूत्रकार चतुर्दश पूर्वघर आर्य भद्रबाहु से भिन्न हैं। निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने अपनी दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति एव पञ्चकल्प-निर्युक्ति के प्रारम्भ में छेदसूत्रकार भद्रबाहु को नमस्कार किया है। निर्युक्तिकार भद्रबाहु प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् वराहमिहिर के सहोदर माने जाते हैं। ये अष्टाग-निमित्त तथा मन्त्रविद्या में पारगत नैमित्तिक भद्रबाहु के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उपसर्गहरस्तोत्र और भद्रबाहुसहिता भी इन्हीं की रचनाएँ हैं। वराहमिहिर वि. स ५६२ में विद्यमान थे क्योंकि 'पंचसिद्धान्तिका' के अन्त में शक सवत् ४२७ अर्थात् वि. स ५६२ का उल्लेख है। निर्युक्तिकार भद्रबाहु का भी लगभग यही समय है। अतः निर्युक्तियों का रचना-काल वि. सं. ५००-६०० के बीच में मानना युक्तियुक्त है।

आवश्यकनिर्युक्ति :

आवश्यकनिर्युक्ति आचार्य भद्रबाहु की सर्वप्रथम कृति है। यह विषय वैविध्य की दृष्टि से अन्य निर्युक्तियों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस पर जिनभद्र, जिनदासगणि, हरिभद्र, कोट्याचार्य, मलयगिरि, मरुधारी हेमचन्द्र, माणिक्य-शेखर प्रभृति आचार्यों ने विविध व्याख्याएँ लिखी हैं। आवश्यकनिर्युक्ति की गाथा-सख्या भिन्न-भिन्न व्याख्याओं में भिन्न-भिन्न रूपों में मिलती है। किसी-किसी व्याख्या में कहीं-कहीं जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की गाथाएँ निर्युक्ति-गाथाओं में मिली हुई प्रतीत होती हैं। माणिक्यशेखरकृत आवश्यकनिर्युक्ति-दीपिका में निर्युक्ति की १६१५ गाथाएँ हैं। आवश्यकनिर्युक्ति आवश्यक सूत्र के सामायिकादि छ अध्ययनों की सर्वप्रथम (पद्यबद्ध प्राकृत) व्याख्या है। इसके प्रारम्भ में उपोद्घात है जो प्रस्तुत निर्युक्ति का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। यह अश एक प्रकार से समस्त निर्युक्तियों की भूमिका है। इसमें ज्ञानपञ्चक, सामायिक, ऋषभदेव-चरित्र, महावीर-चरित्र, गणधरवाद, आर्यरक्षित-चरित्र, निह्नवमत (सप्त निह्नव) आदि का सक्षित विवेचन किया गया है। ऋषभदेव के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के वर्णन के साथ ही साथ उस युग से सम्बन्धित आहार, शिल्प, कर्म, ममता, विभूषणा, लेखन, गणित, रूप, लक्षण, मानदण्ड, पोत, व्यवहार, नीति, युद्ध, इपुशास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, बन्ध,

घात, ताडना, यज्ञ, उत्सव, समवाय, मंगल, कौतुक, वस्त्र, गध, माल्य, अलंकार, चूला, उपनयन, विवाह, दत्ति, मृतक पूजन, ध्यापन, स्तूप, शब्द, खेलापन और पृच्छन—इन चालीस विषयों का भी निर्देश किया गया है। चौबीस तीर्थंकरों के भिक्षालाभ के प्रसंग से निम्नलिखित नगरों के नाम दिये गये हैं हस्तिनापुर, अयोध्या, भावस्ती, साकेत, विजयपुर, ब्रह्मस्थल, पाटलिखण्ड, पद्मखण्ड, श्रेय.पुर, रिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, धान्यपुर, वर्धमान, सोमनस, मन्दिर, चक्रपुर, राजपुर, मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, कूपकट और कोल्लकग्राम। धर्मचक्र का वर्णन करते हुए निर्युक्तिकार ने बताया है कि ब्राह्मबलि ने अपने पिता ऋषभदेव की स्मृति में धर्मचक्र की स्थापना की थी।

उपोद्घात के बाद नमस्कार, चतुर्विंशतिस्तव, वदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रायश्चित्त, ध्यान, प्रत्याख्यान आदि का निक्षेप पद्धति से व्याख्यान किया गया है। नमस्कार-प्रकरण में अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप का भी विचार किया गया है। प्रतिक्रमण-प्रकरण में नागदत्त, महागिरि, स्थूलभद्र, धर्मघोष, सुरेन्द्रदत्त, घन्वन्तरी वैद्य, करकड्ड, पुष्पभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के उदाहरण भी दिये गये हैं।

दशवैकालिकनिर्युक्ति :

दशवैकालिकनिर्युक्ति में दश, एक, काल, ओष, ड्रम, पुष्प, धर्म, मंगल, अहिंसा, सयम, तप, हेतु, उदाहरण, विहगम, भ्रमण, पूर्व, काम, पद, लुल्लक, महत्, आचार, कथा, जीव, निकाय, शल, पिण्ड, एपणा, धान्य, रत्न, स्यावर, द्विपद, चतुष्पद, वाक्य, शुद्धि, प्रणिधि, विनय, सकार, भिक्षु, चूलिका, रति आदि पदों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है। हेतु और दृष्टान्त के स्वरूप का विवेचन करते हुए निर्युक्तिकार ने अनुमान के निम्नोक्त अवयवों का निर्देश किया है - १ प्रतिज्ञा, २ विभक्ति, ३ हेतु, ४ विभक्ति, ५ विपक्ष, ६ प्रतिषेध, ७ दृष्टान्त, ८ आशका, ९ तत्प्रतिषेध, १० निगमन। धान्य तथा रत्न का व्याख्यान करते हुए प्रत्येक की चौबीस जातियाँ बताई हैं। धान्य की जातियाँ इस प्रकार हैं १ यव, २ गोधूम, ३ शालि, ४ व्रीहि, ५ पष्टिक, ६ कोद्रव, ७ अणुक, ८ कगु, ९ राल्या, १० तिल, ११ मुद्ग, १२ माष, १३ अतसी, १४ हरिमथ, १५ त्रिपुटक, १६ निष्पाव, १७ सिलिंद, १८ राजमाष, १९ इक्षु, २० मसूर, २१ तुवरी, २२ कुलत्थ, २३ धान्यक, २४ कलाया। रत्न की चौबीस जातियाँ ये हैं १ सुवर्ण, २ त्रपु, ३ ताम्र, ४ रजत, ५ लोह,

६ सीसक, ७ हिरण्य, ८. पाषाण, ९ वज्र, १० मणि, ११. मौक्तिक, १२. प्रवाल, १३ शक, १४. तिमिश, १५. अग्रक, १६ चन्दन, १७. वज्र, १८. अमिल, १९. काष्ठ, २०. चर्म, २१. दंत, २२. बाल, २३. गोघ, २४. द्रव्यौषध । चतुष्पद प्राणियों के दस भेद आचार्य ने बताये हैं : १. गो, २. महिषी, ३. उष्ट्र, ४. अज, ५ एडक, ६ अश्व, ७ अश्वतर, ८ घोटक, ९. गर्दभ, १० हस्ती । काम दो प्रकार का है : संप्राप्त और असंप्राप्त । निर्युक्तिकार ने संप्राप्तकाम के चौदह एव असंप्राप्तकाम के दस भेद किये हैं । संप्राप्तकाम के चौदह भेद ये हैं १. दृष्टि-सपात, २. सभाषण, ३. हसित, ४. क्लृप्त, ५ उपगूहित, ६. दत्तनिपात, ७. नखनिपात, ८ चुबन, ९ आलिंगन, १० आदान, ११. करण, १२ आसेवन, १३ सग, १४. क्रीडा । असंप्राप्तकाम दस प्रकार का है १. अर्थ, २. चिंता, ३ अद्धा, ४ सस्मरण, ५ विकलवता, ६ लज्जानाश, ७ प्रमाद, ८ उन्माद, ९ तद्भावना, १०. मरण ।

उत्तराध्ययननिर्युक्ति :

इसमें उत्तर, अध्ययन, श्रुत, स्कन्ध, संयोग, गलि, आकीर्ण, मरीषह, एकक, चतुष्क, अग, समय, प्रमाद, सत्कृत, करण, उरभ्र, कपिल, नमि, बहु, श्रुत, पूजा, प्रवचन, साम, मोक्ष, चरण, विधि, मरण, आदि पदों की निक्षेपपूर्वक व्याख्या की गई है । यत्र तत्र अनेक शिक्षाप्रद कथानक भी सकलित किये गये हैं । अग की निर्युक्ति में गधाग, औषधाग, मद्याग, आतोद्याग, शरीराग और युद्धाग का भेद-प्रभेदपूर्वक विवेचन किया गया है । मरण की व्याख्या में सत्रह प्रकार की मृत्यु का उल्लेख किया गया है ।

आचारागनिर्युक्ति :

इस निर्युक्ति में आचार, वर्ण, वर्णान्तर, चरण, शत्रु, परिज्ञा, सज्ञा, दिक्, पृथ्वी, वध, अप्, तेजस्, वनस्पति, त्रस, वायु, लोक, विजय, कर्म, शीत, उष्ण, सम्यक्त्व, सार, चर, धूत—विधूनन, विमोक्ष, उपधान, श्रुत, अग्र आदि शब्दों का व्याख्यान किया गया है । प्रारंभ में आचाराग प्रथम अग क्यों है एव इसका परिमाण क्या है, इस पर प्रकाश डाला गया है । अन्त में निर्युक्तिकार ने पचम चूलिका निशीथ का किसी प्रकार से विवेचन न करते हुए केवल इतना ही निर्देश किया है कि इसकी निर्युक्ति मैं फिर करूँगा । वर्ण और वर्णान्तर का प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने सात वर्णों एव नौ वर्णान्तरों का उल्लेख किया है । एक मनुष्य जाति के सात वर्ण ये हैं १ क्षत्रिय, २. शूद्र, ३. वैश्य, ४.

ब्राह्मण, ५ सकरक्षत्रिय, ६ सकरवैश्य, ७. सकरशूद्र । सकरब्राह्मण नाम का कोई वर्ण नहीं है । नौ वर्णान्तर इस प्रकार हैं १. अबण्ट, २. उग्र, ३ निपाद, ४ अयोगव, ५ मागध, ६ सूत, ७ क्षत्त, ८. विदेह, ९. चाण्डाल ।

सूत्रकृतागनिर्युक्ति :

इसमें आचार्य ने सूत्रकृताग शब्द का विवेचन करते हुए गाथा, षोडश, पुरुष, विभक्ति, समाधि, मार्ग, ग्रहण, पुण्डरीक, आहार, प्रत्याख्यान, सूत्र, आर्द्र, अल्म् आदि पदों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है । एक गाथा (११९) में निम्नोक्त ३६३ मतान्तरों का उल्लेख किया है १८० प्रकार के क्रियावादी, ८४ प्रकार के अक्रियावादी, ६७ प्रकार के अज्ञानवादी और ३२ प्रकार के वैनयिक ।

दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति :

प्रस्तुत निर्युक्ति के प्रारंभ में निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने प्राचीन-गोत्रीय, चरम सकलभुतज्ञानी तथा दशाश्रुतस्कन्ध, बहत्कल्प और व्यवहार सूत्र के प्रणेता भद्रबाहु स्वामी को नमस्कार किया है । इसमें समाधि, स्थान, शबल, आशातना, गणी, सपदा, चित्त, उपासक, प्रतिमा, पर्युषणा, मोह आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है । पर्युषणा के पर्यायवाची शब्द ये हैं परिषसना, पर्युषणा, पर्युषमना, वर्षावास, प्रथम समवसरण, स्थापना, ज्येष्ठग्रह ।

बृहत्कल्पनिर्युक्ति :

यह निर्युक्ति भाष्यमिश्रित अवस्था में उपलब्ध है । इसमें ताल, प्रलम्ब, ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी, आभ्रम, निवेश, सन्नाध, घोष, आर्य, उपाभय, उपाधि, चर्म, मैथुन, कल्प, अधिकरण, वचन, कण्टक, दुर्ग आदि अनेक महत्त्वपूर्ण पदों का व्याख्यान किया गया है । बीच बीच में दृष्टान्तरूप कथानक भी उद्धृत किये गये हैं ।

व्यवहारनिर्युक्ति :

यह निर्युक्ति भी भाष्य में मिल गई है । इसमें साधुओं के आचार-विचार से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पदों एवं विषयों का सक्षिप्त विवेचन है । एक प्रकार से बृहत्कल्पनिर्युक्ति और व्यवहारनिर्युक्ति परस्पर पूरक हैं ।

जैन परम्परागत अनेक महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की सुस्पष्ट व्याख्या सर्वप्रथम आचार्य भद्रबाहु ने अपनी आगमिक निर्युक्तियों में की है। इस दृष्टि से निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु का जैन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। पीछे के भाष्यकारों एवं टीकाकारों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उपर्युक्त निर्युक्तियों का आधार लेते हुए ही अपनी कृतियों का निर्माण किया है।

भाष्य :

निर्युक्तियों का मुख्य प्रयोजन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या रहा है। इन शब्दों में छिपे हुए अर्थवाहुल्य को अभिव्यक्त करने का सर्वप्रथम श्रेय भाष्यकारों को है। निर्युक्तियों की भाँति भाष्य भी पद्यबद्ध प्राकृत में हैं। कुछ भाष्य निर्युक्तियों पर हैं और कुछ केवल मूल सूत्रों पर। निम्नोक्त आगम ग्रन्थों पर भाष्य लिखे गये हैं. १. आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४. बृहत्कल्प, ५ पञ्चकल्प, ६. व्यवहार, ७. निशीथ, ८. जीतकल्प, ९. ओघ-निर्युक्ति, १०. पिण्डनिर्युक्ति। आवश्यक सूत्र पर तीन भाष्य लिखे गये। इनमें से विशेषावश्यकभाष्य आवश्यक सूत्र के प्रथम अध्ययन सामायिक पर है। इसमें ३६०३ गाथाएँ हैं। दशवैकालिकभाष्य में ६३ गाथाएँ हैं। उत्तराध्ययन भाष्य भी बहुत छोटा है। इसमें ४५ गाथाएँ हैं। बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं। इनमें से लघुभाष्य में ६४९० गाथाएँ हैं। पञ्चकल्प-महाभाष्य की गाथा-सख्या २५७४ है। व्यवहारभाष्य में ४६२९ गाथाएँ हैं। निशीथभाष्य में लगभग ६५०० गाथाएँ हैं। जीतकल्पभाष्य में २६०६ गाथाएँ हैं। ओघनिर्युक्ति पर दो भाष्य हैं। इनमें से लघुभाष्य में ३२२ तथा बृहद्भाष्य में २५१७ गाथाएँ हैं। पिण्डनिर्युक्तिभाष्य में केवल ४६ गाथाएँ हैं।

इस विशाल प्राकृत भाष्य साहित्य का जैन साहित्य में और विशेषकर आगमिक साहित्य में अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। पद्यबद्ध होने के कारण इसके महत्त्व में और भी वृद्धि हो जाती है।

भाष्यकार :

भाष्यकार के रूप में दो आचार्य प्रसिद्ध हैं. जिनभद्रगणि और सघदास गणि। विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पभाष्य आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाभ्रमण की कृतियाँ हैं। बृहत्कल्पलघुभाष्य और पञ्चकल्पमहाभाष्य सघदासगणि की

रचनाएँ हैं। इन दो भाष्यकारों के अतिरिक्त अन्य किसी आगमिक भाष्यकार के नाम का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है। इतना निश्चित है कि इन दो भाष्यकारों के अतिरिक्त कम-से-कम दो भाष्यकार तो और हुए ही हैं जिनमें से एक व्यवहारभाष्य आदि के प्रणेता एवं दूसरे बृहत्कल्प बृहद्भाष्य आदि के रचयिता हैं। विद्वानों के अनुमान के अनुसार बृहत्कल्प बृहद्भाष्य के प्रणेता बृहत्कल्प-चूर्णिकार तथा बृहत्कल्प विशेषचूर्णिकार से भी पीछे हुए हैं। ये हरिभद्रसूरि के कुछ पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं। व्यवहारभाष्य के प्रणेता विशेषावश्यक-भाष्यकार आचार्य जिनभद्र के भी पूर्ववर्ती हैं। सघदासगणि भी आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती ही हैं।

विशेषावश्यकभाष्य के प्रणेता आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाभ्रमण का अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों के कारण जैन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा होते हुए भी उनके जीवन के सम्बन्ध में विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म, शिष्यत्व आदि के विषय में परस्पर विरोधी उल्लेख मिलते हैं। उनके सम्बन्ध में एक आश्चर्यजनक उल्लेख यह भी मिलता है कि वे हरिभद्रसूरि के पट्टधर शिष्य थे, जबकि हरिभद्रसूरि आचार्य जिनभद्र के लगभग सौ वर्ष बाद हुए हैं। आचार्य जिनभद्र वाचनाचार्य के रूप में भी प्रसिद्ध थे एवं उनके कुल का नाम निवृत्तिकुल था। उन्हें अधिकतर क्षमाभ्रमण शब्द से ही सम्बोधित किया जाता था। वैसे वादी, क्षमाभ्रमण, दिवाकर, वाचक, वाचनाचार्य आदि शब्द एकार्थक भी हैं। विविध उल्लेखों के आधार पर आचार्य जिनभद्र का उत्तरकाल वि० स० ६५० के आसपास सिद्ध होता है। उन्होंने विशेषावश्यकभाष्य आदि नौ ग्रन्थों का निर्माण किया था। इनमें से सात ग्रन्थ पद्यबद्ध प्राकृत में हैं। एक ग्रन्थ—अनुयोगद्वारचूर्णि प्राकृत गद्य में है जो जिनदासकृत अनुयोगद्वारचूर्णि तथा हरिभद्रकृत अनुयोगद्वारवृत्ति में अक्षरशः उद्धृत की गई है। उनकी अन्तिम कृति विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति जो कि उनके देहावसान के कारण अपूर्ण ही रह गई थी और जिसे बाद में कोट्यार्य ने पूर्ण की थी, संस्कृत गद्य में है। उनके एक ग्रन्थ ध्यानशतक के कर्तृत्व के विषय में अभी विद्वानों को सन्देह है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित हो बाद के आचार्यों ने उनका जो वर्णन किया है उससे प्रतीत होता है कि आचार्य जिनभद्र आगमों के अद्वितीय व्याख्याता थे, युगप्रधान पदके धारक थे, श्रुति आदि अन्य शास्त्रों के कुशल विद्वान् थे, विभिन्न दर्शनशास्त्र, लिपिविद्या, गणितशास्त्र, छन्दशास्त्र, शब्दशास्त्र आदि के अद्वितीय पंडित थे, स्व पर

सिद्धान्त में निपुण थे, स्थाचार पालन में प्रवण एवं सर्व जैन भ्रमणों में प्रमुल थे। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इनके लिए भाष्यसुषाम्भोधि, भाष्यपीयूषपायोधि, भगवान् भाष्यकार, प्रशास्यभाष्यसस्थकाश्यपीकल्प आदि अति सम्मानपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। इन सब तथ्यों को देखने से यह सिद्ध होता है कि भाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण अपने समय के एक प्रभावशाली आचार्य थे।

बृहत्कल्प-लघुभाष्य तथा पचकल्प-महाभाष्य के प्रणेता आचार्य सप्तदासगणि वसुदेवहिंडि-प्रथम खण्ड के प्रणेता आचार्य सप्तदासगणि से भिन्न हैं। वसुदेव-हिंडिकार सप्तदासगणि भी विशेषावश्यकभाष्यकार आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हैं।

विशेषावश्यकभाष्य :

इसमें जैन आगमों के प्रायः समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा है। इस भाष्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैन मान्यताओं का निरूपण केवल जैन दृष्टि से न किया जाकर इतर भारतीय दार्शनिक मान्यताओं के साथ तुलना, खण्डन, समर्थन आदि करते हुए किया गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत भाष्य में दार्शनिक दृष्टिकोण का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैनागमों का रहस्य समझने के लिए विशेषावश्यकभाष्य निःसंदेह एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। इसकी उपयोगिता एवं महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जिनभद्र के उत्तरवर्ती आगमिक व्याख्याकारों एवं ग्रन्थकारों ने एतद्निरूपित सामग्री के साथ ही साथ इसकी तर्कपद्धति का भी बहुत उदारतापूर्वक उपयोग किया है। यह ग्रन्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आवश्यक सूत्र की व्याख्या के रूप में है। इसमें आवश्यक के प्रथम अध्यायन सामायिक से सम्बन्धित नियुक्ति-गाथाओं का व्याख्यान है जिसमें निम्नोक्त विषयों का समावेश किया गया है : मंगलरूप ज्ञानपचक, निरुक्त, निक्षेप, अनुगम, नय, सामायिक की प्राप्ति, सामायिक के बाधक कारण, चारित्रलाभ, प्रवचन, सूत्र, अनुयोग, सामायिक की उत्पत्ति, गण-धरवाद, सामायिक का क्षेत्र-काल, अनुयोगों का पृथक्करण, निह्वनवाद, सामायिक के विविध द्वार, नमस्कार की उत्पत्ति आदि, 'करेन्नि भते' आदि पदों की व्याख्या। ज्ञानपचक प्रकरण में आमिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मन-पर्यय और केवलज्ञान के स्वरूप, क्षेत्र, विषय, स्वामी आदि का विवेचन किया गया है। साथ ही मति और श्रुत के सम्बन्ध, नयन और मन की अप्राप्यकारिता, श्रुत-निमित्त मतिज्ञान के ३३६ भेद, भाषा के स्वरूप, श्रुत के चौदह प्रकार आदि का भी विचार किया गया है। चारित्ररूप सामायिक की प्राप्ति का विचार करते हुए

भाष्यकार ने कर्म की प्रकृति, स्थिति, सम्यक्त्वप्राप्ति आदि का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। कषाय को सामायिक का बाधक बताते हुए कषाय की उत्कृष्टता एवं मदता से किस प्रकार चारित्र का घात होता है, इस पर विशेष प्रकाश डाला है। चारित्र प्राप्ति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य ने सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यात चारित्र का विस्तार से व्याख्यान किया है। सामायिक चारित्र का उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र, काल, पुरुष, कारण, प्रत्यय, लक्षण, नय, समवतार, अनुमत, किम्, कतिविध, कस्य, कुत्र, केषु, कथम्, कियच्चिर, कति, सान्तर, अविरहित, भव, आकर्ष, स्पर्शन और निरुक्ति—इन छब्बीस द्वारों से वर्णन किया है। इस वर्णन में सामायिकसम्बन्धी सभी आवश्यक बातों का समावेश हो गया है। तृतीय द्वार निर्गम अर्थात् सामायिक की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने भगवान् महावीर के एकादश गणधरों की चर्चा की है एवं गणधरवाद अर्थात् भगवान् महावीर एवं गणधरों के बीच हुई चर्चा का विस्तार से निरूपण किया है। एकादश गणधरों के नाम ये हैं - १. इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३. वायुभूति, ४ व्यक्त, ५. सुधर्मा, ६. मडिक, ७ मौर्य-पुत्र, ८. अकपित, ९ अचलभ्राता, १० मेतार्य, ११. प्रभास। ये पहले वेदानुयायी ब्राह्मण-पंडित थे किन्तु बाद में भगवान् महावीर के मन्तव्यों से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गये थे। यही महावीर के गणधर—प्रमुख शिष्य कहलाते हैं। इनके साथ महावीर की जिन विषयों पर चर्चा हुई थी। वे क्रमशः इस प्रकार हैं : १ आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व, २. कर्म की सत्ता, ३. आत्मा और देह का भेद, ४ शून्यवाद का निरास, ५ इहलोक और परलोक की विचित्रता, ६. बंध और मोक्ष का स्वरूप, ७. देवों का अस्तित्व, ८ नारकों का अस्तित्व, ९. पुण्य और पाप का स्वरूप, १० परलोक का अस्तित्व, ११. निर्वाण की सिद्धि। आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अधिष्ठातृत्व, सघातपरार्थत्व आदि अनेक हेतु दिये गये हैं। ये हेतु साख्य आदि अन्य दर्शनों में भी उपलब्ध हैं। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के साथ ही साथ एकात्मवाद का खंडन करते हुए अनेकात्मवाद की भी सिद्धि की गई है। इसी प्रकार जीव को स्वदेहपरिमाण सिद्ध करते हुए यह बताया गया है कि अन्य पदार्थों की भाँति जीव भी नित्यानित्य है तथा विज्ञान भूतधर्म न होकर एक स्वतन्त्र तत्त्व—आत्मतत्त्व का धर्म है। कर्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए भी अनेक हेतु दिये गये हैं। कर्म को मूर्त सिद्ध करते हुए कर्म और आत्मा के सम्बन्ध पर भी प्रकाश डाला गया है तथा ईश्वर-कर्तृत्व का खंडन किया गया है। आत्मा और देह के भेद की सिद्धि में चार्वाक-

सम्मत भूतवाद का निरास किया गया है एव इन्द्रियभिन्न आत्मसाधक अनुमान प्रस्तुत करते हुए आत्मा की नित्यता एव अइश्यता का प्रतिपादन किया गया है। जून्यवाद के निरास के प्रसंग पर वायु, आकाश आदि तत्त्वों की सिद्धि की गई है तथा भूतों की सजीवता का निरूपण करते हुए हिंसा-अहिंसा के विवेक पर प्रकाश डाला गया है। सुधर्मा का इहलोक और परलोकविषयक सशय दूर करने के लिए कर्म वैचित्र्य से भक्त-वैचित्र्य की सिद्धि की गई है एव कर्मवाद के विरोधी स्वभाववाद का निरास कर कर्मवाद की स्थापना की गई है। मष्टिक के सशय का निवारण करने के लिए विविध हेतुओं से बंध और मोक्ष की सिद्धि की गई है तथा मुक्त आत्माओं के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार देव, नारक, पुण्य-पाप, पर-भव और निर्वाण-की सत्ता सिद्ध करते हुए जैनदर्शनाभिमत निर्वाण आदि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। सामायिक के ग्यारहवें द्वार समवतार का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने अनुयोगों—चरणकरणानुयोग धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग, और द्रव्यानुयोग के पृथक्करण की चर्चा की है और बताया है कि आर्य वज्रके बाद होने वाले आर्य रक्षित ने भविष्य में मति-मेधा-धारणा का नाश होना जानकर अनुयोगों का विभाग कर दिया। उस समय तक सब सूत्रों की व्याख्या चारों प्रकार के अनुयोगों से होती थी। आर्य रक्षित ने इन सूत्रों का निश्चित विभाजन कर दिया। चरणकरणानुयोग में कालिक श्रुतरूप ग्यारह अंग, महाकल्पश्रुत और छेदसूत्र रखे। धर्मकथानुयोग में ऋषिमाषितों का समावेश किया। गणितानुयोग में सूर्यप्रज्ञप्ति को रखा। द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद को समाविष्ट किया। इसके बाद उन्होंने पुष्पमित्र को गणिपद पर प्रतिष्ठित किया। इसे गोष्ठामाहिल ने अपना अपमान समझा और वह ईर्ष्यावश सघ से अलग हो अपनी नई मान्यताओं का प्रचार करने लगा। यही गोष्ठामाहिल रसम निह्नव के रूप में प्रसिद्ध है। निर्युक्तिकारनिर्दिष्ट सात निह्नवों में शिवभूति बौटिक नामक एक और निह्नव मिलाकर भाष्यकार जिनभद्र ने प्रस्तुत भाष्य में निम्नलिखित आठ निह्नवों की मान्यताओं का वर्णन किया है. १ जमालि, २. तिष्यगुप्त, ३ आषाढभूति, ४. अश्वमित्र, ५ गग, ६ रोहगुप्त-पडुल्लक, ७. गोष्ठामाहिल, ८. शिवभूति। भगवान् महावीर को कैवलज्ञान होने के १४ वर्ष बाद प्रथम तथा १६ वर्ष बाद द्वितीय निह्नव हुआ। शेष निह्नव क्रमशः महावीर निर्वाण के २१४, २२०, २२८, ५४४, ५८४ और ६०९ वर्ष बाद हुए। इनकी मान्यताएँ आठ प्रकार के निह्नववाद के रूप में प्रसिद्ध हैं।-अपने अभिनिवेश के कारण

आगमिक परंपरा से विरुद्ध तत्त्व प्रतिपादन करनेवाला निहव कहलाता है। अभिनिवेशरहित अर्थ-विवादा निहववाद की कोटि में नहीं आता क्योंकि इस प्रकार के विवाद का प्रयोजन यथार्थ तत्र निर्णय है, न कि अपने अभिनिवेश का मिथ्या पोषण। निहव समस्त जिनप्रवचन को प्रमाणभूत मानता हुआ भी उसके किसी एक अंश का परंपरा से विरुद्ध अर्थ करता है एवं उस अर्थ का जनता में प्रचार करता है। प्रथम निहव जमालि ने बहुरत मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार कोई भी क्रिया एक समय में न होकर बहु—अनेक समय में होती है। द्वितीय निहव तिष्यगुप्त ने जीवप्रादेशिक मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार जीव का वह चरम प्रदेश जिसके बिना वह जीव नहीं कहलाता और जिसके होने पर ही वह जीव कहलाता है, वास्तव में जीव है। उसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश तो उसके अभाव में अजीव ही हैं क्योंकि उसी से वे सत्र जीवत्व प्राप्त करते हैं। तृतीय निहव आपादभूति ने अव्यक्त मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार किसी की साधुता-असाधुता आदि का निश्चय नहीं हो सकता। अतः किसी को वन्दना नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए। चतुर्थ निहव अश्वमित्र ने सामुच्छेदिक मत का प्रचार किया। समुच्छेद का अर्थ है जन्म होते ही सर्वथा नाश हो जाना। सामुच्छेदिक मत इसी सिद्धान्त का समर्थक है। पंचम निहव गग ने द्वैक्रियवाद का प्रचार किया। एक समय में दो क्रियाओं के अनुभव की शक्यता का समर्थन करना द्वैक्रियवाद है। षष्ठ निहव रोहगुप्त-षड्लूक ने त्रैरागिक मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार ससार में जीव, अजीव और नोजीव—इस तरह तीन प्रकार की राशियाँ हैं। रोहगुप्त का नाम षड्लूक क्यों रखा गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि उसका नाम तो रोहगुप्त है किन्तु गोत्र उलूक है। उलूक गोत्रीय रोहगुप्त ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय—इन षट् पदार्थों (वैशेषिक मत) का प्ररूपण किया अतः उसका नाम षट् और उलूक के संयोग से षड्लूक हो गया। सप्तम निहव गोष्ठामाहिल ने अन्नदिक मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार जीव और कर्म का वध नहीं अपितु स्पर्शमात्र होता है। अष्टम निहव शिवभूति-त्रोटिक ने दिग्ध्वर मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार वज्र कषाय का हेतु होने से परिग्रहरूप है अतः त्याज्य है। निहववाद के बाद सामायिक के अनुमत आदि शेष द्वारों का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति का व्याख्यान प्रारंभ किया है। इसमें नमस्कार का उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्यारह द्वारों से विवेचन किया

है। सिद्ध-नमस्कार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने कर्मस्थिति, समुद्रात, शैलेशी अवस्था, ध्यान आदि के स्वरूप का भी पर्याप्त विवेचन किया है। सिद्ध का उपयोग साकार है अथवा निराकार, इसकी चर्चा करते हुए केवलज्ञान और केवलदर्शन के भेद और अभेद का विचार किया है। केवलज्ञान और केवलदर्शन क्रमशः होते हैं या युगपद्, इस प्रश्न पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। भाष्यकार ने इस मत का समर्थन किया है कि केवली को भी एक-साथ दो उपयोग नहीं हो सकते अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शन भी क्रमशः ही होते हैं, युगपद् नहीं। नमस्कार-भाष्य के बाद 'करेमि भते' इत्यादि सामायिक-सूत्र के मूल पदों का व्याख्यान है। इस प्रकार प्रस्तुत भाष्य में जैन आचार-विचार के मूलभूत समस्त तत्त्वों का सुव्यवस्थित एवं सुप्ररूपित समग्र कर लिया है, यह सुस्पष्ट है। इसमें गूढतम दार्शनिक मान्यता से लेकर सूक्ष्मम आचारविषयक विधि विधान का सक्षिप्त किन्तु पर्याप्त विवेचन है।

जीतकल्पभाष्य :

प्रस्तुत भाष्य, भाष्यकार जिनभद्र की अपनी ही कृति जीतकल्पसूत्र पर है। इसमें बृहत्कल्प-लघुभाष्य, व्यवहारभाष्य, पचकल्प-महाभाष्य, पिण्डनिर्युक्ति आदि ग्रन्थों की अनेक गाथाएँ अक्षरशः उद्धृत हैं। ऐसी स्थिति में इसे एक समग्र-ग्रन्थ मानना भी समभवत उचित ही है। इसमें प्रायश्चित्त के विधि-विधान की मुख्यता है। प्रायश्चित्त का शब्दार्थ करते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि जो पाप का छेद करता है वह पायच्छित्त—प्रायश्चित्त है अथवा प्राय जिमसे चित्त शुद्ध होता है वह पच्छित्त—प्रायश्चित्त है। जीतकल्पाभिमत जीत-व्यवहार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत-इन पाँचों प्रकार के व्यवहार का विवेचन किया है। जो व्यवहार आचार्य परंपरा से प्राप्त हो, उत्तम पुरुषों द्वारा अनुमत हो, बहुभुनों द्वारा सेवित हो वह जीत-व्यवहार है। इसका आधार आगमादि नहीं अपितु परंपरा है। प्रायश्चित्त का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने प्रायश्चित्त के अठारह, बत्तीस एवं छत्तीस स्थानों का निरूपण किया है। प्रायश्चित्तदाताओं की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए आचार्य ने बताया है कि प्रायश्चित्त देने की योग्यता रखने वाले केवली अथवा चतुर्दशपूर्वधर का वर्तमान युग में अभाव होने पर भी कल्प (बृहत्कल्प), प्रकल्प (निशीथ) तथा व्यवहार के आधार पर प्रायश्चित्तदान की क्रिया सरलतापूर्वक सम्पन्न हो सकती है। चारित्र्य की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का व्यवहार अनिवार्य है। सापेक्ष प्रायश्चित्तदान से होने वाले लाभ एवं निरपेक्ष

आगमिक परंपरा से विरुद्ध तत्त्व प्रतिपादन करनेवाला निहव कहलाता है। अभिनिवेशरहित अर्थ-विवाट निहववाद की कोटि में नहीं आता क्योंकि इस प्रकार के विवाद का प्रयोजन यथार्थ तत्त्व निर्णय है, न कि अपने अभिनिवेश का मिथ्या पोषण। निहव समस्त जिनप्रवचन को प्रमाणभूत मानता हुआ भी उसके किसी एक अंश का परंपरा से विरुद्ध अर्थ करता है एवं उस अर्थ का जनता में प्रचार करता है। प्रथम निहव जमालि ने बहुरत मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार कोई भी क्रिया एक समय में न होकर बहु—अनेक समय में होती है। द्वितीय निहव तिष्यगुप्त ने जीवप्रादेशिक मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार जीव का वह चरम प्रदेश जिसके बिना वह जीव नहीं कहलाता और जिसके होने पर ही वह जीव कहलाता है, वास्तव में जीव है। उसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश तो उसके अभाव में अजीव ही हैं क्योंकि उसी से वे सत्र जीवत्व प्राप्त करते हैं। तृतीय निहव आषाढभूति ने अव्यक्त मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार किसी की साधुता-असाधुता आदि का निश्चय नहीं हो सकता। अतः किसी को वन्दना-नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए। चतुर्थ निहव अश्व-मित्र ने सामुच्छेदिक मत का प्रचार किया। समुच्छेद का अर्थ है जन्म होते ही सर्वथा नाश हो जाना। सामुच्छेदिक मत इसी सिद्धान्त का समर्थक है। पंचम निहव गग ने द्वैक्रियवाद का प्रचार किया। एक समय में दो क्रियाओं के अनुभव की शक्यता का समर्थन करना द्वैक्रियवाद है। षष्ठ निहव रोहगुप्त-षडुलूक ने त्रैराशिक मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार ससार में जीव, अजीव और नोजीव—इस तरह तीन प्रकार की राशियाँ हैं। रोहगुप्त का नाम षडुलूक क्यों रखा गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि उसका नाम तो रोहगुप्त है किन्तु गोत्र उलूक है। उलूक गोत्रीय रोहगुप्त ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय—इन षट् पदार्थों (वैशेषिक मत) का प्ररूपण किया अतः उसका नाम षट् और उलूक के संयोग से षडुलूक हो गया। सप्तम निहव गोष्ठामाहिल ने अबद्धिक मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार जीव और कर्म का बंध नहीं अपितु स्पर्शमात्र होता है। अष्टम निहव शिवभूति-गोटिक ने दिग्भ्रर मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार वस्त्र कषाय का हेतु होने से परिग्रहरूप है अतः त्याज्य है। निहववाद के बाद सामायिक के अनुमत आदि शेष द्वारों का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति का व्याख्यान प्रारंभ किया है। इसमें नमस्कार का उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्यारह द्वारों से विवेचन किया

है। सिद्ध-नमस्कार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने कर्मस्थिति, समुदात, शैलेशी अवस्था, ध्यान आदि के स्वरूप का भी पर्याप्त विवेचन किया है। सिद्ध का उपयोग साकार है अथवा निराकार, इसकी चर्चा करते हुए केवलज्ञान और केवलदर्शन के भेद और अभेद का विचार किया है। केवलज्ञान और केवलदर्शन क्रमशः होते हैं या युगपद्, इस प्रश्न पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। भाष्यकार ने इस मत का समर्थन किया है कि केवली को भी एक-साथ दो उपयोग नहीं हो सकते अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शन भी क्रमशः ही होते हैं, युगपद् नहीं। नमस्कार-भाष्य के बाद 'करेमि भते' इत्यादि सामायिक-सूत्र के मूल पदों का व्याख्यान है। इस प्रकार प्रस्तुत भाष्य में जैन आचार-विचार के मूलभूत समस्त तत्त्वों का सुव्यवस्थित एवं सुप्ररूपित समग्र कर लिया है, यह सुस्पष्ट है। इसमें गूढतम दार्शनिक मान्यता से लेकर सूक्ष्मतम आचारश्रियकर विधि विधान का सक्षिप्त किन्तु पर्याप्त विवेचन है।

जीतकल्पभाष्य :

प्रस्तुत भाष्य, भाष्यकार जिनभद्र की अपनी ही कृति जीतकल्पपुत्र पर है। इसमें बृहद्कल्प-लघुभाष्य, व्यवहारभाष्य, पञ्चकल्प महाभाष्य, पिण्डनिर्युक्ति आदि ग्रन्थों की अनेक गाथाएँ अक्षरशः उद्धृत हैं। ऐसी स्थिति में इसे एक समग्र ग्रन्थ मानना भी सम्भव उचित ही है। इसमें प्रायश्चित्त के विधि विधान की मुख्यता है। प्रायश्चित्त का शब्दार्थ करते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि जो पाप का छेद करता है वह प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त है अथवा प्राय जिससे वित्त शुद्ध होना है वह पच्छित्त—प्रायश्चित्त है। जीतकल्पाभिमत जीत-व्यवहार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने आगम, श्रुत, आशा, धारणा और जीत-इन पाँचों प्रकार के व्यवहार का विवेचन किया है। जो व्यवहार आचार्य परंपरा से प्राप्त हो, उत्तम पुरुषों द्वारा अनुमत हो, बहुश्रुतों द्वारा सेवित हो वह जीत व्यवहार है। इसका आधार आगमादि नहीं अपितु परंपरा है। प्रायश्चित्त का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने प्रायश्चित्त के अठारह, बत्तीस एवं छत्तीस स्थानों का निरूपण किया है। प्रायश्चित्तदाताओं की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए आचार्य ने बताया है कि प्रायश्चित्त देने की योग्यता रखने वाले केवली अथवा चतुर्दशपूर्वधर का वर्तमान युग में अभाव होने पर भी कल्प (बृहत्कल्प), प्रकल्प (निशीथ) तथा व्यवहार के आधार पर प्रायश्चित्तदान की किया सरलतापूर्वक सम्पन्न हो सकती है। चारित्र्य की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का व्यवहार अनिवार्य है। सापेक्ष प्रायश्चित्तदान से होने वाले लाभ एवं निरपेक्ष

प्रायश्चित्तदान से होनेवाली हानि का विचार करते हुए कहा गया है कि प्रायश्चित्त देते समय दाता के हृदय में दयाभाव रहना चाहिए। जिसे प्रायश्चित्त देना हो उसकी शक्ति-अशक्ति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रायश्चित्त के विधान का विशेष निरूपण करते हुए भाष्यकार ने प्रसंगवशात् भक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण तथा पादपोषणमनरूप मारणातिक साधनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आग्नेचना, प्रतिक्रमण, मिथ, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेड, मूल, अनवस्थाप्य और पाराचिक—इन दस प्रकार के प्रायश्चित्तों का स्वरूप बताते हुए तत्सम्बन्धी अपराध स्थानों का भी वर्णन किया गया है। प्रतिक्रमण के अपराध स्थानों का वर्णन करते हुए आचार्य ने अर्हन्नक, धर्मरुचि, आदि के उदाहरण भी दिये हैं। अन्न में यह भी बताया है कि अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्त का सञ्जाव चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहुस्वामी तक ही रहा। तदनन्तर इन दोनों प्रायश्चित्तों का व्यवहार बन्द हो गया।

बृहत्कल्प-लघुभाष्य :

यह भाष्य बृहत्कल्प के मूल सूत्रों पर है। इसमें पीठिका के अतिरिक्त छ उद्देश हैं। प्राचीन भारतीय सस्कृति की दृष्टि से इस भाष्य का विशेष महत्त्व है। जैन श्रमणों के आचार का सूक्ष्म एवं सतर्क विवेचन इस भाष्य की विशेषता है। पीठिका में भगलत्राद, ज्ञानपचक, अनुयोग, कल्प, व्यवहार आदि पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम उद्देश की व्याख्या में ताल वृक्ष से सम्बन्धित विविध दोष एवं प्रायश्चित्त, टूटे हुए ताल प्रलम्ब अर्थात् ताल वृक्ष के मूल के ग्रहण से सम्बन्धित अपवाद, निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के देगान्तर गमन के कारण और उसकी विधि, श्रमणों की रुग्णावस्था के विधि विधान, वैय और उनके प्रकार, दुष्काल आदि के समय श्रमण-श्रमणियों के एक-दूसरे के अवगृहीत क्षेत्र में रहने की विधि, ग्राम, नगर, सेड, कर्षटक, मटम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुल, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश, सनाध, घोष, अशिका, पुटभेदन, शकर आदि पदों का विवेचन, नक्षत्रमास, चद्रमास, ऋतुमास, आदित्यमास और अभिवर्धितमास का स्वरूप, मासकल्पविहारी साधु-साध्वियों का स्वरूप एवं जिनकल्पिक और स्यविरकल्पिक की क्रियाएँ, समवसरण की रचना, तीर्थङ्कर, गणधर, आहारकशरीरी, अनुत्तरदेव, चक्रतीर्ता, बलदेव, वासुदेव आदि की शुभाशुभ कर्म-प्रकृतियाँ, तीर्थङ्कर की एकरूप भाषा का विभिन्न भाषारूपों में परिणमन, आपणट्ट, रथ्यामुल, शृङ्गाटक, चतुष्क, चत्वर, अनरापग आदि पदों का व्याख्यान एवं इन स्थानों पर बने हुए

उपाश्रय में रहनेवाली निर्ग्रन्थियों को लगने वाले दोष, श्रमणों के पाँच प्रकार—
 अर्चारी, उपाध्याय, भिक्षु, स्थविर और क्षुल्लक, श्रमणियों के पाँच प्रकार—
 प्रवर्तिनी, अभिषेका, भिक्षुणी, स्थविरा और क्षुल्लिका, श्रमण श्रमणियों के लिए
 योग्य एव निर्दोष उपाश्रय, निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के विहार का उपयुक्त काल एव
 स्थान, रात्रि भोजन का निषेध आदि विषयों का समावेश है। ग्राम, नगर
 आदि का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार ने बारह प्रकार के ग्रामों का उल्लेख
 किया है १ उत्तानकमल्लक, २ अवाङ्मुखमल्लक, ३ सम्पुटकमल्लक, ४.
 उत्तानकलण्डमल्लक, ५ अथाङ्मुखलण्डमल्लक, ६ सम्पुटकलण्डमल्लक, ७.
 भित्ति, ८ पडालि, ९ वलभी, १० अक्षाटक, ११ रुक्क, १२ काश्यपक।
 जिनकल्पिक की चर्चा में बताया गया है कि तीर्थङ्करों अथवा गणधर आदि
 केवलियों के समय में जिनकल्पिक होते हैं। जिनकल्पिक की सामाचारी का
 निम्नलिखित २७ द्वारों से वर्णन किया गया है १ श्रुत, २ सहनन, ३.
 उपसर्ग, ४ आतक, ५ वेदना, ६ कतिजन, ७ स्थण्डिल, ८ वसति, ९.
 क्रियञ्चिर, १० उच्चार, ११ प्रसन्नण, १२ अवकाश, १३ तृणफलक,
 १४ सरक्षणता, १५ सस्थापनता, १६ प्राभृतिका, १७ अग्नि, १८ दीप,
 १९ अवधान, २० वत्स्य, २१ भिक्षाचर्या, २२ पानक, २३ लेपालेप,
 २४ अलेप, २५ आचाम्भ, २६ प्रतिभा, २७. मासकल्प। स्थविरकल्पिकों
 की चर्चा करते हुए आचार्य ने बताया है कि स्थविरकल्पिक की प्रव्रज्या, शिक्षा,
 अर्थग्रहण, अनियतवास और निष्पत्ति जिनकल्पिक के ही समान है। विहार-
 वर्णन में निम्नोक्त बातों का विशेष विचार किया है विहार का समय, विहार
 करने के पूर्व गच्छ के निवास एव निर्वाहयोग्य क्षेत्र का परीक्षण, उत्सर्ग तथा
 अपत्राद की दृष्टि से योग्य-अयोग्य क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों का निर्वाचन, क्षेत्र की प्रति-
 लेखना के निमित्त गमनागमन की विधि, विहार मार्ग एव स्थण्डिलभूमि, बल,
 विश्रामस्थान, भिक्षा, वसति, सम्भवित उपद्रव आदि की परीक्षा, प्रतिलेखनीय
 क्षेत्र में प्रवेश करने की विधि, भिक्षाचर्या द्वारा उस क्षेत्र के निवासियों की
 मनोवृत्ति की परीक्षा, भिक्षा, औषध आदि की सुश्रुता दुर्लभता का ज्ञान,
 विहार करने के पूर्व वसति के स्वामी की अनुमति, विहार करते समय शुभ
 शकुन दर्शन, विहार के समय आचार्य, बालदीक्षित, वृद्धसाधु आदि का सामान
 (उपधि) ग्रहण करने की विधि, प्रतिलिखित क्षेत्र में प्रवेश एव शुभाशुभ
 शकुनदर्शन, वसति में प्रवेश करने की विधि, वसति में प्रविष्ट होने के बाद
 आचार्य आदि का जिनचैत्यों के वन्दन के निमित्त गमन, मार्ग में गृह जिनप्रदिरों

के दर्शन, स्थापनाकुलों की व्यवस्था, स्थापनाकुलों में जाने योग्य अथवा भेजने योग्य वैशावृत्यकार के गुण दोष की परीक्षा, स्थापनाकुलों में से विधिपूर्वक उचित द्रव्यों का ग्रहण, एक दो तीन गच्छयुक्त वसति से भिक्षाग्रहण करने की विधि । गच्छवासियों—स्वविरकल्पिकों की सामाचारी से सम्बन्धित निम्नोक्त बातों पर भी आचार्य ने प्रकाश डाला है : १ प्रतिलेखना—वल्हादि की प्रतिलेखना का काल, प्रतिलेखना के दोष और प्रायश्चित्त, २ निष्क्रमण—उपाश्रयसे बाहर निकलने का समय, ३ प्राभृतिका—गृहस्थ आदि के लिए तैयार किये हुए गृह आदि में रहने-न रहने की विधि, ४ भिक्षा—पिण्ड आदि के ग्रहण का समय, भिक्षासम्बन्धी आवश्यक उपकरण आदि, ५ कल्पकरण—पात्र धावन की विधि, लेपकृत और अलेपकृत पात्र, पात्र-लेप के लाभ, ६ गच्छशतिकादि—सात प्रकार की सौवीरिणियों (१) आधार्कर्मिक, (२) स्वगृह्यतिमिश्र, (३) स्वगृह-पापण्डमिश्र, (४) यावदर्थिकमिश्र, (५) क्रीतकृत, (६) पूतिकर्मिक, (७) आत्मार्थकृत, ७ अनुयान—रथयात्रा का वर्णन एव तद्विषयक अनेक प्रकार के दोष, ८ पुर कर्म—भिक्षादान के पूर्व शीतल जल से हस्त आदि धोने से लगने वाले दोष, पुर कर्म और उदकार्द्रदोष में अन्तर, पुर कर्म सम्बन्धी प्रायश्चित्त, ९ ग्लान—रुग्ण साधु की सेवा से होने वाली निर्जरा, रुग्ण साधु के लिए पथ्यापथ्य की गवेषणा, चिकित्सा के निमित्त वैत्र के पास जाने आने की विधि, वैत्र से ग्लान साधु के विषय में बातचीत करने की विधि, ग्लान साधु के लिए उपाश्रय में आये हुए वैद्य के साथ व्यवहार करने की विधि, वैत्र के लिए भोजनादि एव औषदादि के मूल्य की व्यवस्था, रुग्ण साधु को निर्दयतापूर्वक उपाश्रय आदि में छोड़कर चले जाने वाले आचार्य को लगने वाले दोष एव उनका प्रायश्चित्त, १० गच्छप्रतिबद्धयथालदिक—वाचना आदि कारणों से गच्छ से सम्बन्ध रखनेवाले यथालदिक कल्पधारियों के साथ वदना आदि व्यवहार, ११ उपरिदोष—ऋतुबद्ध काल से अतिरिक्त समय में एक क्षेत्र में एक मास से अधिक रहने से लगने वाले दोष, १२ अपवाद—एक मास से अधिक रहने के आपवादिक कारण । आगे आचार्य ने यह भी बताया है कि यदि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के अन्दर और बाहर इस प्रकार दो भागों में बसे हुए हों तो अन्दर और बाहर मिलाकर एक क्षेत्र में दो मास तक रहना विहित है । निर्ग्रन्थियों—भ्रमणियों—साध्वियों के आचारविषयक विधि विधानों की चर्चा करते हुए प्रस्तुत भाष्य में निम्न बातों का विचार किया गया है मासकल्प की मर्यादा, विहार विधि, समुदाय का गणघर और उसके

गुण, गणधर द्वारा क्षेत्र की प्रतिलेखना, भदौंच में बौद्ध भावकों द्वारा साध्वियों का अपहरण, साध्वियों के विचरने योग्य क्षेत्र, वसति आदि, विधर्मी आदि की ओर से होने वाले उपद्रवों से रक्षा, शिक्षा के लिए जाने वाली साध्वियों की सख्या, वर्षाऋतु के अतिरिक्त एक स्थान पर रहने की अवधि। स्वविर-कल्प और जिनकल्प इन दोनों अवस्थाओं में कौनसी अवस्था प्रधान है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार ने स्याद्वादी भाषा में लिखा है कि निष्पादक और निष्पन्न इन दो दृष्टियों से दोनों ही प्रधान हैं। स्वविरकल्प सूत्रार्थग्रहण आदि दृष्टियों से जिनकल्प का निष्पादक है, जबकि जिनकल्प ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि दृष्टियों से निष्पन्न है। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाएँ महत्त्वपूर्ण एव प्रधान हैं। इस वक्तव्य को विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने गुहासिंह, दो स्त्रियों और दो गोवर्गों के उदाहरण भी दिये हैं। श्रमण-श्रमणियों के लिए रात्रि अथवा विकाल में अध्वगमन वा निषेध करते हुए भाष्यकार ने अध्व के दो भेद किये हैं पथ और मार्ग। जिसके बीच में ग्राम, नगर आदि कुछ भी न हों वह पन्थ है। जो ग्रामानुग्राम की परमारा से युक्त हो वह मार्ग है। अपवादरूप से रात्रिगमन की छूट है किन्तु उसके लिए अध्वोपयोगी उपकरणों का समग्र तथा योग्य सार्थ का सहयोग आवश्यक है। सार्थ पांच प्रकार का है : १ भट्टी, २ वहिलक, ३ भारवह, ४ औदरिक, ५ कार्पटिक। इसी प्रकार आचार्य ने आठ प्रकार के सार्थवाहों और आठ प्रकार के आदियात्रिकों—सार्थ-व्यवस्थापकों का भी उल्लेख किया है। श्रमण श्रमणियों के विहार-योग्य क्षेत्र की चर्चा में बताया है कि उत्सर्गरूप से विहार के लिए आर्यक्षेत्र ही श्रेष्ठ है। आर्य पद का निम्नोक्त निक्षेपों से व्याख्यान किया गया है १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ जाति, ६ कुल, ७ कर्म, ८ भाषा, ९ विद्वान्, १० ज्ञान, ११ दर्शन, १२ चारित्र्य। आर्यजातियों छ प्रकार की हैं १ अम्बष्ठ, २ कलिन्ट, ३ वैदेह, ४ विद्क, ५ हारित, ६ तन्तुण। आर्यकुल भी छ प्रकार के हैं. १ उग्र, २ भोग, ३ राजन्य, ४ क्षत्रिय, ५ शत कौरव, ६ इक्ष्वाकु। द्वितीय उद्देश के भाष्य में निम्नोक्त विषयों का व्याख्यान है उपाश्रयसम्बन्धी दोष एव यतनाएँ, सागारिक के आहारादि के त्याग की विधि, दूसरों के यहाँ से आई हुई भोजन-सामग्री के दान की विधि, सागारिक के भाग के पिण्ड का ग्रहण, विशिष्ट व्यक्तियों के निमित्त निर्मित भक्त, उपकरण आदि का अग्रहण, बलादि उपधि के परिभोग की विधि एव मर्यादा, रजोहरण-ग्रहण की विधि। बलादि उपधि के परिभोग की चर्चा में

पाच प्रकार के वल्गों का स्वरूप बताया गया है १. ज्ञानिक, २ भागिक, ३. सानक, ४ पोतक, ५ तिरीटपट्टक । रजोहरणग्रहणकी चर्चा में पाच प्रकार के रजोहरणों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है . १ और्णिक, २ औट्टिक, ३ शनक, ४ वच्चकन्धिपक, ५ मुजन्धिपक । तृतीय उद्देश की व्याख्या में भाष्यकार ने निम्न बातों पर प्रकाश डाला है निर्ग्रन्थों का निर्ग्रन्थियों के और निर्ग्रन्थियों का निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में प्रवेश, निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों द्वारा सन्नोमादि चर्म का उपयोग, कृत्स्न एव अकृत्स्न वल्ग का समग्र व उपयोग, भिन्न एव अभिन्न वल्ग का समग्र व उपयोग, अवग्रहानन्तक एव अग्रग्रहण का उपयोग, निर्ग्रन्थी द्वारा वल्गादिग्रहण, नवदीक्षित भ्रमण-भ्रमणियाँ -के लिए उपधि की मर्यादा, प्रथम वर्षाक्तनु में उपधिग्रहण की विधि, वल्गविभाजन की निर्दोष विधि, अभ्युत्थान वदन आदि करने का विधान, किसी घर के अंदर अथवा दो घरों के बीच सोने बैठने का निषेध, शय्या सस्तारक की याचना एव रक्षा, अगुरक्षित स्थान का त्याग । भिन्न एव अभिन्न वल्ग का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने वल्ग फाड़ने से होने वाली हिंसा अहिंसा की चर्चा की है । इस चर्चा में निम्नोक्त बातों का विचार किया गया है द्रव्यहिंसा और भावहिंसा का स्वरूप, हिंसा में रागादि की तीव्रता और तीव्र कर्मबन्ध, रागादि की मरुता और मद कर्मबन्ध, हिंसक में ज्ञान और अज्ञान के कारण कर्मबन्ध का न्यूनाधिक्य, अधिकरण की त्रिविधता से कर्मबन्ध का वैविध्य, हिंसक की देहादि की शक्ति के कारण कर्मबन्ध की विचित्रता । अवग्रहानन्तक और अग्रग्रहण के उपयोग की चर्चा करते हुए आचार्य ने इस बात का समर्थन किया है कि निर्ग्रन्थों के लिए इन दोनों का उपयोग वर्जित है जगकि निर्ग्रन्थियों के लिए उनका उपयोग अनेकार्य है । इस प्रसंग पर अपूर्ण वल्ग धारण का निषेध करते हुए भाष्यकार ने निर्ग्रन्थियों के अपहरण आदि की चर्चा की है । गर्भाधान की चर्चा करते हुए बताया गया है कि पुरुष-ससर्ग के अभाव में भी निम्नोक्त पाच कारणों से गर्भाधान हो सकता है १ दुर्विभूत एव दुर्निपणग स्त्री की योनि में पुरुषनिष्ठ शुकपुद्गल किसी तरह प्रविष्ट हो जाए, २ स्त्री स्वयं पुत्रकामना से उसे अपनी योनि में प्रविष्ट करे, ३ अन्य कोई उसे उसकी योनि में रख दे, ४ वल्ग-ससर्ग से शुकपुद्गल स्त्री-योनि में प्रविष्ट हो जाए, ५ उदकाचमन से स्त्री के भीतर शुकपुद्गल प्रविष्ट हो जाए । चतुर्थ उद्देश की व्याख्या में निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया गया है हस्तकर्म, मैथुन और रात्रिभोजन के लिए अनुद्गातिक अर्थात् शुद्ध प्रायश्चित्त, दुष्ट, प्रमत्त

और अन्योन्यकारक के लिए पाराचिक प्रायश्चित्त, सांघर्मिक-स्तैन्य, अन्वधार्मिक-स्तैन्य एवं हस्ताताल के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त, पडक, 'क्रीच और वातिक' के लिए प्रक्रिया का निषेध, 'अविनीत, विकृतिप्रतिबद्ध और' अव्यवशमितकपाय' के लिए वाचना का वर्जन, 'दुष्ट, 'मूढ एवं व्युद्ग्राहित के लिए उपदेश का निषेध, रोग निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों' की यतनापूर्वक सेवा-शुश्रूषा, कालातिक्रान्त एवं क्षेत्रातिक्रान्त अशनादि की अकल्प्यता, अकल्प्य अशनादि का निर्दोष उपयोग एवं विसर्जन, अशनाटिक की कल्प्यता और अकल्प्यता, गणान्तरोपसम्भदा का ग्रहण और उसकी यथोचित विधि, मृत्युप्राप्त भिक्षुक के शरीर की परिष्ठापना, 'भिक्षुक का गृहस्थ के साथ अधिकरण—झगड़ा और उसका व्यवशमन, परिहारतप' में स्थित भिक्षुक का भक्तपानादि, विविध नदियों को पार करने की मर्यादाएँ, विविध ऋतुओं के लिए योग्य उपाश्रय । हस्तकर्म का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार ने आठ प्रकार के हस्तकर्म का उल्लेख किया है छेदन, भेदन, घर्षण, पेपण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षार । मैथुन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने लिखा है कि मैथुनभाव रागादि से रहित नहीं होता अतः उसके लिए किसी प्रकार के अपवाद का विधान नहीं है । पडक आदि की प्रक्रिया का निषेध करते हुए आचार्य ने पडक के सामान्यतया छ लक्षण बताये हैं १ महिलास्यभाव, २ स्वरभेद, ३ वर्णभेद, ४ महन्मेदू, ५ मृदुवाक्, ६ सशब्द-अफेनक मूत्र । इसी प्रसंग पर भाष्यकार ने एक ही जन्म में पुरुष, स्त्री और नपुंसकवेद का अनुभव करने वाले कपिल का दृष्टान्त भी दिया है । पञ्चम उद्देश की व्याख्या में निम्न विषयों का समावेश है गच्छसम्बन्धी शास्त्र स्मरण और तद्विषयक व्याघात, क्लेशयुक्त चित्त से गच्छ में रहने अथवा स्वगच्छ को छोड़कर अन्य गच्छ में चले जाने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, निश्चक तथा सशक रात्रिभोजन, उद्धार—वमनादिविषयक दोष एवं प्रायश्चित्त, आहार-प्राप्ति' के लिए प्रयत्न एवं यतनाएँ, निर्ग्रन्थीविषयक विशेष विधि विधान । षष्ठ उद्देश के भाष्य में श्रमण श्रमणियों से सम्बन्धित निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है : निर्दोष वचनों का प्रयोग एवं अनीकादि वचनों का अप्रयोग, प्राणातिपात आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्तों के प्रस्तार—विविध प्रकार, कटक' आदि का उद्धरण, दुर्गम मार्ग का अनाम्ब्रन, क्षित्तचित्त निर्ग्रन्थी की समुचित रचविस्तार, साधुओं के परिमथ अर्थात् व्याघात और उनका स्वरूप, विविध कल्पस्थितियाँ एवं उनका स्वरूप । भाष्य के अन्त में कल्पध्वयन शास्त्र के अधिकारी की योग्यताओं का निरूपण है ।

बृहत्कल्प लघुभाष्य का जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के इतिहास में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें भाष्यकार के समय की एव अन्यकालीन भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एव धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की प्रचुरता का दर्शन होता है। जैन साधुओं के लिए तो इसका व्यावहारिक महत्त्व है ही।

बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य :

यह भाष्य अपूर्ण ही उपलब्ध है। उपलब्ध भाष्य में पीठिका एव प्रारम्भ के दो उद्देश पूर्ण हैं तथा तृतीय उद्देश अपूर्ण है। इसमें बृहत्कल्प-लघुभाष्य में प्रतिपादित विषयों का ही विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। कहीं-कहीं गाथाओं में व्यतिक्रम दृष्टिगोचर होता है।

व्यवहारभाष्य :

यह भाष्य भी साधुओं के आचार से सम्बन्धित है। इसमें भी बृहत्कल्प-लघुभाष्य की ही मूर्ति प्रारम्भ में पीठिका है। पीठिका के प्रारम्भ में व्यवहार, व्यवहारी एव व्यवहर्तव्य का स्वरूप बताया गया है। व्यवहार में दोनों की सभावना को दृष्टि में रखते हुए प्रायश्चित्त का अर्थ, भेद, निमित्त आदि दृष्टियों से व्याख्यान किया गया है। बीच-बीच में अनेक प्रकार के दृष्टान्त भी दिये गये हैं। पीठिका के बाद सूत्र-स्पर्शिक निर्युक्ति का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। प्रथम उद्देश की व्याख्या में भिक्षु, मास, परिहार, स्थान, प्रतिसेवना, आलोचना आदि पदों का निक्षेपपूर्वक विवेचन किया गया है। आघातकर्म आदि से सम्बन्धित अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के लिए विभिन्न प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। अतिक्रम के लिए मासगुरु, व्यतिक्रम के लिए मासगुरु और काललघु, अतिचार के लिए तपोगुरु और कालगुरु तथा अनाचार के लिए चतुर्गुरु प्रायश्चित्त का विधान है। प्रायश्चित्त से मूलगुण एवं उत्तरगुण दोनों ही परिशुद्ध होते हैं। इनकी परिशुद्धि से ही चारित्र्य की शुद्धि होती है। पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा और अभिग्रह उत्तरगुणान्तर्गत हैं। इनके क्रमशः ४२, ८, २५, १२, १२ और ४ भेद हैं। प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं निर्गत और वर्तमान। जो प्रायश्चित्त से अतिक्रान्त हैं वे निर्गत हैं। जो प्रायश्चित्त में विद्यमान हैं वे वर्तमान हैं। प्रायश्चित्तार्ह अर्थात् प्रायश्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं उभयतर, आत्मतर, परतर और अन्यतर। जो स्वयं तप करता हुआ दूसरों की सेवा भी कर

सकता है वह उभयतर है। जो केवल तप ही कर सकता है वह आत्मतर है। जो केवल सेवा ही कर सकता है वह परतर है। जो तप और सेवा इन दोनों में से किसी एक समय में एक का ही सेवन कर सकता है वह अन्यतर है। शिथिलतावश गच्छ छोड़ कर पुनः गच्छ में सम्मिलित होने वाले साधु के लिए विविध प्रायश्चित्तों का विधान करते हुए भाष्यकार ने पार्श्वस्थ, यथाच्छन्द, कुशील, अवसन्न तथा ससक्त के स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। पार्श्वस्थ दो प्रकार के होते हैं—देशतः पार्श्वस्थ और सर्वतः पार्श्वस्थ। सर्वतः पार्श्वस्थ के तीन भेद हैं—पार्श्वस्थ, प्रास्वस्थ और पाशस्थ। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य आदि के पार्श्व अर्थात् समीप—तट पर है वह पार्श्वस्थ है। जो ज्ञानादि के प्रति स्वस्थ भाव रखते हुए भी तद्विषयक उग्रम से दूर रहता है वह प्रास्वस्थ है। जो मिथ्यात्व आदि पाशों में स्थित है वह पाशस्थ है। जो स्वयं परिभ्रष्ट है तथा दूसरों को भी भ्रष्टाचार की शिक्षा देता है वह यथाच्छन्द—इच्छाच्छन्द है। जो ज्ञानाचार आदि की विराधना करता है वह कुशील है। अवसन्न देशतः और सर्वतः भेद से दो प्रकार का है। आवश्यकतादि में हीनता, अधिकता, विपर्यय आदि करने वाला देशवसन्न है। समय पर सस्तारक आदि का प्रत्युपेक्षण न करने वाला सर्वावसन्न है। जो पार्श्वस्थ आदि का ससर्ग प्राप्त कर उन्हीं के समान हो जाता है वह ससक्त है। साधुओं के विहार की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने एकाकी विहार का निषेध किया है तथा तत्सम्बन्धी दोषों का निरूपण किया है। इस प्रसंग पर एक वणिक् का दृष्टान्त देते हुए आचार्य ने बताया है कि जहाँ राजा, वैश्य, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष—ये पाँच प्रकार के लोग न हों वहाँ धन और जीवन का नाश हुए बिना नहीं रहता। अथवा राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य तथा कुमार से परिग्रहीत राज्य गुणविशाल होता है। अपनी उन्नति की कामना वाले व्यक्ति को इसी प्रकार के राज्य में रहना चाहिए। जो उभय योनि (मातृपक्ष तथा पितृपक्ष) से शुद्ध है, प्रजा से आय का केवल दशम भाग ग्रहण करता है, लोकाचार एव नीतिशास्त्र में निपुण है वही वास्तव में राजा है, शेष राजाभास हैं। जो प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम शरीरशुद्धि आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होता है एव आस्थानिका में जाकर राज्य के सब कार्यों की विचारणा करता है वह युवराज है। जो गम्भीर है, मार्दवयुक्त है, कुशल है, जाति एव विनयसम्पन्न है तथा युवराज के साथ सब कार्यों का प्रेक्षण करता है वह महत्तरक है। जो व्यवहारकुशल एव नीतिसम्पन्न है तथा जनपद, राजधानी व राजा का हितचिन्तन करता है वह अमात्य है। जो दुर्दान्त लोगों का दमन

बृहत्कल्प लघुभाष्य का जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के इतिहास में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें भाष्यकार के समय की एव अन्यकालीन भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एव धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की प्रचुरता का दर्शन होता है। जैन साधुओं के लिए तो इसका व्यावहारिक महत्त्व है ही।

बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य :

यह भाष्य अपूर्ण ही उपलब्ध है। उपलब्ध भाष्य में पीठिका एव प्रारम्भ के दो उद्देश पूर्ण हैं तथा तृतीय उद्देश अपूर्ण है। इसमें बृहत्कल्प-लघुभाष्य में प्रतिपादित विषयों का ही विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। कहीं कहीं गाथाओं में व्यतिक्रम दृष्टिगोचर होता है।

व्यवहारभाष्य :

यह भाष्य भी साधुओं के आचार से सम्बन्धित है। इसमें भी बृहत्कल्प-लघुभाष्य की ही भाँति प्रारम्भ में पीठिका है। पीठिका के प्रारम्भ में व्यवहार, व्यवहारी एव व्यवहर्तव्य का स्वरूप बताया गया है। व्यवहार में दोषों की सभावना को दृष्टि में रखते हुए प्रायश्चित्त का अर्थ, भेद, निमित्त आदि दृष्टियों से व्याख्यान किया गया है। बीच-बीच में अनेक प्रकार के दृष्टान्त भी दिये गये हैं। पीठिका के बाद सूत्र-स्पर्शिक निर्युक्ति का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। प्रथम उद्देश की व्याख्या में भिक्षु, मास, परिहार, स्थान, प्रतिसेवना, आलोचना आदि पदों का निक्षेपपूर्वक विवेचन किया गया है। आधाकर्म आदि से सम्बन्धित अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के लिए विभिन्न प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। अतिक्रम के लिए मासगुरु, व्यतिक्रम के लिए मासगुरु और काललघु, अतिचार के लिए तपोगुरु और कालगुरु तथा अनाचार के लिए चतुर्गुरु प्रायश्चित्त का विधान है। प्रायश्चित्त से मूलगुण एव उत्तरगुण दोनों ही परिशुद्ध होते हैं। इनकी परिशुद्धि से ही चारित्र्य की शुद्धि होती है। पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिष्ठा और अभिप्रह उत्तरगुणान्तर्गत हैं। इनके क्रमशः ४२, ८, २५, १२, १२ और ४ भेद हैं। प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं निर्गत और वर्तमान। जो प्रायश्चित्त से अतिक्रान्त हैं वे निर्गत हैं। जो प्रायश्चित्त में विद्यमान हैं वे वर्तमान हैं। प्रायश्चित्तार्ह अर्थात् प्रायश्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं उभयतर, आत्मतर, परतर और अन्यतर। जो स्वयं तप करता हुआ दूसरों की सेवा भी कर

सकता है वह उभयतर है। जो केवल तप ही कर सकता है वह आत्मतर है। जो केवल सेवा ही कर सकता है वह परतर है। जो तप और सेवा इन दोनों में से किसी एक समय में एक का ही सेवन कर सकता है वह अन्यतर है। शिथिलतावश गच्छ छोड़ कर पुन गच्छ में सम्मिलित होने वाले साधु के लिए विविध प्रायश्चित्तों का विधान करते हुए भाष्यकार ने पार्श्वस्थ, यथान्छन्द, कुशील, अवसन्न तथा रसक्त के स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। पार्श्वस्थ दो प्रकार के होते हैं देशतः पार्श्वस्थ और सर्वतः पार्श्वस्थ। सर्वतः पार्श्वस्थ के तीन भेद हैं पार्श्वस्थ, प्रास्वस्थ और पाशस्थ। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य आदि के पार्श्व अर्थात् समीप—तट पर है वह पार्श्वस्थ है। जो ज्ञानादि के प्रति स्वस्थ भाव रखते हुए भी तद्विषयक उत्तम से दूर रहता है वह प्रास्वस्थ है। जो मिथ्यात्व आदि पाशों में स्थित है वह पाशस्थ है। जो स्वयं परिभ्रष्ट है तथा दूसरों को भी भ्रष्टाचार की शिक्षा देता है वह यथान्छन्द—इच्छान्छन्द है। जो ज्ञानाचार आदि की विराधना करता है वह कुशील है। अवसन्न देशतः और सर्वतः भेद से दो प्रकार का है। आवश्यकदि में हीनता, अधिकता, विपर्यय आदि करने वाला देशावसन्न है। समय पर सस्तारक आदि का प्रत्युपेक्षण न करने वाला सर्वावसन्न है। जो पार्श्वस्थ आदि का ससर्ग प्राप्त कर उन्हीं के समान हो जाता है वह ससक्त है। साधुओं के विहार की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने एकान्वी विहार का निषेध किया है तथा तत्सम्बन्धी दोषों का निरूपण किया है। इस प्रसंग पर एक वणिक् का दृष्टान्त देते हुए आचार्य ने बताया है कि जहाँ राजा, वैश्य, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष—ये पाँच प्रकार के लोग न हों वहाँ धन और जीवन का नाश हुए बिना नहीं रहता। अथवा राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य तथा कुमार से परिगृहीत राज्य गुणविशाल होता है। अपनी उन्नति की कामना वाले व्यक्ति को इसी प्रकार के राज्य में रहना चाहिए। जो उभय योनि (मातृपक्ष तथा पितृपक्ष) से शुद्ध है, प्रजा से आय का केवल दशम भाग ग्रहण करता है, लोकाचार एव नीतिशास्त्र में निपुण है वही वास्तव में राजा है, शेष राजाभास हैं। जो प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम शरीरशुद्धि आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होता है एव आस्थानिका में जाकर राज्य के सब कार्यों की विचारणा करता है वह युवराज है। जो गम्भीर है, मार्दवयुक्त है, कुशल है, जाति एव त्रिनयसम्पन्न है तथा युवराज के साथ सब कार्यों का प्रेक्षण करता है वह महत्तरक है। जो व्यवहारकुशल एव नीतिसम्पन्न है तथा जनपद, राजधानी व राजा का हितचिन्तन करता है वह अमात्य है। जो दुर्दान्त लोगों का दमन

करता हुआ 'संप्रामर्श' में अपनी कुशलता का परिचय देता है वह कुमार है। 'जो वैत्रकेशास्त्र का 'पंडित है तथा 'माता-पिता' आदि से 'सम्बन्धित रोगों को निर्मूल' कर 'स्वास्थ्य' पदान करता है वह वैत्र है। जिसके पास परपरा से प्राप्त 'करोड़ों की 'सम्पत्ति हो वह 'धनिक है। जिसके यहाँ 'निम्नलिखित १७ प्रकार के धान्य' के भाण्डार भरे हुए हों वह 'नियतिक है' १. शालि, २ यव, ३ कोद्रव, ४ ब्रीहि, ५ रात्क, ६ तिल, ७. सुद्ग, ८ माप, ९ चावल, १० चणक, ११ तुवरी, १२. मसुरक, १३ कुल्थ, १४ गोधूम, १५. निष्याव, १६ धतसी, १७ सण। जो मादर और बौण्डिन्य की दण्डनीति में कुशल है, किसी से भी लचा—उत्कोच नहीं लेता तथा किसी प्रकार का पक्षात नहीं करता वह रूपयक्ष है। रूपयक्ष का शब्दार्थ है मूर्तिमान् धर्मरुनिष्ठ देव। जिस प्रकार राजा आदि के अभाव में धन जीवन की रक्षा असम्भव है उसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गीतार्थ के अभाव में चारित्रधर्म की रक्षा असम्भव है। द्वितीय उद्देश की व्याख्या में द्वि, साधर्मिक, विहार आदि पदों का विवेचन है। विविध प्रकार के तपस्वियों एवं रोगियों की सेवा का विधान करते हुए भाष्यकार ने क्षिप्तचित्त तथा दीप्तचित्त साधुओं की सेवा करने की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है। व्यक्ति क्षिप्तचित्त क्यों होता है? क्षिप्तचित्त होने के तीन कारण हैं राग, मय और अपमान। दीप्तचित्त क्षिप्तचित्त से ठीक विरोधी स्वभाव का होता है। क्षिप्तचित्त होने का मुख्य कारण अपमान है जबकि दीप्तचित्त होने का मुख्य कारण सम्मान है। विशिष्ट सम्मान के बाद मद के कारण, लाममद से मत्त होने पर अथवा दुर्जय शत्रुओं को जीतने के मद से उन्मत्त होने के कारण व्यक्ति दीप्तचित्त हो जाता है। क्षिप्तचित्त और दीप्तचित्त में एक अन्तर यह है कि क्षिप्तचित्त प्रायः मौन रहता है जबकि दीप्तचित्त अनावश्यक बरु बरु किया करता है। तृतीय उद्देश के भाष्य में इच्छा, गण आदि शब्दों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है एवं गणाच्छेदक, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, प्रवर्तिनी आदि पदवियों धारण करनेवालों की योग्यताओं का विचार किया गया है। जो एकादशगण सूत्रार्थधारी हैं, नवम पूर्व के शाता हैं, कृतयोगी हैं, बहुभुत हैं, बह्नागम हैं, सूत्रार्थविशारद हैं, धीर हैं, श्रुतनिघर्ष हैं, महाजन हैं वे ही आचार्य आदि पदवियों के योग्य हैं। चतुर्थ उद्देश की व्याख्या में साधुओं के विहार से सम्बन्धित विधि विधान है। शीत और उष्णकाल के आठ महीनों में आचार्य तथा उपाध्याय को एक भी अन्य साधु साथ में न होने पर विहार नहीं करना चाहिए। गणाच्छेदक को साथ में कमसे कम

दो साधु होने पर ही विहार करना चाहिए। आचार्य तथा उपाध्याय को कमसे-कम अन्य दो साधु साथ में होने पर ही, अलग चातुर्मास करना (वर्षाऋतु में एक स्थान पर रहना) चाहिए। गणावच्छेदक के लिए चातुर्मास में कमसे-कम तीन अन्य साधुओं का सहवास अनिवार्य है। प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में निम्नोक्त विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है - जातसमाप्तकल्प, जातअसमाप्तकल्प, अजातसमाप्त-कल्प, अजातअसमाप्तकल्प, वर्षाकाल के लिए उपयुक्त स्थान, त्रैवार्षिकस्थापना, गणधरस्थापना, ग्लान की सेवा शुभ्रूपा, अवग्रह का विभाग, आहारादिविषयक अनुकम्पा इत्यादि। पंचम उद्देश की व्याख्या में साध्वियों के विहारसम्बन्धी नियमों पर प्रकाश डाला गया है। षष्ठ उद्देश के भाष्य में साधु साध्वियों के सम्बन्धियों के यहाँ से आहारादि ग्रहण करने के नियमों का निरूपण किया गया है। सप्तम उद्देश के भाष्य में अन्य समुदाय से आनेवाले साधु-साध्वियों को अपने समुदाय में लेने के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। जो साधु-साध्वियाँ सामो-गिक हैं अर्थात् एक ही आचार्य के संरक्षण में रहते हैं उन्हें अपने आचार्य की अनुमति प्राप्त किये बिना अन्य समुदाय से आने वाले साधु साध्वियों को अपने सघ में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यदि किसी स्त्री को एक सघ में दीक्षा लेकर दूसरे सघ की साध्वी बनना हो तो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। उसे जिस सघ में रहना हो उसी सघ में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। पुरुष के लिए ऐसा नियम नहीं है। वह करणवशात् एक सघ में दीक्षा लेकर दूसरे सघ के आचार्य को अपना गुरु बना सकता है। दीक्षा ग्रहण करने वाले के गुण-दोषों का विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि कुछ लोग अपने देश स्वभाव से ही अनेक दोषों से युक्त होते हैं। आन्ध्र में उत्पन्न हुआ हो और अक्रूर हो, महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो और अवाचाल हो, कोशल में पैदा हुआ हो और अदुष्ट हो—ऐसा सौ में से एक भी मिलना दुर्लभ है। अष्टम उद्देश की व्याख्या में शयनादि के निमित्त सामग्री जुटाने एवं वापस लौटाने की विधि बताई गई है तथा आहार की मर्यादा पर प्रकाश डाला गया है। कुक्कुटी के अण्डे के बराबर के आठ कौर खाने वाला साधु अल्पाहारी कहलाता है। इसी प्रकार चारह, सोलह, चौबीस, इक्तीस और बत्तीस ग्रास ग्रहण करने वाले साधु क्रमशः अपार्वाहारी, अर्धाहारी, प्रास्तावमौदर्य, किञ्चिदवमौदर्य और प्रमाणाहारी कहलाते हैं। नवम उद्देश की व्याख्या में भाष्यकार ने शय्यातर अर्थात् सागारिक के ज्ञातिक, स्वजन, मित्र आदि आगतुक लोगों से सम्बन्धित आहार के ग्रहण-अग्रहण के विवेक पर प्रकाश डालते हुए निर्गन्धों की विविध प्रतिमाओं का स्वरूप बताया है। दशम उद्देश से सम्बन्धित

भाष्य में यवमध्यप्रतिमा और वज्रमध्यप्रतिमा का विशेष विवेचन है। साथ ही पाँच प्रकार के व्यनहार, बालदीक्षा की विधि, दस प्रकार की सेवा-वैयावृत्य आदि का भी व्याख्यान किया गया है।

ओषनिर्युक्ति-भाष्य :

ओषनिर्युक्ति-लघुभाष्य में ओष, पिण्ड, व्रत, श्रमणधर्म, समय, वैयावृत्य, गुति, तप, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखना, अभिप्रह, अनुयोग, कायोत्सर्ग, औपघातिक, उपकरण आदि विषयों का सक्षिप्त व्याख्यान है। ओषनिर्युक्ति बृहद्भाष्य में इन्हीं विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य :

इसमें पिण्ड, आधाकर्म, औद्देशिक, मिश्रजात, सूक्ष्मप्राभृतेका, विशोधि, अविशोधि आदि श्रमणधर्मसम्बन्धी विषयों का सक्षिप्त विवेचन है।

पचकल्प-महाभाष्य :

यह भाष्य पचकल्पनिर्युक्ति के व्याख्यान के रूप में है। भाष्यकार ने निर्युक्ति की प्रथम गाथा में प्रयुक्त 'भद्रबाहु' पद का अर्थ 'सुन्दर बाहुओं से युक्त' किया है और बताया है कि अन्य भद्रबाहुओं से छेदसूत्रकार भद्रबाहु को पृथक् सिद्ध करने के लिए उनके नाम के साथ प्राचीन गोत्रीय, चरम सकलश्रुतजानी और दशाकल्प व्यवहारप्रणेता विशेषण जोड़े गये हैं। प्रस्तुत भाष्य में पाँच प्रकार के कल्प का सक्षिप्त वर्णन है। पाँच प्रकार के कल्प के क्रमशः छ, सात, दस, बीस और बयालीस भेद हैं। प्रथम कल्प-मनुजजीवकल्प छ प्रकार का है प्रव्रजान, मुडन, शिक्षण, उपस्थ, भोग और सबसन। जाति, कुल, रूप और विनयसपन्न व्यक्ति ही प्रव्रज्या के योग्य है। निम्नोक्त बीस प्रकार के व्यक्ति प्रव्रज्या के अयोग्य हैं १ बाल, २ वृद्ध, ३ नपुंसक, ४ जड, ५ क्लीब, ६ रोगी, ७ स्तेन, ८ राजापकारी, ९ उन्मत्त, १० अदर्शी, ११ दास, १२ दुष्ट, १३ मूढ, १४ अज्ञानी, १५ लुगित, १६ भयभीत, १७ पलायित, १८ निष्कासित, १९ गर्भिणी और २० बालवत्सा स्त्री। आगे क्षेत्रकल्प की चर्चा करते हुए आचार्य ने साठे पञ्चीस देशों को आर्यक्षेत्र बताया है जिनमें साधु विचर सकते हैं। इन आर्य जनपदों एवं उनकी राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं १ मगध और राजग्रह, २ अग और चम्पा, ३ वग और ताम्रलिप्ति, ४ कलिग और काचनपुर, ५ काशी और वाराणसी, ६ कोशल और साकेत, ७ कुरु और गजपुर,

८ कुशावर्त और सौरिक, ९. पावाल और काम्पिल्य, १० जगन् और अहिच्छन्ना, ११ सुराङ्ग और द्वारवती, १२. विदेह और मिथिआ, १३. वत्स और कौशात्री, १४ शाडिल्य और नदीपुर, १५. मलय और महिलपुर, १६. वत्स और वैराट-पुर, १७ वरण और अञ्जापुरी, १८. दशार्ण और मृत्तिकावती, १९. चेदि और शौक्तिकावती, २० सिंधु और वीतमय, २१ सौवीर और मथुरा, २२ सुरसेन और पापा, २३. भग और सामपुरिवट्ट, २४. कुणाल और भ्रावस्ती, २५ लट और कोटिवर्ष, २५३ केकयार्थ और श्वेतात्रिका । द्वितीय कल्प के सात भेद हैं स्थितकल्प, अस्थितकल्प, जिनकल्प, स्ववेरकल्प, लिंगकल्प, उपधिकल्प और संभोगकल्प । तृतीयकल्प के दस भेद हैं • कल्प, प्रकल्प, विकल्प, सकल्प, उपकल्प, अनुकल्प, उत्कल्प, अकल्प, दुष्कल्प और सुकल्प । चतुर्थ कल्प के अन्तर्गत नामकल्प, स्थापनाकल्प, द्रव्यकल्प, क्षेत्रकल्प, कालकल्प, दर्शनकल्प, भ्रुनकल्प, अध्ययनकल्प, चारित्रकल्प आदि बीस प्रकार के कल्पों का समावेश है । पंचम कल्प के द्रव्य, भाव, तदुभय, करण, त्रिमण, सदाधार, निर्वेश, अतर, नयानर, स्थित, अस्थित, स्थान आदि दृष्टिकोणों से चयालीस भेद किये गये हैं ।

चूर्णियाँ :

जैन आगमों की प्राकृत अथवा संस्कृतमिथित प्राकृत व्याख्याएँ चूर्णियाँ कहलाती हैं । इस प्रकार की कुछ चूर्णियाँ आगमेतर साहित्य पर भी हैं । जैन आचार्यों ने निम्नोक्त आगमों पर चूर्णियाँ लिखी हैं १ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), ४ जीवाभिगम, ५ निशीथ, ६ महानिशीथ, ७ व्यवहार, ८ दशाश्रुतस्वन्ध, ९ बृहत्कल्प, १०. पचकल्प, ११ ओषधिनिर्युक्ति, १२ जीतकल्प, १३ उत्तराध्ययन, १४ आवश्यक, १५ दशवैकालिक, १६ नन्दी, १७ अनुयोगद्वार, १८ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति । निशीथ और जीतकल्प पर दो दो चूर्णियाँ लिखी गई हैं किन्तु वर्तमान में एक-एक ही उपलब्ध है । अनुयोगद्वार, बृहत्कल्प एव दशवैकालिक पर भी दो दो चूर्णियाँ हैं । जिनदासगणि महत्तर की मानी जाने वाली निम्नांकित चूर्णियों का रचना क्रम इस प्रकार है नन्दीचूर्ण, अनुयोगद्वारचूर्ण, ओषधिनिर्युक्तिचूर्ण, आवश्यकचूर्ण, दशवैकालिकचूर्ण, उत्तराध्ययनचूर्ण, आचारागचूर्ण, सूत्रकृतागचूर्ण और व्याख्याप्रज्ञप्तिचूर्ण । नन्दीचूर्ण, अनुयोगद्वारचूर्ण, जिनदासकृत दशवैकालिकचूर्ण, उत्तराध्ययनचूर्ण, आचारागचूर्ण, सूत्रकृतागचूर्ण, निशीथविशेषचूर्ण, दशाश्रुतस्वन्धचूर्ण एव बृहत्कल्पचूर्ण संस्कृतमिथित प्राकृत में हैं । आवश्यकचूर्ण, अगस्त्यसिद्धकृत दशवैकालिकचूर्ण एव जीतकल्पचूर्ण (सिद्धसेनकृत) प्राकृत में हैं ।

चूर्णिकार :

चूर्णिकार के रूप में जिनदासगणि महत्तर का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। परम्परा से निम्न चूर्णियों जिनदासगणि महत्तर की मानी जाती हैं निशीथ-विशेषचूर्णि, नन्दीचूर्णि, अनुयोगद्वारचूर्णि, आवश्यकचूर्णि, दशवैकालिकचूर्णि, उत्तराध्ययनचूर्णि, आचारागचूर्णि, सूत्रकृतागचूर्णि। उपलब्ध जीतकल्पचूर्णि के कर्ता सिद्धसेनसूरि हैं। बृहत्कल्पचूर्णि प्रलम्बसूरि की कृति है। अनुयोगद्वार की एक चूर्णि (अगुल पद पर) के कर्ता भाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाभ्रमण भी हैं। यह चूर्णि जिनदासगणिकृत अनुयोगद्वारचूर्णि में अक्षरशः उद्धृत है। दशवैकालिक पर अगस्त्यसिंह ने भी एक चूर्णि लिखी है। इनके अतिरिक्त अन्य चूर्णिकारों के नाम अज्ञात हैं।

प्रसिद्ध चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर के धर्मगुरु का नाम उत्तराध्ययनचूर्णि के अनुसार वाणिक्यकुलीन, कोटिकगणाय, दण्डशास्त्रीय गोपालगणि महत्तर है तथा विद्यागुरु का नाम निशीथ-विशेषचूर्णि के अनुसार प्रद्युम्न-क्षमाभ्रमण है। जिनदास का समय भाष्यकार आचार्य जिनभद्र और टीकाकार आचार्य हरिभद्र के बीच में है। इसका प्रमाण यह है कि आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओं का प्रयोग इनकी चूर्णियों में दृष्टिगोचर होता है तथा इनकी चूर्णियों का पूरा उपयोग आचार्य हरिभद्र की टीकाओं में हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर का समय वि स ६५०-७५० के आसपास मानना चाहिए क्योंकि इनके पूर्ववर्ती आचार्य जिनभद्र वि स ६५०-६६० के आसपास तथा इनके उत्तरवर्ती आचार्य हरिभद्र वि स ७५७-८२७ के आसपास विद्यमान थे। नन्दीचूर्णि के अन्त में उसका रचना-काल शक सवत् ५९८ उल्लिखित है। इस प्रकार इस उल्लेख के अनुसार भी जिनदास का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है।

जीतकल्पचूर्णि के कर्ता सिद्धसेनसूरि प्रसिद्ध सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि सिद्धसेन दिवाकर, जीतकल्प सूत्र, के प्रणेता आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हैं जबकि चूर्णिकार सिद्धसेनसूरि आचार्य जिनभद्र के पश्चात्वर्ती हैं। इनका समय वि स १२२७ के पूर्व है, पश्चात्तर्ही, क्योंकि प्रस्तुत जीतकल्पचूर्णि की एक टीका जिसका नाम विषमपदव्याख्या है, श्रीचन्द्रसूरि ने वि स १२२७ में पूर्ण की थी। प्रस्तुत-सिद्धसेन समभवतः उपदेशगच्छीय देवसुतसूरि के शिष्य एव यशोदेवसूरि के गुरुभाई हैं।

1 बृहत्कल्पचूर्णिकार प्रलम्बपुरि वि. स १३३४ के पूर्व हुए हैं क्योंकि ताडपत्र पर लिखित प्रस्तुत चूर्णिकी एक प्रति का लेखन-समय वि. स. १३३४ है।

दशवैकालिकचूर्णिकार अगस्त्यसिंह कोटिगणीय वज्रस्वामी की शाला के एक स्वविर हैं। इनके गुरु का नाम ऋषिगुप्त है। इनका समय अज्ञात है। चूर्णिकी भाषा, शैली आदि देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चूर्णिकार विशेष प्राचीन नहीं है।-

नन्दीचूर्णिकी :

यह चूर्णिकी मूल सूत्र का अनुसरण करते हुए लिखी गयी है। इसकी व्याख्यान-शैली सक्षिप्त एव सारग्राही है। इसमें मुख्यतया ज्ञान के स्वरूप की चर्चा है। अन्त में चूर्णिकार ने 'गिरेणगामेत्तमहासहा जिता' आदि शब्दों में अपना परिचय दिया है जो स्पष्ट नहीं है।

अनुयोगद्वारचूर्णिकी :

जिनदासगणिकृत प्रस्तुत चूर्णिकी भी मूल सूत्रानुसारी है। इसमें नन्दीचूर्णिकी का उल्लेख किया गया है। सप्तस्वर, नवरस आदि का भी इसमें सोदाहरण निरूपण किया गया है। अन्त में चूर्णिकार के नाम आदि का कोई उल्लेख नहीं है।

आवश्यकचूर्णिकी :

यह चूर्णिकी मुख्यतया निर्युक्त्यनुसारी है। यत्र तत्र विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओं का भी व्याख्यान किया गया है। भाषा में प्रवाह एव जैनी में ओज है। विषय विस्तार भी अन्य चूर्णिकियों की अपेक्षा अधिक है। कथानकों की प्रचुरता भी इसकी एक विशेषता है। इसमें ऐतिहासिक आख्यानों के विशेष दर्शन होते हैं। ओषनिर्युक्तिचूर्णिकी, गोविदनिर्युक्ति, वसुदेवहिण्डि आदि अनेक ग्रन्थों का इसमें उल्लेख है। सस्कृत के अनेक श्लोक इसमें उद्धृत हैं। आवश्यक के सामायिक नामक प्रथम अध्ययन की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने अतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के भवों की चर्चा की है तथा आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के धनसार्थवाह आदि भवों का वर्णन किया है। ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि का वर्णन करते हुए तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर भी प्रकाश डाला है। इसी प्रसंग पर आचार्य ने ऋषभदेव के पुत्र भरत की

दिग्विजय-यात्रा का अति रोचक एवं विद्वत्तापूर्ण वर्णन किया है। भरत का राज्याभिषेक, भरत और बाहुवलि का युद्ध, बाहुवलि को केवलज्ञान की प्राप्ति आदि घटनाओं के वर्णन में भी चूर्णिकार ने अपना कौशल दिखाया है। भगवान् महावीर के जीवन से सम्बन्धित निम्नोक्त घटनाओं का वर्णन भी प्रस्तुत चूर्णि में उपलब्ध है। धैर्य-परीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध, लोकान्तिकागमन, इन्द्रागमन, दीक्षा-महोत्सव, उपसर्ग, अभिग्रह-पत्तक, अच्छदक-वृत्त, चण्ड-कौशिक-वृत्त, गोशालक-वृत्त, सगमककृत-उपसर्ग, देवीकृत-उपसर्ग, वैशाली आदि में विहार, चन्दनवाला-वृत्त, गोपकृत-शलाकोपसर्ग, केवलोपाद, समवसरण, गणधर-दीक्षा। सामायिकसम्बन्धी अन्य विषयों की चर्चा में आनट, कामदेव, शिवराजर्षि, गगदत्त, इलापुत्र, मेतार्य, कालिकाचार्य, चिलातिपुत्र, धर्मरुचि, तैतलीपुत्र आदि अनेक ऐतिहासिक आख्यानों के दृष्टान्त दिये गये हैं। तृतीय अध्ययन वदना की व्याख्या में चूर्णिकार ने वद्यावद्य का विचार करते हुए पाँच प्रकार के श्रमणों को अवद्य बताया है १ आजीवक, २ तापस, ३ परिव्रजक, ४ तच्चणिय (तत्क्षणिक), ५ बोटिक। प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ अध्ययन की चूर्णि में अभयकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुल्सा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापद्मनद, शकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित अनेक कथानकों का संग्रह किया गया है। आगे के अध्ययनों में भी इसी प्रकार विविध विषयों का सद्दृष्टान्त व्याख्यान किया गया है।

दशवैकालिकचूर्णि (जिनदासकृत) :

प्रस्तुत चूर्णि निर्युक्ति का अनुसरण करती है। इसमें आवश्यकचूर्णि का भी उल्लेख है। पचम अध्ययन से सम्बन्धित चूर्णि में मासाहार, मन्त्रपान आदि की भी चर्चा है। चूर्णिकार ने तरगवती, ओघनिर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति आदि ग्रंथों का नामोल्लेख भी किया है।

उत्तराध्ययनचूर्णि :

यह चूर्णि भी निर्युक्त्यनुसारी है। इसके अंत में चूर्णिकार ने अपना परिचय देते हुए अपने को 'वाणिजकुलसभूओ, कोडियगणिओ उ वयरसाहीतो। गोवालियमहत्तरओ तेसिं सीसेण इम ' अर्थात् वाणिज्यकुलीन, कोटिकगणाय, वज्रशाखीय गोपालगणि महत्तर का शिष्य बताया है। इसमें आचार्य ने अपनी कृति दशवैकालिकचूर्णि का भी उल्लेख किया है।

प्रास्ताविक

आचारागचूर्णि :

यह चूर्णि भी निर्युक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। इसमें यत्र तत्र प्राकृत गाथाएँ एव सस्कृत श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। इन उद्धरणों के स्थल निर्देश की ओर चूर्णिकार ने ध्यान नहीं दिया है।

सूत्रकृतागचूर्णि :

आचारागचूर्णि और सूत्रकृतागचूर्णि की शैली में अत्यधिक साम्य है। इनमें सस्कृत का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। विषय विवेचन सक्षिप्त एवं स्पष्ट है। सूत्रकृताग की चूर्णि भी आचाराग आदि की चूर्णियों की ही भाँति निर्युक्त्यनुसारी है।

जीतकल्प-बृहच्चूर्णि :

सिद्धसेनसूरिप्रणीत प्रस्तुत चूर्णि में एतत्पूर्वकृत एक अन्य चूर्णि का भी उल्लेख है। प्रस्तुत चूर्णि अथ से इति तक प्राकृत में है। इसमें जितनी गाथाएँ एव गद्यांश उद्धृत हैं, सब प्राकृत में हैं। यह चूर्णि मूल सूत्रानुसारी है। प्रारम्भ व अन्त में चूर्णिकार ने जीतकल्प सूत्र के प्रणेता आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण को सादर नमस्कार किया है।

दशवैकालिकचूर्णि (अगस्त्यसिंहकृत) :

प्रस्तुत चूर्णि भाषा एव शैली दोनों दृष्टियों से सुगम है। जिनदासकृत दशवैकालिकचूर्णि की भाँति प्रस्तुत चूर्णि भी निर्युक्त्यनुसारी है। चूर्णि के अन्त में चूर्णिकार ने अपना पूरा परिचय दिया है। चूर्णिकार का नाम कलश-भवमृगेन्द्र अर्थात् अगस्त्यसिंह है। चूर्णिकार के गुरु का नाम ऋषिगुप्त है। ये कोटिगणीय वज्रस्वामी की शाखा के हैं। प्रस्तुत चूर्णिगत मूल सूत्र-पाठ, जिनदासकृतचूर्णि के मूल सूत्र-पाठ एव हारिभद्रीय वृत्ति के मूल सूत्र— इन तीनों में कहीं कहीं थोड़ा-सा अंतर दृष्टिगोचर होता है। यही बात निर्युक्ति-गाथाओं के विषय में भी है। निर्युक्ति की कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं जो हारिभद्रीय वृत्ति में तो उपलब्ध हैं किन्तु दोनों चूर्णियों में नहीं मिलतीं।

निशीथ-विशेषचूर्णि :

जिनदासगणिकृत प्रस्तुत चूर्णि मूल सूत्र, निर्युक्ति एव भाष्य के विवेचन के रूप में है। इसमें सस्कृत का अल्प प्रयोग है। प्रारम्भ में पीठिका है

जिसमें निशीथ की भूमिका के रूप में तत् सम्बद्ध आवश्यक विषयों का व्याख्यान किया गया है। प्रारम्भिक मगल-गाथाओं में आचार्य ने अपने विद्यागुरु प्रद्युम्न क्षमाश्रमण को भी नमस्कार किया है। इसी प्रसंग पर उन्होंने यह भी बताया है कि निशीथ का दूसरा नाम प्रकल्प भी है। निशीथ का अर्थ है अप्रकाश अर्थात् अंधकार। अप्रकाशित वचनों के निर्णय के लिए निशीथ सूत्र है। प्रथम उद्देश की चूर्णि में हस्तकर्म का विश्लेषण करते हुए आचार्य ने बताया है कि हस्तकर्म दो प्रकार का है : असकिल्ल और सकिल्ल। असकिल्ल हस्तकर्म आठ प्रकार का है - छेदन, भेदन, घर्षण, पेषण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षार। सकिल्ल हस्तकर्म दो प्रकार का है : सनिमित्त और अनिमित्त। सनिमित्त हस्तकर्म तीन प्रकार के कारणों से होता है - शब्द सुनकर, रूप देखकर अथवा पूर्व अनुभूत विषय का स्मरण कर। अगोपाग का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने बताया है कि शरीर के तीन भाग हैं : अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग। अङ्ग आठ हैं - सिर, उर, उदर, पीठ, दो बाहु और दो ऊरु। कान, नाक, आँखें, जघाएँ, हाथ और पैर उपाग हैं। नख, बाल, श्मश्रु, अगुलियाँ, हस्ततल और हस्तोपतल अङ्गोपाङ्ग हैं। दड, विदड, लाठी एव विलट्टी का भेद आचार्य ने इस प्रकार किया है : दड तीन हाथ का होता है, विदड दो हाथ का होता है, लाठी आत्म-प्रमाण होती है, विलट्टी लाठी से चार अगुल न्यून होती है। इसी प्रकार द्वितीय उद्देश की व्याख्या में शय्या और सस्तारक का भेद बताते हुए कहा गया है कि शय्या सर्वांगिका अर्थात् पूरे शरीर के बराबर होती है जबकि सस्तारक ढाई हाथ लम्बा ही होता है। उपधि का विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि उपधि दो प्रकार की होती है : अवधियुक्त और उपग्रहीत। जिनकल्पिकों के लिए बारह प्रकार की, स्थविरकल्पिकों के लिए चौदह प्रकार की एव आर्याओं—साध्वियों के लिए पन्चीस प्रकार की उपधि अवधियुक्त है। जिनकल्पिक दो प्रकार के हैं पाणिपात्रभोजी और प्रतिग्रहधारी। इनके पुन. दो-दो भेद हैं - सप्रावरण—सबल और अप्रावरण—निर्वल। जिनकल्प में उपधि की आठ कोटियाँ हैं - दो, तीन, चार, पाँच, नव, दस, ग्यारह और बारह (प्रकार की उपधि)। निर्वल पाणिपात्र की जघन्य उपधि दो प्रकार की है। रजोहरण और मुख-वस्त्रिका। वही पाणिपात्र यदि सबल है तो उसकी जघन्य उपधि तीन प्रकार की होगी रजोहरण, मुखवस्त्रिका और एक वल। इस प्रकार उपधि की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। पष्ठ उद्देश की व्याख्या में साधुओं के मैथुनसम्बन्धी दोषों एव प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हुए चूर्णिकार ने मातृग्राम और मैथुन का

शब्दार्थ इस प्रकार किया है माता के समान नारियों के वृद्ध को मातृग्राम कहते हैं। अथवा सामान्य स्त्री वर्ग को मातृग्राम—माउगाम कहना चाहिए, जैसे कि मराठी में स्त्री को माउगाम कहते हैं। मिथुनभाव अथवा मिथुनकर्म को मैथुन कहते हैं। मातृग्राम तीन प्रकार का है . दिव्य, मानुष्य और तिर्यक्। इनमें से प्रत्येक के दो भेद हैं . देहयुक्त और प्रतिमायुक्त। देहयुक्त के पुनः दो भेद हैं : सजीव और निर्जीव। प्रतिमायुक्त भी दो प्रकार का है : सन्निहित और असन्निहित। कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि लेख दो प्रकार का होता है . छन्न—अप्रकाशित और प्रकट—प्रकाशित। छन्न लेख तीन प्रकार का है . लिपिछन्न, भाषाछन्न और अर्थछन्न। सप्तम उद्देश की व्याख्या में कुडल, गुण, मणि, तुडिय, तिसरिय, वालभा, पलत्रा, हार, अर्धहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, पट्ट, मुकुट आदि आभरणों का स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार आलिंगन, परिष्वजन, चुवन, छेदन एव विच्छेदनरूप काम-क्रीडाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। अष्टम उद्देश से सम्बन्धित चूर्णि में उद्यान, उद्यानगृह, उद्यानशाला, निर्याण, निर्याण-गृह, निर्याणशाला, अट्ट, अट्टालक, चरिका, प्रकार, द्वार, गोपुर, दक, दकमार्ग, दकपथ, दकतीर, दकस्थान, शून्यगृह, शून्यशाला, भिन्नगृह, भिन्नशाला, कूटागार, कोष्ठागार, तृणगृह, तृणशाला, तुषगृह, तुषशाला, छुसगृह, छुसशाला, पर्यायगृह, पर्यायशाला, कर्मान्तगृह, कर्मान्तशाला, महागृह, महाकुल, गोगृह, गोशाला आदि का स्वरूप बताया गया है। नवम उद्देश की चूर्णि में राजा के अन्तःपुर में मुनिप्रवेश का निषेध करते हुए आचार्य ने तीन प्रकार के अन्तःपुरों का वर्णन किया है जीर्णान्तःपुर, नवान्तःपुर और कन्यकान्तःपुर। इसी उद्देश में कोष्ठागार, भाडागार, पानागार, क्षीरगृह, गंजशाला, महानसशाला आदि का स्वरूप भी बताया गया है। एकादश उद्देश की व्याख्या में अयोग्य दीक्षा का निषेध करते हुए आचार्य ने ४८ प्रकार के व्यक्तियों को प्रव्रज्या के अयोग्य माना है १८ प्रकार के पुरुष, २० प्रकार की स्त्रियों और १० प्रकार के नपुंसक। इसी प्रसंग पर आचार्य ने १६ प्रकार के रोग एव ८ प्रकार की व्याधि के नाम गिनाये हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली व्याधि तथा देर से नष्ट होने वाला रोग कहलाता है। पचदश उद्देश की व्याख्या में चार प्रकार के आमों का उल्लेख है . उस्सेतिम, ससेतिम, उवक्खड और पलिय। पलिय आम पुनः चार प्रकार के हैं इधन-पलिय, धूमपलिय, गघपलिय और वृक्षपलिय। षोडश उद्देश की चूर्णि में चूर्णिकार ने पण्यशाला, भडशाला, कर्मशाला, पचनशाला, इधनशाला और

व्यधारणशाला का स्वरूप बताया है। इसी उद्देश में जुगुप्सित कुलों से आहारादि के ग्रहण का निषेध करते हुए आचार्य ने बताया है कि जुगुप्सित दो प्रकार के हैं— इत्वरिक और यावत्कथिक। सूतक आदि से युक्त कुल इत्वरिक—कुछ समय के लिए जुगुप्सित हैं। लोहकार, कलाल, चर्मकार आदि यावत्कथिक—जीवनपर्यन्त जुगुप्सित हैं। भ्रमणों के लिए आर्यदेश में ही विचरने का विधान करते हुए आचार्य ने आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई है. पूर्व में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुणाला और दक्षिण में कौशाम्बी। अंतिम उद्देश—नीसर्वे उद्देश की व्याख्या के अन्त में चूर्णिकार के पूरे नाम—जिनदासगणि महत्तर का उल्लेख किया गया है तथा प्रस्तुत चूर्ण का नाम विशेषनिशीथचूर्ण बताया गया है। प्रस्तुत चूर्ण का जैन आचारशास्त्र के व्याख्याग्रथों में एक विशिष्ट स्थान है। इसमें आचार के नियमों के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक एव सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की भी प्रचुरता है। अन्य व्याख्याग्रथों की भाँति इसमें भी अनेक कथानक उद्धृत किये गये हैं। इनमें घूर्ताख्यान, तरगवती, मलयवती, मगधसेन, आर्य कालक एव उनकी भगिनी रूपवती तथा उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल आदि के वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं।

दशाश्रुतस्कन्धचूर्णः

यह चूर्ण निर्युक्त्यनुसारी है। व्याख्यान की शैली सरल है। मूल सूत्रपाठ तथा चूर्णसम्मत पाठ में कहीं-कहीं थोड़ा-सा अंतर है। कहीं-कहीं सूत्रों का विपर्यास भी है।

बृहत्कल्पचूर्णः

यह चूर्ण लघुभाष्य का अनुसरण करते हुए है। इसमें पीठिका तथा छः उद्देश हैं। आचार्य ने कहीं-कहीं दार्शनिक चर्चा भी की है। एक जगह वृक्ष शब्द के छ भाषाओं में पर्याय दिये गये हैं। संस्कृत में जो वृक्ष है वही प्राकृत में रुक्ख, मगध देश में ओदण, लाट में क्रूर, दमिल में चोर और अंध्र में इडाकु नाम से प्रसिद्ध है। इसमें तत्त्वार्थाधिगम, विशेषपावश्यकभाष्य, कर्म प्रकृति, महा कल्प, गोविन्दनिर्युक्ति आदि का भी उल्लेख है। चूर्ण के अन्त में चूर्णिकार के नाम आदि का कोई उल्लेख नहीं है।

टीकाएँ और टीकाकार :

जैन आगमों की संस्कृत व्याख्याओं का भी आगमिक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्रभाव की विशेष वृद्धि होते देख जैन आचार्यों ने भी

अपने प्राचीनतम साहित्य आगम ग्रन्थों पर सस्कृत में टीकाएँ लिखना प्रारम्भ किया। इन टीकाओं में प्राचीन निर्युक्तियों, भाष्यों एवं चूर्णियों की सामग्री का तो उपयोग हुआ ही, साथ ही साथ टीकाकारों ने नये-नये हेतुओं एवं तर्कों द्वारा उस सामग्री को पुष्ट भी किया। आगमिक साहित्य पर प्राचीनतम सस्कृत टीका आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकृत विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञवृत्ति है। यह वृत्ति आचार्य जिनभद्र अपने जीवनकाल में पूर्ण न कर सके। इस अपूर्ण कार्य को कोट्यार्य ने (जो कि कोट्याचार्य से भिन्न हैं) पूर्ण किया। इस दृष्टि से आचार्य जिनभद्र प्राचीनतम आगमिक टीकाकार हैं। भाष्य, चूर्णि और टीका—तीनों प्रकार के व्याख्यात्मक साहित्य में इनका योगदान है। भाष्यकार के रूप में तो इनकी प्रतिद्धि है ही। अनुयोगद्वार के अगुल पट पर इनकी एक चूर्णि भी है। टीका के रूप में इनकी लिखी हुई विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति है ही। टीकाकारों में हरिभद्रसूरि, शीलाकसूरि, वादिवेताल शान्तिसूरि, अभयदेवसूरि, मलयगिरि, मलधारी हेमचन्द्र आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें हरिभद्रसूरि प्राचीनतम हैं। कुछ टीकाकारों के नाम अज्ञात भी हैं। जातनामा टीकाकार ये हैं जिनभद्रगणि, हरिभद्रसूरि, कोट्याचार्य, कोट्यार्य अथवा कोट्यार्य, जिनभट्ट, शीलाकसूरि, गधहस्ती, वादिवेताल शान्तिसूरि, अभयदेवसूरि, द्रोणसूरि, मलयगिरि, मलधारी हेमचन्द्र, नेमिचन्द्रसूरि अथवा देवेन्द्रगणि, श्रीचन्द्रसूरि, श्रीतिलकसूरि, क्षेमकीर्ति, भवनतुंगसूरि, गुणरत्न, विजयविमल, वानरर्षि, हीरविजयसूरि, शान्तिचन्द्रगणि, जिनहस, हर्षकुल, लक्ष्मीकल्लोलगणि, दानगोखरसूरि, विनयहस, नमिसाधु, ज्ञानसागर, सोमसुन्दर, माणिक्यशेखर, शुभवर्धनगणि, धीरसुन्दर, कुलप्रभ, राजवल्लभ, हितरुचि, अजितदेवसूरि, साधुरग उपाध्याय, नगर्षिगणि, सुमतिकल्लोल, हर्षनन्दन, मेघराज वाचक, भावसागर, पद्मसुन्दरगणि, कस्तूरचन्द्र, हर्षवल्लभ उपाध्याय, विवेकहस उपाध्याय, जान-विमलसूरि, राजचन्द्र, रत्नप्रभसूरि, समरचन्द्रसूरि, पद्मसागर, जीवविजय, पुण्यसागर, विनयराजगणि, विजयसेनसूरि, हेमचन्द्रगणि, विशालसुन्दर, सौभाग्यसागर, कीर्तिवल्लभ, कमलसयम उपाध्याय, तपोरत्न वाचक, गुणगोखर, लक्ष्मीवल्लभ, भावविजय, हर्षनन्दनगणि, धर्ममदिर उपाध्याय, उदयसागर, मुनिचन्द्रसूरि, जानशीलगणि, ब्रह्मर्षि, अजितचन्द्रसूरि, राजशील, उदयविजय, सुमतिसूरि, समयसुन्दर, शान्तिदेवसूरि, सोमविमलसूरि, क्षमारत्न, जयदयाल इत्यादि। इनमें से जिनकी जीवनी आदि के विषय में कुछ प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है उनका परिचय देते हुए उनकी टीकाओं का सक्षित परिचय प्रस्तुत करते हैं। इस परिचय में प्रकाशित टीकाओं की प्रधानता रहेगी।

जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति :

भाष्यकार आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकृत प्रस्तुत अपूर्ण वृत्ति कोट्यार्य वादिगणि ने पूर्ण की। जिनभद्र पष्ठ गणधरवाद तक की वृत्ति समाप्त कर दिवगत हो गए थे। वृत्ति का अवशिष्ट भाग, जैसा कि वृत्ति की उपलब्ध प्रति से स्पष्ट है, कोट्यार्य ने पूर्ण किया। प्रस्तुत वृत्ति अति सरल, स्पष्ट एवं सक्षिप्त है।

हरिभद्रसूरिकृत टीकाएँ :

हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्तौड़ नगर में हुआ था। ये इसी नगर के जितारि राजा के राज पुरोहित थे। इनके गच्छपति गुरु का नाम जिनभट्ट, दीक्षादाता गुरु का नाम जिनदत्त, धर्मजननी का नाम याकिनी महत्तरा, धर्मकुल का नाम विद्याधरगच्छ एव सम्प्रदाय का नाम श्वेताम्बर था। इनका समय ईस्वी सन् ७००-७७० अर्थात् वि० स० ७५७-८२७ है। कहा जाता है कि हरिभद्रसूरि ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी। इनके लगभग ७५ ग्रन्थ तो अभी भी उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थों को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि आचार्य हरिभद्र एक बहुश्रुत विद्वान् थे। इनकी विद्वत्ता नि सन्देह अद्वितीय थी। इन्होंने नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक, प्रज्ञापना, आवश्यक, जीवाभिगम और पिण्डनिर्युक्ति पर टीकाएँ लिखीं। पिण्डनिर्युक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूरी की।

नन्दीवृत्ति :

यह टीका प्रायः नन्दीचूर्णिका का ही रूपान्तर है। इसमें टीकाकार ने केवल-ज्ञान और केवलदर्शन का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए उनके योगपत्र के समर्थन के लिए सिद्धसेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थन के लिए जिनभद्र आदि का एव अमेद के समर्थन के लिए वृद्धाचार्यों का नामोल्लेख किया है। अत्रोल्लिखित सिद्धसेन सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई अन्य ही आचार्य हो सकते हैं। उनका यह मत दिगम्बरसमत है क्योंकि दिगम्बर आचार्य केवलज्ञान और केवलदर्शन को युगपद् मानते हैं। सन्मतितर्क के कर्ता सिद्धसेन दिवाकर तो अमेदवाद के समर्थक अथवा यों कहिए कि प्रवर्तक हैं। टीकाकार ने सम्भवतः वृद्धाचार्यों के रूप में उन्हीं का निर्देश किया है। क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्र आदि को सिद्धान्तवादी कहा गया है। प्रस्तुत टीका का ग्रथमान २३३६ श्लोकप्रमाण है।

अनुयोगद्वारटीका :

यह टीका अनुयोगद्वारचूर्ण की ही शैली पर है। इसका निर्माण नन्दी टीका के बाद हुआ है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने प्रस्तुत टीका के प्रारंभ में निर्देश किया है। इसमें आवश्यकविवरण और नन्दी विशेषविवरण का भी उल्लेख है।

दशवैकालिकवृत्ति :

यह वृत्ति दशवैकालिकनिर्युक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। इसमें अनेक प्राकृत कथानक एवं सस्कृत तथा प्राकृत उद्धरण हैं। कहीं-कहीं दार्शनिक दृष्टि का प्रभाव भी दिखाई देता है। पंचम अध्ययन की वृत्ति में आहारविषयक मूल गाथाओं का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अस्थि आदि पदों का मासपरक एवं फलपरक दोनों प्रकार का अर्थ किया है।

प्रज्ञापना-प्रदेशव्याख्या :

यह वृत्ति प्रज्ञापना सूत्र के पदों पर है। इसमें वृत्तिकार ने आवश्यकटीका और आचार्य वादिमुख्य का नामोल्लेख किया है। वृत्ति सक्षित एवं सरल है। इसमें यत्र तत्र सस्कृत एवं प्राकृत उद्धरण भी हैं।

आवश्यकवृत्ति :

यह वृत्ति आवश्यकनिर्युक्ति पर है। यत्र-तत्र भाष्य गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। वृत्ति में आवश्यकचूर्ण का पदानुसरण न करते हुए स्वतंत्र रीति से विषय-विवेचन किया गया है। इस वृत्ति को देखने से प्रतीत होता है कि आवश्यक सूत्र पर आचार्य हरिभद्र ने दो टीकाएँ लिखी हैं। उपलब्ध टीका अनुपलब्ध टीका से प्रमाण में छोटी है। प्रस्तुत टीका में वृत्तिकार ने वदिमुख्य-कृत कुछ सस्कृत श्लोक भी उद्धृत किये हैं। कहीं-कहीं निर्युक्ति के पाठान्तर भी दिये हैं। इसमें भी दृष्टान्तरूप एवं अन्य कथानक प्राकृत में ही हैं। वृत्ति का नाम शिष्यहिता है। इसका ग्रन्थमान २२००० श्लोकप्रमाण है।

कोट्याचार्यविहित विशेषावश्यकभाष्यविवरण :

कोट्याचार्य ने अपनी प्रस्तुत टीका में आचार्य हरिभद्र अथवा उनकी किसी कृति का कोई उल्लेख नहीं किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोट्याचार्य संभवतः हरिभद्र के पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं। प्रस्तुत विवरण में टीकाकार ने आवश्यक की मूलटीका का अनेक चार उल्लेख

जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति :

भाष्यकार आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकृत प्रस्तुत अपूर्ण वृत्ति कोट्यार्य वादिगणि ने पूर्ण की। जिनभद्र पष्ठ गणधरवाद तरु की वृत्ति समाप्त कर दिवगत हो गए थे। वृत्ति का अवशिष्ट भाग, जैसा कि वृत्ति की उपलब्ध प्रति से स्पष्ट है, कोट्यार्य ने पूर्ण किया। प्रस्तुत वृत्ति अति सरल, स्पष्ट एवं सक्षिप्त है।

हरिभद्रसूरिकृत टीकाएँ :

हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्तौड़ नगर में हुआ था। ये इसी नगर के जितारि राजा के राज-पुरोहित थे। इनके गच्छपति गुरु का नाम जिनभट्ट, दीक्षादाता गुरु का नाम जिनदत्त, धर्मजननी का नाम याकिनी महत्तरा, धर्मकुल का नाम विद्याधरगच्छ एव सम्प्रदाय का नाम श्वेताम्बर था। इनका समय ईस्वी सन् ७००-७७० अर्थात् वि० स० ७५७-८२७ है। कहा जाता है कि हरिभद्रसूरि ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी। इनके लगभग ७५ ग्रन्थ तो अभी भी उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थों को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि आचार्य हरिभद्र एक बहुश्रुत विद्वान् थे। इनकी विद्वत्ता नि सन्देह अद्वितीय थी। इन्होंने नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक, प्रज्ञापना, आवश्यक, जीवाभिगम और पिण्डनिर्युक्ति पर टीकाएँ लिखीं। पिण्डनिर्युक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूरी की।

नन्दीवृत्ति :

यह टीका प्रायः नन्दीचूर्णिका ही रूपान्तर है। इसमें टीकाकार ने केवल-ज्ञान और केवलदर्शन का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए उनके योगपत्र के समर्थन के लिए सिद्धसेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थन के लिए जिनभद्र आदि का एव अमेद के समर्थन के लिए वृद्धाचार्यों का नामोल्लेख किया है। अत्रोल्लिखित सिद्धसेन सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई अन्य ही आचार्य हो सकते हैं। उनका यह मत दिगम्बरसमत है क्योंकि दिगम्बर आचार्य केवलज्ञान और केवलदर्शन को युगपद् मानते हैं। सन्मतितर्क के कर्ता सिद्धसेन दिवाकर तो अमेदवाद के समर्थक अथवा यों कहिए कि प्रवर्तक हैं। टीकाकार ने संभवतः वृद्धाचार्य के रूप में उन्हीं का निर्देश किया है। क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्र आदि को सिद्धान्तवादी कहा गया है। प्रस्तुत टीका का ग्रथमान २३३६ श्लोकप्रमाण है।

अनुयोगद्वारटीका :

यह टीका अनुयोगद्वारचूर्ण की ही शैली पर है। इसका निर्माण नन्द टीका के बाद हुआ है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में निर्देश किया है। इसमें आवश्यकविवरण और नन्दी विशेषविवरण का भी उल्लेख है।

दशवैकालिकवृत्ति :

यह वृत्ति दशवैकालिकनिर्युक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। इसमें अनेक प्राकृत कथानक एवं सस्कृत तथा प्राकृत उद्धरण हैं। कहीं-कहीं दार्शनिक दृष्टि का प्रभाव भी दिखाई देता है। पञ्चम अध्ययन की वृत्ति में आहारविषयक मूल गाथाओं का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अस्थि आदि पदों का मासपरक एवं फलपरक दोनों प्रकार का अर्थ किया है।

प्रज्ञापना-प्रदेशशब्दाख्या :

यह वृत्ति प्रज्ञापना सूत्र के पदों पर है। इसमें वृत्तिकार ने आवश्यकटीका और आचार्य वादिमुख्य का नामोल्लेख किया है। वृत्ति संक्षिप्त एवं सरल है। इसमें यत्र तत्र सस्कृत एवं प्राकृत उद्धरण भी हैं।

आवश्यकवृत्ति :

यह वृत्ति आवश्यकनिर्युक्ति पर है। यत्र-तत्र भाष्य गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। वृत्ति में आवश्यकचूर्ण का पदानुसरण न करते हुए स्वतंत्र रीति से विषय-विवेचन किया गया है। इस वृत्ति को देखने से प्रतीत होता है कि आवश्यक सूत्र पर आचार्य हरिभद्र ने दो टीकाएँ लिखी हैं। उपलब्ध टीका अनुपलब्ध टीका से प्रमाण में छोटी है। प्रस्तुत टीका में वृत्तिकार ने च दिसुख्य-कृत कुछ सस्कृत श्लोक भी उद्धृत किये हैं। कहीं कहीं निर्युक्ति के पाठान्तर भी दिये हैं। इसमें भी दृष्टान्तरूप एवं अन्य कथानक प्राकृत में ही हैं। वृत्ति का नाम शिष्यहिता है। इसका ग्रन्थमान २२००० श्लोकप्रमाण है।

कोट्याचार्यविहित विशेषावश्यकभाष्यविवरण :

कोट्याचार्य ने अपनी प्रस्तुत टीका में आचार्य हरिभद्र अथवा उनकी किसी कृति का कोई उल्लेख नहीं किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोट्याचार्य संभवतः हरिभद्र के पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं। प्रस्तुत विवरण में टीकाकार ने आवश्यक की मूलटीका का अनेक बार उल्लेख

जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति :

भाष्यकार आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकृत प्रस्तुत अपूर्ण वृत्ति कोट्यार्य वादिगणि ने पूर्ण की। जिनभद्र पष्ठ गणधरवाद तरु की वृत्ति समाप्त कर दिवगत हो गए थे। वृत्ति का अवशिष्ट भाग, जैसा कि वृत्ति की उपलब्ध प्रति से स्पष्ट है, कोट्यार्य ने पूर्ण किया। प्रस्तुत वृत्ति अति सरल, स्पष्ट एवं सक्षिप्त है।

हरिभद्रसूरिकृत टीकाएँ :

हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्तौड़ नगर में हुआ था। ये इसी नगर के जितारि राजा के राजपुरोहित थे। इनके गच्छपति गुरु का नाम जिनभद्र, दीक्षादाता गुरु का नाम जिनदत्त, धर्मजननी का नाम याकिनी महत्तरा, धर्मकुल का नाम विद्याधरगच्छ एवं सम्प्रदाय का नाम श्वेताम्बर था। इनका समय ईस्वी सन् ७००-७७० अर्थात् वि० स० ७५७-८२७ है। कहा जाता है कि हरिभद्रसूरि ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी। इनके लगभग ७५ ग्रन्थ तो अभी भी उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थों को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि आचार्य हरिभद्र एक बहुभुत विद्वान् थे। इनकी विद्वत्ता नि सन्देह अद्वितीय थी। इन्होंने नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक, प्रज्ञापना, आवश्यक, जीवाभिगम और पिण्डनिर्युक्ति पर टीकाएँ लिखीं। पिण्डनिर्युक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूरी की।

नन्दीवृत्ति :

यह टीका प्रायः नन्दीचूर्णिका ही रूपान्तर है। इसमें टीकाकार ने केवलज्ञान और केवलदर्शन का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए उनके योगपत्र के समर्थन के लिए सिद्धसेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थन के लिए जिनभद्र आदि का एवं अभेद के समर्थन के लिए बृद्धाचार्यों का नामोल्लेख किया है। अत्रोल्लिखित सिद्धसेन सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई अन्य ही आचार्य हो सकते हैं। उनका यह मत दिगम्बरसमत है क्योंकि दिगम्बर आचार्य केवलज्ञान और केवलदर्शन को युगपद्मानते हैं। सन्मतितर्क के कर्ता सिद्धसेन दिवाकर तो अभेदवाद के समर्थक अथवा यों कहिए कि प्रवर्तक हैं। टीकाकार ने समवत बृद्धाचार्य के रूप में उन्हीं का निर्देश किया है। क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्र आदि को सिद्धान्तवादी कहा गया है। प्रस्तुत टीका का प्रथमान २३३६ श्लोकप्रमाण है।

अनुयोगद्वारटीका :

यह टीका अनुयोगद्वारचूर्ण की ही शैली पर है। इसका निर्माण नन्दः टीका के बाद हुआ है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में निर्देश किया है। इसमें आवश्यकविवरण और नन्दी विशेषविवरण का भी उल्लेख है।

दशवैकालिकवृत्ति :

यह वृत्ति दशवैकालिकनिर्युक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। इसमें अनेक प्राकृत कथानक एवं संस्कृत तथा प्राकृत उद्धरण हैं। कहीं कहीं दार्शनिक दृष्टि का प्रभाव भी दिखाई देता है। पंचम अध्ययन की वृत्ति में आहारविषयक मूल गाथाओं का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अस्थि आदि पदों का मासपरक एवं फलपरक दोनों प्रकार का अर्थ किया है।

प्रज्ञापना-प्रदेशव्याख्या :

यह वृत्ति प्रज्ञापना सूत्र के पदों पर है। इसमें वृत्तिकार ने आवश्यकटीका और आचार्य वादिमुख्य का नामोल्लेख किया है। वृत्ति संक्षिप्त एवं सरल है। इसमें यत्र तत्र संस्कृत एवं प्राकृत उद्धरण भी हैं।

आवश्यकवृत्ति :

यह वृत्ति आवश्यकनिर्युक्ति पर है। यत्र-तत्र भाष्य गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। वृत्ति में आवश्यकचूर्ण का पदानुसरण न करते हुए स्वतंत्र रीति से विषय-विवेचन किया गया है। इस वृत्ति को देखने से प्रतीत होता है कि आवश्यक सूत्र पर आचार्य हरिभद्र ने दो टीकाएँ लिखी हैं। उपलब्ध टीका अनुपलब्ध टीका से प्रमाण में छोटी है। प्रस्तुत टीका में वृत्तिकार ने वदिमुख्य-कृत कुछ संस्कृत श्लोक भी उद्धृत किये हैं। कहीं कहीं निर्युक्ति के पाठान्तर भी दिये हैं। इसमें भी दृष्टान्तरूप एवं अन्य कथानक प्राकृत में ही हैं। वृत्ति का नाम शिष्यहिता है। इसका ग्रन्थमान २२००० श्लोकप्रमाण है।

कोट्याचार्यविहित विशेषावश्यकभाष्यविवरण :

कोट्याचार्य ने अपनी प्रस्तुत टीका में आचार्य हरिभद्र अथवा उनकी किसी कृति का कोई उल्लेख नहीं किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोट्याचार्य सम्भवतः हरिभद्र के पूर्ववर्ती व्ययवा समकालीन हैं। प्रस्तुत विवरण में टीकाकार ने आवश्यक की मूलटीका का अनेक बार उल्लेख

किया है। यह मूलटीका उनके पूर्ववर्ती आचार्य जिनभट्ट की है। मलधारी हेमचन्द्रसूरि ने अपनी कृति विशेषावश्यकभाष्य बृहद्वृत्ति में कोट्याचार्य का एक प्राचीन टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है। इससे भी यही निश्चय होता है कि कोट्याचार्य काफी पुराने टीकाकार हैं। शीलाकाचार्य और कोट्याचार्य को एक ही व्यक्ति मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। आचार्य शीलाक का समय विक्रम की नवीं-दसवीं शती है जबकि कोट्याचार्य का समय उपर्युक्त दृष्टि से आठवीं शती सिद्ध होता है।

कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्यविवरण न अति सक्षित है, न अति विस्तृत। इसमें उद्घृत कथानक प्राकृत में हैं। कहीं-कहीं पद्यात्मक कथानक भी हैं। यत्र तत्र पाठान्तर भी दिये गये हैं। विवरणकार ने आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य स्वोपज्ञवृत्ति का भी उल्लेख किया है। प्रस्तुत विवरण का ग्रथमान १३७०० श्लोकप्रमाण है।

आचार्य गणहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञाविवरण :

आचार्य गणहस्ती ने आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्वन्ध के प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा पर जो विवरण लिखा था वह अनुपलब्ध है। आचार्य शीलाक ने अपनी कृति आचारागविवरण के प्रारम्भ में गणहस्तिकृत प्रस्तुत विवरण का उल्लेख किया है एवं उसे अति कठिन बताया है। प्रस्तुत गणहस्ती तथा तत्त्वार्थ-भाष्य पर बृहद्वृत्ति लिखने वाले सिद्धसेन एक ही व्यक्ति हैं। इनके गुरु का नाम भास्वामी है। इनका समय विक्रम की सातवीं और नवीं शती के बीच में कहीं है। इन्होंने अपनी तत्त्वार्थभाष्य-बृहद्वृत्ति में वसुधधु, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है जो सातवीं शती के पहले के नहीं हैं। दूसरी ओर आचार्य शीलाक ने गणहस्ती का उल्लेख किया है। शीलाक नवीं शती के टीकाकार हैं।

शीलाकाचार्यकृत टीकाएँ :

आचार्य शीलाक के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने प्रथम नौ अंगों पर टीकाएँ लिखी थीं। वर्तमान में इनकी केवल दो टीकाएँ उपलब्ध हैं - आचारागविवरण और सूत्रकृतागविवरण। इन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) आदि पर भी टीकाएँ लिखी अवश्य होंगी, जैसा कि अमयदेवसूरिकृत व्याख्या-प्रज्ञप्तिवृत्ति से फलित होता है। आचार्य शीलाक, जिन्हें शीलाचार्य एवं तत्त्वार्थिच भी कहा जाता है, विक्रम की नवीं दसवीं शती में विद्यमान थे।

आचारगविवरण :

यह विवरण आचारग के मूलपाठ एवं उसकी नियुक्ति पर है। विवरण शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रत्येक सम्बद्ध विषय का सुविस्तृत व्याख्यान है। यह तत्र प्राकृत एवं मन्वृत उद्धारण भी है। प्राग्भ में आचार्य ने गण्डर्विन्दन इन्द्रपगिजा-विवरण का उल्लेख किया है एवं उसे मठिन बनाने हुए आचारग पर सुबोध विवरण लिखने का सङ्कल्प किया है। प्रथम श्रुतमन्व के षष्ठ अध्याय की व्याख्या के अन्त में विवरणकार ने बताया है कि मशपगिजा नामक मन्व अख्ययन का व्यवच्छेद हो जाने के कारण उसका अतिरिक्त वर्ग अष्टम अध्याय का व्याख्यान प्राग्भ किया जाता है। अष्टम अख्ययन के षष्ठ उच्छेदक के विवरण में ग्राम, नगर (नगर), खेड, कच्छ, मङ्गल, पत्तन, द्रोणसुप्त, आकर, आश्रम, सधिवेश, नैगम, राजधानी आदि का स्वरूप बताया गया है। काननद्वीप आदि को जलपत्तन एवं मथुरा आदि को स्थलपत्तन कहा गया है। मरुच्छ, तामित्री आदि द्रोणसुप्त अर्थात् जल और स्थल के आवागमन के केंद्र हैं। प्रस्तुत विवरण निवृत्तिद्वयान श्रीलक्ष्मण ने गुप्त सन ७७२ की माघपक्ष शुक्ल पंचमी के दिन वाहगिजाधु की मन्त्रणा में गभूता में पूर्ण किया। विवरण का ग्रथमान १२००० श्लोकप्रमाण है।

मृदकृतागविवरण :

यह विवरण मृदकृताग के मूलपाठ एवं उसकी नियुक्ति पर है। विवरण सुबोध है। दार्शनिक दृष्टि की प्रस्तुतना होने हुए भी विवेचन में क्लिष्टता नहीं आने पाई है। यत्र-तत्र पाठान्तर भी उद्धृत किये गये हैं। विवरण में अनेक श्लोक एवं गाथाएँ उद्धृत की गई हैं किन्तु कहीं पर भी किसी ग्रथ अथवा ग्रथकार के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत टीका का ग्रथमान १२८५० श्लोकप्रमाण है। यह टीका भी श्रीलक्ष्मण ने वाहगिजा की मन्त्रणा में पूर्ण की है।

वादिवेत्ताञ्च शान्तिमूर्च्छित वृत्तगध्ययन टीका :

वादिवेत्ताञ्च शान्तिमूर्च्छित वृत्तगध्ययन टीका नामक ग्रन्थ में हुआ था। इनका वाद्यावस्था का नाम भीम था। इन्होंने यागपद-गच्छीय विद्वत्सिद्धि से टीका ग्रहण की थी। पाठन के भीमराज की समा में वे कर्मान्त तथा वादिचक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध थे। कवि वनपाठ के अनुगंध पर शान्तिमूर्च्छित मातृव प्रवेश में श्री पहुँचे थे तथा भोजराज की समा के ८६ वादियों में पराजित कर ८६ अक्षर अपने प्राप्त किये थे। अपनी समा के पहिलों

के लिए शान्तिसूरि को वेताल के समान समझ राजा भोज ने उन्हें वादिवेताल की पदवी प्रदान की थी। इन्होंने महाकवि घनपाल की तिलकमजरी का भी सशोधन किया था। शान्तिसूरि अपने अन्तिम दिनों में गिरनार में रहे एव वहाँ २५ दिन का अनशन अर्थात् सयारा किया तथा वि० सं० १०९६ की ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को स्वर्गवासी हुए। वादिवेताल शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन-टीका के अतिरिक्त कवि घनपाल की तिलकमजरी पर भी एक टिप्पण लिखा है। जीवविचारप्रकरण और चैत्यवटन-महाभाष्य भी इन्हीं की कृतियाँ मानी जाती हैं।

वादिवेताल शान्तिसूरिकृत उत्तराध्ययन टीका शिष्यहितावृत्ति कहलाती है। यह पाइअ-टीका के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें प्राकृत कथानकों एव उद्धरणों की प्रचुरता है। टीका भाषा, शैली आदि सभी दृष्टियों से सफल है। इसमें मूल सूत्र एव निर्युक्ति का व्याख्यान है। बीच-बीच में यत्र तत्र भाष्य-गाथाएँ भी उद्धृत हैं। अनेक स्थानों पर पाठान्तर भी दिये गये हैं। प्रस्तुत टीका में निम्नलिखित ग्रंथों एवं ग्रंथकारों के नाम निर्दिष्ट हैं : विशेषावश्यकभाष्य, उत्तराध्ययनचूर्णि, आवश्यकचूर्णि, सप्तशतारनयचक्र, निशीथ, बृहदारण्यक, उत्तराध्ययनभाष्य, स्त्रीनिर्वाणसूत्र, महामति (जिनभद्र), भर्तृहरि, वाचक सिद्धसेन, अश्वसेन वाचक, वात्स्यायन, शिवशर्मन्, हारिल वाचक, गधहस्तिन्, जिनेन्द्रबुद्धि।

द्रोणसूरिविहित ओघनिर्युक्ति-वृत्ति :

द्रोणसूरि अथवा द्रोणाचार्य पाटन-जैनसंघ के प्रमुख अधिकारी थे। वे विक्रम की ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में विद्यमान थे। इन्होंने ओघनिर्युक्ति (लघुभाष्यसहित) पर वृत्ति लिखी एव अभयदेवसूरिकृत कई टीकाओं का सशोधन किया।

द्रोणाचार्यकृत ओघनिर्युक्ति-वृत्ति की भाषा सरल एव शैली सुगम है। आचार्य ने मूल पदों के अर्थ के साथ ही साथ तद्गत विषय का भी शकल-समाधानपूर्वक सक्षिप्त विवेचन किया है। यत्र तत्र प्राकृत एव संस्कृत उद्धरणों का भी प्रयोग किया गया है। वृत्ति का ग्रंथमान लगभग ७००० श्लोक प्रमाण है।

अभयदेवसूरिकृत टीकाएँ :

अभयदेवसूरि नवांगीवृत्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने निम्नोक्त आगमों पर टीकाएँ लिखी हैं नौ अंग—१ स्यानाग, २ समवायाग, ३ व्याख्याप्रज्ञप्ति

(भगवती), ४. ज्ञाताधर्मकथा, ५ उपासकदशा, ६ अतऋदशा, ७ अनुसरोप
पातिक, ८. प्रहनन्याकरण, ९. विपाक और १०. औपपातिक उपाग। इनके
अतिरिक्त प्रज्ञापनातृतीयपदसमूहणी, पचाशकवृत्ति, जयतिहुअणस्तोत्र, पचनिर्मन्धी
और सततिकाभाष्य भी इन्हीं की कृतियाँ हैं। इन सब रचनाओं का ग्रन्थमान
लगभग ६०००० श्लोकप्रमाण है। अभयदेवकृत टीकाएँ शब्दार्थप्रधान होते हुए
भी वस्तुविवेचन की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। इनकी सभी टीकाएँ प्रकाशित हो
चुकी हैं।

अभयदेवसूरि, जिनका वाद्यकाल का नाम अभयकुमार था, धारानिवासी
सेठ धनदेव के पुत्र थे। इन्हें वर्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने दीक्षित किया
था। योग्यता प्राप्त होने पर वर्धमानसूरि के आदेश से इन्हें आचार्यपदवी प्रदान
की गई। वर्धमानसूरि के स्वर्गवास के बाद ये घवलक—घोलका नगर में भी रहे
नहाँ इन्हें रक्तचिकार की बीमारी हुई जो कुछ समय बाद शान्त हो गई। अभय-
देव का जन्म अनुमानत वि० स० १०८८, दीक्षा वि० स० ११०४, विद्याभ्यास
वि० स० ११०४ से १११४, रुग्णावस्था वि० स० १११४ से १११७, आचार्य-
पद एवं टीकाओं का प्रारम्भ वि० स० ११२० और स्वर्गवास वि० स० ११३५
अथवा ११३९ में माना जाता है। पट्टावलियों में अभयदेवसूरि का स्वर्गवास
कपडवज में वि० स० ११३५ तथा मतान्तर से वि० स० ११३९ में होने का
उल्लेख है, जबकि प्रभावक-चरित्र में केवल इतना ही उल्लेख है कि अभयदेवसूरि
पाटन में कर्णराज के राज्य में स्वर्गवासी हुए। अभयदेवसूरिकृत आगमिक टीकाओं
के संशोधन में उस समय पाटन में विराजित आगमिक परम्परा के विशेषज्ञ
सचप्रमुख द्रोणाचार्य ने पूर्ण योगदान दिया था। द्रोणाचार्य के इस महान् ऋण को
स्वयं अभयदेवसूरि ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है।

स्थानागवृत्ति :

यह टीका स्थानाग के मूल सूत्रों पर है। यह शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है
अपितु इसमें सूत्रसम्बद्ध प्रत्येक विषय का आवश्यक विश्लेषण भी है। दार्शनिक
दृष्टि की झलक भी इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। वृत्ति में कुछ सक्षिप्त कथानक
भी हैं। वृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि मैंने
यह टीका अजितसिंहाचार्य के अन्तेवासी यशोदेवगणि की सहायता से पूरी की है।
अपनी कृतियों को आश्रोपान्त पद कर आवश्यक संशोधन करने वाले द्रोणाचार्य
का सादर नामोल्लेख करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि परम्परागत सत्सम्प्रदाय
एवं सत्शास्त्रार्थ की हानि हो जाने तथा आगमों की अनेक वाचनाओं एवं

पुस्तका की अशुद्धि के कारण प्रस्तुत कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यही कारण है कि इसमें अनेक प्रकार की त्रुटियाँ सम्भव हैं। विद्वान् पुरुषों को इनका सशोधन कर लेना चाहिए। वृत्ति का ग्रन्थ-पान १४२५० श्लोक प्रमाण है। रचना का समय वि० स० ११२० एव स्थान पाटन है।

समवायांगवृत्ति :

यह वृत्ति समवायाग के मूलपाठ पर है। विवेचन न अति सक्षित है, न अति विस्तृत। यत्र-तत्र पाठान्तर भी उपलब्ध हैं। प्रस्तुत वृत्ति भी वि० स० ११२० में ही पूर्ण हुई। इसका ग्रन्थमान ३५७५ श्लोकप्रमाण है।

व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति :

यह टीका व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) के मूलपाठ पर है। व्याख्यान शब्दार्थ-प्रधान एव सक्षित है। यत्र-तत्र उद्धरण भी उपलब्ध हैं। पाठान्तरों एव व्याख्या-भेदों की भी प्रचुरता है। वृत्ति के प्रारम्भ में आचार्य ने इस बात का निर्देश किया है कि इसी सूत्र की प्राचीन टीका एव चूर्णि तथा जीवाभिगम आदि की वृत्तियोंकी सहायता से प्रस्तुत विवरण प्रारम्भ किया जाता है। यह प्राचीन टीका सम्भवत आचार्य शीलककृत व्याख्याप्रज्ञप्ति वृत्ति है जो इस समय अनुपलब्ध है। प्रस्तुत वृत्ति के अन्त में अभयदेवस्वरि ने अपनी गुरु परम्परा का सक्षित परिचय देते हुए बताया है कि १८६१६ श्लोकप्रमाण प्रस्तुत टीका पाटन (अणहिल-पाटक) में वि० स० ११२८ में समाप्त हुई।

ज्ञाताधर्मकथाविवरण :

प्रस्तुत टीका सूत्रस्पर्शी एव शब्दार्थप्रधान है। प्रत्येक अध्ययन की व्याख्या के अन्त में उससे फलित होनेवाला विशेष अर्थ स्पष्ट किया गया है एव उसकी पुष्टि के लिए तदर्थगर्भित गाथाएँ भी दी गई हैं। विवरण के अन्त में आचार्य ने अपना परिचय दिया है तथा प्रस्तुत टीका के सशोधन के रूप में निर्वृतककुलीन द्रोणाचार्य का नामोल्लेख किया है। विवरण का ग्रन्थमान ३८०० श्लोक प्रमाण है। ग्रन्थ समाप्ति की तिथि वि० स० ११२० की विजयादशमी एव लेटन समाप्ति का स्थान पाटन है।

उपासकदशागवृत्ति :

यह वृत्ति भी सूत्रस्पर्शी एव शब्दार्थप्रधान है। कहीं कहीं व्याख्यान्तर का भी निर्देश है। अनेक जगह ज्ञाताधर्मकथा की व्याख्या से अर्थ समझ लेने की

सूचना दी गई है। वृत्ति का ग्रन्थमान ८१२ श्लोकप्रमाण है। वृत्ति लेखन के स्थान, समय आदि का कोई उल्लेख नहीं है।

अन्तकृदशावृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति भी सूत्रस्पर्शा एव शब्दार्थ प्रधान है। इसमें भी अव्याख्यात पदों का अर्थ समझने के लिए अनेक जगह शाताधर्मकथा की व्याख्या का उल्लेख किया गया है। वृत्ति का ग्रन्थमान ८९९ श्लोक प्रमाण है।

अनुत्तरौपपातिकदशावृत्ति :

यह वृत्ति भी सूत्रस्पर्शा एव शब्दार्थग्राही है। वृत्ति का ग्रन्थमान १९२ श्लोक-प्रमाण है।

प्रश्नव्याकरणवृत्ति :

यह वृत्ति भी सूत्रस्पर्शा एव शब्दार्थ-प्रधान है। इसका ग्रन्थमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है। इसे सशोधित करने का भेय भी द्रोणाचार्य को ही है। वृत्तिकार ने प्रश्नव्याकरण सूत्र को अति दुरुह ग्रन्थ बताया है।

विपाकवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति भी शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें अनेक पारिभाषिक शब्दों का सक्षिप्त एव सतुलित अर्थ किया गया है। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूट-रद्वड-रद्वडड का अर्थ इस प्रकार है 'रद्वडडडे' त्ति राष्ट्रकूटो मण्डलोपजीवी राजनियोगिक। वृत्ति का ग्रन्थमान ९०० श्लोकप्रमाण है।

औपपातिकवृत्ति :

यह वृत्ति भी शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें वृत्तिकार ने सूत्रों के अनेक पाठभेद-वाचनाभेद होना स्वीकार किया है। प्रस्तुत वृत्ति में अनेक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनसम्बन्धी एव शास्त्रीय शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं। यत्र-तत्र पाठान्तरों एव मतान्तरों का भी उल्लेख किया गया है। इस वृत्ति का सशोधन द्रोणाचार्य ने पाटन में किया था। वृत्ति का ग्रन्थमान ३१२५ श्लोक-प्रमाण है।

मलयगिरिसुरिकृत टीकाएँ :

मलयगिरिसुरि एक प्रतिभासम्पन्न टीकाकार हैं। इन्होंने जैन आगमों पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ विषय वैशद्य एव निरूपण कौशल दोनों दृष्टियों से सफल हैं।

मलयगिरिसूरि आचार्य हेमचन्द्र (कलिकालसर्वज्ञ) के समकालीन थे एवं उन्हीं के साथ विद्यासाधना भी की थी। आचार्य हेमचन्द्र की भाँति मलयगिरि भी आचार्य-पद के धारक थे एवं आचार्य हेमचन्द्र को अति सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते थे। आचार्य हेमचन्द्र के समकालीन होने के कारण मलयगिरिसूरि का समय वि० स० ११५०-१२५० के आसपास मानना चाहिए।

मलयगिरिविरचित निम्नोक्त आगमिक टीकाएँ आज भी उपलब्ध हैं :
 १ व्याख्याप्रज्ञप्ति द्वितीयशतकवृत्ति, २ राजप्रवृत्तीयटीका, ३ जीवाभिगमटीका, ४ प्रज्ञापनाटीका, ५ चन्द्रप्रज्ञप्तिटीका, ६ सूर्यप्रज्ञप्तिटीका, ७ नन्दीटीका, ८ व्यवहारवृत्ति, ९ बृहत्कल्पपीठिकावृत्ति, १० आवश्यकवृत्ति, ११ पिण्डनिर्युक्ति-टीका, १२ ज्योतिष्करण्डकटीका। निम्नलिखित आगमिक टीकाएँ अनुपलब्ध हैं -
 १ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीका, २ ओघनिर्युक्तिटीका, ३ विशेषावश्यकटीका। इनके अतिरिक्त मलयगिरि की अन्य ग्रन्थों पर सात टीकाएँ और उपलब्ध हैं एवं तीन टीकाएँ अनुपलब्ध हैं। इनका एक स्वरचित शब्दानुशासन भी उपलब्ध है। इस प्रकार आचार्य मलयगिरि ने कुल छब्बीस ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें पन्चीस टीकाएँ हैं। यह ग्रन्थराशि लगभग दो लाख श्लोकप्रमाण है। इस दृष्टि से मलयगिरिसूरि आगमिक टीकाकारों में सबसे आगे हैं। इनकी पाण्डित्य-पूर्ण टीकाओं की विद्वत्समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है।

नन्दीवृत्ति :

यह वृत्ति नन्दी के मूल सूत्रों पर है। इसमें दार्शनिक वाद विवाद की प्रचुरता है। यत्र तत्र उदाहरणरूप संस्कृत कथानक भी दिये गये हैं। प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरण भी उपलब्ध हैं। वृत्ति के अन्त में आचार्य ने चूर्णिकार एवं आप्त टीकाकार हरिभद्र को नमस्कार किया है। वृत्ति का ग्रन्थमान ७७३२ श्लोकप्रमाण है।

प्रज्ञापनावृत्ति :

यह वृत्ति प्रज्ञापना सूत्र के मूल पदों पर है। विवेचन आवश्यकतानुसार कहीं सक्षिप्त है तो कहीं विस्तृत। अन्त में वृत्तिकार ने अपने पूर्ववर्ती टीकाकार आचार्य हरिभद्र को यह कहते हुए नमस्कार किया है कि टीकाकार हरिभद्र की जय हो जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र के विषम पदों का व्याख्यान किया है एवं जिनके विवरण से मैं भी एक छोटा सा टीकाकार बन सका हूँ। प्रस्तुत वृत्ति का ग्रन्थमान १६००० श्लोक प्रमाण है।

सूर्यप्रज्ञप्तिविवरण :

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में आचार्य ने यह उल्लेख किया है कि भद्रनाहुसूरिकृत निर्युक्ति का नाश हो जाने के कारण में केवल मूल सूत्र का ही व्याख्यान करूँगा। इस टीका में लोकश्री तथा उसकी टीका, एकृत शब्दानुशासन, जीवाभिगम-चूर्णि, हरिभद्रसूरिकृत तत्त्वार्थ-टीका आदि का सोद्वरण उल्लेख है। इसका ग्रन्थमान ९५०० श्लोक प्रमाण है।

ज्योतिष्करण्डकवृत्ति :

यह वृत्ति ज्योतिष्करण्डक प्रकीर्णक के मूलपाठ पर है। इसमें आचार्य मलयगिरि ने पादलिप्तसूरिकृत प्राकृत वृत्ति का उल्लेख करते हुए उसका एक वाक्य भी उद्धृत किया है। यह वाक्य इस समय उपलब्ध ज्योतिष्करण्डक की प्राकृत वृत्ति में नहीं मिलता। सम्भवत इस सूत्र पर एक और प्राकृत वृत्ति लिखी गई जिसका मलयगिरि ने प्रस्तुत वृत्ति में मूलटीका के नाम से उल्लेख किया है। यह भी सम्भव है कि उपलब्ध प्राकृत वृत्ति ही मूलटीका हो क्योंकि मलयगिरिकृत वृत्ति में उद्धृत मूलटीका का एक वाक्य इस समय उपलब्ध प्राकृत वृत्ति में मिलता है। यह भी सम्भव है कि पादलिप्तसूरिकृत वृत्ति ही मूलटीका हो जो कि इस समय उपलब्ध है, किन्तु इसके कुछ वाक्यों का कालक्रम से लोप हो गया हो। मलयगिरिविरचित वृत्ति का ग्रन्थमान ५००० श्लोक-प्रमाण है।

जीवाभिगमविवरण :

यह टीका तृतीय उपाग जीवाभिगम के पदों के व्याख्यान के रूप में है। इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थों के नाम एवं उद्धरण हैं। इसी प्रकार कुछ ग्रन्थकारों का नामोल्लेख भी है। उल्लिखित ग्रन्थ ये हैं - धर्मसग्रहणी टीका, प्रज्ञापना-टीका, प्रज्ञापना मूलटीका, तत्त्वार्थ-मूलटीका, सिद्धप्राभृत, विशेषणवती, जीवाभिगम-मूलटीका, पंचसग्रह, कर्मप्रकृतिसग्रहणी, क्षेत्रसमास टीका, जम्बूद्वीपप्रजति-टीका, कर्मप्रकृतिसग्रहणी-चूर्णि, वसुदेवचरित (वसुदेवहिण्ड), जीवाभिगम चूर्णि, चन्द्रप्रज्ञप्ति टीका, सूर्यप्रज्ञप्ति टीका, देशीनाममाला, सूर्यप्रज्ञप्ति-निर्युक्ति, पंचस्तुक, हरिभद्रकृत तत्त्वार्थ-टीका, तत्त्वार्थ भाष्य, विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञ वृत्ति, पंचसग्रह टीका। प्रस्तुत विवरण का ग्रन्थमान १६००० श्लोक-प्रमाण है।

व्यवहारविवरण :

प्रस्तुत विवरण सूत्र, निर्युक्ति एव भाष्य पर है। प्रारम्भ में टीकाकार ने भगवान् नेमिनाथ, अपने गुरुदेव एव व्यवहार-चूर्णिकार को सादर नमस्कार किया है। विवरण का ग्रन्थमान ३४६२५ श्लोक-प्रमाण है।

राजप्रशनीयविवरण :

यह विवरण द्वितीय उपाग राजप्रशनीय के पदों पर है। इसमें देगीनाममाला, जीवाभिगम-मूलटीका आदि के उद्धरण हैं।

अनेक स्थानों पर सूत्रों के वाचनाभेद—पाठभेद का भी उल्लेख है। टीका का ग्रन्थमान ३७०० श्लोक-प्रमाण है।

पिण्डनिर्युक्ति-वृत्ति :

यह वृत्ति पिण्डनिर्युक्ति तथा उसके भाष्य पर है। इसमें अनेक संस्कृत कथानक हैं। वृत्ति के अन्त में आचार्य ने पिण्डनिर्युक्तिकार द्वादशागविद् भद्रबाहु तथा पिण्डनिर्युक्ति-विषमपदवृत्तिकार (आचार्य हरिभद्र एव वीरगणि) को नमस्कार किया है। वृत्ति का ग्रन्थमान ६७०० श्लोक प्रमाण है।

आवश्यकविवरण :

प्रस्तुत टीका आवश्यक-निर्युक्ति पर है। इसमें यत्र-तत्र विशेषावश्यकभाष्य की गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। विवेचन भाषा एव शैली दोनों दृष्टियों से सरल तथा सुबोध है। स्थान स्थान पर कथानक भी उद्धृत किए गए हैं। ये कथानक प्राकृत में हैं। विवरण में विशेषावश्यकभाष्य स्वोपज्ञवृत्तिकार, प्रज्ञाकरगुप्त, आवश्यक-चूर्णिकार, आवश्यक मूलटीकाकार, आवश्यक मूलभाष्यकार, लघीयस्त्रयालकारकार अकलक, न्यायावतार-विवृत्तिकार आदि का उल्लेख है। उपलब्ध विवरण चतुर्विंशतिस्तव नामक द्वितीय अध्ययन के 'थूम रयणविचित्त कुथु सुमिणिम्मि तेण कुथुजिणो' की व्याख्या तक ही है। उसके बाद 'साम्प्रतमर' अर्थात् 'अब अरनाथ के व्याख्यान का अधिकार है' इतना-सा उल्लेख और है। इसके बाद का विवरण अनुपलब्ध है। उपलब्ध विवरण का ग्रन्थमान १८००० श्लोक प्रमाण है।

बृहत्कल्प पीठिकावृत्ति :

यह वृत्ति भद्रबाहुकृत बृहत्कल्प पीठिकानिर्युक्ति एव सघदासकृत बृहत्कल्प-पीठिकाभाष्य (लघुभाष्य) पर है। आचार्य मलयगिरि पीठिकाभाष्य की गा० ६०६ पर्यन्त ही प्रस्तुत वृत्ति लिख सके। शेष वृत्ति बाद में आचार्य धेमकीर्ति ने

लिखी। इस तन्त्र का प्रतिपादन स्वयं ज्ञेयकीर्ति ने अपनी वृत्ति प्रारम्भ करते समय किया है। प्रस्तुत वृत्ति के आरम्भ में आचार्य मलयगिरि ने बृहत्कल्प-लघुभाष्यकार एवं बृहत्कल्प चूर्णिकार के प्रति कृतज्ञता स्वीकार की है। वृत्ति में प्राकृत गाथाओं के साथ ही साथ प्राकृत कथानक भी उद्धृत किए गए हैं। मलयगिरिकृत वृत्ति का ग्रन्थमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है।

मलधारी हेमचन्द्रसूरिकृत टीकाएँ :

मलधारी हेमचन्द्रसूरि का गृहस्थाश्रम का नाम प्रयुग्म था। प्रयुग्म राज-मन्त्री थे। ये अपनी चार स्त्रियों को छोड़कर मलधारी अभयदेवसूरि के पास दीक्षित हुए थे। अभयदेव की मृत्यु होने पर अर्थात् वि० स० ११६८ में हेमचन्द्र ने आचार्य पद प्राप्त किया था। सम्भवतः ये वि० स० ११८० तक इस पद पर प्रतिष्ठित रहे एवं तदनन्तर इनका देहावसान हुआ। इनके किसी भी ग्रन्थ की प्रशस्ति में वि० स० ११७७ के बाद का उल्लेख नहीं है। इन्होंने निम्नोक्त आगम-व्याख्याएँ लिखी हैं आवश्यक-टिप्पण, अनुयोगद्वार-वृत्ति, नन्दि टिप्पण और विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्बृत्ति। इनके अतिरिक्त निम्न कृतियों भी मलधारी हेमचन्द्र की ही हैं - शतक-विवरण, उपदेशमाला, उपदेशमाला-वृत्ति, जीवसमास विवरण, भवभावना, भवभावना-विवरण। इन ग्रन्थों का परिमाण लगभग ८०००० श्लोक प्रमाण है।

आवश्यक-टिप्पण :

यह टिप्पण हरिभद्रकृत आवश्यक वृत्ति पर है। इसे आवश्यकवृत्ति प्रदेशव्याख्या अथवा हरिभद्रावश्यकवृत्ति-टिप्पणक भी कहते हैं। इस पर हेमचन्द्र के ही एक शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने एक और टिप्पण लिखा है जिसे प्रदेशव्याख्या-टिप्पण कहते हैं। आवश्यक-टिप्पण का ग्रन्थमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है।

अनुयोगद्वारवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति अनुयोगद्वार के मूलपाठ पर है। इसमें सूत्रों के पदों का सरल एवं सक्षिप्त अर्थ है। यत्र-तत्र संस्कृत श्लोक भी उद्धृत किए गए हैं। वृत्ति का ग्रन्थमान ५९०० श्लोक-प्रमाण है।

विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्बृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति, जिसे शिष्यहितावृत्ति भी कहते हैं, मलधारी हेमचन्द्र की बृहत्तम कृति है। इसमें विशेषावश्यकभाष्य के विषय का सरल एवं सुबोध प्रतिपादन है। दार्शनिक चर्चाओं की प्रधानता होती हुई भी वृत्ति की शैली में क्लृप्तता

का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इस टीका के कारण विशेषावश्यकभाष्य के पठन पाठन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसमें कोई सदेह नहीं। आचार्य ने प्रारम्भ में ही लिखा है कि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणविरचित विशेषावश्यकभाष्य पर स्वोपजवृत्ति तथा कोट्याचार्यविहित विवरण के विद्यमान रहते हुए भी प्रस्तुत वृत्ति लिखी जा रही है क्योंकि ये दोनों टीकाएँ अति गभीर वाक्यात्मक एवं सक्षिप्त होने के कारण मठ बुद्धिवाले शिष्यों के लिए कठिन सिद्ध होती हैं। वृत्ति के अन्त की प्रशस्ति में बताया गया है कि यह वृत्ति राजा जयसिंह के राज्य में वि स ११७५ की कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन समाप्त हुई। वृत्ति का ग्रन्थ मान २८००० श्लोक-प्रमाण है।

नेमिचन्द्रसूरिकृत उत्तराध्ययनवृत्ति :

नेमिचन्द्रसूरि का दूसरा नाम देवेन्द्रगणि है। इन्होंने वि स ११२९ में उत्तराध्ययन सूत्र पर एक टीका लिखी। इस टीका का नाम उत्तराध्ययन-सुप्त-बोधवृत्ति है। यह वृत्ति वादिवेताल शान्तिसूरिनिहित उत्तराध्ययन शिष्यहिनावृत्ति के आधार पर लिखी गई है। वृत्ति की सरलता एवं सुबोधता को दृष्टि में रखते हुए इसका नाम सुबोधा रखा गया है। इसमें उदाहरणरूप अनेक प्राकृत कथानक हैं। वृत्ति के अन्त की प्रशस्ति में उल्लेख है कि नेमिचन्द्राचार्य बृहद्-गच्छीय उग्रोतनाचार्य के शिष्य उपाध्याय आम्रदेव के शिष्य हैं। इनके गुरु भ्राता का नाम मुनिचन्द्रसूरि है जिनकी प्रेरणा ही प्रस्तुत वृत्ति की रचना का मुख्य कारण है। वृत्ति रचना का स्थान अणहिल्पाटक नगर (पाटन) के सेठ दोहडि का घर है। वृत्ति की समाप्ति का समय वि स ११२९ है। इसका ग्रन्थमान १२००० श्लोक प्रमाण है।

श्रीचन्द्रसूरिकृत टीकाएँ :

श्रीचन्द्रसूरि शीलभद्रसूरि के शिष्य हैं। इन्होंने निम्नांकित ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं निशीथ(बीसवें उद्देशक), श्रमणोपासक प्रतिक्रमण (आवश्यक), नन्दी, जीतकल्प, निरयाचलिकादि अन्तिम पाँच उपाग।

निशीथचूर्णि-दुर्गपदव्याख्या :

इसमें निशीथचूर्णि के बीसवें उद्देशक के कठिन अशों की सुबोध व्याख्या की गई है। व्याख्या का अधिक अंश विविध प्रकार के भासों के भंग, दिनों की गिनती आदि से सम्बन्धित होने के कारण कुछ नीरस है। अन्त में व्याख्याकार ने अपना परिचय देते हुए अपने को शीलभद्रसूरि का शिष्य बताया है।

प्रस्तुत व्याख्या वि सं ११७४ की माघ शुक्ल द्वादशी रविवार के दिन समाप्त हुई।

निरयावलिकावृत्ति :

यह वृत्ति अन्तिम पाँच उपागरूप निरयावलिका सूत्र पर है। वृत्ति मक्षिप्त एव शब्दार्थ प्रधान है। इसका ग्रन्थमान ६०० श्लोक-प्रमाण है।

जीतकल्पबृहच्चूर्णि-विषमपदव्याख्या

प्रस्तुत व्याख्या सिद्धसेनसूरिकृत जीतकल्प बृहच्चूर्णि के विषम पदों के व्याख्यान के रूप में है। इसमें यत्र तत्र प्राकृत गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। अन्त में व्याख्याकार ने अपना नामोल्लेख करते हुए बताया है कि प्रस्तुत व्याख्या (वि) स १२२७ के महावीर-जन्मकल्याण के दिन पूर्ण हुई। व्याख्या का ग्रन्थमान ११२० श्लोक प्रमाण है।

उपर्युक्त टीकाकारों के अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक आचार्य हैं जिन्होंने आगमों पर छोटी या बड़ी टीकाएँ लिखी हैं। इस प्रकार की कुछ प्रकाशित टीकाओं का परिचय आगे दिया जाता है।

आचार्य क्षेमकीर्तिकृत बृहत्कल्पवृत्ति :

यह वृत्ति आचार्य मलयगिरिकृत अपूर्ण वृत्ति की पूर्ति के रूप में है। शैली आदि की दृष्टि से प्रस्तुत वृत्ति मलयगिरिकृत वृत्ति की ही कोटि की है। आचार्य क्षेमकीर्ति के गुरु का नाम विजयचन्द्रसूरि है। वृत्ति का समाप्तिकाल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी वि स १३३२ एव ग्रन्थमान ४२६०० श्लोक प्रमाण है।

माणिक्यशेखरसूरिकृत आवश्यकनिर्युक्ति-दीपिका :

यह टीका आवश्यकनिर्युक्ति का शब्दार्थ एव भावार्थ समझने के लिए बहुत उपयोगी है। टीका के अन्त में बताया गया है कि दीपिकाकार माणिक्यशेखर अचलगच्छीय महेन्द्रप्रभसूरि के शिष्य मेरुतुगसूरि के शिष्य हैं। प्रस्तुत दीपिका के अतिरिक्त निम्नलिखित दीपिकाएँ भी इन्हीं की लिखी हुई हैं दशवैकालिकनिर्युक्ति दीपिका, पिण्डनिर्युक्ति-दीपिका, ओषधिनिर्युक्ति दीपिका, उत्तराध्ययन दीपिका, आचार दीपिका। माणिक्यशेखरसूरि विक्रम की पद्महवीं शती में विद्यमान थे।

अजितदेवसूरिकृत आचारांगदीपिका :

यह टीका चन्द्रगच्छीय महेश्वरसूरि के शिष्य अजितदेवसूरि ने वि स. १६२९ के आसपास लिखी है। इसका आधार शीलाकाचार्यकृत आचारांग-विवरण है। टीका सरल, सक्षिप्त एव सुबोध है।

विजयविमलगणिविहित गच्छाचारवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमलगणि ने वि स १६३४ में लिखी है। इसका ग्रन्थमान ५८५० श्लोक प्रमाण है। वृत्ति विस्तृत है एव प्राकृत कथानकों से युक्त है।

विजयविमलगणिविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति :

यह वृत्ति उपर्युक्त विजयविमलगणि ने गुणसौभाग्यगणि से प्राप्त तन्दुलवैचारिक प्रकीर्णक के ज्ञान के आधार पर लिखी है। वृत्ति शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें कहीं-कहीं अन्य ग्रंथों के उद्धरण भी हैं।

वानरर्षिकृत गच्छाचारटीका :

प्रस्तुत टीका के प्रणेता वानरर्षि तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्यानु-शिष्य हैं। टीका सक्षिप्त एव सरल है। टीकाकार ने इसका आधार हर्षकुल से प्राप्त गच्छाचार प्रकीर्णक का ज्ञान माना है।

भावविजयगणिकृत उत्तराध्ययनव्याख्या :

प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छीय मुनिविमलसूरि के शिष्य भावविजयगणि ने वि स १६८९ में लिखी है। व्याख्या कथानकों से भरपूर है। सभी कथानक पत्रनिबद्ध हैं। व्याख्या का ग्रन्थमान १६२५५ श्लोक-प्रमाण है।

समयसुन्दरसूरिसदृग्ध दशवैकालिकदीपिका :

प्रस्तुत दीपिका के प्रणेता समयसुन्दरसूरि खरतरगच्छीय सकलचन्द्रसूरि के शिष्य हैं। दीपिका शब्दार्थ प्रधान है। इसका ग्रन्थमान ३४५० श्लोक प्रमाण है। यह वि स १६९१ में स्तम्भतीर्थ (एमात) में पूर्ण हुई थी।

ज्ञानविमलसूरिप्रथित प्रश्नव्याकरण सुखबोधिकावृत्ति :

यह वृत्ति विस्तार में अभयदेवसूरिकृत प्रश्नव्याकरण वृत्ति से बड़ी है। वृत्ति के प्रारंभ में आचार्य ने नवागवृत्तिकार अभयदेवसूरि-विरचित प्रश्नव्याकरण-वृत्ति की कृतज्ञता स्वीकार की है। वृत्तिकार ज्ञानविमलसूरि का दूसरा नाम नयविमलगणि है। ये तपागच्छीय धीरविमलगणि के शिष्य हैं। प्रस्तुत वृत्ति

के लेखन में कवि सुखसागर ने विशेष सहायता दी थी। वृत्ति का ग्रन्थमान ७५०० श्लोक-प्रमाण है। इसका रचना-काल वि. स. १७९३ के कुछ वर्ष पूर्व है।

लक्ष्मीवल्लभगणिविरचित उत्तराध्ययनदीपिका :

दीपिकाकार लक्ष्मीवल्लभगणि खरतरगच्छीय लक्ष्मीकीर्तिगणि के शिष्य हैं। दीपिका सरल एवं सुबोध है। इसमें दृष्टान्तरूप अनेक संस्कृत आख्यान हैं।

दानशेखरसूरिसंकलित भगवती-विशेषपदव्याख्या :

यह व्याख्या प्राचीन भगवती-वृत्ति के आधार पर लिखी गई है। इसमें भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) सूत्र के कठिन—दुर्ग पदों का विवेचन किया गया है। व्याख्याकार दानशेखरसूरि जिनमाणिक्यगणि के शिष्य अनन्तहसगणि के शिष्य हैं। प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छनायक लक्ष्मीसागरसूरि के शिष्य सुमतिसाधु-सूरि के शिष्य हेमविमलसूरि के समय में संकलित की गई थी।

सद्यविजयगणिकृत कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका :

कल्पसूत्र की प्रस्तुत वृत्ति विजयसेनसूरि के शिष्य सद्यविजयगणि ने वि. स. १६७४ में लिखी। वि. स. १६८१ में कल्याणविजयसूरि के शिष्य धनविजयगणि ने इसका सशोधन किया। वृत्ति का ग्रन्थमान ३२५० श्लोक प्रमाण है।

विनयविजयोपाध्यायविहित कल्पसूत्र-सुबोधिका :

यह वृत्ति तपागच्छीय कीर्तिविजयगणि के शिष्य विनयविजय उपाध्याय ने वि. स. १६९६ में लिखी तथा भावविजय ने सशोधित की। इसमें कहीं-कहीं धर्मसागरगणिकृत किरणावली एवं जयविजयगणिकृत दीपिका का खण्डन किया गया है। टीका का ग्रन्थमान ५४०० श्लोक-प्रमाण है।

समयसुन्दरगणिविरचित कल्पसूत्र कल्पलता :

यह व्याख्या उपर्युक्त दशवैकालिक-दीपिकाकार खरतरगच्छीय समयसुन्दर-गणि की कृति है। इसका रचना काल वि. स. १६९९ के आसपास है। वृत्ति का सशोधन करनेवाले हर्षनन्दन हैं। इसका ग्रन्थमान ७७०० श्लोक-प्रमाण है।

शान्तिसागरगणिविद्वन्ध कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी :

यह वृत्ति तपागच्छीय धर्मसागरगणि के प्रशिष्य एवं श्रुतसागरगणि के शिष्य शान्तिसागरगणि ने वि. स. १७०७ में लिखी। वृत्ति का ग्रन्थमान ३७०७ श्लोक प्रमाण है।

पृथ्वीचन्द्रसूरिप्रणीत कलसूत्र टिप्पणक :

प्रस्तुत टिप्पणक के प्रणेता पृथ्वीचन्द्रसूरि देवसेनगणि के शिष्य हैं। देवसेनगणि के गुरु का नाम यशोभद्रसूरि है। यशोभद्रसूरि राजा शाकम्भरी को प्रतिगोध देने वाले आचार्य धर्मघोष के शिष्य हैं। धर्मघोषसूरि के गुरु चन्द्रकुलीन शीलभद्रसूरि हैं।

लोकभाषाओं में निर्मित व्याख्याएँ :

आगमों की संस्कृत व्याख्याओं की बहुलता होते हुए भी बाद के आचार्यों ने जनहित की दृष्टि से लोकभाषाओं में आगमों की व्याख्याएँ लिखना आवश्यक समझा। परिणामत तत्कालीन प्राचीन गुजराती में कुछ आचार्यों ने आगमों पर सरल एवं सुबोध बालावबोध लिखे। इस प्रकार के बालावबोध लिखने वालों में विक्रम की सोलहवीं शती में विद्यमान पादर्वचन्द्रगणि एवं अठारहवीं शती में विद्यमान लोंकागच्छीय (स्थानकवासी) मुनि वर्मसिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मुनि धर्मसिंह ने भगवती, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, चन्द्रप्रज्ञप्ति तथा सूर्य-प्रज्ञप्ति को छोड़ स्थानकवासी सम्मत शेष २७ आगमों पर बालावबोध—ट्रे लिखे हैं। हिन्दी व्याख्याओं में मुनि हस्तिमलकृत दशवैकालिक-सौभाग्यचन्द्रिका एवं नन्दीसूत्र भाषाटीका, उपाध्याय आत्मारामकृत दशाश्रुतस्कन्ध गणपतिगुण प्रकाशिका, दशवैकालिक आत्मज्ञानप्रकाशिका, उत्तराध्ययन आत्मज्ञानप्रकाशिका, उपाध्याय अमरमुनिकृत आवश्यक विवेचन (श्रमणसूत्र) आदि उल्लेखनीय हैं। आगमिक व्याख्याओं में सामग्री-वैविध्य :

जैन आगमों की जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं वे केवल शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं हैं। उनमें आचारशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र, मनो-विज्ञान आदि विषयों से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री विद्यमान है।

आचारशास्त्र :

आवश्यक निर्युक्ति का सामायिकसम्बन्धी अधिकांश विवेचन आचारशास्त्र-विषयक है। इसी प्रकार अन्य निर्युक्तियों में भी एतद्विषयक सामग्री की प्रचुरता है। विशेषावश्यक भाष्य में सामायिक आदि पाँच प्रकार के चारित्र का विस्तार-पूर्वक व्याख्यान किया गया है। जीतकल्प भाष्य, बृहत्कल्प लघुभाष्य, वृत्कल्प-बृहद्भाष्य एवं व्यवहार-भाष्य तो आचार सम्बन्धी विधि विधानों में भरपूर हैं। पञ्चकल्प महाभाष्य का कल्पविषयक वर्णन भी जैन आचारशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्पूर्ण है। बृहत्कल्प लघुभाष्य में हिंसा अहिंसा के स्वरूप की विशेष चर्चा है।

इसमें तथा अन्य भाष्यों में जिनरूप-स्थविररूप की विविध अपस्थाओं का विगट वर्णन है।

दर्शनशास्त्र :

सूत्रकृताग-निर्युक्ति में क्रियावादी, अक्रियावादी आदि ३६३ मतान्तरों का उल्लेख है। विशेषावश्यकभाष्य में प्रतिपादित गणधरवाट और निहमवाट दर्शनशास्त्र की विविध दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवश्यक चूर्णि में आजीवक, तापस, परिग्राहक, तच्चणिय (तत्क्षणिक), बोटिक आदि अनेक मत मतान्तरों का वर्णन है। इसी प्रकार अन्य व्याख्याओं में भी थोड़ी बहुत दार्शनिक सामग्री मिलनी है। संस्कृत टीकाओं में इस प्रकार की सामग्री की प्रचुरता है।

ज्ञानवाद :

विशेषावश्यकभाष्य में ज्ञानपञ्चक—मति, श्रुति, अवधि, मन-पर्यय और केवल-ज्ञान के स्वरूप पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार इसमें केवलज्ञान और केवलदर्शन के भेद और अभेद का भी युक्तिपुरस्सर विचार किया गया है। बृहत्कल्प लघुभाष्य के प्रारम्भ में भी ज्ञानपञ्चक की विशेष चर्चा है। नन्दी चूर्णि में भी इसी विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार आचार्य हरिभद्रकृत नन्दीवृत्ति में भी ज्ञानवाद पर पर्याप्त सामग्री है।

प्रमाणशास्त्र :

दशवैकालिक निर्युक्ति में अनुमान के प्रतिज्ञा आदि दस प्रकार के अययों का निर्देश है। इसी विषय का आचार्य हरिभद्र ने अपनी दशवैकालिक वृत्ति में विस्तार से प्रतिपादन किया है। प्रमाणशास्त्र सम्बन्धी चर्चा के लिए आचार्य शीलक एव मलयगिरि की टीकाएँ विशेष द्रष्टव्य हैं।

कर्मवाद :

विशेषावश्यकभाष्य में सामाधिकनिर्गम की चर्चा के प्रसंग में उपशम और क्षपक श्रेणी का तथा सिद्ध-नमस्कार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने कर्मस्थिति, समुदात, शैलेशी अवस्था आदि का वर्णन किया है। बृहत्कल्प लघुभाष्य के तृतीय उद्देश में हिंसा के स्वरूप वर्णन के प्रसंग पर रागादि की तीव्रता और तीव्र कर्म-बन्ध, हिंसक के ज्ञान एव अज्ञान के कारण कर्मबन्ध की न्यूनाधिकता, अधिकरण चैविध्य से कर्म बैविध्य आदि का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है।

मनोविज्ञान और योगशास्त्र :

विशेषावश्यकभाष्य के सिद्ध नमस्कार प्रकरण में ध्यान का पर्याप्त विवेचन है। व्यवहार-भाष्य के द्वितीय उद्देश में भाष्यकार ने क्षितचित्त तथा दीप्तचित्त साधुओं की चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है। इसी उद्देश में क्षितचित्त एव दीप्तचित्त होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। पचकल्प-महाभाष्य में प्रव्रज्या की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए भाष्यकार ने व्यक्तित्व के बीस भेदों का वर्णन किया है। इसी प्रकार निशीथ-विशेषचूर्णि में व्यक्तित्व के अड़तालीस भेदों का स्वरूप बताया गया है अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकार की स्त्रियाँ और दस प्रकार के नपुंसक।

कामविज्ञान :

दशवैकालिक-निर्युक्ति में चौदह प्रकार के सप्राप्तकाम और दस प्रकार के असप्राप्त काम का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के तृतीय उद्देश में पुरुष-ससर्ग के अभाव में गर्माधान होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसी भाष्य के चतुर्थ उद्देश में हस्तकर्म, मैथुन आदि के स्वरूप का वर्णन है। निशीथ-विशेषचूर्णि के प्रथम उद्देश में इसी विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसी चूर्णि के षष्ठ उद्देश में कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन किया गया है तथा सप्तम उद्देश में विविध प्रकार की काम क्रीडाओं पर प्रकाश डाला गया है।

समाजशास्त्र :

आवश्यक निर्युक्ति में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उस समय के आहार, शिल्प, कर्म, लेखन, मानदण्ड, पोत, इपुशास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, यज्ञ, उत्सव, विवाह आदि चालीस सामाजिक विषयों का उल्लेख किया गया है। आचाराग-निर्युक्ति में मनुष्य जाति के सात वर्णों एव नौ वर्णान्तरों का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य में पाँच प्रकार के सार्थ, आठ प्रकार के सार्थवाह, आठ प्रकार के सार्थ-व्यवस्थापक, छ प्रकार की आर्यजातियों, छ प्रकार के आर्यकुल आदि समाजशास्त्र से सम्बन्धित अनेक प्रकार के विषयों का वर्णन है। आवश्यक-चूर्णि में आवश्यक निर्युक्ति का ही अनुसरण करते हुए ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। निशीथ विशेषचूर्णि के नवम उद्देश में तीन

प्रकार के अन्तःपुरों का वर्णन है। इसी चूर्ण के सोलहवें उद्देश में जुगुप्सित कुलों का वर्णन किया गया है।

नागरिकशास्त्र :

बृहत्कल्प लघुभाष्य के प्रथम उद्देश में ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी आदि का स्वरूप बताया गया है। शीलकाचार्यकृत आचारांग-विवरण के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अष्टम अध्यायन के पष्ठ उद्देशक में भी इसी प्रकार का वर्णन है।

भूगोल :

आवश्यक निर्युक्ति में चौबीस तीर्थंकरों के भिक्षालाभ के प्रसंग से हस्तिनापुर आदि चौबीस नगरों के नाम गिनाए गए हैं। पचकल्प-महाभाष्य में क्षेत्रकल्प की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने साठे पच्चीस आर्यदेशों एवं उनकी राजधानियों का नामोल्लेख किया है। निश्चीथ विशेषचूर्ण के सोलहवें उद्देश में आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई गई है : पूर्व में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुणाला और दक्षिण में कौशाग्नी।

राजनीति :

व्यवहार-भाष्य के प्रथम उद्देश में राजा, युवराज, महत्तरक, अमाल्य, कुमार, नियतिक, रूपयक्ष आदि के स्वरूप एवं कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

ऐतिहासिक चरित्र :

आवश्यक-निर्युक्ति में ऋषभदेव, महावीर, आर्य रक्षित, सप्त निहव, नागदत्त, महागिरि, स्थूलभद्र, धर्मघोष, सुरेन्द्रदत्त, धन्वन्तरि वैद्य, करकड्ड, पुष्पभूति आदि के चरित्र पर संक्षिप्त सामग्री उपलब्ध है। विशेषावश्यकभाष्य में आर्य वज्र, आर्य रक्षित, पुष्पमित्र, जमालि, तिष्यगुप्त, आषाढभूति, अश्वमित्र, गग, रोहगुप्त, गोष्ठामाहिल, शिवभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के बीचन चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आवश्यकचूर्ण में भगवान् ऋषभदेव एवं महावीर, भरत और बाहुबलि, गोशालक, चन्दनबाला, आनन्द, कामदेव, शिवराजर्षि, गगदत्त, इलापुत्र, मेतार्य, कालिकाचार्य, चिलातिपुत्र, धर्मवचि, तेतली-पुत्र, अभयकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुलसा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापद्म-नन्द, शकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित आख्यान हैं।

मनोविज्ञान और योगशास्त्र :

विशेषावश्यकभाष्य के सिद्ध नमस्कार प्रकरण में ध्यान का पर्याप्त विवेचन है। व्यवहार-भाष्य के द्वितीय उद्देश में भाष्यकार ने क्षिप्तचित्त तथा दीप्तचित्त साधुओं की चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है। इसी उद्देश में क्षिप्तचित्त एवं दीप्तचित्त होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। पञ्चकल्प-महाभाष्य में प्रव्रज्या की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए भाष्यकार ने व्यक्तित्व के बीस भेदों का वर्णन किया है। इसी प्रकार निशीथ-विशेषचूर्णि में व्यक्तित्व के अड़तालीस भेदों का स्वरूप बताया गया है अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकार की स्त्रियाँ और दस प्रकार के नपुंसक।

कामविज्ञान :

दशवैकालिक-निर्युक्ति में चौदह प्रकार के संप्राप्तकाम और दस प्रकार के असंप्राप्त काम का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के तृतीय उद्देश में पुरुष-ससर्ग के अभाव में गर्माधान होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसी भाष्य के चतुर्थ उद्देश में हस्तकर्म, मैथुन आदि के स्वरूप का वर्णन है। निशीथ-विशेषचूर्णि के प्रथम उद्देश में इसी विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसी चूर्णि के षष्ठ उद्देश में कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन किया गया है तथा सप्तम उद्देश में विविध प्रकार की काम-क्रीडाओं पर प्रकाश डाला गया है।

समाजशास्त्र :

आवश्यक निर्युक्ति में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उस समय के आहार, शिल्प, कर्म, लेखन, मानदण्ड, पोट, इपुशास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, यज्ञ, उत्सव, विवाह आदि चालीस सामाजिक विषयों का उल्लेख किया गया है। आचाराग-निर्युक्ति में मनुष्य जाति के सात वर्णों एवं नौ वर्णान्तरों का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य में पौंच प्रकार के सार्य, आठ प्रकार के सार्यवाह, आठ प्रकार के सार्य-न्यवस्थापक, छ प्रकार की आर्यजातियाँ, छ प्रकार के आर्यकुल आदि समाजशास्त्र से सम्बन्धित अनेक प्रकार के विषयों का वर्णन है। आवश्यक-चूर्णि में आवश्यक निर्युक्ति का ही अनुसरण करते हुए ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। निशीथ विशेषचूर्णि के नवम उद्देश में तीन

प्रकार के अन्तःपुरों का वर्णन है। इसी चूर्ण के सोलहवें उद्देश में जुगुप्सित कुलों का वर्णन किया गया है।

नागरिकशास्त्र :

बृहत्कल्प-लघुभाष्य के प्रथम उद्देश में ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्न, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी आदि का स्वरूप बताया गया है। शीलाकाचार्यकृत आचाराग-विवरण के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अष्टम अध्यायन के षष्ठ उद्देशक में भी इसी प्रकार का वर्णन है।

भूगोल :

आवश्यक निर्युक्ति में चौबीस तीर्थकरों के भिक्षालाभ के प्रसंग से हस्तिनापुर आदि चौबीस नगरों के नाम गिनाए गए हैं। पञ्चकल्प-महाभाष्य में क्षेत्रकल्प की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने साढ़े पच्चीस आर्यदेशों एवं उनकी राजधानियों का नामोल्लेख किया है। निशीथ-विशेषचूर्ण के सोलहवें उद्देश में आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई गई है : पूर्व में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुणाला और दक्षिण में कौशाम्बी।

राजनीति :

व्यवहार-भाष्य के प्रथम उद्देश में राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य, कुमार, नियतिक, रूपयक्ष आदि के स्वरूप एवं कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

ऐतिहासिक चरित्र :

आवश्यक निर्युक्ति में ऋषभदेव, महावीर, आर्य रक्षित, सप्त निह्व, नागदत्त, महागिरि, स्थूलभद्र, घर्मघोष, सुरेन्द्रदत्त, धन्वन्तरि वैद्य, करकड्ड, पुष्पभूति आदि के चरित्र पर सक्षिप्त सामग्री उपलब्ध है। विशेषावश्यकभाष्य में आर्य वज्र, आर्य रक्षित, पुष्पमित्र, जमालि, तिष्यगुप्त, आषाढभूति, अश्वमित्र, गग, रोहगुप्त, गोष्ठामाहिल, शिवभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आवश्यकचूर्ण में भगवान् ऋषभदेव एवं महावीर, भरत और बाहुबलि, गोशालक, चन्दनबाला, आनन्द, कामदेव, शिव-रानर्षि, गगदत्त, इलापुत्र, मेतार्य, कालिकाचार्य, चिलातिपुत्र, घर्मरुचि, तैतली-पुत्र, अभयकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुल्सा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापद्म-नन्द, शकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित आग्न्यान् हैं।

मनोविज्ञान और योगशास्त्र :

विशेषावश्यकभाष्य के सिद्ध नमस्कार प्रकरण में ध्यान का पर्याप्त विवेचन है। व्यवहार-भाष्य के द्वितीय उद्देश में भाष्यकार ने क्षिप्तचित्त तथा दीप्तचित्त साधुओं की चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है। इसी उद्देश में क्षिप्तचित्त एव दीप्तचित्त होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। पचकल्प-महाभाष्य में प्रव्रज्या की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए भाष्यकार ने व्यक्तित्व के बीस भेदों का वर्णन किया है। इसी प्रकार निशीथ-विशेषचूर्णि में व्यक्तित्व के अड़तालीस भेदों का स्वरूप बताया गया है अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकार की स्त्रियों और दस प्रकार के नपुंसक।

कामविज्ञान :

दशवैकालिक-निर्युक्ति में चौदह प्रकार के सप्राप्तकाम और दस प्रकार के असप्राप्त काम का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के तृतीय उद्देश में पुरुष-ससर्ग के अभाव में गर्भाधान होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसी भाष्य के चतुर्थ उद्देश में हस्तकर्म, मैथुन आदि के स्वरूप का वर्णन है। निशीथ-विशेषचूर्णि के प्रथम उद्देश में इसी विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसी चूर्णि के षष्ठ उद्देश में कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन किया गया है तथा सप्तम उद्देश में विविध प्रकार की काम क्रीडाओं पर प्रकाश डाला गया है।

समाजशास्त्र :

आवश्यक निर्युक्ति में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उस समय के आहार, शिल्प, कर्म, लेखन, मानदण्ड, पोत, इपुशास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, यज्ञ, उत्सव, विवाह आदि चालीस सामाजिक विषयों का उल्लेख किया गया है। आचाराग-निर्युक्ति में मनुष्य-जाति के सात वर्णों एव नौ वर्णान्तरों का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य में पाँच प्रकार के सार्थ, आठ प्रकार के सार्थवाह, आठ प्रकार के सार्थ-व्यवस्थापक, छ प्रकार की आर्यजातियों, छ प्रकार के आर्यकुल आदि समाजशास्त्र से सम्बन्धित अनेक प्रकार के विषयों का वर्णन है। आवश्यक-चूर्णि में आवश्यक निर्युक्ति का ही अनुसरण करते हुए ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। निशीथ विशेषचूर्णि के नवम उद्देश में तीन

प्रकार के अन्तःपुरों का वर्णन है। इसी चूर्ण के सोलहवें उद्देश में जुगुप्सित कुलों का वर्णन किया गया है।

नागरिकशास्त्र :

बृहत्कल्प लघुभाष्य के प्रथम उद्देश में ग्राम, नगर, खेड, कर्णटक, मडम्न, पत्तन, आकर, द्रोणमुल्ल, निगम, राजधानी आदि का स्वरूप बताया गया है। शीलाकाचार्यकृत आचाराग-विवरण के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अष्टम अध्याय के पष्ठ उद्देशक में भी इसी प्रकार का वर्णन है।

भूगोल :

आवश्यक-निर्युक्ति में चौबीस तीर्थकरों के भिक्षालाभ के प्रसंग से हस्तिनापुर आदि चौबीस नगरों के नाम गिनाए गए हैं। पंचकल्प-महाभाष्य में क्षेत्रकल्प की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने साठे पच्चीस आर्यदेशों एवं उनकी राजधानियों का नामोल्लेख किया है। निशीथ विशेषचूर्ण के सोलहवें उद्देश में आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई गई है : पूर्व में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुणाला और दक्षिण में कौशाग्नी।

राजनीति :

व्यवहार-भाष्य के प्रथम उद्देश में राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य, कुमार, नियतिक, रूपयक्ष आदि के स्वरूप एवं कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

ऐतिहासिक चरित्र :

आवश्यक निर्युक्ति में ऋषभदेव, महावीर, आर्य रक्षित, सप्त निहव, नागदत्त, महागिरि, स्थूलभद्र, धर्मघोष, सुरेन्द्रदत्त, धन्वन्तरि वैद्य, करकड्ड, पुष्पभूति आदि के चरित्र पर सक्षिप्त सामग्री उपलब्ध है। विशेषावश्यकभाष्य में आर्य वज्र, आर्य रक्षित, पुष्पमित्र, जमालि, तिष्यगुप्त, आषाढभूति, अश्वमित्र, गग, रोहगुप्त, गोष्ठामाहिल, शिवभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आवश्यकचूर्ण में भगवान् ऋषभदेव एवं महावीर, भरत और बाहुबलि, गोशालक, चन्दनवाला, आनन्द, कामदेव, शिव-राजर्षि, रागदत्त, इलापुत्र, मेतार्य, कालिकान्चार्य, चिलातिपुत्र, धर्मरुचि, तैतली-पुत्र, अमयकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुलसा, कोणिक, चैटक, उदायी, महापद्म-नन्द, गकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित आख्यान हैं।

संस्कृति एवं सभ्यता :

दशवैकालिक निर्युक्ति में धान्य एव रत्न की चौबीस जातियाँ गिनाई गई हैं। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के द्वितीय उद्देश में जागिक आदि पाँच प्रकार के वल्ल एव और्णिक आदि पाँच प्रकार के रजोहरण का स्वरूप बताया गया है। व्यवहार-भाष्य के प्रथम उद्देश में सत्रह प्रकार के धान्य-भाण्डारों का वर्णन है। निशीथ-विशेषचूर्ण के प्रथम उद्देश में दड, विदड, लाठी, विलट्ठी आदि का अन्तर बताया गया है। इसी चूर्ण के सप्तम उद्देश में कुडल, गुण, मणि, तुडिय, तिसरिय, बालभा, पलबा, हार, अर्धहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, पट्ट, मुकुट आदि विविध प्रकार के आभरणों का स्वरूप वर्णन है। अष्टम उद्देश में उत्पानग्रह, निर्याणग्रह, अष्ट, अष्टालक, शून्यग्रह, भिन्नग्रह, तृणग्रह, गोग्रह आदि अनेक प्रकार के ग्रहों एव शालाओं का स्वरूप बताया गया है। नवम उद्देश में कोष्ठागार, भाडागार, पानागार, क्षीरग्रह, गन्धशाला, महानस शाला आदि के स्वरूप का वर्णन है।



निर्युक्तियाँ

प्रथम प्रकरण

निर्युक्तियाँ और निर्युक्तिकार

मूल ग्रंथों के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए उन पर व्याख्यात्मक साहित्य लिखने की परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्यकारों में विशेष रूप से विद्यमान रही है। वे मूल ग्रंथ के प्रत्येक शब्द की विवेचना एवं आलोचना करते तथा उस पर एक बड़ी या छोटी टीका लिखते। विशेषतः पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की ओर अधिक ध्यान देते। जिस प्रकार वैदिक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए यास्क महर्षि ने निघण्टुभाष्यरूप निरुक्त लिखा, उसी प्रकार जैन आगमों के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए आचार्य भद्रबाहु ने प्राकृत पद्य में निर्युक्तियों की रचना की। निर्युक्ति की व्याख्या-पद्धति बहुत प्राचीन है। अनुयोगद्वार सूत्र में श्रुत, स्कन्ध आदि पदों का निर्युक्ति-पद्धति से अर्थात् निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है।^१ यास्क महर्षि के निरुक्त में जिस प्रकार सर्वप्रथम निरुक्त-उपोदात्त है उसी प्रकार जैन निर्युक्तियों में भी प्रारंभ में उपोदात्त मिलता है।

दस निर्युक्तियाँ :

आचार्य भद्रबाहु ने निम्नांकित ग्रंथों पर निर्युक्तियाँ लिखी हैं
१ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्रकृताग,
६. दशाश्रुतस्कन्ध, ७ बृहत्कल्प, ८ व्यवहार, ९. सूर्यप्रज्ञप्ति और १०. ऋषि-
भाषित।

इनमें से अन्तिम दो निर्युक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। शेष आठ उपलब्ध हैं। इन निर्युक्तियों में आचार्य ने जैन न्याय-सम्मत निक्षेप-पद्धति का आधार लिया है। निक्षेप-पद्धति में किसी एक शब्द के समस्त सभावित अर्थों का निर्देश करके प्रस्तुत अर्थ का ग्रहण किया जाता है। आचार्य भद्रबाहु ने अपनी निर्युक्तियों में प्रस्तुत अर्थ के निश्चय के साथ ही साथ तत्सम्बद्ध अन्य बातों का भी निर्देश किया है। 'निर्युक्ति' शब्द की व्याख्या करते हुए वे स्वयं कहते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किन्तु कौन-सा अर्थ किस प्रसंग के लिए उपयुक्त होता है, भगवान्

^१ देखिए—अनुयोगद्वार, पृ० १८ और भागे

के उपदेश के समय कौन सा अर्थ किस शब्द से सम्बद्ध था, इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए ठीक ठीक अर्थ का निर्णय करना और उस अर्थ का सूत्र के शब्दों से सबन्ध स्थापित करना—यही निर्युक्ति का प्रयोजन है।^१

निर्युक्तियों की रचना प्रारम्भ करते हुए आचार्य भद्रबाहु ने सर्वप्रथम पाँच प्रकार के ज्ञान का विवेचन किया है। बाद के टीकाकारों ने ज्ञान को मगलरूप मानकर यह सिद्ध किया है कि इन गाथाओं से मगल का प्रयोजन भी सिद्ध होता है। आगे आचार्य ने यह बताया है कि इन पाँच ज्ञानों में से प्रस्तुत अधिकार श्रुतज्ञान का ही है क्योंकि यही ज्ञान ऐसा है जो प्रदीपवत् स्व-पर-प्रकाशक है। यही कारण है कि श्रुतज्ञान के आधार से ही मति आदि अन्य ज्ञानों का एव स्वयं श्रुत का भी निरूपण हो सकता है। इसके बाद निर्युक्तिकार ने सामान्यरूप से सभी तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। फिर वर्तमान तीर्थ के प्रणेता—प्रवर्तक भगवान् महावीर को नमस्कार किया है। तदुपरान्त महावीर के प्रमुख शिष्य एकादश गणधरों को नमस्कार करके गुरुपरपरारूप आचार्यवश और अध्यापक परपरारूप उपाध्यायवंश को नमस्कार किया है। इसके बाद आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की है कि इन सबने श्रुत का जो अर्थ बताया है उसकी मैं निर्युक्ति अर्थात् श्रुत के साथ अर्थ की योजना करता हूँ। इसके लिए निम्नांकित श्रुतग्रथों को लेता हूँ. १ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्र-कृताग, ६ दशाश्रुतस्कन्ध, ७ कल्प (बृहत्कल्प), ८ व्यवहार, ९ सूर्यप्रज्ञप्ति, १० ऋषिभाषित।^१

आचार्य भद्रबाहु की इन दस निर्युक्तियों का रचना क्रम भी वही होना चाहिए जिस क्रम से निर्युक्ति रचना की प्रतिज्ञा की गई है। इस कथन की पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं —

१ उत्तराध्ययन-निर्युक्ति में विनय का व्याख्यान करते समय लिखा है कि इसके विषय में पहले कह दिया गया है।^१ यह कथन दशवैकालिक के 'विनय-समाधि' नामक अध्याय की निर्युक्ति को लक्ष्य में रखकर किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन-निर्युक्ति के पूर्व दशवैकालिक निर्युक्ति की रचना हुई।

आवश्यकनिर्युक्ति, गा ८८ २ वही, गा ७९-८६ ३ गणधरवाद, प्रस्तावना, पृ० १५-६ ४ उत्तराध्ययननिर्युक्ति, गा २९

२ 'कामा पुब्बुद्धिदा' (उत्तराध्ययननिर्युक्ति, गा २०८) में यह सूचित किया गया है कि काम के विषय में पहले विवेचन हो चुका है। यह विवेचन दशवैकालिकनिर्युक्ति की गा १६१-१६३ में है। इससे भी यही बात सिद्ध होती है।

३ आवश्यकनिर्युक्ति के प्रारंभ में दस निर्युक्तियों की रचना करने की प्रतिज्ञा की गई है। इससे यह स्वन सिद्ध है कि सर्वप्रथम आवश्यकनिर्युक्ति लिखी गई। आवश्यकनिर्युक्ति की निदववाट से सम्बन्धित प्रायः सभी गाथाएँ ज्यों की त्यों उत्तराध्ययननिर्युक्ति में ली गई हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययननिर्युक्ति की रचना आवश्यकनिर्युक्ति के बाद ही हुई।

४ आचारागनिर्युक्ति (गा. ५) में कहा गया है कि 'आचार' और 'अग' के निक्षेप का कथन पहले हो चुका है। इससे दशवैकालिक और उत्तराध्ययन की निर्युक्तियों की रचना आचारागनिर्युक्ति के पूर्व सिद्ध होती है क्योंकि दशवैकालिक के 'क्षुल्लिकाचार' अध्ययन की निर्युक्ति में 'आचार' की तथा उत्तराध्ययन के 'चतुरग' अध्ययन की निर्युक्ति में 'अग' शब्द की जो व्याख्या की गई है उसी का उपर्युक्त उल्लेख है।

५ आचारागनिर्युक्ति (गा. ३४६) में लिखा है कि 'मोक्ष' शब्द की निर्युक्ति के अनुसार ही 'विमुक्ति' शब्द की व्याख्या है। यह कथन उत्तराध्ययन के 'मोक्ष' शब्द की निर्युक्ति से सम्बन्ध रखता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि आचारागनिर्युक्ति से पहले उत्तराध्ययननिर्युक्ति की रचना हुई।

६ सूत्रकृतागनिर्युक्ति (गा ९९) में कहा गया है कि 'धर्म' शब्द का निक्षेप पहले हो चुका है। यह कथन दशवैकालिकनिर्युक्ति (गा ३९) को लक्ष्य करके है। इससे यह सिद्ध होता है कि दशवैकालिकनिर्युक्ति की रचना सूत्रकृतागनिर्युक्ति के पूर्व हुई।

७ सूत्रकृतागनिर्युक्ति (गा १२७) में कहा गया है कि 'अथ' का निक्षेप पहले हो चुका है। यह कथन उत्तराध्ययननिर्युक्ति (गा २४०) को अनुलक्षित करके है। इससे यही सिद्ध होता है कि सूत्रकृतागनिर्युक्ति के पूर्व उत्तराध्ययन निर्युक्ति की रचना हुई।

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु :

भद्रबाहु नाम के एक से अधिक आचार्य हुए हैं। क्षेत्राम्बर-भान्यता के अनुसार चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु नेपाल में योगसाधना के लिए गए थे,

जबकि दिगम्बर-मान्यता के अनुसार यही भद्रबाहु नेपाल में न जाकर दक्षिण में गए थे। इन दो घटनाओं से यह अनुमान हो सकता है कि ये दोनों भद्रबाहु भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। निर्युक्तियों के कर्ता भद्रबाहु इन दोनों से भिन्न एक तीसरे ही व्यक्ति हैं। ये चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहु न होकर विक्रम की छठी शताब्दी में विद्यमान एक अन्य ही भद्रबाहु हैं जो प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् बराहमिहिर के सहोदर थे।

जैन सम्प्रदाय की सामान्यतया यही धारणा है कि छेदसूत्रकार तथा निर्युक्ति-कार दोनों भद्रबाहु एक ही हैं जो चतुर्दशपूर्वधर स्यविर आर्य भद्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः छेदसूत्रकार चतुर्दशपूर्वधर स्यविर आर्य भद्रबाहु और निर्युक्ति-कार आचार्य भद्रबाहु दो भिन्न व्यक्ति हैं।^१

दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति के प्रारंभ में निर्युक्तिकार कहते हैं कि प्राचीन गोत्रीय, अंतिम श्रुतकेवली, दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार के प्रणेता महर्षि भद्रबाहु को मैं नमस्कार करता हूँ।^२ इसी प्रकार का उल्लेख पंचकल्पनिर्युक्ति के प्रारंभ में भी है। इन उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि छेदसूत्रों के कर्ता चतुर्दशपूर्वधर अंतिम श्रुतकेवली स्यविर आर्य भद्रबाहुस्वामी हैं।

छेदसूत्र तथा निर्युक्तियाँ एक ही भद्रबाहु की कृतियाँ हैं, इस मान्यता के समर्थन के लिए भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। इनमें सबसे प्राचीन प्रमाण आचार्य शीलाककृत आचारागटीका में मिलता है।^३ इसका समय विक्रम की आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा नौवीं शताब्दी का प्रारंभ है। इसमें यही बताया गया है कि निर्युक्तिकार चतुर्दशपूर्वविद् भद्रबाहुस्वामी हैं।

निर्युक्तिकार चतुर्दशपूर्वविद् भद्रबाहुस्वामी हैं, इस मान्यता को बाधित करने वाले प्रमाण अधिक सरल एवं तर्कपूर्ण हैं। इन प्रमाणों की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा आधार तो यह है कि स्वयं निर्युक्तिकार अपने को चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहु-स्वामी से भिन्न बताते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रमाण अधिक प्राचीन एवं प्रबल हैं। निर्युक्तिकार भद्रबाहुस्वामी ही यदि चतुर्दशपूर्वविद् भद्रबाहुस्वामी हों तो उनकी बनाई हुई निर्युक्तियों में निम्नलिखित बातें नहीं मिलनी चाहिए —

१ महावीर जैन विद्यालय रजत महोत्सव ग्रंथ, पृ० १८५

२. वदामि भद्रबाहुं, पाईण चरिमसगलसुयनारिणं ।

सुत्तस्स कारगमिसिं, दसासु कप्पे य चवहारे ॥ १ ॥

३ निर्युक्तिकारस्य भद्रबाहुस्वामिनश्चतुर्दशपूर्वधरस्थाचार्योऽतस्तान् ।

१ आवश्यकनिर्युक्ति की ७६४ से ७७६ तक की गाथाओं में स्वविर भद्रगुप्त, आर्य सिंहगिरि, वज्रस्वामी, तोसलिपुत्राचार्य, आर्य रक्षित, फल्गुरक्षित आदि अर्वाचीन आचार्यों से सम्बन्धित प्रसंगों का वर्णन ।

२ पिण्डनिर्युक्ति गाथा ४९८ में पादलिप्ताचार्य का प्रसंग तथा ५०३ से ५०५ तक की गाथाओं में वज्रस्वामी के मामा आर्य समितसूरि का सम्बन्ध, ब्रह्मद्वीपिक तापसों की प्रव्रज्या और ब्रह्मद्वीपिका शाला की उत्पत्ति का वर्णन ।

३. उत्तराध्ययननिर्युक्ति गाथा १२० में कालिकाचार्य की कथा ।

४ आवश्यकनिर्युक्ति की ७६४ से ७६९ तक की गाथाओं में दशपूर्वधर चक्रस्वामी को नमस्कार ।

५. उत्तराध्ययन सूत्र के अकाममरणीय नामक अध्ययन से सम्बन्धित एक निर्युक्ति-गाथा है जिसका अर्थ यों है 'हमने मरणविभक्ति से सम्बन्धित सभी द्वारों का अनुक्रम से वर्णन किया । पदार्थों का सम्पूर्ण एव विशद वर्णन तो जिन अर्थात् केवलज्ञानी और चतुर्दशपूर्वविद् ही कर सकते हैं ।' यदि निर्युक्तिकार स्वयं चतुर्दशपूर्वविद् होते तो अपने मुख से ऐसी बात न कहते ।

६ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति के प्रारम्भ में ही आचार्य लिखते हैं 'प्राचीन गोत्रीय, अतिम श्रुतकेवली और दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प तथा व्यवहार के प्रणेता महर्षि भद्रबाहु को मैं नमस्कार करता हूँ ।' इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि निर्युक्तिकार स्वयं चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहुस्वामी होते तो इस प्रकार छेदसूत्रकार को नमस्कार न करते । दूसरे शब्दों में यदि छेदसूत्रकार और निर्युक्तिकार एक ही भद्रबाहु होते तो दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति के प्रारम्भ में छेदसूत्रकार भद्रबाहु को नमस्कार न किया जाता क्योंकि कोई भी समझदार ग्रथकार अपने आपको नमस्कार नहीं करता है ।

उपर्युक्त उल्लेखों से यही बात सिद्ध होती है कि छेदसूत्रकार चतुर्दशपूर्वधर श्रुतकेवली आर्य भद्रबाहु और निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु एक ही व्यक्ति न होकर भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं । हाँ, निर्युक्तियों में उपलब्ध कुछ गाथाएँ अवश्य प्राचीनतर हो सकती हैं जिनका आचार्य भद्रबाहु ने अपनी कृतियों में समावेश

१. सन्ने एषु दारा, मरणविभक्तीह वणिण्या कमसो ।

सगलण्डणे पयत्थे, जिणचउहसपुन्वि भासति ॥ २३३ ॥

कर लिया हो। इसी प्रकार निर्युक्तियों की कुछ गाथाएँ अर्वाचीन—याद के आचार्यों द्वारा जोड़ी हुई भी हो सकती हैं।'

१. इस विषय में मुनि श्री पुण्यविजय जी ने पर्याप्त उद्घापोह किया है। वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्धृत किया जाता है :—

बृहत्कल्प-भाष्य भा० ६ की प्रस्तावना में मैंने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि उपलब्ध निर्युक्तियों के कर्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु नहीं हैं किन्तु ज्योतिर्विद् बराहमिहिर के आता द्वितीय भद्रबाहु है जो विक्रम की छठी शताब्दी में हुए हैं। अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करना यहाँ उचित है। जब मैं यह कहता हूँ कि उपलब्ध निर्युक्तियाँ द्वितीय भद्रबाहु की हैं, श्रुतकेवली भद्रबाहु की नहीं तब इसका तात्पर्य यह नहीं कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने निर्युक्तियों की रचना की ही नहीं। मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस अन्तिम सक्लन के रूप में आज हमारे समक्ष निर्युक्तियाँ उपलब्ध हैं वे श्रुतकेवली भद्रबाहु की नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि द्वितीय भद्रबाहु के पूर्व कोई निर्युक्तियाँ थी ही नहीं। निर्युक्ति के रूप में आगमव्याख्या की पद्धति बहुत पुरानी है। इसका पता हमें अनुयोगद्वारा से लगता है। वही स्पष्ट कहा गया है कि अनुगम दो प्रकार का होता है सुत्ताणुगम और निज्जुत्तिअणुगम। इतना ही नहीं किन्तु निर्युक्तिरूप से प्रसिद्ध गाथाएँ भी अनुयोगद्वारा से ढी गई हैं। पाक्षिकसूत्र में भी सनिज्जुत्तिण ऐसा पाठ मिलता है। द्वितीय भद्रबाहु के पहले की गोविन्द वाचक की निर्युक्ति का उल्लेख निम्नीथ-भाष्य व चूणि में मिलता है। इतना ही नहीं किन्तु वैदिक वाङ्मय में भी निरक्त अति प्राचीन है। अतएव यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जैनागम की व्याख्या का निर्युक्ति नामक प्रकार प्राचीन है। यह समभव नहीं कि छठी शताब्दी तक आगमों की कोई व्याख्या निर्युक्ति के रूप में हुई ही न हो। टिगम्वरमान्य मूलाचार में भी आवश्यक निर्युक्तिगत कई गाथाएँ हैं। इससे भी पता चलता है कि श्वेताम्बर-टिगम्वर सम्प्रदाय का स्पष्ट भेद होने के पूर्व भी निर्युक्ति की परम्परा थी। ऐसी स्थिति में श्रुतकेवली भद्रबाहु ने निर्युक्तियों की रचना की है—इस परम्परा को निर्मूल्य मानने का कोई कारण नहीं है अतः यही मानना उचित है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने भी निर्युक्तियों की रचना की थी और याद में गोविन्द

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु वाराहोसहिना के प्रणेता ज्योतिर्विद् वराह-मिहिर के पूर्वाश्रम के सहोदर भाई के रूप में जैन सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हैं। वे अष्टागनिमित्त और मन्त्रविद्या के पारगामी अर्थात् नैमित्तिक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने भाई के साथ धार्मिक स्पर्धा करते हुए भद्रबाहुमहिता तथा उपसर्गहरस्तोत्र की रचना की। अथवा यों भी कह सकते हैं कि इन्हें इन ग्रन्थों की रचना आवश्यक प्रतीत हुई। निर्युक्तिकार तथा उपसर्गहरस्तोत्रादि के प्रणेता भद्रबाहु एक हैं और वे नैमित्तिक भद्रबाहु हैं, इस मान्यता की पुष्टि के लिए यह प्रमाण^१ दिया जाता है कि आवश्यकनिर्युक्ति की १२५२ से १२७० तक की गाथाओं में गधर्व नागदत्त का कथानक है। इस कथानक में नाग का विष उतारने की क्रिया बताई गई है। उपसर्गहरस्तोत्र में भी 'विसहर फुलिगमत' इत्यादि से नाग का विष उतारने की क्रिया का ही वर्णन किया गया है। उपर्युक्त निर्युक्तिग्रन्थ में मन्त्रक्रिया के प्रयोग के साथ 'स्वाहा' पद का निर्देश भी मिलता है जो रचयिता के तत्सम्बन्धी प्रेम अथवा ज्ञान की ओर संकेत करता है। दूसरी बात यह है कि अष्टागनिमित्त तथा मन्त्रविद्या के पारगामी नैमित्तिक भद्रबाहु ज्योतिर्विद् वराहमिहिर के भाई के सिवाय अन्य कोई प्रसिद्ध नहीं हैं। इससे सहज ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपसर्गहरस्तोत्रादि ग्रन्थों के रचयिता और आवश्यकतादि निर्युक्तियों के प्रणेता भद्रबाहु एक ही हैं।

वाचक जैसे अन्य आचार्यों ने भी। इस प्रकार क्रमशः बढ़ते बढ़ते निर्युक्तियों का जो अन्तिम रूप हुआ वह द्वितीय भद्रबाहु का है अर्थात् द्वितीय भद्रबाहु ने अपने समय तक की उपलब्ध निर्युक्ति-गाथाओं का अपनी निर्युक्तियों में संग्रह किया, साथ ही अपनी ओर से भी कुछ नई गाथाएँ बनाकर जोड़ दीं। यही रूप आज हमारे सामने निर्युक्ति के नाम से उपलब्ध है। इस तरह क्रमशः निर्युक्ति-गाथाएँ बढ़ती गईं। इनका एक प्रबल प्रमाण यह है कि दशवैकालिक की दोनों चूर्णियों में प्रथम अध्ययन की केवल ५७ निर्युक्ति-गाथाएँ हैं जबकि हरिभद्र की वृत्ति में १५७ हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि द्वितीय भद्रबाहु ने निर्युक्तियों का अन्तिम संग्रह किया उसके बाद भी उसमें वृद्धि होती रही है। इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में यदि हम श्रुतकेवली भद्रबाहु को भी निर्युक्तिकार मानें तो अनुचित न होगा।

—मुनि श्री हजारीमल स्मृति-ग्रन्थ, पृ० ७१८-९

१ महावीर जैन विद्यालय रजत महोत्सव ग्रन्थ, पृ १९७-८

कर लिया हो। इसी प्रकार निर्युक्तियों की कुछ गाथाएँ अर्वाचीन—बाद के आचार्यों द्वारा जोड़ी हुई भी हो सकती हैं।'

१. इस विषय में मुनि श्री पुण्यविजय जी ने पर्याप्त उदाहरण दिया है। वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्धृत किया जाता है—

वृहत्कल्प-भाष्य भा० ६ की प्रस्तावना में मैंने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि उपलब्ध निर्युक्तियों के कर्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु नहीं हैं किन्तु ज्योतिर्विद् बराहमिहिर के भ्राता द्वितीय भद्रबाहु हैं जो विक्रम की छठी शताब्दी में हुए हैं। अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करना यहाँ उचित है। जब मैं यह कहता हूँ कि उपलब्ध निर्युक्तियों द्वितीय भद्रबाहु की हैं, श्रुतकेवली भद्रबाहु की नहीं तब इसका तात्पर्य यह नहीं कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने निर्युक्तियों की रचना की ही नहीं। मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस अन्तिम सङ्कलन के रूप में आज हमारे समक्ष निर्युक्तियाँ उपलब्ध हैं वे श्रुतकेवली भद्रबाहु की नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि द्वितीय भद्रबाहु के पूर्व कोई निर्युक्तियाँ थी ही नहीं। निर्युक्ति के रूप में आगमव्याख्या की पद्धति बहुत पुरानी है। इसका पता हमें अनुयोगद्वारा से लगता है। वही स्पष्ट कहा गया है कि अनुगम दो प्रकार का होता है सुत्ताणुगम और निज्जुत्तिअणुगम। इतना ही नहीं किन्तु निर्युक्तिरूप से प्रसिद्ध गाथाएँ भी अनुयोगद्वारा में दी गई हैं। पाक्षिकसूत्र में भी मनिज्जुत्तिण् ऐमी पाठ मिलता है। द्वितीय भद्रबाहु के पहले की गोविन्द वाचक की निर्युक्ति का उल्लेख निशीथ-भाष्य व चूणि में मिलता है। इतना ही नहीं किन्तु वैदिक वाङ्मय में भी निरक्त अति प्राचीन है। अतएव यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जैनागम की व्याख्या का निर्युक्ति नामक प्रकार प्राचीन है। यह सभव नहीं कि छठी शताब्दी तक आगमों की कोई व्याख्या निर्युक्ति के रूप में हुई ही न हो। दिगम्बरमान्य मूलाचार से भी आश्चर्यक निर्युक्तिगत कई गाथाएँ हैं। इससे भी पता चलता है कि श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय का स्पष्ट भेद होने के पूर्व भी निर्युक्ति की परम्परा थी। ऐसी स्थिति में श्रुतकेवली भद्रबाहु ने निर्युक्तियों की रचना की है—इस परम्परा को निमंथ-मानने का कोई कारण नहीं है अतः यही मानना उचित है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने भी निर्युक्तियों की रचना की थी और बाद में गोविन्द

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु वाराहीसहिता के प्रणेता ज्योतिर्विद् वराह-मिहिर के पूर्वाश्रम के सहोदर भाई के रूप में जैन सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हैं। ये अष्टागनिमित्त और मन्त्रविद्या के पारगामी अर्थात् नैमित्तिक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने भाई के साथ धार्मिक स्पर्धा करते हुए भद्रबाहुसहिता तथा उपसर्गहरस्तोत्र की रचना की। अथवा यों भी कह सकते हैं कि इन्हें इन ग्रन्थों की रचना आवश्यक प्रतीत हुई। निर्युक्तिकार तथा उपसर्गहरस्तोत्रादि के प्रणेता भद्रबाहु एक हैं और वे नैमित्तिक भद्रबाहु हैं, इस मान्यता की पुष्टि के लिए यह प्रमाण दिया जाता है कि आवश्यकनिर्युक्ति की १२५२ से १२७० तक की गाथाओं में गधर्व नागदत्त का कथानक है। इस कथानक में नाग का विष उतारने की क्रिया बताई गई है। उपसर्गहरस्तोत्र में भी 'विसहर फुलिगमत' इत्यादि से नाग का विष उतारने की क्रिया का ही वर्णन किया गया है। उपर्युक्त निर्युक्तिग्रन्थ में मन्त्रक्रिया के प्रयोग के साथ 'स्वाहा' पद का निर्देश भी मिलता है जो रचयिता के तत्सम्बन्धी प्रेम अथवा ज्ञान की ओर संकेत करता है। दूसरी बात यह है कि अष्टागनिमित्त तथा मन्त्रविद्या के पारगामी नैमित्तिक भद्रबाहु ज्योतिर्विद् वराहमिहिर के भाई के सिवाय अन्य कोई प्रसिद्ध नहीं हैं। इससे सहज ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपसर्गहरस्तोत्रादि ग्रन्थों के रचयिता और आवश्यकानिर्मुक्तियों के प्रणेता भद्रबाहु एक ही हैं।

वाचक जैसे अन्य आचार्यों ने भी। इस प्रकार क्रमशः बढ़ते बढ़ते निर्युक्तियों का जो अन्तिम रूप हुआ वह द्वितीय भद्रबाहु का है अर्थात् द्वितीय भद्रबाहु ने अपने समय तक की उपलब्ध निर्युक्ति-गाथाओं का अपनी निर्युक्तियों में संग्रह किया, साथ ही अपनी ओर से भी कुछ नई गाथाएँ बनाकर जोड़ दीं। यही रूप आज हमारे सामने निर्युक्ति के नाम से उपलब्ध है। इस तरह क्रमशः निर्युक्ति-गाथाएँ बढ़ती गईं। इसका एक प्रबल प्रमाण यह है कि दशवैकालिक की दोनों चूर्णियों में प्रथम अध्ययन की केवल ५७ निर्युक्ति-गाथाएँ हैं जबकि हरिभद्र की वृत्ति में १५७ हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि द्वितीय भद्रबाहु ने निर्युक्तियों का अन्तिम संग्रह किया उसके बाद भी उसमें वृद्धि होती रही है। इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में यदि हम श्रुतकेवली भद्रबाहु को भी निर्युक्तिकार मानें तो अनुचित न होगा।

—सुनि श्री हजारीमल स्मृति-ग्रन्थ, पृ० ७१८-९

१ महावीर जैन विद्यालय रजत महोत्सव ग्रंथ, पृ १२७-८

निर्युक्तिकार भद्रबाहु की नैमित्तिकता सिद्ध करने वाला एक अन्य प्रमाण भी है। उन्होंने आवश्यक आदि जिन ग्रन्थों पर निर्युक्तियाँ लिखी हैं उनमें सूर्यप्रज्ञप्ति का भी समावेश है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे निमित्तविद्या में कुशल एव रचि रखने वाले थे। निमित्तविद्या के प्रति प्रेम एव कुशलता के अभाव में यह ग्रन्थ वे हाथ में न लेते।

पञ्चसिद्धान्तिका के अन्त में शक सवत् ४२७ अर्थात् विक्रम सवत् ५६२ का उल्लेख है। यह वराहमिहिर का समय है। जब हम यह मान लेते हैं कि निर्युक्तिकार भद्रबाहु वराहमिहिर के सहोदर थे तब यह स्वतः सिद्ध है कि आचार्य भद्रबाहु विक्रम की छठी शताब्दी में विद्यमान थे और निर्युक्तियों का रचना काल विक्रम सवत् ५००-६०० के बीच में है।

आचार्य भद्रबाहु ने दस निर्युक्तियाँ, उपसर्गहरस्तोत्र और भद्रबाहुसहिता—इन बारह ग्रन्थों की रचना की। भद्रबाहुसहिता अनुपलब्ध है। आज जो भद्रबाहुसहिता मिलती है वह कृत्रिम है, ऐसा विद्वानों का मत है। ओषनिर्युक्ति और पिण्डनिर्युक्ति क्रमशः आवश्यकनिर्युक्ति और दशवैकालिकनिर्युक्ति की ही अग्ररूप हैं। निशीथनिर्युक्ति आचारागनिर्युक्ति का ही एक अंग है क्योंकि निशीथ सूत्र को आचाराग की पञ्चम चूलिका के रूप में ही माना गया है।^१



१ टेटिए—आचारागनिर्युक्ति, गा ११ तथा गा २९७ एव उनहीं गीलाककृत वृत्ति

द्वितीय प्रकरण

आवश्यकनिर्युक्ति

भद्रबाहुकृत दस निर्युक्तियों में 'आवश्यकनिर्युक्ति' की रचना सर्वप्रथम हुई है। यही कारण है कि यह निर्युक्ति सामग्री, शैली आदि सभी दृष्टियों से अधिक

१ आवश्यकनिर्युक्ति पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इनमें से निम्नलिखित टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं -

(अ) मलयगिरिकृत वृत्ति—(क) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२८-१९३२

(ख) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, सूरत, सन् १९३६

(भा) हरिभद्रकृत वृत्ति—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१६-७

(इ) मलधारी हेमचन्द्रकृत प्रदेशव्याख्या तथा चन्द्रसूरिकृत प्रदेशव्याख्या-टिप्पण—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९२०

(ई) जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य तथा उसकी मलधारी हेमचन्द्रकृत टीका—यशोविजय जैन ग्रथमाला, बनारस, वीर स २४२७-२४४१.

(उ) माणिक्यशेखरकृत आवश्यकनिर्युक्ति दीपिका—विजयदानसूरीश्वर सूरत, सन् १९३९-१९४९

(ऊ) कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्य-विवरण—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९३६-७

(ऋ) जिनदासगणिमहत्तरकृत चूर्णि—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९२८

(ए) विशेषावश्यकभाष्य की जिनभद्रकृत स्वोपजवृत्ति—ला० द० विद्या-मन्दिर, अहमदाबाद, सन् १९६६

आवश्यकनिर्युक्ति की गाथा सख्या भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है। इन गाथाओं में कहीं-कहीं भाष्य की गाथाएँ भी मिली हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए आवश्यकनिर्युक्तिदीपिका की १२२ से १२६ तक की गाथाएँ विशेषावश्यककोट्याचार्यवृत्ति में नहीं हैं। गा. १२१ को कोट्याचार्य ने भाष्य में सम्मिलित किया है। मलयगिरिविवरण में आवश्यक-

निर्युक्तिकार भद्रबाहु की नैमित्तिकता सिद्ध करने वाला एक अन्य प्रमाण भी है। उन्होंने आवश्यक आदि जिन ग्रन्थों पर निर्युक्तियाँ लिखी हैं उनमें सूर्यप्रज्ञप्ति का भी समावेश है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे निमित्तविद्या में कुशल एव रुचि रखने वाले थे। निमित्तविद्या के प्रति प्रेम एव कुशलता के अभाव में यह ग्रन्थ वे हाथ में न लेते।

पञ्चसिद्धान्तिका के अन्त में शक सवत् ४२७ अर्थात् विक्रम सवत् ५६२ का उल्लेख है। यह वराहमिहिर का समय है। जब हम यह मान लेते हैं कि निर्युक्तिकार भद्रबाहु वराहमिहिर के सहोदर थे तब यह स्वतः सिद्ध है कि आचार्य भद्रबाहु विक्रम की छठी शताब्दी में विद्यमान थे और निर्युक्तियों का रचना काल विक्रम सवत् ५००-६०० के बीच में है।

आचार्य भद्रबाहु ने दस निर्युक्तियाँ, उपसर्गहरस्तोत्र और भद्रबाहुसहिता—इन बारह ग्रन्थों की रचना की। भद्रबाहुसहिता अनुपलब्ध है। आज जो भद्रबाहुसहिता मिलती है वह कृत्रिम है, ऐसा विद्वानों का मत है। ओषनिर्युक्ति और पिण्डनिर्युक्ति क्रमशः आवश्यकनिर्युक्ति और दशवैकालिकनिर्युक्ति की ही अग्ररूप है। निशीथनिर्युक्ति आचारागनिर्युक्ति का ही एक अंग है क्योंकि निशीथ सूत्र को आचाराग की पञ्चम चूलिका के रूप में ही माना गया है।^१



१ देखिए—आचारागनिर्युक्ति, गा ११ तथा गा २९७ एव उनकी शीलाककृत वृत्ति

द्वितीय प्रकरण

आवश्यकनिर्युक्ति

भद्रबाहुकृत दस निर्युक्तियों में आवश्यकनिर्युक्ति^१ की रचना सर्वप्रथम हुई है। यही कारण है कि यह निर्युक्ति सामग्री, शैली आदि सभी दृष्टियों से अधिक

१ आवश्यकनिर्युक्ति पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इनमें से निम्नलिखित टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं —

(अ) मलयगिरिकृत वृत्ति—(क) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२८-१९३२

(ख) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, सूरत, सन् १९३६.

(आ) हरिभद्रकृत वृत्ति—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१६-७

(इ) मलधारी हेमचन्द्रकृत प्रदेशाव्याख्या तथा चन्द्रसूरिकृत प्रदेशाव्याख्या-टिप्पण—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९२०

(ई) जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य तथा उसकी मलधारी हेमचन्द्रकृत टीका—यशोविजय जैन ग्रथमाला, बनारस, वीर स २४२७-२४४१.

(उ) माणिक्यशेखरकृत आवश्यकनिर्युक्ति दीपिका—विजयदानसूरीधर सूरत, सन् १९३९-१९४९

(ऊ) कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्य-विवरण—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९३६-७

(ऋ) जिनदासगणिमहत्तरकृत चूर्णि—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९२८

(ए) विशेषावश्यकभाष्य की जिनभद्रकृत स्वोपज्ञवृत्ति—ला० द० विद्या-मन्दिर, अहमदाबाद, सन् १९६६

आवश्यकनिर्युक्ति की गाथा सख्या भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है। इन गाथाओं में कहीं कहीं भाष्य की गाथाएँ भी मिली हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए आवश्यकनिर्युक्तिदीपिका की १२२ से १२६ तक की गाथाएँ विशेषावश्यककोट्याचार्यवृत्ति में नहीं है। गा १२१ को कोट्याचार्य ने भाष्य में सम्मिलित किया है। मलयगिरिविवरण में आवश्यक

महत्त्वपूर्ण है। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का विस्तृत एवं व्यवस्थित व्याख्यान किया गया है। आगे की निर्युक्तियों में पुनः उन विषयों के आने पर संक्षिप्त व्याख्या करके आवश्यकनिर्युक्ति की ओर संकेत कर दिया गया है। इस दृष्टि से दूसरी निर्युक्तियों के विषयों को ठीक तरह से समझने के लिए इस निर्युक्ति का अध्ययन आवश्यक है। जब तक आवश्यकनिर्युक्ति का अध्ययन न किया जाय, अन्य निर्युक्तियों का अर्थ समझने में कठिनाइयाँ होती हैं।

आवश्यक सूत्र का जैन आगम ग्रंथों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें छः अध्ययन हैं। प्रथम अध्ययन का नाम सामायिक है। शेष पाँच अध्ययनों के नाम चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान हैं। आवश्यकनिर्युक्ति इसी सूत्र की आचार्य भद्रबाहुकृत प्राकृत पद्यात्मक व्याख्या है। इसी व्याख्या के प्रथम अंश अर्थात् सामायिक अध्ययन से सम्बन्धित निर्युक्ति की विस्तृत व्याख्या आचार्य जिनभद्र ने की है जो विशेषावश्यकभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस भाष्य की भी अनेक व्याख्याएँ हुईं। इन व्याख्याओं में स्वयं जिनभद्रकृत व्याख्या भी है। मलधारी हेमचन्द्रकृत व्याख्या विशेष प्रसिद्ध है।

उपोद्घात :

आवश्यकनिर्युक्ति के प्रारंभ में उपोद्घात है। इसे ग्रंथ की भूमिका के रूप में समझना चाहिए। भूमिका के रूप में होते हुए भी इसमें ८८० गाथाएँ हैं।

ज्ञानाधिकार :

उपोद्घातनिर्युक्ति की प्रथम गाथा में पाँच प्रकार के ज्ञान बनाए गए हैं आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। ये पाँचों प्रकार के ज्ञान मगलरूप हैं अतः इस गाथा से मगलगाथा का प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है, ऐसा वाद के टीकाकारों का मन्तव्य है। आभिनिबोधिक ज्ञान के संक्षेप में चार भेद किए गए हैं अन्नग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इनमें से प्रत्येक का काल-प्रमाण क्या है, यह बताते हुए आगे कहा गया है अन्नग्रह की मर्यादा एक समय है, ईहा और अवाय अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं, धारणा की कालमर्यादा सख्येय समय, असख्येय समय और अन्तर्मुहूर्त है। अविच्युति और स्मृतिरूप धारणा अन्तर्मुहूर्त तक रहती है, वासना व्यक्तिविशेष की आयु एवं तदावरणकर्म

निर्युक्तिदीपिका की १२४ से १२६ तक की गाथाएँ नहीं हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी गाथाओं की संख्या, क्रम आदि में भेद दिखाई देता है। हमने अपने लेखन, स्थलनिर्देश आदि का आधार आवश्यकनिर्युक्तिदीपिका रखा है।

के क्षयोपशम की विशेषता के कारण सख्येय अथवा असख्येय समय तक बनी रहती है।^१

आभिनिवेशिक ज्ञान की निमित्तभूत पाच इन्द्रियों में से श्रोत्रेन्द्रिय स्पृष्ट शब्द का ग्रहण करती है, चक्षुरिन्द्रिय अस्पृष्ट रूप को देखती है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय बद्धस्पृष्ट अर्थात् सम्बद्धस्पृष्ट विषयों का ज्ञान करती हैं।^२ इस कथन से उन दार्शनिकों की मान्यता का खण्डन भी हो जाता है जो शब्द को मूर्त न मानकर अमूर्त आकाश का गुण मानते हैं तथा चक्षुरिन्द्रिय को प्राण्यकारी मानते हैं। आगे की कुछ गाथाओं में शब्द और भाषा के स्वरूप का वर्णन किया गया है।

आभिनिवेशिक ज्ञान के निम्नलिखित पर्यायशब्द दिए गए हैं 'ईहा, अपोह, विमर्श, मार्गणा, गवेषणा, सज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा।^३ इसके बाद आचार्य ने सत्पदप्ररूपणा में गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, लेश्या, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सयत्, उपयोग, आहार, भाषक, परीत, पर्याप्तक, सूक्ष्म, सञ्जी, भव और चरम इन सभी द्वारों—दृष्टियों से आभिनिवेशिक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हो सकती है, इसनी ओर संकेत किया है।^४ यहाँ तक आभिनिवेशिक ज्ञान की चर्चा है। इसके बाद श्रुतज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है।

लोक में जितने भी अक्षर हैं और उनके जितने भी संयुक्त रूप बन सकते हैं उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं कि श्रुतज्ञान के सभी भेदों का वर्णन हो सके। यह स्वीकार करते हुए निर्युक्तिकार ने केवल चौदह प्रकार के निक्षेप से श्रुतज्ञान का विचार किया है। चौदह प्रकार के श्रुतनिक्षेप इस प्रकार हैं अक्षर, सञ्जी, सम्यक्, सादिक, सपर्यवसित, गमिक, अगप्रविष्ट, अनक्षर, असञ्जी, मिथ्या, अनादिक, अपर्यवसित, अगमिक और अगनाह।^५

अवधिज्ञान का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि अवधिज्ञान की सम्पूर्ण प्रकृतियों अर्थात् भेद तो असंख्य हैं किन्तु सामान्यतया इसके भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ये दो भेद हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अवधिज्ञान का चौदह प्रकार के निक्षेप से भी विचार हो सकता है। ये चौदह निक्षेप इस प्रकार हैं स्वरूप, क्षेत्र, सस्थान, आनुगामिक, अवस्थित, चल, तीव्रमन्द, प्रतिपातोत्पाद, ज्ञान, दर्शन, विभाग, देश, क्षेत्र और गति। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव

१ गा १-४ २ गा ५ ३ गा १२ ४ गा १३-५

५ गा १७-२.

और भाव—इन सात निक्षेपों से भी अवधिज्ञान की चर्चा हो सकती है।^१ इतना निर्देश करने के बाद आचार्य ने इन निक्षेपों का विस्तार से विचार किया है।^२ पाँच प्रकार के ज्ञान की स्वरूप चर्चा में इतना अधिक विस्तार अवधिज्ञान की चर्चा का ही है।

मन द्वारा चिन्तित अर्थ का मात्र आत्मसापेक्ष ज्ञान मनःपर्ययज्ञान है। यह अनुपपन्न तक सीमित है, गुणप्रात्ययिक है तथा चारित्रवानों की सम्पत्ति है।^३

सब द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों का सर्वकालप्राची तथा अप्रतिपाती ज्ञान केवलज्ञान है। इसमें किसी प्रकार का तारतम्य नहीं होता अतः यह एक ही प्रकार का है।^४

सामायिक :

केवलज्ञानी जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है और जो शास्त्रों में वचनरूप में स्पष्ट है वह द्रव्यश्रुत है। इस प्रकार के श्रुत का ज्ञान भावश्रुत है। प्रस्तुत अभिप्राय श्रुतज्ञान का है क्योंकि श्रुतज्ञान से ही जीव आदि पदार्थ प्रकाशित होते हैं। इतना ही नहीं अपितु मति आदि ज्ञानों का प्रकाशक भी श्रुतज्ञान ही है।^५

इतनी पीठिका—भूमिका बाँधने के बाद निर्युक्तिकार सामान्यरूप से सभी तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं। इसके बाद भगवान् महावीर को विशेषरूप से नमस्कार करते हैं। महावीर के बाद उनके गणधर, शिष्य प्रशिष्य आदि को नमस्कार करते हैं। इतना करने के बाद यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी इन सबने श्रुत का जो अर्थ बताया है उसकी निर्युक्ति अर्थात् सक्षेत्र में श्रुत के साथ उसी अर्थ की योजना करता हूँ। इसके लिए आवश्यकतादि दस सूत्र ग्रन्थों का आधार लेना हूँ।^६ आवश्यकनिर्युक्ति में भी सर्वप्रथम सामायिकनिर्युक्ति की रचना करूँगा क्योंकि यह गुरुपरम्परा से उपदिष्ट है।^७ सम्पूर्ण श्रुत के आदि में सामायिक है और अन्त में बिन्दुसार है। श्रुतज्ञान अपने आप में पूर्ण एव अन्तिम लक्ष्य है, ऐसी बात नहीं। श्रुतज्ञान का सार चारित्र है। चारित्र का सार निर्वाण अर्थात् मोक्ष है और यही हमारा अन्तिम लक्ष्य है।

जैन आगम ग्रन्थों में आचाराग सर्वप्रथम माना जाता है किन्तु यहाँ आचार्य भद्रबाहु सामायिक को सम्पूर्ण श्रुत के आदि में रखते हैं, ऐसा क्यों ? इसका कारण यह है कि श्रमण के लिए सामायिक का अध्ययन सर्वप्रथम अनिवार्य

है। सामायिक का अध्ययन करने के बाद ही वह दूसरे ग्रन्थों का अध्ययन करता है, क्योंकि चारित्र का प्रारम्भ ही सामायिक से होता है। चारित्र की पाँच भूमिकाओं में प्रथम भूमिका सामायिकचारित्र की है। आगमग्रन्थों में भी जहाँ भगवान् महावीर के श्रमणों के भुताध्ययन की चर्चा है वहाँ अनेक बगद अंगग्रन्थों के आदि में सामायिक के अध्ययन का निर्देश है।

ज्ञान और चारित्र के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने यही सिद्ध किया है कि मुक्ति के लिए ज्ञान और चारित्र दोनों अनिवार्य हैं। ज्ञान और चारित्र के सतुलिन समन्वय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारित्र-विहीन ज्ञान और ज्ञानविहीन चारित्र एक-दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए अन्धे और लगडे के समान हैं जो एक-दूसरे के अभाव में अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकते।^१

इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि सामायिक का अधिकारी कौन हो सकता है? इस बहाने वस्तुतः उन्होंने श्रुतज्ञान के अधिकारी का ही वर्णन किया है। वह क्रमशः किस प्रकार विकास करता है, उसके कर्मों का किस प्रकार क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम होता है, वह किस प्रकार केवलज्ञान प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है आदि प्रश्नों का उपशम और क्षयकश्रेणी के विस्तृत वर्णन द्वारा समाधान किया है।^१ आचार्य का अभिप्राय यही है कि सामायिक श्रुत का अधिकारी ही क्रमशः मोक्ष का अधिकारी बनता है।

जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए सामायिक श्रुत का अधिकार आवश्यक है तब तीर्थंकर बनने के लिए तो वह आवश्यक है ही क्योंकि तीर्थंकर का अन्तिम लक्ष्य भी मोक्ष ही है। जो सामायिक-श्रुत का अधिकारी होता है वही क्रमशः विकास करता हुआ किसी समय तीर्थंकररूप से उत्पन्न होता है। प्रत्येक तीर्थंकर अपने समय में सर्वप्रथम श्रुत का उपदेश देता है और वही श्रुत आगे जाकर सूत्र का रूप धारण करता है। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुत को जिन-प्रवचन भी कहते हैं। आचार्य भद्रबाहु ने प्रवचन के निम्न पर्याय दिये हैं : प्रवचन, श्रुत, धर्म, तीर्थ और मार्ग। सूत्र, तन्त्र, ग्रन्थ, पाठ और शास्त्र एकार्थक हैं। अनुयोग, नियोग, माष्य, विभाषा और वार्तिक पर्यायवाची हैं।^१ आगे आचार्य ने अनुयोग और अननुयोग का निक्षेपविधि से वर्णन किया है।^१ इसके बाद माषा,

१ गा० ९४-१०३ २ गा० १०४-१२७

३ गा० १३०-१ ४ गा० १३२-४

और भाव—इन सात निक्षेपों से भी अवधिज्ञान की चर्चा हो सकती है।^१ इतना निर्देश करने के बाद आचार्य ने इन निक्षेपों का विस्तार से विचार किया है।^२ पाँच प्रकार के ज्ञान की स्वरूप-चर्चा में इतना अधिक विस्तार अवधिज्ञान की चर्चा का ही है।

मन द्वारा चिन्तित अर्थ का मात्र आत्मसापेक्ष ज्ञान मनःपर्ययज्ञान है। यह मनुष्यक्षेत्र तक सीमित है, गुणप्रात्ययिक है तथा चारित्रवानों की सम्पत्ति है।^३

सब द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों का सर्वकालभावी तथा अप्रतिपाती ज्ञान केवलज्ञान है। इसमें किसी प्रकार का तारतम्य नहीं होता अतः यह एक ही प्रकार का है।^४

सामायिक :

केवलज्ञानी जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है और जो शास्त्रों में वचनरूप से सगृहीत है वह द्रव्यश्रुत है। इस प्रकार के श्रुत का ज्ञान भावश्रुत है। प्रस्तुत अधिकार श्रुतज्ञान का है क्योंकि श्रुतज्ञान से ही जीव आदि पदार्थ प्रकाशित होते हैं। इतना ही नहीं अपितु मति आदि ज्ञानों का प्रकाशक भी श्रुतज्ञान ही है।^५

इतनी पीठिका—भूमिका बाँधने के बाद निर्युक्तिकार सामान्यरूप से सभी तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं। इसके बाद भगवान् महावीर को विशेषरूप से नमस्कार करते हैं। महावीर के बाद उनके गणधर, शिष्य प्रशिष्य आदि को नमस्कार करते हैं। इतना करने के बाद यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी इन सबने श्रुत का जो अर्थ बताया है उसकी निर्युक्ति अर्थात् सक्षेप में श्रुत के साथ उसी अर्थ की योजना करता हूँ। इसके लिए आवश्यकदि दस सूत्र ग्रन्थों का आधार लेना हूँ।^६ आवश्यकनिर्युक्ति में भी सर्वप्रथम सामायिकनिर्युक्ति की रचना करूँगा क्योंकि यह गुरुवरम्परा से उपदिष्ट है।^७ सम्पूर्ण श्रुत के आदि में सामायिक है और अन्त में बिन्दुसार है। श्रुतज्ञान अपने आप में पूर्ण एव अन्तिम लक्ष्य है, ऐसी बात नहीं। श्रुतज्ञान का सार चारित्र है। चारित्र का सार निर्वाण अर्थात् मोक्ष है^८ और यही हमारा अन्तिम लक्ष्य है।

जैन आगम-ग्रन्थों में आचाराग सर्वप्रथम माना जाता है किन्तु यहाँ आचार्य भद्रबाहु सामायिक को सम्पूर्ण श्रुत के आदि में रखते हैं, ऐसा क्यों ? इसका कारण यह है कि श्रमण के लिए सामायिक का अध्ययन सर्वप्रथम अनिवार्य

१ गा २५-९ २ गा ३०-७५ ३ गा ७६. ४ गा ७७.
५ गा० ७८-९ ६ गा० ८०-८६ ७ गा० ८७ ८ गा० ९३.

है। सामायिक का अध्ययन करने के बाद ही वह दूसरे ग्रन्थों का अध्ययन करता है, क्योंकि चारित्र का प्रारम्भ ही सामायिक से होता है। चारित्र की पाँच भूमिकाओं में प्रथम भूमिका सामायिकचारित्र की है। आगमग्रन्थों में भी जहाँ भगवान् महावीर के श्रमणों के श्रुताध्ययन की चर्चा है वहाँ अनेक जगह अंगग्रन्थों के आदि में सामायिक के अध्ययन का निर्देश है।

ज्ञान और चारित्र के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने यही सिद्ध किया है कि मुक्ति के लिए ज्ञान और चारित्र दोनों अनिवार्य हैं। ज्ञान और चारित्र के सतुलित समन्वय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारित्र-विहीन ज्ञान और ज्ञानविहीन चारित्र एक-दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए अन्धे और लगड़े के समान हैं जो एक-दूसरे के अभाव में अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकते।^१

इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि सामायिक का अधिकारी कौन हो सकता है? इस ब्रह्मने वस्तुतः उन्होंने श्रुतज्ञान के अधिकारी का ही वर्णन किया है। वह क्रमशः किस प्रकार विकास करता है, उसके कर्मों का किस प्रकार क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम होता है, वह किस प्रकार केवलज्ञान प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है आदि प्रश्नों का उपशम और क्षपकश्रेणी के विस्तृत वर्णन द्वारा समाधान किया है।^१ आचार्य का अभिप्राय यही है कि सामायिक श्रुत का अधिकारी ही क्रमशः मोक्ष का अधिकारी बनता है।

जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए सामायिक-श्रुत का अधिकार आवश्यक है तब तीर्थंकर बनने के लिए तो वह आवश्यक है ही क्योंकि तीर्थंकर का अन्तिम लक्ष्य भी मोक्ष ही है। जो सामायिक-श्रुत का अधिकारी होता है वही क्रमशः विकास करता हुआ किसी समय तीर्थंकररूप से उत्पन्न होता है। प्रत्येक तीर्थंकर अपने समय में सर्वप्रथम श्रुत का उपदेश देता है और वही श्रुत आगे जाकर सूत्र का रूप धारण करता है। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुत को जिन-प्रवचन भी कहते हैं। आचार्य भद्रबाहु ने प्रवचन के निम्न पर्याय दिये हैं - प्रवचन, श्रुत, धर्म, तीर्थ और मार्ग। सूत्र, तन्त्र, ग्रन्थ, पाठ और शास्त्र एकार्थक हैं। अनुयोग, नियोग, भाष्य, विभाषा और वार्तिक पर्यायशब्द हैं।^१ आगे आचार्य ने अनुयोग और अननुयोग का निक्षेपविधि से वर्णन किया है।^१ इसके बाद भाषा,

१ गा० ९४-१०३ २ गा० १०४-१२७

३ गा० १३०-१ ४ गा० १३२-४

विभाषा और वार्तिक का भेद स्पष्ट किया है। साथ ही व्याख्यानविधि का निरूपण करते हुए आचार्य और शिष्य की योग्यता का नाप-दण्ड प्रताया है।^१ इसके बाद आचार्य अपने मुख्य विषय सामायिक का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं तथा व्याख्यान की विधिरूप निम्नलिखित बातों का निर्देश करते हैं —^२

१ उद्देश अर्थात् विषय का सामान्य कथन, २ निर्देश अर्थात् विषय का विघोष कथन, ३ निर्गम अर्थात् व्याख्येय वस्तु का उद्भव, ४ क्षेत्र अर्थात् देश-चर्चा, ५ काल अर्थात् समय चर्चा, ६ पुरुष अर्थात् तदाधारभूत व्यक्ति की चर्चा, ७ कारण अर्थात् माहात्म्य चर्चा, ८ प्रत्यय अर्थात् श्रद्धा की चर्चा, ९ लक्षण चर्चा, १० नय चर्चा, ११ समवतार अर्थात् नयों की अतारणा-चर्चा, १२ अनुमत अर्थात् व्यवहार और निश्चय नय की दृष्टि से विचार, १३ किं अर्थात् स्वरूप विचार, १४ भेद विचार, १५ सम्बन्ध-विचार, १६ स्थान विचार, १७ अधिकरण विचार, १८ प्राप्ति विचार, १९ स्थिति विचार, २० स्वामित्व विचार, २१ विरहकाल-विचार, २२ अविरहकाल विचार, २३ भव विचार, २४ प्राप्तिकाल सख्या-विचार, २५ क्षेत्र-स्पर्शन विचार, २६ निश्क्ति।

ऋषभदेव-चरित्र :

उद्देश और निर्देश की निक्षेपविधि से चर्चा होने के बाद निर्गम की चर्चा प्रारम्भ होती है। निर्गम की चर्चा करते समय आचार्य यह बताते हैं कि भगवान् महावीर का मिथ्यात्वादि से निर्गम अर्थात् निकलना कैसे हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर के पूर्वभवों की चर्चा प्रारम्भ होती है। इतना ही नहीं अपितु इसी से भगवान् ऋषभदेव के युग से भी पहले होने वाले कुलकरों की चर्चा प्रारम्भ हो जाती है। इसमें उनके पूर्वभव, जन्म, नाम, शरीर प्रमाण, सहनन, सस्थान, वर्ण, स्त्रिया, आयु, विभाग, भवनप्राप्ति, गीति—इन सब का सक्षिप्त विवरण है। अन्तिम कुलकर नाभि थे जिनकी पत्नी मरुदेवी थी। उन्हीं के पुत्र का नाम ऋषभदेव है।^३ ऋषभदेव के अनेक पूर्वभवों का वर्णन करने के बाद निर्युक्तिकार ने बताया है कि बीस कारणों से ऋषभदेव ने अपने पूर्वभव में तीर्थकर नामकर्म बाधा था।^४ ये बीस कारण इस प्रकार हैं —

१ गा० १३५-९ २ गा० १४०-१ ३ गा० १४५-१७०

४ गा० १७८ ५ गा० १७९-१८१

१ अरिहत, २ सिद्ध, ३ प्रवचन, ४ गुरु, ५ स्थविर, ६ ऋश्रुत, ७ तपस्वी—इनके प्रति वत्सन्ता, ८ ज्ञानोपयोग, ९ दर्शन—सम्यक्त्व, १० विनय, ११ आवश्यक, १२ शीलव्रत—इनमें अतिचार का अभाव, १३ क्षणलादि के प्रति सवेगभावना, १४ तप, १५ त्याग, १६ वैयावृत्य, १७ समाधि, १८ अपूर्वज्ञानग्रहण, १९ श्रुतभक्ति और २० प्रवचन प्रभावना ।

इसके बाद भगवान् ऋषभदेव की जीवनी से सम्बन्ध रखने वाली निम्नोक्त घटनाओं का वर्णन है जन्म, नाम, वृद्धि, जातिस्मरणज्ञान, विवाह, अपत्य, अभिषेक, राज्यसंग्रह । इन घटनाओं के साथ ही साथ उस युग के आहार, शिष्ट, कर्म, ममता, विभूषणा, लेख, गणित, रूप, लक्षण, मानदण्ड, प्रोतन—पोत, व्यवहार, नीति, युद्ध, इपुशास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, बन्ध, घात, ताडन, यज्ञ, उत्सव, समवाय, भगल, कौतुक, वस्त्र, गन्ध, माल्य, अलंकार, चूला, उपनयन, विवाह, दत्ति, मृतपूजना, ध्यापना, स्तूप, शब्द, खेलापन, पृच्छना—इन चालीस विषयों की ओर भी सकेत दिया गया है ।^१ इनके निर्माता अर्थात् प्रवर्तक के रूप में ऋषभदेव का नाम आता है ।

ऋषभदेव के जीवन चरित्र के साथ ही साथ अन्य सभी तीर्थंकरों के चरित्र की ओर भी थोड़ा-सा सकेत किया गया है तथा सम्बोधन, परित्याग, प्रत्येक, उपधि, अन्यलिङ्ग—कुलिङ्ग, ग्राम्याचार, परीषद्, जीवादितत्वोपलम्भ, प्राग्भवं-श्रुतलाभ, प्रत्याख्यान, समय, छद्मस्थकाल, तप कर्म, ज्ञानोत्पत्ति, साधुसाध्वी-संग्रह, तीर्थ, गण, गणधर, धर्मोपायदेशक, पर्यायकाल, अन्तक्रिया—मुक्ति इन इक्कीस द्वारों से^२ उनके जीवन-चरित्र की तुलना की गई है ।

इसके बाद निर्युक्तिकार यह बताते हैं कि सामायिक-अध्ययन की चर्चा के साथ इन सब बातों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी ? सामायिक के निर्गमद्वार की चर्चा के समय भगवान् महावीर के पूर्वभव की चर्चा का प्रसंग आया जिसमें उनके मरीचिजन्म की चर्चा आवश्यक प्रतीत हुई । इसी प्रसंग से भगवान् ऋषभदेव की चर्चा भी की गई क्योंकि मरीचि की उत्पत्ति ऋषभदेव से है^३ (मरीचि ऋषभदेव का पौत्र था) । इस प्रकार पुनः ऋषभदेव का चरित्र प्रारम्भ होता है । दीक्षा के समय से लेकर वर्षान्त तक पहुँचते हैं और भिक्षालाभ का प्रसंग आता है । इस प्रसंग पर चौबीस तीर्थंकरों के पारणों—उपवास के उपरान्त सर्वप्रथम भिक्षालाभों का वर्णन है । उन्हें जिन नगरों में भिक्षालाभ

१ गा० १८५—२०६ । २ गा० २०९—३१२. ३. गा० ३१३.:

हुआ उनके नाम ये हैं हस्तिनापुर, अयोध्या, भावस्ती, साकेत, विजयपुर, ब्रह्मस्थल, पाटलिखण्ड, पद्मखण्ड, श्रेयपुर, रिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, धान्यकर, वर्धमान, सोमनस, मन्दिर, चक्रपुर, राजपुर, मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, कूपकट, कोल्लाकग्राम। जिन लोगों के हाथ से भिक्षालाभ हुआ, उनके नाम भी इसी प्रकार गिनाए गए हैं तथा उससे होने वाले लाभ का भी वर्णन किया गया है।'

ऋषभदेव-चरित्र को आगे बढ़ाते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि बाहुबलि ने भगवान् ऋषभदेव की स्मृति में धर्मचक्र की स्थापना की। ऋषभदेव एक सहस्र वर्ष पर्यन्त छद्मस्थपर्याय में विचरते रहे। अन्त में उन्हें केवलज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने पञ्च महाव्रत की स्थापना की। जिस दिन ऋषभदेव को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन भरत की आयुधशाला में चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ। भरत को ये दोनों समाचार मिले। भरत ने सोचा कि पहले कहाँ पहुँचना चाहिए? पिता की उपकारिता को दृष्टि में रखते हुए पहले वे भगवान् ऋषभदेव के पास पहुँचे और उनकी पूजा की। ऋषभदेव की माता मरुदेवी एव पुत्र पुत्री पौत्रादि सभी उनके दर्शन करने पहुँचे। भगवान् का उपदेश सुनकर उनमें से कइयों को वैराग्य हुआ और उन्होंने भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेनेवालों में भगवान् महावीर के पूर्वभव का जीव मरीचि भी था।'

ऋषभदेव के ज्येष्ठपुत्र भरत ने देश विजय की यात्रा प्रारम्भ की। अपने छोटे भाइयों से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने भगवान् ऋषभदेव के सम्मुख यह समस्या रखी। भगवान् ने उन्हें उपदेश दिया जिसे सुनकर बाहुबलि के अतिरिक्त सभी भाइयों ने दीक्षा ले ली। बाहुबलि ने भरत को युद्ध के लिए आह्वान किया। सेना की सहायता न लेते हुए दोनों ने अकेले ही आपस में लड़ना स्वीकार किया। अन्त में बाहुबलि को इस अधर्म युद्ध से वैराग्य हो गया और उन्होंने भी दीक्षा ले ली।'

इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि मरीचि ने किस प्रकार परीपहों से घबड़ाकर त्रिदण्डी संप्रदाय की स्थापना की, भरत ने समवसरण में भगवान् ऋषभदेव से जिन और चक्रवर्ती के विषय में पूछा और भगवान् ने किस प्रकार जिन, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि के विषय में विस्तृत विवेचन किया

आदि। भरत ने भगवान् से प्रश्न किया कि क्या इस सभा में भी कोई भावी तीर्थंकर है? भगवान् ने ध्यानस्थ परिव्राजक स्वपौत्र मरीचि की ओर संकेत किया और कहा कि यह वीर नामक अन्तिम तीर्थंकर होगा तथा अपनी नगरी में आदि वासुदेव त्रिपुष्ट एव विदेह क्षेत्र में मूका नगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती होगा। यह सुनकर भरत भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार करके मरीचि को नमस्कार करने जाते हैं। नमस्कार करके कहते हैं कि मैं इस परिव्राजक मरीचि को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ अपितु भावी तीर्थंकर वीरप्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ। यह सुनकर मरीचि गर्व से फूल उठता है और अपने कुल की प्रशंसा के पुल बाँधने लगता है।^१

इसके बाद निर्युक्तिकार भगवान् के निर्वाण—मोक्ष का प्रसंग उपस्थित करते हैं। भगवान् विचरते विचरते अष्टापद पर्वत पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण के बाद उनके लिए चिता बनाई जाती है और बाद में उसी स्थान पर स्तूप और जिनालय भी बनते हैं। इसके बाद अँगूठी के गिरने से भरत को आदर्श गृह अर्थात् शीशमहल में कैसे वैराग्य हुआ और उन्होंने किस प्रकार दीक्षा ग्रहण की आदि बातों का विवरण है।^२ भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के पूर्व मरीचि स्वयं किसी को दीक्षा नहीं देता था अपितु दीक्षार्थियों को अन्य साधुओं को सौंप देता था और अपनी दुर्बलता स्वीकार करता हुआ भगवान् के धर्म का ही प्रचार करता था किन्तु अब यह बात न रही। उसने कपिल को अपने ही हाथों दीक्षा दी और कहा कि मेरे मत में भी धर्म है। इस प्रकार के दुर्वचन के परिणामस्वरूप वह कोटा-कोटि सागरोपम तक ससार-सागर में भटका और कुलमद के कारण नीच गोत्र का भी बन्धन किया।^३

महावीर-चरित्र :

अनेक भवों को पार करता हुआ मरीचि अन्त में ब्राह्मणकुण्डग्राम में कोडालसगोत्र ब्राह्मण के घर देवानन्दा की कुक्षि में आया।^४ यहीं से भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र प्रारम्भ होता है। उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित तेरह घटनाओं का निर्देश आवश्यकनिर्युक्ति में मिलता है— स्वप्न, गर्भापहार, अभिग्रह, जन्म, अभिषेक, वृद्धि, जातिस्मरणज्ञान, भयोत्पादन,

१ गा ३५०-४३२. २ गा ४३३-७ ३ गा ४३८-४४०
४. गा. ४५८.

हुआ उनके नाम ये हैं ' हस्तिनापुर, अयोध्या, श्रावस्ती, साकेत, विजयपुर, ब्रह्मस्थल, पाटलिखण्ड, पद्मखण्ड, श्रेयपुर, रिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, धान्यकर, वर्धमान, सोमनस, मन्दिर, चक्रपुर, राजपुर, मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, कूपकट, कोल्लाकग्राम । जिन लोगों के हाथ से भिक्षालाभ हुआ, उनके नाम भी इसी प्रकार गिनाए गए हैं तथा उससे होने वाले लाभ का भी वर्णन किया गया है ।'

ऋषभदेव-चरित्र को आगे बढ़ाते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि बाहुबलि ने भगवान् ऋषभदेव की स्मृति में धर्मचक्र की स्थापना की । ऋषभदेव एक सहस्र वर्ष पर्यन्त छद्मस्वपर्याय में विचरते रहे । अन्त में उन्हें केवलज्ञान हुआ । इसके बाद उन्होंने पञ्च महाव्रत की स्थापना की । जिस दिन ऋषभदेव को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन भरत की आयुधशाला में चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ । भरत को ये दोनों समाचार मिले । भरत ने सोचा कि पहले कहाँ पहुँचना चाहिए ? पिता की उपकारिता को दृष्टि में रखते हुए पहले वे भगवान् ऋषभदेव के पास पहुँचे और उनकी पूजा की । ऋषभदेव की माता मरुदेवी एव पुत्र पुत्री पौत्रादि सभी उनके दर्शन करने पहुँचे । भगवान् का उपदेश सुनकर उनमें से कईयों को वैराग्य हुआ और उन्होंने भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा लेनेवालों में भगवान् महावीर के पूर्वभग का जीव मरीचि भी था ।^१

ऋषभदेव के ज्येष्ठपुत्र भरत ने देश-विजय की यात्रा प्रारम्भ की । अपने छोटे भाइयों से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा । उन्होंने भगवान् ऋषभदेव के सम्मुख यह समस्या रखी । भगवान् ने उन्हें उपदेश दिया जिसे सुनकर बाहुबलि के अतिरिक्त सभी भाइयों ने दीक्षा ले ली । बाहुबलि ने भरत को युद्ध के लिए आह्वान किया । सेना की सहायता न लेते हुए दोनों ने अकेले ही आपस में लड़ना स्वीकार किया । अन्त में बाहुबलि को इस अधर्म युद्ध से वैराग्य हो गया और उन्होंने भी दीक्षा ले ली ।^२

इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि मरीचि ने किस प्रकार परीपहों से घबड़ाकर त्रिदण्डी सप्रदाय की स्थापना की, भरत ने समवसरण में भगवान् ऋषभदेव से जिन और चक्रवर्ती के विषय में पूछा और भगवान् ने किस प्रकार जिन, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि के विषय में विस्तृत विवेचन किया

आदि। भरत ने भगवान् से प्रश्न किया कि क्या इस सभा में भी कोई भावी तीर्थंकर है? भगवान् ने ध्यानस्थ परिव्राजक स्वपौत्र मरीचि की ओर सकेत किया और कहा कि यह वीर नामक अन्तिम तीर्थंकर होगा तथा अपनी नगरी में आदि वासुदेव त्रिपुष्ट एव विदेह क्षेत्र में मूका नगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती होगा। यह सुनकर भरत भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार करके मरीचि को नमस्कार करने जाते हैं। नमस्कार करके कहते हैं कि मैं इस परिव्राजक मरीचि को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ अपितु भावी तीर्थंकर वीरप्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ। यह सुनकर मरीचि गर्व से फूल उठता है और अपने कुल की प्रशंसा के पुल बाँधने लगता है।^१

इसके बाद निर्युक्तिकार भगवान् के निर्वाण—मोक्ष का प्रसंग उपस्थित करते हैं। भगवान् विचरते-विचरते अष्टापद पर्वत पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण के बाद उनके लिए चिता बनाई जाती है और बाद में उसी स्थान पर स्तूप और जिनालय भी बनते हैं। इसके बाद अँगूठी के गिरने से भरत को आदर्श गृह अर्थात् शीशमहल में कैसे वैराग्य हुआ और उन्होंने किस प्रकार दीक्षा ग्रहण की आदि बातों का विवरण है।^२ भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के पूर्व मरीचि स्वयं किसी को दीक्षा नहीं देता था अपितु दीक्षार्थियों को अन्य साधुओं को सौंप देता था और अपनी दुर्बलता स्वीकार करता हुआ भगवान् के धर्म का ही प्रचार करता था किन्तु अब यह बात न रही। उसने कपिल को अपने ही हाथों दीक्षा दी और कहा कि मेरे मत में भी धर्म है। इस प्रकार के दुर्बचन के परिणामस्वरूप वह फोट-कोटि सागरोपम तक ससार-सागर में भटका और कुलमद के कारण नीच गोत्र का भी बन्धन किया।^३

महावीर-चरित्र :

अनेक भवों को पार करता हुआ मरीचि अन्त में ब्राह्मणकुण्डग्राम में कोडालसगोत्र ब्राह्मण के घर देवानन्दा की कुक्षि में आया।^४ यहीं से भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र प्रारम्भ होता है। उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित तेरह घटनाओं का निर्देश आवश्यकनिर्युक्ति में मिलता है - स्वप्न, गर्भापहार, अभिग्रह, जन्म, अभिषेक, वृद्धि, जातिस्मरणज्ञान, भयोत्पादन,

१ गा ३५०-४३२ २. गा. ४३३-७. ३. गा ४३८-४४०
४. गा. ४५८.

विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध और महाभिनिष्क्रमण ।^१ देवानन्दा ने गज, वृषभ, सिंह आदि चौदह प्रकार के खान देते । हग्नैगमेपी द्वारा गर्भ परिवर्तन किया गया और नई माता त्रिशला ने भी वे ही चौदह खान देते । गर्भवास के सातवें मास में महावीर ने यह अभिग्रह-प्रतिज्ञा-दृढ निश्चय किया कि मैं माता-पिता के जीवित रहते भ्रमण नहीं नूँगा । नौ मास और सात दिन बीतने पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पूर्वरात्रि के समय कुण्डग्राम में महावीर का जन्म हुआ । देवों द्वारा रत्नवर्षा से जन्माभिषेक किया गया ।^२ महावीर ने माता पिता के स्वर्गगमन के बाद भ्रमणधर्म अंगीकार किया ।^३ इस अवस्था में उन्हें अनेक परीपूह सहन करने पड़े । गोप आदि द्वारा उन्हें अनेक कष्ट दिए गए ।^४ जीवन-यात्रा के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञाएँ कीं १. जिस घर में रहने से गृह स्वामी को अप्रीति हो उस घर में नहीं रहना, २ प्रायः कायोत्सर्ग में रहना, ३ प्रायः मौन रहना, ४. भिक्षा पात्र में न लेकर हाथ में ही लेना, ५ गृहस्थ को चन्दना-नमस्कार नहीं करना ।^५ इन प्रतिज्ञाओं का पूर्णरूप से पालन करते हुए भगवान् महावीर अनेक स्थानों में भ्रमण करते रहे । अन्त में उन्हें जृम्भिकाग्राम के बाहर ऋजुनालुका नदी के किनारे वैयावृत्य चैत्य के पास में श्यामाक गृहपति के क्षेत्र में शाल वृक्ष के नीचे षष्ठतप के दिन उत्कुटुकावस्था में केवलज्ञान की प्राप्ति हुई ।^६

केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान् मध्यमा पापा के महसेन उत्थान में पहुँचे । वहाँ पर द्वितीय समवसरण हुआ और उन्हें धर्मवरचक्रवर्तित्व की प्राप्ति हुई । इसी स्थान पर सोमिलार्य-नामक ब्राह्मण की दीक्षा के अवसर पर (यज्ञ के समय) विशाल जनसमूह एकत्र हुआ था । यज्ञपाट के उत्तर में एकान्त में देव-दानवेन्द्र भगवान् महावीर का महिमा-गान कर रहे थे । दिव्यध्वनि से चारों दिशाएँ गूँज रही थीं । समवसरण की महिमा का पार न था । दिव्यध्वनि सुनकर यज्ञवाटिका में बैठे हुए लोगों को बहुत आनन्द का अनुभव हो रहा था । वे सोच रहे थे कि हमारे यज्ञ से आकर्षित होकर देव दौड़े आ रहे हैं ।^७ इसी यज्ञवाटिका में भगवान् महावीर के भावी गणधर भी आये हुए थे जिनकी संख्या ग्यारह थी । उनके नाम ये हैं १-इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, ५ सुधर्मा, ६ मडिक, ७ मौर्यपुत्र, ८ अकपित, ९ अचलभ्राता, १० मेतार्य, ११ प्रभास ।^८ उनके मन में विविध शंकाएँ थीं जिनका भगवान् महावीर ने

१ गा ४५९ २ ये गाथाएँ मूल नियुक्ति की नहीं हैं । ३ गा. ४६०-१ ४ गा ४६२ ५ गा ४६३-४ ६ गा ५२७ ७, गा ५४०-५९२ ८ गा ५९४-५.

सतोषप्रद समाधान किया। अन्त में उन्होंने भगवान् से दीक्षा ग्रहण की और उनके प्रमुख शिष्य—गणधर हुए। उनके मन में क्रमशः निम्नलिखित शक्यताएँ थीं १. जीव का अस्तित्व, २ कर्म का अस्तित्व, ३ जीव और शरीर का अमेद, ४ भूतों का अस्तित्व, ५ इहभव-परभवसादृश्य, ६ त्रय मोक्ष, ७ देवों का अस्तित्व, ८ नरक का अस्तित्व, ९ पुण्य पाप, १० परलोक की सत्ता, ११ निर्वाणसिद्धि। जब यज्ञवाटिका के लोगों को यह मालूम हुआ कि देवतासमूह हमारे यज्ञ से आकर्षित होकर नहीं आ रहा है अपितु जिनेन्द्र भगवान् महावीर की महिमा से खिंच कर दौड़ा आ रहा है तब अभिमानी इन्द्रभूति अमर्ष के साथ भगवान् के पास पहुँचा। ज्यों ही इन्द्रभूति भगवान् के समीप पहुँचा त्यों ही भगवान् ने उसे नाम लेकर सम्बोधित किया और उसके मन की शक्ता सामने रखी और उसका समाधान किया जिसे सुन कर इन्द्रभूति का सशय दूर हुआ और वह अपने ५०० शिष्यों के साथ भगवान् के पास दीक्षित हो गया। इसी प्रकार अन्य गणधरों ने भी क्रमशः भगवान् से दीक्षा ली।^१ इन गणधरों के जन्म, गोत्र, माता-पिता आदि की ओर भी आचार्य ने संकेत किया है।^२

क्षेत्र कालादि द्वार :

निर्गमद्वार की चर्चा के प्रसंग से भगवान् ऋषभदेव और महावीर के जीवन-चरित्र का संक्षिप्त चित्रण करने के बाद निर्युक्तिकार ने क्षेत्र-काल आदि शेष द्वारों का वर्णन किया है। सामायिक का प्रकाश जिनेन्द्र भगवान् महावीर ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन पूर्वाह्न के समय महसेन उद्यान में किया अतः इस क्षेत्र और काल में सामायिक का साक्षात् निर्गम है। अन्य क्षेत्र और काल में सामायिक का परंपरागत निर्गम है।^३ इसके बाद पुरुष तथा कारणद्वार का वर्णन है। कारणद्वार की चर्चा करते समय ससार और मोक्ष के कारणों की भी चर्चा की गई है। इसके पश्चात् यह बताया गया है कि तीर्थंकर कर्षांकर सामायिक अभ्यसन का उपदेश देते हैं तथा गणधर उस उपदेश को किसलिए सुनते हैं? इससे आगे प्रत्यय अर्थात् श्रद्धाद्वार की चर्चा है। लक्षणद्वार में वस्तु के लक्षण की चर्चा की गई है। नयद्वार में सात मूल नयों के नाम तथा लक्षण दिए गए हैं तथा यह भी बताया गया है कि प्रत्येक नय के सैकड़ों भेद प्रभेद हो सकते हैं।^४ जिनमत में एक भी सत्र अथवा उसका अर्थ ऐसा नहीं है जिसका नयदृष्टि के बिना विचार हो

१ गा ५९७ २ गा ५९९-६४२ ३ गा ६४३-६६० ४ गा ७३५ ५ गा ७३७-७६०

सकता हो। इसलिए नयविगारद का यह कर्तव्य है कि वह श्रोता की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए नय का कथन करे। तथापि इस समय कालिक श्रुत में नयावतारणा (समवतार) नहीं होती है। ऐसा क्यों? इसका समाधान करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि पहले कालिक का अनुयोग अपृथक् या विन्तु आर्य वज्र के बाद कालिक का अनुयोग पृथक् कर दिया गया।^१ इस प्रसंग को लेकर आचार्य ने आर्य वज्र के जीवन चरित्र की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है और अन्त में कहा है कि आर्य रक्षित ने चार अनुयोग पृथक् किये।^२ इसके बाद आर्य रक्षित का जीवन-चरित्र भी संक्षेप में दे दिया गया है।^३ आर्य रक्षित का मातुल गोष्ठा माहिल सप्तम निहव हुआ। भगवान् महावीर के शासन में उस समय तरु छ निहव और हो चुके थे। सातों निहवों के नाम इस प्रकार हैं १ जमालि, २ तिष्यगुत, ३ आपाद, ४ अश्वमित्र, ५ गगणरि, ६ षडुलक, ७ गोष्ठा-माहिल। इनके मत क्रमशः ये हैं १ बहुरत, २ जीवप्रदेश, ३ अव्यक्त, ४ समुच्छेद, ५ द्विक्रिया, ६ त्रिराशि, ७ अवद्द।^४

इसके बाद आचार्य अनुमतद्वार का व्याख्यान करते हैं और फिर सामायिक के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नयदृष्टि से सामायिक की चर्चा करने के बाद उसके तीन भेद करते हैं सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्र।^५ समय, नियम और तप में जिसकी आत्मा रमण करती है वही सामायिक का सच्चा अधिकारी है। जिसके चित्त में प्राणिमात्र के प्रति समभाव है वही सामायिक में स्थित है।^६ इसी प्रकार शेष द्वारों की भी निर्युक्तिकार ने संक्षेप में व्याख्या की है।^७ इन द्वारों की व्याख्या के साथ उपोद्घातनिर्युक्ति समाप्त हो जाती है।

उपोद्घात का यह विस्तार केवल आवश्यकनिर्युक्ति के लिए ही उपयोगी नहीं है। इसकी उपयोगिता वास्तव में सभी निर्युक्तियों के लिए है। इसमें वर्णित भगवान् ऋषभदेव और महावीर के जीवन चरित्र एव तत्संबद्ध अन्य तथ्य प्राचीन जैन इतिहास एव संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। जैन आचार और विचार की रूपरेखा समझने के लिए यह २५ बहुत उपयोगी है। इसके बाद आचार्य नमस्कार का व्याख्यान करते हैं।

नमस्कार *

सामायिकनिर्युक्ति की सूत्रस्पर्शा व्याख्या का प्रारंभ यहीं से होता है। इसके पूर्व सामायिकसम्बन्धी अन्य ज्ञातव्य बातों का विवरण दिया गया है। सामायिक

१ गा ७६४ २ गा ७७५ ३ गा ७७६-७. ४. गा ७७९-७८१

५ गा ७९०-७ ६ गा ७९८-९ ७ गा ८००-८८०

सूत्र के प्रारंभ में नमस्कार मंत्र आता है अथ नमस्कार की निर्युक्ति के रूप में आचार्य उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्यारह द्वारों से नमस्कार की चर्चा करते हैं।^१ उत्पत्ति आदि द्वारों का उनके भेद प्रभेदों के साथ अति विस्तृत विवेचन किया गया है। यहाँ उसके कुछ महत्त्वपूर्ण अंशों का परिचय दिया जाता है।

जहाँ तक नमस्कार की उत्पत्ति का प्रश्न है, वह उत्पन्न भी है और अनुत्पन्न भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। नषट्छि से विचार करने पर स्याद्वादियों के मत में इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है।^२ नमस्कार में चार प्रकार के निक्षेप हैं • नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। पद के पाँच प्रकार हैं नामिक, नैपातिक, औपसर्गिक, आख्यातक और मिश्र। 'नमस्' पद नैपातिक है क्योंकि यह निपातसिद्ध है। 'नमस्' पद का अर्थ द्रव्यसकोच और भावसकोच है।^३ प्ररूपणा के दो, चार, पाँच, छ. और नौ भेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए छ. भेद इस प्रकार हैं • १. नमस्कार क्या है, २ किससे सम्बन्ध रखना है, ३ किस कारण से प्राप्त होता है, ४ कहाँ रहता है, ५ कितने समय तक रहता है, ६ कितने प्रकार का होता है।^४ नौ भेद ये हैं • १ सत्यप्ररूपणता, २ द्रव्य-प्रमाण, ३ क्षेत्र, ४ स्पर्शना, ५ काल, ६ अन्नर, ७ भाग, ८ भाव, ९ अलम्बनरूपता।^५ अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु—ये पाँचों नमस्कारयोग्य हैं अतः वस्तुद्वार के अन्तर्गत हैं। इस द्वार की चर्चा के प्रसंग से निर्युक्तिकार ने अरिहत आदि पाँच परमेष्ठियों का बहुत विस्तारपूर्वक गुणगान किया है और यह बताया है कि अरिहत आदि को नमस्कार करने से जीव सहस्र भयों से छुटकारा पाता है तथा उसे भावपूर्वक किया करते हुए बोध—सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी है। अरिहत आदि के नमस्कार से सब पापों का नाश होता है। यह नमस्कार सब मगलों में प्रथम मगल है। 'अरिहत' (अर्हत्) शब्द की निरुक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि इन्द्रिय, विषय, कर्माय, परीपह, वेदना, उपसर्ग आदि जितने भी आंतरिक अरि अर्थात् शत्रु हैं उनका हनन करनेवाले अरिहत कहलाते हैं अथवा अष्ट प्रकार के कर्मरूपी अरियों का नाश करनेवालों को अरिहत कहते हैं अथवा जो वन्दना, नमस्कार, पूजा, सत्कार और सिद्धि के अर्ह अर्थात् योग्य हैं उन्हें अर्हन्त कहते हैं अथवा जो देव, असुर और मनुष्यों से अर्ह अर्थात् पूज्य हैं वे अर्हन्त हैं।^६ 'सिद्ध' शब्द की निक्षेपपद्धति से व्याख्या करते हुए

१ गा ८८१ २ गा० ८८२ ३ गा० ८८४ ४ गा० ८८५
५ गा० ८८९ ६ गा० ९१३-६

आचार्य कहते हैं कि जो कर्म, शिल्प, विद्या, मन्त्र, योग, आगम, अर्थ, यात्रा, अभिप्राय, तप और कर्मक्षय—इनमें सिद्ध अर्थात् सुपरिनिष्ठित एव पूर्ण है वह सिद्ध है।^१ अभिप्राय अर्थात् बुद्धि की व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार ने चार प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है • १ औत्पातिकी, २. वैनयिकी, ३ कर्मजा, ४. पारिणामिकी।^२ इन चारों प्रकार की बुद्धियों का सदृष्टान्त विवेचन किया गया है। कर्मक्षय की प्रक्रिया का व्याख्यान करते समय समुद्रात का स्वरूप बताया गया है।^३ इसके बाद अलाबु, एरण्डफल, अग्निशिला और बाण के दृष्टान्त द्वारा सिद्ध आत्माओं की गति का स्वरूप समझाया गया है।^४ फिर सिद्धस्थान, सिद्धशिलाप्रमाण, सिद्धशिलास्वरूप, सिद्धावगाहना, सिद्धस्पर्शना, सिद्धलक्षण, सिद्धसुख आदि सिद्धसम्बन्धी अन्य बातों पर प्रकाश डालते हुए यही निष्कर्ष निकाला गया है कि सिद्ध अशरीरी होते हैं, हमेशा दर्शन और ज्ञान में उपयुक्त होते हैं, केवलज्ञान में उपयुक्त होकर सर्वद्रव्य और समस्त पर्यायों को विशेषरूप से जानते हैं, केवलदर्शन में उपयुक्त होकर सर्वद्रव्य और समस्त पर्यायों को सामान्यरूप से देखते हैं, उन्हें ज्ञान और दर्शन इन दोनों में से एक समय में एक ही उपयोग होता है क्योंकि युगपत् दो उपयोग नहीं हो सकते।^५ 'आचार्य' शब्द की निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि आचार्य के चार प्रकार हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य—इन पाँच प्रकार के आचारों का स्वयं आचरण करता है, दूसरों के सामने उनका प्रभाषण और प्ररूपण करता है तथा दूसरों को अपनी क्रिया द्वारा आचार का ज्ञान कराता है वही भावाचार्य है।^६ उपाध्याय भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते हैं। जो द्वादशांग का स्वयं अध्ययन करता है तथा दूसरों को वाचनारूप से उपदेश देता है उसे उपाध्याय कहते हैं।^७ 'उपाध्याय' पद की दूसरी निर्युक्ति इस प्रकार है उपाध्याय के लिए 'उज्झा' शब्द है। 'उ' का अर्थ है उपयोगकरण और 'ज्झा' का अर्थ है ध्यानकरण। इस प्रकार 'उज्झा' का अर्थ है उपयोगपूर्वक ध्यान करनेवाला। उपाध्याय के लिए एक और शब्द है 'उपाज्झाउ'। 'उ' का अर्थ है उपयोगकरण, 'पा' का अर्थ है पाप का परिवर्जन, 'ज्ञा' का अर्थ है ध्यानकरण और 'उ' का अर्थ है उत्तारणाकर्म। इस प्रकार 'उपाज्झाउ' का अर्थ है उपयोगपूर्वक पाप का परिवर्जन करते हुए ध्याना-

१ गा० ९२१ २ गा० ९३२ ३ गा० ९४८-९५० ४ गा० ९५१.

५ गा० ९५२-९८२ ६ गा० ९८७-८ ७. गा० ९९५

रोहण से कर्मों का उत्तारण—अपनयन करने वात्र ।' साधु भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते हैं । जो निर्गम साधक व्यापार की साधना करता है उसे साधु कहते हैं अथवा जो सर्वभूतों में समभाव रगता है वह साधु है ।^१ अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु—इन पाँचों का नमस्कार करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है । यह पंच नमस्कार सगुणों में प्रथम अर्थात् सर्वश्रेष्ठ मंगल है ।^२ यहाँ तक वस्तुद्वार का अधिकार है । आशेषद्वार में यह बताया गया है कि नमस्कार या तो सश्रेय में करना चाहिए या विस्तार से । सश्रेय में सिद्ध और साधु—इन दो को ही नमस्कार करना चाहिए । विस्तार से नमस्कार करने की अवस्था में ऋषिमादि अनेक नाम लिये जा सकते हैं । अतः पंचविन नमस्कार उच्युक्त नहीं है ।^३ इस आशेष का प्रसिद्धिद्वार में निराकरण किया गया है । उसमें यह सिद्ध किया गया है कि पंचविन नमस्कार सहेतुक है अतः उपयुक्त है, अनुपयुक्त नहीं ।^४ इसके बाद क्रमद्वार है । इसमें जिस क्रम से नमस्कार किया गया है उसे युक्तियुक्त बताया गया है । पहले सिद्धों को नमस्कार न करके अरिहतों को नमस्कार इसलिए किया गया है कि अरिहतों के उपदेश से ही सिद्ध जाने जाते हैं अतः अरिहतों का विगेष माहात्म्य है ।^५ प्रयोजनद्वार में नमस्कार का उद्देश्य कर्मक्षय और मगन्नागम बताया गया है । फलद्वार की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि नमस्कार का फल दो प्रकार का है ऐह लौकिक और पारलौकिक । अर्थ, काम, आरोग्य, अभिरति आदि ऐहलौकिक फल के अन्तर्गत हैं । पारलौकिक फल में सिद्धे, स्वर्ग, सुकृत्प्राप्ति आदि का समावेश होता है ।^६ यहाँ तक नमस्कारविषयक विवेचन है ।

पंचनमस्कार के बाद सामायिकवन ग्रहण किया जाता है क्योंकि पंचनमस्कार सामायिक का ही एक अंग है । सामायिक किम प्रकार करना चाहिए, इसका कारण, मय, अन्न अथवा भदन्त, सामायिक, सर्व, अवयव, योग, प्रत्याख्यान, यावज्जीवन और त्रिविध पदों की व्याख्या के साथ विवेचन किया गया है ।^७ सामायिक का लाभ कैसा होता है ? इसका उत्तर देते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि सामायिक के सर्वघाती और देशघाती कर्मस्पृहकों में से देशघाती स्पृहकों की विशुद्ध की अनन्तगुणवृद्धि होने पर आत्मा को सामायिक का लाभ होता है ।^८

१ गा ९९७ २ गा १००२-४ ३ गा १०१२ ४ गा १०१३
 ५ गा १०१४ ६ गा १०१६ ७ गा १०१७-८ ८ गा १०२३-
 १०३४ ९ गा १०३५

‘साम’, ‘सम’ और ‘सम्यक्’ के आगे ‘इक’ पद जोड़ने से जो पद बनते हैं वे सभी सामायिक के एकार्थक पद हैं। उनका नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपों से विचार हो सकता है।^१ सामायिक के और भी एकार्थक पद ये हैं समता, सम्यक्त्व, प्रशस्त, शान्ति, शिव, हित, शुभ, अनिल्य, अगर्हित, अनवय।^२ हे भगवन् ! मैं सामायिक करता हूँ—करैमि भते। सामाइय—यहाँ पर कौन कारक है, क्या करण है और क्या कर्म है ? कारण और करण में भेद है या अभेद ? आत्मा ही कारक है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है। आत्मा का परिणाम ही सामायिक है अतः आत्मा ही कर्ता, कर्म और करण है।^३ सक्षेप म सामायिक का अर्थ है तीन करण और तीन योग से सावद्य क्रिया का त्याग।^४ तीन करण अर्थात् करना, कराना और करते हुए का अनुमोदन करना, तीन योग अर्थात् मन, वचन और काया, इनसे होनेवाली सावद्य अर्थात् पापकारिणी क्रिया का जीवनपर्यन्त त्याग, यही सामायिक का उद्देश्य है।

चतुर्विंशतिस्तव

आवश्यक सूत्र का दूसरा अध्ययन चतुर्विंशतिस्तव है। ‘चतुर्विंशति’ शब्द का छ प्रकार का और ‘स्तव’ शब्द का चार प्रकार का निक्षेप-न्यास है। चतुर्विंशति निक्षेप के छ प्रकार ये हैं - नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्तव-निक्षेप के चार प्रकार ये हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। पुष्प आदि सामग्री से पूजा करना द्रव्यस्तव है। सद्गुणों का उत्कीर्तन भावस्तव है। द्रव्यस्तव और भावस्तव में भावस्तव ही अधिक गुण वाला है क्योंकि जिन वचन में पट्जीव की रक्षा का प्रतिपादन किया गया है। जो लोग यह सोचते हैं कि द्रव्यस्तव बहु-गुण वाला है वे अनिपुणमति वाले हैं। द्रव्यस्तव में पट्जीव की रक्षा का विरोध आता है अतः सयमविद् साधु द्रव्यस्तव की इच्छा नहीं रखते हैं।

चतुर्विंशतिस्तव के लिए आवश्यक सूत्र में ‘लोगस्सुज्जोगरे’ का पाठ है। इसकी निर्युक्ति करते हुए आचार्य भद्रबाहु कहते हैं कि ‘लोक’ (लोग) शब्द का निम्नोक्त आठ प्रकार के निक्षेप से विचार हो सकता है - नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव और पर्याय।^५ आलोक्यते इति ‘आलोक’, प्रलोक्यते इति ‘प्रलोक’, लोक्यते इति ‘लोक’, सलोक्यते इति ‘सलोक’—ये सभी

१ गा. १०३७ २ गा १०४० ३ गा १०४१-२ ४ गा १०५९
५ गा १०६४

शब्द एकार्थक हैं। 'उत्प्रेत' (उज्योय) दो प्रकार का है द्रव्योत्प्रेत और भावोत्प्रेत। अग्नि, चद्र, सूर्य, मणि, त्रिभुतादि द्रव्योत्प्रेत हैं। जान भावोत्प्रेत है। चौगीस जिनवरों को जो लोक के उत्प्रेतकर कहा जाता है वह भावोत्प्रेत की अपेक्षा से है, न कि द्रव्योत्प्रेत की अपेक्षा से। 'धर्म' भी दो प्रकार का है। द्रव्यधर्म और भावधर्म। भावधर्म के पुन दो भेद हैं श्रुतधर्म और चरणधर्म। श्रुत का स्वाध्याय श्रुतधर्म है। चारित्ररूप धर्म चरणधर्म है। इसे श्रमणधर्म कहते हैं। यह क्षान्त्यादिरूप दस प्रकार का है। 'तीर्थ' के मुख्यरूप से चार निक्षेप हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इनमें से प्रत्येक के पुन अनेक प्रकार हो सकते हैं। जहाँ अनेक भवों से सचित अष्टविध कर्मरज तप और सयम से घोया जाता है वह भावतीर्थ है। जिनवर अर्थात् तीर्थकर इसी प्रकार के धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं। इसीलिए उन्हें 'धर्मतीर्थकर' (धम्मतिथयर) कहते हैं। उन्हें 'जिन' इसलिए कहते हैं कि उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषों को जंत लिया है। कर्मरजरूपी अरि का नाश करने के कारण उन्हें 'अरिहत' भी कहते हैं। इसके बाद निर्युक्तिकर चौगीस तीर्थकरों के नामों की निक्षेपपद्धति से व्याख्या करते हैं। फिर उनकी विशेषताओं—गुणों पर प्रकाश डालते हैं। इसके साथ 'चतुर्विंशतिस्तव' नामक द्वितीय अध्ययन की निर्युक्ति समाप्त हो जाती है।

वन्दना :

तृतीय अध्ययन का नाम वन्दना है। इस अध्ययन की निर्युक्ति करते हुए आचार्य सर्वप्रथम यह बताते हैं कि वन्दनाकर्म, चित्तिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म—ये पाँच सामान्यतया वन्दना के पर्याय हैं। वन्दना का नौ द्वारों से विचार किया गया है १ वन्दना किसे करनी चाहिए, २ किसके द्वारा होनी चाहिए, ३ कब होनी चाहिए, ४ कितनी बार होनी चाहिए, ५ वन्दना करते समय कितनी बार झुकना चाहिए, ६ कितनी बार सिर झुकाना चाहिए, ७ कितने आवश्यकों से शुद्ध होना चाहिए, ८ कितने दोषों से मुक्त होना चाहिए, ९ वन्दना किसलिए करनी चाहिए। इन द्वारों का निर्देश करने के बाद

- १ गा १०६५ २ गा १०६६ ३ गा १०६८ ४ गा १०७०-१.
 ५ गा १०७२ ६ गा १०७५ ७ गा १०८३. ८ गा १०८७-
 ११०९ ९ गा १११०-१

'साम', 'सम' और 'सम्यक्' के आगे 'इक' पद जोड़ने से जो पद बनते हैं वे सभी सामायिक के एकार्थक पद हैं। उनका नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपों से विचार हो सकता है। सामायिक के और भी एकार्थक पद ये हैं समता, सम्यक्त्व, प्रशस्त, शान्ति, शिव, हित, शुभ, अनिन्य, अगर्हित, अनव्य।^१ हे भगवन्। मैं सामायिक करता हूँ—करेमि भते। सामाह्य—यहाँ पर कौन कारक है, क्या करण है और क्या कर्म है? कारण और करण में भेद है या अभेद? आत्मा ही कारक है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है। आत्मा का परिणाम ही सामायिक है अतः आत्मा ही कर्ता, कर्म और करण है।^२ संक्षेप में सामायिक का अर्थ है तीन करण और तीन योग से सावद्य क्रिया का त्याग।^३ तीन करण अर्थात् करना, कराना और करते हुए का अनुमोदन करना, तीन योग अर्थात् मन, वचन और काया, इनसे होनेवाली सावद्य अर्थात् पापकारिणी क्रिया का जीवनपर्यन्त त्याग, यही सामायिक का उद्देश्य है।

चतुर्विंशतिस्तव

आवश्यक सूत्र का दूसरा अध्ययन चतुर्विंशतिस्तव है। 'चतुर्विंशति' शब्द का छ प्रकार का और 'स्तव' शब्द का चार प्रकार का निक्षेप-न्यास है। चतुर्विंशति निक्षेप के छ प्रकार ये हैं नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्तव-निक्षेप के चार प्रकार ये हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। पुष्प आदि सामग्री से पूजा करना द्रव्यस्तव है। सद्गुणों का उत्कीर्तन भावस्तव है। द्रव्यस्तव और भावस्तव में भावस्तव ही अधिक गुण वाला है क्योंकि जिन वचन में पङ्जीव की रक्षा का प्रतिपादन किया गया है। जो लोग यह सोचते हैं कि द्रव्यस्तव बहु-गुण वाला है वे अनिपुणमति वाले हैं। द्रव्यस्तव में पङ्जीव की रक्षा का विरोध आता है अतः समयविद् साधु द्रव्यस्तव की इच्छा नहीं रखते हैं।

चतुर्विंशतिस्तव के लिए आवश्यक सूत्र में 'लोगस्सुज्जोगरे' का पाठ है। इसकी निर्युक्ति करते हुए आचार्य भद्रबाहु कहते हैं कि 'लोक' (लोग) शब्द का निम्नोक्त आठ प्रकार के निक्षेप से विचार हो सकता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव और पर्याय।^१ आलोक्यते इति 'आलोक', प्रलोक्यते इति 'प्रलोक', लोक्यते इति 'लोक', सलोक्यते इति 'सलोक'—ये सभी

१ गा १०३७ २ गा १०४० ३ गा १०४१-२ ४ गा १०५९.
५ गा १०६४

शब्द एकार्थक हैं।^१ 'उज्योत' (उज्योय) दो प्रकार का है द्रव्योज्योत और भावोज्योत। अग्नि, चंद्र, सूर्य, मणि, त्रिपुतादि द्रव्योज्योत हैं। ज्ञान भावोज्योत है।^२ चौथीस जिनवरों को जो लोक के उज्यातकर कहा जाता है वह भावोज्योत की अपेक्षा से है, न कि द्रव्योज्योत की अपेक्षा से।^३ 'धर्म' भी दो प्रकार का है द्रव्यधर्म और भावधर्म। भावधर्म के पुन दो भेद हैं श्रुतधर्म और चरणधर्म। श्रुत का स्वाध्याय श्रुतधर्म है। चारित्ररूप धर्म चरणधर्म है। इसे श्रमणधर्म कहते हैं। यह क्षान्त्यादिरूप दस प्रकार का है।^४ 'तीर्थ' के मुख्यरूप में चार निक्षेप हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इनमें से प्रत्येक के पुन अनेक प्रकार हो सकते हैं।^५ जहाँ अनेक भगों से संचित अष्टत्रिंश कर्मरज तप और समय से घोया जाता है वह भावतीर्थ है।^६ जिनपर अर्थात् तीर्थपर इसी प्रकार के धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं। इसीलिए उन्हें 'धर्मतीर्थकर' (धर्मतित्थयर) कहते हैं। उन्हें 'जिन' इसलिए कहते हैं कि उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषों को जंत लिया है। कर्मरजरूपी अरि का नाश करने के कारण उन्हें 'अरिहत' भी कहते हैं।^७ इसके बाद निर्युक्तिकर चौथीस तीर्थकरों के नामों की निक्षेपपद्धति से व्याख्या करते हैं। फिर उनकी विशेषताओं—गुणों पर प्रकाश डालते हैं।^८ इसके साथ 'चतुर्विंशतिस्तव' नामक द्वितीय अध्ययन की निर्युक्ति समाप्त हो जाती है।

वन्दना :

तृतीय अध्ययन का नाम वन्दना है। इस अध्ययन की निर्युक्ति करते हुए आचार्य सर्वप्रथम यह बताते हैं कि वन्दनाकर्म, चित्तिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म—ये पाँच सामान्यतया वन्दना के पर्याय हैं। वन्दना का नौ द्वारों से विचार किया गया है : १ वन्दना कितने करनी चाहिए, २ किसके द्वारा होनी चाहिए, ३ कब होनी चाहिए, ४ कितनी बार होनी चाहिए, ५ वन्दना करते समय कितनी बार झुकना चाहिए, ६ कितनी बार सिर झुकाना चाहिए, ७ कितने आवश्यकों से शुद्ध होना चाहिए, ८ कितने दोषों से मुक्त होना चाहिए, ९ वन्दना किसलिए करनी चाहिए।^१ इन द्वारों का निर्देश करने के बाद

१ गा १०६५ २ गा १०६६-७ ३ गा १०६८ ४ गा १०७०-१.
 ५ गा १०७२ ६ गा १०७५ ७ गा १०८३ ८
 ११०९ ९ गा १११०-१

वन्द्यावन्द्य का बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया है। श्रमणों को चाहिए कि वे असयती माता, गिता, गुरु, सेनापति, प्रगासक, राजा, देव-देवी आदि को वन्दना न करें। जो सयती है, मेधावी है, सुममाहिन है, पचसमिति और त्रिगुप्ति से युक्त है उसी श्रमण को वन्दना करें।^१ पार्श्वस्थ आदि सयमभ्रष्ट सन्यासियों को वन्दना करने से न तो कीर्ति मिलती है, न निर्जरा ही होती है। इस प्रकार की वन्दना कायकेश मात्र है जो केवल कर्मग्रह का कारण है।^२ इसके बाद ससर्ग से उत्पन्न होने वाले गुण-दोषों का वर्णन करते हुए आचार्य ने समुद्र के दृष्टान्त से यह समझाया है कि जिस प्रकार नदियों का मोटा पानी समुद्र के लवणजल में गिरते ही पारा हो जाता है उसी प्रकार शीलवान् पुरुष शीलभ्रष्ट पुरुषों की सगति से शीलभ्रष्ट हो जाते हैं।^३ केवल बाह्य लिंग से प्रभावित न होकर पर्याय, पर्यद्, पुरुष, क्षेत्र, काल, आगम आदि बातें जान कर जिस समय जैसा उचित प्रतीत हो उस समय वैसा करना चाहिए।^४ जिनप्रणीत लिंग को वन्दना करने से विपुल निर्जरा होती है, चाहे वह पुरुष गुणहीन ही क्यों न हो, क्योंकि वन्दना करनेवाला अध्यात्मशुद्धि के लिए ही वन्दना करता है।^५ अन्यलिंगी को जान बूझकर नमस्कार करने से दोष लगता है क्योंकि वह निषिद्ध लिंग को धारण करता है। सक्षेप में जो द्रव्य और भाव से सुश्रमण है वही वन्द्य है।^६ ज्ञान, दर्शन और चारित्र के विविध भगों का विचार करने के बाद आचार्य इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र— इन तीनों का सम्यक् योग होने पर ही सम्पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः जो हमेशा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय आदि में लगे रहने हैं वे ही वदनीय हैं और उन्हीं से जिनप्रवचन का यश फैलता है।^७

वदना करनेवाला पचमहात्रयी आलस्यरहित, मानपरिवर्जितमति, सविग्न और निर्जगर्थी होता है।^८ जो आलसी, अभिमानी और पाप से भय न रखने वाला होता है उसमें वदना करने की योग्यता कैसे आ सकती है ?

जो धर्मकथा आदि से पराङ्मुख है अथवा प्रमत्त है उसे कभी भी वदना न करे। जिस समय कोई आहार अथवा नीहार कर रहा हो उस समय उसे वन्दना न करे। जिस समय वह प्रशान्त, आसनस्थ और उपशान्त हो उसी समय उसके पास जाकर वदना करे।^९

१ गा १११३-४ २ गा १११६ ३ गा ११२७-८ ४ गा ११३६
५ गा ११३९ ६ गा ११४१-७ ७ गा ११६७-१२००
८ गा १२०४ ९ गा १२०५-६

वन्दना किन्ती बार करना चाहिए ? इसका उत्तर देने हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि प्रतिक्रमण, स्नाध्याय, कायोत्सर्ग, अराध आदि आठ अगस्त्याओं में वन्दना करना चाहिए ।^१

वन्दना करते समय दो बार झुकना चाहिए, बारह आर्त लेने चाहिए (१ अहो, २ काय, ३ काय, ४. जना भे, ५ जगणि, ६ ज्ञ च भे । यह एक बार हुआ । इसी प्रकार दूसरी बार भी बोलना चाहिए) तथा चार बार सिर झुकाना चाहिए ।^२

जो पचीस प्रकार के आवश्यकों से परिशुद्ध होकर गुह को नमस्कार करता है वह शीघ्र ही या तो निर्वाण प्राप्त करता है या देवपद पर पहुँचता है ।^३

किन्ने दोषों से मुक्त होकर वदना करनी चाहिए ? इसके उत्तर में निर्युक्तिकार ने बत्तीस दोष गिनाये हैं जिनसे शुद्ध होकर ही वदना करनी चाहिए ।^४

वदना किसलिए करनी चाहिए ? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि वदना करने का मुख्य प्रयोजन विनय प्राप्ति है क्योंकि विनय ही शासन का मूल है, विनीत ही सयती होता है, विनय से दूर रहने वाला न तो धर्म कर सकता है, न तप ।^५

वन्दना की आवश्यकता और विधि की इतनी लम्बी भूमिका बाधने के बाद आचार्य 'वन्दना' के मूल पाठ 'इच्छामि खमासमणो' की सूत्रस्पर्शा व्याख्या प्रारंभ करते हैं । इसके लिए १ इच्छा, २ अनुज्ञापना, ३ अव्यावाध, ४ यात्रा, ५ यापना और ६ अपराधक्षमणा—इन छ स्थानों की निर्युक्ति करते हैं ।^६ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि निक्षेपों से इनका सक्षित विवेचन करके वदनाध्ययन की निर्युक्ति समाप्त करते हैं । इसके बाद 'प्रतिक्रमण' नामक चतुर्थ अध्ययन शुरू होता है ।

प्रतिक्रमण

प्रतिक्रमण का तीन दृष्टियों से विचार किया जाता है १ प्रतिक्रमणरूप क्रिया, २ प्रतिक्रमण का कर्ता अर्थात् प्रतिक्रामक और ३ प्रतिक्रमण्य अर्थात् प्रतिक्रमितव्य अशुभघोररूप कर्म ।^७ जीव पापकर्मयोगों का प्रतिक्रामक है ।

१ गा १२०७ २ गा १२०९ ३ गा १२११ ४ गा १२१२-६
५ गा १२२०-१. ६ गा १२२३ ७ स्वस्थानात्पत्वरस्थान प्रसादस्य
वशाद् गत । तत्रैव क्रमण भूय प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ ८ गा १२३६

इसलिए जो ध्यानप्रशस्त योग हैं उनका साधु को प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए।^१ प्रतिक्रमण के निम्नोक्त पर्याय हैं - प्रतिक्रमण, प्रतिचरणा, परिहरणा, वारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि।^२ इन पर्यायों का अर्थ ठीक तरह समझ में आ जाए, इसके लिए निर्युक्तिकार ने प्रत्येक शब्द के लिए अलग-अलग दृष्टान्त दिए हैं। इसके बाद शुद्धि की विधि बताते हुए दिशा आदि की ओर संकेत किया है।^३

प्रतिक्रमण दैविक, रात्रिक, इत्वरिक, यावत्कथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमार्थक आदि अनेक प्रकार का होता है। पंचमहाव्रत, रात्रिभुक्तिविरति, चतुर्याम, भक्तपरिजा आदि यावत्कथिक अर्थात् जीवनभर के लिए हैं। उच्चार, मूत्र, कफ, नसिकामल, आभोग, अनाभोग, सहसाकार आदि क्रियाओं के उपरान्त प्रतिक्रमण आवश्यक है।^४

प्रतिक्रमण पांच प्रकार का है मिथ्यात्वप्रतिक्रमण, असयमप्रतिक्रमण, कपायप्रतिक्रमण, अप्रशस्तयोगप्रतिक्रमण तथा ससारप्रतिक्रमण। ससारप्रतिक्रमण के चार दुर्गतियों के अनुसार चार प्रकार है। भावप्रतिक्रमण का अर्थ है तीन करण और तीन योग से मिथ्यात्वादि का सेवन छोड़ना।^५ इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने आगे की कुछ गाथाओं में नागदत्त का उदाहरण भी दिया है। इसके बाद यह बताया है कि प्रतिषिद्ध विषयों का आचरण करने, विहित विषयों का आचरण न करने, निनोक्त वचनों में श्रद्धा न रखने तथा विपरीत प्ररूपणा करने पर प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए।^६ इसके बाद आलोचना आदि बत्तीस योगों का संग्रह किया गया है। उनके नाम ये हैं -^७

१ आलोचना, २ निरपलाप, ३ आपत्ति में दृढधर्मता, ४ अनिश्रितोपधान, ५ शिक्षा, ६ निष्प्रतिकर्मता, ७ अज्ञातता, ८ अलोभता, ९ तितिक्षा, १० आर्जव, ११ शुचि, १२ सम्यग्दृष्टित्व, १३ समाधि, १४ आचारोपगत्व, १५ विनयोपगत्व, १६ धृतिमति, १७ सवेग, १८ प्रणिवि, १९ सुविधि, २० सवर, २१ आत्मदोषोपसंहार, २२ सर्वकामविरक्तता, २३ मूलगुणप्रत्याख्यान, २४ उत्तरगुणप्रत्याख्यान, २५ व्युत्सर्ग, २६ अप्रमाद, २७ लजालव, २८ ध्यान, २९ मरणाभीति, ३० सगपरिज्ञा, ३१ प्रायश्चित्तमरण, ३२ मरणान्तराधना। इन योगों का अर्थ ठीक तरह से समझाने के लिए

१ गा १२३७ २ गा १२३८ ३ गा १२३९-१२४३ ४ गा १२४४-६ ५ गा १२४७-८ ६ गा १२६८ ७ गा १२६९-१२७३.

विविध व्यक्तियों के उदाहरण भी दिए गए हैं।^१ इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं . महागिरि, स्थूलभद्र, धर्मघोष, सुरेन्द्रदत्त, वारत्कर, धन्वन्तरी वैत्र, करकण्डु, आर्य पुष्पभूति । तदनन्तर अस्वाध्यायिक की निर्युक्ति की गई है । अस्वाध्याय दो प्रकार का है . आत्मसमुत्थ और परसमुत्थ । परसमुत्थ के पुनः पाँच प्रकार हैं समयघातक, औत्पातिक, सदिव्य, व्युद्ग्राहक और शारीर ।^२ इन पाँचों प्रकारों को उदाहरणपूर्वक समझाया गया है । साथ में बहुत विस्तार में यह भी बताया गया है कि किस काल और किस देश (स्थान) में श्रमण को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय के लिए कौनसा देश और कौनसा काल उपयुक्त है, गुह आदि के समक्ष किस प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए, आदि ।^३ आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय एक प्रकार का भी होता है और दो प्रकार का भी । श्रमणों के लिए एक प्रकार का है जो केवल व्रणदशा में होता है । श्रमणियों के लिए व्रण तथा ऋतुकाल में होने के कारण दो प्रकार का है ।^४ तत्पश्चात् अस्वाध्याय से होने वाले परिणाम की चर्चा की गई है । इस चर्चा के साथ अस्वाध्यायिक की निर्युक्ति समाप्त होती है और साथ ही साथ चतुर्थ अध्ययन—प्रतिक्रमणाध्ययन की निर्युक्ति भी पूर्ण होती है ।

कायोत्सर्ग :

प्रतिक्रमण के बाद कायोत्सर्ग है । यह आवश्यक सूत्र का पाचवाँ अध्ययन है । कायो सर्ग की निर्युक्ति करने के पूर्व आचार्य प्रायश्चित्त के भेद बताते हैं । प्रायश्चित्त दस प्रकार का है १ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ मिश्र, ४ त्रिवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७ छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थाप्य और १० पाराचिक ।^५ कायोत्सर्ग और व्युत्सर्ग एकार्थवाची हैं । यहाँ कायोत्सर्ग का अर्थ है व्रणचिकित्सा । व्रण दो प्रकार का होता है . तदुद्भव अर्थात् कायोत्थ और आगन्तुक अर्थात् परोत्थ । इनमें से आगन्तुक व्रण का शल्योद्धारण किया जाता है, न कि तदुद्भव का ।^६ शल्योद्धारण की विधि शल्य की प्रकृति के अनुरूप होनी है । जैसा व्रण होता है वैसी ही उसकी चिकित्सा होती है । यह बाह्य व्रण की चिकित्सा की बात हुई । आन्तरिक व्रण की चिकित्सा की भी अलग-अलग विधियाँ हैं । भिक्षाचर्या से उत्पन्न व्रण आलोचना से ठीक हो जाता है । तत्रों के अतिचारों की शुद्ध प्रतिक्रमण से होती है । किसी अतिचार

१ गा १२७४-१३१४.

२ गा १३१६-७

३ गा १३१८-१३९७.

४ गा १३९८.

५ गा १४१३

६ गा १४१४

की शुद्धि कायोत्सर्ग अर्थात् व्युत्सर्ग से होती है। कोई कोई अतिचार तपस्या से शुद्ध होते हैं।^१ इस प्रकार आभ्यन्तर व्रण की चिकित्सा के भी अनेक उपाय हैं।

‘कायोत्सर्ग’ शब्द की व्याख्या करने के लिए निर्युक्तिकार निम्नलिखित ग्यारह द्वारों का आधार लेते हैं : १ निक्षेप, २ एकार्थकशब्द, ३ विधान मार्गणा, ४ कालप्रमाण, ५ भेदपरिमाण, ६ अशठ, ७ शठ, ८ विधि, ९ दोष, १० अधिकारी और ११ फल।^२

‘कायोत्सर्ग’ में दो पद है काय और उत्सर्ग। काय का निक्षेप बारह प्रकार का है और उत्सर्ग का छ प्रकार का। कायनिक्षेप के बारह प्रकार ये हैं . १ नाम, २ स्थापना, ३ शरीर, ४ गति, ५ निकाय, ६ अस्तिकाय, ७ द्रव्य, ८ मातृका, ९ समूह, १० पर्याय, ११ भार और १२ भाव।^३ इनमें से प्रत्येक के अनेक भेद-प्रभेद होते हैं।

काय के एकार्थक शब्द ये हैं काय, शरीर, देह, बोन्दि, चय, उपचय, सघात, उच्छ्रय, समुच्छ्रय, कलेवर, भज्जा, तनु, प्राणु।^४

उत्सर्ग का निक्षेप छ प्रकार का है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।^५ उत्सर्ग के एकार्थवाची शब्द ये हैं उत्सर्ग, व्युत्सर्जन, उज्झना, अवकिरण, छर्दन, विवेक, वर्जन, त्यजन, उन्मोचना, परिशातना, शातना।^६

कायोत्सर्ग के विधान अर्थात् प्रकार दो हैं : चेष्टाकायोत्सर्ग और अभिभव कायोत्सर्ग। भिक्षाचर्या आदि में होने वाला चेष्टाकायोत्सर्ग है, उपसर्ग आदि में होने वाला अभिभवकायोत्सर्ग है।^७

अभिभवकायोत्सर्ग की कालमर्यादा अधिक से अधिक सवत्सर—एक वर्ष है और कम से कम अन्तर्मुहूर्त है।^८

कोयोत्सर्ग के भेदपरिमाण की चर्चा करते हुए निर्युक्तिकार नौ भेदों की गणना करते हैं १ उच्छ्रितोच्छ्रित, २ उच्छ्रित, ३ उच्छ्रितनिषण्ण, ४ निषण्णोच्छ्रित, ५ निषण्ण, ६ निषण्णनिषण्ण, ७ निर्विण्णोच्छ्रित, ८ निर्विण्ण, ९ निर्विण्णनिर्विण्ण।^९ उच्छ्रित का अर्थ है ऊर्ध्वस्य अर्थात् खड़ा हुआ, निषण्ण

१ गा १४२०-२ २ गा १४२१ ३ गा १४२४-५ ४ गा १४४१

५ गा १४४२ ६ गा १४४६ ७ गा १४४७ ८ गा १४५३.

९ गा ११५४-५

का अर्थ है उपविष्ट अर्थात् बैठा हुआ और निर्विण्ण का अर्थ है सुप्त अर्थात् सोया हुआ ।

भेदपरिमाण की चर्चा करते करते आचार्य कायोत्सर्ग के गुणों की चर्चा शुरू कर देते हैं। कायोत्सर्ग से देह और मति की जड़ता की शुद्धि होती है, सुख दुःख सहन करने की क्षमता आती है, अनुप्रेक्षा अर्थात् अनित्यत्वादि का चिन्तन होता है तथा एकाग्रतापूर्वक शुभध्यान का अभ्यास होता है। शुभध्यान का आधार लेकर आचार्य ध्यान की चर्चा छेड़ देते हैं।^१

ध्यान का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि अन्तर्मुहूर्त के लिए जो चित्त की एकाग्रता है वही ध्यान है। ध्यान चार प्रकार का होता है आर्त्त, क्रम, धर्म और शुक्ल।^२ इनमें से प्रथम दो प्रकार सत्सारवर्धन के हेतु हैं और अन्तिम दो प्रकार विमोक्ष के हेतु हैं। प्रस्तुत अधिकार अन्तिम दो प्रकार के ध्यान का ही है।^३ इतना सामान्य संकेत करने के बाद निर्युक्तिकार ध्यान से सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातों का वर्णन करते हैं।^४

कायोत्सर्ग मोक्षपथप्रदाता है, ऐसा समझकर धीर श्रमण दिवसादिसम्पन्नी अतिचारों का परिज्ञान करने के लिए कायोत्सर्ग में स्थित होते हैं। ये अतिचार कौन से हैं? निर्युक्तिकार आगे की कुछ गाथाओं में विविध प्रकार के अतिचारों का स्वरूप व उनसे शुद्ध होने का उपाय बताते हैं। साथ ही कायोत्सर्ग की विधि की ओर भी संकेत करते हैं। साधुओं को चाहिए कि सूर्य के रहते हुए ही प्रसन्नगोचरकालसम्बन्धी भूमि को अच्छी तरह देख कर अपने-अपने स्थान पर आकर सूर्यास्त होते ही कायोत्सर्ग में स्थित हो जाएँ।^५ दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और साप्ताहिक प्रतिक्रमणों के कायोत्सर्ग नियत हैं, गमनादिविषयक शेष कायोत्सर्ग अनियत हैं। अत्र नियतकायोत्सर्गों के उच्छ्वासों की संख्या बताते हैं दैवसिक में सौ उच्छ्वास, रात्रिक में पचास, पाक्षिक में तीस सौ, चातुर्मासिक में पाँच सौ, साप्ताहिक में एक हजार आठ।^६ इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के कायोत्सर्ग के लिए 'लोगस्सुज्जीयगरे' के पाठ भी नियत हैं दैवसिक कायोत्सर्ग में चार, रात्रिक में दो, पाक्षिक में बारह, चातुर्मासिक में बीस और साप्ताहिक में चालीस।^७ अनियतकायोत्सर्ग के लिए भी इसी प्रकार के निश्चित नियम हैं।

१ गा १४१७. २ गा १४१८ ३ गा १४५९ ४ गा १४६०-
१४९१ ५ गा १५१२ ६ गा १५२४-५ ७ गा १५२६

अगठद्वार का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि साधु अपनी शक्ति की मर्यादा के अनुसार ही कायोत्सर्ग करे। शक्ति की सीमा का उल्लंघन करने से अनेक दोष उत्पन्न होने का भय रहता है।^१

शठद्वार की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि कायोत्सर्ग के समय छलपूर्वक नींद लेना, सूत्र अथवा अर्थ की प्रतिपृच्छा करना, काटा निकालना, प्रसवण अर्थात् पेशाब करने चले जाना आदि कार्य दोषपूर्ण है। इनसे अनुष्ठान झूठा हो जाता है।^२

कायोत्सर्ग की विधि का विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि गुरु के समीप ही कायोत्सर्ग प्रारम्भ करना चाहिए तथा गुरु के समीप ही समाप्त करना चाहिए। कायोत्सर्ग के समय दाहिने हाथ में मुखवस्त्रिका और बाएँ हाथ में रजोहरण रखना चाहिए।^३

कायोत्सर्ग के निम्नांकित दोष हैं १ घोटकदोष, २ लतादोष, ३ स्तम्भ-कुड्यदोष, ४ मालदोष, ५ शबरीदोष, ६ वधूदोष, ७ निगडदोष, ८ लम्बोत्तरदोष, ९ स्तनदोष, १० उद्धिदोष, ११ सयतीदोष, १२ खलिनदोष, १३ वायसदोष, १४ कपित्थदोष, १५ शीर्षकम्पदोष, १६ मूकदोष, १७ अगुलिभ्रूदोष, १८ वारुणीदोष, १९ प्रेक्षादोष।^४

अत्र आचार्य अधिकारी का स्वरूप बताते हैं। जो वासी और चन्दन दोनों को समान समझता है, जिसकी जीने और मरने में समबुद्धि है, जो देह की ममता से परे है वही कायोत्सर्ग का सच्चा अधिकारी है।^५

कायोत्सर्ग के अन्तिम द्वार—फलद्वार की चर्चा करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि सुभद्रा, राजा उदितोदित, श्रेष्ठिभार्या मित्रवती, सोदास, खड्गस्तम्भन आदि उदाहरणों से कायोत्सर्ग के ऐहलौकिक फल का अनुमान लगा लेना चाहिए। पारलौकिक फल के रूप में सिद्धि, स्वर्ग आदि समझने चाहिए।^६ यहाँ कायोत्सर्ग नामक पंचम अध्ययन के ग्यारह द्वारों की चर्चा समाप्त होती है।

प्रत्याख्यान *

आवश्यक सूत्र का पष्ठ अध्ययन प्रत्याख्यान के रूप में है। निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु प्रत्याख्यान का छह दृष्टियों से व्याख्यान करते हैं १ प्रत्याख्यान, २ प्रत्याख्याता, ३ प्रत्याख्येय, ४ पर्यद्, ५ कथनविधि और ६ फल।^७

१ गा १५३६ २ गा १५३८ ३ गा १५३९-१५५० ४ गा १५४१-२
५ गा १५४३ ६ गा १५४५ ७ गा १५५०

प्रत्याख्यान के छ' भेद हैं १ नामप्रत्याख्यान, २ स्थापनाप्रत्याख्यान, ३ द्रव्यप्रत्याख्यान, ४ अदित्साप्रत्याख्यान, ५ प्रतिषेधप्रत्याख्यान और ६ भाव-प्रत्याख्यान ।^१ प्रत्याख्यान की शुद्धि छ' प्रकार से होती है १ श्रद्धानशुद्धि, २. जाननाशुद्धि, ३ विनयशुद्धि, ४ अनुभाषणाशुद्धि, ५ अनुपालनाशुद्धि, ६ भावशुद्धि ।^१ अशन, पान, खादिम और स्वादिम—ये चार प्रकार की आहार-विधिया हैं । इन चार प्रकार के आहारों को छोड़ना आहार प्रत्याख्यान है । जो शीघ्र ही क्षुधा को शान्त करता है वह अशन है । जो प्राण अर्थात् हृन्दि यदि का उपकार करता है वह पान है । जो आकाश में समाता है अर्थात् उदर के रिक्त स्थान में भरा जाता है वह खादिम है । जो सरस आहार के गुणों को स्वाद प्रदान करता है वह स्वादिम है ।^१ प्रत्याख्यान के गुणों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रत्याख्यान से आस्रव के द्वार अर्थात् कर्मागम के द्वार बंद हो जाते हैं, फलत आस्रव का उच्छेद होता है । आस्रवोच्छेद से तृष्णा का नाश होता है । तृष्णोच्छेद से मनुष्य के अन्दर अतुल उपशम अर्थात् मध्यस्थभाव पैदा होता है । मध्यस्थभाव से पुन प्रत्याख्यान की विशुद्धि होती है । इससे शुद्ध चारित्र्यधर्म का उदय होता है जिससे कर्मनिर्जरा होती है और क्रमशः अपूर्वकरण होता हुआ भ्रैणिक्रम से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । अन्त में शाश्वत सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है ।^१ प्रत्याख्यान दस प्रकार के आकारों से ग्रहण किया व पाला जाता है १ नमस्कार, २ पौरोष्य, ३ पुरिमार्द, ४ एकाशन, ५ एकस्थान, ६ आचाम्भ, ७ अभक्तार्थ, ८ चरम, ९ अभिग्रह, १० विकृति ।^१

अथ प्रत्याख्याता का स्वरूप बताते हैं । प्रत्याख्याता गुरु होता है जो यथोक्तविधि से शिष्य को प्रत्याख्यान कराता है । गुरु मूलगुण और उत्तरगुण से शुद्ध तथा प्रत्याख्यान की विधि जानने वाला होता है । शिष्य कृतिकर्मादि की विधि जानने वाला, उपयोगपरायण, श्रद्धा प्रकृति वाला, सविन और स्थिरप्रतिश होता है ।^१

प्रत्याख्यातव्य का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि प्रत्याख्यातव्य दो प्रकार का होता है द्रव्यप्रत्याख्यातव्य और भावप्रत्याख्यातव्य । अज्ञानादि का प्रत्याख्यान प्रथम प्रकार का है । अज्ञानादि का प्रत्याख्यान दूसरे प्रकार का है ।^१

१ गा १५५१ २ गा १५८०, ३ गा १५८१-२ ४ गा १५८८-१५९० ५ गा १५९१-१६०६ ६ गा १६०७-९ ७ गा १६११

विनीत एव अव्याक्षिप्त रूप से त्रिप्य के उपस्थित होने पर प्रत्याख्यान कराना चाहिए। यही पर्यद् द्वार है।^१

कथनविधि इस प्रकार है; आज्ञाग्राह्य अर्थात् आगमग्राह्य विषय का कथन आगम द्वारा ही करना चाहिए, दृष्टान्तवाच्य अर्थ का कथन दृष्टान्त द्वारा ही करना चाहिए। ऐसा न करने से कथनविधि की विराधना होती है।^२

फल का व्याख्यान करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि प्रत्याख्यान का फल ऐहलौकिक और पारलौकिक दो प्रकार का होता है। ऐहलौकिक फल के दृष्टान्त के रूप में घग्मिलादि और पारलौकिक फल के दृष्टान्त के रूप में दामन्नकादि समझने चाहिए। जिनवरोपदिष्ट प्रत्याख्यान का सेवन करके अनन्त जीव शीघ्र ही शाश्वत सुखरूप मोक्ष को प्राप्त होचुके हैं।^३ फल प्रत्याख्यान का अन्तिम द्वार है और प्रत्याख्यान आवश्यक सूत्र का अन्तिम अध्ययन है अतः इस द्वार की निर्युक्ति के साथ आवश्यकनिर्युक्ति समाप्त होती है।

आवश्यकनिर्युक्ति के इस विस्तृत परिचय से सहज ही अनुमान लगाया जासकता है कि जैन निर्युक्तिग्रंथों में आवश्यकनिर्युक्ति का कितना महत्त्व है। भ्रमण जीवन की सफल साधना के लिए अनिवार्य सभी प्रकार के विधि विधानों का सक्षिप्त एव सुब्यवस्थित निरूपण आवश्यकनिर्युक्ति की एक उद्भूत बड़ी विशेषता है। जैन परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रतिपादन भी सर्वप्रथम इसी निर्युक्ति में किया गया है। ये सत्र बातें आवश्यकनिर्युक्ति के अध्ययन से स्पष्ट मालूम होती हैं।



तृतीय प्रकरण

दशवैकालिकनिर्युक्ति

सर्वप्रथम निर्युक्तिकार ने सर्वसिद्धों को मगलरूप नमस्कार करके दश-वैकालिकनिर्युक्ति^१ रचने की प्रतिज्ञा की है। मगल के विषय में वे कहते हैं कि ग्रथ के आदि, मध्य और अन्त में विधिपूर्वक मगल करना चाहिए। मगल नामादि भेद से चार प्रकार का होता है। भावमगल का अर्थ श्रुतज्ञान है। वह चार प्रकार का है चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग (काञ्चनानुयोग) और द्रव्यानुयोग। चरणकरणानुयोग के द्वार ये हैं : निक्षेप, एकार्थ, निवृत्त, विधि, प्रवृत्ति, किसके द्वारा, किसका, द्वारभेद, लक्षण, पर्वद् और सूत्रार्थ।^१

दशवैकालिक शब्द का व्याख्यान करने के लिए 'दश' और 'काल' का निक्षेप पद्धति से विचार करना चाहिए। 'दश' के पूर्व 'एक' का निक्षेप करते हुए आचार्य कहते हैं कि एकक के नाम, स्थापना, द्रव्य, मातृकापद, सग्रह, पर्याय और भाव—ये सात प्रकार हैं। दशक का निक्षेप छ. प्रकार का है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल के दस भेद इस प्रकार हैं बाला, क्रीडा, मदा, बला, प्रज्ञा, हायिनि, प्रपचा, प्राग्भारा, मृन्मुखी और शायिनी।^१ ये प्राणियों की दस दशाएँ—अवस्थाविशेष हैं।

काल का द्रव्य, अर्द्ध, यथायुष्क, उपक्रम, देश, काल, प्रमाण, वर्ण और भाव—इन नौ दृष्टियों से विचार करना चाहिए।^१

१ (अ) हारिभद्र्रीय विवरणसहित प्रकाशक—देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, १९१८

(आ) निर्युक्ति व मूल . सम्पादक—E Leumann, ZDMG. भा ४६, पृ ५८१-६६३

२ गा १-१ ३ गा ८-१० ४ गा ११

दशकालिक अथवा दशवैकालिक 'दश' और 'काल' इन दो पदों से सम्बन्ध रखता है। दशकालिक में 'दश' का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इस सूत्र में दस अध्ययन हैं। काल का प्रयोग इसलिए है कि इस सूत्र की रचना उस समय हुई, जबकि पौरुषी व्यतीत हो चुकी थी। अथवा जो दश अध्ययन पूर्वा से उद्धृत किये गये उनका सुव्यवस्थित निरूपण विकाल अर्थात् अपराह्न में किया गया इसीलिए इस सूत्र का नाम दशवैकालिक रखा गया। इस सूत्र की रचना मनक नामक गिष्य के आधार से आचार्य शङ्कर ने की।

दशवैकालिक सूत्र में द्वादशपुष्पिका आदि दस अध्ययन हैं। प्रथम अध्ययन में धर्म की प्रशंसा की गई है। दूसरे अध्ययन में धृति की स्थापना की गई है और बताया गया है कि यही धर्म है। तीसरे अध्ययन में क्षुल्लिका अर्थात् लघु आचारकथा का अधिकार है। चौथे अध्ययन में आत्मसयम के लिए पञ्च-जीवरक्षा का उपदेश दिया गया है। पंचम अध्ययन भिक्षाविशुद्धि से सम्बन्ध रखता है। भिक्षाविशुद्धि तप और सयम का पोषण करने वाली है। छठे अध्ययन में महती अर्थात् बृहद् आचारकथा का प्रतिपादन किया गया है। सप्तम अध्ययन में वचनविभक्ति का अधिकार है। आठवा अध्ययन प्रणिधान अर्थात् विशिष्ट चित्तधर्मसम्बन्धी है। नवें अध्ययन में विनय का तथा दसवें में भिक्षु का अधिकार है। इन अध्ययनों के अतिरिक्त इस सूत्र में दो चूलिकाएँ भी हैं। प्रथम चूलिका में सयम में स्थिरीकरण का अधिकार है और दूसरी में विविक्तचर्या का वर्णन है। यह दशवैकालिक का सक्षिप्त अर्थ है।^१

द्वादशपुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन की निर्युक्ति में सामान्य श्रुताभिधान चार प्रकार का बताया गया है अध्ययन, अक्षीण, आय और क्षपणा।^२ आत्मा की कर्ममल से मुक्ति ही भावाध्ययन है। द्वादश और पुष्प का निक्षेप करते हुए कहा गया है कि द्वादश नाम, स्थापना, द्रव्य और भावभेद से चार प्रकार का है। इसी प्रकार पुष्प का निक्षेप भी चार प्रकार का है। द्वादश के पर्यायवाची शब्द ये हैं द्वादश, पाठ्य, वृक्ष, अगम, निटपी, तरु, कुह, महीरुह, रोपक, रुद्धक। पुष्प के एकार्यक शब्द ये हैं पुष्प, कुसुम, फुल्ल, प्रमत्त, सुमन, सूटम।^३

सूत्रस्पष्टिक निर्युक्ति करते हुए आचार्य 'धर्म' पद का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं कि धर्म चार प्रकार का होता है नामधर्म, स्थापनाधर्म, द्रव्य

१ गा १०, ५

२ गा १९-२५

३ गा २६-७

४ गा ३५-६.

धर्म और भावधर्म । धर्म के लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद भी होते हैं । लौकिक धर्म अनेक प्रकार का होता है । गम्यधर्म, पशुधर्म, देशधर्म, राज्यधर्म, पुरवरधर्म, ग्रामधर्म, गणधर्म, गोष्ठीधर्म, राजधर्म आदि लौकिक धर्म के भेद हैं । लोकोत्तर धर्म दो प्रकार का है . श्रुतधर्म और चारित्रधर्म । श्रुतधर्म स्वाध्यायरूप है और चारित्रधर्म श्रमणधर्मरूप है ।^१

मगल भी द्रव्य और भावरूप होता है । पूर्णकलशादि द्रव्यमगल है । धर्म भावमगल है ।^२

हिंसा के प्रतिकूल अहिंसा होती है । उसके भी द्रव्यादि चार भेद होते हैं । प्राणातिपातविरति आदि भाव अहिंसा है ।^३

आचार्य सयम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एव पचेन्द्रिय की मन, वचन, और काय से यतना रखना सयम है ।^४

तप ब्राह्म और आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का होता है । अनशन, ऊनो-दरता, वृत्तिषक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश और सलीनता ब्राह्म तप के भेद हैं । प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और न्युत्सर्ग आभ्यन्तर तप के भेद हैं ।^५

हेतु और उदाहरण की उपयोगिता बताते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि श्रोता की योग्यता को ध्यान में रखते हुए पात्र अथवा दस अवयवों का प्रयोग किया जा सकता है । उदाहरण दो प्रकार का होता है । ये दो प्रकार पुन चार-चार प्रकार के होते हैं । हेतु चार प्रकार का होता है । हेतु का प्रयोजन अर्थ की सिद्धि करना है ।^६ आचार्य ने उदाहरण का स्वरूप समझाने के लिए अनेक दृष्टान्त देते हुए उदाहरण के विविध द्वारों का विस्तृत विवेचन किया है । उदाहरण के चार तरह के दोष इस प्रकार हैं . अधर्मयुक्त, प्रतिलोम, आत्मोपन्यास और दुरुपनीत ।^७ हेतु के चार प्रकार ये हैं . यापक, स्थापक, व्यसक और लपक ।^८ प्रथम अध्ययन में भ्रमर का उदाहरण अनियतवृत्तिन का दिग्दर्शन कराने के लिए दिया गया है ।^९

सनस्पर्शा निर्युक्ति करते हुए आचार्य विहगम शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं -विहगम दो प्रकार का होता है : द्रव्यविहगम और भाव-

१ गा ३९-४३

२ गा ४४

३ गा ४५

४ गा ४६

५ गा ४७-८

६ गा ५०-१

७ गा ८१-५

८ गा ८६-८

९ गा ९७

विहगम । जिस पूर्वोपात्त कर्म के उदय के कारण जीव विहगमकुल में उत्पन्न होता है वह द्रव्यविहगम है । भावविहगम के पुन दो भेद हैं . गुणसिद्ध और सज्ञासिद्ध । जो विह अर्थात् आकाश में प्रतिष्ठित है उसे गुणसिद्ध विहगम कहते हैं । जो आकाश में गमन करते हैं अर्थात् उड़ते हैं वे सभी सज्ञासिद्ध विहगम हैं । प्रस्तुत प्रसग आकाश में गमन करने वाले भ्रमरों का है ।^१

हेतु और दृष्टान्त के प्रसग पर जिन दस अवयवों का निर्देश ऊपर किया गया है उनके नाम ये हैं : १ प्रतिज्ञा, २ विभक्ति, ३ हेतु, ४ विभक्ति, ५. विपक्ष, ६ प्रतिबोध, ७ दृष्टान्त, ८ आशका, ९ तत्प्रतिषेध, १० निगमन । निर्युक्तिकार ने इन दस प्रकार के अवयवों पर दशवैकालिक के प्रथम अध्ययन को अच्छी तरह कसा है और यह सिद्ध किया है कि इस अध्ययन की रचना में इन अवयवों का सम्यक् रूपेण अनुसरण किया है ।^२

दूसरे अध्ययन के प्रारंभ में 'श्रामण्यपूर्वक' की निक्षेप पद्धति से व्याख्या की गई है । 'श्रामण्य' का निक्षेप चार प्रकार का है तथा 'पूर्वक' का तेरह प्रकार का । जो सयत है वही भावश्रमण है । आगे की कुछ गाथाओं में भावश्रमण का बहुत ही नपा तुला और भावपूर्ण वर्णन किया गया है ।^३ 'श्रमण' शब्द के पर्याय ये हैं प्रव्रजित, अनगार, पाखडी, चरक, तापस, भिक्षु, परित्रानक, श्रमण, निर्ग्रन्थ, सयत, मुक्त, तीर्ण, ज्ञाता, द्रव्य, मुनि, क्षान्त, दान्त, विरत, रुक्ष, तीरार्थी ।^४ 'पूर्व' के निक्षेप के तेरह प्रकार ये हैं . १ नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ काल, ६ दिक्, ७ तापक्षेत्र, ८ प्रज्ञापक, ९. पूर्व, १०. वस्तु, ११. प्राभृत, १२ अतिप्राभृत और १३ भाव ।^५ इसके बाद 'काम' का नामादि चार प्रकार के निक्षेप से विचार किया गया है । भावकाम दो प्रकार का है . इच्छाकाम और मदनकाम । इच्छा प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार की होती है । मदन का अर्थ है वेदोपयोग अर्थात् स्त्रीवेदादि के विपाक का अनुभव । प्रस्तुत अधिकार मदनकाम का है ।^६

'पद' की निर्युक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि पद चार प्रकार का होता है नामपद, स्थापनापद, द्रव्यपद और भावपद । भावपद के दो भेद हैं अपराधपद और नोअपराधपद । नोअपराधपद के पुन. दो भेद हैं . मातृकापद और नोमातृकापद । नोमातृकापद के भी दो भेद हैं ग्रथित और प्रकीर्णक । ग्रथित चार प्रकार का होता है . गद्य, पद्य, गेय और चौर्ण ।^७

१. गा ११७-१२२

३ गा. १५२-७

५ गा. १६०.

२. गा १३७-१४८.

४. गा १५८-९

६. गा. १६१-३.

प्रकीर्णक के अनेक भेद होते हैं। इन्द्रिय, विषय, कषाय, परीषह, वेदना, उपसर्ग आदि अपराधपद हैं। श्रमणधर्म के पालन के लिए इनका परिवर्जन आवश्यक है।^१

तीसरे अध्ययन का नाम क्षुल्लिकाचारकथा है। निर्युक्तिकार क्षुल्लक, आचार और कथा—इन तीनों का निक्षेप करते हैं। क्षुल्लक महत् सापेक्ष है अतः महत् का निक्षेप करते हुए कहा गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रधान, प्रतीत्य और भाव—इन आठ भेदों के साथ महत् का विचार करना चाहिए। क्षुल्लक महत् का प्रतिपक्षी है अतः उसने भी ये ही आठ भेद हैं। आचार का निक्षेप नामादि भेद से चार प्रकार का है। नामन, धावन, वासन, शिक्षापन आदि द्रव्याचार हैं। भावाचार पाच प्रकार का है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य।^२ कथा चार प्रकार की होती है। अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा और मिश्रकथा। अर्थकथा के निम्नोक्त भेद हैं : विद्या, शिल्प, उपाय, अनिवेद, सचय, दक्षत्व, साम, दण्ड, भेद और उपप्रदान। कामकथा के निम्नलिखित भेद हैं रूप, वय, वेप, दाक्षिण्य, विषयज्ञ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत और सस्तव। धर्मकथा चार प्रकार की है। आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निवेदनी। धर्म, अर्थ और काम से मिश्रित कथा का नाम मिश्रकथा है। कथा से विपक्षभूत विकथा है। उसके स्त्रीकथा, भक्तकथा, राजकथा, चौरजनपदकथा, नटनर्तकजल्लुष्टिककथा आदि अनेक भेद हैं। श्रमण को चाहिए कि वह क्षेत्र, काल, पुरुष, सामर्थ्य आदि का ध्यान रखते हुए अनवय कथा का व्याख्यान करे।^३

चतुर्थ अध्ययन का नाम षड्जीवनिकाय है। इसकी निर्युक्ति में एक, छ, जीव, निकाय और शस्त्र का निक्षेप पद्धति से विचार किया गया है। आचार्य ने जीव के निम्नोक्त लक्षण बताये हैं आदान, परिभोग, योग, उपयोग, कषाय, लेश्या, धान, आपान, इन्द्रिय, ग्रन्थ, उदय, निर्जरा, चित्त, चेतना, सज्ञा, विज्ञान, धारणा, बुद्धि, ईहा, मति, वितर्क।^४ शस्त्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि द्रव्यशस्त्र स्पर्शक, परकाय अथवा उभयकायरूप होता है। भावशस्त्र असयम है।^५

पिण्डैरगा नामक पचम अध्ययन की निर्युक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने पिण्ड और एण्डा इन दो पदों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है। गुड, ओदन

१ गा १६६-१७७

२ गा १७८-१८७

३ गा. १८८-२१५

४ गा २२३-४ ५ गा २३१.

विहगम । जिस पूर्वोपात्त कर्म के उदय के कारण जीव विहगमकुल में उत्पन्न होता है वह द्रव्यविहगम है । भावविहगम के पुन दो भेद हैं गुणसिद्ध और सज्ञासिद्ध । जो विह अर्थात् आकाश में प्रतिष्ठित है उसे गुणसिद्ध विहगम कहते हैं । जो आकाश में गमन करते हैं अर्थात् उड़ते हैं वे सभी सज्ञासिद्ध विहगम हैं । प्रस्तुत प्रसंग आकाश में गमन करने वाले भ्रमरों का है ।^१

हेतु और दृष्टान्त के प्रसंग पर जिन दस अवयवों का निर्देश ऊपर किया गया है उनके नाम ये हैं १. प्रतिज्ञा, २ विभक्ति, ३. हेतु, ४ विभक्ति, ५. विपक्ष, ६ प्रतिजोध, ७ दृष्टान्त, ८ आशका, ९ तत्प्रतिषेध, १० निगमन । निर्युक्तिकार ने इन दस प्रकार के अवयवों पर दशवैकालिक के प्रथम अध्ययन को अच्छी तरह ऋसा है और यह सिद्ध किया है कि इस अध्ययन की रचना में इन अवयवों का सम्यक् रूपेण अनुसरण किया है ।^२

दूसरे अध्ययन के प्रारंभ में 'श्रामण्यपूर्वक' की निक्षेप पद्धति से व्याख्या की गई है । 'श्रामण्य' का निक्षेप चार प्रकार का है तथा 'पूर्वक' का तेरह प्रकार का । जो सयत है वही भावश्रमण है । आगे की कुछ गाथाओं में भावश्रमण का बहुत ही नपा-तुला और भावपूर्ण वर्णन किया गया है ।^३ 'श्रमण' शब्द के पर्याय ये हैं प्रव्रजित, अनगार, पाखडी, चरक, तापस, भिक्षु, परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रथ, सयत, मुक्त, तीर्ण, त्राता, द्रव्य, मुनि, क्षान्त, दान्त, विरत, रुक्ष, तीरार्थी ।^४ 'पूर्व' के निक्षेप के तेरह प्रकार ये हैं १ नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ काल, ६ दिक्, ७ तापक्षेत्र, ८ प्रज्ञापक, ९ पूर्व, १०. वस्तु, ११ प्राभृत, १२ अतिप्राभृत और १३ भाव ।^५ इसके बाद 'काम' का नामादि चार प्रकार के निक्षेप से विचार किया गया है । भावकाम दो प्रकार का है • इच्छाकाम और मदनकाम । इच्छा प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार की होती है । मदन का अर्थ है वेदोपयोग अर्थात् स्त्रीवेदादि के विपाक का अनुभव । प्रस्तुत अधिकार मदनकाम का है ।^६

'पद' की निर्युक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि पद चार प्रकार का होता है नामपद, स्थापनापद, द्रव्यपद और भावपद । भावपद के दो भेद हैं अपराधपद और नोअपराधपद । नोअपराधपद के पुनः दो भेद हैं मातृकापद और नोमातृकापद । नोमातृकापद के भी दो भेद हैं ग्रथित और प्रकीर्णक । ग्रथित चार प्रकार का होता है . गद्य, पद्य, गेय और चौर्ण ।

१ गा ११७-१२२

३ गा १५२-७

५ गा. १६०

२ गा १३७-१४८.

४ गा १५८-९

६. गा. १६१-३

प्रकीर्णक के अनेक भेद होते हैं। इन्द्रिय, विषय, कषाय, परीषह, वेदना, उपसर्ग आदि अपराघपद हैं। श्रमणधर्म के पालन के लिए इनका परिवर्जन आवश्यक है।^१

तीसरे अव्ययन का नाम क्षुल्लिकाचारकथा है। निर्युक्तिकार क्षुल्लक, आचार और कथा—इन तीनों का निक्षेप करते हैं। क्षुल्लक महत् सापेक्ष है अतः महत् का निक्षेप करते हुए कहा गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रधान, प्रतीत्य और भाव—इन आठ भेदों के साथ महत् का विचार करना चाहिए। क्षुल्लक महत् का प्रतिपक्षी है अतः उसके भी ये ही आठ भेद हैं। आचार का निक्षेप नामादि भेद से चार प्रकार का है। नामन, धावन, वासन, शिक्षापन आदि द्रव्याचार हैं। भावाचार पाच प्रकार का है दर्शन, शान, चारित्र, तप और वीर्य।^२ कथा चार प्रकार की होती है अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा और मिश्रकथा। अर्थकथा के निम्नोक्त भेद हैं विद्या, शिल्प, उपाय, अनिवेद, सच्य, दक्षत्व, साम, दण्ड, भेद और उपप्रदान। कामकथा के निम्नलिखित भेद हैं रूप, वय, वेष, दाक्षिण्य, विषयज्ञ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत और सस्तव। धर्मकथा चार प्रकार की है। आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निवेदनी। धर्म, अर्थ और काम से मिश्रित कथा का नाम मिश्रकथा है। कथा से विपक्षभूत विकथा है। उसके स्त्रीकथा, भक्तकथा, राजकथा, चौरजनपदकथा, नटनर्तकजल्लमुष्टिककथा आदि अनेक भेद हैं। श्रमण को चाहिए कि वह क्षेत्र, काल, पुरुष, सामर्थ्य आदि का ध्यान रखते हुए अनव्यय कथा का व्याख्यान करे।^३

चतुर्थ अव्ययन का नाम षड्जीवनिकाय है। इसकी निर्युक्ति में एक, छ, जीव, निकाय और शस्त्र का निक्षेप पद्धति से विचार किया गया है। आचार्य ने जीव के निम्नोक्त लक्षण बताये हैं आदान, परिभोग, योग, उपयोग, कषाय, लेस्या, आन, आपान, इन्द्रिय, बन्ध, उदय, निर्जरा, चित्त, चेतना, सजा, विज्ञान, धारणा, बुद्धि, ईहा, मति, वितर्क।^४ शस्त्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि द्रव्यशस्त्र स्पर्शाय, परकाय अथवा उभयकायरूप होता है। भावशस्त्र असयम है।^५

पिण्डैरणा नामक पचम अव्ययन की निर्युक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने पिण्ड और एणणा इन दो पदों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है। गुड, ओदन,

१ गा १६६-१७७

२ गा १७८-१८७

३ गा, १८८-२१५

४ गा २२३-४ ५ गा. २३१.

आदि द्रव्यपिण्ड हैं। क्रोधादि चार भावपिण्ड हैं। द्रव्यैषणा तीन प्रकार की है सच्चित्त, अच्चित्त और मिश्र। भावैषणा दो प्रकार की है प्रशस्त और अप्रशस्त। जानादि प्रशस्त भावैषणा है। क्रोधादि अप्रशस्त भावैषणा है। प्रस्तुत अधिकार द्रव्यैषणा का है।^१

पष्ठ अध्ययन का नाम महाचारकथा है। इसकी निर्युक्ति में आचार्य ने यह निर्देश किया है कि क्षुल्लिकाचारकथा की निर्युक्ति में महत्, आचार और कथा का व्याख्यान हो चुका है।^२ सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति करते हुए आचार्य 'धर्म' शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं—धर्म दो प्रकार का होता है : अगारधर्म और अनगारधर्म। अगारधर्म बारह प्रकार का है पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत। अनगारधर्म दस प्रकार का है—क्षान्ति, मार्तव, आर्जव, मुक्ति, तप, सयम, सत्य, शौच, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य।^३ धान्य २४ प्रकार का होता है : १ यव, २ गोधूम, ३ जालि, ४ म्रीहि, ५ पष्टिक, ६ कोद्रव, ७ अणुक, ८ वगु, ९ रालक, १० तिल, ११ सुद्ग, १२ माष, १३ अतसी, १४ हरिमथ, १५ त्रिपुटक, १६ निष्पाव, १७ सिलिंद, १८ राजमाप, १९ इक्षु, २० मसूर, २१ तुवरी, २२ कुल्थ, २३ धान्यक और २४ कलाय। रत्न २४ प्रकार के होते हैं १ सुवर्ण, २ त्रपु, ३ ताम्र, ४ रजत, ५ लोह, ६ सीसक, ७ हिरण्य, ८ पापाण, ९ वज्र, १० मणि, ११ मौक्तिक, १२ प्रवाल, १३ जल, १४ तिनिश, १५ अगक, १६ चटन, १७ वज्र, १८ अमिल, १९ काष्ठ, २० चर्म, २१ दन्त, २२ बाल, २३ गध और २४ द्रव्यौषध। स्थावर के तीन भेद हैं भूमि, गृह और तरु। द्विपद दो प्रकार के हैं चक्रारबद्ध और मानुष। चतुष्पद दस प्रकार के हैं : गो, महिषी, उष्ट्र, अज, एडक, अश्व, अश्वतर, घोटक, गर्दभ और हस्ती। काम दो प्रकार का है सप्राप्त और असप्राप्त। सप्राप्त काम चौदह प्रकार का और असप्राप्त काम दस प्रकार का है। असप्राप्त काम के दस प्रकार ये हैं अर्थ, चिंता, श्रद्धा, सस्मरण, विकल्पता, लज्जानाश, प्रमाद, उन्माद, तन्द्रावना और मरण। सप्राप्त काम के चौदह प्रकार ये हैं दृष्टिसपात, सभाषण, हसित, ललित, उपगूहित, दतनिपात, नखनिपात, चुचन, आर्लिगन, आदान, करण, आसेवन, सग और क्रीडा।^४

सप्तम अध्ययन का नाम वाक्यशुद्धि है। 'वाक्य' का निक्षेप चार प्रकार का है। भाषाद्रव्य को द्रव्यवाक्य कहते हैं। भाषाशब्द भाववाक्य है। वाक्य के एकार्थक शब्द ये हैं वाक्य, वचन, गिरा, सरस्वती, भारती, गो, वाक्, भाषा, प्रज्ञापनी, देशनी, वाग्योग, योग।^१ सत्यभाषा जनपटादि के भेद से दस प्रकार की होती है, मृषाभाषा क्रोधादि के भेद से दस प्रकार की होती है, मिश्रभाषा उत्पन्नादि भेद से अनेक प्रकार की होती है, असत्यामृषा आम-त्रणी आदि भेद से अनेक तरह की होती है।^२ शुद्धि का निक्षेप भी नामादि चार प्रकार का है। भावशुद्धि तीन प्रकार की है। तद्भाव, आदेशभाव और प्राधान्यभाव।^३

अष्टम अध्ययन का नाम आचारप्रणिधि है। आचार का निक्षेप पहले हो चुका है। प्रणिधि दो प्रकार की है द्रव्यप्रणिधि और भावप्रणिधि। निघा-नादि द्रव्यप्रणिधि है। भावप्रणिधि के दो भेद हैं इन्द्रियप्रणिधि और नोइन्द्रियप्रणिधि। ये पुन प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार की होती हैं।^४

विनयसमाधि नामक नवम अध्ययन की निर्युक्ति में आचार्य भावविनय के पाँच भेद करते हैं लोकोपचार, अर्थनिमित्त, कामहेतु, भयनिमित्त और मोक्षनिमित्त। मोक्षनिमित्तक विनय पाँच प्रकार का है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचारसम्बन्धी।^५

दसवें अध्ययन का नाम समिक्षु है। सकार का निक्षेप नामादि चार प्रकार का है। द्रव्यसकार प्रशसादिविषयक है। भावसकार तदुपयुक्त जीव है। निर्देश, प्रशसा और अस्तिभाव में सकार का प्रयोग होता है। प्रस्तुत अध्ययन में निर्देश और प्रशसा का अधिकार है।^६ मिक्षु का निक्षेप भी नामादि चार प्रकार का है। भावमिक्षु दो प्रकार का है। आगमत. और नोआगमत.। मिक्षु-पदार्थ में उपयुक्त आगमत भावमिक्षु है। मिक्षुगुणसवेदक नोआगमत. भावमिक्षु है।^७ मिक्षु के पर्याय ये हैं तीर्ण, तायी, द्रव्य, व्रती, क्षात, दात, विरत, मुनि, तापस, प्रज्ञापक, ऋजु, मिक्षु, बुद्ध, यति, विद्वान्, प्रव्रजित, अनगार, पासण्डी, चरक, ब्राह्मण, परिव्राजक, भ्रमण, निर्ग्रन्थ, सयत, मुक्त, साधु, रुक्ष, तीरार्थी।^८ इनमें से अधिकांश शब्द 'भ्रमण' के पर्यायों में आ चुके हैं।

१ गा २६९-२७०

५ गा ३०९-३२२

२ गा २७३-६

६ गा ३२८-९

३ गा २८६

७ गा ३४१

४ गा २९३-४

८. गा ३४५-७

चूलिकाओं की निर्युक्ति करते हुए कहा गया है कि 'चूलिका' का निक्षेप द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावपूर्वक होता है। कुक्कुटचूडा आदि सचित्त द्रव्यचूडा है, मणिचूडा आदि अचित्त द्रव्यचूडा है और मयूरशिला आदि मिश्र द्रव्यचूडा है। भावचूडा क्षायोपशमिक भावरूप है।^१ 'रति' का निक्षेप नामादि चार प्रकार का है। जो रति कर्म के उदय के कारण होती है वह भावरति है। जो धर्म के प्रति रतिकारक है वह अधर्म के प्रति अरतिकारक है।^२



चतुर्थ प्रकरण

उत्तराध्ययननिर्युक्ति

इस निर्युक्ति^१ में ६०७ गाथाएँ हैं। अन्य निर्युक्तियों की तरह इसमें भी अनेक पारिभाषिक शब्दों का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है। इसी प्रकार अनेक शब्दों के विविध पर्याय भी दिए गए हैं।

सर्वप्रथम आचार्य 'उत्तराध्ययन' शब्द की व्याख्या करते हुए 'उत्तर' पद का पन्द्रह प्रकार के निक्षेपों से विचार करते हैं १ नाम, २-स्थापना, ३ द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ दिशा, ६ तापक्षेत्र, ७ पञ्चापक, ८. प्रति, ९ काल, १० सचय, ११ प्रधान, १२ ज्ञान, १३ क्रम, १४ गगना और १५ भाव।^२ 'उत्तराध्ययन' में 'उत्तर' का अर्थ क्रमोत्तर समझना चाहिए।^३

उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् जिनेन्द्र ने छत्तीस अध्ययनों का उपदेश दिया है।^४

'अध्ययन' पद का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—इन चार द्वारों से 'अध्ययन' का विचार हो सकता है। भावाध्ययन की व्याख्या इस प्रकार है प्राग्भूत तथा वर्तमान कर्मों के अभाव से आत्मा का जो अपने स्वभाव में आनयन अर्थात् ले जाना है वही अध्ययन है। जिससे जीवादि पदार्थों का अधिगम अर्थात् परिच्छेद होता है अथवा जिससे अधिक नयन अर्थात् विशेष प्राप्ति होती है अथवा जिससे शीघ्र ही अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होती है वही अध्ययन है।^५ चूँकि अध्ययन से अनेक भयों से आते हुए अष्ट प्रकार के कर्मरज का क्षय होता है इसीलिए उसे भावाध्ययन कहते हैं।^६ यहाँ तक 'उत्तराध्ययन' का व्याख्यान है। इसके बाद आचार्य 'श्रुतस्कन्ध' का निक्षेप करते हैं क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र श्रुत-स्कन्ध है। तदनन्तर छत्तीस अध्ययनों के नाम गिनाते हैं तथा उनके विविध

१ शान्तिसूत्रित शिष्यहिता-टीकासहित—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय, प्रम्यई, १९१९-१९२७ २ गा. १ ३ गा. ३
४ गा. ४ ५. गा. ५-७ ६ गा. ११.

अधिकारों का निर्देश करते हैं।^१ यहाँ तक संक्षेप में उत्तराध्ययन का पिण्डार्थ अर्थात् समुदायार्थ दिया गया है। आगे प्रत्येक अध्ययन का विशेष व्याख्यान किया गया है।

प्रथम अध्ययन का नाम विनयश्रुत है। 'विनय' का विचार पहले हो चुका है।^२ 'श्रुत' का नामादि चार प्रकार का निक्षेप होता है। निह्वादि द्रव्यश्रुत हैं। जो श्रुत में उपयुक्त है वह भावश्रुत है।^३ इसके बाद 'सयोग' शब्द की सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति करते हुए आचार्य ने छ' एव दो प्रकार के निक्षेप से 'सयोग' की अति विस्तृत व्याख्या की है। इसमें सस्थान, अभिप्रेत, अनभिप्रेत, अभिलाप, 'सम्बन्धन, अनादेश, आदेश, आत्मसयोग, बाह्यसयोग आदि विषयों का बहुत विस्तार से विवेचन किया है।^४ विनय के प्रसंग से आचार्य और शिष्य के गुणों का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि इन दोनों का सयोग कैसे होता है। सम्बन्धनसयोग ससार का हेतु है क्योंकि यह कर्मपाश के कारण होता है। इसे नष्ट कर जीव मुक्ति का वास्तविक आनन्द भोगता है।^५

विनयश्रुत की बारहवीं गाथा में 'गलि' शब्द आता है। इसके पर्यायवाची शब्द ये हैं गण्डि, गलि, मरालि। 'आकीर्ण' शब्द के पर्याय ये हैं आकीर्ण, विनीत, भद्रक।^६ 'गलि' का प्रयोग अविनीत के लिए है और 'आकीर्ण' का प्रयोग विनीत के लिए।

दूसरे अध्ययन का नाम परीषह है। परीषह का न्यास अर्थात् निक्षेप चार प्रकार का है। इनमें से द्रव्यनिक्षेप दो प्रकार का है आगमरूप और नोआगमरूप। नोआगम परीषह पुन तीन प्रकार का है शायकशरीर, भव्य और तद्द्रव्यतिरिक्त। कर्म और नोकर्मरूप से द्रव्यपरीषह दो प्रकार का भी होता है। नोकर्मरूप द्रव्यपरीषह सचित्त, अचित्त और मिश्ररूप से तीन प्रकार का है। भावपरीषह में कर्म का उदय होता है। उसके द्वार ये हैं. कुत (कहाँ से), कस्य (किसका), द्रव्य, समवतार, अध्यास, नय, वर्त्तना, काल, क्षेत्र, उद्देश, पृच्छा, निर्देश और सूत्रस्पर्श।^७ वादरसम्पराय गुणस्थान में चाईस, सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान में चौदह, छद्मस्यवीतराग गुणस्थान में भी चौदह और केवली अवस्था में ग्यारह परीषह होते हैं।^८

१ गा १२-२६

२ दशवैकालिक, अध्ययन ९ (विनयसमाधि) की निर्युक्ति।

३ गा २९

४ गा ३०-५७

५ गा ६२

६ गा ६४

७ गा ६५-८

८ गा ७९

क्षुत्पिपासा आदि परीषहों की विशेष व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार ने विविध उदाहरणों द्वारा यह समझाया है कि भ्रमण को किस प्रकार इन परीषहों को सहन करना चाहिए।^१ इस प्रसंग से आचार्य ने जैन परम्परा में आने वाली अनेक महत्त्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद कथाओं का सकलन किया है।

तीसरे अध्ययन का नाम चतुरगीय है। एक के बिना चार नहीं होते हैं अतः निर्युक्तिकार सर्वप्रथम 'एक' का निक्षेप पद्धति से विचार करते हैं। इसके लिए सात प्रकार के 'एकक' का निर्देश करते हैं - १ नामैकक, २ स्थापनैकक, ३ द्रव्यैकक, ४ मातृकापदैकक, ५ सग्रहैकक, ६ पर्यवैकक, और ७ भावैकक।^२ 'एकक' की विस्तृत व्याख्या दशवैकालिकनिर्युक्ति में हो चुकी है। 'चतुष्क' अर्थात् चार का सात प्रकार का निक्षेप है - नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणना और भाव। प्रस्तुत अधिकार गणना का है।^३

'अग' का निक्षेप चार प्रकार का है नामाग, स्थापनाग, द्रव्याग और भावाग। इनमें से द्रव्याग छ प्रकार का होता है १ गधाग, २ औपधाग, ३ मन्त्राग, ४ आतोद्याग, ५ शरीराग और ६ युद्धाग।^४

गधाग निम्नलिखित हैं : जमदग्निजटा (बालक), हरेणुका (प्रियगु), शबर निवसनक (तमालपत्र), सपिन्निक, मल्लिकावासित, ओसीर, हीवेर, भद्रदारु (देवदारु), शतपुष्पा, तमालपत्र। इनका माहात्म्य यही है कि इनसे स्नान और विलेपन किया जाता है। वासवदत्ता ने उदयन को हृदय में रखते हुए इनका सेवन किया था।^५

औपधाग की गुटिका में पिण्डदारु, हरिद्रा, माहेन्द्रफल, सुण्ठी, पिप्पली, मरिच, आर्द्र, विल्वमूल और पानी—ये आठ वस्तुएँ मिली हुई होती हैं। इससे कडु, तिमिर, अर्द्धशिरोरोग, पूर्णशिरोरोग, तार्त्वीयक और चातुर्थिक च्वर (तिजरा और चौथे दिन आने वाला बुखार), मूषक और सर्पदश शीघ्र ही दूर हो जाते हैं।^६

द्राक्षा के सोलह भाग (सोलह दारों), घातकीपुष्प के चार भाग और एक आदक इक्षुरस—इनसे मद्याग बनता है। आदक का नाप मागध मान से समझना चाहिए।^७

एक मुकुन्दातूर्य, एक अभिमारदारु, एक शाल्मलीपुष्प—इनके वध से आमोडक अर्थात् पुष्योन्मिश्र बालवधविशेष होता है। यही आतोद्याग है।^८

१ गा ८९-१४१ २. गा १४२ ३ गा १४३ ४ गा १४४-५
५ गा १४६-८ ६ गा १४९-१५० ७ गा १५१ ८ गा १५२

अब शरीराग के नाम बताते हैं। सिर, उर, उदर, पीठ, बाहु (दो) और उरु (दो)—ये आठ अंग हैं। शेष अगोपांग हैं।^१

युद्धाग ये हैं. यान (हस्त्यादि), आवरण (कवचादि), प्रहरण (सङ्गादि), कुशलत्व (प्रावीण्य), नीति, दक्षत्व (आशुकारित्व), व्यससाय, शरीर (अहीनाग) और आरोग्य।^२ यहा तक द्रव्याग का व्याख्यान है।

भावाग दो प्रकार का है श्रुताग और नोश्रुताग। श्रुताग आचारादि भेद से बाहर प्रकार का है। नोश्रुताग चार प्रकार का है। ये चार प्रकार ही चतुरगीय के रूप में प्रसिद्ध हैं। ससार में ये चार भावाग दुर्लभ हैं मानुष्य, धर्मश्रुति, श्रद्धा और वीर्य (तप और सयम में पराक्रम)।^३

अग, दशभाग, भेद, अवयव, असकल, चूर्ण, खण्ड, देश, प्रदेश, पर्व, शाला, पटल, पर्यवखिल—ये सब शरीराग के पर्याय हैं। सयम के पर्याय ये हैं • दया, सयम, लज्जा, जुगुप्सा, अछलना, तितिक्षा, अहिंसा और ही।^४

आगे निर्युक्तिकार ने उदाहरणों की सहायता से यह बताया है कि मनुष्यभव की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, मनुष्यभय प्राप्त हो जाने पर भी धर्मश्रुति किननी कठिन है, धर्मश्रुति का लाभ होने पर भी उस पर श्रद्धा करना किनना कठिन है, श्रद्धा हो जाने पर भी तप और सयम में वीर्य अर्थात् पराक्रम करना तो और भी कठिन है। श्रद्धा की चर्चा करते समय जमालि-प्रभृति सात निह्वों का परिचय दिया गया है।^५

चतुर्थ अध्ययन का नाम 'असंस्कृत' है। इसकी निर्युक्ति करते समय सर्वप्रथम प्रमाद और अप्रमाद दोनों का निक्षेप किया गया है। प्रमाद और अप्रमाद दोनों नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते हैं। इनमें से द्रव्य और भावप्रमाद पाँच प्रकार के होते हैं मय, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। अप्रमाद के भी पाँच प्रकार हैं जो इनसे विपरीत हैं।^६

जो उत्तरकरण से कृत अर्थात् निर्वर्तित है वह संस्कृत है। शेष असंस्कृत है। करण का निक्षेप छ. प्रकार का होता है. नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्यकरण दो प्रकार का होता है सज्ञाकरण और नोसज्ञाकरण। सज्ञाकरण पुन तीन प्रकार का है कटककरण, अर्थकरण और वेदुकरण।

१. गा १५३

२. गा १५४

३. गा १५५-६

४. गा १५७ ८

५. गा १५९-१७८

६. गा १७९ १८१

नोसज्ञाकरण दो प्रकार का है : प्रयोगकरण और विश्रसाकरण । विश्रसाकरण के पुनः दो भेद हैं . सादिक और अनादिक । अनादिक तीन प्रकार का है : घर्म, अघर्म और आकाश । सादिक दो प्रकार का है : चक्षु.स्पर्श और अचक्षु-स्पर्श । प्रयोगकरण के दो भेद हैं . जीवप्रयोगकरण और अजीवप्रयोगकरण । जीवप्रयोगकरण पुन. दो प्रकार का है : मूलकरण और उत्तरकरण । पाँच प्रकार के शरीर और तीन प्रकार के अगोपाग मूलकरण हैं । कर्ण, स्कंध आदि उत्तरकरण हैं ।^१ अजीवप्रयोगकरण वर्णादि भेद से पाँच प्रकार का होता है ।^२ इसी प्रकार क्षेत्रकरण और कालकरण का विवेचन किया गया है ।^३ भावकरण जीवकरण और अजीवकरण के भेद से दो प्रकार का है । इनमें से अजीवकरण पुन. पाँच प्रकार का है वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और सस्थान । ये क्रमशः पाँच, पाँच, दो, आठ और पाँच प्रकार के हैं । जीवकरण दो प्रकार का है श्रुतकरण और नोश्रुतकरण । श्रुतकरण बद्ध और अबद्धरूप से दो प्रकार का है । बद्ध के पुन. दो भेद हैं निशीथ और अनिशीथ । नोश्रुतकरण दो प्रकार का है गुणकरण और योजनाकरण । गुणकरण तप सयम-योगरूप है और योजनाकरण मन, वचन और कायविषयरूप है ।^४ इतना विस्तारपूर्वक करण का विचार करने के बाद निर्युक्तिकार अपने अभीष्ट अर्थ की योजना करते हैं । कर्मण देह के निमित्त होने वाला आयु करण असंस्कृत है । उसे टूटने पर पटादि की भांति उत्तरकरण से साधा नहीं जा सकता । प्रस्तुत अधिकार आयुःकर्म से असंस्कृत का है । चूँकि आयुःकर्म असंस्कृत है इसलिए हमेशा अप्रमादपूर्वक आचरण करना चाहिए ।^५

आगे के अध्ययनों की निर्युक्ति में भी इसी भांति प्रत्येक अध्ययन के नाम का नामादि निक्षेपों से विचार किया गया है । गाथा २०८ में 'काम' और 'भरण' का निक्षेप है । गा २३७ में 'निर्ग्रन्थ' शब्द का निक्षेप-पद्धति से विवेचन है । गा २४४ में उरभ्र, गा २५० में कपिल, गा २६० में नमि, गा. २८० में ह्रम, गा ३१० में बहु, श्रुत और पूजा, गा ४५५ में प्रवचन, गा ४८० में साम, गा. ४९६ में मोक्ष, गा ५१४ में चरण और गा ५१६ में विधि का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है । २१२ से २३५ तक की गाथाओं में सत्रह प्रकार की मृत्यु का विचार किया गया है ।



१ गा १८२-१९१

२ गा १९५

३. गा १९६-२००

४ गा २०१-४

५ गा २०५

अब शरीराग के नाम बताते हैं। सिर, उर, उदर, पीठ, बाहु (दो) और उरु (दो)—ये आठ अंग हैं। शेष अंगोपांग हैं।^१

युद्धाग ये हैं. यान (हस्त्यादि), आवरण (कवचादि), प्रहरण (खड्गादि), कुशलत्व (प्रावीण्य), नीति, दक्षत्व (आशुकारित्व), व्यसनाय, शरीर (अहीनाग) और आरोग्य।^१ यहा तक द्रव्याग का व्याख्यान है।

भावाग दो प्रकार का है : श्रुताग और नोश्रुताग। श्रुताग आचारादि भेद से बाहर प्रकार का है। नोश्रुताग चार प्रकार का है। ये चार प्रकार ही चतुरगीय के रूप में प्रसिद्ध हैं। ससार में ये चार भावाग दुर्लभ हैं मानुष्य, धर्मश्रुति, श्रद्धा और वीर्य (तप और सयम में पराक्रम)।^१

आग, दशभाग, भेद, अत्रयत्र, असकल, चूर्ण, खण्ड, देश, प्रदेश, पर्व, शाखा, पटल, पर्यवखिल—ये सब शरीराग के पर्याय हैं। सयम के पर्याय ये हैं दया, सयम, लज्जा, जुगुप्सा, अछलना, तितिक्षा, अहिंसा और ही।^१

आगे निर्युक्तिकार ने उदाहरणों की सहायता से यह बताया है कि मनुष्यभव की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, मनुष्यभव प्राप्त हो जाने पर भी धर्मश्रुति कितनी कठिन है, धर्मश्रुति का लाभ होने पर भी उस पर श्रद्धा करना कितना कठिन है, श्रद्धा हो जाने पर भी तप और सयम में वीर्य अर्थात् पराक्रम करना तो और भी कठिन है। श्रद्धा की चर्चा करते समय जमालि प्रभृति सात निह्वनों का परिचय दिया गया है।^१

चतुर्थ अव्ययन का नाम 'असकृत' है। इसकी निर्युक्ति करते समय सर्वप्रथम प्रमाद और अप्रमाद दोनों का निक्षेप किया गया है। प्रमाद और अप्रमाद दोनों नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते हैं। इनमें से द्रव्य और भावप्रमाद पाँच प्रकार के होते हैं मग्न, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। अप्रमाद के भी पाँच प्रकार हैं जो इनसे विपरीत हैं।^१

जो उत्तरकरण से कृत अर्थात् निर्वर्तित है वह सकृत है। शेष असकृत है। करण का निक्षेप छ प्रकार का होता है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्यकरण दो प्रकार का होता है. सज्ञाकरण और नोसज्ञाकरण। सज्ञाकरण पुन तीन प्रकार का है कटकरण, अर्थकरण और वेदुकरण।

१. गा १५३

२ गा १५४

३. गा १५५-६

४. गा १५७-८

५ गा १५९-१७८

६ गा १७९ १८१

नोसज्ञाकरण दो प्रकार का है . प्रयोगकरण और विश्रसाकरण । विश्रसाकरण के पुन. दो भेद हैं : सादिक और अनादिक । अनादिक तीन प्रकार का है धर्म, अवर्म और आकाश । सादिक दो प्रकार का है : चक्षु.स्पर्श और अचक्षु स्पर्श । प्रयोगकरण के दो भेद हैं . जीवप्रयोगकरण और अजीवप्रयोगकरण । जीवप्रयोगकरण पुन दो प्रकार का है : मूलकरण और उत्तरकरण । पाँच प्रकार के शरीर और तीन प्रकार के अगोपाग मूलकरण हैं । कर्ण, स्कध आदि उत्तरकरण हैं ।^१ अजीवप्रयोगकरण वर्णादि भेद से पाँच प्रकार का होता है ।^२ इसी प्रकार क्षेत्रकरण और कालकरण का विवेचन किया गया है ।^३ भावकरण जीवकरण और अजीवकरण के भेद से दो प्रकार का है । इनमें से अजीवकरण पुन. पाँच प्रकार का है . वर्ण, रस, गध, स्पर्श और सस्थान । ये क्रमशः पाँच, पाँच, दो, आठ और पाँच प्रकार के हैं । जीवकरण दो प्रकार का है . ध्रुनकरण और नोश्रुतकरण । श्रुतकरण ब्रह्म और अब्रह्मरूप से दो प्रकार का है । ब्रह्म के पुनः दो भेद हैं निशीथ और अनिशीथ । नोश्रुतकरण दो प्रकार का है गुणकरण और योजनाकरण । गुणकरण तप समय-योगरूप है और योजनाकरण मन, वचन और कायविषयरूप है ।^४ इतना विस्तारपूर्वक करण का विचार करने के बाद निर्युक्तिकार अपने अभीष्ट अर्थ की योजना करते हैं । कार्मण देह के निमित्त होने वाला आयु करण असंस्कृत है । उसे दृढ़ने पर पटादि की भांति उत्तरकरण से साधा नहीं जा सकता । प्रस्तुत अधिकार आयुःकर्म से असंस्कृत का है । चूँकि आयुःकर्म असंस्कृत है इसलिए हमेशा अप्रमादपूर्वक आचरण करना चाहिए ।^५

आगे के अध्ययनों की निर्युक्ति में भी इसी भांति प्रत्येक अध्ययन के नाम का नामादि निक्षेपों से विचार किया गया है । गाथा २०८ में 'काम' और 'भरण' का निक्षेप है । गा २३७ में 'निर्गन्थ' शब्द का निक्षेप पद्धति से विवेचन है । गा २४४ में उरभ्र, गा २५० में कपिल, गा २६० में नमि, गा २८० में ह्रम, गा ३१० में बहु, श्रुत और पूजा, गा ४५५ में प्रवचन, गा ४८० में साम, गा ४९६ में मोक्ष, गा ५१४ में चरण और गा ५१६ में विधि का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है । २१२ से २३५ तक की गाथाओं में सत्रह प्रकार की मृत्यु का विचार किया गया है ।



१ गा १८२-१९१

२ गा १९५

३. गा १९६-२००

४ गा २०१-४.

५ गा. २०५.

पचम प्रकरण

आचारांगनिर्युक्ति

यह निर्युक्ति^१ आचारांग सूत्र के दोनों श्रुतस्कन्धों पर है। इसमें ३४७ गाथाएँ हैं जिनमें आचार, अंग, ब्रह्म, चरण, शस्त्र, सज्ञा, दिशा, पृथिवी, विमोक्ष, ईर्या आदि शब्दों के निक्षेप, पर्याय आदि हैं। यह निर्युक्ति उत्तराध्ययननिर्युक्ति के बाद तथा सूत्रकृतांगनिर्युक्ति के पहले लिखी गई है।

प्रथम श्रुतस्कन्ध :

प्रारम्भ में मंगलगाथा है जिसमें सर्वसिद्धों को नमस्कार करके आचारांग की निर्युक्ति करने की प्रतिज्ञा की गई है।^२ इसके बाद यह बतलाया गया है कि आचार, अंग, श्रुत, स्कन्ध, ब्रह्म, चरण, शस्त्र, परिज्ञा, सज्ञा और दिशा—इन सबका निक्षेप करना चाहिए। इनमें से कौनसा निक्षेप कितने प्रकार का है, यह बतताते हुए कहा गया है कि चरण और दिशा को छोड़ कर शेष का निक्षेप चार प्रकार का है। चरण का निक्षेप छ प्रकार का है और दिशा का सात प्रकार का।^३

आचार और अंग का निक्षेप पहले किया जा चुका है।^४ यहाँ पर भावाचार के विषय में कुछ विशेष प्रकाश डाला गया है। इसके लिए निम्नलिखित सात द्वारों का आधार लिया गया है एकार्थक, प्रवृत्ति, प्रथमांग, गगी, परिमाण, समवतरण और सार।^५

१ (अ) शीलाक, जिनहस तथा पार्श्वचन्द्रकृत टीकाओं सहित—

राय बहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, वि स १९३६

(आ) शीलाककृत टीकामहित—

आगमोदय समिति, सुरत, वि स १९७२-३,

जेनानन्द पुस्तकालय, गोपीपुरा, सुरत, सन् १९३५

२. गा १ ३. गा २३ ४. दशवेकालिक की क्षुत्तिल्लिङ्गआचारकथा तथा उत्तराध्ययन का चतुर्गतीय अभ्ययन। ५. गा ५-६

आचार के एकार्थक शब्द ये हैं : आचार, आचाल, आगाल, आकर, आश्रास, आदर्श, अग, आचीर्ण, आजाति, आमोक्ष ।^१

आचार का प्रवर्तन कब हुआ ? सभी तीर्थंकरों ने तीर्थ-प्रवर्तन के आदि में आचाराग का प्रवर्तन किया । गेप ग्यारह अगों का आनुपूर्वी से निर्माण हुआ ।^२

आचाराग प्रथम अग क्यों है, इसका कारण बताते हैं । आचाराग द्वाद-शागों में प्रथम है क्योंकि इसमें मोक्ष के उपाय का प्रतिपादन है जो सम्पूर्ण प्रवचन का सार है ।^३

चूँकि आचाराग के अध्ययन से भ्रमणधर्म का परिजान होता है इसलिए इसका प्रधान अर्थात् आद्य गणिस्थान है ।^४

इसका परिमाण इस प्रकार है : इसमें नौ ब्रह्मचर्याभिधायी अध्ययन हैं, अठारह हजार पद हैं, पाँच चूडाए हैं ।^५

इन चूडाओं का ब्रह्मचर्याध्ययनों में समवतरण होता है । ये ही पुनः छ कार्यों में, पाँच व्रतों में, सर्व द्रव्यों में और पर्यायों के अनन्तवें भाग में अवतरित होती हैं ।^६

अब अन्तिम द्वार का स्वरूप बताते हैं । अगों का सार क्या है ? आचार । आचार का सार क्या है ? अनुयोगार्थ । अनुयोगार्थ का सार क्या है ? प्ररूपण । प्ररूपण का सार क्या है ? चरण । चरण का सार क्या है ? निर्वाण । निर्वाण का सार क्या है ? अव्यावाध । यही सर्वोत्कृष्ट सार है—अन्तिम ध्येय है ।^७

चूँकि भावभ्रुतस्कन्ध ब्रह्मचर्यात्मक है अतः ब्रह्म और चरण का निक्षेप करते हैं । ब्रह्म की और इसी प्रकार ब्राह्मण की नामादि चार स्थानों से उत्पत्ति होती है । भावब्रह्म समय है । ब्राह्मण के प्रसंग को दृष्टि में रखते हुए निर्यु-क्तिकार सात वर्णों और नौ वर्णान्तरों का भी वर्णन करते हैं । एक मनुष्यजाति के सात वर्ण ये हैं क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, सकरक्षत्रिय, सकरवैश्य और सकरशूद्र । नौ वर्णान्तर ये हैं अग्रष्ठ, उग्र, निषाद, अयोगव, मागध, सूत, क्षत, विदेह और चाण्डाल ।^८

१ गा ७ २ गा ८ ३. गा ९ ४ गा १० ५
६. गा. १२४ ७ गा १६-७ ८ गा १८-२२

चरण नामादि भेद से छ प्रकार का होता है। भावचरण गति, आहार और गुण के भेद से तीन प्रकार का होता है।^१

मूल और उत्तरगुण की स्थापना करने वाले नौ अध्याय निम्नलिखित हैं : १ शस्त्रपरिज्ञा, २. लोकविजय, ३. शीतौष्ण्य, ४. सम्यक्त्व, ५ लोकसार, ६ ध्रुव, ७ महापरिज्ञा, ८ विमोक्ष और ९ उपधानश्रुत। ये नौ आचार हैं, शेष आचाराग्र हैं।^२

अत्र इन अध्ययनों के अर्थाधिकार बताते हैं। प्रथम अध्ययन का अधिकार जीवसयम है, दूसरे का अष्टविध कर्मविजय है, तीसरे का सुख दुःखतितिक्षा है, चौथे का सम्यक्त्व की दृढता है, पाँचवें का लोकसार रत्नत्रयाराधना है, छठे का निःसगता है, सातवें का मोहसमुत्थ परीषहोपसर्गग्रहणता है, आठवें का निर्याण अर्थात् अन्तक्रिया है और नौवें का जिनप्रतिपादित अर्थभ्रद्धान है।^३

शस्त्रपरिज्ञा में दो पद हैं शस्त्र और परिज्ञा। शस्त्र का निक्षेप नामादि चार प्रकार का है। खड्ग, अग्नि, विष, स्नेह, आम्ल, क्षार, लवणादि द्रव्यशस्त्र हैं। दृष्टप्रयुक्त भाव ही भावशस्त्र है। परिज्ञा भी नामादि भेद से चार प्रकार की है। द्रव्यपरिज्ञा दो प्रकार की है। ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यानपरिज्ञा। भावपरिज्ञा भी दो प्रकार की है : ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यानपरिज्ञा। द्रव्यपरिज्ञा में ज्ञाता अनुपयुक्त होता है जबकि भावपरिज्ञा में ज्ञाता को उपयोग होता है।^४

इसके बाद निर्युक्तिकार सूत्रस्पर्शा निर्युक्ति प्रारम्भ करते हैं। सर्वप्रथम 'सज्ञा' का निक्षेप करते हुए कहते हैं कि सच्चित्तादि (हस्त, ध्वज, प्रदीपादि) से होने वाली सज्ञा द्रव्यसज्ञा है। भावसज्ञा दो प्रकार की है अनुभवनसज्ञा और ज्ञानसज्ञा। मति आदि ज्ञानसज्ञा है। कर्मोदयादि के कारण होने वाली सज्ञा अनुभवनसज्ञा है। यह सोलह प्रकार की है। आहार, भय, परिग्रह, मैथुन, सुख, दुःख, मोह, विचिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, लोक, धर्म और ओष।^५

'दिकु' का निक्षेप सात प्रकार का है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, ताप, प्रज्ञापक और भाव। द्रव्यादि दिशाओं का स्वरूप बताने के षट् आचार्य भाव दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावदिशाएँ अठारह हैं चार प्रकार के — (सम्पर्चनज, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तरद्वीपज), चार प्रकार

के तिर्यंच (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय), चार प्रकार के काय (पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु), चार प्रकार के बीज (अन्न, मूल, स्कन्ध, पर्व), देव और नारक ।^१ चूँकि जीव इन अठारह प्रकार के भावों से युक्त होता है और उसका इनसे व्यपदेश होता है इसलिए इन्हें भावदिशाएँ कहा जाता है । यहाँ तक शस्त्रपरिज्ञा के प्रथम उद्देशक का अधिकार है ।

द्वितीय उद्देशक के प्रारम्भ में पृथ्वी का निक्षेपादि पद्धति से विचार किया गया है । इसके लिए निम्नोक्त द्वारों का आधार लिया गया है : निक्षेप, प्ररूपणा, लक्षण, परिमाण, उपभोग, शस्त्र, वेदना, वध और निवृत्ति ।^२

पृथ्वी का निक्षेप चार प्रकार का है : नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । जो जीव पृथ्वी-नामादि कर्मों को भोगता है वही भावपृथ्वी है ।^३

प्ररूपणाद्वार की व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि पृथ्वीजीव दो प्रकार के हैं सूक्ष्म और बादर । सूक्ष्म जीव सर्वलोकव्यापी हैं । बादर पृथ्वी के पुन दो भेद हैं - इन्द्रग और खर । इन्द्रग के कृष्ण, नील, लोहित, पीत और शुक्ल वर्णरूप पाँच भेद हैं । खर के पृथ्वी, शर्करा, बालुका आदि छत्तीस भेद हैं । बादर और सूक्ष्म दोनों ही या तो पर्याप्तक होते हैं या अपर्याप्तक ।^४

लक्षणद्वार की व्याख्या इस प्रकार है : पृथ्वीकाय के जीवों में उपयोग, योग, अध्यवसाय, मति और श्रुतज्ञान, अचक्षुर्दर्शन, अष्टविषकर्मोदय, लेश्या, सज्ञा, उच्छ्वास और कषाय होते हैं ।^५

परिमाणद्वार का व्याख्यान इस प्रकार है . बादर-पर्याप्तक-पृथ्वीकायिक संवर्तित लोकप्रतर के असख्येय भागप्रमाण हैं, शेष तीन (बादर-अपर्याप्तक एव सूक्ष्म-पर्याप्तक और अपर्याप्तक) में से प्रत्येक असख्येय लोकाकाशप्रदेश प्रमाण है ।^६

उपभोगद्वार की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, उपकरण लेते हुए, रखते हुए आदि अनेक अवसरों पर पृथ्वीकाय के जीवों का हनन होता है ।^७

हल, कुल्हिक, दिष, कुहाला, लित्रक, मृगशृग, काष्ठ, अग्नि, उच्चार, प्रसवण आदि द्रव्यशस्त्र हैं । असयम भावशस्त्र है ।^८

१ गा ४०-६० २ गा ६८ ३ गा ६९-७० ४ गा ७१-९

५ गा ८४ ६ गा ८६ ७ गा ९२-४ ८ गा ९५-६

जिस प्रकार पादादि अग-प्रत्यग के छेदन से मनुष्यों को वेदना होती है उसी प्रकार छेदन-भेदन से पृथ्वीकाय के जीवों को भी वेदना होती है ।^१

वध तीन प्रकार का होता है कृत, कारित और अनुमोदित । अनगार भ्रमण मन, वचन और काय से तीनों प्रकार के वध का त्याग करते हैं ।^२ यही निवृत्तिद्वार है । इसके साथ शस्त्रपरिजा का द्वितीय उद्देशक समाप्त होता है ।

तृतीय उद्देशक में अप्काय की चर्चा करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि अप्काय के भी उतने ही द्वार हैं जितने पृथ्वीकाय के हैं ।^३ अतः इनका विगेष विवेचन करना आवश्यक नहीं है । चौथे उद्देशक में तेजस्काय की चर्चा है जिसमें बादर अग्नि के पाँच भेद किये गये हैं अगार, अग्नि, अर्चि, प्जाला और मुर्मुर् ।^४ पाँचवें उद्देशक में वनस्पति की चर्चा है । इसके भी वे ही द्वार हैं जो पृथ्वीकाय के हैं । बादर वनस्पति के दो भेद हैं प्रत्येक और साधारण । प्रत्येक के चारह प्रकार हैं । साधारण के तो अनेक भेद हैं किन्तु सक्षेप में उसके भी छ भेद किये जा सकते हैं । प्रत्येक के चारह भेद ये हैं १ वृक्ष, २ गुच्छ, ३. गुल्म, ४ लता, ५ वल्लि, ६ पर्वक, ७ तृण, ८ बल्य, ९. हरित, १० औपधि, ११ जलवह, १२ कुहुण । साधारण के छ भेद इस प्रकार हैं १ अग्रबीज, २ मूलबीज, ३ स्कन्धबीज, ४ पर्वबीज, ५ बीजरुह और ६ सम्मूर्च्छनज ।^५ छठे उद्देशक में त्रसकाय की चर्चा की गई है । त्रसकाय के भी वे ही द्वार हैं जो पृथ्वीकाय के हैं । त्रसजीव दो प्रकार के हैं लन्धित्रस और गतित्रस । तेजस् और वायु लन्धित्रस के अन्तर्गत हैं । गतित्रस के चार भेद हैं नारक, तिर्यक्, मनुष्य और सुर । ये या तो पर्याप्तक होते हैं या अपर्याप्तक ।^६ सप्तम उद्देशक में वायुकाय का विचार किया गया है । इसके भी पृथ्वीकाय के समान ही द्वार हैं । वायुकाय के जीव दो प्रकार के होते हैं सूक्ष्म और बादर । बादर के पाँच भेद हैं उत्कलिका, मण्डलिका, गुजा, घन और शुद्ध ।^७ यहाँ तक प्रथम अध्ययन का अधिकार है ।

द्वितीय अध्ययन का नाम लोकविजय है । इसके प्रथम उद्देशक में 'स्वजन' का अधिकार है, जिसमें यह बताया गया है कि भ्रमण माता पिता आदि के प्रति मोह ममता न रखे । दूसरे उद्देशक में समयसम्भन्धी अटद्धत्व की निवृत्ति का उपदेश है । तृतीय उद्देशक में मान न करने की सूचना दी गई है । चौथा

१ गा ९७ २ गा १०१-२ ३ गा १०६, ४ गा ११६-८.
५ गा १२६-१३० ६ गा १५२-४. ७ गा १६४-६

उद्देशक भोगों की निःसारता पर है। पाँचवाँ उद्देशक लोकाश्रय की निवृत्ति से सम्बन्ध रखता है। छठे उद्देशक में अममत्व की परिपालना का उपदेश है।^१

‘लोकविजय’ में दो पद हैं—‘लोक’ और ‘विजय’। ‘लोक’ का निक्षेप आठ प्रकार का है और ‘विजय’ का छ प्रकार का। भावशोक का अर्थ है कषाय। अतः कषायविजय ही लोकविजय है।^२ कषाय की उत्पत्ति कर्म के कारण होती है। कर्म संक्षेप में दस प्रकार का है : नामकर्म, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समुदानकर्म, ईर्यापथिककर्म, आषाकर्म, तपकर्म, कृतिकर्म और भावकर्म।^३

तीसरे अध्ययन का नाम शीतोष्णीय है। इसमें चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में भावसुप्त के दोषों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे में भावसुप्त के अनुभव में आने वाले दुःखों का विचार किया गया है। तीसरे में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि केवल दुःख सहने से ही कोई भ्रमण नहीं बन जाता। भ्रमण की क्रिया करने से भ्रमण बनता है। चौथे में यह बताया गया है कि कषायों का क्या कार्य है, पाप से विरति कैसे सम्भव है, सयम से किस प्रकार कर्मोंका क्षय होकर मुक्ति प्राप्त होती है ? साथ ही इस अध्ययन में ‘शीत’ और ‘उष्ण’ पदों का नामादि निक्षेपों से विचार किया गया है। ज्विपरीषद् और सरकारपरीषद्—ये दो शीत परीषद् हैं। शेष बीस उष्ण परीषद् की कोटि में हैं।^४

चतुर्थ अध्ययन का नाम सम्यक्त्व है। इसके चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में सम्यग्दर्शन का अधिकार है, द्वितीय में सम्यग्ज्ञान का अधिकार है, तृतीय में सम्यक्त्व की चर्चा है, चतुर्थ में सम्यक्चारित्रका वर्णन है। ये चारों भीक्षांग हैं। सुमुक्तु के लिए इन चारों का पालन आवश्यक हैं।^५ सम्यक्त्व का भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—इन चार निक्षेपों से विवेचन होता है। भावसम्यक्त्व तीन प्रकार का है—दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन और चारित्र के पुनः तीन-तीन भेद होते हैं औपशमिक, स्थायिक और क्षायोपशमिक। ज्ञान के दो भेद हैं क्षायोपशमिक और स्थायिक।^६

लोकसार नामक पंचम अध्ययन के छ उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में यह बताया गया है कि हिंसक, विषयारम्भक और एकचर मुनि नहीं हो सकता।

१ गा १७२.

२ गा १७५

३ गा १९२-३

४. गा १९७-२१३

५ गा २१४-५

६ गा २१६-८

दूसरे में यह बताया गया है कि हिंसादि से विरत ही मुनि होता है। तीसरे में इस बात का निर्देश है कि विरत मुनि ही अपरिग्रही होता है। चौथे में यह बताया गया है कि सूत्रार्थापरिनिष्ठित के क्या-क्या प्रत्यपाय होते हैं। पाँचवें में साधु के लिए हृदोपम होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। छठे में उन्मार्गवर्जना पर भार दिया गया है। 'लोक' और 'सार' का भी चार प्रकार का निक्षेप होता है। फलसाधनता ही भावसार है। इससे सिद्धि प्राप्त होती है और फलतः उत्तमसुख का लाभ होता है।^१ इसी बात को दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं : सम्पूर्ण लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार समय है, समय का सार निर्वाण है।^२

इसके बाद सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि चर, चर्या और चरण एकार्यक हैं। चर का छ प्रकार का निक्षेप होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य भावचरण के अन्तर्गत हैं। भावचरण प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का होता है।^३

धूत नामक षष्ठ अध्ययन के पाँच उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में निजक अर्थात् स्वजनों के विधूनन का अधिकार है, द्वितीय में कर्मविधूनन का अधिकार है, तृतीय में उपकरण और शरीर के विधूनन की चर्चा है, चतुर्थ में गौरवत्रिक के विधूनन का अधिकार है, पंचम में उपसर्ग और सम्मान के विधूनन की चर्चा है। द्वादि का प्रक्षालन द्रव्यधूत है। अष्टविध कर्मों का क्षय भावधूत है।^४

रुप्तम अध्ययन व्यवच्छिन्न है। अष्टम अध्ययन का नाम विमोक्ष है। इसके आठ उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में असमनोज के विमोक्ष अर्थात् परित्याग का उपदेश है। द्वितीय में अकल्पिक के विमोक्ष का विधान है। तृतीय में अगच्छेष्टा के प्रति भाषित अथवा आशक्ति सशय के निवारण का विधान है। चतुर्थ में वैहानस (उद्ध्व-धन) तथा गाढपृष्ठ को मरण की उपमा दी गई है। पंचम में ग्लानता तथा भक्तपरिज्ञा का बोध है। षष्ठ में एकत्व-भावना और इगितमरण का बोध है। रुप्तम में प्रतिमाओं तथा पादपौषगमन का विचार किया गया है। अष्टम में अनुपूर्वविहारियों का अधिकार है।^५

१ गा २३५-२४० २ गा. २४४ ३ गा २४५ ६ ४ गा २४९-२५०.
५ गा २५२-६.

विमोक्ष का नामादि छ प्रकार का निश्चेष होता है। भावविमोक्ष दो प्रकार का है : देशविमोक्ष और सर्वविमोक्ष। साधु देशविमुक्त हैं, सिद्ध सर्वविमुक्त हैं।^१

नवम अध्ययन का नाम उपधानश्रुत है। इस अध्ययन के अधिकार की चर्चा करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि जो तीर्थंकर जिस समय उत्पन्न होता है वह उस समय अपने तीर्थ में उपधानश्रुताध्ययन में तप.कर्म का वर्णन करता है।^१ सभी तीर्थंकरों का तप.कर्म निरूपसर्ग है किन्तु वर्धमान का तप.कर्म सोपसर्ग है।^२ इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक का अधिकार चर्या है, दूसरे का शय्या है, तीसरे का परीवह है, चौथे का आतककालीन चिकित्सा है। जैसे चारों उद्देशकों में तपश्चर्या का अधिकार तो है ही।^३

‘उपधान’ और ‘श्रुत’ दोनों का नामादि भेद से चार प्रकार का निश्चेष होता है। शय्यादि में होने वाला उपधान द्रव्योपधान है, तप और चारित्र-सम्बन्धी उपधान भावोपधान है। जिस प्रकार मन्त्रीन वज्र उदकादि द्रव्यों से शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भावोपधान से अष्ट प्रकार के कर्मों की शुद्धि होती है।^४ जो वीरवर वर्धमानस्वामी के बताये हुए इस मार्ग पर चलता है उसे शाश्वत शिरपद की प्राप्ति होती है।^५ यहाँ ब्रह्मचर्य नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध की निर्युक्ति समाप्त होती है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध :

प्रथम श्रुतस्कन्ध में नौ ब्रह्मचर्याध्ययनों का प्रतिपादन किया गया। उनमें सपत्न विवर्क्षित अर्थ का अभिधान न किया जा सका। जो अभिधान किया गया वह भी बहुत ही संक्षेप में किया गया। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए द्वितीय श्रुतस्कन्ध की रचना की गई। आचाराग के परिमाण की चर्चा करते समय इस ओर निर्देश किया गया था कि इनमें नौ ब्रह्मचर्याभिधायी अध्ययन हैं, अष्टादश सहस्र पद हैं और पाँच चूडाएँ अर्थात् चूलिकाएँ हैं।^६ चूलिका का स्वरूप बताते हुए शीशकाचार्य कहते हैं ‘उक्तशेषानुवादिनी चूडा’^७ अर्थात् कइ चुकने पर जो कुछ शेष रह जाता है उसका कथन चूलिका कह्यता है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध को अग्रश्रुतस्कन्ध भी कहते हैं। निर्युक्तिकार ‘अग्र’ शब्द का निश्चेष करते हुए कहते हैं कि अग्र आठ प्रकार का होता है - १. द्रव्याग्र,

१ गा. २१७-९ २. गा २७१ ३ गा २७६ ४ गा २७९
५ गा २८०-२ ६ गा २८४ ७ गा ११ ८ गा ११ की वृत्ति

२. अवगाहनाग्र, ३. आदेशाग्र, ४. कालाग्र, ५. क्रमाग्र, ६. गणनाग्र, ७. सच्चयाग्र, ८. भावाग्र। भावाग्र पुनः तीन प्रकार का है प्रधानाग्र, प्रभूताग्र और उपकाराग्र। प्रस्तुत अधिकार उपकाराग्र का है।^१

चूलिकाओं का परिमाण इस प्रकार है 'पिण्डैपणा' अध्ययन से लेकर 'अद्ग्नहप्रतिमा' अध्ययनपर्यन्त सात अध्ययनों की प्रथम चूलिका है, सप्त-सप्तिका नामक द्वितीय चूलिका है, भावना नामक तृतीय चूलिका है, चतुर्थ चूलिका का नाम विमुक्ति है, निशीथ पंचम चूलिका है।^२

प्रथम चूलिका के सात अध्ययनों के नाम ये हैं . १. पिण्ड, २. शय्या, ३. ईर्या, ४. भाषा, ५. वस्त्र, ६. पात्र, ७. अवग्रह। निर्युक्तिकार ने इनकी नामादि निक्षेपों से व्याख्या की है।^३ आगे की गाथाओं में सप्तसप्तिका, भावना और विमुक्ति का विशेष व्याख्यान है।^४ निशीथ चूलिका के विषय में आचार्य कहते हैं कि इसकी निर्युक्ति मैं बाद में करूंगा। यह निर्युक्ति निशीथनिर्युक्ति के रूप में अलग से उपलब्ध थी जो बाद में निशीथभाष्य में मिल गई।



१. गा २८५-६ २. गा २९७ ३. गा २९८-३२२.
४. गा ३२३-३४६ ५. गा ३४७

षष्ठ प्रकरण

सूत्र तांगनिर्युक्ति

इस निर्युक्ति में २०५ गाथाएँ हैं। गाथा १८ और २० में 'सूत्रकृताग' शब्द का चिन्तन किया गया है। गाथा ६६ ६७ में पदप्रकार के परमाध्यात्मिकों के नाम गिनाये गये हैं अम्ब, अम्बरीष, श्याम, शत्रुघ्न, रुद्र, अवग्रह, काल, महाकाल, असिपत्र, धनुष, कुम्भ, बालुक, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष। आगे की कुछ गाथाओं में निर्युक्तिकार ने यह बताया है कि ये नरकवासियों को किस प्रकार सताते हैं, क्या-क्या यातनाएँ पहुँचाते हैं। गाथा ११९ में आचार्य ने निम्नलिखित ३६३ मतान्तरों का निर्देश किया है - १८० क्रियावादी, ८४ अक्रियावादी, ६७ अज्ञानवादी और ३२ वैयक्तिक। गाथा १२७-१३१ में शिष्य और शिक्षक के भेद-प्रभेदों का निर्देश किया गया है।

इन विषयों के अतिरिक्त प्रस्तुत निर्युक्ति में अनेक पदों का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है। उदाहरण के लिए गाथा, षोडश, श्रुत, स्कन्ध, पुरुष, विभक्ति, समाधि, मार्ग, आदान, ग्रहण, अध्ययन, पुण्डरीक, आहार, प्रत्याख्यान, सूत्र, आर्द्र आदि शब्दों का नामादि निक्षेपों से विचार किया गया है। इस निर्युक्ति में पर्यायवाचक शब्दों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 'आर्द्र' पद की व्याख्या करते समय आर्द्र की जीवन कथा भी दे दी गई है। अन्त में नालन्दा अध्ययन की निर्युक्ति करते समय 'अल्प' शब्द की नामादि चार प्रकार के निक्षेपों से व्याख्या की गई है और बताया गया है कि राजग्रह नगर के बाहर नालन्दा बसा हुआ है।



१ (अ) शीलाकृत टीकासहित—आगामोदय समिति, बम्बई, सन् १९१७

(ब) सूत्रसहित—सम्पादक डा पी एल वैद्य, पूना, सन् १९२८

सप्तम प्रकरण

दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति

यह निर्युक्ति^१ दशाश्रुतस्कन्ध नामक छेदसूत्र पर है। प्रारम्भ में निर्युक्तिकार ने दशा, कल्प और व्यवहार सूत्र के कर्ता, चरम सकलश्रुतज्ञानी, प्राचीन गोत्रीय भद्रबाहु को नमस्कार किया है

वंदामि भद्रबाहु, पाईण चरमसयलसुअनाणि ।
सुत्तस्स कारगमिसि, दसासु कप्पे अ ववहारे ॥

तदनन्तर 'एक' और 'दश' का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया है तथा दशाश्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों के अधिकारों का निर्देश किया है। प्रथम अध्ययन असमाधिस्थान की निर्युक्ति में द्रव्य और भावसमाधि का स्वरूप बताया है तथा स्थान के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, अद्वा, ऊर्ध्व, चर्या, चसति, समय, प्रग्रह, योध, अचल, गणन, सचान और भाव—इन पदों का उल्लेख किया है

नाम ठवणा दविए खेत्तद्वा उड्ढओ चरई वसही ।
सजम पग्गाह जोहो अचल गणण सधणा भावे ॥

द्वितीय अध्ययन शत्रल की निर्युक्ति में शत्रल का नामादि चार निक्षेपों से व्याख्यान किया गया है और बताया गया है कि आचार से भिन्न अर्थात् अशत गिरा हुआ व्यक्ति भावशत्रल है।

तृतीय अध्ययन आशातना की निर्युक्ति में दो प्रकार की आशातना की व्याख्या है मिथ्याप्रतिपादनसम्बन्धी एव लाभसम्बन्धी (भासायणा उ दुविहा मिच्छापडिच्चज्जणा य लाभे अ)। लाभसम्बन्धी आशातना के पुन नामादि छ भेद होते हैं।

१ यह परिचय मुनि श्री पुण्यविजयजी के असीम सौजन्य से प्राप्त दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण की हस्तलिखित प्रति की निर्युक्ति-नाथानों के आधार पर लिखा गया है।

चतुर्थ अध्ययन गणिसपदा की निर्युक्ति में 'गणि' और 'सपदा' पदों का निक्षेपपूर्वक विचार किया गया है। निर्युक्तिकार ने गणि ओर गुणी को एकार्थक बताया है। आचार का अध्ययन करने से भ्रमणधर्म का ज्ञान होता है, अतः आचार को प्रथम गणिस्थान दिया गया है। सपदा दो प्रकार की होती है - द्रव्यसपदा और भावसपदा। शरीरसपदा द्रव्यसपदा है। आचार आदि भावसपदा है।

चित्तसमाधिस्थान नामक पञ्चम अध्ययन की निर्युक्ति में 'चित्त' और 'समाधि' का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है। चित्त नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से चार प्रकार का है। इसी प्रकार समाधि भी चार प्रकार की है। भावचित्त की समाधि ही भावसमाधि है। रागद्वेषरहित चित्त जब विशुद्ध धर्म ध्यान में लीन होता है तभी उसकी समाधि भावसमाधि कही जाती है।

उपासकप्रतिमा नामक षष्ठ अध्ययन की निर्युक्ति में 'उपासक' और 'प्रतिमा' का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है। उपासक चार प्रकार का होता है : द्रव्योपासक, तदर्थोपासक, मोहोपासक और भावोपासक। जो सम्यग्दृष्टि है तथा भ्रमण की उपासना करता है वह भावोपासक है। उसे श्रावक भी कहते हैं। प्रतिमा नामादि चार प्रकार की है। सद्गुणधारणा का नाम भावप्रतिमा है। वह दो प्रकार की है भिक्षुप्रतिमा और उपासकप्रतिमा। भिक्षुप्रतिमाएँ चारह हैं। उपासकप्रतिमाओं की संख्या ग्यारह है। प्रस्तुत अधिकार उपासकप्रतिमा का है।

सप्तम अध्ययन में भिक्षुप्रतिमा का अधिकार है। भावभिक्षु की प्रतिमा पाँच प्रकार की होती है : समाधिप्रतिमा, उपधानप्रतिमा, विवेकप्रतिमा, प्रतिसंलीनप्रतिमा और एकविहारप्रतिमा :—

समाधि स्वहाणे य विवेगपडिमाइभा ।

पडिसलीणा य तहा एगविहारे क्ष पंचमिआ ॥

अष्टम अध्ययन की निर्युक्ति में पर्युषणाकल्प का व्याख्यान किया गया है। परिवसना, पर्युषणा, पर्युपशमना, वर्षावास, प्रथमसमवसरण, स्थापना और ज्येष्ठग्रह एकार्थक हैं -

परिवसणा पञ्जुसणा, पज्जोसमणा य वासवासो य ।

पढमसमोसरण ति य उवणा जेट्ठोग्गहेगट्ठा ॥

साधुओं के लिए वर्षा ऋतु में चार मास तक एक स्थान पर रहने का जो विधान है उसी का नाम वर्षावास है। उन्हें हेमन्त के चार मास और ग्रीष्म के चार मास इन आठ महीनों में भिन्न-भिन्न स्थानों में विचरना चाहिए।

नवम अध्ययन में मोहनीयस्थान का अधिकार है। मोह नामादि चार प्रकार का है। पाप, वर्ज्य, वैर, पक, पनक, क्षोभ, असात, सग, शल्य, अतर, निरति और धूर्त्य मोह के पर्यायवाची हैं।

पावे वज्जे वेरे पके पणगे खुहे असाए य ।

संगे सल्लेयरेए निरए धुत्ते य एगट्ठा ॥

दशम अध्ययन में अजातिस्थान का अधिकार है। अजाति अर्थात् जन्म-मरण के क्या कारण हैं और अनाजाति अर्थात् मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है? इन दोनों प्रश्नों का प्रस्तुत अध्ययन की निर्युक्ति में समाधान किया गया है।



अष्टम प्रकरण

बृहत्कल्पनिर्युक्ति

यह निर्युक्ति^१ भाष्यमिश्रित अवस्था में मिलती है। इसमें सर्वप्रथम तीर्थ-
करों को नमस्कार किया गया है।^२ इसके बाद ज्ञान के विविध भेदों का निर्देश
किया गया है और कहा गया है कि ज्ञान और मगल में कथञ्चित् भेद और
कथञ्चित् अभेद है। मगल चार प्रकार का है • नाममंगल, स्थापनामगल,
द्रव्यमगल और भावमंगल।^३ इस प्रकार मगल का निक्षेप पद्धति से व्याख्यान
किया गया है और साथ ही ज्ञान के भेदों की चर्चा की गई है।

अनुयोग का निक्षेप करते हुए कहा गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य,
क्षेत्र, काल, वचन और भाव—इन सात भेदों से अनुयोग का निक्षेप होता है।^४
निरुक्त का अर्थ है निश्चित उक्त। वह दो प्रकार का है सूत्रनिरुक्त और
अर्थनिरुक्त।^५ अनुयोग का अर्थ इस प्रकार है • अनु अर्थात् पदचाद्भूत जो योग
है वह अनुयोग है। अथवा अणु अर्थात् स्तोकरूप जो योग है वह अनुयोग है।
चूँकि यह पीछे होता है और स्तोकरूप में होता है इसलिए इसे अनुयोग कहते
हैं।^६ कल्प के चार अनुयोगद्वार हैं : उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय।^७

रूप और व्यवहार का भ्रवण और अध्ययन करने वाला बहुभ्रुत, चिर-
प्रसन्नित, कल्पिक, अचंचल, अवस्थित, मेघावी, अपरिभावी, विद्वान्, प्राता-
नुज्ञात और भावपरिणामक होता है।^८

प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ में प्रलम्बसूत्र का अधिकार है। उसकी सूत्रस्पर्शिक
निर्युक्ति करते हुए कहा गया है कि आदि नकार, अथ, आम, ताल, प्रलम्ब
और भिन्न—इन सब पदों का नामादि भेद से चार प्रकार का निक्षेप होता है।^९
इसके बाद प्रलम्बग्रहण से सबन्ध रखने वाले प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया
है। तत्रग्रहण का विवेचन करते हुए कहा गया है कि तत्रग्रहण दो प्रकार का

- १ निर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिसहित—सम्पादक : मुनि चतुरविजय तथा पुण्य-
विजय, प्रकाशक जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३-१९४२-
२ गा १ ३ गा ३-५ ४ गा. १५१ ५ गा १८८.
६ गा. १९०. ७ गा. २५६ ८ गा ४००-१. ९ गा ८१५.

होता है . सपरिग्रह और अपरिग्रह । सपरिग्रह तीन प्रकार का है : देवपरिग्रहीत, मनुष्यपरिग्रहीत और तिर्यक्परिग्रहीत ।^१ मासकल्पप्रकृत सूत्रों की व्याख्या करते हुए ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश, सबाघ, घोष, अशिका आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है ।^२ आगे की कुछ गाथाओं में जिनकल्पिक और स्यविरकल्पिक के आहार-विहार की चर्चा है । व्यवशमनप्रकृत सूत्र की निर्युक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि क्षमित, व्यवशमित, विनाशित और क्षपित एकार्थबोधक पद हैं । प्राभृत, प्रहेणक और प्रणयन एकार्थवाची है ।^३ प्रथम उद्देशक के अन्त में आर्यक्षेत्रप्रकृत सूत्र का व्याख्यान है जिसमें 'आर्य' पद का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, जाति, कुल, कर्म, भाषा, शिल्प, ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन बारह प्रकार के निक्षेपों से विचार किया गया है ।^४ आर्यक्षेत्र की मर्यादा भगवान् महावीर के समय से ही है, इस बात का निरूपण करते हुए आर्यक्षेत्र के बाहर विचरण करने से लाने वाले दोषों का स्कन्दकाचार्य के दृष्टान्त के साथ दिग्दर्शन किया गया है । साथ ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र की रक्षा और वृद्धि के लिए आर्यक्षेत्र के बाहर विचरण की आज्ञा भी दी गई है जिसका सप्रतिराज के दृष्टान्त से समर्थन किया गया है ।^५ इसी प्रकार आगे के उद्देशकों का भी निक्षेप पद्धति से व्याख्यान किया गया है ।



१ गा ८९१-२ २ गा १०८८-११२०. ३ गा २६७८ ४ गा ३२६३
५ गा ३२७१-३२८९

नवम प्रकरण

व्यवहारनिर्युक्ति

व्यवहार सूत्र और बृहत्कल्प सूत्र एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार बृहत्कल्प सूत्र में भ्रमण-जीवन की साधना के लिए आवश्यक विधि-विधान, दोष, अपवाद आदि का निर्देश किया गया है उसी प्रकार व्यवहार सूत्र में भी इन्हीं विषयों से संबंधित उल्लेख हैं। यही कारण है कि व्यवहार-निर्युक्ति^१ में भी अधिकतर उन्हीं अथवा उसी प्रकार के विषयों का विवेचन है जो बृहत्कल्प-निर्युक्ति में उपलब्ध हैं। इस प्रकार ये दोनों निर्युक्तियाँ परस्पर पूरक हैं। व्यवहारनिर्युक्ति भी भाष्यमिश्रित अवस्था में ही मिलती है।



१ निर्युक्ति भाष्य-मलयगिरिविवरणसहित—प्रकाशक केशवलाल प्रेमचंद मोदी, व त्रिकमलाल उगारचंद्र, अहमदाबाद, वि सं १९८२-५.

दशम प्रकरण

अन्य निर्युक्तियाँ

यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्य भद्रबाहु ने दस सूत्रग्रथों पर निर्युक्ति लिखने की प्रतिज्ञा की थी। इन दस निर्युक्तियों में से आठ उपलब्ध हैं और दो अनुपलब्ध। इन आठ निर्युक्तियों का परिचय कहीं सक्षेप में तो कहीं विस्तार से दिया जा चुका है। इनके अतिरिक्त पिण्डनिर्युक्ति, ओघनिर्युक्ति, पचकल्पनिर्युक्ति, निशीथनिर्युक्ति व ससक्तनिर्युक्ति भी मिलती हैं। ससक्तनिर्युक्ति बहुत बाद के किसी आचार्य की रचना है। पिण्डनिर्युक्ति, ओघनिर्युक्ति और पचकल्पनिर्युक्ति स्वतन्त्र निर्युक्तिग्रथ न होकर ऋषभ, दशवैकालिकनिर्युक्ति, आवश्यकनिर्युक्ति और बृहत्कल्पनिर्युक्ति के ही पूरक अंग हैं। निशीथनिर्युक्ति भी एक प्रकार से आचारागनिर्युक्ति का ही अंग है क्योंकि आचारागनिर्युक्ति के अन्त में स्वयं निर्युक्तिकार ने लिखा है कि पचम चूलिका निशीथ की निर्युक्ति में बाद में करूँगा।^१ यह निर्युक्ति निशीथभाष्य में इस प्रकार समाविष्ट हो गई है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। गोविन्दाचार्यकृत एक अन्य निर्युक्ति अनुपलब्ध है।



१ पचमचूलिकानिशीथ तस्स य उचरिं भणीहामि ।

प्रथम प्रकरण

भाष्य और भाष्यकार

आगमों की प्राचीनतम पद्यात्मक टीकाएँ निर्युक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। निर्युक्तियों की व्याख्यान शैली बहुत गूढ़ एवं सकोचशील है। किसी भी विषय का जितने विस्तार से विचार होना चाहिए, उसका उनमें अभाव है। इसका कारण यही है कि उनका मुख्य उद्देश्य पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना है, न कि किसी विषय का विस्तृत विवेचन। यही कारण है कि निर्युक्तियों की अनेक बातें बिना आगे की व्याख्याओं की सहायता के सरलता से समझ में नहीं आतीं। निर्युक्तियों के गूढ़ार्थ को प्रकटरूप में प्रस्तुत करने के लिए आगे के व्याचार्यों ने उन पर विस्तृत व्याख्याएँ लिखना आवश्यक समझा। इस प्रकार निर्युक्तियों के आधार पर अथवा स्वतंत्ररूप से जो पद्यात्मक व्याख्याएँ लिखी गईं वे भाष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। निर्युक्तियों की भाँति भाष्य भी प्राकृत में ही हैं।

भाष्य :

जिस प्रकार प्रत्येक आगम ग्रन्थ पर निर्युक्ति न लिखी जा सकी उसी प्रकार प्रत्येक निर्युक्ति पर भाष्य भी नहीं लिखा गया। निम्नलिखित आगम ग्रन्थों पर भाष्य लिखे गये हैं १. आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ वृहत्कल्प, ५ पञ्चकल्प, ६ व्यवहार, ७ निशीथ, ८ जीतकल्प, ९ ओषधिनिर्युक्ति, १० विण्डनिर्युक्ति।

आवश्यकसूत्र पर तीन भाष्य लिखे गए हैं १. मूलभाष्य, २ भाष्य और ३ विशेषावश्यकभाष्य। प्रथम दो भाष्य बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखे गये और उनकी अनेक गाथाएँ विशेषावश्यकभाष्य में सम्मिलित करली गईं। इस प्रकार विशेषावश्यकभाष्य को तीनों भाष्यों का प्रतिनिधि माना जा सकता है, जो आज भी विद्यमान है। यह भाष्य पूरे आवश्यकसूत्र पर न होकर केवल उसके प्रथम अध्ययन सामायिक पर है। एक अध्ययन पर होते हुए भी इसमें ३६०३ गाथाएँ हैं। दशवैकालिकभाष्य में ६३ गाथाएँ हैं। उत्तराध्ययनभाष्य

भी बहुत छोटा है। इसमें केवल ४५ गाथाएँ हैं। बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं : बृहत् और लघु। बृहद्भाष्य पूरा उपलब्ध नहीं है। लघुभाष्य में ६४९० गाथाएँ हैं। पञ्चकल्प महाभाष्य की गाथासंख्या २५७४ है। व्यवहारभाष्य में ४६२९ गाथाएँ हैं। निशीथभाष्य में लगभग ६५०० गाथाएँ हैं। जीतकल्पभाष्य की गाथासंख्या २६०६ है। ओषनिर्युक्ति पर दो भाष्य हैं जिनमें से एक की गाथासंख्या ३२२ तथा दूसरे की २५१७ है। पिण्डनिर्युक्ति भाष्य में ४६ गाथाएँ हैं।

भाष्यकार :

उपलब्ध भाष्यों की प्रतियों के आधार पर केवल दो भाष्यकारों के नाम का पता लगता है। वे हैं आचार्य जिनभद्र और सधदासगणि। आचार्य जिनभद्र ने दो भाष्य लिखे विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पभाष्य। सधदासगणि के भी दो भाष्य हैं बृहत्कल्प लघुभाष्य और पञ्चकल्प महाभाष्य।

आचार्य जिनभद्र :

आचार्य जिनभद्र^१ का अपने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के कारण जैन परंपरा के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। इतना होते हुए भी आश्चर्य इस बात का है कि उनके जीवन की घटनाओं के विषय में जैन ग्रंथों में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म और शिष्यत्व के विषय में परस्पर विरोधी उल्लेख मिलते हैं। ये उल्लेख बहुत प्राचीन नहीं हैं अपितु १५ वीं या १६ वीं शताब्दी की पट्टावलियों में हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य जिनभद्र को पट्टपरंपरा में सम्यक् स्थान नहीं मिला। उनके महत्त्वपूर्ण ग्रंथों तथा उनके आधार पर लिखे गये विवरणों को देखकर ही बाद के आचार्यों ने उन्हें उचित महत्त्व दिया तथा आचार्य परंपरा में सम्मिलित करने का प्रयास किया। चूंकि इस प्रयास में वास्तविकता की मात्रा अधिक न थी अतः यह स्वाभाविक है कि विभिन्न आचार्यों के उल्लेखों में मतभेद हो। यही कारण है कि उनके सग्रह में यह भी उल्लेख मिलता है कि वे आचार्य हरिभद्र के पट्ट पर बैठे।

आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की प्रति शक सन् ५३१ म ल्पि गई तथा वलमी के एक जैन मंदिर में समर्पित की गई। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि आचार्य जिनभद्र का वलमी से कोई सग्रह अवश्य होना चाहिए। आचार्य जिनभद्र लिखते हैं कि आचार्य जिनभद्र क्षमाभमण

ने मथुरा में देवनिर्मित स्तूप के देव की आराधना एक पक्ष की तपस्या द्वारा की और दीमक द्वारा खाए हुए महानिशीथ सूत्र का उद्धार किया।^१ इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य जिनभद्र का सबंध वरुषी के अतिरिक्त मथुरा से भी है।

डा० उमाकांत प्रेमानंद शाह ने अकोट्टक—अकोटा गाँव से प्राप्त हुई दो प्रतिमाओं के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये प्रतिमाएँ ई० सन् ५५० से ६०० तक के काल की हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि इन प्रतिमाओं के लेखों में जिन आचार्य जिनभद्र का नाम है, वे विशेषावश्यकभाष्य के कर्ता क्षमाश्रमण आचार्य जिनभद्र ही हैं। उनकी वाचना के अनुसार एक मूर्ति के पद्मासन के पिछले भाग में 'ॐ देवधर्मोय निवृत्तिकुले जिनभद्रवाचना-चार्यस्य' ऐसा लेख है और दूसरी मूर्ति के भामडल में 'ॐ निवृत्तिकुले जिनभद्र-वाचनाचार्यस्य' ऐसा लेख है।^१ इन लेखों से तीन बातें फलित होती हैं (१) आचार्य जिनभद्र ने इन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया होगा, (२) उनके कुल का नाम निवृत्तिकुल था और (३) उन्हें वाचनाचार्य कहा जाता था। चूंकि ये मूर्तियाँ अकोट्टक में मिली हैं, अतः यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भड़ौच के आसपास भी जैनो का प्रभाव रहा होगा और आचार्य जिनभद्र ने इस क्षेत्र में भी विहार किया होगा। उपर्युक्त उल्लेखों में आचार्य जिनभद्र को क्षमाश्रमण न कहकर वाचनाचार्य इसलिए कहा गया है कि परंपरा के अनुसार वादी, क्षमाश्रमण, दिवाकर तथा वाचक एतार्थक शब्द माने गए हैं।^१ वाचक और वाचनाचार्य भी एकार्थक हैं, अतः वाचा-चार्य और क्षमाश्रमण शब्द वास्तव में एक ही अर्थ के सूचक हैं।^१ इनमें से एक का प्रयोग करने से दूसरे का प्रयोजन भी सिद्ध हो ही जाता है।

१. विविधतीर्थरूप, पृ० १९ २ जैन सत्य प्रकाश, अंक १९६. ३. वडो
४ पं० श्री दलमुल मालप्रणिषा ने इन शब्दों की मीमासा इस प्रकार की है.—

प्रारंभ में 'वाचक' शब्द शास्त्रविस्तारद के लिये विशेष प्रचलित था। परन्तु जब वाचकों में क्षमाश्रमणों की संख्या बढ़ती गई तब 'क्षमाश्रमण' शब्द भी वाचक के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अथवा 'क्षमाश्रमण' शब्द आचक्षुषसूत्र में सामान्य गुरु के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। अतः संभव है कि शिष्य विद्यागुरु को क्षमाश्रमण के नाम से संबोधित करते रहे हों। इसलिए यह स्वाभाविक है कि 'क्षमा-

आचार्य जिनभद्र निवृत्तिकुल के थे, इसका प्रमाण उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता। यह निवृत्तिकुल कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसके लिए निम्न कथानक का आधार लिया जा सकता है.—

भगवान् महावीर के १७ वें पट्ट पर आचार्य वज्रसेन हुए थे। उन्होंने सोपारक नगर के सेठ जिनदत्त और सेठानी ईश्वरी के चार पुत्रों को दीक्षा दी थी। उनके नाम इस प्रकार थे. नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति और विद्याधर। आगे जाकर इनके नाम से भिन्न भिन्न चार प्रकार की परम्पराएँ प्रचलित हुईं और उनकी नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति तथा विद्याधर कुलों के रूप में प्रसिद्धि हुई।^१

इन तथ्यों के अतिरिक्त उनके जीवन से स्वधित और कोई विशेष बात नहीं मिलती। हाँ, उनके गुणों का वर्णन अवश्य उपलब्ध होता है। जीतकल्प चूर्णिके कर्ता सिद्धसेनगणि अपनी चूर्णिके प्रारम्भ में आचार्य जिनभद्र की स्तुति करते हुए उनके गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं—

‘जो अनुयोगधर, युगप्रधान, प्रधान ज्ञानियों से बहुमत, सर्व श्रुति और शास्त्र में कुशल तथा दर्शन ज्ञानोपयोग के मार्गरक्षक हैं। जिस प्रकार कमल की सुगन्ध के वश में होकर भ्रमर कमल की उपासना करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूप मकरद के पिपासु मुनि जिनके मुसुरूप निर्झर से प्रवाहित ज्ञानरूप

भ्रमण’ ‘वाचक’ का पर्याय बन जाए। जैन समाज में जब चादियों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, शास्त्र-वैशारद्य के कारण वाचको का ही अधिकतर भाग ‘वादी’ नाम से विख्यात हुआ होगा। अतः कालांतर में ‘वादी’ का भी ‘वाचक’ का ही पर्यायवाची बन जाना स्वाभाविक है। सिद्धसेन जैसे शास्त्रविशारद विद्वान् अपने को ‘दिवाकर’ कहलाते होंगे अथवा उनके साथियों ने उन्हें ‘दिवाकर’ की पदवी दी होगी, इसलिए ‘वाचक’ के पर्यायों में ‘दिवाकर’ को भी स्थान मिल गया। आचार्य जिनभद्र का युग क्षमाभ्रमणों का युग रहा होगा, अतः संभव है कि उनके वाद के लेखकों ने उनके लिए ‘वाचनाचार्य’ के स्थान पर ‘क्षमाभ्रमण’ पद का उल्लेख किया हो।

—गणधरवाद . प्रस्तावना, पृ ३१

अमृत का सर्वदा सेवन करते हैं। स्व समय तथा पर समय के आगम, लिपि, गणित, छन्द और शब्दशास्त्रों पर किए गए व्याख्यानों से निर्मित जिनका अनुपम यज्ञपट्टह दसों दिशाओं में बज रहा है। जिन्होंने अपनी अनुपम बुद्धि के प्रभाव से ज्ञान, ज्ञानी, हेतु, प्रमाण तथा गणवरवाट का सविशेष विवेचन विशेषावश्यक में ग्रथनिबद्ध किया है। जिन्होंने छेदसूत्रों के अर्थ के आवार पर पुरुषविशेष के पृथक्करण के अनुसार प्रायश्चित्त की विधि का विधान करने वाले जीतरूपसूत्र की रचना की है। ऐसे पर-समय के सिद्धांतों में निपुण, सयमशील भ्रमणों के मार्ग के अनुगामी और क्षमाभ्रमणों में निधानभूत जिन-भद्रगणि क्षमाभ्रमण को नमस्कार हो।^१

इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिनभद्रगणि आगमों के अद्वितीय व्याख्याता थे, 'युगप्रधान' पद के धारक थे, तत्कालीन प्रधान श्रुतवर भी इनका बहुमान करते थे, श्रुति और अन्य शास्त्रों के कुशल विद्वान् थे। जैन परंपरा में जो ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग का विचार किया गया है, उसके ये समर्थक थे। इनकी सेवा में अनेक मुनि जानाम्यास करने के लिए सदा उपस्थित रहते थे। भिन्न भिन्न दर्शनों के शास्त्र, लिपिविद्या, गणितशास्त्र, छन्दशास्त्र, शब्दशास्त्र आदि के ये अनुपम पंडित थे। इन्होंने विशेषावश्यकभाष्य और जीतरूपसूत्र की रचना की थी। वे पर-सिद्धान्त में निपुण, स्नाचारपालन में प्रवृण और सर्व जैन भ्रमणों में प्रमुख थे।

उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी आचार्य जिनभद्र का बहुमानपूर्वक नामोल्लेख किया है। इनके लिए भाष्यसुधाभोवि, भाष्यपीयूषपायोधि, भगवान् भाष्यकार, दुपमान्वकारनिमग्नजिनवचनप्रदीपप्रतिम, दलितकुवादिप्रनाद, प्रगस्यभाष्य-सस्यकाश्यपीकल्प, त्रिभुवनजनप्रथितप्रवचनोपनिपद्वेदी, सन्देशसन्तोहडौलश्रृंग-भगदम्पोलि आदि विशेषणों का प्रयोग किया है।

आचार्य जिनभद्र के समय के विषय में मुनि श्री जिनविजयजी का मन है कि उनकी मुख्य कृति विशेषावश्यकभाष्य की जैसम्प्रेरस्थित प्रति के अन्त में मिलने वाली दो गाथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस भाष्य की रचना विक्रम संवत् ६६६ में हुई। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं —

पच सता इगतीसा सगणिवकालस्स चट्टमाणस्स ।
तो चेतपुण्णिगमाए बुधदिण सार्तिमि णक्खत्ते ॥

१ जीतरूपचूर्णि, गा० ५-१० (जीतरूपसूत्र प्रस्तावना, पृ० ६-७)

आचार्य जिनभद्र निवृत्तिकुल के थे, इसका प्रमाण उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता। यह निवृत्तिकुल कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसके लिए निम्न कथानक का आधार लिया जा सकता है।—

भगवान् महावीर के १७ वें पट पर आचार्य वज्रसेन हुए थे। उन्होंने सोपारक नगर के सेठ जिनदत्त और सेठानी ईश्वरी के चार पुत्रों की दीक्षा दी थी। उनके नाम इस प्रकार थे नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति और विद्याधर। आगे जाकर इनके नाम से भिन्न भिन्न चार प्रकार की परम्पराएँ प्रचलित हुईं और उनकी नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति तथा विद्याधर कुलों के रूप में प्रसिद्धि हुई।^१

इन तथ्यों के अतिरिक्त उनके जीवन से स्वधित और कोई विशेष बात नहीं मिलती। हाँ, उनके गुणों का वर्णन अवश्य उपलब्ध होता है। जीतकल्प चूर्णिके कर्ता सिद्धसेनगणि अपनी चूर्णिके प्रारम्भ में आचार्य जिनभद्र की स्तुति करते हुए उनके गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं —

‘जो अनुयोगधर, युगप्रधान, प्रधान ज्ञानियों से बहुमत, सर्व श्रुति और शास्त्र में कुशल तथा दर्शन ज्ञानोपयोग के मार्गरक्षक हैं। जिस प्रकार कमल की सुगन्ध के वश में होकर भ्रमर कमल की उपासना करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूप मकरद के पिपासु मुनि जिनके मुररूप निर्झर से प्रवाहित ज्ञानरूप

श्रमण’ ‘वाचक’ का पर्याय बन जाए। जैन समाज में जब वादियों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, शास्त्र-वैशारद्य के कारण वाचकों का ही अधिकतर भाग ‘वादी’ नाम से विख्यात हुआ होगा। अतः कालांतर में ‘वादी’ का भी ‘वाचक’ का ही पर्यायवाची बन जाना स्वाभाविक है। सिद्धसेन जैसे शास्त्रविशारद विद्वान् अपने को ‘दिवाकर’ कहलाते होंगे अथवा उनके साथियों ने उन्हें ‘दिवाकर’ की पदवी दी होगी, इसलिए ‘वाचक’ के पर्यायों में ‘दिवाकर’ को भी स्थान मिल गया। आचार्य जिनभद्र का युग क्षमाश्रमणों का युग रहा होगा, अतः संभव है कि उनके वाद के लेखकों ने उनके लिए ‘वाचनाचार्य’ के स्थान पर ‘क्षमाश्रमण’ पद का उल्लेख किया हो।

—गणधरवाद . प्रस्तावना, पृ ३१

अमृत का सर्वदा सेवन करते हैं। एत समय तथा पर समय के आगम, लिपि, गणित, छन्द और शब्दशास्त्रों पर किए गए व्याख्यानों से निर्मित जिनका अनुपम यशपट्टह दसों दिशाओं में बज रहा है। जिन्होंने अपनी अनुपम बुद्धि के प्रभाव से ज्ञान, ज्ञानी, हेतु, प्रमाण तथा गणधरवाद का सविशेष विवेचन विशेषावश्यक में प्रथमनिबद्ध किया है। जिन्होंने छेदसूत्रों के अर्थ के आधार पर [पुरुषविशेष के पृथक्करण के अनुसार प्रायश्चित्त की विधि का विधान करने वाले जीतकरूपसूत्र की रचना की है। ऐसे पर-समय के सिद्धांतों में निपुण, सयमशील भ्रमणों के मार्ग के अनुगामी और क्षमाभ्रमणों में निधानभूत जिन-भद्रगणि क्षमाभ्रमण को नमस्कार हो।^१

इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिनभद्रगणि आगमों के अद्वितीय व्याख्याता थे, 'युगप्रधान' पद के धारक थे, तत्कालीन प्रधान श्रुतधर भी इनका बहुमान करते थे, श्रुति और अन्य शास्त्रों के कुशल विद्वान् थे। जैन परंपरा में जो ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग का विचार किया गया है, उसके ये समर्थक थे। इनकी सेवा में अनेक मुनि ज्ञानाभ्यास करने के लिए सदा उपस्थित रहते थे। भिन्न भिन्न दर्शनों के शास्त्र, लिपिविद्या, गणितशास्त्र, छन्दशास्त्र, शब्दशास्त्र आदि के ये अनुपम पंडित थे। इन्होंने विशेषावश्यकभाष्य और जीतकरूपसूत्र की रचना की थी। ये पर-सिद्धान्त में निपुण, स्वाचारपालन में प्रवण और सर्व जैन भ्रमणों में प्रमुख थे।

उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी आचार्य जिनभद्र का बहुमानपूर्वक नामोल्लेख किया है। इनके लिए भाष्यसुधामोधि, भाष्यपीयूषपाथोधि, भगवान् भाष्यकार, दुपमान्धकारनिभनजिनवचनप्रदीपप्रतिम, दलितकुवादिप्रवाद, प्रशस्यभाष्य-सस्यकाश्यपीकल्प, त्रिभुवनजनप्रथितप्रवचनोपनिपद्देदी, सन्देहसन्दोहशैलशृंग-भगदम्भोलि आदि विशेषणों का प्रयोग किया है।

आचार्य जिनभद्र के समय के विषय में मुनि श्री जिनत्रिजयजी का मत है कि उनकी मुख्य कृति विशेषावश्यकभाष्य की जैसञ्जमेरस्थित प्रति के अन्त में मिलने वाली दो गाथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस भाष्य की रचना विक्रम संवत् ६६६ में हुई। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं —

पच सता इगतीसा सगणिवकालस्स वट्टमाणस्स ।
तो चेत्तपुण्णिमाए बुधदिण सार्तिमि णक्खत्ते ॥

१ जीतकरूपचूर्णि, गा० ५-१० (जीतकरूपसूत्र प्रस्तावना, पृ० ६-७)

रब्जे णु पालणपरे सी (लाइ) च्चम्मि णरवरिन्दम्मि ।
वलभीणगरीए इम महवि मि जिणभवणे ॥

मुनि श्री जिनविजयजी ने इन गाथाओं का अर्थ इस प्रकार किया है :
शक सवत् ५३१ (विक्रम सवत् ६६६) में वलभी में जिस समय शीलादित्य
राज्य करता था उस समय चैत्र शुक्ला पूर्णिमा, बुधवार और स्वातिनक्षत्र में
विशेषावश्यकभाष्य की रचना पूर्ण हुई ।

प० श्री दलसुख मालवणिया इस मत का विरोध करते हैं । उनकी मान्यता
है कि उपर्युक्त मत मूल गाथाओं से फलित नहीं होता । उनके मतानुसार
इन गाथाओं में रचनाविषयक कोई उल्लेख नहीं है । वे कहते हैं कि खण्डित
अक्षरों को हम यदि किसी मंदिर का नाम मान लें तो इन दोनों गाथाओं में
कोई क्रियापद नहीं रह जाता । ऐसी अवस्था में उसकी शक सवत् ५३१ में
रचना हुई, ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । अधिक संभव यह है कि
वह प्रति उस समय लिखी जाकर उस मंदिर में रखी गई हो । इस मत की पुष्टि
के लिए कुछ प्रमाण भी दिये जा सकते हैं :—

१—ये गाथाएँ केवल जैसलमेर की प्रति में ही मिलती हैं, अन्य किसी
प्रति में नहीं । इसका अर्थ यह हुआ कि ये गाथाएँ मूलभाष्य की न होकर प्रति
लिखी जाने तथा उक्त मंदिर में रखी जाने के समय की सूचक हैं । जैसलमेर की
प्रति मन्दिर में रखी गई प्रति के आधार पर लिखी गई होगी ।

२—यदि इन गाथाओं को रचनाकालसूचक माना जाए तो इनकी
रचना आचार्य जिनभद्र ने की है, यह भी मानना ही पड़ेगा । ऐसी स्थिति में
इनकी टीका भी मिलनी चाहिए । परन्तु बात ऐसी नहीं है । आचार्य जिनभद्र
द्वारा प्रारंभ की गई विशेषावश्यकभाष्य की सर्वप्रथम टीका में अथवा कोट्याचार्य
और मलधारी हेमचन्द्र की टीकाओं में इन गाथाओं की टीका नहीं मिलती ।
इतना ही नहीं अपितु इन गाथाओं के अस्तित्व की सूचना तक नहीं है ।

इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि ये गाथाएँ आचार्य जिनभद्र ने न
लिखी हों अपितु उस प्रति की नकल करने कराने वालों ने लिखी हों । ऐसी
स्थिति में यह भी स्वतः सिद्ध है कि इन गाथाओं में निर्दिष्ट समय रचनासमय
नहीं अपितु प्रतिलेखनसमय है । कोट्यार्य के उल्लेख से यह भी निश्चित है कि
आचार्य जिनभद्र की अंतिम कृति विशेषावश्यकभाष्य है । इस भाष्य की स्वोपश्रु-
टीका उनकी मृत्यु हो जाने के कारण पूर्ण न हो सकी ।^१

यदि विशेषावश्यकभाष्य की जैसलमेरस्थित उक्त प्रति का लेखनसमय शक सवत् ५३१ अर्थात् विक्रम सवत् ६६६ माना जाए तो विशेषावश्यकभाष्य का रचनासमय इससे पूर्व ही मानना पड़ेगा। यह भी हम जानते हैं कि विशेषावश्यकभाष्य आचार्य जिनभद्र की अन्तिम कृति थी और उसकी स्वोपज्ञ टीका भी उनकी मृत्यु के कारण अपूर्ण रही, ऐसी दशा में यदि यह माना जाए कि जिनभद्र का उत्तरकाल विक्रम सवत् ६५०-६६० के आसपास रहा होगा तो अनुचित नहीं है।

आचार्य जिनभद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है. १ विशेषावश्यकभाष्य (प्राकृत पद्य), २ विशेषावश्यकभाष्यस्वोपज्ञवृत्ति (अपूर्ण—संस्कृत गद्य), ३ बृहत्सग्रहणी (प्राकृत पद्य), ४ बृहत्क्षेत्रसमास (प्राकृत पद्य), ५ विशेषणवती (प्राकृत पद्य), ६. जीतकल्प (प्राकृत पद्य), ७ जीतकल्पभाष्य (प्राकृत पद्य), ८ अनुयोगद्वारचूर्णि (प्राकृत गद्य)^१, ९ ध्यानशतक (प्राकृत पद्य)। अन्तिम ग्रंथ अर्थात् ध्यानशतक के कर्तृत्व के विषय में अभी विद्वानों को सदेह है।

सघदासगणि :

सघदासगणि भी भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके दो भाग्य उपलब्ध हैं बृहत्कल्प-लघुभाष्य और पचकल्प-महाभाष्य। मुनि श्री पुण्यविजयजी के मतानुसार सघदासगणि नाम के दो आचार्य हुए हैं. एक वसुदेवहिंडि—प्रथम खण्ड के प्रणेता और दूसरे बृहत्कल्प लघुभाष्य तथा पचकल्प-महाभाष्य के प्रणेता। ये दोनों आचार्य एक न होकर भिन्न भिन्न हैं क्योंकि वसुदेवहिंडि—मध्यम खण्ड के कर्ता आचार्य धर्मसेनगणि महत्तर के कथनानुसार वसुदेवहिंडि—प्रथम खण्ड के प्रणेता सघदासगणि 'वाचक' पद से विभूषित थे, जबकि भाष्यप्रणेता सघदासगणि 'क्षमाश्रमण' पदालङ्कृत हैं।^२ आचार्य जिनभद्र का परिचय देते समय हमने देखा है कि केवल पदबी-भेद से व्यक्ति-भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। एक ही व्यक्ति विविध समय में विविध पदविया धारण कर सकता है। इतना ही नहीं, एकही समय में एकही व्यक्ति के लिए विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न पदवियों का प्रयोग किया जा सकता है। कभी-कभी तो कुछ पदवियों परस्पर

१ यह चूर्णि अनुयोगद्वार के अगुल पद पर है जो जिनदास की चूर्णि तथा हरिभद्र की वृत्ति में अक्षरश उद्धृत है। २ निर्युक्ति लघुभाष्य-वृत्त्युपेत बृहत्कल्पसूत्र (पद्य भाग) प्रस्तावना, पृ० २०

पर्यायवाची भी बन जाती हैं। ऐसी दशा में केवल 'वाचक' और 'क्षमाश्रमण' पदवियों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन पदवियों को धारण करने वाले सघदासगणि भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। मुनि श्री पुण्य विजयजी ने भाष्यकार तथा वसुदेवहिंडिकार आचार्यों को भिन्न भिन्न सिद्ध करने के लिए एक और हेतु दिया है जो विशेष बलवान् है। आचार्य जिनभद्र ने अपने विशेषगमनी ग्रथ में वसुदेवहिंडि नामक ग्रथ का अनेक बार उल्लेख किया है। इनका ही नहीं अपितु वसुदेवहिंडि—प्रथम खंड में चित्रित ऋषभदेव चरित की सप्रहणी गाथाएँ बनाकर उनका अपने ग्रथ में समावेश भी किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वसुदेवहिंडि—प्रथम खंड के प्रणेता सघदासगणि आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हैं।^१ भाष्यकार सघदासगणि भी आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती ही हैं।

अन्य भाष्यकार :

आचार्य जिनभद्र और सघदासगणि को छोड़कर अन्य भाष्यकारों के नाम का पता अभी तक नहीं लग पाया है। यह तो निश्चित है कि इन दो भाष्यकारों के अतिरिक्त अन्य भाष्यकार भी हुए हैं जिन्होंने व्यवहारभाष्य आदि की रचना की है। मुनि श्री पुण्यविजयजी के मतानुसार कम से कम चार भाष्यकार तो हुए ही हैं। उनका कथन है कि एक श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, दूसरे श्री सघदासगणि क्षमाश्रमण, तीसरे व्यवहारभाष्य आदि के प्रणेता और चौथे बृहत्कल्पबृहद्भाष्य आदि के रचयिता—इस प्रकार सामान्यतया चार आगमिक भाष्यकार हुए हैं। प्रथम दो भाष्यकारों के नाम तो हमें मालूम ही हैं। बृहत्कल्पबृहद्भाष्य के प्रणेता, जिनका नाम अभी तक अज्ञात है, बृहत्कल्पचूर्णिकार तथा बृहत्कल्पविशेषचूर्णिकार से भी पीछे हुए हैं। इसका कारण यह है कि बृहत्कल्पलघुभाष्य की १६६१ वीं गाथा में प्रतिलेखना के समय का निरूपण किया गया है। उसका व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार और विशेषचूर्णिकार ने जिन आदेशात्यों का अर्थात् प्रतिलेखना के समय से सन्ध रचने वाली विविध मान्यताओं का उल्लेख किया है उनसे भी और अधिक नई-नई मान्यताओं का सप्रह बृहत्कल्प-बृहद्भाष्यकार ने उपर्युक्त गाथा से सम्बन्धित महाभाष्य में किया है जो याकिनीमहत्तरासूनु आचार्य श्री हरिभद्रसूरिविरचित पञ्चवस्तुक प्रकरण की स्वोपज्ञ वृत्ति में उपलब्ध है। इससे यह

स्पष्ट प्रतीत होता है कि बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य के प्रणेता बृहत्कल्पवृर्णि तथा विशेषचूर्णि के प्रणेताओं से पीछे हुए हैं। ये आचार्य हरिभद्रपुरि के कुछ पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं। अब रही बात व्यवहारभाष्य के प्रणेता की। इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि व्यवहारभाष्य के प्रणेता कौन हैं और वे कत्र हुए हैं? इतना होते हुए भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि व्यवहारभाष्य-कार जिनभद्र के भी पूर्ववर्ती हैं।^१ इसका प्रमाण यह है कि आचार्य जिनभद्र ने अपने विशेषणवती ग्रथ में व्यवहार के नाम के साथ जिस विषय का उल्लेख किया है वह व्यवहारसूत्र के छठे उद्देशक के भाष्य में उपलब्ध होता है।^१ इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यवहारभाष्यकार आचार्य जिनभद्र से भी पहले हुए हैं।



१ वही, पृ० २१-२२

२ सीहो सुदाढनागो, आसगगीवो य होइ क्षणेसि ।
सिहो भिगद्धओ त्ति य, होइ वसुदेवचरियम्मि ॥
सीहो चेष सुदाढो, ज रायगिहम्मि कवलिवहुओ त्ति ।
सीसइ बवहारे गोयमोवसमिओ स णिक्खतो ॥

— विशेषणवती, ३३-४.

सीहो त्तिविट्ट निहतो, भमिळ रायगिह कवलिवहुग त्ति ।

जिणवर कहणमणुवसम, गोयमोवसम दिक्खा य ॥

— व्यवहारभाष्य, १९२.

द्वितीय प्रकरण

विशेषावश्यकभाष्य

विशेषावश्यकभाष्य^१ एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें जैन आगमों में वर्णित सभी महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। जैन ज्ञानवाद, प्रमाणशास्त्र, आचार-नीति, स्याद्वाद, नयवाद, कर्मसिद्धान्त आदि सभी विषयों से सम्बन्धित सामग्री की प्रचुरता का दर्शन इस ग्रन्थ में सहज ही उपलब्ध होता है। इस ग्रन्थ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैन तत्त्व का निरूपण केवल जैन दृष्टि से न होकर इतर दार्शनिक मान्यताओं की तुलना के साथ हुआ है। आचार्य जिनभद्र ने आगमों की सभी प्रकार की मान्यताओं का जैसा तर्क-पुरस्सर निरूपण इस ग्रन्थ में किया है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि जैनागमों के तात्पर्य को ठीक तरह समझने के लिए विशेषावश्यक-भाष्य एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। आचार्य जिनभद्र के उत्तरवर्ती जैनाचार्यों ने विशेषावश्यकभाष्य की सामग्री एवं तर्कपद्धति का उदारतापूर्वक उपयोग किया है। उनके बाद में लिखा गया आगम की व्याख्या करनेवाला एक भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसमें विशेषावश्यकभाष्य का आधार न लिया गया हो।

इस सक्षिप्त भूमिका के साथ अब हम विशेषावश्यकभाष्य के विस्तृत परिचय की ओर बढ़ते हैं। यह ग्रन्थ आवश्यकसूत्र की व्याख्यारूप है। इसमें केवल प्रथम अध्यायन अर्थात् सामायिक से सम्बन्धित निर्युक्ति की गाथाओं का विवेचन किया गया है।

सपोद्घात :

६६ सर्वप्रथम आचार्य ने प्रवचन को प्रणाम किया है एवं गुरु के उपदेशानुसार सकल चरण-गुणसमग्ररूप आवश्यकानुयोग करने की प्रतिज्ञा की है। इसके फल

- १ (क) शिष्यहिताख्य बृहद्बृत्ति (मलधारी हेमचन्द्रकृत टीका) सहित—यशो-विजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस, वीर सवत् २४२७-२४४१
- (ख) गुजराती अनुवाद—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२४-१९२७
- (ग) विशेषावश्यकगाथानामकारादि क्रम. तथा विशेषावश्यकविषयाणा-मनुक्रम—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२३
- (घ) स्वोपज्ञ बृत्तिसहित (प्रथम भाग)—लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद, सन् १९६६

आदि का विचार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि आवश्यकानुयोग का फल, योग, मगल, समुदायार्थ, द्वारोपन्यास, तद्भेद, निरुक्त, क्रमप्रयोजन आदि दृष्टियों से निचार करना चाहिए।^१

फलद्वार :

आवश्यकानुयोग का फल यह है : ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है और आवश्यक ज्ञान-क्रियामय है, अतः उसके व्याख्यानरूप कारण से मोक्षलक्षणरूप कार्यसिद्धि होती है।^२

योगद्वार

योगद्वार की व्याख्या इस प्रकार है जिस प्रकार वैद्य बालक आदि के लिए यथोचित आहार की सम्मति देता है, उसी प्रकार मोक्षमार्गाभिलाषी भव्य के लिए प्रारम्भ में आवश्यक का आचरण योग्य है—उपयुक्त है।^३ आचार्य गिष्य को पचनमस्कार करने पर सर्वप्रथम विधिपूर्वक सामायिक आदि देता है, उसके बाद क्रमशः शेष श्रुत का भी बोध कराता है^४ क्योंकि स्थविरकल्प का क्रम उसी प्रकार है। वह क्रम यों है प्रव्रज्या, शिक्षापद, अर्धग्रहण, अनियतवास, निष्पत्ति, विहार और सामाचारीस्थिति।^५ यहाँ एक शका होती है कि यदि पहले नमस्कार करना चाहिए और बाद में सामायिकादि आवश्यक का ग्रहण करना चाहिए, तो सर्वप्रथम नमस्कार का अनुयोग करना चाहिए और उसके बाद आवश्यक का अनुयोग करना उपयुक्त है। इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि नमस्कार सर्व श्रुतस्कन्ध का अभ्यन्तर है अतः आवश्यकानुयोग के ग्रहण के साथ उसका भी ग्रहण हो ही जाता है। नमस्कार सर्वश्रुतस्कन्धाभ्यन्तर है, इसका क्या प्रमाण ? उसकी सर्वश्रुताभ्यन्तरता का यही प्रमाण है कि उसे प्रथम मगल कहा गया है। दूसरी बात यह है कि इसका नदी में पृथक् श्रुतस्कन्ध के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है।^६

मगलद्वार :

अथ मगलद्वार की चर्चा प्रारम्भ होती है। मगल की क्या उपयोगिता है, यह बताते हुए कहा गया है कि श्रेष्ठ कार्य में अनेक विघ्न उपस्थित हो जाया करते हैं। उन्हीं की शान्ति के लिए मगल किया जाता है। शास्त्र में मगल तीन स्थानों पर होता है आदि, मध्य और अन्त। प्रथम मगल का प्रयोजन शास्त्रार्थ की अविघ्नपूर्वक समाप्ति है, द्वितीय का प्रयोजन उसी की स्थिरता है और तृतीय का प्रयोजन उसी की दिव्य-प्रतिष्ठादि वक्ष्यपर्यन्त अव्यवच्छिन्ति है।^७ भाष्यकार

१ गा० १-२ २ गा० ३ ३ गा० ४ ४ गा० ५ ५ गा० ७.
६ गा० ८-९० ७ गा० १२-४

ने मगल का शब्दार्थ इस प्रकार किया है . मङ्गयतेऽधिगम्यते येन हित तेन मङ्गलं भवति' अर्थात् जिससे हित की सिद्धि होती है वह मगल है । अथवा 'मङ्गो धर्मस्तं लाति तत्र समादत्ते' अर्थात् जो धर्म का समादान कराता है वह मगल है । अथवा निपातन से मगल का अर्थ इष्टार्थप्रकृति हो सकता है । अथवा 'मा गालयति भवाद्' अर्थात् जो भवचक्र से मुक्त करता है वह मगल है । उसके नामादि चार प्रकार हैं ।^१ इसके बाद आचार्य ने नाम, स्थापना, द्रव्य और भावमगल के स्वरूप का विस्तारपूर्वक विचार किया है । द्रव्यमगल की चर्चा करते समय नयों के स्वरूप, क्षेत्र आदि की ओर भी निर्देश किया है ।^२ चार प्रकार के मगलों में एक दूसरे से क्या विशेषता है, इसकी ओर निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसा आकार, अभिप्राय, बुद्धि, क्रिया और फल स्थापनेन्द्र में देखा जाता है, वैसा न नामेन्द्र में देखा जाता है, न द्रव्येन्द्र में । उसी प्रकार जैसा उपयोग और परिणमन द्रव्य और भाव में देखा जाता है, वैसा न नाम में है, न स्थापना में ।^३ वस्तु का अभिधान मात्र नाम है, उसका आकार स्थापना है, उसकी कारणता द्रव्य है और उसकी कार्यापन्नता भाव है ।^४ प्रकारान्तर से मगल की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि नदी को भी मगल कहा जा सकता है । उसके भी मगल की तरह चार प्रकार । उनमें से भावनदी पञ्चज्ञानरूप है ।^५ वे पाँच ज्ञान हैं आभिनिबोधिकज्ञान (मतिज्ञान), श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन'पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ।^६

ज्ञानपंचक :

अभिनिबोध का अर्थ है अर्थाभिमुख नियत बोध । यही आभिनिबोधिक ज्ञान (मतिज्ञान) है । जो सुना जाता है अथवा जो सुनता है अथवा जिससे सुना जाता है वह श्रुत है । अवधि का अर्थ है मर्यादा । जिससे मर्यादित द्रव्यादि जाने जाते हैं वह अवधिज्ञान है । जो ज्ञान मन के पर्यायों को जानता है वह मन पर्ययज्ञान है । पर्यय का अर्थ पर्यवन, पर्ययन और पर्याय है । केवलज्ञान अकेला अर्थात् असहाय है, शुद्ध है, पूर्ण है, असाधारण है, अनन्त है ।^७ इसके बाद आचार्य ने यह सिद्ध किया है कि इन पाँच प्रकारों को इसी क्रम से क्यों गिनाया गया है । इन पाँच ज्ञानों में से मति और श्रुत परोक्ष हैं, शेष प्रत्यक्ष हैं । अक्ष का अर्थ है जीव । जो ज्ञान सीधा जीव से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । जो ज्ञान द्रव्येन्द्रिय और द्रव्यमन की सशयता से उत्पन्न होता है वह

१. गा २२-४ २ गा २५-५१ ३ गा ५३-४ ४ गा ६०
५ गा ७८ ६ गा ७९ ७ गा ८०-४

परोक्ष है ।^१ वैशेषिकादिसम्मत इन्द्रियोत्पन्न प्रत्यक्ष का खण्डन करते हुए आचार्य कहते हैं कि कुछ लोग इन्द्रियों को अक्ष मानते हैं और उनसे उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, यह ठीक नहीं । इन्द्रियों घटादि की तरह अचेतन हैं, अतः उनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता ।^२ इन्द्रिय मनोजन्य ज्ञान को परोक्ष सिद्ध करने के लिए अनेक हेतु प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार ने यही निष्कर्ष निकाला है कि लैङ्गिक अर्थात् अनुमानजन्य ज्ञान एकान्तरूप से परोक्ष है, अवधिवादि एकान्तरूप से प्रत्यक्ष है, इन्द्रिय-मनोजन्य ज्ञान अवग्रहप्रत्यक्ष है ।^३

मति और श्रुत :

मति और श्रुत के लक्षणभेद की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो विज्ञान इन्द्रिय मनोनिमित्तक तथा श्रुतानुसारी है वह भावश्रुत है । शेष मति है ।^४ दूसरी बात यह है कि श्रुत मतिपूर्वक होता है किन्तु मति श्रुतपूर्वक नहीं होती ।^५ भाष्यकार ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है कि श्रुत मतिपूर्वक होता है, इसका क्या अर्थ है ? द्रव्यश्रुत और भावश्रुत में क्या सम्बन्ध है ? द्रव्यश्रुत मतिपूर्वक होता है अथवा भावश्रुत ?^६ मति और श्रुत में एक भेद यह भी है कि श्रुत श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि है, शेष मति है । यहाँ पर एक शंका होती है कि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि यदि श्रुत ही है, तो श्रोत्रेन्द्रियजन्य अवग्रह आदि का क्या होगा ? यदि श्रोत्रेन्द्रियजन्य अवग्रह आदि बुद्धि को मति माना जाए तो वह श्रुत नहीं हो सकती, श्रुत मानने पर मति नहीं हो सकती, दोनों मानने पर सकर दोष का प्रसंग उपस्थित होता है । इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि हमारा प्रयोजन यह है कि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि ही श्रुत है, न कि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि श्रुत ही है । कहीं-कहीं पर (अश्रुतानुसारिणी) श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि मति भी होती है ।^७ पत्रादिगत सामग्री श्रुत का कारण होने से शब्द के समान द्रव्यश्रुत मानी गई है । अक्षरलाभ भावश्रुत है । शेष मतिज्ञान है ।^८ अनभिलाष्य पदार्थों का अनन्तवा भाग प्रज्ञापनीय है । प्रज्ञापनीय पदार्थों का अनन्तवा भाग श्रुतनिवृद्ध है । ऐसा क्यों ? क्योंकि जो चतुर्दशपूर्वधर होते हैं वे परस्पर घटस्थानपतित होते हैं और इहीलिए जो सूत्र हैं वे प्रज्ञापनीय भावों के अनन्तवै भाग हैं ।^९ मति और श्रुत के भेद को और स्पष्ट करने के लिए बल्क और शुम्भ के उदाहरण की युक्तियुक्त परीक्षा करते हुए भाष्यकार ने यह

१ गा ८५-९० २ गा ९१ ३ गा ९५ ४ गा० १००
५ गा० १०५ ६ गा० १०६-११३ ७ गा० १२२ ८ गा० १२४
९ गा० १४१-२.

सिद्ध किया है कि मति बल्क के समान है और भावश्रुत शुभ्र के समान है ।^१ इसी प्रकार अक्षर और अनक्षर के भेद से भी श्रुत और मति की व्याख्या की है ।^२ मूक और इतर भेद से मति और श्रुत के भेद का विचार करते हुए आचार्य ने यह प्रतिपादन किया है कि करादिचेष्टा शब्दार्थ ही है, क्योंकि वह उसी का काम करती है और इस प्रकार श्रुतज्ञान का ही कारण है, न कि मति का ।^३ यहाँ तक मति श्रुत के भेद का अधिकार है ।

आभिनिबोधिक ज्ञान :

आभिनिबोधिक ज्ञान के भेदों की ओर निर्देश करते हुए आगे कहा गया है कि इन्द्रिय मनोनिमित्त जो आभिनिबोधिक ज्ञान है उसके दो भेद हैं . श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित । इन दोनों के पुनः चार भेद चार होते हैं अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा । सामान्यरूप से अर्थ का अवग्रहण अवग्रह है, भेद की मार्गणा करना ईहा है, उसका निश्चय अपाय है और उसकी अविन्युक्ति धारणा है ।^४ जो लोग सामान्यविशेष के ग्रहण को अवग्रह कहते हैं उनका मत ठीक नहीं क्योंकि उसमें अनेक दोष हैं । कुछ लोग यह कहते हैं कि ईहा सशयमात्र है, यह ठीक नहीं, क्योंकि सशय तो अज्ञान है जबकि ईहा ज्ञान है । ऐसी स्थिति में ज्ञानरूप ईहा अज्ञानरूप सशय कैसे हो सकती है ?^५ इसी प्रकार अपाय और धारणासम्बन्धी मतान्तरों का भी भाष्यकार ने खण्डन किया है ।

अवग्रह दो प्रकार का है व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह । जिसमें अर्थ (पदार्थ) प्रकट होता है वह व्यञ्जनावग्रह है । उपकरणेन्द्रिय और शब्दादिरूप से परिणत द्रव्य का पारस्परिक सम्बन्ध व्यञ्जनावग्रह है ।^६ इसके चार भेद हैं- स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत्र । नयन और मन अप्राप्यकारी हैं अतः उनसे व्यञ्जनावग्रह नहीं होता । जो लोग श्रोत्र और घ्राण को भी अप्राप्यकारी मानते हैं उनके मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार ने यह सिद्ध किया है कि स्पर्शन और रसन की ही भौति घ्राण और श्रोत्र भी प्राप्त अर्थ का ही ग्रहण करते हैं ।^७ इसी प्रकार नयन और मन की अप्राप्यकारिता का भी रोचक ढंग से समर्थन किया गया है ।^८ विशेष कर जहाँ स्वप्न का प्रसंग आता है वहाँ तो आचार्य ने प्रतिपादन की कुशलता एव रोचकता का परिचय बहुत ही सुन्दर ढंग से दिया है । व्यञ्जनावग्रह के स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद अर्थावग्रह का

१ गा० १५४-१६१ २ गा १६२-१७० ३ गा० १७१-५ ४ गा० १७७-१८०
 ५, गा० १८१-२ ६ गा० १९३-४ ७ गा० २०४-८.
 ८, गा० २०९-२३६.

व्याख्यान किया है, जिसमें अनेक शकाव्यों का समाधान करते हुए व्यावहारिक एवं नैश्चयिक दृष्टि से अर्थावग्रह के विषय, समय आदि का निर्णय किया है।^१ इसके बाद ईहा, अपाय और धारणा के स्वरूप की चर्चा की गई है। मतिज्ञान के मुख्यरूप से दो भेद हैं : श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित। श्रुतनिश्चित के अवग्रहादि चार भेद हैं। अवग्रह के पुनः दो भेद हैं, व्यजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यजनावग्रह श्रोत्रादि चार प्रकार का है। अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा के श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियाँ और मन-इन छ' से उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक के छ' भेद होते हैं। इस प्रकार व्यजनावग्रह के ४ तथा अर्थावग्रहादि के २४ कुल २८ भेद हुए। ये श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के भेद हैं। कुछ लोग अवग्रह के दो भेदों को अलग न गिनाकर अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा-इन चारों के छ'-छ' भेद करके श्रुतनिश्चित मति के २४ भेद करते हैं और उनमें अश्रुतनिश्चित मति के औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी-इन चार भेदों को मिलाकर पूरे मतिज्ञान के २८ भेद करते हैं।^२ भाष्यकार ने इस मत का खण्डन किया है। उपर्युक्त २८ प्रकार के श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, निश्चित और ध्रुव-ये छ' तथा इनसे विपरीत छ' और-इस प्रकार प्रत्येक के १२ भेद होते हैं। इस प्रकार श्रुतनिश्चित मति के $२८ \times १२ = ३३६$ भेद होते हैं।^३ इसके बाद आचार्य ने सशय ज्ञान है या अज्ञान, इसकी चर्चा करते हुए सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है।^४ अवग्रहादि की कालमर्यादा इस प्रकार है 'अवग्रह एक समयपर्यन्त रहता है, ईहा और अपाय अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं, धारणा अन्तर्मुहूर्त, सख्येयकाल तथा असख्येयकाल तक रहती है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि केवल नैश्चयिक अर्थावग्रह एक समयपर्यन्त रहता है। वासनारूप धारणा को छोड़कर शेष व्यजनावग्रह, व्यावहारिक अर्थावग्रह, ईहा आदि प्रत्येक का काल अन्तर्मुहूर्त है। वासनारूप धारणा ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की विशिष्टता के कारण सख्येय अथवा असख्येय कालपर्यन्त रहती है।^५ इसके बाद भाष्यकार ने इन्द्रियों की प्राप्तकारिता और अप्राप्तकारिता के सामीप्य, दूरी, काल आदि से सम्बन्ध रखने वाली बातों पर प्रकाश डाला है।^६ इस प्रसंग पर भाषा, शरीर, समुद्घात आदि विषयों का भी विस्तृत परिचय दिया गया है।

१ गा० २३७-२८८ २ गा० ३००-२ ३ गा० ३०७ ४, गा० ३०८-३३२. ५ गा० ३३३-४. ६ गा० ३४०-३९५

मतिज्ञान ज्ञेयभेद से चार प्रकार का है। सामान्य प्रकार से मतिज्ञानो-पयुक्त जीव द्रव्यादि चारों प्रकारों को जानता है। ये चार प्रकार हैं : द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।^१ निर्युक्तिकार का अनुसरण करते हुए आगे की कुछ गाथाओं में आभिनिबोधिक ज्ञान का सत्पदप्ररूपणता, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाग, भाव और अल्प बहुत्व—इन द्वारों से विचार किया है। प्रसगवश व्यवहारवाद और निश्चयवाद के पारस्परिक मतभेद का दिग्दर्शन कराते हुए दोनों के स्याद्वाद-सम्मत सामजस्य का निरूपण किया गया है।^२

श्रुतज्ञान :

श्रुतज्ञान की चर्चा करते हुए कहा गया है कि लोक में जितने भी प्रत्येकाक्षर हैं और जितने भी उनके सयोग हैं उतनी ही श्रुतज्ञान की प्रकृतियाँ होती हैं। सयुक्त और अयुक्त एकाक्षरों के अनन्त सयोग होते हैं और उनमें से भी प्रत्येक सयोग के अनन्त पर्याय होते हैं।^३ श्रुतज्ञान का चौदह प्रकार के निक्षेपों से विचार किया जाता है। वे चौदह प्रकार ये हैं - अक्षर, सज्ञी, सम्यक्, सादिक, सपर्यवसित, गमिक और अगप्रच्छिष्ट—ये सात और सात इनके प्रतिपक्षी।^४

अक्षर तीन प्रकार का है सज्ञाक्षर, व्यञ्जनाक्षर और लब्ध्याक्षर। जितने भी लिपिभेद हैं वे सब सज्ञाक्षर के कारण हैं। जिससे अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे व्यञ्जनाक्षर कहते हैं। अक्षर की उपलब्धि अर्थात् लाभ को लब्ध्याक्षर कहते हैं। यह विज्ञानरूप है, इन्द्रिय मनोनिमित्तक है तथा आवरण के क्षयोपगम से उत्पन्न होता है। इनमें से सज्ञाक्षर और व्यञ्जनाक्षर द्रव्यश्रुतरूप हैं तथा लब्ध्याक्षर भावश्रुतरूप है।^५ श्रुतज्ञान के प्रसग को दृष्टि में रखते हुए भाष्यकार ने यह भी सिद्ध किया है कि एकेन्द्रियादि असज्ञी जीवों को अक्षर का लाभ (लब्ध्याक्षर) कैसे होता है।^६ उच्छ्वसित, निश्चसित, निष्कृत, कासित, क्षुत, नि सिंधित, अनुस्वार, सेण्डित आदि अनक्षर हैं।^७

जिसके सज्ञा होती है उसे सज्ञी कहते हैं। सज्ञा तीन प्रकार की है - कालिकी, हेतुवादोपदेशिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी। कालिकी सज्ञा वाला अतीत और अनागत वस्तु का चिंतन करने में समर्थ होता है।^८ हेतु-वादोपदेशिकी सज्ञा वाला जीव स्वदेहपरिपालन की दृष्टि से इष्ट और अनिष्ट वस्तु का विचार करता हुआ उसमें प्रवृत्त अथवा निवृत्त होता है। यह सज्ञा

१ गा० ४०२-४ २ गा० ४०६-४४२ ३ गा० ४४४-५ ४. गा०
४५३-४ ५. गा० ४६४-७ ६ गा० ४७४-६ ७ गा० ५०१
(निर्युक्ति) ८ गा० ५०४-८

प्रायः साप्रतकालीन अर्थात् वर्तमान काल में ही होती है। अतीत और अनागत की चिन्ता इसका विषय नहीं होता। क्षायोपशमिक ज्ञान में वर्तमान सम्यग्दृष्टि जीव दृष्टिवादोपदेशिकी सज्ञा वाला है। इस दृष्टि से मिथ्यादृष्टि असञ्जी है।^१ पृथिवी, अप्, तेजस्, वायु और वनस्पति में ओघसज्ञा (वृत्त्यारोहणादि अभिप्रायरूप) होती है। द्वीन्द्रियादि में हेतुसज्ञा रहती है। सुर, नारक और गर्भोद्भव प्राणियों में कालिकी सज्ञा होती है। छद्मस्य सम्यग्दृष्टि जीवों में दृष्टिवाद सज्ञा रहती है। केवलियों में किसी प्रकार की सज्ञा नहीं होती, क्योंकि वे स्मरण, चिन्ता आदि मति व्यापारों से विमुक्त होते हैं, अतः वे सज्ञातीत हैं।^२

अगप्रविष्ट आचारादि श्रुत तथा अनगप्रविष्ट आवश्यकतादि श्रुत सम्यक्-श्रुत की कोटि में है। लौकिक महाभारतादि श्रुत मिथ्याश्रुत है। स्वामित्व की दृष्टि से विचार करने पर सम्यग्दृष्टिपरिग्रहीत लौकिक श्रुत भी सम्यक्श्रुत की कोटि में आ जाता है जबकि मिथ्यादृष्टिपरिग्रहीत आचारादि सम्यक्श्रुत भी मिथ्याश्रुत की कोटि में चला जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्वपरिग्रहीत श्रुत सम्यक् होता है। सम्यक्त्व पाच प्रकार का है औपशमिक, सास्त्रादन, क्षायोपशमिक, वेदरु तथा क्षायिक। भाष्यकार ने इन प्रकारों का सक्षिप्त परिचय दिया है।^३

द्रव्यास्तिक नय की अपेक्षा से श्रुत पवास्तिकाय की भांति अनादि तथा अपर्यवसित—अनन्त है और पर्यायास्तिक नय की दृष्टि से जीव के गतिपर्यायों की भांति सादि एव सपर्यवसित—सान्त है।^४ जो बात श्रुत के लिए कही गई है वही ससार के समस्त पदार्थों के लिए है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है तथा नित्यरूप से स्थित रहता है। इसी प्रकार सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष आदि का सद्भाव सिद्ध किया जाता है।^५

गम का अर्थ होता है भग अर्थात् गणितादि विशेष। वे जिसमें हों उसे गमिक कहते हैं। अथवा गम का अर्थ है सदृश पाठ। वे जिसमें बहुतायत से हों उसे गमिक कहते हैं। जिस श्रुत में इस प्रकार की सामग्री न हो वह अगमिक श्रुत है।^६

१ गा० ५१५-७.

२ गा० ५२३-४

३ गा० ५२७-५३६.

४. गा० ५३७

५ गा० ५४४.

६ गा० ५४९.

द्वादशांगरूप गणधरकृत श्रुत को अगप्रविष्ट कहते हैं तथा अगरूप स्थविर-कृत श्रुत को अगवाह्य कहते हैं। अथवा गणधरपुष्ट तीर्थकरसबन्धी जो आदेश है, उससे निष्पन्न होने वाला श्रुत अगप्रविष्ट है तथा जो मुक्त अर्थात् अप्रवृत्तपूर्वक अर्थप्रतिपादन है वह अगवाह्य है। अथवा जो श्रुत ध्रुव अर्थात् सभी तीर्थकरों के तीर्थों में नियत है वह अगप्रविष्ट है तथा जो चल अर्थात् अनियत है वह अगवाह्य है।^१

उपयोगयुक्त श्रुतज्ञानी सब द्रव्यों को जानता है किन्तु उनमें से अपने अचक्षुर्दर्शन से कुछ को ही देखता है। ऐसा क्यों ? इसका भी उत्तर भाष्यकार ने दिया है।^२ जिन आठ गुणों से आगमशास्त्र का ग्रहण होता है वे इस प्रकार हैं - शुभ्रूषा, प्रतिवृच्छा, श्रवण, ग्रहण, पर्यालोचन, अपोहन (निश्चय), धारण और सम्यगनुष्ठान। भाष्यकार ने निर्युक्तिसम्मत इन आठ प्रकार के गुणों का सक्षिप्त विवेचन किया है।^३

अवधिज्ञान :

अवधिज्ञान का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निर्युक्ति की गाथाओं का बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय भेदों की ओर निर्देश करते हुए चौदह प्रकार के निक्षेपों का बहुत ही विस्तृत विवेचन किया है।^४ नारक और देवों को पक्षियों के नमोगमन की भाँति जन्म से ही भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। शेष प्राणियों को गुणप्रत्यय अर्थात् अपने कर्म के क्षयोपशम के कारण यदाकदा होता है। उनके लिए ऐसा नियम नहीं कि उन्हें जन्म से ही।

मनःपर्ययज्ञान :

मनःपर्ययज्ञान से मनुष्य के मानसिक परिचिंतन का प्रत्यक्ष होता है। यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्र तक सीमित है, गुणप्रत्ययिक है और चारित्रशील को होता है। दूसरे शब्दों में जो सत्य है, सर्वप्रमादरहित है, विविध ऋद्धियुक्त है वही इस ज्ञान का अधिकारी होता है। मनःपर्ययज्ञान का विषय चिन्तित मनोद्रव्य है, क्षेत्र नरलोक है, काल भूत और भविष्यत् का पत्योपमासख्येय भाग है। मनःपर्ययज्ञानी चिन्तित मनोद्रव्य को साक्षात् देखता व जानता है किन्तु तद्भासित ब्राह्म पदार्थ को अनुमान से जानता है।^५

१ गा० ५५० ' २ गा० ५५३-५ ३. गा० ५६२-६ ४ गा० ५६८-
८०८ ५ गा० ८१०-४

केवलज्ञान

केवञ्ज्ञान सर्वद्रव्य तथा सर्वपर्यायी को ग्रहण करता है। वह अनन्त है, शाश्वत है, अप्रतिपाती है, एक ही प्रकार का है। यह ज्ञान सर्वावरणक्षय से उत्पन्न होने वाला है, अतः सर्वोत्कृष्ट है, सर्वविशुद्ध है, सर्वगत है। केवली किसी भी अर्थ का प्रतिपादन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ही करता है। उसका वाग्योग प्रत्यक्ष ज्ञान पर अवलम्बित होता है। यही वाग्योग श्रुत का रूप धारण करता है।^१ इस प्रकार केवलज्ञान के स्वरूप की चर्चा के साथ ज्ञानपचक का अधिकार समाप्त होता है।

समुदायार्थद्वार :

पचज्ञान की चर्चा के साथ मगलरूप तृतीय द्वार समाप्त होता है तथा समुदायार्थरूप चतुर्थ द्वार का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। ज्ञानपचक में से यह किस ज्ञान का मगलार्थ अर्थात् अनुयोग है? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि मतिज्ञानादि में श्रुत का प्रकृतानुयोग है, अन्य का नहीं क्योंकि दूसरे प्रकार के ज्ञान पराधीन होते हैं तथा परप्रबोध में प्रायः समर्थ नहीं होते। श्रुतज्ञान दीपक की तरह स्वप्रकाशन तथा परप्रबोधन में समर्थ है, अतः उसी का अनुयोग यहाँ उचित है। यहाँ जो आवश्यक का अधिकार है वह श्रुतरूप ही है।^२ अनुयोग का अर्थ है सूत्र का अपने अभिधेय से अनुयोजन अर्थात् अनुसम्बन्धन, अथवा सूत्र का अनुरूप प्रतिपादनलक्षणरूप व्यापार, अथवा सूत्र अर्थ से अनु = अणु है—स्तोक है, तथा अनु = पश्चात् है उसकी अर्थ के साथ योजना अर्थात् सम्बन्धस्थापन।^३

प्रस्तुत शास्त्र का नाम आवश्यक श्रुतस्कन्ध है। इसके सामायिकादि जो छ भेद हैं उन्हें अध्ययन कहते हैं। अतः 'आवश्यक', 'श्रुत', 'स्कन्ध', 'अध्ययन' आदि पदों का पृथक्-पृथक् अनुयोग करना चाहिए। 'आवश्यक' का नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप चार प्रकार का निक्षेप होता है। इनमें से प्रस्तुत भाष्य में द्रव्यावश्यक की आगम और नोआगमरूप से विस्तृत व्याख्या की गई है। अधिकाक्षर सूत्रपाठ के लिए कुणाल नामक राजपुत्र तथा कपि का उदाहरण दिया गया है। हीनाक्षर पाठ के लिए विद्याधर आदि के उदाहरण दिए गए हैं। उभय के लिए बाल तथा आतुर के लिए अतिभोजन तथा भेषजविपर्यय के उदाहरण दिए गए हैं। लोकोत्तर नोआगमरूप द्रव्यावश्यक के स्वरूप की पुष्टि के लिए साध्वाभास का दृष्टान्त दिया गया है।^४ भावावश्यक

१ गा० ८२३-८२६

२ गा० ८३७-८४०

३ गा० - ८४१-२

४ गा० ८४७-८६८.

भी दो प्रकार का होता है : आगमरूप तथा नोआगमरूप । आवश्यक के अर्थ का उपयोगरूप परिणाम आगमरूप भावावश्यक है । ज्ञानक्रियोभयरूप परिणाम नोआगमरूप भावावश्यक है । नोआगमरूप भावावश्यक के तीन प्रकार हैं : लौकिक, लोकोत्तर तथा कुभावचनिक । इन तीनों में से लोकोत्तर भावावश्यक प्रशस्त है अतः शास्त्र में उसी का अधिकार है ।^१

आवश्यक के पर्याय ये हैं : आवश्यक, अवश्यकरणीय, भुव, निग्रह, विशुद्धि, अध्ययनपट्टक, वर्ग, न्याय, आराधना, मार्ग । भाष्यकार ने इन नामों की सार्थकता भी दिखाई है ।^२ इसी प्रकार श्रुत, स्कन्ध आदि का भी निक्षेप पद्धति से विचार किया गया है । श्रुत के एकार्थक नाम ये हैं ' श्रुत, सूत्र, प्रथ, सिद्धात, शासन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापन, आगम ।^३ स्कन्ध के पर्याय ये हैं गण, काय, निकाय, स्कन्ध, वर्ग, राशि, पुञ्ज, पिण्ड, निकर, सघात, आकुल, समूह ।^४

आवश्यक श्रुतस्कन्ध के छ. अध्ययनों का अर्थाधिकार इस प्रकार है सामायिकाध्ययन का अर्थाधिकार सावद्ययोगविरति है, चतुर्विंशतिस्तव का अर्थाधिकार गुणोत्कीर्तन है, वन्दनाध्ययन का अर्थाधिकार गुणी गुरु की प्रतिपत्ति है, प्रतिक्रमण का अर्थाधिकार श्रुत-शीलस्खलन की निंदा है, कायोत्सर्गाध्ययन का अधिकार अपराधव्रणचिकित्सा है तथा प्रत्याख्यानाध्ययन का अधिकार गुण धारणा है ।^५ यहाँ आवश्यक का पिण्डार्थ—समुदायार्थ नामक चतुर्थ द्वार समाप्त होता है ।

द्वारोपन्यास तथा भेदद्वार :

पञ्चम द्वार में सामायिक नामक प्रथम अध्ययन की विशेष व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि सामायिक का लक्षण समभाव है । जिस प्रकार व्योम सत्र द्रव्यों का आधार है उसी प्रकार सामायिक सत्र गुणों का आधार है । शेष अध्ययन एक तरह से सामायिक के ही भेद हैं क्योंकि सामायिक दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप तीन प्रकार की है और कोई गुण ऐसा नहीं है जो इन तीन प्रकारों से अधिक हो । किसी महानगर के द्वारों की भाँति सामायिकाध्ययन के भी चार अनुयोगद्वार हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं उपक्रम, निक्षेप, अनुगम तथा नय । इनके पुन क्रमश छ., तीन, दो तथा दो प्रभेद होते हैं ।^६ यहाँ तक पाँचवें द्वारोपन्यास तथा छठे भेदद्वार का अधिकार है ।

१ गा० ८६६-८७०

२ गा० ८७२-३

३ गा० ८९४

४ गा० ९००

५ गा० ९०२

६ गा० ९०५-९१०

निरुक्तद्वार :

सातवें निरुक्तद्वार में उपक्रम आदि की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शास्त्र का उपक्रमण अर्थात् समीपीकरण (न्यासदेशानयन) उपक्रम है। निक्षेप का अर्थ है निदिचत क्षेप अर्थात् न्यास अथवा नियत व्यवस्थापन। अनुगम का अर्थ है सूत्रानुरूप गमन (व्याख्यान) अथवा अर्थानुरूप गमन। इसका प्रयोजन सूत्र और अर्थ का अनुरूप सम्बन्धस्थापन है। नय का अर्थ है वस्तु का सम्भवित अनेक पर्यायों के अनुरूप परिच्छेदन।^१

क्रमप्रयोजन :

अष्टम द्वार का नाम क्रमप्रयोजन है। इसमें उपक्रम, निक्षेप, अनुगम तथा नय के उक्त क्रम को युक्तियुक्त सिद्ध किया गया है।^२ यहाँ तक भाष्य की द्वितीय गाथा में निर्दिष्ट द्वारों का अधिकार है। इसके बाद उपक्रम का भावोपक्रम की दृष्टि से विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है तथा आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समवतार नामक छः भेदों का विस्तृत विवेचन किया गया है।^३

निक्षेप :

निक्षेप के तीन भेद हैं : ओघनिष्पन्न, नामनिष्पन्न तथा सूत्रालापकनिष्पन्न। श्रुत के अग, अध्ययन आदि सामान्य नाम ओघ है। प्रस्तुत सामायिक श्रुत का ओघ चार प्रकार का है अध्ययन, अक्षीण, आय तथा क्षपणा। शुभ अध्यात्मानयन का नाम अध्ययन है। यह बोध, सयम, मोक्ष आदि की प्राप्ति में हेतुभूत है। जो अनवरत वृद्धि की ओर अग्रसर है वह अक्षीण है। जिससे ज्ञानादि का लाभ होता है वह आय है। जिससे पापकर्मों की निर्जरा होती है वह क्षपणा है। प्रस्तुत अध्ययन का एक विशेष नाम (सामायिक) है। यही नाम निक्षेप है। 'करेमि भन्ते' आदि षड्भेदों का न्यास ही सूत्रालापकनिक्षेप है।^४

अनुगम :

अनुगम दो प्रकार का है निर्युक्त्यनुगम तथा सूत्रानुगम। निर्युक्ति के पुन तीन भेद हैं निक्षेपनिर्युक्ति, उपोद्घातनिर्युक्ति एवं सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्ति। भाष्यकार ने इन भेदों का विस्तृत वर्णन किया है।^५

१ गा० ९११-४

२ गा० ९१५-६

३ गा० ९१७-९५६.

४ गा० ९५७-९७०.

५. गा० ९७१-१००७.

नय :

किसी भी सूत्र की व्याख्या करते समय सब प्रकार के नयों की परिशुद्धि का विचार करते हुए निरवशेष अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। यही नय है।^१ यहा चार प्रकार के अनुयोगद्वारों की व्याख्या समाप्त होती है।

उपोद्घात-विस्तार :

भाष्यकार कहते हैं कि अब मैं मगलोपचार करके शास्त्र का विस्तारपूर्वक उपोद्घात करूँगा। यह मगलोपचार मध्यमगलरूप है।^२ मैं सर्वप्रथम अनुत्तर-पराक्रमी, अमितशानी, तीर्ण, सुगतिप्राप्त तथा सिद्धिपथप्रदर्शक तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ। जिससे तिरा जाता है अथवा जो तिरा देता है अथवा जिसमें तैरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। वह नामादि भेद से चार प्रकार का है। सरित् समुद्र आदि का कोई भी निरपाय नियत भाग द्रव्यतीर्थ कहलाता है क्योंकि वह देहादि द्रव्य को ही तिरा सकता है। जो लोग यह मानते हैं कि नद्यादि तीर्थ भवतारक हैं उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि स्नानादि जीव का उपघात करने वाले हैं। इनसे पुण्योपार्जन नहीं होता। यदि कोई यह कहे कि जाह्नवीजलादिक तीर्थरूप ही हैं क्योंकि उनसे टाहनाश, पिपासोपशमादि कार्य सपन्न होते हैं और इस प्रकार वे देह का उपकार करते हैं, यह ठीक नहीं। ऐसा मानने पर मधु, मद्य, मांस, वेश्या आदि भी तीर्थरूप हो जाएँगे क्योंकि वे भी देह का उपकार करते हैं।^३ जो श्रुतविहित सब है वही भावतीर्थ है, उसमें रहने वाला साधु तारक है। ज्ञानादि त्रिक तरण है तथा भवसमुद्र तरणीय है।^४ तीर्थ का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जो दाहोपशम, तृष्णाच्छेद तथा मल क्षालनरूप अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान एव चारित्ररूप तीन अर्थों में स्थित है वह त्रिस्थ (तित्थ) अर्थात् तीर्थ है। वह भी सब ही है। तीर्थ (तित्थ) का अर्थ त्र्यर्थ भी हो सकता है अर्थात् जो क्रोधाग्निदाहोपशम आदि उपर्युक्त तीन अर्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है वह त्र्यर्थ—तित्थ—तीर्थ है। यह अर्थ भी स्वरूप ही है।^५ जो भावतीर्थ की स्थापना करते हैं अर्थात् उसे गुणरूप से प्रकाशित करते हैं उन्हें तीर्थंकर—हितार्थंकर कहते हैं।^६ तीर्थंकरों के पराक्रम, ज्ञान, गति आदि विषयों पर भी आचार्य ने प्रकाश डाला है।^७ इसके बाद

१ गा० १००८-१०११ २ गा० १०१४-६ ३ गा० १०२५-
३१ ४ गा० १०३२ ५ गा० १०३५-७ ६ गा० १०४७.
७. गा० १०४९-१०५३.

वर्तमान तीर्थ के प्रणेता भगवान् महावीर को नमस्कार किया है। तदुपरान्त उनके एकादश गणधर आदि अन्य पूज्य पुरुषों को वन्दन किया है।^१ इसके बाद सर्वप्रथम आवश्यकसूत्र की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हुए सामायिक नामक प्रथम अध्ययन का विवेचन करने की प्रतिज्ञा की है। 'निर्युक्ति' शब्द का विशेष व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि सूत्र के निश्चित अर्थ की व्याख्या करना ही निर्युक्ति है।^२ सूत्रादि की रचना कैसे होती है, इसकी ओर संकेत करते हुए यह बताया गया है कि जिन अर्थभाषक हैं तथा गणधर सूत्रग्रथक हैं। शासन के हितार्थ ही सूत्र की प्रवृत्ति है। अर्थप्रत्यायक शब्द में अर्थ का उपचार किया जाता है और इसी प्रकार अर्थ का अभिलाप होता है। सूत्र में अर्थविस्तार अधिक है अतएव वह महार्थ है।^३

ज्ञान और चारित्र :

सामायिकादि श्रुत का सार चारित्र है, चारित्र का सार निर्वाण है। चारित्र को प्रधान इसलिए कहा जाता है कि वह मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है। ज्ञान से वस्तु की यथार्थता अयथार्थता का प्रकाशन होता है और इससे चारित्र की विशुद्धि होती है, अतः ज्ञान चारित्र-विशुद्धि के प्रति प्रत्यक्ष कारण है। इस प्रकार ज्ञान और चारित्र दोनों मोक्ष के प्रति कारण हैं। दोनों में अन्तर यही है कि ज्ञान चारित्र-शुद्धि का कारण होने से मोक्ष का व्यवहित कारण है, जबकि चारित्र मोक्ष का अव्यवहित कारण है।^४ दूसरी बात यह है कि ज्ञान का उत्कृष्टतम लाभ (केवलज्ञान) हो जाने पर भी जीव मुक्त नहीं होता, जब तक कि सर्वसवर का लाभ न हो जाए। इससे भी यही सिद्ध होता है कि सवर—चारित्र ही मोक्ष का मुख्य हेतु है, न कि ज्ञान। अतः चारित्र ज्ञान से प्रधानतर है।^५ आचार्य ने ज्ञान और चारित्र के सम्बन्ध की ओर भी चर्चा की है।^६

सामायिक-लाभ :

सामायिक का लाभ कैसे होता है ? इसका उत्तर देते हुए निर्युक्तिकार ने कहा है कि आठों कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के विद्यमान होने पर जीव को चार प्रकार की सामायिक में से एक का भी लाभ नहीं हो सकता।^७ इसका विवेचन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति

१ गा० १०५७-६८

२ गा० १०८६

३ गा० १०९१-११२५

४ गा० ११२६-११३०

५ गा० ११३१-२

६ गा० ११३३-११८२

७ गा० ११८६

तीस कोटाकोटी सागरोपम है, मोहनीय की सत्तर कोटाकोटी सागरोपम है, शेष अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अतराय की तीस कोटाकोटी सागरोपम है तथा आयु की तैंतीस सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, मोहनीय तथा अतराय की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त है, नाम और गोत्र की आठ मुहूर्त है तथा वेदनीय की बारह मुहूर्त है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बध होने पर छ. कर्मों—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र तथा अतराय की उत्कृष्ट स्थिति का बध होता ही है (उत्कृष्ट सक्लेश होने पर ही मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति का बध होता है) किन्तु आयु की स्थिति का बध उत्कृष्ट अथवा मध्यम कैसा भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि इस स्थिति में आयु का जघन्य बध नहीं हो सकता। मोहनीय को छोड़ कर शेष ज्ञानावरणादि किसी की भी उत्कृष्ट स्थिति का बध होने पर मोहनीय अथवा अन्य किसी भी कर्म की उत्कृष्ट या मध्यम स्थिति का बध होता है किन्तु आयु का स्थिति बध जघन्य भी हो सकता है। सम्यक्त्व, श्रुत, देशव्रत तथा सर्वव्रत इन चार सामायिकों में से उत्कृष्ट कर्मस्थिति वाला एक भी सामायिक की प्राप्ति नहीं कर सकता किन्तु उसे पूर्वप्रतिपन्न विकल्प से है अर्थात् होती भी है, नहीं भी होती (अनुत्तरसुर में पूर्वप्रतिपन्न सम्यक्त्व तथा श्रुत होते हैं, शेष नहीं)। ज्ञानावरणादि की जघन्य स्थिति वाले को भी इन सामायिकों में से एक का भी लाभ नहीं होता क्योंकि उसे पहले से ही ये सब प्राप्त होती हैं, ऐसी स्थिति में पुनलाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। आयु की जघन्य स्थिति वाले को न तो ये पहले से प्राप्त होती हैं, न वह प्राप्त कर सकता है।^१ इसके बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए ग्रथिभेद का स्वरूप बताया गया है। सामायिक-प्राप्ति के स्वरूप का विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए पल्लवादि नौ प्रकार के दृष्टान्त दिए गए हैं।^२ सम्यक्त्वलाभ के बाद देशविरति आदि का लाभ कैसे होता है? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जितनी कर्म-स्थिति के रहते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उसमें से पल्योपमपृथक्त्व का क्षय होने पर देशविरति—श्रावकत्व की प्राप्ति होती है। उसमें से भी सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर चारित्र की प्राप्ति होती है। उसमें से भी सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर उपशमश्रेणी की प्राप्ति होती है। उसमें से भी सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर क्षपकश्रेणी का लाभ होता है।^३

सामायिक के बाधक कारण :

कषायादि के उदय से दर्शनादिसामायिक प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त होकर पुनः नष्ट हो जाती है। जिसके कारण प्राणी परस्पर हिंसा करते हैं (कर्षन्ति) उसे कषाय कहते हैं, अथवा जिसके कारण प्राणी शारीरिक एव मानसिक दुःखों से घिसते रहते हैं (क्लृभ्यन्ते) उसे कषाय कहते हैं, अथवा जिससे 'कष' अर्थात् कर्म का 'आय' अर्थात् लाभ होता है उसे कषाय कहते हैं, अथवा जिससे प्राणी 'कष' अर्थात् कर्म को 'आयन्ति' अर्थात् प्राप्त होते हैं उसे कषाय कहते हैं, अथवा जो 'कष' (कर्म) का 'आय' अर्थात् उपादान (हेतु) है वह कषाय है। कषाय मुख्यरूप से चार प्रकार के हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें से किस कषाय की उत्कृष्टता अथवा मदता से किस प्रकार के चारित्रादि का घात होता है, इसका भाष्यकार ने विस्तार से वर्णन किया है।^१

चारित्र प्राप्ति :

अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के कषायों का क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम होने पर मनो वाक् कायरूप प्रशस्त हेतुओं से चारित्र लाभ होता है। चारित्र पाच प्रकार का है सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसपराय तथा यथाख्यात।^२ प्रस्तुत में नियम यह है कि बारह कषायों के क्षयादि से चारित्र का लाभ होता ही है न कि पाँचों ही प्रकार के चारित्र का (गा० १२५८)— ऐसा स्पष्टीकरण भाष्यकार ने किया है।

सामान्यरूप से सभी प्रकार का चारित्र सामायिक ही है। छेदादि उसकी विशेष प्रकार की अवस्थाएँ हैं। सामायिक का अर्थ है सावद्य योग का त्याग। वह दो प्रकार का है : इत्वर तथा यावत्कथिक। इत्वर स्वल्पकालीन है तथा यावत्कथिक जीवनपर्यन्त के लिए है।^३ जिससे चारित्र के पूर्वपर्याय का छेद होता है तथा व्रतों में उपस्थापन होता है उसे छेदोपस्थापन कहते हैं। वह दो प्रकार का है सातिचार तथा निरतिचार। शिष्य की उपस्थापना अथवा तीर्थान्तरसकृति में जिसका आरोप किया जाता है वह निरतिचार छेदोपस्थापन है। भ्रूणगुणघाती का जो पुनः समारोपण है वह सातिचार छेदोपस्थापन है।^४ परिहार नामक तपविशेष से विशुद्ध होने का नाम परिहारविशुद्धि चारित्र है। वह दो प्रकार का है निर्विशमान तथा निर्विष्टकायिक। परिहारिक का चारित्र निर्विशमान है। अनुपहारी तथा कल्पस्थित का चारित्र निर्विष्टकायिक है।^५

१ गा० १२२४-१२५३.

२ गा० १२५४-१२६१

३ गा०

१२६२-७

४ गा० १२६८-९

५ गा० १२७०-१.

क्रोधादि कषायवर्ग को सपराय कहते हैं। जिसमें सपराय का सूक्ष्म अवशेष रहता है वह सूक्ष्मसपराय चारित्र है। श्रेणी (उपशम अथवा क्षपक) पर आरूढ होने वाला विशुद्धिप्राप्त जीव इसका अधिकारी होता है।^१ यथाख्यात चारित्र वाला जीव कषाय से निर्लिप्त होता है। यह चारित्र दो प्रकार का है छद्मस्य सम्बन्धी तथा केवलीसम्बन्धी। छद्मस्यसम्बन्धी के पुन दो भेद हैं मोहक्षयसमुत्थ तथा मोहोपशमप्रभव अर्थात् कषाय के क्षय से उत्पन्न होने वाला तथा कषाय के उपशम से उत्पन्न होने वाला। केवलीसम्बन्धी यथाख्यात के भी दो भेद हैं सयोगी तथा अयोगी।^२ कषाय के उपशम और क्षय की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भाष्यकार ने आगे उपशमश्रेणी तथा क्षपकश्रेणी का स्वरूप-वर्णन किया है।^३

प्रवचन एव सूत्र ·

केवलज्ञान की उत्पत्ति के प्रसंग को दृष्टि में रखते हुए जिन-प्रवचन की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद आचार्य निर्युक्ति की उस गाथा का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जिसमें यह निर्देश किया गया है कि श्रुतधर्म, तीर्थ, मार्ग, प्रावचन, प्रवचन—ये सब प्रवचन के एकार्थक हैं तथा सूत्र, तन्त्र, ग्रन्थ, पाठ, शास्त्र—ये सब सूत्र के एकार्थक हैं। श्रुतधर्म क्या है? इसका विवेचन करते हुए कहा गया है कि श्रुत का धर्म अर्थात् स्वभाव बोध है और वही श्रुतधर्म है, अथवा श्रुतरूप धर्म श्रुतधर्म है और वह जीव का पर्यायविशेष है, अथवा सुगति अर्थात् सयम में धारण करने के कारण धर्म को श्रुत कहते हैं और वही श्रुतधर्म है।^४ इसी प्रकार भाष्यकार ने तीर्थ, मार्ग, प्रावचन, सूत्र, तन्त्र, ग्रन्थ, पाठ और शास्त्र का शब्दार्थ विवेचन किया है।^५

अनुयोग :

सूत्रकार्थकों का व्याख्यान करने के बाद अर्थकार्थकों का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। अनुयोग, नियोग, भापा, विभापा, वार्तिक—ये पाँच एकार्थक हैं। अनुयोग का सात प्रकार से निक्षेप होता है नामानुयोग, स्थापनानुयोग, द्रव्यानुयोग, क्षेत्रानुयोग, कालानुयोग, वचनानुयोग और भावानुयोग।^६ आचार्य ने इन भेदों का विस्तृत विवेचन किया है।^७ इसी प्रकार अनुयोग के विपर्ययरूप अननुयोग का भी सोदाहरण एव सविस्तर वर्णन किया गया है।^८ नियत, निश्चिन

१ गा० १२७७-८

२ गा० १२७९-१२८०

३ गा० १२८३-

१३४५

४ गा० १३७९

५ गा० १३८०-४

६ गा० १३८५-८

७ गा० १३८९-१४०९

८ गा० १४१०-८

अथवा हित (अनुकूल) योग का नाम नियोग है । इससे अभिधेय के साथ सूत्र का सम्बन्ध स्थापित होता है । इसका भी अनुयोग की भाँति समेद एवं सोदाहरण विचार करना चाहिए । व्यक्त वाक् का नाम भाषा है । इससे श्रुत के भाव-सामान्य की अभिव्यक्ति होती है । भावविशेष की अभिव्यक्ति का नाम विभाषा है । वृत्ति (सूत्रविवरण) का सर्व पर्यायों से व्याख्यान करना वार्तिक कहलाता है ।^१ व्याख्यान विधि की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने विविध दृष्टान्त देकर यह समझाया है कि गुरु और शिष्य की योग्यता और अयोग्यता का माप दण्ड क्या है ? जिस प्रकार हम मिले हुए दूध और पानी में से पानी को छोड़कर दूध पी जाता है उसी प्रकार सुशिष्य गुरु के दोषों को एक ओर रखकर उसके गुणों का ही ग्रहण करता है । जिस प्रकार एक भैंसा किसी जलाशय में उतरकर उसका सारा पानी इस प्रकार मटमैला व क्लृपित कर डालता है कि वह न तो उसके खुद के पीने के काम में आ सकता है और न कोई अन्य ही उसे पी सकता है उसी प्रकार कुशिष्य किसी व्याख्यान-मण्डल में जाकर अपने गुरु अथवा शिष्य के साथ इस प्रकार कलह प्रारम्भ कर देता है कि उस व्याख्यान का रस न तो वह स्वयं ले सकता है और न कोई अन्य ही । इस प्रकार अनेक सुन्दर सुन्दर उदाहरण देकर आचार्य जिनभद्र ने गुरु शिष्य के गुण-दोषों का सरस, सरल एवं सफल चित्रण किया है ।^२

सामायिक द्वार :

व्याख्यान विधि का विवेचन करने के बाद आचार्य सामायिक सम्बन्धी द्वार-विधि की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । वह द्वार विधि इस प्रकार है ' उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र, काल, पुरुष, कारण, प्रत्यय, लक्षण, नय, समवतार, अनुमन, किम्, कतिविध, कस्य, कुत्र, केषु, कथम्, कियञ्चि, कति, सान्तर, अविरहित, भव, आकर्ष, स्पर्शन, निरुक्ति ।^३

उद्देश :

उद्देश का अर्थ है सामान्य निर्देश । वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, समास, उद्देश और भाव भेद से आठ प्रकार का होता है । भाष्यकार ने इनका संक्षिप्त परिचय दिया है ।^४

१. गा० १४१९-१४२२

२ गा० १४४६-१४८२

३ गा० १४८४-५.

४ गा० १०८६-१४९६

निर्देश :

वस्तु का विशेष उल्लेख निर्देश है। इसके भी नामादि आठ भेद होते हैं। इनका भी भाष्यकार ने विशेष परिचय दिया है तथा नय दृष्टि से सामायिक की त्रिलिंगता का विस्तार से विचार किया है।^१

निर्गम :

निर्गम का अर्थ है प्रसूति अर्थात् उत्पत्ति। निर्गम छ प्रकार का है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव। इन भेदों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिस द्रव्य से सामायिक का निर्गम हुआ है वह द्रव्य यहाँ पर महावीर के रूप में है। जिस क्षेत्र में उसका निर्गम है वह महसेन वन है। उसका काल प्रथम पौषवी प्रमाणकाल है। भाव वक्ष्यमाण लक्षण भावपुरुष है। ये सक्षेप में सामायिक के निर्गमाग हैं।^२ सामायिक के निर्गम के साथ स्वयं महावीर के निर्गम की चर्चा करते हुए भाष्यकार निर्युक्तिकार के ही शब्दों में कहते हैं कि महावीर किस प्रकार मिथ्यात्वादि तम से निकले, किस प्रकार उन्हें वेबलज्ञान प्राप्त हुआ तथा कैसे सामायिक की उत्पत्ति हुई—आदि बातें बताऊँगा।^३ इतना कहने के बाद भाष्यकार एकदम गणधरवाद की व्याख्या प्रारम्भ कर देते हैं। टीकाकार मलधारी हेमचन्द्र उपर्युक्त बातों की ओर हमारा ध्यान खींचते हुए कहते हैं कि ये सब बातें सूत्रसिद्ध ही हैं। इनमें जो कुछ कठिन प्रतीत हो वह मूलवचनक विवरण से जान लेना चाहिए।

गणधरवाद :

भगवान् महावीर तथा ग्यारह प्रमुख ब्राह्मण पण्डितों के बीच विभिन्न दार्शनिक विषयों पर जो चर्चा हुई तथा भगवान् के मन्त्रियों से प्रभावित होकर उन पण्डितों ने महावीर के सब में सम्मिलित होना स्वीकार किया, इसकी भाष्यकार जिनमद ने अपने ग्रन्थ में विस्तृत एवं तर्कयुक्त चर्चा की है। इसी चर्चा का नाम गणधरवाद है। इस चर्चा में दार्शनिक जगत् के प्रायः समस्त विषयों का समावेश कर लिया गया है।^४ इस चर्चा में भाग लेनेवाले पण्डित

१ गा० १४९७-१५३० २ गा० १५३१-१५४६ ३ गा० १५४८
४ प० श्रीदलसुख मालवणियाकृत 'गणधरवाद' में आचार्य जिनमदकृत गणधरवाद का सवादात्मक गुजराती अनुवाद, टिप्पण, विस्तृत तुलनात्मक प्रस्तावना आदि हैं। गुजरात विद्यासभा, भद्र, जहमदाबाद की ओर से सन् १९५२ में इसका प्रकाशन हुआ है। श्री पृथ्वीराज जैन, पृ० ५०, शास्त्री ने

जोकि बाद में भगवान् महावीर के प्रमुख शिष्य—गणधर के नाम से प्रसिद्ध हुए उनके नाम इस प्रकार हैं • १ इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, ५ सुधर्मा, ६ मडिक, ७ मौर्यपुत्र, ८ अकपित, ९ अचलभ्राता, १०. मेतार्थ, ११ प्रमास । इनके साथ जिन विषयों की चर्चा हुई वे क्रमशः इस प्रकार हैं • १ आत्मा का अस्तित्व, २ कर्म का अस्तित्व, ३ आत्मा और शरीर का भेद, ४ शून्यवादनिरास, ५ इहलोक और परलोक का वैचित्र्य, ६ वध और मोक्ष, ७ देवों का अस्तित्व, ८ नारकों का अस्तित्व, ९ पुण्य और पाप, १०. परलोक का अस्तित्व, ११ निर्माण का अस्तित्व ।

आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व :

सर्वशक्त की प्राप्ति के बाद भगवान् महावीर एक समय महत्तेन वन में विराजित थे । जनसमूह श्रद्धावश उनके दर्शन के लिए जा रहा था । यज्ञवादिका में स्थित ब्राह्मण पण्डितों के मन में यह दृश्य देखकर निश्चिन्ता उत्पन्न हुई कि ऐसे महापुरुष से अवश्य मिलना चाहिए जिसके दर्शन के लिए इतना बड़ा जनसमूह उमड़ रहा है । उन सभी के मन में वेदवाक्यों को लेकर नाना प्रकार की शकॉए थीं । सर्वप्रथम इन्द्रभूति (गौतम) भगवान् महावीर के पास जाने के लिए तैयार हुए । जैसे ही वे अपनी शिष्य मडली सहित भगवान् के पास पहुँचे, भगवान् ने उनके मन में स्थित सन्देह की ओर संकेत करते हुए कहा—आत्मा के अस्तित्व के विषय में तुम्हारे मन में इस प्रकार का संशय है कि यदि जीव (आत्मा) का अस्तित्व है तो वह घटादि पदार्थों की भाँति प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए । चूँकि वह खपुष्प की भाँति सर्वथा अप्रत्यक्ष है, अतः उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता । यदि कोई यह कहे कि जीव अनुमान से सिद्ध

इसका हिन्दी में भी अनुवाद किया है जो अभी तक अप्रकाशित है । प्रस्तुत परिचय में इस ग्रन्थ का उपयोग करने के लिए लेखक व अनुवादक दोनों का आभारी हूँ ।

गणधरवाद के अंग्रेजी अनुवाद तथा विवेचन के लिए देखिए—भ्रमण भगवान् महावीर, भा०. ३ सन्पा०—मुनि रत्नप्रभविजय, अनु०—प्रो० धीरुभाई पी० ठाकर, प्रका०—श्री जैनग्रन्थ प्रकाशक सभा, पाजरापोल, अहमदाबाद, सन् १९४२, श्री जैन सिद्धान्त सोसायटी, पाजरापोल, अहमदाबाद, सन् १९५० तथा डा० ई० ए० सोलोमन का अंग्रेजी अनुवाद प्रका० गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, सन् १९६६

है तो भी ठीक नहीं। इसका कारण यह है कि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है। जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं उसकी सिद्धि अनुमान से कैसे हो सकती है? प्रत्यक्ष से निश्चित धूम तथा अग्नि के अविनाभावसम्बन्ध का स्मरण होने पर ही धूम के प्रत्यक्ष से अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। जीव के किसी भी लिंग का सम्बन्धग्रहण उसके साथ प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता, जिससे उस लिंग का पुनः प्रत्यक्ष होने पर उस सम्बन्ध का स्मरण हो जाए तथा उससे जीव का अनुमान किया जा सके। आगम प्रमाण से भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं वह आगम का विषय कैसे हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जिसे जीव का प्रत्यक्ष हो और जिसके वचनों को प्रमाणभूत मानकर जीव का अस्तित्व सिद्ध किया जा सके। दूसरी बात यह है कि आगम प्रमाण मानने पर भी जीव की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न आगम परस्पर विरोधी तर्कों को सिद्ध करते हैं। जिस बात की एक आगम सिद्धि करता है उसी का दूसरा खण्डन करता है। ऐसी स्थिति में आगम के आधार पर भी जीव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार किसी भी प्रमाण से जीव के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः उसका अभाव मानना चाहिए। ऐसा होते हुए भी लोग जीव का अस्तित्व क्यों मानते हैं?।

इस सशय का निवारण करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं—हे गौतम! तुम्हारा यह सदेह उचित नहीं। तुम्हारी यह मान्यता कि 'जीव प्रत्यक्ष नहीं है' ठीक नहीं, क्योंकि जीव तुम्हें प्रत्यक्ष है ही। यह कैसे? 'जीव है या नहीं' इस प्रकार का जो सशयरूप विज्ञान है वही जीव है क्योंकि जीव विज्ञानरूप है। तुम्हारा सशय तो तुम्हें प्रत्यक्ष ही है। ऐसी दशा में तुम्हें जीव का प्रत्यक्ष ही रहा है। इसके अतिरिक्त 'मैंने किया', 'मैं करता हूँ', 'मैं करूँगा' इत्यादि रूप से तीनों काल सम्बन्धी विविध कार्यों का जो निर्देश किया जाता है उसमें 'मै' (अहम्) रूप जो ज्ञान है वह भी आत्म प्रत्यक्ष ही है। दूसरी बात यह है कि यदि सशय करने वाला कोई न हो तो 'मैं हूँ या नहीं' यह सशय किसे होगा? जिसे स्वरूप में ही सदेह हो उसके लिए ससार में कौन सी वस्तु असदिग्ध होगी? ऐसे व्यक्ति को सर्वत्र सशय होगा। अनुमान से जीव की सिद्धि करते हुए आगे कहा गया है कि आत्मा प्रत्यक्ष है क्योंकि उसके स्मरणादि विज्ञानरूप गुण स्वसवेदन द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। जिस गुणी के गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है उस गुणी का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है जैसे घट।

जीव के गुण प्रत्यक्ष हैं अतः जीव भी प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार घट के प्रत्यक्ष का आधार उसके रूपादि गुण हैं उसी प्रकार आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव का आधार उसके ज्ञानादि गुण हैं। जो लोग गुण से गुणी को एकान्त भिन्न मानते हैं उनके मत में रूपादि का ग्रहण होने पर भी घटादि गुणीरूप पदार्थों का ग्रहण न होगा। इन्द्रियों द्वारा मात्र रूपादि का ग्रहण होने से रूपादि को तो प्रत्यक्ष माना जा सकता है किन्तु रूपादि से एकान्त भिन्न घट का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जब घटादि पदार्थ भी सिद्ध नहीं तो फिर आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व का विचार करने से क्या लाभ? अतः स्मरणादि गुणों के आधार पर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।^१

आत्मा और शरीर में भेद :

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर इन्द्रभूति यह बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ज्ञानादि गुणों का प्रत्यक्ष होने के कारण उनका आधारभूत कोई गुणी अवश्य होना चाहिए। इतना स्वीकार करने पर वे एक नई शका उठाते हैं। वे कहते हैं कि स्मरणादि गुणों का आधार आत्मा ही है, यह मान्यता ठीक नहीं क्योंकि कृशता, स्थूलता आदि गुणों के समान स्मरणादि गुण भी शरीर में ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी दशा में उनका गुणीभूत आधार शरीर को ही मानना चाहिए, शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं। इस शका का समाधान करते हुए महावीर कहते हैं कि ज्ञानादि शरीर के गुण नहीं हो सकते क्योंकि शरीर घट के समान मूर्त अर्थात् चाक्षुष है जबकि ज्ञानादि गुण अमूर्त अर्थात् अचाक्षुष हैं। अतः ज्ञानादि गुणों के अनुरूप देह से भिन्न किसी अमूर्त गुणी की सत्ता अवश्य मानना चाहिए। यही गुणी आत्मा अर्थात् जीव है। इसके बाद इन्द्रभूति एक और शका उठाते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपनी देह में आत्मा का अस्तित्व मान सकता हूँ किन्तु दूसरों की देह में भी आत्मा की सत्ता है, इसका क्या प्रमाण? महावीर कहते हैं कि इसी हेतु से अन्य आत्माओं की भी सिद्धि हो सकती है। दूसरों के शरीर में भी विज्ञानमय जीव है क्योंकि उनमें भी इष्टप्रवृत्ति, अनिष्टनिवृत्ति आदि विज्ञानमय क्रियाएँ देखी जाती हैं।^२

आत्मा की सिद्धि के हेतु :

जिस प्रकार साख्यदर्शन में पुत्र को प्रकृति से भिन्न सिद्ध करने के लिए अधिष्ठातृत्व, सघातपरार्थत्व आदि हेतु दिए गए उसी प्रकार विशेषावश्यकभाष्य में भी आत्मसिद्धि के लिए इसी प्रकार के कुछ हेतु दिए गए हैं। (१) इन्द्रियों

है तो भी ठीक नहीं। इसका कारण यह है कि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है। जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं उसकी सिद्धि अनुमान से कैसे हो सकती है? प्रत्यक्ष से निश्चित धूम तथा अग्नि के अविनाभावसंबन्ध का स्मरण होने पर ही धूम के प्रत्यक्ष से अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। जीव के किसी भी अंग का संबन्धग्रहण उसके साथ प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता, जिससे उस लिंग का पुनः प्रत्यक्ष होने पर उस संबन्ध का स्मरण हो जाए तथा उससे जीव का अनुमान किया जा सके। आगम प्रमाण से भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं वह आगम का विषय कैसे हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जिसे जीव का प्रत्यक्ष हो और जिसके वचनों को प्रमाणभूत मानकर जीव का अस्तित्व सिद्ध किया जा सके। दूसरी बात यह है कि आगम प्रमाण मानने पर भी जीव की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न आगम परस्पर विरोधी तर्कों को सिद्ध करते हैं। जिस बात की एक आगम सिद्धि करता है उसी का दूसरा उड़न करता है। ऐसी स्थिति में आगम के आधार पर भी जीव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार किसी भी प्रमाण से जीव के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः उसका अभाव मानना चाहिए। ऐसा होते हुए भी लोग जीव का अस्तित्व क्यों मानते हैं?।

इस सशय का निवारण करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं—हे गौतम! तुम्हारा यह सदेह उचित नहीं। तुम्हारी यह मान्यता कि 'जीव प्रत्यक्ष नहीं है' ठीक नहीं, क्योंकि जीव तुम्हें प्रत्यक्ष है ही। यह कैसे? 'जीव है या नहीं' इस प्रकार का जो सशयरूप विज्ञान है वही जीव है क्योंकि जीव विज्ञानरूप है। तुम्हारा सशय तो तुम्हें प्रत्यक्ष ही है। ऐसी दशा में तुम्हें जीव का प्रत्यक्ष हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त 'मैंने किया', 'मैं करता हूँ', 'मैं करूँगा' इत्यादि रूप से तीनों काल सम्बन्धी विविध कार्यों का जो निर्देश किया जाता है उसमें 'मैं' (अहम्) रूप जो ज्ञान है वह भी आत्म प्रत्यक्ष ही है। दूसरी बात यह है कि यदि सशय करने वाला कोई न हो तो 'मैं हूँ या नहीं' यह सशय किसे होगा? जिसे स्वरूप में ही सदेह हो उसके लिए ससार में कौन सी वस्तु असदिग्ध होगी? ऐसे व्यक्ति को सर्वत्र सशय होगा। अनुमान से जीव की सिद्धि करते हुए आगे कहा गया है कि आत्मा प्रत्यक्ष है क्योंकि उसके स्मरणादि विज्ञानरूप गुण स्वसंवेदन द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। जिस गुणी के गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है उस गुणी का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है जैसे घट।

जीव के गुण प्रत्यक्ष हैं अतः जीव भी प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार घट के प्रत्यक्ष का आधार उसके रूपादि गुण हैं उसी प्रकार आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव का आधार उसके ज्ञानादि गुण हैं। जो लोग गुण से गुणी को एकान्त भिन्न मानते हैं उनके मत में रूपादि का ग्रहण होने पर भी घटादि गुणीरूप पदार्थों का ग्रहण न होगा। इन्द्रियों द्वारा मात्र रूपादि का ग्रहण होने से रूपादि को तो प्रत्यक्ष माना जा सकता है किन्तु रूपादि से एकान्त भिन्न घट का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जब घटादि पदार्थ भी सिद्ध नहीं तो फिर आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व का विचार करने से क्या लाभ? अतः स्मरणादि गुणों के आधार पर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।^१

आत्मा और शरीर में भेद :

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर इन्द्रभूति यह बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ज्ञानादि गुणों का प्रत्यक्ष होने के कारण उनका आधारभूत कोई गुणी अवश्य होना चाहिए। इतना स्वीकार करने पर वे एक नई शका उठाते हैं। वे कहते हैं कि स्मरणादि गुणों का आधार आत्मा ही है, यह मान्यता ठीक नहीं क्योंकि कृशता, स्थूलता आदि गुणों के समान स्मरणादि गुण भी शरीर में ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी दशा में उनका गुणीभूत आधार शरीर को ही मानना चाहिए, शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं। इस शका का समाधान करते हुए महावीर कहते हैं कि ज्ञानादि शरीर के गुण नहीं हो सकते क्योंकि शरीर घट के समान मूर्त अर्थात् चाक्षुष है जबकि ज्ञानादि गुण अमूर्त अर्थात् अचाक्षुष हैं। अतः ज्ञानादि गुणों के अनुरूप देह से भिन्न किसी अमूर्त गुणी की सत्ता अवश्य मानना चाहिए। यही गुणी आत्मा अर्थात् जीव है। इसके बाद इन्द्रभूति एक और शका उठाते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपनी देह में आत्मा का अस्तित्व मान सकता हूँ किन्तु दूसरों की देह में भी आत्मा की सत्ता है, इसका क्या प्रमाण? महावीर कहते हैं कि इसी हेतु से अन्य आत्माओं की भी सिद्धि हो सकती है। दूसरों के शरीर में भी विज्ञानमय जीव है क्योंकि उनमें भी इष्टप्रवृत्ति, अनिष्टनिवृत्ति आदि विज्ञानमय क्रियाएँ देखी जाती हैं।^२

आत्मा की सिद्धि के हेतु :

जिस प्रकार सांख्यदर्शन में पुरुष को प्रकृति से भिन्न सिद्ध करने के लिए अधिष्ठातृत्व, सघातपरार्थत्व आदि हेतु दिए गए उसी प्रकार विशेषावश्यकभाष्य में भी आत्मसिद्धि के लिए इसी प्रकार के कुछ हेतु दिए गए हैं। (१) इन्द्रियों

का कोई अधिष्ठाता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे करण हैं जैसे कि दवादि करणों का अधिष्ठाता कुम्भकार होता है। जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं होता वह आकाश के समान करण भी नहीं होता। इन्द्रियों का जो अधिष्ठाता है वही आत्मा है। (२) देह का कोई कर्ता होना चाहिए क्योंकि उसका घट के समान एक सादि एव नियत आकार है। जिसका कोई कर्ता नहीं होता उसका सादि एव निश्चित आकार भी नहीं होता, जैसे बादल। इस देह का जो कर्ता है वही आत्मा है। (३) जब इन्द्रियों और विषयों में आदान-आदेयभाव है तब उनका कोई आदाता अवश्य होना चाहिए। जहाँ आदान आदेयभाव होता है वहाँ कोई आदाता अवश्य होता है, जैसे सडासी (सदशक) और लोहे में आदान-आदेय-भाव है तथा लुहार (लोहकार) आदाता है। इसी प्रकार इन्द्रिय और विषय में आदान आदेयभाव है तथा आत्मा आदाता है। (४) देहादि का कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह भोग्य है, जैसे भोजन, वस्त्रादि भोग्य पदार्थों का भोक्ता पुरुषविशेष है। देहादि का जो भोक्ता है वही आत्मा है। (५) देहादि का कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये सघातरूप हैं। जो सघात रूप होता है उसका कोई स्वामी अवश्य होता है, जैसे गृह और उसका स्वामी गृहपति। देहादि सघातों का जो स्वामी है वही आत्मा है।^१

व्युत्पत्तिमूलक हेतु

शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जीव का अस्तित्व सिद्ध करते हुए भगवान् महावीर इन्द्रभूति को समझाते हैं कि 'जीव' पद 'घट' पद के समान व्युत्पत्तियुक्त शब्द पद होने के कारण सार्थक होना चाहिए अर्थात् 'जीव' पद का कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। जो पद सार्थक नहीं होता वह व्युत्पत्तियुक्त शब्द पद भी नहीं होता, जैसे डिट्ठ, खरविपाण आदि। 'जीव' पद व्युत्पत्तियुक्त तथा शब्द है अतः उसका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। इस तर्क को सुनकर इन्द्रभूति फिर कहते हैं कि शरीर ही 'जीव' पद का अर्थ है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं। महावीर इस मत का उलटन करते हुए पुनः कहते हैं—'जीव' पद का अर्थ शरीर नहीं हो सकता क्योंकि 'जीव' शब्द के पर्याय 'शरीर' शब्द के पर्यायों से भिन्न हैं। जीव के पर्याय हैं जन्तु, प्राणी, सत्त्व, आत्मा आदि। शरीर के पर्याय हैं देह, वपु, काय, फलेर आदि। और फिर देह और जीव के लक्षण भी भिन्न भिन्न हैं। जीव ज्ञानादि गुणयुक्त है जबकि देह जड़ है।^१ इसके बाद महावीर ने अपनी सर्गज्ञा के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि सर्गज्ञ के वचनों

में सन्देह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह राग, द्वेषादि दोषों से परे होता है जिनके कारण मनुष्य झूठ बोलता है ।^१

जीव की अनेकता .

जीव का लक्षण उपयोग है । जीव के मुख्य दो भेद हैं : ससारी और सिद्ध । ससारी जीव के पुन. दो भेद हैं : त्रस और स्यावर ।^२

जो लोग आकाश के समान एक ही जीव की सत्ता में विश्वास करते हैं वे ययार्यवादी नहीं हैं । नारक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च आदि पिंडों में आकाश के समान एक ही आत्मा मानने में क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि आकाश के समान सब पिंडों में एक आत्मा समभव नहीं । आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग अथवा लक्षण हमारे अनुभव में आता है अतः आकाश एक ही है । जीव के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । जीव प्रत्येक पिण्ड में विलक्षण है अतः उसे सर्वत्र एक नहीं माना जा सकता । जीव अनेक हैं क्योंकि उनमें लक्षणभेद है, जैसे विविध घट । जो वस्तु अनेक नहीं होती उसमें लक्षण भेद भी नहीं होता, जैसे आकाश । फिर, एक ही जीव मानने पर सुख, दुःख, वध, मोक्ष आदि की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । एक ही जीव का एक ही समय में सुखी-दुःखी होना समभव नहीं, बद्ध मुक्त होना संभव नहीं । अतः अनेक जीवों की सत्ता मानना युक्तिसंगत है । इन्द्रभूति महावीर के उपर्युक्त वक्तव्य से पूर्ण सतुष्ट नहीं होते । वे पुनः शका करते हैं कि यदि जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग है और वह सब जीवों में विद्यमान है तो फिर प्रत्येक पिंड में लक्षणभेद कैसे माना जा सकता है ? इसका समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि सभी जीवों में उपयोगरूप सामान्य लक्षण के विद्यमान होते हुए भी प्रत्येक शरीर में विशेष-विशेष उपयोग का अनुभव होता है । जीवों में उपयोग के अपकर्ष तथा उत्कर्ष के तारतम्य के अनन्त भेद हैं । यही कारण है कि जीवों की सख्या भी अनन्त है ।^३

जीव का स्वदेह-परिमाण :

जीवों को अनेक मानते हुए भी सर्वव्यापक मानने में क्या आपत्ति है ? जीव सर्वव्यापक नहीं अपितु शरीरव्यापी है क्योंकि उसके गुण शरीर में ही

१ गा० १५७७-९. २ गा० १५८०. ३. ब्रह्मबिन्दु उपनिषद्, ११ आदि
४ गा० १५८१-३. ५ जैसा कि साख्य, नैयायिक आदि मानते हैं ।

का कोई अधिष्ठाता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे करण हैं जैसे कि दडादि करणों का अधिष्ठाता कुम्भकार होता है। जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं होता वह आकाश के समान करण भी नहीं होता। इन्द्रियों का जो अधिष्ठाता है वही आत्मा है। (२) देह का कोई कर्ता होना चाहिए क्योंकि उसका घट के समान एक सादि एव नियत आकार है। जिसका कोई कर्ता नहीं होता उसका सादि एव निश्चित आकार भी नहीं होता, जैसे चादल। इस देह का जो कर्ता है वही आत्मा है। (३) जब इन्द्रियों और विषयों में आदान-आदेयभाव है तब उनका कोई आदाता अवश्य होना चाहिए। जहाँ आदान आदेयभाव होता है वहाँ कोई आदाता अवश्य होता है, जैसे सडासी (सदशक) और लोहे में आदान-आदेय-भाव है तथा लुहार (लोहकार) आदाता है। इसी प्रकार इन्द्रिय और विषय में आदान आदेयभाव है तथा आत्मा आदाता है। (४) देहादि का कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह भोग्य है, जैसे भोजन, वस्त्रादि भोग्य पदार्थों का भोक्ता पुरुषविशेष है। देहादि का जो भोक्ता है वही आत्मा है। (५) देहादि का कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये सघातरूप हैं। जो सघात रूप होता है उसका कोई स्वामी अवश्य होता है, जैसे गृह और उसका स्वामी गृहपति। देहादि सघातों का जो स्वामी है वही आत्मा है।^१

व्युत्पत्तिमूलक हेतु

शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जीव का अस्तित्व सिद्ध करते हुए भगवान् महावीर इन्द्रभूति को समझाते हैं कि 'जीव' पद 'घट' पद के समान व्युत्पत्तियुक्त शब्द पद होने के कारण सार्थक होना चाहिए अर्थात् 'जीव' पद का कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। जो पद सार्थक नहीं होता वह व्युत्पत्तियुक्त शब्द पद भी नहीं होता, जैसे छिन्थ, खरविषाण आदि। 'जीव' पद व्युत्पत्तियुक्त तथा शब्द है अतः उसका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। इस तर्क को सुनकर इन्द्रभूति फिर कहते हैं कि शरीर ही 'जीव' पद का अर्थ है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं। महावीर इस मत का खण्डन करते हुए पुनः कहते हैं—'जीव' पद का अर्थ शरीर नहीं हो सकता क्योंकि 'जीव' शब्द के पर्याय 'शरीर' शब्द के पर्यायों से भिन्न हैं। जीव के पर्याय हैं जन्तु, प्राणी, सर्व, आत्मा आदि। शरीर के पर्याय हैं देह, वपु, काय, क्लेश्वर आदि। और फिर देह और जीव के लक्षण भी भिन्न भिन्न हैं। जीव ज्ञानादि गुणयुक्त है जबकि देह जड़ है।^१ इसके बाद महावीर ने अपनी सर्वज्ञता के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि सर्वज्ञ के वचनों

में सन्देह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह राग, द्वेषादि दोषों से परे होता है जिनके कारण मनुष्य झूठ बोलता है ।^१

जीव की अनेकता .

जीव का लक्षण उपयोग है । जीव के मुख्य दो भेद हैं ससारी और असिद्ध । ससारी जीव के पुन दो भेद हैं . व्रस और स्यावर ।^२

जो लोग आकाश के समान एक ही जीव की सत्ता में विश्वास करते हैं वे यथार्थवादी नहीं हैं । नारक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च आदि पिंडों में आकाश के समान एक ही आत्मा मानने में क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि आकाश के समान सब पिंडों में एक आत्मा समभव नहीं । आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग अथवा लक्षण हमारे अनुभव में आता है अत आकाश एक ही है । जीव के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । जीव प्रत्येक पिण्ड में विशिष्ट है अत उसे सर्वत्र एक नहीं माना जा सकता । जीव अनेक हैं क्योंकि उनमें लक्षणभेद है, जैसे विविध घट । जो वस्तु अनेक नहीं होती उसमें लक्षण भेद भी नहीं होता, जैसे आकाश । फिर, एक ही जीव मानने पर सुख, दुःख, वध, मोक्ष आदि की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । एक ही जीव का एक ही समय में सुखी-दुःखी होना समभव नहीं, बद्ध मुक्त होना संभव नहीं । अत अनेक जीवों की सत्ता मानना युक्तिसंगत है । इन्द्रभूति महावीर के उपर्युक्त वक्तव्य से पूर्ण सतुष्ट नहीं होते । वे पुन. शका करते हैं कि यदि जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग है और वह सब जीवों में विद्यमान है तो फिर प्रत्येक पिंड में लक्षणभेद कैसे माना जा सकता है ? इसका समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि सभी जीवों में उपयोगरूप सामान्य लक्षण के विद्यमान होते हुए भी प्रत्येक शरीर में विशेष विशेष उपयोग का अनुभव होता है । जीवों में उपयोग के अपकर्ष तथा उत्कर्ष के तारतम्य के अनन्त भेद हैं । यही कारण है कि जीवों की संख्या भी अनन्त है ।^३

जीव का स्वदेह-परिमाण :

जीवों को अनेक मानते हुए भी सर्वव्यापक मानने में क्या आपत्ति है ? जीव सर्वव्यापक नहीं अपितु शरीरव्यापी है क्योंकि उसके गुण शरीर में ही

१ गा० १५७७-९. २ गा० १५८० ३. ब्रह्मविन्दु उपनिषद्, ११ भादि
४ गा० १५८१-३. ५ जैसा कि साख्य, नैयायिक आदि मानते हैं ।

का कोई अधिष्ठाता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे करण हैं जैसे कि दडादि करणों का अधिष्ठाता कुम्भकार होता है। जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं होता वह आकाश के समान करण भी नहीं होता। इन्द्रियों का जो अधिष्ठाता है वही आत्मा है। (२) देह का कोई कर्ता होना चाहिए क्योंकि उसका घट के समान एक सादि एव नियत आकार है। जिसका कोई कर्ता नहीं होता उसका सादि एव निश्चित आकार भी नहीं होता, जैसे बादल। इस देह का जो कर्ता है वही आत्मा है। (३) जब इन्द्रियों और विषयों में आदान-आदेयभाव है तब उनका कोई आदाता अवश्य होना चाहिए। जहाँ आदान-आदेयभाव होता है वहाँ कोई आदाता अवश्य होता है, जैसे सडासी (सदशक) और लोहे में आदान-आदेय-भाव है तथा लुहार (लोहकार) आदाता है। इसी प्रकार इन्द्रिय और विषय में आदान-आदेयभाव है तथा आत्मा आदाता है। (४) देहादि का कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह भोग्य है, जैसे भोजन, वस्त्रादि भोग्य पदार्थों का भोक्ता पुरुषविशेष है। देहादि का जो भोक्ता है वही आत्मा है। (५) देहादि का कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये सघातरूप हैं। जो सघात रूप होता है उसका कोई स्वामी अवश्य होता है, जैसे गृह और उसका स्वामी गृहपति। देहादि सघातों का जो स्वामी है वही आत्मा है।^१

व्युत्पत्तिमूलक हेतु

शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जीव का अस्तित्व सिद्ध करते हुए भगवान् महावीर इन्द्रभूति को समझाते हैं कि 'जीव' पद 'घट' पद के समान व्युत्पत्तियुक्त शब्द पद होने के कारण सार्थक होना चाहिए अर्थात् 'जीव' पद का कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। जो पद सार्थक नहीं होता वह व्युत्पत्तियुक्त शब्द पद भी नहीं होता, जैसे डिट्थ, खरविपाण आदि। 'जीव' पद व्युत्पत्तियुक्त तथा शब्द है अतः उसका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। इस तर्क को सुनकर इन्द्रभूति फिर कहते हैं कि शरीर ही 'जीव' पद का अर्थ है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं। महावीर इस मत का खण्डन करते हुए पुनः कहते हैं—'जीव' पद का अर्थ शरीर नहीं हो सकता क्योंकि 'जीव' शब्द के पर्याय 'शरीर' शब्द के पर्यायों से भिन्न हैं। जीव के पर्याय हैं जन्तु, प्राणी, सत्त्व, आत्मा आदि। शरीर के पर्याय हैं देह, वपु, काय, कलेवर आदि। और फिर देह और जीव के लक्षण भी भिन्न भिन्न हैं। जीव ज्ञानादि गुणयुक्त है जबकि देह बद्ध है।^२ इसके बाद महावीर ने अपनी सर्वज्ञता के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि सर्वज्ञ के वचनों

में सन्देह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह राग, द्वेषादि दोषों से परे होता है जिनके कारण मनुष्य झूठ बोलता है ।^१

जीव की अनेकता :

जीव का लक्षण उपयोग है । जीव के मुख्य दो भेद हैं सधारी और सिद्ध । सधारी जीव के पुन दो भेद हैं • त्रस और स्याधर ।^१

जो लोग आकाश के समान एक ही जीव की सत्ता में विश्वास करते हैं वे यथार्थवादी नहीं हैं । नारक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च आदि पिण्डों में आकाश के समान एक ही आत्मा मानने में क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि आकाश के समान सब पिण्डों में एक आत्मा संभव नहीं । आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग अथवा लक्षण हमारे अनुभव में आता है अत आकाश एक ही है । जीव के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । जीव प्रत्येक पिण्ड में विलक्षण है अत उसे सर्वत्र एक नहीं माना जा सकता । जीव अनेक हैं क्योंकि उनमें लक्षणभेद है, जैसे विविध घट । जो वस्तु अनेक नहीं होती उसमें लक्षण भेद भी नहीं होता, जैसे आकाश । फिर, एक ही जीव मानने पर सुख, दुःख, बध, मोक्ष आदि की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । एक ही जीव का एक ही समय में सुखी-दुःखी होना संभव नहीं, बद्ध मुक्त होना संभव नहीं । अत अनेक जीवों की सत्ता मानना युक्तिसंगत है । इन्द्रभूति महावीर के उपर्युक्त वक्तव्य से पूर्ण सतुष्ट नहीं होते । वे पुन शका करते हैं कि यदि जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग है और वह सब जीवों में विद्यमान है तो फिर प्रत्येक पिण्ड में लक्षणभेद कैसे माना जा सकता है ? इसका समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि सभी जीवों में उपयोगरूप सामान्य लक्षण के विद्यमान होते हुए भी प्रत्येक शरीर में विशेष-विशेष उपयोग का अनुभव होता है । जीवों में उपयोग के अपकर्ष तथा उत्कर्ष के तारतम्य के अनन्त भेद हैं । यही कारण है कि जीवों की संख्या भी अनन्त है ।^२

जीव का स्वदेह-परिमाण :

जीवों को अनेक मानते हुए भी सर्वव्यापक मानने में क्या आपत्ति है ? जीव सर्वव्यापक नहीं अपितु शरीरव्यापी है क्योंकि उसके गुण शरीर में ही

१ गा० १५७७-९. २ गा० १५८० ३. ब्रह्मविन्दु उपनिषद्, ११ आदि
४ गा० १५८१-३. ५ जैसा कि साख्य, नैयायिक आदि मानते हैं ।

कर्म-साधक एक और प्रमाण देते हुए भगवान् महावीर कहते हैं—आद्य बालशरीर देहान्तरपूर्वक है क्योंकि वह इन्द्रियादि से युक्त है जैसे युवदेह बालदेह-पूर्वक है। आद्य बालशरीर जिस देहपूर्वक है वही कर्म—कामर्णशरीर है।^१

कर्म साधक तीसरा अनुमान इस प्रकार है . दानादि क्रिया का कुछ फल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह सचेतन व्यक्तिकृत क्रिया है, जैसे कृषि। दानादि क्रिया का जो फल है वही कर्म है। अग्निभूति इस बात को मानता हुआ पुनः प्रश्न करता है कि जैसे कृषि आदि क्रिया का दृष्ट फल धान्यादि है, उसी प्रकार दानादि क्रिया का फल भी मन प्रसाद आदि क्यों न मान लिया जाए ? इस दृष्ट फल को छोड़कर अदृष्ट फलरूप कर्म की सत्ता मानने से क्या लाभ ? महावीर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—अग्निभूति ! क्या तुम नहीं जानते कि मन-प्रसाद भी एक प्रकार की क्रिया है, अतः सचेतन की अन्य क्रियाओं के समान उसका भी फल मानना चाहिए। वही फल कर्म है। इस कर्म के कार्यरूप से सुखदुःख आदि आगे जाकर पुनः हमारे अनुभव में आते हैं।^२

मूर्त कर्म :

यदि कार्य के अस्तित्व से कारण की सिद्धि होती है तो शरीर आदि कार्य के मूर्त होने के कारण उसका कारणरूप कर्म भी मूर्त ही होना चाहिए। इस सशय का निवारण करते हुए महावीर कहते हैं कि मैं कर्म को मूर्त ही मानता हूँ क्योंकि उसका कार्य मूर्त है। जैसे परमाणु का कार्य घट मूर्त है अतः परमाणु भी मूर्त है, वैसे ही कर्म का शरीरादि कार्य मूर्त है अतः कर्म भी मूर्त ही है।^३

कर्म का मूर्तत्व सिद्ध करने वाले अन्य हेतु ये हैं : (१) कर्म मूर्त है क्योंकि उससे सम्बन्ध होने पर सुख आदि का अनुभव होता है, जैसे मोजन। जो अमूर्त होता है उससे सम्बन्ध होने पर सुख आदि का अनुभव नहीं होता, जैसे आकाश। (२) कर्म मूर्त है क्योंकि उसके सम्बन्ध से वेदना का अनुभव होता है, जैसे अग्नि। (३) कर्म मूर्त है क्योंकि उसमें बाह्य पदार्थों से बलाघान होता है। जैसे घटादि पदार्थों पर तेल आदि बाह्य वस्तु का विलेपन करने से बलाघान होता है—स्निग्धता आती है उसी प्रकार कर्म में भी माला, चन्दन, वनिता आदि बाह्य वस्तुओं के ससर्ग से बलाघान होता है अतः वह मूर्त है। (४) कर्म मूर्त है क्योंकि वह आत्मादि से भिन्न रूप में परिणामी है, जैसे दूध।^४

१ गा० १६१४.

२. गा० १६१५-६

{ ३ गा० १६२५.

४ गा० १६२६-७.

कर्म और आत्मा का सम्बन्ध :

कर्म को मूर्त मानने पर अमूर्त आत्मा से उसका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? घट मूर्त है फिर भी उसका सयोग सम्बन्ध अमूर्त आकाश से होता है। ठीक इसी प्रकार मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा से सम्बन्ध होता है। अथवा जिस प्रकार अगुली आदि मूर्त द्रव्य का आकुञ्चन आदि अमूर्त क्रिया से सम्बन्ध होता है उसी प्रकार कर्म और जीव का सम्बन्ध सिद्ध होता है।^१

स्थूल शरीर मूर्त है किन्तु उसका आत्मा से सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही है। इसी प्रकार भवान्तर में जाते हुए जीव का कार्मण शरीर से सम्बन्ध होना ही चाहिए अन्यथा नये स्थूल शरीर का ग्रहण सम्भव नहीं हो सकता।^२

मूर्त द्वारा अमूर्त का उपघात और अनुग्रह कैसे हो सकता है ? विज्ञानादि अमूर्त हैं किन्तु मदिरा, विष आदि मूर्त वस्तुओं द्वारा उनका उपघात होता है तथा घी, दूध आदि पौष्टिक भोजन से उनका उपकार होता है। इसी प्रकार मूर्त कर्म द्वारा अमूर्त आत्मा का अनुग्रह अथवा उपकार हो सकता है।^३

अथवा यों कहिये कि ससारी आत्मा वस्तुतः एकान्तरूप से अमूर्त नहीं है। जीव तथा कर्म का अनादिकालीन सम्बन्ध होने के कारण कथञ्चित् जीव भी कर्म-परिणामरूप है, अतः वह उस रूप में मूर्त भी है। इस प्रकार मूर्त आत्मा पर मूर्त कर्म द्वारा होने वाले अनुग्रह और उपघात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देह और कर्म में परस्पर कार्य-कारणभाव है। जैसे बीज से अकुर और अकुर से बीज की उत्पत्ति है और इस प्रकार बीजाकुर सन्तति अनादि है उसी प्रकार देह से कर्म और कर्म से देह का उद्भव समझना चाहिए। देह और कर्म की यह परम्परा अनादि है।^४

ईश्वरकर्तृत्व का खंडन :

अग्निभूति एक और शका उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि ईश्वरादि को जगत् वैचित्र्य का कारण मान लिया जाए तो कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती। महावीर कहते हैं कि कर्म की सत्ता न मानकर मात्र शुद्ध जीव को ही देहादि की विचित्रता का कर्ता माना जाए अथवा ईश्वरादि को इस समस्त वैचित्र्य का कर्ता माना जाए तो हमारी सारी मान्यताएँ असंगत सिद्ध होंगी। यह कैसे ? यदि शुद्ध जीव अथवा ईश्वरादि को कर्म साधन की अपेक्षा नहीं है—

तो वह शरीरादि का आरम्भ ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास आवश्यक उपकरणों का अभाव है। जैसे कुम्भकार दवादि उपकरणों के अभाव में घटादि का निर्माण नहीं कर सकता उसी प्रकार ईश्वर कर्मादि साधनों के अभाव में शरीरादि का निर्माण नहीं कर सकता। इसी प्रकार निश्चेष्टता, अमूर्तता आदि हेतुओं से भी ईश्वर कर्तृत्व का खण्डन किया जा सकता है।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर ने अग्निभूति के सशय का निवारण कर दिया तो उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ग्रहण कर ली।^२

आत्मा और शरीर का भेद :

इन्द्रभूति तथा अग्निभूति के दीक्षित होने के समाचार सुनकर वायुभूति भगवान् महावीर के पास पहुँचे। भगवान् ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा— वायुभूति ! तुम्हारे मन में यह सशय है कि जीव और शरीर एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं ? तुम्हें वेद पदों का सच्चा अर्थ मालूम नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस प्रकार का सदेह हो रहा है।^३ तुम यह मानते हो कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन चार भूतों के समुदाय से चैतन्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मद्य उत्पन्न करने वाली पृथक्-पृथक् वस्तुओं में मदशक्ति दिखाई नहीं देती फिर भी उनके समुदाय से मदशक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पृथ्वी आदि किसी भी पृथक् भूत में चैतन्यशक्ति दिखाई नहीं देती फिर भी उनके समुदाय से चैतन्य का प्रादुर्भाव होता है। जिस प्रकार पृथक्-पृथक् द्रव्यों के समुदाय से मदशक्ति उत्पन्न होती है और कुछ समय तक स्थिर रह कर कालान्तर में विनाश की सामग्री उपस्थित होने पर पुनः नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भूतों के समुदाय से चैतन्य उत्पन्न होता है और कुछ समय तक विद्यमान रहने पर कालान्तर में विनाश की सामग्री उपस्थित होने पर पुनः नष्ट हो जाता है। अतः चैतन्य भूतों का धर्म है और भूतरूप शरीर तथा चैतन्यरूप आत्मा अभिन्न हैं।^४

भगवान् महावीर इस सशय का निराकरण करते हुए कहते हैं—हे वायुभूति ! तुम्हारा यह सशय ठीक नहीं है क्योंकि चैतन्य केवल भूतों के समुदाय से उत्पन्न नहीं हो सकता। वह स्वतन्त्ररूप से सत् है क्योंकि प्रत्येक भूत में उसकी सत्ता का अभाव है। जिसका प्रत्येक अवयव में अभाव हो वह समुदाय से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। रेत के प्रत्येक कण में तेल नहीं है अतः रेत के

१. गा० १६४१-२

२. गा० १६४४

३. गा० १६४९

४. गा० १६५०-१.

समुदाय से भी तेल नहीं निकर सकना । तिरु समुदाय से तेल निकलना है क्योंकि प्रत्येक तिरु में तेल की सत्ता है ।^१ तुम्हारा यह कथन कि मद्य के प्रत्येक द्रव्य में मद अविद्यमान है, अयुक्त है । वस्तुतः मद्य के प्रत्येक अंग में मद की न्यून या अधिक मात्रा विद्यमान है ही इसीलिए वह समुदाय से उत्पन्न होता है ।^२

भूतों में भी मद्यों के समान प्रत्येक में चैतन्य की मात्रा विद्यमान है अतः वह समुदाय से भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? यह बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि जिस प्रकार मद्य के प्रत्येक अंग—घातकीपुष्प, गुड़, द्राक्षा, इक्षुरस आदि में मदशक्ति दिखाई देती है उस प्रकार प्रत्येक भूत में चैतन्यशक्ति का दर्शन नहीं होता । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि केवल भूतसमुदाय से ही चैतन्य उत्पन्न होता है ।^३

मद्य के प्रत्येक अंग में भी यदि मदशक्ति न मानें तो क्या दोष है ? यदि भूतों में चैतन्य के समान मद्य के भी प्रत्येक अंग में मदशक्ति न हो तो यह नियम ही नहीं बन सकता कि मद्य के घातकीपुष्प आदि तो कारण हैं और अन्य पदार्थ नहीं । ऐसी अवस्था में रात, पत्थर आदि कोई भी वस्तु मद का कारण बन जाएगी और किसी भी समुदाय से मद्य उत्पन्न हो जाएगा । किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता अतः मद्य के प्रत्येक अंगभूत पदार्थ में मदशक्ति का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिए ।^४

इन्द्रिय-भिन्न आत्मसाधक अनुमान :

भूत अथवा इन्द्रियों से भिन्नस्वरूप किसी तत्त्व का धर्म चैतन्य है, क्योंकि भूत अथवा इन्द्रियों द्वारा उपलब्ध पदार्थ का स्मरण होता है, जैसे पाँच झरोखों से उपलब्ध वस्तु का स्मरण होने के कारण झरोखों से भिन्नस्वरूप देवदत्त का धर्म चैतन्य है । जैसे क्रमशः पाँच झरोखों से देखने वाला देवदत्त एक ही है और वह उन झरोखों से भिन्न है क्योंकि वह पाँचों झरोखों द्वारा देखी गई चीजों का स्मरण करता है, उसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों द्वारा गृहीत पदार्थों का स्मरण करने वाला भी इन्द्रियों से भिन्न कोई तत्त्व अवश्य होना चाहिए । इसी तत्त्व का नाम आत्मा अथवा जीव अथवा चेतना है । यदि स्वयं इन्द्रियों को ही उपलब्धिकर्ता मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है ? इन्द्रियव्यापार के बद होने पर अथवा इन्द्रियों का नाश हो जाने पर भी इन्द्रियों द्वारा गृहीत वस्तु का

^१ यह सत्कार्यवाद का मूलभूत सिद्धान्त है । २ गा० १६५२.

^३ गा० १६५३

^४ गा० १६५४.

स्मरण होता है तथा कभी-कभी इन्द्रियव्यापार के अस्तित्व में भी अन्यमनस्क को वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अतः यह मानना चाहिए कि किसी वस्तु का ज्ञान इन्द्रियों को नहीं होता अपितु इन्द्रियभिन्न किसी अन्य को ही होता है। यही ज्ञाता आत्मा है।^१

दूसरा अनुमान इस प्रकार है आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है, क्योंकि वह एक इन्द्रिय द्वारा ग्रहीत पदार्थ का दूसरी इन्द्रिय से ग्रहण करती है। जैसे एक खिड़की से देखे गये घट को देवदत्त दूसरी खिड़की से ग्रहण करता है अतः देवदत्त दोनों खिड़कियों से भिन्न है, वैसे ही आत्मा भी एक इन्द्रिय से ग्रहीत वस्तु का दूसरी इन्द्रिय से ग्रहण करती है अतः वह इन्द्रियों से भिन्न है। दूसरी बात यह है कि वस्तु का ग्रहण एक इन्द्रिय से होता है किन्तु विकार दूसरी इन्द्रिय में होता है, जैसे आँखों द्वारा झमली आदि आम्ल पदार्थ देखते हैं किन्तु लालास्रवादि विकार (लार टपकना, मुँह में पानी भर आना) जिह्वा में होता है, अतः यह मानना पड़ता है कि आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है।^२

तीसरा अनुमान इस प्रकार है . जीव इन्द्रियों से भिन्न है, क्योंकि वह सभी इन्द्रियों द्वारा ग्रहीत अर्थ का स्मरण करता है। जिस प्रकार अपनी इच्छा से रूप आदि एक एक गुण के ज्ञाता ऐसे पाँच पुरुषों से रूप आदि ज्ञान का ग्रहण करने वाला पुरुष भिन्न है, उसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों से उपलब्ध अर्थ का स्मरण करने वाला पाँचों इन्द्रियों से भिन्न कोई तत्त्व होना चाहिए। यही तत्त्व आत्मा है।^३

आत्मा की नित्यता :

आत्मा शरीर से भिन्न सिद्ध होने पर भी शरीर के समान क्षणिक तो है ही। ऐसी दशा में वह शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। तब फिर उसे शरीर से भिन्न सिद्ध करने से क्या लाभ ? यह शका ठीक नहीं। पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले जीव का उसके पूर्व भव के शरीर का नाश हो जाने पर भी क्षय नहीं माना जा सकता। जीव का क्षय मानने पर पूर्व भव का स्मरण करने वाला कोई नहीं रहता। जिस प्रकार बाल्यावस्था का स्मरण करने वाली बृद्ध की आत्मा का बाल्य-काल में सर्वथा नाश नहीं हो जाता क्योंकि वह बाल्यावस्था का स्मरण करती हुई प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार जीव भी पूर्व जन्म का स्मरण करता है, यह बात सिद्ध है। अथवा जिस प्रकार विदेश में गया हुआ कोई व्यक्ति स्वदेश की

बातों का स्मरण करता है अतः उसे नष्ट नहीं माना जा सकता, उभी प्रकार पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले जीव का भी सर्वथा नाश नहीं माना जा सकता ।^१

यदि कोई यह कहे कि जीवरूप विज्ञान को क्षणिक मानकर भी विज्ञान सतति के सामर्थ्य से स्मरण की सिद्धि की जा सकती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर का नाश हो जाने पर भी विज्ञान-सतति का नाश नहीं हुआ । अतः विज्ञान सतति शरीर से भिन्न ही सिद्ध हुई । विज्ञान का सर्वथा क्षणिक होना सम्भव नहीं क्योंकि पूर्वोपलब्ध वस्तु का स्मरण होता हुआ दिखाई देता है । जो क्षणिक होता है उसे अतीत का स्मरण नहीं हो सकता । चूँकि हमें अतीत का स्मरण होता है अतः हमारा विज्ञान सर्वथा क्षणिक नहीं है । क्षणिकवाद के अनेक दोषों की ओर रुकेन करते हुए भाष्यकार ने इस मत की स्थापना की है कि ज्ञान-सतति का जो सामान्य रूप है वह नित्य है अतः उसका कभी भी व्यग्रच्छेद नहीं होता । यही आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है ।^२

आत्मा की अदृश्यता :

यदि आत्मा शरीर से भिन्न है तो वह शरीर में प्रविष्ट होते समय अथवा वहाँ से बाहर निकलते समय दिखाई क्यों नहीं देती ? किसी भी वस्तु की अनुपलब्धि दो प्रकार की होती है (१) जो वस्तु खरश्रुगादि के समान सर्वथा असत् हो वह कभी भी उपलब्ध नहीं होती, (२) वस्तु सत् होने पर भी बहुत दूर, बहुत पास, अति सूक्ष्म आदि होने के कारण उपलब्ध नहीं होती । आत्मा स्वभाव से अमूर्त है तथा उसका कार्मण शरीर परमाणु के सदृश सूक्ष्म है अतः वह हमारे शरीर में प्रविष्ट होते समय अथवा शरीर से बाहर निकलते समय दिखाई नहीं देती ।^३

इस प्रकार जब भगवान् महावीर ने वायुभूति के सशय का निवारण किया तो उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा अगीकार कर ली ।^४

शून्यवाद का निरास :

इन्द्रभूति आदि तीनों को दीक्षित हुए सुनकर व्यक्त ने विचार किया कि मुझे भी महावीर के पास पहुँचना चाहिए । यह सोचकर वे भगवान् महावीर के पास पहुँचे । भगवान् ने उन्हें आया हुआ जान कर सन्तोषित करते हुए कहा—

१ गा० १६७१

२ गा० १६७२-१६८१

३ गा० १६८३.

४ गा० १६८६

हे व्यक्त ! तुम्हारे मन में यह सशय है कि भूतों का अस्तित्व है या नहीं ? तुम वेद-वाक्यों का यथार्थ अर्थ नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें इस प्रकार की शका है। मैं तुम्हें इनका सच्चा अर्थ बताऊँगा जिससे तुम्हारा संशय दूर होगा।^१

हे व्यक्त ! तुम यह समझते हो कि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले ये सब भूत स्वप्नोपम हैं तथा जीव, पुण्य, पाप आदि परोक्ष पदार्थभी मायोपम हैं। इस प्रकार समस्त ससार यथार्थ में शून्यरूप है। तुम यह भी मानते हो कि ससार में सकल व्यवहार ह्रस्व दीर्घ के समान सापेक्ष है, अतः वस्तु की सिद्धि स्वतः, परत, उभयत अथवा अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। अतः सब कुछ शून्य है। इसी प्रकार पदार्थ के साथ अस्तित्व, एकत्व, अनेकत्व आदि का किसी प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता, अतः सब शून्य है। उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, उभय, अनुमय आदि में भी इसी प्रकार के अनेक दोष उपस्थित होते हैं, अतः जगत् को शून्यरूप ही मानना चाहिए।^२

इन शकाओं का निवारण इस प्रकार है यदि ससार में भूतों का अस्तित्व ही न हो तो उनके विषय में आकाश कुसुम के समान सशय ही उत्पन्न न हो। जो वस्तु विद्यमान होती है उसी के विषय में सशय होता है जैसे स्याणु और पुरुष के विषय में। ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण स्याणु-पुरुष के विषय में तो सन्देह होता है किन्तु आकाश-कुसुम के विषय में सन्देह नहीं होता ? अथवा ऐसा क्यों नहीं होता कि आकाश-कुसुम आदि के विषय में ही सन्देह हो तथा स्याणु पुरुष के विषय में सन्देह न हो ? अतः यह मानना चाहिए कि आकाश कुसुम के समान सब कुछ समानरूप से शून्य नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम द्वारा पदार्थ की सिद्धि होती है, अतः इन प्रमाणों के विषयभूत पदार्थों के सम्बन्ध में ही सशय उत्पन्न होता है। जो सर्वप्रमाणातीत है उसके विषय में संशय कैसे हो सकता है ? इसीलिए स्याणु-पुरुष आदि पदार्थों के विषय में तो सन्देह होता है किन्तु आकाश कुसुम आदि के विषय में नहीं। दूसरी बात यह है कि सशयादि ज्ञानपर्याय हैं। ज्ञान की उत्पत्ति बिना ज्ञेय के सम्भव नहीं। अतः यदि ज्ञेय ही नहीं तो सशय उत्पन्न ही कैसे होगा ?^३

यहाँ पर कोई यह कह सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि यदि सबका अभाव हो तो सशय ही न हो। जैसे सोये हुए पुरुष के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वह स्वप्न में सशय करता है कि 'यह गजराज है अथवा पर्वत ?' अतः—

सब कुछ शून्य होने पर भी सशय हो सकता है। यह कथन ठीक नहीं। स्वप्न में जो सदेह होता है वह भी पूर्वानुभूत वस्तु के स्मरण से ही होता है। यदि सभी वस्तुओं का सर्वथा अभाव हो तो स्वप्न में भी सञ्चय न हो। जिन कारणों से स्वप्न होता है वे इस प्रकार हैं : अनुभूत अर्थ—जैसे स्नानादि, दृष्ट अर्थ—जैसे हस्ति तुरगादि, चिन्तित अर्थ—जैसे प्रियतमा आदि, श्रुत अर्थ—जैसे न्यगं नरकादि, प्रकृति विकार—जैसे वात पित्तादि, अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टता, सज्ज प्रदेश, पुण्य तथा पाप। अतः स्वप्न भी भावरूप है। स्वप्न भावरूप है क्योंकि घटविज्ञानादि के समान वह भी विज्ञानरूप है अथवा स्वप्न भावरूप है क्योंकि वह भी अपने कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे घट आदि अपने कारणों से उत्पन्न होने के कारण भावरूप हैं।^१

शून्यवाद में एक दोष यह भी है कि यदि सब कुछ शून्य हो तो स्वप्न-अस्वप्न, सत्य-मिथ्या, गन्धर्वनगर पाटलिपुत्र, मुख्य गौण, साध्य साधन, कार्य-कारण, वक्ता वचन, त्रि अवयव-पञ्चावयव, स्वपक्ष परपक्ष आदि भेद भी न हों।^२

यह कहना कि समस्त व्यवहार सापेक्ष है, अतः किसी पदार्थ की स्वरूप-सिद्धि नहीं हो सकती, अयुक्त है। हमारे सामने एक प्रश्न है कि ह्रस्व दीर्घ का ज्ञान युगपद् होता है या क्रमशः ? यदि युगपद् होता है तो जिस समय मध्यम अगुली के विषय में दीर्घत्व का प्रतिभास हुआ उसी समय प्रदेशिनी में ह्रस्वत्व का प्रतिभास हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि ह्रस्वत्व-दीर्घत्व सापेक्ष है। यदि ह्रस्व दीर्घ का ज्ञान क्रमशः होता है तो पहले प्रदेशिनी में ह्रस्वत्व का ज्ञान होता है जो मध्यम अगुली के दीर्घत्व के प्रतिभास से निरपेक्ष है। अतः यह मानना पड़ता है कि ह्रस्वत्व दीर्घत्व का व्यवहार केवल सापेक्ष नहीं है। एक और दृष्टान्त लें। बालक जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम आँखें खोल कर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसमें किसकी अपेक्षा है ? तथा दो सदृश पदार्थों का ज्ञान यदि एक साथ हो तो उसमें भी किसी की अपेक्षा दृष्टिगोचर नहीं होती। इन सब कठिनाइयों को दूर करने में रखते हुए यह मानना चाहिए कि किसी एक वस्तु का स्वविषयक ज्ञान अन्य वस्तु की अपेक्षा के बिना ही होता है। तत्प्रतिपक्षी पदार्थ का स्मरण होने पर इस प्रकार का व्यपदेश्य अत्रय होता है कि यह अमुक से ह्रस्व है, अमुक से दीर्घ है आदि। अतः पदार्थों को स्वतः सिद्ध मानना चाहिए।^३

पदार्थ के अस्तित्व आदि धर्मों की सिद्धि इस प्रकार की जा सकती है यदि पदार्थ के अस्तित्व आदि धर्म अन्यनिरपेक्ष न हों तो ह्रस्व पदार्थों का नाश होने पर दीर्घ पदार्थों का भी सर्वथा नाश हो जाना चाहिए, क्योंकि दीर्घ पदार्थों की सत्ता ह्रस्व पदार्थ सापेक्ष है। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः यही सिद्ध होता है कि पदार्थ के ह्रस्व आदि धर्मों का ज्ञान और व्यवहार ही परसापेक्ष है, उसके अस्तित्व आदि धर्म नहीं।^१ घटसत्ता घट का धर्म होने के कारण घट से अभिन्न है किन्तु पटादि से भिन्न है। घट के समान पटादि की सत्ता पटादि में है ही अतः घट के समान अघटरूप पटादि भी विद्यमान हैं। इस प्रकार अघट का अस्तित्व होने के कारण तद्भिन्न को घट कहा जा सकता है। यहाँ एक शका उठ सकती है कि यदि घट और अस्तित्व एक ही हों तो यह नियम क्यों नहीं बन सकता कि 'जो जो अस्तिरूप है वह सब घट ही है?' ऐसा इसलिए नहीं होता कि घट का अस्तित्व घट में ही है, पटादि में नहीं। अतः घट और उसके अस्तित्व को अभिन्न मानकर भी यह नियम नहीं बन सकता कि 'जो जो अस्तिरूप है वह सब घट ही है।'^२ केवल 'अस्ति' अर्थात् 'है' कहने से जितने पदार्थों में अस्तित्व है उन सब का बोध होगा। इसमें घट और अघट सब का समावेश होगा। 'घट है' ऐसा कहने से तो इतना ही बोध होगा कि केवल घट है। इसका कारण यह है कि घट का अस्तित्व घट तक ही सीमित है। जैसे 'वृक्ष' कहने से आम्र, नीम आदि सभी वृक्षों का बोध होता है क्योंकि इन सब में वृक्षत्व समानरूपेण विद्यमान है। किन्तु 'आम्र' कहने से तो केवल आम्र वृक्ष का ही बोध होगा क्योंकि उसका वृक्षत्व उसी तक सीमित है।^३ इसी प्रकार जात अजात, दृश्य-अदृश्य आदि की भी सिद्धि की जा सकती है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भूतादि के विषय में सन्देह नहीं होना चाहिए। वायु तथा आकाश प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते अतः उनके विषय में सन्देह हो सकता है। इस सशय का निवारण अनुमान से हो सकता है।

वायु और आकाश का अस्तित्व :

स्पर्शादि गुणों का कोई गुणी अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे गुण हैं, जैसे रूप गुण का गुणी घट है। स्पर्शादि गुणों का जो गुणी है वह वायु है।^४

१ गा० १७१५

२ गा० १७२२-३

३ गा० १७२४.

४ गा० १७४९.

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु—इन सब का कोई आधार होना चाहिए क्योंकि ये सब मूर्त हैं। जो मूर्त होता है उसका आधार अवश्य होता है, जैसे कि पानी का आधार घट है। पृथ्वी आदि का जो आधार है वही आकाश है।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर व्यक्त की भूतविषयक शका का समाधान करते हुए आगे कहते हैं कि जन्तक शत्रु से उपघात न हुआ हो तन्तक ये भूत सचेतन हैं, शरीर के आधारभूत हैं, विविध प्रकार से जीवों के उपयोग में आते हैं।^२

भूतों की सजीवता :

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सचेतन हैं क्योंकि उनमें जीव के लक्षण दिखाई देते हैं। आकाश अमूर्त है। वह केवल जीव का आधार ही बनता है। वह सजीव नहीं है।^३ पृथ्वी सचेतन है क्योंकि उसमें जीव में दिखाई देनेवाले जन्म, जरा, जीवन, मरण, क्षतसरोहण, आहार, दोहद, रोग, चिकित्सा आदि लक्षण पाये जाते हैं। स्पृष्टप्ररोदिका (लाजवती) क्षुद्र जीव के समान स्पर्श से सकुचित हो जाती है। लता अपना आश्रय प्राप्त करने के लिए मनुष्य के समान वृक्ष की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। शमी आदि में निद्रा, प्रबोध, सकोच आदि लक्षण माने जाते हैं। बकूल शब्द का, अशोक रूप का, कुरुत्रक गध का, विरहक रस का, चपक स्पर्श का उपभोग करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं।^४ जल भी सचेतन है। भूमि खोदने से स्वाभाविक रूप से निकलने के कारण मैदक के समान जल सजीव सिद्ध होता है। मत्स्य के समान स्वामाविक रूप से व्योम से गिरने के कारण जल को सचेतन मानना चाहिए।^५ वायु की सचेतनता का प्रमाण यह है जैसे गाय किली की प्रेरणा के बिना ही अनियमित रूप से तिर्यक् गमन करती है उसी प्रकार वायु भी है अतः वह सजीव है। अग्नि भी सजीव है क्योंकि जैसे मनुष्य में आहार आदि से वृद्धि और विकार दिखाई देते हैं वैसे ही अग्नि में भी काष्ठादि आहार से वृद्धि और विकार दिखाई देते हैं।^६

हिंसा-अहिंसा का विवेक :

यदि पृथ्वी आदि भूतों में अनन्त जीव विद्यमान हैं तो साधु को आहारादि लेने के कारण अनन्त जीवों की हिंसा का दोष लगेगा। ऐसी अवस्था में साधु को अहिंसक कैसे माना जाएगा ? भूतों के सजीव होने पर भी साधु को हिंसा

१. गा० १७५०. २. गा० १७५१. ३. गा० १७५२. ४. गा० १७५३-५.
५. गा० १७५७. ६. गा० १७५८.

का दोष इसलिए नहीं लगता कि शस्त्रोपहत पृथ्वी आदि भूतों में जीव नहीं होता। ऐसे भूत निर्जीव ही होते हैं। यह कथन भी ठीक नहीं कि कोई व्यक्ति केवल जीव का घातक बनने से हिंसक हो जाता है। यह कथन भी अनुचित है कि एक व्यक्ति किसी भी जीव का घातक नहीं है अतः वह निश्चित रूप से अहिंसक है। यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं कि थोड़े जीव हों तो हिंसा नहीं होती और अधिक जीव हों तो हिंसा होती है। हिंसक और अहिंसक की पहिचान यह है कि जीव की हत्या न करने पर भी दुष्ट भावों के कारण व्यक्ति हिंसक कहलाता है तथा जीव का घातक होने पर भी व्यक्ति शुद्ध भावों के कारण अहिंसक कहलाता है। पाँच समिति तथा तीन गुप्ति सम्पन्न ज्ञानी मुनि अहिंसक है। इससे विपरीत जो असयमी है वह हिंसक है। सयमी किसी जीव का घात करे या न करे किन्तु वह हिंसक नहीं कहलाता क्योंकि हिंसा अहिंसा का आधार आत्मा का अध्यवसाय है, न कि क्रिया। वस्तुतः अशुभ परिणाम का नाम ही हिंसा है। यह अशुभ परिणाम बाह्य जीवघात की अपेक्षा रख भी सकता है और नहीं भी। जो जीवत्रय अशुभ परिणामजन्य है अथवा अशुभ परिणाम का जनक है वह जीववध तो हिंसा ही है। जो जीववध अशुभ परिणाम का जनक नहीं वह हिंसा की कोटि से बाहर है। जिस प्रकार शब्दादि विषय वीतराग में राग उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि वीतराग के भाव शुद्ध होते हैं उसी प्रकार सयमी का जीववध भी हिंसा नहीं कहलाता क्योंकि उसका मन शुद्ध है।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर ने व्यक्त का सशय दूर किया और उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ग्रहण की।^२

इहलोक और परलोक की विचित्रता :

उपर्युक्त चार पंडितों के दीक्षित होने का समाचार सुनकर सुधर्मा भगवान् महावीर के पास पहुँचे। महावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—सुधर्मा ! तुम्हें यह सशय है कि जीव जैसा इस भव में है वैसा ही परभव में भी होता है या नहीं ? तुम्हें वेदपदों का अर्थ ज्ञात नहीं इसीलिए इस प्रकार का सशय होता है। मैं तुम्हारे सशय का निवारण करूँगा।^३

यह मान्यता कि कार्य कारण के समान ही होता है, ठीक नहीं। यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं कि कार्य कारण के सदृश ही होता है। शृंग से भी शर—

नामक वनस्पति उत्पन्न होती है। उसी पर यदि सरसों का लेग क्रिया जाए तो पुन उसी में से एक विशेष प्रकार का घास पैदा होता है। गाय तथा गुरी के बालों से दूर्वा (दूब) उत्पन्न होती है। इस प्रकार नाना प्रकार के द्रव्यों के संयोग से विलक्षण वनस्पति की उत्पत्ति का वर्णन वृक्षायुर्वेद में मिलना है। अतः यह मानना चाहिए कि कार्य कारण से विलक्षण भी उत्पन्न हो सकता है। यह ऐकान्तिक नियम नहीं कि कार्य कारणानुरूप ही हो।^१

कारणानुरूप कार्य मानने पर भी भवान्तर में विचित्रता समझ है। कारणानुरूप कार्य स्वीकार करने पर भी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य मर कर मनुष्य ही जनता है। यह कैसे? बीज के अनुरूप अकुर की उत्पत्ति मानने पर भी परम में जीव में वैचित्र्य मानना ही पड़ेगा। मनुष्य का उदाहरण लें। भवाकुर का बीज मनुष्य स्वयं न होकर उसका कर्म होता है। चूँकि कर्म विचित्र है अतः उसका परभव भी विचित्र ही होगा।^१ कर्म की विचित्रता का प्रमाण यह है कि कर्म पुद्गल का परिणाम है अतः उसमें ब्राह्म अश्रुति विकार के समान वैचित्र्य होना चाहिए। कर्म की विचित्रता के राग द्वेषादि विशेष कारण हैं।^२

कर्म के अभाव में भी भय मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? ऐसी स्थिति में भय का नाश भी निष्कारण मानना पड़ेगा और मोक्ष के लिए तपस्या आदि अनुष्ठान भी व्यर्थ सिद्ध होंगे। इसी प्रकार जीवों के वैसादृश्य को भी निष्कारण मानना पड़ेगा।^३ इस प्रकार कर्म के अभाव में भय की सत्ता मानने पर अनेक दोषों का सामना करना पड़ेगा।

कर्म के अभाव में स्वभाव से ही परभव मानने में क्या हानि है? इसका उत्तर देते हुए महावीर कहते हैं कि स्वभाव क्या है? वह कोई वस्तु है, निष्कारणता है अथवा वस्तुधर्म है? वस्तु मानने पर उसकी उपलब्धि होना चाहिए किन्तु आकाश-कुसुम के समान उसकी उपलब्धि नहीं होती अतः वह वस्तु नहीं है। यदि अनुपलब्ध होने पर भी स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है तो अनुपलब्ध होने पर कर्म का अस्तित्व स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? दूसरी बात यह है कि स्वभाव की विसदृशता आदि की सिद्धि के लिए कोई हेतु नहीं मिलता जिससे कि जगत् वैचित्र्य सिद्ध हो सके। स्वभाव की निष्कार-

१ गा० १७७३-५

२ गा० १७७६-८

३. गा० १७८०

४ गा० १७८४

णता में भी अनेक दोषों की समावना है। स्वभाव को वस्तुघर्म भी नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें भी वैसादृश्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। स्वभाव को पुद्गलरूप मानकर वैसादृश्य की सिद्धि की जाए तो वह कर्मरूप ही सिद्ध होगा।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर ने सुघर्मा का सशय दूर किया और उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवती दीक्षा अगीकार की।^२

बन्ध और मोक्ष :

इसके बाद मडिक भगवान् महावीर के पास पहुँचे। भगवान् ने उनके मन का सशय प्रकट करते हुए कहा—मडिक ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि बन्ध और मोक्ष हैं कि नहीं ? तुम वेदपदों का अर्थ ठीक तरह से नहीं समझते अतः तुम्हारे मन में इस प्रकार का सदेह उत्पन्न होता है। मैं तुम्हारा सन्देह दूर करूँगा।^३

मडिक ! तुम यह सोचते हो कि यदि जीव का कर्म के साथ जो सयोग है वही बन्ध है तो वह बन्ध सादि है या अनादि ? यदि वह सादि है तो क्या (१) प्रथम जीव और तत्पश्चात् कर्म उत्पन्न होता है अथवा (२) प्रथम कर्म और तत्पश्चात् जीव उत्पन्न होता है अथवा (३) वे दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं ? इन तीनों विकल्पों में निम्न दोष आते हैं —

१. कर्म से पूर्व जीव की उत्पत्ति सम्व नहीं क्योंकि खरशृंग के समान उसका कोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि जीव की उत्पत्ति निर्हेतुक मानी जाए तो उसका विनाश भी निर्हेतुक मानना पड़ेगा।

२ जीव से पहले कर्म की उत्पत्ति भी सम्व नहीं क्योंकि जीव कर्म का कर्ता माना जाता है। यदि कर्ता ही न हो तो कर्म कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जीव के समान ही कर्म की निर्हेतुक उत्पत्ति भी सम्व नहीं। यदि कर्म की उत्पत्ति बिना किसी कारण के मानी जाए तो उसका विनाश भी निर्हेतुक मानना पड़ेगा। अतः कर्म को जीव से पूर्व नहीं माना जा सकता।

३ यदि जीव तथा कर्म दोनों की युगपत् उत्पत्ति मानी जाए तो जीव को कर्ता तथा कर्म को उसका कार्य नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार लोक में एक साथ उत्पन्न होने वाले गाय के सींगों में से एक को कर्ता तथा दूसरे को

कार्य नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होने वाले जीव और कर्म में कर्ता और कर्म का व्यवहार नहीं किया जा सकता ।^१

जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि ऐसा मानने पर जीव की मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती । जो वस्तु अनादि होती है वह अनन्त भी होती है जैसे जीव तथा आकाश का सम्बन्ध । जीव तथा कर्म के सम्बन्ध को अनादि मानने पर अनन्त भी मानना ही पड़ेगा । ऐसी स्थिति में जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा ।^२

इन युक्तियों का समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि शरीर तथा कर्म की सतति अनादि है क्योंकि इन दोनों में परस्पर कार्य कारणभाव है, जैसे बीज और अकुर । जिस प्रकार बीज से अकुर तथा अकुर से बीज उत्पन्न होता है और यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है अतः इन दोनों की सन्तान अनादि है उसी प्रकार देह से कर्म और कर्म से देह की उत्पत्ति का क्रम अनादि काल से चला आ रहा है अतः इन दोनों की सन्तान अनादि है । अतः जीव और कर्मसम्बन्धी उपर्युक्त विकल्प व्यर्थ हैं । जीव और कर्म की सतति अनादि है । जीव कर्म द्वारा शरीर उत्पन्न करता है अतः वह शरीर का कर्ता है तथा शरीर द्वारा कर्म को उत्पन्न करता है अतः वह कर्म का भी कर्ता है । शरीर व कर्म की सतति अनादि है अतः जीव और कर्म की सतति को भी अनादि मानना चाहिए । इस प्रकार जीव और कर्म का बंध भी अनादि सिद्ध होता है ।^३

यह कथन कि जो अनादि है वह अनन्त भी होता ही है, अयुक्त है । बीज और अकुर की सन्तति अनादि होते हुए भी सन्त हो सकती है । इसी प्रकार अनादि कर्मसतति का भी अन्त हो सकता है । बीज तथा अकुर में से यदि किसी का भी अपना कार्य उत्पन्न करने के पूर्व ही नाश हो जाए तो उसकी सन्तान का भी अन्त हो जाता है । यही नियम मुर्गी और अंडे के लिए भी है । दूसरा उदाहरण लीजिए । स्वर्ण तथा मिट्टी का संयोग अनादि सततिगत है फिर भी उपायविशेष से उस संयोग का नाश हो जाता है । ठीक इसी प्रकार जीव तथा कर्म के अनादि संयोग का भी सम्यग्दर्शन आदि द्वारा नाश हो सकता है ।^४ इसके बाद आचार्य ने मोक्षविषयक विवेचन करते हुए भय और अभय के स्वरूप की चर्चा की है ।^५

१ गा० १८०५-१८१०

२ गा १८११.

३. गा० १८१३-५.

४ गा० १८१७-९.

५. गा० १८२१-१८३६

जीव तथा कर्म के सयोग का नाश उपायजन्य है अर्थात् मोक्ष की उत्पत्ति उपाय से होती है। जो उपायजन्य है वह कृतक है। जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, जैसे घट। अतः मोक्ष भी घटादि के समान कृतक होने के कारण अनित्य होना चाहिए। इस सशय का निवारण करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि यह नियम व्यभिचारी है कि जो कृतक होता है वह अनित्य ही होता है। घटादि का प्रध्वसाभाव कृतक होने पर भी नित्य है। यदि प्रध्वसाभाव को अनित्य माना जाए तो प्रध्वसाभाव का अभाव हो जाने के कारण विनष्ट घटादि पदार्थ पुनः उत्पन्न हो जाने चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः प्रध्वसाभाव को कृतक होने पर भी नित्य मानना पड़ता है। इसी प्रकार कृतक होने पर भी मोक्ष नित्य है।^१ इसके बाद आचार्य ने सिद्ध-मुक्त आत्माओं के स्वरूप की चर्चा की है तथा लोकाकाश, अलोकाकाश आदि का वर्णन किया है।^१

इस प्रकार जब भगवान् महावीर ने मण्डिक के सशय का निवारण कर दिया तब उन्होंने अपने साठे तीन सौ शिष्यों सहित जिनदीक्षा अगीकार कर ली।^३

देवों का अस्तित्व :

मण्डिक के दीक्षित होने का समाचार सुनकर मौर्यपुत्र भी भगवान् के पास पहुँचे। भगवान् ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा—मौर्यपुत्र ! तुम्हारे मन में यह सदेह है कि देव हैं अथवा नहीं ? मैं तुम्हारे सदेह का निराकरण करूँगा।^४

मौर्यपुत्र ! तुम यह सोचते हो कि नारक तो परतत्र हैं तथा अत्यन्त दुःखी हैं अतः वे हमारे सन्मुख उपस्थित होने में असमर्थ हैं। किन्तु देव तो स्वच्छन्द-विहारी हैं तथा दिव्य प्रभावयुक्त हैं। फिर भी वे कभी दिखाई नहीं देते। अतः उनके अस्तित्व के विषय में सदेह होना स्वाभाविक है।^५

इस सदेह का निवारण इस प्रकार किया जा सकता है : कम से कम सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्क देव तो प्रत्यक्ष दिखाई ही देते हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि देव कभी दिखाई नहीं देते। इसके अतिरिक्त लोक में देवकृत अनुग्रह और पीडा दोनों ही हैं। इसके आधार पर भी देवों का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।^६

चन्द्र, सूर्य आदि शून्यनगर के समान दिखाई देते हैं। उनमें निवास करना वाला कोई भी नहीं है। अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि सूर्यादि का प्रत्यक्ष

१ गा० १८३७ २ गा० १८४०-१८६२ ३ गा० १८६३
४ गा० १८६४-६ ५ गा० १८६७-८ ६ गा० १८७०.

होने से देवों का भी प्रत्यक्ष हो गया ? इस शका का समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि सूर्य, चन्द्रादि को आलय मानने पर उनमें रहने वाला भी कोई न कोई मानना ही चाहिए अन्यथा उन्हें आलय नहीं कहा जा सकता ।^१ यहाँ एक और शका उत्पन्न होती है। जिन्हें आलय कहा गया है वे वास्तव में आलय हैं या नहीं, इसका निर्णय न होने की अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि वे निवासस्थान हैं अतः उनमें रहने वाला कोई होना चाहिए। संभव है कि वे रत्नों के गोले ही हों। इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि वे देवों के रहने के विमान ही हैं क्योंकि वे विद्याधरों के विमानों के समान रत्ननिर्भित हैं तथा आकाश में गमन करते हैं ।^२

सूर्य, चन्द्रादि विमानों को मायिक क्यों न मान लिया जाए ? वस्तुतः ये मायिक नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें मायिक मान भी लिया जाए तो भी इस माया को करने वाले देव तो मानने ही पड़ेंगे। बिना मायावी के माया संभव नहीं। दूसरी बात यह है कि माया तो कुछ ही देर में नष्ट हो जाती है जबकि उक्त विमान सर्वदा उपलब्ध होने के कारण शाश्वत है। अतः उन्हें मायिक नहीं कहा जा सकता ।^३

देवों के अस्तित्व की सिद्धि के लिए एक हेतु यह भी है कि इस लोक में जो प्रकृष्ट पाप करते हैं उनके लिए उस फलभोग के हेतु नारकों का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है उसी प्रकार प्रकृष्ट पुण्य करनेवालों के लिए देवों का अस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिए ।^४

यदि देव हैं तो वे स्वैरविहारी होते हुए भी मनुष्य लोक में क्यों नहीं आते ? सामान्यतः देव इस लोक में इसलिए नहीं आते कि वे स्वर्ग के दिव्य पदार्थों में ही आसक्त रहते हैं, वहाँ के विषयभोग में ही लिप्त रहते हैं। उन्हें वहाँ के काम से अवकाश नहीं मिलता। मनुष्य लोक की दुर्गन्ध भी उन्हें यहाँ आने से रोकती है और फिर उनके यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन भी तो नहीं है। ऐसा होते हुए भी कभी कभी वे इस लोक में आते भी हैं। तीर्थंकर के जन्म, दीक्षा, केवल-प्राप्ति, निर्वाण आदि शुभ प्रसंगों पर देव इस लोक में आया करते हैं। पूर्व भव के राग, वैर आदि के कारण भी उनका यहाँ आगमन होता रहता है ।^५

इस प्रकार भगवान् महावीर ने मौर्यपुत्र का देवविषयक सशय दूर किया और उन्होंने अपने साठे तीन सौ शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ले ली ।^६

१ गा० १८७१. २ गा० १८७२. ३ गा० १८७३. ४ गा० १८७४.

५ गा० १८७५-७ ६ गा० १८८४

नारकों का अस्तित्व :

मौर्यपुत्रपर्यन्त सब को दीक्षित हुए जान कर अकपित भी महावीर के पास पहुँचे । महावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—अकपित ! तुम्हारे मन में यह सशय है कि नारक हैं या नहीं ? इस सशय का समाधान इस प्रकार है^१—

प्रकृष्ट पापफल का भोक्ता कोई न कोई अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह भी जघन्य-मध्यम कर्मफल के समान कर्मफल है । जघन्य मध्यम कर्मफल के भोक्ता तिर्यच तथा मनुष्य हैं । प्रकृष्ट पापकर्मफल के जो भोक्ता हैं वे ही नारक हैं ।^२

अत्यन्त दुःखी तिर्यच और मनुष्यों को ही प्रकृष्ट पापफल के भोक्ता मान लिया जाए तो क्या हर्ज है ? देवों में जैसा सुख का प्रकर्ष है वैसा दुःख का प्रकर्ष तिर्यच और मनुष्यों में नहीं है अतः उन्हें नारक नहीं मान सकते । ऐसा एक भी तिर्यच अथवा मनुष्य नहीं है जो केवल दुःखी ही हो । अतः प्रकृष्ट पापकर्मफल के भोक्ता के रूप में तिर्यच और मनुष्यों से भिन्न नारकों का अस्तित्व मानना चाहिए ।^३

इस प्रकार जब भगवान् ने अकपित का सशय दूर कर दिया तब उन्होंने भी अपने साढे तीन सौ शिष्यों सहित भगवती दीक्षा अगीकार कर ली ।^४

पुण्य-पाप का सद्भाव :

इन सब को दीक्षित हुए जानकर नवें पडित अचलभ्राता भगवान् के पास पहुँचे । भगवान् ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—अचलभ्राता ! तुम्हें सदेह है कि पुण्य पाप का सद्भाव है या नहीं ? मैं तुम्हारे सदेह का निवारण करता हूँ ।^५

पुण्य-पाप के सम्बन्ध में निम्न विकल्प हैं (१) केवल पुण्य ही है, पाप नहीं, (२) केवल पाप ही है, पुण्य नहीं, (३) पुण्य और पाप एक ही साधारण वस्तु है, भिन्न भिन्न नहीं, (४) पुण्य और पाप भिन्न भिन्न हैं, (५) स्वभाव ही सब कुछ है, पुण्य पाप कुछ नहीं ।^६

१ केवल पुण्य का ही सद्भाव है, पाप का सर्वथा अभाव है । जैसे-जैसे पुण्य बढ़ता जाता है वैसे-वैसे सुख की वृद्धि होती जाती है । पुण्य की क्रमशः हानि होने पर सुख की भी क्रमशः हानि होती है । पुण्य का सर्वथा क्षय होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है ।^७

१ गा० १८८५-७ २ गा० १८९९ ३ गा० १९०० ४ गा० १९०४.
५, गा० १९०५-७, ६ गा० १९०८ ७, गा० १९०९

२. केवल पाप का ही सद्भाव है, पुण्य का सर्वथा अभाव है। जैसे-जैसे पाप की वृद्धि होती है वैसे-वैसे दुःख बढ़ता है। पाप की क्रमशः हानि होने पर तज्जनित दुःख का भी क्रमशः अभाव होता है। पाप का सर्वथा क्षय होने पर मुक्ति प्राप्त होती है।^१

३. पुण्य और पाप भिन्न भिन्न न होकर एक ही साधारण वस्तु के दो भेद हैं। इस साधारण वस्तु में जब पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है तब उसे पुण्य कहा जाता है तथा जब पाप की मात्रा बढ़ जाती है तब उसे पाप कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पुण्याश का अपकर्ष होने पर उसे पाप कहते हैं तथा पापाश का अपकर्ष होने पर उसे पुण्य कहते हैं।^१

४. पुण्य व पाप दोनों स्वतन्त्र हैं। सुख का कारण पुण्य है और दुःख का कारण पाप है।

५. पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु इस ससार में नहीं है। समस्त भवप्रपञ्च स्वभाव से ही होता है।

इन पाँच प्रकार के विकल्पों में से चौथा विकल्प ही युक्तियुक्त है। पाप व पुण्य दोनों स्वतन्त्र हैं। एक दुःख का कारण है और दूसरा सुख का। स्वभाववाद आदि युक्ति से वाधित हैं।^१

दुःख की प्रकृत्यता तदनु रूप कर्म के प्रकर्ष से सिद्ध होती है। जिस प्रकार सुख के प्रकृत्य अनुभव का आधार पुण्य प्रकर्ष है उसी प्रकार दुःख के प्रकृत्य अनुभव का आधार पाप-प्रकर्ष है। अतः दुःखानुभव का कारण पुण्य का अपकर्ष नहीं अपितु पाप का प्रकर्ष है। इसी प्रकार केवल पापवाद का भी निरसन किया जा सकता है। सकीर्णपक्ष का निरास करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि कोई भी कर्म पुण्य-पाप उभयरूप नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कर्म निहैतुक है। यह कैसे? कर्म बन्ध का कारण योग है। किसी एक समय का योग या तो शुभ होगा या अशुभ। वह शुभाशुभ उभयरूप नहीं हो सकता। अतः उसका कार्य भी या तो शुभ होगा या अशुभ। वह उभयरूप नहीं हो सकता। जो शुभ कार्य है वही पुण्य है और जो अशुभ कार्य है वही पाप है।^१

पुण्य और पाप का लक्षण बताते हुए आगे कहा गया है कि जो स्वयं शुभ वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्शयुक्त हो तथा जिसका विपाक भी शुभ हो वह पुण्य

है। जो इससे विपरीत है वह पाप है। पुण्य व पाप दोनों पुद्गल हैं। वे मेरु आदि के समान अति स्थूल भी नहीं हैं और परमाणु के समान अति सूक्ष्म भी नहीं हैं।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर ने अचलभ्राता के सदेह का निवारण किया। उन्होंने भी अपने तीन सौ शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ग्रहण की।^२

परलोक का सद्भाव :

इन सब की दीक्षा का समाचार सुन कर मेतार्य भी महावीर के पास पहुँचे। महावीर ने उन्हें नाम गोत्र से सम्बोधित करते हुए कहा—मेतार्य ! तुम्हें सशय है कि परलोक है या नहीं ? मैं तुम्हारे सशय का निवारण करूँगा।^३

मेतार्य ! तुम यह समझते हो कि मद्याग और मद के समान भूत और चैतन्य में कोई भेद नहीं है अतः परलोक मानना अनावश्यक है। जब भूतसंयोग के नाश के साथ ही चैतन्य का भी नाश हो जाता है तब परलोक मानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।^४ इसी प्रकार सर्वव्यापी एक ही आत्मा का अस्तित्व मानने पर भी परलोक की सिद्धि नहीं हो सकती।^५

इन दोनों हेतुओं का निराकरण करते हुए महावीर कहते हैं कि भूत इन्द्रिय आदि से भिन्नस्वरूप आत्मा का धर्म चैतन्य है, इस बात की सिद्धि पहले हो चुकी है। अतः आत्मा को स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए। इसी प्रकार अनेक आत्माओं का अस्तित्व भी सिद्ध किया जा चुका है। इस लोक से भिन्न देवादि परलोकों का सद्भाव भी मौर्य तथा अकपित के साथ हुई चर्चा में सिद्ध हो चुका है।^६ अतः परलोक का सद्भाव मानना युक्तिसंगत है। आत्मा उत्पाद, व्यय और प्रौढ्यस्वभावयुक्त है अतः मृत्यु के पश्चात् उसका सद्भाव सिद्ध है।

इस प्रकार मेतार्य के सशय का निवारण हुआ और उन्होंने अपने तीन सौ शिष्यों सहित भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की।^७

निर्वाण की सिद्धि :

इन सब को दीक्षित हुए सुनकर ग्यारहवें पण्डित प्रभास के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी महावीर के पास पहुँचूँ। यह सोचकर वे भगवान् के पास पहुँचे।

१ गा० १९४०

२ गा० १९४८

३ गा० १९४९-१९५१.

४ गा० १९५२

५ गा० १९५४

६ गा० १९५६-८

७ गा० १९७१

भगवान् ने उन्हें उसी प्रकार सम्बोधित करते हुए कहा—प्रभास ! तुम्हारे मन में सशय है कि निर्वाण है अथवा नहीं ? इस विषय में मेरा मत सुनो ।^१

कोई कहता है कि दीप-निर्वाण के समान जीव का नाश ही निर्वाण अर्थात् मोक्ष है ।^२ कोई मानता है कि विद्यमान जीव के राग, द्वेष आदि दुःखों का अन्त हो जाने पर जो एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त होती है वही मोक्ष है ।^३ इन दोनों में से किसे ठीक कहा जाए ? जीव तथा कर्म का सयोग आकाश के समान अनादि है अतः उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता । फिर निर्वाण कैसे माना जाए ?^४

जिस प्रकार कनक पापाण तथा कनक का सयोग अनादि है फिर भी प्रयत्न द्वारा कनक को कनकपापाण से पृथक् किया जा सकता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञान और क्रिया द्वारा जीव और कर्म के अनादि सयोग का अन्त होकर जीव कर्म से मुक्त हो सकता है ।^५

जो लोग यह मानते हैं कि दीप-निर्वाण के समान मोक्ष में जीव का भी नाश हो जाता है उनकी मान्यता में दोष है । दीप की अग्नि का भी सर्वथा नाश नहीं होता । वह प्रकाशपरिणाम को छोड़कर अधकारपरिणाम को धारण करता है, जैसे दूध दधिरूप तथा घट कपालरूप परिणाम को धारण करते हैं । अतः दीपक के समान जीव का भी सर्वथा उच्छेद नहीं माना जा सकता । यहाँ एक शका होती है कि यदि दीप का सर्वथा नाश नहीं होता तो वह बुझने के बाद दिखाई क्यों नहीं देता ? इसका उत्तर यह है कि बुझने के बाद वह अधकार में परिणत हो जाता है जो प्रत्यक्ष ही है । अतः यह कथन ठीक नहीं कि वह दिखाई नहीं देता । दीप बुझने पर उतनी ही स्पष्टता से क्यों नहीं दिखाई देता ? इसका कारण यह है कि वह उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर परिणाम को धारण करता जाता

१ गा० १९७२-४

२ दीपो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिश न काञ्चिद् विदिश न काञ्चित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
जीवस्तथा निवृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिश न काञ्चिद् विदिश न काञ्चित् क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

—सौन्दरनन्द १६, २८-९

३ केवलसविद्दर्शनरूपा सर्वार्तिदुःखपरिमुक्ता ।
मौदन्ते मुक्तिगता जीवा क्षीणान्तरारिगणा ॥

४ गा० १९७५ ५ गा० १९७६, ६ गा० १९७७

है अत विद्यमान होने पर भी वह स्पष्टतया दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार बादल बिखर जाने के बाद विद्यमान होते हुए भी आकाश में दृष्टिगोचर नहीं होते तथा अजन-रज विद्यमान होने पर भी आँखों से दिखाई नहीं देती उसी प्रकार दीपक भी बुझने पर विद्यमान होते हुए भी अपने सूक्ष्म परिणाम के कारण स्पष्टतया दिखाई नहीं देता।^१ इसी प्रकार निर्वाण में भी जीव का सर्वथा नाश नहीं होता।

जिस प्रकार दीपक जब निर्वाण प्राप्त करता है तब वह परिणामान्तर को प्राप्त होता है और सर्वथा नष्ट नहीं होता उसी प्रकार जीव भी जब परिनिर्वाण प्राप्त करता है तब वह निराबाध सुखरूप परिणामान्तर को प्राप्त करता है और सर्वथा नष्ट नहीं होता। अत जीव की दुःखक्षयरूप विशेषावस्था ही निर्वाण है, मोक्ष है, मुक्ति है।^२ मुक्त जीव को परम मुनि के समान स्वाभाविक प्रकृष्ट सुख होता है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती।^३

यह मान्यता भी ठीक नहीं कि मुक्तात्मा में ज्ञान का अभाव है।^४ ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। जैसे परमाणु कभी अमूर्त नहीं हो सकता वैसे ही आत्मा कभी ज्ञानरहित नहीं हो सकती। अत यह कथन परस्पर विरुद्ध है कि 'आत्मा' है और वह 'ज्ञानरहित' है। इसका क्या प्रमाण कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है? यह बात तो स्वानुभव से ही सिद्ध है कि हमारी आत्मा ज्ञानस्वरूप है। इस प्रकार स्वात्मा की ज्ञानस्वरूपता स्वसवेदनप्रत्यक्ष से सिद्ध ही है। परदेह में विद्यमान आत्मा भी अनुमान से ज्ञानस्वरूप सिद्ध हो सकती है। वह अनुमान इस प्रकार है परदेहगत आत्मा ज्ञानस्वरूप है क्योंकि उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दिखाई देती हैं। यदि वह ज्ञानस्वरूप न हो तो स्वात्मा के समान इष्ट में प्रवृत्त और अनिष्ट से निवृत्त न हो। चूँकि उसमें इष्टप्रवृत्ति और अनिष्टनिवृत्ति दृष्टी जाती है अतः उसे ज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाशस्वरूप प्रदीप को छिद्रयुक्त आवरण से आच्छादित कर देने पर वह अपना प्रकाश उन छिद्रों द्वारा थोड़ा सा ही फैला सकता है उसी प्रकार ज्ञानप्रकाशस्वरूप आत्मा भी आवरणों का क्षयोपशम होने पर इन्द्रियरूप छिद्रों द्वारा अपना प्रकाश थोड़ा सा ही फैला सकती है। मुक्तात्मा में आवरणों का सर्वथा अभाव होता है अत वह अपने पूर्ण रूप में प्रकाशित होती है। उसे सत्कार के सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है। इसमें यह सिद्ध है कि मुक्त आत्मा जानी है।^५

१ गा० १२८७-८

२ गा० १९९१

३ गा० १०९२

४ नैयायिकों की यही मान्यता है न सविज्ञानन्त्रमयी मुक्ति।

५ गा० १९९७-२००१

मुक्तात्मा का सुख निरावाघ होता है, यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि पुण्य से सुख होता है और पाप से दुःख। मुक्तात्मा में पुण्य पापरूप किसी भी प्रकार के कर्म का सद्भाव नहीं होता अतः उसमें सुख दुःख दोनों का अभाव होना चाहिए, जैसे आकाश में सुख-दुःख कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सुख दुःख का आधार देह है। मुक्ति में देह का अभाव है अतः वहाँ आकाश के समान सुख और दुःख दोनों का अभाव होना चाहिए। इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि वस्तुतः पुण्य का फल भी दुःख ही है क्योंकि वह कर्मजन्य है। जो कर्मजन्य होता है वह पापफल के समान दुःखरूप ही होता है। कोई इसका विरोधी अनुमान भी उपस्थित कर सकता है पाप का फल भी वस्तुतः सुखरूप ही है क्योंकि वह कर्मजन्य है। जो कर्मजन्य होता है वह पुण्यफल के समान सुखरूप ही होता है। पाप का फल भी कर्मजन्य है अतः वह सुखरूप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुण्यफल का संवेदन अनुकूल प्रतीत होने के कारण सुखरूप है। ऐसी अवस्था में पुण्यफल को दुःखरूप कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है। इस शंका का समाधान करते हुए महावीर कहते हैं कि जिसे प्रत्यक्ष सुख कहा जाता है वह सुख नहीं किंतु दुःख ही है। सारा जिसे सुख मानता है वह व्याधि (दाद आदि) के प्रतीकार के समान दुःखरूप ही है। अतः पुण्य के फल को भी तत्त्वतः दुःख ही मानना चाहिए। इसके लिए अनुमान भी दिया जा सकता है। विषयजन्य सुख दुःख ही है क्योंकि वह दुःख के प्रतीकार के रूप में है। जो दुःख के प्रतीकार के रूप में होता है वह कुष्ठ आदि रोग के प्रतीकाररूप क्वाथपान आदि चिकित्सा के समान दुःखरूप ही होता है। ऐसा होते हुए भी लोग इसे उपचार से सुख कहते हैं। औपचारिक सुख पारमार्थिक सुख के बिना संभव नहीं अतः मुक्त जीव के सुख को पारमार्थिक सुख मानना चाहिए। इसकी उत्पत्ति सर्वदुःख के क्षय द्वारा होती है जो बाह्य वस्तु के संसर्ग से सर्वथा निरपेक्ष है। अतः मुक्तावस्था का सुख मुख्य एवं विशुद्ध सुख है तथा प्रतीकाररूप सासारिक सुख औपचारिक एवं वस्तुतः दुःखरूप है।^१

इस प्रकार जब भगवान् महावीर ने प्रभास का संशय दूर किया तब उन्होंने भी अपने तीन सौ शिष्यों सहित भगवान् से जिनदीक्षा अंगीकार की।^१ यहाँ तक गणधरवाद का अधिकार है। भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने पर जिन ग्यारह पंडितों ने उनके साथ विविध दार्शनिक विषयों पर चर्चा की

तथा उस चर्चा से सतुष्ट होकर भगवान् के प्रमुख शिष्य बने वे ही जैन साहित्य में ग्यारह गणधरों के रूप में प्रसिद्ध हैं ।

सामायिक की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र, काल आदि द्वारों की ओर संकेत किया^१ तथा उनमें से तृतीय द्वार निर्गम अर्थात् उत्पत्ति की चर्चा करते हुए यह बताया कि जिस द्रव्य से सामायिक का निर्गम हुआ है वह द्रव्य यहाँ पर भगवान् महावीर के रूप में है ।^१ इस प्रकार भगवान् महावीर का प्रसंग सामने रखते हुए भाष्यकार ने गणधरवाद की विस्तृत चर्चा की ।

क्षेत्र और काल :

क्षेत्र नामक चतुर्थ द्वार की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि सर्वप्रथम महासेनवन नामक उद्यान में भगवान् महावीर ने सामायिक का प्ररूपण किया और उसके बाद परपरा से अन्यत्र भी प्ररूपण किया गया । यह प्रथम प्ररूपण किस काल में हुआ ? वैशाख शुक्ल एकादशी के पूर्वाह्न काल अर्थात् प्रथम पौरुषी में सामायिक का निर्गम हुआ ।^२ इस प्रकार क्षेत्र और काल के रूप में चतुर्थ और पंचम द्वारसम्बन्धी चर्चा पूर्ण होती है ।

पुरुष :

षष्ठ द्वार पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि पुरुष के अनेक भेद हैं द्रव्यपुरुष, अभिलापपुरुष, चिह्नपुरुष, वेदपुरुष, धर्मपुरुष, अर्थपुरुष, भोगपुरुष, भावपुरुष । शुद्धजीव तीर्थंकररूप पुरुष भावपुरुष कहलाता है । प्रकृत में भावपुरुष का ग्रहण करना चाहिए ।^३

कारण :

सप्तम द्वार कारण का व्याख्यान करते हुए आचार्य कहते हैं कि कारण का निक्षेप चार प्रकार का है नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । इनमें से द्रव्य-कारण के दो भेद हैं तद्द्रव्य और अन्यद्रव्य, अथवा निमित्त और नैमित्तिक, अथवा समवायी और असमवायी । इनके छ भेद भी हो सकते हैं कर्ता, करण, कर्म, सप्रदान, अपादान, सनिधान ।^४ इन सभी भेदों का भाष्यकार ने दार्शनिक दृष्टि से विशेष विवेचन किया है ।^५ तीर्थंकर सामायिक का उपदेश फर्मा देते हैं ?

१ गा० १४८४-५ २ गा० १५३१-१५४६ ३ गा० २०/३

४, गा० २०९०-३ ५ गा० २००८-९ ६ गा० २१००-२१२१

इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि तीर्थंकरनामकर्म का उदय होने के कारण वे सामायिक आदि का उपदेश देते हैं। गौतम आदि गणधर सामायिक का उपदेश क्यों सुनते हैं? उन्हें भगवान् के वचन सुनकर तदर्थविषयक ज्ञान प्राप्त होता है। इससे शुभ और अशुभ पदार्थों में विवेक बुद्धि जाग्रत होती है तथा शुभप्रवृत्ति और अशुभनिवृत्ति की भावना पैदा होती है। परिणामतः सयम और तप की वृद्धि होती है जिससे कर्मनिर्जरा होकर अन्ततोगत्वा मुक्ति प्राप्त होती है।^१

प्रत्यय :

अष्टम द्वार प्रत्यय की चर्चा करते हुए कहा गया है कि प्रत्यय का भी नामादि निक्षेपपूर्वक विचार करना चाहिए। अग्रधि आदि ज्ञानत्रयरूप भाव-प्रत्यय है। केवलज्ञानी साक्षात् सामायिक का अर्थ जानकर ही सामायिक का कथन करते हैं। इसीलिए गणधर आदि श्रोताओं को उनके वचनों में प्रत्यय अर्थात् बोधनिश्चय होता है।^२

लक्षण :

नवम द्वार लक्षण का व्याख्यान करते हुए बताया गया है कि नामादि भेद से लक्षण वारह प्रकार का होता है नाम, स्थापना, द्रव्य, सादृश्य, सामान्य, आकार, गत्यागति, नानात्व, निमित्त, उत्पाद-विगम, वीर्य और भाव। भाष्यकार ने इनका विशेष स्पष्टीकरण किया है।^३ प्रस्तुत अधिकार भावलक्षण का है। सामायिक चार प्रकार की है सम्यक्त्वसामायिक, श्रुतसामायिक, देशविरति सामायिक और सर्वविरतिसामायिक। इनमें से सम्यक्त्वसामायिक और सर्वविरति अर्थात् चारित्रसामायिक क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक भाव वाली होती हैं। श्रुतसामायिक और देशविरतिसामायिक केवल क्षायो-पशमिक भाव वाली ही होती हैं।^४

नय :

नय नामक दसवें द्वार का विचार करते हुए कहा गया है कि अनेक धर्मात्मक वस्तु का किसी एक धर्म के आधार पर विचार करना नय कह्यता है। वह नय सात प्रकार का है नैगम, समग्र, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ

१. गा० २१२२-८

२ गा० २१३१-४

३ गा० २१४६-२१७६

४ गा० २१७७-८

और एवभूत। आचार्य ने प्रत्येक नय का लक्षण, व्युत्पत्ति, उदाहरण आदि दृष्टियों से विस्तृत विवेचन किया है।^१ इस विवेचन में उन दार्शनिकों की मान्यताओं का युक्तिपुरस्सर खडन किया गया है जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक न मान कर किसी एक विशेष धर्मयुक्त ही मानते हैं। इसमें भारतीय दर्शन की समस्त एकान्तवादी परंपराओं का समावेश है।

समवतार :

ग्यारहवें द्वार समवतार का स्वरूप इस प्रकार है कालिक श्रुत अर्थात् प्रथम और चरम पौरुषी में पढ़े जाने वाले श्रुत में नयों की अवतारणा नहीं होती। चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग का अपृथक् भाव से प्ररूपण होते समय नयों का विस्तारपूर्वक समवतार होता था। चरणकरणादि अनुयोगों का पृथक्त्व हो जाने पर नयों का समवतार नहीं होता। अनुयोगों का पृथक्करण कब व क्यों हुआ ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि आर्य वज्र के बाद आर्य रक्षित हुए। उन्होंने भविष्य में मति मेघा धारणा आदि का नाश होना जानकर अनुयोगों का विभाग कर दिया। उनके समय तक किसी एक सूत्र की व्याख्या चारों प्रकार के अनुयोगों से होती थी। उन्होंने विविध सूत्रों का निश्चित विभाजन कर दिया। चरणकरणानुयोग में कालिक श्रुतरूप ग्यारह अंग, महाकल्पश्रुत और छेदसूत्र रखे गए। धर्मकथानुयोग में ऋषिभाषितों का समावेश किया गया। गणितानुयोग में सूर्यप्रज्ञप्ति और द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद रखा गया।^२ इस प्रकार अनुयोग का पृथक्करण करने के बाद आर्य रक्षित ने पुष्पमित्र को गणिपद पर प्रतिष्ठित किया। यह देखकर गोष्ठामाहिल को बहुत ईर्ष्या हुई और वह मिथ्यात्व के उदय के कारण सप्तम निहव के रूप में प्रसिद्ध हुआ।^३ अन्य छ निहवों के नाम इस प्रकार हैं १ जमालि, २ तिध्यगुप्त, ३ आषाढ, ४ अश्वमित्र, ५ गग और ६ पडुलक। इन सात निहवों के जन्म स्थान ये हैं. १ श्रावस्ती, २ ऋषमपुर, ३ श्वेतविका, ४ मिथिला, ५ उल्लकातीर, ६ अतरजिका और ७ दशपुर। इन सात निहवों के अतिरिक्त भाष्यकार ने एक निहव का उल्लेख और किया है जिसका नाम है शिवभूति बोटिक। उसका जन्म स्थान रथवीरपुर है। इन आठ निहवों के उत्पत्ति काल का क्रम इस प्रकार है प्रथम दो भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने के क्रमशः १४ एव १६ वर्ष बाद निहवरूप में

उत्पन्न हुए। शेष महावीर का निर्वाग होने पर क्रमशः २१४, २२०, २२८, ५४४, ५८४ और ६०९ वर्ष बाद उत्पन्न हुए।^१

निहववाद :

अपने अभिनिवेश के कारण आगम-प्रतिपादित तत्त्व का परपरा से विरुद्ध अर्थ करने वाला निहव की कोटि में आता है। जैनदृष्टि से निहव मिथ्यादृष्टि का ही एक प्रकार है। अभिनिवेश के बिना होने वाले सूत्रार्थ के विवाद के कारण कोई निहव नहीं कहलाता क्योंकि इस प्रकार के विवाद का लक्ष्य सम्यक् अर्थ निर्णय है, न कि अपने अभिनिवेश का मिथ्या पोषण। सामान्य मिथ्यात्वी और निहव में यह भेद है कि सामान्य मिथ्यात्वी जिनप्रवचन को ही नहीं मानता अथवा मिथ्या मानता है जबकि निहव उसके किसी एक पक्ष का अपने अभिनिवेश के कारण परपरा से विरुद्ध अर्थ करता है तथा शेष पक्षों को परपरा के अनुसार ही स्वीकार करता है। इस प्रकार निहव वास्तव में जैन-परपरा के भीतर ही एक नया संप्रदाय खड़ा कर देता है। जिनभद्र आदि पीछे के आचार्यों ने तो दिगंबर संप्रदाय को भी निहव-कोटि में डाल दिया है जिसका सबंध शिवभूति चोटिक निहव से है। भाष्यकार जिनभद्र ने जमालि आदि आठ निहवों का उल्लेख किया है तथा संक्षेप में उनके मतों का भी वर्णन किया है।

प्रथम निहव :

प्रथम निहव का नाम जमालि है। उसने बहुमत मत का प्ररूपण किया। उसका जीवन वृत्त इस प्रकार है : क्षत्रियकुमार जमालि ने वैराग्य उत्पन्न होने पर पाच सौ पुरुषों के साथ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की तथा वह उनका आचार्य हुआ। जिस समय वह श्रावस्ती के तैन्दुक उद्यान में ठहरा हुआ था उस समय उसे कोई रोग हो गया। उसने अपने एक शिष्य से विस्तर विछाने के लिए कहा। कुछ देर बाद उसने उस शिष्य से पूछा—“विस्तर हो गया ?” उसने विछाते-विछाते ही उत्तर दिया—“हो गया है।” जमालि सोने के लिए खड़ा हुआ। उसने जाकर देखा तो विस्तर अभी विछाया ही जा रहा था। यह देख कर उसने सोचा—‘भगवान् महावीर जो ‘क्रियमाण कृतम्’ अर्थात् ‘क्रिया जाने वाला कर दिया गया’ का कथन करते हैं वह मिथ्या है। यदि ‘क्रियमाण’

(किया जाने वाला) 'कृत' (कर दिया गया) होता तो मैं इस विस्तर पर इसी समय सो सकता किन्तु बात ऐसी नहीं है । अतः महावीर का यह सिद्धान्त कि 'क्रियमाण कृत है' झूठा है । दूसरे साधुओं ने उसे 'क्रियमाण कृतम्' का वास्तविक अर्थ समझाया किन्तु उसके मन में किसी की बात नहीं बैठी । उसने उसी समय से अपने विरोधी सिद्धान्त 'बहुरत' का प्रतिपादन प्रारंभ कर दिया । इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी क्रिया एक समय में न होकर बहुत समय में होती है । भाष्यकार ने अनेक हेतु देकर इस सिद्धान्त को स्पष्ट किया है । इसमें प्रियदर्शना (सुदर्शना—अनवत्रा—ज्येष्ठा) का वृत्तान्त भी दिया गया है जिसने पहले तो पति के अनुराग के कारण जमालि के सघ में जाना स्वीकार कर लिया था किन्तु बाद में भगवान् महावीर के सिद्धान्त का वास्तविक अर्थ समझने पर पुनः महावीर के सघ में सम्मिलित हो गई ।^१

द्वितीय निहव :

द्वितीय निहव तिष्यगुप्त ने जीवप्रादेशिक मत का प्ररूपण किया था । तिष्यगुप्त वसु नामक चौदहपूर्वधर आचार्य का शिष्य था । वह जिस समय राजगृह—ऋषभपुर में था उस समय आत्मप्रवाद नामक पूर्व के आधार पर उसने एक नया तर्क उपस्थित किया और जीवप्रादेशिक मत की स्थापना की । कथानक इस प्रकार है गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—“भगवन् । क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कह सकते हैं ?” महावीर ने कहा—“नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । इसी प्रकार दो, तीन, सख्यात अथवा असख्यात प्रदेशों को तो क्या, जीव के जो असख्यात प्रदेश हैं उनमें से एक प्रदेश भी कम हो तो उसे जीव नहीं कह सकते । लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर सम्पूर्ण प्रदेशयुक्त होने पर ही वह जीव कहा जाता है ।” इस सवाद को सुनकर तिष्यगुप्त ने अपने गुरु वसु से कहा—“यदि ऐसा ही है तो जिस प्रदेश के बिना वह जीव नहीं कहलाता और जिस एक प्रदेश से वह जीव कहलाता है उस चरम प्रदेश को ही जीव क्यों न मान लिया जाए ? उसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश तो उसके बिना अजीव ही हैं क्योंकि उसी से वे सब जीवत्व प्राप्त करते हैं ।” गुरु ने उसे महावीर की जीवविषयक उपर्युक्त मान्यता का रहस्य समझाने का काफी प्रयत्न किया किन्तु उसने अपना मत नहीं छोड़ा तथा दूसरों को भी इसी प्रकार समझाने लगा । परिणामस्वरूप वह सघ से निकाल दिया गया और अपनी

जीवप्रदेशी मान्यता के कारण जीवप्रादेशिक के रूप में प्रसिद्ध हुआ । एक समय अमलकरूपा नामक नगरी के मित्रश्री नामक श्रमणोपासक ने तिष्यगुप्त के पात्र में अनेक प्रकार के पदार्थों का थोड़ा थोड़ा अतिम अंश रखा और कहने लगा—“मेरा अहोभाग्य है कि आज मैंने आपको इतने सारे पदार्थों का दान दिया ।” यह सुनकर तिष्यगुप्त क्रुद्ध होकर बोला—“तुमने यह मेरा अपमान किया है ।” मित्रश्री ने तुरन्त उत्तर दिया—“मैंने आप ही के मत के अनुसार इतना सारा दान दिया है ।” यह सुनकर तिष्यगुप्त को अपने मिथ्या मत का भान हुआ । उसने अपने अभिनिवेश का प्रायश्चित्त किया और गुरु से क्षमायाचना की ।^१

तृतीय निहव :

तीसरे निहव की मान्यता का नाम अव्यक्तमत है । श्वेतविका नगरी के पौलाषाढ चैत्य में आषाढ नामक आचार्य ठहरे हुए थे । उनके अनेक शिष्य योग की साधना में लग्न थे । आषाढ अरुन्मात् रात्रि में मरकर देव हुए । उन्हें अपने योगसलग्न शिष्यों पर दया आई और वे पुन अपने मृत शरीर में रहने लगे तथा अपने शिष्यों को पूर्ववत् ही आचर आदि की शिक्षा देते रहे । जब योग साधना समाप्त हुई तब उन्होंने अपने शिष्यों को वन्दना कर कहा—“हे श्रमणो ! मुझे क्षमा करना कि मैंने असयती होते हुए भी आप लोगों से आज तक वन्दना करवाई ।” इतना कहकर वे अपना शरीर छोड़ कर देवलोक में चले गए । यह जानकर उनके शिष्यों को भारी पश्चात्ताप होने लगा कि हमने असयती—देव को इतनी बार वन्दना की । उन्हें धीरे धीरे ऐसा मालूम होने लगा कि किसी के विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह साधु है या देव । इसलिए किसी को वन्दना करनी ही नहीं चाहिए । वन्दना करने पर वह व्यक्ति साधु के बदले देव निकल जाता है तो असयत नमन का दोष लगता है, यदि यह कहा जाए कि वह साधु नहीं है और कदाचित् साधु ही हो तो मृषावाद का पाप लगता है । चूँकि किसी की साधुता का निश्चय ही नहीं सकता इसलिए किसी को भी वन्दना नहीं करनी चाहिए । अन्य स्थविरों ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा ऐकान्तिक आग्रह करना ठीक नहीं किन्तु उन्होंने किसी की न मानी और सब से अलग होकर अव्यक्तमत का प्रचार करने लगे । एकबार राजगृह के बलभद्र राजा ने ऐसा आदेश निकाला कि इन सब

सिद्धान्त कोई वास्तविक सिद्धान्त नहीं है। मैंने केवल वादी को पराजित करने के लिए ही इस सिद्धान्त की अपने बुद्धिबल से स्थापना की है। यथार्थ में राशित्रय का सिद्धान्त अपसिद्धान्त है।” रोहगुप्त ने गुरु की इस आज्ञा को न माना तथा अपने अभिनिवेश के कारण वह राशित्रय के सिद्धान्त पर ही डटा रहा। यह देखकर गुरु स्वयं उसे अपने साथ राजसभा में ले गये। वहाँ से राजा के साथ वे कुत्रिका पण (सप्त चीजों की दुकान) पर गये। वहाँ जाकर उन्होंने जीव मागा तो जीव मिला, अजीव मागा तो अजीव भी मिला। जब उन्होंने नोजीव मागा तो कुछ नहीं मिला। यह देखकर सभा में रोहगुप्त की पराजय की घोषणा कर दी गयी। इतना होने पर भी उसका अभिनिवेश कम न हुआ और उसने वैशेषिक मत का प्ररूपण किया। रोहगुप्त का नाम षडुल्लक कैसे हो गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि उसका नाम तो रोहगुप्त है किन्तु गोत्र से वह उल्लक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक षट् पदार्थों का प्ररूपण करने के कारण उल्लकगोत्रीय रोहगुप्त को षडुल्लक कहा गया है।

सप्तम निहव :

सप्तम निहव का नाम गोष्ठामाहिल है। उसने इस मान्यता का प्रचार किया कि जीव और कर्म का वध नहीं अपितु स्पर्शमात्र होता है। इसी अवद्ध सिद्धान्त के कारण वह अवद्धिक निहव के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त की उत्पत्ति से सम्बद्ध कथा इस प्रकार है : आर्यरक्षित की मृत्यु के बाद आचार्य दुर्बलिकापुष्पमित्र गणपद पर प्रतिष्ठित हुए। उसी गण में गोष्ठामाहिल नाम का एक साधु भी था। एक समय आचार्य दुर्बलिकापुष्पमित्र विन्व्य नामक एक साधु को कर्मप्रवाद नामक पूर्व का कर्मबन्धाधिकार पढा रहे थे। उसमें ऐसा वर्णन आया कि कोई कर्म केवल जीव का स्पर्श करके ही अलग हो जाता है। उसकी स्थिति अधिक समय की नहीं होती। जिस प्रकार किसी सूखी दीवाल पर मिट्टी डालते ही दीवाल का स्पर्श करते ही मिट्टी तुरन्त नीचे गिर पड़ती है उसी प्रकार कोई कर्म जीव का स्पर्श करके थोड़े ही समय में उससे अलग हो जाता है। जैसे गीली दीवाल पर मिट्टी डालने से वह उसी में मिल कर एक रूप हो जाती है तथा बहुत समय के बाद उससे अलग हो सकती है वैसे ही जो कर्म बद्ध, स्पृष्ट तथा निकाचित होता है वह जीव के साथ एकत्व को प्राप्त कर कालान्तर में उदय में आता है। यह सुनकर गोष्ठामाहिल कहने लगा—“यदि

ऐसी बात है तो जीव और कर्म कभी अलग नहीं होने चाहिए क्योंकि वे एकरूप हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मबद्ध को कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि वह हमेशा कर्म से बंधा रहेगा। इसलिए वास्तव में जीव और कर्म का बंध ही नहीं मानना चाहिए। केवल जीव और कर्म का स्पर्श ही मानना चाहिए।”
 आचार्य ने उसे इन दोनों अवस्थाओं का रहस्य समझाया किन्तु ईर्ष्या एव अभिनिवेश के कारण उसके मन में उनकी बात न जँची। अन्ततोगत्वा वह सघ से बहिष्कृत कर दिया गया।^१

अष्टम निहव •

यह अन्तिम निहव है। इसकी प्रसिद्धि बोटिक—दिगंबर के रूप में है। कथानक इस प्रकार है रथवीरपुर नामक नगर में शिवभूति नामक एक साधु आया हुआ था। वहाँ के राजा ने उसे बहुमूल्य रत्नकम्वल दिया। यह देखकर शिवभूति के गुरु आर्यकृष्ण ने कहा—“साधु के मार्ग में अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले इस कम्वल को ग्रहण करना ठीक नहीं।” उसने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर उस कम्वल को छिपाकर अपने पास रख लिया। गोचरचर्या से लौटने पर प्रतिदिन उसे सभाल लेता किन्तु कभी काम में नहीं लेता। गुरु ने यह सब देखकर सोचा—‘इसे इसमें मूर्च्छा हो गई है। उसे दूर करने का कोई उपाय करना चाहिए।’ यह सोच कर उन्होंने उसके बाहर जाने पर बिना कुछ पूछे-ताछे उस रत्नकम्वल को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके साधुओं के पादप्रोच्छनक बना दिए। यह जानकर शिवभूति मन ही मन जलने लगा। उसका कषाय दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक समय आचार्य जिनकल्पियों का वर्णन कर रहे थे ‘किन्हीं जिनकल्पियों के रजोहरण और मुखवस्त्रिका—ये दो ही उपधिया होती हैं, आदि।’ यह सुनकर शिवभूति ने कहा—“यदि ऐसा ही है तो हम लोग इतना सारा परिग्रह क्योंकर रखते हैं? उसी जिनकल्प का पालन क्यों नहीं करते?” आचार्य ने उसे समझाया कि इस समय उपयुक्त सहनन आदि का अभाव होने से उसका पालन शक्य नहीं। शिवभूति ने कहा—“मेरे रहते हुए यह अशक्य कैसे हो सकता है? मैं अभी इसका आचरण करके दिखाता हूँ।” यह कह कर वह अभिनिवेशवश अपने वस्त्रों को वहीं फेंक कर चला गया। बाद में उसने कौण्डिन्य और कोट्टीर नामक दो शिष्यों को दीक्षा दी। इस प्रकार यह परंपरा आगे बढ़ती गई जो बोटिक मत के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोटिकों के

मतानुसार वल्ल कषाय का कारण होने से परिग्रहरूप है अतः त्याग्य है। भाष्यकार आर्यकृष्ण के शब्दों में इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जो जो कषाय का हेतु है वह वह यद्वि परिग्रह है और उसे त्याग देना चाहिए तो स्वकीय शरीर को भी त्याग देना पड़ेगा क्योंकि वह भी कषायोत्पत्ति का हेतु है अतः परिग्रह है।^१

ग्यारहवें द्वार समवतार की व्याख्या करते समय गोष्ठामाहिल का प्रसंग आया और उसी प्रसंग से निहववाद की चर्चा प्रारंभ हुई। इस चर्चा की समाप्ति के साथ समवतार द्वार की व्याख्या भी समाप्त होती है।

अनुमत द्वार :

बारहवें द्वार का नाम अनुमत है। व्यवहार-निश्चय नय की दृष्टि से कौनसी सामायिक मोक्षमार्ग का कारण है, इसका विचार करना अनुमत कहलाता है। नैगम, सग्रह और व्यवहार नय की अपेक्षा से सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्र्य रूप तीनों प्रकार की सामायिक मोक्षमार्गरूप मानी गई है। शब्द तथा श्रुतसूत्र नय की अपेक्षा से केवल चारित्र्यसामायिक ही मोक्षमार्ग है।^२

किं द्वार :

सामायिक क्या है ? सामायिक जीव है अथवा अजीव ? जीव और अजीव में भी वह द्रव्य है अथवा गुण ? अथवा वह जीवाजीव उभयात्मक है ? अथवा जीव और अजीव दोनों से भिन्न कोई अर्थान्तर है ? आत्मा अर्थात् जीव ही सामायिक है, अजीवादि नहीं। जीव सावयव योग का प्रत्याख्यान करते समय सामायिक होता है। दूसरे शब्दों में सामायिकभाव से परिणति होने के कारण जीव ही सामायिक है। अन्य सभी द्रव्य श्रद्धेय, ज्ञेय आदि क्रियारूप उपयोग के कारण उसके विषयभूत हैं।^३ द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से सामायिक द्रव्य है तथा पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से सामायिक गुण है।^४ यह तेरहवें किं द्वार की व्याख्या हुई।

कतिविध द्वार :

चौदहवें द्वार कतिविध की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि सामायिक तीन प्रकार की है सम्यक्त्व, श्रुत तथा चारित्र्य। चारित्र्य दो प्रकार का है

१ गा० १५५०-२६०९ २ गा० २६२१-२६३२. ३ गा० २६३३-२६४० ४ गा० २६५८

आगारिक तथा अनागारिक । श्रुत अर्थात् अध्ययन तीन प्रकार का है : सूत्र-विषयक, अर्थविषयक और उभयविषयक । सम्यक्त्व निर्गमन तथा अधिगमन भेद से दो प्रकार का है । इन दोनों में से प्रत्येक के औपशमिक, सास्वादन, क्षायोपशमिक, वेदक और क्षायिक—ये पाँच भेद होते हैं । इस प्रकार सम्यक्त्व दस प्रकार का भी है । अथवा कारक, रोचक और दीपक भेद से सम्यक्त्व के क्षायिक, क्षायोपशमिक तथा औपशमिक—ये तीन भेद भी होते हैं । इसी प्रकार श्रुत और चारित्र के भी विविध भेद हो सकते हैं ।^१

कस्य द्वार :

जिसकी आत्मा समय, नियम तथा तप में स्थित है उसके पास सामायिक होती है । जो त्रस और स्यावर सब प्राणियों के प्रति समभाव—माध्यस्थ्यभाव रखता है उसके पास सामायिक होती है ।^२ जो न राग में प्रवृत्त होता है न द्वेष में, किन्तु दोनों के मध्य में रहता है वह मध्यस्थ है और शेष सब अमध्यस्थ हैं ।^३

कुत्र द्वार :

इस द्वार का निम्न उपद्वारों की दृष्टि से विचार किया गया है • क्षेत्र, दिक्, काल, गति, भव्य, सञ्जी, उच्छ्वास, दृष्टि, आहार, पर्याप्त, सुप्त, जन्म, स्थिति, वेद, सज्ञा, कषाय, आयुष्, ज्ञान, योग, उपयोग, शरीर, सस्थान, सहनन, मान, लेश्यापरिणाम, वेदना, समुद्घातकर्म, निर्वेष्टन, उद्वर्तन, आस्रवकरण, अल्कार, शयन, आसन, स्थान, चक्रमण ।^४

केषु द्वार :

सामायिक किन द्रव्यों और पर्यायों में होती है ? सम्यक्त्व सर्वद्रव्य पर्यायगत है । श्रुत और चारित्र में द्रव्य तो सब होते हैं किन्तु पर्याय सब नहीं होते । देशविरति में न तो सब द्रव्य ही होते हैं और न सब पर्याय ही । भाष्यकार ने इसका विशेष स्पष्टीकरण किया है ।^५

कथ द्वार :

सामायिक कैसे प्राप्त होती है ? इस द्वार की चर्चा भाष्यकार ने यहाँ नहीं की है । टीकाकार मलघारी हेमचन्द्र ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा है कि सामायिक महाकष्टलभ्य है । इसके लाभक्रम के लिए 'माणुस' से लेकर 'अन्मुद्गाणे

१ गा० २६७३-७ २ गा० २६७९-२६८० ३ गा० २६६१
४. गा० २६९२-२७५० ५ गा० २७५१-२७६०

विणए' पर्यन्त की गाथाएँ देखनी चाहिए। कहीं कठिनाई होने पर मूलावश्यक-टीका से सहायता लेनी चाहिए।^१

क्रियच्चिर द्वार :

उन्नीसवा द्वार क्रियच्चिर है। इसमें इस प्रश्न का विचार किया गया है कि सामायिक कितने समय तक रहती है। सम्यक्त्व और श्रुत की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरोपम (पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक) है जबकि देशविरति और सर्वविरति की उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि देशोन है। सम्यक्त्व, श्रुत और देशविरति की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है जबकि सर्वविरति सामायिक की जघन्य स्थिति एक समय है। यह सप्त लब्धि का स्थितिकाल है। उपयोग की दृष्टि से तो सभी की स्थिति अन्तर्मुहूर्त है।^१

कति द्वार :

सम्यक्त्वादि सामायिकों के विवक्षित समय में कितने प्रतिपत्ता, प्रतिपन्न अथवा प्रतिपत्तित होते हैं ? सम्यक्त्वी और देशविरत प्राणी (क्षेत्र) पत्योपम के असख्यातवें भाग के बराबर होते हैं। श्रुतप्रतिपत्ता श्रेणि के असख्यातवें भाग के बराबर होते हैं। सर्वविरतिप्रतिपत्ता सहस्राग्रश. होते हैं। यह सब प्रतिपत्ताओं की उत्कृष्ट सख्या है। पूर्वप्रतिपत्तों का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्यक्त्व और देशविरतिप्रतिपन्न असख्येय हैं, सर्वविरतिप्रतिपन्न सख्येय हैं। इन तीनों को प्राप्त कर जो प्रतिपत्तित हो चुके हैं वे अनन्तगुण हैं। सप्रति श्रुतप्रतिपन्न प्रतर के असख्यातवें भाग के बराबर हैं। शेष ससारस्थ जीव (भाषालब्धिरहित पृथ्वी आदि) भाषालब्धि को प्राप्त करके प्रतिपत्तित होने के कारण सामान्यश्रुत से प्रतिपत्तित माने गए हैं।^१

सान्तर द्वार :

जीव को किसी एक समय सम्यक्त्वादि सामायिक प्राप्त होने पर पुन उसका परित्याग हो जाने पर कितने समय के बाद उसे पुन. उसकी प्राप्ति होती है उसे अन्तरकाल कहते हैं। वह सामान्याक्षरात्मक श्रुत में जघन्यत अन्तर्मुहूर्त है, उत्कृष्टत अनन्तकाल है। शेष में जघन्यत. अन्तर्मुहूर्त है, उत्कृष्टत देशोन अर्धपरिवर्तक है।^१

अविरहित द्वार :

सम्यक्त्व, श्रुत तथा देशविरति सामायिक का उत्कृष्ट अविरह काल आवलिका का असख्येय भाग है, चारित्र (सर्वविरति) का आठ समय है। जघन्यत. सब सामायिकों का दो समय है।^१

सम्यक्त्व और श्रुत का उत्कृष्ट विरहकाल सप्त अहोरात्र है, देशविरति का द्वादश अहोरात्र है। सर्वविरति का पचदश अहोरात्र है।^२

भव द्वार :

सम्यग्दृष्टि तथा देशविरत उत्कृष्टतः पत्य के असख्येय भाग जितने भवों को प्राप्त करते हैं। सर्वविरत उत्कृष्टत. आठ भवों को प्राप्त करता है। श्रुत-सामायिक वाला उत्कृष्टत. अनन्त भव प्राप्त करता है^३ (जघन्यत. सब के लिए एव भव है)।

आकर्ष द्वार :

आकर्ष का अर्थ है आकर्षण अर्थात् प्रथम बार अथवा छोड़े हुए का पुनर्ग्रहण। सम्यक्त्व, श्रुत और देशविरति सामायिक का एक भव में उत्कृष्ट आकर्ष सहस्रपृथक्त्व बार होता है, सर्वविरति का शतपृथक्त्व बार होता है (जघन्यत सब का एक बार ही आकर्ष है)। नाना भवों की अपेक्षा से सम्यक्त्व और देशविरति के उत्कृष्टत असख्येय सहस्रपृथक्त्व आकर्ष होते हैं, सर्वविरति के सहस्रपृथक्त्व आकर्ष होते हैं, श्रुत के आकर्ष तो अनन्त है।^४

स्पर्शन द्वार :

सम्यक्त्व-चरणयुक्त प्राणी उत्कृष्टतः सम्पूर्ण लोक का स्पर्श करते हैं (जघन्यत असख्येय भाग का स्पर्श करते हैं)। श्रुत के सप्तचतुर्दशभाग (६४) तथा पचचतुर्दशभाग (५४) स्पर्शनीय हैं। देशविरति के पचचतुर्दशभाग (६४) स्पर्शनीय हैं।^५

निरुक्ति द्वार :

अन्तिम द्वार का नाम निरुक्ति है। सम्यक्त्व सामायिक की निरुक्ति इस प्रकार है - सम्यग्दृष्टि, अमोह, शुद्धि, सद्भावदर्शन, बोधि, अविपर्यय, सुदृष्टि आदि सम्यक्त्व के निरुक्त-पर्याय हैं। श्रुत सामायिक की निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि अक्षर, सञ्ज्ञी, सम्यक्, सादिक, सपर्यवसित, गमिक और अगमविष्ट—

१ गा० २७७७

२ गा० २७७८

३ गा० २७७९

४ गा० २७८०-८१

५. गा० २७८२

ये सात और सात इनके प्रतिपक्षी—इस प्रकार चौदह भेद-पूर्वक श्रुत का विचार करना चाहिए। विरताविरति, सञ्चितासञ्चत, बाल्पण्डित, देशैकदेशविरति, अणुधर्म, अगारधर्म आदि देशविरति सामायिक के निरुक्त—पर्याय हैं। सामायिक, सामयिक, सम्भ्यग्वाद, समास, सक्षेप, अनवद्य, परिज्ञा, प्रत्याख्यान—ये आठ सर्वविरति सामायिक के निरुक्त—पर्याय हैं।^१ यहाँ तक सामायिक के उपोद्घात का अधिकार है।

नमस्कारनिर्युक्ति :

सामायिक के इस सुविस्तृत उपोद्घात की समाप्ति के बाद भाष्यकार ने सूत्रस्पर्शक निर्युक्ति का विस्तृत व्याख्यान किया है। नमस्कार (अन्तमगलरूप) की चर्चा करते हुए कहा गया है कि उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्याह द्वारों से नमस्कार का व्याख्यान करना चाहिए।^१ भाष्यकार ने इन सभी द्वारों का बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। इस विवेचन में भी निक्षेप-द्धति का आश्रय लिया गया है जिसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, माव, भेद, सम्बन्ध, काल, स्वामी आदि अनेक प्रभेदों का समावेश किया गया है। प्रत्येक द्वार के व्याख्यान में यथा सम्भव नयदृष्टि का आधार भी लिया गया है। अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमस्कार क्यों करना चाहिए, इसका युक्तियुक्त विचार किया गया है। राग, द्वेष, कषाय आदि दोषों की उत्पत्ति आदि का भी सक्षित विवेचन किया गया है। सिद्ध के स्वरूप का वर्णन करते समय आचार्य ने कर्मस्थिति तथा समुद्घात की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। शैलेशी अवस्था का स्वरूप बताते हुए शुक्लध्यान आदि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है।^२ सिद्ध को साकार उपयोग होता है अथवा निराकार, इसकी चर्चा करते हुए भाष्यकार ने केवल ज्ञान और केवलदर्शन के भेद और अमेद का विचार किया है। केवलज्ञान और केवलदर्शन युगपत् होते हैं या क्रमशः, इस प्रश्न पर आगमिक मान्यता के अनुसार विचार करते हुए इस मत की पुष्टि की है कि केवली को एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते।^३ सिद्धिगमनक्रिया का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने अलाबु, एरण्डफल, अग्निशिला, शर आदि दृष्टान्तों का स्पष्टीकरण तथा विविध आक्षेपों का परिहार किया है। सिद्धसम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों की जानकारी के साथ सिद्धनमस्कार का अधिकार समस्त किया गया है।^४ इसी प्रकार आचार्य,

१ गा० २७८४-७

२ गा० २८०५

३ गा० २८०६-३०८८

४ गा० ३०८९-३१३५

५ गा० ३१४०-३१८८

उपाध्याय और साधुनमस्कार का विवेचन किया गया है।^१ नमस्कार के प्रयोजन, फल आदि द्वारों का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने परिणाम-विशुद्धि का समर्पण किया है और इसी दृष्टि से जिनादिपूजा का विवेचन किया है। यहाँ तक नमस्कारनिर्युक्ति का अधिकार है।^२

पदव्याख्या :

‘करेमि भते’ इत्यादि सामायिकसूत्र के पदों की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने ‘करेमि’ पद के लिए ‘करण’ शब्द का विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया है। ‘करण’ का अर्थ है क्रिया, अथवा यथासम्भव अन्य अर्थ का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। करण नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भेद से छ प्रकार का है।^३

‘भते’ अर्थात् ‘भदन्त’ की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि ‘भदन्न’ शब्द कल्याण और सुखार्थक है तथा निर्वाण का कारण है। सुख और कल्याण का साधन गुरु है। इसी प्रकार इस शब्द की और भी अनेक प्रकार की व्याख्याएँ की गई हैं।^४

आगे की गाथाओं में सामायिक, सर्व, सावद्य, योग, प्रत्याख्यान, यावन्ती, विविध, करण, प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हा, व्युत्सर्जन आदि पदों का सविस्तार व्याख्यान किया गया है।^५ प्रसगवशात् सग्रहादि छ नयों की विशेष व्याख्या भी की गई है।^६ अन्तिम गाथा में भाष्यकार आचार्य जिनभद्र इस भाष्य को सुनने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसकी ओर निर्देश करते हुए कहते हैं कि सर्वानु-योगमूलरूप इस सामायिक के भाष्य को सुनने से परिकर्मित मतियुक्त शिष्य श्रेय शास्त्रानुयोग के योग्य हो जाता है।^७

विशेषावश्यकभाष्य के इस विस्तृत परिचय से स्पष्ट है कि आचार्य जिनभद्र ने इस एक ग्रथ में जैन विचारधाराओं का कितनी विलक्षणता से सग्रह किया है। आचार्य की तर्कशक्ति, अभिव्यक्तिकुशलता, प्रतिपादनप्रवणता एवं व्याख्यान-विदग्धता का परिचय प्राप्त करने के लिए यह एक ग्रथ ही पर्याप्त है। वास्तव में विशेषावश्यकभाष्य जैनज्ञानमशोदधि है। जैन आचार और विचार के मूलभूत समस्त तत्त्व इस ग्रथ में सगृहीत हैं। दर्शन के गहनतम विषय से लेकर चारित्र्य की सूक्ष्मतम प्रक्रिया तक के सम्बन्ध में इसमें पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।



१ गा० ३१८९-३२०० २ गा० ३२६४ ३ गा० ३२९९-३४३८
४ गा० ३४३९-३४७६ ५ गा० ३४७७-३५८३ ६ गा० ३५८४-३६०१
७ गा० ३६०३.

तृतीय प्रकरण

जीतकल्पभाष्य

आचार्य जिनभद्र का दूसरा भाष्य जीतकल्प सूत्र पर है। यह सूत्र आचार्य की स्वयं की ही कृति है। इसमें १०३ प्राकृत गाथाएँ हैं जिनमें जीतव्यग्रहार के आधार पर दिए जाने वाले प्रायश्चित्तों का संक्षिप्त वर्णन है। मोक्ष के हेतुभूत चारित्र के साथ प्रायश्चित्त का विशेषरूप से सम्बन्ध है क्योंकि चारित्र के दोषों की शुद्धि का मुख्य आधार प्रायश्चित्त ही है। ऐसी दशा में मुमुक्षु के लिए प्रायश्चित्त का ज्ञान आवश्यक है। मूल सूत्र में आचार्य ने प्रायश्चित्त के आलोचना आदि दस भेद गिनाए हैं तथा प्रत्येक प्रायश्चित्त के अपराधस्थानों का निर्देश किया है और यह बताया है कि किस अपराध के लिए कौनसा प्रायश्चित्त करना चाहिए। आचार्य ने यह बताया है कि अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्त चौदहपूर्वधर के समय तक दिए जाते थे अर्थात् चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु के समय तक ये प्रायश्चित्त प्रचलित थे। उसके बाद उनका विच्छेद हो गया।

जीतकल्पभाष्य' उपर्युक्त सूत्र पर २६०६ गाथाओं में लिखा गया स्वोपज्ञ भाष्य है। इस भाष्य में बृहत्कल्प लघुभाष्य, व्यवहारभाष्य, पचकल्पमहाभाष्य, पिण्डनिर्युक्ति आदि ग्रंथों की अनेक गाथाएँ अक्षरशः मिलती हैं।

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए यह भी कहा जाता है कि प्रस्तुत भाष्यग्रथ कल्पभाष्य आदि ग्रंथों की गाथाओं का सग्रहरूप ग्रथ है।^१ जीतकल्प सूत्र के प्रणेता आचार्य जिनभद्राणि क्षमाभ्रमण हैं, यह निर्विवाद है। जीतकल्पभाष्य के कर्ता कौन हैं, इस प्रश्न का समाधान करते हुए यह कहा गया है कि प्रस्तुत भाष्य में भाष्यकार ने किसी भी स्थान पर अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर भाष्यकार के नाम का ठीक-ठीक निर्णय किया जा सके।

१ सशोधक—मुनि पुण्यविजय, प्रकाशक—बयलचन्द्र केशवलाल मोदी, हाजापटेल की पोल, अहमदाबाद, वि० सं० १९९४

२, जीतकल्प सूत्र (स्वोपज्ञ भाष्यसहित) प्रस्तावना, पृ० ४-५

ऐसी स्थिति में प्रस्तुत भाष्य की निम्न गाथा के आधार पर कुछ निर्णय किया जा सकता है —

तिसमयहारादीणं, गाहाणऽट्ठण्ह वी सरुवं तु ।

वित्थरयो वण्णेब्जा, जह हेट्ठाऽवस्सए भणिय ॥ ६० ॥

इस गाथा के 'जह हेट्ठाऽवस्सए भणिय' इस पाठ की ओर ध्यान देने से सहज ही प्रतीत होता है कि यहाँ 'जह आवस्सए भणिय' इतना सा पाठ ही काफी होते हुए भाष्यकार ने 'हेट्ठा' शब्द और क्यों उठाया ? 'हेट्ठा' शब्द कोई पादपूरितरूप शब्द नहीं कि वैसा मानने से काम चल जाए। वास्तव में ग्रथकार 'हेट्ठा' और 'उवरिं' इन दो शब्दों को अनुक्रम से 'पूर्व' और 'अग्रे' अर्थ में ही काम में लाते हैं, उदाहरणार्थ 'हेट्ठा भणिय' अर्थात् 'पूर्व भणितम्' तथा 'उवरिं वोच्छ' अर्थात् 'अग्रे वक्ष्ये'। इससे यह फलित होता है कि प्रस्तुत भाष्यकार ने 'तिसमयहार' अर्थात् 'जावइया तिसमया' (आवश्यकनिर्युक्ति, गा० ३०) इत्यादि आठ गाथाओं का विवरण पहले आवश्यक में अर्थात् आवश्यकभाष्य में विस्तार से दे दिया है। आवश्यकनिर्युक्ति के अन्तर्गत 'जावइया तिसमया' आदि गाथाओं का भाष्य लिखकर विस्तृत व्याख्यान करने वाला आचार्य जिनभद्र के सिपाय अन्य कोई नहीं है। इसलिए जीतकल्पभाष्य के प्रणेता आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ही होने चाहिए।^१

प्रायश्चित्त का अर्थ :

सर्वप्रथम आचार्य ने 'प्रवचन' शब्द का निरुक्तार्थ करते हुए प्रवचन को नमस्कार किया है। इसके बाद दस प्रकार के प्रायश्चित्त की व्याख्या करने का सक्ल्प करते हुए 'प्रायश्चित्त' शब्द का निरुक्तार्थ किया है। 'प्रायश्चित्त' के प्राकृत में दो रूप प्रचलित हैं 'पायन्डित्त' और 'पन्डित्त'। इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जो पाप का छेद करता है वह 'पायन्डित्त' है एव प्राय जिससे चित्त शुद्ध होता है वह 'पन्डित्त' है।^१

आगमव्यवहार :

सूत्र की प्रथम गाथा में प्रयुक्त 'जीतव्यवहार' का व्याख्यान करने के लिए भाष्यकार ने आगमादि व्यवहारपञ्चक—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत-

व्यवहार का विवेचन किया है। आगमव्यवहार के दो भेद हैं : प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद हैं इन्द्रियज और नोइन्द्रियज। इन्द्रियप्रत्यक्ष को पाँच विषयों के रूप में समझना चाहिए। 'अक्ष' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य ने 'अक्ष' के अर्थ के सम्बन्ध में अन्य मत का निर्देश एवं प्रतिषेध किया है। नोइन्द्रियप्रत्यक्ष आगम तीन प्रकार का है 'अवधि, मनःपर्यय और वेदल। अवधिज्ञान या तो भवप्रत्ययिक होता है या गुणप्रत्ययिक। अवधि के छ. भेद हैं. अनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमानक, हीयमानक, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। द्रव्यावधि, क्षेत्रावधि, कालावधि और भावावधि की दृष्टि से अवधिज्ञान का विचार किया जाता है। मन पर्यय के दो भेद हैं ऋजुमति और विपुलमति। इसका भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावपूर्वक विचार किया जाता है। केवलज्ञान सर्वावरण का क्षय होने पर उत्पन्न होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसका केवली को प्रत्यक्ष न हो। क्षयोपगमजन्य मति आदि ज्ञानों का केवली में अभाव है क्योंकि उसका ज्ञान सर्वथा क्षयजन्य है।^१

श्रुतधर आगमत परोक्ष व्यवहारी हैं। चतुर्दशपूर्वधर, दशपूर्वधर, नवपूर्वधर, गन्धहस्ती आदि इसी कोटि के हैं।^२

प्रायश्चित्त के स्थान :

इसके बाद भाष्यकार अपने मूल विषय प्रायश्चित्त का विवेचन प्रारम्भ करते हैं। प्रायश्चित्त की न्यूनता-अधिकता सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के बाद प्रायश्चित्तदान के योग्य व्यक्ति का स्वरूप बताते हुए आलोचना के अरण्य का क्रम बताते हैं।^३ प्रायश्चित्त के अठारह, बत्तीस तथा छत्तीस स्थानों का विचार किया है। बत्तीस स्थानों के लिए आठ गणिसम्पदाओं का विवेचन किया है। आठ सम्पदाओं के प्रत्येक के चार-चार भेद किए गए हैं १ चार प्रकार की आचारसम्पदा, २ चार प्रकार की श्रुतसम्पदा, ३ चार प्रकार की शरीरसम्पदा, ४ चार प्रकार की वचनसम्पदा, ५ चार प्रकार की वाचनासम्पदा, ६ चार प्रकार की मतिसम्पदा, ७ चार प्रकार की प्रयोगमतिपत्ति और मिला देने से सग्रहपरिज्ञासम्पदा। इनमें चार प्रकार की विनयप्रतिपत्ति और मिला देने से प्रायश्चित्त के छत्तीस स्थान बन जाते हैं। विनयप्रतिपत्ति के चार भेद इस प्रकार

१ गा० ७-१०९

२ गा० ११०-६.

३ गा० ११७-१४८

हे आचारविनय, श्रुतविनय, विक्षेपणविनय और दोषनिर्घातविनय । इनमें से प्रत्येक के पुनः चार भेद हैं ।^१

प्रायश्चित्तदाता :

प्रायश्चित्त देनेवाले योग्य ज्ञानियों का अभाव होने पर प्रायश्चित्त कैसे सम्भव हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रायश्चित्त देने की योग्यता वाले महापुरुष केवली तथा चौदहपूर्वधर इस युग में नहीं हैं, यह बात सच है किन्तु प्रायश्चित्त की विधि का मूल प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु में है और उसके आधार पर कल्प, प्रकल्प तथा व्यवहार ग्रन्थों का निर्माण हुआ है ।^२ ये ग्रन्थ तथा इनके ज्ञाता आज भी विद्यमान हैं । अतः प्रायश्चित्त का व्यवहार इन ग्रन्थों के आधार पर सरलतापूर्वक किया जा सकता है और इस प्रकार चारित्र्य की शुद्धि हो सकती है ।^३

प्रायश्चित्तदान की सापेक्षता :

दस प्रकार के प्रायश्चित्त का नामोल्लेख करने के बाद प्रायश्चित्तदान का विभाग किया गया है तथा प्रायश्चित्तविधाताओं का सद्भाव सिद्ध किया गया है ।^४ सापेक्ष प्रायश्चित्तदान के लाभ और निरपेक्ष प्रायश्चित्तदान की हानि की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि प्रायश्चित्तदान में दाता को दयाभाव रखना चाहिए तथा जिसे प्रायश्चित्त देना हो उसकी शक्ति की ओर भी ध्यान रखना चाहिए । ऐसा होने पर ही प्रायश्चित्त का प्रयोजन सिद्ध होता है तथा प्रायश्चित्त करने वाले की सयम में दृढता हो सकती है । ऐसा न करने से प्रायश्चित्त करने वाले में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह सयम में स्थिर होने के बजाय सयम का सर्वथा त्याग ही कर देता है । प्रायश्चित्त देने में इतना अधिक दयाभाव भी नहीं रखना चाहिए कि प्रायश्चित्त का विधान ही भंग हो जाए और दोषों की परम्परा इतनी अधिक बढ़ जाए कि चारित्र्यशुद्धि हो ही न सके । बिना प्रायश्चित्त के चारित्र्य स्थिर नहीं रह सकता । चारित्र्य के अभाव में तीर्थ चारित्र्यशून्य हो जाता है । चारित्र्यशून्यता से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती । निर्वाणलाभ का अभाव हो जाने पर कोई दीक्षित भी नहीं होगा । दीक्षित साधुओं के अभाव में तीर्थ भी नहीं बनेगा । इस प्रकार प्रायश्चित्त के अभाव में तीर्थ टिक ही नहीं सकता । इसलिए जहाँ तक तीर्थ की स्थिति है वहाँ तक प्रायश्चित्त की परम्परा चलनी ही चाहिए ।^५

१ गा० १४९-२४१

२ कल्प अर्थात् बृहत्कल्प, प्रकल्प अर्थात्

निशीथ । ३ गा० २५५-२७३ ४ गा० २७४-२९९. ५ गा० ३००-३१८.

भक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण व पादपोषणमन :

प्रायश्चित्त के विधान का विशेष समर्थन करते हुए भाष्यकार ने प्रसंगवशात् भक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण तथा पादपोषणमन—इन तीन प्रकार की मारणातिक साधनाओंका विस्तृत वर्णन किया है। भक्तपरिज्ञा की विधि की ओर सकेत करते हुए निर्व्याघात और सव्याघातरूपी सपराक्रमभक्तपरिज्ञा के स्वरूप का निम्न द्वारों से विचार किया है १ गणिनिस्सरण, २ ध्रिति, ३ सलेखना, ४ अगीत, ५ असविग्ग, ६ एक, ७ आभोग, ८ अन्य, ९ अनापृच्छा, १० परीक्षा, ११ आलोचना, १२ स्थान—वसति, १३ निर्यापक, १४ द्रव्यदापना, १५ हानि, १६ अपरितान्त, १७ निर्जरा, १८ सस्तारक, १९ उद्वर्तना, २० स्मरणा, २१ कवच, २२ चिह्नकरण, २३ यतना। इसी प्रकार निर्व्याघात और सव्याघातरूपी अपराक्रमभक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण और पादपोषणमन के स्वरूप का विवेचन किया गया है।^१ यहाँ तक आगमव्यवहार का अधिकार है।

श्रुतादिव्यवहार :

पूर्वनिर्दिष्ट आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीतव्यवहार में से आगम व्यवहार का व्याख्यान समाप्त करके आचार्य ने श्रुतव्यवहार का सक्षिप्त विवेचन किया है। आज्ञाव्यवहार का व्याख्यान करते हुए अपरिणत, अतिपरिणत और परिणत शिष्यों की परीक्षा के स्वरूप की ओर निर्देश किया है। इसके बाद दर्प के दस तथा कल्पना के चौबीस भेदों का समग्र विवेचन किया है। इसी प्रकार धारणाव्यवहार का भी विचार किया गया है।^२

जीतव्यवहार :

जो व्यवहार परंपरा से प्राप्त हो, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अनुमत हो, जिसका बहुश्रुतों ने अनेक बार सेवन किया हो तथा जिसका उनके द्वारा निवारण न किया गया हो वह जीतव्यवहार कहलाता है। जिसका आधार आगम, श्रुत, आज्ञा अथवा धारणा न हो वह जीतव्यवहार है। उसका मूल आधार आगमादि न होकर केवल परंपरा ही होती है। जिस जीतव्यवहार से चारित्र्य की शुद्धि होती हो उमी का आचरण करना चाहिए। जो जीतव्यवहार चारित्र्य शुद्धि का कारण न हो उसका आचरण नहीं करना चाहिए। समग्र है कि ऐसा भी कोई

जीवव्यवहार हो जिसका आचरण किसी एक ही व्यक्ति ने किया हो फिर भी यदि वह व्यक्ति सवेगपरायण हो, दान्त हो तथा वह आचार शुद्धिकर हो तो उस जीवव्यवहार का अनुकरण करना चाहिए।^१ इसके बाद भाष्यकार ने व्यवहार के स्वरूप का उपसंहार किया है।^२ यहाँ तक मूल सूत्र की प्रथम गायिका का व्याख्यान है।

प्रायश्चित्त के भेद :

प्रायश्चित्त का माहात्म्य वर्णन करने के बाद आचार्य ने उसके दस भेदों की गणना व उनका सक्षिप्त स्वरूप वर्णन किया है। प्रायश्चित्त के दस भेद ये हैं १. आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३. मिश्र, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६. तप, ७ छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थाप्य, १० पाराचिक।^३

आलोचना :

प्रथम प्रायश्चित्त आलोचना के अपराध स्थानों की ओर सक्षेप में सकेत करते हुए इसी प्रसंग से 'छद्म' का अर्थ बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि छद्म कर्म को कहते हैं। वह कर्म चार प्रकार का है . ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय। जब तक प्राणी इन चार प्रकार के कर्मों के बन्धन से मुक्त नहीं होता तब तक वह छद्मस्थ कहलाता है। आलोचना आदि प्रायश्चित्तों का विधान छद्मस्थों के लिए ही है।^४

प्रतिक्रमण :

प्रतिक्रमण के अपराध स्थानों का वर्णन करते हुए गुप्ति और समिति का भी उदाहरण वर्णन किया गया है। मनोगुप्ति के लिए जिनदास का उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार वचनगुप्ति और कायगुप्ति के लिए भी दो अन्य उदाहरण दिए गए हैं। समितियों का स्वरूप समझाते हुए ईर्यासमिति के लिए अर्हन्नक का उदाहरण दिया गया है। भाषासमिति का स्वरूप समझाने के लिए एक साधु का दृष्टान्त उपस्थित किया गया है। वसुदेव के जीव नदिवर्धन का उदाहरण देकर एषणासमिति का स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार आदान-निक्षेपणासमिति के लिए भी एक उदाहरण दिया गया है। परिष्ठापनिकासमिति का स्वरूप समझाने के लिए धर्मवचि का दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है।^५ इस

१ गा० ६७५-६९४ २ गा० ६९५-७०१. ३ गा० ७०६-७३०.
४ गा० ७३५ ५. गा० ७८४-८६०

प्रसंग पर भाष्यकार ने निम्न विषयों की चर्चा भी की है. गुरु की आशातना और उसका स्वरूप, गुरु और शिष्य का भाषा प्रयोग, गुरु-विनय का भग और उसका स्वरूप, विनय-भग के सात प्रकार, इच्छादि दस प्रकार की अकरणता, लघुमृषावाद व उसका स्वरूप ।^१

प्रतिक्रमण से सम्बन्धित अविधि, कास, जुम्हा, जुत, वात, असविलष्टकर्म, कन्दर्प, हास्य, विकथा, कपाय, विषयानुषंग, स्खलना, सहसा, अनाभोग, आभोग, स्नेह, भय, शोक और वाकुशिक अपराध-स्थानों का मूल सूत्र का अनुसरण करते हुए व्याख्यान किया गया है ।^२

मिश्र प्रायश्चित्त :

इस प्रायश्चित्त में आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों का समावेश है। इसमें आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के संयुक्त अपराध-स्थानों का विवेचन किया गया है। सभ्रम, भय, आपत्, सहसा, अनाभोग, अनात्मवशता, दुश्चितित, दुर्भाषित, दुश्चेष्टित आदि अपराध स्थान मिश्र कोटि के हैं। भाष्यकार ने इनकी विशेष व्याख्या की है ।^३

विवेक :

विवेक-प्रायश्चित्त के अपराध स्थानों का विवेचन करते हुए आचार्य ने पिण्ड, उपधि, शय्या, कृतयोगी, कालातीत, अध्वातीत, शठ, अशठ, उद्वृत, अनुद्वृत, कारणगृहीत आदि पदों की व्याख्या की है ।^४ व्याख्या बहुत सक्षिप्त एवं सारग्राही है। इसके बाद व्युत्सर्ग-प्रायश्चित्त का व्याख्यान प्रारंभ होता है।

व्युत्सर्ग :

पंचम प्रायश्चित्त व्युत्सर्ग के अपराध स्थानों का विश्लेषण करने के लिए भाष्यकार ने मूल सूत्र में निर्दिष्ट गमन, आगमन, विहार, श्रुत, सावद्यस्वप्न, नाव, नदी, सन्तार आदि पदों का सक्षिप्त व्याख्यान किया है ।^५ इसके बाद तप-प्रायश्चित्त के अपराध स्थानों की व्याख्या प्रारंभ होती है।

तप '

तप की चर्चा के प्रारंभ में ज्ञान और दर्शन के आठ आठ अतिचारों का विचार किया गया है। ज्ञान के आठ अतिचार निम्नोक्त आठ विषयों से सम्बन्धित

१ गा० ८६१-९०५

२ गा० ९०६-९३२

३ गा० ९३३-९५४.

४ गा० ९५५-९७१

५ गा० ९७२-९९७

१. काल, १ विनय, ३. बहुमान, ४. उपधान, ५. अनिह्वन, ६ व्यञ्जन, ७ अर्थ, ८ तदुभय। दर्शन के अतिचारों का सम्बन्ध निम्न आठ विषयों से है १. नि शक्ति, २. निष्काक्षित, ३. निर्विचिकित्सा, ४ अमूढदृष्टि, ५ उपवृहण, ६ स्थिरीकरण, ७ वात्सल्य, ८. प्रभावना। इसके बाद छ. व्रतरूप चारित्र के अतिचारों का वर्णन किया गया है।^१ चारित्रोद्गम का स्वरूप बताते हुए उद्गम के सोलह दोषों का भी विवेचन किया गया है।^२ ये सोलह दोष इस प्रकार हैं १ आघातकर्म, २ औद्देशिक, ३ पूर्तिकर्म, ४ मिश्रजात, ५ स्थापना, ६. प्राभृतिका, ७ प्रादुष्करण, ८. क्रीत, ९ प्रामित्य, १० परावर्तित, ११. अम्याहृत, १२ उद्भिन्न, १३ मालाहृत, १४. आच्छेद्य, १५ अनिसृष्ट, १६ अध्यवपूरक।^३ उद्गम के बाद उत्पादना का स्वरूप बताया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—इन चार प्रकार के निक्षेपों द्वारा उत्पादना का विश्लेषण किया गया है।^४ इसके भी सोलह दोष हैं १ धात्रीदोष, २ दूतीदोष, ३ निमित्तदोष, ४ आजीवदोष, ५ वनीपक दोष, ६. चिकित्सादोष, ७ क्रोधदोष, ८ मानदोष, ९ मायादोष, १० लोभदोष, ११ सस्तवदोष, १२ विद्यादोष, १३ मत्रदोष, १४ चूर्णदोष, १५ योगदोष, १६ मूलकर्मदोष।^५ इन दोषों का भाष्यकार ने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। क्रोध के लिए क्षपक का, मान के लिए क्षुल्लक का, माया के लिए आषाढभृति का, लोभ के लिए सिंहकेसर नामक मोदक की इच्छा रखने वाले क्षपक का, विद्या के लिए भिक्षु उपासक अर्थात् बौद्ध उपासक का, मत्र के लिए पादलिप्त और मुरुण्डराज का, चूर्ण के लिए दो क्षुल्लकों का और योग के लिए ब्रह्मद्वैपिक तापसों का उदाहरण दिया है।^६

ग्रहणैषणा का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने ग्रहणैषणा के दस प्रकारों का भी उल्लेख किया है। जिन दस पदोंसे ग्रहणैषणा की शुद्धि होनी चाहिए उनके नाम ये हैं : भक्षित, प्रक्षित, निक्षित, पिहित, सहृत, दायक, उन्मिभ्र, अपरिणत, लिप्त और छर्दित।^१ इन दस प्रकार के दोषों का विशेष वर्णन करने के बाद ग्रहणैषणा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिए सयोजना, प्रमाण, अगार, धूम,

- १ गा० ९९८-१०६८ २ गा० १०६९-१०८६, ३ गा० १०९८-
१२८६ ४ गा० १०९५-७ ५ गा० १३१३-८. ६ गा० १३१९-
१३२० ७ गा० १३९५-१४६७ ८ गा० १४७६

कारण आदि दोषों के वर्जन का विधान किया गया है।^१ इसके बाद पिण्डविशुद्धि विषयक अतिचारों से सम्बन्धित प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है।^२

तपःप्रायश्चित्त से सम्बन्धित अन्य सूत्र-गाथाओंकी विवेचना करते हुए भाष्यकार ने धावन, डेपन, सघर्ष, गमन, क्रीडा, कुधावना, उत्क्रुष्टि, गीत, सेण्टिका, जीवरुत आदि पदों का व्याख्यान किया है।^३ तपःप्रायश्चित्त की जघन्य, मध्यम, तथा उत्कृष्ट उपधियों का आश्रय लेते हुए विच्युत, विस्मृत, अप्रेक्षित, अनिवेदन आदि पदों की व्याख्या की है। इसी प्रकार कालातीतकरण, अध्वातीतकरण, तत्परिभोग, पानासवरण, भूमित्रिकाप्रेक्षण, कायोत्सर्गभग, कायोत्सर्ग अकरण, वेगवन्दना, रात्रिव्युत्सर्ग, दिवसशयन, चिरकषाय, लशुन, तर्णादि बन्धन, पुस्तक पचक, तृणपचक, दूष्यपचक, स्थापनाकुल आदि सम्बन्धी दोष, दर्प, पचेन्द्रिय व्यपरोपण, सक्लिष्टकर्म, दीर्घाध्वकल्प, ग्लानकल्प, छेद, अश्रद्धान आदि अनेक पदों का आचार्य ने सम्यक् विवेचन किया है।^४

सामान्य तथा विशेष आपत्ति की दृष्टि से तप प्रायश्चित्त का क्या स्वरूप है, इसका विश्लेषण करने के बाद भाष्यकार ने तपोदान का विचार किया है। द्रव्य का क्या स्वरूप है और उस दृष्टि से तपोदान की क्या स्थिति है, क्षेत्र के स्वरूप की दृष्टि से तपोदान का क्या अर्थ है, काल के स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए तपोदान का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है, भाव के स्वरूप की दृष्टि से तपोदान का रूप क्या हो सकता है—इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान भाष्यकार ने बहुत सक्षिप्त एवं सरल ढंग से किया है।^५ इसी प्रकार पुरुष की दृष्टि से भी तपोदान का विचार किया गया है। इस प्रसंग पर गीतार्थ, अगीतार्थ, सहनशील, असहनशील, शठ, अशठ, परिणामी, अपरिणामी, अतिपरिणामी, धृतिरहननोपेत, हीन, आत्मतर, परतर, उभयतर, नोभयतर, अन्यतर आदि अनेक प्रकार के पुरुषों का स्वरूप वर्णन किया गया है।^६ कल्पस्थित और अकल्पस्थित पुरुषों का वर्णन करते हुए आचार्य ने 'स्थिति' शब्द के निम्न पर्याय दिए हैं प्रतिष्ठा, स्थापना, स्थपिति, सस्थिति, स्थिति, अवस्थान, अवस्था।^७ कल्पस्थिति छ प्रकार की है सामायिक, छेद, निर्विशमान, निर्विष्ट, जिनकल्प और स्यविरकल्प।^८ कल्प दस प्रकार का है १ आचेलक्य, २ औद्देशिक, ३ शर्यातर, ४ राजपिण्ड, ५ कृति

१ गा० १६०५-१६७० २ गा० १६८०-१७१९ ३ गा० १७२०-२१

४ गा० १७२५-१७९४. ५. गा० १७९५-१९३७ ६ गा० १९३८-१९६४.

७ गा० १९६६

८ गा० १९६७

कर्म, ६ व्रत, ७ ज्येष्ठ, ८ प्रतिक्रमण, ९ मास, १०. पर्युषणा । भाष्यकार ने इन कल्पों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । इसके साथ ही परिहारकल्प, जिन-कल्प, स्थविरकल्प आदि के स्वरूप का भी वर्णन किया है । इसके बाद परिणत, अपरिणत, कृतयोगी, अकृतयोगी, तरमाण, अतरमाण आदि पुरुषों का स्वरूप बताते हुए कल्पस्थित आदि पुरुषों की दृष्टि से तपोदान का विभाग किया गया है ।^१ आगे मूल सूत्र के पदों का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने जीतयन्त्र की विधि बताई है एवं प्रतिसेवना का स्वरूप बताते हुए उस दृष्टि से तपोदान का विभाग करके तपःप्रायश्चित्त का सुविस्तृत विवेचन समाप्त किया है ।^२

छेद और मूल :

छेदप्रायश्चित्त के अपराध स्थानों के वर्णन के प्रसंग से उत्कृष्ट तपोभूमि की ओर भी निर्देश किया गया है । आदि जिन की उत्कृष्ट तपोभूमि एक वर्ष की होती है, मध्यम जिनों की उत्कृष्ट तपोभूमि आठ मास की होती है तथा अन्तिम जिन की तपोभूमि का समय छ मास है ।^३ इसके बाद मूलप्रायश्चित्त के अपराध स्थानों की ओर संकेत किया गया है ।^४

अनवस्थाप्य :

अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के अपराध-स्थानों का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य ने हस्ताताल, हस्तालव, हस्तादान आदि का स्वरूप बताया है तथा अवसन्नाचार्य का दृष्टान्त देकर हस्तादान के स्वरूप की पुष्टि की है ।^५ इसके बाद अन्तिम प्रायश्चित्त पाराचिक का वर्णन प्रारंभ होता है ।

पाराचिक :

पाराचिक प्रायश्चित्त का स्वरूप बताते समय आचार्य ने तीर्थंकर, प्रवचन, श्रुत, आचार्य आदि की आशातना से सम्बन्ध रखने वाले पाराचिक का निर्देश किया है । साथ ही कषायदुष्ट, विषयदुष्ट, स्थानद्विप्रमत्त और अन्योन्य कुर्वाण पाराचिक का स्वरूप बताते हुए लिंग, क्षेत्र और काल की दृष्टि से पाराचिक का विवेचन किया है ।^६ इसके बाद इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि अनवस्थाप्य और पाराचिक-प्रायश्चित्त का सद्भाव चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहु तक ही रहा है ।^७ जीतकल्प का उपसंहार करते हुए जीतकल्प सूत्र के अध्ययन का

१ गा० १९६८-२१९५ २ गा० २१९६-२२७९ ३ गा० २२८५-६.
४ गा० २२८८-२३००. ५ गा० २३०१-२४१० ६ गा० २४६३-२५८५.
७ गा० २५८६-७

अधिकारी कौन है, इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जो सूत्र और अर्थ दोनों से प्राप्त अर्थात् युक्त है वही जीतकल्प का योग्य अधिकारी है, शेष को उसके अयोग्य समझना चाहिए ।^१ जीतकल्प के महत्त्व एवं आधार की ओर एक बार पुन निर्देश करते हुए भाष्यकार ने भाष्य की समाप्ति की है ।^२ आचार के नियमों और विशेषकर चारित्र्य के दोषों की शुद्धि का प्रायश्चित्त द्वारा विधान करने वाले जीतकल्प सूत्र के स्वोपज्ञ भाष्य के इस सक्षिप्त परिचय से उसकी शैली एवं सामग्री का अनुमान लगाना कठिन नहीं है । जीतकल्पभाष्य आचार्य जिनभद्र की जैन आचारशास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण कृति है, इसमें कोई सदेह नहीं ।



चतुर्थ प्रकरण

बृहत्कल्प-लघुभाष्य

बृहत्कल्प लघुभाष्य^१ के प्रणेता सघदासगणि क्षमाश्रमण हैं। इसमें बृहत्कल्प सूत्र के पदों का सुविस्तृत विवेचन किया गया है। लघुभाष्य होते हुए भी इसकी गाथा-संख्या ६४९० है। यह छ उद्देशों में विभक्त है। इनके अतिरिक्त भाष्य के प्रारंभ में एक विस्तृत पीठिका भी है जिसकी गाथा-संख्या ८०५ है। इस भाष्य में प्राचीन भारत की कुछ महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सामग्री भी सुरक्षित है। डा० मोतीचन्द्र ने अपनी पुस्तक सार्थवाह (प्राचीन भारत की पथ-पद्धति)^२ में इस भाष्य की कुछ सामग्री का 'यात्री और सार्थवाह' का परिचय देने की दृष्टि से उपयोग किया है। इसी प्रकार अन्य दृष्टियों से भी इस सामग्री का उपयोग हो सकता है। भाष्य के आगे दिए जानेवाले विस्तृत परिचय से इस बात का पता लग सकेगा कि इसमें प्राचीन भारतीय सस्कृति के इतिहास का कितना मसाला भरा पड़ा है।

पीठिका :

विशेषावश्यक भाष्य की ही भोंति इस भाष्य में भी प्रारंभिक गाथाओं में मंगलवाद की चर्चा की गई है। 'मंगल' पद के निक्षेप, मंगलाचरण का प्रयोजन, आदि, मध्य और अंत में मंगल करने की विधि आदि विषयों की चर्चा करने के बाद नन्दी—ज्ञानपत्रक का विवेचन किया गया है। श्रुतज्ञान के प्रसंग से सम्यक्त्व-प्राप्ति के क्रम का विचार करते हुए औपशमिक, साखादन, क्षायोपशमिक, वेदक और क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप बताया गया है।^३

१ निर्युक्ति-लघुभाष्य-वृहत्कल्पसूत्र (६ भाग) • सम्पादक—
सुनि चतुरविजय एव पुण्यविजय, प्रकाशक—श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर,
सन् १९३३, १९३६, १९३६, १९३८, १९३८, १९४२.

२ सार्थवाह (प्राचीन भारत की पथ-पद्धति) प्रकाशक—बिहार-
राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, सन् १९५३.

३. गा० ४-१३१

अनुयोग का स्वरूप बताते हुए निक्षेप आदि बारह प्रकार के द्वारों से अनुयोग का विचार किया गया है। उनके नाम ये हैं : १. निक्षेप, २ एकार्थिक, ३ निरुक्त, ४. विधि, ५. प्रवृत्ति, ६. केन, ७ कस्य, ८. अनुयोगद्वार, ९. भेद, १० लक्षण, ११ तदर्ह, १२. पर्वद् ।^१

कल्प व्यवहार के अनुयोग के लिए सुयोग्य मानी जानेवाली छात्रात्मिक पर्यदा के गुणों का बहुश्रुतद्वार, चिरप्रव्रजितद्वार और कल्पिकद्वार—इन तीन द्वारों से विचार किया गया है। कल्पिकद्वार का आचार्य ने निम्न उपद्वारों से विवेचन किया है सूत्रकल्पिकद्वार, अर्थकल्पिकद्वार, तदुभयकल्पिकद्वार, उपस्थापना कल्पिकद्वार, विचारकल्पिकद्वार, लेपकल्पिकद्वार, पिण्डकल्पिकद्वार, शय्याकल्पिकद्वार, वस्त्रकल्पिकद्वार, पात्रकल्पिकद्वार, अवग्रहकल्पिकद्वार, विहारकल्पिकद्वार, उत्सारकल्पिकद्वार, अचचलद्वार, अवस्थितद्वार, मेधावीद्वार, अपरिष्ठावीद्वार, यश्रुविद्वान्द्वार, पत्तद्वार, अनुज्ञातद्वार और परिणामकद्वार। इनमें से विचारकल्पिकद्वार का निरूपण करते हुए आचार्य ने विचारभूमि अर्थात् स्थण्डिलभूमि का सविस्तर निरूपण किया है। इस निरूपण में निम्न द्वारों का आधार लिया गया है • भेद, शोधि, अपाय, वर्जना, अनुज्ञा, कारण, यतना ।^२ शय्याकल्पिकद्वार का रक्षणकल्पिक और ग्रहणकल्पिक की दृष्टि से विचार किया है। इसी प्रकार अन्य द्वारों का भी विविध दृष्टियों से विवेचन किया गया है। यत्र तत्र दृष्टान्तों का उपयोग भी हुआ है। उत्सारकल्पिकद्वार के योगविराधना दोष को समझाने के लिए घण्टाशृगाल का दृष्टान्त दिया गया है। परिणामकद्वार में परिणामक, अपरिणामक आदि शिष्यों की परीक्षा के लिए आम्र, वृक्ष, बीज आदि के दृष्टान्त दिए गए हैं ।^३ छेदसूत्रों (वृहत्कल्पादि) के अर्थभ्रवण की विधि की ओर संकेत करते हुए परिणामकद्वार के उपसहार के साथ पीठिका की समाप्ति की गई है ।^४

प्रथम उद्देश—प्रलम्बसूत्र :

पीठिका के बाद भाष्यकार प्रत्येक मूल सूत्र का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। प्रथम उद्देश में प्रलम्बप्रकृत, मासकल्पप्रकृत आदि सूत्रों का समावेश है। प्रथम प्रलम्बसूत्र की निम्न द्वारों से व्याख्या की गई है • आदिनकारद्वार, ग्रन्थद्वार, आमद्वार, तालद्वार, प्रलम्बद्वार, भिन्नद्वार। ताल, तल और प्रलम्ब का अर्थ इस प्रकार है तल वृक्षसम्बन्धी फल को ताल कहते हैं, तदाधारभूत वृक्ष का नाम

१. गा० १४९-३९९

२ गा० ४१७-४६९

३ गा० ४००-८०९.

४. गा० ८०३-५.

तल है, उसके मूल को प्रलम्ब कहते हैं। प्रलम्ब शब्द से यहाँ मूलप्रलम्ब का ग्रहण करना चाहिए।^१

प्रलम्बग्रहणसम्बन्धी प्रायश्चित्तों की ओर सकेत करते हुए तत्रप्रलम्बग्रहण अर्थात् जहाँ पर ताड़ आदि वृक्ष हों वहाँ जाकर गिरे हुए अचित्त प्रलम्बादि का ग्रहण करते समय जिन दोषों की सभावना रहती है उनका स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार सचित्त प्रलम्बादि से सम्बन्धित बातों की ओर भी निर्देश किया गया है। देव, मनुष्य तथा तिर्यच के अधिकार में रहे हुए प्रलम्बादि का स्वरूप, तद्ग्रहणदोष आदि पर भी प्रकाश डाला गया है।^२ प्रलम्बादि का ग्रहण करने से लगनेवाले आज्ञाभंग, अनवस्था, मिथ्यात्व और आत्मसयमविराधना दोषों का विस्तृत वर्णन करते हुए आचार्य के अज्ञान और व्यसनों की ओर सकेत किया गया है।^३ गीतार्थ के विशिष्ट गुणों का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने गीतार्थ को प्रायश्चित्त न लगने के कारणों की मीमासा की है। गीतार्थ की केवली के साथ तुलना करते हुए श्रुतकेवली के वृद्धि-हानि के षट्स्थानों की ओर सकेत किया है।^४

द्वितीय प्रलम्बसूत्र के व्याख्यान में निम्न विषयों का समावेश किया गया है निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए टूटे हुए ताल प्रलम्ब के ग्रहण से सम्बन्ध रखनेवाले अपवाद, निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के देशान्तर गमन के कारण और उसकी विधि, रोग और आतक का भेद, रुग्णावस्था के लिए विधि विधान, वैद्य और उनके आठ प्रकार।^५

शेष प्रलम्बसूत्रों का विवेचन निम्न विषयों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पक्कतालप्रलम्बग्रहण विषयक निषेध, 'पक्क' पद के निक्षेप, 'भिन्न' और 'अभिन्न' पदों की व्याख्या, तद्विषयक षड्भगी, तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, अविधिभिन्न और विधिभिन्न तालप्रलम्ब, तत्सम्बन्धी गुण, दोष और प्रायश्चित्त, दुष्काल आदि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के एक दूसरे के अवगृहीत क्षेत्र में रहने की विधि, तत्सम्बन्धी १४४ भग और तद्विषयक प्रायश्चित्त।^६

मासकल्पप्रकृतसूत्र :

मासकल्पविषयक विवेचन प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम आचार्य ने प्रलम्ब प्रकृत और मासकल्पप्रकृत के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण किया है। प्रथम सूत्र की

१ गा० ८१०

२. गा० ८६३-९२३.

३ गा० ९२४-९५०

४. गा० ९५१-१०००

५ गा० १००१-१०३३.

६. गा० १०३४-१०८५

विस्तृत व्याख्या के लिए ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आर, ट्रोणमुख, निगम, राजधानी, भाश्रम, निवेश, सबाध, घोष, अशिका, पुटभेडन, शकर आदि पदों का विवेचन किया है।^१ ग्राम का नामग्राम, स्थापनाग्राम, द्रव्यग्राम, भूतग्राम, आतोद्यग्राम, इन्द्रियग्राम, पितृग्राम, मातृग्राम और भावग्राम— इन नौ प्रकार के निक्षेपों से विचार किया गया है। द्रव्यग्राम चारह प्रकार का होता है १. उत्तानकमल्लक, २ अवाङ्मुखलमल्लक, ३ सपुटकमल्लक, ४ उता नकखडमल्लक, ५ अवाङ्मुखखडमल्लक, ६ सम्पुटराडमल्लक, ७. भित्ति, ८. पडालि, ९ चलभी, १०. अक्षाटक, ११. रुचक, १२. कावयपक।^१

‘मास’ पद का विविध निक्षेपों से व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने नक्षत्रमास, चन्द्रमास, ऋतुमास, आदित्यमास और अभिवर्धितमास का स्वरूप बताया है। इसके बाद मासकल्पविहारियों का स्वरूप बताते हुए जिनकल्पिक, स्थविरकल्पिक आदि के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है।

जिनकल्पिक :

जिनकल्पिक की टीक्षा की दृष्टि से धर्म, धर्मोपदेशक और धर्मापदेश के योग्य भवसिद्धिकादि जीवों का स्वरूप बताते हुए धर्मोपदेश की विधि और उससे दोषों का निरूपण किया गया है। जिनकल्पिक की शिक्षा का वर्णन करते हुए शास्त्राभ्यास से होने वाले आत्महित, परिज्ञा, भावसवर, सवेग, निष्कम्पता, तप, निर्जरा, परदेशकत्व आदि गुणों की ओर सचेत किया गया है।^२ जिनकल्पिक कत्र हो ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जिनकल्पिक जिन अर्थात् तीर्थंकर के समय में अथवा गणधर आदि केवलियों के समय में हो।^३ इस प्रसंग का विशेष विस्तार करते हुए आचार्य ने तीर्थंकर के समयसरण (धर्मसभा) का वर्णन किया है। इस वर्णन में निम्न विषयों का परिचय दिया गया है वैमानिक, ज्योतिष्क, मयनपति, व्यतर आदि देव एक साथ एकत्रित हुए हों उस समय समयसरण की भूमि साफ करना, सुगन्धित पानी, पुष्प आदि की वर्षा बरसाना, समयसरण के प्राकार, द्वार, पताका, ध्वज, तोरण, चित्र, चैत्यवृक्ष, पीठिका, देवच्छदक, आसन, छत्र, चामर आदि की रचना और व्युत्पत्त्या, इन्द्र आदि मूर्द्धिक देवों का अबेले ही समयसरण की रचना करना, समयसरण में तीर्थंकरों का किस समय किस दिशा से किस प्रकार प्रवेश होना है,

१ गा० १०८८-१०९३

२ गा० १०९४-११११

३ गा० ११४३-११०१

४ गा० ११००

वे किस दिशा में मुख रख कर उपदेश देते हैं, प्रमुख गणधर कहाँ बैठता है, अन्य दिशाओं में तीर्थंकरों के प्रतिबिम्ब कैसे होते हैं, गणधर, केवली, साधु, साध्वियाँ, देव, देवियाँ, पुरुष, स्त्रियाँ आदि समवसरण में कहाँ बैठने हैं अथवा खड़े रहते हैं, समवसरण में एकत्रित देव, मनुष्य, तिर्यच आदि की मर्यादाएँ और पारस्परिक ईर्ष्या आदि का त्याग, तीर्थंकर की अमोघ देशना, घर्मापदेश के प्रारम्भ में तीर्थंकरों द्वारा तीर्थ को नमस्कार और उसके कारण, समवसरण में श्रमणों के आगमन की दूरी, तीर्थंकर, गणधर, आहारकशरीरी, अनुत्तरदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि की रूप, सहनन, सस्थान, वर्ण, गति, सत्त्व, उच्छ्वास आदि शुभाशुभ प्रकृतियों, तीर्थंकर के रूप की सर्वोत्कृष्टता का कारण, श्रोताओं के सग्यों का समाधान, तीर्थंकर की एकरूप भाषा का विभिन्न भाषा भाषी श्रोताओं के लिए विभिन्न रूपों में परिणमन, तीर्थंकर के आगमन से सम्बन्धित समाचारों को बताने वाले को चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि की ओर से दिया जाने वाला प्रीतिदान, देवमात्य, देवमात्यानयन, गणधरोपदेश और उससे होनेवाला लाभ इत्यादि ।^१ जिनकल्पिक की शास्त्रार्थविषयक शिक्षा की ओर निर्देश करते हुए भाष्यकार ने सज्ञासूत्र, स्वसमयसूत्र, परसमयसूत्र, उत्सर्गसूत्र, अपवादसूत्र, हीनाक्षरसूत्र, अधिकाक्षरसूत्र, जिनकल्पिकसूत्र, स्थविरकल्पिकसूत्र, आर्यासूत्र, कालसूत्र, वचनसूत्र आदि सूत्रों के विविध प्रकारों की ओर संकेत किया है ।^२ इसके बाद जिनकल्पिक के अनियतवास, निष्पत्ति, उपसम्पदा, विहार, भावनाओं आदि पर प्रकाश डाला है । भावनाएँ दो प्रकार की हैं अप्रशस्त और प्रशस्त । अप्रशस्त भावनाएँ पाँच हैं कान्दर्पी भावना, ट्रेण्डिलिप्रथिनी भावना, आभियोगी भावना, आसुरी भावना और साम्मोही भावना । इसी प्रकार पाँच प्रशस्त भावनाएँ हैं तपोभावना, सत्त्वभावना, सूत्रभावना, एकत्वभावना और बलभावना ।^३ जिनकल्प ग्रहण करने की विधि, जिनकल्प ग्रहण करने वाले आचार्य द्वारा कल्प ग्रहण करते समय गच्छपालन के लिए नवीन आचार्य की स्थापना, गच्छ और नये आचार्य के लिए सूचनाएँ, गच्छ, सत्त्व आदि से क्षमापना—इन सभी बातों का संक्षिप्त वर्णन करने के बाद जिनकल्पिक की सामाचारी पर प्रकाश डाला गया है ।^४ निम्न लिखित २७ द्वारों से इस सामाचारी का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है १ श्रुत, २ सहनन, ३ उपसर्ग, ४ आतक, ५ वेदना, ६ कतिजन, ७ स्थण्डिल, ८ वसति, ९ क्रियच्चिर, १० उच्चार,

१ गा० ११७६-१२१७ २ गा० १२१९-१२२२ ३ गा० १२२३-१२५७. ४ गा० १३६६-१३८१

११ प्रसन्नवर्ण, १२ अवकाश, १३. तृणफलक, १४ सरक्षणता, १५ सस्यापनता, १६ प्राभृतिका, १७ अग्नि, १८ दीप, १९ अवधान, २०. वत्स्यथ (कतिजन), २१. भिक्षाचर्या, २२ पानक, २३ लेपालेप, २४ अलेप, २५ आचाम्ब, २६ प्रतिमा, २७ मासकल्प ।^१ जिनकल्पिक की स्थिति का विचार करते हुए आचार्य ने निम्न द्वारों का आधार लिया है : क्षेत्र, काल, चारित्र, तीर्थ, पर्याय, आगम, वेद, कल्प, ऋग, लक्ष्या, ध्यान, गणना, अभिग्रह, प्रव्राजना, मुण्डापना, प्रायश्चित्त, कारण, निष्प्रतिकर्म और भक्त ।^१ इसके बाद भाष्यकार परिहारविशुद्धिक और यथालन्दिक कल्प का स्वरूप बताते हैं तथा गच्छवासियों—स्थविरकल्पिकों की मासकल्पविषयक विधि का वर्णन प्रारम्भ करते हैं ।

स्थविरकल्पिक :

स्थविरकल्पिकों के लिए प्रव्रज्या, शिक्षा, अर्थग्रहण, अनियतवास और निष्पत्ति का वर्णन जिनकल्पिकों के ही समान समझ लेना चाहिए । विहार के लिए निम्न बातों का विचार किया गया है : विहार का समय और मर्यादा, विहार करने के लिए गच्छ के निवास और निर्वाहयोग्य क्षेत्र की जाच करने की विधि, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों को भेजने के पहले उसके लिए योग्य सम्मति और सलाह लेने के लिए सम्पूर्ण गच्छ को बुलाने की विधि, उत्सर्ग और अपवाद की दृष्टि से योग्य अयोग्य क्षेत्रप्रत्युपेक्षक, गच्छ के रहनेयोग्य क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए कितने जनों को जाना चाहिए और किस प्रकार जाना चाहिए, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए जाने की विधि और क्षेत्र में परीक्षा करने योग्य बातें, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए जाने वाले क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों द्वारा विहार के मार्ग, मार्ग में स्थण्डिलभूमि, पानी, विभ्रामस्थान, भिक्षा, वसति, और आदि के उपद्रव आदि बातों की जाच, प्रतिलेखना करने योग्य क्षेत्र में प्रवेश करने की विधि, भिक्षाचर्या द्वारा उस क्षेत्र के लोगों की मनोवृत्ति की परीक्षा, भिक्षा, औषध आदि की सुलभता-दुर्लभता, महास्थण्डिल की प्रतिलेखना और उसके गुण दोष, गच्छवासी यथालदिकों के लिए क्षेत्र की परीक्षा, परीक्षित—प्रतिलिखित क्षेत्र की अनुज्ञा की विधि, क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों द्वारा आचार्यादि के समक्ष क्षेत्र के गुण दोष निवेदन करने तथा जाने योग्य क्षेत्र का निर्णय करने की विधि, विहार करने के पूर्व जिसकी वसति में रहे हों उसे पूछने की विधि, अविधि से पूछने पर लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, विहार करने के पूर्व वसति के स्वामी

को विधिपूर्वक उपदेश देते हुए विहार के समय का सूचन, विहार करते समय शुभ दिवस और शुभ शकुन देखने के कारण, शुभ शकुन और अशुभ शकुन, विहार करते समय आचार्य द्वारा वसति के स्वामी को उपदेश, विहार के समय आचार्य, बालसाधु आदि के सामान को किसे किस प्रकार उठाना चाहिए, अननुज्ञात क्षेत्र में निवास करने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, प्रतिलिखित क्षेत्र में प्रवेश और शुभाशुभ शकुनदर्शन, आचार्य द्वारा वसति में प्रवेश करने की विधि, वसति में प्रविष्ट होने के बाद गच्छवासियों की मर्यादाएँ और स्थापना कुलों की व्यवस्था, वसति में प्रवेश करने के बाद झोली-पात्र लिये हुए अमुक साधुओं को साथ लेकर आचार्य आदि का जिनचैत्यवदना के लिए निकलना, झोली-पात्र साथ रखने के कारण, जिनचैत्यों के वन्दन के लिए जाते हुए मार्ग में गृहजिनमदिरो के दर्शनार्थ जाना और दानभद्रालु, धर्मभद्रालु, ईर्ष्यालु, धर्मपराङ्मुख आदि श्राद्धकुलों की पहचान करना, स्थापनाकुल आदि की व्यवस्था, उसके कारण और वीरशुनिका का उदाहरण, चार प्रकार के प्रघूर्णक साधु, स्थापना कुलों में जाने की विधि, एक दो दिन छोड़ कर स्थापनाकुलों में नहीं जाने से लगने वाले दोष, स्थापनाकुलों में जाने योग्य अथवा भेजने योग्य वैयावृत्यकर और उनके गुण दोष, वैयावृत्य करने वाले के गुणों की परीक्षा करने के कारण, श्रावकों को गोचरचर्या के दोष समझाने से होनेवाले लाभ और इसके लिए लुब्धक का दृष्टान्त, स्थापनाकुलों में से विधिपूर्वक उचित द्रव्यों का ग्रहण, जिस क्षेत्र में एक ही गच्छ ठहरा हुआ हो उस क्षेत्र की दृष्टि से स्थापनाकुलों में से भिक्षा ग्रहण करने की सामाचारी, जिस क्षेत्र में दो तीन गच्छ एक वसति में अथवा भिन्न भिन्न वसतियों में ठहरे हुए हों उस क्षेत्र की दृष्टि से भिक्षा लेने की सामाचारी इत्यादि।^१ इसी प्रकार स्थविरकल्पिकों की सामान्य सामाचारी, स्थिति आदि का वर्णन किया गया है।^२

गच्छवासियों—स्थविरकल्पिकों की विशेष सामाचारी का भी भाष्यकार ने विस्तृत वर्णन किया है।^३ इस वर्णन में निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है —

१ प्रतिलेखनाद्वार—वज्रादि की प्रतिलेखना का काल, प्राभातिक प्रतिलेखना के समय से सम्बन्धित विविध आदेश, प्रतिलेखना के दोष और प्रायश्चित्त, प्रतिलेखना में अपवाद।

१ गा० १४४७-१६२२

२ गा० १६२३-१६५५.

३ गा० १६५६-२०३३.

२ निष्क्रमणद्वार—गच्छवासी आदि को उपाश्रय से बाहर कब और कितनी बार निकलना चाहिए ?

३ प्राभृतिकाद्वार—पूक्ष्म और वादर प्राभृतिका का वर्णन, गृहस्यादि के लिए तैयार किये गए घर, वसति आदि में रहने और न रहने सम्बन्धी विधि और प्रायश्चित्त ।

४. भिक्षाद्वार—किस एषणा से पिण्ड आदि का ग्रहण करना चाहिए, कितनी बार और किस समय भिक्षा के लिए जाना चाहिए, मिलकर भिक्षा के लिए जाना, अकेले भिक्षा के लिए जाने के कल्पित कारण और तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, भिक्षा के लिए उपकरण आदि की व्यवस्था ।

५ कल्पकरणद्वार—पात्र धोने की विधि, लेपकृत और अलेपकृत द्रव्य, पात्र लेप से होनेवाले लाभ और तद्विषयक एक भ्रमण का दृष्टान्त, पात्र धोने के कारण और तद्विषयक प्रश्नोत्तर ।

६ गच्छशक्तिकादिद्वार—सात प्रकार की सौवीरिणियाँ १ आघाकर्मिक, २ स्वगृह्यतिमिभ्र, ३ स्वगृहपाषण्डमिभ्र, ४ यावदर्थिकमिभ्र, ५ क्रीतकृत, ६ पूतिकर्मिक, ७ आत्मार्थकृत, इनके अवातर भेद प्रभेद और एतद्विषयक विशोधि-अविशोधि कोटियाँ ।

७ अनुयानद्वार—तीर्थङ्कर आदि के समय जत्र सैकड़ों गच्छ एक साथ रहते हों तत्र आघाकर्मिकादि पिण्ड से वचना कैसे समभव है—इस प्रकार की शिष्य की शका और उसका समाधान तथा प्रसंगवशात् अनुयान अर्थात् रथयात्रा का वर्णन, रथयात्रा देखने जाते समय मार्ग में लगनेवाले दोष, वहाँ पहुँच जाने पर लगनेवाले दोष, साधर्मिक चैत्य, मग्नचैत्य, शाश्वन चैत्य और भक्तिचैत्य, रथयात्रा के मेले में जानेवाले साधु को लगनेवाला आघाकर्मिक दोष, उद्दम टोप, नवदीक्षित का भ्रष्ट होना, स्त्री, नाटक आदि देखने से लगनेवाले दोष, स्त्री आदि के स्पर्श से लगनेवाले दोष, मंदिर आदि स्थानों में लगे हुए जाले, नीड़, छत्ते आदि को गिराने के लिए कहने न कहने से लगनेवाले दोष, पार्श्वस्थ आदि के क्षुल्लक शिष्यों को अलंकारविभूषित देखकर क्षुल्लक भ्रमण पतित हो जाँ अथवा पार्श्वस्थ साधुओं के पारस्परिक कलहों को निपटाने का कार्य करना पड़े उससे लगनेवाले दोष, रथयात्रा के मेले में साधुओं को जाने के विशेष कारण—चैत्यपूजा, राजा और भ्रावक का विशेष निमन्त्रण, वादी की पराजय, तप और धर्म का माहात्म्य वर्धन, धर्मकथा और व्याख्यान, शक्ति व्ययवा विस्मृत सूत्रार्थ का

सप्रीकरण, गच्छ के आधारभूत योग्य शिष्य आदि की तलाश, तीर्थ प्रभावना, आचार्य, उपाध्याय, राज्योपद्रव आदि सम्बन्धी समाचार की प्राप्ति, कुल गण सत्र आदि का कार्य, धर्म-रक्षा तथा इसी प्रकार के अन्य महत्त्व के कारण—रथयात्रा के मेले में रखने योग्य यतनाएँ, चैत्यपूजा, राजा आदि की प्रार्थना आदि कारणों से रथयात्रा के मेले में जानेवाले माधुओं को उपाश्रय आदि की प्रतिलेखना किस प्रकार करनी चाहिए, भिक्षाचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, छी, नाटक आदि के दर्शन का प्रसंग उपस्थित होने पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मंदिर में जाले, नीड़ आदि होने पर किस प्रकार यतना रखनी चाहिए, क्षुत्क शिष्य भ्रष्ट न होने पाएँ तथा पार्श्वस्थ साधुओं के विवाद किस प्रकार निपट जाएँ इत्यादि ।

८ पुरःकर्मद्वार—पुर कर्म का अर्थ है भिक्षादान के पूर्व शीतल जल से टाटा द्वारा स्वहस्त आदि का प्रक्षालन । इस द्वार की चर्चा करते समय निम्न दृष्टियों से विचार किया गया है पुरःकर्म क्या है, पुर कर्म दोष किसे लगता है, कब लगता है, पुरःकर्म किसलिए किया जाता है, पुर कर्म और उदकार्द्रोप में अन्तर (उदकार्द्र और पुर कर्म में अप्काय का समारभ तुल्य होते हुए भी उदकार्द्र सूख जाने पर तो भिक्षा आदि का ग्रहण होता है किन्तु पुर कर्म के सूख जाने पर भी ग्रहण का निषेध है), पुर कर्मसम्बन्धी प्रायश्चित्त, पुर कर्मविषयक अविधि निषेध और विधिनिषेध, सात प्रकार के अविधिनिषेध, आठ प्रकार के विधिनिषेध, पुरःकर्मविषयक ब्रह्महत्या का दृष्टान्त ।

९ ग्लानद्वार—ग्लान—दृग्ण साधु के समाचार मिलते ही उसका पता लगाने के लिए जाना चाहिए, वहाँ उसकी सेवा करने वाला कोई है कि नहीं—इसकी जाँच करनी चाहिए, जाँच न करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, ग्लान साधु की श्रद्धा से सेवा करने वाले के लिए सेवा के प्रकार, ग्लान साधु की सेवा के लिए किसी की विनती या आज्ञा की अपेक्षा रखने वाले के लिए प्रायश्चित्त और तद्विषयक महर्द्धिक राजा का उदाहरण, ग्लान की सेवा करने में अशक्ति का प्रदर्शन करने वाले को शिक्षा, ग्लान साधु की सेवा के लिए जाने में दुःख का अनुभव करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, उदगम आदि दोषों का बहाना करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, ग्लान साधु की सेवा के बहाने से शहस्यों के यहाँ से उरवृष्ट पदार्थ, वस्त्र, पात्र आदि लाने वाले तथा क्षेत्रातिक्रान्त, कालातिक्रान्त आदि दोषों का सेवन करने वाले लोभी साधु को लगाने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, ग्लान साधु के लिए पथ्यापथ्य किस प्रकार लाना चाहिए, कहाँ से लाना

चाहिए, कहीं रखना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए गवेषणा किस प्रकार करनी चाहिए, ग्लान साधु के विशोषणसाध्य रोग के लिए उपवास की चिकित्सा, आठ प्रकार के वैद्य (१ सविग्ग, २ असविग्ग, ३ लिंगी, ४ भ्रावक, ५ सञ्जी, ६ अनभिगृहीत असञ्जी (मिथ्या-दृष्टि), ७ अभिगृहीत असञ्जी, ८ परतीर्थिक), इनके क्रमभंग से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, वैत्र के पास जाने की विधि, वैत्र के पास ग्लान साधु को ले जाना या ग्लान साधु के पास वैद्य को लाना, वैत्र के पास कैसा साधु जाए, कितने साधु जाएँ, उनके वस्त्र आदि कैसे हों, जाते समय कैसे शकुन देखे जाएँ, वैद्य के पास जाने वाले साधु को किस काम में व्यस्त होने पर वैद्य से रोगी साधु के विषय में बातचीत करनी चाहिए, किस काम में व्यस्त होने पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, वैद्य के घर आने के लिए भ्रावकों को सकेत, वैद्य के पास जाकर रुग्ण साधु के स्वास्थ्य के समाचार कहने का क्रम, ग्लान साधु के लिए वैद्य का सकेत, वैद्य द्वारा बताये गए पथ्यापथ्य लभ्य हैं कि नहीं इसका विचार और लभ्य न होने पर वैद्य से प्रश्न, ग्लान साधु के लिए वैद्य का उपाश्रय में आना, उपाश्रय में आये हुए वैद्य के साथ व्यवहार करने की विधि, वैद्य के उपाश्रय में आने पर आचार्य आदि के उठने, वैद्य को आसन देने और रोगी को दिखाने की विधि, अविधि से उठने आदि में दोष और उनका प्रायश्चित्त, औषध आदि के प्रवध के विषय में भद्रक वैद्य का प्रश्न, धर्मभावनारहित वैद्य के लिए भोजनादि तथा औषधादि के मूल्य की व्यवस्था, बाहर से वैद्य को बुलाने एवं उसके खानपान की व्यवस्था करने की विधि, रोगी साधु और वैद्य की सेवा करने के कारण, रोगी तथा उसकी सेवा करने वाले को अपवाद सेवन के लिए प्रायश्चित्त, ग्लान साधु के स्थानान्तर के कारण तथा एक-दूसरे समुदाय के ग्लान साधु की सेवा के लिए परिवर्तन, ग्लान साधु की उपेक्षा करने वाले साधुओं को सेवा करने की शिक्षा नहीं देने वाले आचार्य के लिए प्रायश्चित्त, निर्दयता से रुग्ण साधु को उपाश्रय, गली आदि स्थानों में छोड़कर चले जाने वाले आचार्य को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, एक गच्छ रुग्ण साधु की सेवा कितने समय तक करे और बाद में उस साधु को किसे सौंपे, किन विशेष कारणों से किस प्रकार के विवेक के साथ किस प्रकार के ग्लान साधु को छोड़ा जा सकता है तथा इससे होने वाला लाभ इत्यादि ।

१० गच्छप्रतिबद्धयथालदिकद्वार—इस द्वार में वाचना आदि के कारण गच्छ के साथ सम्बन्ध रखने वाले यथालदिककल्पधारियों के वन्दनादि व्यवहार तथा नासकल्प की मर्यादा का वर्णन किया गया है ।

११ उपरिदोषद्वार—इसमें वर्षाश्रुत से अतिरिक्त समय में एक क्षेत्र में एक मास से अधिक रहने से लगने वाले दोषों का वर्णन किया गया है।

१२ अपवादद्वार—यह अन्तिम द्वार है। इसमें एक क्षेत्र में एक मास से अधिक रहने के आपवादिक कारण तथा उस क्षेत्र में रहने एवं भिक्षाचर्या करने की विधि पर प्रकाश डाला गया है।

मासकल्पविषयक द्वितीय सूत्र का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि यदि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के अन्दर और बाहर इन दो विभागों में बसे हुए हों तो अन्दर और बाहर मिलाकर एक क्षेत्र में दो मास तक रहा जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम, नगरादि के बाहर दूसरा मासकल्प करते समय तृण, फलक आदि ले जाने की विधि की चर्चा की गई है तथा अविधि से ले जाने पर लगने वाले दोषों और प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया है।

निर्ग्रन्थियाँ—साध्वियाँ :

मासकल्पविषयक तृतीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने निर्ग्रन्थी-विषयक विशेष विधि निषेध की चर्चा की है।^१ इस चर्चा में निम्न विषयों का समावेश किया गया है। निर्ग्रन्थी के मासकल्प की मर्यादा, विहार का वर्णन, निर्ग्रन्थियों के समुदाय का गणधर और उसके गुण, गणधर द्वारा क्षेत्र की प्रतिलेखना, स्वयं निर्ग्रन्थी द्वारा अपने रहने योग्य क्षेत्र की प्रतिलेखना करने का निषेध तथा भद्वौच में बौद्ध श्रावकों द्वारा किये गए साध्वियों के अपहरण का वर्णन, साध्वियों के रहने योग्य क्षेत्र के गुण, साध्वियों के रहने योग्य वसति—उपाश्रय और उसका स्वामी, साध्वियों के योग्य स्थण्डिलभूमि, साध्वियों को उनके रहने योग्य क्षेत्र में ले जाने की विधि, वारकद्वार, भक्तार्यनाविधिद्वार, विधर्मा आदि की ओर से होने वाले उपद्रवों से बचाव, भिक्षा के लिए जाने वाली साध्वियों की संख्या, समूहरूप से भिक्षाचर्या के लिए जाने के कारण और यन्नाएँ, साध्वियों के ऋतुबद्ध काल के अतिरिक्त एक क्षेत्र में दो महीने तक रह सकने के कारण।

मासकल्पविषयक चतुर्थ सूत्र का विवेचन करते हुए यह बताया गया है कि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के भीतर और बाहर बसे हुए हों तो भीतर और बाहर मिलाकर एक क्षेत्र में चार मास तक साध्वियाँ रह सकती हैं। इससे अधिक

रहने पर कुछ दोष लगते हैं जिनका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। आपवादिक कारणों से अधिक समय तक रहने की अवस्था में विशेष प्रकार की यतनाओं का सेवन करना चाहिए।^१

स्थविरकल्प और जिनकल्प इन दोनों में कौन प्रधान है? निष्पादक और निष्पन्न इन दो दृष्टियों से दोनों ही प्रधान हैं। स्थविरकल्पसूत्रार्थग्रहण आदि दृष्टियों से जिनकल्प का निष्पादक है, जबकि जिनकल्प ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि दृष्टियों से निष्पन्न है। इस प्रकार दोनों ही महत्त्वपूर्ण अवस्थाएँ होने के कारण प्रधान-महर्द्धिक हैं। इस दृष्टिकोण को विशेष स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने गुहासिंह, दो स्त्रियों और दो गोवर्गों के दृष्टान्त दिए हैं।^२

वगडाप्रकृतसूत्र :

वगडा का अर्थ है परिक्षेप—कोट—परिखा—प्राचीर—चहारदीवारी। एक परिक्षेप और एक द्वार वाले ग्राम, नगर आदि में निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने एतत्सम्बन्धी दोषों, प्रायश्चित्तों आदि पर प्रकाश डाला है। इस विवेचन में निम्न बातों का समावेश किया गया है एक परिक्षेप और एक द्वार वाले क्षेत्र में निर्ग्रन्थ अथवा निर्ग्रन्थियों के एक समुदाय के रहते हुए दूसरे समुदाय के आकर रहने पर उसके आचार्य, प्रवर्तिनी आदि को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए भेजे गए भ्रमणों की प्रेरणा से साध्वियों द्वारा अवग्रहीत क्षेत्र को दबाने का विचार करने वाले तथा उस क्षेत्र में जाने का निर्णय करने वाले आचार्य, उपाध्याय आदि के लिए प्रायश्चित्त, वेदोदय आदि दोषों का अग्नि, योद्धा और गारुडिक के दृष्टान्तों द्वारा समर्थन, भ्रमण और भ्रमणियां भिन्न भिन्न उपाश्रय में रहते हुए एक-दूसरे के सहवास से दूर रह सकते हैं किन्तु ग्राम आदि में रहने वाले भ्रमणों के लिए गृहस्थ स्त्रियों का सहवास तो अनिवार्य है, ऐसी दशा में भ्रमणों के लिए वनवास ही श्रेष्ठ है—इस प्रकार की शका का समाधान, भ्रमणियों के सहवास वाले ग्राम आदि के त्याग के कारण, एक वगडा और एक द्वार वाले क्षेत्र में रहने वाले साधु साध्वियों को विचारभूमि—स्थंडिलभूमि, भिक्षाचर्या, विहारभूमि, चैत्यवन्दन आदि कारणों से लगने वाले दोष और उनके लिए प्रायश्चित्त, एक वगडा आदि वाले जिस क्षेत्र में भ्रमणियाँ रहती हों वहाँ रहने वाले भ्रमणों से कुलस्थविरों द्वारा रहने के कारणों की पूछताछ, कारणवशात् एक क्षेत्र में रहने वाले भ्रमण-भ्रमणियों के लिए विचारभूमि,

भिक्षाचर्या आदि विषयक व्यवस्था, भिन्न-भिन्न समुदाय के भ्रमण अथवा भ्रमणियों एक क्षेत्र में एक साथ रहे हुए हों और उनमें परस्पर कलह होता हो तो उसकी शांति के लिए आचार्य, प्रवर्तिनी आदि द्वारा किए जाने वाले उपाय, न करने वाले को लगने वाले कलकादि दोष और उनका प्रायश्चित्त ।^१

साधु साध्वियों को एक बगडा और अनेक द्वार वाले स्थान में एक साथ रहने से जो दोष लगते हैं उनका निम्न द्वारों से विचार किया गया है : १. एक शाखिकाद्वार—एक कतार में बने हुए बाड़ के अन्तर वाले घरों में साथ रहने वाले साधु साध्वियों को परस्पर वार्तालाप, प्रश्नोत्तर आदि के कारण लगने वाले दोष, २ सप्रतिमुखद्वारद्वार—एक दूसरे के द्वार के सामने वाले घर में रहने से लगने वाले दोष, ३. पार्श्वमार्गद्वार—एक दूसरे के पास के अथवा पीछे के दरवाजे वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष, ४. उच्चनीचद्वार—भ्रमण भ्रमणियों की एक दूसरे पर दृष्टि पड़नेवाले उपाश्रय में रहने से लगनेवाले दोष और तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, दृष्टि दोष से उत्पन्न होनेवाले दस प्रकार के कामविकार के आवेग • १. चिन्ता, २. दर्शनेच्छा, ३. दीर्घ निश्वास, ४ उ्वर, ५ दाह, ६. भक्तारुचि, ७ मूर्च्छा, ८ उन्माद, ९. निश्चेष्टा और १०. मरण, ५ धर्म-कथाद्वार—जहाँ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ एक-दूसरे के पास में रहते हों वहाँ रात्रि के समय धर्मकथा, स्वाध्याय आदि करने की विधि, दुर्मिक्ष आदि कारणों से अकस्मात् एकबगडा अनेकद्वार वाले ग्रामादि में एक साथ आने का अवसर उपस्थित होने पर उपाश्रय आदि की प्राप्ति का प्रयत्न तथा योग्य उपाश्रय के अभाव में एक-दूसरे के उपाश्रय के समीप रहने का प्रसंग आने पर एक दूसरे के व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली यतनाएँ ।^१

अनेकबगडा-एकद्वार वाले ग्राम, नगर आदि में साधु-साध्वियों को साथ रहने से लगने वाले दोषों की ओर निर्देश करते हुए कुसुमल वल्ल की रक्षा के लिए नग्न होने वाले अगारी, अश्व, फुम्फुक और पेशी के उदाहरण दिये गये हैं ।^२

द्वितीय बगडासूत्र की व्याख्या करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि भ्रमण भ्रमणियों को अनेकबगडा-अनेकद्वार वाले ग्राम, नगर आदि में रहना चाहिए । जिस ग्राम आदि में भ्रमण और भ्रमणियों की

१. गा० २१२५-२२३१

२. गा० २२३२-२२७७

३. गा० २२७८-२२८७.

मिश्रभूमि, स्थंडिलभूमि, विहारभूमि आदि भिन्न-भिन्न हों वहीं उन्हें रहना चाहिए ।^१

आपणगृहादिप्रकृतसूत्र :

आपणगृह, रम्यामुख, शृङ्गाटक, चतुष्क, चत्वर, अतरापण आदि पदों की व्याख्या करते हुए आचार्य ने इन स्थानों पर बने हुए उपाश्रय में रहने वाली श्रमणियों को लगने वाले दोषों और प्रायश्चित्तों का वर्णन किया है । सार्वजनिक स्थानों में बने हुए उपाश्रयों में रहने वाली श्रमणियों के मन में युवक, वेदयाँ, वरघोड़े, राजा आदि अलकृत व्यक्तियों को देखने से अनेक दोषों का उद्भव होता है । इस प्रकार आम रास्ते पर रहने वाली साध्वियों को देख कर लोगों के मन में अनेक प्रकार के अवर्णवादादि दोष उत्पन्न होते हैं । यदि किसी कारण से इस प्रकार के उपाश्रय में रहना ही पड़े तो उसके लिये आचार्य ने विविध यतनाओं का विधान भी किया है ।^२

अपावृतद्वारोपाश्रयप्रकृतसूत्र :

श्रमणियों को बिना द्वार के खुले उपाश्रय में नहीं रहना चाहिए । कदाचित् द्वारयुक्त उपाश्रय अप्राप्य हो तो खुले उपाश्रय में परदा बाँध कर रहना चाहिए । इस सूत्र की व्याख्या में निम्न बातों का समावेश किया गया है निर्रन्धीविषयक अपावृतद्वारोपाश्रय सूत्र आचार्य यदि प्रवर्तिनी को न समझावे, प्रवर्तिनी यदि अपनी साध्वियों को न सुनावे, साध्वियों यदि उसे न सुनें तो उन्हें लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, बिना दरवाजे के उपाश्रय में रहने वाली प्रवर्तिनी, गणा-बच्छेदिनी, अभिषेका और श्रमणियों को लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, आप-वादिक रूप से बिना द्वार के उपाश्रय में रहने की विधि, इस प्रकार के उपाश्रय में द्विदलकटादि बाँधने की विधि, द्वारपालिका श्रमणी और उसके गुण, गणिनी, द्वार-पालिका—प्रतिहारसाध्वी एवं अन्य साध्वियों के निवास स्थान का निर्देश, प्रक्षण—पेशाब आदि के लिये बाहर जाने-आने में विलम्ब करने वाली श्रमणियों को फटकारने की विधि, श्रमणी के बजाय कोई अन्य व्यक्ति उपाश्रय में न घुस जाए इसके लिए उसकी परीक्षा करने की विधि, प्रतिहारसाध्वी द्वारा उपाश्रय के द्वार की रक्षा, शयनसम्बन्धी यतनाएँ, रात्रि के समय कोई मनुष्य उपाश्रय में घुस जाए तो उसे बाहर निकालने की विधि, विहार-आदि के समय मार्ग में आने वाले गौँवों में सुरक्षित द्वार वाला उपाश्रय न मिले तथा कोई अनपेक्षित भयप्रद घटना

घट जाए तो तरुण और वृद्ध साधियों को किम प्रकार उसका सामना करना चाहिए इसका निर्देश ।^१

साधु बिना दरवाजे के उपाश्रय में रह सकते हैं । उन्हें उत्तमरूप से उपाश्रय का द्वार बन्द नहीं करना चाहिए किन्तु अपवादरूप से वैसा किया जा सकता है । अपवादरूप कारणों के विद्यमान रहते हुए द्वार बन्द न करने पर प्रायश्चित्त का विधान है ।^२

घटीमात्रकप्रकृतसूत्र :

श्रमणियों के लिए घटीमात्रक—घड़ा रखना व उसका उपयोग करना विहित है किन्तु श्रमणों के लिए घटीमात्रक रखना अथवा उसका उपयोग करना निषिद्ध है । निष्कारण घटीमात्रक रखने से साधुओं को दोष लगते है । हाँ, अपवादरूप में उनके लिए घटीमात्रक रखना वर्जित नहीं है । श्रमण-श्रमणियों विशेष कारणों से घटीमात्रक रखते हैं व उसका प्रयोग करते हैं । घटीमात्रक पास न होने की अवस्था में उन्हें विविध यतनाओं का सेवन करना पड़ता है ।^३

चिलिमिलिकाप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों बल्ल की चिलिमिलिका—परदा रख सकते हैं व उसका प्रयोग कर सकते हैं । चिलिमिलिका का स्वरूप वर्णन करने के लिए भाष्यकार ने निम्न द्वागों का आश्रय लिया है : १ भेदद्वार, २. प्ररूपणाद्वार—सूत्रमयी, रज्जुमयी, वल्कलमयी, दण्डकमयी और कटकमयी चिलिमिलिका, ३. द्विविधप्रमाणद्वार, ४ उपभोगद्वार ।^४

दकतीरप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए जलाशय, नदी आदि पानी के स्थानों के पास अथवा किनारे खड़ा रहना, बैठना, सोना, खाना पीना, स्वाध्याय-ध्यान-कायोत्सर्ग आदि करना निषिद्ध है । इसके प्रतिपादन के लिए निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है . दकतीर की सीमा, पानी के किनारे खड़े रहने, बैठने आदि से लगनेवाले अधिकरण, आदि दोष, अधिकरणदोष का स्वरूप, जलाशय आदि के पास श्रमण श्रमणियों को देल कर स्त्री, पुरुष, पशु, आदि की ओर से उत्पन्न होने वाले अधिकरण दोष का स्वरूप, पानी के पास खड़े रहने आदि दस स्थानों से सम्बन्धित सामान्य प्रायश्चित्त, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला और प्रचला-

१ गा० २३२६-२३५२

२ गा० २३५३-२३६१.

३ गा० २३६२-२३७०

४ गा० २३७१-२३८२

प्रचला का, स्वरूप, सपातिम और असपातिम जल के किनारे बैठने आदि दस स्थानों का सेवन करने वाले आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु, स्थविर और क्षुल्लक—इन पाँच प्रकार के श्रमणों तथा प्रवर्तिनी, अभिषेका, भिक्षुणी, स्थविरा और क्षुल्लिका—इन पाँच प्रकार की श्रमणियों की दृष्टि से प्रायश्चित्त के विविध आदेश, असपातिम और सपातिम का स्वरूप (जलज मत्स्य-मण्डूकादि असपातिम हैं । उनसे युक्त जल के किनारे को असपातिम दकतीर कहते हैं । शेष प्राणी सपातिम हैं । उनसे युक्त तीर को सपातिम दकतीर कहते हैं । अथवा, केवल पक्षी सपातिम हैं और तद्भिन्न शेष प्राणी असपातिम हैं । उनसे युक्त जलतीर क्रमशः सपातिम और असपातिम हैं ।), यूपक—जलमध्यवर्ती तट का स्वरूप और तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, जल के किनारे आतापना लेने से लगनेवाले दोष, दकतीरद्वार, यूपकद्वार और आतापनाद्वार सम्बन्धी अपवाद और यतनाएँ ।^१

चित्रकर्मप्रकृतसूत्र :

साधु-साध्वियों को चित्रकर्मवाले उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए । इस विषय का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निर्दोष और सदोष चित्रकर्म का स्वरूप, आचार्य, उपाध्याय आदि की दृष्टि से चित्रकर्म वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहने से लगने वाले विकथा, स्वाध्याय-ज्याघात आदि दोष, आपवादिक रूप से चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहना पड़े तो उसके लिए विविध यतनाएँ आदि बातों का स्पष्टीकरण किया है ।^२

सागारिकनिश्राप्रकृतसूत्र :

श्रमणियों को शय्यातर—वसति के स्वामी की निश्रा (सरक्षण) में ही रहना चाहिए । सागारिक—शय्यातर की निश्रा में न रहने वाली श्रमणियों को विविध दोष लगते हैं । इन दोषों का स्वरूप समझाने के लिए आचार्य ने गवादि पशुवर्ग, अजा, पक्कान, इक्षु, घृत आदि के दृष्टान्त दिए हैं । अपवाद के रूप में सागारिक की निश्रा के अभाव में रहने का अवसर आने पर किस प्रकार के उपाश्रय में रहना चाहिए, इसका दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य ने यह भी बताया है कि योग्य उपाश्रय के अभाव में वृषभों को किस प्रकार श्रमणियों की रक्षा करनी चाहिए और वे वृषभ किस प्रकार के सद्गुणों से युक्त होने चाहिए ।^३

१ गा० २३८३-२४२५

२ गा० २४२६-२४३३

३ गा० २४३४-२४४५

जहाँ तक श्रमणों का प्रश्न है, वे उत्सर्गरूप से सागारिक की निश्रा में नहीं रह सकते किन्तु अपवादरूप से वैसा कर सकते हैं। जो निर्ग्रन्थ बिना किसी विशेष कारण के सागारिक की निश्रा में रहते हैं उन्हें दोष लगता है जिसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है।^१

सागारिकोपाश्रयप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए सागारिक के सम्बन्ध वाले उपाश्रय में रहना वर्जित है। इस विषय पर चर्चा करते हुए भाष्यकार ने निम्नोक्त बातों का विवेचन किया है सागारिक पद का निक्षेप, द्रव्य सागारिक के रूप, आभरण, वस्त्र, अलंकार, भोजन, गन्ध, आतोद्य, नाट्य, नाटक, गीत आदि प्रकार और तत्सम्बन्धी दोष एवं प्रायश्चित्त, भावसागारिक का स्वरूप, अवलम्ब्य के हेतुभूत प्राजापत्य, कौटुम्बिक और दण्डिकपरिगृहीत देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी रूप का स्वरूप तथा उसके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रकार, देवप्रतिमा के विविध प्रकार, देवप्रतिमायुक्त उपाश्रयों में रहने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, देवता के सान्निध्यवाली प्रतिमाओं के प्रकार, मनुष्यप्रतिमा का स्वरूप, प्राजापत्य आदि दृष्टियों से विशेष विवरण, इस प्रकार की प्रतिमायुक्त वसति में ठहरने से लगने वाले दोष तथा तद्विषयक प्रायश्चित्त, तिर्यञ्चप्रतिमा का स्वरूप, भेद, तद्विषयक निवास-दोष और प्रायश्चित्त, मनुष्य के साथ मैथुन का सेवन करने वाले सिंहण का दृष्टान्त, सागारिकोपाश्रयसूत्र सम्बन्धी अपवाद और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, सविकार पुरुष, पुष्यप्रकृति तथा स्त्रीप्रकृति वाले नपुंसक का स्वरूप, इनके मध्यस्थ, आभरणप्रिय, कार्थिक और काथिक भेद, इनके सम्बन्ध वाले उपाश्रयों में रहने से लगने वाले समयविराधनादि दोष और प्रायश्चित्त इत्यादि।^१

प्रतिवद्धशय्याप्रकृतसूत्र :

प्रथम प्रतिवद्धशय्या सूत्र की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है कि जिस उपाश्रय के समीप गृहस्थ रहते हों वहाँ, निर्ग्रन्थों को नहीं रहना चाहिए। इसमें निम्न विषयों का समावेश किया गया है। 'प्रतिवद्ध' पद के निक्षेप, भावप्रतिवद्ध के प्रसवण, स्थान, रूप और शब्द ये चार भेद, द्रव्यप्रतिवद्ध-भाव-प्रतिवद्ध की चतुर्भुगी और तत्सम्बन्धी विधि-निषेध, निर्ग्रन्थों को 'द्रव्यत-प्रतिवद्ध-भागत-अप्रतिवद्ध' रूप प्रथम भग वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले अधिकर-

प्रचला का, स्वरूप, सपातिम और असपातिम जल के किनारे बैठने आदि दस स्थानों का सेवन करने वाले आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु, स्वविरा और क्षुल्लक—इन पाँच प्रकार के भ्रमणों तथा प्रवर्तिनी, अभिषेका, भिक्षुणी, स्वविरा और क्षुल्लिका—इन पाँच प्रकार की भ्रमणियों की दृष्टि से प्रायश्चित्त के विविध आदेश, असपातिम और सपातिम का स्वरूप (जलज मत्स्य-मण्डूकादि असपातिम हैं । उनसे युक्त जल के किनारे को असपातिम दकतीर कहते हैं । शेष प्राणी सपातिम हैं । उनसे युक्त तीर को सपातिम दकतीर कहते हैं । अथवा, केवल पक्षी सपातिम हैं और तद्भिन्न शेष प्राणी असपातिम हैं । उनसे युक्त जलतीर क्रमशः सपातिम और असपातिम हैं ।), यूपक—जलमध्यवर्ती तट का स्वरूप और तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, जल के किनारे आतापना लेने से लगनेवाले दोष, दकतीरद्वार, यूपकद्वार और आतापनाद्वार सम्बन्धी अपवाद और यतनाएँ ।^१

चित्रकर्मप्रकृतसूत्र :

साधु-साध्वियों को चित्रकर्मवाले उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए । इस विषय का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निर्दोष और सदोष चित्रकर्म का स्वरूप, आचार्य, उपाध्याय आदि की दृष्टि से चित्रकर्म वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहने से लगने वाले विकथा, स्वाध्याय-ब्याघात आदि दोष, आपवादिक रूप से चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहना पड़े तो उसके लिए विविध यतनाएँ आदि बातों का स्पष्टीकरण किया है ।^२

सागारिकनिश्राप्रकृतसूत्र :

भ्रमणियों को शय्यातर—वसति के स्वामी की निश्रा (सरक्षण) में ही रहना चाहिए । सागारिक—शय्यातर की निश्रा में न रहने वाली भ्रमणियों को विविध दोष लगते हैं । इन दोषों का स्वरूप समझाने के लिए आचार्य ने गवादि पशुवर्ग, अजा, पक्कान, इक्षु, घृत आदि के दृष्टान्त दिए हैं । अपवाद के रूप में सागारिक की निश्रा के अभाव में रहने का अवसर आने पर किस प्रकार के उपाश्रय में रहना चाहिए, इसका दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य ने यह भी बताया है कि योग्य उपाश्रय के अभाव में वृषभों को किस प्रकार भ्रमणियों की रक्षा करनी चाहिए और वे वृषभ किस प्रकार के सदगुणों से युक्त होने चाहिए ।^३

१ गा० २३८३-२४२५

२ गा० २४२६-२४३३

३ गा० २४३४-२४४५

जहाँ तक श्रमणों का प्रश्न है, वे उत्सर्गरूप से सागारिक की निश्चा में नहीं रह सकते किन्तु अपवादरूप से वैसा कर सकते हैं। जो निर्ग्रन्थ बिना किसी विशेष कारण के सागारिक की निश्चा में रहते हैं उन्हें दोष लगता है जिसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है।^१

सागारिकोपाश्रयप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए सागारिक के सम्बन्ध वाले उपाश्रय में रहना वर्जित है। इस विषय पर चर्चा करते हुए भाष्यकार ने निम्नोक्त बातों का विवेचन किया है सागारिक पद का निक्षेप, द्रव्य सागारिक के रूप, आभरण, चस्त्र, अलङ्कार, भोजन, गन्ध, आतोद्य, नाट्य, नाटक, गीत आदि प्रकार और तत्सम्बन्धी दोष एव प्रायश्चित्त, भावसागारिक का स्वरूप, अब्रह्मचर्य के हेतुभूत प्राजापत्य, कौटुम्बिक और दण्डिकपरिगृहीत देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी रूप का स्वरूप तथा उसके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रकार, देवप्रतिमा के विविध प्रकार, देवप्रतिमायुक्त उपाश्रयों में रहने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, देवता के सान्निध्यवाली प्रतिमाओं के प्रकार, मनुष्यप्रतिमा का स्वरूप, प्राजापत्य आदि दृष्टियों से विशेष विवरण, इस प्रकार की प्रतिमायुक्त वसति में ठहरने से लगने वाले दोष तथा तद्विषयक प्रायश्चित्त, तिर्यञ्चप्रतिमा का स्वरूप, भेद, तद्विषयक निवास-दोष और प्रायश्चित्त, मनुष्य के साथ मैथुन का सेवन करने वाले सिंहण का दृष्टान्त, सागारिकोपाश्रयसूत्र सम्बन्धी अपवाद और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, सविकार पुरुष, पुष्पप्रकृति तथा स्त्रीप्रकृति वाले नपुंसक का स्वरूप, इनके मध्यस्थ, आभरणप्रिय, कार्शिक और कायिक भेद, इनके सम्बन्ध वाले उपाश्रयों में रहने से लगने वाले सपमप्रिराधनादि दोष और प्रायश्चित्त इत्यादि।^१

प्रतिबद्धशय्याप्रकृतसूत्र :

प्रथम प्रतिबद्धशय्या सूत्र की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है कि जिस उपाश्रय के समीप गृहस्थ रहते हों वहाँ निर्ग्रन्थों को नहीं रहना चाहिए। इसमें निम्न विषयों का समावेश किया गया है। 'प्रतिबद्ध' पद के निक्षेप, भावप्रतिबद्ध के प्रसवण, स्थान, रूप और शब्द ये चार भेद, द्रव्यप्रतिबद्ध-भाव-प्रतिबद्ध की चतुर्भंगी और तत्सम्बन्धी विधि-निषेध, निर्ग्रन्थों को 'द्रव्यत प्रतिबद्ध भावत अप्रतिबद्ध' रूप प्रथम भग वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले अधिकर-

गादि दोष, उनका स्वरूप और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, 'द्रव्यत अप्रतिबद्ध भावतः प्रतिबद्ध' रूप द्वितीय भग वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष, उनका स्वरूप और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, 'द्रव्य भावप्रतिबद्ध' रूप तृतीय भग वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष आदि, 'द्रव्य-भावअप्रतिबद्ध' रूप चतुर्थ भग वाले उपाश्रयों की निर्दोषता का प्ररूपण ।^१

द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इसका प्रतिपादन किया गया है कि जिस उपाश्रय के समीप गृहस्थ रहते हों वहाँ निर्ग्रन्थियों का निवास विहित है। द्रव्य-प्रतिबद्ध तथा भावप्रतिबद्ध उपाश्रयों में रहने से निर्ग्रन्थियों को लगने वाले दोषों और यतनाओं का भी वर्णन किया गया है ।^१

गृहपतिकुलमध्यवासप्रकृतसूत्र :

श्रमणों का गृहपतिकुल के मध्य में रहना वर्जित है। इसके विचार के लिए आचार्य ने शालाद्वार, मध्यद्वार और छिडिकाद्वार का आश्रय लिया है।

१ शालाद्वार—श्रमणों को शाला में रहने से लगने वाले दोषों का १ प्रत्यपाय, २ वैक्रिय, ३ अपावृत्त, ४ आदर्श, ५ कल्पस्थ, ६ भक्त, ७ पृथिवी, ८ उदक, ९ अग्नि, १० बीज और ११ अवहज—इन ग्यारह द्वारों से वर्णन किया है ।^१

२ मध्यद्वार—श्रमणों को शाला के मध्य में बने हुए भवन आदि में रहने से लगने वाले दोषों का उपर्युक्त ग्यारह द्वारों के उपरान्त १ अतिगमन, २ अनाभोग, ३ अवभाषण, ४ मञ्जन और ५ हिरण्य—इन पाँच द्वारों से निरूपण किया है ।^१

३ छिडिकाद्वार—छिडिका का अर्थ है पुरोहड अर्थात् वसति के द्वार पर बना हुआ प्रतिश्रय। छिडिका में रहने से लगने वाले दोषों का विविध दृष्टियों से विचार किया है। इन द्वारों से सम्बन्ध रखने वाली यतनाओं का भी वर्णन किया गया है ।^१

श्रमणियों की दृष्टि से गृहपतिमध्यवास का विचार करते हुए आचार्य ने बताया है कि उन्हें भी गृहपतिकुल के मध्य में नहीं रहना चाहिए। शाला आदि में रहने से श्रमणियों को अनेक प्रकार के दोष लगते हैं ।^१

१ गा० २५८३-२६१५ २ गा० २६१६-२६२८ ३. गा० २६३३-
२६४४ ४ गा० २६४५-२६५२ ५ गा० २६५३-२६६७.
६ गा० २६६८-२६७५

व्यवशामनप्रकृतसूत्र :

इस सूत्र^१ में यह बताया गया है कि साधुओं में परस्पर क्लेश होने पर उपशम धारण करके क्लेश शान्त कर लेना चाहिए। जो उपशम धारण करता है वह आराधक है। जो उपशम धारण नहीं करता वह विराधक है। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने निम्न विषयों का स्पष्टीकरण किया है व्यवशमित के एकार्थक शब्द—क्षामित, व्यवशमित, विनाशित और क्षपित, प्राभृत शब्द के पर्याय—प्राभृत, प्रहेणक और प्रणयन, अधिकरण पद के निक्षेप, द्रव्याधिकरण के निर्वर्तना निक्षेपणा, संयोजना और निसर्जना—ये चार भेद, भावाधिकरण—कषाय द्वारा जीव किस प्रकार विभिन्न गतियों में जाते हैं, निश्चय और व्यवहारनय की अपेक्षा से द्रव्य का गुणत्व, लघुत्व, गुणलघुत्व और अगुणलघुत्व, जीवों द्वारा कर्म ग्रहण और तत्तन्त्रय विविध गतियाँ, उदीर्ण और अनुदीर्ण कर्म, भावाधिकरण उत्पन्न होने के छ प्रकार के कारण—सच्चित्त, अचित्त, मिश्र, वचोगत, परिहार और देशकथा, निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों में परस्पर अधिकरण—क्लेश होता हो उस समय उपेक्षा, उपहास आदि करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के पारस्परिक क्लेश की उपेक्षा करने वाले आचार्य आदि को लगने वाले दोष और तत्सम्बन्धी जलचर और हस्तियूय का दृष्टान्त, साधु साधियों के आपसी झगड़े को निपटाने की विधि, आचार्य आदि के उपदेश से दो कलहकारियों में से एक तो शान्त हो जाए किन्तु दूसरा शान्त न हो उस समय क्या करना चाहिए इस ओर संकेत, 'पर' का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, आदेश, क्रम, बहु, प्रधान और भाव निक्षेपों से विवेचन, अधिकरण—क्लेश के लिए अपवाद।

चारप्रकृतसूत्र :

प्रथम चारसूत्र का व्याख्यान करते हुए यह कहा गया है कि श्रमणश्रमणियों को वर्षाऋतु में एक गाव से दूसरे गाव नहीं जाना चाहिए। वर्षावास दो प्रकार

१ इस प्रकृत को भाष्यकार ने गा० ३२४२ में प्राभृतसूत्र के रूप में तथा चूर्णिकार और विशेषचूर्णिकार ने अधिकरणसूत्र के रूप में दिया है। मुनि श्री पुण्यविजयजी ने सूत्र के वास्तविक आशय को ध्यान में रखते हुए इसका नाम व्यवशामनसूत्र रखा है।

का होता है प्रावृट् और वर्षा । इनमें विहार करने से तथा वर्षाश्रुत पूर्ण हो जाने पर विहार न करने से लगने वाले दोषों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है । आपवादिक कारणों से वर्षाश्रुत में विहार करने का प्रसंग उपस्थित होने पर विशेष यत्नाओं के सेवन का विधान है ।^१

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को हेमन्त और ग्रीष्मश्रुत के आठ महीनों में विहार करना चाहिए । इन महीनों में विहार करने से अनेक लाभ होते हैं तथा न करने से अनेक दोष लगते हैं । विहार करते हुए मार्ग में आने वाले मासकल्प के योग्य ग्राम-नगरादि क्षेत्रों को चैत्यजन्दादि के निमित्त छोड़ कर चले जाने से अनेक दोष लगते हैं । हाँ, किन्हीं आपवादिक कारणों से वैसा करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है ।^२

वैराज्यप्रकृतसूत्र :

इस सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को वैराज्य भर्थात् विरुद्धराज्य में पुनः पुनः गमनागमन नहीं करना चाहिए । इस व्याख्या में निम्न विषयों पर विचार किया गया है: वैराज्य, विरुद्धराज्य, स्यो गमन, स्योआगमन, वैर आदि पद, वैराज्य के चार प्रकार (अराजक, यौव-राज्य, वैराज्य और द्वैराज्य), वैराज्य—विरुद्धराज्य में आने-जाने से लगने वाले आत्मविराधना आदि दोष, वैराज्य—विरुद्धराज्य में गमनागमन से सम्बन्धित अपवाद और यतनाएँ ।^३

अवग्रहप्रकृतसूत्र :

प्रथम अवग्रहसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि भिक्षाचर्या के लिए गए हुए निर्ग्रन्थ से यदि गृहपति वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि के लिए प्रार्थना करे तो उसे चाहिए कि उस उपकरण को लेकर आचार्य के समक्ष प्रस्तुत करे और आचार्य की आज्ञा लेकर ही उसे रखे अथवा काम में ले । वस्त्र दो प्रकार का है याचनावस्त्र और निमत्रणावस्त्र । याचनावस्त्र का स्वरूप पहले बताया जा चुका है ।^४ निमत्रणावस्त्र का स्वरूप वर्णन करते हुए आचार्य ने निम्नोक्त बातों का स्पष्टीकरण किया है निमत्रणावस्त्र सम्बन्धी सामाचारी, उससे विरुद्ध आचरण करने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, निमत्रणावस्त्र की शुद्धता का स्वरूप, गृहीत वस्त्र का स्वामित्व आदि ।^५

१ गा० २७३२-२७४७.

२. गा० २७४८-२७५४

३ गा० २७५५-

२७५९

४ गा० ६०३-६४८

५ गा० २७९२-२८१३.

द्वितीय अवग्रहसूत्र की व्याख्या में बताया गया है कि स्थण्डिलभूमि आदि के लिए जाते समय यदि कोई निर्ग्रन्थ से वज्रादि की प्रार्थना करे तो उसे प्राप्त उपकरणादि को आचार्य के पास ले जाकर उपस्थित करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा मिलने पर ही उनका उपयोग करना चाहिए ।^१

तृतीय और चतुर्थ सूत्र की व्याख्या में निर्ग्रन्थियों की दृष्टि से वज्रग्रहण आदि का विचार किया गया है । निर्ग्रन्थी गृहपतियों से मिलने वाले वज्र-पात्रादि वो प्रवर्तिनी की आज्ञा से ही अपने काम में ले सकती है ।^२

रात्रिभक्तप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को रात्रि के समय अथवा विकाल में अशन-पानादि का ग्रहण नहीं कल्पता । प्रस्तुत सूत्र का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निम्न विषयों की चर्चा की है 'रात्रि' और 'विकाल' पदों की व्याख्या, रात्रि में खाने पीने से लगने वाले आज्ञाभंग, अनवस्था, मिथ्यात्व, उद्यमविराघना आदि दोष, रात्रि-भोजनविषयक 'दिवा गृहीत दिवा भुक्तम्', 'दिवा गृहीत रात्रौ भुक्तम्', 'रात्रौ गृहीत दिवा भुक्तम्' और 'रात्रौ गृहीत रात्रौ भुक्तम्' रूप चतुर्भङ्गी एव तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, रात्रिभोजनग्रहणसम्बन्धी आपवादिक कारण, रुग्ण, क्षुधित, पिपासित, असहिष्णु, चन्द्रवेध अनशन आदि से सम्बन्धित अपवाद, अध्वगमन अर्थात् देशान्तरगमन की अनुज्ञा, अध्वगमनोपयोगी उपकरण, १ चर्मद्वार—तलिका, पुट, वर्त्र, कोशक, कृत्ति, सिक्कक, कापोतिका आदि, २ लोहग्रहणद्वार—पिप्पलक, सूची, आरी, नखहरणिका आदि, ३ नन्दीभोजनद्वार, ४ धर्मकरकद्वार, ५ परतीर्थिकोपकरणद्वार, ६ गुलिकाद्वार, ७ खोलद्वार, अध्वगमनो-पयोगी उपकरण न लेने वाले के लिए प्रायश्चित्त, प्रयाण करते समय शकुना-चलोकन, सिंहपर्षदा, वृषपर्षदा और मृगपर्षदा का स्वरूप, मार्ग में अन्न-जल प्राप्त न होने पर उसकी प्राप्ति की विधि और तद्विषयक द्वार—१ प्रतिस्वार्थद्वार, २ स्नानपल्लीद्वार, ३ शून्यग्रामद्वार, ४ वृक्षादिप्रलोकनद्वार, ५ नन्दि-द्वार, ६. द्विविधद्रव्यद्वार, उत्सर्गरूप से रात्रि में सस्तारक, वसति आदि ग्रहण करने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, रात्रि में वसति आदि ग्रहण करने के आपवादिक कारण, गीतार्थ निर्ग्रन्थों के लिए वसति ग्रहण करने की विधि; अगीतार्थमिश्रित गीतार्थ निर्ग्रन्थों के लिए वसति-ग्रहण की विधि, अघेरे में वसति की प्रतिलेखना के लिए प्रकाश का उपयोग करने की विधि व यतनाए, ग्रामादि

का होता है प्राशुट् और वर्षा । इनमें विहार करने से तथा वर्षाशुटु पूर्ण हो जाने पर विहार न करने से लगने वाले दोषों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है । आपवादिक कारणों से वर्षाशुटु में विहार करने का प्रसंग उपस्थित होने पर विशेष यतनाओं के सेवन का विधान है ।^१

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को हेमन्त और ग्रीष्मशुटु के आठ महीनों में विहार करना चाहिए । इन महीनों में विहार करने से अनेक लाभ होते हैं तथा न करने से अनेक दोष लगते हैं । विहार करते हुए मार्ग में आने वाले मासकल्प के योग्य ग्राम-नगरादि क्षेत्रों को चैत्यनन्दनादि के निमित्त छोड़ कर चले जाने से अनेक दोष लगते हैं । हाँ, किन्हीं आपवादिक कारणों से वैसा करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है ।^२

वैराज्यप्रकृतसूत्र :

इस सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को वैराज्य अर्थात् विरुद्धराज्य में पुन पुन. गमनागमन नहीं करना चाहिए । इस व्याख्या में निम्न विषयों पर विचार किया गया है: वैराज्य, विरुद्धराज्य, सत्रो गमन, सत्रोआगमन, वैर आदि पद, वैराज्य के चार प्रकार (अराजक, यौव-राज्य, वैराज्य और द्वैराज्य), वैराज्य—विरुद्धराज्य में आने-जाने से लगने वाले आत्मविराघना आदि दोष, वैराज्य—विरुद्धराज्य में गमनागमन से सम्बन्धित अपराद और यतनाएँ ।^३

अवग्रहप्रकृतसूत्र :

प्रथम अवग्रहसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि भिक्षाचर्या के लिए गए हुए निर्ग्रन्थ से यदि गृहपति वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि के लिए प्रार्थना करे तो उसे चाहिए कि उस उपकरण को लेकर आचार्य के समक्ष प्रस्तुत करे और आचार्य की आज्ञा लेकर ही उसे रखे अथवा काम में ले । वस्त्र दो प्रकार का है याचनावस्त्र और निमत्रणावस्त्र । याचनावस्त्र का स्वरूप पहले बताया जा चुका है ।^४ निमत्रणावस्त्र का स्वरूप वर्णन करते हुए आचार्य ने निम्नोक्त बातों का स्पष्टीकरण किया है निमत्रणावस्त्र सम्बन्धी सामाचारी, उससे विरुद्ध आचरण करने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, निमत्रणावस्त्र की शुद्धता का स्वरूप, गृहीत वस्त्र का स्वामित्व आदि ।^५

१ गा० २७३२-२७४७ २ गा० २७४८-२७५८ ३ गा० २७५९-

२७९१ ४ गा० ६०३-६४८ ५ गा० २७९२-२८१३

द्वितीय अवग्रहसूत्र की व्याख्या में बताया गया है कि स्थण्डिलभूमि आदि के लिए जाते समय यदि कोई निर्ग्रन्थ से वस्त्रादि की प्रार्थना करे तो उसे प्राप्त उपकरणों को आचार्य के पास ले जाकर उपस्थित करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा मिलने पर ही उनका उपयोग करना चाहिए ।^१

तृतीय और चतुर्थ सूत्र की व्याख्या में निर्ग्रन्थियों की दृष्टि से वस्त्रग्रहण आदि का विचार किया गया है । निर्ग्रन्थी गृहपतियों से मिलने वाले वस्त्र-पात्रादि को प्रार्थिनी की आज्ञा से ही अपने काम में ले सकती है ।^२

रात्रिमत्प्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को रात्रि के समय अथवा विकाल में अशन पानादि का ग्रहण नहीं कल्पता । प्रस्तुत सूत्र का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निम्न विषयों की चर्चा की है 'रात्रि' और 'विकाल' पदों की व्याख्या, रात्रि में खाने पीने से लगने वाले आज्ञाभंग, अनवस्था, मिथ्यात्व, समयविराधना आदि दोष, रात्रि-भोजनविषयक 'दिवा गृहीत दिवा भुक्तम्', 'दिवा गृहीत रात्रौ भुक्तम्', 'रात्रौ गृहीत दिवा भुक्तम्' और 'रात्रौ गृहीत रात्रौ भुक्तम्' रूप चतुर्भङ्गी एव तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, रात्रिभोजनग्रहणसम्बन्धी आपवादिक कारण, रुग्ण, क्षुधित, पिपासित, असहिष्णु, चन्द्रवेष अनशन आदि से सम्बन्धित अपवाद, अध्वगमन अर्थात् देशान्तरगमन की अनुज्ञा, अध्वगमनोपयोगी उपकरण, १ चर्मद्वार—तलिका, पुट, वर्ष, क्रोशक, कृत्ति, सिक्कक, कापोतिका आदि, २ लोहग्रहणद्वार—पिप्पलक, सूची, आरी, नखहरणिका आदि, ३ नन्दीभाजनद्वार, ४ धर्मकरकद्वार, ५ परतीर्थिकोपकरणद्वार, ६ गुलिकाद्वार, ७ खोलद्वार, अध्वगमनोपयोगी उपकरण न लेने वाले के लिए प्रायश्चित्त, प्रयाण करते समय शकुनाचलोकन, सिंहपर्षदा, वृषमपर्षदा और मृगपर्षदा का स्वरूप, मार्ग में अन्न-जल प्राप्त न होने पर उसकी प्राप्ति की विधि और तद्विषयक द्वार—१ प्रतिसार्थद्वार, २ स्नैनपल्लीद्वार, ३ शून्यग्रामद्वार, ४ वृक्षादिप्रलोकनद्वार, ५ नन्दिद्वार, ६ द्विविधद्रव्यद्वार, उत्सर्गरूप से रात्रि में सस्तारक, वसति आदि ग्रहण करने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, रात्रि में वसति आदि ग्रहण करने के आपवादिक कारण, गीतार्थ निर्ग्रन्थों के लिए वसति ग्रहण करने की विधि; अर्ग-तार्थमिश्रित गीतार्थ निर्ग्रन्थों के लिए वसति-ग्रहण की विधि, अघेरे में वसति की प्रतिलेखना के लिए प्रकाश का उपयोग करने की विधि व यतनाए, ग्रामादि

के बाहर वसति ग्रहण करने के लिए यतनाए, कुल, गण, सघ आदि की रक्षा के निमित्त लगने वाले अपराधों की निर्दोषता और तद्विषयक सिद्धिकवातक कृत-करण श्रमण का उदाहरण ।^१

रात्रिवस्त्रादिग्रहणप्रकृतसूत्र :

श्रमण श्रमणियों को रात्रि के समय अथवा विकाल में वस्त्रादिग्रहण नहीं करणता । इस नियम का विश्लेषण करते हुए भाष्यकार ने निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण किया है . रात्रि में वस्त्रादि ग्रहण करने से लगने वाले दोष एव प्रायश्चित्त, इस नियम से सम्बन्धित अपवाद, सयतभद्र, गृहिभद्र, सयतप्रान्त और गृहिप्रान्त चौरविषयक चतुर्भङ्गी, सयतभद्र-गृहिप्रान्त चौर द्वारा लूटे गये गृहस्थ को वस्त्रादि देने की विधि, गृहिभद्र-सयतप्रान्त चौर द्वारा श्रमण और श्रमणी इन दो में से कोई एक लूट लिया गया हो तो परस्पर वस्त्र आदान प्रदान करने की विधि, श्रमण गृहस्थ, श्रमण-श्रमणी, समनोज्ञ-अमनोज्ञ अथवा सविग्ग-असविग्ग ये दोनों पक्ष लूट लिये गये हों उस समय एक दूसरे को वस्त्र आदान प्रदान करने की विधि ।^२

हृताहृतिका-हरिताहृतिकाप्रकृतसूत्र :

पहले हृत अर्थात् हरा गया हो और बाद में आहृत अर्थात् लाया गया हो उसे हृताहृत कहते हैं । हरित अर्थात् वनस्पति में आहृत अर्थात् प्रक्षिप्त को हरिताहृत कहते हैं । चोरों द्वारा जिस वस्त्र का पहले हरण किया गया हो और बाद में वापस कर दिया गया हो अथवा जिसे खुराकर वनस्पति आदि में फेंक दिया गया हो उसके ग्रहणसम्बन्धी नियमों पर प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में प्रकाश डाला गया है । प्रसगवशात् मार्ग में आचार्य को गुप्त रखने की विधि और आवश्यकता का भी विवेचन किया गया है ।^३

अध्वगमनप्रकृतसूत्र :

श्रमण श्रमणियों के लिए रात्रि में अथवा विकाल में अध्वगमन निषिद्ध है । अध्व पथ और मार्ग भेद से दो प्रकार का है । जिसके बीच में ग्राम, नगर आदि कुछ भी न हों उसे पथ कहते हैं । जो ग्रामानुग्राम की परपरा से युक्त हो उसे मार्ग कहते हैं । रात्रि में मार्गरूप अध्वगमन करने से मिथ्यात्व, उड्डाह, संयमविराधना आदि अनेक दोष लगते हैं । पथ दो प्रकार का होता

१ गा० २८३६-२९६८

२ गा० २९६९-३०००

३ गा० ३००१-३०३७

है। छिन्नाध्वा और अछिन्नाध्वा। रात्रि के समय पथगमन करने से भी अनेक दोष लगते हैं। अपवादरूप से रात्रिगमन की छूट है किन्तु उसके लिए अध्वोपयोगी उपकरणों का समग्र तथा योग्य सार्थ का सहयोग आवश्यक है। सार्थ पाँच प्रकार के हैं १ मडी, २. बहिलक, ३ भारवह, ४ औदरिक और ५ कार्पटिक। इनमें से किस प्रकार के सार्थ के साथ भ्रमण भ्रमणियों को जाना चाहिए, इसकी ओर निर्देश करते हुए आचार्य ने आठ प्रकार के सार्थवाहों और आठ प्रकार के आदियात्रिकों अर्थात् सार्थव्यवस्थापकों का उल्लेख किया है। इसके बाद सार्थवाह की अनुज्ञा लेने की विधि और भिक्षा, भक्तार्थना, वसति, स्थंडिल आदि से सम्बन्ध रखने वाली यतनाओं का वर्णन किया है। अध्वगमनोपयोगी अध्वकल्प का स्वरूप बताते हुए अध्वगमनसम्बन्धी अशिव, दुर्भिक्ष, राजद्विष्ट आदि व्याघातों और तत्सम्बन्धी यतनाओं का विस्तृत विवेचन किया है।^१

संखडिप्रकृतसूत्र :

‘सखडि’ की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है। सम्-इति सामस्त्येन खण्ड्यन्ते त्रोट्यन्ते जीवाना वनस्पतिप्रभृतीनामायूपि प्राचुर्येण यत्र प्रकरणविशेषे सा खलु संखडिरित्युच्यते अर्थात् जिस प्रसंग विशेष पर सामूहिक रूप से वनस्पति आदि का उपभोग किया जाता हो उसे सखडि कहते हैं।^२ प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को रात्रि के समय सखडि में अथवा सखडि को रक्ष्य में रख कर कहीं नहीं जाना चाहिए। माया, लोलुपता आदि कारणों से सखडि में जाने वाले को लगने वाले दोष, यावन्तिका, प्रगणिता, सक्षेत्रा, अक्षेत्रा, वाह्या, आकीर्णा आदि सखडि के विविध भेद और तत्सम्बन्धी दोषों का प्रायश्चित्त, सखडि में जाने योग्य आपवादिक कारण और आवश्यक यतनाएँ आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है।^३

विचारभूमि-विहारभूमिप्रकृतसूत्र

निर्ग्रन्थों को रात्रि के समय विचारभूमि—नीहारभूमि अथवा विहारभूमि—स्वाध्यायभूमि में अकेले नहीं जाना चाहिए। विचारभूमि दो प्रकार की है कायिकीभूमि और उच्चारभूमि। इनमें रात्रि के समय अकेले जाने से अनेक दोष लगते हैं। अपवादरूप से अकेले जाने का प्रसङ्ग आनेपर विविध प्रकार की

यतनाओं के सेवन का विधान किया गया है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थी के लिए भी रात्रि के समय अकेली विचारभूमि और विहारभूमि में जाने का निषेध है।^१

आर्यक्षेत्रप्रकृतसूत्र :

इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य ने भ्रमण भ्रमणियों के विहारयोग्य क्षेत्र की मर्यादाओं का विवेचन किया है। साथ ही आर्यक्षेत्रत्रिषयक प्रस्तुत सूत्र अथवा सम्पूर्ण कल्पाध्ययन का ज्ञान न रखनेवाले अथवा ज्ञान होते हुए भी उसका आचरण न करनेवाले आचार्य की अयोग्यता का दिग्दर्शन कराया है। इस प्रसङ्ग पर साँप के सिर और पूँछ का सवाद, खसद्वमशृगाल का आख्यान, बदर और चिड़िया का सवाद, वैद्यपुत्र का कथानक आदि उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। 'आर्य' पद का १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ जाति, ६. कुल, ७ कर्म, ८ भाषा, ९ शिल्प, १० ज्ञान, ११ दर्शन और १२ चारित्ररूप चारह प्रकार के निक्षेपों से विचार किया है। आर्यजातियाँ छ हैं। अम्बष्ठ, कलिन्द, वैदेह, विदक, हारित और तन्तुण। आर्यकुल भी छ हैं : उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, ज्ञात—कौरव और इक्ष्वाकु। आर्यक्षेत्र के बाहर विचरने से लगने वाले दोषों का निरूपण करते हुए स्कन्दकाचार्य का दृष्टान्त दिया गया है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र की रक्षा और वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए आर्यक्षेत्र के बाहर विचरने के विधान की दृष्टि से सम्प्रतिराज का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।^१ यहाँ तक प्रथम उद्देश का अधिकार है।

द्वितीय उद्देश :

द्वितीय उद्देश की व्याख्या में निम्नलिखित सात प्रकार के सूत्रों का अधिकार है १ उपाश्रयप्रकृत, २ सागारिकपारिहारिकप्रकृत, ३ आहृतिका निहृतिकाप्रकृत, ४ अशिकाप्रकृत, ५ पूज्यमत्तोपकरणप्रकृत, ६ उपधिप्रकृत, ७ रजोहरणप्रकृत।^२

उपाश्रयप्रकृतसूत्रों के विवेचन में उपाश्रय के व्याघातों का विस्तृत वर्णन है। जिसमें शालि, व्रीहि आदि सचेतन धान्यकण बिसरे हुए हों उस उपाश्रय में भ्रमण भ्रमणियों के लिए थोड़े से समय के लिए रहना भी वर्जित है। बीजानीर्ण आदि उपाश्रयों में रहने से लगने वाले दोषों और प्रायश्चित्तों का निर्देश करते हुए भाष्यकार ने तद्विषयक अपवादों और यतनाओं की ओर भी संकेत किया है। प्रसगवशात् उत्सर्गसूत्र, आपवादिकसूत्र, उत्सर्गापवादिकसूत्र, अपवादोत्स-

गिषसूत्र, उत्सर्गोत्सर्गिकसूत्र, अपवादापवादिकसूत्र, देशसूत्र, निरवशेषसूत्र, उत्क्रमसूत्र और क्रमसूत्र वा स्वरूप बताया है। आगे यह भी बताया है कि सुराविकटकुम्भ, शीतोदकविकटकुम्भ, ज्योति, दीपक, पिंड, दुग्ध, दधि, नवनीत, आगमन, विकट, वशी, वृक्ष, अभ्रावकाश आदि पदार्थों से युक्त स्थानों में रहना साधु साध्वियों के लिए निषिद्ध है।^१

सागारिकपारिहारिकप्रकृतसूत्रों का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने वसति के एक अथवा अनेक सागारिकों के आहार आदि के त्याग की विधि बताई है। इसका नौ द्वारों से विचार किया गया है - १ सागारिकद्वार, २ क. सागारिकद्वार, ३ कदा सागारिकद्वार, ४ कतिविष सागारिकपिण्डद्वार, ५ अवश्यातरो वा कदाद्वार, ६ शय्यातरः कस्य परिहर्तव्यद्वार, ७ टोपद्वार, ८ कल्पनीयकारणद्वार ९ यतनाद्वार—पिता पुत्रद्वार, सपत्नीद्वार, गण्डिद्वार, घटाद्वार और नजद्वार।^१

आहृतिका-निहृतिकाप्रकृतसूत्रों की व्याख्या में दूसरों के यहाँ से आने वाली भोजन सामग्री का दान करने वाले सागारिक और ग्रहण करने वाले भ्रमण के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।^१

अशिकाप्रकृतसूत्र की व्याख्या में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि जब तक सागारिक की अशिका (भाग) अलग न कर दी गई हो तब तक दूसरे का अशिकापिण्ड भ्रमण के लिए अप्रहणीय है। सागारिक की अशिका का पांच प्रकार के द्वारों से वर्णन किया गया है १ क्षेत्रद्वार, २ यन्त्रद्वार, ३ भोज्यद्वार, ४ क्षीरद्वार और ५ मालाकारद्वार।^१

पूज्यभक्तोपकरणप्रकृतसूत्रों का विवेचन करते हुए कहा गया है कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए निर्मित भक्त अथवा उपकरण सागारिक स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य भ्रमण को दे तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।^१

उपधिप्रकृतसूत्र की व्याख्या में जाङ्गिक, भाङ्गिक, सानक, पोतक और तिरोटपट्टक—इन पांच प्रकार के वस्त्रों का स्वरूप, उपधि के परिभोग की विधि, उसकी सख्या, अपवाद आदि पर प्रकाश डाला गया है।^१

१ गा० ३२९०-३२९७ ० गा० ३५१८-३६१५ ३. गा० ३६१६-३६४२
 ४. गा० ३६४३-३६५२ ५ गा० ३६५३-८
 ६ गा० ३६५९-३६७२

रजोहरणप्रवृत्तसूत्र की व्याख्या में और्णिक, औष्ट्रिक, सानक, वच्चकचिप्पक और मुञ्जचिप्पक—इन पांच प्रकार के रजोहरणों के स्वरूप, उनके ग्रहण की विधि, क्रम और कारणों का विचार किया गया है ।^१

तृतीय उद्देश—उपाश्रयप्रवेशप्रकृतसूत्र :

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि निर्ग्रन्थों को निर्ग्रन्थियों के और निर्ग्रन्थियों को निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में शयन, आहार, विहार, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि करना वर्जित है । इस प्रसंग पर स्थविरादि से पूछकर अथवा बिना पूछे निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में बिना कारण जाने से आचार्यादि को लगनेवाले दोषों और ओष प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया है । किसी कारण से निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में प्रवेश करने का प्रसंग उपस्थित होने पर तद्विषयक आज्ञा, विधि और कारणों पर निम्नलिखित छ. द्वारों से प्रकाश डाला गया है १ कारणद्वार, २ प्राणुणकद्वार, ३ गणधरद्वार, ४ महर्द्धिकद्वार, ५ प्रच्छादनाद्वार, ६ असहिष्णुद्वार ।^१

चर्मप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थीविषयक चर्मोपयोग से सम्बन्धित विषयों का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निर्ग्रन्थियों को सलोम चर्म के उपभोग से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, तद्विषयक अपवाद, निर्ग्रन्थियों के लिए सलोम चर्म के निषेध के कारण, उत्सर्गरूप से निर्ग्रन्थों के लिए भी सलोम चर्म अकल्प्य, पुस्तकपचक, तृणपचक, दूष्यपचकद्वय और चर्मपचक का स्वरूप, तद्विषयक दोष, प्रायश्चित्त और यतनाएँ, निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए कृत्स्नचर्म अर्थात् वर्ण प्रमाणादि से प्रतिपूर्ण चर्म के उपभोग अथवा समग्र का निषेध, सकलकृत्स्न, प्रमाणकृत्स्न, वर्णकृत्स्न और ब्रघ्नकृत्स्न का स्वरूप, तत्सम्बन्धी दोष और प्रायश्चित्त, कृत्स्नचर्म के उपभोगादि से लगने वाले दोषों का गर्व, निर्मादवता, निरपेक्ष, निर्दय, निरन्तर और भूतोपघात द्वारों से निरूपण, तत्सम्बन्धी अपवाद और यतनाएँ, वर्ण प्रमाणादि से रहित चर्म के उपभोग और समग्र का विधान, सकारण अकृत्स्न का उपभोग और निष्कारणक उपभोग से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, अकृत्स्नचर्म के अष्टादश खण्ड आदि विषयों का विवेचन किया है ।^१

कृत्स्नाकृत्स्नवस्त्रप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए कृत्स्नवस्त्र का समग्र और उपभोग अवलम्ब्य है। उन्हें अकृत्स्नवस्त्र का समग्र एव उपयोग करना चाहिए। कृत्स्नवस्त्र का निक्षेप छ. प्रकार का है. १ नामकृत्स्न, २ स्थापनाकृत्स्न, ३ द्रव्यकृत्स्न, ४ क्षेत्रकृत्स्न, ५ कालकृत्स्न और ६ भावकृत्स्न। द्रव्यकृत्स्न के दो भेद हैं सकलकृत्स्न और प्रमाणकृत्स्न। भावकृत्स्न दो प्रकार का है वर्णयुत भावकृत्स्न और मूल्ययुत भावकृत्स्न। वर्णयुत भावकृत्स्न के पाँच भेद हैं; कृष्ण, नील, लोहित, पीत और शूद्र। मूल्ययुत भावकृत्स्न के तीन भेद हैं लघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इनके लिए विविध दोष, प्रायश्चित्त और अपवाद हैं।^१

भिन्नाभिन्नवस्त्रप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए अभिन्न वस्त्र का समग्र एव उपयोग अवलम्ब्य है। इसका विवेचन करते हुए आचार्य ने निम्न विषयों का व्याख्यान किया है : कृत्स्न और अकृत्स्न पदों की भिन्न और अभिन्न पदों के साथ चतुर्भङ्गी, अभिन्न पद का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावदृष्टि से विचार, तद्ग्रहणसम्बन्धी विधि, प्रायश्चित्त आदि, भिन्न वस्त्र उप न होने की अवस्था में अभिन्न वस्त्र का फाड़कर उपयोग करना, वस्त्र फाड़ने से लगनेवाली हिंसा अहिंसा की चर्चा, द्रव्यहिंसा और भावहिंसा का स्वरूप, राग, द्वेष और मोह की विविधता के कारण कर्मबन्ध में न्यूनाधिकता, हिंसा करने में रागादि की तीव्रता से तीव्र कर्मबन्ध और रागादि की मन्दता से मन्द कर्मबन्ध, हिंसक के ज्ञान और अज्ञान के कारण कर्मबन्ध में न्यूनाधिकता, हिंसक के क्षायिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक आदि भावों की विचित्रता के कारण कर्मबन्ध का वैचित्र्य, अधिकरण की विविधता के कारण कर्मबन्ध का वैविध्य, हिंसक के देहादि बल के कारण कर्मबन्ध की विविधता, जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक की उपधि और उसकी सख्या, स्थविरकल्पिक के पात्रकबन्ध और रजोहरण का माप, ग्रीष्म, शिशिर और वर्षाऋतु की दृष्टि से पटलकों की सख्या और माप, रजोहरण का स्वरूप और माप, सस्तारक, उत्तरपट्ट एव चोल्पट्ट, रजोहरण की ऊनी और सूती निपचाएँ, मुखरत्निका, गोच्छक, पात्रप्रत्युपेक्षिका और पात्रस्थापन का माप, प्रमाणातिरिक्त उपधिसम्बन्धी अपवाद, न्यूनाधिक उपधि से लगाने वाले दोष, वस्त्र का

परिकर्म अर्थात् सन्धि, विधिपरिकर्म और अविधिपरिकर्म, विभूषा के लिए उपधि के प्रक्षालन आदि से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, मूर्च्छायुक्त होकर उपधिरखने वाले को लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, पात्रविषयक विधि, सख्या से अधिक अथवा न्यून और माप से बड़े अथवा छोटे पात्र रखने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, पात्र का माप, तद्विषयक अपवाद, पात्र के सुलक्षण और अपलक्षण, तुम्ब, काष्ठ और मृत्पात्र तथा यथाकृत, अल्पपरिकर्म और सपरिकर्म पात्र, ग्रहण के क्रम भंग से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, पात्र लाने वाले निर्ग्रन्थ की योग्यता, पात्र की याचना का समय, पात्र-याचना के दिवस, पात्र-प्राप्ति के स्थान, तन्दुलधावन, उष्णोदक आदि से भावित कल्प्य पात्र और उनके ग्रहण की विधि, पात्रग्रहणविषयक जघन्य यतना, तद्विषयक शका समाधान, प्रमाणयुक्त पात्र की अनुपलब्धि की अवस्था में उपयोगपूर्वक पात्र का छेदन, पात्र के मुख का मान, मात्रकविषयक विधि, प्रमाण, अपवाद आदि, निर्ग्रन्थियों के लिए पचीस प्रकार की ओषोपधि, निर्ग्रन्थियों के शरीर के अघोभाग को टकने के लिए अवग्रहानतक, पट्ट, अर्द्धोरुक, चलनिषा, अन्तर्निवसनी और बहिर्निवसनी, ऊर्ध्वभाग को टकने के लिए कञ्जुक, औपकक्षिकी, वैकक्षिकी, सङ्घाटी और स्कन्धकरणी, जिनकल्पिक, स्थविरकल्पिक और भ्रमणियों के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट उपधि का विभाग इत्यादि ।^१

अवग्रहानन्तक-अवग्रहपट्टकप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थियों को अवग्रहानन्तक और अवग्रहपट्टक नहीं रखने से अनेक दोष लगते हैं । इसके विषय में कुछ अपवाद भी हैं । निर्ग्रन्थियों को हमेशा पूरे वस्त्रों सहित विधिपूर्वक बाहर निकलना चाहिए । अविधिपूर्वक बाहर निकलने से लगने वाले दोषों का निरूपण करते हुए भाष्यकार ने नर्तकी आदि के उदाहरण दिए हैं । धर्षित—अपहृत निर्ग्रन्थी के परिपालन की विधि का निदेश करते हुए उसका अवर्णवाद—अवहेलना आदि करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है । इसी प्रसंग पर आचार्य ने यह भी बताया है कि पुरुषससर्ग के अभाव में भी पाँच कारणों से गर्भाधान हो सकता है । वे पाँच कारण ये हैं १ दुर्विधृत एव दुर्निषण्ण स्त्री की योनि में पुरुषनिसृष्ट शुक्रपुद्गल किसी प्रकार प्रविष्ट हो जाएँ, २ स्त्री स्वयं पुत्रकामना से उन्हें अपनी योनि में प्रवेश कराए, ३ अन्य कोई उन्हें उसकी योनि में रख दे, ४ वस्त्र के ससर्ग से शुक्रपुद्गल स्त्री-योनि में प्रविष्ट हो जाएँ, ५ उदकाचमन से स्त्री के भीतर शुक्रपुद्गल प्रविष्ट हो जाएँ ।^२

निश्राप्रकृत एव त्रिकृत्स्नप्रकृतसूत्र :

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भिक्षा के लिए गई हुई निर्ग्रन्थी को वस्त्र आदि का ग्रहण करना हो तो प्रवर्तिनी की निश्रा में करना चाहिए। यदि प्रवर्तिनी साथ में न हो तो उस क्षेत्र में जो आचार्य आदि हों उनकी निश्रा में करना चाहिए।^१

त्रिकृत्स्नप्रकृतसूत्र की व्याख्या में इस विधान का प्रतिपादन किया गया है कि प्रथम दीक्षा ग्रहण करने वाले श्रमण के लिए रजोहरण, गोच्छक और प्रतिग्रहरूप तीन प्रकार की उपधि का ग्रहण विहित है। यदि दीक्षा लेने वाले ने पहले भी दीक्षा ली हो तो वह नई उपधि लेकर प्रव्रजित नहीं हो सकता। इस प्रसंग पर आचार्य ने निम्न विषयों का विवेचन किया है प्रथम दीक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य के लिए चैत्य, आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु आदि की पूजा-सत्कार की विधि, तद्विषयक विशोधिकोटि-अविशोधिकोटि का स्वरूप, रजोहरण, गोच्छक और प्रतिग्रहरूप त्रिकृत्स्न के ऋय के योग्य कुत्रिकापण, कुत्रिकापण वाले नगर, निर्ग्रन्थी के लिए चतु कृत्स्न उपधि इत्यादि।^२

समवसरणप्रकृतसूत्र :

श्रमण-श्रमणियों को प्रथम समवसरण अर्थात् वर्षाकाल से सम्बन्धित क्षेत्र-काल में प्राप्त वस्त्रों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम की परिपुष्टि के लिए निम्न बातों का व्याख्यान किया गया है : वर्षाऋतु में अधिक उपधि लेने की आज्ञा, उसके कारण, तत्सम्बन्धी कुटुम्बी का दृष्टान्त, वर्षाऋतुयोग्य अधिक उपकरण नहीं रखने से सम्भावित दोष, वर्षाऋतु के योग्य उपकरण, तत्सम्बन्धी अपवाद, वर्षाऋतु की कालमर्यादा, वर्षावास के क्षेत्र से निकले हुए श्रमण श्रमणियों के लिए वस्त्रादि ग्रहण करने की विधि, अपवाद आदि।^३

यथारत्नाधिकवस्त्रपरिभाजनप्रकृतसूत्र :

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में वस्त्र-विभाजन की विधि की ओर निर्देश किया गया है। इसमें बताया गया है कि यथारत्नाधिक परिभाजन का क्या अर्थ है, क्रमभंग में क्या दोष हैं, गुरुव्यों के योग्य वस्त्र कौन से हैं, रत्नाधिक कौन हैं, उनका क्या क्रम है, सम्मिलित रूप से लाए गए वस्त्रों के परिभाजन—विभाजन का क्या क्रम है, लोभी साधु के साथ वस्त्र-विभाजन के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए

१ गा० ४१४८-४१८८

२ गा० ४१८९-४२३४,

३ गा० ४२३५-

४३०७

आदि ।^१ सच्चित्त, अचित्त और मिश्रग्रहण का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि जल, अग्नि, चौर, दुर्मिक्ष, महारण्य, ग्लान, श्रापद आदि भयप्रद प्रसंगों की उपस्थिति में आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु, क्षुल्लक और स्वविर—इन पाँच निर्ग्रन्थों तथा प्रवर्तिनी, उपाध्याया, स्वविरा, भिक्षुणी और लुल्लिका—इन पाँच निर्ग्रन्थियों में से किसकी किस क्रम से रक्षा करनी चाहिए ।^२ इसी प्रकार यथारत्नाधिकशय्यासस्तारकपरिभाजनप्रकृतसूत्र की भी व्याख्या की गई है ।^३

कृतिकर्मप्रकृतसूत्र :

कृतिकर्म दो प्रकार का है • अभ्युत्थान और वन्दनक । निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को पाद्वस्त्र आदि अन्यतीर्थिक, गृहस्थ, यथाच्छद आदि को देखकर अभ्युत्थान नहीं करना चाहिए अर्थात् खड़े नहीं होना चाहिए । आचार्यादि को आते देण कर अभ्युत्थान न करनेवाले को दोष लगता है । वन्दनक कृतिकर्म का स्वरूप बताते हुए निम्नोक्त बातों की चर्चा की गई है • दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण में आचार्य, उपाध्याय आदि को वदना न करने, वदना के पदों को न पालने तथा हीनाधिक वदनक करने से लगानेवाले दोषों का प्रायश्चित्त, वन्दनक विषयक पचीस आवश्यक क्रियाएँ, अनादृत, स्तब्ध, प्रवृद्ध, परिपिण्डित, टोलगति, अफुश आदि बत्तीस दोष और उनके लिए प्रायश्चित्त, आचार्यादि को वन्दना करने की विधि, विधि का विपर्यास करनेवाले के लिए प्रायश्चित्त, आचार्य से पर्यायल्लेष्ट को आचार्य वन्दन करे या नहीं—इसका विधान, आचार्य के रत्नाधिकों का स्वरूप, वन्दना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए—इसका निणय, श्रेणिस्थितों को वन्दना करने की विधि, व्यवहार और निश्चयनय से श्रेणिस्थितों की प्रामाणिकता की स्थापना, समयश्रेणि का स्वरूप, अपवादरूप से पाद्वस्त्रादि के साथ किन स्थानों में किस प्रकार के अभ्युत्थान और वन्दनक का व्यवहार रखना चाहिए इत्यादि ।^४

अन्तरगृहस्थानादिप्रकृतसूत्र :

साधु साध्वियों के लिए घर के अन्दर अथवा दो घरों के बीच में रहना, बैठना, सोना आदि वर्जित है । इसी प्रकार अन्तरगृह में चार पाँच गाथाओं का आख्यान, पच महाव्रतों का व्याख्यान आदि निषिद्ध है । खड़े-खड़े एकाध श्लोक

१. गा० ४३०८—४३२९. २. गा० ४३३३—४३५२ ३. गा० ४३६०—
४४१३ ४. गा० ४४१४—४५५३

अथवा गाथा का व्याख्यान करने में कोई दोष नहीं है। इससे अधिक गाथाओं अथवा श्लोकों का व्याख्यान करने से अनेक प्रकार के दोषों की सम्भावना रहती है अतः वैसा करना निषिद्ध है।^१

शय्या संस्तारकप्रकृतसूत्र :

प्रथम शय्यासंस्तारकसूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि शय्या और संस्तारक के परिशाटी और अपरिशाटी ये दो भेद हैं। श्रमण श्रमणियों को माँग कर लाया हुआ शय्या-संस्तारक स्वामी को सौंप कर ही अन्यत्र विहार करना चाहिए। ऐसा न करनेवाले को अनेक दोष लगते हैं।

द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को अपने तैयार किये हुए शय्या संस्तारक को बिखेर कर ही अन्यत्र विहार करना चाहिए।

तृतीय सूत्र के व्याख्यान में इस बात पर जोर दिया गया है कि शय्या-संस्तारक की चोरी हो जाने पर साधु साध्वियों को उसकी खोज करनी चाहिए। खोज करने पर मिल जाने पर उसी स्वामी को वापिस सौंपना चाहिए। न मिलने पर दूसरी बार याचना करके नया शय्या-संस्तारक जुटाना चाहिए। संस्तारक आदि चुरा न लिये जाएँ इसके लिए उपाश्रय को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। सावधानी रखने पर भी उपकरण आदि की चोरी हो जाने पर उन्हें हूँदने के लिए राजपुरुषों को विधिपूर्वक समझाना चाहिए।^२

साधर्मिकावग्रहप्रकृतसूत्र :

जिस दिन श्रमणों ने अपनी वसति और संस्तारक का त्याग किया हो उसी दिन यदि दूसरे श्रमण वहाँ आ जायँ तो भी एक दिन तक पहले के श्रमणों का ही अवग्रह बना रहता है। प्रस्तुत सूत्र-विवेचन में शैक्षविषयक अवग्रह का भी विचार किया गया है। वास्तव्य और वाताहत—आगन्तुक शैक्ष का अव्याघात आदि ग्यारह द्वारों से वर्णन किया गया है। साथ ही अवस्थितावग्रह, अनवस्थितावग्रह, राजावग्रह आदि का स्वरूप-वर्णन भी किया गया है।^३

सेनादिप्रकृतसूत्र :

परचक्र, अशिव, अवमौदर्य, बोधिकस्तेनभय आदि की समावना होने पर निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को पहले से ही उस क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए।

१ गा० ४५५४-४५९७

२. गा० ४५९८-४६४४

३ गा० ४६५०-

आदि ।^१ सचित्त, अचित्त और मिश्रग्रहण का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि जल, अग्नि, चौर, दुर्मिक्ष, महारण्य, ग्लान, श्वापद आदि भयप्रद प्रसंगों की उपस्थिति में आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु, क्षुल्लक और स्वविर—इन पाँच निर्ग्रन्थों तथा प्रवर्तिनी, उपाध्याया, स्वविरा, भिक्षुणी और क्षुल्लिका—इन पाँच निर्ग्रन्थियों में से किसकी किस क्रम से रक्षा करनी चाहिए ।^२ इसी प्रकार यथारत्नाधिकशय्यासस्तारकपरिभाजनप्रकृतसूत्र की भी व्याख्या की गई है ।^३

कृतिकर्मप्रकृतसूत्र :

कृतिकर्म दो प्रकार का है अम्युत्थान और वन्दनक । निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को पार्श्वस्थ आदि अन्यतीर्थिक, गृहस्थ, यथान्छद आदि को देखकर अम्युत्थान नहीं करना चाहिए अर्थात् खड़े नहीं होना चाहिए । आचार्यादि को आते देख कर अम्युत्थान न करनेवाले को दोष लगता है । वन्दनक कृतिकर्म का स्वरूप बताते हुए निम्नोक्त बातों की चर्चा की गई है दैविक, रात्रिक, पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण में आचार्य, उपाध्याय आदि को वन्दना न करने, वन्दना के पदों को न पालने तथा हीनाधिक वन्दनक करने से लगनेवाले दोषों का प्रायश्चित्त, वन्दनक-विषयक पचीस आवश्यक क्रियाएँ, अनादृत, स्तब्ध, प्रबृद्ध, परिपिण्डित, टोल्गति, अकुश आदि बत्तीस दोष और उनके लिए प्रायश्चित्त, आचार्यादि को वन्दना करने की विधि, विधि का विपर्यास करनेवाले के लिए प्रायश्चित्त, आचार्य से पर्यायल्येष्ट को आचार्य वन्दन करे या नहीं—इसका विधान, आचार्य के रत्नाधिकों का स्वरूप, वन्दना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए—इसका निर्णय, श्रेणिस्थितों को वन्दना करने की विधि, व्यवहार और निश्चयनय से श्रेणिस्थितों की प्रामाणिकता की स्थापना, समयश्रेणि का स्वरूप, अपवादरूप से पार्श्वस्थादि के साथ किन स्थानों में किस प्रकार के अम्युत्थान और वन्दनक का व्यवहार रखना चाहिए इत्यादि ।^४

अन्तरगृहस्थानादिप्रकृतसूत्र :

साधु साध्वियों के लिए घर के अन्दर अथवा दो घरों के बीच में रहना, बैठना, सोना आदि वर्जित है । इसी प्रकार अन्तरगृह में चार पाँच गाथाओं का व्याख्यान, पच महाग्रन्थों का व्याख्यान आदि निषिद्ध है । खड़े-खड़े एकाध श्लोक

१ गा० ४३०८-४३२९. २. गा० ४३३३-४३५२. ३ गा० ४३६०-

४४१३. ४. गा० ४४१४-४५५३

अथवा गाथा वा व्याख्यान करने में कोई दोष नहीं है। इससे अधिक गाथाओं अथवा श्लोकों का व्याख्यान करने से अनेक प्रकार के दोषों की सम्भावना रहती है अतः वैसा करना निषिद्ध है।^१

शय्या संस्तारकप्रकृतसूत्र :

प्रथम शय्यासंस्तारकसूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि शय्या और संस्तारक के परिशाटी और अपरिशाटी ये दो भेद हैं। श्रमण श्रमणियों को माँग कर लाया हुआ शय्या-संस्तारक स्वामी को सौंप कर ही अन्यत्र विहार करना चाहिए। ऐसा न करनेवाले को अनेक दोष लगते हैं।

द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को अपने तैयार किये हुए शय्या-संस्तारक को बियोर कर ही अन्यत्र विहार करना चाहिए।

तृतीय सूत्र के व्याख्यान में इस बात पर जोर दिया गया है कि शय्या-संस्तारक की चोरी हो जाने पर साधु साधिव्यों को उसकी खोज करनी चाहिए। खोज करने पर मिल जाने पर उसी स्वामी को वापिस सौंपना चाहिए। न मिलने पर दूसरी बार याचना करके नया शय्या-संस्तारक जुमाना चाहिए। संस्तारक आदि चुरा न लिये जाएँ इसके लिए उपाश्रय को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। सावधानी रखने पर भी उपकरण आदि की चोरी हो जाने पर उन्हें ढूँढने के लिए राजपुरुषों को विधिपूर्वक समझाना चाहिए।^१

साधर्मिकावग्रहप्रकृतसूत्र :

जिस दिन श्रमणों ने अपनी वसति और संस्तारक का त्याग किया हो उसी दिन यदि दूसरे श्रमण वहाँ आ जायँ तो भी एक दिन तक पहले के श्रमणों का ही अवग्रह बना रहता है। प्रस्तुत सूत्र-विवेचन में शैक्षविषयक अवग्रह का भी विचार किया गया है। वास्तव्य और वाताहृत—आगन्तुक शैक्ष का अव्याघात आदि ग्यारह द्वारों से वर्णन किया गया है। साथ ही अवस्थितावग्रह, अनवस्थितावग्रह, राजावग्रह आदि का स्वरूप-वर्णन भी किया गया है।^१

सेनादिप्रकृतसूत्र :

परचक्र, अशिव, अवमौदर्य, बोधिकस्तेनमय आदि की सम्भावना होने पर निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को पहले से ही उस क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए।

वैसा न करने से अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। परचक्रागमन और नगररोध की स्थिति में वहाँ से न निकल सकने की दशा में भिक्षा, भक्तार्थना, वसति, स्थण्डिल और शरीरविवेचन सम्बन्धी विविध यतनाओं का सेवन करना चाहिए।^१

श्रमण-श्रमणियों को चारों दिशा-विदिशाओं में सवा योजन का अवग्रह लेकर ग्राम, नगर आदि में रहना चाहिए। इस प्रसंग पर भाष्यकार ने सव्याघात और निर्व्याघात क्षेत्र, क्षेत्रिक और अक्षेत्रिक, आभाव्य और अनाभाव्य, अचल और चल क्षेत्र, ब्रजिका, सार्थ, सेना, सर्त आदि का स्वरूप बताया है और एतत्सम्बन्धी अवग्रह की मर्यादा का निर्देश किया है।^१

चतुर्थ उद्देश .

इस उद्देश में अनुद्धातिक आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सोलह प्रकार के सूत्र हैं। भाष्यकार ने जिन विषयों का इनकी व्याख्या में समावेश किया है उनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

१. अनुद्धातिकप्रकृतसूत्र—इसकी व्याख्या में यह बताया गया है कि हस्तकर्म, मैथुन और रात्रिभोजन अनुद्धातिक अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त के योग्य हैं। हस्तकर्म का स्वरूप वर्णन करते हुए असक्लिष्ट मावहस्तकर्म के छेदन, भेदन, घर्षण, पेषण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षाररूप आठ भेद बताये गए हैं। मैथुन का स्वरूप बताते हुए देव, मनुष्य और तिर्यञ्चसम्बन्धी मैथुन की ओर निर्देश किया गया है और बताया गया है कि मैथुनभाव रागादि से रहित नहीं होता अतः उसके लिए किसी प्रकार के अपवाद का विधान नहीं किया गया है। रात्रिभोजन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने तत्सम्बन्धी अपवाद, यतनाएँ, पायश्चित्त आदि का निरूपण किया है।^१

२. पाराञ्चिकप्रकृतसूत्र—दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्यकारक पाराञ्चिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं। पाराञ्चिक के आशातनापाराञ्चिक और प्रतिसेवनापाराञ्चिक ये दो भेद हैं। आशातनापाराञ्चिक का सम्बन्ध १ तीर्थंकर, २ प्रवचन, ३. श्रुत, ४ आचार्य, ५ गणघर और ६ महर्द्धिक से है। प्रतिसेवनापाराञ्चिक के तीन भेद हैं दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्यकारक। दुष्टपाराञ्चिक दो प्रकार का है : कपायदुष्ट और विषयदुष्ट। प्रमाट पाँच प्रकार का है कपाय, विकया, विकट,

१. गा० ४७९५-४८३९

२. गा० ४८४०-४८७६

३. गा० ४८७७-

इन्द्रियों और निद्रा । प्रन्तुत अधिकार ल्यानिर्दि निद्रा का है । अन्योन्यकारक-पाराचिक्र का उपाश्रय, कुल, निवेशन, लिंग, तप, काल आदि दृष्टियों से विचार किया गया है ।'

३. अनवस्थाप्यप्रकृतसूत्र—अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य तीन प्रकार के अपराध हैं । साधर्मिकस्तैन्य, अन्यधार्मिकस्तैन्य और हस्ताताल । साधर्मिकस्तैन्य का निम्न द्वारों से विचार किया गया है - १ साधर्मिकोपधिस्तैन्य, २. व्यापारणा, ३. ध्यामना, ४ प्रस्थापना, ५. शैश, ६ आहारविधि । अन्यधार्मिकस्तैन्य का प्रयोजितान्यधार्मिकस्तैन्य और गृहस्थान्यधार्मिकस्तैन्य की दृष्टि से विवेचन किया गया है । हस्ताताल का अर्थ है हन्त, ऋड्ग आदि से आताडन । हस्ताताल के स्वरूप के साथ ही आचार्य ने हस्तालम्ब और अर्यादान का स्वरूप भी बताया है ।'

४. प्रव्राजनादिप्रकृतसूत्र—पडक, ऋीव और वातिक प्रव्रया के लिए अयोग्य हैं । पडक के सामान्यतया छः लक्षण हैं १ महिलास्वभाव, २ स्वर-भेद, ३ वर्णभेद, ४ महन्भेद—प्रलम्ब अङ्गादान, ५. मृदुवाक्, ६. सशब्द और अफेनक मूत्र । पडक के दो भेद हैं दूषितपडक और उपघातपडक । दूषितपडक के पुन. दो भेद हैं : आसिक्त और उपसिक्त । उपघातपडक के भी दो भेद हैं : वेदोपघातपडक और उपकरणोपघातपडक । वेदोपघातपडक का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने हेमकुमार का उदाहरण दिया है तथा उपकरणोपघातपडक का वर्णन करते हुए एक ही जन्म में पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद का अनुभव करनेवाले कपिल का दृष्टान्त दिया है । मंथुन के विचारमात्र से जिसके अगादान में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा बीजविन्दु गिरने ल्या जाते हैं वह ऋीव है । महामोहकर्म का उदय होने पर ऐसा होता है । अनिमित्तक अथवा अनिमित्तक मोहोदय से किसी के प्रति विकार उत्पन्न होने पर जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मानसिक स्थिरता नहीं रहती । इसी को वातिक कहते हैं । अपवाटरूप से पडक आदि को दीक्षा दी जा सकती है किन्तु उनके रहन सहन आदि की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है । पडक, ऋीव और वातिक जैसे प्रव्रया के लिए अयोग्य हैं जैसे ही मुडन, शिक्षा, उपस्थापना, सहभोजन, सहवास आदि के लिए भी अनुपयुक्त हैं ।'

वैसा न करने से अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। परचक्रागमन और नगररोध की स्थिति में वहाँ से न निकल सकने की दशा में भिक्षा, भक्तार्थना, वसति, स्थण्डिल और शरीरविवेचन सम्बन्धी विविध यतनाओं का सेवन करना चाहिए।^१

श्रमण-श्रमणियों को चारों दिशा-विदिशाओं में सवा योजन का अवग्रह लेकर ग्राम, नगर आदि में रहना चाहिए। इस प्रसंग पर भाष्यकार ने सब्याघात और निर्व्याघात क्षेत्र, क्षेत्रिक और अक्षेत्रिक, आभाव्य और अनाभाव्य, अचल और चल क्षेत्र, त्रजिका, सार्थ, सेना, सर्वत आदि का स्वरूप बताया है और एतत्सम्बन्धी अवग्रह की मर्यादा का निर्देश किया है।^१

चतुर्थ उद्देश :

इस उद्देश में अनुद्धातिक आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सोलह प्रकार के सूत्र हैं। भाष्यकार ने जिन विषयों का इनकी व्याख्या में समावेश किया है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

१. अनुद्धातिकप्रकृतसूत्र—इसकी व्याख्या में यह बताया गया है कि हस्तकर्म, मैथुन और रात्रिभोजन अनुद्धातिक अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त के योग्य हैं। हस्तकर्म का स्वरूप वर्णन करते हुए असंक्लिष्ट मावहस्तकर्म के छेदन, भेदन, घर्षण, पेषण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षाररूप आठ भेद बताये गए हैं। मैथुन का स्वरूप बताते हुए देव, मनुष्य और तिर्यञ्चसम्बन्धी मैथुन की ओर निर्देश किया गया है और बताया गया है कि मैथुनभाव रागादि से रहित नहीं होता अतः उसके लिए किसी प्रकार के अपवाद का विधान नहीं किया गया है। रात्रिभोजन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने तत्सम्बन्धी अपवाद, यतनाएँ, प्रायश्चित्त आदि का निरूपण किया है।^२

२. पाराश्रिकप्रकृतसूत्र—दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्यकारक पाराश्रिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं। पाराश्रिक के आशातनापाराश्रिक और प्रतिसेवनापाराश्रिक ये दो भेद हैं। आशातनापाराश्रिक का सम्बन्ध १ तीर्थंकर, २ प्रवचन, ३ श्रुत, ४ आचार्य, ५ गणधर और ६ महर्द्धिक से है। प्रतिसेवनापाराश्रिक के तीन भेद हैं दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्यकारक। दुष्टपाराश्रिक दो प्रकार का है : कपायदुष्ट और विषयदुष्ट। प्रमाद पाँच प्रकार का है कपाय, विकथा, विकट,

१ गा० ४७९५-४८३९

२ गा० ४८४०-४८७६

३ गा० ४८७७-

इन्द्रियों और निद्रा । प्रस्तुत अधिकार स्यान्निद्रा निद्रा का है । अन्योन्यकारक पाराचिक का उपाध्यय, कुल, निवेशन, लिंग, तप, काल आदि दृष्टियों से विचार किया गया है ।^१

३. अनवस्थाप्यप्रकृतसूत्र—अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य तीन प्रकार के अपराध हैं साधर्मिकस्तैन्य, अन्यधार्मिकस्तैन्य और हस्ताताल । साधर्मिकस्तैन्य का निम्न द्वारों से विचार किया गया है . १ साधर्मिकोपधितैन्य, २. व्यापारणा, ३ ध्यामना, ४ प्रस्थापना, ५ शौच, ६ आहारविधि । अन्यधार्मिकस्तैन्य का प्रव्रजितान्यधार्मिकस्तैन्य और गृहस्थान्यधार्मिकस्तैन्य की दृष्टि से विवेचन किया गया है । हस्ताताल का अर्थ है हस्त, खड्ग आदि से आताडन । हस्ताताल के स्वरूप के साथ ही आचार्य ने हस्तालम्ब और अर्थादान का स्वरूप भी बताया है ।^१

४. प्रव्राजनादिप्रकृतसूत्र—पडक, क्लीब और वातिक प्रव्रज्या के लिए अयोग्य हैं । पडक के सामान्यतया छः लक्षण हैं . १. महिलास्वभाव, २ स्वरभेद, ३ वर्णभेद, ४ महन्मेद—प्रलम्ब अङ्गादान, ५ मृदुवाक्, ६ सशब्द और अफेनक मूत्र । पडक के दो भेद हैं दूषितपडक और उपघातपडक । दूषितपडक के पुन. दो भेद हैं : आसिक्त और उपसिक्त । उपघातपडक के भी दो भेद हैं : वेदोपघातपडक और उपकरणोपघातपडक । वेदोपघातपडक का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने हेमकुमार का उदाहरण दिया है तथा उपकरणोपघातपडक का वर्णन करते हुए एक ही जन्म में पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद का अनुभव करनेवाले कपिल का दृष्टान्त दिया है । मैथुन के विचारमात्र से जिसके अगादान में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा बीजविन्दु गिरने लग जाते हैं वह क्लीब है । महामोहकर्म का उदय होने पर ऐसा होता है । सनिमित्तक अथवा अनिमित्तक मोहोदय से किसी के प्रति विकार उत्पन्न होने पर जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मानसिक स्थिरता नहीं रहती । इसी को वातिक कहते हैं । अपवादरूप से पडक आदि को दीक्षा दी जा सकती है किन्तु उनके रहन सहन आदि की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है । पडक, क्लीब और वातिक जैसे प्रव्रज्या के लिए अयोग्य हैं वैसे ही मुडन, शिक्षा, उपस्थापना, सहभोजन, सहवास आदि के लिए भी अनुपयुक्त हैं ।^१

१ गा० ४९६९-५०५७

२ गा० ५०५८-५१३७.

३. गा० ५१३८-

५. वाचनाप्रकृतसूत्र—अविनीत, विकृतिप्रतिबद्ध और अव्यवशमित-प्राभृत वाचना के अयोग्य हैं। इसके विपरीत विनीत, विकृतिहीन और उपशान्त-कषाय वाचना के योग्य हैं।^१

६ संज्ञाप्यप्रकृतसूत्र—दुष्ट, मूढ और व्युद्ग्राहित उपदेश आदि के अनधिकारी हैं। अदुष्ट, अमूढ और अव्युद्ग्राहित उपदेश आदि के वास्तविक अधिकारी हैं।^२

७ ग्लानप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों रुग्णावस्था में हों उस समय उनकी विविध यतनाओं के साथ सेवा करनी चाहिए।^३

८ काल-क्षेत्रातिक्रान्तप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए कालातिक्रान्त तथा क्षेत्रातिक्रान्त अशनादि अकल्प्य है। जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक के लिए कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त की भिन्न-भिन्न मर्यादाएँ हैं।^४

९ अनेपणीयप्रकृतसूत्र—भिक्षाचर्या में कदाचित् अनेपणीय—अशुद्ध स्निग्ध अशनादि ले लिया गया हो तो उसे अनुपस्थापित (अनारोपितमहामत) शिष्य को दे देना चाहिए। यदि कोई वैसा शिष्य न हो तो उसका प्राशुक भूमि में विसर्जन कर देना चाहिए।^५

१०. कल्पाकल्पस्थितप्रकृतसूत्र—जो अशनादि कल्पस्थित भ्रमणों के लिए कल्प्य है वह अकल्पस्थित भ्रमणों के लिए अकल्प्य है। इसी प्रकार जो अशनादि अकल्पस्थित भ्रमणों के लिए कल्प्य है वह कल्पस्थित भ्रमणों के लिए अकल्प्य है।^६

११ गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतसूत्र—किसी भी निर्ग्रन्थ को किसी कारण से अन्य गण में उपसम्पदा ग्रहण करनी हो तो आचार्य आदि से पूछकर ही वैसा करना चाहिए। ज्ञान दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि के लिए ही गणान्तरोपसम्पदा स्वीकार की जाती है। ज्ञानोपसम्पदा, दर्शनोपसम्पदा और चारित्र्योपसम्पदा के ग्रहण की विभिन्न विधियाँ हैं।^७

१२. विष्वग्भवनप्रकृतसूत्र—इसमें मृत्युप्राप्त भिक्षु आदि के शरीर की परिष्ठापना का विचार किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित द्वारों का आश्रय लिया गया है १ प्रत्युपेक्षणाद्वार, २ दिग्द्वार, ३ णन्तकद्वार, ४ कालगत-द्वार, ५ जागरण बन्धन छेदनद्वार, ६ कुशप्रतिमाद्वार, ७ निवर्तनद्वार, ८ मात्रकद्वार, ९ शीर्षद्वार, १० तृणादिद्वार, ११ उपकरणद्वार, १२ कायोत्सर्ग

१ गा० ५१९७-५२१० २ गा० ५२११-५२३५ ३ गा० ५२३६-
५२६२ ४ गा० ५२६३-५३१४ ५ गा० ५३१५-५३३८ ६ गा०
५३३९-५३६१ ७ गा० ५३६२-५४९६

द्वार, १३ प्रादक्षिण्यद्वार, १४. अम्युत्थानद्वार, १५. व्याहरणद्वार, १६ परिष्ठापक कायोत्सर्गद्वार, १७ क्षपण-स्वाध्यायमार्गगाद्वार, १८. न्युत्सर्जनद्वार, १९ अवलोकनद्वार ।^१

१३. अधिकरणप्रकृतसूत्र—भिक्षु का गृहस्थ के साथ अधिकरण—शगडा हो गया हो तो उसे शान्त किए त्रिना भिक्षाचर्या आदि करना अकल्प्य है ।^१

१४. परिहारिकप्रकृतसूत्र—परिहारतप में स्थित भिक्षु को इन्द्रमहादि उत्सवों के दिन विपुल भक्त-पानादि दिया जा सकता है । वाद में नहीं । उनकी अन्य प्रकार की सेवा तो वाद में भी की जा सकती है ।^१

१५ महानदीप्रकृतसूत्र—निर्गन्ध निर्गन्धियों को गंगा, यमुना, सरयू, कोशिका, मही आदि महानदियों को महीने में एक से अधिक बार बार नहीं करना चाहिए । ऐरावती आदि कम गहरी नदियों महीने में दो तीन बार बार की जा सकती हैं । नदी पार करने के लिए सक्रम, स्थल और नोत्थल—इस प्रकार तीन तरह के मार्ग बताये गये हैं ।^१

१६ उपाश्रयविधिप्रकृतसूत्र—इन सूत्रों की व्याख्या में निर्गन्ध निर्गन्धियों के लिए वर्षाऋतु एव अन्य ऋतुओं में रहने योग्य उपाश्रयों का वर्णन किया गया है ।^१

पचम उद्देश :

इस उद्देश में ब्रह्मापाय आदि ग्यारह प्रकार के सूत्र हैं । भाष्यकार ने इन सूत्रों की व्याख्या में निम्न विषयों का समावेश किया है —

१ ब्रह्मापायप्रकृतसूत्र—गच्छसम्बन्धी शास्त्र स्मरणविषयक व्याघातों का घर्मकथा, महर्द्धिक, आवश्यकी, नैपेधिकी, आलोचना, वादी, प्राघूर्णक, महाजन, ग्लान आदि द्वारों से निरूपण, शास्त्रस्मरण के लिए गुरु की आज्ञा, गच्छवास के गुणों का वर्णन ।^१

२. अधिकरणप्रकृतसूत्र—अधिकरण—क्लेश की शान्ति न करते हुए स्वगण को छोड़कर अन्य गण में जाने वाले भिक्षु, उपाध्याय, आचार्य आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्त, क्लेश के कारण गच्छ का त्याग न करते हुए क्लेशयुक्त चित्त से गच्छ में रहने वाले भिक्षु आदि को शान्त करने की विधि, शान्त न होने वाले को लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त आदि ।^१

१ गा० ५४९७-५५६५ २ गा० ५५६६-५५९३ ३ गा० ५५९४-
५६१७ ४ गा० ५६१८-५६६४, ५ गा० ५६६५-५६८१ ६ गा०
५६८२-५७३५, ७ गा० ५७३६-५७८३

५. वाचनाप्रकृतसूत्र—अविनीत, विकृतिप्रतिबद्ध और अव्यवशमित-प्राभृत वाचना के अयोग्य हैं। इसके विपरीत विनीत, विकृतिहीन और उपशान्त-कषाय वाचना के योग्य हैं।^१

६ सद्वाप्यप्रकृतसूत्र—दुष्ट, मूढ और व्युद्ग्राहित उपदेश आदि के अनधिकारी हैं। अदुष्ट, अमूढ और अव्युद्ग्राहित उपदेश आदि के वास्तविक अधिकारी हैं।^२

७ ग्लानप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ रुग्णावस्था में हों उस समय उनकी विविध यतनाओं के साथ सेवा करनी चाहिए।^३

८ काल-क्षेत्रातिक्रान्तप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए कालाति-क्रान्त तथा क्षेत्रातिक्रान्त अशनादि अकल्प्य है। जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक के लिए कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त की भिन्न भिन्न मर्यादाएँ हैं।^४

९ अनेपणीयप्रकृतसूत्र—भिक्षाचर्या में कदाचित् अनेषणीय—अशुद्ध स्निग्ध अशनादि ले लिया गया हो तो उसे अनुपस्थापित (अनारोपितमहाव्रत) शिष्य को दे देना चाहिए। यदि कोई वैसा शिष्य न हो तो उसका प्राशुक भूमि में विसर्जन कर देना चाहिए।^५

१०. कल्पाकल्पस्थितप्रकृतसूत्र—जो अशनादि कल्पस्थित भ्रमणों के लिए कल्प्य है वह अकल्पस्थित भ्रमणों के लिए अकल्प्य है। इसी प्रकार जो अशनादि अकल्पस्थित भ्रमणों के लिए कल्प्य है वह कल्पस्थित भ्रमणों के लिए अकल्प्य है।^६

११. गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतसूत्र—किसी भी निर्ग्रन्थ को किसी कारण से अन्य गण में उपसम्पदा ग्रहण करनी हो तो आचार्य आदि से पूछकर ही वैसा करना चाहिए। ज्ञान दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि के लिए ही गणान्तरोपसम्पदा स्वीकार की जाती है। ज्ञानोपसम्पदा, दर्शनोपसम्पदा और चारित्र्योपसम्पदा के ग्रहण की विभिन्न विधियाँ हैं।^७

१२ विष्वग्भवनप्रकृतसूत्र—इसमें मृत्युप्राप्त मिश्रु आदि के शरीर की परिष्ठापना का विचार किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित द्वारों का आश्रय लिया गया है १ प्रत्युपेक्षणाद्वार, २ टिग्द्वार, ३ गन्तकद्वार, ४ कालगत द्वार, ५ जागरण बन्धन छेदनद्वार, ६ कुशप्रतिमाद्वार, ७ निवर्तनद्वार, ८ मात्रकद्वार, ९ शीर्षद्वार, १० तृणादिद्वार, ११ उपकरणद्वार, १२ कायोत्सर्ग-

१ गा० ५१९७-५२१० २ गा० ५२११-५२३५ ३ गा० ५२३६-
५२६२ ४ गा० ५२६३-५३१४ ५ गा० ५३१५-५३३८ ६ गा०
५३३९-५३६१ ७ गा० ५३६२-५४९६

द्वार, १३ प्रादक्षिण्यद्वार, १४. अभ्युत्थानद्वार, १५. व्याहरणद्वार, १६ परिष्ठापक कायोत्सर्गद्वार, १७. क्षपण-स्वाध्यायमार्गाद्वार, १८. व्युत्सर्जनद्वार, १९ अवलोकनद्वार ।^१

१३. अधिकरणप्रकृतसूत्र—भिक्षु का गृहस्थ के साथ अधिकरण—शगडा हो गया हो तो उसे शान्त किए बिना भिक्षाचर्या आदि करना अकल्प्य है ।

१४ परिहारिकप्रकृतसूत्र—परिहारतप में स्थित भिक्षु को इन्द्रमहादि उत्सवों के दिन विपुल भक्त पानादि दिया जा सकता है । वाद में नहीं । उनकी अन्य प्रकार की सेवा तो वाद में भी की जा सकती है ।^१

१५ महानदीप्रकृतसूत्र—निर्मन्थ निर्मन्थियों को गगा, यमुना, सरयू, कोशिका, मही आदि महानदियों को महीने में एक से अधिक बार पार नहीं करना चाहिए । ऐरावती आदि कम गहरी नदियाँ महीने में दो तीन बार पार की जा सकती हैं । नदी पार करने के लिए सक्रम, स्थल और नोस्थल—इस प्रकार तीन तरह के मार्ग बताये गये हैं ।^१

१६ उपाश्रयविधिप्रकृतसूत्र—इन सूत्रों की व्याख्या में निर्मन्थ निर्मन्थियों के लिए वर्षाऋतु एव अन्य ऋतुओं में रहने योग्य उपाश्रयों का वर्णन किया गया है ।^१

पचम उद्देश :

इस उद्देश में ब्रह्मापाय आदि ग्यारह प्रकार के सूत्र हैं । भाष्यकार ने इन सूत्रों की व्याख्या में निम्न विषयों का समावेश किया है —

१ ब्रह्मापायप्रकृतसूत्र—गच्छसम्बन्धी शास्त्र स्मरणविषयक व्याघातों का धर्मकथा, महर्द्धिक, आवश्यकी, नैषेधिकी, आलोचना, वादी, प्राघूर्णक, महाजन, ग्लान आदि द्वारों से निरूपण, शास्त्रस्मरण के लिए गुरु की आज्ञा, गच्छवास के गुणों का वर्णन ।^१

२ अधिकरणप्रकृतसूत्र—अधिकरण—क्लेश की शान्ति न करते हुए स्वगण को छोड़कर अन्य गण में जाने वाले भिक्षु, उपाध्याय, आचार्य आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्त, क्लेश के कारण गच्छ का त्याग न करते हुए क्लेशयुक्त चित्त से गच्छ में रहने वाले भिक्षु आदि को शान्त करने की विधि, शान्त न होने वाले को लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त आदि ।^१

१ गा० ५४९७-५५६५

२ गा० ५५६६-५५९३

३ गा० ५७९४-

५६१७

४ गा० ५६१८-५६६४,

५ गा० ५६६५-५६८१

६. गा०

५६८२-५७२५

७. गा० ५७२६-५७८३

३ सस्त्रुतनिर्विचिकित्सप्रकृतसूत्र—सशक्त अथवा अशक्त भिक्षु आदि सूर्य के उदय और अस्ताभाव के प्रति निश्चक होकर आहार आदि ग्रहण करते हैं और रात में ऐसा माखूम हो कि सूर्योदय हुआ ही नहीं है अथवा सूर्यास्त हो गया है। ऐसी दशा में आहार आदि का त्याग कर देने पर उनकी रात्रि-भोजनविरति अखंडित ही रहती है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रति शकाशील होकर आहारादि ग्रहण करते हैं उनकी रात्रिभोजनविरति खंडित होती है—इस सिद्धान्त का प्रतिपादन।^१

४ उद्गारप्रकृतसूत्र—भिक्षु, आचार्य आदि सम्बन्धी उद्गार—वमनादि विषयक दोष, प्रायश्चित्त आदि, उद्गार के कारण, उद्गार की दृष्टि से भोजन विषयक विविध आदेश, तद्विषयक अपवाद आदि।^२

५ स्नाहारविधिप्रकृतसूत्र—जिस प्रदेश में आहार, जल आदि जीवादि से ससक्त ही मिलते हैं उस प्रदेश में जाने का विचार, प्रयत्न आदि करने से लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त आदि, अशिव, दुर्मिक्ष आदि कारणों से ऐसे प्रदेश में जाने का प्रसंग आने पर तद्विषयक विविध यतनाएँ।^३

६ पानकविधिप्रकृतसूत्र—पानक अर्थात् पानी के ग्रहण की विधि, उसके परिष्ठापन की विधि, तद्विषयक अपवाद आदि।^४

७ ब्रह्मरक्षाप्रकृतसूत्र—पशु पक्षी के स्पर्श आदि से समावित दोष, प्रायश्चित्त आदि, अकेली रहने वाली निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद आदि, नग्न निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष आदि, पात्ररहित निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष आदि, निर्ग्रन्थी के लिए व्युत्सृष्ट काय की अकल्प्यता, निर्ग्रन्थी के लिए ग्राम, नगर आदि के बाहर आतापना लेने का निषेध, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आतापना का स्वरूप, निर्ग्रन्थी के लिए उपयुक्त आतापनाएँ, स्थानायत, प्रतिमास्थित, निषद्या, उत्कटिकासन, वीरासन, दण्डासन, लगण्डशापी, अवा-इमुख, उत्तान, आम्रकुब्ज, एकपार्श्वशापी आदि आसनों का स्वरूप और निर्ग्रन्थियों के लिए तद्विषयक विधि-निषेध, निर्ग्रन्थियों के लिए आकृचनपट्ट के उपयोग का निषेध, निर्ग्रन्थियों के लिए सावभ्रय आसन, सविषाण पीठफलक, सधुन्त अलावु, सधुन्त पात्रकेसरिका और दासदण्डक के उपयोग का प्रतिषेध।^५

१. गा० ५७८४-५८२८ २ गा० ५८२९-५८६० ३ गा० ५८६१-५८९६
४ गा० ५८९५-५९१८ ५ गा० ५९१९-५९७५.

८ मोकप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए परस्पर मोक के आचमन आदि का निषेध ।^१

९ परिवासितप्रकृतसूत्र—परिवासित आहार का स्वरूप, परिवासित आहार और अनाहार विषयक दोष, अपवाद आदि, परिवासित आन्नेपनद्रव्य के उपयोग का निषेध, परिवासित तेल आदि से अभ्यगन आदि करने का निषेध ।^२

१० व्यवहारप्रकृतसूत्र—परिहारकल्पस्थित भिक्षु को लगने वाले कारण जन्य अतिक्रमादि दोष और उनका प्रायश्चित्त आदि ।^३

११ पुलाकभक्तप्रकृतसूत्र—धान्यपुलाक, गघपुलाक और रसपुलाक का स्वरूप, पुलाकभक्तविषयक दोषों का वर्णन, निर्ग्रन्थियों के लिए पुलाकभक्त का निषेध ।^४

षष्ठ उद्देश :

इस उद्देश में वचन आदि से सम्बन्धित सात प्रकार के सूत्र हैं । भाष्यकार सघदासगणि क्षमाश्रमण ने इन सूत्रों की व्याख्या में जिन विषयों पर प्रकाश डाला है उनका क्रमशः परिचय इस प्रकार है :—

१. वचनप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को अलीक, हीलित, टिसिन, परुष, अगारस्थित और व्यवशमितोदीरण वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । इन्हें अवचन अर्थात् दुर्वचन कहा गया है । अलीक वचन के निम्नलिखित सत्रह स्थान हैं १ प्रचला, २ आर्द्र, ३ मरुक, ४ प्रत्याख्यान, ५ गमन, ६ पर्याय, ७ समुद्देश, ८ सखडी, ९ क्षुल्क, १० पारिहारिक, ११ घोटकमुली, १२ अवश्यगमन, १३ दिग्विषय, १४ एककुलगमन, १५ एकद्रव्यग्रहण, १६ गमन, १७ भोजन ।^५

२. प्रस्तारप्रकृतसूत्र—इस सूत्र की व्याख्या में प्राणवधवाद, मृपावाद, अदत्तादानवाद, अविरनिवाद, अपुरुषवाद और दासवादविषयक प्रायश्चित्तों के प्रस्तारों—रचना के विविध प्रकारों का निरूपण किया गया है । साथ ही प्रस्तारविषयक अपवादों का भी विधान किया गया है ।^६

१ गा० ५९७६-१९९६ २ गा० ५९९७-६०३२ ३ गा० ६०३३-६०४६.
४ गा० ६०४७-६०५९ ५ गा० ६०६०-६१२८ ६ गा० ६१२९-६१६२

३ सस्त्रुतनिर्विचिकित्सप्रकृतसूत्र—सशक्त अथवा अशक्त भिक्षु आदि सूर्य के उदय और अस्ताभाव के प्रति निश्चक होकर आहार आदि ग्रहण करते हैं और बाद में ऐसा मालूम हो कि सूर्योदय हुआ ही नहीं है अथवा सूर्यास्त हो गया है। ऐसी दशा में आहार आदि का त्याग कर देने पर उनकी रात्रिभोजनविरति खण्डित ही रहती है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रति शकाशील होकर आहारादि ग्रहण करते हैं उनकी रात्रिभोजनविरति खण्डित होती है—इस सिद्धान्त का प्रतिपादन।^१

४. उद्गारप्रकृतसूत्र—भिक्षु, आचार्य आदि सम्बन्धी उद्गार—वमनादि विषयक दोष, प्रायश्चित्त आदि, उद्गार के कारण, उद्गार की दृष्टि से भोजन विषयक विविध आदेश, तद्विषयक अपवाद आदि।^२

५. आहारविधिप्रकृतसूत्र—जिस प्रदेश में आहार, जल आदि बीवाटि से ससक्त ही मिलते हैं उस प्रदेश में जाने का विचार, प्रयत्न आदि करने से लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त आदि, अशिव, दुर्मिक्ष आदि कारणों से ऐसे प्रदेश में जाने का प्रसंग आने पर तद्विषयक विविध यतनाएँ।^३

६. पानकविधिप्रकृतसूत्र—पानक अर्थात् पानी के ग्रहण की विधि, उसके परिष्ठापन की विधि, तद्विषयक अपवाद आदि।^४

७. ब्रह्मरक्षाप्रकृतसूत्र—पशु पक्षी के स्पर्श आदि से समाहित दोष, प्रायश्चित्त आदि, अकेली रहने वाली निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद आदि, नग्न निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष आदि, पात्ररहित निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष आदि, निर्ग्रन्थी के लिए व्युत्सृष्ट काय की अकल्प्यता, निर्ग्रन्थी के लिए ग्राम, नगर आदि के बाहर आतापना लेने का निषेध, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आतापना का स्वरूप, निर्ग्रन्थी के लिए उपयुक्त आतापनाएँ, स्थानायत, प्रतिमास्थित, निषद्या, उत्कटिकासन, वीरासन, दण्डासन, लगण्डशायी, अवाङ्मुल, उत्तान, आम्रकुब्ज, एकपाश्वर्शायी आदि आसनों का स्वरूप और निर्ग्रन्थियों के लिए तद्विषयक विधि-निषेध, निर्ग्रन्थियों के लिए आकुचनपट्ट के उपयोग का निषेध, निर्ग्रन्थियों के लिए सायभ्रय आसन, सविषाण पीठकलक, सवृन्त अलावु, सवृन्त पात्रकेसरिका और दासदण्डक के उपयोग का प्रतिषेध।^५

१ गा० ५७८४-५८२८ २ गा० ५८२९-५८६०. ३ गा० ५८६१-५८९६
४ गा० ५८९७-५९१८ ५ गा० ५९१९-५९७५.

८ मोकप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए परहार मोक के आनमन आदि का निषेध ।^१

९ परिवासितप्रकृतसूत्र—परिवासित आहार का स्वरूप, परिवासित आहार और अनाहार विषयक दोष, अपवाद आदि, परिवासित आन्वेषनद्रव्य के उपयोग का निषेध, परिवासित तेल आदि से अभ्यगन आदि करने का निषेध ।^१

१० व्यवहारप्रकृतसूत्र—परिहारकल्पस्थित भिक्षु को लगने वाले कारण जन्य अतिक्रमादि दोष और उनका प्रायश्चित्त आदि ।^१

११ पुलाकभक्तप्रकृतसूत्र—धान्यपुलाक, गधपुलाक और रसपुलाक का स्वरूप, पुलाकभक्तविषयक दोषों का वर्णन, निर्ग्रन्थियों के लिए पुलाकभक्त का निषेध ।^१

पष्ठ उद्देश :

इस उद्देश में वचन आदि से सम्बन्धित सात प्रकार के सूत्र हैं । भाष्यकार सघदासगणि क्षमाश्रमण ने इन सूत्रों की व्याख्या में जिन त्रिपयों पर प्रकाश डाला है उनका क्रमशः परिचय इस प्रकार है :—

१ वचनप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को अलीक, हीलित, तिसिन, परुप, अगारस्थित और व्यवशमितोदीरण वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । इन्हें अवचन अर्थात् दुर्वचन कहा गया है । अलीक वचन के निम्नलिखित सत्रह स्थान हैं . १ प्रचला, २ आर्द्र, ३ मरुक, ४ प्रत्याख्यान, ५ गमन, ६ पर्याय, ७ समुद्देश, ८ सखडी, ९ क्षुत्क्र, १०. पारिहारिक, ११. घोटकमुखी, १२ अवश्यगमन, १३ दिग्विषय, १४ एककुलगमन, १५ एकद्रव्यग्रहण, १६ गमन, १७ भोजन ।^६

२. प्रस्तारप्रकृतसूत्र—इस सूत्र की व्याख्या में प्राणवधवाद, मृपावाद, अदत्तादानवाद, अविरनिवाद, अपुरुषवाद और दासवादविषयक प्रायश्चित्तों के प्रस्तारों—रचना के विविध प्रकारों का निरूपण किया गया है । साथ ही प्रस्तार-विषयक अपवादों का भी विधान किया गया है ।^६

१ गा० ५९७६-५९९६

२ गा० ५९९७-६०३२

३ गा० ६०३३-

६०४६

४ गा० ६०४७-६०५९

५ गा० ६०६०-६१२८

६ गा०

६१२९-६१६२

३. कण्टकाद्युद्धरणप्रकृतसूत्र—इस प्रसंग पर निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थीविषयक कटक आदि के उद्धरण से सम्बन्धित उत्सर्गमार्ग, विपर्यासजन्य दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद, यतनाएँ आदि बातों का विचार किया गया है।^१

४ दुर्गप्रकृतसूत्र—इस प्रसंग पर यह बताया गया है कि भ्रमण-भ्रमणियों को दुर्ग अर्थात् विषम मार्ग से नहीं जाना चाहिये। इसी प्रकार एक आदि वाले मार्ग से भी नहीं जाना चाहिए।^१

५ क्षिप्तचित्तादिप्रकृतसूत्र—विविध कारणों से क्षिप्तचित्त हुई निर्ग्रन्थी को समझाने का क्या मार्ग है, क्षिप्तचित्त निर्ग्रन्थी की देल-रेख की क्या विधि है, दीतचित्त होने के क्या कारण हैं, दीतचित्त भ्रमणी के लिए किन यतनाओं का परिपालन आवश्यक है—आदि प्रश्नों का विचार करते हुए आचार्य ने उन्माद, उपसर्ग, अधिकरण—क्लेश, प्रायश्चित्त, भक्तपान, अर्थनात आदि विषयों की दृष्टि से निर्ग्रन्थाविषयक विधि-निषेधों का विवेचन किया है।^१

६ परिमन्थप्रकृतसूत्र—साधुओं के लिए छ प्रकार के परिमन्थ अर्थात् व्याघात माने गए हैं १ कौकुचिक, २. मौखरिक, ३ चक्षुर्लोल, ४. तित्ति-णिक, ५ इच्छालोभ, ६ भिज्जानिदानकरण। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में इन परिमन्थों के स्वरूप, दोष, अपवाद आदि का विचार किया गया है।^१

७ कल्पस्थितिप्रकृतसूत्र—इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने निम्नलिखित छ प्रकार की कल्पस्थितियों का वर्णन किया है १ सामायिक-कल्पस्थिति, २ छेदोपस्थापनीयकल्पस्थिति, ३ निर्विशमानकल्पस्थिति, ४ निर्विष्टकायिककल्पस्थिति, ५ जिनकल्पस्थिति, ६ स्थविरकल्पस्थिति। छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति का दस स्थानों द्वारा निरूपण किया है १ अचेलक्यकल्पद्वार—अचेलक का स्वरूप, अचेलक-सचेलक का विभाग, वस्त्रों का स्वरूप आदि, २ औद्देशिककल्पद्वार, ३ शय्यातरपिण्डकल्पद्वार, ४ राजपिण्डकल्पद्वार—राजा का स्वरूप, आठ प्रकार के राजपिण्ड आदि, ५ कृतिकल्पद्वार, ६ व्रत-कल्पद्वार—पंचव्रतात्मक और चतुर्व्रतात्मक धर्म की व्यवस्था, ७ ज्येष्ठकल्पद्वार, ८. प्रतिक्रमणकल्पद्वार, ९ मासकल्पद्वार, १० पर्युपणाकल्पद्वार। बृहत्कल्प सूत्र के प्रस्तुत भाष्य की समाप्ति करते हुए आचार्य ने कल्पाध्ययन शास्त्र के अधिकारी और अनधिकारी का सक्षिप्त निरूपण किया है।^१

बृहत्कल्प-लघुभाष्य के इस सारग्राही संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसमें जैन साधुओं—मुनियों—श्रमणों—निर्ग्रन्थों—भिक्षुओं के आचार विचार का अत्यन्त सूक्ष्म एवं सतर्क विवेचन किया गया है। विवेचन के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा अध्ययन हो सकता है। तत्कालीन भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री का भी इसमें बहुल्य है। इन सब दृष्टियों से प्रस्तुत भाष्य का भारतीय साहित्य के इतिहास में निःसन्देह एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन साहित्य के इतिहास के लिए इसका महत्त्व और भी महान् है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। सचदासगणि क्षमाश्रमण का भारतीय साहित्य पर और विशेषकर जैन साहित्य पर महान् उपकार है कि जिन्होंने जैन आचार पर इस प्रकार के समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं सर्वांगसुन्दर ग्रन्थ का निर्माण किया।



पंचम प्रकरण

व्यवहारभाष्य

व्यवहार सूत्र भी बृहत्कल्प सूत्र की ही भाँति साधु-साध्वियों के आचार से सम्बन्ध रखता है। इसमें दस उद्देश हैं। इन उद्देशों में आलोचना, प्रायश्चित्त, गच्छ, पदवी, विहार, मृत्यु, उपाश्रय, उपकरण, प्रतिमाएँ आदि विषयों का वर्णन किया है। प्रस्तुत भाष्य^१ इन्हीं विषयों पर विशेष प्रकाश डालता है। व्यवहारभाष्य के कर्तृत्व के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बृहत्कल्पलघुभाष्य का परिचय देते समय हमने जैन श्रमणों के आचारसम्बन्धी नियमों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। व्यवहारभाष्य के परिचय में उन्हीं विषयों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनका विशेष विवेचन बृहत्कल्प के भाष्य में नहीं किया गया है।

पीठिका :

बृहत्कल्पभाष्यकार की भाँति व्यवहारभाष्यकार ने भी अपने भाष्य के प्रारम्भ में पीठिका दी है। पीठिका में सर्वप्रथम व्यवहार, व्यवहारी और व्यवहर्तव्य का निक्षेप पद्धति से स्वरूप वर्णन किया गया है। जो स्वयं व्यवहार से अभिज्ञ है वह गीतार्थ है। जिसे व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है वह अगीतार्थ है। अगीतार्थ के साथ पुरुष को व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि यथोचित व्यवहार करने पर भी वह यही समझेगा कि मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। अतः गीतार्थ के साथ ही व्यवहार करना चाहिए।^१

व्यवहार आदि में दोषों की सम्भावना रहती है अतः उनके लिए प्रायश्चित्तों का भी विधान किया जाता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भाष्यकार ने प्रायश्चित्त का अर्थ, भेद, निमित्त, अध्ययनविशेष, तदर्हपर्यद् आदि दृष्टियों से

१ नियुक्ति-भाष्य-मलयगिरिविवरणसहित सशोधक-मुनि माणिक, प्रकाशक-केशवलाल प्रेमचन्द मोदी व त्रिकमलाल उगरचन्द, महमदाबाद, वि० सं० १९८२-५

विवेचन किया है ।^१ प्रस्तुत भाष्य में प्रायश्चित्त का ठीक वही अर्थ किया गया है जो जीतकल्पभाष्य में उपलब्ध है ।^२ प्रतिसेवना, सयोजना, आरोपणा और परिकुञ्चना—इन चारों के लिए चार प्रकार के प्रायश्चित्त बताये गए हैं ।^३ प्रतिसेवना आदि के स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का अनेक प्रकार के भेद-प्रभेदों के साथ विचार किया गया है । वृहत्कल्पभाष्यकार की भाँति व्यवहार-भाष्यकार ने भी अनेक बातों का दृष्टान्तपूर्वक स्पष्टीकरण किया है ।^४

प्रथम उद्देश :

पीठिका की समाप्ति के बाद आचार्य सूत्र-स्पर्शिक निर्युक्ति का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं । प्रश्न आदि के सम्बन्ध में आचार्य ने सकेत किया है कि कल्प नामक अध्ययन में जिस प्रकार इनका निषेध किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए ।^५ प्रथम सूत्र में आने वाले 'भिक्षु' शब्द का नाम, स्थापना, द्रव्य और भावदृष्टि से विचार किया गया है ।^६ 'मास' शब्द का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावनिक्षेप से प्ररूपण किया गया है और बताया गया है कि प्रस्तुत अधिकार कालमास का है ।^७ 'परिहार' शब्द का निम्न दृष्टियों से विवेचन किया गया है १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ परिरय, ५ परिहरण, ६ वर्जन, ७ अनुग्रह, ८ आपन्न, ९ शुद्ध ।^८ इसी प्रकार 'स्थान', 'प्रतिसेवना', 'आलोचना' आदि पदों की व्याख्या की गई है । आलोचना की विधि की ओर निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने माता-पिता के सामने सरल भाव से अपने मन की सब बातें रख देता है उसी प्रकार आलोचक को भी सरल भाव से अपने गुरु के समक्ष अपने प्रत्येक प्रकार के अपराध को रख देना चाहिए । ऐसा करने से उसमें आर्जव, विनय, निर्मलता, निःशयता आदि अनेक गुणों की वृद्धि होती है ।^९ प्रायश्चित्त के

१ गा० ३४

२ पाव छिंदद् जम्हा, पायच्छित्त तु भण्णत्तेण ।
पाएण वा वि चित्त, विसोहए तेण पच्छित्त ॥

—व्यवहारभाष्य, ३५

पाव छिंदति जम्हा, पायच्छित्त ति भण्णते तेण ।

पायेण वा वि चित्त, सोहयई तेण पच्छित्त ॥

—जीतकल्पभाष्य, ५

३. गा० ३६ ४ गा० ३७-१८४ ५ द्वितीय विभाग गा० २ ६. गा० ३-१२ ७ गा० १३-२६ ८. गा० २७-९ ९ गा० १३४

विविध विधानों की ओर संकेत करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि कपटपूर्वक आलोचना करने वाले के लिए कठोर प्रायश्चित्त का आदेश है। मासिकादि प्रायश्चित्त का सेवन करते हुए प्रायश्चित्त में वृद्धि-हानि क्यों होती है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि इस वृद्धि-हानि का कारण सर्वज्ञों ने राग-द्वेष हर्ष आदि अव्यवसायों की मात्रा बताया है।^१

अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार—इन चार प्रकार के आधा कर्मादि विषयक अतिचारों के लिए भिन्न-भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है। अतिक्रम के लिए मासगुरु, व्यतिक्रम के लिए मासगुरु और काललघु, अतिचार के लिए तपोगुरु और कालगुरु और अनाचार के लिए चतुर्गुरु प्रायश्चित्त है। ये सब प्रायश्चित्त स्वविरकल्पिकों की दृष्टि से हैं। जिनकल्पिकों के लिए भी इनका विधान है किन्तु प्राय वे इन अतिचारों का सेवन नहीं करते।^२

किस प्रकार के दोष के लिए किस प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान किया जाता है, इसे समझाने के लिए भाष्यकार ने चातादि रोग की उपशान्ति के लिए प्रयुज्यमान घृतकुट के चार भगों का दृष्टान्त दिया है। ये चार भग इस प्रकार हैं. कभी एक घृतकुट से एक रोग का नाश होता है, कभी एक घृतकुट से अनेक रोगों का नाश होता है, कभी अनेक घृतकुटों से एक रोग दूर होता है और कभी अनेक घृतकुटों से अनेक रोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार विविध दोषों के लिए विविध प्रायश्चित्तों का विधान किया जाता है।^३ मूलगुण और उत्तरगुण के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने बताया है कि एक की रक्षा एवं परिवृद्धि के लिए दूसरे का परिपालन आवश्यक है। यही कारण है कि दोनों प्रकार के गुणों के दोषों की परिशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है और बताया गया है कि दोनों की शुद्धि से ही चारित्र्य शुद्ध रहता है।^४

उत्तरगुणों की रक्षा की ओर अपना ध्यान खींचते हुए भाष्यकार कहते हैं कि पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिभा और अभिप्रह उत्तरगुणान्तर्गत हैं। इनके क्रमशः बयालीस, आठ, पचीस, बारह, बारह और चार भेद हैं।^५ प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं निर्गत और वर्तमान। जो तपोहर्ष प्रायश्चित्त से अतिक्रान्त हो चुके होते हैं उन्हें निर्गत कहते हैं तथा जो उसमें विद्यमान

१ गा० १६६.

२ गा० २५१-३

३ गा० २५७-२६२

४ गा० २८१-८

५ गा० २८९-२९०

होते हैं उन्हें वर्तमान कहते हैं। वर्तमान के पुनः दो भेद हैं सचयिन और असचयित। ये दोनों पुनः दो-दो प्रकार के हैं उद्घात और अनुद्घात। निर्गन्त तप से तो निकल जाते हैं किन्तु छेदादि प्रायश्चित्तों में विद्यमान रहते हैं। सचयिन असचयित आदि के लिए भिन्न भिन्न काल की प्रस्थापनाएँ होती हैं। असचयिन प्रायश्चित्त के लिए यथावसर एक मास से छ मास तक की प्रस्थापना होती है जबकि सचयित प्रायश्चित्त के लिए नियमत छ मास की प्रस्थापना होती है।

प्रायश्चित्तार्ह अर्थात् प्रायश्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं उभयतर, आत्मतर, परतर और अन्यतर। जो पुरुष तप करता हुआ दूसरों की सेवा भी कर सकता हो वह उभयतर है। जो केवल तप ही कर सकता है वह आत्मतर है। जो केवल आचार्य आदि की सेवा ही कर सकता है वह परतर है। जो तप और सेवा इन दोनों में से एक समय में किसी एक का ही सेवन कर सकता हो वह अन्यतर है।^१

निकाचना आदि प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि निकाचना वस्तुतः आलोचना ही है। आलोचना आलोचनार्ह और आलोचक के बिना नहीं होती अतः आलोचनार्ह और आलोचक का विवेचन करना चाहिए। आलोचनार्ह निरपलापी होता है तथा निम्नलिखित आठ विशेषणों से युक्त होता है आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, अपनीडक, प्रकुर्वी, निर्यापक, अपायदर्शी और अपरिश्रावी। आलोचक निम्नलिखित दस विशेषणों से युक्त होता है जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न, विनयसम्पन्न, ज्ञानसम्पन्न, दर्शनसम्पन्न, चरणसम्पन्न, क्षान्त, दान्त, अमायी और अपश्चात्तापी।^१ इसी प्रकार भाष्यकार ने आलोचना के दोष, तद्गणित्यभूत द्रव्यादि, प्रायश्चित्तदान की विधि आदि का भी विवेचन किया है।^१

परिहार आदि तपों का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने तपसहभावी सेवा—वैयावृत्य का स्वरूप-वर्णन किया है। वैयावृत्य के तीन भेद हैं अनुशिष्टि, उपालम्भ और अनुग्रह। इन तीनों में से प्रत्येक के पुनः तीन भेद हैं आत्मविषयक, परविषयक और उभयविषयक।^१ इनका स्वरूप समझाने के लिए सुमद्रा, मृगावती आदि के उदाहरण भी दिये गये हैं।

१ गा० २९१-४

२ गा० २९८-९

३ गा० ३३६-३४०

४ गा० ३४१-३५३

५ गा० ३७४

मूल सूत्र में आने वाले 'पट्टव'—'प्रस्थापना' शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रायश्चित्तप्रस्थापना दो प्रकार की होती है एक और अनेक। सचयित प्रायश्चित्तप्रस्थापना नियमत. षाण्मासिकी होती है अतः वह एक प्रकार की ही है। शेष अनेक प्रकार की हैं।^१

'आरोपणा' पांच प्रकार की है प्रस्थापनिका, स्थापिता, कृत्स्ना, अकृत्स्ना और हाडहडा। यह पाँच प्रकार की आरोपणा प्रायश्चित्त की है। आचार्य ने इन प्रकारों का स्वरूप बताते हुए हाडहडा का विशेष वर्णन किया है।^१

प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं कृतकरण और अकृतकरण। कृतकरण के पुन दो भेद हैं सापेक्ष और निरपेक्ष। जिनादि निरपेक्ष कृतकरण हैं। सापेक्ष कृतकरण तीन प्रकार के हैं आचार्य, उपाध्याय और भिक्षु। अकृतकरण दो प्रकार के हैं अनधिगत और अधिगत। जिन्होंने सूत्रार्थ का ग्रहण नहीं किया होता है वे अनधिगत हैं। गृहीतसूत्रार्थ अधिगत कहलाते हैं। अथवा प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के हैं सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष पुरुष नियमत कृतकरण होते हैं। सापेक्ष पुरुष तीन प्रकार के हैं आचार्य, उपाध्याय और भिक्षु। ये तीनों दो प्रकार के हैं कृतकरण और अकृतकरण। ये दोनों पुन दो प्रकार के हैं. गीतार्थ और अगीतार्थ। इन दोनों के पुनः दो भेद हैं स्थिर और अस्थिर।^१ इन भेद-प्रभेदों का वर्णन करने के बाद आचार्य ने परिहारतप का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। तदनन्तर साधुओं और साध्वियों की निस्तारणविधि का प्रतिपादन किया है। विविध भावनाओं का विवेचन करते हुए आचार्य ने मासिकी, द्वैमासिकी आदि प्रति माओं का परिचय दिया है तथा शिथिलनावश गच्छ छोड़ कर पुन गच्छ में सम्मिलित होने वाले श्रमण के लिए विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया है। पार्श्वस्य, यथाच्छन्द, कुशील, अवसन्न और सप्तकी व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, प्रायश्चित्त आदि पर भी भाष्यकार ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। पार्श्वस्य के दो भेद हैं देशत पार्श्वस्य और सर्वत पार्श्वस्य। सर्वत पार्श्वस्य के तीन विकल्प हैं पार्श्वस्य, प्रास्वस्य और पाशस्य। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि के पार्श्व अर्थात् तट पर विचरता है वह पार्श्वस्य है। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के प्रति स्वस्थ भाव तो रखता है किन्तु उनमें उद्यमशील नहीं होता अर्थात् उनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं करता वह प्रास्वस्य है। जो मिथ्यात्व

आदि बन्धहेतुरूप पाशों में स्थित होता है वह पाशस्थ है। देशत पार्श्वस्थ शय्यातरपिण्ड आदि का भोग करता हुआ विचरता है। जो स्वयं उत्सूय का आचरण करता है अर्थात् परिभ्रष्ट है तथा दूसरों को भी जैसे ही आचरण की शिक्षा देता है वह यथाच्छन्द है। जो जानाचार आदि की विगणना करता है वह कुशील है। अवसन्न दो प्रकार का है देशत और मर्त। आश्रय कादि में हीनता, अधिकता, विपर्यय आदि दोषों का सेवन करने वाला देशावसन्न कहलाता है। जो समय पर सम्तारक आदि का प्रत्युपेक्षण नहीं करता वह सर्वावसन्न है। जो पार्श्वस्थादि का ससर्ग प्राप्त कर उन्हीं के समान हो जाता है वह ससक्त कहलाता है। ससक्त दो प्रकार का है असक्लिष्ट और सक्लिष्ट। जो पार्श्वस्थ में मित्त कर पार्श्वस्थ हो जाता है, यथाच्छन्द में मिलकर यथाच्छन्द हो जाता है और इसी प्रकार कुशीलादि में मिल कर कुशीलादि के समान हो जाता है वह असक्लिष्ट ससक्त है। जो पाँच प्रकार के आश्रय में प्रवृत्त होते हुए भी तीन प्रकार के गौरव से प्रतिबद्ध होता है तथा स्त्री आदि में बँधा होता है वह सक्लिष्ट ससक्त है। इन सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है।

साधुओं के विहार की चर्चा करते हुए एकाकी विहार का निषेध किया गया है तथा तत्सम्बन्धी अनेक दोषों का वर्णन किया गया है। बिना किसी विशेष कारण के आचार्यादि को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। जिस गन्त म आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, प्रवर्तक और स्थविर—इन पाँच में से एक भी विद्यमान न हो उस गच्छ में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहाँ अनेक दोषों की संभावना रहती है। भाष्यकार ने इन दोषों का स्वरूप समझाते हुए एक वणिक् का दृष्टान्त दिया है। वह इस प्रकार है। किसी बनिये के पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया। तब उसने सोचा—मैं कहीं जाकर रहूँ कि इस धन का अच्छी तरह उपभोग कर सकूँ? ऐसा विचार करते हुए उसने निश्चय किया कि जहाँ पर ये पाँच आधार न हों वहाँ रहना ठीक नहीं। वे पाँच आधार ये हैं राजा, वैद्य, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष अर्थात् धर्मपाठक। जहाँ राजादि पाँच प्रकार के लोग न हों वहाँ धन का अथवा जीवन का नाश हुए बिना नहीं रहता। परिणामतः द्रव्योपार्जन विफल सिद्ध होता है। अथवा राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य तथा कुमार—इन पाँच प्रकार के व्यक्तियों से परिगृहीत राज्य गुणविशाल होता है। इस प्रकार के गुणविशाल राज्य में रहना चाहिए।

राजा कैसा होना चाहिए ? जो उभय योनि अर्थात् मातृपक्ष और पितृपक्ष से शुद्ध है, प्रजा से आय का दशम भागमात्र ग्रहण करता है, लोकाचार, दार्शनिक सिद्धान्त एवं नीतिशास्त्र में निपुण है तथा धर्म में श्रद्धा रखता है वह वास्तव में राजा है, शेष राजाभास हैं। राजा स्वभुजोपार्जित पाँच प्रकार के (रूप-रसादि) गुणों का निरुद्धिग्न होकर उपभोग करता है तथा देशपरिपन्थनादि व्यापार से विप्रमुक्त होता है। युवराज कैसा होना चाहिए ? जो प्रातःकाल उठकर शरीरशुद्धि आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर आस्थानिका में जाकर सब कामों की विचारणा करता है वह युवराज है। महत्तरक के लक्षण ये हैं जो गम्भीर है, मार्दवोपेत है, कुशल है, जाति और विनयसम्पन्न है तथा युवराजसहित राज्यकार्यों का प्रेक्षण करता है वह महत्तरक है। अमात्य कैसा होना चाहिए ? जो व्यवहारकुशल और नीतिसम्पन्न होकर जनपद, पुरवर (राजधानी) और नरपति का हित-चिन्तन करता है वह अमात्य है। अमात्य राजा को भी शिक्षा देता है। इस प्रसंग पर भाष्यकार ने राजा और पुरोहित अपनी-अपनी भार्या द्वारा किस प्रकार घसीटे गए, इसका बहुत रोचक उदाहरण दिया है। कुमार का स्वरूप इस प्रकार है जो दुर्दान्त आदि लोगों का दमन करता हुआ सग्रामनीति में अपनी कुशलता का परिचय देता है वह कुमार है।^१ इस प्रकार राजा आदि के स्वरूप का वर्णन करने के बाद आचार्य वैश्रवण आदि का स्वरूप बताते हैं। जो वैद्यकशास्त्रों का सम्यग्ज्ञाता है तथा माता पिता आदि से सम्बन्धित रोगों का नाश कर स्वास्थ्य प्रदान करता है वह वैद्य है। जिसके पास पिता-पितामह आदि परम्परा से प्राप्त करोड़ों की सम्पत्ति त्रिप्रमान हो वह धनिक है। नियतिक अथवा नैयतिक का स्वरूप इस प्रकार है जिसके पास भोजन के लिए निम्नलिखित सत्रह प्रकार के धान्य के भाण्डार भरे हुए हों वह नैयतिक—नियतिक है १ शालि, २ यव, ३ क्रोद्रव, ४ ग्रीहि, ५ रालक, ६ तिल, ७. मुद्गा, ८ माय, ९ चवल, १० चणक, ११ तुन्डी, १२ मसुरक, १३ कुल्लय, १४ गोधूम, १५ निष्पान, १६ अनसी, १७ सण। रूपयक्ष का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जो माठर और क्रीण्डिन्य की दण्डनीति में कुशल है, किसी से भी उत्कोच नहीं लेता तथा किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता वह रूपयक्ष अर्थात् मूर्तिमान् धर्मकनिष्ठ देव है। यहाँ तक वणिक् दृष्टान्त का अधिकार है।^१ इस दृष्टान्त को माधुओं पर घटाते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार राजा आदि के अभाव में

उपर्युक्त वणिक् का कहीं वास करना उचित नहीं उसी प्रकार साधु के लिए भी जिस गच्छ में आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्यविर और गीतार्थ न हों उस गच्छ में रहना ठीक नहीं। इसके बाद भाष्यकार ने आचार्य आदि के स्वरूप का वर्णन किया है।^१

द्वितीय उद्देश :

द्वितीय उद्देश के प्रथम सूत्र की सूत्र-स्पर्शिक व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने 'द्वि', 'साधर्मिक' और 'विहार' का निक्षेप पद्धति से विवेचन किया है। 'द्वि' शब्द का छ प्रकार का निक्षेप होता है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 'साधर्मिक' शब्द के निम्नलिखित चारह निक्षेप हैं नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रवचन, लिंग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अभिग्रह और भावना। 'विहार' शब्द का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप से विचार होता है। जिससे विविध प्रकार के कर्मरज का हरण होता है वह भावविहार है। भाव-विहार दो प्रकार का होता है - गीतार्थ और गीतार्थनिश्चित। गीतार्थ दो प्रकार के हैं गच्छगत और गच्छनिर्गत। गच्छनिर्गत जिनकल्पिक गीतार्थ है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक और यथालन्दकल्पिकप्रतिमापन्न भी गीतार्थ हैं। गच्छगत गीतार्थ में दो प्रकार की ऋद्धियाँ हैं - आचार्य और उपाध्याय। शेष गीतार्थनिश्चित हैं।^१ जो स्वयं अगीतार्थ है अथवा अगीतार्थनिश्चित है वह आत्मविराधना, समयविराधना आदि दोषों का भागी होता है। इन आत्मविराधना आदि दोषों का भाष्यकार ने मार्ग, क्षेत्र, विहार, मिथ्यात्व, एषणा, शोधि, ग्लान और स्तेन—इन आठ द्वारों से निरूपण किया है।^१ गीतार्थ और गीतार्थनिश्चित भावविहार पुन दो प्रकार का है समाप्तकल्प और असमाप्तकल्प। समाप्तकल्प के पुन दो भेद हैं जघन्य और उत्कृष्ट। तीन गीतार्थों का विहार जघन्य समाप्तकल्प है। उत्कृष्ट समाप्तकल्प तो वृत्तिस हजार का होता है। तीन का समाप्तकल्प जघन्य होता है अतः दो विचरने वालों को लघुक मास प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी प्रकार अगीतार्थों के लिए भी विविध प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है। दो के विहार में अनेक दोषों की समावना रहती है अतः दो का विहार अकल्प्य है।^१ उपद्रव, दुर्मिक्ष आदि अवस्थाओं में अपवादरूप से दो के विहार का भी विधान है। कारणवशात् दो साधु साथ विचरें और दोनों को कोई दोष लगे तो एक की तपस्या के समय

१ वही, पृ० १३२-३

२ चतुर्थ विभाग : गा० ३-२१

३ गा० २४-९ ४ गा० ३१-४९

दूसरे को उसकी सेवा करनी चाहिए और दूसरे की तपस्या के समय पहले को उसकी सेवा करनी चाहिए। अनेक समान साधु साथ विचरते हों और उन सबको एक साथ कोई दोष लगा हो तो उनमें से किसी एक को प्रधान बनाकर अन्य साधुओं को तपश्चर्या करनी चाहिए। अन्त में उस प्रधान साधु को उचित प्रायश्चित्त करना चाहिए।^१

परिहार तप करने वाला यदि रुग्ण हो जाए और उसे किसी प्रकार का दोष लगे तो उसकी आलोचना करते हुए उसे तप करना चाहिए तथा अशक्ति की अवस्था में दूसरों को उसकी सेवा करनी चाहिए। इस विषय का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने परिहार तप के विविध दोषों और प्रायश्चित्तों का वर्णन किया है। इसी प्रकार अनवस्थाप्य, पाराचित्त आदि से सम्बन्धित वैवाच्य का भी विधान किया गया है।^२ क्षिप्तचित्त की सेवा का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं कि सक्षेप में दो प्रकार के क्षिप्तचित्त होते हैं लौकिक और लोकोत्तरिक। व्यक्ति क्षिप्तचित्त क्यों होता है? आचार्य ने क्षिप्तचित्त होने के तीन कारण बताये हैं। राग, भय अथवा अपमान। इन तीन प्रकार के कारणों से व्यक्ति क्षिप्तचित्त होता है। इनका स्वरूप समझाने के लिए विविध उदाहरण भी दिये गये हैं। क्षिप्तचित्त को अपने हीनभाव से किस प्रकार मुक्त किया जा सकता है, इसका भाष्यकार ने विविध दृष्टान्त देते हुए अत्यन्त रोचक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है।^३ क्षिप्तचित्त से ठीक विरोधी स्वभाव वाले दीप्तचित्त का विश्लेषण करते हुए आचार्य कहते हैं कि क्षिप्तचित्त और दीप्तचित्त में यह अन्तर है कि क्षिप्तचित्त प्रायः मौन रहता है जबकि दीप्तचित्त अनावश्यक ब्रह्मज्ञान प्रकट करता है। दीप्तचित्त होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि क्षिप्तचित्त होने का मुख्य कारण अपमान है जबकि विशिष्ट सम्मान के मद के कारण व्यक्ति दीप्तचित्त बनता है। लज्जामद से मत्त होने पर अथवा दुर्जय शत्रुओं की जीत के मद से उन्मत्त होने पर अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से व्यक्ति दीप्तचित्त बनता है।^४ आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाए तो महद्भाव जो कि हीनभाव से संप्रया त्रिपरीत है, दीप्तचित्त होने का मूल कारण है। इसी प्रकार आचार्य ने यथादिष्ट, उन्मत्त, मोहित, उपसर्गप्राप्त, साधिकरण, सप्रायश्चित्त, अर्थनात, अनवस्थाप्य, पारा-

१. गा० ५०-६१

२. गा० ६२-१०१

३. गा० १०३-११६

४. गा० १४९-१५१

चित्त आदि की शुभ्रूषा, यतना आदि का वर्णन किया है।^१ सूत्रस्पर्शिक विवेचन करते हुए भाष्यकार ने एकपाक्षिक के दो भेद किये हैं। प्रव्रज्याविषयक और सूत्रविषयक। इसी प्रसंग पर आचार्य, उपाध्याय आदि की स्थापना की विधि, दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद आदि तथा पारिहारिक और अपारिहारिक के पारस्परिक व्यवहार, खान पान, रहन सहन आदि का भी विचार किया गया है।^२

तृतीय उद्देशः :

गणधारण की इच्छा करने वाले भिक्षु की योग्यता-अयोग्यता का निरूपण करते हुए भाष्यकार ने सर्वप्रथम 'इच्छा' का नामादि निक्षेपों से व्याख्यान किया है। तदनन्तर 'गण' का निक्षेप पद्धति से विवेचन किया है। गणधारण क्यों किया जाता है, इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार ने बताया है कि निर्जरा के लिए ही गणधारण किया जाता है, न कि पूजा आदि के निमित्त। गणधारण करने वाला यति महातडाग के समान होता है जो अनेक प्रकार की विघ्न-बाधाओं में भी गभीर एव शान्त रहता है।^३ इसी प्रकार आचार्य ने अन्य अनेक उदाहरण देकर गणधारण करने वाले की योग्यता का दिग्दर्शन कराया है। भावपरिच्छिन्न शिष्य के विद्यमान होने पर आचार्य को उसे गणधारण की अनुमति देनी चाहिए तथा अपने पास शिष्य होने पर कम से कम तीन शिष्य उसे देने चाहिए। ऐसा क्यों ? इसलिए कि तीन शिष्यों में से एक किसी भी समय उसके पास रह सके तथा दो भिक्षा आदि के लिए जा सकें।^४

आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर आदि पदवियों के धारण करने वालों की योग्यता अयोग्यता का विचार करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो एका-दशाङ्गसूत्रार्थधारी हैं, नवम पूर्व के ज्ञाता हैं, कृतयोगी हैं, बहुश्रुत हैं, बह्वागम हैं, सूत्रार्थविशारद हैं, धीर हैं, श्रुतनिर्घर्ष हैं, महाजन-नायक हैं वे आचार्य, उपाध्याय आदि पदों के योग्य हैं।^५

आचार्य आदि की स्थापना का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने नव, डहरक, तरुण, मध्यम, स्थविर आदि विभिन्न अवस्थाओं का स्वरूप बताया है और लिखा है कि आचार्य के मर जाने पर विधिपूर्वक अन्य गणधर का अभिवेक करना चाहिए। वैसे न करने वालों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। अन्य गणधर की स्थापना किये बिना आचार्य की मृत्यु का समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस विधान की पुष्टि के लिए राजा का दृष्टान्त दिया गया है। अन्य

१- गा० १६६-२११

२ गा० ३२१-३८२

३ चतुर्थ विभाग—

तृतीय उद्देश गा० ६-१६

४ गा० १०-१

५ गा० १२२-३

चित्त आदि की शुभ्रूषा, यतना आदि का वर्णन किया है।^१ सूत्रस्पर्शिक विवेचन करते हुए भाष्यकार ने एकपाक्षिक के दो भेद किये हैं प्रव्रज्याविषयक और सूत्रविषयक। इसी प्रसंग पर आचार्य, उपाध्याय आदि की स्थापना की विधि, दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद आदि तथा पारिहारिक और अपारिहारिक के पारस्परिक व्यवहार, लान पान, रहन सहन आदि का भी विचार किया गया है।^२

तृतीय उद्देशः :

गणधारण की इच्छा करने वाले भिक्षु की योग्यता अयोग्यता का निरूपण करते हुए भाष्यकार ने सर्वप्रथम 'इच्छा' का नामादि निक्षेपों से व्याख्यान किया है। तदनन्तर 'गण' का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया है। गणधारण क्यों किया जाता है, इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार ने बताया है कि निर्बरा के लिए ही गणधारण किया जाता है, न कि पूजा आदि के निमित्त। गणधारण करने वाला यति महातडाग के समान होता है जो अनेक प्रकार की विघ्न-बाधाओं में भी गभीर एव शान्त रहता है।^३ इसी प्रकार आचार्य ने अन्य अनेक उदाहरण देकर गणधारण करने वाले की योग्यता का दिग्दर्शन कराया है। भावपरिच्छिन्न शिष्य के विद्यमान होने पर आचार्य को उसे गणधारण की अनुमति देनी चाहिए तथा अपने पास शिष्य होने पर कम से कम तीन शिष्य उसे देने चाहिए। ऐसा क्यों ? इसलिए कि तीन शिष्यों में से एक किसी भी समय उसके पास रह सके तथा दो भिक्षा आदि के लिए जा सकें।^४

आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर आदि पदवियों के धारण करने वालों की योग्यता अयोग्यता का विचार करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो एका-दशाङ्गसूत्रार्थधारी हैं, नवम पूर्व के शाता हैं, कृतयोगी हैं, बहुश्रुत हैं, बहागम हैं, सूत्रार्थविशारद हैं, धीर हैं, श्रुतनिर्घर्ष हैं, महाजन-नायक हैं वे आचार्य, उपाध्याय आदि पदों के योग्य हैं।^५

आचार्य आदि की स्थापना का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने नव, डहरक, तरुण, मध्यम, स्थविर आदि विभिन्न अवस्थाओं का स्वरूप बताया है और लिखा है कि आचार्य के मर जाने पर विधिपूर्वक अन्य गणधर का अभिषेक करना चाहिए। वैसा न करने वालों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। अन्य गणधर की स्थापना किये बिना आचार्य की मृत्यु का समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस विधान की पुष्टि के लिए राजा को दृष्टान्त दिया गया है। अन्य

१- गा० १६६-२११

२ गा० ३२१-३८२

३ चतुर्थ विभाग—

तृतीय उद्देश गा० ६-१६

४ गा० १०-१

५ गा० १२९-३

गणधर की स्थापना किये बिना आचार्य की मृत्यु का समाचार प्रकाशित करने से गच्छक्षोभ का सामना करना पड़ता है। कोई यह सोचने लगता है कि हम लोग अब अनाथ हो गए। कुछ लोग स्वच्छन्दचारिता का प्रश्रय ले लेते हैं। कोई क्षिप्तचित्त हो जाते हैं। कभी-कभी स्वपक्ष और परपक्ष में स्तेन उठ खड़े होते हैं। कुछ साधु लता की भाँति काँपने लगते हैं। कुछ तरुण आचार्य की पिपासा से अन्यत्र चले जाते हैं।^१

प्रवर्तिनी के गुणों का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने साध्वियों की दुर्बलताओं का चित्रण किया है तथा स्त्रियों के विषय में लिखा है कि स्त्री उत्पन्न होने पर पिता के वश में होती है, विवाहित होने पर पति के वश में हो जाती है तथा विधवा होने पर पुत्र के वश में हो जाती है। इस प्रकार नारी कभी भी खुद के वश में नहीं रहती। पैदा होने पर नारी को माता-पिता रक्षा करते हैं, विवाह हो जाने पर पति, श्वसुर, श्वश्रू आदि रक्षा करते हैं, विधवा हो जाने पर पिता, भ्राता, पुत्र आदि रक्षा करते हैं। इसी प्रकार आर्यिका की भी आचार्य, उपाध्याय, गणिनी—प्रवर्तिनी आदि रक्षा करते हैं।^२

मैथुनसेवन के दोषों का स्वरूप बताते हुए आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, साधु आदि के लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित्तों, परिस्थितियों एवं प्रव्रज्या के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। मैथुनसेवन के दो भेद हैं सापेक्ष और निरपेक्ष। जो मैथुनसेवन की इच्छा होने पर अपने गुरु से पूछ लेते हैं वे सापेक्ष मैथुनसेवक हैं। जो गुरु से बिना पूछे ही मैथुन का सेवन करते रहते हैं वे निरपेक्ष मैथुनसेवक हैं। इन दोनों प्रकार के साधुओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त हैं।^३ इसी प्रकार गणावच्छेदक, उपाध्याय, आचार्य आदि के लिए भी विभिन्न प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है।^४ मृषावाद आदि अन्य अतिचारों के सेवन का वर्णन करते हुए तत्सम्बन्धी विविध प्रायश्चित्तों का विवेचन किया गया है। व्यवहारी और अव्यवहारी का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार ने एक आचार्य का उदाहरण दिया है। आचार्य के पास सोलह शिष्य बैठे हुए थे जिनमें से आठ व्यवहारी थे और आठ अव्यवहारी। निम्नलिखित आठ प्रकार के व्यवहारियों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए १ ककटुक, २ कुणप, ३ पक, ४ उत्तर, ५ चार्वाक, ६ बधिर, ७ गुण्ठसमान, ८ अम्लसमान। इन आठों प्रकार के व्यवहारियों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।^५

१ गा० २२०-९

२ गा० २३३-४

३ गा० २३८-२५४

४ गा० २५५-२७८

५ गा० ३३८-३७२

चतुर्थ उद्देश

इस उद्देश में मुख्यरूप से साधुओं के विहार का विधि-विधान है। शीत और उष्णकाल के आठ महीनों में आचार्य और उपाध्याय को कोई अन्य साधु साथ में न हो तो विहार नहीं करना चाहिए। गणावच्छेदक को अन्य साधु साथ में हो तो भी विहार नहीं करना चाहिए। उसे साथ में दो साधु होने पर ही विहार करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय को अन्य साधु साथ में हो तो भी अलग चातुर्मास नहीं करना चाहिए। उन्हें अन्य दो साधुओं के साथ में होने पर ही अलग चातुर्मास करना चाहिए। गणावच्छेदक के लिए चातुर्मास में कम-से-कम तीन साधुओं का सहवास अनिवार्य है। साधु जिस नायक के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों उसका मार्ग में देहावसान हो जाए तो उन साधुओं को अपने में से श्रेष्ठ गीतार्थ और चारित्रवान् को नायक बना लेना चाहिए। इस प्रकार के योग्य नायक का अभाव प्रतीत होने पर उन्हें जहाँ अपने अन्य साधु विचरते हों वहाँ चले जाना चाहिए। वैसा न करने पर छेद अथवा परिहार तप का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी प्रकार चातुर्मास में किसी नायक का देहावसान हो जाए तो योग्य साधु को नया नायक नियुक्त कर लेना चाहिए। कदाचित् वैसा न हो सके तो अपने समुदाय के अन्य साधुओं के साथ मिल जाना चाहिए। बने जहाँ तक चातुर्मास में विहार करने का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। आचार्य अथवा उपाध्याय बीमार पड़ जाएँ और समुदाय के साधुओं से कहें कि अमुक साधु को मेरी पदवी प्रदान करना और वे इस लोक में न रहें तो उस साधु को उस समय पदवी के योग्य होने की अवस्था में ही पदवी प्रदान करनी चाहिए, अयोग्यता की अवस्था में नहीं। कदाचित् उसे पदवी प्रदान कर दी गई हो किन्तु उसमें आवश्यक योग्यता न हो तो अन्य साधुओं को उसे कहना चाहिए कि तুম इस पदवी के अयोग्य हो अतः इसे छोड़ दो। ऐसी अवस्था में यदि वह पदवी का त्याग कर देता है तो उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। एक समुदाय के दो साधु साथ विचरते हों, उनमें एक चारित्र—पर्याय की दृष्टि से छोटा हो और दूसरा उसी दृष्टि से बड़ा हो तथा छोटा साधु शिष्यवाला हो और बड़े साधु के पास कोई शिष्य न हो तो छोटे साधु को बड़े साधु की आज्ञा में रहना चाहिए तथा उसे आहार पानी आदि के लिए अपने शिष्य देने चाहिए। यदि बड़ा साधु शिष्य-परिवार से युक्त हो और छोटे साधु के पास एक भी शिष्य न हो तो छोटे को अपनी आज्ञा में रखना अथवा न रखना बड़े की इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार अपना शिष्य उसकी

सेवा के लिए नियुक्त करना या न करना उसकी इच्छा पर है। साराश यह है कि साथ विचरनेवाले साधुओं में जो गीतार्थ और रत्नाधिक हो उसी को नायक बनाना चाहिए एवं उसकी आज्ञा में रहना चाहिए।

प्रस्तुत उद्देश के सूत्रों का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने निम्न त्रियों का वर्णन किया है चार कल्प—जातसमाप्तकल्प, जातभसमाप्तकल्प, अजातसमाप्तकल्प और अजातभसमाप्तकल्प, वर्षाकाल और विहार, वर्षावास के लिए उपयुक्त स्थान (चिक्खल, प्राण, स्यण्डिल, वसति, गोरस, जनसमाकुल, वैद्य, औषध, निचय, अधिपति, पाषण्ड, भिक्षा और स्वाध्याय—इन तेरह द्वारों से विचार), त्रैवर्षिकस्थापना, गणघरस्थापन की उपयुक्त विधि, उपस्थापना के नियम, ग्लान की वैयावृत्य, अवग्रह वा विभाग, तीन प्रकार की अनुकम्पा—गव्यूत, द्वयर्धगव्यूत और द्विगव्यूतसम्बन्धी अथवा आहार, उपधि और शय्याविषयक इत्यादि ।^१

पंचम उद्देश :

इस उद्देश में साधियों के विहार के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। प्रवर्तिनी आदि विभिन्न पदों को दृष्टि में रखते हुए विविध विधि विधानों का निरूपण किया गया है। प्रवर्तिनी के लिए शीत और उष्णऋतु में एक साध्वी को साथ रखकर विहार करने का निषेध है। इन ऋतुओं में कम से कम दो साधियाँ उसके साथ रहनी चाहिए। गणावच्छेदिनी के लिए कम से कम तीन साधियों को साथ रखने का नियम है। वर्षाऋतु के लिए उक्त सख्याओं में एक की वृद्धि की गई है। नायिका का देहावसान हो जाने पर अन्य नायिका की नियुक्ति के लिए वे ही नियम हैं जो चतुर्थ उद्देश में साधुओं के लिए बताये गये हैं। साधु को रात्रि के समय, संध्या के समय अथवा अन्य किसी समय साँप काट खाए तो सर्वप्रथम साधु और बाद में साध्वी, अन्य पुरुष अथवा स्त्री अपनी योग्यता के अनुसार उपचार करें। ऐसा करने पर साधु साध्वी के लिए परिहारतप अथवा अन्य किसी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। यह नियम स्थविर-कस्त्रियों के लिए है। जिनकल्पी को यदि साँप काट खाए तो भी वह दूसरे से किसी प्रकार का उपचार आदि नहीं करा सकता। भाष्यकार ने 'जे निग्गथा निग्गथीणो य समोद्दया' (सूत्र १९) की व्याख्या करते हुए 'सभोगिक' का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। 'सभोग' छ प्रकार का होता है ओष, अभिग्रह, दानग्रहण, अनुपालना, उपपात और सवास। ओषसभोग के चारह भेद हैं उपधि, श्रुत, भक्तपान, अजलीग्रह, दापना, निकाचन, अम्युत्थान, कृतिकर्म, वैयावृत्य, सम-

वसरण, सन्निपत्या और कथाप्रबन्धनविषयक। उपसमोग के छ भेद हैं : उद्गमशुद्ध, उत्पादनाशुद्ध, एषणाशुद्ध, परिकर्मणासमोग, परिहरणासमोग और सयोगविषयक। इस प्रकार निशीय के पञ्चम उद्देश में वर्णित समोगविधि, प्रायश्चित्त आदि के अनुसार यहाँ भी 'समोग' का वर्णन समस्त लेना चाहिए।

पष्ठ उद्देश :

इस उद्देश में बताया गया है कि साधु को अपने सम्बन्धी के यहाँ से आहार आदि ग्रहण करने की इच्छा होने पर अपने से वृद्ध स्थविर आदि की आज्ञा लिए बिना वैसा करना अकल्प्य है। बिना स्थविर आदि की आज्ञा के अपने सम्बन्धी के यहाँ से आहार लेनेवाले के लिए छेद अथवा परिहारतप के प्रायश्चित्त का विधान है। आज्ञा मिलने पर भी यदि जानेवाला साधु अल्पबोधवाला हो तो उसे अकेले न जाकर किसी बहुश्रुत साधु के साथ ही जाना चाहिए। वहाँ जाने पर उसके पहुँचने के पूर्व यदि भोजन तैयार किया हुआ हो तो उसे लेना चाहिए अन्यथा नहीं।

आचार्य तथा उपाध्याय के पाँच अतिशय होते हैं जिनका समुदाय के अन्य साधुओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए (१) उनके बाहर से आने पर पैरों की रज आदि को साफ करना तथा प्रमार्जन करना, (२) उनके उच्चार प्रसन्नण आदि (अशुचि) को निर्दोष स्थान में फेंकना, (३) उनकी इच्छा होने पर वैयावृत्य करना, (४) उनके साथ उपाश्रय के भीतर रहना, (५) उनके साथ उपाश्रय के बाहर रहना। गणावच्छेदक के अन्तिम दो अतिशय होते हैं।

ग्राम, नगर आदि में चारों ओर दीवाल से घिरे एक ही द्वार वाले मकान में आचार्य से भिन्न खण्ड में अगीतार्थ साधुओं का निवास निषिद्ध है। यदि उनमें कोई गीतार्थ साधु हो तो ऐसा कोई निषेध नहीं है। केवल अगीतार्थ साधुओं के इस प्रकार के स्थान में निवास करने पर उन्हें छेद अथवा परिहारतप के प्रायश्चित्त का भागी बनना पड़ता है। इसी प्रकार अनेक द्वारों से युक्त घर आदि में रहने के लिए भी गीतार्थ का साहचर्य अनिवार्य है। एतद्विषयक विस्तृत विवेचन बृहत्कल्पलघुभाष्य का परिचय देते समय किया जा चुका है।^१

अनेक स्त्री-पुरुषों को किसी स्थान पर मैथुन सेवन करते हुए देखकर यदि कोई साधु विकारयुक्त हो हस्तकर्म आदि से अपने वीर्य का क्षय करे तो उसके लिए एक मास के अनुदाती परिहारतप के प्रायश्चित्त का विधान है, यदि वह

१ पञ्चम उद्देश गा० ४६-५२ २ देखिए—वगडाप्रकृतसूत्र गा० २१२५-२२८९ (बृहत्कल्प लघुभाष्य)

किसी अचित्त प्रतिमादि में अपने शुक्रपुद्गलों को बहाता हुआ मैथुनप्रतिसेवना में प्रसक्त होता है तो उसके लिए चार मास के अनुद्धाती परिहारतप के प्रायश्चित्त का विधान है ।

अन्य गण से आये हुए क्षीण आचार वाले साधु साध्वियों को बिना उनकी परिशुद्धि किए अपने गण में नहीं मिलाना चाहिए और न उनके साथ आहार आदि ही करना चाहिए । जो साधु साध्वी अपने दोषों को खुले दिल से आचार्य के सामने रख दें तथा यथोचित प्रायश्चित्त करके पुनः वैसा कृत्य न करने की प्रतिज्ञा करें उन्हीं के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिए ।

भाष्यकार ने षष्ठ उद्देश की व्याख्या में निम्न विषयों का भी समावेश किया है . 'ज्ञातविधि' पद का एकादश द्वारपूर्वक व्याख्यान—१ आक्रन्दनस्थान, २ क्षित, ३. प्रेरणा, ४ उपसर्ग, ५ पथिरोदन, ६ अपभ्राजना, ७ घात, ८ अनुलोम, ९ अभियोग्य, १० विष, ११ कोप, सप्तविध क्रूरों की गणना—शालिकूर, ब्रीहिकूर, कोद्रवकूर, यवकूर, गोधूमकूर, रालककूर और आरण्य-ब्रीहिकूर, आचार्य की वसति के बाहर रहने से लगने वाले दोष, आचार्य स्वयं भिक्षा के लिए जाए अथवा न जाए, जाने के कारण, न जाने के कारण, तत्सम्बन्धी दोष और प्रायश्चित्त, अभ्युत्थान के निराकरण के कारण, चार प्रकार की विकथा की व्याख्या, आक्षेप, आरोपणा, प्ररूपणा आदि पदों का व्याख्यान, आचार्य के पाँच अतिशय—उत्कृष्ट भक्त, उत्कृष्ट पान, मलिनोपधिषावन, प्रशसन और हस्तपादशौच, मतिभेद, पूर्वव्युद्ग्राह, ससर्ग और अभिनिवेश के कारण मिथ्यादृष्टि की उत्पत्ति और इनके लिए क्रमशः जमालि, गोविन्द, भावकमिक्षु, और गोष्ठामाहिल के दृष्टान्त, वसतिविषयक विविध यतनाएँ, घर के अन्दर व बाहर की अभिनिर्विगडा, उसके विविध भेद, तद्विषयक विविध दोष, यतनाएँ एवं प्रायश्चित्त ।'

सप्तम उद्देश :

सप्तम उद्देश के भाष्य में निम्न विषयों का विवेचन किया गया है —
जो साधु साध्वी सामोगिक हैं अर्थात् एक ही आचार्य के संरक्षण में हैं उन्हें (साध्वियों को) अपने आचार्य से पूछे बिना अन्य समुदाय से आने वाली अतिचार आदि दोषों से युक्त साध्वी को अपने सघ में नहीं लेना चाहिए । जिस साध्वी को आचार्य प्रायश्चित्त आदि से शुद्ध कर दें उसे अपने सघ में न लेने वाली साध्वियों को आचार्य को यथोचित दण्ड देना चाहिए ।

जो साधु साध्वी एक गुरु की आज्ञा में हैं वे (साधु) अन्य समुदाय के साधुओं के साथ गोचरी का व्यवहार कर सकते हैं। यदि अन्य सभ के साधु आचारविरुद्ध व्यवहार करते हों तो उनके साथ पीठ पीछे व्यवहार बन्द नहीं करना चाहिए अपितु उन्हें अपनी त्रुटियों का प्रत्यक्ष भान करवाना चाहिए। यदि वे पश्चात्ताप करके अपनी त्रुटि सुधार लें तो उनके साथ व्यवहार भग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हुए भी वे अपनी भूल न सुधारें तो उनके साथ व्यवहार बन्द कर देना चाहिए। साध्वियों के लिए दूसरे प्रकार का नियम है। उन्हें प्रत्यक्ष दोष देखने पर भी गोचरी का व्यवहार नहीं तोड़ना चाहिए किन्तु अपने आचार्य की आज्ञा लेकर अशुद्ध आचार वाली साध्वी के गुरु को उसकी सूचना देनी चाहिए। वैसा करने पर भी यदि वह अपना आचार न सुधारे तो उसे सूचना दे देनी चाहिए कि तुम्हारे साथ हमारा व्यवहार बन्द है।

किसी भी साधु को अपनी वैयाख्य के लिए स्त्री को दीक्षा देना अकल्प्य है। उसे दीक्षा देकर अन्य साध्वी को सौंप देना चाहिए। साध्वी किसी भी पुरुष को दीक्षा नहीं दे सकती। उसे तो किसी योग्य साधु के पास ही दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है।

साध्वी को एक सभ में दीक्षा लेकर दूसरे सभ की शिष्या बनना हो तो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। उसे जहाँ रहना हो वहीं जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साधु के लिए ऐसा नियम नहीं है। वह कारणवशात् एक सभ में दीक्षा लेकर दूसरे सभ के गुरु को अपना गुरु बना सकता है।

तीन वर्ष की पर्यायवाला साधु सुयोग्य होने पर तीस वर्ष की पर्यायवाली साध्वी का उपाध्याय हो सकता है। इसी प्रकार पाँच वर्ष की पर्यायवाला साधु साठ वर्ष की पर्यायवाली साध्वी का आचार्य हो सकता है।

जिस मकान में साधु रहना चाहे उसके स्वामी, उसकी विधवा पुत्री, पुत्र, भाई आदि किसी की भी आज्ञा लेना अनिवार्य है। मार्ग में जाते समय कहीं ठहरने का प्रसंग आए तो भी यथावसर किसी न किसी गृहस्थ की आज्ञा लेना चाहिए। राज्य में एक राजा के किसी कारण से न रहने पर दूसरे राजा की निश्चित रूप से स्थापना हो जाए तो उसकी पुनः आज्ञा लेकर ही उसके राज्य में रहना चाहिए।

साध्वी की दीक्षा के प्रसंग का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने एक कोशलक आचार्य और एक भाविका का दृष्टान्त दिया है और बताया है कि कोशलक अपने देशस्वभाव से ही अनेक दोषों से युक्त होता है। इस मत की पुष्टि करते

हुए अन्ध्र आदि प्रदेशों के निवासियों के स्वभाव की ओर भी संकेत किया गया है। अन्ध्र देश में उत्पन्न हुआ हो और अक्रूर हो, महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो और अवाचाल हो, कोशल में उत्पन्न हुआ हो और अदुष्ट हो—ऐसा सौ में एक भी मिलना कठिन है।^१

साधु-साध्वियों के स्वाध्याय के लिए उपयुक्त तथा अनुपयुक्त काल का भाष्यकार ने अति विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही स्वाध्याय की विधि आदि अन्य आवश्यक बातों पर भी पूर्ण प्रकाश डाला है। परस्पर वाचना देने के क्या नियम हैं, इसका भी विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है।^२

अष्टम उद्देश :

इस उद्देश के भाष्य में मुख्यरूप से निम्नलिखित बातों की चर्चा की गई है.—

शयन करने अथवा अन्य प्रयोजन के लिए पाटे की आवश्यकता प्रतीत होने पर साधु एक हाथ से उठा सकने योग्य हल्का पाटा गाँव अथवा परगाँव से माग कर ला सकता है। परगाँव से लाने की अवस्था में तीन दिन की दूरी वाले गाँव से लाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। वृद्ध साधु के लिए आवश्यकता होने पर पाँच दिन की दूरी वाले स्थान से भी लाया जा सकता है। वापिस लौटाने की शर्त पर लायी हुई वस्तु अन्य मकान में ले जानी हो तो उसके लिए पुनः स्वामी की आज्ञा लेनी चाहिए। इसी प्रकार किसी मकान में ठहरना हो तो उसके स्वामी की आज्ञा लेकर ही उठना चाहिए। किसी साधु को गोचरी आदि के लिए जाते समय किसी अन्य साधु का छोटा-बड़ा उपकरण मिले तो पूछ ताछ कर जिसका हो उसे दे देना चाहिए। स्वामी का पता न लगने की अवस्था में उसका निर्दोष स्थान में विसर्जन कर देना चाहिए। विशेष कारण उपस्थित होने पर दूसरे साधु के लिए पात्रादि सामग्री स्वीकार करना कल्प है। वह सामग्री उस साधु से पूछकर उसके ग्रहण न करने की अवस्था में ही गुप्त की आज्ञा से अन्य साधु को दी जानी चाहिए। कुक्कुटी के ढण्डे के बराबर अथवा कुक्षी (पेट) में सुखपूर्वक भरा जा सके उतने आहार के बत्तीसवें भाग अर्थात् कुक्षीभण्ड के बराबर के आठ कौर खाने वाला साधु अल्पाहारी, बारह कौर खाने वाला अपार्धाहारी, सोलह कौर खाने वाला अर्धाहारी, चौबीस कौर खाने वाला प्रातावमौदर्य, इकतीस कौर खाने वाला किञ्चिदवमौदर्य और बत्तीस कौर खाने वाला

प्रमाणाहारी कहलाता है। कुक्कुटी अथवा कुकुटी का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि 'कुत्सिता कुटी कुकुटी' अर्थात् शरीर। उस शरीररूप कुकुटी का अण्डक अर्थात् अण्डे के समान जो मुख है वह कुकुटीअण्डक है। मुख को अण्डक क्यों कहा गया ? क्योंकि गर्भ में सर्वप्रथम शरीर का मुख घनता है और बाद में शेष भाग, अतः प्रथम निष्पन्न होने के कारण मुख को अण्डक कहा गया है।^१

नवम उद्देशः :

इस उद्देश का मुख्य विषय है शय्यातर अर्थात् सागारिक के शक्ति, स्वजन, मित्र आदि आगतुकों से सम्बन्धित आहार के ग्रहण अग्रहण का विवेक तथा साधुओं की विविध प्रतिमाओं का विधान। सागारिक के घर के अन्दर या बाहर कोई आगन्तुक भोजन कर रहा हो और उस भोजन से सागारिक का सम्बन्ध हो अर्थात् उसे यह कहा गया हो कि तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ बचे वापिस सोपना तो उस आहार में से साधु आगन्तुक के आग्रह करने पर भी कुछ न ले। यदि उस आहार से सागारिक का कुछ भी सम्बन्ध न रह गया हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार सागारिक के दास दासी आदि के आहार के विषय में भी समझना चाहिए। औषध आदि के विषय में भी यही नियम है कि जिसका उस वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो उसी की इच्छा से उस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए।

माध्यकार ने प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में आवेश अथवा आवेश, चक्रिका, गौलिमा, दौषिका, सीत्रिका, बोधिका, कार्पासा, गन्धिकाशाला, शौण्डिकशाला, आपण, भाण्ड, औषधि आदि पदों का समावेश किया है।^१

प्रतिमाओं के विवेचन में तत्सम्बन्धी काल, भिक्षापरिमाण, करण और करणान्तर, मोक प्रतिमा का शब्दार्थ, कल्पादिग्रहण का प्रयोजन, मोक का स्वरूप, महती मोकप्रतिमा का लक्षण आदि आवश्यक बातों पर सक्षिप्त प्रकाश डाला गया है।^२

दशम उद्देशः :

इस उद्देश में यवमध्यप्रतिमा और वज्रमध्य प्रतिमा की विधि पर विशेष रूप से विचार किया गया है। पाच प्रकार के व्यवहार का विस्तृत विवेचन करते हुए बालदीक्षा की विधि पर भी प्रकाश डाला गया है। दस प्रकार की सेवा का वर्णन करते हुए उससे होने वाली महानिर्जरा का भी निरूपण किया गया है।

१ क्षष्टम उद्देश गा० ३००

२. नवम उद्देश गा० १-७३.

३ गा० ७४-१२८

यवमध्य प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रतिमा को यव और चन्द्र की उपमा दी गई है। जिसका मध्य यव के समान है वह यवमध्य प्रतिमा है। इसका आकार चन्द्र के समान होता है। वज्रमध्य प्रतिमा मध्य में वज्र के समान होती है। इसे भी चन्द्र की उपमा दी जाती है। यवमध्य प्रतिमा मध्य में विपुल-स्थूल होती है तथा आदि और अन्त में तनु-कृश होती है। जिस प्रकार शुक्लपक्ष का चन्द्र क्रमशः वृद्धि की ओर जाकर पुनः हास की ओर आता है उसी प्रकार यवमध्य प्रतिमा भी क्रमशः भिक्षा की वृद्धि की ओर जाती हुई पुनः हास की ओर आती है। वज्रमध्य प्रतिमा में चन्द्र की उपमा दूसरी तरह से घटित होती है। इसमें बहुलपक्ष का आदि में ग्रहण होता है। जिस प्रकार कृष्णपक्ष का चन्द्र पहले क्रमशः हास को प्राप्त होता है और फिर क्रमशः बढ़ता है उसी प्रकार वज्रमध्य प्रतिमा में भी क्रमशः भिक्षा का हास होकर पुनः उसकी वृद्धि होती है। इस प्रकार यह प्रतिमा आदि और अन्त में तो स्थूल होती है किन्तु मध्य में कृश होती है।^१

व्यवहार पाच प्रकार का है आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत।^१ इन पाचों प्रकारों का स्वरूपवर्णन जीतकल्पभाष्य का परिचय देते समय किया जा चुका है अतः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है।^१

निर्ग्रन्थ पाच प्रकार के होते हैं - पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक। इनके लिए विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है। प्रायश्चित्त दस प्रकार के हैं १ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ मिश्र, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७ छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थाप्य और १० पारचित या पाराचिक। पुलाक के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, तप और व्युत्सर्ग—ये छ प्रकार के प्रायश्चित्त हैं। बकुश और कुशील के लिए सभी अर्थात् दस प्रायश्चित्त हैं। यथालन्द-कल्प में आठ प्रकार के प्रायश्चित्त हैं (क्योंकि उसमें अनवस्थाप्य और पारचित का अभाव है)। निर्ग्रन्थ के लिए आलोचना और विवेक इन दो प्रायश्चित्तों का विधान है। स्नातक के लिए केवल एक प्रायश्चित्त—विवेक का विधान किया गया है। अब पाच प्रकार के सयतों के लिए प्रायश्चित्तों का विधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि सामायिकसयत स्यविरकल्पिकों के लिए छेद और मूल को छोड़कर शेष आठ प्रायश्चित्त—आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, अनवस्थाप्य और पारचित हैं, जिनकल्पिकों के लिए

१ दशम उद्देश गा० ३-५ २ गा० ५३ ३ जीतकल्पभाष्य,
गा० ७-६९४ तथा प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० २०३-२०७

आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, व्युत्सर्ग और तप-ये छ प्रायश्चित्त हैं । छेदोपस्थापनीय समय में स्थित स्खविरो के लिए सत्र प्रकार के प्रायश्चित्त हैं, निन कल्पिकों के लिए आठ प्रकार के प्रायश्चित्त हैं । परिहारविशुद्धिक समय में स्थित स्खविरो के लिए भी मूलपर्यन्त आठ ही प्रायश्चित्त हैं, निनकल्पिकों के लिए छेद और मूल को छोड़कर छः प्रकार के प्रायश्चित्त हैं । सूक्ष्मसपराय और यथाख्यात समय में विद्यमान के लिए आलोचना और विवेक-ये दो ही प्रायश्चित्त हैं ।^१

आगमादि पांच प्रकार के व्यवहार का सुविस्तृत विवेचन करने के बाद चार प्रकार के पुरुषजात की चर्चा प्रारंभ की गई है . १ अर्थकर, २ मानकर, ३ उभयकर और ४ नोभयकर । इनमें से प्रथम और तृतीय सफल माने गए हैं और द्वितीय और चतुर्थ निष्फल । इन चारों प्रकार के पुरुषों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उज्जयिनी नगरी और शकराजा का दृष्टान्त दिया गया है ।^२ इसी प्रकार १ गणार्थकर, २ मानकर, ३ उभयकर और ४ अनुभयकर का वर्णन करने के बाद गणसप्रहकर, गणशोभाकर, गणशोधिकर आदि चार-चार प्रकार के पुरुषों का स्वरूप समझाया गया है ।^३ अन्त में तीन प्रकार की स्यविरभूमि, तीन प्रकार की शैक्षकभूमि, आठ वर्ष से कम आयु वाले की दीक्षा का निषेध, आचारप्रकल्प (निशीय) के अध्ययन की योग्यता, सूत्रकृत आदि अन्य सूत्रों के अध्ययन की योग्यता, दस प्रकार की सेवा आदि का विचार किया गया है ।^४



१ गा० ३५२-३६४

२ दशम उद्देश

पृ० ९४,

गा० १-७

३ गा० १५-४४

४ गा० ४५-१४०

षष्ठ प्रकरण

ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य

प्रस्तुत प्रकरण के प्रारंभ में भाष्यों का सामान्य परिचय देते समय हमने आवश्यकतादि सूत्रों पर लिखे गए भाष्यों के जो नाम गिनाए हैं उनमें से निम्न-लिखित छ भाष्य प्रकाशित हो चुके हैं १ विशेषावश्यकभाष्य, २ जीतकल्प भाष्य, ३ बृहत्कल्पलघुभाष्य, ४ व्यवहारभाष्य, ५ ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य और ६ पिण्डनिर्युक्तिभाष्य । इनमें से प्रथम चार का विस्तृत परिचय दिया जा चुका है । ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य और पिण्डनिर्युक्तिभाष्य की गाथा-संख्या बहुत बड़ी नहीं है । प्रथम में ३२२ और द्वितीय में ४६ गाथाएँ हैं । ये गाथाएँ निर्युक्तियों में मिश्रितरूप में उपलब्ध हैं तथा गिनती में निर्युक्तियों की गाथाओं से कम हैं । व्यवहारभाष्यकार की भाँति इन दोनों भाष्यकारों के नाम का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य^१ में निम्न विषयों का समावेश है ओघ, पिण्ड, समास और सक्षेप एकार्थक हैं, व्रत, श्रमणधर्म, समय, वैयाचर्य, ब्रह्मचर्यगुप्ति, ज्ञाना-दित्रिक, तप और क्रोधनिग्रहादि चरण हैं, पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखना, गुप्ति और अभिग्रह करण हैं, अनुयोग चार प्रकार का होता है चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग, ग्लान साधु की परिचर्या क्यों करनी चाहिए व उसकी क्या विधि है, भोजन ग्रहण की निर्दोष विधि व तस्मिन्मन्धी यतनाए, साधुओं के विचरण का समय और तद्विषयक मर्यादाए आदि, ग्राम में प्रवेश तथा शकुनापशकुन का विचार, स्थापनाकुलों की स्थापना व उसकी अनिवार्यता, कायोत्सर्ग करने की विधि और उसके लिए उपयुक्त स्थान, आसन आदि, औपघातिक के तीन भेद आत्मौपघा-

१ निर्युक्ति-भाष्य-द्रोणाचार्यसूत्रितवृत्तिभूषित प्रकाशक—शाह वेणीचन्द्र सुर-चन्द्र, आगमोदय समिति, मैसूर, सन् १९१९.

तिक, प्रवचनौपधातिक और समयौपधातिक, पात्रलेप की विधि, यतनाए और दोष, भिक्षाग्रहण का उपयुक्त काल, भिक्षाटन की निर्दोष विधि, दाता की योग्यता, अयोग्यता का विवेक, स्त्री-पुरुष का विचार, गमनागमन के समय विविध उपकरण ग्रहण करने के नियम व धर्मरुचि का दृष्टान्त, आहार का उपभोग करने की निर्दोष विधि इत्यादि ।^१



सप्तम प्र.

ओघनि र्क्ति-बृहद्भाष्य

मुनि श्री पुण्यविजयजी के पास ओघनिर्युक्ति बृहद्भाष्य की एक हस्तलिखित प्रति है जिसमें २५१७ गाथाएँ हैं जिनमें निर्युक्ति गाथाएँ भी सम्मिलित हैं। प्रारंभ में निर्युक्ति की निम्न गाथाएँ हैं :

अरिहंते वदित्ता चोद्दसपुव्वी तहेव दसपुव्वी ।

एक्कारसगसुत्तत्थधारए सव्वसाहू य ॥ १ ॥

ओहेण य निब्जुत्तिं वोच्छं चरणकरणाणुओगातो ।

अप्पक्खरं महत्थ अणुगहत्थ सुविहियाण ॥ २ ॥


इन गाथाओं में निर्युक्तिकार ने अरिहत, चतुर्दशपूर्वी, दशपूर्वी तथा एकादशागसूत्रार्थधारक सर्व साधुओं को नमस्कार करके ओघनिर्युक्ति लिखने की प्रतिज्ञा की है। भाष्यकार ने इसी निर्युक्ति की गाथाओं के विवेचन के रूप में प्रस्तुत भाष्य का निर्माण किया है। ग्रंथ में भाष्यकार के नाम आदि के विषय में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। द्रोणाचार्य की वृत्ति लघुभाष्य पर है, बृहद्भाष्य पर नहीं।



अष्टम प्रकरण

पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य

पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य' में निम्न विषयों का संक्षिप्त व्याख्यान है : 'गौण' शब्द की व्युत्पत्ति, 'पिण्ड' का स्वरूप, लौकिक और सामयिक की तुलना, पिण्डस्थापना के दो भेद . सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना, पिण्डनिक्षेप और वातकाय, आधाकर्म का स्वरूप, अघ'कर्मताहेतु, विभागौद्देशिक के भेद, मिश्रजात का स्वरूप, स्वस्थान के स्थानस्वस्थान, भोजनस्वस्थान आदि भेद, सूक्ष्म प्राभृति का अपसर्पण और उत्सर्पण रूप दो भेद, विशोधि और अविशोधि की कोटियाँ, चूर्ण का स्वरूप व तत्सम्बन्धी दो क्षुल्लकों का इष्टान्त' ।



-
- १ निर्युक्ति-भाष्य-मलयगिरिविद्युत्तुक्त—प्रकाशक देवचन्द्र लालभाई जैन
पुस्तकालय, बरबई, सन् १९१८
- २ भाष्यगाथा १-४६

नवम प्रकरण

पञ्च ल्प-महाभाष्य

यह भाष्य^१ पञ्चकल्पनिर्युक्ति के विवेचन के रूप में है। इसमें कुल मिलाकर २६६५ गाथाएँ हैं जिनमें केवल भाष्य की २५७४ गाथाएँ हैं। प्रारम्भ में निर्युक्तिकारकृत निम्न गाथा है :

वंदामि भद्रबाहुं पाईणं चरिमसगलसुयनाणि ।
सुत्तस्स कारगमिसिं दसाण कप्पे य ववहारे ॥ १ ॥

यह गाथा दशाश्रुतस्कन्ध की निर्युक्ति तथा चूर्णि में भी प्रारम्भ में ही है। इस गाथा का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने 'भद्रबाहु' का अर्थ 'सुन्दर बाहुओं वाला' किया है। अन्य भद्रबाहुओं से प्रस्तुत भद्रबाहु का पृथक्करण करने के लिए 'प्राचीन' (गोत्र), 'चरमसकलश्रुतज्ञानी' और 'दशा कल्प व्यवहार-सूत्रकार' विशेषण दिये गये हैं। एतद्विषयक गाथाएँ ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण होने के कारण यहाँ उद्धृत की जाती हैं :

भदत्ति सुदर त्ति य तुल्लत्थो जत्थ सुदरा बाहु ।
सो होति भद्रबाहु गोण्ण जेण तु वालत्ते ॥ ७ ॥
पाएण लक्खिजइ पेसलभावो तु बाहुजुयलस्स ।
उववण्णमतो णाम तस्सेय भद्रबाहु त्ति ॥ ८ ॥
अण्णे वि भद्रबाहु विसेसण गोत्तगहण पाईण ।
अण्णेसिं पऽविसिट्ठे विसेसण चरिमसगलसुत्त ॥ ९ ॥
चरिमो अपच्छिमो खलु चोदसपुन्वा उ होति सगलसुत्त ।
सेसाण बुदासट्ठा सुत्तकरञ्जयणमेयस्स ॥ १० ॥

१' इस भाष्य की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त हुई है। यह प्रति मुनि श्री ने वि० स० १९८३ में लिखकर तैयार की है।

किं तेण कथं सुत्तं जं भण्णति तस्स कारतो सो उ ।
 भण्णति गणधारीहिं सव्वसुयं चव पुण्वकत्तं ॥११॥
 तत्तो च्चिय णिवज्जूढ अणुगहट्ठाय संपयजतीणं ।
 सो सुत्तकारओ खलु स भवति दसकप्पववहारे ॥१२॥

कल्प (कृष्ण) का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि कल्प दो प्रकार का होता है . जिनकल्प और स्थविरकल्प । इन दोनों प्रकार के कल्पों का द्रव्य और भावपूर्वक विचार करना चाहिए । इसके बाद कल्प्य और अकल्प्य वस्तुओं का विचार किया गया है ।

कल्पियों अर्थात् साधुओं की ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप त्रिविध सम्पदा का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने पाँच प्रकार के चारित्र का स्वरूप बताया है . सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मराग—सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात । इसी प्रकार चारित्र के क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक—इन तीन भेदों का भी वर्णन किया गया है । ज्ञान दो प्रकार का होता है : क्षायिक और क्षायोपशमिक । केवलज्ञान क्षायिक है और शेष ज्ञान क्षायोपशमिक है । दर्शन तीन प्रकार का है क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक । चारित्र का पालन कौन करता है ? निर्ग्रन्थ और सयत । निर्ग्रन्थ और सयत के पाँच-पाँच भेद होते हैं :

करसेत्तं चारित्त णियंठ तह संजयाण ते कत्तिहा ।
 पच णियंठा, पचेव संजया होंतिमे कमसो ॥८३॥

पाँच प्रकार के निर्ग्रन्थ ये हैं . पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक । सयत के सामायिक आदि उपर्युक्त पाँच भेद हैं । इन दस प्रकार के भ्रमणों के प्रस्तुत भाष्य में और भी अनेक भेद-प्रभेद किये गए हैं ।

‘कल्प’ शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, इसका विचार करते हुए कहा गया है कि ‘कल्प’ शब्द निम्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है : सामर्थ्य, वर्णना, काल, छेदन, करण, औपम्य और अधिवास

सामत्थे वण्णणा काले छेयणे करणे तथा ।

ओवन्मे अधिवासे य कप्पसहो वियाहिओ ॥ १५४ ॥

इन् सन्न का भेदपुरःसर विस्तृत-विवेचन नवम पूर्व में किया गया है। प्रस्तुत भाष्य में केवल प्रञ्चकल्प—पाँच प्रकार के कल्प का संक्षिप्त वर्णन है। जैसा कि स्वयं भाष्यकार लिखते हैं।

स्रो-पुण प्रञ्चकल्पो, कल्पो इह वणिगो समासेण।

वित्थरतो पुण्वगतो, तस्स इमे ह्येति भेदा तु ॥१७४॥

पाँच प्रकार के कल्प के क्रमशः छ, सप्त, दस, त्रीस और बयालीस भेद हैं। छविविह सत्तविहे य, दसविह चीसतिविहे य बायाले।^१ छः प्रकार के कल्प का छः प्रकार से निक्षेप करना चाहिए। वह छ प्रकार का निक्षेप है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।^२ द्रव्यकल्प तीन प्रकार का है : जीव, अजीव और मिश्र। जीवकल्प के पुन तीन भेद हैं। द्विपद, चतुष्पद और अपद। प्रस्तुत अधिकार द्विपद का है और उसमें भी मनुष्यद्विपद का। मनुष्य द्विपद में भी कर्मभूमिज का अधिकार अमीष्ट है।^३ वह मनुजजीवकल्प छ प्रकार का है : प्रजाजन, मुडन, शिक्षण, उपस्थापन, भोग और सवसन :

पन्वावण मुंडावण सिक्खावणुवट्ट भुंज सवसणा।

एसोत्थ (तु) जीवकल्पो, छभेदो होति णायन्वो ॥ १८६ ॥

भाष्यकार ने इन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। प्रजाजन का विवेचन करते हुए जाति, कुल, रूप और विनयसम्पन्न व्यक्ति को ही प्रव्रज्या के योग्य माना है। बाल, वृद्ध, नपुंसक, बद्ध, क्लीब, रोगी, स्तेन, राजापकारी, उन्मत्त, अदर्शी, दास, दुष्ट, मूढ, अज्ञानी, जुगित, भयभीत, पलायित, निष्कासित, गर्भिणी और बालवत्सा—इन बीस प्रकार के व्यक्तियों को प्रव्रज्या—दीक्षा देना अकल्प्य है।

छाले बुद्धे नपुसे य, जड्ढे कीवे य वाहिण।

तेणे रायावगारी य उन्मत्ते य अदसणे ॥ २०० ॥

दासे दुट्ठे य मूढे य, अणत्ते जुगितेइ य।

ओबद्धए य भयए, सेहणिप्फेडितेति य ॥ २०१ ॥

गुठिवणी चालवच्छा य, पन्वावेतु ण कप्पए।

एसि परूवणा दुविहा, वस्सगाववायसजुत्ता ॥ २०२ ॥

इसी से मिलता-जुलता विधान निशैयभाष्य में भी है। एतद्विषयक अनेक गाथाएँ दोनों भाष्यों में समान हैं।^४

१ गा० १७५

२ गा० १८०

३ गा० १८०-४, १

४ तुलना : निशैय-भाष्य, गा० ३५०६-८

अचित्त अर्थात् अजीव-द्रव्यकल्प का विवेचन करते हुए आचार्य ने निम्न-
लिखित सोलह विषयों पर प्रकाश डाला है : १. आहार, २ उपधि, ३ उपाश्रय,
४. प्रसवण, ५ शय्या, ६. निषद्या, ७ स्थान, ८. दड, ९. चर्म, १० चिलिमिली,
११ अवल्लेखनिका, १२. दत्तघावन, १३. कर्णशोधन, १४. पिप्पलक, १५. सूची,
१६ नल्लेदन ।^१

मिश्र द्रव्यकल्प का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि जीव और
अजीव के संयोग आदि से निष्पन्न कल्प मिश्रकल्प कहलाता है ।^१ इसके विविध
भग होते हैं । यहाँ तक द्रव्यकल्प का व्याख्यान है ।

क्षेत्रकल्प का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने अर्धषट्विंशति (अर्धछत्तीस)
अर्थात् साठे पचीस देशों को आर्यक्षेत्र बताया है जिसमें साधुओं को विचरना
चाहिए । इन देशों के साथ ही इनकी राजधानियों के नाम भी दिये हैं । यहाँ
एतद्विषयक भाष्य की छ. गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं जिनसे आर्यक्षेत्रीय देशों
और उनकी राजधानियों के नामों का ठीक-ठीक पता लग सकेगा :

रायगिह भगह चंपा, अंगा तह तामलिच्छि वंगा य ।
कंचणपुरं कलिंगा, वाराणसि चैव कासी य ॥ ९६९ ॥
साए य कोसला गयपुरं च कुरु सौरियं कुसुहा य ।
कंपिलं पचाला, अहिच्छत्ता जंगला चैव ॥ ९७० ॥
वारवती य सुरड्डा, महिल विदेहा य वच्छ कोसवी ।
णदिपुरं संदिभा, महिलपुरमेव वलया य ॥ ९७१ ॥
वयराडवच्छ वरणा, अच्छा तह मत्तियावति दसण्णा ।
सोत्तियमती य चेती, वीतिभयं सिंघु सोवीरा ॥ ९७२ ॥
महुरा य सुरसेणा, पावा भगी य मासपुरिवट्टा ।
सावत्थी य कुणाला, कोडीवरिसं च लाढा य ॥ ९७३ ॥
सेयवियाऽविय णगरी कैततिअद्धं च आरियं भणितं ।
जत्थुप्पत्ति जिणाण चक्कीण रामकिण्हाण ॥ ९७४ ॥

१ आहारे उवहिम्मि य, उवस्सए तह य पस्सवणए य ।
सेज्ज णिसेज्ज ट्ठाणे, दडे चम्मे चिलिमिली य ॥ ७२३ ॥
अवल्लेखणिया दत्ताण, धोवणे कण्णसोहणे चैव ।
पिप्पल्ला सूति णस्सहाण, छेदणे चैव सोलसमे ॥ ७२४ ॥

आर्य जनपद और उनकी मुख्य नगरियों के नाम ये हैं :

देश	राजधानी
१-मगध	राजगृह
२-अग	चम्पा
३-वग	ताम्रलिप्ति
४-कलिंग	काचनपुर
५-काशी	वाराणसी
६-कोशल	साकेत
७-कुक्ष	गजपुर
८-कुशावर्त	सौरिक
९-पांचाल	कांभिल्य
१०-जागल	अहिच्छत्रा
११-सौराष्ट्र	द्वारवती
१२-विदेह	मिथिला
१३-वत्स	कौशांबी
१४-शाडिल्य	नन्दिपुर
१५-मल्य	भद्विलपुर
१६-मत्स्य	वैराटपुर
१७-वरण	अन्डापुरी
१८-दशार्ण	मृत्तिकावती
१९-चेदि	शौक्तिकावती
२०-सिंधु सौवीर	वीतिभय
२१-क्षत्रसेन	मथुरा
२२-भगि	पापा
२३-वट्ट	मासपुरी
२४-कुणाल	भावस्ती
२५-पाट	कोटिवर्ष
२५ १/२-केकयाध	श्वेताग्रिका

क्षेत्रकल्प के बाद कालकल्प का वर्णन करते हुए आचार्य ने निम्न विषयों का व्याख्यान किया है . मासकल्प, पर्युपणाकल्प, वृद्धवासकल्प, पर्यायकल्प,

उत्सर्ग, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म, प्रतिलेखन, स्वाध्याय, ध्यान, भिक्षा, भक्त, विकार, निष्क्रमण और प्रवेश ।^१

भावकल्प के वर्णन में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, सयम, समिति, गुप्ति आदि का विवेचन किया गया है ।^२ यहाँ तक प्रथम कल्प के अन्तर्गत छः प्रकार के कल्पों का अधिकार है । इसके बाद द्वितीय कल्प के सात भेदों का व्याख्यान प्रारम्भ होता है ।

सात प्रकार के कल्प में निम्न कल्पों का समावेश किया गया है . स्थितकल्प, अस्थितकल्प, जिनकल्प, स्थविरकल्प, लिंगकल्प, उपधिकल्प और संभोगकल्प ।^३ भाष्यकार ने इनका विस्तार से वर्णन किया है ।

तृतीय कल्प के अन्तर्गत दस प्रकार के कल्पों का वर्णन किया गया है: कल्प, प्रकल्प, विकल्प, सकल्प, उपकल्प, अनुकल्प, उत्कल्प, अकल्प, दुष्कल्प और सुकल्प ।^४ पिण्डैषणा, भावना, भिक्षुप्रतिमा आदि यतिगुणों की वृद्धि करना कल्प है । उत्सारकल्प, लोकानुयोग, प्रथमानुयोग, समग्रणी, संभोग, श्रृंगनादित आदि प्रकल्प हैं ।^५ अतिरेक, परिकर्म, भङ्गोत्पादना आदि विकल्प हैं ; अतिरेग परिक्रमण तद् भङ्गुपायणा ।^६ प्रकल्प सकारण होता है जबकि विकल्प निष्कारण होता है कारणे पकप्पो होती, विकप्पो णिककारणे सुणोयन्वो ।^७ सकल्प प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का होता है । दर्शन ज्ञान-चारित्रविषयक सकल्प प्रशस्त है । इन्द्रिय-विषय कषायविषयक सकल्प अप्रशस्त है ।^८ उपकल्प, क्रिया और उपनयन एकार्थक हैं . उचकप्पती करेति उचणेइ व होति एगट्ठा ।^९ ज्ञान और चारित्र से समृद्ध पूर्वाचार्यों का अनुकरण करना अनुकल्प है ।^{१०} कर्ष्वकल्पी होना अथवा छिन्नकल्पी होना उत्कल्प कहलाता है ।^{११} निष्कृप अर्थात् कृपाहीन तथा निरनुकम्प अर्थात् अनुकम्पाहीन होकर प्रवृत्ति करना अकल्प कहलाता है ।^{१२} नित्य निर्दिष्ट प्रवृत्ति करना दुष्कल्प है ।^{१३} नित्य प्रशसित प्रवृत्ति करना सुकल्प है ।^{१४}

१ गा० १०२४-११३५

२ गा० ११३६-१२६७

३ गा० १२६८

४ गा० १५१४

५ उत्सारकल्प लोणाणुभोग पदमाणुभोग लगहणी ।

संभोग सिंगणाइय एवमादी पकप्पो उ ॥ १५३२ ॥

६ गा० १५९१

७ गा० १६०३

८ गा० १६२९-१६३०

९ गा०

१६१५

१० गा० १६४२

११ गा० १६४९

१२ गा० १६५९.

१३ गा० १६६५.

१४ गा० १६६७.

चतुर्थ कल्प के अन्तर्गत निम्नलिखित बीस कल्पों का समावेश किया गया है. १. नामकल्प, २ स्थापनाकल्प, ३ द्रव्यकल्प, ४. क्षेत्रकल्प, ५. कालकल्प, ६. दर्शनकल्प, ७. श्रुतकल्प, ८. अध्ययनकल्प, ९. चारित्रकल्प, १०. उपधिकल्प, ११. संभोगकल्प, १२. आलोचनाकल्प, १३. उपसम्पदाकल्प, १४. उद्देशकल्प, १५. अनुशाकल्प, १६. अव्यकल्प, १७. अनुवासकल्प (स्थित और अस्थित), १८. जिनकल्प, १९. स्यविरकल्प और २०. अनुपालनाकल्प। इसकी निम्नोक्त तीन द्वारगाथाएँ हैं :

कप्पेसु णामकप्पो, ठवणाकप्पो य दवियकप्पो य।
 खित्ते काले कप्पो, दसणकप्पो य सुयकप्पो ॥१६७०॥
 अब्झयण चरित्तम्मि य, कप्पो सवही तहेव समोमो।
 आलोयण उवसपद तहेव उद्देसणुण्णाए ॥१६७१॥
 अद्धानम्मि य कप्पो, अणुवासे तह य होइ ठितकप्पो।
 अट्ठितकप्पो य तहा, जिणथेर अणुवालाणाकप्पो ॥१६७२॥

भाष्यकार ने इन बीस प्रकार के कल्पों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। पंचम कल्प के बयालीस भेद हैं १ द्रव्य, २ भाव, ३. तदुभय, ४ करण, ५ विरमण, ६ सदाचार, ७. निर्वेश, ८. अन्तर, ९ नयातर, १० स्थित, ११ अस्थित, १२ स्थान, १३ जिन, १४. स्यविर, १५ पर्युषण, १६. श्रुत, १७. चारित्र, १८ अध्ययन, १९. उद्देश, २० वाचना, २१ प्रत्येपणा, २२. परिवर्तना, २३ अनुप्रेक्षा, २४ यात, २५ अयात, २६ चूर्ण, २७. अचूर्ण, २८ सघान, २९ च्यवन, ३०. उपपात, ३१ निशीय, ३२ व्यवहार, ३३ क्षेत्र, ३४ काल, ३५. उपधि, ३६ समोग, ३७ लिंग, ३८ प्रतिसेवना, ३९ अनुवास, ४० अनुपालना, ४१ अनुशा, ४२ स्थापना। इसकी चार द्वारगाथाएँ हैं जिनका भाष्यकार ने विवेचन किया है

दव्वे भावे तदुभय करणे वेरमणनेव साहारो।
 निव्वेस अतर णयतरे य ठिय अट्ठिए चेव ॥२१६०॥
 ठाण जिण थेर पब्जुसणमेव सुत्ते चरित्तमब्झयणे।
 उद्देस वायण पडिच्छणा य परियट्ठणुप्पेहा ॥२१६३॥
 जायमजाए चिण्णमच्चिण्णे सघाणमेव च्यणे य।
 उववाय णिसीहे या, व्यवहारे सेत्तकाले य ॥२१६४॥
 सवही समोगे लिंगकप्प पडिसेवणा य अणुवासे।
 अणुपालणा अणुण्णा, ठवणाकप्पे य घोघव्वे ॥२१६५॥

इस तरह पाँच प्रकार के कल्पों का विवेचन करने के बाद प्रस्तुत भाष्य जिसका कि नाम पञ्चकल्पमहाभाष्य है और जिसमें पञ्चकल्पलघुभाष्य का भी समावेश है, समाप्त होता है। प्रति के अन्त में भाष्य एव भाष्यकार के नाम का इस प्रकार उल्लेख है - महत्पञ्चकल्पभाष्यं सद्यदासक्षमाश्रमणविरचितं समाप्तमिति । भाष्य का क्लेवर-प्रमाण बताते हुए कहा गया है : गाह्गोणं पञ्चवीससयाहं चरुहत्तराहं । सिलोयग्गणं एगतीससयादि पञ्चत्तीसाणि । यह भाष्य २५७४ गाथाप्रमाण अथवा ३१३५ श्लोकप्रमाण है।



चतुर्थ कल्प के अन्तर्गत निम्नलिखित बीस कल्पों का समावेश किया गया है . १. नामकल्प, २. स्थापनाकल्प, ३. द्रव्यकल्प, ४. क्षेत्रकल्प, ५. कालकल्प, ६. दर्शनकल्प, ७. श्रुतकल्प, ८. अध्ययनकल्प, ९. चारित्रकल्प, १०. उपधिकल्प, ११. समोगकल्प, १२. आलोचनाकल्प, १३. उपसम्पदाकल्प, १४. उद्देशकल्प, १५. अनुज्ञाकल्प, १६. अध्वकल्प, १७. अनुवासकल्प (स्थित और अस्थित), १८. जिनकल्प, १९. स्थविरकल्प और २०. अनुपालनाकल्प । इसकी निम्नोक्त तीन द्वारगाथाएँ हैं :

कप्पेसु णामकप्पो, ठवणाकप्पो य दवियकप्पो य ।
 खित्ते काले कप्पो, दसणकप्पो य सुयकप्पो ॥१६७०॥
 अङ्गयण चरित्तम्मि य, कप्पो उवही तहेव समोगो ।
 आलोयण उवसंपद तहेव उद्देशणुणाए ॥१६७१॥
 अद्धाणम्मि य कप्पो, अणुवासे तह य होइ ठित्तकप्पो ।
 अट्ठित्तकप्पो य तथा, जिणथेर अणुवालणाकप्पो ॥१६७२॥

भाष्यकार ने इन बीस प्रकार के कल्पों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । पचम कल्प के बयालीस भेद हैं . १ द्रव्य, २ भाव, ३. तदुभय, ४ करण, ५ विरमण, ६ सदाधार, ७. निर्वेश, ८. अन्तर, ९ नयातर, १०. स्थित, ११. अस्थित, १२ स्थान, १३ जिन, १४ स्थविर, १५ पर्युषण, १६. श्रुत, १७. चारित्र, १८ अध्ययन, १९. उद्देश, २० वाचना, २१ प्रत्येषणा, २२. परिवर्तना, २३ अनुप्रेक्षा, २४ यात, २५ अयात, २६ चीर्ण, २७ अचीर्ण, २८ सघान, २९ व्यवन, ३०. उपपात, ३१ निशीय, ३२ व्यवहार, ३३ क्षेत्र, ३४ काल, ३५ उपधि, ३६ समोग, ३७ लिंग, ३८ प्रतिसेवना, ३९ अनुवास, ४० अनुपालना, ४१ अनुज्ञा, ४२ स्थापना । इसकी चार द्वारगाथाएँ हैं जिनका भाष्यकार ने विवेचन किया है .

दव्वे भावे तदुभय करणे वेरमणनेव साहारो ।
 निव्वेस अतर णयतरे य ठिय अट्ठिए चेव ॥२१६७॥
 ठाण जिण थेर पब्बुसणमेव सुत्ते चरित्तमङ्गयणे ।
 उद्देश वायण पडिच्छणा य परियट्ठणुप्पेहा ॥२१६३॥
 जायमजाए चिणमचिण्णे सघाणमेव चयणे य ।
 उववाय णिसीहे या, ववहारे खेत्तकाले य ॥२१६४॥
 उवही समोगे लिंगकप्प पडिसेवणा य अणुवासे ।
 अणुपालणा अणुणा, ठवणाकप्पे य बोधव्वे ॥२१६५॥

इस तरह पाँच प्रकार के कल्पों का विवेचन करने के बाद प्रस्तुत भाष्य जिसका कि नाम पञ्चकल्पमहाभाष्य है और जिसमें पञ्चकल्पलघुभाष्य का भी समावेश है, समाप्त होता है। प्रति के अन्त में भाष्य एव भाष्यकार के नाम का इस प्रकार उल्लेख है . महत्पञ्चकल्पभाष्यं सघदासक्षमाश्रमणविरचितं समाप्तमिति । भाष्य का ऋग्वेद-प्रमाण बताते हुए कहा गया है : गाहगोणं पञ्चवी । इं चचहत्तराइं । सिलोयगाणं एगतीससयादि पञ्चत्तीसाणि । यह भाष्य २५७४ आथाप्रमाण अथवा ३१३५ श्लोकप्रमाण है ।



दशम प्रकरण

बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य

यह भाष्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बृहत्कल्प-लघुभाष्य से आकार में बड़ा है। दुर्भाग्य से यह अपूर्ण ही उपलब्ध है।^१ इसमें पीठिका और प्रारम्भ के दो उद्देश तो पूर्ण हैं किन्तु तृतीय उद्देश अपूर्ण है। अन्त के तीन उद्देश अनुपलब्ध हैं। भाष्य का यह अंश लिखा अवश्य गया है, जैसा कि आचार्य क्षेमकीर्ति की टीका से स्पष्ट है।^२ प्रस्तुत भाष्य में लघुभाष्य समाविष्ट है।

लघुभाष्य की प्रथम गाथा है

काऊण नमोक्कारं, तित्थयरारणं तिलोगमहियाणं ।
कप्पव्ववहारारणं, वक्खाणविहिं पवक्खामि ॥ १ ॥

बृहद्भाष्य की भी प्रथम गाथा है •

काऊण नमोक्कारं, तित्थकरणं तिलोकमहिताणं ।
कप्पव्ववहारारणं, वक्खाणविधिं पवक्खामि ॥

इन दोनों गाथाओं में कहीं-कहीं अक्षरभेद अर्थात् अक्षर-परिवर्तन है। इसी प्रकार का परिवर्तन अन्य गाथाओं में भी दृष्टिगोचर होता है।

लघुभाष्य की दूसरी गाथा है :

सक्कयपाययवयणाण विभासा जत्थ जुज्जते ज तु ।
अज्जयणनिरुत्ताणि य, वक्खाणविही य अणुधोगो ॥ २ ॥

यह गाथा बृहद्भाष्य में बहुत दूर है।^३ लगभग सौ गाथाओं के बाद यह

१ यह भाष्य मुनि श्री पुण्यविजयजी की असीम कृपा से हस्तलिखितरूप में प्राप्त हुआ एतदर्थं मुनि श्री का अत्यन्त भगवती हैं।

२ आह च बृहद्भाष्यकृत—रत्ति दवपरिवासे, लहुगा दोसा हवत जोगविहा।—बृहत्कल्पलघुभाष्य, गा० ५९८१ की व्याख्या (उद्देश ५, पृ० १५८०)

३ पृ० १४.

गाथा दी गई है। बीच की ये सब गाथाएँ प्रथम गाथा के विवेचन के रूप में हैं। बृहद्भाष्य में उपर्युक्त गाथा कुछ परिवर्तन के साथ इस प्रकार है।

सम्भगपायतवयणाण विभासा जच्छ कुञ्जते जातु ।

अवभयणिरुत्ताणिय वत्तर्वाइं जहाकमसो ॥

इस गाथा में कुछ अशुद्धियाँ हैं। इस प्रकार की अनेक अशुद्धियाँ प्रस्तुत प्रति में भरी पड़ी हैं। यह दोष प्रस्तुत प्रति का नहीं अपितु उस मूल प्रति का है जिसकी यह प्रतिलिपि है।

बृहद्भाष्य के प्रारम्भ में ऐसी कुछ गाथाएँ हैं जो लघुभाष्य में बाद में आती हैं। उदाहरण के रूप में कुछ गाथाएँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं।

कडकरणं दव्वे सासण तु सच्चेव दव्वतो आणा ।

दव्वनिमित्त वुभय दोण्ह वि भावे इम चेव ॥ ३६ ॥

दव्ववती दव्वाति जातिं गहिताति मुंचति ण ताव ।

आराहणि दव्वस्स तु दोण्ह वि पडिपक्खे भाववई ॥ ३७ ॥

दव्वाण दव्वभूतो दव्वट्ठाए व वेज्जमातीया ।

अथ दव्वे उवदैसो पण्णवणा आगमो चेव ॥ ३८ ॥

अणुयोगो (य णियोगो) भास विभासा य वत्तियं चेव ।

एते अणुयोगस्स तु णामा एगट्ठया पच ॥ ४१ ॥

—बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य, पृ० ५-६ (सद्योधित)

कडकरणं दव्वे सासण तु दव्वे व दव्वओ आणा ।

दव्वनिमित्त वुभय, दुन्नि वि भावे इम चेव ॥ १८४ ॥

दव्ववती दव्वाइ गहियाइ मुचइ न ताव ।

आराहणि दव्वस्स वि, दोहि वि भाक्खस्स पडिपक्खो ॥ १८५ ॥

दव्वाण दव्वभूओ, दव्वट्ठाए व विज्जमाईया ।

अह दव्वे उवएसो, पन्नवणा आगमे चेव ॥ १८६ ॥

अणुयोगो य नियोगो, भास विभासा य वत्तियं चेव ।

एए अणुओगस्स उ, नामा एगट्ठया पच ॥ १८७ ॥

—बृहत्कल्प-लघुभाष्य, भा० १

उपर्युक्त गाथाओं से यह स्पष्ट है कि दोनों भाष्यों की कुछ गाथाओं में कहीं कहीं आगे पीछे-हेर फेर भी हुआ है। बृहद्भाष्यकार ने लघुभाष्य की कुछ गाथाएँ बिना किसी व्याख्यान के वैसी की वैसी भी अपने भाष्य में

उद्धृत की हैं। जिनका व्याख्यान करना उन्हें आवश्यक प्रतीत न हुआ उन गाथाओं के विषय में उन्होंने यहीं नीति अपनायी है। उदाहरण के तौर पर लघुभाष्य की नाम और स्थापना मगलविषयक छठी, सातवीं और आठवीं ये तीन गाथाएँ बृहद्भाष्य में क्रमशः एक साथ दे दी गई हैं।^१ इनका बृहद्भाष्यकार ने उस प्रसंग पर कोई अतिरिक्त विवेचन नहीं किया है। द्रव्यमगलविषयक नौवीं गाथा के विषय में यह बात नहीं है। इस गाथा के व्याख्यान के रूप में बृहद्भाष्यकार ने चार नई गाथाओं की रचना की है।^२ इस प्रकार बृहद्भाष्य में लघुभाष्य के विषयों का ही विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। ऐसी दशा में पूरा बृहद्भाष्य एक विशालकाय ग्रन्थ होना चाहिए जिसका कलेवर लगभग पंद्रह हजार गाथाओं के बराबर हो। अपूर्ण उपलब्ध प्रति जिसका कलेवर पूरे ग्रन्थ का लगभग आधा है, अनुमानतः सात हजार गाथाप्रमाण है। ये गाथाएँ लघुभाष्य की गाथाओं (तीन उद्देश) से करीब दुगुनी हैं। लगभग इतनी ही गाथाएँ अनुपलब्ध अद्य में भी होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।

बृहद्भाष्य की प्रति में जो अक्षरपरावर्तन दृष्टिगोचर होता है उसके कुछ रूप नीचे दिये जाते हैं^३

प्रचलित रूप	परिवर्तित रूप
ण	• म
ण्ण	• स्र
धि ••	••• वि
ऊ	ज
घा अथवा हा	दा
व •	प
त ••	•• न
द	ध
त	व ^४

१ पृ० १८

२ पृ० १८-९.

३ मुनि श्री पुण्यविजयजी के अध्ययन के आधार पर।

४ निश्रीयभाष्य के परिचय के लिए आगे निश्रीयचूण का परिचय देखिये।

. चूर्णि याँ

प्रथम प्रकरण

चूर्णियाँ और चूर्णिकार

आगमों की प्राचीनतम पद्यात्मक व्याख्याएँ नियुक्तियों और भाष्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे सब प्राकृत में हैं। जैनाचार्य इन पद्यात्मक व्याख्याओं से ही सन्तुष्ट होने वाले न थे। उन्हें उसी स्तर की गद्यात्मक व्याख्याओं की भी आवश्यकता प्रतीत हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति के रूप में जैन आगमों पर प्राकृत अथवा संस्कृतमिश्रित प्राकृत में जो व्याख्याएँ लिखी गई हैं, वे चूर्णियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगमैतर साहित्य पर भी कुछ चूर्णियाँ लिखी गईं, किन्तु वे आगमों की चूर्णियों की तुलना में बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए कर्मप्रकृति, शतक आदि की चूर्णियाँ उपलब्ध हैं।

चूर्णियाँ .

निम्नांकित आगम ग्रन्थों पर आचार्यों ने चूर्णियाँ लिखी हैं . १. आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), ४. बीवाभिगम, ५ निशीय, ६. महानिशीय, ७ व्यवहार, ८ दशाश्रुतस्कन्ध, ९. बृहत्कल्प, १०. पञ्चकल्प, ११. धोघनियुक्ति, १२. जीतकल्प, १३ उत्तराध्ययन, १४. आवश्यक, १५ दशवैकालिक, १६. नन्दी, १७. अनुयोगद्वार, १८ बन्धु-द्वीपप्रज्ञप्ति । निशीय और जीतकल्प पर दो-दो चूर्णियाँ लिखी गईं, किन्तु वर्तमान में एक-एक ही उपलब्ध है। अनुयोगद्वार, बृहत्कल्प एवं दशवैकालिक पर भी दो दो चूर्णियाँ हैं।

चूर्णियों की रचना का क्या क्रम है, इस विषय में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। चूर्णियों में उल्लिखित एक-दूसरे के नाम के आचार पर क्रम-निर्धारण का प्रयत्न किया जा सकता है। श्री आनन्दसागर धरि के मत से जिनदासगणिकृत निम्नलिखित चूर्णियों का रचनाक्रम इस प्रकार है नन्दीचूर्णि, अनुयोगद्वारचूर्णि, आवश्यकचूर्णि, दशवैकालिकचूर्णि, उत्तराध्ययनचूर्णि, आचाराग-चूर्णि, सूत्रकृतागचूर्णि और व्याख्याप्रज्ञप्तिचूर्णि ।^१

१ आर्हत आगमोनी चूर्णिओ जने तेनु सुदण-सिद्धचक्र, भा. ९, अ ८, पृ १६५

आवश्यकचूर्णि में ओघनिर्युक्तिचूर्णि का उल्लेख है।^१ इससे प्रतीत होता है कि ओघनिर्युक्तिचूर्णि आवश्यकचूर्णि से पूर्व लिखी गई है। दशवैकालिकचूर्णि में आवश्यकचूर्णि का नामोल्लेख है^२ जिससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यकचूर्णि दशवैकालिकचूर्णि से पूर्व की रचना है। उत्तराध्ययनचूर्णि में दशवैकालिकचूर्णि का निर्देश है^३ जिससे प्रकट होता है कि दशवैकालिकचूर्णि उत्तराध्ययनचूर्णिके पहले लिखी गई है। अनुयोगद्वारचूर्णि में नदीचूर्णि का उल्लेख किया गया है^४ जिससे सिद्ध होता है कि नदीचूर्णि की रचना अनुयोगद्वारचूर्णि के पूर्व हुई है। इन उल्लेखों को देखते हुए श्री आनन्दसागर सूरि के मत का समर्थन करना अनुचित नहीं है। हाँ, उपर्युक्त रचना-क्रम में अनुयोगद्वारचूर्णि के बाद तथा आवश्यकचूर्णि के पहले ओघनिर्युक्तिचूर्णि का भी समावेश कर लेना चाहिए क्योंकि आवश्यकचूर्णि में ओघनिर्युक्तिचूर्णि का उल्लेख है जो आवश्यकचूर्णि के पूर्व की रचना है।

भाषा की दृष्टि से नन्दीचूर्णि मुख्यतया प्राकृत में है। इसमें संस्कृत का बहुत कम प्रयोग किया गया है। अनुयोगद्वारचूर्णि भी मुख्यरूप से प्राकृत में ही है, जिसमें यत्र-तत्र संस्कृत के श्लोक और गद्यांश उद्धृत किये गये हैं। जिनदासकृत दशवैकालिकचूर्णि की भाषा मुख्यतया प्राकृत है, जबकि अगस्त्य सिंहकृत दशवैकालिकचूर्णि प्राकृत में ही है। उत्तराध्ययनचूर्णि संस्कृतमिश्रित प्राकृत में है। इसमें अनेक स्थानों पर संस्कृत के श्लोक उद्धृत किये गये हैं। आचारागचूर्णि प्राकृत प्रधान है, जिसमें यत्र-तत्र संस्कृत के श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। सूत्रकृतागचूर्णि की भाषा एव शैली आचारागचूर्णि के ही समान है। इसमें संस्कृत का प्रयोग अन्य चूर्णियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में हुआ है। जीतकल्पचूर्णि में प्रारम्भ से अन्त तक प्राकृत का ही प्रयोग है। इसमें जितने उद्धरण हैं वे भी प्राकृत ग्रन्थों के ही हैं। इस दृष्टि से यह चूर्णि अन्य चूर्णियों से विलक्षण है। निशीथविशेषचूर्णि अल्प संस्कृतमिश्रित प्राकृत में है। दशाश्रुतकन्धचूर्णि प्रधानतया प्राकृत में है। बृहत्कल्पचूर्णि संस्कृतमिश्रित प्राकृत में है।

चूर्णिकार :

चूर्णिकार के रूप में मुख्यतया जिनदासगणि महत्तर का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने वस्तुतः कितनी चूर्णियाँ लिखी हैं, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया

१ आवश्यकचूर्णि (पूर्वभाग), पृ ३४१ २ दशवैकालिकचूर्णि,
पृ ७१ ३ उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ २७४ ४ अनुयोगद्वारचूर्णि, पृ १

जा सकता। परंपरा से निम्नांकित चूर्णियाँ जिनदासगणि महत्तर की कही जाती हैं निशीथविशेषचूर्ण, नन्दीचूर्ण, अनुयोगद्वारचूर्ण, आवश्यकचूर्ण, दशवैकालिकचूर्ण, उत्तराध्ययनचूर्ण और सूत्रकृतागचूर्ण। उपलब्ध जीतकल्पचूर्ण सिद्धसेनसूरि की कृति है। बृहत्कल्पचूर्णिकार का नाम प्रलम्बसूरि है।^१ आचार्य जिनभद्र की कृतियों में एक चूर्ण का भी समावेश है। यह चूर्ण अनुयोगद्वार के अगुल पद पर है जिसे जिनदास की अनुयोगद्वारचूर्ण में अक्षरश उद्धृत किया गया है।^२ इसी प्रकार दशवैकालिक सूत्र पर भी एक और चूर्ण है। इसके रचयिता अगस्त्यसिंह हैं। अन्य चूर्णिकारों के नाम अज्ञात हैं।

जिनदासगणि महत्तर के जीवन चरित्र से सम्बन्धित विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। निशीथविशेषचूर्ण के अन्त में चूर्णिकार का नाम जिनदास बताया गया है तथा प्रारम्भ में उनके विद्यागुरु के रूप में प्रत्युम्न क्षमाभ्रमण के नाम का उल्लेख किया गया है। उत्तराध्ययनचूर्ण के अन्त में चूर्णिकार का परिचय दिया गया है किन्तु उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें उनके गुरु का नाम वाणिष्पकुलीन, कोटिकगणाय, वज्रशालीय गोपालगणि महत्तर बताया गया है। नन्दीचूर्ण के अन्त में चूर्णिकार ने अपना जो परिचय दिया है वह अस्पष्ट रूप में उपलब्ध है। जिनदास के समय के विषय में इतना कहा जा सकता है कि ये भाष्यकार आचार्य जिनभद्र के बाद एव टीकाकार आचार्य हरिभद्र के पूर्व हुए हैं क्योंकि आचार्य जिनभद्र के भाष्य की अनेक गाथाओं का उपयोग इनकी चूर्णियों में हुआ है, जबकि आचार्य हरिभद्र ने अपनी टीकाओं में इनकी चूर्णियों का पूरा उपयोग किया है। आचार्य जिनभद्र का समय विक्रम संवत् ६००-६६० के आसपास है^३ तथा आचार्य हरिभद्र का समय वि. स. ७५७-८२७ के बीच का है।^४ ऐसी दशा में जिनदासगणि महत्तर का समय वि. स. ६५०-७५० के बीच में मानना चाहिए। नन्दीचूर्ण के अन्त में उसका रचना-काल शक संवत् ५९८ अर्थात् वि. स. ७३३ निर्दिष्ट है।^५ इससे भी यही सिद्ध होता है।

१ जैन प्रथावली, पृ. १२, टि. ५. २ गणधरवाद, पृ. २११.

३ गणधरवाद प्रस्तावना, पृ. ३२-३.

४ जैन आगम, पृ. २७.

५ A History of the Canonical Literature of the Jainas, पृ. १९१, नन्दीसूत्र-चूर्ण (प्रा. टे. सी.), पृ. ८३.

उपलब्ध जीतकल्पचूर्ण के कर्ता सिद्धसेनसूरि हैं। प्रस्तुत सिद्धसेन सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न ही कोई आचार्य हैं। इसका कारण यह है कि सिद्धसेन दिवाकर जीतकल्पकार आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हैं। प्रस्तुत चूर्ण की एक व्याख्या (विषमपदव्याख्या) श्रीचन्द्रसूरि ने वि स १२२७ में पूर्ण की है अतः चूर्णकार सिद्धसेन वि. स १२२७ के पहले होने चाहिए। ये सिद्धसेन कौन हो सकते हैं, इसकी सभावना का विचार करते हुए प दलसुख मालवणिया लिखते हैं कि आचार्य जिनभद्र के पश्चात्पूर्व तत्त्वार्थभाष्य-व्याख्याकार सिद्धसेनगणि और उपमितिभवप्रपन्चा कथा के लेखक सिद्धर्षि अथवा सिद्धव्याख्या-निक—ये दो प्रसिद्ध आचार्य तो प्रस्तुत चूर्ण के लेखक प्रतीत नहीं होते, क्योंकि यह चूर्ण भाषा का प्रश्न गौण रखते हुए देखा जाय तो भी कहना पड़ेगा कि बहुत सरल शैली में लिखी गई है, जबकि उपर्युक्त दोनों आचार्यों की शैली अति विलष्ट है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों आचार्यों की कृतियों में इसकी गिनती भी नहीं की जाती। इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन कोई अन्य ही होने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य जिनभद्रकृत बृहत्क्षेत्रसमास की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेनसूरि प्रस्तुत चूर्ण के भी कर्ता होने चाहिए क्योंकि इन्होंने उपर्युक्त वृत्ति वि. स ११९२ में पूर्ण की थी। दूसरी बात यह है कि इन सिद्धसेन के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धसेन का इस समय के आसपास होना ज्ञात नहीं होता। ऐसी स्थिति में बृहत्क्षेत्रसमास की वृत्ति के कर्ता और प्रस्तुत चूर्ण के लेखक संभवत एक ही सिद्धसेन हैं। यदि ऐसा ही है तो मानना पड़ेगा कि चूर्णकार सिद्धसेन उपदेशगच्छ के थे तथा देवगुप्तसूरि के शिष्य एव यशोदेवसूरि के गुरुमाई थे। इन्हीं यशोदेवसूरि ने उन्हें शास्त्रार्थ सिखाया था।^१

उपर्युक्त मान्यता पर अपना मत प्रकट करते हुए प. श्री सुखलालजी लिखते हैं कि जीतकल्प एक आगमिक ग्रन्थ है। यह देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी चूर्ण के कर्ता कोई आगमिक होने चाहिए। इस प्रकार के एक आगमिक सिद्धसेन क्षमाभ्रमण का निर्देश पंचकल्पचूर्ण तथा हारिभद्रीयवृत्ति में है। संभव है कि जीतकल्पचूर्ण के लेखक भी यही सिद्धसेन क्षमाभ्रमण हों।^१ जब तक एतद्विषयक निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते तब तक प्रस्तुत चूर्णकार सिद्धसेन सूरि के विषय में निश्चित रूप से विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता।

प० दलसुख मारुवणिया ने निशीथ-चूर्ण की प्रस्तावना में सभावना की है कि ये सिद्धसेन आचार्य जिनभद्र के साक्षात् शिष्य हों। ऐसा इसलिए समझ है कि जीतकल्पभाष्य चूर्ण का मंगल इस बात की पुष्टि करता है। साथ ही यह भी सभावना की है कि बृहत्कल्प, व्यवहार और निशीथ भाष्य के भी कर्ता ये हों।^१

बृहत्कल्पचूर्णिकार प्रलम्बसूरि के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। तादृपत्र पर लिखित प्रस्तुत चूर्ण की एक प्रति का लेखन समय वि स १३३४ है।^२ अत इतना निश्चित है कि प्रलम्बसूरि वि स० १३३४ के पहले हुए हैं। हो सकता है कि ये चूर्णिकार सिद्धसेन के समकालीन हों अथवा उनसे भी पहले हुए हों।

दशवैकालिकचूर्णिकार अगस्त्यसिंह कोटिगणीय वज्रस्वामी की शाखा के एक स्थविर हैं। इनके गुरु का नाम ऋषिगुप्त है। इनके समय आदि के विषय में प्रकाश डालने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। हों, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इनकी चूर्ण अन्य चूर्णियों से विशेष प्राचीन नहीं है। इसमें तत्त्वार्थ सूत्र आदि के संस्कृत उद्धरण भी हैं। चूर्ण के प्रारम्भ में ही 'सम्यग्दर्शनज्ञान' (तत्त्वा अ १, सू. १) सूत्र उद्धृत किया गया है। शैली आदि की दृष्टि से चूर्ण सरल है।



१ निशीथ सूत्र (सन्मति ज्ञानपीठ), भा ४ प्रस्तावना, पृ० ३, से
२ जैन प्रथावली, पृ १२-३, टि ५

द्वितीय प्रकरण

नन्दीचूर्णि

यह चूर्णि^१ मूल सूत्रानुसारी है तथा मुख्यतया प्राकृत में लिखी गयी है। इसमें यत्र तत्र संस्कृत का प्रयोग है अवश्य किन्तु वह नहीं के बराबर है। इसकी व्याख्यानशैली सक्षिप्त एव सारग्राही है। इसमें सर्वप्रथम जिन और वीरस्तुति की व्याख्या की गई है, तदनन्तर सघस्तुति की। मूल गाथाओं का अनुसरण करते हुए आचार्य ने तीर्थंकरों, गणधरों और स्थविरो की नामावली भी दी है। इसके बाद तीन प्रकार की पर्याय की ओर संकेत करते हुए ज्ञानचर्चा प्रारंभ की है। जैनगर्भों में प्रसिद्ध आभिनिबोधिक (मति), श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल—इन पाँच प्रकार के ज्ञानों का स्वरूप वर्णन करने के बाद आचार्य ने प्रत्यक्ष-परोक्ष की स्वरूप-चर्चा की है। केवलज्ञान की चर्चा करते हुए चूर्णिकार ने पन्द्रह प्रकार के सिद्धों का भी वर्णन किया है: १ तीर्थसिद्ध, २ अतीर्थसिद्ध, ३ तीर्थंकरसिद्ध, ४ अतीर्थंकरसिद्ध, ५ स्वयंबुद्ध सिद्ध, ६ प्रत्येकबुद्धसिद्ध, ७ बुद्धबोधितसिद्ध, ८ स्त्रीलिंगसिद्ध, ९ पुरुषलिंगसिद्ध, १० नपुंसकलिंगसिद्ध, ११ स्त्रिलिंगसिद्ध, १२ अन्यलिंगसिद्ध, १३ गृहलिंगसिद्ध, १४ एकसिद्ध, १५ अनेकसिद्ध। ये अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान के भेद हैं। इसी प्रकार केवलज्ञान के परम्परसिद्धकेवलज्ञान आदि अनेक भेदोपभेद हैं। इन सब का मूल सूत्रकार ने स्वयं ही निर्देश किया है।

केवलज्ञान और केवलदर्शन के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने तीन मत उद्धृत किये हैं १ केवलज्ञान और केवलदर्शन का यौगपत्य, २. केवलज्ञान और केवलदर्शन का क्रमिकत्व, ३ केवलज्ञान और केवलदर्शन का अभेद। एतद्विषयक गाथाएँ इस प्रकार हैं।

केई भणति जुगव जाणइ पासइ य केवली णियमा ।

अण्णे एगतियं डच्छति सुतोवदेसेण ॥ १ ॥

१ श्रीविशेषावश्यकमत्का धमुद्धितगाथा श्रीनन्दीसूत्रस्य चूर्णि हारिभद्राया-
वृत्तिश्च—श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर मन्था, रतलाम, सन् १९२८
नदिसूत्रम् चूर्णिसहितम्—प्राकृत टेक्स्ट सांसाइटी, वाराणसी, सन् १९६६

अण्णे ण चेव वीसु दसणमिच्छंति जिणवरिदस्स ।

ज चिय केवलणाण तं चिय से दसण वेत्ति ॥ २ ॥

इन तीनों मतों के समर्थन के रूप में भी कुछ गाथाएँ दी गई हैं ।
आचार्य ने केवलज्ञान और केवलदर्शन के क्रमभावित्व का समर्थन किया है ।
एतद्विषयक विस्तृत चर्चा विशेषावश्यकभाष्य में देखनी चाहिए ।^१

श्रुतनिमित्त, अश्रुतनिमित्त आदि भेदों के साथ आभिनिबोधिषज्ञान का
सविस्तर विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने श्रुतज्ञान का अति विस्तृत व्याख्यान
किया है । इस व्याख्यान में सञ्जीश्रुत, असञ्जीश्रुत, सभ्यकश्रुत, मिथ्याश्रुत,
सादिश्रुत, अनादिश्रुत, गमिकश्रुत, अगमिकश्रुत, अगप्रविष्टश्रुत, अगवाह्यश्रुत,
उत्कालिकश्रुत, कालिकश्रुत आदि श्रुत के विविध भेदों का समावेश किया गया
है । द्वादशांग की आराधना के फल की ओर सकेत करते हुए आचार्य ने निम्न
गाथा में अपना परिचय देकर ग्रन्थ समाप्त किया है :

णिरेणगगमत्तणहसदा जिया, पसुपत्तिसखगजट्टिताकुला ।

कमट्टिता धीमतचितियक्खरा, फुड कहेयतभिघाणकत्तुणो ॥ १ ॥

—नन्दीचूर्णि (प्रा टे सो.), पृ ८३.



तृतीय प्रकरण अनुयोगद्वारचूर्णि

यह चूर्णि^१ मूल सूत्र का अनुसरण करते हुए मुख्यतया प्राकृत में लिखा गई है। इसमें संस्कृत का बहुत कम प्रयोग हुआ है। प्रारम्भ में मंगल के प्रसंग से भावनदी का स्वरूप बताते हुए 'णाण पंचविधं पणत्तं' इस प्रकार का सूत्र उद्धृत किया गया है और कहा गया है कि इस सूत्र का जिस प्रकार नन्दीचूर्णि में व्याख्यान किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी व्याख्यान कर लेना चाहिए।^२ इस कथन से स्पष्ट है कि नन्दीचूर्णि अनुयोगद्वारचूर्णि से पहले लिखी गई है। प्रस्तुत चूर्णि में आवश्यक, तदुल्लेखिक आदि का भी निर्देश किया गया है।^३ अनुयोगविधि और अनुयोगार्थ का विचार करते हुए चूर्णिकार ने आवश्यक-धिकार पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। आनुपूर्वी का विवेचन करते हुए कालानुपूर्वी के स्वरूप-वर्णन के प्रसंग से आचार्य ने पूर्वोक्तों का परिचय दिया है। 'णामाणि जाणि' आदि की व्याख्या करते हुए नाम शब्द का कर्म आदि दृष्टियों से विचार किया गया है। सात नामों के रूप में सप्तस्वर का संगीतशास्त्र की दृष्टि से सूक्ष्म विवेचन किया गया है। नवविध नाम का नौ प्रकार के काव्यरस के रूप में सोदाहरण वर्णन किया गया है : वीर, शृंगार, व्यदसुत, रौद्र, ब्रीडनक, बीभत्स, हास्य, क्लृण और प्रशान्त। इसी प्रकार प्रस्तुत चूर्णि में आत्मागुल, उत्सेधांगुल, प्रमाणागुल, कालप्रमाण, औदारिकादि शरीर, मनुष्यादि प्राणियों का प्रमाण, गर्भबादि मनुष्यों की संख्या, ज्ञान और प्रमाण, संख्यात, असंख्यात, अनन्त आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है।



१ हरिभद्रकृत वृत्तिसहित—श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सख्या, रतलाम, सन् १९२८

२ इमस्स सुत्तस्स जहा नट्ठिचुण्णीए वक्खाण तथा इहपि वक्खाण दट्ठन्व—अणुयोगद्वारचूर्णि, पृ १-२ तुलना नन्दीचूर्णि, पृ १० और भागे।

३. अनुयोगद्वारचूर्णि, पृ. ३

चतुर्थ प्रकरण आवश्यकचूर्णि

यह चूर्णि^१ मुख्यरूप से निर्युक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। कहीं कहीं पर भाष्य की गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। इसकी भाषा प्राकृत है किन्तु यत्र-तत्र संस्कृत के श्लोक, गद्यांश एवं पक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। भाषा में प्रवाह है। शैली भी औजपूर्ण है। कथानकों की तो इसमें भरमार है और इस दृष्टि से इसका ऐतिहासिक मूल्य भी अन्य चूर्णियों से अधिक है। विषय विवेचन का जितना विस्तार इस चूर्णि में है उतना अन्य चूर्णियों में दुर्लभ है। जिस प्रकार विशेषावश्यकभाष्य में प्रत्येक विषय पर सुविस्तृत विवेचन उपलब्ध है उसी प्रकार इसमें भी प्रत्येक विषय का अति विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है। विशेषकर ऐतिहासिक व्याख्यानों के वर्णन में तो अन्त तक दृष्टि की विशालता एवं खेलनी की उदारता के दर्शन होते हैं। इसमें गोविन्दनिर्युक्ति, ओषनिर्युक्तिचूर्णि (एत्थंतरे ओहनिज्जुत्तिचुन्नी भाणियव्या जाव सम्मता), वसुदेवहिण्डि आदि अनेक ग्रन्थों का निर्देश किया गया है।^१

उपोद्घातचूर्णि के प्रारम्भ में मगलचर्चा की गई है और भावमगल के रूप में ज्ञान का विस्तृत विवेचन किया गया है। श्रुतज्ञान के अधिकार को दृष्टि में रखते हुए भावश्यक का निक्षेप-पद्धति से विचार किया गया है। द्रव्यावश्यक और भावावश्यक के विशेष विवेचन के लिए अनुयोगद्वारा सूत्र की ओर निर्देश कर दिया गया है।^२ श्रुतावतार की चर्चा करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान् से श्रुत का अवतार होता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर चूर्णिकार ने निम्न शब्दों में दिया है . जेहिं एव दसणणाणा-दिसजुत्तं तित्थ कय ते तित्थकरा भवति, अहवा तित्थ गणहरा तं जेहिं कयं ते तित्थकरा, अहवा तित्थ चाउव्वन्नो संघो तं जेहिं कयं ते तित्थकरा। भगवान् की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है भगो जेसि अत्थि ते

१ श्री ऋषभदेवजी केशरीमल्लजी श्वेताम्बर सस्था, रत्नलाम, पूर्वभाग, सन् १९२८, उत्तरभाग, सन् १९२९ २ पूर्वभाग, पृ ३१, ३४१, उत्तरभाग, पृ ३२४ ३ आवश्यकचूर्णि (पूर्वभाग), पृ ७९

भगवंतो । भग क्या है ? इसका उत्तर देते हुए चूर्णिकार ने निम्न श्लोक उद्धृत किया है १

माहात्म्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशसः श्रियः ।

धर्मस्याथ प्रयत्नस्य, पण्णा भग इतीगना ॥ १ ॥

सामायिक नामक प्रथम आवश्यक का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार ने सामायिक का दो दृष्टियों से विवेचन किया है द्रव्यपरपरा से और भावपरपरा से । द्रव्यपरपरा की पुष्टि के लिए यासासासा और मृगावती के व्याख्यानक दिये हैं ।^१ आचार्य और शिष्य के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए निम्न श्लोक उद्धृत किया है २

आचार्यस्यैव तज्जाड्य, यच्छिष्यो नावचुध्यते ।

गावो गोपालकेनैव, अतीर्थेनावतारिताः ॥ १ ॥

सामायिक का उद्देश, निर्देश, निर्गम आदि २६ द्वारों से विचार करना चाहिए,^३ इस ओर सकेत करने के बाद आचार्य ने निर्गमद्वार की चर्चा करते हुए भगवान् महावीर के (मिथ्यात्वादि से) निर्गम की ओर सकेत किया है तथा उनके भवों की चर्चा करते हुए भगवान् ऋषभदेव के घनसार्यवाह आदि भवों का विवरण दिया है । ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि का बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर भी समुचित प्रकाश डाला है । ऋषभदेव के पुत्र भरत की दिग्विजय का वर्णन करने में तो चूर्णिकार ने सचमुच कमाल कर दिया है । युद्धकला के चित्रण में आचार्य ने सामग्री एव शैली दोनों दृष्टियों से सफलता प्राप्त की है । चूर्णिकार के इसी एक अंश से चूर्णिकार के प्रतिपादन-कौशल एव साहित्यिक अभिव्यक्ति का पता लग सकता है । सैनिक प्रयाण का एक दृश्य देखिए

असिखेवणिलखगचावणारायकणमकप्पणिसूललसडाभिडिमालधणुतोण-
सरपहरणेहि य कालणीलरुहिरपीतसुविकललअणेगचिंधसयसणिविड्ड
अप्फोडितसीह्णायच्छेलितहयहेसितहत्थिगुलगुलाइतअणेगरहसयसहस्स-
घणघणेतणिहम्ममाणसहसहितेण जमग समक भभाहोरभकिणितखर-
सुहिमुगदसखीयपरिलिवव्वयपीरव्वायणिवसवेणुवीणावियचिमहत्तिकच्छ-

१ वही, पृ० ८५

२ वही पृ० ८७-९१

३ वही, पृ० १२१.

४ देखिए—आवश्यकनिर्मुक्ति, गा १४०-१

भिरिगिसिगिकलतालकंसतालकरधाणुत्थिदेण संनिनादेण सरुलमवि जीव-
लोग पूरयते ।^१

भरत का राज्याभिषेक, भरत और बाहुयलि का युद्ध, गार्हपत्यि को वैश्वज्ञान की प्राप्ति आदि घटनाओं का वर्णन भी आचार्य ने कुशाग्रतापूर्वक किया है। इस प्रकार ऋषभदेवसम्बन्धी वर्णन समाप्त करते हुए चक्रवर्ती, वासुदेव आदि का भी थोड़ा सा परिचय दिया गया है तथा अन्य तीर्थंकरों की जीवनी पर भी किंचित् प्रकाश डाला गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान् महावीर के पूर्वभव के जीव मरीचि ने किस प्रकार भगवान् ऋषभदेव से टीक्षा ग्रहण की और किस प्रकार परीषदों से भयभीत होकर स्वतंत्र सम्प्रदाय की स्थापना की। इस वर्णन में मूल बातें वही हैं जो आवश्यकनिर्युक्ति में हैं।

निर्गमद्वार के प्रसंग से इतनी लम्बी चर्चा होने के बाद पुनः भगवान् महावीर का जीवन चरित्र प्रारंभ होता है। मरीचि का जीव किस प्रकार अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ ब्राह्मणकुण्डग्राम में देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में आता है, किस प्रकार गर्भापहरण होता है, किस प्रकार राजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, किस प्रकार सिद्धार्थसुत वर्धमान का जन्माभिषेक किया जाता है आदि बातों का विस्तृत वर्णन करने के बाद आचार्य ने महावीर के कुटुम्ब का भी थोड़ा सा परिचय दिया है। वह इस प्रकार है^२

समणे भगवं महावीरे कासवगोत्तेण, तरस ण ततो णामधेवजा एव-
माहिब्जति, तजहा-अम्मापिससतिए वद्धमाणे सहसमुदिते समणे अयले
अयभैरवाण खता पडिमासतपारए अरतिरतिसहे दविए धित्तिविरिय
सपन्ने परीसहोवसगसहेत्ति देवेहिं से क्त णाम समणे भगव महावीरे ।
भगवतो माया चेडगरस भगिणी, भोयी चेडगरस धुआ, णाता णाम जे
उसभसामिस्स सयाणिब्जगा ते णातवसा, पित्तिब्जए सुपासे, जेट्ठे भाता
णदिवद्धणे, भगिणी सुदसणा, भारिया जसोया कोडिन्नागोत्तेण, धूया
कासवीगोत्तेण तीसे दो नामधेवजा, त०-अणोब्जगित्ति वा पियदसणा-
विति वा, णत्तुई कोसीगोत्तेण, तीसे दो नामधेवजा (जसवतीति वा)
सेसवतीति वा, एव (य) नामाहिगारे दरिसित ।

१ आवश्यकचूर्णि (पूर्वभाग), पृ० १/७ २ देखिए—आवश्यकनिर्युक्ति,
गा० ३३१-४४० ३ आवश्यकचूर्णि (पूर्वभाग), पृ० २४५

भगवान् महावीर के जीवन से सम्बन्धित निम्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन चूर्णिकार ने किया है धर्मपरीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध, लोकान्तिका-गमन, इन्द्रागमन, दीक्षामहोत्सव, उपसर्ग, इन्द्र-प्रार्थना, अभिग्रहपचक, अच्छदक वृत्त, चण्डकौशिकवृत्त, गोशालकवृत्त, सगमककृत उपसर्ग, देवीकृत उपसर्ग, वैशाली आदि में विहार, चन्दनचालावृत्त, गोपकृत शलाकोपसर्ग, केवलोत्पाद, समवसरण, गणधरदीक्षा आदि । देवीकृत उपसर्ग का वर्णन करते समय आचार्य ने देवियों के रूप लावण्य, स्वभाव चापल्य, शृंगार-सौन्दर्य आदि का सरस एवं सफल चित्रण किया है । इसी प्रकार भगवान् के देह-वर्णन में भी आचार्य ने अपना साहित्य-कौशल दिखाया है ।

क्षेत्र, काल आदि शेष द्वारों का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार ने नयाधिकार के अन्तर्गत वज्रस्वामी का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि आर्य वज्र के बाद होने वाले आर्य रक्षित ने कालिक का अनुयोग पृथक् कर दिया । इस प्रसंग पर आर्य रक्षित का जीवन चरित्र भी दे दिया गया है । आर्य रक्षित के मातुल गोष्ठामाहिल का वृत्त देते हुए यह बताया गया है कि वह भगवान् महावीर के शासन में सप्तम निह्नव के रूप में प्रसिद्ध हुआ । जमालि, तिष्यगुप्त, आपाढ, अश्वमित्र, गगसूरि और पडुलूक—ये छ निह्नव गोष्ठामाहिल के पूर्व हो चुके थे । इन सातों निह्नवों के वर्णन में चूर्णिकार ने निर्युक्तिकार का अनुसरण किया है । साथ ही भाष्यकार का अनुसरण करते हुए चूर्णिकार ने अष्टम निह्नव के रूप में बोटिक—दिगम्बर का वर्णन किया है और कथानक के रूप में भाष्य की गाथा उद्धृत की है ।^१

इसके बाद आचार्य ने सामायिकसम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों का विचार किया है, जैसे सामायिक के द्रव्य पर्याय, नयदृष्टि से सामायिक, सामायिक के भेद, सामायिक का स्वामी, सामायिक-प्राप्ति का क्षेत्र, काल, दिशा आदि, सामायिक की प्राप्ति करनेवाला, सामायिक की प्राप्ति के हेतु, एतद्विषयक आनन्द, कामदेव आदि के दृष्टान्त, अनुकम्पा आदि हेतु और मेंढ, इन्द्रनाग, कृतपुण्य, पुण्यशाल, शिवराजर्षि, गगदत्त, दशार्णभद्र, इलापुत्र आदि के उदाहरण, सामायिक की स्थिति, सामायिकवालों की सख्या, सामायिक का अन्तर, सामायिक का आकर्ष, समभाव के लिए दमदन्त का दृष्टान्त, समता के लिए मेलार्थ का उदा-

१ वही, पृ० ४२७ (निह्नववाद के लिए देखिए—विशेषावश्यकभाष्य, गा० २३०६-२६०९)

हरण, समास के लिए चिञ्जतिपुत्र का दृष्टान्त, सक्षेप और अनवद्य के लिए तपस्वी और धर्मरुचि के उदाहरण, प्रत्याख्यान के लिए तेतलीपुत्र का दृष्टान्त । यहाँ तक उपोद्घातनिर्युक्ति की चूर्णि का अधिकार है ।

सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्ति की चूर्णि में निम्न विषयों का प्रतिपादन किया गया है . नमस्कार की उत्पत्ति, निक्षेपादि, राग के निक्षेप, स्नेहराग के लिए अरहन्क का दृष्टान्त, द्वेष के निक्षेप और धर्मरुचि का दृष्टान्त, कषाय के निक्षेप और जमदग्न्यादि के उदाहरण, अर्हन्मस्कार का फल, सिद्धनमस्कार और कर्म सिद्धादि, औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी बुद्धि, कर्मक्षय और समुद्घात, अयोगिगुणस्थान और योगनिरोध, सिद्धों का सुख, अवगाह आदि, आचार्य-नमस्कार, उपाध्यायनमस्कार, साधुनमस्कार, नमस्कार का प्रयोजन आदि । यहाँ तक नमस्कारनिर्युक्ति की चूर्णि का अधिकार है ।

सामायिकनिर्युक्ति की चूर्णि में 'करेमि' इत्यादि पदों की पदच्छेदपूर्वक व्याख्या की गई है तथा छ प्रकार के करण का विस्तृत निरूपण किया गया है । यहाँ तक सामायिकचूर्णि का अधिकार है ।

सामायिक अध्ययन की चूर्णि समाप्त करने के बाद आचार्य ने द्वितीय अध्ययन चतुर्विंशतिस्तव पर प्रकाश डाला है । इसमें निर्युक्ति का ही अनुसरण करते हुए स्तव, लोक, उद्योत, धर्म, तीर्थकर आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है । प्रथम तीर्थकर ऋषभ का स्वरूप बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं . वृष उद्वहने, उव्वूढं तेन भगवता जगत्ससारभग्ग तेन ऋषभ इति, सर्व एव भगवन्तो जगदुद्वहन्ति अतुलं नाणदंसणचरित वा, एते सामणं वा, विसेसो ऊरुषु दोसुवि भगवतो चसभा ओपरामुहा तेण निव्वन्त्त बारसाहस्स नामं कत उसभो त्ति ।^१ इसी प्रकार अन्य तीर्थकरों का स्वरूप भी बताया गया है ।

तृतीय अध्ययन वन्दना का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने अनेक दृष्टान्त दिये हैं । वन्दनकर्म के साथ ही साथ चितिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म और विनय-कर्म का भी उदाहरण विवेचन किया है । वन्द्यावन्द्य का विचार करते हुए चूर्णिकार ने वन्द्य श्रमण का स्वरूप इस प्रकार बताया है श्रमु तपसि खेदे च, श्राम्यतीति श्रमणः त वदेज्ज, केरिसं ? 'मेघावि' मेरया धावतीति मेघावी, अहवा मेघावी—विज्ञानवान् त, पाठान्तरं वा समणं वदेज्जु मेघावी ।

तेण मेधाविणा मेधावी वदितव्वो, चउभगी, चउत्थे भंगे कितिकमफल भवतीति, सेसएसु भयणा । तथा 'सजत' सम पावोवरत, तथा 'सुसमाहित' सुट्ठु समाहित सुसमाहित गाणदसणचरणेसु समुज्जतमिति यावत्, को य सो एवभूतः ? पचसमितो तिगुत्तो अट्ठहिं पवयणमाताहिं ठितो '१' मेधावी, सयत और सुसमाहित श्रमण की बन्दना करनी चाहिए । निम्नलिखित पाँच प्रकार के श्रमण अवन्ध्य हैं १ आजीवक, २ तापस, ३ परित्राजक, ४ तच्चणिय, ५ चोटिक । इसी प्रकार पार्थस्य आदि भी अवन्ध्य हैं । चूर्णिकार स्वयं लिखते हैं किं च, इमेवि पच ण वदियव्वा समणसद्देवि सति, जहा आजीवगा तावसा परिव्वायगा तच्चणिया बोडिया समणा व्वा इम सासणं पडिवन्ना, ण य ते अन्नतित्थे ण य सतित्थे जे वि सतित्थे न प्रतिज्ञामणुपालयन्ति ते वि पच पासत्थादी ण वदितव्वा ।^१ आगे आचार्य ने कुशीलससर्गत्याग, लिंग, ज्ञान दर्शन चारित्रवाद, आलम्बनवाद, वद्यवदकसबध, वद्यावन्प्रकाल, वदनसख्या, वदनदोष, वदनफल आदि का दृष्टान्तपूर्वक विचार किया है ।

प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ अध्ययन का विवेचन करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि प्रतिक्रमण का शब्दार्थ है प्रतिनिवृत्ति । प्रमाद के वश अपने स्थान (प्रतिज्ञा) से हट कर अन्यत्र जाने के बाद पुनः अपने स्थान पर लौटने की जो क्रिया है वही प्रतिक्रमण है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने दो श्लोक उद्धृत किये हैं ।^१

स्वस्थानाद्यत्पर स्थान, प्रमादस्य वशाद् गतः ।

तत्रैव क्रमण भूयः, प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ १ ॥

क्षायोपशमिकाद्वापि, भावादौदयिक गतः ।

तत्रापि हि स एवार्थः, प्रतिकूलगमात् स्मृतः ॥ २ ॥

इसी प्रकार चूर्णिकार ने प्रतिक्रमण का स्वरूप समझाते हुए एक प्राकृत गाथा भी उद्धृत की है जिसमें बताया गया है कि शुभ योग में पुनः प्रवर्तन करना प्रतिक्रमण है । वह गाथा इस प्रकार है ।^२

पति पति पवन्तणं वा सुभेसु जोगेसु मोक्खफलदेसु ।

निस्सल्लस जतिस्सा ज तेण त पडिककमण ॥ १ ॥

चूर्णिकार ने निर्युक्तिकार ही की भाँति प्रतिक्रमक, प्रतिक्रमण और प्रतिक्रातव्य—इन तीनों दृष्टियों से प्रतिक्रमण का व्याख्यान किया है। इसी प्रकार प्रतिचरणा, परिहरणा, वारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि और आलोचना का विवेचन करते हुए आचार्य ने तत्तद्विषयक कथानक भी दिये हैं। प्रतिक्रमण सम्बन्धी सूत्र के पदों का अर्थ करते हुए कायिक, वाचिक और मानसिक अतिचार, ईर्ष्यापथिकी विराधना, प्रकामशय्या, भिक्षाचर्या, स्वाध्याय आदि में लगने वाले दोषों का स्वरूप समझाया गया है। इसी प्रसंग पर चार प्रकार की विक्रया, चार प्रकार का ध्यान, पाँच प्रकार की क्रिया, पाँच प्रकार के कामगुण, पाँच प्रकार के महाव्रत, पाँच प्रकार की समिति, परिष्ठापना, प्रतिलेखना आदि का अनेक आख्यानों एवं उद्धरणों के साथ प्रतिपादन किया गया है। एकादश उपासकप्रतिमाओं का स्वरूप समझाते हुए चूर्णिकार ने 'एत्थं कहवि अण्णोवि पाढो दीसत्ति'^१ इन शब्दों के साथ पाठांतर भी दिया है। इसी प्रकार द्वादश भिक्षु प्रतिमाओं का भी वर्णन किया गया है। तेरह क्रियास्थान, चौदह भूतग्राम एवं गुणस्थान, पंद्रह परमाधार्मिक, सोलह अध्ययन (सूत्रकृत के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन), सत्रह प्रकार का असयम, अठारह प्रकार का अब्रह्म, उरुक्षतना आदि उन्नीस अध्ययन, बीस असमाधि-स्थान, इक्कीस शत्रु (अविशुद्ध चारित्र), चाईस परीषद, तेईस सूत्रकृत के अध्ययन (पुडरीक आदि), चौबीस देव, पचीस भावनाएँ, छब्बीस उद्देश (दशाश्रुतस्कन्ध के दस, कल्प—वृहत्कल्प के छ' और व्यवहार के दस),^२ सत्ताईस अनगार गुण, अट्ठाईस प्रकार का आचारकल्प, उनतीस पापश्रुत, तीस मोहनीय स्थान, इक्तीस सिद्धादिगुण, बत्तीस प्रकार का योगसमूह आदि विषयों का प्रतिपादन करने के बाद आचार्य ने ग्रहणशिक्षा और आसेवनशिक्षा—इन दो प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख किया है और बताया है कि आसेवनशिक्षा का वर्णन उसी प्रकार करना चाहिए जैसा कि ओघसामाचारी और पदविभागसामाचारी में किया गया है : आसेवणसिक्खा जथा ओह-सामायारीए पयविभागसामाचारीए य चण्णित ।^३ शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अभयकुमार का विस्तृत वृत्त भी दिया गया है। इसी प्रसंग पर चूर्णिकार ने श्रेणिक, चेल्लणा, सुलसा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापन्नद,

१ पृ १२०

२ दस उद्देशकाला दसाण कप्पस्स होंति छच्चेव ।

दस चेव य व्यवहारस्स होंति सव्वेवि छब्बीस ॥—पृ १४८

३. पृ १५७-८.

शकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि से सवधित अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आख्यानों का संग्रह किया है। अज्ञातोपधानता, अलोभता, तितिक्षा, आर्जव, शुचि, सम्यग्दर्शनविशुद्धि, समाधान, आचारोपगत्व, विनयोपगत्व, धृतिमति, सवेग, प्रणिधि, सुविधि, सवर, आत्मदोषोपसहार, प्रत्याख्यान, व्युत्सर्ग, अप्रमाद, ध्यान, वेदना, सग, प्रायश्चित्त, आराधना, आशातना, अस्वाध्यायिक, प्रत्युपेक्षणा आदि प्रतिक्रमणसम्बन्धी अन्य आवश्यक विषयों का दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन करते हुए प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ अध्ययन का व्याख्यान समाप्त किया है। आत्म दोषोपसहार का वर्णन करते हुए व्रत की महत्ता बताने के लिए आचार्य ने एक सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है जिसे यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा। वह श्लोक इस प्रकार है :

वरं प्रविष्ट उखलित हुताशन, न चापि भग्न चिरसचित व्रतम् ।

वरं हि मृत्युः परिशुद्धकर्मणो, न शीलघृत्तस्खलितस्य जीवितम् ॥ १ ॥

अर्थात् जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर लेना अच्छा है किन्तु चिरसचित व्रत को भग्न करना ठीक नहीं। विशुद्धकर्मशील होकर मर जाना अच्छा है किन्तु शील से खलित होकर जीना ठीक नहीं।

पञ्चम अध्ययन कायोत्सर्ग की व्याख्या के प्रारम्भ में व्रणचिकित्सा (वण-तिगिच्छा) का प्रतिपादन किया गया है और कहा गया है कि व्रण दो प्रकार का होता है - द्रव्यव्रण और भावव्रण। द्रव्यव्रण की औषधादि से चिकित्सा होती है। भावव्रण अतिचाररूप है जिसकी चिकित्सा प्रायश्चित्त से होती है। वह प्रायश्चित्त दस प्रकार का है - आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पाराचिक। चूर्ण का मूल पाठ इस प्रकार है : सो य वणो दुविधो—दन्वे भावे य, दन्ववणो ओसहादीहिं तिगिच्छिञ्जति, भाववणो संजमातियारो तस्स पायच्छित्तेण तिगिच्छणा, एतेणावसरेण पायच्छित्तं परुविञ्जति। वणतिगिच्छा अणुगमो य, त पायच्छित्तं दसविह ।^१ दस प्रकार के प्रायश्चित्तों का विशद वर्णन जीतकल्प सूत्र में देखा चाहिए। कायोत्सर्ग में काय और उत्सर्ग दो पद हैं। काय का निक्षेप नाम आदि बारह प्रकार का है। उत्सर्ग का निक्षेप नाम आदि छ प्रकार का है। कायोत्सर्ग के दो भेद हैं - चेष्टाकायोत्सर्ग और अभिभवकायोत्सर्ग। अभिभवकायोत्सर्ग हार कर अथवा हरा कर किया जाता है। चेष्टाकायोत्सर्ग चेष्टा अर्थात् गमनादि प्रवृत्ति के कारण किया जाता है। हूणादि से पराजित होकर कायोत्सर्ग करना अभिभवकायोत्सर्ग है। गमनागमनादि के कारण जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह चेष्टाकायोत्सर्ग

है . सो पुण काउस्सगो दुविधो-चेट्टाकाउस्सगो य अभिभवकाउस्सगो य, अभिभवो णाम अभिभूतो वा परेण परं वा अभिभूय कुणति, परेणा-भिभूतो, तथा हूणादीहिं अभिभूतो सव्वं सरीरादि वोसिरामिति काउस्सग्ग करेति, पर वा अभिभूय काउस्सग्ग करेति, जथा तित्थगरो देवमणुयादिणो अणुलोमपडिलोमकारिणो भयादी पंच अभिभूय काउस्सग्गं कातुं प्रतिह्मा पूरेति, चेट्टाकाउस्सगो चेट्टातो निप्फण्णो जथा गमणागमणादिसु काउस्सगो कीरति ।^१ कायोत्सर्ग के प्रशस्त और अप्रशस्त ये दो व्यथा उच्छ्रित आदि नौ भेद भी होते हैं ।^१ इन भेदों का वर्णन करने के बाद श्रुत, सिद्ध आदि की स्तुति का विवेचन किया गया है तथा क्षामणा की विधि पर प्रकाश डाला गया है । कायोत्सर्ग के दोष, फल आदि का वर्णन करते हुए पंचम अध्ययन का व्याख्यान समाप्त किया गया है ।

षष्ठ अध्ययन प्रत्याख्यान की चूर्णि में प्रत्याख्यान के भेद, भावक के भेद, सम्यक्त्व के अतिचार, स्थूलप्राणातिपातविरमण और उसके अतिचार, स्थूलमृषा-वादविरमण और उसके अतिचार, स्थूलवदत्तादानविरमण और उसके अतिचार, स्वदारसतोष और परदारप्रत्याख्यान एव तत्सम्बन्धी अतिचार, परिग्रहपरिमाण एव तद्विषयक अतिचार, तीन गुणव्रत और उनके अतिचार, चार शिक्षाव्रत और उनके अतिचार, दस प्रकार के प्रत्याख्यान, छः प्रकार की विशुद्धि, प्रत्याख्यान के गुण और आगार आदि का विविध उदाहरणों के साथ व्याख्यान किया गया है । बीच-बीच में यत्र तत्र अनेक गाथाएँ एव श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं । अन्त में प्रस्तुत संस्करण की प्रति के विषय में लिखा गया है कि स० १७७४ में प० दीपविजयगणि ने प० न्यायसागरगणि को आवश्यकचूर्णि प्रदान की . स० १७७४ वर्षे प० दीपविजयगणिना आवश्यकचूर्णिः प० श्रीन्याय-सागरगणिभ्यः प्रदत्ता ।^१

आवश्यकचूर्णि के इस परिचय से स्पष्ट है कि चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर ने अपनी प्रस्तुत कृति में आवश्यकनिर्युक्ति में निर्दिष्ट सभी विषयों का विस्तार-पूर्वक विवेचन किया है तथा विवेचन की सरलता, सरसता एव स्पष्टता की दृष्टि से अनेक प्राचीन ऐतिहासिक एव पौराणिक आख्यान उद्धृत किये हैं । इसी प्रकार विवेचन में यत्र-तत्र अनेक गाथाओं एव श्लोकों का समावेश भी किया है । यह सामग्री भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।



पचम प्रकरण

दशवैकालिकचूर्णि (जिनदासगणि त)

यह चूर्णि^१ भी निर्युक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है तथा द्रुमपुष्पिका आदि दस अध्ययन एव दो चूलिकाएँ—इस प्रकार बारह अध्ययनों में विभक्त है। इसकी भाषा मुख्यतया प्राकृत है। प्रथम अध्ययन में एकक, काल, द्रुम, धर्म आदि पदों का निक्षेप पद्धति से विचार किया गया है तथा शय्यभववृत्त, दस प्रकार के भ्रमणधर्म, अनुमान के विविध अवयव आदि का प्रतिपादन किया गया है। संक्षेप में प्रथम अध्ययन में धर्म की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्ययन का मुख्य विषय धर्म में स्थित व्यक्ति को धृति कराना है। चूर्णिकार इस अध्ययन की व्याख्या के प्रारम्भ में ही कहते हैं कि 'अध्ययन' के चार अनुयोगद्वारों का व्याख्यान उसी प्रकार समझ लेना चाहिए जिस प्रकार आवश्यकचूर्णि में किया गया है।^२ इसके बाद भ्रमण के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए पूर्व, काम, पद, शीलागसहस्र आदि पदों का सोदाहरण विवेचन किया गया है। तृतीय अध्ययन में दृढघृतिक के आचार का प्रतिपादन किया गया है। इसके लिए महत्, क्षुल्लक, आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा, मिश्रकथा, अनाचीर्ण, सयत्स्वरूप आदि का विचार किया गया है। चतुर्थ अध्ययन की चूर्णि में जीव, अजीव, चारित्रधर्म, यतना, उपदेश, धर्मफल आदि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। पचम अध्ययन की चूर्णि में साधु के उत्तरगुणों का विचार किया गया है जिसमें पिण्डस्वरूप, भक्तपानैषणा, गमनविधि, गोचरविधि, पानकविधि, परिष्ठापनविधि, भोजनविधि, आलोचनविधि आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। बीच-बीच में कहीं कहीं पर मासाहार, मद्यपान आदि की चर्चा भी की गई है।^३ षष्ठ अध्ययन में धर्म, अर्थ, काम, व्रतषट्क, कायषट्क आदि का प्रतिपादन किया गया है। इस अध्ययन की चूर्णि में आचार्य ने अपने सस्कृत

१ श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी इत्रेतावर संस्था, रतलाम, सन् १९३३

२ दशवैकालिकचूर्णि, पृ ७१ ३ वही, पृ १८४, १८७, २०२, २०३

व्याकरण के पाण्डित्य का भी अच्छा परिचय दिया है। सप्तम अध्ययन की चूर्णि में भाषासम्बन्धी विवेचन है। इसमें भाषा की शुद्धि, अशुद्धि, सत्य, मृषा, सत्यमृषा, असत्यमृषा आदि का विचार किया गया है। अष्टम अध्ययन की चूर्णि में इन्द्रियादि प्रणिधियों का विवेचन किया गया है। नवम अध्ययन की चूर्णि में लोकोपचारविनय, अर्थविनय, कामविनय, मयविनय, मोक्षविनय आदि की व्याख्या की गयी है। दशम अध्ययन में भिक्षुसम्बन्धी गुणों पर प्रकाश डाला गया है। चूर्णिकाओं की चूर्णि में रति, अरति, विहारविधि, गृहिवैयावृत्यनिषेध, अनिकेतवास आदि विषयों से सम्बन्धित विवेचन है। चूर्णिकार ने स्थान स्थान पर अनेक ग्रन्थों के नामों का निर्देश भी किया है।^१



१. तरगवती—पृ. १०६, ओषनियुक्ति—पृ १७५, पिण्डनियुक्ति—
पृ १७८ आदि।

षष्ठ प्रकरण

उत्तराध्ययनचूर्णि

यह चूर्णि^१ भी निर्युक्त्यनुसारी है तथा संस्कृतमिश्रित प्राकृत में लिखी गई है। इसमें सयोग, पुद्गलबन्ध, सस्थान, विनय, क्रोधवारण, अनुशासन, परीषद्, धर्मविघ्न, मरण, निर्ग्रन्थपचक, भयसप्तक, ज्ञानक्रियैकान्त आदि विषयों पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है। स्त्रीपरीषद् का विवेचन करते हुए आचार्य ने नारी-स्वभाव की कड़ी आलोचना की है और इस प्रसंग पर निम्नलिखित दो श्लोक भी उद्धृत किये हैं •

एता हसन्ति च रुदन्ति च अर्थहेतोर्विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसति ।
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन, नार्यः स्मशानसुमना इव वर्जनीयाः ॥ १ ॥
समुद्रवीचीचपलस्वभावाः, सध्याभ्ररेखेव सुहूर्तरागाः ।
स्त्रियः कृतार्थाः पुरुषं निरर्थकं, नीपीडितालक्त(क)वत् त्यजन्ति ॥ २ ॥
—उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ. ६५.

हरिकेशीय अध्ययन की चूर्णि में आचार्य ने अब्राह्मण के लिए निपिद्ध बातों की ओर निर्देश करते हुए शूद्र के लिए निम्न श्लोक उद्धृत किया है •

न शूद्राय बलिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविः कृतम् ।
न चास्योपदिशेद् धर्मं, न चास्य व्रतमादिशेत् ॥
—बही, पृ २०५.

चूर्णिकार ने चूर्णि के अन्त में अपना परिचय देते हुए स्वयं को वाणित्य-कुलीन, कोटिकगणीय, वज्रशाली गोपालगणिमहत्तर का शिष्य बताया है। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं •

वाणिजकुलसंभूओ कोडियगणिओ उ वयरसाहीतो ।
 गोवालियमहत्तरओ, विक्खाओ आसि लोगंमि ॥ १ ॥
 ससमयपरसमयविऊ, ओयस्सी दित्तिमं सुगंभीरो ।
 सीसगणसंपरिवुडो, वक्खाणरतिप्पिओ आसी ॥ २ ॥
 तेसिं सीसेण इमं, उत्तरब्झयणाण चुण्णिखंड तु ।
 रइयं अणुगाहत्थं, सीसाण मदुद्धीण ॥ ३ ॥
 ज एत्थ उस्सुत्त, अयाणमाणेण विरतितं होज्जा ।
 त अणुओगधरा मे, अणुचित्तेउ समारंतु ॥ ४ ॥
 —वही, पृ. २८३.

दशवैकालिकचूर्णि भी नि सन्देह उन्हीं आचार्य की कृति है जिनकी उत्तराध्ययनचूर्णि है। इतना ही नहीं, दशवैकालिकचूर्णि उत्तराध्ययनचूर्णि से पहले लिखी गई है। इसका प्रमाण उत्तराध्ययनचूर्णि में मिलता है जो इस प्रकार है :
 षट्ठोपि चित्तो नानाप्रकारो प्रकीर्णतपोभिधीयते, तदन्यत्राभिहितं, शेषं दशवैकालिकचूर्णौ अभिहित ।^१ यहाँ आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रकीर्णतप के विषय में अन्यत्र कह दिया गया है और शेष दशवैकालिकचूर्णि में कह दिया गया है। जिस स्वर में आचार्य ने यह लिखा है कि इसके विषय में अन्यत्र कह दिया गया है उसी स्वर में उन्होंने यह भी लिखा है कि शेष दशवैकालिकचूर्णि में कह दिया गया है। इस स्वरसाम्य को देखते हुए यह कथन अनुपयुक्त नहीं कि उत्तराध्ययन और दशवैकालिक की चूर्णियाँ एक ही आचार्य की कृतियाँ हैं तथा दशवैकालिकचूर्णि की रचना उत्तराध्ययनचूर्णि से पूर्व की है।



सप्तम प्रकरण

आचारांगचूर्णि

इस चूर्णि^१ में प्रायः उन्हीं विषयों का विवेचन है जो आचारांग नियुक्ति में हैं। नियुक्ति की गाथाओं के आधार पर ही यह चूर्णि लिखी गई है अतः ऐसा होना स्वाभाविक है। इसमें वणित विषयों में से कुछ के नामों का निर्देश करना अप्रासंगिक न होगा। प्रथम श्रुतस्कन्ध की चूर्णि में मुख्यरूप से निम्न विषयों का व्याख्यान किया गया है अनुयोग, ऋग, आचार, ब्रह्म, वर्ण, आचरण, शस्त्र, परिज्ञा, सज्ञा, दिक्, सम्यक्त्व, योनि, कर्म, पृथ्वी आदि काय, लोक, विजय, गुणस्थान, परिताप, विहार, रति, व्यरति, लोभ, जुगुप्सा, गोत्र, ज्ञाति, ज्ञातिमरण, एषणा, देशना, बन्ध-मोक्ष, शीतोष्णादि परीषद्, तत्त्वार्थश्रद्धा, जीवरक्षा, अचेल्त्व, मरण, सलेखना, समनोज्ञत्व, यामत्रय, त्रिवल्लता, वीरदीक्षा, देवदूष्य, सबल्लता। चूर्णिकार ने भी निक्षेपपद्धति का ही आधार लिया है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने मुख्यरूप से निम्न विषयों का विवेचन किया है अन्न, प्राणसक्त, पिण्डैषणा, शय्या, ईर्या, भाषा, वस्त्र, पात्र, अवग्रहसप्तक, सप्तसप्तक, भावना, विमुक्ति। चूर्णिकार आचारांग सूत्र का मूल प्रयोजन श्रमणों के आचार-विचार की प्रतिष्ठा करना है अतः प्रत्येक विषय का प्रतिपादन इसी प्रयोजन को दृष्टि में रखते हुए किया गया है।

प्राकृतप्रधान प्रस्तुत चूर्णि में यत्र-तत्र संस्कृत के श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। इनके मूल स्थल की खोज न करते हुए उदाहरण के रूप में कुछ श्लोक यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। आगम के ग्रामाण्य की पुष्टि के लिए निम्न श्लोक उद्धृत किया गया है।

जिनेन्द्रवचन सूक्ष्महेतुभिर्यदि गृह्यते।

आज्ञया तद्ग्रहीतव्य, नान्यथावादिनो जिनाः॥

—आचारांगचूर्णि, पृ० २०.

स्वजन से भी धन अधिक प्यारा होता है, इसका समर्थन करते हुए कहा गया है :

प्राणैः प्रियतराः पुत्राः, पुत्रैः प्रियतरं धनम् ।
स तस्य हरते प्राणान्, यो यस्य हरते धनम् ॥

—वही, पृ० ५५.

अपरिग्रह की प्रशंसा करते हुए कहा गया है .

तस्मै धर्मभृते देयं, यस्य नास्ति परिग्रहः ।
परिग्रहे तु ये सक्ता, न ते तारयितुं क्षमाः ॥

—वही, पृ० ५९

कामभोग से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया है :

नाभिस्तुष्यति काष्ठाना, नापगानां महोदधिः ।
नान्तकृत्सर्वभूताना, न पुंसा वामलोचना ॥

—वही, पृ० ७७

साधु को किसी वस्तु की लाभ—प्राप्ति होने पर मद नहीं करना चाहिए तथा अलाभ—अप्राप्ति होने पर खेद नहीं करना चाहिए । जैसा कि कहा गया है :

लभ्यते लभ्यते साधु, साधु एव न लभ्यते ।
अलब्धे तपसो वृद्धिर्लब्धे देहस्य धारणा ॥

—वही, पृ० ८१

इसी प्रकार स्थान स्थान पर प्राकृत गाथाएँ भी उद्धृत की गई हैं । इन उद्धरणों से विषय विशेष रूप से स्पष्ट होता है एव पाठक तथा श्रोता की रुचि में वृद्धि होती है ।



अष्टम प्रकरण

सूत्रकृतांगचूर्णि

इस चूर्णि^१ की शैली भी वही है जो आचारागचूर्णि की है। इसमें निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है - मगलचर्चा, तीर्थसिद्धि, सघात, विघ्नसाकरण, बन्धनादिपरिणाम, भेदादिपरिणाम, क्षेत्रादिकरण, आलोचना, परिग्रह, ममता, पचमहाभूतिक, एकात्मवाद, तज्जीवतच्छरीरवाद, अकारकारमवाद, स्कन्धवाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, कर्तृवाद, त्रिराशिवाद, लोकविचार, प्रतिजुगुप्सा (गोमास, मद्य, लसुन, पलाङ्गु आदि के प्रति अक्षि), वस्त्रादिप्रलोभन, शूरविचार, महावीरगुण, महावीरगुणस्तुति, कुशीलता, सुशीलता, वीर्यनिरूपण, समाधि, दानविचार, समवसरणविचार, वैनयिकवाद, नास्तिकमतचर्चा, सांख्यमतचर्चा, ईश्वरकर्तृत्वचर्चा, नियतिवादचर्चा, भिक्षुवर्णन, आहारचर्चा, बनस्पतिभेद, पृथ्वीकायादिभेद, स्याद्वाद, आजीविकमतनिरास, गोशालकमतनिरास, बौद्धमत निरास, जातिवादनिरास इत्यादि।

प्रस्तुत चूर्णि सस्कृतमिश्रित प्राकृत में लिखी गई है। इतना ही नहीं, चूर्णि को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें प्राकृत से भी सस्कृत का प्रयोग अधिक मात्रा में है। नीचे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें प्राकृत का कितना अंश है व सस्कृत का कितना ?

‘एतदि’ ति यदुक्तमुच्यते वा सार विद्धीति वाक्यशेषः, यत्किं ? उच्यते, जे ण हिंसति किंचणं, किंचिदिति त्रस स्थावर वा, अहिंसा हि ज्ञानगतस्य फलं, तथा चाह योऽधीत्य शास्त्रमखिल एव खु पाणिणा सार ।’

— सूत्रकृतागचूर्णि, पृ० ६२.

विउट्ठितो णाम विच्युतो, यथा व्युत्थितोऽस्य विभवः, सपत्त व्युत्थिताः, सयमप्रतिपन्न इत्यर्थः, पादर्वस्थादीनामन्यतमेन वा क्वचिन्प्रमादाच्च कार्येण वा त्वरित गच्छन् जहा तुङ्गण ?

— वही, पृ० २८८

लोगेवि भग्गइ—छिण्णसोता न दिंति, सुट्ठु संजुत्ते सुसंजुत्ते, सुट्ठु समिए सुसमिए, समभाव सामायिकं सो भग्गइ—सुट्ठु सामाइए सुसामाइए, आतवापत्ते विऊत्ति अप्पणो वादो अत्तए वादो २ यथा—अस्त्यात्मानित्यः अमूर्त्तः कर्त्ता भोक्ता उपयोगलक्षणो य एवमादि आतप्पवादो ।’

—वही, पृ० ३०७

अहाचरे चउत्थे (सू० ५) णित्तिया जाव जहा जहा मे एस धम्मे सुअक्खाए, कयरे ते धम्मे ? णित्तियावादे, इह खलु दुवे पुरिसजाता एगे पुरिसे किरियाअक्खति, किरिया कर्म परिस्पन्द इत्यर्थः, कस्यासौ किरिया ? पुरुषस्य, पुरुष एव गमनादिषु क्रियासु स्वतो अनुसन्धाय प्रवर्त्तते, एवं भणित्तापि ते दोवि पुरिसा तुल्ला णियतिवसेण, तत्र नियतिवादी आत्मीयं दर्शनं समर्थयन्निदमाह—यः खलु मन्यते ‘अहं करोमि’ इति असावपि नियत्या एव कार्यते अहं करोमीति ‘...’ ।’

—वही, पृ० ३२२-३



अष्टम प्रकरण

सूत्रकृतांगचूर्णि

इस चूर्णि^१ की शैली भी वही है जो आचारांगचूर्णि की है। इसमें निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है - मंगलचर्चा, तीर्थसिद्धि, सघात, विस्त्रसाकरण, बन्धनादिपरिणाम, भेदादिपरिणाम, क्षेत्रादिकरण, आलोचना, परिग्रह, ममता, पंचमहाभूतिक, एकात्मवाद, तजीवतच्छरीरवाद, अकारकात्मवाद, स्त्रन्धवाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, कर्तृवाद, त्रिराशिवाद, लोकविचार, प्रतिज्ञुगुप्सा (गोमास, मद्य, लसुन, पलांडु आदि के प्रति अवधि), वस्त्रादिप्रलोभन, शूरविचार, महावीरगुण, महावीरगुणस्तुति, कुशीलता, सुशीलता, वीर्यनिरूपण, समाधि, दानविचार, समवसरणविचार, वैनयिकवाद, नास्तिकमतचर्चा, सांख्यमतचर्चा, ईश्वरकर्तृत्वचर्चा, नियतिवादचर्चा, भिक्षुवर्णन, आहारचर्चा, वनस्पतिभेद, पृथ्वीकायादिभेद, स्याद्वाद, आजीविकमतनिरास, गोशालकमतनिरास, बौद्धमत-निरास, जातिवादनिरास इत्यादि।

प्रस्तुत चूर्णि संस्कृतमिश्रित प्राकृत में लिखी गई है। इतना ही नहीं, चूर्णि को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें प्राकृत से भी संस्कृत का प्रयोग अधिक मात्रा में है। नीचे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें प्राकृत का कितना अंश है व संस्कृत का कितना ?

‘एतदि’ ति यदुक्तमुच्यते वा सार विद्धीति वाक्यशेषः, यत्किं ? उच्यते, जे ण हिंसति किंचण, किंचिदिति त्रस स्थावर वा, अहिंसा हि ज्ञानगतस्य फलं, तथा चाह योऽधीत्य शास्त्रमखिल एव खु णाणिणा सार ।’

—सूत्रकृतांगचूर्णि, पृ० ६२.

विउट्ठितो णाम विच्युतो, यथा व्युत्थितोऽस्य विभव, सपत्त व्युत्थिताः, सयमप्रतिपन्न इत्यर्थः, पार्श्वस्थादीनामन्यतमेन वा क्वचिन्प्र-मादाच्च कार्येण वा त्वरित गच्छन् जहा तुज्झं ण ?

—वही, पृ० २८८.

दशम प्रकरण

दशवैकालिकचूर्णि (अगस्त्यसिंहकृत)

यह चूर्णि^१ जिनदासगणि की कही जानेवाली दशवैकालिकचूर्णि से भिन्न है। इसके लेखक हैं वज्रस्वामी की शाखा—परपरा के एक स्थविर श्री अगस्त्य सिंह। यह प्राकृत में है। भाषा सरल एवं शैली सुगम है। इसकी व्याख्यान-शैली के कुछ नमूने यहाँ प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा। आदि, मध्य और अन्य मंगल की उपयोगिता बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं

आदिमंगलेण आरम्भप्पभित्तिं णिव्विसाया सत्थ पडिवज्जति,
मज्झमंगलेण अन्वासणेण पारं गच्छति, अवसाणमंगलेण सिस्स-पसिस्स-
संताणे पडिवाएंति । इम पुण सत्थ संसारविच्छेयकर ति सन्वमेव मंगल
तहावि विसेसो दरिसिज्जति—आदि मंगलमिह 'धम्मो मंगलमुक्कट्ट'
(अध्य. १, गा १) धारेति ससारे पडमाणमिति धम्मो, एत च परम
समस्सासकारण ति मंगल । मज्झे धम्मत्थकामपढमसुत्त 'णाणदसणसं-
पणं संजमे य तवे रय' (अध्य. ६, गा. १), एवं सो चेव धम्मो
विसेसिवज्जति, यथा—'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग.' (तत्त्वा-
अ. १-१) इति । अवसाणे आदिमज्झदिट्ठविसेसियस्स फल
दरिसिवज्जति 'छिदित्तु जातीमरणस्स बंधण च्वेति भिक्खू अपुगागमं
गति' (अध्य. १०, गा. २१), एव सफलं सकल सत्थं ति ।^२

दशकालिक, दशवैकालिक अथवा दशवैतालिक की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा गया है

'दशक अज्झयणाण कालियं निरुत्तेण विहिणा ककारलोपे कृते दस-
कालिय । अहवा वेकालिय, मंगलत्थ पुव्वण्हे सत्थारभो भवति, भग-
वया पुण अज्जसेज्जवेण कहमवि अवरण्हकाले उवयोगो कतो, काला-

१ प्रस्तुत चूर्णि की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त हुई अतः लेखक मुनि श्री का अत्यन्त आभारी है। यह प्रति जैसलमेरु ज्ञानभंडार से प्राप्त प्राचीन प्रति की प्रतिलिपि है।

नवम प्रकरण

जीतकल्प-बृहच्चूर्णि

प्रस्तुत चूर्णि^१ सिद्धसेनसूरि की कृति है। इस चूर्णि के अतिरिक्त जीतकल्प सूत्र पर एक और चूर्णि लिखी गई है, ऐसा प्रस्तुत चूर्णि के अध्ययन से ज्ञात होता है। यह चूर्णि अथ से इति तक प्राकृत में है। इसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ हो। प्रारम्भ में आचार्य ने ग्यारह गाथाओं द्वारा भगवान् महावीर, एकादश गणधर, अन्य विशिष्ट ज्ञानी तथा सूत्रकार जिनमद्ग क्षमाश्रमण—इन सबको नमस्कार किया है। अथ में यत्र-तत्र अनेक गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। इन गाथाओं को उद्धृत करते समय आचार्य ने किसी प्रथ आदि का निर्देश न करके 'त जहा भणिय च', 'सो इमो' इत्यादि वाक्यों का प्रयोग किया है।^२ इसी प्रकार अनेक गद्यांश भी उद्धृत किये गये हैं।

जीतकल्पचूर्णि में भी उन्हीं विषयों का संक्षिप्त गद्यात्मक व्याख्यान है जिनका जीतकल्पभाष्य में विस्तार से विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीतव्यवहार का स्वरूप समझाया गया है। जीत का अर्थ इस प्रकार किया गया है 'जीयंति वा करणिञ्जति वा आयरणिञ्जति वा एयङ्। जीवेइ वा तिविहे चि काले तेण जीय।'^३ इसी प्रकार चूर्णिकार ने दस प्रकार के प्रायश्चित्त, नौ प्रकार के व्यवहार, मूलगुण, उत्तरगुण आदि का विवेचन किया है। अन्त में पुन सूत्रकार जिनमद्ग को नमस्कार करते हुए निम्न गाथाओं के साथ चूर्णि समाप्त की है^४

इति जेण जीयदाण साहूणऽइयारपकपरिसुद्धिकर ।
गाहाहिं फुड रइय महु रपयत्थाहिं पावण परमहिय ॥
जिणभइखमासमण निच्छियसुत्तत्थदायगामलचरण ।
तमह वंदे पयओ परम परमोवगारकारिणमहग्घ ॥



१ विषमपदव्याख्यालंकृत सिद्धसेनगणिसन्देह बृहच्चूर्णिसमाहित जीतकल्पसूत्र-
सपादक—सुनि जिनविजय, प्रकाशक—जैन साहित्य सहोधक समिति, अहमदाबाद,
सन् १९२६ २ अहवा बित्तिचुत्तिकाराभिपाएण चत्तारि —जीतकल्पचूर्णि,
पृ० २३ ३ वही, पृ० ३, ४, २१ ४ वही, पृ ४ ५ वही, पृ ३०

दशम प्रकरण

दशवै लिकचूर्णि (अगस्त्यसिंहकृत)

यह चूर्णि^१ जिनदासगणि की कही जानेवाली दशवैकालिकचूर्णि से भिन्न है। इसके लेखक हैं वज्रस्वामी की शाखा—परपरा के एक स्थविर श्री अगस्त्य सिंह। यह प्राकृत में है। भाषा सरल एवं शैली सुगम है। इसकी व्याख्यान-शैली के कुछ नमूने यहाँ प्रस्तुत करना अप्राप्तिक न होगा। आदि, मध्य और अन्त्य मगल की उपयोगिता बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं

आदिसंगलेण आरम्भप्पमिति णिव्विसाया सत्थ पडिव्वज्जति, मज्झमगलेण अब्वासणेण पार गच्छति, अवसाणमगलेण सिस्स-पसिस्स-सताणे पडिवाएति । इम पुण सत्थ ससारविच्छेयकर ति सव्वमेव मगल तहावि विसेसो दरिसिज्जति—आदि मगलमिह 'धम्मो मगलमुक्कट्ट' (अध्य. १, गा. १) धारेति ससारे पडमाणमिति धम्मो, एत च परम समस्सासकारण ति मगल । मज्झे धम्मत्थकामपढममुत्त 'णाणदसणस-पण्णं सजमे य तवे रय' (अध्य ६, गा. १), एवं सो चेव धम्मो विसेसिज्जति, यथा—'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' (तत्त्वा. अ. १-१) इति । अवसाणे आदिमज्झदिट्ठविसेसियस्स फल दरिसिज्जति 'छिदित्तु जातीमरणस्स बंधण उवेति भिक्खू अपुगागम गति' (अध्य. १०, गा २१), एव सफल सकल सत्थ ति ।^२

दशकालिक, दशवैकालिक अथवा दशवैतालिक की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा गया है

'दशक अज्झयणाण कालियं निरुत्तेण विहिणा ककारलोपे कृते दस-कालिय । अहवा वेकालिय, मगलत्थ पुव्वण्हे सत्थारमो भवति, भगवया पुण अब्जसेव्ववेण कहमवि अवरण्हकाले उव्वयोगो क्तो, काला-

१ प्रस्तुत चूर्णि की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त हुई अत लेखक मुनि श्री का अत्यन्त आभारी है। यह प्रति जैसलमेरु ज्ञानभंडार से प्राप्त प्राचीन प्रति की प्रतिलिपि है।

तिवायविग्यपरिहारिणा य निञ्जूढमेव, अतो विगते काले विकाले दसकमञ्जयणाण क्तमिति दसवेकालिय । चउपोरिसितो सञ्जायकाले तम्मि विगते वि पढिञ्जतीति विगयकालिय दसवेकालिय । दसम वा वेतालियो पजाति वृत्तेहिं णियमितमञ्जयणमिति दसवेतालियं ।^१

पड्जीवनिका नामक चतुर्थ अध्ययन के अर्थाधिकार का विचार करते हुए चूर्णिकार कहते हैं .

जीवाजीवाहिगमो गाहा । पढमो जीवाहिगमो, अहिगमो—परि ण्णार्णं १ ततो अजीवाधिगमो २ चरित्तधम्मो ३ जयणा ४ उवएसो ५ धम्मफल । तस्स चत्तारि अणुओगहारा जहा आवरसए । नामनिष्फणो भण्णति—^३

दशवैकालिक के अंत की दो चूलाओं—रतिवाक्यचूला और विविक्तचर्या-चूला की रचना का प्रयोजन बताते हुए आचार्य कहते हैं .

धम्मे धित्तमतो खुड्ढियायारोवत्थितस्स विदित्तलक्कायवित्थरस्स एसणीयादिधारित्तसरीरस्स समत्तायारावत्थितस्स वयणविभागकुस-लस्स सुप्पणिहितजोगजुत्तस्स विणीयस्स दसमञ्जयणोपवण्णितगुणस्स समत्तसकलभक्खुभावस्स विसेसेण थिरीकरणत्थ विवित्तचरियोवदेसत्थं च उत्तरत तमुपदिट्ठ चूलितादुत रतिवक्क विवित्तचरिया चूलिता य । तत्थ धम्मे थिरीकरणत्था रतिवक्कणामधेया पढमचूला भणित्ता । इदाणि विवित्तचरियोवदेसत्था वित्तिया चूला भाणित्तन्वा ।^४

अन्त में चूर्णिकार ने अपनी शाखा का नाम, अपने गुरु का नाम तथा अपना खुद का नाम बताते हुए निम्न गायार्थ लिखकर चूर्णिकार की पूर्णाहुति की है

वीरवरस्स भगवतो तित्थे कोडीगणे सुविपुलस्मि ।
गुणगणवइराभस्सा वेरसामिस्स साहाए ॥ १ ॥
महरिसिसरिससभावा भावाऽभावाण सुणितपरमत्था ।
रिसिगुत्तख्खमासमणो खमासमाण निधी आसि ॥ २ ॥

१ पृ ७-८ २ निर्युक्तिगाया—जीवाजीवाहिगमो चरित्त-धम्मो तद्देव जयणा य । उवएसो धम्मफल छऽजीवणियाइ अहिगारा ॥

३ पृ १४६-७.

४ पृ ४९७

तेसिं सीसेण इमा कलसभवमइंदणामधेज्जेण ।
 दसकालियस्स चुण्णी पयाणरयणातो सवणत्था ॥ ३ ॥
 रुधिरपदसंधिणियता छड्डियपुणरुत्तवित्थरपसंगा ।
 बक्खलाणमंतरेणावि सिस्समतिबोधघणसमत्था ॥ ४ ॥
 ससमयपरसमयणयाण जं च ण समाधित पमादेण ।
 त खमह पसाहेह य इय विण्णत्ती पवयणीणं ॥ ५ ॥

चूर्णिकार का नाम कलशभवमृगेन्द्र अर्थात् अगस्त्यसिंह है । कच्छ का अर्थ है कुम, भव का अर्थ है उत्पन्न और मृगेन्द्र का अर्थ है सिंह । कलशभव का अर्थ हुआ कुम से उत्पन्न होनेवाला अगस्त्य । अगस्त्य के साथ सिंह जोड़ देने से अगस्त्यसिंह बन जाता है । अगस्त्यसिंह के गुरु का नाम ऋषिगुप्त है । ये कोटिगणीय वज्रस्वामी की शाखा के हैं ।

प्रस्तुत प्रति के अन्त में कुछ संस्कृत श्लोक हैं जिनमें मूल प्रति का लेखन-कार्य सम्पन्न कराने वाली के रूप में शान्तिमति के नाम का उल्लेख है ।

सम्यक् शान्तिमतिर्व्यलेखयदिद मोक्षाय सत्पुस्तकम् ।

प्रस्तुत चूर्णि के मूल सूत्रपाठ, जिनदासगणिकृत चूर्णि के मूल सूत्रपाठ तथा हरिभद्रकृत टीका के मूल सूत्रपाठ इन तीनों में कहीं-कहीं थोड़ासा अन्तर है । नीचे इनके कुछ नमूने दिये जाते हैं जिनसे यह अन्तर समझ में आ सकेगा । यही बात अन्य सूत्रों के व्याख्याग्रन्थों के विषय में भी कही जा सकती है । दशवैकालिक सूत्र की गाथाओं^१ के अन्तर के कुछ नमूने इस प्रकार हैं

अध्ययन	गाथा	अगस्त्यसिंहकृत चूर्णि	जिनदासकृत चूर्णि	हरिभद्रकृत चूर्णि
१	३	मुक्का	मुत्ता	मुत्ता
१	३	साहब्रो	साहुणो	साहुणो
१	४	अहागडेहिं पुप्फोहिं	अहाकडेसु पुप्फोहिं	अहागडेसु पुप्फेसु
२	१	कह णु कुञ्जा कतिहकुञ्जा (पाठान्तर)	कतिह कुञ्जा कयाह कुञ्जा (पाठा)	कह णु कुञ्जा कतिह कुञ्जा (पा)
		कयाह कुञ्जा (,,) कह सकुञ्जा (,,)	कह णु कुञ्जा (,,)	कयाह कुञ्जा (,,) कयमह (कहह)

१ गाथा सख्या का आधार मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा तैयार की गई दशवैकालिक की हस्तलिखित प्रति है ।

२	५	छिंदाहि राग	छिंदाहि दोष	छिंदाहि दोष
२	५	विणए हि दोष	विणएज राग	विणएज राग
३	३	सपुच्छण सपुच्छगो (पाठा.)	सपुच्छणा	सपुच्छण
३	१५	खवेत्तु	खवेत्ता	खवेत्ता
४	४	चित्तमतमक्खला (पाठा)	चित्तमत्ता भक्खा (पाठा)	चित्तमतमक्खला (पाठा)
४	१०	इच्चेतेहिं छहिं जीवनिकायेहि	इच्चेतेहिं छहिं जीवनिकायेहि	इच्चेसि छण्ह जीवनिकायाण
५ (प्र उ)	५	पाण भूते य	पाण भूते य	पाणि-भूयाइ
५ (,)	१३	अणातिले	अणाउले	अणाउले
५ (,,)	१३	जहाभाग	जहामाव	जहाभाग
५ (,,)	१५	पाणियकम्मत्त	दग्भवणाणि य	दग्भवणाणि य
५ (,,)	२७	इच्छेज्जा	इच्छेज्जा	गेण्हेज्जा
५ (द्वि उ)	२४	घारए	घारए	घावए
७	१२	आयारभावदोसेण	गाथा नहीं	आयारभावदोसन्नू
७	२२	गाथा नहीं	गाथा है	गाथा नहीं
७	२३	गाथा नहीं	गाथा है	गाथा नहीं
८	३	भवियव्व	होयव्वय	?
९ (प्र उ)	१	चिट्ठे	चिट्ठे	सिक्खे चिट्ठे(पाठा)
९ (द्वि.उ.)	१	साल	साल	साहा
९ (तृ.उ)	१५	धुणिय	धुणिय	विहुय
९ (च उ)	११	आरहतिएहिं	आरहतेहिं	आरहतेहिं
१०	४	दग्	दग्	तण
१०	१९	विवज्जयित्ता	विगिंच धीर !	विवज्जयित्ता
१ चूलिका	१४	कुसील	सकुसील	कुसिला
१ ,,	१९	ण प्पचल्लेति	णो पयल्लेति	न प्पचल्लेति
२ ,,	३	निष्फेडो	निग्वाडो	उत्तारो
२ ,,	४	एव	एव	तम्हा

निर्युक्तिगाथाओं की तो और भी विचित्र स्थिति है । निर्युक्ति की ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जो हरिभद्र की टीका में तो हैं किन्तु चूर्णियों में नहीं मिलती ।

हां, इनमें कुछ गाथाएँ ऐसी अवश्य हैं जिनका चूर्णियों में अर्थ अथवा आशय दे दिया गया है किन्तु बिन्हें गाथाओं के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है । दूसरी बात यह है कि चूर्णियों में अधिकांश गाथाएँ पूरी की पूरी नहीं दी जाती हैं अपितु प्रारम्भ के कुछ शब्द उद्धृत कर केवल उनका निर्देश कर दिया जाता है । कुछ ही गाथाएँ ऐसी होती हैं जो पूरी उद्धृत की जाती हैं । हम यहाँ हरिभद्र की टीका में उपलब्ध कुछ निर्युक्ति गाथाएँ उद्धृत कर यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें से कौनसी दोनों चूर्णियों में पूरी की पूरी हैं, कौनसी अपूर्ण अर्थात् सक्षिप्तरूप में हैं, जिनका अर्थ-रूप से निर्देश किया गया है और जिनका बिचकुल उल्लेख नहीं है ?

सिद्धिगइमुवगयाणं कम्मविसुद्धाणं सव्वसिद्धाण ।

नमिऊणं दसकालियणिञ्जुत्तिं कित्तइस्सामि ॥ १ ॥

यह गाथा न तो जिनदासगणि की चूर्णि में है, न अगस्त्यसिंहकृत चूर्णि में । इनमें इसका अर्थ अथवा सक्षिप्त उल्लेख भी नहीं है ।

अपुहुत्तपुहुत्ताइं निहिसिउं एत्थ होइ अहिगारो ।

चरणकरणाणुजोगेण तस्स दारा इमे हौत्ति ॥ ४ ॥

इस गाथा का अर्थ तो दोनों चूर्णियों में है किन्तु पूरी अथवा अपूर्ण गाथा एक में भी नहीं है ।

णामं ठवणा दविए माउयपयसगहेक्कए चेव ।

पज्जवभावे य तहा सत्तेए एक्कगा हौत्ति ॥ ८ ॥

यह गाथा दोनों चूर्णियों में पूरी की पूरी उद्धृत की गई है । यह इन चूर्णियों की प्रथम निर्युक्ति गाथा है जो हरिभद्रीय टीका की आठवीं निर्युक्ति-गाथा है ।

दव्वे अद्ध अहाउअ उवक्कमे देसकालकाले य ।

तह य पमाणे वण्णे भावे पगय तु भावेणं ॥ ११ ॥

यह गाथा भी दोनों चूर्णियों में इसी प्रकार उपलब्ध है ।

आयप्पवायपुव्वा निञ्जूढा होइ धम्मपन्नत्ती ।

कम्मप्पवायपुव्वा पिंडस्स उ एसणा तिविहा ॥ १६ ॥

यह गाथा दोनों चूर्णियों में सक्षिप्तरूप से निर्दिष्ट है, पूर्णरूप में उद्धृत नहीं।

दुविहो लोगुत्तरिओ सुअधम्मो खलु चरित्तधम्मो अ ।
सुअधम्मो सज्जाओ चरित्तधम्मो समणधम्मो ॥ ४३ ॥

यह गाथा अर्थरूप से तो दोनों ही चूर्णियों में है किन्तु गाथारूप से अधूरी या पूरी एक में भी नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों चूर्णिकारों और टीकाकार हरिभद्र ने निर्युक्ति गाथाएँ समानरूप से उद्धृत नहीं की हैं। दोनों चूर्णिकारों में एतद्विषयक काफी समानता है, जबकि हरिभद्रसूरि इन दोनों से इस विषय में बहुत भिन्न हैं। इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए विशेष अनुशीलन की आवश्यकता है।



एकादश प्रकरण निशीथ-विशेषचूर्ण

जिनदासगणित प्रस्तुत चूर्ण^१ मूल सूत्र, निर्युक्ति एव भाष्यगाथाओं के विवेचन के रूप में है। इसकी भाषा अल्प सस्कृतमिश्रित प्राकृत है। प्रारभ में पीठिका है जिसमें निशीथ की भूमिका के रूप में तत्सम्बद्ध आवश्यक विषयों का व्याख्यान किया गया है। सर्वप्रथम चूर्णिकार ने अरिहतादि को नमस्कार किया है तथा निशीथचूला के व्याख्यान का सम्बन्ध बताया है :

नमिऋणऽरहंताणं, सिद्धाण य कम्मचक्कमुक्काण ।
 सयणसिनेहविमुक्काण, सत्तवसाहूण भावेण ॥ १ ॥
 सविसेसायरजुत्तं, काउ पणाम च अत्थदायिस्स ।
 पज्जुणखमासमणस्स, चरण-करणाणुपालस्स ॥ २ ॥
 एव कयप्पणामो, पक्कप्पणामस्स विवरण वन्ने ।
 पुन्वायरियकयं चिय, अह पि तं चेव उ विसेसा ॥ ३ ॥
 भणिया विमुत्तिचूला, अट्टणावसरो णिसीहचूलाए ।
 को संवधो तस्सा, भण्णइ इणमो णिसामेहि ॥ ४ ॥

इन गाथाओं में अरिहत, सिद्ध और साधुओं को सामान्य रूप से नमस्कार किया गया है तथा प्रद्युम्न क्षमाश्रमण को अर्थदाता के रूप में विशेष नमस्कार किया गया है। निशीथ का दूसरा नाम प्रकल्प भी बताया गया है।

पीठिका :

प्रारभ में चूलाओं का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने बताया है कि चूला छ' प्रकार की होती है। उसका वर्णन जिस प्रकार दशवैकालिक में किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।^१ इससे सिद्ध होता है कि निशीथचूर्ण

१ सम्पादक—उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी व मुनि श्री कन्हैयालालजी, प्रकाशक—सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा, सन् १९५७-१९६०. निशीथ एक अध्ययन—प० दलसुख मालवणिया, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन् १९५९.

२ सा य छविहा—जहा दसवेयालिए भणिया तहा भाणियन्वा ।

दशत्रैकालिकचूर्ण के बाद लिखी गई है। इसके बाद आचार का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने आचारादि पंच वस्तुओं की ओर निर्देश किया है आचार, अग्र, प्रकल्प, चूलिका और निशीथ।^१ इन सब का निक्षेप पद्धति से विचार करते हुए निशीथ का अर्थ इस प्रकार बताया गया है, निशीथ इति कोऽर्थः ? निशीथ सद्वपट्टीकरणत्वं वा भणति—

ज होति अप्पगास त तु णिसीह ति लोगसंसिद्ध ।
जं अप्पगासघम्मं, अण्णं पि तय निसीध ति ॥

जमिति अणिदिट्ठं । होति भवति । अप्पगासमिति अंधकार । जकारणिद्देसे तगारो होइ । सदस्स अवहारणत्थे तुगारो । अप्पगा सवयणस्स णिणयत्थे णिसीहति । लगे वि सिद्धं णिसीह अप्पगास । जहा कोइ पावासिओ पओसे आगओ, परेण वित्तिए दिणे पुच्छिओ 'कल्ले क वेलमागओ सि ?' भणति 'णिसीहे' त्ति रात्रावित्थर्यः।^२ निशीथ का अर्थ है अप्रकाश अर्थात् अंधकार। अप्रकाशित वचनों के निर्णय के लिए निशीथसूत्र है। लोक में भी निशीथ का प्रयोग रात्रि—अंधकार के लिए होता है। इसी प्रकार निशीथ के कर्मपकनिपदन आदि अन्य अर्थ भी किये गये हैं। भावपक का निषदन तीन प्रकार का होता है क्षय, उपशम और क्षयोपशम। जिसके द्वारा अष्टविध कर्मपक शान्त किया जाए वह निशीथ है।^३

आचार का विशेष विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने निर्युक्ति गाथा को भद्रबाहु-स्वामकृत बताया है।^४ इस गाथा में चार प्रकार के पुरुष-प्रतिसेवक बताये गये हैं जो उत्कृष्ट, मध्यम अथवा जघन्य कोटि के होते हैं। इन पुरुषों का विविध भगों के साथ विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार स्त्री और नपुंसक-प्रतिसेवकों का भी स्वरूप बताया गया है। यह सब निशीथ के व्याख्यान के बाद किये गये आचारविषयक प्रायश्चित्त के विवेचन के अन्तर्गत है। प्रतिसेवक का वर्णन समाप्त करने के बाद प्रतिसेवना और प्रतिसेवितव्य का स्वरूप समझाया गया है। प्रतिसेवना के स्वरूपवर्णन में अप्रमादप्रतिसेवना, सहसात्करण, प्रमादप्रतिसेवना, क्रोधादि वषाय, विराधनात्रिक, विकथा, इन्द्रिय, निद्रा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया गया है। निद्रा सेवन

१. भाष्यगाथा ३ २ पृ ३४ ३ पृ ३४-५ ४ एसा भद्रबाहु-
सामि-कता गाहा—पृ ३८

की मर्यादा की ओर निर्देश करते हुए चूर्णिकार ने एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें यह बताया गया है कि आलस्य, मैथुन, निद्रा, क्षुधा और आक्रोश—ये पाँचों सेवन करते रहने से बराबर बढ़ते जाते हैं ।^१

पञ्च वर्द्धन्ति कौन्तेय । सेव्यमानानि नित्यशः ।
आलस्यं मैथुनं निद्रा, क्षुधाऽऽक्रोशश्च पञ्चमः ॥

स्यानर्द्धि निद्रा का स्वरूप बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि जिसमें चित्त थीण अर्थात् स्यान हो जाए—कठिन हो जाए—जम जाए वह स्यानर्द्धि निद्रा है । इस निद्रा का कारण अत्यन्त दर्शनावरण कर्म का उदय है इदं चित्तं त थीण जरस अचतदरिसणावरणकम्मोदया सो थीणद्धी भण्णति । तेण य थीणेण ण सो किंचि उवल्लभति ।^२ स्यानर्द्धि का स्वरूप विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने चार प्रकार के उदाहरण दिये हैं पुद्गल, मोदक, कुम्भकार और हस्तिदत । तेजस्काय आदि की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने 'अस्य सिद्धसेनाचार्यो व्याख्या करोति, एतेषा सिद्धसेनाचार्यो व्याख्या करोति, इमा पुण सागणिय णिक्खितदाराण दोण्ह वि भइवाहुसामिकता प्रायश्चित्तव्याख्यानगाथा, एयस्स इमा भइवाहुसामिकता वक्खाणगाहा' आदि शब्दों के साथ भद्रबाहु और सिद्धसेन के नामों का अनेक बार उल्लेख किया है । पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय-सम्बन्धी यतनाओं, दोषों, अपवादों और प्रायश्चित्तों का प्रस्तुत पीठिका में अति विस्तृत विवेचन किया गया है । खान, पान, वसति, वस्त्र, हलन, चलन, शयन, भ्रमण, भाषण, गमन, आगमन आदि सभी आवश्यक क्रियाओं के विषय में आचारशास्त्र की दृष्टि से सूक्ष्म विचार किया गया है ।

प्राणातिपात आदि का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार ने मृषावाद के लौकिक और लोकोत्तर—इन दो भेदों का वर्णन किया है तथा लौकिक मृषावाद के अन्तर्गत मायोपधि का स्वरूप बताते हुए चार धूर्तों की कथा दी है । इस धूर्ताख्यान के चार मुख्य पात्रों के नाम हैं शशक, एलापाद, मूलदेव और लडपाणा ।^३ इस व्याख्यान का सार भाष्यकार ने निम्नलिखित तीन गाथाओं में दिया है ।

सस एलासाढ मूलदेव खंडा य जुण्णसवजाणे ।
 सामत्थणे को भत्त, अक्खात जो ण सद्दहति ॥ २९४ ॥
 चोरभया गावीओ, पोट्टलए वंधिऊण आणेमि ।
 तिलअइरूढकुहाडे, वणगय मलणा य तेल्लोदा ॥ २९५ ॥
 वणगयपाटण कुडिय, छम्मासा हत्थिलभगण पुच्छे ।
 रायरयग मो वादे, जहिं पेच्छइ ते इमे वत्था ॥ २९६ ॥

चूर्णिकार ने इन गाथाओं के आधार पर संक्षेप में धूर्तकथा देते हुए लिखा है कि शेष बातें धुत्तख्वाणग (धूर्ताख्यान) के अनुसार समझ लेनी चाहिए :
 सेस धुत्तख्वाणगानुसारेण णेयमिति ।^१ यहाँ तक लौकिक मृषावाद का अधिकार है। इसके बाद लोकोत्तर मृषावाद का वर्णन है। इसी प्रकार अदस्ता दान, मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन आदि का वर्णन किया गया है। यह वर्णन मुख्यरूप से दो भागों में विभाजित है। इनमें से प्रथम भाग दर्पिकासम्बन्धी है, दूसरा भाग कल्पिकासम्बन्धी। दर्पिकासम्बन्धी भाग में तत्तद्विषयक दोषों का निरूपण करते हुए उनके सेवन का निषेध किया गया है जबकि कल्पिका-सम्बन्धी भाग में तत्तद्विषयक अपवादों का वर्णन करते हुए उनके सेवन का विधान किया गया है। ये सब मूलगुणप्रतिसेवना से सम्बद्ध है। इसी प्रकार आचार्य ने उत्तरगुणप्रतिसेवना का भी विस्तार से व्याख्यान किया है। उत्तरगुण पिण्डविशुद्धि आदि अनेक प्रकार के हैं। इनका भी दर्पिका और कल्पिका के भेद से विचार किया गया है। जैसाकि चूर्णिकार कहते हैं गता य मूलगुण-पडिसेवणा इति । इदाणि उत्तरगुणपडिसेवणा भण्णति । ते उत्तरगुणा पिण्डविसोहादओ अणेगविहा । तत्थ पिण्डे ताव दप्पिय कप्पिय च पडिसेवण भण्णति ।^२ इस प्रकार पीठिका के अन्त तक दर्पिका और कल्पिका का अधिकार चलता है।

पीठिका की समाप्ति करते हुए इस बात का विचार किया गया है कि निशीथपीठिका का यह सूत्रार्थ किसे देना चाहिए और किसे नहीं? अबहुश्रुत आदि निषिद्ध पुरुषों को देने से प्रवचन घात होता है अतः बहुश्रुत आदि सुयोग्य पुरुषों को ही निशीथपीठिका का यह सूत्रार्थ देना चाहिए ।^३ यहाँ तक पीठिका का अधिकार है।

१ पृ १०५ आचार्य हरिभद्रकृत धूर्ताख्यान का आधार यह प्राचीन कथा है।

२ पृ० १५४ ३ पृ० १६५-१६६

प्रथम उद्देश :

प्रथम उद्देश के प्रथम सूत्र 'जे भिक्खू हत्थकम्म करेइ, करंतं वा साइब्जइ' का शब्दार्थ भाष्यकार ने इस प्रकार किया है

जे त्ति य खलु णिद्देसे भिक्खू पुण भेदणे खुहस्स खलू ।

हत्थेण ज च करण, कीरति त हत्थकम्म ति ॥ ४९७ ॥

इस गाथा का चूर्णिकार ने पुन इस प्रकार शब्दार्थ किया है : 'जे इति निद्देसे, 'खलु' विसेसणे, किं विशिनष्टि ? भिक्षोर्नान्यस्य, 'भिदि' विदारणे, 'क्षुध' इति कर्मण आख्यान, ज्ञानावरणादिकर्म भिनत्तीति भिक्षुः, भावभिक्षोर्विशेषणे 'पुनः' शब्दः, 'हत्थे' ति हन्यतेऽनेनेति हस्तः, हसति वा मुखमावृत्येति हस्तः, आदाननिक्षेपादिसमर्थो शरीरैकदेशो हस्तोऽतस्तेन यत् करण—व्यापारइत्यर्थः, स च व्यापारः क्रिया भवति, अतः सा हस्तक्रिया क्रियमाणा कर्म भवतीत्यर्थः । 'साइब्जति' साइब्जणा दुविहा कारावणे अणुमोदणे ।^१ जो क्षुध अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्म का भेद अर्थात् विनाश करता है वह भिक्षु है । जिससे हनन किया जाता है अथवा जो मुख को ढक कर हसता है वह हस्त है । आदान-निक्षेप आदि में समर्थ हस्त की जो क्रिया अर्थात् व्यापार है वह हस्तक्रिया है । इस प्रकार की क्रियमाण हस्तक्रिया कर्मरूप होती है । साइब्जणा अर्थात् दानादना दो प्रकार की है कारण (निर्माण) अर्थात् दूसरों से करवाना और अनुमोदन अर्थात् दूसरे का समर्थन करना । इस प्रकार क्रिया के तीन रूप हुए स्वयं करना, दूसरों से करवाना और करते हुए का अनुमोदन करना । इस प्रकार प्रथम सूत्र का शब्दार्थ करने के बाद आचार्य ने भिक्षु, हस्त और कर्म का निक्षेप पद्धति से विश्लेषण किया है । हस्तकर्म दो प्रकार का है . असक्लिष्ट और सक्लिष्ट । असक्लिष्ट हस्तकर्म आठ प्रकार का है छेदन, भेदन, घर्षण, पेषण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षार । सक्लिष्ट हस्तकर्म दो प्रकार का है सनिमित्त और अनिमित्त । सनिमित्त हस्तकर्म तीन प्रकार के कारणों से होता है शब्द सुनकर, रूपादि देखकर और पूर्व अनुभूत विषय का स्मरण कर ।^१ पुरुष और स्त्री के इस प्रकार के हस्तकर्मों का विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने साधुओं और साध्वियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया है ।

द्वितीय सूत्र 'जे भिक्खू अगादाण कट्ठेण वा कलिचेण वा अगुलियाए वा सलागाए वा सचालेइ सचालेंत वा सातिज्जति' का व्याख्यान करते हुए आचार्य कहते हैं कि सिर आदि अग हैं, कान आदि उपाग हैं और नख आदि अगोपाग हैं। इस प्रकार शरीर के तीन भाग हैं अग, उपाग और अगोपाग। अग आठ हैं सिर, उर, उदर, पीठ, दो बोंह और दो ऊर। कान, नाक, आँखें, जघाएँ, हाथ और पैर उपाग हैं। नख, बाल, श्मश्रु, अगुलियाँ, हस्ततल और हस्तोपतल अगोपाग हैं। इथेली के चारों ओर का उठा हुआ भाग हस्तोपतल कहलाता है। इन सबका सचालन भी अनिमित्त अथवा अनिमित्त होता है।^१ प्रस्तुत सूत्र का विशेष व्याख्यान पूर्ववत् कर लेना चाहिए। इसी प्रकार आगे के सूत्रों का भी सक्षिप्त व्याख्यान किया गया है।

चौदहवें सूत्र 'जो भिक्खू सोत्तिय वा रज्जुय वा चिलिमिलिं वा अण्णउत्थिएण वा गारस्थिएण वा कारेत्ति, कारंतं वा सातिज्जति' का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि वस्त्र—कबलादि को सौत्रिक (सूत का बना हुआ) कहते हैं, जबकि रस्सी आदि को रज्जुक कहते हैं। भाष्यकार ने चिलिमिली (परदा) के पाँच प्रकार बताये हैं सुत्तमयी, रज्जुमयी, वागमयी, दडमयी और कडमयी। इनका स्वरूप बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं सुत्तेण कता सुत्तमयी, त वत्थ कबली वा। रज्जुणा कता रज्जुमयी, सो पुण दोरो। वागेसु कता वागमयी, वागमय वत्थ दोरो वा वक्कल वा वत्थादि। दडो वंसाती। कडमती वसकडगादि। एमा पंचविहा चिलिमिणी गच्छस्स उवग्गाहकारिवया घेप्पति।^१ सूत्रनिर्मित चिलिमिली—परदा—यवनिका को सूत्रमती कहते हैं, जैसे वस्त्र, कम्बल आदि। रज्जु से बनी हुई को रज्जुमती कहते हैं, जैसे दोरिया आदि। इसी प्रकार वस्त्र अर्थात् छाल, दड अर्थात् बाँस आदि की लकड़ी और कट अर्थात् तृण आदि से चिलिमिलिका बनती है। गच्छ के उपकार के लिए इन पाँच प्रकार की चिलिमिलिकाओं का ग्रहण किया जाता है। आगे आचार्य ने चिलिमिली के प्रमाण, उपयोग आदि पर प्रकाश डाला है तथा संक्षेप में आगे के सूत्रों का भी व्याख्यान किया है।

'जे भिक्खू लाउय-पादं वा दारु-पाद वा मिट्टिया पाद वा'
(सूत्र ३९) की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने लिखा है कि सूत्रार्थ का कथन हो चुका, अब निर्युक्ति का विस्तार किया जाता है भणिओ सुत्तयो। इदाणि

णिञ्जुत्तिवित्थरो भण्णति ।^१ यह लिखकर उन्होंने 'लावयदारुयपाते, मट्टिय-पादे' गाथा (भाष्य ६८५) दी है जो निर्युक्ति गाथा है ।

'जे भिक्खू दंडयं वा लट्ठिय वा अवलेहणियं वा' (सूत्र ४०) का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने दण्ड, लाठी आदि का भेद बताया है । दण्ड बाहुप्रमाण होता है दंडो बाहुप्पमाणो । लाठी आत्मप्रमाण अर्थात् स्वशरीर-प्रमाण होती है । लट्ठी आयप्पमाणा । अवलेखनिका कीचड़ आदि साफ करने के लिए होती है । अवलेहणिया वासासु कदमफेडिणी क्षुरिकावत् ।^१ भाष्यकार ने दण्ड आदि का नाप इस प्रकार बताया है : दण्ड तीन हाथ का होता है, विटड दो हाथ का होता है, लाठी आत्मप्रमाण होती है, विलट्ठी चार अँगुली कम होती है । भाष्यगाथा इस प्रकार है :

तिण्णि च हत्थे डंडो, दोण्णि च हत्थे विदंडओ होत्ति ।

लट्ठी आत्त-पमाणा, विलट्ठि चतुरगुलेणूणा ॥ ७०० ॥

आगे लाठी आदि की उपयोगिता का विचार किया गया है तथा उनके रखने की विधि, तत्सम्बन्धी दोष, गुरुमास प्रायश्चित्त आदि का वर्णन किया गया है । बल फाड़ने, सीने आदि से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख करते हुए प्रथम उद्देश समाप्त किया गया है । अतः मैं 'विसेस-णिसीहचुण्णिणए पढमो च्हेसो सम्मत्तो'^१ लिखकर यह सूचित किया गया है कि प्रस्तुत चूर्णि विशेषनिशीथचूर्णि अथवा निशीथविशेषचूर्णि है ।

द्वितीय उद्देश :

प्रथम उद्देश में गुरुमासों (उपवास) का कथन किया गया । अब दूसरे उद्देश में लघुमासों (एकाग्रान) का कथन किया जाता है । अथवा प्रथम उद्देश में परकरण का निवारण किया गया । अब द्वितीय उद्देश में स्वकरण का निवारण किया जाता है पढमउद्देशए गुरुमासा भणित्ता । अह इद्दणिं वित्थिए लहु-मासा भण्णति । अहवा-पढमुद्देशे परकरण णिवारिय, इह वित्थिए सयंकरण निवारिञ्जति ।^१ यह कह कर आचार्य द्वितीय उद्देश का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं ।

प्रथम सूत्र 'जे भिक्खू दारुदडय पायपुल्लणय करेइ' का व्याख्यान इस प्रकार किया गया है 'जे त्ति णिद्देसे, भिक्खू पूर्वोक्त, दारुमओ दडओ जस्स त दारुदडय, पादे पुल्लति जेण त पादपुल्लण—पट्टयदुनिसिञ्ज-

वज्जियं रओहरणमित्यर्थः । त जो करेति, करेत् वा सातिवज्जति तस्स मासलहुं पच्छित्त । एस सुत्तथो । एयं पुण सुत्त अववात्तियं । इदाणि णिवज्जुत्ति-वित्थरो ।^१ अर्थात् जो भिक्षु काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोचन स्वय करता है अथवा करनेवाले का अनुमोदन करता है उसके लिये मासलघु प्रायश्चित्त का नियम है । यह सूत्रार्थ है । यह सूत्र आपवादिक भी है । अब निर्युक्ति का विस्तार किया जाता है । इसके बाद पादप्रोचन के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोचन के ग्रहण, वितरण, परिभोग आदि के दोषों और प्रायश्चित्तों का सूत्रानुसार विवेचन किया गया है ।

नवम सूत्र 'जे भिक्खू अचित्तपइट्ठिय गधं जिंघति, जिघतं वा सातिवज्जति' का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि निर्जोव चन्दनादि काष्ठ की गन्ध सूँघने वाले के लिए मासलघु प्रायश्चित्त का विधान है . णिवज्जीवे चदणादिकट्ठे गध जिंघति मासलहु ।^१

'जे भिक्खू लहुसगं फरुसं वयति, वयत वा ' (सूत्र १८) की चूर्णि इस प्रकार है लहुस ईपदल्प स्तोकमिति यावत् फरुस गेहवज्जिय अण्ण साहु वदति भापतेइत्यर्थः ।^१ जो साधु थोड़ा सा भी कठोर—स्नेहरहित होकर बोलता है उसके लिए मासलघु प्रायश्चित्त का विधान है । परुष—कठोर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भेद से चार प्रकार का होता है । चूर्णिकार ने इन चारों प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है । भावपरुष क्रोधादिरूप है क्योंकि क्रोधादि के बिना परुष कैसे हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता । जैसा कि भाष्यकार कहते हैं .

भावे पुण क्रोधादी, क्रोहादि विणा तु कह भवे फरुस ।

उवयारो पुण कीरति, दब्बाति समुप्पति जेण ॥ ८६२ ॥

जो भिक्षु अल्प झूठ बोलता है उसके लिए भी मासलघु प्रायश्चित्त है । जैसा कि चूर्णिकार स्वय कहते हैं मुस अलिय, लहुस अल्प, त वदओ मासलहु ।^१ इसी प्रकार लघु अदत्तादान, लघु शीतोदकोपयोग आदि के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । स्नान के दोषों का वर्णन करते हुए कहा गया है : ण्हायतो छज्जीवणिकाए वहेति । ण्हाणे पडिवधो भवति—पुन पुनः स्नायतीत्यर्थः । अस्नानसाधुशरीरेभ्य निर्मलशरीरो अहमिति गारवं

कुरुते, स्नान एव विभूषा । अलंकारेत्यर्थः अण्हाणपरीसहाओ वीहति तं न जिनातीत्यर्थः । लोकस्याविश्रम्भणीयो भवति ।' अर्थात् स्नान करने से षट् जीवनिकाय की हिंसा होती है । एक बार स्नान करने से बार-बार स्नान करने की इच्छा होती है । स्नान न करने वाले साधु को स्नान करने वाला घृणा की दृष्टि से देखता है, अपने को उससे बड़ा समझता है तथा अस्नान-परीषह से डरता है । लोग भी ऐसे साधु का विश्वास नहीं करते । इन दोषों के साथ हा आचार्य ने अपवाद रूप से स्नान की अनुमति भी प्रदान की है ।

कृत्स्न (अखण्ड) चर्म और कृत्स्न वस्त्र रखने का निषेध करते हुए स्वजनगवेषित, परजनगवेषित, वरजनगवेषित ब्रजजनगवेषित आदि पदार्थों के ग्रहण का भी निषेध किया गया है । वर का अर्थ इस प्रकार है : जो पुरिसो जत्थ गामणगरादिसु अर्च्यते, अर्चितो वा गामणगरादि कारणेसु पमाणीकतो, तेसु वा गामादिसु घगकुलादिणा पहाणो, एरिसे पुरिसे वरशब्दप्रयोगः । सो य इमो हवेज्ज गामिए त्ति गाममहत्तरः, रट्टिए त्ति-राष्ट्रमहत्तरः ।' ग्राम नगरादि का प्रामाणिक, प्रधान अथवा पूज्य पुरुष 'वर' शब्द से सम्बोधित किया जाता है । इस प्रकार का ग्राम-पुरुष ग्राममहत्तर और राष्ट्र पुरुष राष्ट्रमहत्तर कहलाता है । बल का अर्थ बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं यः पुरुषः यस्य पुरुषस्योपरि प्रभुत्व करोति सो बलव भणति । अहवा अप्रभु वि जो बलवं सो वि बलवं भणति । सो पुण गृहपतिः गामसामिगो वा तेणगादि वा ।' जो प्रभुत्व करता है वह बलवान् कहलाता है । अथवा अप्रभु भी बलशाली होने पर बलवान् कहलाता है । गृहपति, ग्रामस्वामी आदि प्रथम कोटि के पुरुष हैं । स्तेन अर्थात् चोर आदि द्वितीय कोटि के हैं ।

नियत (निश्चित—भ्रुव-निरतर) पिण्ड, वास आदि के दोषों का वर्णन करने के बाद आचार्य 'जे भिक्खू पुरे सथवं पच्छा सथवं वा करेइ' (सू ३८) का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं सथवो शुती, अदत्ते दाणे पुठ्वसथवो, दिण्णे पच्छासंथवो । जो तं करेति सातिब्जति वा तस्स मासलहुं ।' सत्त्व का अर्थ है स्तुति । साधु दाता की दो प्रकार से स्तुति कर सकता है एक तो दान देने के पूर्व और दूसरी दान देने के पश्चात् । जो साधु इस प्रकार की स्तुति करता है अथवा उसका अनुमोदन करता है उसे मासलधु प्रायश्चित्त करना

वज्जिय रओहरणमित्यर्थः । त जो करेति, करंतं वा सातिज्जति तस्स मासलहुं पच्छित्त । एस सुत्तथो । एय पुण सुत्त अववातिय । इदाणि णिज्जुत्ति-वित्थरो ।^१ अर्थात् जो भिक्षु काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोचन स्वय करता है अथवा करनेवाले का अनुमोदन करता है उसके लिये मासलघु प्रायश्चित्त का नियम है । यह सूत्रार्थ है । यह सूत्र आपवादिक भी है । अब निर्युक्ति का विस्तार किया जाता है । इसके बाद पादप्रोचन के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोचन के ग्रहण, वितरण, परिभोग आदि के दोषों और प्रायश्चित्तों का सूत्रानुसार विवेचन किया गया है ।

नवम सूत्र 'जे भिक्खू' अचिन्तपइट्ठिय गंधं जिंघति, जिंघत वा सातिज्जति' का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि निर्जीव चन्दनादि काष्ठ की गन्ध सूँघने वाले के लिए मासलघु प्रायश्चित्त का विधान है : णिज्जीवे चदणादिकट्ठे गंधं जिंघति मासलहुं ।^१

'जे भिक्खू लहुसगं फरुसं वयति, वयतं वा * ' (सूत्र १८) की चूर्णि इस प्रकार है लहुसं ईपदल्प स्तोकमिति यावत् फरुस णेहवज्जियं अण्ण साहु वदति भाषतेइत्यर्थः ।^१ जो साधु थोड़ा सा भी कठोर—स्नेहरहित होकर बोलता है उसके लिए मासलघु प्रायश्चित्त का विधान है । परुष—कठोर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भेद से चार प्रकार का होता है । चूर्णिकार ने इन चारों प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है । भावपरुष क्रोधादिरुप है क्योंकि क्रोधादि के बिना परुष कैसे हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता । जैसा कि भाष्य-कार कहते हैं •

भावे पुण कोधादी, क्रोहादि विणा तु कह भवे फरुस ।

उवयारो पुण कीरति, दव्वाति समुप्पति जेण ॥ ८६२ ॥

जो भिक्षु अल्प झूठ बोलता है उसके लिए भी मासलघु प्रायश्चित्त है । जैसा कि चूर्णिकार स्वय कहते हैं मुस अलिय, लहुस अल्प, तं वदओ मासलहु ।^१ इसी प्रकार लघु भदत्तादान, लघु शीतोदकोपयोग आदि के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । स्नान के दोषों का वर्णन करते हुए कहा गया है • ण्हायतो छज्जीवणिकाए वहेति । ण्हाणे पडिवधो भवति—पुनः पुनः स्नायतीत्यर्थः । अस्नानसाधुशरीरेभ्यः निर्मलशरीरो अहमिति गारव

कुरुते, स्नान एव विभूषा । अलंकारेत्यर्थः अण्हाणपरीसहाओ वीहति तं न जिनातीत्यर्थः । लोकस्याविश्रम्भणीयो भवति । अर्थात् स्नान करने में घट् जीवनिकाय की हिंसा होती है । एक बार स्नान करने से बार-बार स्नान करने की इच्छा होती है । स्नान न करने वाले साधु को स्नान करने वाला घृणा की दृष्टि से देखता है, अपने को उससे बड़ा समझता है तथा अस्नान-परीपह म डरता है । लोग भी ऐसे साधु का विश्वास नहीं करते । इन दोषों के साथ ही आचार्य ने अपवाद रूप से स्नान की अनुमति भी प्रदान की है ।

कृत्स्न (अखण्ड) चर्म और कृत्स्न वस्त्र रखने का निषेध करते हुए स्वजनगवेषित, परजनगवेषित, वरजनगवेषित अरुजनगवेषित आदि पदार्थों के ग्रहण का भी निषेध किया गया है । वर का अर्थ इस प्रकार है : जो पुरिसो जत्थ गामणगरादिसु अर्चयते, अर्चितो वा गामणगरादि कारणेसु पमाणीकतो, तेसु वा गामादिसु धगकुलादिणा पहाणो, एरिसे पुरिसे वरशब्दप्रयोगः । सो य इमो हवेज्ज गामिए त्ति गाममहत्तरः, रट्टिए त्ति-राष्ट्रमहत्तरः । ग्राम नगरादि का प्रामाणिक, प्रधान अथवा पूज्य पुरुष 'वर' शब्द से सम्बोधित किया जाता है । इस प्रकार का ग्राम-पुरुष ग्राममहत्तर और राष्ट्र पुरुष राष्ट्रमहत्तर कहलाता है । बल का अर्थ बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं : यः पुरुषः यस्य पुरुपस्योपरि प्रभुत्व करोति सो बलव भण्णति । अहवा अप्रभु वि जो बलव सो वि बलवं भण्णति । सो पुण गृहपतिः गामसामिगो वा तेणगादि वा । जो प्रभुत्व करता है वह वचवान् कहलाता है । अथवा अप्रभु भी बलशाली होने पर बलवान् कहलाता है । गृहपति, ग्रामस्वामी आदि प्रथम कोटि के पुरुष हैं । स्तेन अर्थात् चोर आदि द्वितीय कोटि के हैं ।

नियत (निश्चित—ध्रुव-निरतर) पिण्ड, वास आदि के दोषों का वर्णन करने के बाद आचार्य 'जे भिक्खू पुरे सथव पच्छा सथवं वा करेइ' (सू ३८) का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं सथवो शुवी, अदत्ते दाणे पुव्वसथवो, दिण्णे पच्छासथवो । जो तं करोति सातिब्जति वा तस्स मासलहुं । ससव का अर्थ है स्तुति । साधु दाता की दो प्रकार से स्तुति कर सकता है एक तो दान देने के पूर्व और दूसरी दान देने के पश्चात् । जो साधु इस प्रकार की स्तुति करता है अथवा उसका अनुमोदन करता है उसे मासलधु प्रायश्चित्त करना

पढ़ता है। सस्तव का विशेष विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने 'अत्र निर्युक्तिमाह' ऐसा लिखकर निम्न निर्युक्ति-गाथा उद्धृत की है •

दन्वे खेत्ते काले, भावम्मि य सथवो मुण्येयव्वो ।

आत-पर-तद्दुभए चा, एक्केक्के सो पुणो दुविधो ॥ १०२५ ॥

द्रव्यसस्तव का विस्तार करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह ६४ प्रकार का है। इसके लिए धान्य, रत्न, स्यावर, द्विपद, चतुष्पद आदि के ६४ प्रकार गिनाये गये हैं। वे ये हैं २४ प्रकार का धान्य, २४ प्रकार के रत्न, ३ प्रकार के स्यावर, २ प्रकार के द्विपद, १० प्रकार के चतुष्पद और ६४ वा कुप्य (उपकरण)।

धान्य—१ जव, २. गोधूम, ३ शालि, ४ व्रीहि, ५ पष्टिक, ६ कोद्रव, ७ अनया, ८ कगू, ९ रालक, १० तिल, ११ मुद्ग, १२ माष, १३. अतसी, १४ हिरिमथा, १५ त्रिपुडा, १६ निष्पाव, १७ अलिसिदा, १८ मासा, १९ इक्षु, २० मसूर, २१ तुवर, २२ कुलत्थ, २३ धानक, २४ कला ।

भाष्य.—घण्णाइ चउव्वीस, जव गोहुम सालि वीहि-साट्टिया ।

कोहव-अणया-कगू, रालग-तिल-मुग्ग-मासा य ॥ १०२९ ॥

चूर्णि.—बृहच्छिरा कगू, अल्पतरशिरा रालकः ।

भाष्य —अतसि हिरिमथ तिपुड, णिप्फाव अलसिंदरा य मासा य ।

इक्खू मसूर तुवरी, कुलत्थ तह धाणग-कला य ॥ १०३० ॥

चूर्णि —'अतसि' मालवे प्रसिद्धा, 'हिरिमथा' वट्टचणगा, 'त्रिपुडा' लगवल्गा, 'णिप्फाव' चावल्ला, 'अलिसिदा', चवलगारा य, 'मासा' पडरचवलगा, 'धाणगा' कुथुमरी, 'कला' वट्टचणगा ।

रत्न—१ सुवर्ण, २. तवु, ३ तत्र, ४ रजत, ५ लौह, ६ शीशक, ७ हिरण्य, ८ पाषाण, ९ वेर, १० मणि, ११ मौक्तिक, १२ प्रवाल, १३ शाल, १४ तिनिश, १५ अगुरु, १६ चन्दन, १७ अभिलात वल्ल, १८ काष्ठ, १९. दत, २० चर्म, २१ बाल, २२ गघ, २३ द्रव्य, २४ औषध ।

भाष्य —रयणाइ चतुव्वीस, सुव्वण्ण तवु तव-रयत लोहाइं ।

सीसग-हिरण्ण पासाण-धेर-मणि-भोत्तिय पवाले ॥ १०३१ ॥

चूर्णि :—‘रयंतं’ रूप, ‘हिरण्ण’ रूपका, ‘पाषाणः’ स्फटिकादयः, ‘मणी’
सूरचन्द्रकान्तादयः ।

भाष्य .—संख-तिणिसागुलु चदणाइं वत्थामिलाइं कट्टाइ ।

तह दत्त-चम्म-बाला, गधा दव्वोसहाइ च ॥ १०३२ ॥

चूर्णि .—‘तिणिस’ रुक्खकट्टा, ‘अगलु’ अगरु, थानि न म्हायन्ते
शीघ्र तानि अम्लतानि वत्थाणि, ‘कट्टा’ शाकादिस्तभा,
‘दत्ता,’ हस्यादीना, ‘चम्मा’ वग्घादीण, ‘बाला’ चमरीण,
गधयुक्तिकृता गधा, एकागं औषध द्रव्य, बहुद्रव्यसमुदाया-
दौषधम् ।

स्थावर—१ भूमि, २ घर, ३ तर ।

द्विपद—१. चकारबद्ध—शक्यादि और २ मनुष्य ।

चतुष्पद—१. गौ, २. उष्ट्री, ३. महिषी, ४. अज, ५. मेष, ६ अश्व, ७
अश्वतर, ८. घोटक, ९. गर्दभ, १० हस्ती ।

भाष्य —गावी उट्टी महिसी, अय एल्लग आस आसत्तरगा य ।

घोडग गद्दम हत्थी, चतुष्पदा होंति दसघातु ॥ १०३४ ॥

चूर्णि —‘आसत्तरगा’ वेसरा ।

‘जे भिक्खू सागारियं पिंड भुज्जति, भुजंतं वा सात्तिज्जति’, ‘जे भिक्खू
सागारियं पिंड गिण्हइ ’ (सू० ४६ ७) का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार
कहते हैं कि सागारिक अर्थात् शय्यातर के पिण्ड का ग्रहण अथवा भोग नहीं
करना चाहिए । जो वैसा करता है उसके लिए मासल्घु प्रायश्चित्त है । इसका
विवेचन करते हुए प्रस्तुत चूर्णि में निम्न बातों का दृष्टान्तपूर्वक विचार किया
गया है । (१) सागारिक कौन होता है, (२) वह शय्यातर कत्र होता है, (३)
उसका पिण्ड कितनी तरह का होता है, (४) वह अशय्यातर कत्र होता है,
(५) वह सागारिक किस सयत द्वारा परिहर्तव्य है, (६) उस सागारिक पिण्ड
के ग्रहण में क्या दोष है, (७) किस अवस्था में उसका पिण्ड ग्रहण किया जा
सकता है, (८) किस यतना से उसका ग्रहण करना चाहिए, (९) एक सागा-
रिक से ही ग्रहण करना चाहिए अथवा अनेक सागरिकों से भी ग्रहण करना
चाहिए । सागारिक के पाँच एकार्थक शब्द हैं सागारिक, शय्यातर, दाता, घर

और तर ।^१ इन पाँचों की व्युत्पत्ति एव सार्थकता पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । बृहत्कल्पभाष्य में भी इस विषय पर काफी विवेचन उपलब्ध है ।

‘जे भिक्खू उडुवद्धियं सेवजा सथारय ’ (सू. ५०) का विवेचन करते हुए आचार्य शय्या और सस्तारक का भेद बताते हैं । शय्या सर्वांगिका अर्थात् पूरे शरीर के बराबर होती है जबकि सस्तारक ढाई हस्तप्रमाण होता है सर्व्वंगिया सेवजा, अड्डाइयहत्थो संथारो ।^२ सस्तारक दो प्रकार का होता है परिशाटी और अपरिशाटी । इनके स्वरूप, भेद प्रभेद, ग्रहण, दोष, प्रायश्चित्त आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ।

विप्रनष्ट अर्थात् विधिपूर्वक रक्षा करते हुए भी खो जानेवाले प्रातिहारिक, शय्या-संस्तारक आदि की खोज करने की आवश्यकता, विधि आदि पर प्रकाश डालते हुए दूसरे उद्देश के अन्तिम सूत्र ‘जे भिक्खू इत्तरियं उवहिं ण पडिलेहेति ’ (सू० ५९) का विश्लेषण करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिनकल्पियों के लिए चारह प्रकार की, स्थविरकल्पियों के लिए चौदह प्रकार की और आर्याओं के लिए पचीस प्रकार की उपधि होती है ।^३ जिनकल्पिक दो प्रकार के हैं पाणिपात्रभोजी और प्रतिग्रहधारी । इन दोनों के पुन दो-दो भेद हैं संप्रावरण अर्थात् सवन्न और अप्रावरण अर्थात् निर्वन्न ।^४ जिनकल्प में उपधि के आठ विभाग हैं दो, तीन, चार, पाँच, नौ, दस, ग्यारह और बारह । निर्वन्न पाणिपात्र की लघन्य उपधि दो प्रकार की है रजोहरण और मुखजलिका । वही पाणिपात्र यदि सवन्न है और एक कपड़ा ग्रहण करता है तो उसकी उपधि तीन प्रकार की हो जाती है । इसी प्रकार आगे की उपधियाँ भी समझ लेनी चाहिए । स्थविरकल्पियों एव आर्याओं के लिए भी इसी प्रकार विभिन्न उपधियों का वर्णन किया गया है ।^५ यहाँ तक विशेषनिशीथचूर्णि के द्वितीय उद्देश का अधिकार है ।

चतुर्थ उद्देश •

इस उद्देश के प्रारंभ में मिश्राग्रहण के कुछ दोषों एव प्रायश्चित्तों पर प्रकाश डाला गया है । तदनन्तर पाद आदि के आमर्जन, प्रमार्जन, परिमर्दन, अभ्यग आदि से लगने वाले दोषों का उल्लेख करते हुए तद्विषयक प्रायश्चित्तों का निर्देश किया गया है । एक बार साफ करना आमर्जन है, बार बार साफ करना प्रमार्जन है । अथवा हाथ से साफ करना आमर्जन है, रजोहरण से साफ करना प्रमार्जन है आमज्जति

१ सागारिय सेजायर दाता य धरे तरे वा चि ।—पृ० १३०, गा० ११४०

२ पृ० १४९ ३ पृ० १८८ ४ वही ५ पृ० १८८-१९१

एकसि, पमब्जति पुणो पुणो । अहवा हृत्थेण आमज्जण, रयहरणेण पमब्जण ।^१ गड, पिलक, अरतित, अरिंका, भगदर आदि रोगों के छेदन, शोधन, लेपन आदि का निपेध करते हुए गड आदि का स्वरूप इस प्रकार बताया है गच्छतीति गड, तं च गडमाला, ज च अण्णं (पिलगं) तु पादगतं गडं, अरतितो ज ण पच्चति, असी अरिसा ता य अहिद्धाने णासाते व्रणेसु वा भवति, पिलिगा (पिलगा) सियलिया, भगदर अप्पणतो अधिद्धाने क्षत्त किमियजालसंपण्ण भवति । बहुसत्थसभवे अण्णतरेण तिवल्लं स (अ) हिणाधार जातमिति प्रकारप्रदर्शनार्थम् । एकसि ईषद् वा आच्छिंदणं. बहुवार सुट्ठु वा छिंदणं विच्छिंदण ।^२ इसी प्रकार नखाग्र को घिस कर तेज करना, उससे रोम आदि तोड़ना, उसे चिबुक, जघा, गुह्यभाग आदि में घुसाना इत्यादि बातों का निपेध किया गया है तथा अक्षिमल, कर्णमल, दंतमल, नखमल आदि को खोद-खोद कर बाहर निकालने की मनाही की गई है । उच्चार प्रस्रवण का घर में, गृहमुख पर, गृहद्वार पर, गृहप्रतिद्वार पर, गृहैल्लुक (देहली) पर अथवा गृहगण में परित्याग करना भी इसी प्रकार निषिद्ध है । अन्य निषिद्ध स्थानों पर भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए । परित्याग करने पर मासलधु प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इसी प्रकार असमय पर उच्चार-प्रस्रवण का परित्याग करनेवाले के लिए भी यही प्रायश्चित्त है । रात्रि आदि के समय बाहर निकलने से लगने वाले अनेक दोषों का वर्णन चूर्णिकार ने प्रस्तुत उद्देश के अन्त में किया है ।

चतुर्थ उद्देश :

इस उद्देश में सूत्रों का सामान्य व्याख्यान करते हुए निम्नलिखित विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है . अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग, कायोत्सर्ग के विविध भग, आयत्रिल की परिसमाप्ति एव आहारग्रहण, स्थापनाकुल और उनके विविध प्रकार, स्थापनाकुलसम्बन्धी सामाचार्य, निर्ग्रन्थी की वसति और उसमें निर्ग्रन्थ द्वारा प्रवेश, राजा, अमात्य, सेठ, पुरोहित, सार्थवाह, ग्राममहत्तर, राष्ट्रमहत्तर और गणघर के लक्षण, ग्लान साध्वी और उसकी सेवा, अधिकरण और उसके भेद, सरभ, समारभ और आरभ के भेद-प्रभेद, हास्य और उसकी उत्पत्ति के विविध कारण ।

पचम उद्देश :

इस उद्देश के प्रारंभ में आचार्य भद्रबाहुस्वामिकृत एक निर्युक्ति गाथा^१ दी गई है जिसमें चतुर्थ और पचम उद्देश के सम्बन्ध का निर्देश है। चूर्णिकार ने^१ . उद्देशकेन सह सर्वं वक्तुकामो आचार्यः भद्रबाहुस्वामी निर्युक्तिगाथामाह^२ ऐसा कह कर उनकी गाथा उद्धृत की है। इस उद्देश की चूर्णि में निम्न विषयों का विशेष विवेचन किया गया है प्राभृतिक शय्या और उसके छादन आदि भेद, सपरिकर्म शय्या और उसके चौदह भेद, समोग का त्रिविध दृष्टियों से वर्णन। समोग का अर्थ इस प्रकार है : 'स' एगीभावे 'मुज' पालनाभ्यवहारयोः, एकत्र भोजन समोगः, अहवा सम भोगो समोगो यथोक्तविधानेनेत्यर्थः। संमुजते वा समोगः, संमुजते वा, स्वस्य वा भोगः समोगः।^३ समोग का मुख्य अर्थ है यथोक्त विधि से एकत्र आहारोपभोग। बिन साधुओं में परस्पर खान पान आदि का व्यवहार होता है वे सांभोगिक कहलाते हैं। सांभोगिक साधुओं का स्वरूप समझाते हुए चूर्णिकार ने कुछ आख्यान दिये हैं। इनमें से एक आख्यान में निम्नलिखित ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख किया गया है।^४ वर्धमान स्वामी के शिष्य सुधर्मा, सुधर्मा के शिष्य जबू, जबू के शिष्य प्रभव, प्रभव के शिष्य शय्यभव, शय्यभव के शिष्य यशोभद्र, यशोभद्र के शिष्य समूत, समूत के शिष्य स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के दो युगप्रधानशिष्य—आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती, चन्द्रगुप्त का पुत्र बिहुसार, बिहुसार का पुत्र अशोक, अशोक का पुत्र कुणाल।

षष्ठ उद्देश :

आदि के पाँच उद्देशों में गुरु-रघुमास का वर्णन किया गया। प्रस्तुत उद्देश में चातुर्मासिक गुरु का वर्णन है। इसका एकमात्र विषय है मैथुनसम्बन्धी दोषों और प्रायश्चित्तों का वर्णन। 'जे भिक्खू मासग्गाम मेहुणपडियाए विण्णवेत्ति' (सू १) का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार लिखते हैं मातिसमाणो गामो सातुगामो, मरहट्टविसयभासाए वा इत्थी मासग्गामो भण्णति। मिहुणभावो मेहुण, मिथुनकर्म वा मेहुण-अन्नहामित्यर्थः। मिथुनभावप्रतिपत्तिः। अथवा पडिया मैथुनसेवनप्रतिज्ञेत्यर्थः। विज्ञापना प्रार्थना अथवा तद्भावसेवन विज्ञापना, इह तु प्रार्थना परिगृह्यते।

१ पृ० ३०७ (गा० १८९५)

२ वही

३ पृ० ३४१

४ पृ० ३६०-३६१

सुत्तत्थो ।^१ मातृसमूह अर्थात् माताओं के समान नारियों के वृद्ध को मातृग्राम—माउग्गाम कहते हैं । अथवा सामान्य स्त्री वर्ग को माउग्गाम कहना चाहिए जैसा कि मराठी में स्त्री को माउग्गाम कहा जाता है । मिथुनभाव अथवा मिथुनकर्म को मैथुन—मेहुग कहते हैं । पडिया—प्रतिज्ञा का अर्थ है मैथुनसेवन की प्रतिज्ञा । विण्णवणा—विज्ञापना का अर्थ है प्रार्थना । जो साधु मैथुनसेवन की कामना से किसी स्त्री से प्रार्थना करता है उसके लिए चातुर्मासिक गुरु प्रायश्चित्त का विधान है ।

मातृग्राम तीन प्रकार का है दिव्य, मानुष और तिर्यक् । इनमें से प्रत्येक के दो भेद हैं • देहयुक्त और प्रतिमायुक्त । देहयुक्त के पुनः दो भेद हैं : सजीव और निर्जीव । प्रतिमायुक्त भी दो प्रकार का है सन्निहित और असन्निहित । विज्ञापना दो प्रकार की होती है अवभाषणता—प्रार्थना और तद्भावासेवनता—मैथुनासेवन ।^२ आचार्य ने इन भेद-प्रभेदों का विस्तृत विवेचन किया है ।

‘जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए लेह लिहति’ (सू १३) की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने कामियों के प्रेम पत्र-लेखन का विश्लेषण किया है और बताया है कि लेख दो प्रकार का होता है • छन्न अर्थात् अप्रकाशित और प्रकट अर्थात् प्रकाशित । छन्न लेख तीन प्रकार का है लिपिछन्न, भाषाछन्न और अर्थछन्न ।^३ आचार्य ने इनका स्वरूप बताया है ।

उद्देश के अन्त में यह बताया गया है कि जो बातें पुरुषों के लिए कही गई हैं उन्हीं का स्त्रियों के लिए भी उपयोग कर लेना चाहिए । भिक्षु के स्थान पर भिक्षुणी रख कर मातृग्राम की जगह पितृग्राम का प्रयोग कर लेना चाहिए । जैसा कि चूर्णिकार कहते हैं : पुरिसाणं जो गमो इत्थीवग्गो भणितो जहा—‘भिक्खू माउग्गाम मेहुणवडियाए । विण्णवेति’ एस इत्थीण पुरिसवग्गो वत्तव्वो—‘जा भिक्खुणी वि पिउग्गाम मेहुणवडियाए विण्णवेइ ।’^४

सप्तम उद्देश :

षष्ठ उद्देश के अन्तिम सूत्र में विकृत आहार का निषेध किया गया है । यह निषेध आभ्यन्तर आहार की दृष्टि से है । सप्तम उद्देश के प्रथम सूत्र में कामी भिक्षु के लिए इस बात का निषेध किया गया है कि पत्र-पुष्पादि की मालाएं न तो स्वयं बनाए, न औरों से बनवाए इत्यादि । यह निषेध काम के बाह्य

आहार की दृष्टि से है। इसी प्रकार कुडल, मुक्तावली, कनकावली आदि के बनाने, धारण करने आदि का भी आगे के सूत्रों में निषेध किया गया है। चूर्णिकार ने कुडल आदि का स्वरूप इस प्रकार बताया है कुडलं कण्णाभरणं, गुणं कडीसु तयं, मणी सूर्यमणीमादय, तुडिय वाहुरक्त्रिया, तिण्णि सरातो तिसरियं, वालभा मवडादिमु ओचूला, अगारीण वा गलोलइया, नाभि जा गच्छइ सा पलवा, सा य उलंवा भण्णति। अट्टारसलयाओ हारो, णवसु अड्ढहारो, विचित्तेहि एगसरा एगावली, मुत्तएहि मुत्तावली, सुवण्णमणिएहि कणगावली, रयणाहि रयणावली, उरगुलो सुवण्णओ पट्टो, त्रिकुटो मुकुटः।^१ इसमें कुडल, गुग, मणि, तुडिय, तिसरिय, वालभा, पलवा, हार, अर्धहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, पट्ट और मुकुट—इन आभूषणों का स्वरूप-वर्णन है।

‘जे भिक्खू माच्चगामस्स मेहुणवड्डियाए अण्णयर पसु-जायं वा पक्खि-जाय वा आलिंगेज्ज’ (सू. ८४) का विवेचन करते हुए आचार्य ने पशु पक्षी के आलिंगन आदि का निषेध किया है तथा आलिंगन, परिष्वजन, चुबन, छेदन और विच्छेदनरूप काम क्रीडाओं का स्वरूप बताया है। वह इस प्रकार है आलिंगन स्पृशन, चपगूहन परिष्वजन, मुखेन चुबन, दत्तादिभिः सकृत् छेदन, अनेकशो विच्छेदः, विविधप्रकारो वा च्छेदः विच्छेदः।^१ सामान्य रीति से स्पर्श करना आलिंगन है। गाढ आलिंगन का नाम परिष्वजन अथवा उपगूहन है। चुम्बन मुख से किया जाता है। दत्त आदि से एक बार काटना छेदन तथा अनेक बार काटना अथवा अनेक प्रकार से काटना विच्छेदन है।

अष्टम उद्देशः

सप्तम उद्देश के अन्तिम सूत्र में स्त्री और पुरुष के आकारों के विषय में कुछ आवश्यक बातें कही गई हैं। अष्टम उद्देश के प्रारम्भ के सूत्र में यह बताया गया है कि अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ विहार, स्वाध्याय आदि न करे जिससे कामकथा आदि का अवसर प्राप्त न हो। कामकथा लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार की होती है। नरवाहनदत्तकथादि लौकिक कामकथाएँ हैं। तरगवती, मलयवती, मगधसेन आदि की कथाएँ लोकोत्तर कामकथा के उदाहरण हैं।^२

- 'जे भिक्खू उज्जाणंसि जा उज्जाण-गिहंसि चा . ' (सू० २९)
 आदि सूत्रों की व्याख्या में रुद्यान, उद्यानग्रह, उद्यानशाला, निर्याण, निर्याणग्रह, निर्याणशाला, अट्ट, अट्टालक, चरिका, प्राकार, द्वार, गोपुर, दक, दकमार्ग, दकपथ, दकतीर, दकस्थान, शून्यग्रह, शून्यशाला, भिन्नग्रह, भिन्नशाला, कूटागार, कोष्ठागार, तृणग्रह, तृणशाला, तुषग्रह, तुषशाला, छुसग्रह, छुसशाला, पर्याय-ग्रह, पर्यायशाला, कर्मान्तग्रह, कर्मान्तशाला, महाग्रह, महाकुल, गोग्रह और गोशाला का अर्थ स्पष्ट किया गया है^१ और बताया गया है कि साधु इन स्थानों में अकेली स्त्री के साथ विहार आदि न करे ।

रात्रि के समय स्वजन आदि के साथ रहने का प्रतिषेध करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो साधु स्वजन, अस्वजन, श्रावक, अश्रावक आदि के साथ अर्ध रात्रि अथवा चतुर्थोश रात्रि अथवा पूर्ण रात्रि पर्यन्त रहता है अथवा रहने वाले का समर्थन करता है उसके लिए चतुर्गुरु प्रायश्चित्त है ।^२ इसी प्रकार रात्रि के समय भोजन के अन्वेषण, ग्रहण आदि के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ।

नवम उद्देश :

अष्टम उद्देश के अन्तिम सूत्र में भोजन अर्थात् पिण्ड का विचार किया गया है । नवम उद्देश के प्रारम्भ में भी इसी विषय पर थोड़ा-सा प्रकाश डाला गया है । 'जे भिक्खू रायपिंड गेण्हइ ' 'जे भिक्खू रायपिंड भुंजइ ' (सू० १-२) का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार इस बात का विचार करते हैं कि साधु को किस प्रकार के राजा के यहाँ से पिण्ड ग्रहण नहीं करना चाहिए ? जो मूर्धाभिषिक्त है अर्थात् जिसका प्रधानरूप से अभिषेक किया गया है तथा जो सेनापति, अमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठ और सार्थवाह सहित राज्य का भोग करता है उसका पिण्ड साधु के लिए वर्जित है । शेष राजाओं के विषय में निषेध का एकान्त नियम नहीं है अर्थात् जहाँ दोष प्रतीत हो वहाँ का पिण्ड वर्जित है, जहाँ दोष न हो वहाँ का ग्रहणीय है । राजपिण्ड आठ प्रकार का है जिसमें भोजन के सिवाय अन्य वस्तुओं का भी समावेश है । वे आठ प्रकार ये हैं चार प्रकार का आहार—अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य तथा वस्त्र, पात्र, कञ्ज और पादप्रोक्षणक ।^३

साधु को राजा के अन्त पुर में प्रवेश करने की मनाही करते हुए आचार्य ने तीन प्रकार के अन्त पुरों का वर्णन किया है : जीर्णान्त पुर, नवान्त पुर और

कन्यकान्त.पुर। जिनका यौवन नष्ट हो जाता है तथा जो भोग के अयोग्य हो जाती हैं वे स्त्रियाँ जीर्णान्तःपुर में रहती हैं। जिनमें यौवन विद्यमान है तथा जो भोग के काम में ली जाती हैं वे नवान्त पुर में बास करती हैं। राजकन्याएँ जब तक यौवन को प्राप्त नहीं होती हैं तब तक उनका समग्र कन्यकान्त पुर में किया जाता है। इनमें से प्रत्येक के क्षेत्र की दृष्टि से दो भेद किये जाते हैं स्वस्थानस्थ और परस्थानस्थ। स्वस्थानस्थ का अर्थ है राजशह में ही रहनेवाली। परस्थानस्थ का अर्थ है वसतादि में उद्यान में रहने वाली। एतद्विषयक भाष्यगाथा एव चूर्णि इस प्रकार है :

भाष्य :—अंतैर च तिविधं, जुण्ण णवं चेव कण्णगणं च ।

एक्केक्क पि य दुविधं सट्ठाणे चेव परठाणे ॥ २५१३ ॥

चूर्णि :—रण्णो अंतैपुर तिविधं—ण्हसियजोवणाओ अपरिभुज्जमाणीओ अच्छंति, एयं जुण्णतेपुर । जोवणयुत्ता परिभुज्जमाणीओ नवतेपुरं । अप्पत्तजोवणाण रायदुहियाण सगहो कन्तैपुरं । त पुण खेत्ततो एक्केक्क दुविध—सट्ठाणे परट्ठाणे य । सट्ठाणत्थ रायघरे चेव, परट्ठाणत्थ वसतादिसु उज्जाणियागय ।

‘जे भिक्खू रण्णो खत्तियाण ’ (सू० ७) का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने कोष्ठागार आदि का स्वरूप इस प्रकार बताया है . जिसमें ७७ प्रकार का धान्य हो वह कोष्ठागार है। जिसमें १६ प्रकार के रत्न हों वह भांडागार है। जहाँ सुरा, मधु आदि पानक सगृहीत हों वह पानागार है। जहाँ दूध, दही आदि हों वह क्षीरशह है। जहाँ ७७ प्रकार का धान्य कूटा जाता हो अथवा जहाँ गज अर्थात् यव पड़े हों वह गजशाला है। जहाँ अशन, पान आदि विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार होते हों वह महानसशाला है जत्थ सणसत्तरसाणि धण्णाणि कोट्ठागारो। भडागारो जत्थ सोलसविहाइ रयणाइ । पाणागार जत्थ पाणियकम्म तो सुरा मधु-सीधु-खड्गं मच्छंढिय-सुद्धिद्यापभिच्चीणि पाणगाणि । खीरघर जत्थ खीर-दधि-णवणीय-तक्का दीणि अच्छति । गजसाला व जत्थ सणसत्तरसाणि धण्णाणि कोट्टिज्जति, अहवा गजा जवा ते जत्थ अच्छति सा गजसाला । महाणससाला जत्थ असणपाणखाविमादीणि पाणाविहभवखे उवक्खड्डिज्जति ।’ इसी प्रकार नट, नट्ट, जल्ल, मल्ल, कथक, प्पक्क, लसक आदि का अर्थ बताया गया है ।

दशम उद्देश :

इस उद्देश की चूर्णि बहुत विस्तृत है। बीच बीच में दृष्टान्त के रूप में कथानक भी दिये गये हैं। इसमें मुख्यरूप से निम्न विषयों का विवेचन है : भाषा की अगाढ़ता, परुषता आदि तथा तत्सम्बन्धी विविध प्रायश्चित्त, आधा-कर्मिक आहार के दोष एव प्रायश्चित्त, ग्लान की वैयावृत्य सम्बन्धी यतना, उपेक्षा एव प्रायश्चित्त, वर्षावास, पर्युषणा, परिवसना, पर्युपशमना, प्रथम समवसरण, स्थापना और ज्येष्ठग्रह की एकार्यकता, सार्थकता, विधिवत्ता आदि। इसी में आर्य कालक की कथा भी दी गई है। विद्यात्रल आदि की सिद्धि का वर्णन करते हुए चूर्णिकार कहते हैं : जहा—कालगऽब्जेण गद्भिस्सो सासिओ । को उ गद्भिस्सो ? को वा कालगऽब्जो ? कस्मि वा कब्जे सासितो ? भणति ।^१ यह कह कर उन्होंने संक्षेप में आर्य कालक, उनकी भगिनी रूपवती और उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल का पूरा कथानक दिया है।

एकादश उद्देश :

दशम उद्देश के अंतिम सूत्र में वस्त्र ग्रहण पर प्रकाश डाला गया है। एकादश उद्देश के प्रारंभ में पात्र-ग्रहण की चर्चा है। इस उद्देश का तृतीय एव षष्ठ सूत्र चूर्णि में नहीं है। इसी प्रकार अन्य उद्देशों में भी कुछ सूत्रों की न्यूनाधिकता है। 'जे भिक्खू अप्पाणं बीभावेति ' 'जे भिक्खू परं बीभावेति ' (सू० ६४-५) की व्याख्या में चूर्णिकार ने भय के चार एव सात भेदों की चर्चा की है। भय के चार भेद ये हैं १ पिशाचादि से उत्पन्न भय, २ मनुष्यादि से उत्पन्न भय, ३ वनस्पति आदि से उत्पन्न भय, और ४. निहंतुक अर्थात् अकस्मात् उत्पन्न होनेवाला भय। भय के सात भेद इस प्रकार हैं १ इहलोकभय, २ परलोकभय, ३ आदानभय, ४ आजीवनाभय, ५. अकस्माद्भय, ६ मरणभय और ७ अश्लोकभय।^१ इन भेदों का जैन साहित्य में साधारणतया उल्लेख पाया जाता है। चूर्णिकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इन सात भेदों का चार भेदों में कैसे समावेश हो सकता है ? जो साधु खुद को अथवा दूसरे को अथवा दोनों को डराता है उसके लिए भय का कारण विद्यमान होने की दशा में चतुर्लघु तथा भविष्यमान होने की अवस्था में चतुर्गुरु प्रायश्चित्त का विधान है।

अयोग्य दीक्षा का निषेध करने वाले सूत्र 'जे भिक्खू णायगं वा अणलं वा पञ्चावेइ, पञ्चावेतं वा सातिब्जति' (सू. ८४) का विवेचन करते हुए आचार्य ने अड़तालीस प्रकार के व्यक्तियों को प्रव्रज्या के लिए अयोग्य माना है। इनमें अठारह प्रकार के पुरुष हैं, बीस प्रकार की स्त्रियाँ हैं और दस प्रकार के नपुंसक हैं। बालदीक्षा का निषेध करते हुए बाल के तीन भेद किये हैं उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। सात-आठ वर्ष की आयु का बालक उत्कृष्ट बाल है। पाँच छः वर्ष की आयु का बालक मध्यम बाल है। चार वर्ष तक की आयु का बालक जघन्य बाल है।^१ इसी प्रकार बृद्ध, जड़, रोगी, उन्मत्त, मूढ़ आदि अयोग्य पुरुषों का भी भेदोपभेदपूर्वक वर्णन किया गया है। पडक आदि सोलह प्रकार के नपुंसकों^२ का वर्णन भी आचार्य ने विस्तार से किया है। व्याधित पुरुष का स्वरूप बताते हुए सोलह प्रकार के रोग एव आठ प्रकार की व्याधि के नामों का उल्लेख किया है।^३ व्याधि का नाश शीघ्र हो सकता है जबकि रोग का नाश देर से होता है : आशुघातित्वाद् व्याधिः, चिरघातित्वाद् रोगः ।^४

बालमरण, पण्डितमरण आदि के विस्तृत विवेचन के साथ प्रस्तुत उद्देश की चूर्णि समाप्त होती है।

द्वादश उद्देश :

इस उद्देश की चूर्णि में चतुर्लघु प्रायश्चित्त के योग्य दोषों का वर्णन किया गया है। इन दोषों में मुख्यतः त्रस प्राणिविषयक बन्धन और मुक्ति, प्रत्याख्यान-भग, सलोम चर्मोपयोग, तृणादिनिर्मित पीठक का अधिष्ठान, निर्ग्रन्थों के लिए निर्ग्रन्थ द्वारा सघाटी सिलाने की व्यवस्था, पुर कर्मकृत हस्त से आहारादि का ग्रहण, शीतोदकयुक्त हस्तादि से आहारादि का ग्रहण, चक्षुरिन्द्रिय की बुद्धि के लिए निर्झर आदि का निरीक्षण, प्रथम प्रहर के समय आहारादि का ग्रहण, व्रण पर गोमय—गोबर का लेप आदि का समावेश है।

त्रयोदश उद्देश :

इस उद्देश में भी चतुर्लघु प्रायश्चित्त के योग्य दोषों का विचार किया गया है। क्षिग्ध पृथ्वी, शिला आदि पर कायोत्सर्ग करना, ग्रहस्य आदि को परुष बचन सुनाना, उन्हें मत्र आदि बताना, लाम की बात बता कर प्रसन्न करना,

हानि की बात बताकर खिन्न करना, घातु आदि के स्थान ब्रताना, वमन करना, विरेचन लेना, आरोग्य के लिए प्रतिकर्म करना, पार्श्वस्थ को वदन करना, पार्श्वस्थ की प्रशसा करना, कुशील को वदन करना, कुशील की प्रशसा करना, धात्रीपिंड का भोग करना, दूतीपिंड का भोग करना, निमित्तपिंड का भोग करना, चिकित्सापिंड का भोग करना, क्रोधादिपिंड का भोग करना आदि कार्य चतुर्लघु प्रायश्चित्त के योग्य हैं। प्रस्तुत उद्देश के अन्त में^१ निम्न गाथा में चूर्णिकार के पिता का नाम दिया हुआ है :

सकरजडमउडविभूसणस्स तण्णामसरिसणामस्स ।

तस्स सुतेणस्स कत्ता, विसेसचुण्णी णिसीहरस्स ॥

चतुर्दश उद्देश :

इस उद्देश में भी उपर्युक्त प्रायश्चित्त के योग्य अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पात्र खरीदना, अतिरिक्त पात्रों का संग्रह करना, पात्र ठीक तरह से न रखना, वर्णयुक्त पात्र को विवर्ण बनाना, विवर्ण पात्र को वर्णयुक्त करना, पुराने पात्र से छुटकारा पाने की अनुचित कोशिश करना, सच्चित्त आदि भूमि पर पात्र रखना इत्यादि पात्रविषयक अनेक दोषों का दिग्दर्शन करते हुए आचार्य ने एतत्सम्बन्धी आवश्यक यतनाओं का यत्र-तत्र उल्लेख किया है।

पचदश उद्देश :

साधु को सच्चित्त आम आदि खाने की मनाही करते हुए आचार्य ने आम्र का नामादि निक्षेपों से व्याख्यान किया है। द्रव्याम्र चार प्रकार का है उस्सेतिम, ससेतिम, उवक्खड और पलिय। इन चारों प्रकार के आमों का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने पलिय आम के पुनः चार विभाग किये हैं : इधनपलियाम, धूमपलियाम, गघपलियाम और वृक्षपलियाम। इनके स्वरूप पर भी प्रस्तुत उद्देश में प्रकाश डाला गया है।^२ इसी प्रसंग पर तालप्रलम्ब आदि के ग्रहण की विधि का साधु और साध्वी दोनों की दृष्टि से विचार किया गया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का भी यथाविधि व्याख्यान किया गया है। अन्त में^३ निम्नोक्त गाथा में चूर्णिकार की माता का नाम दिया हुआ है :

रतिकरममिधाणऽक्खरसत्तमवग्गतअक्खरजुएणं ।

णाम जस्सिस्थीए, सुतेण तस्से कया चुण्णी ॥

षोडश उद्देश :

पन्द्रहवें उद्देश में देहविभूषाकरण और उज्ज्वलोपधिधारण का निषेध किया गया है जिससे कि ब्रह्मव्रत की विराधना न हो। सोलहवें उद्देश में भी अगुति अथवा ब्रह्मविराधना न हो इसी दृष्टि से सागारिकवसति का निषेध किया गया है। इस उद्देश के प्रथम सूत्र 'जे भिक्खू सागरियसेज्ज अणुपविसइ' का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि जो सागारिकवसति ग्रहण करता है उसे आज्ञाभंग आदि दोष लगते हैं और उसके लिए चतुर्लघु प्रायश्चित्त का विधान है सह आगारीहिं सागारिया, जो त गेण्हति वसहिं तस्स आणादी दोसा, चउलहु च से पच्छित्तं।^१ 'सागारिक' शब्द का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि जहाँ निवास करने से मैथुन का उद्भव होता है वह सागारिकवसति है। वहाँ के लिए चतुर्गुरु प्रायश्चित्त है। अथवा जहाँ स्त्री पुरुष रहते हैं वह सागारिकवसति है। वहाँ के लिए भी चतुर्गुरु प्रायश्चित्त है जत्थ वसहीए ठियाणं मेहुणुब्भवो भवति सा सागारिका, तत्थ चउगुरुगा। अथवा जत्थ इत्थिपुरिसा वसति सा सागारिका।^२ पण्यशाला आदि में ठहरने का निषेध करते हुए चूर्णिकार ने निम्न स्थानों का वर्णन किया है

१ पण्यशाला—जहाँ व्यापारी अथवा कुम्भकार बर्तन बेचता है।

२ भडशाला—जहाँ बर्तनों का सग्रह रखा जाता है।

३. कर्मशाला—जहाँ कुम्भकार बर्तन बनाता है।

४ पचनशाला—वहाँ बर्तन पकाये जाते हैं।

५ इधनशाला—जहाँ घासफूस एकत्र किया जाता है।

६ व्यधारणशाला—जहाँ सारे गाँव के लिए दिन रात अग्नि जन्ती रहती है।

एतद्विषयक चूर्णिपाठ इस प्रकार है : पणियशाला जत्थ भायणाणि विक्केति वाणियकुम्भकारो वा एसा पणियशाला। भडशाला जहिं भायणाणि सगोवियाणि अच्छति। कम्मशाला जत्थ कम्म करेति कुम्भकारो। पचणशाला जहिं पच्चति भायणाणि। इंधणशाला जत्थ तण-करिसभारा अच्छति। वग्धारणशाला तोसलिविसए गाममज्जे साला कीरइ, तत्थ अगणिकुड णिच्चमेव अच्छति सयवरणिमित्तं।^१

जुगुप्सित—शृणित कुलों से आहार आदि ग्रहण करने का निषेध करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जुगुप्सित दो प्रकार के होते हैं - इत्वरिक और यावत्क-

थिक। इत्वरिक योड़े समय के लिए होते हैं जबकि यावत्कथिक जीवनभर के लिए होते हैं। सूतक आदि वाले कुल इत्वरिक जुगुप्सित कुल हैं। लोहकार, कलाल, चर्मकार आदि यावत्कथिक-जुगुप्सित कुल हैं।^१ इन कुलों से साधु को आहार आदि नहीं लेना चाहिए।

भ्रमणों को आर्यदेश में ही विचरना चाहिए, अनार्यदेश में नहीं। प्रस्तुत चूर्णि में आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई गई है : पुठ्वेण भगहविसओ, दक्खिण्ण कोसबी, अवरेण थूणाविसओ, उत्तरेण कुणालाविसओ। एतेसिं मज्झ आरिय, परतो अणारिय।^२ पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में स्थूणापर्यन्त और दक्षिण में कौशावी से लेकर उत्तर में कुणालापर्यन्त आर्य-देश है। शेष अनार्यदेश है। यही मान्यता भाष्यकार आदि की भी है।

सप्तदश उद्देश :

इस उद्देश के प्रारम्भ में कुतूहल—कौतुक के कारण होनेवाली दोष-पूर्ण क्रियाओं का निषेध किया गया है। आगे दस प्रकार के स्थितकल्प और दो प्रकार के स्थापनाकल्प का स्वरूप बताया गया है। 'जे भिक्खू गाएज्ज .'
(सू १३४) का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने गीत, हसन, वाद्य, नृत्य, अभिनय आदि का स्वरूप बताया है तथा इनका आचरण करने वाले भ्रमण के लिए चतुर्लघु प्रायश्चित्त का विधान किया है।^३ इसी प्रकार शल, शृग, वेणु आदि के विषय में भी समझना चाहिए।^४

अष्टादश उद्देश :

इस उद्देश की चूर्णि में मुख्यरूप से नावविषयक दोषों का विवेचन किया गया है। इन दोषों में नाव पर आरूढ होना, नाव खरीदना, नाव को स्थल से जल में और जल से स्थल पर पहुँचाना, भरी नाव का पानी खाली करना, खाली नाव में पानी भरना, नाव को खींचना, नाव को टकैलना, नाव खेना, नाव को रस्ती आदि से बाँधना, नाव में बैठे हुए किसी से आहारादि लेना इत्यादि का समावेश किया गया है।

एकोनविंशतितम उद्देश :

प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में चूर्णिकार ने स्वाध्याय और अध्यापन सम्बन्धी नियमों पर विशेष प्रकाश डाला है। स्वाध्याय का काल और अकाल, स्वाध्याय

का विषय और अविषय, अस्वाध्यायिक का स्वाध्याय करने से लगने वाले दोष, अयोग्य व्यक्ति को पढ़ाने से होनेवाली हानि, दो तुल्य व्यक्तियों में से एक को पढ़ाने और दूसरे को नहीं पढ़ाने से लगने वाला दोष और उसका प्रायश्चित्त, पार्श्वस्थ आदि कुतीर्थियों को पढ़ाने से लगने वाले दोष, गृहस्थ आदि को पढ़ाने से लगने वाले दोष—इन सब बातों का आचार्य ने विस्तार से विचार किया है।

विंशतितम उद्देशः :

यह अन्तिम उद्देश है। इसकी चूर्णि में मासिकादि परिहारस्थान तथा उनके प्रतिसेवन, आलोचन, प्रायश्चित्त आदि का विवेचन किया गया है। साथ ही भिक्षु, मास, स्थान, प्रतिसेवना और आलोचना का निक्षेप पद्धति से व्याख्यान किया गया है।^१ अन्त में^२ चूर्णिकार के परिचय के रूप में निम्न गाथाएँ हैं

ति च च पण अट्टमवग्गे, ति पणग ति तिग अक्खरा व ते तेसिं ।

पढमततिएहि तिदुसरज्जुएहि णाम कय जस्स ॥ २ ॥

गुरुदिण्ण च गणित्त, महत्तरत्त च तस्स तुट्ठेहिं ।

तेण कएसा चुण्णी, विसेसनामा निसीहस्स ॥ ३ ॥

अ, क, च, ट, त, प, य और श—इन वर्णों के अक्षरों का प्रथम गाथा के निर्देशानुसार सयोग करने से 'जिणदास' शब्द बन जाता है। दूसरी गाथा में 'गणि' और 'महत्तर' शब्दों का निर्देश है। इस प्रकार इन तीनों शब्दों का क्रमशः सयोग करने पर 'जिणदासगणिमहत्तर' शब्द बन जाता है। प्रस्तुत चूर्णि जिणदासगणि महत्तर की कृति है। इसका नाम, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, निशीथ-विशेषचूर्णि अथवा विशेष-निशीथचूर्णि है।



द्वादश प्रकरण

दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि

यह चूर्णि^१ मुख्यतया प्राकृत में है। कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों अथवा वाक्यों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। चूर्णि का आधार मूल सूत्र एव निर्युक्ति है। प्रारम्भ में चूर्णिकार ने परम्परागत मंगल की उपयोगिता का विचार किया है। तदनन्तर प्रथम निर्युक्ति-गाथा का व्याख्यान किया है।

वंदामि भद्रबाहुं, पाईणं चरमसयलसुअनाणिं ।

सुत्तस्स कारगमिस्सिं, दसासु कप्पे अ ववहारे ॥ १ ॥

भद्रबाहु नामेण, पाईणो गोत्तेण, चरिमो अपच्छिमो, सगला इचोदस-पुव्वाइ । किं निमित्तं नमोक्कारो तस्स कव्वज्जति ? उच्यते-जेण सुत्तस्स कारओ ण अत्थस्स, अत्थो तित्थगरातो पसूतो । जेण भण्णति-अत्थं भासति अरहा । इसके बाद श्रुत का वर्णन किया गया है। तदनन्तर दशाश्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उनका क्रमशः व्याख्यान किया गया है। व्याख्यान शैली सरल है। मूल सूत्रपाठ और चूर्णिसम्मत पाठ में कहीं कहीं थोड़ा सा अन्तर दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के रूप में कुछ शब्द नीचे उद्धृत किये जाते हैं। ये शब्द आठवें अध्ययन कल्प के अन्तर्गत हैं^२।

१. इस चूर्णि की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त हुई अतः उनका अति आभारी हूँ। इसका आठवाँ अध्ययन कल्पसूत्र के नाम से अलग प्रकाशित हुआ है जिसमें मूल सूत्रपाठ, निर्युक्ति, चूर्णि और पृथ्वी-चन्द्राचार्यविरचित टिप्पणक सम्मिलित हैं : सपादक-मुनि श्री पुण्यविजयजी, गुजराती भाषान्तर-प० बेचरदास जीवराज दोशी, चित्रविवरण-साराभाई मणिलाल नवाब, प्राप्तिस्थान-साराभाई मणिलाल नवाब, छीपा मावजीनी पोल, अहमदाबाद, सन् १९५२

२. मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा स्वीकृत पाठ के आधार पर इन शब्दों का समग्र किया गया है।

सूत्रांक	सूत्रपाठ	चूर्णिपाठ
३	पुब्बरत्तावरत्तकालसमयसि	पुब्बरत्तावरत्तसि
१४	मुहग	मुख
६१	पट्टेहिं कुसलेहिं मेहावीहिं जिय	पट्टेहिं णिठणेहिं जिय
६२	उण्होदएहि य	—
१०७	पित्तिज्जे	पेत्तेज्जए
१२२	अतरावास	अतरवास
१२३	अत्तगढे	—
२३२	पज्जोसवियाणं	पज्जोसविण
२८१	अणट्ठाबधिस्स	अट्ठाणबधिस्स

इस प्रकार के पाठभेदों के अतिरिक्त सूत्र-विपर्यास भी देखने में आते हैं। उदाहरण के लिए इसी अध्ययन के सूत्र १२६ और १२७ चूर्णि में विपरीत रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार आचार्य पृथ्वीचन्द्रविरचित कल्प-टिप्पणक में भी अनेक जगह पाठभेद दिखाई देता है।



त्रयादश प्रकरण

बृहत्कल्पचूर्णि

यह चूर्णि^१ मूल सूत्र एव लघु भाष्य पर है। इसकी भाषा संस्कृतमिश्रित प्राकृत है। प्रारम्भ में मंगल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत चूर्णि का प्रारम्भ का यह अंश दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि के प्रारम्भ के अंश से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इन दोनों अंशों को यहाँ उद्धृत करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें कितना साम्य है।

मंगलादीणि सत्थाणि मंगलमञ्जाणि मंगलावसाणाणि । मंगलपरिग्ग-
हिया य सिस्सा सुत्तथाण अवग्गहेहापायधारणासमत्था भवन्ति । तानि
चाऽऽदि-मध्याऽवसानमंगलात्मकानि सर्वाणि लोके विराजन्ति विस्तारं च
गच्छन्ति । अनेन कारणेनादौ मंगलं मध्ये मंगलमवसाने मंगलमिति । आदि
मंगलग्रहणेणं तस्स स सत्थस्स अविग्घेण लहु पारं गच्छन्ति । मञ्जमंगल-
ग्रहणेण त सत्थ थिरपरिजियं भवइ । अवसाणमंगलग्रहणेणं त सत्थं
सिस्स-पसिस्सेसु अन्वोच्छित्तिकर भवइ । तत्रादौ मंगल पापप्रतिपेधक
त्वादिदं सूत्रम्

—बृहत्कल्पचूर्णि, पृ० १

मंगलादीणि सत्थाणि मंगलमञ्जाणि मंगलावसाणाणि मंगल-
परिग्गहिता य सिस्सा अवग्गहेहापायधारणासमत्था अविग्घेण सत्थाण
पारगा भवन्ति । तानि य सत्थाणि लोके विचरन्ति वित्थार च गच्छन्ति ।
तत्थादिमंगलेण निन्विग्घेण सिस्सा सत्थस्स पार गच्छन्ति । मञ्जमंगलेणं
सत्थं थिरपरिचियं भवइ । अवसाणमंगलेणं सत्थ सिस्स-पसिस्सेसु परिचयं
गच्छन्ति । तत्थादिमंगलं

—दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि, पृ० १

इन दोनों पाठों में बहुत समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दशाश्रुत-
स्कन्धचूर्णि के पाठ के आधार पर बृहत्कल्पचूर्णि का पाठ लिखा गया। दशाश्रुत-
स्कन्धचूर्णि का उपर्युक्त पाठ संक्षिप्त एवं संकोचशील है, जबकि बृहत्कल्पचूर्णि का

१ इस चूर्णि की हस्तलिखित प्रति के लिए मुनि श्री पुण्यविजयजी का-
कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपनी निजी सशोधित प्रति मुझे देने की कृपा की।

पाठ विशेष स्पष्ट एवं विकसित प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से भी दशाश्रुत-स्कन्धचूर्णि बृहत्कल्पचूर्णि से प्राचीन मालूम होती है। जितना बृहत्कल्पचूर्णि पर संस्कृत का प्रभाव है उतना दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि पर नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि बृहत्कल्पचूर्णि से पूर्व लिखी गई है और सम्भवतः दोनों एक ही आचार्य की कृतियाँ हैं।


प्रस्तुत चूर्णि में भी भाष्य के ही अनुसार पीठिका तथा छ उद्देश हैं। पीठिका के प्रारम्भ में ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हुए चूर्णिकार ने तत्त्वार्था-विगम का एक सूत्र उद्धृत किया है। अवधिज्ञान के जघन्य और उत्कृष्ट विषय की चर्चा करते हुए चूर्णिकार कहते हैं।

जावति ए त्ति जहण्णेण तिसमयाहारगसुहुमपणगजीवावगाहणामेत्ते चक्कोसेण सव्ववहुअगणिजीवपरिच्छित्ते पासइ दब्वादि आदिगहणेण वण्णादि तमिति खेत्तं ण पेच्छति यस्मादुक्तम्—“रूपिष्ववधेः” (तत्त्वार्थ० १-२८) तत्त्वचारुपि खेत्तं अतो ण पेच्छति ।^१

अभिधान अर्थात् वचन और अभिधेय अर्थात् वस्तु इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हुए चूर्णिकार ने भाष्याभिमत अथवा यों कहिये कि जैनाभिमत भेदाभेदवाद का प्रतिपादन किया है। अभिधान और अभिधेय को कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न बताते हुए आचार्य ने ‘वृक्ष’ शब्द के छ भाषाओं में पर्याय दिये हैं—सक्कयं जहा वृक्ष इत्यादि, पागत जहा रुक्खो इत्यादि। देशाभिधान च प्रतीय अनेकाभिधान भवति जधा ओदणो-मागघाणं कूरो लाडाण चोरो दमिलाण इडाकु अधाणं^२। संस्कृत में जिसे वृक्ष कहते हैं वही प्राकृत में रुक्ख, मगध देश में ओदण, लाट में कूर, दमिल—तमिल में चोर और श्रध—आध्र में इडाकु कहा जाता है।

कर्म बन्ध की चर्चा करते हुए एक जगह चूर्णिकार ने विशेषावश्यकभाष्य तथा कर्मप्रकृति का उल्लेख किया है विस्थरेण जहा विसेसावस्सगभासे सामित्त चेव सव्वपगडीणं को केवतियं वधइ खवेइ वा, कत्तिय को उ त्ति जहा कम्मपगडीणं ।^३ इसी प्रकार प्रस्तुत चूर्णि में महाकल्प और गोविन्द-निर्युक्ति का भी उल्लेख है तत्थ नाणे महाकल्पसुयादीण अट्ठाए । दसणे गोविन्दनिज्जुत्तादीण ।^४

चूर्णि के प्रारम्भ की भाँति अन्त में भी चूर्णिकार के नाम का कोई उल्लेख अथवा निर्देश नहीं है। अन्त में केवल इतना ही उल्लेख है, कल्पचूर्णी समाप्ता । ग्रन्थाग्रं ५३०० प्रत्यक्षरगणनयानिर्णीतम् ।^१ ऐसी दशा में किसी अन्य निश्चित प्रमाण के अभाव में चूर्णिकार के नाम का असदिग्ध निर्णय करना अशक्य प्रतीत होता है ।



ट का ङ

टीकाएँ और टीकाकार

टीकाओं से हमारा अभिप्राय सस्कृत टीकाओं से है। निर्युक्तियों, भाष्यों और चूर्णियों की रचना के बाद जैन आचार्यों ने सस्कृत में भी अनेक टीकाएँ लिखीं। इन टीकाओं के कारण जैन साहित्य के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। प्रत्येक आगम-ग्रन्थ पर कम से कम एक टीका तो लिखी ही गई। टीकाकारों ने प्राचीन भाष्य आदि के विषयों का विस्तृत विवेचन किया तथा नये नये हेतुओं द्वारा उन्हें पुष्ट किया। टीकाकारों में हरिभद्रसूरि, शीलाकसूरि, वादिवेताल शान्तिसूरि, अमयदेवसूरि, मलयगिरि, मलघारी हेमचन्द्र आदि प्रमुख हैं। इन आचार्यों के अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक टीकाकारों के नाम मिलते हैं जिनमें से कुछ की टीकाएँ उपलब्ध हैं और कुछ की अनुपलब्ध। कुछ ऐसी टीकाओं की प्रतियाँ अथवा उल्लेख भी मिलते हैं जिनके लेखकों के नाम नहीं मिलते। जिनरत्नकोश आदि में निम्नलिखित ऐसे आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं, जन्होंने आगम साहित्य पर टीकाएँ लिखी हैं —

जिनभद्रगणि, हरिभद्रसूरि, कोट्याचार्य, कोट्यार्य (कोट्यार्य), जिनभट, शीलाकसूरि, गणहस्ती, वादिवेताल शान्तिसूरि, अमयदेवसूरि, द्रोणसूरि, मलयगिरि, मलघारी हेमचन्द्र, देवेन्द्रगणि, नेमिचन्द्रसूरि, श्रीचन्द्रसूरि, श्रीतिलकसूरि, क्षेमकीर्ति, भुवनतुंगसूरि, गुणरत्न, विजयविमल, वानरर्षि, हीरविजयसूरि, शान्तिचन्द्रगणि, जिनहम, हर्षकुल, लक्ष्मीकल्लोलगणि, दानशेखरसूरि, विनयहस, नमिसाधु, ज्ञानसागर, सोमसुन्दर, माणिक्यशेखर, शुभवर्धनगणि, धीरसुन्दर, कुलप्रभ, राजवल्लभ, हितवचि, अजितदेवसूरि, साधुरग उपाध्याय, नगर्षिगणि, सुमतिकल्लोल, हर्षनन्दन, मेघराज वाचक, भावसागर, पद्मसुन्दरगणि, वस्तूरचन्द्र, हर्षवल्लभ उपाध्याय, विवेकहस उपाध्याय, ज्ञानविमलसूरि, राजचन्द्र, रत्नप्रमसूरि, समरचन्द्रसूरि, पद्मसागर, जीवविजय, पुण्यसागर, विनयराजगणि, विजयसेनसूरि, हेमचन्द्रगणि, विशालसुन्दर, सौभाग्यसागर, कीर्तिवल्लभ, कमलसयम उपाध्याय, तपोरत्न वाचक, गुणशेखर, लक्ष्मीवल्लभ, भावविजय, घर्ममदिर उपाध्याय, उदयसागर, मुनिचन्द्रसूरि, ज्ञानशीलगणि, ब्रह्मर्षि, अजितचन्द्र-

सूरि, राजशील, उदयविजय, सुमतिस्वरि, समयसुन्दर, शान्तिदेवस्वरि, सोमविमल-
स्वरि, क्षमारत्न, जयदयाल ।

इन आचार्यों में अनेक ऐसे हैं जिनके ठीक ठीक व्यक्तित्व का निश्चय नहीं हो पाया है । समस्त एक ही आचार्य के एक से अधिक नाम हों अथवा एक ही नाम के एक से अधिक आचार्य हों । इसके लिए विशेष शोध खोज की आवश्यकता है । टीकाओं के लिए आचार्यों ने विभिन्न नामों का प्रयोग किया है । वे नाम हैं : टीका, वृत्ति, विवृति, विवरण, विवेचन, व्याख्या, वार्तिक, दीपिका, अवचूरि, अवचूर्णि, पञ्जिका, टिप्पन, टिप्पनक, पर्याय, स्तत्रक, पीठिका, अक्षरार्थ इत्यादि ।

उपर्युक्त आचार्यों में से जिनके विषय में थोड़ी-बहुत प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है उनका विशेष परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर कुछ प्रकाश डाला जायगा । इन रचनाओं में प्रकाशित टीकाओं की ही मुख्यता होगी ।



द्वितीय प्रकरण

जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति

विशेषावश्यकभाष्यकार आचार्य जिनभद्र द्वारा प्रारम्भ की गई प्राचीनतम प्रस्तुत टीका^१ कोट्यार्य वादिगणि ने पूर्ण की है। आचार्य जिनभद्र ने अपने प्रियतम प्राकृत ग्रन्थ विशेषावश्यकभाष्य का स्वकृत सस्कृतरूप जीवित रखने तथा उसे पाठकों के समक्ष गद्य में प्रस्तुत करने की पवित्र भावना से ही प्रस्तुत प्रयास प्रारम्भ किया था। दुर्भाग्य से वे अपनी यह इच्छा अपने जीवनकाल में पूर्ण न कर सके। परिणामतः वे षष्ठ गणधरवक्तव्य तक की टीका लिखकर ही दिवगत हो गये। टीका का अवशिष्ट भाग कोट्यार्य ने पूर्ण किया।

जिनभद्र ने प्रस्तुत टीका के लिए अलग मगल गाथा आदि न लिखते हुए सीधा भाष्य गाथा का व्याख्यान प्रारम्भ किया है। व्याख्या की शैली बहुत ही सरल, स्पष्ट एवं प्रसादगुणसम्पन्न है। विषय का विशेष विस्तार न करते हुए संक्षेप में ही विषयप्रतिपादन का सफल प्रयास किया है।

व्याख्यानशैली के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं जिनसे उपर्युक्त कथन की यथार्थता की पुष्टि हो सकेगी। भाष्य की प्रथम गाथा है •

कथपवयणप्पणामो, वुच्छं चरणगुणसंगहं सयलं ।
आवस्सयाणुओगं, गुरुवएसाणुसारेण ॥

इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य लिखते हैं

‘प्रोच्यन्ते ह्यनेन जीवादयोऽस्मिन्निति वा प्रवचनम्, अथवा प्रगतं प्रधानं (प्र)शस्तमादौ वा वचनं द्वादशाङ्गम्, अथवा प्रवक्तीति प्रवचनम्, तदुपयोगानन्यत्वाद्वा सङ्घः प्रवचनम्। प्रणमनं प्रणामः,

१ इसकी हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी के प्रसाद से प्राप्त हुई है। इसका प्रथम भाग प० दलसुख मालवणिया द्वारा सम्पादित होकर लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद से सन् १९६६ में प्रकाशित हुआ है।

पूजेत्यर्थः । कृतः प्रवचनप्रणामोऽनेन कृतप्रवचनप्रणामः । 'बुच्छ' वक्ष्ये । चर्यते तदिति चरण—चारित्र, गुणाः—मूलोत्तरगुणाः चरणगुणाः, अथवा चरण—चारित्र गुणग्रहणात् सम्यग्दर्शनज्ञाने, तेषां संग्रहणं सग्रहः । सह कलाभिः सकलः, सम्पूर्ण इत्यर्थः । अस्ति ह्येतद्देशसगृहीतत्वाद् विकलोऽपि सग्रहः, अथ तु समस्तग्राहित्वात् सकलः । कथम् ? सामायिके एव द्वादशाङ्गार्थपरिसमाप्तेः । वक्ष्यते च—“सामाज्यं तु तिविहं ” कश्चासौ ? आवश्यकानुयोगः । अवश्यक्रियानुष्ठानादौ आवश्यकमनुयोजनमनुयोगोऽर्थव्याख्यानमित्यर्थः, आवश्यकस्यानुयोग आवश्यकानुयोगः तमावश्यकानुयोगम् । गृणन्ति शास्त्रार्थमिति गुरवो ब्रुवन्तीत्यर्थः, ते पुनराचार्या अर्हदादयो वा, तदुपदेशः—तदाज्ञा, गुरुरूपदेशानुसारो गुरुरूपदेशानुवृत्तिरित्यर्थः, तथा गुरुरूपदेशानुवृत्त्या-गुरुरूपदेशानुसारेणेति ।

मगलविषयक 'बहुविघ्नाहं', 'त मगलमादी' और 'तस्सेव' इन तीन गाथाओं (गा० १२-१४) का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने कितने सक्षेप में मगल का प्रयोजन बताया है, देखिए

'बहुविघ्नानि श्रेयांसीत्यतः कृतमङ्गलोपचारैरसौ ग्राह्योऽनुयोगो महानिधानवद् महाविद्यावद् वा । तदेतद् मङ्गलमादौ मध्ये पर्यन्ते च शास्त्रस्येष्यते । तत्र प्रथमं शास्त्रपारगमनाय । तस्यैव शास्त्रस्य स्थैर्यहेतोर्मध्यमम् । अव्यवच्छिन्न्यर्थमन्यमिति ।'

आभिनिबोधिक ज्ञान का स्वरूप बताने वाली भाष्यगाथा 'अर्थाभिमुखो' (गा० ८०) की व्याख्या में आचार्य ने इस ज्ञान का लक्षण इस प्रकार बताया है

'अर्थाभिमुखो नियतो बोधोऽभिनिबोधः । स एव स्वार्थिकप्रत्ययोपादानादाभिनिबोधिक । अथवा यथायोगमायोजनीयम्, तद्यथा—आभिनिबोधे भव तेन निर्वृत्त तन्मय तत्प्रयोजन वेत्याभिनिबोधिकम् ।'

आचार्य हरिभद्र ने अपनी आवश्यकवृत्ति में आभिनिबोधिक ज्ञान की इसी व्याख्या को अधिक स्पष्ट किया है ।^१

आचार्य जिनभद्र के देहावसान का निर्देश करते हुए पद्य गणधरवक्तव्यना के अन्त में कहा गया है निर्माप्य पद्यगणधरवक्तव्यं किल द्विचगताः पूज्या अनुयोगमार्गदेशिकजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणाः । अर्थात् छठे गणधरवाट की

१ देखिए—हारिभद्रीय आवश्यकवृत्ति पूर्वार्द्ध, पृ० ७ (१) .

व्याख्या करने के बाद अनुयोगमार्ग का दिग्दर्शन कराने वाले पूज्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण इस लोक से चल बसे। यह वाक्य आचार्य कोट्यार्य ने जिनभद्र की मृत्यु के बाद लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद कोट्यार्य उन्हीं दिवगत आचार्य जिनभद्र को नमस्कार करते हुए निम्न शब्दों के साथ आगे की वृत्ति आरम्भ करते हैं

तानेव प्रणिपत्यातः परमविशिष्टविवरण क्रियते ।
 कोट्यार्यवादिगणिना मन्दधिया शक्तिमनपेक्ष्य ॥ १ ॥
 सघटनमात्रमेतत् स्थूलकमतिसूक्ष्मविवरणपटस्य ।
 शिवभक्त्युपहृतलुब्धकनेत्रवदिदमननुरूपमपि ॥ २ ॥
 सुमतिस्वमतिस्मरणादर्शपरानुवचनोपयोगवेलायाम् ।
 मद्बहुपयुज्यते चेत् गृह्णन्त्वलसास्ततोऽन्येऽपि ॥ ३ ॥

भगवान् महावीर के सातवें गणधर की वक्तव्यता के निरूपण का उद्धाटन करते हुए टीकाकार कोट्यार्यवादिगणि कहते हैं •

अथ सप्तमस्य भगवतो गणधरस्य वक्तव्यतानिरूपणसम्बन्धनाय गाथाप्रपञ्च ।^१

आचार्य कोट्यार्यवादिगणि की निरूपणशैली भी आचार्य जिनभद्र की शैली की तरह ही प्रसन्न एवं सुबोध है। विषय विस्तार कुछ अधिक है पर कहीं-कहीं। कोट्यार्यकृत विवरण के कुछ नमूने नीचे उद्धृत किये जाते हैं।

‘ते पव्वइए सोढं’ इत्यादि सप्तम गणधरवादसम्बन्धी गाथाओं का व्याख्यान करते हुए आचार्य लिखते हैं :

‘हे मौर्यपुत्र ! आयुष्यन् । काश्यप । त्व मन्यसे नारकाः संक्लिष्टाः “ कर्मवशतया परतन्त्रत्वात् स्वयं च दुःखसततत्वात्, इहागन्तुमशक्ता अस्माकमप्यनेन शरीरेण तत्र गन्तुं कर्मवशतयैवाशक्तत्वात् प्रत्यक्षीकरणोपायासम्भवाद् आगमगम्या एव श्रुतिस्मृतिग्रन्थेषु श्रूयमाणा श्रद्धेयाः भवन्तु । ये पुनरमी देवास्ते स्वच्छन्दचारिणः कामरूपाः दिव्यप्रभावाश्च किमिति दर्शनविषय नोपयान्ति किमिह नागच्छन्तीत्यभिप्रायः अवश्यं न सन्ति येनास्मादृशाना प्रत्यक्षा न भवन्ति अतो न सन्ति देवाः ।”

‘तम्हा ज मुत्तमुह’ की व्याख्या में आचार्य मोक्ष के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं

‘मुक्तसुखं तत्त्वं परमार्थः, निष्प्रतीकारप्रसूतित्वात्, परित्यक्तसर्व-
लोकयात्रावृत्तान्तनिःसङ्गयतिसुखवत्, उक्त च—

निर्जितमदमदनाना वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।
विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ॥
अथवान्यथा परमार्थसुखस्वरूपत्वमात्मन आख्यायते ।^१

गुरु को सुखरूप मानते हुए आचार्य ‘सुयससत्थो ’ का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं •

‘सु प्रशसाया निपातः, खानीन्द्रियाणि, शोभनानि खानि यस्य स
सुखः शुद्धेन्द्रिय इत्यर्थः । शुद्धानि प्रशस्तानि वश्यानीन्द्रियाणि यस्य
एतद्विपरीतः असुखः अजितेन्द्रिय इत्यर्थः ।’^२

प्रस्तुत विवरण की समाप्ति करते हुए वृत्तिकार कहते हैं

‘चेति परमपूज्यजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणकृतविशेषावश्यकप्रथमा-
ध्ययनसामायिकभाष्यस्य विवरणमिदं समाप्तम् ।’^३

इसके बाद प्रस्तुत प्रति के लेखक ने अपनी ओर से निम्न वाक्य जोड़ा है •

‘सूत्रकारपरमपूज्यश्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणप्रारब्धा समर्थिता श्री-
कोट्याचार्यवादिगणिमहत्तरेण श्रीविशेषावश्यकलघुवृत्तिः ।’

तदनन्तर लेखन के समय तथा स्थान का उल्लेख किया है

‘सवत् १४९१ वर्षे द्वितीयव्येष्टवदि ४ भूमे श्रीस्तम्भतीर्थे लिखितमस्ति ।’

उपर्युक्त प्रथम वाक्य से स्पष्ट है कि प्रति लेखक ने वृत्तिकार जिनभद्र का नाम तो ज्यों का त्यों रखा किन्तु कोट्यार्य का नाम बदलकर कोट्याचार्य कर दिया । इतना ही नहीं, उनके नाम के साथ महत्तर की उपाधि और लगा दी । परिणामतः कोट्यार्यवादिगणि कोट्याचार्यवादिगणिमहत्तर हो गए । इसी के साथ लेखक ने विशेषावश्यकभाष्यविवरण का नाम भी अपनी ओर से विशेषावश्यकलघु वृत्ति रख दिया है ।



तृतीय प्रकरण

हरिभद्रकृत वृत्तियाँ

हरिभद्रसूरि जैन आगमों के प्राचीन टीकाकार हैं। इन्होंने आवश्यक, दशत्रैकालिक, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, नन्दी, अनुयोगद्वार और पिण्डनिर्युक्ति पर टीकाएँ लिखी हैं। पिण्डनिर्युक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूरी की है।

जैन परम्परा के अनुसार विक्रम संवत् ५८५ अथवा वीर संवत् १०५५ अथवा ई० स० ५२९ में हरिभद्रसूरि का देहावसान हो गया था। इस मान्यता को मिथ्या सिद्ध करते हुए हर्मन जेकोबी लिखते हैं कि ई० स० ६५० में होने वाले घर्मकीर्ति के तात्त्विक विचारों से हरिभद्र परिचित थे अतः यह संभव नहीं कि हरिभद्र ई० स० ५२९ के बाद न रहे हों। हरिभद्र के समय-निर्णय का एक प्रबल प्रमाण उद्योतन का कुवलयमाला नामक प्राकृत ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ शक संवत् ७०० की अन्तिम तिथि अर्थात् ई० स० ७७९ के मार्च की २१वीं तारीख को पूर्ण हुआ था। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में उद्योतन ने हरिभद्र का अपने दर्शन-शास्त्र के गुण के रूप में उल्लेख किया है तथा उनका अनेक ग्रन्थों के रचयिता के रूप में वर्णन किया है।^१ इस प्रमाण के आधार पर मुनि श्री जिनविजयजी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महान् तत्त्वज्ञ आचार्य हरिभद्र और 'कुवलयमाला' कथा के कर्ता उद्योतनसूरि अपरनाम दाक्षिण्यचिह्न दोनों (कुछ समय तक तो अवश्य ही) समकालीन थे। इतनी विशाल ग्रन्थराशि लिखने वाले महापुरुष की आयु कम से कम ६०-७० वर्ष की तो अवश्य हुई होगी। अतः लगभग ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हरिभद्र का जन्म और अष्टम दशक में मृत्यु मान ली जाए तो कोई असंगति प्रतीत नहीं होती। अतः हम ई० स० ७०० से ७७० अर्थात् वि० स० ७५७ से ८२७ तक हरिभद्रसूरि का सत्ता-समय निर्दिष्ट करते हैं।^२

१ जैन साहित्य सशोधक, ख० ३, अ० ३, पृ० २८३

२ वही, ख० १, अ० १, पृ० ५८ और आगे

‘मुक्तसुखं तत्त्वं परमार्थः, निष्प्रतीकारप्रसूतित्वात्, परित्यक्तसर्व-
लोकयात्रावृत्तान्तनिःसङ्गतिसुखवत्, उक्त च—

निर्जितमदमदनाना वाङ्मायमनोविकाररहितानाम् ।
विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ॥
अथवान्यथा परमार्थसुखस्वरूपत्वमात्मन आख्यायते ।”

गुरु को सुखरूप मानते हुए आचार्य ‘सुयसंसत्थो ’ का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं

‘सु प्रशसाया निपातः, खानीन्द्रियाणि, शोभनानि खानि यस्य स
सुखः शुद्धेन्द्रिय इत्यर्थः । शुद्धानि प्रशस्तानि वश्यानीन्द्रियाणि यस्य
एतद्विपरीतः असुखः अजितेन्द्रिय इत्यर्थः ।”

प्रस्तुत विवरण की समाप्ति करते हुए वृत्तिकार कहते हैं

‘चेति परमपूज्यजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणकृतविशेषावश्यकप्रथमा-
ध्ययनसामायिकभाष्यस्य विवरणमिदं समाप्तम् ।”

इसके बाद प्रस्तुत प्रति के लेखक ने अपनी ओर से निम्न वाक्य जोड़ा है .

‘सूत्रकारपरमपूज्यश्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणप्रारब्धा समर्थिता श्री-
कोट्याचार्यवादिगणिमहत्तरेण श्रीविशेषावश्यकलघुवृत्तिः ।’

तदनन्तर लेखन के समय तथा स्थान का उल्लेख किया है

‘सवत् १४९१ वर्षे द्वितीयव्येष्टवदि ४ भूमे श्रीस्तम्भतीर्थे लिखितमस्ति ।’

उपर्युक्त प्रथम वाक्य से स्पष्ट है कि प्रति लेखक ने वृत्तिकार जिनभद्र का नाम तो ज्यों का त्यों रखा किन्तु कोट्यार्य का नाम बदलकर कोट्याचार्य कर दिया । इतना ही नहीं, उनके नाम के साथ महत्तर की उपाधि और लगा दी । परिणामतः कोट्यार्यवादिगणि कोट्याचार्यवादिगणिमहत्तर हो गए । इसी के साथ लेखक ने विशेषावश्यकभाष्यविवरण का नाम भी अपनी ओर से विशेषावश्यकलघु-
वृत्ति रख दिया है ।



तृतीय प्रकरण

हरिभद्रकृत वृत्तियाँ

हरिभद्रसूरि जैन आगमों के प्राचीन टीकाकार हैं। इन्होंने आवश्यक, दशत्रैकालिक, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, नन्दी, अनुयोगद्वार और पिण्डनिर्युक्ति पर टीकाएँ लिखी हैं। पिण्डनिर्युक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूरी की है।

जैन परम्परा के अनुसार विक्रम सवत् ५८५ अथवा वीर सवत् १०५५ अथवा ई० स० ५२९ में हरिभद्रसूरि का देहावसान हो गया था। इस मान्यता को मिथ्या सिद्ध करते हुए हर्मन जेकोबी लिखते हैं कि ई० स० ६५० में होने वाले धर्मकीर्ति के तात्त्विक विचारों से हरिभद्र परिचित थे अतः यह समझ नहीं कि हरिभद्र ई० स० ५२९ के बाद न रहे हों। हरिभद्र के समय-निर्णय का एक प्रबल प्रमाण उद्योतन का कुवलयमाला नामक प्राकृत ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ शक सवत् ७०० की अन्तिम तिथि अर्थात् ई० स० ७७९ के मार्च की २१वीं तारीख को पूर्ण हुआ था। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में उद्योतन ने हरिभद्र का अपने दर्शन-शास्त्र के गुण के रूप में उल्लेख किया है तथा उनका अनेक ग्रन्थों के रचयिता के रूप में वर्णन किया है।^१ इस प्रमाण के आधार पर मुनि श्री जिनविजयजी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महान् तत्त्वज्ञ आचार्य हरिभद्र और 'कुवलयमाला' कथा के कर्ता उद्योतनसूरि अपरनाम दाक्षिण्यचिह्न दोनों (कुछ समय तक तो अवश्य ही) समकालीन थे। इतनी विशाल ग्रन्थराशि लिखने वाले महापुरुष की आयु कम से कम ६०-७० वर्ष की तो अवश्य हुई होगी। अतः लगभग ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हरिभद्र का जन्म और अष्टम दशक में मृत्यु मान ली जाए तो कोई असंगति प्रतीत नहीं होती। अतः हम ई० स० ७०० से ७७० अर्थात् वि० स० ७५७ से ८२७ तक हरिभद्रसूरि का सत्ता-समय निश्चित करते हैं।^१

१ जैन साहित्य सशोधक, ख० ३, अ० ३, पृ० २८३

२ वही, पृ० १, अ० १, पृ० ५८ और आगे

हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्रकूट (चित्तौड़) नगर में हुआ था । आज से लगभग साढ़े बारह सौ वर्ष पूर्व इस नगर में जितारि नामक राजा राज्य करता था । हरिभद्र इसी राजा के राज-पुरोहित थे । इनका पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित होने तथा अनेक विद्याओं में पारगर्त होने के कारण सर्वत्र समादर होता था । इस समादर तथा प्रतिष्ठा के कारण हरिभद्र को कुछ अभिमान हो गया था । वे समझने लगे कि इस समस्त भूखण्ड पर कोई ऐसा पंडित नहीं जो मेरी—अरे मेरी तो क्या, मेरे शिष्य की भी बराबरी कर सके । हरिभद्र अपने हाथ में जम्बू वृक्ष की एक शाखा रखते थे जिससे यह प्रकट हो सके कि समस्त जम्बूद्वीप में उनके जैसा कोई नहीं है । इतना ही नहीं, वे अपने पेट पर एक स्वर्णपट्ट भी बाँधे रहते थे जिससे लोगों को यह मालूम हो जाता कि उनमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि पेट फटा जा रहा है । हरिभद्र ने एक प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि 'जिसके कथन का अर्थ मैं न समझ सकूँगा उसका शिष्य बन जाऊँगा ।'

एक दिन पुरोहितप्रवर हरिभद्र भट्ट पालकी पर चढ़ कर बाजार में घूमने लगे । पालकी के आगे-पीछे 'सरस्वतीकण्ठाभरण', 'वैयाकरणप्रवण', 'न्यायविद्या विचक्षण', 'वादिमतंगजकेसरी', 'विप्रजननरकेसरी' इत्यादि विद्वदावली गूँज रही थी । मार्ग में सर्वत्र शान्ति थी । अकस्मात् लोगों में भगदड़ चालू हो गई । चारों ओर से 'भागो, दौड़ो, पकड़ो' की आवाज आने लगी । हरिभद्र ने पालकी से मुँह निकाल कर देखा तो मालूम हुआ कि एक प्रचण्ड वृष्णकाय हाथी पागल हो गया है और लोगों को रौंदता हुआ बढ़ता चला आ रहा है । यह देखकर पालकी उठाने वाले लोग भी भाग खड़े हुए । हरिभद्र और कोई उपाय न देखकर पालकी से निकलते ही पास ही के एक जिनमंदिर में घुस गये । इसी समय उन्हें 'हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेद् जैनमन्दिरम्' की निरर्थकता का अनुभव हुआ । मंदिर में स्थित जिनप्रतिमा को देखकर उसका उपहास करते हुए कहने लगे—“वपुरेव तवाऽऽचष्टे स्पष्ट मिष्टान्नभोजनम् ।”

एक दिन भट्ट हरिभद्र राजमहल से अपने घर की ओर लौट रहे थे । मार्ग में एक जैन उपाश्रय था । उपाश्रय पर बैठ कर साध्वियों स्वाध्याय कर रही थीं । सयोग से आज भट्टजी के कानों में एक गाथा—आर्या की ध्वनि पहुँची ।^१ उन्होंने

१ चक्कीदुग हरिपणग पणग चक्कीण केसवो चक्की ।

केसव चक्की केसव दु चक्की केसव चक्की य ॥

उसका अर्थ समझने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु सफलता न मिली। भट्टजी बोले—“माताजी ! आपने तो इस गाथा में खूब चकचकाट किया।” साध्वी ने बड़ी नम्रता एव कुशलता के साथ उत्तर दिया : “श्रीमन् ! नया-नया तो ऐसा ही लगता है।” यह सुनकर भट्टजी का मिथ्या अभिमान मिट गया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। वे कहने लगे—“माता जी ! आप मुझे अपना शिष्य बनाइए और उस गाथा का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए।” यह सुनकर जैन आर्या महत्तरा ने नम्रतापूर्वक कहा कि पुरुषों को शिष्य बनाना तथा अर्थ समझाना हमारा कार्य नहीं है। यदि तुम्हारी शिष्य बनने तथा गाथा का अर्थ समझने की इच्छा ही है तो सुनो। इसी नगर में हमारे धर्माचार्य जिनभट्ट हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हरिभद्र तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसी आर्या के शिष्य बनना चाहते थे किन्तु महत्तरा के अत्यन्त आग्रह के कारण वे इस आज्ञा को गुरु की आज्ञा के समान ही समझ कर उसी समय आचार्य जिनभट्ट के पास पहुँचे। साथ में आर्या महत्तरा भी थी। मार्ग में वही जिनभट्टिर आया जिसने हरिभद्र को मृत्यु के मुख से बचाया था। इस समय हरिभद्र की मन स्थिति बदल चुकी थी। जिनप्रतिमा को देख कर वे कहने लगे—“वपुरेव तवाऽऽचष्टे भगवन् । वीतरागताम् ।” पहले जहाँ ‘स्पष्टं मिष्टान्नभोजनम्’ याद आया था वहाँ अब ‘भगवन् । वीतरागताम्’ याद आ रहा था। आर्या महत्तरा और हरिभद्र आचार्य जिनभट्ट के पास पहुँचे। आचार्य ने हरिभद्र को दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। अब वे धर्मपुरोहित होकर स्थान-स्थान पर भ्रमण करते हुए जैनधर्म का प्रचार करने लगे।

प्रभावकचरित्र में वर्णित उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार हरिभद्र के दीक्षागुरु आचार्य जिनभट्ट सिद्ध होते हैं किन्तु हरिभद्र के खुद के उल्लेखों से ऐसा फलित होता है कि जिनभट्ट उनके गच्छपति गुरु थे, जिनदत्त दीक्षाकारी गुरु थे, याकिनी महत्तरा धर्मजननी अर्थात् धर्ममाता थी, उनका कुल विद्याधरगच्छ एव सम्प्रदाय सिताम्बर-श्वेताम्बर था।^१

१ आवश्यक निर्युक्ति-टीका के अन्त में देखिए

‘समाप्ता चैव शिष्याहिता नाम आवश्यकटीका । कृति सिताम्बराचार्य-जिनभट्टनिगदानुसारिणो विद्याधरकुलतिलकाचार्यजिनदत्तशिष्यस्य धर्मतो याकिनीमहत्तरासूनो अल्पमते-आचार्यहरिभद्रस्य ।’

आचार्य हरिभद्रकृत ग्रन्थ-सूची में निम्न ग्रन्थ समाविष्ट हैं —

१. अनुयोगद्वारसूत्रवृत्ति, २. अनेकान्तजयपताका (स्वोपज्ञ टीका सहित),
३ अनेकान्तप्रघट्ट, ४ अनेकान्तवादप्रवेश, ५ अष्टक, ६ आवश्यकनिर्युक्ति
लघुटीका, ७ आवश्यकनिर्युक्तिवृहद्विटीका, ८ उपदेशपद, ९ कथाकोश, १०.
कर्मस्तववृत्ति, ११. कुलक, १२ क्षेत्रसमासवृत्ति, १३. चतुर्विंशतिस्तुतिसटीक,
१४. चैत्यवदनभाष्य, १५. चैत्यवदनवृत्ति-ललितविस्तार, १६ जीवाभिगम-
लघुवृत्ति, १७ ज्ञानपञ्चकविवरण, १८ ज्ञानादित्यप्रकरण, १९ दशवैकालिक-
अवचूरि, २० दशवैकालिकवृहद्विटीका, २१ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण, २२ द्विजवदन-
चपेटा (वेदाकुशा), २३ धर्मविन्दु, २४ धर्मलाभसिद्धि, २५ धर्मसंग्रहणी,
२६. धर्मसारमूलटीका, २७ धूर्ताख्यान, २८. नदीवृत्ति, २९ न्यायप्रवेशसूत्र-
वृत्ति, ३० न्यायविनिश्चय, ३१. न्यायामृतनरगिणी, ३२ न्यायवतारवृत्ति,
३३ पचनिर्ग्रन्थी, ३४ पचलिंगी, ३५. पचवस्तु सटीक, ३६ पचसंग्रह,
३७ पचसूत्रवृत्ति, ३८ पचस्थानक, ३९. पचाशक, ४० परलोकसिद्धि,
४१ पिण्डनिर्युक्तिवृत्ति (अपूर्ण), ४२ प्रज्ञापनाप्रदेशन्याख्या, ४३ प्रतिष्ठा-
कल्प, ४४. वृहन्मिथ्यात्वमथन, ४५. मुनिपतिचरित्र, ४६ यतिदिनकृत्य,
४७ यशोधरचरित्र, ४८ योगदृष्टिसमुच्चय, ४९ योगविन्दु, ५० योगशतक,
५१ लग्नशुद्धि (लग्नकुण्डलि), ५२ लोकतत्त्वनिर्णय, ५३ लोकविन्दु,
५४ विंशति (विंशतिविंशिका), ५५ वीरस्तव, ५६ वीरागदकथा, ५७ वेद-
बाह्यानानिराकरण, ५८ व्यवहारकल्प, ५९ शास्त्रवार्तासमुच्चय सटीक, ६०
भावकप्रज्ञसिद्धि, ६१ भावकधर्मतन्त्र, ६२ षड्दर्शनसमुच्चय, ६३ षोडशक,
६४ सकित्पचासी, ६५ संग्रहणीवृत्ति, ६६ सपचासित्तरी, ६७ सबोधसित्तरी,
६८ सबोधप्रकरण, ६९ ससारदावास्तुति, ७० आत्मानुशासन, ७१ समराइच्च-
कहा, ७२ सर्वज्ञसिद्धिप्रकरण सटीक, ७३ स्याद्वादकुचोद्यपरिहार ।^१

कहा जाता है कि आचार्य हरिभद्र ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी ।
इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि १४४४ बौद्धों का सहार करने के सकल्प
के प्रायश्चित्त के रूप में उनके गुरु ने उन्हें १४४४ ग्रन्थ लिखने की आज्ञा दी

समराइच्चकहा के अन्त में कहा गया है •

एय जिणदत्तापरियस्स उ अवयवभूएण चरियमिण ।

ज विरइऊण पुन्न महाणुभावचरिय मए पत्त ।

तेण गुणाणुराभो होइ इह सब्वल्लोयस्स ॥

१. जैनदर्शन (अनुवादक-पं० बेचरदास) प्रस्तावना, पृ० ४५-५१.

थी। इस घटना का उल्लेख राजशेखरसूरि ने अपने चतुर्विंशतिप्रबन्ध और मुनि क्षमाकल्याण ने अपनी खरतरगन्धपट्टावली में भी किया है। इन ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ पचास श्लोकप्रमाण भी हैं। इस प्रकार के 'पचाशक' नाम के १९ ग्रंथ आचार्य हरिभद्र ने लिखे हैं जो आज पचाशक नामक एक ही ग्रंथ में समाविष्ट हैं। इसी प्रकार सोलह श्लोकों के षोडशक, बीस श्लोकों की विंशिकाएँ भी हैं। इनकी एक स्तुति 'ससारदावा' तो केवल चार श्लोकप्रमाण ही है। इस प्रकार आचार्य हरिभद्र की ग्रंथ संख्या में और भी वृद्धि की जा सकती है।

आचार्य हरिभद्र ने अपने प्रत्येक ग्रंथ के अन्त में प्रायः 'विरह' शब्द का प्रयोग किया है। प्रभावकचरित्र में इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है।

अतिशयहृदयाभिरामश्चिह्नद्वयविरहोर्मिभरेण तप्तदेहः ।

निजकृतिमिह संश्रधात् समस्तां विरहपदेन युता सता स मुख्यः ॥

श्रीहरिभद्रप्रबन्ध, का० २०६.

अपने अति प्रिय दो शिष्यों के विरह से दुःखित हृदय होकर आचार्य ने अपने प्रत्येक ग्रंथ को 'विरह' शब्द से अंकित किया है।

आचार्य हरिभद्रकृत प्रकाशित टीकाओं का परिचय आगे दिया जाता है।

नन्दीवृत्ति :

यह वृत्ति^१ नन्दीचूर्ण का ही रूपांतर है। इसमें प्रायः उन्हीं विषयों का व्याख्यान किया गया है जो नन्दीचूर्ण में हैं। व्याख्यान शैली भी वही है जो चूर्णकार की है।^२ प्रारम्भ में मंगलाचरण करने के बाद नन्दी के शब्दार्थ, निक्षेप आदि का विचार किया गया है। तदनन्तर जिन, बीर और सत्र की स्तुति की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है तथा तीर्थकरावलिका, गणधरावलिका और स्वविरावलिका का प्रतिपादन किया गया है। नन्दी-ज्ञान के अध्ययन की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि अयोग्यदान से वस्तुतः अकल्याण ही होता है और निर्देश किया है कि इसकी विस्तृत व्याख्या में आवश्यक-

१ ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेतावर सस्था, रतलाम, सन् १९२८, प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, वाराणसी, सन् १९६६

२ चूर्ण और वृत्ति के मूल सूत्र-पाठ में कहीं-कहीं थोड़ा सा अन्तर है पठमेत्य इदभूती, बीष् पुण होति अग्निभूति (चूर्ण), पठमेत्य इदभूई बीष् पुण होइ अग्निभूति (वृत्ति)। देखिए—क्रमशः पृ ६ और १३

कानुयोग में करूँगा । यहाँ स्थानपूर्ति के लिए भाष्य की गाथाओं से ही व्याख्यान किया जाता है अतोऽयोग्यदाने दातृकृतमेव वस्तुतस्तस्य तदकल्याणमिति, अलं प्रसंगेन, प्रकृत प्रस्तुमः, तत्राधिकृतगाथा प्रपञ्चतः आवश्यकानुयोगे व्याख्यास्यामः, इह स्थानाशून्यार्थं भाष्यगाथाभिर्व्याख्यायत इति ।^१ इसके बाद तीन प्रकार की पर्यद् का व्याख्यान किया गया है । तदनन्तर आचार्य ने ज्ञान के भेद-प्रभेद, स्वरूप, विषय आदि का विस्तृत विवेचन किया है । केवलज्ञान और केवलदर्शन के क्रमिकादि उपयोग का प्रतिपादन करते हुए यौगपद्य के समर्थक सिद्धमेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्रगणि आदि का तथा अभेद के समर्थक बृद्धाचार्यों का उल्लेख किया है । वह इस प्रकार है ' केचन सिद्धसेनाचार्यादयः भणंति, किं ? युगपद्—एकस्मिन्नेव काले जानाति पश्यति च, कः ? केवली, न त्वन्यः, नियमात्—नियमेन । अन्ये जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणप्रभृतयः एकान्तरितं जानाति पश्यति चेत्येव-मिच्छन्ति, श्रुतोपदेशेन—यथाश्रुतागमानुसारणेत्यर्थः, अन्ये तु बृद्धाचार्याः न—नैव विष्वक्—पृथक् तद्दर्शनमिच्छन्ति जिनवरेन्द्रस्य—केवलिन इत्यर्थः, किं तर्हि ? यदेव केवलज्ञान तदेव 'से' तस्य केवलिनो दर्शनं प्रवृत्ते, क्षीणावरणस्य देशज्ञानाभाववत् केवलदर्शनाभावादिति भावना ।^२ प्रस्तुत सिद्धसेन, सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न हैं क्योंकि सिद्धसेन दिवाकर तृतीय मत—अभेदवाद के प्रवर्तक हैं । वृत्तिकार ने संभवत बृद्धाचार्य के रूप में इन्हीं का निर्देश किया है । द्वितीय मत—क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्र आदि को सिद्धान्तवादी^३ कहा गया है । श्रुत के श्रवण और व्याख्यान की विधि बताते हुए आचार्य ने नन्द्याध्ययन विवरण समाप्त किया है । अन्त में लिखा है "

यदिहोत्सूत्रमज्ञानाद्, व्याख्यातं तद् बहुश्रुतैः ।

क्षन्तव्य कस्य सम्मोहश्छद्मस्थस्य न जायते ॥ १ ॥

नन्द्याध्ययनविवरणं कृत्वा यदवाप्तमिह मया पुण्यम् ।

तेन खलु जीवलोको लभता जिनशासने नन्दीम् ॥ २ ॥

कृतिः सिताम्बराचार्यजिनभट्टपादसेवकस्थाचार्यश्रीहरिभद्रस्येति ।
 नामः श्रुतदेवतायै भगवत्यै । समाप्ता नन्दीटीका । ग्रन्थाम् २३३६

अनुयोगद्वारटीका :

यह टीका अनुयोगद्वारचूर्ण की शैली पर लिखी गयी है । प्रारम्भ में आचार्य

ने महावीर को नमस्कार करके अनुयोगद्वार की निवृत्ति लिखने की प्रतिशा की है

प्रणिपत्य जिनवरेन्द्रं त्रिदशेन्द्रनरेन्द्रपूजित वीरम् ।

अनुयोगद्वाराणा प्रकटार्था विवृतिमभिधास्ये ॥ १ ॥

टीकाकार ने यह बताया है कि नन्दी की व्याख्या के अनन्तर ही अनुयोगद्वार के व्याख्यान का अवकाश है नन्दाध्ययनव्याख्यानसमनन्तरमेवानुयोग-द्वाराध्ययनावकाश ।^१ मगध का प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने लिखा है कि इसका विशेष विवेचन नन्दी की टीका में किया जा चुका है । अतः यहाँ इतना ही पर्याप्त है । अस्य सूत्रस्य समुदायार्थोऽवयवार्थश्च नन्दाध्ययन-टीकाया प्रपञ्चतः प्रतिपादित एवेति नेह प्रतिपाद्यत इति ।^१ इन वक्तव्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत टीका नन्दीवृत्ति के बाद की कृति है । 'तम्हा आवस्सयं' इत्यादि का विवेचन करते हुए आचार्य ने 'आवश्यक' शब्द का निपेक्ष पद्धति से विचार किया है । नामादि आवश्यकों का स्वरूप बताते हुए नाम, स्थापना और द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए तीन श्लोक उद्धृत किये हैं । वे इस प्रकार हैं^३

नाम :

यद्वस्तुनोऽभिधानं स्थितमन्यार्थे तदर्थनिरपेक्षम् ।

पर्यायानभिधेयं च नाम यार्हाच्छकं च तथा ॥

स्थापना :

यत्तु तदर्थवियुक्त तदभिप्रायेण यच्च तत्करणिः ।

लेप्यादिकर्म तत्स्थापनेति क्रियतेऽल्पकाल च ॥

द्रव्य :

भूतस्य भाविनो वा भावस्य हि कारणं तु यल्लोके ।

तद्द्रव्य तत्त्वज्ञैः सचेतनाचेतनं कथितम् ॥

श्रुत का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान करते हुए टीकाकार कहते हैं कि चक्षु-र्विष श्रुत का स्वरूप आवश्यकविवरण के अनुसार समझ लेना चाहिए ।^१ इसी प्रकार आगे भी आवश्यकविवरण और नन्दीविशेषविवरण का उल्लेख किया गया है ।^१ स्कन्ध, उपक्रम आदि का निक्षेप-पद्धति से विवेचन करने के बाद आचार्य ने

आनुपूर्वी का बहुत विस्तार से प्रतिपादन किया है। आनुपूर्वी, अनुक्रम और अनुपरिपाटी पर्यायवाची हैं।^१ आनुपूर्वी की व्याख्या की समाप्ति के अनन्तर द्विनाम, त्रिनाम, चतुर्नाम, पचनाम, षट्नाम, सप्तनाम, अष्टनाम, नवनाम और दशनाम का व्याख्यान किया गया है। प्रमाण का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने विविध अंगुलियों के स्वरूप का वर्णन किया है तथा समय का विवेचन करते हुए मल्योपम का विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया है। इसी प्रकार शरीरपञ्चक का निरूपण करने के बाद भावप्रमाण के अन्तर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य, आगम, दर्शन, चारित्र्य, नय और सख्या का व्याख्यान किया है। 'से किं त वत्तब्बथा' इत्यादि का प्रतिपादन करते हुए वक्तव्यता की दृष्टि से पुन नय का विचार किया गया है। ज्ञाननय और क्रियानय का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने ज्ञान और क्रिया दोनों की सयुक्त उपयोगिता सिद्ध की है। ज्ञानपक्ष का समर्थन करते हुए वे कहते हैं।^२

विज्ञप्तिः फलदा पुंसा, न क्रिया फलदा मता ।

मिथ्याज्ञानात्प्रवृत्तस्य, फलासवाददर्शनात् ॥

इसी प्रकार क्रिया के समर्थन में उन्होंने लिखा है ^३

क्रियैव फलदा पुसा, न ज्ञान फलदा मतम् ।

यतः स्त्रीभक्ष्यभोगज्ञो, न ज्ञानात्सुखितो भवेत् ॥

टीका के अन्त में कहा गया है समाप्तेयं शिष्यहितानामानुयोगद्वार-
टीका, कृतिः सिताम्बराऽऽचार्यजिनभट्टपादसेवकस्याऽऽचार्यहरिभद्रस्य ।
कृत्वा विवरणमेतत्प्राप्त ।^४

दशवैकालिकवृत्तिः :

इस वृत्ति का नाम शिष्यबोधिनी वृत्ति है। इसे बृहद्वृत्ति भी कहते हैं। यह टीका शर्यम्भवसूरिविहित दशवैकालिक सूत्र की भद्रबाहुविरचित नियुक्ति पर है। प्रारम्भ में आचार्य हरिभद्र ने वीर प्रभु को नमस्कार किया है

जयति विजितान्यतेजाः सुरासुराधीशसेवितः श्रीमान् ।

विमलस्त्रासविरहितस्त्रिलोकचिन्तामणिर्वीरः ॥ १ ॥

१. पृ ३०-५९ २ पृ १२६ ३. पृ १२७ ४ पृ १२८.

५ (अ) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय, बम्बई, सन् १९१८.

(आ) समयसुन्दरकृत टीकासहित—भीमसी माणिक, बम्बई, सन् १९००

दशवैकालिक का दूसरा नाम दशकालिक भी है। 'दशकालिक' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए वृत्तिकार कहते हैं 'कालेन निर्धृत कालिक, प्रमाणकालेनेति भावः, दशाध्ययनभेदात्मकत्वाद्दशप्रकार कालिक प्रकारशब्द-लोपाद्दशकालिक' अर्थात् जो काल से अर्थात् प्रमाणकाल से निर्धृत है वह कालिक है। चूँकि इस सूत्र में दस अध्याय हैं इसलिए इसका नाम दश कालिक है।

मगल की आवश्यकता बताते हुए आचार्य ने 'मगल' पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है 'मङ्गलधते हितमनेनेति मङ्गल, मङ्गलधतेऽध्यागम्यते साध्यत इति यावत् अथवा मङ्ग इति धर्माभिधानं, 'ला आदाने' अस्य धातोर्भङ्गे उपपदे "आतोऽनुपसर्गे क." (पा० ३-२-३) इति कप्रत्ययान्तस्यानुबन्धलोपे कृते "आतो लोप इटि च" (पा० ६-४-६४) इत्यनेन सूत्रेणाकारलोपे च कृते प्रथमैकवचनान्तस्यैव मङ्गलमिति भवति, मङ्ग लातीति मङ्गलं धर्मोपादानहेतुरित्यर्थः, अथवा मा गालयति भवादिति मङ्गलं, संसारादपनयतीत्यर्थः ।' यह व्युत्पत्ति तीन प्रकार की है (१) निश्चये हित सिद्ध किया जाए, (२) जो धर्म लभे अथवा (३) जो भव से छुड़ावे वह मगल है। द्वितीय प्रकार की व्युत्पत्ति में पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों का भी प्रयोग किया गया है।

दशवैकालिक सूत्र की रचना कैसे हुई ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए टीकाकार ने निर्युक्ति की गाथा का अक्षरार्थ करते हुए भावार्थ स्पष्ट करने के लिए शयम्भवाचार्य का पूरा कथानक उद्धृत किया है ।^१ यह और इसी प्रकार के अन्य अनेक कथानक प्रस्तुत वृत्ति में उद्धृत किये गये हैं। ये सभी कथानक प्राकृत में हैं।

तप का व्याख्यान करते हुए आभ्यन्तर तप के अन्तर्गत चार प्रकार के ध्यान का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने चार श्लोकों में ध्यान का पूरा चित्र उपस्थित कर दिया है ।^२

१. पृ २ (अ) २. पृ २ (ब), ३ (क) ३. पृ १०-११

४ पृ ३१ (ब)-वित्तर के लिए ध्यानशतक देखिए जिसका आचार्य हरिभद्र ने प्रस्तुत टीका में उल्लेख किया है—पृ. ३१ (ब), ३२ (ब),

आर्तध्यान : राज्योपभोगशयनासनवाहनेषु,
 स्त्रीगन्धमाल्यमणिरत्नविभूषणेषु ।
 इच्छामिलाषमतिमात्रमुपैति मोहाद्,
 ध्यानं तदार्त्तमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १ ॥

रौद्रध्यान : संछेदनैर्दहनभक्षणमारणैश्च,
 बन्धप्रहारदमनैर्विनिकृन्तनैश्च ।
 यो याति रागमुपयाति च नानुकम्पां,
 ध्यान तु रौद्रमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २ ॥

धर्मध्यान : सूत्रार्थसाधनमहाव्रतधारणेषु,
 बन्धप्रमोक्षगमनागमहेतुचिन्ता ।
 पञ्चेन्द्रियव्युपरमश्च दया च भूते,
 ध्यान तु धर्ममिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३ ॥

शुक्लध्यान : यस्येन्द्रियाणि विषयेषु पराङ्मुखानि,
 सङ्कल्पकल्पनविकल्पविकारदोषैः ।
 योगैः सदा त्रिभिरहो निभृतान्तरात्मा,
 ध्यानोत्तम प्रवरशुक्लमिदं वदन्ति ॥ ४ ॥

विविध प्रकार के श्रोताओं की दृष्टि से कथन के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि त्रिमित्र अवयवों की उपयोगिता का सोदाहरण विचार करते हुए आचार्य ने तद्विषयक दोषों की शुद्धि का भी प्रतिपादन किया है। निर्युक्तिसम्मत विहगम के विविध निक्षेपों का विस्तृत व्याख्यान करते हुए ड्रमपुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन का विवरण समाप्त किया है।

द्वितीय अध्ययन की वृत्ति में श्रमण, पूर्व, काम, पद आदि शब्दों का विवेचन करते हुए तीन प्रकार के योग, तीन प्रकार के करण, चार प्रकार की सज्ञा, पाँच प्रकार की इन्द्रिय, पाँच प्रकार के स्यावरकाय, दस प्रकार के श्रमण-धर्म और अठारह शीलागसहस्र का प्रतिपादन किया गया है। भोगनिवृत्ति का स्वरूप समझाने के लिए रथनेमि और राबीमती का कथानक उद्धृत किया है।

तृतीय अध्ययन की वृत्ति में महत्, क्षुल्लक आदि पदों का व्याख्यान करते हुए दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपआचार और वीर्याचार का सोदाहरण विवेचन किया गया है। इसी प्रकार अर्यादि चार प्रकार की कथाओं का उदाहरणपूर्वक स्वरूप समझाया गया है। श्रमणसम्बन्धी अनाचीर्ण का स्वरूप बताते हुए वृत्तिकार ने तृतीय अध्ययन की व्याख्या समाप्त की है।

चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या में निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है जीव का स्वरूप व उसकी स्वतन्त्र सत्ता, चारित्रधर्म के पाच महाव्रत और छठा रात्रिभोजनविरमण व्रत, भ्रमणधर्म की दुर्लभता। जीव के स्वरूप का विचार करते समय वृत्तिकार ने अनेक भाष्यगाथाएँ उद्धृत की हैं और साथ ही साथ अपने दार्शनिक दृष्टिकोण का पूरा उपयोग किया है।

पचम अध्ययन की वृत्ति में आहारविषयक मूल गाथाओं का व्याख्यान किया गया है। 'बहुअद्वियं पुगल' की व्याख्या इस प्रकार है किञ्च 'बहुअद्वियं' इति सूत्र बह्विध 'पुद्गलं' मास 'अनिमिष' वा मत्स्यं वा बहुकण्टकम्, अयं किल कालाद्यपेक्षया ग्रहणे प्रतिपेधः, अन्ये त्वभिदधति—वनस्पत्यधिका-रात्तथाविधफलाभिधाने एते इति, तथा चाह—'अत्यिक' अस्थिकवृक्षफलम्, 'तैदुकं' तैदुरुकीफलम्, 'बिल्वं' इक्षुखण्डमिति च प्रतीते, 'शाल्मलि वा' वल्लादिफलि वा, वाशब्दस्य व्यवहितः सम्बन्ध इति सूत्रार्थः।^१

षष्ठ अध्ययन की वृत्ति में अष्टादश स्थानों का विवरण किया गया है जिनका सम्यक् ज्ञान होने पर ही साधु अपने आचार में निर्दोष एव दृढ रह सकता है। ये अठारह स्थान व्रतषट्क, कायषट्क, अकल्प, गृहिभाजन, पर्यङ्क, निषद्या, स्नान और शोभावर्जनरूप हैं।

सप्तम अध्ययन की व्याख्या में भाषा की शुद्धि अशुद्धि का विचार किया गया है एव भ्रमण के लिए उपयुक्त भाषा का विधान स्पष्ट किया गया है।

अष्टम अध्ययन की व्याख्या में आचारप्रणिधि की प्रक्रिया एव फल का प्रतिपादन किया गया है।

नवम अध्ययन की वृत्ति में विनय के विविध रूप, विनय का फल, अविनय और उससे होनेवाली हानि, विनयसमाधि, श्रुतसमाधि, तपसमाधि, आचारसमाधि आदि का स्वरूप बताया गया है।

दशम अध्ययन की वृत्ति में सुभिक्षु के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

चूलिकाओं की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने धर्म के रतिजनक और अरतिजनक कारण, विविध चर्या आदि उन्हीं विषयों का साधारण स्पष्टीकरण किया है जिनका उल्लेख सूत्रकार और निर्युक्तिकार ने किया है। वृत्ति के अन्त में निम्न श्लोक हैं^२

सहत्तराया याकिन्या धर्मपुत्रेण चिन्तिता ।
 आचार्यहरिभद्रेण टीकेयं शिष्यबोधिनी ॥ १ ॥
 दशवैकालिके टीका विधाय यत्पुण्यमर्जितं तेन ।
 मात्सर्यदुःखविरहाद्गुणानुरागी भवतु लोकः ॥ २ ॥

प्रज्ञापना-प्रदेशन्याख्या :

इस टीका^१ के प्रारम्भ में जैन प्रवचन की महिमा बताते हुए कहा गया है •

रागादिवध्यपटहः सुरलोकसेतुरानन्ददुदुभिरसत्कृतिवचितानाम् ।

संसारचारकपलायनफालघंटा, जैनवचस्तद्विह को न भजेत विद्वान् ॥१॥

इसके बाद मगल की महिमा बताई गई है और मगल के विशेष विवेचन के लिए आवश्यक टीका का नामोल्लेख किया गया है ।^२ इसी प्रसंग पर भव्य और अभव्य का विवेचन करते हुए आचार्य ने वादिमुख्यकृत अभव्यस्वभाव-सूचक निम्न श्लोक उद्धृत किया है ^३

सद्गन्धर्वबीजवपनानघकौशलस्य, यल्लोकवान्धव । तंवापि खिलान्यभूवन् ।
 तन्नाद्भुतं खगकुलेष्विह तामसेषु, सूर्याशवो मधुकरीचरणावदाता ॥१॥

तदनन्तर प्रज्ञापना के विषय, कर्तृत्व आदि का वर्णन किया गया है । जीव प्रज्ञापना और अजीवप्रज्ञापना का वर्णन करते हुए एकेन्द्रियादि जीवों का विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है । यहाँ तक प्रथम पद की व्याख्या का अधिकार है ।

द्वितीय पद की व्याख्या में पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा द्वीन्द्रियादि के स्थानों का वर्णन किया गया है ।

तृतीय पद की व्याख्या में कायाद्यल्पबहुत्व, वेद, लेश्या, इन्द्रिय आदि दृष्टियों से जीवविचार, लोकसम्बन्धी अल्पबहुत्व, आयुर्बन्ध का अल्पबहुती पुद्गलाल्पबहुत्व, द्रव्याल्पबहुत्व, अवगाढाल्पबहुत्व आदि का विचार किया गया है ।

चतुर्थ पद की व्याख्या में नारकों की स्थिति का विवेचन है ।

१. पूर्वभाग—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, सन् १९४७

उत्तरभाग—जैन पुस्तक प्रचारक संस्था, सूर्यपुर, सन् १९४९

२ पृ २ ३ पृ ४

पचम पद की व्याख्या में नारकपर्याय, अबगाह, षट्स्थानक, कर्मस्थिति और जीवपर्याय का विश्लेषण किया गया है।

षष्ठ और सप्तम पद के व्याख्यान में आचार्य ने नारकसम्बन्धी त्रिरहकाल का वर्णन किया है।

अष्टम पद की व्याख्या में आचार्य ने सज्ञा का स्वरूप बताया है। सज्ञा का अर्थ है आभोग अथवा मनोविज्ञान। सज्ञा के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं 'तत्र सज्ञा आभोग इत्यर्थः, मनोविज्ञानं इत्यन्ये, संज्ञायते वा अनयेति सज्ञा—वेदनीयमोहनीयोदयाश्रया ज्ञानदर्शनावरणक्षयोप-
शमाश्रया च विचित्रा आहारादिप्राप्तये क्रियेत्यर्थः, सा चोपाधिभेदाद् भिद्यमाना दश प्रकारा भवति, तद्यथा—आहारसज्ञेत्यादि ...'^१। इसके बाद आहारादि दस प्रकार की सज्ञा का स्वरूप बताते हुए ग्रन्थकार कहते हैं 'तत्र क्षुद्देदनीयोदयाद् कवलाद्याहारार्थं पुद्गलोपादानक्रियैव सज्ञायते अन-
येत्याहारसंज्ञा तथा भयवेदनीयोदयाद् भयोद्भ्रान्तस्य दृष्टिवदनविकार-
रोमाचोद्भेदार्था विक्रियैव सज्ञायतेऽनयेति भयसंज्ञा, तथा पुंवेदोदयान्मै-
थुनाय स्थालोकनप्रसन्नवदनमनःस्तम्भितोरुवेपथुप्रभृतिलक्षणा विक्रि-
यैव सज्ञायते अनयेति (मैथुनसंज्ञा, चारित्रमोहविशेषोदयात् धर्मो-
पकरणातिरिक्तदतिरेकस्य वा आदित्साक्रियैव) परिग्रहसंज्ञा, तथा क्रोधोदयात् तदाशयगर्भा पुरुषमुखनयनदत्तच्छदस्फुरणचेष्टैव संज्ञायते-
ऽनयेति क्रोधसंज्ञा, तथा मानोदयादहंकारात्मिकोत्सेकादिपरिणतिरेव
सज्ञायतेऽनयेति मानसंज्ञा, तथा मायोदयेनाशुभसकलेशादनृतभाषणादि-
क्रियैव सज्ञायतेऽनयेति मायासंज्ञा, तथा लोभोदयाल्लालसान्विता
सचित्तेतरद्रव्यप्रार्थनैव सज्ञायतेऽनयेति लोभसंज्ञा, तथा लोभोदयोपशमा-
च्छब्दाद्यर्थगोचरा सामान्यावबोधक्रियैव सज्ञायते अनयेति ओघसंज्ञा,
तथा तद्विशेषावबोधक्रियैव सज्ञायते अनयेति लोकसंज्ञा, ततश्चौघसंज्ञा
दर्शनोपयोगः लोकसंज्ञातु ज्ञानोपयोग इति, व्यत्ययमन्ये, अन्ये पुनरित्य-
मभिदधते—सामान्यप्रवृत्तिरोघसंज्ञा, लोकदृष्टिर्लोकसंज्ञा ...'^२
इन संज्ञाओं का मनोविज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। आधुनिक मनोविज्ञान
की दृष्टि से सज्ञा का ज्ञान और सवेदन में और क्रिया का अभिव्यक्ति और
प्रवृत्ति में समावेश कर सकते हैं। ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से आचार्य ने

ओषसज्ञा को दर्शनोपयोग और लोकसज्ञा को ज्ञानोपयोग कहा है तथा तद्विपरीत मत का भी उल्लेख किया है।

नवम पद की व्याख्या में विविध योनियों का विचार किया गया है।

दशम पद की व्याख्या में रत्नप्रभा आदि पृथिव्यों का चरम और अचरम की दृष्टि से विवेचन किया गया है। चरम का अर्थ है प्रान्तपर्यन्तवर्ती और अचरम का अर्थ है प्रातमप्यवर्ती। ये दोनों अर्थ आपेक्षिक हैं। प्रस्तुत विवेचन में आचार्य ने अनेक प्राकृत गद्यांश उद्धृत किये हैं।

ग्यारहवें पद की व्याख्या में भाषा के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य ने स्त्री, पुरुष और नपुंसक-लक्षणनिर्देशक कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं :^१

स्त्री— योनिर्मृदुत्वमस्थैर्यं, मुग्धता क्लीबता स्तनौ ।

पुस्कामितेति लिंगानि, सप्त स्त्रीत्वे प्रचक्षते ॥ १ ॥

पुरुष— मेहन खरता दाढ्यं, शौडीर्यं श्मश्रु चरता ।

स्त्रीकामितेति लिंगानि, सप्त पुस्त्वे प्रचक्षते ॥ २ ॥

नपुंसक—स्तनादिश्मश्रुकेशादिभावाभावसमन्वितम् ।

नपुंसकं बुधाः प्राहुर्मोहानलसुदीपितम् ॥ ३ ॥

स्त्री के सात लक्षण हैं योनि, मृदुत्व, अस्थिरता, मुग्धता, दुर्बलता, स्तन और पुरुषेच्छा। पुरुष के भी सात लक्षण हैं मेहन, कठोरता, दृढता, शूरता, मूर्छा, तृप्ति और स्त्रीकामिता। नपुंसक के लक्षण स्त्री और पुरुष के लक्षणों से मिले श्ले बीच के होते हैं जो न पूरी तरह स्त्री के अनुरूप होते हैं न पुरुष के। इसमें मोह की मात्रा अत्यधिक होती है।

बारहवें पद के व्याख्यान में आचार्य ने औदारिकादि शरीर के सामान्य स्वरूप का विवेचन किया है।

तेरहवें पद के व्याख्यान में जीव और अजीव के विविध परिणामों का प्रतिपादन किया गया है। जीवपरिणाम इस प्रकार का होता है। गति, इन्द्रिय, कषाय, लक्ष्या, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वेद। अजीवपरिणाम का विवेचन करते हुए आचार्य ने अन्धनपरिणाम के निम्नांकित लक्षण का समर्थन किया है^२

समण्डियाए वधो ण होति समलुक्खयाए वि ण होति ।

वेमाइयणिद्वलुक्खत्तणेण वधो उ संघाण ॥

तथा च—

णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिणं लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिणं ।
णिद्धस्स लुक्खेण सवेति बधो जहणणवज्जो विसमो समो वा ॥

आगे के पदों की व्याख्या में कपाय, इन्द्रिय, प्रयोग, लक्ष्या, कायस्थिति, अन्तक्रिया, अवगाहना—सस्थानादि, क्रिया (कायिकी, आधिकरणकी, प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातकी), कर्मप्रकृति, कर्मबन्ध, आहारपरिणाम, उपयोग, पश्यत्ता, सज्ञा, समय, अवधि, प्रवीचर, वेदना और समुदात का विशेष विवेचन किया गया है। तीसरे पद की व्याख्या में आचार्य ने उपयोग और पश्यत्ता की भेदरेखा खींचते हुए लिखा है कि पश्यत्ता में त्रैकालिक अवबोध होता है जबकि उपयोग में वर्तमान और त्रिकाल दोनों का अवबोध समाविष्ट है अतो यत्र त्रैकालिकोऽवबोधोऽस्ति तत्र पासणया भवति, यत्र पुनर्वर्तमानकालस्यै-कालिकञ्च बोधः स उपयोग इत्ययं विशेषः ।' यही कारण है कि साकार उपयोग आठ प्रकार का है जबकि साकार पश्यत्ता छ प्रकार की है। साकार पश्यत्ता में साम्प्रतकालविषयक मतिज्ञान और मत्यज्ञानरूप साकार उपयोग के दो भेदों का समावेश नहीं किया जाता।

आवश्यकवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति' आवश्यकनिर्युक्ति पर है। कहीं-कहीं भाष्य की गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। वृत्तिकार आचार्य हरिभद्र ने इस वृत्ति में आवश्यक-चूर्ण का पदानुसरण न करते हुए स्वतंत्र रीति से निर्युक्ति-गाथाओं का विवेचन किया है। प्रारम्भ में मगल के रूप में निम्न श्लोक है •

प्रणिपत्य जिनवरेन्द्र, वीर श्रुतदेवता गुरुन् साधून् ।
आवश्यकस्य विवृतिं, गुरुरूपदेशाद्दह वक्ष्ये ॥ १ ॥

इसके बाद प्रस्तुत वृत्ति का प्रयोजन दृष्टि में रखते हुए वृत्तिकार कहते हैं •

यद्यपि मया तथाऽन्यैः, कृताऽस्य विवृतिस्तथापि संक्षेपात् ।
तद्गुचिसत्त्वानुग्रहहेतोः क्रियते प्रयासोऽयम् ॥ २ ॥

अर्थात् यद्यपि मैंने तथा अन्य आचार्यों ने इस सूत्र का विवरण लिखा है तथापि संक्षेप में वैसी रचि वाले लोगों के लिए पुनः प्रस्तुत प्रयास किया जा रहा

है। इस कथन से आचार्य हरिभद्रकृत एक और टीका—बृहद्गीका का होना फलित होता है। यह टीका अभी तक अनुपलब्ध है।

इन दोनों श्लोकों का विवेचन करने के बाद निर्युक्ति की प्रथम गाथा 'आभिणिबोहियनाणं' की व्याख्या करते हुए आचार्य ने पाँच प्रकार के ज्ञान का स्वरूप-प्रतिपादन किया है। आभिनिबोधिक आदि ज्ञानों की व्याख्या में वैविध्य का पूरा उपयोग किया है। यह व्याख्यानवैविध्य चूर्ण में दृष्टिगोचर नहीं होता। उदाहरण के लिए 'आभिनिबोधिक' शब्द के व्याख्यान में किन्हीं विविधता है, इसकी ओर जरा ध्यान दीजिए :

'अर्थाभिमुखो नियतो बोधः अभिनिबोधः, अभिनिबोध एव आभिनिबोधिक, विनयादिपाठात् अभिनिबोधशब्दस्य "विनयादिभ्यष्टक्" (५० ५, ४, ३४) इत्यनेन स्वार्थ एव ठक् प्रत्ययो, यथा विनय एव वैनयिकमिति, अभिनिबोधे वा भव तेन वा निवृत्त तन्मयं तत्प्रयोजन वा, अथवा अभिनिबुध्यते तद् इत्याभिनिबोधिकं, अवप्रहादिरूप मतिज्ञानमेव तस्य स्वसविदितरूपत्वात्, भेदोपचारादित्यर्थः, अभिनिबुध्यते वाऽनेनेत्याभिनिबोधिक, तदावरणकर्मक्षयोपशम इति भावार्थः, अभिनिबुध्यते अस्मादिति वा आभिनिबोधिक, तदावरणकर्मक्षयोपशम एव, अभिनिबुध्यतेऽस्मिन्निति वा क्षयोपशम इत्याभिनिबोधिकं, आत्मैव वा अभिनिबोधोपयोगपरिणामानन्यत्वाद् अभिनिबुध्यत इत्याभिनिबोधिक, आभिनिबोधिक च तज्ज्ञान चेति समासः ।'^१

उपर्युक्त गद्यांश में वृत्तिकार ने छ दृष्टियों से आभिनिबोधिक ज्ञान का व्याख्यान किया है (१) अर्थाभिमुख जो नियत बोध है, (२) जो अभिनिबुद्ध होता है, (३) जिसके द्वारा अभिनिबुद्ध होता है, (४) जिससे अभिनिबुद्ध होता है, (५) जिसमें अभिनिबुद्ध होता है अथवा (६) जो अभिनिबोधोपयोग परिणाम से अभिन्नतया अभिनिबुद्ध होता है वह आभिनिबोधिक है। इसी प्रकार श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवञ् का भी भेद-प्रभेदपूर्वक व्याख्यान किया गया है।

सामायिक-निर्युक्ति का व्याख्यान करते हुए प्रवचन की उत्पत्ति के प्रसंग पर वृत्तिकार ने वादिमुखकृत दो श्लोक उद्धृत किये हैं जिनमें यह बताया गया है कि कुछ पुरुष स्वभाव से ही ऐसे होते हैं जिन्हें वीतराग की वाणी अनधिकर लगती

है। इसमें वीतराग के प्रवचनों का कोई दोष नहीं है। दोष सुनने वाले उन पुरुष-उल्लूकों का है जिनका स्वभाव ही वीतराग-प्रवचनरूपी प्रकाश में अन्धे हो जाना है। जैसाकि आचार्य कहते हैं 'त्रैलोक्यगुरोर्धर्मदेशनक्रिया विभिन्नस्वभावेषु प्राणिषु तत्स्वाभाव्यात् विबोधाविबोधकारिणी पुरुषो-ल्लूकमलकुमुदादिषु आदित्यप्रकाशनक्रियावत्, उक्तं च वादिमुख्येन—

त्वद्वाक्यतोऽपि केपाञ्चिदबोध इति मेऽद्भुतम्।

भानोर्मरीचयः कस्य, नाम नालोकहेतवः ॥ १ ॥

न चाद्भुतमुल्लूकस्य, प्रकृत्या क्लिष्टचेतसः।

स्वच्छा अपि तमस्त्वेन, भासन्ते भास्वतः कराः ॥ २ ॥

सामायिक के उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र आदि २३ द्वारों का विवेचन करते हुए वृत्तिकार ने एक जगह (आवश्यक के) विशेषविवरण का उल्लेख किया है। निर्देश-द्वार के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन करने के बाद वे लिखते हैं व्यासा-र्थस्तु विशेषविवरणादवगन्तव्य इति ।^१

सामायिक के निर्गम द्वार के प्रसंग से कुलकरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए आचार्य ने सात कुलकरों की उत्पत्ति से सम्बन्धित एक प्राकृत कथानक दिया है और उनके पूर्वभवों के विषय में सूचित किया है कि एतद्विषयक वर्णन प्रथमानुयोग में देल लेना चाहिए पूर्वभवाः खल्वमीपां प्रथमानुयोगतोऽवसेयाः ।^२ उनकी आयु आदि का वर्णन करते हुए वृत्तिकार ने 'अन्ये तु व्याचक्षते'^३ ऐसा लिख कर तद्विषयक मतभेदों का भी उल्लेख किया है। आगे नाभि कुलकर के यहाँ भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ, यह बताया गया है तथा उनके तीर्थकरनाम-गोत्रकर्म वैधने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए धन नामक सार्थवाह का आख्यान दिया गया है। यह आख्यान भी अन्य आख्यानों की भाँति प्राकृत में ही है। इस प्रसंग से सम्बन्धित गाथाओं में से एक गाथा का अन्यकर्तृकी गाथा के रूप में उल्लेख किया गया है। 'वत्तरकुरु सोहम्मे महाविदेहे महद्वज्रलो ' गाथा का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं 'इयमन्यकर्तृकी गाथा सोपयोगा च ।' भगवान् ऋषभदेव के अभिषेक का

वर्णन करते हुए आचार्य ने निर्युक्ति के कुछ पाठान्तर भी दिये हैं पाठान्तर चा 'आभोएउं सक्को आगंतुं तस्स कासि', 'चउन्निहं संगह कासी' इत्यादि। प्रस्तुत वृत्ति में इस प्रकार के अनेक पाठान्तर दिये गये हैं। आदितीर्थकर ऋषभ के पारणक के वर्णन के प्रसंग पर एक कथानक दिया गया है और विस्तृत वर्णन के लिए वसुदेवहिंडि^१ का नामोल्लेख किया गया है।

अर्हत् प्रत्यक्षरूप से सामायिक के अर्थ का अनुभव करके ही सामायिक का कथन करते हैं जिसे सुनकर गणधर आदि श्रोताओं के हृदयगत अशेष सशय का निवारण हो जाता है और उन्हें अर्हत् की सर्वज्ञता में पूर्ण विश्वास हो जाता है।

सामायिकार्थ का प्रतिपादन करनेवाले चरम तीर्थकर भगवान् महावीर के शासन में उत्पन्न चार अनुयोगों का विभाजन करनेवाले आर्य रक्षित की प्रसूति से सम्बद्ध 'माया य रुहसोमा' आदि गाथाओं का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने एतद्विषयक कथानक का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है।^२ यह कथानक प्रस्तुत संस्करण के पचीस पृष्ठों में समाप्त हुआ है।

चतुर्विंशतिस्तव और वदना नामक द्वितीय और तृतीय आवश्यक का निर्युक्ति के अनुसार व्याख्यान करने के बाद प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ आवश्यक की व्याख्या करते हुए आचार्य ने ध्यान पर विशेष प्रकाश डाला है। 'प्रतिक्रमामि चतुर्भिर्ध्यानैः करणभूतैरश्रद्धेयादिना प्रकारेण योऽतिचारः कृतः, तद्यथा—आर्तध्यानेन, तत्र ध्यातिर्ध्यानमिति भावसाधनः' अयं ध्यानसमासार्थः। व्यासार्थस्तु ध्यानशतकादवसेयः, तच्चेदम्—^३ ऐसा कह कर ध्यानशतक की समस्त गाथाओं का व्याख्यान किया है। इसी प्रकार परिस्थापना की विधि का वर्णन करते हुए पूरी परिस्थापनानिर्युक्ति उद्धृत कर दी है।^४ सात प्रकार के भयस्थानसबधी अतिचारों की आलोचना का व्याख्यान करते हुए सम्रहणिकारकृत एक गाथा उद्धृत की है।^५ आगे की वृत्ति में सम्रहणिकार की और भी अनेक गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। इसी आवश्यक के अन्तर्गत अस्वाध्यायसम्बन्धी निर्युक्ति की व्याख्या में सिद्धसेन क्षमाभ्रमण की दो गाथाएँ उद्धृत की गई हैं।^६

१ पृ० १२७ (२) २ पृ० १२८ (१) ३ पृ० १४५ (२).
 ४ पृ० २८० (२) ५ पृ० २९६ (१)—३०८ (१) ६ उत्तरार्ध
 (पूर्वभाग), पृ० ५८१ ७ पृ० ६१८ (१)—६४४ (१) ८ पृ० ६४५
 ९ पृ० ७४९ (२)—७५० (१)

पचम आवश्यक कायोत्सर्ग के अन्त में 'शिष्यहिताया कायोत्सर्गाध्ययन समाप्तम् ।' ऐसा पाठ है । आगे भी ऐसा ही पाठ है । इससे यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वृत्ति का नाम शिष्यहिता है । इस अध्ययन के विवरण से प्राप्त पुण्य का फल क्या हो ? इसका उल्लेख करते हुए वृत्तिकार कहते हैं :

कायोत्सर्गविवरणं कृत्वा यदवाप्तमिह मया पुण्यम् ।
तेन खलु सर्वसत्त्वाः पञ्चविध कायमुद्भन्तु ॥ १ ॥

कायोत्सर्गविवरण से प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप सभी प्राणी पञ्चविध काय का उत्सर्ग करें । षष्ठ आवश्यक प्रत्याख्यान के विवरण में ध्रावकधर्म का भी विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है । प्रत्याख्यान की विधि, माहात्म्य आदि आवश्यक बातों की चर्चा करते हुए वृत्तिकार ने शिष्यहिता नामक आवश्यकटीका समाप्त की है । समाप्ता चेय शिष्यहितानामावश्यकटीका । अन्त में वे लिखते हैं कृतिः सिताम्बराचार्यजिनभटनिगदानुसारिणो विद्याधरकुलतिलकाचार्य-जिनदत्तशिष्यस्य धर्मतो जाङ्गीमहत्तरासूनोरल्पमतेराचार्यहरिभद्रस्य । प्रस्तुत टीका श्वेताम्बराचार्य जिनभट के आज्ञाकारी विद्यार्थी, विद्याधर कुल के तिलकभूत आचार्य जिनदत्त के शिष्य और याकिनी महत्तरा के धर्मपुत्र अल्पमति आचार्य हरिभद्र की कृति है । यह २२००० श्लोकप्रमाण है ।^१

द्वाविंशति सहस्राणि, प्रत्येकाक्षरगणनया (संख्यया) ।
अनुष्टुपुच्छन्दसा मानमस्या उद्देशतः कृतम् ॥ १ ॥



चतुर्थ प्रकरण

कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्य-विवरण

कोट्याचार्य ने आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य पर टीका लिखी है। यह टीका स्वयं आचार्य जिनभद्र द्वारा प्रारम्भ की गई एवं आचार्य कोट्याचार्य द्वारा पूर्ण की गई विशेषावश्यकभाष्य की सर्वप्रथम टीका से भिन्न है। कोट्याचार्य ने अपनी टीका में आचार्य हरिभद्र का अथवा उनके किसी ग्रन्थ का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कुछ विद्वान् यह अनुमान करते हैं कि कोट्याचार्य या तो हरिभद्र के पूर्ववर्ती हैं या समकालीन। कोट्याचार्य ने अपनी टीका में अनेक स्थानों पर आवश्यक की मूल टीका एवं विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञटीका का उल्लेख किया है। मूल टीका जिनभद्र की है जिनके नाम का आचार्य ने उल्लेख भी किया है। कोट्याचार्य ने अपनी कृति में जिनभद्रगणिक्रमाश्रमण का सम्मानपूर्ण शब्दों द्वारा स्मरण किया है। मलधारी हेमचन्द्रसूरि ने अपनी विशेषावश्यकभाष्य की टीका में आचार्य जिनभद्र के साथ कोट्याचार्य का भी प्राचीन टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि कोट्याचार्य एक प्राचीन टीकाकार हैं और सम्भवतः वे आचार्य हरिभद्र से भी प्राचीन हों। ऐसी स्थिति में आचार्य शीलक और कोट्याचार्य को एक ही व्यक्ति मानना युक्तिरूपतः प्रतीत नहीं होता, जैसी कि प्रभावकचरित्रकार की मान्यता है।^१ आचार्य शीलक का समय विक्रम की नवीं दसवीं शताब्दी है जबकि कोट्याचार्य का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी ही सिद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि शीलकसूरि और कोट्याचार्य को एक ही व्यक्ति मानने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तुत विवरण में कोट्याचार्य ने विशेषावश्यकभाष्य का व्याख्यान किया है जो न अति सक्षिप्त है और न अति विस्तृत। विवरण में जो कथानक उद्धृत किये गये हैं वे प्राकृत में हैं। कहीं कहीं पद्यात्मक कथानक भी हैं।^२ विवरणकार

१ प्रभावकचरित्र (भाषांतर) प्रस्तावना, पृ ८७ २ ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९३६-७ ३ पृ २७५

ने आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की स्तोपज्ञवृत्ति^१ और जिनभट्टकृत आवश्यकविष्टिति (मूलटीका ?)^२ का भी उल्लेख किया है। विवरण में कहीं-कहीं पाठान्तर दिये गये हैं।^३

प्रारम्भ में आचार्य ने वीर जिनेश्वर, श्रुतदेवता तथा जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का सादर स्मरण किया है .

नतविद्युधवधूना कन्दमाणिक्यभास-
 श्वरणनखमयूखैरुल्लसद्भिः किरन् यः ।
 अकृत कृतजगच्छ्रीदेशना मानवेभ्यो,
 जनयतु जिनवीरः स्थेयसीं वः म लक्ष्मीम् ॥१॥
 विकचकेतकपत्रसमप्रभा, मुनिपवाक्यमहोदधिपालिनी ।
 प्रतिदिन भवताममरार्चिता, प्रविदधातु सुख श्रुतदेवता ॥ २ ॥
 यैर्भव्याम्बुरुहाणि ज्ञानकरैर्बोधितानि वः सन्तु ।
 अज्ञानध्वान्तभिदे जित्तभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्याकाः ॥ ३ ॥

अन्त में विवरणकार ने विशेषावश्यकभाष्यकार—सामायिकभाष्यकार आचार्य जिनभद्र (पूज्य) का पुनः स्मरण किया है :

भाष्य सामायिकस्य स्फुटविकटपदार्थोपगूढं यदेतत्,
 श्रीमत्पूज्यैरकारि क्षतकलुषधिया भूरिसस्कारकारि ।
 तस्य व्याख्यानमात्र किमपि विदधता यन्मया पुण्यमाप्त,
 प्रेत्याह द्राग्लभेयं परमपरिमिता प्रीतिमत्रैव तेन ॥

प्रस्तुत विवरण का ग्रन्थमान १३७०० श्लोकप्रमाण है ग्रन्थाग्रमस्या त्रयोदश सहस्राणि सप्तशताधिकानि ।^४



१ पृ २४५

२ पुनर्लभित्थमेव मिथ्यात्व करिष्यति, तत्राप्यपूर्वमिवापूर्वमिति जिनभद्रा-
 चार्यपादा —उत्तरभाग का उपक्रम, पृ ४

३ पृ ३३८ ४ पृ ९८१

पंचम प्रकरण

गन्धहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञान-विवर

आचार्य गन्धहस्ती ने आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञान पर टीका लिखी थी जो इस समय अनुपलब्ध है। शीलकाचार्य ने अपनी आचाराग-टीका के आरम्भ में इसका उल्लेख किया है। प्रस्तुत गन्धहस्ती और तत्त्वार्थभाष्य पर बृहद्भृत्ति लिखने वाले सिद्धसेन दोनों एक ही व्यक्ति हैं।^१ ये सिद्धसेन भास्वामी के शिष्य हैं। अभी तक इनकी उपर्युक्त दो कृतियों के विषय में ही प्रमाण उपलब्ध हैं। सिद्धसेन का नाम गन्धहस्ती किसने व क्यों रखा ? इन्होंने स्वयं अपनी प्रशस्ति में गन्धहस्ती पद नहीं जोड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके शिष्य अथवा भक्त अनुगामियों ने इन्हें गन्धहस्ती के रूप में प्रसिद्ध किया है। ऐसा करने का कारण यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन एक सैद्धान्तिक विद्वान् थे। उनका आगमों का ज्ञान अति समृद्ध था। वे आगमविरुद्ध मान्यताओं का खण्डन करने में बहुत प्रसिद्ध थे। सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करना उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। उनकी अठारह हजार श्लोकप्रमाण तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति सम्भवतः उस समय तक लिखी गई तत्त्वार्थ-भाष्य की सभी व्याख्याओं में बड़ी रही होगी। इस बृहद् वृत्ति तथा उसमें किये गये आगमिक मान्यताओं के समर्थन को देखकर उनके बाद के शिष्यों अथवा भक्तों ने उनका नाम गन्धहस्ती रख दिया होगा। यह 'गन्धहस्ती' शब्द इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि तीर्थंकरों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 'शक्रस्तव' नाम से प्रसिद्ध 'नमोत्थुण' के प्राचीन स्तोत्र में 'पुरिसवरगन्धहस्तीण' का प्रयोग कर तीर्थंकर को गन्धहस्ती विशेषण से विशिष्ट बताया गया है। सिद्धसेन अर्थात् गन्धहस्ती के समय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना निश्चित है कि ये विक्रम की सातवीं और नवीं शताब्दी के बीच में कभी हुए हैं। इन्होंने अपनी तत्त्वार्थभाष्य-वृत्ति में वसुवन्धु, धर्मकीर्ति

१. इस मत की पुष्टि के लिए देखिये—तत्त्वार्थसूत्र परिचय, पृ० ३४-४२ (पं० सुखलालजीकृत विवेचन)

आदि बौद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है^१ जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सातवीं शताब्दी (विक्रम) के पहले तो नहीं हुए। दूसरी ओर नवीं शताब्दी में होने वाले आचार्य शीलाक ने इनका उल्लेख किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि ये नवीं शताब्दी से पूर्व किसी समय हुए हैं।



१ तत्त्वार्थमाख्यवृत्ति, पृ० ६८, ३९७.

शीलांकृत विवरण

आचार्य शीलाक शीलाचार्य एव तत्त्वादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।^१ कहा जाता है कि इन्होंने प्रथम नौ अगों पर टीकाएँ लिखी थीं,^२ किन्तु वर्तमान में केवल आचाराग और सूत्रकृताग की टीकाएँ ही उपलब्ध हैं। आचाराग-टीका की विभिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न समय का उल्लेख है। किसी में शक स० ७७२ का उल्लेख है तो किसी में शक स० ७८४ का, किसी में शक स० ७९८ का उल्लेख है तो किसी में गुप्त स० ७७२ का।^३ इससे यही सिद्ध होता है कि आचार्य शीलाक शक की आठवीं अर्थात् विक्रम की नवीं दसवीं शताब्दी में विद्यमान थे।

आचारागविवरण :

प्रस्तुत विवरण^४ मूल सूत्र एव निर्युक्ति पर है। विवरणकार ने अपना विवरण शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं रखा है अपितु प्रत्येक विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए बीच-बीच में अनेक प्राकृत एव संस्कृत उद्धरण भी दिये हैं। भाषा, शैली, सामग्री आदि सभी दृष्टियों से विवरण को सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है। विवरण प्रारंभ करने के पूर्व आचार्य ने स्वयं इस बात की ओर संकेत किया है। प्रारंभ में विवरणकार ने जिनतीर्थ की महिमा बताते हुए उसकी जय बोली है तथा गणहस्तिकृत शालपरिज्ञाविवरण को अति कठिन बताते हुए आचाराग पर सुबोध विवरण लिखने का संकल्प किया है

१ निवृत्तिकुलीनश्रीशीलाचार्येण तत्त्वादित्यापरनाम्ना वाहरिसायुसहायेन कृता टीका परिसमाप्तेति ।

—आचाराग-टीका, प्रथम श्रुतस्कन्ध का अन्त

२. प्रभावकचरित्र श्रीभगवदेवसूरिप्रबन्ध, का १०४५
३. A History of the Canonical Literature of the Jainas, पृ० १९७
४. (अ) जिनहस व पादवंचन्द्र की टीकाओं सहित—रायचहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, वि० स० १९३६
(आ) आगमोदय समिति, सूरत, वि० स० १९७२-३
(इ) जैनानन्द पुस्तकालय, गोपीपुरा, सूरत, सन् १९३५.

जयति समस्तवस्तुपर्यायविचारापास्ततीर्थिकं,
 विहितैकैकतीर्थनयवादसमूहवशात्प्रतिष्ठितम् ।
 बहुविधभङ्गिसिद्धसिद्धान्तविधूनितमलमलीमस,
 तीर्थमनादिनिघन्नातमनुपममादिनतं जिनेश्वरैः ॥ १ ॥
 आचारशास्त्रं सुविनिश्चितं यथा,
 जगाद् वीरो जगते हिताय यः ।
 तथैव किञ्चिद् गदतं स एव मे,
 पुनातु धीमान् विनयार्पिता गिरः ॥ २ ॥
 शस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम् ।
 तस्मात् सुखबोधार्थं गृह्णाम्यहमक्षसा सारम् ॥ ३ ॥

आचार्य सर्वप्रथम सूत्रों का पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद के बाद 'साम्प्रतं सूत्रपदार्थः' ऐसा कहते हुए पदों का स्पष्ट अर्थ करते हैं। तदनन्तर तद्विषयक विशेष शका-समाधान की ओर ध्यान देते हैं। इस प्रसंग पर अपने वक्तव्य की विशेष पुष्टि के लिए कहीं कहीं उद्धरण भी प्रस्तुत करते हैं। 'सुय मे आवस । तेणं भगवया एवमक्खायं—इहमेगेसिं णो सण्णा भवति' (सू० १) का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं तच्छेदं सूत्रम्—'सुयं मे आवस । तेणं भगवया एवमक्खायं—इहमेगेसिं णो सण्णा भवति' अस्य साहितादि-क्रमेण व्याख्या—संहितोच्चारितैव, पदच्छेदस्त्वयम्—श्रुतं मया आयुष्मन् । तेन भगवता एवमाख्यातम्—इह एकेषा नो संज्ञा भवति । एक तिङन्तं शेषाणि सुबन्तानि, गतः सपदच्छेदः सूत्रानुगमः, साम्प्रत सूत्रपदार्थः समुन्नीयते—भगवान् सुधर्मस्वामी जन्मूनाम्न इदमाचष्टे यथा—'श्रुतम्' आकर्णितमवगतमवधारितमिति यावद्, अनेन स्वमनीषिकाव्युदासो 'मये' ति साक्षात् पुनः पारम्पर्येण, 'आयुष्मन्नि'ति जात्यादिगुणसंभवेऽपि दीर्घायुष्कत्वगुणोपादानं दीर्घायुरविच्छेदेन शिष्योपदेशप्रदायको यथा स्यात् 'इहे' ति क्षेत्रे प्रवचने आचारे शस्त्रपरिज्ञाया वा आख्यात मिति सम्बन्धो, यदि वा—'इहे' ति ससारे 'एकेषा' ज्ञानावरणीयावृताना प्राणिना 'नो संज्ञा भवति,' संज्ञानं संज्ञा स्मृतिरवबोध इत्यनर्थान्तर, सा नो जायते इत्यर्थः, उक्तः पदार्थः, पदविग्रहस्य तु सामासिकपदाभावाद-प्रकटनम् । इदानीं चालना—ननु चाकारादिकप्रतिषेधकलघुशब्दसम्भवे सति किमर्थं नोशब्देन प्रतिबोध इति ? अत्र प्रत्यवस्था—सत्यमेवं, किन्तु प्रेक्षापूर्वकारितया नोशब्दोपादानं, सा चेयम्—अन्येन प्रतिषेधेन सर्व-

निषेधः स्याद्, यथा न घटोऽघट इति चोक्ते सर्वात्मना घटनिषेधः, स च नेष्यते, यतः प्रज्ञापनाया दश संज्ञाः सर्वप्राणिनामभिहितास्तासा सर्वासा प्रतिषेधः प्राप्नोतीति कृत्वा, ताश्रेभाः एवमिहापि न सर्वसंज्ञानिषेधः, अपितु विशिष्टसंज्ञानिषेधो, यथाऽऽत्मादिपदार्थस्वरूपं गत्यागत्यादिक ज्ञायते तस्या निषेध इति ।^१

इसी प्रकार नियुक्ति गाथाओं की व्याख्या में भी प्रत्येक पद का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। प्रथम अध्ययन की व्याख्या के अन्त में विवरणकार ने पुनः इस बात का निर्देश किया है कि आचार्य गन्धहस्ती ने आचाराग के शब्द परिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन का विवरण लिखा है, जो अति कठिन है। मैं अब अवशिष्ट अध्ययनों का विवरण प्रारम्भ करता हूँ^२

शब्दपरिज्ञाविवरणमतिगहनमितीव किल वृतं पूज्यैः ।

श्रीगन्धहस्तिमिश्रैर्विवृणोमि ततोऽहमवशिष्टम् ॥ २ ॥

षष्ठ अध्ययन की व्याख्या के बाद अष्टम अध्ययन की व्याख्या प्रारम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि महापरिज्ञा नामक सप्तम अध्ययन का व्यवच्छेद हो जाने के कारण उसका अतिलघन करके अष्टम अध्ययन का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है अधुना सप्तमध्ययनस्य महापरिज्ञाख्यस्यावसरः, तच्च व्यवच्छिन्न-मितिः कृत्वाऽतिलङ्घ्याष्टमस्य सम्बन्धो वाच्यः ।^१ विमोक्ष नामक अष्टम अध्ययन के षष्ठ उद्देशक की वृत्ति में नागरिक-शास्त्रसम्मत ग्राम, नगर, खेट, कर्बट, मडम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, आकर, आश्रम, सन्निवेश, नैगम और राजधानी का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है :—^२

‘असति बुद्ध्यदीन् गुणानिति गम्यो वाऽष्टादशाना करणामिति ग्रामः, नात्र करो विद्यत इति नकर, पाशुप्राकारबद्ध खेट, क्षुल्लकप्राकार-वेष्टित कर्बट, अर्द्धतृतीयगन्वृतान्तर्ग्रामरहितं मडम्ब, पत्तन तु द्विधा—जलपत्तन स्थलपत्तन च, जलपत्तनं यथा काननद्वीपः, स्थलपत्तनं यथा मथुरा, द्रोणमुखं जलस्थलनिर्गमप्रवेश यथा भरुकच्छ तामलिनी वा, आकरो हिरण्याकरादिः, आश्रमः तापसावसथोपलक्षित आश्रयः, सन्निवेशः यात्रासमागतजनावासो जनसमागमो वा, नैगमः प्रभूततरवणिगवर्गावासः, राजधानी राजाधिष्ठानं राज्ञः पीठिकास्थानमित्यर्थः ।’

१. भागमोदय-संस्करण, पृ ११ २. पृ० ८१ (२). ३. पृ० २५९ (१) ४. पृ० २८४ (२)-२८५ (१).

जो बुद्धि आदि गुणों का नाश करता है अथवा अठारह प्रकार के कर्मों का स्थान है वह ग्राम है। जहाँ पर किसी प्रकार का कर नहीं होता वह नकर (नगर) है। मिट्टी की चहारदीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र खेत कहलाता है। छोटी चहारदीवारी से वेष्टित क्षेत्र कर्मट कहलाता है। जिसके आसपास दार्दिकोस की दूरी तक अन्य ग्राम न हो वह मङ्गल कहलाता है। पत्तन दो प्रकार का है जलपत्तन और स्थलपत्तन। काननद्वीप आदि जलपत्तन हैं। मथुरा आदि स्थलपत्तन हैं। नल और स्थल के आवागमन के केन्द्रों को द्रोणमुख (वदर) कहते हैं। भद्रकच्छ, तामलिसि आदि इसी प्रकार के स्थान हैं। सुवर्ण आदि के कोष को आकर कहते हैं। तपस्वियों का वास—स्थान आश्रम कहलाता है। यात्रियों के समुदाय अथवा सामान्य जनसमूह को सन्निवेश कहते हैं। व्यापारीवर्ग की वसति नैगम कहलाती है। राजा के मुख्य स्थान—पीठिका स्थान को राजधानी कहते हैं।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के व्याख्यान के प्रारम्भ में विवरणकार ने पुनः मध्यमगल करते हुए तीन श्लोक लिखे हैं तथा चतुर्चूडात्मक द्वितीय श्रुतस्कन्ध की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है। इस श्रुतस्कन्ध का नाम अग्र-श्रुतस्कन्ध क्यों रखा गया, इसका भी निर्युक्ति की सहायता से विचार किया गया है।^१ प्रथम और द्वितीय दोनों श्रुतस्कन्धों के विवरण के अन्त में समाप्तिसूचक श्लोक हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अन्त में केवल एक श्लोक है जिसमें आचार्य ने आचाराग की टीका लिखने से प्राप्त स्वपुण्य को लोक की आचारशुद्धि के लिए प्रदान किया है।^२

आचारटीकाकरणे यदामं, पुण्यं मया मोक्षगमैकहेतुः।

तेनापनीयाशुभराशिमुच्चैराचारमार्गप्रवणोऽस्तु लोकः॥

प्रथम श्रुतस्कन्ध के अन्त में चार श्लोक हैं जिनमें यह बताया गया है कि शीलाचार्य ने गुप्त सवत् ७७२ की भाद्रपद शुक्ला पचमी के दिन गभूता में प्रस्तुत टीका पूर्ण की। आचार्य ने टीका में रही हुई त्रुटियों का सशोधन कर लेने की भी नम्रतापूर्वक सूचना दी है और इस टीका की रचना से प्राप्त पुण्य से लगत् की सदाचार वृद्धि की कामना की है।^३

द्वासप्तत्यधिकेषु हि शतेषु सप्तसु गतेषु गुप्तानाम्।
सवत्सरेषु मासि च भाद्रपदे शुक्लपञ्चम्याम् ॥ १ ॥

शीलाचार्येण कृता गम्भूताया स्थितेन टीकैषा ।
 सम्यगुपयुज्य शोध्य मात्सर्यविनाकृतैरार्यैः ॥ २ ॥
 कृत्वाऽऽचारस्य मया टीका यत्किमपि सञ्चित पुण्यम् ।
 तेनाप्नुयाज्जगदिद निर्वृतिमतुला सदाचारम् ॥ ३ ॥
 वर्णः पदमथ वाक्यं पद्यादि च यन्मया परित्यक्तम् ।
 तच्छोधनीयमत्र च व्यामोह कस्य नो भवति ॥ ४ ॥

इसी श्रुतस्कन्ध के अन्त में यह भी उल्लेख है कि आचार्य शीलाक निर्वृति कुल के थे, उनका दूसरा नाम तत्त्वादित्य या तथा उन्हें प्रस्तुत टीका बनाने में वाहरिसाधु ने सहायता दी थी : तदात्मकस्य ब्रह्मचर्याख्यश्रुतस्कन्धस्य निर्वृतिकुलीनश्रीशीलाचार्येण तत्त्वादित्यापरनाम्ना वाहरिसाधु-सहायेन कृता टीका परिसमाप्तेति ।' पूरी टीका का प्रथमान १२००० श्लोक-प्रमाण है ।'

सूत्रकृतागविवरण :

शीलाकाचार्यविहित प्रस्तुत विवरण^१ सूत्रकृताग मूल एव उसकी निर्युक्ति पर है। प्रारंभ में आचार्य ने जिनों को नमस्कार किया है एव प्रस्तुत विवरण लिखने की प्रतिज्ञा की है

स्वपरसमयार्थसूचकमनन्तगमपर्ययार्थगुणकलितम् ।
 सूत्रकृतमङ्गमतुल विवृणोमि जिनान्नमस्कृत्य ॥ १ ॥
 तथाख्यातमङ्गमिह यद्यपि सूरिमुख्यैर्भक्त्या
 तथापि विवरीतुमह यतिष्ये ।

किं पक्षिराजगतमित्यवगम्य सम्यक्,
 तेनैव वाञ्छति पथा शलभो न गन्तुम् ॥ २ ॥

१ पृ ३१६ (२) २ पृ ४३२

३ (अ) आगमोदय समिति, मेहसाना, सन् १९१७

(आ) हर्षकुलकृत विवरणसहित—भीमसी माणेक, बम्बई, वि.

स १९३६

(इ) हिन्दी अर्थसहित (प्रथम श्रुतस्कन्ध)—महावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी, राजकोट, वि स १९९३-५

(ई) साधुरंगरचितटीपिकासहित—गोडीपाईर्व जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, सन् १९५० (प्रथम श्रुतस्कन्ध).

ये मरुग्रवज्ञा व्यधुरिद्धबोधा,
जानन्ति ते किञ्चन तानपास्य ।

मत्तोऽपि यो मन्दमतिस्तथार्थी,

तस्योपकाराय ममैव यत्नः ॥ ३ ॥

आचार्य ने विवरण को सब दृष्टियों से सफल बनाने का प्रयत्न किया है और इसके लिए दार्शनिक दृष्टि से वस्तु का विवेचन, प्राचीन प्राकृत एव सस्कृत प्रमाणों का उद्धरण, स्वपक्ष एव परपक्ष की मान्यताओं का असदिग्ध निरूपण आदि समस्त आवश्यक साधनों का उपयोग किया है। यत्र-तत्र पाठान्तर भी उद्धृत किये हैं। प्रस्तुत विवरण में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है और वह यह कि विवरणकार ने अपने विवरण में अनेकों श्लोक एव गायार्ण उद्धृत की हैं किन्तु कहीं पर भी किसी श्लोक अथवा गायार्ण के रचयिता के नाम का निर्देश नहीं किया। इतना ही नहीं, तत्सम्बद्ध ग्रन्थ के नाम का भी उल्लेख नहीं किया। 'तदुक्तम्', 'अन्यैरप्युक्तम्', 'तथा चोक्तम्', 'उक्तञ्च', 'तथाहि' इत्यादि शब्दों के साथ बिना किसी ग्रन्थविशेष अथवा ग्रन्थकार-विशेष के नाम का निर्देश किये समस्त उद्धरणों का उपयोग किया है।

विवरण के अन्त में यह उल्लेख है कि (१२८५० श्लोक प्रमाण) प्रस्तुत टीका शीलाचार्य ने वाहरिगणि की सहायता से पूरी की है। कृता चेर्यं शीलाचार्येण वाहरिगणिसहायेन। इसके बाद टीकाकार टीका से प्राप्त अपना पुण्य भव्य जन का अज्ञानाघकार दूर करने के लिए प्रदान करते हुए कहते हैं :

यद्वाप्तमत्र पुण्य टीकाकरणे मया समाधिभृता ।
तेनापेततमस्को भव्यः कल्याणभाग् भवतु ॥



सप्तम प्रकरण

शान्तिसूरिकृत उत्तराध्ययनटीका

वादिवेताल शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर टीका लिखी है। इनका जन्म राधनपुर के पास उण—उन्नतायु नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम धनदेव और माता का नाम धनश्री था। शान्तिसूरि का बाल्यावस्था का नाम भीम था। प्रभावक-चरित्र में इनका चरित्र-वर्णन इस प्रकार है :^१

उस समय पाटन में 'सपक विहार' नामक एक प्रसिद्ध जिनमंदिर था। उसी के पास थारापद गच्छ का उपाश्रय था। उस उपाश्रय में थारापद गच्छीय विजयसिंहसूरि नामक आचार्य रहते थे। वे विचरते हुए उन्नायु पहुँचे और धनदेव को समझा बुझा कर प्रतिभाशाली बालक भीम को दीक्षा दी। दीक्षा के बाद भीम का नाम शान्ति हो गया। कालक्रम से शान्ति आचार्यपद प्राप्त कर विजयसिंहसूरि के पट्टधर शिष्य शान्तिसूरि हुए।

पाटन के भीमराज की सभा में शान्तिसूरि 'कवीन्द्र' तथा 'वादिचक्रवर्ती' के रूप में प्रसिद्ध थे। कवि धनपाल के प्रार्थना करने पर शान्तिसूरि ने मालव-प्रदेश में विहार किया तथा भोजराज की सभा के ८४ वादियों को पराजित कर ८४ लाख रुपये प्राप्त किये। मालवे के एक लाख रुपये गुजरात के १५ हजार रुपये के बराबर होते थे। इस हिसाब से भोज ने १२ लाख ६० हजार गुजराती रुपये शान्तिसूरि को भेंट किये। इनमें से १२ लाख रुपये तो उन्होंने वहीं जैन मंदिर बनवाने में खर्च कर दिये। शेष ६० हजार रुपये थरादनगर में भिजवाये जो वहीं के आदिनाथ के मंदिर में रख आदि बनवाने में खर्च किये गये।

अपनी सभा के पंडितों के लिए शान्तिसूरि वेताल के समान थे अतः राजा भोज ने उन्हें 'वादिवेताल' पद से विभूषित किया। धारानगरी में कुछ समय तक ठहर कर शान्तिसूरि ने महाकवि धनपाल की 'तिलकमञ्जरी' का सशोधन किया और बाद में धनपाल के साथ वे भी पाटन आये। उस समय वहाँ

के सेठ जिनदेव के पुत्र पद्मदेव को साँप ने काट लिया था। उसे मृत समझ कर भूमि में गाड़ दिया गया था। शान्तिस्मृति ने उसे निर्विष कर जीवन प्रदान किया।

शान्तिस्मृति के बत्तीस शिष्य थे। वे उन सब को प्रमाणशास्त्र का अभ्यास कराते थे। उस समय नाडोल से विहार कर आये हुए मुनिचन्द्रस्मृति पाटन की चैत्यपरिपाटी यात्रा में धूमते हुए वहाँ पहुँचे और खड़े खड़े ही पाठ सुनकर चले गये। इस प्रकार वे पन्द्रह दिन तक इसी प्रकार पाठ सुनते रहे। सोलहवें दिन सब शिष्यों की परीक्षा के साथ उनकी भी परीक्षा ली गई। मुनिचन्द्र का बुद्धि-चमत्कार देखकर शान्तिस्मृति अति प्रसन्न हुए तथा उन्हें अपने पास रखकर प्रमाणशास्त्र का विशेष अभ्यास कराया।

शान्तिस्मृति अपने अन्तिम दिनों में गिरनार में रहे। वहाँ उन्होंने २५ दिन तक अनशन-सथारा किया जो वि० सं० १०९६ के ज्येष्ठ शुक्ल ९ मंगलवार को पूर्ण हुआ और वे स्वर्गवासी हुए।

शान्तिस्मृति के समय के विषय में इतना कहा जा सकता है कि पाटन में भीमदेव का शासन वि० सं० १०७८ से ११२० तक था तथा शान्तिस्मृति ने भीमदेव की सभा में 'कवीन्द्र' और 'वादिचक्रवर्ती' की पदवियों प्राप्त की थीं। राजा भोज जिसकी सभा में शान्तिस्मृति ने ८४ वादियों को पराजित किया था, वि० सं० १०६७ से ११११ तक शासक के रूप में विद्यमान था। कवि धनपाल ने वि० सं० १०२९ में अपनी बहिन के लिए 'पाह्यलच्छीनाममाला' की रचना की थी। शान्तिस्मृति और धनपाल लगभग समवयस्क थे। इन तीनों प्रमाणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शान्तिस्मृति का समय विक्रम की ग्यारहवीं शती है।

शान्तिस्मृति ने उत्तराध्ययन टीका के अतिरिक्त धनपाल की 'तिलकमञ्जरी' पर भी एक टिप्पण लिखा है जो पाटन के मडारों में आज भी विद्यमान है। जीवविचारप्रकरण और चैत्यवन्दन महाभाष्य भी इन्हीं के माने जाते हैं।

वादिवेताल शान्तिस्मृतिकृत प्रस्तुत टीका का नाम शिष्यहितावृत्ति है। यह पाह्य-टीका के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें प्राकृत कथानकों एवं उद्धरणों की बहुलता है। टीका भाषा, शैली, सामग्री आदि सभी दृष्टियों से सरल है। इसमें मूल सूत्र एवं निर्युक्ति दोनों का व्याख्यान है। बीच में कहीं-

सप्तम प्रकरण

शान्तिसूरिकृत उत्तराध्ययनटीका

वादिवेताल शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर टीका लिखी है। इनका जन्म राधनपुर के पास उण—उन्नतायु नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम धनदेव और माता का नाम धनश्री था। शान्तिसूरि का बाल्यावस्था का नाम भीम था। प्रभावक चरित्र में इनका चरित्र वर्णन इस प्रकार है :^१

उस समय पाटन में 'सपक विहार' नामक एक प्रसिद्ध जिनमंदिर था। उसी के पास थारापद गच्छ का उपाश्रय था। उस उपाश्रय में थारापद-गच्छीय विजयसिंहसूरि नामक आचार्य रहते थे। वे विचरते हुए उन्नयाय पहुँचे और धनदेव को समझा-बुझा कर प्रतिभाशाली बालक भीम को दीक्षा दी। दीक्षा के बाद भीम का नाम शान्ति हो गया। कालक्रम से शान्ति आचार्यपद प्राप्त कर विजयसिंहसूरि के पट्टधर शिष्य शान्तिसूरि हुए।

पाटन के भीमराज की सभा में शान्तिसूरि 'कवीन्द्र' तथा 'वादिक्रवर्ता' के रूप में प्रसिद्ध थे। कवि धनपाल के प्रार्थना करने पर शान्तिसूरि ने मालव-प्रदेश में विहार किया तथा भोजराज की सभा के ८४ वादियों को पराजित कर ८४ लाख रुपये प्राप्त किये। मालवे के एक लाख रुपये गुजरात के १५ हजार रुपये के बराबर होते थे। इस हिसाब से भोज ने १२ लाख ६० हजार गुजराती रुपये शान्तिसूरि को भेंट किये। इनमें से १२ लाख रुपये तो उन्होंने वहीं जैन मंदिर बनवाने में खर्च कर दिये। शेष ६० हजार रुपये थरादनगर में भिजवाये जो वही के आदिनाथ के मंदिर में रथ आदि बनवाने में खर्च किये गये।

अपनी सभा के पडितों के लिए शान्तिसूरि वेताल के समान थे अतः राजा भोज ने उन्हें 'वादिवेताल' पद से विभूषित किया। धारानगरी में कुछ समय तक ठहर कर शान्तिसूरि ने महाकवि धनपाल की 'तिलकमजरी' का सशो-धन किया और बाद में धनपाल के साथ वे भी पाटन आये। उस समय वहाँ

१ श्रीशान्तिसूरि-प्रबन्ध (मुनि कल्याणविजयजी का भाषांतर)

के सेठ जिनदेव के पुत्र पद्मदेव को सॉप ने काट लिया था। उसे मृत समझ कर भूमि में गाड़ दिया गया था। शान्तिस्मृति ने उसे निर्विष कर जीवन प्रदान किया।

शान्तिस्मृति के वृत्तीय शिष्य थे। वे उन सब को प्रमाणशास्त्र का अभ्यास कराते थे। उस समय नाडोल से विहार कर आये हुए मुनिचन्द्रस्मृति पाटन की चैत्यपरिपाटी यात्रा में घूमते हुए वहाँ पहुँचे और खड़े खड़े ही पाठ सुनकर चले गये। इस प्रकार वे पन्द्रह दिन तक इसी प्रकार पाठ सुनते रहे। सोलहवें दिन सब शिष्यों की परीक्षा के साथ उनकी भी परीक्षा ली गई। मुनिचन्द्र का बुद्धि-चमत्कार देखकर शान्तिस्मृति अति प्रसन्न हुए तथा उन्हें अपने पास रखकर प्रमाणशास्त्र का विशेष अभ्यास कराया।

शान्तिस्मृति अपने अन्तिम दिनों में गिरनार में रहे। वहाँ उन्होंने २५ दिन तक अनशन-सथारा किया जो वि० स० १०९६ के ज्येष्ठ शुक्ल ९ मंगलवार को पूर्ण हुआ और वे स्वर्गवासी हुए।

शान्तिस्मृति के समय के विषय में इतना कहा जा सकता है कि पाटन में भीमदेव का शासन वि० स० १०७८ से ११२० तक था तथा शान्तिस्मृति ने भीमदेव की सभा में 'कवीन्द्र' और 'वादिचक्रवर्ती' की पदवियाँ प्राप्त की थीं। राजा भोज जिसकी समा में शान्तिस्मृति ने ८४ वादियों को पराजित किया था, वि० स० १०६७ से ११११ तक शासक के रूप में विद्यमान था। कवि धनपाल ने वि० स० १०२९ में अपनी बहिन के लिए 'पाह्यलच्छीनाममाला' की रचना की थी। शान्तिस्मृति और धनपाल लगभग समवयस्क थे। इन तीनों प्रमाणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शान्तिस्मृति का समय विक्रम की ग्यारहवीं शती है।

शान्तिस्मृति ने उत्तराध्ययन टीका के अतिरिक्त धनपाल की 'तिलकमंजरी' पर भी एक टिप्पण लिखा है जो पाटन के भडारों में आज भी विद्यमान है। जीवविचारप्रकरण और चैत्यवन्दन महाभाष्य भी इन्हीं के माने जाते हैं।

वादिवेताल शान्तिस्मृतिकृत प्रस्तुत टीका का नाम शिष्यहितावृत्ति है। यह पाह्य-टीका के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें प्राकृत कथानकों एवं उद्धरणों की बहुलता है। टीका भाषा, शैली, सामग्री आदि सभी दृष्टियों से सरल है। इसमें मूल सूत्र एवं निर्युक्ति दोनों का व्याख्यान है। बीच में कहीं-

कहीं भाष्यगाथाएँ भी उद्धृत की गई हैं। अनेक स्थानों पर पाठान्तर भी दिये गये हैं। प्रारम्भ में निम्नलिखित मंगलश्लोक है

शिवदाः सन्तु तीर्थेशा, विघ्नसङ्घातघातिन ।
भवकूपोद्धृतौ येषा चाग् वरत्रायते नृणाम् ॥ १ ॥
समस्तवस्तुविस्तारे, न्यासर्पत्तैलवज्जले ।
जीयात् श्रीशासनं जैनं, धीदीपोद्दीप्तिवर्द्धनम् ॥ २ ॥
यत्प्रभावादवाप्यन्ते, पदार्थाः कल्पना विना ।
सा देवी संविदे नः स्तादस्तकल्पलतोपमा ॥ ३ ॥
व्याख्याकृतामखिलशास्त्रविशारदाना
सूच्यप्रवेधकधिया शिवमस्तु तेषाम् ।

यैरत्र गाढतरगूढविचित्रसूत्र
ग्रन्थिर्विभिद्य विहितोऽद्य समापि गम्य ॥ ४ ॥

अध्ययनानामेषा यदपि कृताश्चूर्णिवृत्तय कृतिभिः ।

तदपि प्रवचनभक्तिस्त्वरयति मामत्र वृत्तिविधौ ॥ ५ ॥

मंगलविषयक परम्परागत चर्चा करने के बाद आचार्य ने क्रमशः प्रत्येक अध्ययन और उसकी निर्युक्ति का विवेचन किया है। प्रथम अध्ययन की व्याख्या में नय का स्वरूप बताते हुए महामति (सिद्धसेन) की निम्न गाथा उद्धृत की है ।

तित्थयरवयणसगहविसेसपत्थारमूलवागरणी ।

द्वन्द्वद्विओ वि पल्लवणभो य सेसा वियप्पा सिं ॥

अर्थात् तीर्थङ्कर के वचनों का विचार करने के लिए मूल दो नय हैं :
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । शेष नय इन्हीं के विकल्प हैं ।

वस्तु की नामरूपता सिद्ध करते हुए आचार्य ने भर्तृहरि का एक श्लोक उद्धृत किया है ।^१ 'तथा च पूज्या', 'उक्त च पूज्यै' आदि शब्दों के साथ विविध प्रसर्गों पर विशेषावश्यकभाष्य की अनेक गाथाएँ उद्धृत की गई हैं ।^१ 'समरेसु अगारेसु' (अ० १, सू० २६) की वृत्ति में 'तथा च चूर्णिकृत' ऐसा कहते हुए वृत्तिकार ने चूर्ण का एक वाक्य उद्धृत किया है ।^१ आगे 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' ऐसा लिखते हुए नागार्जुनीय वाचनासम्मत गाथा भी उद्धृत की है ।^१ नय की सख्या का विशेष विवेचन करते हुए आचार्य ने

१ प्रथम विभाग, पृ० २१ (१) २ वही ३ पृ० २१ (२) -
४, पृ० ५६ (२) ५ पृ० ६६ (१)

बताया है कि पूर्वविदों ने सकलनयसग्राही सात सौ नयों का विधान किया है । उस समय एतद्विषयक 'सप्तशतारनयचक्र' नामक अध्ययन भी विद्यमान था । तत्सग्राही विध्यादि बारह प्रकार के नयों का नयचक्र (द्वादशारनयचक्र) में प्रतिपादन किया गया है जो आज भी विद्यमान है . तथाहि—पूर्वविद्भिः सकलनयसङ्ग्राहीणि सप्त नयशतानि विहितानि, यत् प्रतिचन्द्र सप्तशतार नयचक्राध्ययनमासीत्, तत्सङ्ग्राहिणः पुनर्द्वादश विध्यादयो, यत्प्रति-पादकमिदानीमपि नयचक्रमास्ते ।^१

द्वितीय अध्ययन की न्याख्या में परीषहों के स्वरूप का विवेचन करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि भगवान् महावीरने इन परीषहों का उपदेश दिया है । इस प्रसंग पर कणादादिपरिकल्पित ईश्वरविशेष और अपौरुषेय आगम—इन दोनों का निराकरण किया गया है । देहादि के अभाव में आगमनिर्माण की कल्पना असंगत है देहादिविरहात् तथाचिधप्रयत्नाभावेनाऽऽख्यानायोगात् ।^१ अचेलपरीषह की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि चीवर धर्मसाधना में एकान्तरूप से बाधक नहीं है । धर्म का वास्तविक बाधक-कारण तो कषाय है । अतः सकषाय चीवर ही धर्मसाधना में बाधक है । जिस प्रकार धर्मसिद्धि के लिए शरीर धारण किया जाता है और उसका भिक्षा आदि से पोषण किया जाता है उसी प्रकार पात्र और चीवर भी धर्मसिद्धि के लिए ही हैं । जैसा कि वाचक सिद्धसेन कहते हैं .^२

मोक्षाय धर्मसिद्धयर्थं, शरीर धार्यते यथा ।
शरीरधारणार्थं च, भौक्षग्रहणमिष्यते ॥ १ ॥
तथैवोपग्रहार्थाय, पात्र चीवरमिष्यते ।
जिनैरुपग्रहः साधोरिष्यते न परिग्रहः ॥ २ ॥

आगे इसी अध्ययन की वृत्ति में अश्वसेन और वात्स्यायन का भी नामोल्लेख किया गया है ।^३

चतुरशीय नामक तृतीय अध्ययन की वृत्ति में आवश्यकचूर्णि, वाचक (सिद्धसेन) और शिवशर्म का नामोल्लेख है ।^४ शिवशर्म की 'जोगा पयडिपएस ठित्तिअणुभाग ' गाथा की प्रथम पक्ति भी उद्धृत की गई है ।

१ पृ० ६७ (२) २ पृ० ८० (२) ३. पृ ९५ (२).
४ पृ १३१ (१) ५ पृ १७२ (१), १८५ (२), १९० (१).

चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या में जीवकरण का स्वरूप बताते हुए वृत्तिकार पण्डितों के कि जीवभावरक्षण दो प्रकार का है भ्रूतकरण और नोभ्रूतकरण। भ्रूतकरण पुन दो प्रकार का है • चन्द्र और अचन्द्र। चन्द्र के दो भेद हैं निशीथ और अनिशीथ। ये पुन लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार के हैं। निशीथादि सूत्र लोकोत्तर निशीथभ्रूत के अन्तर्गत हैं जबकि वृद्धारण्यकादि लौकिक निशीथभ्रूत में समाविष्ट हैं। आचारादि लोकोत्तर अनिशीथभ्रूत के अन्तर्गत हैं जबकि पुराणादि का लौकिक अनिशीथभ्रूत में समावेश है। इसी प्रकार अचन्द्र भ्रूत भी लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार का होता है।^१ आचार्य-परम्परा से चले आने वाले अनेक प्रकार के कथानक आदि अचन्द्र भ्रूत के अन्तर्गत हैं।

सुलोकनिर्मन्थीय नामक छोटे अध्ययन की व्याख्या में निर्ग्रन्थ के भेद प्रभेदों की चर्चा करते हुए 'आह च भाष्यकृत्' ऐसा कहते हुए टीकाकार ने चौदह भाष्य-शाखाएँ उद्धृत की हैं जो उत्तराध्ययनमाध्य की ही प्रतीत होती हैं।^२

आठवें अध्ययन—कापिलीशाध्ययन के विवेचन में सप्तर की अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए 'तथा च हारिल्लवाचकः' इन शब्दों के साथ हारिल्लवाचक का निम्न श्लोक उद्धृत किया गया है ^३

चल राक्षसैश्चर्यं धनकनकसारः परिजनो,
नृपाद्वाल्लभ्य च चलममरसौख्यं च विपुलम्।
चल रूपाऽऽरोग्यं चलमिह चर जीवितमिदं,
जनो हृष्टो यो वै जनयति सुखं सोऽपि हि चलः ॥

नमिप्रव्रज्या नामक नववें अध्ययन के विवरण में 'यत आह आससेनः' ऐसा निर्देश करते हुए अष्टमी और पूर्विका के दिन नियत रूप से पौष का विधान करनेवाली निम्नलिखित आससेनीय (अश्वसेनीय) कारिका उद्धृत की गई है ^४

सर्वेष्वपि तपोयोगः, प्रशस्तः कालपर्वसु।
अष्टम्या पञ्चदश्या च, नियतं पौषघ वसेद् ॥

प्रवचनमात्राख्य चौबीसवें अध्ययन की वृत्ति के अन्त में गुप्ति का स्वरूप बताते हुए टीकाकार ने 'उक्तं हि गन्धहस्तिना' ऐसा लिखते हुए आचार्य

गन्धहस्ती का एक वाक्य उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है सम्यगागमानु-
सारेणारक्तद्विष्टपरिणतिसहचरितमनोव्यापारः कायव्यापारो वाग्ग्यापारश्च
निर्व्यापारता चावाक्काययोर्गुणिरिति ।^१

जीवाजीवविमक्ति नामक छत्तीसवें अध्ययन की व्याख्या में जिनेन्द्रबुद्धि
का नामोल्लेख किया है एव धर्माधर्मात्मिकाय के वर्णन के प्रसंग पर उनका एक
वाक्य भी उद्धृत किया गया है ।^१ स्त्रीशब्द का विवेचन करते हुए आगे टीका-
कार ने स्त्रीनिर्वाणसूत्र का उल्लेख किया है तथा एतद्विषयक उसकी मान्यता
उद्धृत की है ।^१

अन्त में टीकाकार ने अपना सञ्चाल परिचय इस प्रकार दिया है :^१

अस्ति विस्तारवानुव्या, गुरुशाखासमन्वितः ।
आसेव्यो भव्यसार्थानां, श्रीकोटिकगणद्रुमः ॥ १ ॥
तदुत्थवैशाराज्यामभूदायतिशालिनी ।
विशाला प्रतिशाखेव, श्रीचन्द्रकुलसन्ततिः ॥ २ ॥
तस्याश्चोत्पद्यमानच्छदनिचयसहकाचकर्णान्वयोत्थः,
श्रीथारापद्मगच्छप्रसवभरलसद्धर्मकिञ्जल्कपानात् ।
श्रीशान्त्याचार्यभृङ्गो यदिदमुदगिरद्वाङ्मधु श्रोत्रपेयं,
तद् भो भव्याः । त्रिदोषप्रशमकरमतो गृह्यतां लिखता च ॥ ३ ॥



चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या में जीवकरण का स्वरूप बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जीवभावकरण दो प्रकार का है श्रुतकरण और नोश्रुतकरण। श्रुतकरण पुन दो प्रकार का है - बद्ध और अबद्ध। बद्ध के दो भेद हैं : निशीथ और अनिशीथ। ये पुन लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार के हैं। निशीथादि सूत्र लोकोत्तर निशीथश्रुत के अन्तर्गत हैं जबकि बृहदारण्यकादि लौकिक निशीथश्रुत में समाविष्ट हैं। आचारादि लोकोत्तर अनिशीथश्रुत के अन्तर्गत हैं जबकि पुराणादि का लौकिक अनिशीथश्रुत में समावेश है। इसी प्रकार अबद्ध श्रुत भी लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार का होता है।^१ आचार्य-परम्परा से चले आने वाले अनेक प्रकार के कथानक आदि अबद्ध श्रुत के अन्तर्गत हैं।

क्षुल्लकनिर्ग्रन्थीय नामक छोटे अध्ययन की व्याख्या में निर्ग्रन्थ के भेद-प्रभेदों की चर्चा करते हुए 'आह च भाष्यकृत्' ऐसा कहते हुए टीकाकार ने चौदह भाष्य गाथाएँ उद्धृत की हैं^२ जो उत्तराध्ययनमाध्य की ही प्रतीत होती हैं।^३

आठवें अध्ययन—कापिलीयाध्ययन के विवेचन में सत्तार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए 'तथा च हारिलवाचकः' इन शब्दों के साथ हारिलवाचक का निम्न श्लोक उद्धृत किया गया है^४

चल राज्यैश्वर्यं धनकनकसारः परिजनो,
नृपाद्वाल्लभ्यं च चलममरसौख्यं च विपुलम्।
चल रूपाऽऽरोग्यं चलमिहं चर जीवितमिदं,
जनो ह्यष्टो यो वै जनयति सुखं सोऽपि हि चलः ॥

नमिप्रब्रज्या नामक नववें अध्ययन के विवरण में 'यत आह आससेनः' ऐसा निर्देश करते हुए अष्टमी और पूर्णिमा के दिन नियत रूप से पौष का विधान करनेवाली निम्नलिखित आससेनीय (अश्वसेनीय) कारिका उद्धृत की गई है^५

सर्वेष्वपि तपोयोगः, प्रशस्तः कालपर्वसु।
अष्टन्या पञ्चदश्या च, नियत पोषध वसेद् ॥

प्रवचनमात्राख्य चौबीसवें अध्ययन की वृत्ति के अन्त में गुप्ति का स्वरूप बताते हुए टीकाकार ने 'उक्तं हि गन्धहस्तिना' ऐसा लिखते हुए आचार्य

१. पृ० २०४ २. द्वितीय विभाग, पृ० २५७ ३. २८९ (१)
४. पृ० ३१५ (१).

गन्धहस्ती का एक वाक्य उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है 'सम्यगागमानु-
सारेणारक्तद्विष्टपरिणतिसहचरितमनोव्यापारः कायव्यापारो वाग्व्यापारश्च
निर्व्यापारता वा वाक्काययोर्गुणिरिति ।'^१

जीवाजीवविभक्ति नामक छत्तीसवें अध्ययन की व्याख्या में जिनेन्द्रबुद्धि
का नामोल्लेख किया है एव धर्माधर्मास्तिकाय के वर्णन के प्रसंग पर उनका एक
वाक्य भी उद्धृत किया गया है।^२ स्त्रीशब्द का विवेचन करते हुए आगे टीका-
कार ने स्त्रीनिर्वाणसूत्र का उल्लेख किया है तथा एतद्विषयक उसकी मान्यता
उद्धृत की है।^३

अन्त में टीकाकार ने अपना सशाल परिचय इस प्रकार दिया है :^४

अस्ति विस्तारवानुर्व्या, गुरुशाखासमन्वितः ।
आसेव्यो भव्यसार्थानां, श्रीकोटिकगणद्रुमः ॥ १ ॥
तदुत्थवैरशाखायामभूदायतिशालिनी ।
विशाला प्रतिशाखेव, श्रीचन्द्रकुलसन्ततिः ॥ २ ॥
तस्याश्रोत्पद्यमानच्छदनिचयसदृक्कावकर्णान्वयोत्थः,
श्रीथारापद्मगच्छप्रसवभरलसद्धर्मकिञ्जल्कपानात् ।
श्रीशान्त्याचार्यभृङ्गो यदिदमुदगिद्वाङ्मधु श्रोत्रपेयं,
तद् भो भव्याः । त्रिदोषप्रशमकरमतो गृह्यतां लिख्यता च ॥ ३ ॥



१. तृतीय विभाग, पृ० ५१९
(२). ४ पृ० ५१३ (२)

२ पृ० ६७२ (२).

३ पृ० ६८१

अष्टम प्रकरण

द्रोणसूरिकृत ओघनिर्युक्ति-वृत्ति

द्रोणसूरि ने ओघनिर्युक्ति पर टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इनकी कोई टीका नहीं है। इन्होंने अभयदेवसूरिकृत टीकाओं का सशोधन किया था। ये पाटनसघ के प्रमुख पदाधिकारी थे एव विक्रम की ग्यारहवीं बारहवीं शती में विद्यमान थे।

प्रस्तुत वृत्ति ओघनिर्युक्ति एव इसके लघुभाष्य पर है। वृत्ति की भाषा सरल एव शैली सुगम है। मूल पदों के शब्दार्थ के साथ ही साथ तद् तद् विषय का भी शका-समाधान पूर्वक सक्षित विवेचन किया किया है। कहीं-कहीं प्राकृत और रुक्म उद्धरण भी दिये गये हैं। प्रारम्भ में आचार्य ने पञ्च परमेष्ठी को नमस्कार किया है

अहंद्भ्यस्त्रिभुवनराजपूजितेभ्यः,
सिद्धेभ्यः सितघनकर्मेबन्धनेभ्यः ।
आचार्यश्रुतधरसर्वसयतेभ्यः,
सिद्धधर्था सततमह नमस्करोमि ॥

तदनन्तर प्रस्तुत निर्युक्ति का सदर्भ बताते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि यह आवश्यकानुयोगसम्बन्धी व्याख्यान है। उसमें सामायिक नामक प्रथम अध्ययन का निरूपण चल रहा है। उसके चार अनुयोगद्वार हैं उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। इनमें से अनुगम के दो भेद हैं निर्युक्त्यनुगम और सूत्रानुगम। निर्युक्त्यनुगम तीन प्रकार का है निक्षेप, उपोद्घात और सूत्रस्पर्श। इनमें से उपोद्घात निर्युक्त्यनुगम के उद्देश, निर्देश आदि २६ भेद हैं। उनमें से काल के नाम, स्थापना, द्रव्य, अद्धा, यथायुष्क, उपक्रम, देश, काल, प्रमाण, वर्ण, भाव आदि भेद हैं। इनमें से उपक्रमकाल दो प्रकार का है सामाचारी और यथायुष्क। सामाचारी-उपक्रमकाल तीन प्रकार का है ओघ, दशषा और पदविभाग। इनमें जो ओघसामाचारी है वही ओघनिर्युक्ति है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इसीका व्याख्यान

है। द्रोणाचार्य ने अपनी टीका के प्रारम्भ में इस सटर्भ को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है ?

‘प्रज्ञान्तोऽयमावश्यकानुयोग तत्र च सामायिकाध्ययनमनुवर्तते, तस्य च चत्वार्यनुयोगद्वाराणि भवन्ति महापुरस्येव, तद्यथा-उपक्रमः निक्षेपः अनुगम नय इति, एतेषा चाध्ययनादौ उपन्यासे इत्थं च क्रमोपन्यासे प्रयोजनमभिहितम् । तत्रोपक्रमनिक्षेपावुक्तौ, अधुनाऽनुगमावसरः, सच द्विधा-निर्युक्त्यनुगमः सूत्रानुगमश्च, तत्र निर्युक्त्यनुगमस्त्रेधा-निक्षेपोपोद्घातसूत्रस्पर्शनिर्युक्त्यनुगमभेदात्, तत्र निक्षेपनिर्युक्त्यनुगमोऽनुगतौ वक्ष्यमाणश्च, उपोद्घातनिर्युक्त्यनुगमस्त्वाभ्या द्वाभ्या द्वारगाथाभ्यामनुगन्तव्यः—‘उद्देसे निद्देसे य’ इत्यादि । अस्य च द्वारगाथाद्वयस्य समुदायार्थोऽभिहितः, अधुनाऽवयवार्थोऽनुवर्तते, तत्रापि कालद्वारावयवार्थः, तत्प्रतिपादनार्थं चेद प्रतिद्वारगाथासूत्रमुपन्यस्तम्—‘दव्वे अद्ध अदाव्य उवक्कम’ इत्यादि । अस्यापि समुदायार्थो व्याख्यात साम्प्रतमवयवार्थः तत्राप्युपक्रमकालाभिधानार्थमिदं गाथासूत्रमाह—‘दुविहोवक्कमकालो सामायारी अहावय चव । सामायारी तिविहा ओहे दसहा पयविभागे ॥१॥’ तत्रोपक्रम इति कः शब्दार्थः ? उपक्रमण उपक्रमः, उपशब्दः सामीप्ये ‘क्रमु पादविक्षेपे’ उपेति सामीप्येन क्रमणं उपक्रमः—दूरस्थस्य समीपापादनमित्यर्थः, तत्रोपक्रमो द्विधा-सामाचार्युपक्रमकालः यथायुष्कोपक्रमकालश्च, तत्र सामाचार्युपक्रमकालस्त्रिविधः ओघसामाचार्युपक्रमकालः दशधासामाचार्युपक्रमकालः पदविभागसामाचार्युपक्रमकालश्च । तत्रौघसामाचारी—ओघनिर्युक्ति’ । तत्रौघसामाचारी तावदभिधीयते ।’

वृत्ति में अनेक स्थानों पर आचार्य ने ‘इदानीमेनामेव गाथा भाष्यकृद् व्याख्यानयति’, ‘इदानीं भाष्यकारो गाथाद्वयं व्याख्यानयन्नाह’, ‘इदानीमेतदेव भाष्यकारो गाथाद्वयं व्याख्यानयन्नाह’, इत्यादि शब्दों के साथ भाष्य-गाथाओं का व्याख्यान किया है। प्रस्तुत संस्करण में भाष्य की गाथा संख्या ३२२ है तथा निर्युक्ति की गाथा संख्या ८११ है। इस प्रकार निर्युक्ति और भाष्य दोनों को मिलाकर ११३३ गाथाएँ हैं।



नवम प्रकरण

अभयदेवविहित वृत्तियाँ

विक्रम की बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच के समय में निम्न-लिखित सात टीकाकारों ने आगम-ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं १ द्रोणसूरि, २ अभयदेवसूरि, ३. मलयगिरिसूरि, ४ मलधारी हेमचन्द्रसूरि, ५ नेमिचन्द्रसूरि (देवेन्द्रगणि), ६ श्रीचन्द्रसूरि और ७ श्रीतिलकसूरि । इनमें से अभयदेवसूरि ने निम्न आगम-ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं अग ३-११ और औपपातिक । अग ३, ४ और ६ की टीकाएँ वि स ११२० में लिखी गईं । पचम अग की टीका वि स ११२८ में पूर्ण हुई । अन्य टीकाओं की रचना का ठीक ठीक समय अज्ञात है । उपर्युक्त टीकाओं के अतिरिक्त प्रज्ञापना-तृतीयपदसप्रहणी, पचाशकवृत्ति, जयतिहुणस्तोत्र, पचनिर्ग्रन्थी और सप्ततिकाभाष्य भी अभयदेव की ही कृतियाँ हैं ।

प्रभावकचरित्र में अभयदेवसूरि का जीवन-चरित्र इस प्रकार अंकित किया गया है

भोज के शासनकाल में धारा नगरी में एक घनाढ्य सेठ रहता था जिसका नाम लक्ष्मीपति था । उसके पास रहने वाले मध्यदेश के एक ब्राह्मण के श्रीधर और श्रोपति नामक दो पुत्र थे । उन ब्राह्मण युवकों ने आचार्य वर्धमानसूरि से दीक्षा अगीकार की । आगे जाकर वे जिनेश्वर और बुद्धिसागर के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

वर्धमानसूरि पहले कूर्चपुर (कूचेरा) के चैत्यवासी आचार्य थे और ८४ जिनमन्दिर उनके अधिकार में थे । बाद में उन्होंने चैत्यवास का त्याग कर सुविहित मार्ग अगीकार किया था । उस समय पाटन में चैत्यवासियों का प्रभुत्व था और वह यहाँ तक कि उनकी सम्मति के बिना सुविहित साधु पाटन में नहीं रह सकते थे । वर्धमानसूरि ने अपने विद्वान् शिष्य जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागरसूरि को वहाँ भेज कर पाटन में सुविहित साधुओं का विहार एवं निवास प्रारम्भ कराने का विचार किया । इसी विचार से उन्होंने अपने दोनों

शिष्यों को पाटन की ओर विहार करने की आज्ञा दी। जिनेश्वर और बुद्धि-सागर पाटन पहुँचे किन्तु वहाँ उन्हें ठहरने के लिए उपाश्रय नहीं मिला। अन्त में वे वहीं के पुरोहित सोमेश्वर के पास पहुँचे और उसे अपनी विद्वत्ता से प्रभावित कर उसी के मकान में ठहर गए। जब यह बात चैत्यवासियों को मालूम हुई तो वे तुरन्त पुरोहित के पास पहुँचे और उसे उन्हें निकालने के लिए बाध्य किया। पुरोहित सोमेश्वर ने उनकी बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि इसका निर्णय राजसभा ही कर सकती है। चैत्यवासी राजा से मिले और उसे वनराज के समय से पाटन में स्थापित चैत्यवासियों की सार्व-भौम सत्ता का इतिहास बताया जिसे सुनकर दुर्लभराज को भी लज्जित होना पड़ा। अन्त में उसने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर उन साधुओं को वहाँ रहने देने का आग्रह किया जिसे चैत्यवासियों ने स्वीकार किया।

इस घटना को देख कर पुरोहित सोमेश्वर ने राजा से प्रार्थना की कि सुविहित साधुओं के लिए एक स्तम्भ उपाश्रय का निर्माण कराया जाए। राजा ने इस कार्य का भार अपने गुरु शैवाचार्य ज्ञानदेव पर डाला। परिणाम-स्वरूप पाटन में उपाश्रय बना।

कुछ समय बाद जिनेश्वरसूरि ने धारानगरी की ओर विहार किया। धारानिवासी सेठ धनदेव के पुत्र अभयकुमार को दीक्षित कर अभयदेव के नाम से अपना शिष्य बनाया। योग्यता प्राप्त होने पर वर्धमानसूरि के आदेश से अभयदेव को आचार्य-पद प्रदान कर अभयदेवसूरि बना दिया गया।

वर्धमानसूरि का स्वर्गवास होने के बाद अभयदेवसूरि पत्यपद्र नगर में रहे। वहाँ उन्होंने स्थानाग आदि नव अंगों पर टीकाएँ लिखीं। टीकाएँ समाप्त कर अभयदेव धवलक—धोलका नगर में पहुँचे। वहाँ उन्हें रक्तविकार की बीमारी हो गई जो थोड़े समय बाद ठीक हो गई। प्रभावक-चरित्र में इसका श्रेय धरणेन्द्र को दिया गया है। अभयदेवसूरि शासन की प्रभावना करते हुए राजा कर्ण की राजधानी पाटन में योगनिरोध द्वारा वासना को परास्त कर स्वर्गवासी हुए।

प्रभावकचरित्रकार के मतानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अभयदेव ने पत्यपद्र नगर में जाने के बाद अग-साहित्य की टीकाएँ लिखी थीं। यह मान्यता स्वयं अभयदेव के उल्लेखों से खण्डित होती है। इन्होंने अनेक स्थानों पर इन टीकाओं की रचना पाटन में होने का उल्लेख किया है और लिखा है कि पाटन के सद्य-प्रमुख द्रोणाचार्य प्रभृति ने इनका आवश्यक सशोधन किया है।

प्रभावकचरित्र में अभयदेव के स्वर्गवास का समय नहीं दिया गया है। इसमें केवल इतना ही लिखा है कि 'वे पाटन में कर्णराज के राज्य में स्वर्ग-वासी हुए।' पट्टावलियों में अभयदेवसूरि का स्वर्गवास वि स ११३५ में तथा दूसरे मत के अनुसार वि स ११३९ में होने का उल्लेख है। उनमें पाटन के बजाय कपडवज ग्राम में स्वर्गवास होना बताया गया है।

स्थानांगवृत्ति •

प्रस्तुत वृत्ति स्थानाग के मूल सूत्रों पर है। यह वृत्ति शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है। इसमें सूत्रसम्बद्ध प्रत्येक विषय का आवश्यक विवेचन एवं विश्लेषण भी है। विश्लेषण में दार्शनिक दृष्टि की स्पष्ट झलक है। प्रारम्भ में आचार्य ने भगवान् महावीर को नमस्कार किया है तथा स्थानाग का विवेचन करने की प्रतिज्ञा की है

श्रीवीर जिननाथ नत्वा स्थानाङ्गकतिपयपदानाम्।

प्रायोऽन्यशास्त्रदृष्ट करोम्यहं विवरणं किञ्चित्॥

मगल का आवश्यक विवेचन करने के बाद सूत्रस्यार्थिक विवरण प्रारम्भ किया है। 'एगे आया' (अ १ सू २) का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अनेक दृष्टियों से आत्मा की एकता-अनेकता की सिद्धि की है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए जगह-जगह 'तथाहि', 'यदुक्तम्', 'तथा', 'उक्तञ्च', 'आह च', 'तदुक्तम्', 'यदाह' आदि शब्दों के साथ अनेक उद्धरण दिये हैं। आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की सिद्धि करते हुए विशेषावश्यकभाष्य की एतद्विषयक अनेक गायार्ण उद्धृत की हैं। आत्मा को अनुमानगम्य बताते हुए टीकाकार कहते हैं . तथाऽनुमानगम्यो-ऽप्यात्मा तथाहि—विद्यमानकर्तृकमिदं शरीर भोग्यत्वाद्, ओदनादिवत्, व्योमकुसुम विपक्षः, स च कर्ता जीव इति, नन्वोदनकर्तृवन्मूर्त्त आत्मा सिद्ध्यतीति साध्यविरुद्धो हेतुरिति, नैवं, ससारिणो मूर्त्तत्वेनाप्यभ्युप-गमाद्, आह च— १ अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि होती है। वह

१ (अ) भागमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-२०

(आ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८०

(इ) माणिकलाल चुनीलाल व कान्तिलाल चुनीलाल, अहमदाबाद, सन् १९३७ (द्वितीय संस्करण)

२. अहमदाबाद-संस्करण, पृ० १० (२)

अनुमान इस प्रकार है इस शरीर का कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह भोग्य है। जो भोग्य होता है उसका कोई कर्ता अवश्य होता है जैसे ओदन-भात का कर्ता रसोइया। जिसका कोई कर्ता नहीं होता वह भोग्य भी नहीं होता जैसे आकाश-कुसुम। इस शरीर का जो कर्ता है वही आत्मा है। यदि कोई यह कहे कि रसोइये की तरह आत्मा की भी मूर्त्तता सिद्ध होती है और ऐसी दशा में प्रस्तुत हेतु साध्यविरुद्ध हो जाता है तो ठीक नहीं क्योंकि ससारी आत्मा कथञ्चित् मूर्त्त भी है। इस प्रकार की दार्शनिक चर्चा प्रस्तुत वृत्ति में अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। दार्शनिक दृष्टि के साथ ही साथ वृत्तिकार ने निक्षेप-पद्धति का भी उपयोग किया है जिसमें निर्युक्तियों और भाष्यों की शैली स्पष्टरूप से झलकती है।^१ वृत्ति में यत्र-तत्र कुछ संक्षिप्त कथानक भी हैं जो मुख्यतया दृष्टान्तों के रूप में हैं।^२

वृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपना सानुप्रासिक परिचय देते हुए बताया है कि मैंने यह टीका यशोदेवगणि की सहायता से पूर्ण की है।

‘तत्समाप्तौ च समाप्तं स्थानाङ्गविवरणं, तथा च यदादावभिहितं स्थानाङ्गस्य महानिधानस्येवोन्मुद्रणमिवानुयोगः प्रारभ्यत इति तच्चन्द्र-कुलीनप्रवचनप्रणीताप्रतिबद्धविहारहारिचरितश्रीवर्धमानाभिधानमुनिपति-पादोपसेविनः प्रमाणादिव्युत्पादनप्रवणप्रकरणप्रबन्धप्रणयिनः प्रबुद्धप्रति-बन्धप्रवक्तृप्रवीणाप्रतिहतप्रवचनार्थप्रधानवाक्प्रसरस्य सुविहितमुनिजन-मुख्यस्य श्रीजिनेश्वराचार्यस्य तदनुजस्य च व्याकरणादिशास्त्रकर्तुः श्रीबुद्धिसागराचार्यस्य चरणकमलचञ्चरीकल्पेन श्रीमदभयदेवसूरिनाम्ना मया महावीरजिनराजसन्तानवर्तिना महाराजवशजन्मनेव सविग्नमुनि-वर्गश्रीमदजितसिंहाचार्यान्तेवासियशोदेवगणिनामधेयसाधोरुत्तरसाध-कस्येव विद्याक्रियाप्रधानस्य साहाय्येन समर्थितम्।’^३

प्रस्तुत कार्य-विषयक अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए विवरणकार ने अति विनम्र शब्दों में अपनी त्रुटियाँ स्वीकार की हैं। साथ ही अपनी कृतियों को आद्योपान्त पढ़कर आवश्यक सशोधन करने वाले द्रोणाचार्य का भी सादर नामोल्लेख किया है। टीका के रचना-काल का निर्देश करते हुए बताया है कि प्रस्तुत टीका विक्रम संवत् ११२० में लिखी गई।^४

१ पृ० १२, २३, ९६, ९७, २४२

२. पृ० २४२, २६२, २६६, ३८९.

३ पृ० ४९९ (२)

४ पृ० ४९९ (२) - ५००

प्रभाचकरचरित्र में अभयदेव के स्वर्गवास का समय नहीं दिया गया है। इसमें केवल इतना ही लिखा है कि 'वे पाटन में कर्णराज के राज्य में स्वर्गवासी हुए।' पट्टावलियों में अभयदेवसूरि का स्वर्गवास वि स ११३५ में तथा दूसरे मत के अनुसार वि सं ११३९ में होने का उल्लेख है। उनमें पाटन के बजाय कपडवज ग्राम में स्वर्गवास होना बताया गया है।

स्थानांगवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^१ स्थानाग के मूल सूत्रों पर है। यह वृत्ति शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है। इसमें सूत्रसम्बद्ध प्रत्येक विषय का आवश्यक विवेचन एवं विश्लेषण भी है। विश्लेषण में दार्शनिक दृष्टि की स्पष्ट झलक है। प्रारम्भ में आचार्य ने भगवान् महावीर को नमस्कार किया है तथा स्थानाग का विवेचन करने की प्रतिज्ञा की है

श्रीवीर जिननाथ नत्वा स्थानाङ्गकतिपयपदानाम् ।

प्रायोऽन्यशास्त्रदृष्टं करोम्यहं विचरणं किञ्चित् ॥

मगल का आवश्यक विवेचन करने के बाद सूत्रस्पर्शिक विवरण प्रारम्भ किया है। 'एगो आया' (अ १ सू २) का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अनेक दृष्टियों से आत्मा की एकता-अनेकता की सिद्धि की है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए जगह-जगह 'तथाहि', 'यदुक्तम्', 'तथा', 'उक्तञ्च', 'आह च', 'तदुक्तम्', 'यदाह' आदि शब्दों के साथ अनेक उद्धरण दिये हैं। आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की सिद्धि करते हुए विशेषावश्यकभाष्य की एतद्विषयक अनेक गाथाएँ उद्धृत की हैं। आत्मा को अनुमानगम्य बताते हुए टीकाकार कहते हैं : तथाऽनुमानगम्यो-ऽप्यात्मा तथाहि—विद्यमानकर्तृकमिदं शरीरं भोग्यत्वाद्, ओदनादिवत्, व्योमकुसुम विपक्षं, स च कर्ता जीव इति, नन्वोदनकर्तृवन्मूर्त्त आत्मा सिद्ध्यतीति साध्यविरुद्धो हेतुरिति, नैव, ससारिणो मूर्त्तत्वेनाप्यभ्युपगमाद्, आह च—

१ अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि होती है। वह

१ (अ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-२०

(आ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८०

(इ) माणिकलाल चुनीलाल व कान्तिलाल चुनीलाल, अहमदाबाद, सन् १९३७ (द्वितीय संस्करण)

२. अहमदाबाद संस्करण, पृ० १० (२)

अनुमान इस प्रकार है इस शरीर का कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह भोग्य है। जो भोग्य होता है उसका कोई कर्ता अवश्य होता है जैसे ओदन-भात का कर्ता रसोइया। जिसका कोई कर्ता नहीं होता वह भोग्य भी नहीं होता जैसे आकाश-कुसुम। इस शरीर का जो कर्ता है वही आत्मा है। यदि कोई यह कहे कि रसोइये की तरह आत्मा की भी मूर्त्तता सिद्ध होती है और ऐसी दशा में प्रस्तुत हेतु साध्यविरुद्ध हो जाता है तो ठीक नहीं क्योंकि ससारी आत्मा कयञ्चित् मूर्त्त भी है। इस प्रकार की दार्शनिक चर्चा प्रस्तुत वृत्ति में अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। दार्शनिक दृष्टि के साथ ही साथ वृत्तिकार ने निक्षेप-पद्धति का भी उपयोग किया है जिसमें निर्युक्तियों और भाष्यों की शैली स्पष्टरूप से झलकती है।^१ वृत्ति में यत्र तत्र कुछ सक्षिप्त कथानक भी हैं जो मुख्यतया दृष्टान्तों के रूप में हैं।^२

वृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपना सानुपासिक परिचय देते हुए बताया है कि मैंने यह टीका यशोदेवगणि की सहायता से पूर्ण की है।

‘तत्समाप्तौ च समाप्तं स्थानाङ्गविवरणं, तथा च यदादावभिहित स्थानाङ्गस्य महानिधानस्येवोन्मुद्रणमिचानुयोगः प्रारभ्यत इति तच्चन्द्र-कुलीनप्रवचनप्रणीताप्रतिबद्धविहारहारिचरितश्रीवर्धमानाभिधानमुनिपति-पादोपसेविनः प्रमाणादिव्युत्पादनप्रवणप्रकरणप्रबन्धप्रणयिनः प्रबुद्धप्रति-बन्धप्रवक्तृप्रवीणाप्रतिहतप्रवचनार्थप्रधानवाक्प्रसरस्य सुविहितमुनिजन-मुख्यस्य श्रीजिनेश्वराचार्यस्य तदनुजस्य च व्याकरणादिशास्त्रकर्तुः श्रीबुद्धिसागराचार्यस्य चरणकमलचञ्चरीकल्पेन श्रीमदभयदेवसूरिनाम्ना मया महावीरजिनराजसन्तानवर्तिना महाराजवंशजन्मनेव सविग्नमुनि-वर्गश्रीमदजितसिंहाचार्यान्तेवासियशोदेवगणिनामधेयसाधोरुत्तरसाध-कस्येव विद्याक्रियाप्रधानस्य साहाय्येन समर्थितम्।^३

प्रस्तुत कार्य विषयक अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए विवरणकार ने अति विनम्र शब्दों में अपनी त्रुटियाँ स्वीकार की हैं। साथ ही अपनी कृतियों को आद्योपान्त पढ़कर आवश्यक सशोधन करने वाले द्रोणाचार्य का भी सादर नामोल्लेख किया है। टीका के रचना-काल का निर्देश करते हुए बताया है कि प्रस्तुत टीका विक्रम संवत् ११२० में लिखी गई।^४

१. पृ० १२, २३, ९६, ९७, २४२.

२. पृ० २४२, २६२, २६६, ३८९.

३. पृ० ४९९ (२) ४. पृ० ४९९ (२)-५००

सत्सम्प्रदायहीनत्वात्, सदूहस्य वियोगतः ।
 सर्वस्वपरक्षास्त्राणामदृष्टेरस्मृतेश्च मे ॥ १ ॥
 वाचनानामनेकत्वात्, पुस्तकानामशुद्धितः ।
 सूत्राणामतिगाम्भीर्यान्मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥ २ ॥
 क्षूणानि सम्भवन्तीह, केवल सुविवेकिभिः ।
 सिद्धान्तानुगतो योऽर्थः, सोऽस्माद् ग्राह्यो न चेतः ॥ ३ ॥
 शोध्यं चैतज्जिने भक्तैर्माभवद्भिर्द्वयापरैः ।
 ससारकारणाद् घोरादपसिद्धान्तदेशनात् ॥ ४ ॥
 कार्या न चाक्षमाऽस्मासु, यतोऽस्माभिरनाग्रहैः ।
 एतद् गमनिकामात्रमुपकारीति चर्चितम् ॥ ५ ॥
 तथा सम्भाव्य सिद्धान्ताद्, बोध्य मध्यस्थया धिया ।
 द्रोणाचार्यादिभिः प्राञ्जैरनेकैराहत यतः ॥ ६ ॥
 जैनग्रन्थविशालदुर्गमवचनादुच्चित्य गाढश्रमं,
 सद्व्याख्यानफलान्यमूनि मयका स्थानाङ्गसद्भाजने ।
 संस्थाप्योपहितानि दुर्गतनरप्रायेण लब्धयर्थिना,
 श्रीमत्सङ्घविभोरतः परमसावेव प्रमाण कृती ॥ ७ ॥
 श्रीविक्रमादित्यनरेन्द्रकालाच्छतेन विंशत्यधिकेन युक्ते ।
 समासहस्रेऽतिगते विद्वन्धा, स्थानाङ्गटीकाऽल्पधियोऽपि गम्या ॥ ८ ॥
 टीका का ग्रथमान १४२५० श्लोक-प्रमाण है ।

प्रत्यक्षर निरूप्यास्या, ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।
 अनुष्ठुभा सपादानि, सहस्राणि चतुर्दश ॥

समवायागवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति चतुर्थ अग समवायाग के मूल सूत्रों पर है । यह न तो अति
 सक्षित है और न अति विस्तृत । प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान महावीर को

१. पृ० ५००.

२ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८०.

(क्षा) भागमोदय समिति, सूरत, सन् १९१९.

(इ) मफ्तलाल झवेरचन्द्र, अहमदाबाद, सन् १९३८.

(ई) गुजराती अनुवादसहित—जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि०

स० १९९५

नमस्कार किया है तथा विद्वानों से प्रार्थना की है कि वे परम्परागत अर्थ के अभाव अथवा अज्ञान के कारण श्रुति में सम्भावित विपरीत प्ररूपण को शोधने की कृपा करें :

श्रीवर्धमानमानस्य, समवायाङ्गश्रुतिका ।
 विधीयतेऽन्यशास्त्राणा, प्रायः समुपजीवनात् ॥ १ ॥
 दुःसम्प्रदायादसदृहनाद्वा, भण्डित्यते यद्विदित्य भयेह ।
 तद्वीघनेर्नामनुकम्पयद्भिः, शोष्य मतार्थक्षतिरस्तु मैव ॥ २ ॥

समवायाग का अर्थ बताते हुए श्रुतिकार कहते हैं :^१

‘समिति—सम्यक्, अवेत्याधिक्येन, अयनमयः—परिच्छेदो जीवा-
 जीवादिविविधपदार्थसार्थस्य यस्मिन्नसौ समवायः, समवयन्ति वा—
 समवतरन्ति संमिलन्ति नानाविधा आत्मादयो भावा अभिधेयतया
 यस्मिन्नसौ समवाय इति । स च प्रवचनपुरुषस्याङ्गमिति समवायाङ्गम् ।’

‘समवाय’ में तीन पद हैं : ‘सम्’, ‘अव’ और ‘अय’ । ‘सम्’ का अर्थ है सम्यक्, ‘अव’ का अर्थ है आधिक्य और ‘अय’ का अर्थ है परिच्छेद । जिसमें जीवाजीवादि विविध पदार्थों का सविस्तर सम्यक् विवेचन है वह समवाय है । अथवा जिसमें आत्मादि नाना प्रकार के भावों का अभिधेयरूप से समवाय—
 समवतार—समिलन है वह समवाय है । वह प्रवचनपुरुष का अग्ररूप होने से समवायाग है ।

प्रथम सूत्र का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने एक जगह पाठान्तर भी दिया है । ‘जंबुदीवे दीवे एगं जोयणसयसहस्सं आयामविकखंभेणं’ के स्थान पर ‘जंबुदीवे दीवे एगं जोयणसयसहस्स चक्रवालविकखंभेणं’ ऐसा पाठ भी मिलता है । नवरं ‘जंबुदीवे’ इह सूत्रे ‘आयामविकखंभेणं’ति कचित् पाठो दृश्यते । कचित्तु ‘चक्रवालविकखंभेणं’ति । इन पाठों का अर्थ करते हुए आचार्य कहते हैं । तत्र प्रथम. सम्भवति, अन्यत्रापि तथा श्रवणात्, सुगमदच, द्वितीयस्त्वेवं व्याख्येयः—चक्रवालविकखंभेण वृत्तव्यासेन ।^१ प्रथम पाठ सम्भव है क्योंकि यह अन्यत्र भी उपलब्ध है । उसका अर्थ सुगम है । द्वितीय पाठ का अर्थ है वृत्तव्यास ।

वृत्ति में अनेक स्थानों पर प्रज्ञापना सूत्र का उल्लेख है तथा एक जगह गन्धहस्ती (भाष्य) का भी उल्लेख है ' गन्धहस्त्यादिष्वपि तथैव दृश्यते, प्रज्ञापनाया त्वेकत्रिंशदुक्तेति मतान्तरमिदं' । यह वृत्ति वि० स० ११२० में अणहिलपाटक (पाटन) में लिखी गई । इसका ग्रन्थमान ३५७५ श्लोकप्रमाण है २

शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणा विवृत्ति कृता ।
श्रीमतः समवायाख्यतुर्याङ्गस्य समासतः ॥ ७ ॥
एकादशसु शतेष्वथ विंशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम् ।
अणहिलपाटकनगरे रचिता समवायटीकेयम् ॥ ८ ॥
प्रत्यक्षरं निरूप्यास्याः, ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।
त्रीणि श्लोकसहस्राणि, पादन्यूना च षट्शती ॥ ९ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति' व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) के मूल सूत्रों पर है । यह सक्षिप्त एव शब्दार्थप्रधान है । इसमें यत्र-तत्र अनेक उद्धरण अवश्य हैं जिनसे अर्थ समझने में विशेष सहायता मिलती है । उद्धरणों के अतिरिक्त आचार्य ने अनेक पाठान्तर और व्याख्याभेद भी दिये हैं जो विशेष महत्त्व के हैं । सर्वप्रथम आचार्य सामान्यरूप से जिन को नमस्कार करते हैं । तदनन्तर वर्धमान, सुधर्मा, अनुयोगबृद्धजन तथा सर्वज्ञप्रवचन को प्रणाम करते हैं । इसके बाद इसी सूत्र की प्राचीन टीका और चूर्णि तथा जीवाभिगमादि की वृत्तियों की सहायता से पंचम अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति का विवेचन करने का सकल्प करते हैं । एतदर्थगमित श्लोक ये हैं ।

सर्वज्ञमीश्वरमनन्तमसङ्गमग्र्य, सर्वोयमस्मरमनीशमनीहमिद्धम् ।
सिद्ध शिव शिवकरं करणव्यपेत, श्रीमब्जिन जितरिपु प्रयतः प्रणौमि ॥१॥

१ पृ. १३० (१) २ पृ १४८

३ (अ) पूजाभाई हीराचन्द, रायचन्द जिनागम सग्रह, अहमदाबाद

(आ) रायबहादुर घनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८१.

(इ) एम० आर० मेहता, बम्बई, वि० स० १९१४

(ई) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-२१

(उ) ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, (प्रथम भाग—श० १-७) सन् १९३७, (द्वितीय भाग—श० ८-१४)

१९४०.

नत्वा श्रीवर्धमानाय, श्रीमते च सुधर्मणे ।
 सर्वानुयोगवृद्धेभ्यो, वाण्यै सर्वविदस्तथा ॥ २ ॥
 एतद्वीका-चूर्णी-जीवाभिगमादिवृत्तिलेशांश्च ।
 सयोज्य पञ्चमाङ्गं विवृणोमि विशेषतः किञ्चित् ॥ ३ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्ति का शब्दार्थ बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं •

‘अथ ‘विआहपन्नत्ति’ त्ति कः शब्दार्थः ? उच्यते विविधा जीवा जीवादिप्रचुरतरपदार्थविषया आ—अभिविधिना कथञ्चिन्निलखिलत्रेयव्या-
 प्त्या मर्यादया वा—परस्परासंकीर्णलक्षणाभिधानरूपया ख्यानानि—भग-
 वतो महावीरस्य गौतमादिविनेयान् प्रति प्रदिनतपदार्थप्रतिपादनानि व्या-
 ख्यास्ताः प्रज्ञाप्यन्ते—परूप्यन्ते भगवता सुधर्मस्वामिना जन्मूनामानमभि
 यस्याम्, अथवा विविधतया विशेषेण वा आख्यायन्त इति व्याख्याः—
 अभिलाष्यपदार्थवृत्तयस्ताः प्रज्ञाप्यन्ते यस्याम्, अथवा व्याख्यानाम्—
 अर्थप्रतिपादनाना प्रकृष्टाः ज्ञप्तयो—ज्ञानानि यस्या सा व्याख्याप्रज्ञप्तिः,
 अथवा ।”

इस प्रकार वृत्तिकार ने विविध दृष्टियों से व्याख्याप्रज्ञप्ति के दस अर्थ बताये हैं । आगे भी अनेक शब्दों के व्याख्यान में इसी प्रकार का अर्थ वैविध्य दृष्टि-
 गोचर होता है” जो वृत्तिकार के व्याख्यान कौशल का परिचायक है ।

प्रथम सूत्र ‘णमो अरिहताणं, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाणं, णमो
 चवञ्जायाण, णमो सव्वसाहूण’ का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने पचम
 पद ‘णमो सव्वसाहूण’ के पाठान्तर के रूप में ‘नमो लोए सव्वसाहूण’ भी
 दिया है ‘नमो लोए सव्वसाहूण’ ति क्वचित्पाठः ।^१ चतुर्थ सूत्र ‘तेण
 कालेण तेण समएणं रायगिहे ’ की व्याख्या में आचार्य ने बताया है कि
 ‘णमो अरिहताणं • • ’ आदि प्रथम तीन सूत्रों का मूलटीकाकार—मूल-
 वृत्तिकार ने व्याख्यान नहीं किया । उन्होंने इसका कोई विशेष कारण नहीं
 बताया है • अथ च प्राग् व्याख्यातो नमस्कारादिको ग्रन्थो वृत्तिकृता
 न व्याख्यातः, कुतोऽपि कारणादिति ।^१ ये वृत्तिकार अथवा टीकाकार कौन
 हैं ? संभवत यह उल्लेख आचार्य शीलाक की टीका का है जो प्रथम नौ अगों
 के टीकाकार माने जाते हैं किन्तु जिनकी प्रथम दो अगों की टीकाएँ ही उपलब्ध

१ रतलाम—संस्करण, पृ० २-३

२ पृ० ४, ५, ६, १२, १५, १८, १९, ६२

३. पृ० ६. ४ पृ० १०.

हैं। आचार्य शीलक के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसे टीकाकार का उल्लेख नहीं मिलता जिसने अभयदेवसूत्रि के पूर्व व्याख्याप्रशस्ति की टीका लिखी हो। चूर्णिका का उल्लेख तो प्रस्तुत वृत्ति के प्रारम्भ में ही अलग से किया गया है अतः यह टीका चूर्णिकारूप भी नहीं हो सकती। आगे की वृत्ति में भी अनेक बार मूलटीकाकार अथवा मूलवृत्तिकार का उल्लेख किया गया है।

‘मूलटीकाकृता तु ‘उच्छ्रद्धसरीरसखित्तविचलतेयलेस’ त्ति कर्म-
धारयं कृत्वा व्याख्यातमिति,’ ‘एतच्च टीकाकारमतेन व्याख्यातम्,’
‘वृत्तिकृता तु द्वितीयप्रश्नोत्तरविकल्प एवंविधो दृष्टः,’ ‘वृद्धैस्तु इह सूत्रे
कुतोऽपि वाचनाविशेषाद् यत्राक्षीतिस्तत्राप्यभङ्गकमिति व्याख्यातमिति,’
टीकाकारस्त्वेवमाह—किमवस्थित एव जीवो देशमपनीय यत्रोत्पत्तव्यं
तत्र देशत उत्पद्यते एतच्च टीकाकारव्याख्यानं वाचनान्तर-
विषयमिति,’ ‘टीकाकारव्याख्यानं त्विह भवायुर्यदा प्रकरोति—वेदयते
इत्यर्थः’ ।^१ वृत्तिकार ने प्रस्तुत वृत्ति में सिद्धसेन दिवाकर और जिनमद्रगणि
क्षमाश्रमण का भी उल्लेख किया है : तत्र च सिद्धसेनदिवाकरो मन्यते—
केवलिनो युगपद् ज्ञान दर्शनं च, अन्यथा तदावरणक्षयस्य निरर्थकता
स्यात्, जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणस्तु भिन्नसमये ज्ञानदर्शने, जीवस्वरूपत्वात्,
तथा तदावरणक्षयोपशमे समानेऽपि क्रमेणैव मतिश्रुतोपयोगौ न चैकत-
रोपयोगे इतरक्षयोपशमाभावः ।^२ चूर्णिकारसम्मत व्याख्या का भी
वृत्तिकार ने कहीं कहीं निर्देश किया है। ‘सव्वेण सव्वं सव्ववज्जइ’ सर्वेण
तु सर्वं उत्पद्यते, पूर्णकारणसमवायाद्, घटवदिति चूर्णिव्याख्या,
टीकाकारस्त्वेवमाह ।^३

प्रत्येक शतक की वृत्ति के अन्त में टीकाकार ने वृत्ति समाप्ति-सूचक एक-
एक सुन्दर श्लोक दिया है। प्रारम्भ के चार शतकों के श्लोक नीचे उद्धृत
किये जाते हैं

इति गुरुगमभङ्गैः सागरस्याहमस्य,

स्फुटमुपचितजाड्यः पञ्चमाङ्गस्य सद्यः ।

प्रथमशतपदार्थावर्त्तगर्तव्यतीतो,

विषरणवरपोतौ प्राप्य सद्दीवराणाम् ॥

—प्रथम शतक का अन्त.

१ पृ० २०	२ पृ० २९	३ पृ० ४०	४, पृ० १३०
५ पृ० १४७.	६ पृ० १७४	७ पृ० १०५	८ पृ० १४७.

श्रीपञ्चमाङ्गे गुरुसूत्रपिण्डे, शतं स्थितानेकशते द्वितीयम् ।
अनैपुणेनापि मया व्यचारि, सूत्रप्रयोगज्ञवचोऽनुवृत्त्या ॥

—द्वितीय शतक का अन्त.

श्रीपञ्चमाङ्गस्य शतं तृतीयं, व्याख्यातमाश्रित्य पुराणवृत्तिम् ।
शक्तोऽपि गन्तुं भजते हि यान, पान्थ सुखार्थं किमु यो न शक्तः ॥

—तृतीय शतक का अन्त.

स्वतः सुबोधेऽपि शते तुरीये, व्याख्या मया काचिदियं विद्वद्धा ।
दुग्धे सदा स्वादुतमे स्वभावात्, क्षेपो न युक्तः किमु शर्करायाः ॥

—चतुर्थ शतक का अन्त.

वृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपनी गुरु परंपरा बताते हुए अपना नामो-
ल्लेख किया है तथा बताया है कि अणहिलपाटक नगर में वि० स० ११२८ में
१८६१६ श्लोकप्रमाण प्रस्तुत वृत्ति समाप्त हुई

एकस्तयोः सूरिवरो जिनेश्वरः, ख्यातस्तथाऽन्यो मुनि बुद्धिसागरः ।
तयोर्विनेयेन विबुद्धिनाऽप्यलं, वृत्तिः कृतैषाऽभयदेवसूरिणा ॥५॥

अष्टाविंशतियुक्ते वर्षसहस्रे शतेन चाभ्यधिके ।

अणहिलपाटकनगरे कृतेयमच्छुप्तधनिवसतौ ॥ १५ ॥

अष्टादशसहस्राणि षट् शतान्यथ षोडश ।

इत्येवं मानमेतस्या श्लोकमानेन निश्चितम् ॥ १६ ॥

ज्ञाताधर्मकथाविवरण :

प्रस्तुत विवरण^१ सूत्रस्पर्शी है। इसमें शब्दार्थ की प्रधानता है। प्रारम्भ में
विवरणकार ने महावीर को नमस्कार किया है तथा ज्ञाताधर्मकथाग का विवरण
प्रारम्भ करने का संकल्प किया है।

नत्वा श्रीमन्महावीर प्रायोऽन्यग्रन्थवीक्षित ।

ज्ञाताधर्मकथाङ्गस्यानुयोगः कश्चिद्बुध्यते ॥ १ ॥

प्रथम सूत्र के व्याख्यान में चम्पा नगरी का परम्परागत परिचय दिया
गया है। इसी प्रकार दूसरे सूत्र की व्याख्या में पूर्णमद्र नामक चैत्य—व्यन्तरा-
यतन, तीसरे सूत्र की व्याख्या में कोणिक नामक राजा—श्रेणिकराजपुत्र तथा
चतुर्थ सूत्र के विवरण में स्थविर सुधर्मा का परिचय है। पाँचवे सूत्र के व्याख्यान

हैं। आचार्य शीलक के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसे टीकाकार का उल्लेख नहीं मिलता जिसने अभयदेवसूरी के पूर्व व्याख्याप्रकृति की टीका लिखी हो। चूर्णि का उल्लेख तो प्रस्तुत वृत्ति के प्रारंभ में ही अलग से किया गया है अतः यह टीका चूर्णिरूप भी नहीं हो सकती। आगे की वृत्ति में भी अनेक बार मूलटीकाकार अथवा मूलवृत्तिकार का उल्लेख किया गया है :

‘मूलटीकाकृता तु ‘उच्छ्रद्धसरीरसखित्तविचलतेयलेस’ त्ति कर्म-
धारयं कृत्वा व्याख्यातमिति,’ ‘एतच्च टीकाकारमतेन व्याख्यातम्,’
‘वृत्तिकृता तु द्वितीयप्रश्नोत्तरविकल्प एवंविधो दृष्टः,’ ‘वृद्धैस्तु इह सूत्रे
कृतोऽपि वाचनाविशेषाद् यत्राशीतिस्तत्राप्यभङ्गकमिति व्याख्यातमिति,’
टीकाकारस्त्वेवमाह—किमवस्थित एव जीवो देशमपनीय यत्रोत्पत्तव्यं
तत्र देशत उत्पद्यते एतच्च टीकाकारव्याख्यान वाचनान्तर-
विषयमिति,’ ‘टीकाकारव्याख्यानं त्विहभवायुर्यदा प्रकरोति—वेदयते
इत्यर्थः’ ।^१ वृत्तिकार ने प्रस्तुत वृत्ति में सिद्धसेन दिवाकर और जिनभद्रगणि
क्षमाभ्रमण का भी उल्लेख किया है . तत्र च सिद्धसेनदिवाकरो मन्यते—
केवलिनो युगपद् ज्ञान दर्शन च, अन्यथा तदावरणक्षयस्य निरर्थकता
स्यात्, जिनभद्रगणिक्षमाभ्रमणस्तु भिन्नसमये ज्ञानदर्शने, जीवस्वरूपत्वात्,
तथा तदावरणक्षयोपशमे समानेऽपि क्रमेणैव मतिश्रुतोपयोगौ न चैकत-
रोपयोगे इतरक्षयोपशमाभावः ।^२ चूर्णिकारसम्मत व्याख्या का भी
वृत्तिकार ने कहीं कहीं निर्देश किया है . ‘सञ्चयेण सञ्च उवचउज्जह’ सर्वेण
तु सर्वं उत्पद्यते, पूर्णकारणसमवायाद्, घटवदिति चूर्णिव्याख्या,
टीकाकारस्त्वेवमाह ।^३

प्रत्येक शतक की वृत्ति के अन्त में टीकाकार ने वृत्ति समाप्ति-सूचक एक-
एक सुन्दर श्लोक दिया है। प्रारंभ के चार शतकों के श्लोक नीचे उद्धृत
किये जाते हैं

इति गुरुगमभङ्गैः सागरस्थाहमस्य,

स्फुटमुपचितजाड्यः पञ्चमाङ्गस्य सद्यः ।

प्रथमशतपदार्यावर्त्तगर्तव्यतीतो,

विवरणवरपोतौ प्राप्य सद्धीवराणाम् ॥

—प्रथम शतक का अन्त.

१. पृ० २०

२. पृ० २९

३. पृ० ४०

४. पृ० १३०.

५. पृ० १४७.

६. पृ० १७४

७. पृ० १०५.

८. पृ० १४७.

में ज्ञाताधर्मकथा के दो श्रुतस्कन्धों अर्थात् दो विभागों का परिचय देते हुए बताया गया है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम ज्ञात है जिसका अर्थ होता है उदाहरण . ज्ञातानि उदाहरणानि प्रथमः श्रुतस्कन्धः ।^१ इसमें आचारादि की शिक्षा देने के उद्देश्य से कथाओं के रूप में विविध उदाहरण दिये गये हैं । द्वितीय श्रुतस्कन्ध का नाम धर्मकथा है । इसमें धर्मप्रधान कथाओं का समावेश किया गया है : धर्मप्रधानाः कथाः धर्मकथा इति द्वितीयः ।^१ तदनन्तर प्रथम श्रुतस्कन्धान्तर्गत निम्नलिखित १९ उदाहरणरूप कथाओं के अध्ययनों की अर्थसहित नामावली दी गई है : १ उत्क्षित-मेघकुमार के जीव द्वारा हाथी के भव में पाद का उत्क्षेप अर्थात् पैर ऊँचा उठाना, २ सघाटक—श्रेष्ठि और चौर का एक बन्धनबद्धत्व, ३ अण्डक—मयूराण्ड, ४ कूर्म—कच्छप, ५ शैलक—एक राजर्षि, ६ तुम्ब—अलाबु, ७ रोहिणी—एक श्रेष्ठिवधू, ८ मल्ली-उत्तीसवीं तीर्थंकर, ९ माकन्दी नामक व्यापारी का पुत्र, १०. चन्द्रमा, ११. दावद्रव-समुद्रतट के वृक्षविशेष, १२ उदक-नगरपरिखाजल, १३. मण्डूक-नन्द नामक मणिकार सेठ का जीव, १४ तेतलीपुत्र नामक अमात्य, १५. नन्दी फल-नन्दी नामक वृक्ष के फल, १६ अवरकका-भरतक्षेत्र के घातकी खण्ड की राजधानी, १७. आर्कीर्ण-जन्म से समुद्र में रहने वाले अश्व-समुद्री घोड़े, १८. समुमा—एक श्रेष्ठिदुहिता, १९ पुण्डरीक—एक नगर । इसके बाद विवरणकार ने क्रमशः प्रत्येक अध्ययन का व्याख्यान किया है जिसमें मुख्यतया नये एव कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है । आचार्य ने प्रत्येक अध्ययन की व्याख्या के अन्त में उससे फलित होने वाला विशेष अर्थ स्पष्ट किया है तथा उसकी पुष्टि के लिए तदर्थगर्भित गाथाएँ भी उद्धृत की हैं ।

प्रथम अध्ययन के अभिधेय का सार बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि अविधिपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले शिष्य को मार्ग पर लाने के लिए गुरु को उसे उपालम्भ देना चाहिए जैसा कि भगवान् महावीर ने मेघकुमार को दिया : अविधि-प्रवृत्तस्य शिष्यस्य गुरुणा मार्गं स्थापनाय उपालम्भो देयो यथा भगवता दत्तो मेघकुमारायेत्येवमर्थं प्रथममध्यनमित्यभिप्रायः ।^१ इसी वचन की पुष्टि के लिए 'इह गाथा' ऐसा कहते हुए आचार्य ने निम्न गाथा उद्धृत की है ।^४

महुरेहिं निवणेहिं वयणेहिं चोययति आयरिया ।

सीसे कहिंचि खलिए जह मेहमुणिं महावीरो ॥ १ ॥

(मधुरैर्निपुणैर्वचनैः स्थापयन्ति आचार्याः ।

शिष्य क्वचित् स्वलिते यथा मेघमुनि महावीरः ॥ १ ॥)

द्वितीय अध्ययन के अन्त में आचार्य लिखते हैं कि बिना आहार के मोक्ष के साधनों में प्रवृत्त न होने के कारण शरीर को आहार देना चाहिए जैसा कि धन सार्थवाह ने विजय चोर को दिया । इसी अभिधेयार्थ की पुष्टि के लिए आचार्य ने 'पठ्यते च' ऐसा लिखते हुए निम्न गाथा उद्धृत की है :^१

सिवसाहणेसु आहारविरहिषो जं न वट्टए देहो ।

तम्हा धणो व्व विजयं साहू तं तेण पोसेज्जा ॥ १ ॥

(शिवसाधनेषु आहारविरहितो यन्न प्रवर्त्तते देहः ।

तस्मात् धन इव विजयं साधुस्तत् तेन पोषयेत् ॥ १ ॥)

तृतीय अध्ययन का सार बताते हुए वृत्तिकार लिखते हैं कि बुद्धिमान् को जिनवरभाषित वचनों में सदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का सन्देह अनर्थ का कारण है । जो जिनवचनों में हमेशा शक्ति रहता है उसे सागरदत्त की मूर्ति निराश होना पड़ता है । जो नि.शक्ति होकर जिनवचनानुकूल आचरण करता है उसे जिनदत्त की तरह सफलता प्राप्त होती है । निम्न गाथाओं में यही बताया गया है ^२

जिणवरभासियभावेसु भावसच्चेसु भावओ मइम ।

नो कुञ्जा संदेह सदेहोऽणत्थहेउत्ति ॥ १ ॥

निस्सदेहत्त पुण गुणहेउ ज तओ तय कज्ज ।

एत्थ दो सिद्धिसुया अडयगाही उदाहरण ॥ २ ॥

(जिणवरभाषितेषु भावेषु भावसत्येषु भावतो मतिमान् ।

न कुर्यात् सदेहं सन्देहोऽनर्थहेतुरिति ॥ १ ॥

निस्सन्देहत्व पुनर्गुणहेतुर्यत्ततस्तत् कार्यं ।

अत्र द्वौ श्रेष्ठिसुतौ अण्डकग्राहिणानुदाहरणम् ॥ २ ॥)

प्रथम श्रुत स्कन्ध के शेष अध्ययनों के विवरण के अन्त में भी इसी प्रकार की अभिधेयार्थग्राही गाथाएँ हैं ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध के शेष अध्ययनों के विवरण के अन्त में भी इसी प्रकार की अभिधेयार्थग्राही गाथाएँ हैं । इस श्रुतस्कन्ध में धर्मार्थ का कथन साक्षात् कथाओं

से न होकर उदाहरणों के माध्यम से है जबकि द्वितीय श्रुतस्कन्ध में साक्षात् धर्म-कथाओं से ही धर्मार्थ का वर्णन किया गया है : पूर्वत्राप्तोपालम्भादिभिर्ज्ञाते धर्मार्थ उपनीयते, इह तु स एव साक्षात्कथाभिरभिधीयते ।^१ इसमें धर्म-कथाओं के दस वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में विविध अध्ययन हैं। विवरणकार ने 'सर्वः सुगम' और 'शेष सूत्रसिद्धम्' ऐसा लिखते हुए इन अध्ययनों का व्याख्यान चार पक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। अन्त के श्लोकों में आचार्य अभयदेव ने अपने गुह का नाम जिनेश्वर बताया है तथा प्रस्तुत विवरण के सशोधक के रूप में निर्वृतककुलीन द्रोणाचार्य के नाम का उल्लेख किया है। विवरण का प्रथमान ३८०० श्लोकप्रमाण है। प्रथममाप्ति की तिथि वि स ११२० की विजयदशमी है। लेखनसमाप्ति का स्थान अणहिलपाटक नगर है। अंतिम श्लोक ये हैं .

नमः श्रीवर्धमानाय, श्रीपादर्वप्रभवे नमः ।

नमः श्रीमत्सरस्वत्यै, सहायेभ्यो नमो नमः ॥ १ ॥

इह हि गमनिकार्थं यन्मया व्यूहोक्त,
किमपि समयहीनं तद्विशोध्य सुधीभिः ।

नहि भवति विधेया सर्वथाऽस्मिन्नुपेक्षा,
दयितजिनमताना तायिना चाङ्गिबर्गे ॥ २ ॥

परेषा दुर्लक्षा भवति हि विपक्षाः स्फुटमिद,
विशेषाद् वृद्धानामतुलवचनज्ञानमहसाम् ।

निराम्नायाधीभिः पुनरतितरा मादृशजनैस्ततः,
शास्त्रार्थे मे वचनमनघ दुर्लभमिह ॥ ३ ॥

ततः सिद्धान्ततत्त्वज्ञैः, स्वयमूहाः प्रयत्नतः ।

न पुनरस्मदाख्यात, एव आहो नियोगतः ॥ ४ ॥

तथापि माऽस्तु मे पाप, सङ्घमत्युपजीवनात् ।

वृद्धन्यायानुसारित्वाद्विदितार्थं च प्रवृत्तितः ॥ ५ ॥

तथाहि किमपि स्फुटीकृतमिह स्फुटेऽप्यर्थतः,

सकष्टमतिदेशतो विविधवाचनातोऽपि यत् ।

समर्थपदसभ्रयाद्विगुणपुस्तकेभ्योऽपि यत्,

परात्महितहेतवेऽनभिनिवेशिना चेतसा ॥ ६ ॥

यो जैनाभिमतं प्रमाणमनघ व्युत्पादयामासिवान्,
 प्रस्थानैर्विधैर्निरस्य निखिल बौद्धादिसम्बधि तत् ।
 नानावृत्तिकथाकथापथमतिक्रान्तं च चक्रे तपो,
 निःसम्बन्धविहारमप्रतिहत शास्त्रानुसारात्तथा ॥ ७ ॥
 तस्याचार्यजिनेश्वरस्य मद्वद्व्यादिप्रतिस्पृद्धिनः,
 तद्वन्धोरपि बुद्धिसागर इति ख्यातस्य सुरेभुवि ।
 छन्दोबन्धनिबद्धबन्धुरवचः शब्दादिसल्लक्षणाः,
 श्रीसविग्नविहारिणः श्रुतनिधेश्वारित्रचूडामणेः ॥ ८ ॥
 शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणा विवृत्तिः कृता ।
 ज्ञाताधर्मकथाङ्गस्य, श्रुतभक्त्या समासतः ॥ ९ ॥
 निवृत्तककुलनभस्तलचन्द्रोणाख्यसूरिमुख्येन ।
 पंडितगुणेन गुणवत्प्रियेण सञ्ज्ञोचिता च्येयम् ॥ १० ॥
 प्रत्यक्षर गणनया, ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।
 अनुष्टभा सहस्राणि, शीष्येवाष्टशतानि च ॥ ११ ॥
 एकादशसु शतेष्वथ विंशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम् ।
 अर्णाहिलपाटकनगरे विजयदक्षम्या च सिद्धेयम् ॥ १२ ॥

उपासकदशागवृत्ति :

यह वृत्ति^१ सूत्रस्थानी है। इसमें सूत्रगत विशेष शब्दों के अर्थ आदि का स्पष्टीकरण किया गया है। ज्ञाताधर्मकथा की टीका की ही भाँति शब्दार्थ प्रधान होने के कारण इसका विस्तार अधिक नहीं है। यह वृत्ति ज्ञाताधर्मकथा की वृत्ति के बाद लिखी गई है। प्रारम्भ में वर्धमान को नमस्कार किया गया है तथा उपासक-दशांग की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की गई है। इसके बाद टीकाकार ने सप्तम अंग 'उपासकदशा' का शब्दार्थ किया है। उपासक का अर्थ है भगणोपासक और दशा का अर्थ है दस। भगणोपासक सम्प्रन्धी अनुष्ठान का प्रतिपादन करनेवाला दस अध्वयनरूप ग्रन्थ उपासकदशा है। इस ग्रन्थ का नाम बहुवचनान्त है। प्रस्तुत वृत्ति में भी आचार्य ने कहीं कहीं व्याख्यानत्र का निर्देश किया है। अनेक जगह ज्ञाताधर्मकथा की व्याख्या से अर्थ समझ लेने के लिए कहा है। अन्त में

१. (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६.

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०.

(इ) केवल गुजराती अनुवाद—प० भगवानदास हर्षचन्द्र, जैन सोसायटी, अहमदाबाद, वि० सं० १९९२

से न होकर उदाहरणों के माध्यम से है जबकि द्वितीय श्रुतस्कन्ध में साक्षात् धर्म-कथाओं से ही धर्मार्थ का वर्णन किया गया है : पूर्वत्राप्तोपालम्भादिभिर्ज्ञातैर्धर्मार्थं उपनीयते, इह तु स एव साक्षात्कथाभिरभिधीयते ।^१ इसमें धर्म-कथाओं के दस वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में विविध अध्ययन हैं। विवरणकार ने 'सर्वः सुगम' और 'शेष सूत्रसिद्धम्' ऐसा लिखते हुए इन अध्ययनों का व्याख्यान चार पक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। अन्त के श्लोकों में आचार्य अभयदेव ने अपने गुरु का नाम जिनेश्वर बताया है तथा प्रस्तुत विवरण के सशोधक के रूप में निवृत्तकुलीन द्रोणाचार्य के नाम का उल्लेख किया है। विवरण का ग्रथमान ३८०० श्लोकप्रमाण है। ग्रथसमाप्ति की तिथि वि. स ११२० की विजयदशमी है। लेखनसमाप्ति का स्थान अणहिलपाटक नगर है। अन्तिम श्लोक ये हैं

नमः श्रीवर्धमानाय, श्रीपार्श्वप्रभवे नमः ।

नमः श्रीमत्सरस्वत्यै, सहायेभ्यो नमो नमः ॥ १ ॥

इह हि गमनिकार्थं यन्मया व्यूहोक्त,
किमपि समयहीन तद्विशोध्य सुधीभिः ।
नहि भवति विधेया सर्वथाऽस्मिन्नुपेक्षा,
दयितजिनमतानां तायिना चाङ्गिवर्गे ॥ २ ॥

परेषा दुर्लक्षा भवति हि विपक्षाः स्फुटमिद,
विशेषाद् वृद्धानामतुल्यवचनज्ञानमहसाम् ।
निराम्नायाधीभिः पुनरतितरा मादृशजनैस्ततः,
शास्त्रार्थं मे वचनमनघ दुर्लभमिह ॥ ३ ॥

ततः सिद्धान्ततत्त्वज्ञैः, स्वयमूह्यः प्रयत्नतः ।
न पुनरस्मदाख्यात, एव ग्राह्यो नियोगतः ॥ ४ ॥

तथापि माऽस्तु मे पाप, सङ्गमत्युपजीवनात् ।
वृद्धन्यायानुसारित्वाद्विदितार्थं च प्रवृत्तितः ॥ ५ ॥

तथाहि किमपि स्फुटीकृतमिह स्फुटेऽप्यर्थतः,
सकष्टमतिदेशतो विविधवाचनातोऽपि यत् ।
समर्थपदसश्रयाद्विगुणपुस्तकेभ्योऽपि यत्,
परात्महितहेतवेऽनभिनिवेशिना चेतसा ॥ ६ ॥

यो जैनाभिमतं प्रमाणमनघ व्युत्पाद्यामासिवान्,
 प्रस्थानैर्विधिर्निरस्य निखिल बौद्धादिसम्यधि तत् ।
 नानावृत्तिकथाकथापथमतिक्रान्तं च चक्रं तपो,
 निःसम्बन्धविहारमप्रतिहतं शास्त्रानुसारान्तथा ॥ ७ ॥
 तस्याचार्यजिनेश्वरस्य सद्वद्वादिप्रतिस्पष्टि नः,
 तद्वन्धोरपि बुद्धिसागर इति ख्यातस्य सुरेशुवि ।
 छन्दोबन्धनिबद्धवन्धुरवचः शब्दादिसत्त्वत्मणः,
 श्रीसन्निभविहारिणः श्रुतनिधेश्वारित्रचूडामणेः ॥ ८ ॥
 शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणा विवृतिः कृता ।
 ज्ञाताधर्मकथाङ्गस्य, श्रुतभक्त्या समासतः ॥ ९ ॥
 निर्वृतककुलनभस्तलचन्द्रोणाख्यसूरिमुख्येन ।
 पङ्क्तिगुणेन गुणवत्प्रियेण सञ्ज्ञोचिता चेयम् ॥ १० ॥
 प्रत्यक्षर गणनया, ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।
 अनुष्टभा सहस्राणि, श्रीष्येवाष्टशतानि च ॥ ११ ॥
 एकादशसु शतेष्वथ विंशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम् ।
 अणहिलपाटकनगरे विजयदशम्या च सिद्धेयम् ॥ १२ ॥

उपासकदशागवृत्तिः :

यह वृत्ति^१ सूत्रस्थयी है। इसमें सूत्रगत विशेष शब्दों के अर्थ आदि का स्पष्टीकरण किया गया है। ज्ञाताधर्मकथा की टीका की ही भाँति शब्दार्थ प्रधान होने के कारण इसका विस्तार अधिक नहीं है। यह वृत्ति ज्ञाताधर्मकथा की वृत्ति के बाद लिखी गई है। प्रारम्भ में वर्धमान को नमस्कार किया गया है तथा उपासक-दर्शाण की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की गई है। इसके बाद टीकाकार ने छतम अग 'उपासकदशा' का शब्दार्थ किया है। उपासक का अर्थ है श्रमणोपासक और दशा का अर्थ है दश। श्रमणोपासक सम्बन्धी अनुष्ठान का प्रतिपादन करनेवाला दस अध्ययरूप ग्रन्थ उपासकदशा है। इस ग्रन्थ का नाम बहुवचनान्त है। प्रस्तुत वृत्ति में भी आचार्य ने कहीं कहीं व्याख्यानतर का निर्देश किया है। अनेक जगह ज्ञाताधर्मकथा की व्याख्या से अर्थ समझ लेने के लिए कहा है। अन्त में

१. (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६

(आ) भागमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०.

(इ) केवल गुजराती अनुवाद—प० मगवानदास हर्षचन्द्र, जैन सोसायटी, अहमदाबाद, वि० स० १९९२

वृत्तिकार कहते हैं कि सब मनुष्यों को प्रायः अपना वचन अभिमत होता है। जो खुद को भी अच्छी तरह पसंद नहीं आता वह दूसरों को कैसे पसंद आ सकता है ? मैंने अपने चित्त के किसी उल्लास विशेष के कारण यहाँ कुछ कहा है। उसमें जो कुछ युक्तियुक्त हो उसे निर्मल बुद्धिवाले पुरुष प्रेमपूर्वक स्वीकार करें।

अन्तकृद्दशावृत्ति :

यह वृत्ति^१ भी सूत्रस्पर्शा एव शब्दार्थप्रधान है। अव्याख्यात पदों के अर्थ के लिए वृत्तिकार ने ज्ञाताधर्मकथाविवरण का निर्देश किया है। 'अन्तकृद्दशा' का शब्दार्थ बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं . तत्रान्तो-भवान्तः कृतो-विहितो यैस्तेऽन्तकृतास्तद्वक्तव्यताप्रतिबद्धा दशाः—दशाध्ययनरूपा ग्रन्थपद्धतय इति अन्तकृद्दशाः, इह चाष्टौ वर्गा भवन्ति। तत्र प्रथमे वर्गे दशाध्ययनानि। 'अन्त' का अर्थ है भवान्त और 'कृत' का अर्थ है विहित। जिन्होंने अपने भव का अन्त किया है वे अन्तकृत हैं। अन्तकृतसम्बन्धी ग्रन्थविशेष जिसकी पद्धति दशाध्ययनरूप—दस अध्ययनवाली है, अन्तकृद्दशा कहलाता है। यद्यपि अन्तकृद्दशा के प्रत्येक वर्ग में दस अध्ययन नहीं हैं तथापि कुछ वर्गों की दस अध्ययनवाली पद्धति के कारण इसका नाम अन्तकृद्दशा रखा गया है। वृत्ति के अंत में आचार्य लिखते हैं यदिह न व्याख्यातं तज्ज्ञाताधर्मकथाविवरणादवसेयम्—जिसका यहाँ व्याख्यान न किया गया हो वह ज्ञाताधर्मकथा के विवरण से समझ लेना चाहिए। निम्नलिखित श्लोक के साथ वृत्ति पूर्ण होती है

अनन्तरसपर्यये जिनवरोदिते शासने,
यकेह समयानुगा गमनिका किल प्रोच्यते।
गमान्तरमुपैति सा तदपि सद्भिरस्या कृता-
वरुढगमशोधन ननु विधीयता सर्वत' ॥

अनुत्तरौपपातिकदशावृत्ति :

यह वृत्ति^२ भी सूत्रस्पर्शिक एव शब्दार्थप्राही है। प्रारंभ में वृत्तिकार ने 'अनुत्तरौपपातिकदशा' का अर्थ बताया है तत्रानुत्तरेषु विमानविशेषेषु-

१ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७५

(जा) भागामोदय समिति, सूरत, सन् १९२०

(इ) गूजंर ग्रन्थरत्न कार्यालय, गांधी रोड, अहमदाबाद, सन् १९३२.

२. (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७५

पपातो जन्म अनुत्तरोपपातः स विद्यते येषा तेऽनुत्तरौपपातिकास्तत्प्रति-
पादिका दशाः । दशाध्ययनप्रतिबद्धप्रथमवर्गयोगाद्दशाः ग्रन्थविशेषोऽनु-
त्तरौपपातिकद् । सा च सम्बन्धसूत्रम् । अनुत्तरविमान में उत्पन्न
होनेवाले अनुत्तरौपपातिक कहे जाते हैं । जिस ग्रथ में अनुत्तरौपपातिकों का वर्णन
है उसका नाम भी अनुत्तरौपपातिक है । उसके प्रथम वर्ग में दस अध्ययन हैं
अतः उसे अनुत्तरौपपातिकदशा कहते हैं । अन्त में वृत्तिकार ने लिखा है

शब्दाः केचन नार्थतोऽत्र विदिता केचित्तु पर्यायतः,

सूत्रार्थानुगतेः समूह्य भणतो यज्जातमागःपदम् ।

वृत्तावत्र तक्तत् जिनेश्वरवचोभाषाविधौ कोविदैः,

संशोध्यं विहितादरैर्जिनमतोपेक्षा यतो न क्षमा ॥

कुछ शब्दों का अर्थत और कुछ का पर्यायत ज्ञान न होने से वृत्ति में
त्रुटियों रहना स्वाभाविक है । जिनवाणी में निष्णात आदरणीय विद्वज्जनउन
त्रुटियों का सशोधन कर लें क्योंकि जिनमत की उपेक्षा करना उचित नहीं ।

प्रश्नव्याकरणवृत्ति :

अभयदेवसूरिकृत प्रस्तुत शब्दार्थप्रधान वृत्ति का प्रथमान ४६३० श्लोक-
प्रमाण है । इसे द्रोणाचार्य ने शुद्ध किया था । वृत्ति के प्रारंभ में व्याख्येय
ग्रथ की दुरुहता का निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं .

अज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीर प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि ।

सूत्रं व्यवस्थाप्यमतो विमृश्य, व्याख्यानकल्पादित एव नैव ॥

प्रस्तुत ग्रथ का नाम प्रश्नव्याकरण अथवा प्रश्नव्याकरणदशा है । प्रश्न-
व्याकरण का अर्थ बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जिसमें प्रश्न अर्थात् अगु-
ष्टादि प्रश्नविद्याओं का व्याकरण अर्थात् अभिधान किया गया है वह प्रश्न-
व्याकरण है । प्रश्नव्याकरणदशा का अर्थ यह है . जिसमें प्रश्न अर्थात् विद्या-
विशेषों का व्याकरण अर्थात् प्रतिपादन करने वाले दशा अर्थात् दस अध्ययन
हैं वह प्रश्नव्याकरणदशा है । यह व्युत्पत्त्यर्थ पहले था । इस समय तो इसमें
आस्रवपचक और सवरपचक का प्रतिपादन ही उपलब्ध है प्रश्ताः—अद्भु-

(आ) आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९२० .

(इ) गूज़र प्रथरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, सन् १९३२

१ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१९ .

छादिप्रश्नविधास्ता—व्याक्रियन्ते—अभिधीयन्तेऽस्मिन्निति प्रश्नव्याकरणं, क्वचित् 'प्रश्नव्याकरणदशा' इति दृश्यते, तत्र प्रश्नानां—विद्याविशेषाणां यानि व्याकरणानि तेषां प्रतिपादनपरा दशा—दशाध्ययनप्रतिबद्धा ग्रन्थपद्धतय इति प्रश्नव्याकरणदशा। अयं व्युत्पत्त्यर्थोऽस्य पूर्वकालेऽभूत्। इदानीं त्वास्तवपञ्चकसवरपञ्चकव्याकृतिरेवोपलभ्यते।^१ आगे आचार्य ने बताया है कि महाशानी पूर्वाचार्यों ने इस युग के पुरुषों के स्वभाव को दृष्टि में रखते हुए ही उन विद्याओं के बदले पचासव और पचसवर का वर्णन किया प्रतीत होता है। प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्तिकार शान्तिमलसूरि ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है।^२

विपाकवृत्ति :

वृत्ति के प्रारंभ में आचार्य ने वर्धमान को नमस्कार किया है तथा विपाक सूत्र की वृत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की है •

नत्वा श्रीवर्धमानाय वर्धमानश्रुताध्वने ।
विपाकश्रुतशास्त्रस्य वृत्तिवेद्य विधास्यते ॥

तदनन्तर अपनी अन्य वृत्तियों की शैली का अनुसरण करते हुए 'विपाक-श्रुत' का शब्दार्थ बताया है अथ 'विपाकश्रुतम्' इति कः शब्दार्थः ? उच्यते—विपाकः पुण्यपापरूपकर्मफल तत्प्रतिपादनपर श्रुतमागमो विपाकश्रुतम्। इदं च द्वादशाङ्गस्य प्रवचनपुरुषस्यैकादशमङ्गम्। विपाक का अर्थ है पुण्य पापरूप कर्मफल। उसका प्रतिपादन करने वाला श्रुत अर्थात् आगम विपाकश्रुत कहलाता है। यह श्रुत द्वादशाङ्गरूप प्रवचनपुरुष का ग्यारहवाँ अंग है।

१. पृ १

२ देखिये—प्रश्नव्याकरण

—सुखबोधिकावृत्ति, पृ २ (२)

३ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६

(आ) भागमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०

(इ) सुक्तिमल जैन मोहनमाला, बड़ौदा, सन् १९२० (प्रथम आवृत्ति), वि स १९९२ (द्वितीय आवृत्ति)

(ई) गूर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, गांधी रोड, अहमदाबाद, सन् १९३५ (मूल, मूल का अंग्रेजी अनुवाद, टिप्पण आदि सहित)

प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के पचम सूत्र 'से णं भंते । पुरिसे पुव्वभवे के आसि तत्थ णं विजयवद्धमाणे खेडे एक्काई नाम रट्टकूडे होत्था 'की व्याख्या में वृत्तिकार ने रट्टकूड-रट्टउड-राट्टकूट का अर्थ इस प्रकार किया है. 'रट्टकूडे' त्ति राट्टकूटो मण्डलोपजीवी राजनियो-गिकः ।' इसी प्रकार आचार्य ने अन्य पारिभाषिक पदों का भी संक्षिप्त एवं संतुलित अर्थ किया है । अन्त में अन्य वृत्तियों की भौति इसमें भी वृत्तिकार ने विद्वानों से वृत्तिगत त्रुटियाँ शोधने की प्रार्थना की है :^२

इहानुयोगे यदयुक्तमुक्तं तद् धीधना द्राक् परिशोधयन्तु ।
नोपेक्षण युक्तिमदत्र येन जिनागमे भक्तिपरायणानाम् ॥

औपपातिकवृत्ति :

यह वृत्ति भी शब्दार्थ-प्रधान है । प्रारंभ में वृत्तिकार ने वर्धमान को नम-स्कार करते हुए औपपातिक शास्त्र की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है :

श्रीवर्धमानमानस्य, प्रायोऽन्यग्रन्थवीक्षिता ।
औपपातिकशास्त्रस्य, व्याख्या काचिद्विधीयते ॥

इसके बाद 'औपपातिक' का शब्दार्थ किया है : अथौपपातिकमिति कः शब्दार्थः ? उच्यते—उपपत्तनमुपपातो—देवनारकजन्म सिद्धिगमनं च, अतस्त्वमधिकृत्य कृतमध्ययनमौपपातिकम् । देवों और नारकों के जन्म और सिद्धिगमन को उपपात कहते हैं । उपपातसम्बन्धी वर्णन के कारण तत्सम्बद्ध ग्रन्थ का नाम औपपातिक है । यह ग्रन्थ किसका उपाग है ? इसका उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते हैं इदं चोपाङ्गं वर्त्तते, आचाराङ्गस्य हि प्रथममध्ययन शस्त्रपरिज्ञा, तस्याद्योद्देशके सूत्रमिदम् 'एवमेगेसिं नो नाय भवइ—अत्थि वा मे आया उववाइए, नत्थि वा मे आया उववाइए, के वा अह आसी ? के वा इह (अह) च्चुए (इओ चुओ) पेच्चा इह भविस्सामि' इत्यादि, इह च सूत्रे यदौपपातिकत्वमात्मनो निर्दिष्टं तदिह प्रपञ्चयत इत्यर्थतोऽङ्गस्य समीपभावेनेदमुपाङ्गम् । यह ग्रन्थ

१. बङ्गोदा-संस्करण (द्वितीय), पृ. १० (१)

२ पृ ९९ (१).

३. (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८६०.

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१६.

आचारांग का उपाग है। आचारांग के प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा के आद्य उद्देशक के 'एवमेगेसिं नो नाय भवइ—अत्थि वा मे आया उव-वाइए' सूत्र में आत्मा का औपपातिकत्व निर्दिष्ट है उसका विशेष वर्णन करने के कारण औपपातिक सूत्र आचारांग का उपाग कहा जाता है।

प्रथम सूत्र 'तेपं कालेणं' का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने सूत्रों के अनेक पाठभेद होना स्वीकार किया है इह च बहवो वाचनाभेदा दृश्यन्ते । आगे आचार्य ने सूत्रान्तर्गत नट, नर्तक, जल्ल, मल्ल, मौष्टिक, विडम्बक, कथक, प्लवक, लासक, आख्यायक, लल, मल, तृगइल्ल, तुम्बवीणिक, तालाचर, आराम, उद्यान, अवट, तडाग, दीर्घिक, वप्पिणि, अट्टालक, चरिक, द्वार, गोपुर, तोरण, परिघ, इन्द्रकील, शिल्पी, शृगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, पणित, आपण, चतुर्मुख, महापथ, पच, शिबिका, स्यदमानिक, यान, युग्य, याग, भाग, दाय, कद, स्कध, त्वक्, शाखा (शाखा), प्रवाल, विष्कम्भ, आयाम, उत्सेध, अजनक, हलधरकोसेज्ज, कज्जलागी, शृगभेद, रिष्ठक, अशनक, सनबधन, मरकत, मसार, ईहामृग, व्यालक, आजिनक, रून, वूर, तूर, गण नायक, दडनायक, राज्ञा, ईश्वर (युवरात्र), तलवर, माडविक, षौडुनिक, मत्री, महामत्री, गणक, दौवारिक, अमात्य, चेट, पीठमर्द, नागर, नैगम, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, दूत, सधिपाल आदि अनेक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनविषयक एव शास्त्रीय शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है। यत्र-तत्र पाठान्तरों एव मतान्तरों का भी निर्देश किया है। अन्त में वृत्तिकार ने अपने नाम के साथ ही साथ अपने कुल और गुच का नाम दिया है तथा बताया है कि प्रस्तुत वृत्ति का सशोधन द्रोणाचार्य ने अणहिलपाटक नगर में किया ।

चन्द्रकुलविपुलभूतलयुगप्रवरवर्धमानकल्पतरो ।

कुसुमोपमस्य सूरैः गुणसौरभभरितभवनस्य ॥ १ ॥

निस्सम्बन्धविहारस्य सर्वदा श्रीजिनेश्वराह्वस्य ।

शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणेय कृता वृत्तिः ॥ २ ॥

अणहिलपाटकनगरे श्रीमद्द्रोणाख्यसूरिमुख्येन ।

पण्डितगुणेन गुणवत्प्रियेण सशोधिता चयम् ॥ ३ ॥

वृत्ति का प्रथमान ३१२५ इत्येक प्रमाण है ।



दशम प्रकरण

मलयगिरिविहित वृत्तियाँ

आचार्य मलयगिरि की प्रसिद्धि टीकाकार के रूप में ही है, न कि ग्रन्थकार के रूप में। इन्होंने जैन आगम ग्रंथों पर अति महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ विषय की विशदता, भाषा की प्रासादिकता, शैली की प्रौढता एवं निरूपण की स्पष्टता आदि सभी दृष्टियों से सुप्रफल हैं। मलयगिरिसूरि का स्वल्प परिचय इस प्रकार है १

आचार्य मलयगिरि ने अपने ग्रंथों के अंत की प्रशस्ति में 'यद्वापि मलयगिरिणा, सिद्धिं तेनाश्नुतां लोकः' इस प्रकार सामान्य नामोल्लेख के अतिरिक्त अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। इसी प्रकार अन्य आचार्यों ने भी इनके विषय में प्रायः मौन ही धारण किया है। केवल पंद्रहवीं शताब्दी के एक ग्रन्थकार जिनमण्डनगणि ने अपने कुमारपालप्रबन्ध में आचार्य हेमचन्द्र की विद्यासाधना के प्रसंग का वर्णन करते समय आचार्य मलयगिरि से सम्बन्धित कुछ बातों का उल्लेख किया है। वर्णन इस प्रकार है

हेमचन्द्र ने गुरु की आज्ञा लेकर अन्य गच्छीय देवेन्द्रसूरि और मलयगिरि के साथ कलाओं में कुशलता प्राप्त करने के लिए गौडदेश की ओर विहार किया। मार्ग में खिल्लूर ग्राम में एक साधु बीमार था। उसकी तीनों ने अच्छी तरह सेवा की। वह साधु रैवतक तीर्थ (गिरनार) की यात्रा के लिए बहुत आतुर था। उसकी अंतिम समय की इच्छा पूरी करने के लिए गाँव के लोगों को समझा-बुझाकर डोली का प्रव्रण कर वे लोग सो गए। सबेरे उठकर क्या देखते हैं कि तीनों जने रैवतक में बैठे हुए हैं। इसी समय शासनदेवी ने आकर उन्हें कहा कि आप लोगों का इच्छित कार्य यहीं सम्पन्न हो जाएगा। अब आपको गौडदेश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कह कर अनेक मंत्र, औषधि आदि देकर देवी अपने स्थान पर चली गई।

१. इसका आधार सुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित पञ्चम तथा षष्ठ कर्मग्रंथ (भाल्मानन्द जैन ग्रन्थमाला, ८६) की प्रस्तावना है।

के लिए इतना सरल न होता। जैन आगमों पर टीकाएँ लिखने की आचार्य मलयगिरि की इच्छा तो उनकी उपलब्ध टीकाओं में प्रतिबिम्बित है ही।

मलयगिरि ने कितने ग्रंथ लिखे, इसका स्पष्ट उल्लेख तो कहीं उपलब्ध नहीं होता। उनके जितने ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं तथा जिन ग्रंथों के नामों का उल्लेख तो उनकी कृतियों में है किन्तु ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं उन सब की सूची नीचे दी जाती है :

उपलब्ध ग्रंथ

नाम	श्लोकप्रमाण
१. भगवतीसूत्र—द्वितीयशतकवृत्ति	३७५०
२ राजप्रश्नीयोपाङ्गटीका	३७००
३. बीवाभिगमोपाङ्गटीका	१६०००
४. प्रज्ञापनोपाङ्गटीका	१६०००
५. चन्द्रप्रज्ञप्त्युपाङ्गटीका	९५००
६ सूर्यप्रज्ञप्त्युपाङ्गटीका	९५००
७. नन्दीसूत्रटीका	७७३२
८ व्यवहारसूत्रवृत्ति	३४०००
९. बृहत्करपपीठिकावृत्ति (अपूर्ण)	४६००
१० आवश्यकवृत्ति (अपूर्ण)	१८०००
११ पिण्डनिर्युक्तिटीका	६७००
१२. ज्योतिष्करण्डकटीका	५०००
१३ धर्मसग्रहणीवृत्ति	१००००
१४ कर्मप्रकृतिवृत्ति	८०००
१५ पचसग्रहवृत्ति	१८८५०
१६. षडशोतिवृत्ति	२०००
१७. समन्वितवृत्ति दक्षतं ह कि ताना	३७८०
उन्हें कहा कि आ वृत्ति	५०००
आपको गौडदे मासवृत्ति	९५००
मत्र, औषधि रिशब्दानुशासत	५०००

अनुपलब्ध ग्रंथ

१. ओषनिर्युक्तिटीका
४ तत्त्वार्थाधिगमसूत्रटीका

१ द्वीपप्रज्ञप्तिटीका

कर्मग्रंथोपावश्यकटीका

एक समय गुह ने उन्हें सिद्धचक्र मंत्र दिया। ' ' तीनों ने अश्वि-
दयी की सहायता से भगवान् नेमिनाथ (रैतफदेव) के सामने बैठकर
सिद्धचक्र मंत्र की आराधना की। मंत्र के अधिष्ठाता विमलेश्वरदेव ने प्रसन्न
होकर तीनों से कहा कि तुम लोग अपना इच्छित वरदान माँगो। उस समय
हेमचन्द्र ने राजा को प्रतिशेष देने का, देवेन्द्रसूरि ने एक रात में कान्ती नगरी से
सेरीसक प्राप्त में मंदिर लाने का और मलयगिरिसूरि ने जैन सिद्धान्तों की
वृत्तियाँ—टीकाएँ लिखने का वर मांगा। तीनों को अपनी-अपनी इच्छानुसार
वर देकर देव अपने स्थान पर चला गया।

उपर्युक्त उल्लेख से यह कल्पित होता है कि (१) मलयगिरिसूरि आचार्य
हेमचन्द्र के साथ पिदासाधना के लिए गये थे, (२) उन्होंने जैन आगमग्रंथों
की टीकाएँ लिखने का वरदान प्राप्त किया था और (३) वे 'सूरि' पद
अर्थात् 'आचार्य' पद से विभूषित थे। मलयगिरि के लिए आचार्यपदसूचक
एक और प्रमाण उपलब्ध है जो इससे भी अधिक प्रबल है। यह प्रमाण
मलयगिरिविरचित शब्दानुशासन में है जो इस प्रकार है. एव कृतमङ्गल-
रक्षाविधानः परिपूर्णमल्पग्रन्थ लघुपाय आचार्यो मलयगिरिः शब्दानु-
शासनमारभते। इसमें मलयगिरि ने अपने लिए स्पष्टरूप से आचार्यपद का
प्रयोग किया है। इसी प्रकार आचार्य मलयगिरि और आचार्य हेमचन्द्र के
सम्बन्ध पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमाण मलयगिरिविरचित आवश्यकवृत्ति
में है जिससे यह प्रकट होता है कि आचार्य मलयगिरि आचार्य हेमचन्द्र को
अति सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते थे। आचार्य मलयगिरि लिखते हैं तथा चाहुः
स्तुतिषु गुरवः—

अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद्, यथा परे मत्सरिण प्रवादा ।
नयानशेषानविशेषमिच्छन्, न पक्षपाती सम^{सुरो} तथा ते ॥

यह कारिका आचार्य हेमचन्द्रकृत अन्ययोगव्यवच्छेदशास्त्र^{वचन} की है जिसे
आचार्य मलयगिरि ने अपनी आवश्यकवृत्ति में उद्धृत किया है ॥ २ ॥
के पूर्व आचार्य हेमचन्द्र के लिए 'गुरवः' पद का प्रयोग किया।
सम्मानपूर्ण प्रयोग से यह स्पष्ट है कि आचार्य हेमचन्द्र के पाण्डित्य ३ ॥
मलयगिरिसूरि पर काफी गहरा था। इतना ही नहीं, आचार्य हेमच-
न्द्रगिरिसूरि की अपेक्षा प्रतापस्या में भी बड़े ही थे, वय में चाहे बड़े न
अन्यथा आचार्य हेमचन्द्र के लिए 'गुरवः' शब्द का प्रयोग करना मलयगि-

के लिए इतना सरल न होता। जैन आगमों पर टीकाएँ लिखने की आचार्य मलयगिरि की इच्छा तो उनकी उपलब्ध टीकाओं में प्रतिबिम्बित है ही।

मलयगिरि ने कितने ग्रंथ लिखे, इसका स्पष्ट उल्लेख तो कहीं उपलब्ध नहीं होता। उनके जितने ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं तथा जिन ग्रन्थों के नामों का उल्लेख तो उनकी कृतियों में है किन्तु ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं उन सब की सूची नीचे दी जाती है :

उपलब्ध ग्रंथ

नाम	श्लोकप्रमाण
१. भगवतीसूत्र—द्वितीयशतकवृत्ति	३७५०
२. राजप्रश्नीयोपाङ्गटीका	३७००
३. बीवाभिगमोपाङ्गटीका	१६०००
४. प्रज्ञापनोपाङ्गटीका	१६०००
५. चन्द्रप्रश्न्युपाङ्गटीका	९५००
६. सूर्यप्रश्न्युपाङ्गटीका	९५००
७. नन्दीसूत्रटीका	७७३२
८. व्यवहारसूत्रवृत्ति	३४०००
९. वृहत्कल्पपीठिकावृत्ति (अपूर्ण)	४६००
१०. आवश्यकवृत्ति (अपूर्ण)	१८०००
११. पिण्डनिर्युक्तिटीका	६७००
१२. ज्योतिष्करण्डकटीका	५०००
१३. धर्मसम्रहणीवृत्ति	१००००
१४. कर्मप्रकृतिवृत्ति	८०००
१५. पचसम्रहवृत्ति	१८८५०
१६. पडशीतिवृत्ति	२०००
१७. समुत्तिकावृत्ति	३७८०
दखते हैं कि ताना वृत्ति	
उन्हें कहा कि अमासवृत्ति	५००००
आपको गौडदेव	९५००
मत्र, औषधि	५०००

अनुपलब्ध ग्रंथ

१. द्वीपप्रश्नटीका
 २. ओषनिर्युक्तिटीका
 ४. तत्त्वार्थाधिगमसूत्रटीका

५. धर्मसारप्रकरणटीका ६. देवेन्द्रनरयेन्द्रप्रकरणटीका

उपर्युक्त ग्रंथों के नामों से स्पष्ट है कि आचार्य मलयगिरि एक बहुत बड़े टीकाकार हैं, न कि स्वतन्त्र ग्रंथकार। इन्होंने इन टीकाओं में ही अपने पांडित्य का उपयोग किया है। यही कारण है कि इनकी टीकाओं की विद्वत्समाज में खूब प्रतिष्ठा है। ये अपनी टीकाओं में सर्वप्रथम मूल सूत्र, गाथा अथवा श्लोक के शब्दार्थ की व्याख्या करते हैं और उस अर्थ का स्पष्ट निर्देश कर देते हैं। तदनन्तर विशेष स्पष्टीकरण अथवा विस्तृत विवेचन की आवश्यकता प्रतीत होने पर 'अयं भावः, किमुक्त भवति, अयमाशयः, इदमत्र हृदयम्' इत्यादि पदों के साथ सम्पूर्ण अमीशार्थ स्पष्ट कर देते हैं। विषय से सम्बद्ध अन्य प्रासंगिक विषयों की चर्चा करना तथा तद्विषयक प्राचीन प्रमाणों का उल्लेख करना भी आचार्य मलयगिरि की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आगे मलयगिरिकृत प्रकाशित टीकाओं का परिचय दिया जाता है।

नदीवृत्ति :

आचार्य मलयगिरिकृत प्रस्तुत वृत्ति^१ दार्शनिक वाद विवाद से परिपूर्ण है। यही कारण है कि इसका विस्तार भी अधिक है। इसमें यत्र तत्र उदाहरण के रूप में संस्कृत कथानक भी दिये गये हैं। प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरणों का भी अभाव नहीं है। प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान जिनेश्वर एवं जिन प्रवचन का सादर स्मरण किया है।

जयति भुवनेऋभानुः सर्वत्राविहृतकेवलालोकः ।

नित्योदितः स्थिरस्तापवर्जितो वर्धमानजिनः ॥ १ ॥

अयति जगदेकमङ्गलमपहतनिःशेषदुरितघनतिमिरम् ।

रविचिन्मिव यथास्थितवस्तुविकाश जिनेशवचः ॥ २ ॥

वृत्तिकार ने नन्दी का शब्दार्थ इस प्रकार बताया है : अथ नन्दिरिति कः शब्दार्थः ? उच्यते—'दुनद्दु' समृद्धावित्यस्य 'धातोरुदितो नम्' इति नमि विहिते नन्दन नन्दिः प्रमोदो हर्ष इत्यर्थः, नन्दिहेतुत्वात् ज्ञानपञ्चका मिधायकमध्ययनमपि नन्दिः, नन्दन्ति प्राणिनोऽनेनास्मिन् वेति वा नन्दिः इदमेव प्रस्तुतमध्ययनम् । अपरे तु नन्दीति पठन्ति, ते च 'इक् कृष्या-दिभ्यः' इति सूत्रादिकप्रत्यय समानीय स्त्रीत्वेऽपि वर्त्तयन्ति ततश्च 'इतो-

१ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, वि० स० १९३१

(आ) आगामोदय समिति, प्र० १९, बम्बई, सन् १९२४

ऽक्त्यर्थात्' इति ङीप्रत्ययः ।^१ 'टुनटु' धातु से 'समृद्धि' अर्थ में 'धातोरुदितो नम्' सूत्र से 'नम्' करने पर 'नन्दि' बनता है जिसका अर्थ है प्रमोद, हर्ष आदि । नन्दि-प्रमोद-हर्ष का कारण होने से ज्ञानपचक का कथन करनेवाला अध्ययन भी 'नन्दि' कहलाता है । अथवा जिसके द्वारा या जिसमें प्राणी प्रसन्न रहते हैं वह 'नन्दि' है । यही प्रस्तुत अध्ययन—ग्रथ है । कुछ लोग इसे 'नन्दी' कहते हैं । उनके मतसे 'इक् कृष्यादिभ्य' सूत्र से 'इक्' प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में 'इतोऽक्त्यर्थात्' सूत्र से 'ङी' प्रत्यय करने पर 'नन्दी' बनता है ।

'नन्दी' का निक्षेप-पद्धति से विवेचन करने के बाद टीकाकार ने 'जयइ जगजीवजोणी . ' इत्यादि स्तुतिपरक सूत्र-गाथाओं का सुविस्तृत व्याख्यान किया है । इसमें जीवसत्तासिद्धि, शाब्दप्रामाण्य, वचनापौरुषेयत्वखण्डन, वीतरागस्वरूपविचार, सर्वज्ञसिद्धि, नैरात्म्यनिराकरण, सतानवादखण्डन, वास्यवासकभावखण्डन, अन्वयिज्ञानसिद्धि, सांख्यमुक्तिनिरास, धर्मवर्मभेदाभेदसिद्धि आदि का समावेश किया है ।^२ वृत्ति का यह भाग दार्शनिक चर्चाओं से परिपूर्ण होने के कारण बौद्धिक आह्लाद उत्पन्न करने वाला है । आगे की वृत्ति में ज्ञानपचरुसिद्धि, मत्यादिक्रमस्थापना, प्रत्यक्ष-परोक्षस्वरूपविचार, मत्यादिस्वरूपनिश्चय, अनतरसिद्धकेवल, परम्परसिद्धकेवल, स्त्रीमुक्तिसिद्धि, युगपद् उपयोगनिरास, ज्ञान दर्शन-अभेदनिरास, सहस्रान्तबुद्धिभेदनिरूपण, अगप्रविष्ट-अगवाह्य श्रुतस्वरूपप्ररूपण आदि सबधी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है । अन्त में आचार्य ने चूर्णिकार को नमस्कार करते हुए टीकाकार हरिभद्र को भी सादर नमस्कार किया है तथा वृत्ति से उपार्जित पुण्य को लोककल्याण के लिए समर्पित करते हुए अहत् आदि का मंगल-स्मरण किया है ।^३

नन्द्यध्ययनं पूर्वं प्रकाशितं येन विषमभावार्थम् ।
 तस्मै श्रीचूर्णिकृते नमोऽस्तु विदुषे परोपकृते ॥ १ ॥
 मध्ये समस्तभूषीठं, यशो यस्याभिवर्द्धते ।
 तस्मै श्रीहरिभद्राय, गिकाविधायिने ॥ २ ॥
 वृत्तिर्वा चूर्णिर्वा रम्याऽपि न मन्दमेधसा योग्या ।
 अभवदिह तेन तेषामुपकृतये यत्न एष कृतः ॥ ३ ॥
 बह्वर्थमल्पशब्द नन्द्यध्ययनं विवृण्वता कुशलम् ।
 यदवापि मलयगिरिणा सिद्धिं तेनाश्नुता लोकः ॥ ४ ॥

५ धर्मसारप्रकरणटीका ६. देवेन्द्रनरदेन्द्रप्रकरणटीका

उपयुक्त ग्रंथों के नामों से स्पष्ट है कि आचार्य मलयगिरि एक बहुत बड़े टीकाकार हैं, न कि स्वतन्त्र ग्रंथकार। इन्होंने इन टीकाओं में ही अपने पाठित्य का उपयोग किया है। यही कारण है कि इनकी टीकाओं की विद्वत्समाज में खूब प्रतिष्ठा है। ये अपनी टीकाओं में सर्वप्रथम मूल सूत्र, गायत्री अथवा श्लोक के शाब्दार्थ की व्याख्या करते हैं और उस अर्थ का स्पष्ट निर्देश कर देते हैं। तदनन्तर विशेष स्पष्टीकरण अथवा विस्तृत विवेचन की आवश्यकता प्रतीत होने पर 'अयं भावः, किमुक्तं भवति, अयमाशयः, इदमत्र हृदयम्' इत्यादि पदों के साथ सम्पूर्ण अभीष्टार्थ स्पष्ट कर देते हैं। विषय से सम्बद्ध अन्य प्रासंगिक विषयों की चर्चा करना तथा तद्विषयक प्राचीन प्रमाणों का उल्लेख करना भी आचार्य मलयगिरि की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आगे मलयगिरिकृत प्रकाशित टीकाओं का परिचय दिया जाता है।

नदीवृत्ति :

आचार्य मलयगिरिकृत प्रस्तुत वृत्ति^१ दार्शनिक वाद विवाद से परिपूर्ण है। यही कारण है कि इसका विस्तार भी अधिक है। इसमें यत्र तत्र उदाहरण के रूप में संस्कृत कथानक भी दिये गये हैं। प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरणों का भी अभाव नहीं है। प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान विनेश्वर एवं जिन प्रवचन का सादर स्मरण किया है।

जयति भुवनैरुभानुः सर्वत्राविहृतकेवलालोकः ।
नित्योदितः स्थिरस्तापवर्जितो वर्धमानजिनः ॥ १ ॥
जयति जगदेकमङ्गलमपहतनिःशेषदुरितघनतिमिरम् ।
रविविम्बमिव यथास्थितवस्तुविकाशं जितेशवचः ॥ २ ॥

वृत्तिकार ने नन्दी का शब्दार्थ इस प्रकार बताया है : अथ नन्दिरिति कः शब्दार्थः ? उच्यते—'दुन्दु' समृद्धावित्यस्य 'धातोर्दितो नम्' इति नमि विहिते नन्दन नन्दिः प्रसौदो हर्ष इत्यर्थः, नन्दिहेतुत्वात् ज्ञानपञ्चका भिधायकमध्ययनमपि नन्दिः, नन्दन्ति प्राणिनोऽनेनास्मिन् वेति वा नन्दिः इदमेव प्रस्तुतमध्ययनम् । अपरे तु नन्दीति पठन्ति, ते च 'इक् कृष्यादिभ्यः' इति सूत्रादिकप्रत्यय समानीय स्त्रीत्वेऽपि वर्त्तयन्ति ततश्च 'इतो-

१ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, वि० सं० १९३१

(का) भागमोदय समिति, प्र० १६, बम्बई, सन् १९२४

ऽक्त्यर्थात्' इति ङीप्रत्ययः ।^१ 'दुन्दु' धातु से 'समृद्धि' अर्थ में 'धातोवदितो नम्' सूत्र से 'नम्' करने पर 'नन्दि' बनता है जिसका अर्थ है प्रमोद, हर्ष आदि । नन्दि-प्रमोद-हर्ष का कारण होने से ज्ञानपचक का कथन करनेवाला अध्ययन भी 'नन्दि' कहल्यता है । अथवा जिसके द्वारा या जिसमें प्राणी प्रसन्न रहते हैं वह 'नन्दि' है । यही प्रस्तुत अध्ययन—ग्रथ है । कुछ लोग इसे 'नन्दी' कहते हैं । उनके मतसे 'इक् कृष्वादिभ्य' सूत्र से 'इक्' प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में 'इतोऽक्त्यर्थात्' सूत्र से 'ङी' प्रत्यय करने पर 'नन्दी' बनता है ।

'नन्दी' का निक्षेप-पद्धति से विवेचन करने के बाद टीकाकार ने 'जयइ जगजीवजोणी' इत्यादि स्तुतिपरक सूत्र गायार्थों का सुविस्तृत व्याख्यान किया है । इसमें जीवसत्तासिद्धि, शब्दप्रामाण्य, वचनापौरुषेयत्वखण्डन, वीतरागस्वरूपविचार, सर्वज्ञसिद्धि, नैरात्म्यनिराकरण, सतानवादखण्डन, वासवासक-मावलण्डन, अन्वयिज्ञानसिद्धि, साध्यमुक्तिनिरास, धर्मधर्मभेदाभेदसिद्धि आदि का समावेश किया है ।^२ वृत्ति का यह भाग दार्शनिक चर्चाओं से परिपूर्ण होने के कारण बौद्धिक आह्लाद उत्पन्न करने वाला है । आगे की वृत्ति में ज्ञान-पचकसिद्धि, मत्यादिक्रमस्थापना, प्रत्यक्ष-परोक्षस्वरूपविचार, मत्यादित्स्वरूप-निश्चय, अनंतरसिद्धकेवल, परम्परसिद्धकेवल, स्त्रीमुक्तिसिद्धि, युगपद-उपयोग-निरास, ज्ञान दर्शन-अभेदनिरास, सहस्रान्तबुद्धिभेदनिरूपण, अगप्रविष्ट-आग्राह्य श्रुतस्वरूपरूपण आदि सबधी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है । अन्त में आचार्य ने चूर्णिकार को नमस्कार करते हुए टीकाकार हरिभद्र को भी सादर नमस्कार किया है तथा वृत्ति से उपासित पुण्य को लोककल्याण के लिए समर्पित करने हुए अहंत् आदि का मगल-स्मरण किया है ।^३

नन्दाध्ययनं पूर्वं प्रकाशितं येन विषमभावायार्थम् ।
 तस्मै श्रीचूर्णिकृते नमोऽस्तु विदुषे परोपकृते ॥ १ ॥
 मध्ये समस्तभूपीठं, यशो यस्याभिवर्द्धते ।
 तस्मै श्रीहरिभद्राय, नमष्टीकाविधायिने ॥ २ ॥
 वृत्तिर्वा चूर्णिर्वा रम्याऽपि न मन्दमेधसां योग्या ।
 अभवदिह तेन तेषामुपकृतये यत्न ष्य ह्यः ॥ ३ ॥
 बह्वर्थमल्पशब्द नन्दाध्ययनं विवृण्वता कुम्भम् ॥
 यदवापि मलयगिरिणा सिद्धिं तेनानुदां संकृतम् ॥ ४ ॥

१ आगमोदय-संस्करण, पृ० १

२. पृ० २-३३. ३. ३-३३

अर्हन्तो मङ्गलं मे स्युः, सिद्धाश्च मम मङ्गलम् ।
साधवो मङ्गलं सम्यग्, जैनो धर्मज्ञश्च मङ्गलम् ॥ ५ ॥

प्रस्तुत वृत्ति का प्रथमान ७७३२ श्लोकप्रमाण है ।

प्रज्ञापनावृत्ति :

वृत्ति^१ के प्रारंभ में आचार्य ने मंगलसूचक चार श्लोक दिये हैं । प्रथम श्लोक में महावीर की जय गोली गई है, द्वितीय में जिन प्रवचन को नमस्कार किया गया है, तृतीय में गुरु को प्रणाम किया गया है, चतुर्थ में प्रज्ञापना सूत्र की टीका करने की प्रतिज्ञा की गई है ।

जयति नमदमरमुकुटप्रतिविम्बच्छद्मविहितवहुरूप ।
उद्धर्तुमिव समस्त विश्वं भवपङ्क्ततो वीरः ॥ १ ॥
जिनवचनामृतजलधिं वन्दे यद्विन्दुमात्रमादाय ।
अभवन्नूनं सत्त्वा जन्म-जरा-व्याधिपरिहीणाः ॥ २ ॥
प्रणमत गुरुपदपङ्क्तजमधरीकृतकामधेनुकल्पलतम् ।
यदुपास्तिवशान्निरुपममश्नुवते ब्रह्म तनुभाजः ॥ ३ ॥
जडमतिरपि गुरुचरणोपास्तिमुद्भूतविपुलमतिविभवः ।
समयानुसारतोऽहं विदवे प्रज्ञापनाविवृतिम् ॥ ४ ॥

‘प्रज्ञापना’ का शब्दार्थ करते हुए वृत्तिकार कहते हैं प्रकर्षेण ज्ञाप्यन्ते अनयेति प्रज्ञापना अर्थात् जिसके द्वारा जीवाजीवादि पदार्थों का ज्ञान किया जाय वह प्रज्ञापना है । यह प्रज्ञापना सूत्र समवाय नामक चतुर्थ अंग का उपाग है क्योंकि यह समवायाग में निरूपित अर्थ का प्रतिपादन करता है । यदि कोई यह कहे कि समवायागनिरूपित अर्थ का इसमें प्रतिपादन करना निरर्थक है तो ठीक नहीं । इसमें समवायागप्रतिपादित अर्थ का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है । इससे मदमति शिष्य का विशेष उपकार होता है । अतः इसकी रचना सार्थक है । इसके बाद मंगल की सार्थकता आदि पर प्रकाश डालते हुए आचार्य ने सूत्र के पदों का व्याख्यान किया है । व्याख्यान

१ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८४

(ब) भागमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-९

(इ) केवल गुजराती अनुवाद—अनु प भगवानदास हर्षचन्द्र, जैन सोसायटी, अहमदाबाद, वि स १९९१

आवश्यकतानुसार कहीं संक्षिप्त है तो कहीं विस्तृत। अन्त में वृत्तिकार ने जिनवचन को नमस्कार करते हुए अपने पूर्ववर्ती टीकाकार आचार्य हरिभद्र को यह कहते हुए नमस्कार किया है कि टीकाकार हरिभद्रसूरि की जय हो जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र के विषय पदों का व्याख्यान किया है और जिनके विवरण से मैं भी एक छोटा सा टीकाकार बना हूँ। तदनन्तर प्रज्ञापनावृत्ति से प्राप्त पुण्य को जिनवाणी के सद्बोध के लिए प्रदान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि प्रज्ञापनासूत्र की टीका लिखकर मलयगिरि ने जो निर्दोष पुण्योपार्जन किया है उससे ससार के समस्त प्राणी जिनवचन का सद्बोध प्राप्त करें। प्रस्तुत वृत्ति का प्रथमान १६००० श्लोकप्रमाण है।

सूर्यप्रज्ञप्तिविवरण :

विवरण^१ के प्रारंभ में मगल करते हुए आचार्य ने यह उल्लेख किया है कि भद्रबाहुसूरिकृत निर्युक्ति का नाश हो जाने के कारण मैं केवल मूल सूत्र का ही व्याख्यान करूँगा। प्रारंभ के पाँच श्लोक ये हैं :

यथास्थितं जगत्सर्वमीक्षते यः प्रतिक्षणम् ।
 श्रीवीराय नमस्तस्यै भास्वने परमात्मने ॥ १ ॥
 श्रुतकेवलिनः सर्वे विजयन्ता तमच्छिदः ।
 येषां पुरो विभान्तिस्म खद्योता इव तीर्थिकाः ॥ २ ॥
 जयति जिनवचनमनुपममज्ञानतमःसमूहरविविम्बम् ।
 शिवसुखफलकल्पतरु प्रमाणनयभङ्गागमबहुलम् ॥ ३ ॥
 सूर्यप्रज्ञप्तिमह गुरुपदेशानुसारतः किञ्चित् ।
 विवृणोमि यथाशक्ति स्पष्ट स्वपरोपकाराय ॥ ४ ॥
 अस्या निर्युक्तिरभूत् पूर्वं श्रीभद्रबाहुसूरिकृता ।
 कलिदोषात् साऽनेशद् व्याचक्षे केवल सूत्रम् ॥ ५ ॥

इसके बाद आचार्य ने प्रथम सूत्र का उक्तान करते हुए सूत्र स्पर्शिक व्याख्यान प्रारंभ किया है। प्रथम सूत्र के व्याख्यान में मिथिला नगरी, माणिभद्र चैत्य, जितशत्रु राजा, धारिणी देवी और महावीर जिन का साहित्यिक छटायुक्त वर्णन किया है। द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इन्द्रभूति गौतम का वर्णन है। तृतीय सूत्र की वृत्ति में सूर्यप्रज्ञप्ति के मूल विषय का बीस प्राभृतों में विवेचन है। वे प्राभृत इस प्रकार हैं— १ सूर्यमण्डलों की संख्या, २ सूर्य का

अहन्तो मङ्गल मे स्युः, मित्राश्च मम मङ्गलम् ।

साधवो मङ्गल सम्यग्, जैनो धर्मेश्च मङ्गलम् ॥ ५ ॥

प्रस्तुत वृत्ति का प्रथमान ७७३२ श्लोकप्रमाण है ।

प्रज्ञापनावृत्ति :

वृत्ति के प्रारंभ में आचार्य ने मंगलसूचक चार श्लोक दिये हैं । प्रथम श्लोक में महावीर की जय गौली गई है, द्वितीय में जिन प्रवचन को नमस्कार किया गया है, तृतीय में गुरु को प्रणाम किया गया है, चतुर्थ में प्रज्ञापना सूत्र की टीका करने की प्रतिज्ञा की गई है

जयति नमदमरमुकुटप्रतिविम्बच्छट्टमविहितवहुरूप ।

छद्घर्तुमिव समस्त विश्व भवपङ्क्ततो वीरः ॥ १ ॥

जिनवचनामृतजलधि वन्दे यद्विन्दुमात्रमादाय ।

अभवन्नून सत्त्वा जन्म-जरा-व्याधिपरिहीणाः ॥ २ ॥

प्रणमत गुरुपदपङ्क्तजमधरीकृतकामधेनुकल्पलतम् ।

यदुपास्तिवशास्त्रिरुपसमश्नुवते ब्रह्म तनुभाजः ॥ ३ ॥

जडमतिरपि गुरुचरणोपास्त्रिसमुद्भूतविपुलमतिविभवः ।

समयानुसारतोऽहं विदधे प्रज्ञापनाविवृतिम् ॥ ४ ॥

‘प्रज्ञापना’ का शब्दार्थ करते हुए वृत्तिकार कहते हैं . प्रकर्षेण ज्ञाप्यस्ते अनयेति प्रज्ञापना अर्थात् बिसके द्वारा जीवाजीवादि पदार्थों का ज्ञान किया जाय वह प्रज्ञापना है । यह प्रज्ञापना सूत्र समवाय नामक चतुर्थ अंग का उपाग है क्योंकि यह समवायाग में निरूपित अर्थ का प्रतिपादन करता है । यदि कोई यह कहे कि समवायागनिरूपित अर्थ का इसमें प्रतिपादन करना निरर्थक है तो ठीक नहीं । इसमें समवायागप्रतिपादित अर्थ का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है । इससे मदमति शिष्य का विशेष उपकार होता है । अतः इसकी रचना सार्थक है । इसके बाद मंगल की सार्थकता आदि पर प्रकाश डालते हुए आचार्य ने सूत्र के पदों का व्याख्यान किया है । व्याख्यान

१ (अ) रायबहादुर धनपतसिंह, बनारस, सन् १८८४

(ब) भागमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-९

(इ) केवल गुजराती अनुवाद—अनु प भगवानदास हर्षचन्द्र, जैन खोसायटी, अहमदाबाद, वि स १९९१

आवश्यकतानुसार कहीं संक्षिप्त है तो कहीं विस्तृत। अन्त में वृत्तिकार ने जिन-वचन को नमस्कार करते हुए अपने पूर्ववर्ती टीकाकार आचार्य हरिभद्र को यह कहते हुए नमस्कार किया है कि टीकाकार हरिभद्रसूरि की जय हो जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र के विषम पदों का व्याख्यान किया है और जिनके विवरण से मैं भी एक छोटा सा टीकाकार बना हूँ। तदनन्तर प्रज्ञापनावृत्ति से प्राप्त पुण्य को जिनवाणी के सद्बोध के लिए प्रदान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि प्रज्ञापनासूत्र की टीका लिखकर मलयगिरि ने जो निर्दोष पुण्योपाजन किया है उससे ससार के समस्त प्राणी जिनवचन का सद्बोध प्राप्त करें। प्रस्तुत वृत्ति का ग्रंथमान १६००० श्लोकप्रमाण है।

सूर्यप्रज्ञप्तिविवरण :

विवरण^१ के प्रारंभ में मंगल करते हुए आचार्य ने यह उल्लेख किया है कि भद्रबाहुसूरिकृत निर्युक्ति का नाश हो जाने के कारण मैं केवल मूल सूत्र का ही व्याख्यान करूँगा। प्रारंभ के पाँच श्लोक ये हैं :

यथास्थितं जगत्सर्वमीक्षते यः प्रतिक्षणम् ।
 श्रीवीराय नमस्तस्यै भास्वने परमात्मने ॥ १ ॥
 श्रुतकेवलिनः सर्वे विजयन्ता तमच्छिदः ।
 येषां पुरो विभान्तिस्म खद्योता इव तीर्थिकाः ॥ २ ॥
 जयति जिनवचनमनुपममज्ञानतमःसमूहरविस्वम् ।
 शिवसुखफलकल्पतरु प्रमाणनयभङ्गागमबहुलम् ॥ ३ ॥
 सूर्यप्रज्ञप्तिमहं गुरुपदेशानुसारतः किञ्चित् ।
 विवृणोमि यथाशक्ति स्पष्ट स्वपरोपकाराय ॥ ४ ॥
 अस्या निर्युक्तिरभूत् पूर्वं श्रीभद्रबाहुसूरिकृता ।
 कलिदोषात् साऽनेशद् व्याचक्षे केवल सूत्रम् ॥ ५ ॥

इसके बाद आचार्य ने प्रथम सूत्र का उत्थान करते हुए सूत्र स्पर्शिक व्याख्यान प्रारंभ किया है। प्रथम सूत्र के व्याख्यान में मिथिला नगरी, माणि-भद्र चैत्य, जितशत्रु राजा, धारिणी देवी और महावीर जिन का साहित्यिक छायायुक्त वर्णन किया है। द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इन्द्रभूति गौतम का वर्णन है। तृतीय सूत्र की वृत्ति में सूर्यप्रज्ञप्ति के मूल विषय का बीस प्राभूतों में विवेचन है। वे प्राभूत इस प्रकार हैं - १ सूर्यमण्डलों की संख्या; २ सूर्य का

तिर्यक् परिभ्रम, ३ सूर्य के प्रकाशक्षेत्र का परिमाण, ४ सूर्य का प्रकाशस्थान, ५ सूर्य का लेश्याप्रतिघात, ६ सूर्य की ओजसस्थिति, ७ सूर्यलेश्यासष्ट-पुद्गल, ८ सूर्योदयस्थिति, ९. पौरुषीच्छायाप्रमाण, १०. योगस्वरूप, ११. सप्तसरो की आदि, १२ सवत्सरभेद, १३ चन्द्रमा की वृद्ध्यपवृद्धि, १४ ज्योत्स्नाप्रमाण, १५ चन्द्रादि का शंघ्रगतिविषयक निर्णय, १६ ज्योत्स्ना-लक्षण, १७. चन्द्रादि का च्यवन और उशपात, १८ चन्द्रादि का उच्चत्वमान, १९. सूर्यसंख्या, २० चन्द्रादि का अनुभाव ।^१ इनमें से पहले प्राभृत में आठ, दूसरे में तीन और दसवें में बाईस उपप्राभृत—प्राभृतप्राभृत हैं ।^१ आगे की वृत्ति में इन्हीं सब प्राभृतों एव प्राभृतप्राभृतों का विशद वर्णन है ।

दसवें प्राभृत के ग्यारहवें प्राभृतप्राभृत के चिवरण में आचार्य ने लोकश्री तथा उसकी टीका का उल्लेख करते हुए उनमें से उद्धरण दिये हैं तथा चोक्त लोकश्रियाम्—‘पुणवसु रोहिणि चित्ता मह जेड्डणुराह कत्तिय विसाहा । चदस्स उभयजोगी’ त्ति, अत्र ‘उभयजोगी’ त्ति व्याख्यानयता टीकाकृतोक्तम्—एतानि नक्षत्राणि ‘उभययोगीनि’ चन्द्रस्योत्तरेण दक्षिणेन च युज्यन्ते, कदाचिद् भेदमप्युपयान्तीति ।^१ पुनर्वसु, रोहिणी, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, अनुराधा, कृत्तिका और विशाला—ये आठ नक्षत्र उभययोगी हैं अर्थात् चन्द्र की उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में योग प्राप्त करने वाले हैं तथा कभी कभी भेद को भी प्राप्त होते हैं ।

द्वादश प्राभृत की वृत्ति में स्वकृत शब्दानुशासन का उल्लेख है । चादयो हि पदान्तराभिहितमेवार्थं स्पष्टयति न पुन. स्वातन्त्र्येण कमप्यर्थमभिदधति इति, निर्णीतमेतत् स्वशब्दानुशासने ।^१ च आदि पद पदान्तर के स्पष्ट अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं, स्वतन्त्ररूप से किसी अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते ।

उन्नीसवें प्राभृत के चिवरण में वृत्तिकार ने जीवाभिगमचूर्णि का उल्लेख किया है तथा उसमें से अनेक उद्धरण दिये हैं । ‘तुटिक’ का शब्दार्थ करते हुए वृत्तिकार कहते हैं उक्तं च जीवाभिगमचूर्णो—‘तुटिकमन्तःपुरमिति’ ।^१ चन्द्रविमान से सम्बन्धित ‘द्वाषष्टि’ शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं एतच्च

१ पृ ६ २ पृ ७-८ ३ पृ० १३७ (२)—१३८ (१).
४. पृ० २३३ (१) ५ पृ २६६ (२)

व्याख्यान जीवाभिगमचूर्ण्यादिदर्शनतः कृतम्, न पुनः स्वमनीषिकया ।
तथा चास्या एव गाथाया व्याख्याने जीवाभिगमचूर्णिः—‘चन्द्रविमान
द्वाषष्टिभागी क्रियते, ततः पञ्चदशभिर्भागो ह्रियते, तत्र चत्वारो भागा
द्वाषष्टिभागाना पञ्चदशभागेन लभ्यन्ते, शेषौ द्वौ भागौ, एतावद् दिने
दिने शुक्लपक्षस्य राहुणा मुच्यते’ इत्यादि ।^१ इसी प्राभृत की व्याख्या मे
तत्त्वार्थटीकाकार हरिभद्रधरि का भी सोद्धरण उल्लेख है . आह च तत्त्वार्थटीका-
कारो हरिभद्रसूरिः—‘नात्यन्तशीताश्चन्द्रमसो नाप्यत्यन्तोष्णा सूर्याः,
किन्तु साधारणा द्वयोरपी’ ति ।^२

अन्त के निम्न मगल-श्लोकों के साथ प्रस्तुत विवरण की परिमिति
होती है ^३

वन्दे यथास्थिताशेषपदार्थप्रतिभासकम् ।
नित्योदितं तमोऽस्पृश्यं जैनसिद्धान्तभास्करम् ॥ १ ॥
विजयन्ता गुणगुरवो गुरवो जिनतीर्थभासनैकपराः ।
यद्बचनगुणादहमपि जातो लेशेन पदुबुद्धिः ॥ २ ॥
सूर्यप्रज्ञप्तिमिमामतिगम्भीरा विवृण्वता कुशलम् ।
यद्वापि मलयगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु कृती ॥ ३ ॥

ज्योतिष्करण्डकवृत्ति

प्रस्तुत वृत्ति ज्योतिष्करण्डक प्रकीर्णक पर है । प्रारम्भ में वृत्तिकार आचार्य
मलयगिरि ने वीरप्रभु को नमस्कार किया है तथा ज्योतिष्करण्डक का व्याख्यान
करने की प्रतिज्ञा की है .

स्पष्टं चराचर विश्व, जानीते यः प्रतिक्षणम् ।
तस्मै नमो जिनेशाय, श्रीवीराय हितैषिणे ॥ १ ॥
सम्यग्गुरुपदाम्भोजपर्युपास्तिप्रसादतः ।
ज्योतिष्करण्डक व्यक्तं, विवृणोमि यथाऽऽगमम् ॥ २ ॥

इसके बाद ‘सुण ताव सूरपन्नत्तिवण्णणं वित्थरेण ’ (गा. १) की
व्याख्या प्रारम्भ की है । यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि ज्योतिष्करण्डक
की नवीन उपलब्ध प्राकृत वृत्ति^४ में मलयगिरिकुन प्रस्तुत वृत्ति की प्रथम गाथा

^१ पृ २७८ (२) २ पृ २८० (२) . ३ पृ २९७

^४ ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९२८ .

^५ यह वृत्ति मुनि श्री पुण्यविजयजी के पास प्रतिलिपि के रूप—में
है ।

'सुण ताव सूरपन्नत्ति' के पहले छ गाथाएँ और मिली हैं जिनम ज्योति-
हरण्डक सूत्र की रचना की भूमिका के रूप में यह बताया गया है कि शिष्य
गुरु के समक्ष सक्षेप में कालज्ञान मुनने की इच्छा प्रकट करता है और गुरु
उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ज्योतिष्करण्डक के रूप में उसे कालज्ञान मुनाते
हैं 'इच्छामि ताव सोतु कालण्णाण समासेण', 'सुण ताव सूरपण्णत्ति'
इत्यादि। ये गाथाएँ मद्दत्त्वपूर्ण होने से तथा अन्यत्र उपलब्ध न होने से यहाँ
उद्धृत की जाती हैं।

कातूण णमोक्कार जिणवरवसभस्स वट्टमाणस्स ।
जोतिसकरडगमिण लीलावट्ठीव लोणस्स ॥ १ ॥
कालण्णाणाभिगम सुणह समासेण पागडमहत्थ ।
णम्पत्त-चद सुरा जुगम्मि जोग जध च्वेत्ति ॥ २ ॥
कचि वायगवालम्भ सुत्तसागरपारग दढचरित्त ।
अप्पस्सुतो सुविहियं वदिय सिरसा भणति सिस्सो ॥ ३ ॥
सब्झायज्ञाणजोगस्स धीर । जदि वो ण कोपि उवरोधो ।
इच्छामि ताव सोतुं कालण्णाण समासेण ॥ ४ ॥
अह मणति एवभणितो उवमा-विण्णाण-णाणसपण्णो ।
सो समणगधहत्थी पडिहत्थी अण्णवादीण ॥ ५ ॥
दिचसिय रातिय पक्खिय चाउम्मासियत्त हय वासियाण च ।
णिअयपडिक्कमणाण सब्झायस्सा वि य तदत्थे ॥ ६ ॥

आचार्य मलयगिरि ने यद्यपि ये गाथाएँ उद्धृत नहीं कीं किन्तु इनका
भावार्थ अपनी टीका में अवश्य दिया। 'सुण ताव सूर' (गा १) की
व्याख्या में वे सर्वप्रथम इन्हीं गाथाओं का भावार्थ पूर्वाचार्योपदेशित उपोद्घात
के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं अयमत्र पूर्वाचार्योपदेशित उपोद्-
घात—कोऽपि शिष्योऽल्पश्रुतः कचिदाचार्यं पूर्वगतसूत्रार्थधारकं वालम्भ्यं
श्रुतसागरपारगतं शिरसा प्रणम्य विज्ञपयति स्म, यथा—भगवन् ।
इच्छामि युष्माकं श्रुतनिधीनामन्ते यथाऽवस्थितं कालविभागं ज्ञातुमिति ।
तत एवमुक्ते सति आचार्य आह—शृणु वत्स । तावद्वहितो कथ-
यामि । प्रस्तुत प्रकीर्णक सूर्यप्रज्ञप्ति के आधार पर लिखा गया है सूर्य-
प्रज्ञप्तेरिदं प्रकरणमुद्धृतम् ।" इस प्रकार प्रथम गाथा के भूमिकारूप

व्याख्यान के अनन्तर आचार्य ने कालप्रमाण आदि विषयों से सम्बन्धित आगे की गाथाओं का विवेचन प्रारम्भ किया है।

कालविषयक सख्या का प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने वाल्मी और माथुरी वाचनाओं का उल्लेख किया है और बताया है कि स्कन्दिलचार्य के समय में एकत्रार दुर्भिक्ष पढ़ने से साधुओं का पठन-पाठन बढ़ हो गया। दुर्भिक्ष का अन्त होने पर सुभिक्ष के समय एक वाल्मी में और एक मथुरा में इस प्रकार दो सद्य एकत्रित हुए। दोनों स्थानों पर सूत्रार्थ का संग्रह करने से परस्पर वाचनाभेद हो गया। ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है क्योंकि विस्मृत सूत्रार्थ का स्मरण कर-करके सघटन करने से वाचनाभेद हो ही जाता है। इस समय वर्तमान अनुयोगद्वारादिक माथुरी वाचनानुगत हैं जबकि ज्योतिष्करण्डक सूत्र का निर्माण करने वाले आचार्य वाल्मी हैं। अतः प्रस्तुत सूत्र का सख्या-स्थानप्रतिपादन वाल्मी वाचनानुगत होने के कारण अनुयोगद्वारप्रतिपादित सख्यास्थान से विषदृश है। वृत्तिकार के स्वयं के शब्दों में यह स्पष्टीकरण इस प्रकार है इह स्कन्दिलचार्यप्रवृत्तौ दुष्पमानुभावतो दुर्भिक्षप्रवृत्त्या साधूना पठनगुणनादिक सर्वमप्यनेशात्, ततो दुर्भिक्षातिक्रमे सुभिक्षप्रवृत्तौ द्वयोः सङ्गमेलापकोऽभवत्, तद्यथा—एको वाल्म्यामेको मथुराया, तत्र च सूत्रार्थसङ्घटनेन परस्पर वाचनाभेदो जातः, विस्मृतयोर्हि सूत्रार्थयोः स्मृत्वा स्मृत्वा सङ्घटने भवत्यवश्यं वाचनाभेदो, न काचिदनुपपत्तिः, तत्रानुयोगद्वारादिकमिदानीं वर्तमान माथुरवाचनानुगत, ज्योतिष्करण्डकसूत्रकर्त्ता चाचार्यो वाल्म्यः, तत इदं सख्यास्थानप्रतिपादनं वाल्म्यवाचनानुगतमिति नास्यानुयोगद्वारप्रतिपादितसंख्यास्थानैः सह विसदृशत्वमुपलभ्य विचिकित्सितव्यमिति ।'

कालविभागविषयक व्याख्यान के अन्त में वृत्तिकार ने इसी ज्योतिष्करण्डक के टीकाकार पादलिप्तसूरि का एक वाक्य उद्धृत किया है तथा चास्थैव ज्योतिष्करण्डकस्य टीकाकारः पादलिप्तसूरिराह—'एष उ सुसमसुसमादयो श्रद्धाविसेसा जुगाइणा सह पवत्तते, जुगतेण सह समप्पत्ति'त्ति ।' पादलिप्तसूरि का यह वाक्य इस समय उपलब्ध ज्योतिष्करण्डक की प्राकृत टीका में नहीं मिलता। क्या ये दोनों टीकाएँ एक ही व्यक्ति की नहीं हैं? क्या उपलब्ध प्राकृत टीका से भिन्न कोई अन्य टीका पादलिप्तसूरि ने लिखी है? यदि ऐसा है तो उपलब्ध टीका किसकी वृत्ति है? इस प्रसंग पर इस प्रकार के प्रश्न उठना

स्वाभाविक है। आगे जाकर मलयगिरि ने 'पचेव जोयणसया दसुत्तरा जत्थ मडला' (गा २०५) की व्याख्या में ज्योतिष्करण्डक की मूलटीका का एक वाक्य उद्धृत किया है एवरूपा च क्षेत्रकाष्ठा मूलटीकायामपि भाविता, तथा च तद्ग्रन्थः—'सूरस्त पचजोयणसया दसाधिया कट्टा, सच्चेव अट्टहि एगट्टिभागेहि ऊणिया चदकट्टा हवइ' इति।^१ ठीक इसी प्रकार का वाक्य उपलब्ध प्राकृत टीका में भी मिलता है। वह इस प्रकार है सूरस्त पचजोयणसयाण दसाधिया कट्टा सच्चेव अट्टहि एगट्टिभागेहि ऊणा चदकट्ट हवति ।^१ इससे यह फलित होता है कि उपलब्ध प्राकृत टीका आचार्य मलयगिरिनिर्दिष्ट ज्योतिष्करण्डक की मूलटीका है और पादलिप्तसूरि की टीका कोई दूसरी ही होनी चाहिए। किन्तु उपलब्ध टीका के अन्त में जो वाक्य मिलता है उससे यह फलित होता है कि यह टीका पादलिप्तसूरि की वृत्ति है। वह वाक्य कुछ अशुद्धरूप में इस प्रकार है पुन्वायरियकया य नीति समस-समएण पालित्तएण ईणमो रडयागाहाहि परिवाडी ।^२ इस वाक्य से यह ध्वनि निकलती है कि यह टीका पादलिप्तसूरि ने लिखी है। यदि ऐसा है तो मलयगिरिद्वारा उद्धृत 'ए ए च सुसमसुसमादयो अट्टाविसेसा' वाक्य इस टीका में क्यों नहीं मिलता ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह कि यदि उपलब्ध टीका पादलिप्तसूरि की ही है तो यह तथा इस प्रकार के और भी कुछ वाक्य इस टीका से धीरे धीरे छुट हो गये हैं।

प्रस्तुत वृत्ति का उपसंहार करते हुए वृत्तिकार मलयगिरि कहते हैं कि यह कालज्ञानसमाप्त शिष्यों के विरोधनार्थं दिनकरप्रज्ञप्ति (सूर्यप्रज्ञप्ति) के आधार से पूर्वाचार्य ने तैयार किया है। परम्परा से सर्वविद्मूलक होने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ जिसका कि नाम ज्योतिष्करण्डक है, विद्वानों के लिए अवश्य ही उपादेय है।^३ अन्त में निम्न श्लोक देते हुए टीका समाप्त करते हैं

यद्गदितमल्पमतिना जिनवचनविरुद्धमत्र टीकायाम् ।
 विद्वद्भिस्तत्त्वज्ञैः प्रसादमाधाय तच्छोध्यम् ॥ १ ॥
 ज्योतिष्करण्डकमिदं गम्भीरार्थं विवृण्वता कुशलम् ।
 यदवापि मलयगिरिणा सिद्धिं तेनाश्नुता लोकः ॥ २ ॥

१ पृ १२१ २ प्राकृत वृत्ति, पृ ३५ (हस्तलिखित) ३ वही, पृ ९३ ४. पृ २६६

अर्थात् प्रस्तुत टीका में मुझ अल्पबुद्धि द्वारा यदि कोई बात जिनवचन से विरुद्ध कही गई हो तो विद्वान् तत्त्वज्ञ कृपा कर उसे ठीक कर लें। इस गम्भीरार्थ ज्योतिष्करण्डक के विवरण से मलयगिरि को जो पुण्य प्राप्त हुआ है उससे लोक का कल्याण हो।

जीवाभिगमविवरण :

तृतीय उपाग जीवाभिगम की प्रस्तुत टीका^१ में आचार्य ने मूल सूत्र के प्रत्येक पद का व्याख्यान किया है। यत्र तत्र अनेक प्राचीन ग्रन्थों के नाम तथा उद्धरण भी दिये हैं। इसी प्रकार कुछ ग्रन्थकारों के नाम का भी उल्लेख किया है। प्रारम्भ में निम्न मगलश्लोक हैं

प्रणमत पदनखतेजःप्रतिहतनिःशेषनम्रजनतिमिरम् ।
वीर परतीर्थियशोद्विरदघटाध्वसकेसरिणम् ॥ १ ॥
प्रणिपत्य गुरुन् जीवाजीवाभिगमस्य विवृतिमहमनघाम् ।
विदधे गुरुपदेशात्प्रबोधमाधातुमल्पधियाम् ॥ २ ॥

मगल का प्रयोजन आदि बताने के बाद सूत्रों की व्याख्या प्रारम्भ की है। 'से किं त अजीवाभिगमे' (सू० ३-५) का व्याख्यान करते हुए तन्तु और पट के सम्बन्ध की चर्चा की है। इसी प्रसंग पर (मलयगिरिकृत) धर्मसमग्रहिणीटीका का उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं 'कृतं प्रसङ्गेन, अन्यत्र धर्मसमग्रहिणीटीकादावेत्तद्वादस्य चर्चितत्वात्'।^१ आगे (मलयगिरिकृत) प्रज्ञापनाटीका का भी उल्लेख है अस्य व्याख्यान प्रज्ञापनाटीकातो वेदितव्यं।^२ 'तेसि ण भंते। जीवाण कति सरिरया' (सू० १३) के विवेचन में (हरिभद्रकृत) प्रज्ञापनामूलटीका का उल्लेख किया है. इहाणुत्व-वादरत्वे तेषामेवाहारयोग्याना स्कन्धाना प्रदेशस्तोकत्वबाहुल्यापेक्षया प्रज्ञापनामूलटीकाकारेणापि व्याख्याते इत्यस्माभिरपि तथैवाभिहिते।^३ इसी सूत्र की व्याख्या में तत्त्वार्थमूलटीका का भी उल्लेख है।^४ 'से किं त नेरइया' (सूत्र ३२) का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने समग्रहिणीटीका का उल्लेख किया है प्रतिपृथिवि तूत्कर्षतः प्रमाणं समग्रहिणीटीकातो भावनीय,

१ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१९ २-पृ० ५
(२) ३ पृ० ७ (२) ४ पृ० १९ (२) ५ पृ० १६ (१)

तत्र सविस्तरमुक्तत्वात् ।^१ 'से किं त थलयर ' (सू० ३६) की व्याख्या में माण्डलिक, महामाण्डलिक, ग्राम, निगम, खेट, कर्वट, मङ्गव, पत्तन, द्रोणमुख, आकर, आभम, सनाध, राजधानी आदि विविध जन-वसतियों के स्वरूप का निर्देश किया गया है ।^२ 'से किं त मणुस्सा ' (सू० ४१) का विवेचन करते हुए आचार्य ने ज्ञानियों के विविध भेदों पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सिद्धप्राभृत आदि में अनेक प्रकार के ज्ञानियों का वर्णन है : सिद्धप्राभृतादौ तथानेकशोऽभिधानात् ।^३ आगे विशेषणवती (जिनभद्रकृत) का भी उल्लेख है ।^४ 'इत्थिवेदस्स णं भते । कम्मस्स' (सू० ५१) की व्याख्या में (हरिभद्रकृत जीवाभिगम की) मूलटीका, पंचसमूह तथा कर्मप्रकृतिसमूहणी का उल्लेख किया गया है ।^५ 'णपुसकरस्स ण ' (सू० ५९) की व्याख्या में एक समूहणी गाथा उद्धृत की गई है ।^६ नरकावासों के विस्तार का वर्णन करते हुए टीकाकार ने क्षेत्रसमासटीका और जम्बूद्वीपप्रशस्तिटीका का उल्लेख किया है परिक्षेपपरिमाणगणितभावना क्षेत्रसमासटीकातो जम्बूद्वीपप्रशस्तिटीकातो वा वेदितव्या ।^७ रत्नप्रभापृथ्वी के नारकों की वेदना का वर्णन करने के बाद उनकी वैक्रियशक्ति का वर्णन करते समय 'आह च कर्मप्रकृतिसमूहणचूर्णिकारोऽपि' यह कहते हुए आचार्य ने कर्मप्रकृतिसमूहणचूर्णिके 'पुहुत्तशब्दो बहुत्तवाइ' अर्थात् 'पृथक्त्व शब्द बहुत्ववाची है' ये शब्द उद्धृत किये हैं ।^८ नारकों की शीतोष्णवेदना का विवेचन करते हुए टीकाकार ने शरदादि ऋतुओं का स्वरूप बताया है । ऋतुएँ छ हैं प्राष्ट, वर्षारात्र, शरत्, हेमन्त, वसन्त और ग्रीष्म । इस क्रम के समर्थन के लिए पादलित्तरि की एक गाथा उद्धृत की गई है :

पावस वासारत्तो, सरञ्जो हेमत वसत गिम्हो य ।
एए खल्लु छप्पि रिऊ, जिणवरदिट्ठा मए सिट्ठा ॥

प्रथम शरत्कालसमय कार्तिकसमय है, इसका समर्थन करते हुए (जीवाभिगम के) मूलटीकाकार के 'प्रथमशरत् कार्तिकमास' ये शब्द उद्धृत किये हैं ।^९ आगे वसुदेवचरित (वसुदेवहिण्डी) का भी उल्लेख है ।^{१०} प्रस्तुत विवरण में

-
- १ पृ० ३३ (२) २ पृ० ३५ ३ पृ० ४६ (२) ४ पृ० ५० (१)
५. पृ० ६४ (१) ६ पृ० ७७ (२)-७८ (१) ७ पृ० १०८ (१)
८ पृ० ११९ (१) ९ पृ० १२२ (१) १० पृ० १३० (१)

जीवाभिगम की मूलटीका की ही भाँति उसकी चूर्णि का भी उल्लेख किया गया है एव उसके उद्धरण दिये गये हैं।^१ ज्योतिष्क देवों के विमानों का वर्णन करने वाले सूत्र (१२२) 'कहि णं भते । जोइसियाणं देवाणं विमाणा पणत्ता ...' का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने एतद्विषयक विशेष चर्चा के लिए (मलयगिरिकृत) चन्द्रप्रज्ञप्तिटीका, सूर्यप्रज्ञप्तिटीका तथा सग्रहणिटीका के नाम सूचित किये हैं । अत्राक्षेपपरिहारौ चन्द्रप्रज्ञप्तिटीकाया सूर्यप्रज्ञप्तिटीकाया सग्रहणिटीकाया चाभिहिताविति ततोऽवधार्यौ^२ ।^३ आगे देशीनाममाला का भी उल्लेख है ।^४ एकादश अलकारों के वर्णन के लिए भरतविशाखिल का उल्लेख किया गया है जो व्यवच्छिन्न पूर्वों का एक अत्यन्त अल्प अंश है । तानि च पूर्वाणि सम्प्रति व्यवच्छिन्नानि ततः पूर्वैभ्यो लेशतो विनिर्गतानि यानि भरतविशाखिलप्रभृतीनि तेभ्यो वेदितव्याः" ।^५ 'विजयस्स ण दारस्स' (सू० १३१) का विवेचन करते हुए टीकाकार ने 'उक्त च जीवाभिगम-मूलटीकाया' ऐसा कह कर 'तैलसमुद्गकौ सुगन्धितैःकाधारौ' ये शब्द जीवाभिगममूलटीका से उद्धृत किये हैं । आगे राजप्रदनीयोपाग में वर्णित ब्रह्मीस प्रकार की नाट्यविधि का सुन्दर शब्दावली में वर्णन किया है ।^६ 'लवणे णं भते' (सू० १५५) की व्याख्या करते हुए आचार्य ने सूर्यप्रज्ञप्तिनिर्युक्ति की एक गाथा उद्धृत की है ।^७

जोइसियविमाणाइ सव्वाइ हवंति फलिहमइयाइं ।

दगफालियामया पुण लवणे जे जोइसविमाणा ॥

अर्थात् लवणसमुद्र को छोड़ कर शेष द्वीप समुद्रों में जितने भी ज्योतिष्क-विमान हैं, सब सामान्य स्फटिक के हैं । लवणसमुद्र के ज्योतिष्क विमान उदक-स्फाटन स्वभाव अर्थात् पानी को फाड़ देनेवाले स्फटिक के बने हुए हैं । 'समय-खेत्ते णं भते' (सन् १७७) की व्याख्या में पचवस्तुक^८ और हरिभद्र की तत्त्वार्थटीका^९ के उद्धरण दिये हैं । आगे तत्त्वार्थभाष्य^{१०}, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की स्वोपज्ञ भाष्यटीका (विशेषावश्यकभाष्यटीका)^{११} और पचसग्रहटीका^{१२} का उल्लेख करते हुए इनके भी उद्धरण दिये गये हैं । विवरण के अन्त में आचार्य मलयगिरि ने निम्न श्लोकों की रचना की है ।^{१३}

- १ पृ० १३६ (२), २०८ (२) २ पृ० १७४ (१) ३ पृ० १८८ (१) ४ पृ० १९४ (१) ५ पृ० २४६ ६ पृ० ३०३ (२), ७ पृ० ३३८ (१), ८ पृ० ३४० (२), ९ पृ० ३७९ (१), १० पृ० ४०१ (२) ११ पृ० ४११ (२) १२ पृ० ४६६ (२)

तत्र सविस्तरमुक्तत्वात् । 'से किं त थलयर ' (सू० ३६) की व्याख्या में माण्डलिक, महामाण्डलिक, ग्राम, निगम, खेट, कर्बट, मडम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, आकर, आश्रम, सचाध, राजधानी आदि विविध जन-वस्तियों के स्वरूप का निर्देश किया गया है । 'से किं त मणुस्सा ' (सू० ४१) का विवेचन करते हुए आचार्य ने ज्ञानियों के विविध भेदों पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सिद्धप्राभृत आदि में अनेक प्रकार के ज्ञानियों का वर्णन है । सिद्धप्राभृतादौ तथानेकशोऽभिधानात् । आगे विशेषणवती (जिनभद्रकृत) का भी उल्लेख है । 'इत्थिवेदस्स ण भते । कम्मस्स' (सू० ५१) की व्याख्या में (हरिभद्रकृत जीवाभिगम की) मूलटीका, पंचसप्रह तथा कर्मप्रकृतिसग्रहणी का उल्लेख किया गया है । 'णपुसकस्स ण ' (सू० ५९) की व्याख्या में एक सग्रहणी गाथा उद्धृत की गई है । नरकावासों के विस्तार का वर्णन करते हुए टीकाकार ने क्षेत्रसमासटीका और जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीका का उल्लेख किया है परिक्षेपपरिमाणगणितभावना क्षेत्रसमासटीकातो जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीकातो वा वेदितव्या । रत्नप्रभापृष्ठी के नारकों की वेदना का वर्णन करने के बाद उनकी वैक्रियशक्ति का वर्णन करते समय 'आह च कर्मप्रकृतिसग्रहणिचूर्णिकारोऽपि' यह कहते हुए आचार्य ने कर्मप्रकृतिसग्रहणिचूर्णिके 'पुहुत्तशब्दो बहुत्तवाइ' अर्थात् 'पृथक्त्व शब्द बहुत्ववाची है' ये शब्द उद्धृत किये हैं । नारकों की शीतोष्णवेदना का विवेचन करते हुए टीकाकार ने शरदादि ऋतुओं का स्वरूप बताया है । ऋतुएँ छ. हैं प्रावृत्, वर्षारान्न, शरत्, हेमन्त, वसन्त और ग्रीष्म । इस क्रम के समर्थन के लिए पादलिखसूरी की एक गाथा उद्धृत की गई है :

पावस वासारत्तो, सरओ हेमन्त वसन्त गिम्हो य ।

एए खलु छप्पि रिऊ, जिणवरविट्ठा मए सिट्ठा ॥

प्रथम शरत्कालसमय कार्तिकसमय है, इसका समर्थन करते हुए (जीवाभिगम के) मूलटीकाकार के 'प्रथमशरत् कार्तिकमास' ये शब्द उद्धृत किये हैं । आगे वसुदेवचरित (वसुदेवहिण्डी) का भी उल्लेख है । प्रस्तुत विवरण में

- १ पृ० ३३ (२) २ पृ० ३९ ३ पृ० ४६ (२) ४ पृ० ५० (१)
 ५. पृ० ६४ (१) ६ पृ० ७७ (२)—७८ (१) ७ पृ० १०८ (१)
 ८ पृ० ११९ (१) ९ पृ० १२२ (१) १० पृ० १३० (१)

जीवाभिगम की मूलटीका की ही भाँति उसकी चूर्णि का भी उल्लेख किया गया है एव उसके उद्धरण दिये गये हैं ।^१ ज्योतिष्क देवों के विमानों का वर्णन करने वाले सूत्र (१२२) 'कहि णं भंते । जोइसियाणं देवाणं विमाणा पणत्ता ' का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने एतद्विषयक विशेष चर्चा के लिए (मलय-गिरिकृत) चन्द्रप्रज्ञप्तिटीका, सूर्यप्रज्ञप्तिटीका तथा सग्रहणीटीका के नाम सूचित किये हैं . अत्राक्षेपपरिहारौ चन्द्रप्रज्ञप्तिटीकाया सूर्यप्रज्ञप्तिटीकाया सग्रहणी-टीकाया चाभिहिताविति ततोऽवधार्यौ ।^२ आगे देशीनाममाला का भी उल्लेख है ।^३ एकादश अलकारों के वर्णन के लिए भरतविशाखिल का उल्लेख किया गया है जो व्यवच्छिन्न पूर्वों का एक अत्यन्त अल्प अंश है : तानि च पूर्वाणि सम्प्रति व्यवच्छिन्नानि ततः पूर्वैभ्यो लेशतो विनिर्गतानि यानि भरतविशाखिलप्रभृतीनि तेभ्यो वेदितव्याः" ।^४ 'विजयस्स ण दारस्स' (सू० १३१) का विवेचन करते हुए टीकाकार ने 'उक्त च जीवाभिगम-मूलटीकाया' ऐसा कह कर 'तैलसमुद्गकौ सुगन्धितैःधारौ' ये शब्द जीवाभिगममूलटीका से उद्धृत किये हैं । आगे राजप्रश्नीयोपाग में वर्णित वृत्तिस प्रकार की नाट्यविधि का सुन्दर शब्दावली में वर्णन किया है ।^५ 'लवणे णं भंते' (सू० १५५) की व्याख्या करते हुए आचार्य ने सूर्यप्रज्ञप्तिनिर्युक्ति की एक गाथा उद्धृत की है ।^६

जोइसियविमाणाइं सव्वाइ हवति फलिहमइयाइ ।

दगफालियामया पुण लवणे जे जोइसविमाणा ॥

अर्थात् लवणसमुद्र को छोड़ कर शेष द्वीप समुद्रों में जितने भी ज्योतिष्क-विमान हैं, सब सामान्य स्फटिक के हैं । लवणसमुद्र के ज्योतिष्क विमान उदक-स्फाटन स्वभाव अर्थात् पानी को फाड़ देनेवाले स्फटिक के बने हुए हैं । 'समय-लेत्ते ण भंते ' (सन् १७७) की व्याख्या में पचबस्तुक^७ और हरिभद्र की तत्त्वार्थटीका^८ के उद्धरण दिये हैं । आगे तत्त्वार्थभाष्य^९, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की स्वोपज्ञ भाष्यटीका (विशेषावश्यकभाष्यटीका)^{१०} और पचसग्रहटीका^{११} का उल्लेख करते हुए इनके भी उद्धरण दिये गये हैं । विवरण के अन्त में आचार्य मलयगिरि ने निम्न श्लोकों की रचना की है ।^{१२}

- १ पृ० १३६ (२), २०८ (२) २ पृ० १७४ (१) ३ पृ०-
१८८ (१) ४ पृ० १९४ (१) ५. पृ० २४६ ६ पृ० ३०३ (२),
७ पृ० ३३८ (१) ८ पृ० ३४० (२) ९ पृ० ३७९ (१).
१० पृ० ४०१ (२) ११ पृ० ४११ (२) १२ पृ० ४६६ (२)

जयति परिस्फुटविमलज्ञानविभासितसमस्तवस्तुगणः ।
 प्रतिहृतपरतीर्थमतः श्रीवीरजिनेश्वरो भगवान् ॥ १ ॥
 सरस्वती तमोवृन्दं, शरव्योत्तनेव निघ्नती ।
 नित्य चो मङ्गल दिश्यान्मुनिभिः पर्युपासिता ॥ २ ॥
 जीवाजीवाभिगम विवृण्वताऽचापि मलयगिरिणेह ।
 कुशल तेन लभन्ता मुनयः सिद्धान्तसद्बोधम् ॥ ३ ॥

व्यवहारविवरण .

प्रस्तुत विवरण^१ मूल सूत्र, नियुक्ति एव भाष्य पर है। प्रारम्भ में प्रस्तावरूप पीठिका है जिसमें कल्प, व्यवहार, दोष, प्रायश्चित्त आदि पर प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम विवरणकार आचार्य मलयगिरि भगवान् नेमिनाथ, अपने गुरुवर एव व्यवहारचूर्णिकार को नमस्कार करते हैं तथा व्यवहार सूत्र का विवरण लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं

प्रणमत नेमिजिनेश्वरमखिलप्रत्यूहतिमिररविधिम्बम् ।
 दर्शनपथमवतीर्णं, शशिवद् दृष्टैः प्रसत्तिकरम् ॥ १ ॥
 नत्वा गुरुरूपदकमलं, व्यवहारमह विचित्रनिपुणार्थम् ।
 विवृणोमि यथाशक्ति, प्रबोधहेतोर्जडमतीनाम् ॥ २ ॥
 विशमपदविवरणेन, व्यवहर्तव्यो व्यधायि साधूनाम् ।
 येनाय व्यवहारः, श्रीचूर्णिकृते नमस्तस्मै ॥ ३ ॥
 भाष्य क्व चेद विषमार्थगर्भं, क्व चाहमेपोऽल्पमतिप्रकर्षः ।
 तथापि सम्यगुरुरूप्युपास्तिप्रसादतो जातदृढप्रतिज्ञाः ॥ ४ ॥

कल्प (बृहत्कल्प) सूत्र और व्यवहार सूत्र का अन्तर स्पष्ट करते हुए प्रारम्भ में ही आचार्य कहते हैं कि कल्पाध्ययन में प्रायश्चित्त का कथन तो किया गया है किन्तु प्रायश्चित्तदान की विधि नहीं बताई गई है। व्यवहार में प्रायश्चित्तदान और आलोचनाविधि का अभिधान है। इस प्रकार के व्यवहाराध्ययन की यहाँ व्याख्या की जायेगी : कल्पाध्ययने आभवत्प्रायश्चित्तमुक्त, व्यवहारे तु दान-प्रायश्चित्तप्रामालोचनाविधिश्चाभिधास्यते। तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्यवहाराध्ययनस्य विवरण प्रस्तूयते।^१

१ सशोधक—मुनि माणिक, प्रकाशक—के
 न्निकमलाल उगारचद, अहमदाबाद, वि० सं० १९८२-५

२ प्रथम विभाग, पृ० १

‘व्यवहार’ शब्द का विशेष विवेचन करने के लिए भाष्यकार निर्दिष्ट व्यवहार, व्यवहारी और व्यवहर्तव्य—इन तीनों के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। व्यवहारी कर्तारूप है, व्यवहार करणरूप है और व्यवहर्तव्य कार्यरूप है। करणरूप व्यवहार पाँच प्रकार का है : आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत।^१ चूर्णिकार ने भी इस पाँच प्रकार के व्यवहार को करण कहा है आह चूर्णिकृत-पचविधो व्यवहारः करणमिति ।^२ सूत्र, अर्थ, जीत, कल्प, मार्ग, न्याय, इप्सितव्य, आचरित और व्यवहार एकार्थक हैं।^३

व्यवहार का उपयोग गीतार्थ के लिए है, अगीतार्थ के लिए नहीं। जो स्वयं व्यवहार को जानता है अथवा समझाने से समझ जाता है वह गीतार्थ है। इसके विपरीत अगीतार्थ है। वह न तो स्वयं व्यवहार से परिचित होता है और न समझाने से ही समझता है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए व्यवहार का कोई उपयोग नहीं है।^४

व्यवहारोक्त प्रायश्चित्तदान के लिए यह आवश्यक है कि प्रायश्चित्त देनेवाला और प्रायश्चित्त लेने वाला दोनों गीतार्थ हों। अगीतार्थ न तो प्रायश्चित्त देने का अधिकारी है और न लेने का। प्रायश्चित्त क्या है, इस प्रश्न को लेकर आचार्य ने प्रायश्चित्त का अर्थ बताते हुए उसके प्रतिसेवना, सयोजना, आरोपणा और परिकुञ्चना—इन चार भेदों का सविस्तार व्याख्यान किया है।^५ प्रतिसेवनारूप प्रायश्चित्त दस प्रकार का है : १. आलोचना, २. प्रतिक्रमण, ३. मिश्र, ४. विवेक, ५. व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, ९. अनवस्थित, १०. पाराचित।^६

प्रस्तुत पीठिका में इन दस प्रकार के प्रायश्चित्तों का विशेष विवेचन किया गया है। यही विवेचन जीतकल्पभाष्य आदि ग्रन्थों में भी उपलब्ध है। प्रायश्चित्तदान की विधि के व्याख्यान के साथ पीठिका का विवरण समाप्त होता है। आगे की वृत्ति में प्रथमादि उद्देशों का सूत्र, निर्युक्ति एव भाष्यस्पर्शा विवेचन है। प्रथम उद्देश के प्रथमसूत्रान्तर्गत ‘पडिसेवित्ता’ का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि प्रतिसेवना दो प्रकार की है मूल प्रतिसेवना और उत्तर प्रति-

१ इनका विशेष वर्णन जीतकल्पभाष्य में देखिए।

२ पृ० ३

३ पृ० ५ (भाष्य, गा० ७)

४ पृ० १३ (भाष्य, गा० २७) ५ पृ० १५

६ पृ० १९

सेवना । मूल प्रतिसेवना पाँच प्रकार की है और उत्तर प्रतिसेवना दस प्रकार की है । इनमें से प्रत्येक के पुन दो भेद हैं . दर्पिका और कल्पिका —

मूलोत्तरपडिसेवा मूले पचविहे उत्तरे दसहा ।

एक्केका वि य दुविहा दप्पे-कप्पे य नायव्वा ॥ भा० ३८ ॥

इस गाथा का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं

‘प्रतिसेवना नाम प्रतिसेवना सा च द्विधा मूलोत्तरत्ति, पदैकदेशे पदसमुदायोपचरात् मूलगुणातिचारप्रतिसेवना, उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना च । तत्र मूले पंचविहत्ति मूलगुणातिचारप्रतिसेवना पञ्चविधा प्रञ्चप्रकारा, मूलगुणातिचाराणा प्राणातिपातादीना पञ्चविधत्वाद्, उत्तरे त्ति उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना दशधा दसप्रकारा, उत्तरगुणाना दशविधतया तदतिचाराणामपि दशविधत्वात् ते च दशविधा उत्तरगुणा दशविध प्रत्याख्यान तद्यथा—अनागतमतिक्रान्त कोटीसहित नियन्त्रित, साकार-सनाकार परिमाणकृत निरवशेष साङ्केतिकमद्धाप्रत्याख्यान च । अथवा इमे दशविधा उत्तरगुणाः । तद्यथा—पिण्डविशोधिरेक उत्तरगुणः, पञ्चसमितयः पञ्च उत्तरगुणाः, एव पट् तपोबाह्य पट्प्रभेद सप्तम उत्तरगुणः, अन्धन्तर पट्प्रभेदमष्टमः, भिक्षुप्रतिमा द्वादश नवमः, अभिग्रहा द्रव्य-क्षेत्रकालभावभेदभिन्ना दशमः । एतेषु दशविधेषूत्तरगुणेषु याऽतिचारप्रतिसेवना सापि दशविधेति । एक्केका वि य दुविहा इत्यादि एकैका मूलगुणातिचारप्रतिसेवना उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना च प्रत्येक सप्रभेदा द्विविधा द्विप्रकारा ज्ञातव्या । तद्यथा—दर्पे कल्पे च दर्पिका कल्पिका चेत्यर्थः । तत्र या कारणमन्तरेणप्रतिसेवना क्रियते सा दर्पिका, या पुनः कारणे सा कल्पिका ।’

प्रतिसेवना दो प्रकार की है मूलगुणातिचारप्रतिसेवना और उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना । मूलगुणातिचारप्रतिसेवना मूलगुणों के प्राणातिपातादि पाँच प्रकार के अतिचारों के कारण पाँच प्रकार की है । उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना दस प्रकार की है क्योंकि उत्तरगुणों के दस भेद हैं अत उनके अतिचारों के भी दस भेद हैं । दस प्रकार के प्रत्याख्यानरूप उत्तरगुण इस प्रकार हैं अनागत, अतिक्रान्त, कोटी-सहित, नियन्त्रित, साकार, अनाकार, परिमाणकृत, निरवशेष, साकेतिक और

अद्धा-प्रत्याख्यान । अथवा उत्तरगुणों के दस भेद ये हैं : पिण्डविशुद्धि, पाँच समितियाँ, बाह्यतप, आभ्यन्तरतप, भिक्षुप्रतिमा और अमिग्रह । मूलगुणातिचारप्रतिसेवना और उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना के इन भेदों में से प्रत्येक के पुनः दो भेद हैं । दर्प्य और कल्प्य । अकारण प्रतिसेवना दर्पिका है और सकारण प्रतिसेवना कल्पिका है । इसी प्रकार आचार्य ने आगे भी अनेक सूत्रसम्बद्ध विषयों का सुसतुलित विवेचन किया है । अन्त में विवरणकार ने अपना नाम-निर्देश करते हुए लिखा है ।

देशक इव निर्दिष्टा विषमस्थानेषु तत्त्वमार्गस्य ।
 विदुषामतिप्रशस्यो जयति श्रीचूर्णिकारोऽसौ ॥ १ ॥
 विषमोऽपि व्यग्रहारो व्यघ्रायि सुगमो गुरूपदेशेन ।
 यद्वापि तत्र पुण्यं तेन जनः स्यात्सुगतभागी ॥ २ ॥
 दुर्बोधातपकष्टव्यपगमलब्धैकविमलकीर्तिभरः ।
 टीकामिमामकार्षीत् मलयगिरिः पेशलवचोभिः ॥ ३ ॥
 व्यवहारस्य भगवतो यथास्थितार्थप्रदर्शनदक्षम् ।
 विवरणमिदं समाप्तं श्रमणगणानाममृतभूतम् ॥ ४ ॥

विवरण का ग्रथमान ३४६२५ श्लोक-प्रमाण है । प्रस्तुत सस्करण में अनेक अशुद्धियाँ हैं जिनका सशोधन अत्यावश्यक है ।

राजप्रज्ञीयविवरण :

द्वितीय उपाग राजप्रज्ञीय के प्रस्तुत विवरण^१ के प्रारंभ में विवरणकार आचार्य मलयगिरि ने वीर जिनेश्वर भगवान् महावीर को नमस्कार किया है तथा राजप्रज्ञीय का विवरण लिखने की प्रतिज्ञा की है :

प्रणमत वीरजिनेश्वरचरणयुगं परमपाटलच्छायम् ।
 अधरीकृतनतवासवमुकुटस्थितरत्नरुचिचक्रम् ॥ १ ॥
 राजप्रज्ञीयमहं विवृणोमि यथाऽऽगम गुरुनियोगात् ।
 तत्र च शक्तिमशक्तिं गुरवो जानन्ति का चिन्ता ॥ २ ॥

१. (अ) रायबहादुर घनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८८०

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२५

(इ) सम्पादक—प० वेचरदास जीवराज दोशी; प्रका०—गूर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, वि० सं० १९९४.

इसके बाद आचार्य ने इस उपाग का नाम 'राजप्रश्नीय' क्यों रखा गया, इस पर प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं :

'अथ कस्माद् इदमुपाङ्गं राजप्रश्नीयाभिधानमिति ? उच्यते—इह प्रदेशिनामा राजा भगवतः केशिकुमारश्रमणस्य समीपे यान् जीवविषयान् प्रश्नानकार्षित् यानि च तस्मै केशिकुमारश्रमणो गणभृत् व्याकरणानि व्याकृतवान्, यच्च व्याकरणसम्यक्परिणतिभावतो बोधिमासाद्य मरणान्ते शुभानुशययोगतः प्रथमे सौधर्मनान्नि नाकलोके विमानमाधिपत्येनाध्य-
तिष्ठत्, यथा च विमानाधिपत्यप्राप्त्यनन्तरं सम्यगवधिज्ञानाभोगतः श्रीमद्वर्धमानस्वामिन भगवन्तमालोक्य भक्त्यतिशयपरीतचेताः सर्वस्व-
सामग्रीसमेत इहावतीर्थे भगवतः पुरतो द्वात्रिंशद्विधिनाट्यमनरीनृत्यत्, नर्तित्वा च यथाऽऽयुष्क दिवि सुखमनुभूय ततश्च्युत्वा यत्र समागत्य मुक्तिपदमवाप्स्यति, तदेतत्सर्वमस्मिन् उपाङ्गेऽभिधेयम्। पर सकलवक्त-
व्यतामूलम्—'राजप्रश्नीय' इति—राजप्रश्नेषु भव राजप्रश्नीयम्।'

प्रदेशी नामक राजा ने केशिकुमार नामक भ्रमण से जीवविषयक अनेक प्रश्न पूछे। प्रदेशी का केशिकुमार के उत्तर से समाधान हुआ और वह अपने शुभ अध्यवसायों के कारण मरने के बाद सौधर्म नामक प्रथम देवलोक में विमानाधिपति के रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ से सम्यक् अवधिज्ञान से भगवान् वर्धमान को देखकर भक्ति के अतिशय के कारण सर्व सामग्री से सजित हो भगवान् के पास आया और बत्तीस प्रकार के नाटक खेले। अपने देवलोक के सुख को भोगकर वहाँ से च्युत होकर वह कहाँ जाएगा व किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करेगा, आदि बातों का वर्णन प्रस्तुत उपाग में है। इस सारे वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि यह ग्रन्थ राजा के प्रश्नों से सम्बन्धित है अतः इसका नाम 'राज-
प्रश्नीय' है। प्रस्तुत वक्तव्य में आचार्य ने ग्रन्थ के शब्दार्थ के साथ ही साथ ग्रन्थ के विषय पर भी प्रकाश डाला है।

इसके बाद विवरणकार ने दूसरा प्रश्न किया है। यह किस अग का उपाग है ? यह सूत्रकृताग का उपाग है। यह सूत्रकृताग का उपाग क्यों है, इस पर भी आचार्य ने हेतुपुरस्सर प्रकाश डाला है अथ कस्याङ्गस्य इदमुपाङ्गम् ? उच्यते—
सूत्रकृताङ्गस्य, कथं तदुपाङ्गतेति चेत्, उच्यते—सूत्रकृते ह्यङ्गे ।'

प्रथम सूत्रान्तर्गत आमलकल्पा—आमलकल्पा नामक नगरी का वर्णन करते हुए आचार्य ने लिखा है कि वह नगरी इस समय (मलयगिरि के काल में) भी विद्यमान है . तस्मिन् समये आमलकल्पा नाम नगरी अभवत्, ननु इदानीमपि सा नगरी वर्तते ।^१ द्वितीय सूत्रान्तर्गत आम्रशालवन—अवसा-
लवन नामक चैत्य का वर्णन करते हुए 'चैत्य' का अर्थ इस प्रकार किया है :
चित्ते—लेप्यादिचयनस्य भावः कर्म वा चैत्यम्, तच्च इह सज्ञाशब्दत्वात्
देवताप्रतिबिम्बे प्रसिद्धम्, ततस्तदाश्रयभूत यद् देवताया गृहं तदप्युप-
चारात् चैत्यम्, तच्चेह व्यन्तरायतन द्रष्टव्यं न तु भगवतामर्हतामाय-
तनम् ।^२ 'चैत्य' शब्द देवता के प्रतिबिम्ब के अर्थ में प्रसिद्ध है । उपचार से
देवता के प्रतिबिम्ब का आश्रयभूत देवगृह भी चैत्य कहलाता है । यहाँ पर चैत्य
शब्द का ग्रहण व्यन्तरायतन के रूप में करना चाहिए, न कि अर्हदायतन के
रूप में । तृतीय सूत्रान्तर्गत 'पहकर' शब्द का व्याख्यान करते हुए देशीनाम-
माला का एक उद्धरण दिया है : पहकराः सङ्घाताः—'पहकर-ओरोह-सघाया
इति देशीनाममालावचनात् ।^३ आचार्य हेमचन्द्रविरचित देशीनाममाला में
उपर्युक्त उद्धरण उपलब्ध नहीं है । समस्त यह उद्धरण किसी अन्य प्राचीनतर
देशीनाममाला का है । प्रस्तुत विवरण में आचार्य ने अनेक स्थानों पर जीवामि-
गम-मूलटीका का उल्लेख किया है एवं उसके उद्धरण दिये हैं ।^४ कहीं-कहीं सूत्रों
के वाचनाभेद-पाठभेद का भी निर्देश किया है ' इह प्राक्तनो ग्रन्थः प्रायोऽपूर्वः
भूयानपि च पुस्तकेषु वाचनाभेदस्ततो माऽभूत् शिष्याणा सम्मोह इति
क्वापि सुगमोऽपि यथावस्थितवाचनाक्रमप्रदर्शनार्थं लिखितः, अत्र
भूयान् वाचनाभेदः, अत ऊर्ध्वं सूत्रं सुगम केवलं भूयान् विधिविषयो
वाचनाभेद इति यथावस्थितवाचनाप्रदर्शनार्थं विधिमात्रमुपदर्शयते'^५
इत्यादि । अन्त में टीकाकार ने प्रस्तुत विवरण से प्राप्त पुण्य से साधुजनों को
कृतार्थ करते हुए ग्रन्थ समाप्त किया है

राजप्रश्नीयमिद् गम्भीरार्थं विवृण्वता कुशलम् ।

यदवापि मलयगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु कृती ॥

विवरण का ग्रन्थमान ३७०० श्लोक-प्रमाण है

प्रत्यक्षरगणनातो ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।

सप्तत्रिंशच्छतान्यत्र श्लोकाना सर्वसंख्यया ॥

१ पृ ३	२ पृ ७	३ पृ १६	४ पृ ११८, १७६, १७७,
१८०, १८९, १९५	५ पृ २३९	६ पृ २४१	७ पृ २५६

पिण्डनिर्युक्तिवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^१, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आचार्य भद्रबाहुकृत पिण्ड-निर्युक्ति पर है। इसमें भाष्य की ४६ गाथाओं का भी समावेश है। इनके भाष्यगाथाएँ होने का निर्देश स्वयं वृत्तिकार ने किया है। प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान जिनेश्वर का स्मरण करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है तथा पिण्डनिर्युक्ति की संक्षिप्त एवं स्पष्ट व्याख्या लिखने की प्रतिज्ञा की है

जयति जिनवर्द्धमानः परहितनिरतो विधूतकर्मरजाः ।

मुक्तिपथचरणपोषकनिरवद्याहारविधिदेशी ॥ १ ॥

नत्वा गुरुपदकमल गुरुरूपदेशेन पिण्डनिर्युक्तिम् ।

विवृणोमि समासेन स्पष्ट शिष्यावबोधाय ॥ २ ॥

पिण्डनिर्युक्ति किस सूत्र से सम्बद्ध है ? इस प्रश्न का उत्तर टीकाकार ने इस प्रकार दिया है . इह दशाध्ययनपरिमाणश्चूलिकायुगलभूषितो दशवै-कालिको नाम श्रुतरकन्धः, तत्र च पञ्चमसमध्ययन पिण्डैषणानामक, दशवैकालिकस्य च निर्युक्तिश्चतुर्दशपूर्वविदा भद्रबाहुस्वामिना कृता, तत्र पिण्डैषणाभिधपञ्चमाध्ययननिर्युक्तिरतिप्रभूतग्रन्थत्वात् पृथक् शास्त्रान्तर-मिव व्यवस्थापिता, तस्याश्च पिण्डनिर्युक्तिरिति नाम कृत, पिण्डैषणा-निर्युक्तिः पिण्डनिर्युक्तिरिति मध्यमपदलोपिसमासाश्रयणाद् ।^२

दशवैकालिक सूत्र के पिण्डैषणा नामक पंचम अध्ययन की (चतुर्दश पूर्वविद् भद्रबाहुस्वामिकृत) निर्युक्ति का नाम ही पिण्डनिर्युक्ति है। इसका परिमाण बृहद् होने के कारण इसे पृथक् ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया। चूँकि यह निर्युक्ति-ग्रन्थ दशवैकालिकनिर्युक्ति से प्रतिबद्ध है अतः इसके आदि में नमस्कार-मंगल भी नहीं किया गया।

प्रस्तुत वृत्ति में आचार्य मलयगिरि ने व्याख्यारूप अनेक कथानक दिये हैं जो संस्कृत में हैं। वृत्ति का ग्रन्थमान ६७०० श्लोक-प्रमाण है। वृत्ति समाप्त करते हुए आचार्य ने पिण्डनिर्युक्तिकार द्वादशागविद् भद्रबाहु एवं पिण्डनिर्युक्ति-विषम-पदवृत्तिकार (आचार्य हरिभद्र व वीरगणि) को नमस्कार किया है तथा लोक-कल्याण की भावना के साथ अरिहत, सिद्ध, साधु एवं जिनोपदिष्ट धर्म का शरण ग्रहण किया है ^३

१. देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१८

येनैषा पिण्डनिर्युक्तिर्युक्तिरम्या विनिर्मिता ।
 द्वादशाङ्गविदे तस्मै, नमः श्रीभद्रबाहवे ॥ १ ॥
 व्याख्याता यैरेषा विषमपदार्थाऽपि सुललितवचोभिः ।
 अनुपकृतपरोपकृतो विवृतिकृतस्तान्नमस्कुर्वे ॥ २ ॥
 इमा च पिण्डनिर्युक्तिमतिगम्भीरा विवृण्वता कुशलम् ।
 यद्वापि मलयगिरिणा सिद्धिं तेनाश्नुता लोकः ॥ ३ ॥
 अर्हन्तः शरण सिद्धा, शरण मम साधवः ।
 शरण जिननिर्दिष्टो, धर्मः शरणमुत्तमः ॥ ४ ॥

आवश्यकविवरण :

प्रस्तुत विवरण^१ आवश्यकनिर्युक्ति पर है। यह अपूर्ण ही प्राप्त है। प्रारम्भ में विवरणकार आचार्य मलयगिरि ने भगवान् पार्श्वनाथ, प्रभु महावीर तथा अपने गुरुदेव का स्मरण किया है और बताया है कि यद्यपि आवश्यकनिर्युक्ति पर अनेक विवरण ग्रन्थ विद्यमान हैं किन्तु उनके कठिन होने के कारण मन्द बुद्धि के लोगों के लिए पुन उसका विवरण प्रारम्भ किया जाता है

पान्तु वः पार्श्वनाथस्य पादपद्मनखाशवः ।
 अशेषविघ्नसङ्घाततमोभेदैकहेतवः ॥ १ ॥
 जयति जगदेकदीपः प्रकटितनिःशेषभावसद्भावः ।
 कुमतपतङ्गविनाशी श्रीवीरजिनेश्वरो भगवान् ॥ २ ॥
 नत्वा गुरुपदकमल प्रभावतस्तस्य मन्दशक्तिरपि ।
 आवश्यकनिर्युक्ति विवृणोमि यथाऽऽगमं स्पष्टम् ॥ ३ ॥
 यद्यपि च विवृतयोऽस्याः सन्ति विचित्रास्तथापि विषमास्ताः ।
 सम्प्रतिजनो हि जडधीर्भूयानिति विवृतिसरम्भः ॥ ४ ॥

इसके बाद मगल का नामादि भेदपूर्वक विस्तृत व्याख्यान किया गया है एव उसकी उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस प्रसंग पर तथा आगे भी यत्र-तत्र विशेषावश्यकभाष्य की गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। निर्युक्ति की गाथाओं के पदों का अर्थ करते हुए तत्प्रतिपादित प्रत्येक विषय का आवश्यक प्रमाणों के साथ सरल भाषा एव सुबोध शैली में विवेचन किया गया है। इस

१ आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२८-१९३२, देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, सूरत, सन् १९३६

विवेचन की एक विशेषता यह है कि आचार्य ने विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओं का स्वतन्त्र व्याख्यान न करते हुए भी उसका भावार्थ तो अपनी टीका में दे ही दिया है। विवरण में जितनी भी भाष्यगाथाएँ हैं, प्रायः विवरण के वक्तव्य की पुष्टि के लिए हैं। विवरणकार ने भाष्य की गाथाओं के व्याख्यान के रूप में अपने विवरण का विस्तार न करते हुए अपने विवरण के समर्थन के रूप में 'सक्त च', 'तथा चाह भाष्यकृत्', 'एतदेव व्याख्यान भाष्यकारोऽप्याह' इत्यादि शब्दों के साथ भाष्यगाथाएँ उद्धृत की हैं। विवरण में विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञ टीका का भी उल्लेख है।^१ प्रज्ञाकरगुप्त,^२ (आवश्यक) चूर्णिकार,^३ (आवश्यक) मूलटीकाकार,^४ (आवश्यक) मूलभाष्यकार,^५ लघुयज्ञयालकारकार अकलक,^६ न्यायावतारविवृतिकार^७ आदि का भी प्रस्तुत टीका में उल्लेख किया गया है। स्थान-स्थान पर सप्रसंग कथानक उद्धृत करना भी आचार्य नहीं भूले हैं। ये कथानक प्राकृत में हैं।^८ 'थूभ रयणविचित्त कुथु सुमिणम्मि तेण कुंथुजिणो' की व्याख्या के बाद के वाक्य 'साम्प्रतमरः' अर्थात् 'अत्र अरनाथ के व्याख्यान का अधिकार है' के बाद का विवरण उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध विवरण चतुर्विंशतिस्तव नामक द्वितीय अध्ययन तक ही है और वह भी अपूर्ण।

बृहत्कल्पपीठिकावृत्ति :

यह वृत्ति^१ भद्रबाहुस्वामिकृत बृहत्कल्पपीठिकानिर्युक्ति और सघदासगणिकृत भाष्य (लघुभाष्य) पर है। वृत्तिकार मलयगिरि पीठिका की भाष्यगाथा ६०६ पर्यन्त ही अपनी वृत्ति लिख सके। शेष पीठिका तथा आगे के मूल उद्देशों के भाष्य की वृत्ति आचार्य क्षेमक्रीर्ति ने पूरी की। इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं क्षेमक्रीर्ति ने अपनी वृत्ति प्रारम्भ करते समय किया है^{१०}

श्रीमलयगिरिप्रभवो, या कर्तुमुपाक्रमन्त मतिमन्तः ।

सा कल्पशास्त्रटीका, मयाऽनुसन्धीयतेऽल्पधिया ॥

प्रारम्भ में वृत्तिकार ने वीर जिनेश्वर को प्रणाम किया है तथा अपने गुरुपद-कर्मचों का सादर स्मरण करते हुए कल्पाध्ययन की वृत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की

१ पृ० ६६ २ पृ० २८ ३ पृ० ८३ ४ पृ० १२८
 ५ पृ० २७१ ६ पृ० ३७० ७ वही ८ पृ० १०१, १२५, १५३,
 २९४ ९ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३ १० पृ० १७७

है। भाष्यकार और चूर्णिकार की कृतज्ञता स्वीकार करते हुए मगलाभिधान के व्याख्यान के साथ आगे की वृत्ति प्रारम्भ की है

प्रकटीकृतनिःश्रेयसपदहेतुस्थविरकल्पजिनकल्पम् ।
 नम्राशेषनरामरकल्पितफलकल्पतरुकल्पम् ॥ १ ॥
 नत्वा श्रीवीरजिन, गुरुपदकमलानि बोधविपुलानि ।
 कल्पाध्ययनं विवृणोमि लेशतो गुरुनियोगेन ॥ २ ॥
 भाष्य क चातिगम्भीर, क चाहं जडशेखरः ।
 तदत्र जानते पूज्या, ये मामेव नियुञ्जते ॥ ३ ॥
 अद्भुतगुणरत्ननिधौ, कल्पे साहायक महातेजाः ।
 दीप इव तमसि कुरुते, जयति यतीशः स चूर्णिकृत् ॥ ४ ॥

कल्प (बृहत्कल्प) सूत्र व व्यवहार सूत्र तथा उनकी व्याख्याओं के रचयिताओं के विषय में अपना वक्तव्य उपस्थित करते हुए वृत्तिकार ने बताया है कि चतुर्दश पूर्वधर भगवान् भद्रबाहुस्वामी ने साधुओं के अनुग्रह के हेतु कल्प सूत्र और व्यवहार सूत्र की रचना की जिससे कि प्रायश्चित्त का व्यवच्छेद न हो। इन्हींने इन दोनों सूत्रों की सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति भी बनाई। सनिर्युक्तिक सूत्रों को भी अल्पबुद्धिवाले प्राणियों के लिए कठिन अनुभव करते हुए भाष्यकार ने उन पर भाष्य लिखा। यह सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति का अनुगमन करने वाला होने के कारण निर्युक्ति और भाष्य एक ग्रन्थरूप हो गए : ततो 'मा भूत् प्रायश्चित्त-व्यवच्छेदः' इति साधूनामनुग्रहाय चतुर्दशपूर्वधरेण भगवता भद्रबाहु-स्वामिना कल्पसूत्रं व्यवहारसूत्रं चाकारि, उभयोरपि च सूत्रस्पर्शिक-निर्युक्तिः। इमे अपि च कल्प-व्यवहारसूत्रे सनिर्युक्तिके अल्पग्रन्थतया महार्थत्वेन च दुःषमानुभावतो हीयमानमेधाऽऽयुरादिगुणानामिदानीन्तन-जन्तूनामल्पशक्तिना दुर्ग्रहे दुरवधारे जाते, ततः सुखग्रहणधारणाय भाष्यकारो भाष्य कृतवान्, तत्र सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्त्यनुगतमिति सूत्रस्पर्शिक-निर्युक्तिर्भाष्य चैको ग्रन्थो जातः।^१

वृत्तिकार ने प्रस्तुत वृत्ति में प्राकृत गाथाओं के साथ-साथ प्राकृत कथानक भी उद्धृत किये हैं। 'यत एव स्वस्थानप्रायश्चित्त ततो विपर्यस्तग्रहणकरणे न विधेये'^१ एतत्पर्यन्त पीठिकावृत्ति आचार्य मलयगिरि की कृति है जिसका ग्रन्थमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है।

विवेचन की एक विशेषता यह है कि आचार्य ने विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओं का स्वतन्त्र व्याख्यान न करते हुए भी उसका भावार्थ तो अपनी टीका में दे ही दिया है। विवरण में जितनी भी भाष्यगाथाएँ हैं, प्रायः विवरण के वक्तव्य की पुष्टि के लिए हैं। विवरणकार ने भाष्य की गाथाओं के व्याख्यान के रूप में अपने विवरण का विस्तार न करते हुए अपने विवरण के समर्थन के रूप में 'उक्त च', 'तथा चाह भाष्यकृत्', 'एतदेव व्याख्यान भाष्यकारोऽप्याह' इत्यादि शब्दों के साथ भाष्यगाथाएँ उद्धृत की हैं। विवरण में विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञ टीका का भी उल्लेख है।^१ प्रज्ञाकरगुप्त,^२ (आवश्यक) चूर्णिकार,^३ (आवश्यक) मूलटीकाकार,^४ (आवश्यक) मूलभाष्यकार,^५ लघीयत्रयालकारकार अकलक,^६ न्यायावतारविवृतिकार^७ आदि का भी प्रस्तुत टीका में उल्लेख किया गया है। स्थान-स्थान पर सप्रसंग कथानक उद्धृत करना भी आचार्य नहीं भूले हैं। ये कथानक प्राकृत में हैं। 'थूभ रयणविचित्त कुथु सुमिणम्मि तेण कुथुजिणो' की व्याख्या के बाद के वाक्य 'साम्प्रतमरः' अर्थात् 'अब अरनाथ के व्याख्यान का अधिकार है' के वाद का विवरण उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध विवरण चतुर्विंशतिस्तव नामक द्वितीय अध्ययन तक ही है और वह भी अपूर्ण।

बृहत्कल्पपीठिकावृत्ति :

यह वृत्ति भद्रबाहुस्वामिकृत बृहत्कल्पपीठिकानिर्युक्ति और सघदासगणिकृत भाष्य (लघुभाष्य) पर है। वृत्तिकार मलयगिरि पीठिका की भाष्यगाथा ६०६ पर्यन्त ही अपनी वृत्ति लिख सके। शेष पीठिका तथा आगे के मूल उद्देशों के भाष्य की वृत्ति आचार्य क्षेमकीर्ति ने पूरी की। इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं क्षेमकीर्ति ने अपनी वृत्ति प्रारम्भ करते समय किया है ^{१०}

श्रीमलयगिरिप्रभवो, या कर्तुमुपाक्रमन्त मतिमन्तः ।

सा कल्पशास्त्रटीका, मयाऽनुसन्धीयतेऽल्पधिया ॥

प्रारम्भ में वृत्तिकार ने वीर जिनेश्वर को प्रणाम किया है तथा अपने गुरुपद-कर्मों का सादर स्मरण करते हुए कल्पाध्ययन की वृत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की

१ पृ० ६६ २ पृ० २८ ३ पृ० ८३ ४ पृ० १२८
 ५ पृ० २७१ ६ पृ० ३७० ७ वही ८ पृ० १०१, १३५, १५३,
 २९४ ९ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३ १० पृ० १७७

है। भाष्यकार और चूर्णिकार की कृतज्ञता स्वीकार करते हुए मगलाभिधान के व्याख्यान के साथ आगे की वृत्ति प्रारम्भ की है।

प्रकटीकृतनिःश्रेयसपदहेतुस्थविरकल्पजिनकल्पम् ।

नम्राशेषनरामरकल्पितफलकल्पतरुकल्पम् ॥ १ ॥

नत्वा श्रीवीरजिन, गुरुपदकमलानि बोधविपुलानि ।

कल्पाध्ययनं विघृणोमि लेशतो गुरुनियोगेन ॥ २ ॥

भाष्य क चातिगम्भीरं, क चाहं जडशेखरः ।

तदत्र जानते पूज्या, ये मामेव नियुञ्जते ॥ ३ ॥

अद्भुतगुणरत्ननिधौ, कल्पे साहायक महातेजाः ।

दीप इव तमसि कुरुते, जयति यतीशः स चूर्णिकृत ॥ ४ ॥

कल्प (बृहत्कल्प) सूत्र व व्यवहार सूत्र तथा उनकी व्याख्याओं के रचयिताओं के विषय में अपना वक्तव्य उपस्थित करते हुए वृत्तिकार ने बताया है कि चतुर्दश पूर्व्वर भगवान् भद्रबाहुस्वामी ने साधुओं के अनुग्रह के हेतु कल्प सूत्र और व्यवहार सूत्र की रचना की जिसे कि प्रायश्चित्त का व्यवच्छेद न हो। इन्हींने इन दोनों सूत्रों की सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति भी बनाई। सनिर्युक्तिक सूत्रों को भी अल्पबुद्धिवाले प्राणियों के लिए कठिन अनुभव करते हुए भाष्यकार ने उन पर भाष्य लिखा। यह सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति का अनुगमन करने वाला होने के कारण निर्युक्ति और भाष्य एक ग्रन्थरूप हो गए ततो 'मा भूत् प्रायश्चित्त-व्यवच्छेदः' इति साधूनामनुग्रहाय चतुर्दशपूर्व्वधरेण भगवता भद्रबाहु-स्वामिना कल्पसूत्र व्यवहारसूत्र चाकारि, उभयोरपि च सूत्रस्पर्शिक-निर्युक्तिः। इमे अपि च कल्प-व्यवहारसूत्रे सनिर्युक्तिके अल्पग्रन्थतया महार्थत्वेन च दुःषमानुभावतो हीयमानमेधाऽऽयुरादिगुणानामिदानीन्तन-जन्तूनामल्पशक्तिना दुर्ग्रहे दुरवधारे जाते, ततः सुखग्रहणधारणाय भाष्यकारो भाष्य कृतवान्, तत्र सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्त्यनुगतमिति सूत्रस्पर्शिक-निर्युक्तिर्भाष्य चैको ग्रन्थो जातः।^१

वृत्तिकार ने प्रस्तुत वृत्ति में प्राकृत गाथाओं के साथ-साथ प्राकृत कथानक भी उद्धृत किये हैं। 'यत् एव स्वस्थानप्रायश्चित्त ततो विपर्यस्तग्रहणकरणे न विधेये'^२ एतत्पर्यन्त पीठिकावृत्ति आचार्य मलयगिरि की कृति है जिसका ग्रन्थमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है।

एकादश प्रकरण

मलधारी हेमचन्द्रकृत टीकाएँ

मलधारी हेमचन्द्रसूरि की परम्परा में होने वाले मलधारी राजशेखर ने अपनी प्राकृत द्वयाश्रय की वृत्ति की प्रशस्ति में लिखा है कि मलधारी हेमचन्द्र का गृहस्थाश्रम का नाम प्रद्युम्न था। वे राजमन्त्री थे और अपनी चार स्त्रियों को छोड़कर मलधारी अभयदेवसूरि के पास दीक्षित हुए थे।^१ इन दोनों आचार्यों के प्रभावशाली जीवन चरित्र का वर्णन मलधारी हेमचन्द्र के ही शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने अपने मुनिसुव्रत-चरित की प्रशस्ति में किया है। वह अति रोचक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से युक्त है। मलधारी हेमचन्द्र का परिचय देते हुए श्रीचन्द्रसूरि कहते हैं।^२

‘अपने तेजस्वी स्वभाव से उत्तम पुरुषों के हृदय को आनन्दित करने वाले कौस्तुभमणि के समान श्री हेमचन्द्रसूरि आचार्य अभयदेव के बाद हुए। वे अपने युग में प्रवचन में पारगामी और वचनशक्तिसम्पन्न थे। भगवती जैसा शास्त्र तो उन्हें अपने नाम की भोंति कण्ठस्थ था। उन्होंने मूलग्रथ, विशेषावश्यक, व्याकरण और प्रमाणशास्त्र आदि अन्य विषयों के अर्ध लक्ष (१) ग्रन्थ पढ़े थे। जो राजा तथा अमात्य आदि सब में जिनशासन की प्रभावना करने में पराधण और परम कारुणिक थे। मेघ के समान गम्भीर ध्वनि से जिस समय वे उपदेश देते उस समय जिनभवन के ग्राहर खड़े रहकर भी लोग उनके उपदेशरस का पान करते थे। व्याख्यानलब्धिसम्पन्न होने के कारण उनके शास्त्रव्याख्यान को सुनकर जडबुद्धि वाले लोग भी सहज ही बोध प्राप्त कर लेते। सिद्धव्याख्यानिक (सिद्धिर्षि) की उपमितिभवप्रपञ्चकथा वैराग्य उत्पन्न करने वाली होते हुए भी समझने में अत्यन्त कठिन थी इसलिए समा में उसका व्याख्यान लम्बे समय से कोई नहीं करता था। जिस समय आचार्य हेमचन्द्र उसका व्याख्यान करते उस समय लोगों को उसे सुनने में खूब आनन्द आता। श्रोताओं की बारबार की

१ जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पृ० २४५

२ मुनिसुव्रतचरित की प्रशस्ति, का० १३२-१८०

प्रार्थना के कारण उन्हें लगातार तीन वर्ष तक उस कथा का व्याख्यान करना पड़ा। इसके बाद उस कथा का प्रचार खूब बढ़ गया। आचार्य हेमचन्द्र ने निम्नलिखित ग्रन्थ बनाये। सर्वप्रथम उपदेशमाला मूल और भवभावना मूल की रचना की। तदनन्तर उन दोनों की क्रमशः १४ हजार और १३ हजार श्लोक-प्रमाण वृत्तियाँ बनाईं। इसके बाद अनुयोगद्वार, जीवसमास और शतरू (बंधशतक) की क्रमशः ६, ७ और ४ हजार श्लोकप्रमाण वृत्तियों की रचना की। मूल आवश्यकवृत्ति (हरिभद्रकृत) पर ५ हजार श्लोकप्रमाण टिप्पण लिखा तथा विशेषावश्यकभाष्य पर २८ हजार श्लोक-प्रमाण विस्तृत वृत्ति लिखी।^१

अन्त में मृत्यु के समय आचार्य हेमचन्द्र ने अपने गुरु अभयदेव की ही भाँति आराधना की। उसमें इतनी विशेषता अवश्य थी कि इन्होंने सात दिन की सल्लेखना—अनशन किया था (जबकि आचार्य अभयदेव ने ४७ दिन का अनशन किया था) और राजा सिद्धराज स्वयं इनकी शवयात्रा में सम्मिलित हुआ था (जबकि अभयदेव की शवयात्रा का दृश्य उसने अपने महलों से ही देख लिया था)। इनके तीन गणधर थे १. विजयसिंह, २. श्रीचन्द्र और ३. विजयचन्द्र। उनमें से श्रीचन्द्र पट्टधर आचार्य हुए।^२

आचार्य विजयसिंह ने धर्मोपदेशमाला की बृहद्वृत्ति लिखी है। उसकी समाप्ति वि० स० ११९१ में हुई है। उसकी प्रशस्ति में आचार्य विजयसिंह ने अपने गुरु आचार्य हेमचन्द्र और उनके गुरु आचार्य अभयदेव का जो परिचय दिया है उससे मालूम होता है कि स० ११९१ में आचार्य मलधारी हेमचन्द्र की मृत्यु को काफी वर्ष व्यतीत हो चुके थे। ऐसी दशा में यह माना जाय कि अभयदेव की मृत्यु होने पर अर्थात् वि० स० ११६८ में हेमचन्द्र ने आचार्यपद प्राप्त किया और लगभग स० ११८० तक उस पद को शोभित किया तो कोई असंगति नहीं। उनके ग्रन्थान्त की किसी भी प्रशस्ति में वि० स० ११७७ के बाद के वर्ष का उल्लेख नहीं मिलता।^३

आचार्य हेमचन्द्र ने स्वहस्तलिखित जीवसमास की वृत्ति की प्रति के अन्त में अपना जो परिचय दिया है उसमें उन्होंने अपने को यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान के

१ इस सूची में नन्दिटिप्पण का उल्लेख नहीं है। विशेषावश्यकभाष्य की वृत्ति के अन्त में इस टिप्पण का उल्लेख उपलब्ध है।

२ गणधरवाद प्रस्तावना, पृ० ५१-२

अनुष्ठान म रत परम नैष्ठिक पंडित श्वेताम्बराचार्य भट्टारक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह प्रति उन्होंने वि० सं० ११६४ में लिखी है। प्रशस्ति इस प्रकार है :^१

ग्रन्थाम् ६६२७ । सवत् ११६४ चैत्र सुदि ४ सोमेऽद्येह श्रीमदणहिल-
पाटके समस्तराजावलिविराजितमहाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीमज्जयसिंह-
देवकल्याणविजयराज्ये एव काले प्रवर्तमाने यमनियमस्वाध्यायध्याना-
नुष्ठानरतपरमनैष्ठिकपंडित - श्वेताम्बराचार्य - भट्टारकश्रीहेमचन्द्राचार्येण
पुस्तिका लि० श्री० ।

जहाँ तक मलघारी हेमचन्द्र की ग्रन्थरचना का प्रश्न है, हमने मुनिसुव्रतचरित की प्रशस्ति के आधार पर उपदेशमाला आदि नौ ग्रन्थों का उल्लेख किया है। विशेषावश्यकभाष्य की वृत्ति के अन्त में आचार्य ने स्वयं ग्रन्थरचना का क्रम दिया है और ग्रन्थसंख्या दस दी है। मुनिसुव्रतचरित में उल्लिखित नौ ग्रन्थों में एक ग्रन्थ और जोड़ा गया है और वह है नन्दिटिप्पण। इस ग्रन्थ की किसी भी प्रति का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा होते हुए भी यदि विशेषावश्यकभाष्य की वृत्ति में उल्लिखित ग्रन्थसंख्या एव रचनाक्रम ठीक माना जाए तो मलघारी हेमचन्द्र की ग्रन्थरचना का क्रम इस प्रकार होना चाहिए : १. आवश्यक-टिप्पण, २ शतकविवरण, ३ अनुयोगद्वारवृत्ति, ४. उपदेशमालासूत्र, ५ उपदेशमालावृत्ति, ६ जीवसमाप्तविवरण, ७ भवभावनासूत्र, ८. भवभावनाविवरण, ९ नन्दिटिप्पण, १० विशेषावश्यकभाष्य बृहद्वृत्ति। यह क्रम श्रीचन्द्रसूरिकृत मुनिसुव्रतचरित में उल्लिखित पूर्वोक्त क्रम से कुछ भिन्न ही है। इन ग्रन्थों का परिमाण लगभग ८०००० श्लोक-प्रमाण है। ये सब ग्रन्थ विषय की दृष्टि से प्रायः स्वतन्त्र हैं अतः उनमें पुनरावृत्ति के लिए विशेष गुनाइश नहीं रही।

आवश्यकवृत्तिप्रदेशव्याख्या :

यह व्याख्या^१ हरिभद्रकृत आवश्यकवृत्ति पर है। इसे हरिभद्रीयावश्यकवृत्ति-टिप्पणक भी कहते हैं। इस पर प्रस्तुत व्याख्याकार आचार्य हेमचन्द्र के ही शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने एक और टिप्पण लिखा है जिसे प्रदेशव्याख्याटिप्पण कहते हैं। प्रारम्भ में व्याख्याकार आदिजिनेश्वर (ऋषभदेव) को नमस्कार करते हैं। तदनन्तर वर्धमानपर्यन्त शेष समस्त तीर्थंकरों को नमस्कार करके संक्षेप में टिप्पण लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं

१ श्री प्रशस्तिग्रह (श्री शान्तिनाथजी ज्ञानभंडार, अहमदाबाद), पृ० ४९

२. श्रीचन्द्रसूरिविहित टिप्पणसहित—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय, बम्बई, सन् १९२०

जगत्त्रयमतिक्रम्य, स्थिता यस्य पदत्रयी ।

विष्णोरिव तमानस्य, श्रीमदाद्यजिनेश्वरम् ॥ १ ॥

शेषानपि नमस्कृत्य, जिनानजितपूर्वकान् ।

श्रीमतो वर्द्धमानान्तान्, मुक्तिशर्मविधायिनः ॥ २ ॥

समुपासितगुरुजनतः समधिगत किञ्चिदात्मसंस्मृतये ।

सङ्क्षेपादावश्यकविषयं टिप्पनमहं वच्मि ॥ ३ ॥

इसके बाद व्याख्याकार ने हारिभद्रीय आवश्यकवृत्ति के कुछ कठिन स्थलों का सरल शैली में व्याख्यान करते हुए अन्त में व्याख्यागत दोषों की सशुद्धि के लिए मुनिजनों से प्रार्थना की है ।^१

इति गुरुजनमूलादर्थजातं स्वबुद्ध्या,
यदवगतमिहात्मस्मृत्युपादानहेतोः ।

तदुपरचितमेतत् यत्र किञ्चित्सदोष,

मयि कृतगुरुतोषैस्तत्र शोध्यं मुनीन्द्रै ॥ १ ॥

छद्मस्थस्य हि मोहः कस्य न भवतीह कर्मवशगस्य ।

सद्बुद्धिविरहिताना विशेषतो महिधामुमताम् ॥ २ ॥

प्रस्तुत व्याख्या का ग्रन्थमान ४६०० श्लोकप्रमाण है ।

अनुयोगद्वारवृत्ति :

यह वृत्ति अनुयोगद्वार के सूत्रों का सरलार्थ प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई है । प्रारभ में आचार्य ने वीर जिनेश्वर, गौतमादि सूरिवर्ग एव श्रुतदेवता को नमस्कार किया है :

सम्यक् सुरेन्द्रकृतसंस्तुतपादपद्ममुद्दामकामकरिराजकठोरसिंहम् ।

सद्धर्मदेशकवर वरद नतोऽस्मि, वीर विशुद्धतरबोधनिधि सुधीरम् ॥ १ ॥

अनुयोगभृता पादान् वन्दे श्रीगौतमादिसूरीणाम् ।

निष्कारणबन्धूना विशेषतो धर्मदातृणाम् ॥ २ ॥

यस्याः प्रसादमतुलं संप्राप्य भवन्ति भव्यजननिबहाः ।

अनुयोगवेदिनस्ता प्रयतः श्रुतदेवता वन्दे ॥ ३ ॥

१. पृ० ११७

२ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८८०

(आ) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय, बम्बई, सन् १९१५-६

(इ) भागमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२४

(ई) केशरबाई ज्ञानमंदिर, पाटन, सन् १९३९

प्रथम सूत्र 'नाण पचविहं' की व्याख्या प्रारम्भ करने के पूर्व वृत्तिकार कहते हैं कि यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने चूर्णि और टीका (हारिभद्रीय) के द्वारा इस ग्रन्थ का व्याख्यान किया है किन्तु अल्प बुद्धिवाले शिष्यों के लिए उसे समझने में कठिनाई होने के कारण मैं मदमति पुनः इसका व्याख्यान प्रारम्भ करता हूँ . स च यद्यपि चूर्णिटीकाद्वारेण वृद्धैरपि विहितः तथापि तद्वच-सामतिगम्भीरत्वेन दुरधिगमत्वाद् मन्दमतिनाऽपि मयाऽसाधारण-श्रुतभक्तिजनितौत्सुक्यभावतोऽविचारितस्वशक्तित्वादल्पधियामनुग्रहार्थ-त्वाच्च कर्तुमारभ्यते ।

'से किं त तिनामे' (सू० १२३) की वृत्ति में रस का विवेचन करते हुए वृत्तिकार ने भिषकशास्त्र के 'श्लेष्माणमरुचिं पित्तं तृष कुष्ठं विषं चरम्' आदि अनेक श्लोक उद्धृत किये हैं । इसी प्रकार सप्तस्वर की व्याख्या में तथा अन्यत्र भी अनेक श्लोक उद्धृत किये गये हैं । इस वृत्ति के अन्त में भी वही प्रशस्ति है जो विशेषावश्यकभाष्य की वृत्ति के अन्त में है । इसमें वृत्ति रचना का समय नहीं दिया गया है । इसका ग्रन्थमान ५९०० श्लोक-प्रमाण है ।

विशेषावश्यकभाष्य वृहद्वृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^१ को शिष्यहितावृत्ति भी कहते हैं । यह मलधारी हेमचन्द्रसूत्रि की वृहत्तम कृति है । इसमें आचार्य ने विशेषावश्यकभाष्य में प्रतिपादित प्रत्येक विषय को अति सरल एवं सुबोध शैली में समझाया है । दार्शनिक चर्चा की प्रधानता होते हुए भी शैली में क्लिष्टता नहीं आने पाई है, यह इस टीका की एक बहुत बड़ी विशेषता है । शका-समाधान और प्रश्नोत्तर की पद्धति का प्राधान्य होने के कारण पाठक को अरुचि का सामना नहीं करना पड़ता । यत्र तत्र संस्कृत कथानकों के उद्धरण से विषय-विवेचन और भी सरल हो गया है । इस टीका के कारण विशेषावश्यकभाष्य के पठन-पाठन में अत्यधिक सरलता हो गयी है, इसमें कोई सदेह नहीं । इस टीका से भाष्यकार और टीकाकार दोनों के यश में असाधारण वृद्धि हुई है । टीका के प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान

१ पाठन संस्करण, पृ० १००

२ पृ० ११६-७

३ (अ) यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस, वीर सं० २४२७-२४४१

(आ) गुजराती भाषान्तर—सुनीलाल हुकमचन्द, भागमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२४-७

जिनेश्वर, सुघर्मादिप्रमुख सुरिसध, स्वगुरु, जिनभद्र और श्रुतदेवता को सविनय वदना की है :

श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रविश्रुतकुलन्योमप्रवृत्तोदयः,
 सद्बोधाशुनिरस्तदुस्तरमहामोहान्धकारस्थितिः ।
 द्वाप्राशेषकुवादिक्लौञ्चिककुलप्रीतिप्रणोदक्षमो,
 जीयादस्खलितप्रतापतरणिः श्रीवर्धमानो जिनः ॥ १ ॥
 येन क्रमेण कृपया श्रुतधर्म एष,
 आनीय मादृशजनेऽपि हि सप्रणीतः ।
 श्रीमत्सुधर्मगणभृत्प्रमुखं नतोऽस्मि,
 तसूरिसङ्घमनघ स्वगुरुश्च भक्त्या ॥ २ ॥
 आवश्यकप्रतिनिबद्धगभीरभाष्य-
 पीयूषजन्मजलधिर्गुणरत्नराशिः ।
 ख्यातः क्षमाश्रमणतागुणतः क्षितौ यः,
 सोऽय गणिर्विजयते जिनभद्रनामा ॥ ३ ॥
 यस्याः प्रसादपरिवर्धितशुद्धबोधाः,
 पार व्रजन्ति सुधिग्रः श्रुततोयराशेः ।
 सानुग्रहा मयि समीहितसिद्धयेऽस्तु,
 सर्वज्ञशासनरता श्रुतदेवताऽसौ ॥ ४ ॥

विशेषावश्यकभाष्य क्या है एव उसकी प्रस्तुत वृत्ति की क्या आवश्यकता है, इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने बताया है कि सामायिकादि षडध्ययनात्मक श्रुतस्कन्धरूप आवश्यक की अर्थत तीर्थंकरों ने एव सूत्रतः गणधरों ने रचना की । इसकी गभीरार्थता एव नित्योपयोगिता को ध्यान में रखते हुए चतुर्दश पूर्वधर श्रीमद् भद्रबाहुस्वामी ने इस सूत्र की व्याख्यानरूप निर्युक्ति बनाई । इस निर्युक्ति में भी सामायिकाध्ययन-निर्युक्ति को विशेषत महत्त्वपूर्ण समझते हुए श्रीमद् जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने उस पर व्याख्यात्मक भाष्य लिखा । उस भाष्य की यद्यपि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणविरचित स्वोपज्ञ वृत्ति तथा कोट्याचार्यविहित विवरण—ये दो टीकाएँ विद्यमान हैं किन्तु वे अति गभीर वाक्यात्मक एव कुछ संक्षिप्त होने के कारण मदमति शिष्यों के लिए कठिन सिद्ध होती हैं । इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रस्तुत वृत्ति प्रारम्भ की जा रही है ।^१

वृत्ति के अन्त में प्रशस्ति सूचक ग्यारह श्लोक हैं जिनमें वृत्तिकार का नाम हेमचन्द्रसूरि एव उनके गुरु का नाम अभयदेवसूरि उताया गया है और कहा गया है कि राजा जयसिंह के राज्य में स० ११७५ की कार्तिक शुक्ला पचमी के दिन यह वृत्ति समाप्त हुई !

सोऽभयदेवसूरिरभवत् तेभ्यः प्रसिद्धो भुवि ॥ ९ ॥
 तच्छिष्यलवप्राचैरगीतार्थैरपि क्षिप्रजनतुष्ट्यै ।
 श्रीहेमचन्द्रसूरिभिरियमनुरचिता प्रकृतवृत्तिः ॥ १० ॥
 शरदा च पञ्चसप्तत्यधिकैकादशशतेष्वतीतेषु ।
 कार्तिकसितपञ्चम्या श्रीमज्जयसिहनृपराज्ये ॥ ११ ॥

वृत्ति का ग्रन्थमान २८००० श्लोक प्रमाण है ।



द्वादश प्रकरण

नेमिचन्द्रविहित उत्तराध्ययन-वृत्ति

नेमिचन्द्रसूरि का दूसरा नाम देवेन्द्रगणि है। प्रारम्भ में ये देवेन्द्रगणि के नाम से ही प्रसिद्ध थे किन्तु बाद में नेमिचन्द्रसूरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने वि० स० ११२९ में उत्तराध्ययन पर सुखबोधा नामक एक टीका लिखी। इस टीका में अनेक प्राकृत आख्यान उद्धृत किये गये हैं। इस दृष्टि से नेमिचन्द्रसूरि हरिभद्रसूरि और वादिवेताळ शान्तिसूरि की शैली के अधिक निकट हैं, न कि शीलकसूरि की जिन्होंने इस प्रकार के आख्यान स्कन्द में प्रस्तुत किये हैं।

उत्तराध्ययन सुखबोधा वृत्ति^१ शान्त्याचार्यविहित शिष्यहिता नामक वृहद्दृष्टि के आधार पर बनाई गई है। उससे सरल एवं सुबोध होने के कारण इसका नाम सुखबोधा रखा गया है। प्रारम्भ में वृत्तिकार ने तीर्थंकरों, सिद्धों, साधुओं एवं श्रुतदेवता को नमस्कार किया है तथा वृद्धकृत (शान्त्याचार्यकृत) बहुर्य एवं गम्भीर विवरण से समुद्धृत करके आत्मस्मृत्यर्थ तथा जडमति एवं सक्षेपवचि वालों के हितार्थ त्रिना पाठान्तर और अर्थान्तर के उत्तराध्ययन की सुखबोधा-वृत्ति बनाने की प्रतिज्ञा की है

प्रणम्य विघ्नसङ्घातघातिनस्तीर्थनायकान्।

सिद्धाश्च सर्वसाधूश्च, स्तुत्वा च श्रुतदेवताम् ॥ १ ॥

आत्मस्मृतये वक्ष्ये, जडमतिसक्षेपवचिहितार्थं च।

एकैकार्थनिबद्धा, वृत्तिं सूत्रस्य सुखबोधाम् ॥ २ ॥

बहुर्याद् वृद्धकृताद्, गम्भीराद् विवरणान् समुद्धृत्या।

अध्ययनानामुत्तरपूर्वाणामेकपाठगताम् ॥ ३ ॥

अर्थान्तराणि पाठान्तराणि सूत्रे च वृद्धदीकृतः।

बोद्धव्यानि यतोऽयं, प्रारम्भो गमनिकामात्रम् ॥ ४ ॥

वृत्ति के अन्त में प्रशस्ति है त्रिसमें वृत्तिकार नेमिचन्द्राचार्य के गच्छ, गुरु, गुरुप्राता, वृत्तिरचना के स्थान, समय आदि का उल्लेख है। इसी में शान्त्याचार्य के गच्छ आदि का भी उल्लेख है त्रिसकी वृत्ति के आधार पर

प्रस्तुत वृत्ति की रचना की गई है। नेमिचन्द्राचार्य बृहद्गच्छीय उद्योतनाचार्य के शिष्य उपाध्याय आम्रदेव के शिष्य हैं। इनके गुरुभ्राता का नाम मुनिचन्द्रसूरि है जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत वृत्ति बनी है। वृत्ति की रचना का स्थान अणहिलपाटक नगर (दोहडि सेठ का घर) है तथा समाप्ति का समय वि० स० ११२९ है

विश्रुतस्य महीपीठे, बृहद्गच्छस्य मण्डनम् ।
 श्रीमान् विहारुकप्रष्ठः, सूरिरुद्योतनाभिधः ॥ ९ ॥
 शिष्यस्तस्याऽऽम्रदेवोऽभूदुपाध्यायः सता मतः ।
 यत्रैकान्तगुणापूर्णं, दोषैर्लेभे पद न तु ॥ १० ॥
 श्रीनेमिचन्द्रसूरिरुद्धृतवान् वृत्तिका तद्विनेयः ।
 गुरुसोदर्यश्रीमन्मुनिचन्द्राचार्यवचनेन ॥ ११ ॥

अणहिलपाटकनगरे, दोहडिसच्छ्रेष्ठिसत्कवसतौ च ।
 सन्तिष्ठता कृतेर्यं, नवकरहरवत्सरे चैव ॥ १३ ॥

वृत्ति का ग्रन्थमान १२००० श्लोक-प्रमाण है

अनुष्टुभा सहस्राणि, गणितक्रिययाऽभवन् ।
 द्वादश ग्रन्थमान तु, वृत्तेरस्या विनिश्चितम् ॥



दश प्रकरण

श्रीचन्द्रसूरिवि व्याख्याएँ

श्रीचन्द्रसूरि का दूसरा नाम पार्श्वदेवगणि है। ये शीलभद्रसूरि के शिष्य हैं। इन्होंने वि० स० ११७४ में निशीथसूत्र की विशेषचूर्णि के बीसवें उद्देशक की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों पर भी इनकी टीकाएँ हैं। श्रमणोपासक-प्रतिक्रमण (आवश्यक), नन्दी (नन्दीदुर्गपदव्याख्या), ज्ञातकल्प-बृहच्चूर्णि, निरयावलिकादि अन्तिम पाँच उपाग।

निशीथचूर्णि-दुर्गपदव्याख्या :

निशीथचूर्णि के बीसवें उद्देश पर श्रीचन्द्रसूरि ने दुर्गपदव्याख्या^१ नामक टीका लिखी है। चूर्णि के कठिन अर्थों को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए ही प्रस्तुत व्याख्या लिखी गई है। जैसा कि व्याख्याकार प्रारम्भ में ही लिखते हैं :

विंशोद्देशे श्रीनिशीथस्य चूर्णौ,

दुर्गं वाक्यं यत् पद वा समस्ति ।

स्वस्मृत्यर्थं तस्य वक्ष्ये सुबोधा,

व्याख्या काचित् सद्गुरुभ्योऽवबुद्धाम् ॥ २ ॥

इस व्याख्या का अधिक अर्थ विविध प्रकार के मासों के भग, दिनों की गिनती आदि से सम्बन्धित होने के कारण नीरस है। चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर के नाम से सम्बन्धित अन्तिम दो गाथाओं की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार कहते हैं

‘वर्गा इह अ। क। च। ट। त। प। य। श। वर्गा इति वचनात् खरादयो हकारान्ता ग्राह्याः। तदिह प्रथमगाथया जिणदास इत्येवरूपं नामाभिहित, द्वितीयगाथया तदेव विशेषयितुमाह—जिणदास महत्तर इति तेन रचिता चूर्णिरियम्।’

१ सन्मति ज्ञानपीठ, भागरा, सन् १९१० (निशीथसूत्र के चतुर्थ विभाग के अन्तर्गत, पृ० ४१३-४४३)।

२ पृ० ४४३.

अन्त में व्याख्याकार अपना परिचय देने हुए कहते हैं .

श्रीशालि(शील)भद्रसूरीणा, शिष्यैः श्रीचन्द्रसूरिभिः ।
विंशकोद्देशके व्याख्या, दृग्धा स्वपरहेतवे ॥ १ ॥

अर्थात् श्री शालि (शील) भद्रसूरि के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने अपने तथा दूसरों के लिए बीसवें उद्देश की यह व्याख्या बनाई ।

इसी प्रकार व्याख्या की समाप्ति का समय-निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं :

वेदाश्वरुद्रयुक्ते, वि वत्सरे तु मृगशीर्षे ।
माघसितद्वादश्या, समर्थितेयं रवौ वारे ॥ २ ॥

निरयावलिकावृत्ति :

यह वृत्ति^१ अन्तिम पाँच उपागभूत निरयावलिका सूत्र पर है निरया-
वलिका, कल्पावतसिका, पुष्पिका, पुष्पचूला और वृष्णिदशा । इस वृत्ति के
अतिरिक्त इस सूत्र की और कोई टीका नहीं है । वृत्ति सक्षित एव शब्दार्थप्रधान
है । प्रारम्भ में आचार्य ने पार्श्वनाथ को प्रणाम किया है :

पार्श्वनाथं नमस्कृत्य प्रायोऽन्यग्रन्थवीक्षिता ।
निरयावलिश्रुतस्कन्धे व्याख्या काचित् प्रकाशयते ॥

वृत्ति के अन्त में वृत्तिकार के नाम, गुरु, वृत्तिलेखन के समय, स्थान आदि
का कोई उल्लेख नहीं है । मुद्रित प्रति के अन्त में केवल 'इति श्रीचन्द्रसूरि-
विरचित निरयावलिशाश्रुतस्कन्धविवरणं समाप्तमिति । श्रीरस्तु ।'^२ इतना
सा उल्लेख है ।^३ वृत्ति का ग्रन्थमान ६०० श्लोकप्रमाण है ।

जीतकल्पबृहच्चूर्णि-विषमपदव्याख्या :

यह व्याख्या^१ सिद्धसेनगणिकृत जीतकल्पबृहच्चूर्णि के विषमपदों के विवेचन
के रूप में है । प्रारम्भ में व्याख्याकार श्रीचन्द्रसूरि ने भगवान् महावीर को

१ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८५

(आ) आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९२२

(इ) गूर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, सन् १९३४

२ अहमदाबाद-संस्करण, पृ० ३९.

३ जैन साहित्य सशोधक समिति, अहमदाबाद, सन् १९२६

नमस्कार करके स्व परोपकार के निमित्त जीतकल्पबृहच्चूर्णि की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है :

नत्वा श्रीमन्महावीरं स्वपरोपकृतिहेतवे ।
जीतकल्पबृहच्चूर्णेऽर्थाख्या काचित् प्रकाशयते ॥

‘सिद्धत्थ ’ इत्यादि प्रारभ की एकादश चूर्णि गाथाओं (मगल-गाथाओं) की व्याख्या करने के बाद आचार्य ने ‘को वि सीसो ’ आदि पाठों के कठिन पदों का व्याख्यान प्रारभ किया है । बीच-बीच में अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए प्राकृत गाथाएँ उद्धृत की हैं ।^१

अन्त में व्याख्याकार ने अपना नामोल्लेख करते हुए बताया है कि प्रस्तुत व्याख्या स० १२२७ में महावीर-जन्मकल्याण के दिन रविवार को पूर्ण हुई । इसका ग्रन्थमान ११२० श्लोक-प्रमाण है

जीतकल्पबृहच्चूर्णो व्याख्या शास्त्रानुसारतः ।
श्रीचन्द्रसूरिभिर्दृष्ट्या स्वपरोपकृतिहेतवे ॥ १ ॥
मुनिनयनतरणि (१२२७) वर्षे श्रीवीरजिनस्य जन्मकल्याणे ।
प्रकृतग्रन्थकृतिरियं निष्पत्तिमवाप रविवारे ॥ २ ॥
•

एकादशशतविंशत्यधिकश्लोकप्रमाणग्रन्थाग्रम् ।
ग्रन्थकृतिः प्रविवाच्या मुनिपुङ्गवसूरिभिः सततम् ॥ ४ ॥
यदिहोत्सूत्रं किञ्चिद् दृढ्य छद्मस्थबुद्धिभावनया ।
तन्मयि कृपानुकलितैः शोध्य गीतार्थविद्वद्भिः ॥ ५ ॥



चतुर्दश प्रकरण

अन्य टीकाएँ

उपर्युक्त टीकाकार आचार्यों के अतिरिक्त और भी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने आगमों के टीकानिर्माण में अपना योग दिया है। शिवप्रभसूरि के शिष्य श्रीतिलकसूरि ने आवश्यक सूत्र पर वि० स० १२९६ में टीका लिखी है जिसका नाम लघुवृत्ति है। इसके अतिरिक्त जीतकल्प और दशवैकालिक पर भी इनकी टीकाएँ हैं। क्षेमकीर्ति ने मलयगिरिकृत बृहत्कल्प की अपूर्ण टीका पूरी की है। महेन्द्रसूरि (स० १२९४) के शिष्य भुवनतुगसूरि ने चतु शरण, आतुरप्रत्याख्यान और सस्तारक—इन प्रकीर्णकों पर टीकाएँ लिखी हैं। इसी प्रकार गुणरत्न (स० १४८४) ने भक्तपरिज्ञा, सस्तारक, चतुःशरण और आतुरप्रत्याख्यान नामक प्रकीर्णकों पर टीकाएँ लिखी हैं। विजयविमल (स० १६३४) की तटुल्लवैचारिक और गच्छाचार प्रकीर्णकों पर टीकाएँ हैं। वानरर्षि ने गच्छाचार प्रकीर्णक पर वृत्ति लिखी है। हीरविजयसूरि ने स० १६३९ में और शान्तिचन्द्रगणि ने स० १६६० में जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति पर टीकाएँ लिखी हैं। शान्तिचन्द्रगणि की टीका का नाम प्रमेयरत्नमजूषा है। जिनहस ने स० १५८२ में आचाराग पर वृत्ति (दीपिका) लिखी है। स० १५८३ में हर्षकुल ने सूत्रकृतागदीपिका की रचना की। भगवती और उत्तराध्ययन पर भी इन्होंने टीकाएँ लिखीं। लक्ष्मीकल्लोलगणि ने आचाराग (स० १५९६) और ज्ञाताधर्मकथा पर, दानशेखर ने भगवती पर (व्याख्याप्रज्ञप्ति लघुवृत्ति), विनयहस ने उत्तराध्ययन और दशवैकालिक पर टीकाएँ लिखी हैं। इनके अतिरिक्त आवश्यकदि पर अन्य आचार्यों की भी टीकाएँ हैं। आवश्यक पर जिनभट, नमिसाधु (स० ११२२), ज्ञानसागर (स० १४४०), माणिक्यशेखर, शुभवर्धनगणि (स० १५४०), धीरसुन्दर (स० १५००), श्रीचन्द्रसूरि (स० १२२२), कुलप्रभ, राजवल्लभ, हितरुचि (स० १६९७) आदि ने, आचाराग पर अनित-देवसूरि, पार्वचन्द्र (स० १५७२), माणिक्यशेखर आदि ने, सूत्रकृताग पर साधुरग उपाध्याय (स० १५९९), पार्वचन्द्र^१ आदि ने, स्थानाग पर नगर्षिगणि

१. पार्वचन्द्रकृत टीकाएँ गुजराती में हैं।

(सं १६५७), पार्श्वचन्द्र, सुमतिकल्लोल और हर्षनन्दन (सं १७०५) आदि ने, समवायाग पर मेघराज वाचक आदि ने, व्याख्याप्रज्ञप्ति-प्रग्वती पर भावसागर, पद्मसुन्दरगणि आदि ने, ज्ञाताधर्मकथा पर कस्तूरचन्द्र (सं १८९९) आदि ने, उपासकदशाग पर हर्षवल्लभ उपाध्याय (सं १६९३), विवेकहस उपाध्याय आदि ने, ग्रहनव्याकरण पर ज्ञानविमलसूरि, पार्श्वचन्द्र, अजितदेवसूरि आदि ने, औपपातिक पर राजचन्द्र और पार्श्वचन्द्र ने, राजप्रवनीय पर राजचन्द्र, रत्नप्रभसूरि, समरचन्द्रसूरि आदि ने, जीवाभिगम पर पद्मसागर (सं १७००) आदि ने, प्रज्ञापना पर जीवविजय (सं १७८४) आदि ने, बम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति पर पुण्यसागर (सं १६४५) आदि ने, चतुःशरण पर विनयराजगणि, पार्श्वचन्द्र, विजयसेनसूरि आदि ने, आतुरप्रत्याख्यान पर हेमचन्द्रगणि आदि ने, सस्तारक पर समरचन्द्र (सं १६०३) आदि ने, तन्दुलवैचारिक पर पार्श्वचन्द्र आदि ने, बृहत्कव्य पर सौभाग्यसागर आदि ने, उत्तराध्ययन पर कीर्तिवल्लभ (सं १५५२), कमलसयम उपाध्याय (सं १५५४), तपोरत्न वाचक (सं १५५०), गुणशेखर, लक्ष्मीवल्लभ, भावविजय (सं १६८९), हर्षनन्दनगणि, धर्ममन्दिर उपाध्याय (सं १७५०), उदयसागर (सं १५४६), मुनिचन्द्रसूरि, ज्ञानशील गणि, अजितचन्द्रसूरि, राजशील, उदयविजय, मेघराज वाचक, नगार्थिगणि, अजितदेवसूरि, माणिक्यशेखर, ज्ञानसागर आदि ने, दशवैकालिक पर सुमतिसूरि, समयसुन्दर (सं १६८१), शान्तिदेवसूरि, सोमविमलसूरि, राजचन्द्र (सं १६६७), पार्श्वचन्द्र, मेरुसुन्दर, माणिक्यशेखर, ज्ञानसागर आदि ने, पिण्डनिर्युक्ति पर क्षमारत्न, माणिक्यशेखर आदि ने, नन्दी पर जयदयाल, पार्श्वचन्द्र आदि ने, ओषधिनिर्युक्ति पर ज्ञानसागर (सं १४३९) और माणिक्यशेखर ने तथा दशाश्रुतस्कन्ध पर ब्रह्ममुनि (ब्रह्मार्थि) आदि ने टीकाएँ लिखी हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त कुछ टीकाएँ अज्ञात आचार्यों द्वारा भी लिखी गई हैं।^१ कुछ आचार्यों के नाम, समय आदि के विषय में भी अभी तक पूर्ण निश्चय नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में किसी के नाम का एक से अधिक रूपों में प्रयोग हो जाना अवगम्य नहीं है। इसी प्रकार अनेक टीकाओं के विषय में भी पूरा निश्चय नहीं हो पाया है। विशेषकर अनुपलब्ध टीकाओं की यथार्थ स्थिति के विषय में तो अनेक प्रकार की शक्याँ स्वामाविक हैं। आगे कुछ प्रकाशित टीकाओं का परिचय दिया जाता है।

बृहत्कल्पवृत्ति :

आचार्य मलयगिरिकृत बृहत्कल्प की अपूर्ण वृत्ति को पूरी करने का श्रेय आचार्य क्षेमकीर्ति को है। पीठिका-भाष्य की ६०६ गाथाओं से आगे के सम्पूर्ण भाष्य (लघुभाष्य) की वृत्ति^१ इन्हीं आचार्य की कृति है। शैली आदि की दृष्टि से यह वृत्ति मलयगिरिकृत टीका के ही समकक्ष है। प्रारम्भ में आचार्य ने सर्वज्ञ महावीर, कल्प (बृहत्कल्प) सूत्रकार भद्रबाहु, भाष्यकार सद्यदासगणि, चूर्णिकार मुनीन्द्र, वृत्तिकार मलयगिरि, शिवमार्गोपदेष्टा स्वगुरु तथा वरदा श्रुतदेवी को नमस्कार किया है एव मलयगिरिप्रारब्ध कल्पशास्त्रटीका को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की है।^२ वृत्ति के अन्त में लम्बी प्रशस्ति है। इसके अनुसार आचार्य क्षेमकीर्ति के गुरु का नाम विजयचन्द्रसूरि था। विजयचन्द्रसूरि आचार्य जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य थे। आचार्य क्षेमकीर्ति के दो गुरुमाईं थे जिनका नाम वज्रसेन और पद्मचन्द्र था। प्रस्तुत वृत्ति की समाप्ति ज्येष्ठ शुक्ला दशमी वि० सं० १३३२ में हुई है। इस विशाल वृत्ति का ग्रन्थमान ४२६०० श्लोक-प्रमाण है।^३

ज्योत्स्नामञ्जुलया यया धवलित विश्वम्भरामण्डल,

या निःशेषविशेषविज्ञजनताचेतश्चमत्कारिणी ।

तस्या श्रीविजयेन्दुसूरिसुगुरोर्निष्कृत्रिमाया गुण-

श्रेणेः स्याद् यदि वास्तवस्तवकृतौ विज्ञ स वाचापतिः ॥ १५ ॥

तत्पाणिपङ्कजरजःपरिपूतशीर्षाः,

शिष्यास्त्रयो दधति सन्प्रति गच्छभारम् ।

श्रीवज्रसेन इति सद्गुरुरादिमोऽत्र,

श्रीपद्मचन्द्रसुगुरुस्तु ततो द्वितीयः ॥ १६ ॥

तार्तीयिकस्तेषा, विनेयपरमाणुरनणुशास्त्रेऽस्मिन् ।

श्रीक्षेमकीर्तिसूरिर्विनिर्भे विवृतिमल्पमतिः ॥ १७ ॥

श्रीविक्रमतः क्रामति, नयनाग्निगुणेन्दुपरिमिते (१३३२) वर्षे ।

ज्येष्ठशुक्लदशम्या, समर्थितैषा च हस्तार्के ॥ १८ ॥

१ जैन आत्मानन्द सभा, , सन् १९३३-१९४२

२, का० १-८.

३ पृ० १७१२

आवश्यकनिर्युक्तिदीपिका :

माणिक्यशेखरसूरिकृत प्रस्तुत दीपिका^१ आवश्यकनिर्युक्ति का अर्थ समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त टीका है। इसमें निर्युक्ति-गाथाओं का अति सरल एवं सक्षिप्त शब्दार्थ तथा भावार्थ दिया गया है। कथानकों का सार भी बहुत ही संक्षेप में समझा दिया गया है। प्रारम्भ में दीपिकाकार ने वीर जिनेश्वर और अपने गुरु मेरुतुगसूरि को नमस्कार किया है एवं आवश्यकनिर्युक्ति की दीपिका लिखने का संकल्प किया है।

नत्वा श्रीवीरजिन तदनु श्रीमेरुतुगसूरिगुरुम् ।

कुर्वे श्रीआवश्यकनिर्युक्तेर्दीपिकाममलाम् ॥

यह दीपिका दुर्गपदार्थ तक ही सीमित है, इसे दीपिकाकार ने प्रारम्भ में ही स्वीकार किया है श्रीआवश्यकसूत्रनिर्युक्तिविषयः प्रायो दुर्गपदार्थः कथामात्र निर्युक्त्युदाहृत च लिख्यते ।^२ मंगलाचरण के रूप में नन्दी सूत्र के प्रारम्भ की पचास गाथाएँ, जोकि दीपिकाकार के कथनानुसार देवर्दिगणि-प्रणीत हैं^३, उद्धृत करने के बाद 'आभिषिषोहियनाणं' इत्यादि गाथाओं का व्याख्यान प्रारम्भ किया है। दीपिका के अन्त की प्रशस्ति में बताया गया है कि प्रस्तुत ग्रन्थकार माणिक्यशेखरसूरि अचलगच्छीय महेन्द्रप्रभसूरि के शिष्य मेरुतुगसूरि के शिष्य हैं। आवश्यकनिर्युक्ति-दीपिका के अतिरिक्त निम्न टीकाएँ भी इन्हीं की कृतियाँ हैं। १ दशवैकालिकनिर्युक्ति-दीपिका, २ पिण्ड-निर्युक्ति-दीपिका, ३ ओघनिर्युक्ति-दीपिका, ४ उत्तराध्ययन-दीपिका, ५ आचार दीपिका। प्रशस्ति इस प्रकार है^४

ते श्रीअ च्छमण्डनमणिश्रीमन्महेन्द्रप्रभ-

श्रीसूरीश्वरपट्टपङ्कजसमुत्प्लासोल्लसद्मानवः ।

तर्कन्याकरणादिशास्त्रघटनाज्ञायमाणाश्विर,

श्रीपूज्यप्रभुमेरुतुङ्गगुरवो जीयासुरानन्ददाः ॥ १ ॥

१ विजयदानसूरीश्वर जैन

१, सुरत, सन् १९३९-१९४९

२ प्रथम विभाग, पृ० १

३ इह श्रीदेववाचक इत्यपरनामा देवर्दिगणिज्ञानपञ्चकरूपं नन्दिग्रन्थं वक्तुकामो मंगलायै ।—वही

४ तृतीय विभाग, पृ० ४६

बृहत्कल्पवृत्ति :

आचार्य मलयगिरिकृत बृहत्कल्प की अपूर्ण वृत्ति को पूरी करने का श्रेय आचार्य क्षेमकीर्ति को है। पीठिका-भाष्य की ६०६ गाथाओं से आगे के सम्पूर्ण भाष्य (लघुभाष्य) की वृत्ति^१ इन्हीं आचार्य की कृति है। शैली आदि की दृष्टि से यह वृत्ति मलयगिरिकृत टीका के ही समकक्ष है। प्रारम्भ में आचार्य ने सर्वज्ञ महावीर, कल्प (बृहत्कल्प) सूत्रकार भद्रबाहु, भाष्यकार सघदासगणि, चूर्णिकार मुनीन्द्र, वृत्तिकार मलयगिरि, शिवमार्गोपदेष्टा स्वगुरु तथा वरदा श्रुतदेवी को नमस्कार किया है एवं मलयगिरिप्रारब्ध कल्पशास्त्रटीका को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की है।^२ वृत्ति के अन्त में लग्नी प्रशस्ति है। इसके अनुसार आचार्य क्षेमकीर्ति के गुरु का नाम विजयचन्द्रसूरि था। विजयचन्द्रसूरि आचार्य जगन्चन्द्रसूरि के शिष्य थे। आचार्य क्षेमकीर्ति के दो गुरुभाई थे जिनका नाम वज्रसेन और पद्मचन्द्र था। प्रस्तुत वृत्ति की समाप्ति ज्येष्ठ शुक्ल दशमी वि० सं० १३३२ में हुई है। इस विशाल वृत्ति का ग्रन्थमान ४२६०० श्लोक-प्रमाण है।^३

ज्योत्स्नामञ्जुलया यया धवलितं विश्वम्भरामण्डल,
या निःशेषविशेषविज्ञजनताचेतश्चमत्कारिणी ।
तस्या श्रीविजयेन्दुसूरिसुगुरोर्निष्कृत्रिमाया गुण-
श्रेणेः स्याद् यदि वास्तवस्तवकृतौ विज्ञः स वाचापतिः ॥ १५ ॥

तत्पाणिपङ्कजरजःपरिपूतशीर्षाः,
शिष्यास्त्रयो दधति सम्प्रति गच्छभारम् ।
श्रीवज्रसेन इति सद्गुरुरादिमोऽत्र,
श्रीपद्मचन्द्रसुगुरुस्तु ततो द्वितीयः ॥ १६ ॥

तार्तीयिकस्तेषा, विनेयपरमाणुरनणुशास्त्रेऽस्मिन् ।
श्रीक्षेमकीर्तिसूरिर्विनिर्ममे विवृतिमल्पमतिः ॥ १७ ॥

श्रीविक्रमतः क्रामति, नयनाग्निगुणेन्दुपरिमिते (१३३२) वर्षे ।
ज्येष्ठश्वेतदशम्या, समर्थितैषा च हस्तार्के ॥ १८ ॥

१ जैन आत्मानन्द सभा, , सन् १९३३-१९४२.

२. का० १-८. ३ पृ० १७१२

वर्द्धमानजित्तो ज्ञीयाद्, भव्याना वृद्धिदोऽनिष्टम् ।
 बुद्धिवृद्धिकरोऽस्माकं, भूयात् त्रैलोक्यपावनः ॥ १ ॥
 श्रीआचाराङ्गसूत्रस्य, वृहद् वृत्तिः सविस्तरा ।
 दुर्विगाहाऽल्पबुद्धीना, क्रियते तेन दीपिका ॥ २ ॥

गच्छाचारवृत्तिः :

यह वृत्ति^१ तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमल^२गणि की कृति है। इसका रचना-काल वि० स० १६३४ एव प्रथमान ५८५० श्लोकप्रमाण है। वृत्ति विलुप्त है एव प्राकृत कथानकों से युक्त है। वानरर्षिकृत गच्छाचार-टीका का आधार यही वृत्ति है। प्रारम्भ में वृत्तिकार ने भगवान् महावीर तथा स्वगुरु को प्रणाम करके गच्छाचार-प्रकीर्णक की वृत्ति लिखने का स्वरूप किया है। अन्त में बहुत लंबी प्रशस्ति है जिसमें वृत्तिकार की गुरु-परम्परा आदि का उल्लेख है। वृत्तिकार ने अपने को आनन्दविमलसूरि का शिष्य बताया है।

शिष्यो भूरिगुणाना, युगोत्तमानन्दविमलसूरीणाम् ।

निर्मितवान् वृत्तिमिमासुपकारकृते विजयविमलः ॥ ७४ ॥

वृत्ति का रचना-काल बताते हुए कहा गया है

तेषा श्रीसुगुरुणा, प्रसादमासाद्य संश्रुतानन्दः ।

वेदाग्निरसेन्दु (१६३४) मिते, विक्रमभूपालतो वर्षे ॥ ७३ ॥

वृत्ति का प्रथमान निर्गोक्त है ।

प्रत्यक्षरं गणनया, वृत्तेर्मानं विनिश्चितम् ।

सहस्राः पञ्च साद्धानि, शतान्यष्टावनुष्टुभाम् ॥ ७७ ॥

तन्दुलवैचारिकवृत्तिः :

विजयविमलविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति^१ के आरम्भ में ऋषभ, महावीर, गौतम, सिद्धान्त और स्वगुरु को प्रणाम किया गया है :

ऋषभ वृषसंयुक्त, वीरं वैरनिवारकम् ।

गौतमं गुणसयुक्त, सिद्धान्तं सिद्धिदायकम् ॥ १ ॥

प्रणम्य स्वगुरु भक्त्या, वक्ष्ये व्याख्या गुरोः शुभाम् ।

तन्दुलाख्यप्रकीर्णस्य, वैराग्यरसवारिधेः ॥ २ ॥

१ दयाविमलजी जैन प्रथमाला, अहमदाबाद, सन् १९२४.

२ चतु शरण की अवचूरी (लेखक का नाम अज्ञात) सहित—वैवचन्द्र
 लालभाई जैन पुस्तकोदार, बम्बई, सन् १९२२

तच्छिष्य एष खलु सूरिरचीकरत् श्री-

माणिक्यशेखर इति प्रथिताभिधानः ।

चञ्चद्विचारचयचेतनचारुमेनां,

सद्दीपिका सुविहितप्रतिना हिताय ॥ २ ॥

मुनिनिचयवाच्यमाना तमोहरा दीपिका पिण्डनिर्युक्तेः ।

ओघनिर्युक्तिदीपिका दशवैकालिकस्याप्युत्तराध्ययनदीपिके ॥ ३ ॥

आचारदीपिकानावतत्त्वविचारण तथास्य ।

एककर्तृतया ग्रन्था अमी अस्याः सहोदराः ॥ ४ ॥

माणिक्यशेखरसूरि समवत. विक्रम की १५ वीं शती में विद्यमान थे । अचलगच्छीय मेरुगसूरि के शिष्य जयकीर्तिसूरि ने वि० स० १४८३ में एक चैत्य की देहरि की प्रतिष्ठा करवाई थी . सवत् १४८३ वर्षे प्रथम वैशाख शुद्ध १३ गुरौ श्रीअचलगच्छे श्रीमेरुगसूरीणा पट्टोदरेण श्रीजयकीर्ति-सूरीश्वर सुगुरूपदेशेन श्रीजिराउला पाश्र्वनाथस्य चैत्ये देहरि (३) कारापिता ।^१ प्रस्तुत दीपिका के प्रणेता माणिक्यशेखरसूरि भी अचलगच्छीय मेरुगसूरि के ही शिष्य हैं । ऐसी स्थिति में यदि जयकीर्तिसूरि और माणिक्य-शेखरसूरि गुरुभ्राता के रूप में माने जाए तो दीपिकाकार माणिक्यशेखरसूरि सहज ही विक्रम की १५ वीं शताब्दी के सिद्ध होते हैं । दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत ग्रंथ की वि० स० १५५० के पूर्व लिखी गई कोई प्रति भी उपलब्ध नहीं है^२ जिसके आधार पर उन्हें अधिक प्राचीन सिद्ध किया जा सके ।

आचारागदीपिका :

शीलाकाचार्यकृत आचारागविवरण के आधार पर विरचित प्रस्तुत दीपिका^३ चद्रगच्छीय महेश्वरसूरि के शिष्य अजितदेवसूरि की कृति है । इसका रचना-समय वि० स० १६२९ के आसपास है ।^४ टीका सरल, संक्षिप्त एवं सुशोध है । इसका उत्तरार्ध अभी तक प्रकाश में नहीं आया है । प्रारंभ में आचार्य ने वर्धमान जिनेश्वर का स्मरण किया है एवं आचाराग सूत्र की बृहद्दृष्टि (शीलाककृत) की दुर्विगाहता बताते हुए अल्प बुद्धिवालों के लिए प्रस्तुत दीपिका लिखने का उद्देश्य किया है

१ बही, प्रस्तावना २ बही

३ प्रथम श्रुतस्कन्ध—मणिविजयजीगणिवर ग्रंथमाला, लॉच, वि० स० २००५

४ प्रस्तावना, पृ० ४

वर्द्धमानजिनो जीयाद्, भव्याना वृद्धिदोऽनिशम् ।
 बुद्धिवृद्धिकरोऽस्माक, भूयात् त्रैलोक्यपावनः ॥ १ ॥
 श्रीआचाराङ्गसूत्रस्य, बृहद्बृत्तिः सविस्तरा ।
 दुर्विगाहाऽल्पबुद्धीना, क्रियते तेन दीपिका ॥ २ ॥

गच्छाचारवृत्ति :

यह वृत्ति^१ तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमलगणि की कृति है। इसका रचना-काल वि० स० १६३४ एव प्रथमान ५८५० श्लोकप्रमाण है। वृत्ति विस्तृत है एव प्राकृत कथानकों से युक्त है। वानरर्षिकृत गच्छाचार-टीका का आधार यही वृत्ति है। प्रारम्भ में वृत्तिकार ने भगवान् महावीर तथा स्वगुरु को प्रणाम करके गच्छाचार-प्रकीर्णक की वृत्ति लिखने का सकल्प किया है। अन्त में बहुत लंबी प्रशस्ति है जिसमें वृत्तिकार की गुण-परम्परा आदि का उल्लेख है। वृत्तिकार ने अपने को आनन्दविमलसूरि का शिष्य बताया है :

शिष्यो भूरिगुणाना, युगोत्तमानन्दविमलसूरीणाम् ।
 निर्मितवान् वृत्तिमिमासुपकारकृते विजयविमलः ॥ ७४ ॥

वृत्ति का रचना-काल बताते हुए कहा गया है

तेषा श्रीसुगुरुणां, प्रसादमासाद्य संश्रुतानन्दः ।
 वेदाग्निरसेन्दु (१६३४) मिते, विक्रमभूपालतो वर्षे ॥ ७३ ॥

वृत्ति का प्रथमान निम्नोक्त है •

प्रत्यक्षरं गणनया, वृत्तेर्मानं विनिश्चितम् ।
 सहस्राः पञ्च सार्द्धानि, शतान्यष्टावनुष्टुभाम् ॥ ७७ ॥

तन्दुलवैचारिकवृत्ति :

विजयविमलविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति^१ के आरम्भ में ऋषभ, महावीर, गौतम, सिद्धान्त और स्वगुरु को प्रणाम किया गया है •

ऋषभ वृषसंयुक्त, वीरं वैरनिवारकम् ।
 गौतमं गुणसंयुक्त, सिद्धान्त सिद्धिदायकम् ॥ १ ॥
 प्रणम्य स्वगुरु भक्त्या, वक्ष्ये व्याख्या गुरोः शुभाम् ।
 तन्दुलाख्यप्रकीर्णस्य, वैराग्यरसवारिधेः ॥ २ ॥

१ दयाविमलजी जैन ग्रथमाला, अहमदाबाद, सन् १९२४.

२ चतु शरण की अवचूरि (लेखक का नाम अज्ञात) सहित—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९२२

यह वृत्ति सक्षित एव शब्दार्थप्रधान होने के कारण अवचूरि भी वही जाती है। इसमें कहीं कहीं अन्य ग्रन्थों के उद्धरण भी दिये गये हैं। वृत्तिकार आनन्दविमलसूरि के शिष्य हैं। गुणसौभाग्यगणि से प्राप्त तन्दुलवैचारिक के ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तुत वृत्ति लिखी गई है १

इति श्रीहीरविजयसूरिसेवितचरणेन्दीवरे श्रीविजयदानसूरीश्वरे विजयमाने वैराग्यशिरोमणीना श्रीआनन्दविमलसूरीश्वराणा शिष्याणु शिष्येण विजयविमलाख्येन पण्डितश्रीगुणसौभाग्यगणिप्राप्ततन्दुलवैचारिक-ज्ञानांशेन श्रीतन्दुलवैचारिकस्येयमवचूरिः समर्थिता ।

गच्छाचारटीका :

इस टीका^१ के प्रणेता वानरर्षि तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्य हैं। टीका बहुत सक्षित है। इसकी रचना का मुख्य आधार हर्षकुल से प्राप्त हुआ गच्छाचार का ज्ञान है। प्रारम्भ में आचार्य ने तीर्थंकर पार्श्वनाथ को नमस्कार करके गच्छाचार की व्याख्या लिखने का सकल्प किया है।

श्रीपार्श्वजिनमानस्य, तीर्थाधीशं वरप्रदम् ।

गच्छाचारे गुरोर्ज्ञाता, वक्ष्ये व्याख्या यथाऽऽगमम् ॥

अन्त में टीकाकार ने अपना, अपने धर्मगुरु, विद्यागुरु आदि का नामोल्लेख इस प्रकार किया है २

इति श्रीविजयदानसूरिविजयमानराख्ये श्रीआनन्दविमलसूरीश्वराणा शिष्याणुशिष्येण वानराख्येन पण्डितश्रीहर्षकुलवाप्तगच्छाचाररहस्येन गच्छाचारप्रकीर्णकटीकेय समर्थिता ।

उत्तराध्ययनव्याख्या :

प्रस्तुत व्याख्या^३ तपागच्छीय मुनिविमलसूरि के शिष्य भावविजयगणि ने वि० स० १६८९ में लिखी है। इसका ग्रन्थमान १६२५५ श्लोकप्रमाण है। व्याख्या कथानकों से भरपूर है। इन कथानकों की विशेषता यह है कि ये अन्य

१ पृ० ५६

२ आगमोदय समिति, मेहसाना, सन् १९२३.

३ पृ० ४२.

४ (अ) जैन आत्मानन्द समा, भावनगर, वि० स० १९७४

(आ) विनयभक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थमाला, वेणप, सन् १९४० (सप्तदश अध्यायन)

टीकाओं के कथानकों की भाँति गद्यात्मक न होकर पद्यनिबद्ध हैं। प्रारम्भ में व्याख्याकार ने पार्श्वनाथ, वर्धमान और वाग्वादिनी को प्रणाम किया है। उत्तराध्ययन सूत्र की सुगम व्याख्या लिखने का स्वरूप करते हुए बताया है कि निर्युक्त्यर्थ, पाठान्तर, अर्थान्तर आदि के लिए शान्तिसूरिविरचित वृत्ति देखना चाहिए। यद्यपि इस सूत्र की पूर्वविरचित अनेक वृत्तियाँ विद्यमान हैं फिर भी मैं पद्यनिबद्ध कथार्थ के रूप में यह प्रयास करता हूँ :

ध्यानमः सिद्धिसाम्राज्यसौख्यसन्तानदायिने ।
 त्रैलोक्यपूजिताय श्रीपार्श्वनाथाय तायिने ॥ १ ॥
 श्रीवर्द्धमानजिनराजमनन्तकीर्ति,
 वाग्वादिनीं च सुधिया जननीं प्रणम्य ।
 श्रीउत्तराध्ययनसज्ञकवाङ्मयस्य,
 व्याख्या लिखामि सुगमा सकथा च क्वाञ्चित् ॥ २ ॥
 निर्युक्त्यर्थः पाठान्तराणि चार्थान्तराणि च प्रायः ।
 श्रीशान्तिसूरिविरचितवृत्तेर्ज्ञेयानि तत्त्वज्ञैः ॥ ३ ॥
 पूर्वैर्विहिता यद्यपि, बह्व्यः सन्त्यस्य वृत्तयो रुचिराः ।
 पद्यनिबद्धकथार्थं, तदपि क्रियते प्रयत्नोऽयम् ॥ ४ ॥

दशवैकालिकदीपिका :

प्रस्तुत दीपिका^१ खरतरगच्छीय सकलचन्द्रसूरि के शिष्य समयसुन्दरसूरि की शब्दार्थ वृत्तिरूप कृति है। दीपिका की भाषा सरल एवं शैली सुबोध है। प्रारम्भ में दीपिकाकार ने स्तम्भनाधीश (पार्श्वनाथ) को नमस्कार किया है तथा दशवैकालिक सूत्र का शब्दार्थ लिखने का संकल्प किया है :

स्तम्भनाधीशमानम्य गणिः समयसुन्दरः ।
 दशवैकालिके सूत्रे शब्दार्थं लिखति स्फुटम् ॥

दीपिका के अन्त में आचार्य ने हरिमद्रकृत टीका को विषम बताते हुए अपनी टीका को सुगम बताया है। यह टीका वि० स० १६९१ में स्तम्भतीर्थ (खमात) में पूर्ण हुई थी। इसका ग्रन्थमान ३४५० श्लोकप्रमाण है

१. (अ) भीमसी माणेक, बम्बई, सन् १९००

(आ) हीरालाल हसरज, जामनगर, सन् १९१५

(इ) जिनयशसूरि ग्रन्थमाला, खमात, वि० स० १९७५

हरिभद्रकृता टीका वर्तते विषमा परम् ।
 मया तु शीघ्रबोधाय शिष्यार्थं सुगमा कृता ॥ १ ॥
 चन्द्रकुले श्रीखरतरगच्छे जिनचन्द्रसूरिनामानः ।
 जाता युगप्रधानास्तच्छिष्यः सकलचन्द्रगणिः ॥ २ ॥
 तच्छिष्यसमयसुन्दरगणिना च तीर्थपुरे चक्रे ।
 दशवैकालिकटीका शशिनिधिभृङ्गारमित वर्षे ॥ ३ ॥

शब्दार्थवृत्तिटीकायाः श्लोकमानमिदं स्मृतम् ।
 सहस्रत्रयमग्रे च पुनः सार्धचतुःशतम् ॥ ७ ॥

प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्तिः

प्रस्तुत वृत्ति^१ तपागच्छीय ज्ञानविमलसूरि की कृति है। यह विस्तार में अभयदेवसूरिकृत वृत्ति से बड़ी है। जिन पदों का व्याख्यान अभयदेवसूरि ने सरल समझ कर छोड़ दिया था उनका भी प्रस्तुत वृत्ति में व्याख्यान किया गया है। वृत्तिकार ने अपने मन्तव्य की पुष्टि के लिए यत्र-तत्र अनेक प्रकार के उद्धरण भी दिये हैं। मूल ग्रन्थ को प्रत्येक प्रकार से सरल एवं सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत वृत्ति को सुखबोधिका कहना उचित ही है। प्रारम्भ में वृत्तिकार ने परमेश्वर पार्श्व, प्रभु महावीर, जैन प्रवचन तथा ज्ञानदाता गुरु को सादर प्रणाम किया है। नवागवृत्तिकार अभयदेवसूरिविरचित प्रश्नव्याकरण-वृत्ति की कृतज्ञता स्वीकार करते हुए मद मतिवालों के लिए इसी सूत्र का सुख बोधक विवरण प्रस्तुत करने का संकल्प किया है

रम्या नवाङ्गवृत्तिः, श्रीमदभयदेवसूरिणा रचिताः ।
 ता सद्भिर्वाच्यमानाः, सुदृशा तत्त्वप्रबोधकराः ॥ ७ ॥
 सम्प्रति भानुद्युतय इवासतेऽनल्पजल्पगम्भीराः ।
 परमवनिवेदमसगतपदार्थमाभाति दीपिकया ॥ ८ ॥
 मत्तो मन्दमतीना, स्वीयान्येषा परोपकाराय ।
 विवरणमेतत् सुगम, शब्दार्थं भवतु भव्यानाम् ॥ ९ ॥

‘प्रश्नव्याकरण’ अथवा ‘प्रश्नव्याकरणदशा’ का शब्दार्थ उताते हुए आचार्य कहते हैं कि जिसमें प्रश्न अर्थात् अगुष्ठादिप्रश्नविद्या का व्याकरण अर्थात् कथन-वर्णन किया गया हो वह प्रश्नव्याकरण है। कहीं कहीं इस सूत्र का नाम प्रश्नव्या-

करणदशा भी है। जिसमें इन विद्याओं का प्रतिपादन करने वाले दस अध्ययन हैं वह प्रश्नव्याकरणदशा है। इस प्रकार का ग्रंथ भूतकाल में था। इस समय इस ग्रंथ में आस्रव और सवर का ही वर्णन उपलब्ध है। पाँच अध्याय हिंसा, मृग, स्तेय, अन्नज्ञ और परिग्रहसम्बन्धी हैं और पाँच अध्याय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहसम्बन्धी हैं। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि पूर्वाचार्यों ने यह समझ कर कि प्रश्नादिविद्याएँ पाँच प्रकार के आस्रव का त्याग कर पाँच प्रकार के सवरूप समय में स्थित महापुरुषों को ही प्राप्त हो सकती हैं, वर्तमान युग की दृष्टि से इसमें समय के स्वरूप का विशिष्ट प्रतिपादन किया।

अथ प्रश्नव्याकरणाख्यं दशमाङ्गं व्याख्यायते। प्रश्नाः—अद्भुतादि-प्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियन्ते-अभिधीयन्ते अस्मिन्निति प्रश्नव्याकरणं, कर्तृर्ये-नटि सिद्धम्। क्वचित् प्रश्नव्याकरणदशा इति नाम दृश्यते, तत्र प्रश्नानां-विद्याविशेषाणां यानि व्याकरणानि तेषां प्रतिपादनपरा दशाध्ययनप्रति-बद्धा ग्रन्थपद्धतय इति एतादृश अङ्गं पूर्वकालेऽभूत्। इदानीं तु आश्रव-सवरपञ्चक व्याकृतिरेव लभ्यते। पूर्वाचार्यैरेदयुगीनपुरुषाणां तथाविधही-नहीनतरपाण्डित्यबलबुद्धिर्वीर्यापेक्षया पुष्टालम्बनमुद्दिश्य प्रश्नादिविद्या-स्थाने पञ्चाश्रवसवररूप समुत्तारित, विशिष्टसयमवता क्षयो वशात् प्रश्नादिविद्यासम्भवात्।^१

अमयदेवसूरि ने भी इस प्रश्न का समाधान लगभग इसी प्रकार किया है।^१

वृत्ति के अन्त में प्रशस्ति है जिसमें वृत्तिकार की गुरु-परम्परा की लंबी सूची है जो आनन्दविमलसूरि से प्रारंभ होती है। प्रशस्ति में यह भी बताया गया है कि वृत्तिकार ज्ञानविमलसूरि का दूसरा नाम नयविमलगणि भी है। ये तपागच्छीय धीरविमलगणि के शिष्य हैं। वृत्ति-लेखन में कवि सुलठागर ने पूरी सहायता दी है तथा तरणिपुर में ग्रन्थ की प्रथम प्रति इन्हीं ने लिखी है। वृत्ति का ग्रन्थमान ७५०० श्लोक-प्रमाण है। यह वृत्ति वि० सं० १७९३ के कुछ ही वर्ष पूर्व (सम्-वत् वि० सं० १७७३ के आसपास)^२ लिखी गई है।

१ पृ० २ (२)

२ देखिए—अमयदेवसूरिकृत प्रश्नव्याकरण-वृत्ति, पृ० १

३. द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना, पृ० ५

उत्तराध्ययनदीपिका :

यह टीका^१ खरतरगच्छीय लक्ष्मीकीर्तिगणि के शिष्य लक्ष्मीवल्लभगणि की बनाई हुई है। टीका सरल एवं सुबोध है। इसमें उत्तराध्ययन सूत्र के प्रत्येक पद की शका-समाधानपूर्वक व्याख्या की गई है। प्रारंभ में टीकाकार ने पंच परमेष्ठी का मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया है। तदनन्तर भगवान् महावीर एवं पार्वनाथ को भक्तिसहित वंदन किया है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि यद्यपि उत्तराध्ययन सूत्र की अनेक वृत्तियाँ—टीकाएँ विद्यमान हैं तथापि मैं मदाधिकारियों के हृदय सदनों में बोध का प्रकाश करने वाली इस दीपिका की रचना करता हूँ। इसके बाद अपने नाम (लक्ष्मीवल्लभ) का उल्लेख करते हुए (लक्ष्म्युपपदस्तु वल्लभ.) चौदह सौ बावन गणधरों का स्मरण करके आचार्य ने सूत्र का व्याख्यान प्रारंभ किया है। व्याख्यान को विशेष स्पष्ट करने के लिए प्रसंगवश कथानकों का भी उपयोग किया है। इस प्रकार के कथानकों की संख्या काफी बड़ी है। सभी कथानक संस्कृत में हैं। इस टीका में उद्धरण नहीं के बराबर हैं।

भगवती-विशेषपदव्याख्या :

दानशेखरसूरि द्वारा संकलित प्रस्तुत वृत्ति^१ का नाम विशेषपदव्याख्या, लघुवृत्ति अथवा विशेषवृत्ति है। इसमें वृत्तिकार ने प्राचीन भगवतीवृत्ति के आधार पर भगवती सूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति) के कठिन पदों का व्याख्यान किया है। व्याख्यान केवल शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है अपितु उसमें सम्बद्ध विषय का विस्तृत विवेचन भी है। वृत्ति के प्रारंभ में आचार्य ने श्री वीर को नमस्कार किया है तथा भगवती के दुर्गपदों की व्याख्या उद्धृत करने की इच्छा प्रकट की है^२

श्रीवीरं नमस्यित्वा तत्त्वावगमाय सर्वसत्त्वानाम्।

व्याख्या दुर्गपदानामुद्घ्रियते भगवतीवृत्तेः ॥ १ ॥

अन्त में निम्नलिखित श्लोक हैं^३

१ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, वि० सं० १९३६

(आ) गुजराती भनुवादसहित—हीरालाल हंसराज, जामनगर, सन् १९३४-८ (अपूर्ण)

२. ऋषभदेवजी केशरीमल्लजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९३५.

३. पृ० २९८ (२)

भद्रं भवतु सहाय, श्रीमच्छ्रीजिनशासने ।
 साक्षात् भगवतीव्याख्यादेवतासुप्रसादतः ॥ १ ॥
 अज्ञेन मया गदित समयविरुद्धं यदङ्गटीकायाम् ।
 सद्यः प्रसद्य शोध्यं गुरुवद्गुरुधीधनैर्गुरुभिः ॥ २ ॥

व्याख्याकार दानशेखरसूरि जिनमाणिक्यगणि के शिष्य अनन्तहसगणि के शिष्य हैं । प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छनायक लक्ष्मीसागरसूरि के शिष्य सुमति-साधुसूरि के शिष्य हेमविमलसूरि के समय में सकलित की गई है । जैसा कि पचीसवें शतक के विवरण के अंत में एक उल्लेख है . इति श्रीतपागच्छनायक-श्रीलक्ष्मीसागरसूरिशिष्यश्रीसुमतिसाधुसूरिशिष्यश्रीहेमविमलसूरिविजय-राज्ये शतार्थिश्रीजिनमाणिक्यगणिशिष्यश्रीअनन्तहंसगणिशिष्यश्रीदान-शेखरगणिसमुद्धृतभगवतीलघुवृत्तौ पञ्चविंशतितमशतकविवरणं सम्पूर्णम् ।
 कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका :

दशाश्रुतस्कन्ध के अष्टम अध्ययन कल्पसूत्र की प्रस्तुत वृत्ति^१ विजयसेनसूरि के शिष्य सद्यविजयगणि ने वि० स० १६७४ में लिखी । उस समय विजयदेवसूरि का धर्मशासन प्रवर्तमान था । वि० स० १६८१ में कल्याणविजयसूरि के शिष्य धनविजयगणि ने इसका सशोधन किया । वृत्ति का ग्रन्थमान ३२५० श्लोकप्रमाण है । प्रशस्ति में ग्रन्थरचना के काल, ग्रथकार के नाम, सशोधक के नाम, सशोधन के काल, ग्रन्थमान आदि का उल्लेख इस प्रकार है :

वेदाद्विरसशीताशुमिताब्दे वि । क्ततः ।
 श्रीमद्विजयसेनाव्याख्यसूरिपादाब्जसेविना ॥ १ ॥
 प्राज्ञश्रीसङ्घविजयगणिना या विनिर्मिता ।
 विदुधैर्वाच्यमानाऽस्तु सा श्रीकल्पप्रदीपिका ॥ २ ॥

अमृतोपमानवचसा, शारदसम्पूर्णसौमसमयशसः ।
 तस्य प्रवरे राज्ये, वसुधाऽष्टरसेन्दुमितवर्षे ॥ ७ ॥
 श्रीमत्कल्याणविजयवाचककोटीतटीकिरीटानाम् ।
 शिष्यैः श्रीधनविजयैः वाचकचूडामणिमुख्यैः ॥ ८ ॥
 कल्पप्रदीपिकायाः प्रतिरेषा शोधिता ।
 ॥ ९ ॥

१. मुक्तिविमल जैन ग्रथमाला, अहमदाबाद, सन् १९३५
 २. सूरिश्रीविजयदेवमुनिराज सम्प्रति जयति—श्लोक ६.

प्रत्यक्षरगणनया भवति कल्पप्रदीपिकाग्रन्थे ।
श्लोकाना द्वात्रिंशत् शतानि पञ्चाशदधिकानि ॥ १० ॥

कल्पसूत्र-सुबोधिका :

यह वृत्ति^१ रामविजय के शिष्य श्रीविजय के अनुरोध पर तपागच्छीय कीर्ति-विजयगणि के शिष्य विनयविजय उपाध्याय ने वि० स० १६९६ में लिखी है तथा भावविजय ने सशोधित की है। इसमें कहीं-कहीं किरणावली (धर्मसागर-गणिकृत टीका) एवं दीपिका (जयविजयगणिकृत टीका) का खण्डन किया गया है। टीका सरल एवं सुबोध है, जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है। इसका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है

प्रणम्य परमश्रेयस्कर श्रीजगदीश्वरम् ।
कल्पे सुखबोधिका कुर्वे, वृत्तिं बालोपकारिणीम् ॥ १ ॥
यद्यपि बह्व्यष्टीकाः कल्पे सन्त्येव निपुणगणगम्याः ।
तदपि ममाय यत्नः फलेग्रहिः स्वल्पमतिबोधात् ॥ २ ॥
यद्यपि भानुद्युतयः सर्वेषा वस्तुबोधिका बह्व्यः ।
तदपि महीगृहगाना प्रदीपिकैवोपकुरुते द्राक् ॥ ३ ॥
नास्यामर्थविशेषो न युक्तयो नापि पद्यपाण्डित्यम् ।
केवलमर्थव्याख्या वितन्यते बालबोधाय ॥ ४ ॥
हास्यो न स्या सद्भिः कुर्वन्नेतामतीक्ष्णबुद्धिरपि ।
यदुपदिशन्ति त एव हि शुभे यथाशक्ति यतनीयम् ॥ ५ ॥

प्रशस्ति के कुछ श्लोक ये हैं .

तस्य स्फुरदुरुकीर्त्तैर्वाचकवरकीर्तिविजयपूव्यस्य ।
विनयविजयो विनेयः सुबोधिका व्यरचयत् कल्पे ॥ १२ ॥
समशोधयस्तथैना पण्डितसविग्नसहृदयावतसाः ।
श्रीविमलहर्षवाचकवंशे मुक्तामणिसमानाः ॥ १३ ॥
धिषणानिर्जितधिषणाः सर्वत्र प्रसृतकीर्तिकर्पूराः ।
श्रीभावविजयवाचककोटीराः शास्त्रवसुनिकपाः ॥ १४ ॥

१. (अ) जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० स० १९७५

(आ) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९११, १९२३.

(इ) प० हीरालाल हंसराज, जामनगर, सन् १९३९.

रसनिधिरसशशिवर्षे व्येष्टे मासे समुज्ज्वले पक्षे ।
गुरुपुष्ये यत्नोऽयं सफलो जज्ञे द्वितीयायाम् ॥ १५ ॥
श्रीरामविजयपण्डितशिष्यश्रीविजयविबुधमुख्यानाम् ।
अभ्यर्थनापि हेतुर्विज्ञेयोऽस्याः कृतौ विवृतेः ॥ १६ ॥

टीका का अथमान ५४०० श्लोकप्रमाण है ।^१

प्रत्यक्षर गणनया, ग्रन्थमानं : स्मृताः ।
चतुष्पञ्चाशदेतस्या, वृत्तौ सूत्रसमन्वितम् ॥

कल्पसूत्र-कल्पलता :

प्रस्तुत व्याख्या खरतरगच्छीय जिनेन्द्रसूरि के शिष्य संकलचन्द्रगणि के शिष्य समयसुन्दरगणि-विरचित है। इसका रचना-काल खरतरगच्छीय जिनराजसूरि का शासन समय है। इनकी मृत्यु वि. स. १६९९ में हुई थी।^१ अतः इस व्याख्या का रचना-काल वि. स. १६९९ के अ है। इसका सशोधन हर्षनन्दन ने किया है। प्रारम्भ में व्याख्याकार ने पचपरमेष्ठी, दीक्षागुरु तथा ज्ञानगुरु को नमस्कार किया है और खरतरगच्छ की मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए कल्पसूत्र (पर्युषणकल्प) का व्याख्यान करने का संकल्प किया है। अन्त की प्रशस्ति में वृत्तिकार की गुरु परम्परा की नामावली के साथ प्रस्तुत वृत्ति के सशोधक, वृत्ति प्रारम्भ एवं पूर्ण करने के स्थान, धर्म-शासक एवं धर्म-युवराज का नामोल्लेख किया गया है। वृत्ति का अथमान ७७०० श्लोकप्रमाण है।

कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी :

यह वृत्ति तपागच्छीय धर्मसागरगणि के प्रशिष्य एवं श्रुतसागरगणि के शिष्य शान्तिसागरगणि ने वि. स. १७०७ में लिखी है। इस शब्दार्थप्रधान वृत्ति का अथमान ३७०७ श्लोकप्रमाण है। प्रारम्भ में वृत्तिकार ने वर्धमान जिनेश्वर को नमस्कार किया है तथा सक्षित एवं मृदु शिष्यों के लिए प्रस्तुत वृत्ति की रचना का संकल्प किया है। अन्त में वृत्ति रचना के समय, स्थान, वृत्तिप्रमाण आदि का निर्देश किया है :

१ जामनगर-संस्करण, पृ० १९५

२ कालिकाचार्यकथासहित—जिनदत्तसूरि प्राचीनपुस्तकोद्धार, सूरत, सन् १९३९.

३ Introduction (H D Velankar), पृ. १०.

४. ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्या, रतलाम, सन् १९३६.

श्रीमद्विक्रमराजान् मुनिगगनमुनीन्दुभिः प्रमितवर्षे ।
 विजयदविजयदशम्यां श्रीपत्तनपत्तने विद्वन्धेयम् ॥ ५ ॥
 श्लोकाना सङ्ख्यान सप्तत्रिंशच्छतैश्च सप्ताग्रैः ।
 वृत्तावस्या जात प्रत्यक्षरगणनया श्रेयः ॥ ६ ॥

प्रशस्ति में तपागच्छ प्रवर्तक जगच्चन्द्रसूरि^१ से लगा कर वृत्तिकार शान्ति-
 सागर तक की परम्परा के गुरु-शिष्यों की गणना की गई है ।

कल्पसूत्र-टिप्पणक :

इस टिप्पणक^२ के प्रणेता आचार्य पृथ्वीचन्द्र हैं । टिप्पणक के प्रारम्भ में निम्न
 श्लोक हैं .

प्रणम्य वीरमाश्चर्यसेवधि विधिदर्शकम् ।
 श्रीपर्युषणाकल्पस्य, व्याख्या काचिद् विधीयते ॥ १ ॥
 ज्ञस्य सद्वृत्तेरस्य चोद्धृत्य चूर्णितः ।
 किञ्चित् कस्मादपि स्थानात्, परिज्ञानार्थमात्मनः ॥ २ ॥

टिप्पणक के अन्त में आचार्य का परिचय इस प्रकार है :

चन्द्रकुलाम्बरशशिनश्चारित्रश्रीसहस्रपत्रस्य ।
 श्रीशीलभद्रसूरेर्गुणरत्नमहोदधेः शिष्यः ॥ १ ॥
 अभवद् वादिमदहरषट्कर्माभोजबोधनदिनेशः ।
 श्रीधर्मघोषसूरिर्बोधितशाकम्भरीनृपतिः ॥ २ ॥
 चारित्राम्बोधिशशी त्रिवर्गपरिहारजनितबुधहर्षः ।
 दर्शितविधिः शमनिधिः सिद्धान्तमहोदधिप्रवरः ॥ ३ ॥
 बभूव श्रीयशोभद्रसूरिस्तच्छिष्यशेखरः ।
 तत्पादपद्ममधुपोऽभूच्छ्री देवसेनगणिः ॥ ४ ॥
 टिप्पणक पर्युषणाकल्पस्याल्लिखदवेक्ष्य शास्त्राणि ।
 तच्चरणकमलमधुपः श्रीपृथ्वीचन्द्रसूरिरिदम् ॥ ५ ॥
 इह यद्यपि न स्वधिया विहित किञ्चित् तथापि बुधवर्गैः ।
 सशोधयमधिकमून यद् भगित स्वपरबोधाय ॥ ६ ॥

१ तपगणविधु श्रीजगच्चन्द्रसूरि — श्लो १

२ मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित कल्पसूत्र में मुद्रित साराभाई
 मणिलाल नवाब, अहमदाबाद, सन् १९५२

पृथ्वीचन्द्रसूरि देवसेनगणि के शिष्य हैं। देवसेनगणि के गुरु का नाम यशोभद्रसूरि है। यशोभद्रसूरि राजा शाकम्भरी को प्रतिबोध देनेवाले आचार्य धर्मघोषसूरि के शिष्य हैं। धर्मघोषसूरि के गुरु चन्द्रकुलावतस आचार्य शीलमद्रसूरि के नाम से प्रसिद्ध हैं।

उपर्युक्त टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित आगमिक वृत्तियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं आचाराग की जिनहस व पावर्वचन्द्रकृत वृत्तियाँ,^१ सूत्रकृताग की हर्षकुलकृत दीपिका,^२ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति की शान्तिचन्द्रकृत टीका,^३ कल्पसूत्र की धर्मसागर, लक्ष्मीवल्लभ एव जिनप्रभकृत वृत्तियाँ,^४ बृहत्कल्प की अज्ञात वृत्ति,^५ उत्तराध्ययन की कमलसयम व जयकीर्तिकृत टीकाएँ^६, आवश्यक (प्रतिक्रमण) की नमिसाधुकृत वृत्ति।^७

बीसवीं शती में भी मुनि श्री घासीलालजी, श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरि आदि जैन आचार्यों ने आगमिक टीकाएँ लिखी हैं। मुनि घासीलालकृत उपासकदशार्ग आदि की टीकाएँ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये टीकाएँ शब्दार्थ-प्रधान हैं। विजयराजेन्द्रसूरिकृत कल्पसूत्रार्थप्रबोधिनी^८ कल्पसूत्र की एक स्पष्ट व्याख्या है।

१ रायवहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, वि. स १९३६.

२ भीमसी माणिक, बम्बई, वि. सं. १९३६.

३ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९२०.

४ (अ) धर्मसागरकृत किरणावली—जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि स १९७८.

(आ) लक्ष्मीवल्लभकृत कल्पद्रुमकलिका—जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि. स १९७५, वेलजी शिवजी, माडवी, बम्बई, सन् १९१८

(इ) जिनप्रभकृत सन्देहविषौषधि—हीरालाल हसरान, जामनगर, सन् १९१३

५ सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल, जोधपुर

६ (अ) कमलसयमकृत वृत्ति—यशोविजय जैन ग्रथमाला, भावनगर, सन् १९२७

(आ) जयकीर्तिकृत गुजराती टीका—हीरालाल हसरान, जामनगर, सन् १९०९

७ विजयदान सूरिभर ग्रथमाला, सूरत, सन् १९३६

८ संस्कृत-हिन्दी-गुजराती टीकासहित—श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ, कराची, सन् १९३६

९ राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला (फालना), सन् १९३३



पंचदश प्रकरण

लो भ ओं में विरचित व्याख्याएँ

आगमों की संस्कृत टीकाओं की बहुलता होते हुए भी बाद के आचार्यों ने जनहित की दृष्टि से यह आवश्यक समझा कि लोकभाषाओं में भी सरल एवं सुबोध आगमिक व्याख्याएँ लिखी जाएँ। इन व्याख्याओं का प्रयोजन किसी विषय की गहनता में न उतर कर साधारण पाठकों को केवल मूल सूत्रों के अर्थ का बोध कराना था। इसके लिए यह आवश्यक था कि इस प्रकार की व्याख्याएँ साहित्यिक भाषा अर्थात् संस्कृत में न लिखकर लोकभाषाओं में लिखी जाएँ। परिणामतः तत्कालीन अपभ्रंश अर्थात् प्राचीन गुजराती भाषा में बालावबोधों की रचना हुई। इस प्रकार की शब्दार्थात्मक टीकाओं से राजस्थानी और गुजराती आगमप्रेमियों को विशेष लाभ हुआ। ऐसे बालावबोधों की रचना करनेवालों में विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में होनेवाले लोकागच्छीय (स्थानकवासी) टबाकार मुनि धर्मसिंह का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), जीवाभिगम, प्रज्ञापना, चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति को छोड़ स्थानकवासीसमत शेष २७ आगमों के द्वे (बालावबोध) लिखे हैं।^१ कहीं-कहीं सूत्रों का प्राचीन टीकाओं के अभिप्रेत अर्थ को छोड़कर स्वसम्प्रदायसमत अर्थ किया है जो स्वाभाविक है। साधुत्नसूरि के शिष्य पादर्वचन्द्रगणि (वि स १५७२) विरचित आचारांग, सूत्रकृतांग आदि के बालावबोध भी उल्लेखनीय हैं। ये भी गुजराती में हैं।

टबाकार मुनि धर्मसिंह :

प्रसिद्ध टबाकार मुनि धर्मसिंह^१ काठियावाडस्थित जामनगर में रहनेवाले दशार्थीमाली वैश्य जिनदास के पुत्र थे। धर्मसिंह का जन्म माता शिवा के गर्भ से हुआ था। जिस समय धर्मसिंह की आयु १५ वर्ष की थी उस समय वहाँ के लोकागच्छीय उपाभय में लोकागच्छाधिपति आचार्य रत्नसिंह के शिष्य देवजी

१ ऐतिहासिक नोंध (वा. मो शाह), पृ १२३ (हिन्दी संस्करण)

२ ऐतिहासिक नोंध के आधार पर, पृ० १०५-१२६

मुनि का पदार्पण हुआ। उनके व्याख्यान सुननेवालों में धर्मसिंह भी था। उस पर उनके उपदेश का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। कुछ समय तक तो उसके माता-पिता ने उसे दीक्षा अगीकार करने की अनुमति न दी किन्तु अन्ततोगत्वा उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। इतना ही नहीं अपितु पुत्र के साथ पिता ने भी दीक्षा ग्रहण की। उनकी यह दीक्षा यतिवर्ग (शिथिलाचारी त्यागी) की दीक्षा थी, न कि मुनिवर्ग (शुद्ध आचार वाले साधु) की। यति धर्मसिंह को धीरे-धीरे शास्त्रों का अच्छा अभ्यास हो गया। उनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे दोनों हाथों से ही नहीं, दोनों पैरों से भी लेखनी पकड़कर लिख सकते थे। ज्यों-ज्यों धर्मसिंह का शास्त्रज्ञान बढ़ता गया त्यों-त्यों उन्हें प्रतीत होने लगा कि हमारा आचार शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। हमें यह भीख मागने वालों का वेष त्याग कर शुद्ध मुनिव्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने अपना यह विचार अपने गुरु शिवजी के सामने रखते हुए बड़ी नम्रता से कहा —

“कृपालु गुरुदेव! भगवान् महावीर ने, भगवती सूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति) के बीसवें शतक में स्पष्टरूप से फरमाया है कि २१००० वर्ष तक यह मुनिमार्ग चलता रहेगा। ऐसा होते हुए भी हम लोग पचम काल (वर्तमान काल) का बहाना कर मुनिमार्ग के अनुकूल आचार का पालन करने में शिथिलता का परिचय दे रहे हैं। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मनुष्यभव अमूल्य चिन्तामणि है। हमें कार्यों का मार्ग छोड़कर सूरों का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। आप जैसे समर्थ और विद्वान् पुरुष भी यदि पामर प्राणियों की भाँति साहसहीन हो जाएँ तो अन्य लोगों का तो कहना ही क्या? आप सर्व प्रकार के आलस्य का त्याग कर सिंह की भाँति अपने अतुल पराक्रम का परिचय दीजिए। आप स्वयं सच्चे मुनिमार्ग पर चलिए एव औरों को चलाइए। ऐसा करने से ही जिन शासन की शोभा एव स्वात्मा का कल्याण है। सिंह कायर नहीं होता, सूर्य में अधकार नहीं रहता, दाता कृपण नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि में कभी शीतलता नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानी में कभी राग नहीं होता। आप मुनिमार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं भी आपके पीछे पीछे उसी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। ससार को छोड़ने के बाद फिर मोह कैसा?”

धर्मसिंह का यह कथन सुनकर शिवजी सोचने लगे कि धर्मसिंह का कहना अक्षरशः सत्य है किन्तु मैं वैसा आचरण करने में असमर्थ हूँ। दूसरी ओर वैसा

कर विचरने की अनुमति प्रदान की। धर्मसिंह अपनी विचारधारा के अन्य यतियों को साथ में लेकर दरियापुर दरवाजे के बाहर ईशानकोण के उद्यान में पहुँचे तथा नवसयम ग्रहण किया। यह घटना वि० स० १६८५ की है।^१ धर्मसिंह का धर्मोपदेश प्रायः दरियापुर दरवाजे में ही हुआ करता था अतः उनका सम्प्रदाय भी 'दरियापुरी सम्प्रदाय' के रूप में ही प्रसिद्ध हुआ।

मुनि धर्मसिंह गुजरात और काठियावाड़ में ही विचरा करते थे। गठिया से पीड़ित होने के कारण उनके लिए दूर-दूर का विहार अति कठिन था। ४३ वर्ष तक नई दीक्षा का पालन करने के बाद वि० स० १७२८ की आश्विन शुक्ल चतुर्थी के दिन उनका स्वर्गवास हुआ।

मुनि धर्मसिंह ने २७ सूत्रों के ढबों के अतिरिक्त निम्नलिखित गुजराती ग्रंथों की रचना की है। १ समवायाग की हुडी, २ भगवती का यत्र, ३. प्रज्ञापना का यत्र, ४ स्थानाग का यत्र, ५ जीवाभिगम का यत्र, ६ जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्ति का यत्र, ७ चन्द्रप्रज्ञप्ति का यत्र, ८ सूर्यप्रज्ञप्ति का यत्र, ९ राज-प्रदनीय का यत्र, १० व्यवहार की हुडी, ११ सूत्रसमाधि की हुडी, १२ द्रौपदी की चर्चा, १३ सामायिक की चर्चा, १४ साधु सामाचारी, १५ चन्द्रप्रज्ञप्ति की टीप। इनके अतिरिक्त उनके लिखे हुए और भी कुछ ग्रन्थ हैं। अभी तक इन ग्रन्थों का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

हिन्दी टीकाएँ :

हिन्दी टीकाओं में मुनि हस्तिमलकृत दशवैकालिक सौभाग्यचन्द्रिका,^२ नन्दीसूत्र भाषाटीका,^३ उपाध्याय आत्मारामकृत दशाश्रुतस्मृति गणपतिगुण-प्रकाशिका,^४ उत्तराध्ययन-आत्मज्ञानप्रकाशिका,^५ दशवैकालिक आत्मज्ञान-

१ सवत सोल पचासिए, जर्मदावाद महार ।
शिवजी गुरु को छोड के, धर्मसि हुआ गच्छवहार ॥

—एक प्राचीन कविता

२ रायबहादुर मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा, सन् १९४०

३ रायबहादुर मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा, सन् १९४२

४ जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९३६.

५ जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९३९-१९४२ ।

प्रकाशिका,^१ उपाध्याय अमरमुनिकृत आवश्यक-विवेचन (भ्रमण-सूत्र)^२ आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी, गुजराती, अग्रेजी आदि भाषाओं में अनेक आगमों के अनुवाद एव सार भी प्रकाशित हुए हैं।



-
१. (अ) ज्वालाप्रसाद माणकचन्द जौहरी, महेन्द्रगढ़ (पटियाला), वि० स० १९८९.
 - (आ) जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९३६.
 २. ^ ज्ञानपीठ, लोहामण्डी, आगरा, वि० स० २००७.

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अक्रियावादी	१२, ५७, ११९	अजितचन्द्रसूरि	३९, ३५३, ४९३
अक्ष	१४०, २०४	अजितदेवसूरि	३९, ५४, ३५३, ४५२,
अक्षर	७३, १४२, १४४, १९९		४५३, ४५६
अक्षरार्थ	३५४	अजितसिहाचार्य	४५
अक्षाटक	२१, २१६	अजीव	१८, १९३
अक्षीण	१४९	अज्ञानवाद	३१२
अगम	९८	अज्ञानवादी	१२, ११९
अगमिक	७३	अज्ञानी	३०
अगव	११, १०२, ३३०	अष्ट	३७, ६०, ३३७
अगर्हित	८६	अष्टालक	३७, ६०, ३३७, ४१४
अगस्त्यसिंह	३१, ३२, ३३, ३५, २९१, २९३, ३१५, ३१७	अणहिलपाटक	४६, ५२, ४०२, ४०५ ४०८, ४१४, ४४८
अगारघर्म	१०२, २००	अणुक	१०, १०२
अगारस्थित	२४९	अणुघर्म	२००
अगारी	२२५	अणुव्रत	१०२
अगीतार्थ	११०	अतर	१२२
अग्नि	२१, ११३, ११४, १७३	अतसी	१०, २८, १०२, २५८, ३३०
अग्निभूति	१६, ८०, १५७, १६३	अतिक्रम	२६, २५४
अग्र	११, ११७, ३२२	अतिचार	२६, ७७, २५४
अग्रबीज	१४४	अतिपरिणामी	२१०
अग्रभुतस्कंध	११७	अतिशय	२६५, २६६
अचक्रप्राता	१६, ८०, १५७, १८०	अदत्तादान	३२४
अचेलक	२५०	अदर्शी	३०
अच्छदक	३४, ३००	अदुष्ट	२९
अच्छापुत्री	३१, २८०	अद्रोचक	२४०
अज	११, ३३१	अद्भुत	२९६
अजातअसमाप्तकल्प	२९	अघर्म	९९
अजातसमाप्तकल्प	२९	अधिकरण	१२, २४, २५, ७६
अजाति	१२२		२३१, २८७
अजातिस्थान	१२२	अधिकरणवैविध्य	५७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अधिवास	२७७	अनादेश	१०६
अधिष्ठातृत्व	१६	अनिद्य	८६
अध्ययन	९, ११, ४१, ४६, ६४, १०५, ११९, १४९, ३०३	अनिमित्त	३६
अध्ययनकल्प	३१	अनियतवास	२१, १३९
अध्ययनषट्क	१४८	अनिवेदन	२१०
अध्यवपूरक	२०९	अनिशीथ	३९२
अध्यापक परम्परा	६४	अनिश्रित	१४३
अध्व	२३, २३४	अनिसृष्ट	२०९
अध्वगमन	२६, २३४	अनिह्वन	२०९
अध्वातीत	२०८	अनुकंपा	२९, २६४, ३००
अध्वातीतकरण	२१०	अनुकल्प	३१, २८१
अनगप्रविष्ट	१४५	अनुक्रम	३६६
अनत	२९६	अनुगम	१५, ६८, १४८, १४९
अनतरसिद्धकेवल	४१९	अनुज्ञापना	८९
अनतहसगणि	५५, ४६३	अनुत्तरदेव	२०
अनक्षर	७३, १४२	अनुत्तरौपपातिक	४५, ४११
अनगार	१००, १०३	अनुत्तरौपपातिकदशावृत्ति	४७, ४१०
अनगार-गुण	३०३	अनुद्गत	२०८
अनगारधर्म	१०२	अनुद्घातिक	२४, २४४
अननुयोग	७५	अनुपरिपाटी	३६६
अनभिप्रेत	१०६	अनुप्रवाद	१९२
अनया	३३०	अनुमत	१६, १८, ७६, ८२, १९६
अनवद्य	८६, २००	अनुमान	१०, १७, १५८
अनवध्या	१९०	अनुयान	२२, २२०
अनवस्थाप्य	२०, २४, २०७, २११ २४५, २६०, २७०, ४३१	अनुयोग	१५, १७, २०, ३०, ७५, ८२, १२३, १४७, १५४, १८८, २१४, २७२, २९६, ३००
अनद्यन	४४, ९९	अनुयोगद्वार	८, ३१, ३२, ३९, ४०, ५१, ६३, ६८, २८९, २९१, २९७, ३५९, ४२५, ४४१
अनाचार	२६, २५४		
अनाज्ञाति	१२२		
अनादिक	७३		

अनुक्रमणि

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
	अ	अंतरद्वीपज	११२
अकोटक	१३१	अतरापण	२०, २२६
अग ९, ११, १७, ३०, ३६, ४४, ६५, १०७, १०८, १११, १८८, २८०, ३२६		अतराय	१५२
अगप्रविष्ट ७३, १४४, १४५, १४६, १९९, ४१९		अतर्निवसनी	२४०
अगब्राह्म	७३, १४६, ४१९	अतेवाची	४५
अगार	११४, २०९	अथ	३४८
अगुल	३६	अथकार	१८३
अगुलपद	३२, ३९	अध	३८, २६८
अगुली	३६	अब	११९
अगूठी	७९	अबरीष	११९
अगोपाग	३६, १०८, ३२६	अबष्ट	१२, २३, १११, २३६
अचल्गच्छ	५३, ४५५	अबसालवण	४३५
अबनक	४१४	अबिकादेवी	४१६
अडक	२६९, ४०६	अश	९
अडा	२९	अशिका	२०, १२४, २१६, २३७
अत पुर	३७, ५९, ३३७	अकपित	१६, ८०, १५७, १८०
अत	८५	अकर्मभूमिज	११२
अतकृत	४१०	अकलक	५०, ४३८
अतकृद्दशा	४५	अकल्प	३१, २८१, ३६९
अतकृद्दशावृत्ति	४७, ४१०	अकल्पता	२५
अतर	३१	अकल्पस्थित	२१०, २४६
अतरगृह	२४२	अकल्प्य	२५
अतरजिका	१८८, १९३	अकाममरणीय	६७
		अकारकात्मवाद	३१२
		अकृत्स्न	२३९
		अकोटा	१३१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अक्रियावादी	१२, ५७, ११९	अजितचन्द्रसूरि	३९, ३५३, ४९३
अक्ष	१४०, २०४	अजितदेवसूरि	३९, ५४, ३५३, ४५२, ४५३, ४५६
अक्षर	७३, १४२, १४४, १९९	अजितसिंहाचार्य	४५
अक्षरार्थ	३५४	अजीव	१८, १९३
अक्षाटक	२१, २१६	अज्ञानवाद	३१२
अक्षीण	१४९	अज्ञानवादी	१२, ११९
अगम	९८	अज्ञानी	३०
अगमिक	७३	अष्ट	३७, ६०, ३३७
अगरु	११, १०२, ३३०	अट्टालक	३७, ६०, ३३७, ४१४
अगर्हित	८६	अणहिलपाटक	४६, ५२, ४०२, ४०५, ४०८, ४१४, ४४८
अगस्त्यसिंह	३१, ३२, ३३, ३५, २९४, २९३, ३१५, ३१७	अणुक	१०, १०२
अगारघर्म	१०२, २००	अणुघर्म	२००
अगारस्थित	२४९	अणुमत्त	१०२
अगारी	२२५	अतर	१२२
अगीतार्थ	११०	अतसी	१०, २८, १०२, २५८, ३३०
अग्नि	२१, ११३, ११४, १७३	अतिक्रम	२६, २५४
अग्निभूति	१६, ८०, १५७, १६३	अतिचार	२६, ७७, २५४
अग्र	११, ११७, ३२२	अतिपरिणामी	२१०
अग्रबीज	१४४	अतिशय	२६५, २६६
अग्रभुतस्कष	११७	अदत्तादान	३२४
अचक्रप्राता	१६, ८०, १५७, १८०	अदर्शी	३०
अचेलक	२५०	अदुष्ट	२९
अच्छदक	३४, ३००	अदोषक	२४०
अच्छापुत्री	३१, २८०	अद्भुत	२९६
अज	११, ३३१	अघर्म	९९
अजातअसमाप्तकल्प	२९	अधिकरण	१२, २४, २५, ७६, २३१, २५७
अजातसमाप्तकल्प	२९	अधिकरणवैचिष्य	५७
अजाति	१२२		
अजातिस्थान	१२२		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अधिवास	२७७	अनादेश	१०६
अधिष्ठातृत्व	१६	अनिध	८६
अध्ययन	९, ११, ४१, ४६, ६४, १०५, ११९, १४९, ३०३	अनिमित्त	३६
अध्ययनकल्प	३१	अनियतवास	२१, १३९
अध्ययनघटक	१४८	अनिषेदन	२१०
अध्यवपूरक	२०९	अनिशीथ	३९२
अध्यापक-परम्परा	६४	अनिश्रित	१४३
अध्व	२३, २३४	अनिच्छ	२०९
अध्वगामन	२६, २३४	अनिह्वन	२०९
अध्वातीत	२०८	अनुकंपा	२९, २६४, ३००
अध्वातीतकरण	२१०	अनुकल्प	३१, २८१
अनगप्रविष्ट	१४५	अनुक्रम	३६६
अनत	२९६	अनुगम	१५, ६८, १४८, १४९
अनतरसिद्धकेवल	४१९	अनुज्ञापना	८९
अनतहसगणि	५५, ४६३	अनुत्तरदेव	२०
अनक्षर	७३, १४२	अनुत्तरौपपातिक	४५, ४११
अनगार	१००, १०३	अनुत्तरौपपातिकदशावृत्ति	४७, ४१०
अनगार-गुण	३०३	अनुदगत	२०८
अनगारधर्म	१०२	अनुदघातिक	२४, २४४
अननुयोग	७५	अनुपरिपाटी	३६६
अनभिप्रेत	१०६	अनुप्रवाद	१९२
अनया	३३०	अनुमत	१६, १८, ७६, ८२, १९६
अनवद्य	८६, २००	अनुमान	१०, १७, १५८
अनवद्या	१९०	अनुयान	२२, २२०
अनवस्थाप्य	२०, २४, २०७, २११ २४५, ३६०, २७०, ४३१	अनुयोग	१५, १७, २०, ३०, ७५, ८२, १२३, १४७, १५४, १८८, २१४, २७२, २९६, ३००
अनश्चन	४४, ९९	अनुयोगद्वार	८, ३१, ३२, ३९, ४०, ५१,
अनाचार	२६, २५४		६३, ६८, २८९, २९१,
अनात्राति	१२२		२९७, ३५९, ४२५, ४४१
अनादिक	७३		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अनुयोगद्वारचूर्णि	१४, ३१, ३२, ३३, ४१, १३५, २८९, २९०, २९६	अपसर्पण	२७५
अनुयोगद्वारटीका	४१, ३६४	अपहरण	२३, २४
अनुयोगद्वारवृत्ति	१४, ५१, ४४२, ४४३	अपहृत	२४०
अनुयोगद्वारसूत्रवृत्ति	३६२	अपादान	१८६
अनुयोगार्थ	१११	अपाय	१४२
अनुराधा	४२२	अपार्धाहारी	२९, २६८
अनेकातन्त्रयपताका	३६२	अपावृतद्वारोपाभय	२२६
अनेकातप्रघट्ट	३६२	अपूर्वज्ञानग्रहण	७७
अनेकातवादप्रवेश	३६२	अपोह	७३
अनेकात्मवाद	१६	अपोहन	१४६
अनेकणीय	२४६	अप्	११
अन्यतर	२६, २७, २१०, २५५	अपकाय	११४, ३२३
अन्यधार्मिक	२५	अप्रमाद	१०८
अन्यधार्मिकस्तैन्य	२४५	अप्रातकारिता	१४३
अन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्निशिका	४१६	अप्राप्यकारिता	१५
अन्योन्यकारक	२५, २४४	अप्रावरण	३६
अन्वयिज्ञानसिद्धि	४१९	अप्रेक्षित	२१०
अपत्य	३३, ३४, ५८, ७७, ८०	अफेनक	२५
अपमान	२८	अवद्ध	८२
अपराधक्षमणा	८९	अवद्धिक	१८, १९४
अपराधपद	१००	अवल्ल	३०३
अपरिग्रह	३११	अमकार्थ	९५
अपरिणत	२०९	अभयकुमार	३४, ४५, ५९, ३०३, ३९७
अपरिणामी	२१०	अभयदेव	३९६
अपरिशाली	२४३	अभयदेवसूरि	३९, ४४, ४५, ४६, ५४, ३५३, ३९६, ४४०
अपर्यवसित	७३	अभय	१७७, ३७०
अपवाद	२०, २१, २२, २५, २२३	अभिग्रह	२६, ३०, ३४, ७९, ८०, ९५, २५४, २७२
		अभिघात	२५, ३६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अमिषान	३४८	अरहन्नक	३०१
अभिषेय	३४८	अरात्तक	२३२
अभिनय	३४३	अरिहत	७७, ८३, ८७
अभिनिबोध	१४०	अर्चि	११४
अभिनिवेश	१७, १८	अर्थ	८, ११, ६३, १०२, १५१,
अभिन्न	२१५, २३९		२०९, ४३१
अभिप्राय	८४	अर्थकथा	१०१
अभिप्रेत	१०६	अर्थग्रहण	२१, १३९
अभिमारदावक	१०७	अर्थछन्न	३७
अभिलाष	१०६	अर्थजात	२६०
अभिर्घटितमास	२०	अर्थशास्त्र	९, ५८, ७७
अभिव्यक्ति	३७१	अर्थावग्रह	१४२
अभिषेक	७७, ७९	अर्द्धशिरोरोग	१०७
अभिषेका	२१, २२८	अर्घहार	३७, ६०, ३३६
अभेद	४०	अर्घाहारी	२९, २६८
अभेदवाद	४०	अर्शिका	३३३
अभ्याहृत	२०९	अर्हत	१०, ८३
अभ्युत्थान	२४, २४२	अर्हदायतन	४३५
अभ्रावकाश	२३७	अर्हन्नक	२०, २०७
अमरमुनि	५६, ४७३	अलकार	१०, ७७
अमलकल्पा	१९१	अलम्	१२, ११९
अमात्य	२७, ५९, २५७, २५८,	अलाबु	२४८
	३३३, ४१४	अलिंसिदा	३३०
अमिल	११, १०२	अलीक	२४९
अमिलात वस्त्र	३३०	अलेप	२१
अमूढदृष्टि	२०९	अलेपकृत	२२
अयोगव	१२, १११	अल्पाहारी	२९, २६८
अयोध्या	१०, ७८	अवद्य	३४
अरतित	३३३	अवकाश	२१
अरनाय	५०, ४३८	अवकिरण	९२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अवगृहीत	२०	अवाय	७२
अवग्रह २९, ७२, ११८, १४२, २३२,		अविच्युति	७२
	२४४, २६४	अविनीत	२५
अवग्रह-पट्टक	२४, २४०	अविरहकाल	७६
अवग्रह-प्रतिमा	११८	अविरहित	१६
अवग्रहानतक	२४, २४०	अविशोधि	३०, २७५
अवचूरि	३५४	अव्यक्त	८२
अवचूर्णि	३५४	अव्यक्तमत	१९१
अवट	४१४	अव्यवहारी	२६२
अवद्य	८५	अव्यावाध	८९, १११
अवघात	२१	अशठ	२०८, २१०
अवधि १५, २३, ५७, ७२, १४०,		अशन	२५, ९५
	२०४, २९४	अशनक	४१४
अवधिज्ञान	७२, १४०, १४६	अशोक	३३४
अवधियुक्त	३६	अश्रद्धान	२१०
अवयव	१०, १०८, ३६८	अश्व	११, २२, १००
अवरकका	४०६	अश्वतर	१२५
अवरुद्र	२४०	अश्वमित्र १७, १८, ५९, ८२,	१२
अवलेखनिका	२१९, ३२७		१९२
अवश्यकरणीय	१४८	अश्वसेन	३९१
अवसन्न	२७, २५६, २५८	अश्वसेनवाचक	४४
अवसन्नाचार्य	२११	अश्वसेनीय	३९२
अवस्था	२१०	अष्टक	३६२
अवस्थान	२१०	अष्टागनिमित्त	९, ६९
अवस्थित	७३	अष्टापद	७९
अवहेलना	२४०	असकिल्ल	३६
अवाङ्मुख	२४८	असख्यात	२९६
अवाङ्मुखखंडमल्लक	२१६	असशी	७३
अवाङ्मुखमल्लक	२१, २१६	असयम	११३, ३०३
अवाचाल	२९		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
असपातिम्	२२८	आकुल	१४८
असप्राप्त	११	आक्रोश	३२३
असप्राप्तकाम	११, ५८	आक्षेप	१८
असरकृत	१०८	आख्यायन	३३, ३४, ५९
असकल	१०८	आख्यायक	४१४
असन्निहित	३७	आगतुक	२९
असमाधिस्थान	१२०, ३०३	आगम	८, १३, १५, १९, ३१, ३८, ४४, ४५, ५६, ६३, १४८, १५८, २०३, २७०, ४३१
असहनशील	२१०		
असहिष्णु	२३८		
असात	१२२	आगम-ग्रन्थ	८
असिपत्र	११९	आगमन	२०८, २३७
अस्थि	४१	आगम-व्यवहार	२०३
अस्थित	३१	आगमिक	७, १३
अस्थितकल्प	३१	आगमिक व्याख्या	५६
अहमदावाद	४७०	आगाल	१११
अहिंसक	१७४	आचरित	४३१
अहिंसा	१०, १७, ५६, ९९, १०८, १७३, २३९	आचार्य	२१, ९५
अहिच्छत्र	३१	आचार	११, २०, ३८, ५६, ६५, १०१, १११, ११२, ३२२
अहिच्छत्रा	२८०	आचारकथा	९८
		आचारकल्प	३०३
आ		आचार-दीपिका	५३, ४५५
आँख	३६	आचार-प्रकल्प	२७१
आभ्र	२९, ३४८	आचार-प्रणिधि	३६९
आकर	१२, २०, ४३, ५९, १११, १२४, २१६, ३८४, ४२८	आचार विनय	२०५
आकर्ष	१६, १९९	आचार-शास्त्र	३८, ५६
आकाश	१७, ७३, १७२, १७३	आचार-सपदा	२०४
आकीर्ण	११, १०६, ४०६	आचाराग	८, ११, ३१, ३५, ४२, ४३, ६३, ६४, ७०, ७४, ११०, १११, ११७, २८९, ४१४
आकुचनपट्ट	२४८		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आचारागचूर्णि	३१, ३२, ३५, २८९, ३१०	आतोद्याग	११, १०७
आचारागटीका	६६	आत्मतत्त्व	१६
आचारागदीपिका	५४, ४५६	आत्मतर	२६, २७, २१०, २५५
आचारागनिर्युक्ति	८, ११, ५८, ६५, ७०, ११०	आत्म-प्रवाद	१९०
आचारागविवरण	४२, ४३, ५४, ५९, ३८२	आत्म सयोग	१०६
आचार्य	८, ९, १०, ११, १२, १३, १८, १९, २८, ३६, ४२, ४९, ५३, ७६, ८३, ८४, २२८, २३४, २४२, २६१, २६५, २६६, २६७, २९८	आत्मा	१६, १५७, १६०, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १८४, ३९८
आचार्यपदवी	४५	आत्मागुल	२९६
आचार्यवश	६४	आत्मानुशासन	३६२
आचाल	१११	आत्मराम	५६, ४७२
आचीर्ण	१११	आत्मार्थकृत	२२
आचेलक्य	२१०	आत्मोपन्यास	९९
आच्छेद्य	२०९	आदर्श	१११
आबाति	१११	आदर्श-गृह	७९
आजिनक	४१४	आदान	११, १०२, ११९
आजीवक	३४, ५७, ३०२	आदाननिक्षेपणासमिति	२०७
आजीवदोष	२०९	आदित्यमास	२०
आजीविकमतनिरास	३१२	आदियात्रिक	२२, २३५
आशा	१९, १४८, २०३, २७०, ४३१	आदेश	१०६, २६९
आशान्यवहार	२०६	आघाकर्म	२६, ३०, २०९, २७५
आटक	१०७	आघाकर्मिक	२२, ३३९
आतक	२१, २१५	आनन्द	३४, ५९, ३००
		आनदविमलसूरी	५४, ४५७, ४५८, ४६१
		आनदसागर	२८९
		आनुगामिक	७३
		आनुपूर्वा	२९६, ३६६
		आपण	२६१, ४१४
		आपणगृह	२०, २२६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आभरण	३७, ६०	आर्यकुल	२३, ५८, २३६
आमिनिबोधिक	१५, ७२, १४२, २९४, ३७४	आर्यकृष्ण	१९५
आमिनिबोधिक ज्ञान	१४०	आर्यक्षेत्र	२३, ३०, १२४, २३६, २७९
आभूषण	३३६	आर्यजाति	२३, ५८, २३६
आम	३७, १२३	आर्यदेश	३८, ५९, ३४३
आमर्जन	३३२	आर्यरक्षित	५९, १९४
आमलकफला	४३५	आर्यरक्षित-चरित्र	९
आमोक्ष	१११	आर्यवज्र	५९
आमोडक	१०७	आर्या	३६, ३३२
आम्र	३७, ३४१	आर्यिका	२६२
आम्रकुञ्ज	२४८	आलस्य	३२३
आम्रदेव	५२, ४४८	आलिङ्गन	११, ३७, १०२, ३६६
आम्रशाल्वने	४३५	आलोक	८६
आय	१४९	आलोचक	२५५
आयविल	३३३	आलोचना	२०, २६, २०७, २५३, २५५, २७०, ३०३, ४३१
आयाम	४१४	आलोचनाई	२५५
आयु	१५२	आलोचनाविधि	४३०
आयुषशाला	७८	आवरण	१०८
आरभ	३३३	आवश्यक	८, १३, २७, ३१, ४०, ५२, ६३, ६४, ७२, ७७, १२९, १३८, १४७, १४८, २८९, २९६, २९७, ३५९
आराधना	१४८	आवश्यकचूर्ण	३१, ३२, ३३, ३४, ४१, ४४, ५७, ५८, ५९, २८९, २९०, २९७, ३९१
आराम	४१४	आवश्यकचूर्णिकार	५०
आरी	२३३	आवश्यक टिप्पण	५१, ४४२
आरोग्य	१०८	आवश्यक-टीका	४१
आरोपणा	२५३, २५६		
आर्तध्यान	३६८		
आर्द्र	१२, १०७, ११९		
आर्य	७, १२, १७, २३, ३०, १२४, २३६		
आर्यकाल	३८		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आवश्यकनिर्युक्ति	८, ९, ४१, ५०, ५३, ५६, ५८, ५९, ६५, ६७, ६८, ७०, ७१	आहारकशरीर	२०
आवश्यकनिर्युक्ति-दीपिका	९, ५३, ४५५	आहारचर्चा	३१२
आवश्यकनिर्युक्तिवृहद्दीका	३६२	आहत	२३४
आवश्यकनिर्युक्ति लघुटीका	३६२	आहृतिका	२३७
आवश्यक-मूलटीकाकार	५०		
आवश्यक-मूलभाष्यकार	५०	इ	
आवश्यकविवरण	४१, ५०, ४३७	इगितमरण	११६
आवश्यकविवेचन	५६	इगिनीमरण	२०, २०६
आवश्यकवृत्ति	४१, ४८, ५१, ३७३, ४१६, ४१७, ४४१	इद्रकील	४१४
आवश्यकवृत्ति प्रदेशव्याख्या	५१, ४४२	इद्रनाग	३००
आवश्यकसूत्र	९	इद्रभूति	१६, ८०, १५७, ४२१ ३४
आवश्यकानुयोग	१३९	इद्रागमन	३४
आवेश	२६९	इद्रिय	७३, १६८
आशका	१०, १००	इद्रियनिरोध	३०, २७२
आशतना	१२, १२०	इधन पल्लिय	३७
आश्रम	१२, २०, ४३, १२४, २१६, ३७४, ४२८	इधनशाला	३७, ३४२
आश्रास	१११	इच्छु	१०, १०२, ३३०
आपाद्	८२, १८८, १९१, ३००	इक्षुरस	१०७
आषाढभूति	१७, ९८, ५९, २०९	इक्ष्वाकु	२३, २३६
आसन	२४८, २७२	इच्छा	२८, ८९, १००, २६१
आसेनीय	३९२	इच्छाछद	२७
आसेवन	११, १०२	इच्छालोम	२५०
आसेवन-शिक्षा	३०३	इडाकु	३८, ३४८
आस्थानिका	२७	इतिहास	१३, २६
आस्रवपत्रक	४११	इत्वरिक	३८
आहार	९, १२, २३, २५, ३८, ४१, ५८, ७३, ७७, ११९, २४८, २६९, २७३, २७९, ३६९	इप्सितव्य	४३१
		इलापुत्र	३४, ५९, ३००
		इपुशाल	९, ५८, ७७
		इहभव	८१
		इहलोक	१६, १५७, १७८
		इं	
		इंयां	११८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ईर्यासमिति	२०७	उदयविजय	३९, ३५४, ४५३
ईश्वर	४१४	उदयसागर	३९, ३५३, ४५३
ईश्वर-कर्तृत्व	१६, १६५	उदर	३६
ईश्वरकर्तृत्वचर्चा	३१२	उदायी	३४, ५९, ३०३
ईश्वरी	१३२	उदाहरण	१०, ४७, ९९, ३६८
ईहा	७२, ७३, १४२	उदितोदित	९४
ईहामृग	४१४	उद्गत	२०८
		उद्गम	२०९
	उ	उद्गार	२५, २४८
उग्र	१२, २३, १११, २३६	उद्देश १६, २०, २४, ३६, ५७, ७६,	
उच्चार	२१, ११३	१५५, ३०३	
उच्चारभूमि	२३५	उद्भिन्न	२०९
उच्छ्रय	९२	उद्यान	३७, ३३७, ४१४
उच्छ्रित	९२	उद्यानगृह	३७, ६०, ३३७
उजयिनी	३८, २७१, ३३९	उद्यानशाला	३७, ३३७
उज्जोय	८७	उद्योत	८७, ३०१
उज्जना	६२	उद्योतन	३५९
उज्ज्ञा	८४	उद्योतनसूरि	३५९
उण	४३, ३८८	उद्योतनाचार्य	५२, ४४८
उत्कटिकासन	२४८	उन्नतायु	४३, ३८८
उत्कल्पा	११४	उन्नायु	३८८
उत्कल्प	२८१	उन्मत्त	३०, २६०
उत्कुटुकावस्था	८०	उन्माद	११, १०२, २२५
उत्कोच	२८	उन्मिथ	२०९
उत्कृष्टि	२१०	उन्मोचन	९२
उत्क्षिप्त	४०६	उपकरण	२२,
उदकाचमन	२४	उपकल्प	३१, २
उदकाद्रि	२२	उपकेशगच्छ	३२, २९२
उदयन	१०७	उपक्रम	१४८, १४९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
उपगूहन	३३६	उपाग ३६, ४५, ४९, ५०, ५२, ३२६	
उपगूहित	११, १०२	उपाज्ज्ञाउ	८४
उपगृहीत	३६	उपाध्याय १०, २१, २८, ५२, ५६, ८३, ८४, २२८, २६१,	
उपचय	९२		२६५, २६७
उपचार	२६४	उपाध्यायवंश	६४
उपदेश	८, ६४, १४८, २४६	उपाश्रय १२, २१, २२, २३, २४, २५, २३६, २३८, २४७, २७९	
उपदेशपद	३६२	उपासक १२, १२१, ४०९	
उपदेशमाला	५१, ४४१	उपासकदशा	४५
उपदेशमालावृत्ति	५१, ४४२	उपासकदशांगवृत्ति	४६, ४०९
उपदेशमालासूत्र	४४२	उपासकप्रतिमा	१२१, ३०३
उपघान	११, २०९	उपासना	९, ५८, ७७
उपघानप्रतिमा	१२१	उपोद्घात १०, ६३, ७२, १३८	
उपघानश्रुत	११२, ११७	उभयतर २६, २७, २१०, २५५	
उपधि १२, २१, २३, २४, ३६, २०८, २३७, २३९, २४१, २७९, ३३२		उमाकात प्रेमानद शाह	१३१
	३१	उर	३६
उपधिकल्प	१०, ७७	उरभ्र	११, १०९
उपनयन	२०९	उलावकी	१९३
उपवृहण	२९२, ४४०	उलूक	१८
उपमितिभक्प्रपचकथा	२५, ७३, १६१, २००, ३७३	उलूकतीर	१८८
उपयोग २५, ७३, १६१, २००, ३७३		उलूकी	१९३
उपरिदोष	२२, २२३	उल्लुका	१९३
उपवास	३२७	उल्लुकातीर	१९३
उपशम	५७	उवक्खड	३७
उपशमश्रेणी	१५२, १५४	उवरि	२०३
उपसर्ग	२१, ३४, ३३३	उष्ट्र	११
उपसर्गप्राप्त	२६०	उष्ट्री	३३१
उपसर्गस्तोत्र	९, ६९, ७०	उष्ण	११, २८, ११५
उपस्य	३०	उत्सेति	३७
उपस्थापन	२७८		
उपस्थापना	२६४		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ऊ		एषणासमिति	२०७
ऊरु	३६	ऐ	
ऊ		ऐतिहासिक	१०, ३४, ५९
ऋजु	१०३	ऐतिहासिक चरित्र	५९
ऋजुवालुका	८०	ऐरावती	२४७
ऋजुसूत्र	१८७	ओ	
ऋण	४५	ओघ	१०, ३०, २७२
ऋतु	२५, ४२८	ओघनिर्युक्ति	८, १३, ३१, ३४, ४४, ७०, १२६, १२९, २८९
ऋतुबद्ध	२२	ओघनिर्युक्ति-चूर्णि	३३, २९०, २९७
ऋतुमास	२०	ओघनिर्युक्ति टीका	४८, ४१७
ऋषभ	३०१	ओघनिर्युक्ति-दीपिका	५३, ४५५
ऋषभदेव	९, १०, ३३, ५८, ५९, ७६, १३६, २९८, ३७५	ओघनिर्युक्ति-बृहद्भाष्य	३०, २७४
ऋषभदेव-चरित्र	९	ओघनिर्युक्ति-भाष्य	३०
ऋषभपुर	१८८, १९०	ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य	३०, २७२
ऋषिगुप्त	३३, ३५, २९३, ३१७	ओघनिर्युक्ति-वृत्ति	४४, ३९४
ऋषिभाषित	८, १७, ६३, ६४, १८८	ओघसज्ञा	१४५, ३७२
ए		ओदण	३८, ३४८
एक	१०, ९७, १०१, १०७, १२०	ओसीर	१०७
एकक	११, १०७	औ	
एकपार्श्वशायी	२४८	औत्पत्तिकी	१४३, ३०१
एकविहार-प्रतिमा	१२१	औत्पातिकी	८४
एकस्थान	९५	औदारिक	२३, २३५
एकात्मवाद	१६, ३१२	औद्देशिक	३०, २०९, २१०
एकावली	३७, ६०, ३३६	औपकक्षिकी	२४०
एडक	११	औपघातिक	३०, २७२
एवभूत	१८८	औपपातिक	४५, ४१३
एलाषाद	३२३	औपपातिकवृत्ति	४७, ४१३
एपणा	१०, १०१	औपम्य	२७७
		औपयामिक	२१३
		और्णिक	२४, ६०, २३८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
औषध	२१, २२, २६९, ३३०	करण	११, ३१, ८५, १०२, १०८, १८६, २०१, २७२, २७७
औषधार्ग	११, १०७	कक्षणा	२९६
औषधि	११४, २६९	कर्ण	३९७
औष्ट्रिक	२४, २३८	कर्णराज	४५, ३९८
क		कर्णशोधन	२७९
कगु	१०, १०२, ३३०	कर्ता	१८६
कलुक	२४०	कर्तृवाद	३१२
कटक	१२, २५, २५०	कर्बट	४३, १२४, ३८४, ४२८
कडु	१०७	कर्बटक	१२, २०, ५९, २१६
कद	४१४	कर्म	९, ११, १६, १७, १८, २३, ३३, ५८, ७७, ८१, ११५, १५७, १६३, १७६, १८६, १९४
कजलागी	४१४	कर्मजा	८४, ३०१
कति	१६	कर्मप्रकृति	३८, २८९, ३४८
कतिजन	२१	कर्मप्रकृतिवृत्ति	४१७
कतिविध	१६	कर्मप्रकृतिसग्रहणी-चूर्णि	४९, ४२८
कथक	३३८, ४१४, ४१५	कर्मप्रवाद	१९४
कथन	३६८	कर्मब्रघ	२४, ५७, २३९
कथनविधि	९४	कर्मभूमिज	११२
कथम्	१६	कर्मवाद	१७, ५७
कथा	१०, १०१	कर्मवैविध्य	५७
कथाकोश	३६२	कर्मशाला	३७, ३८२
कथानक	११, १२, ३३, ३४, ३८, ४१	कर्मस्तववृत्ति	३६२
कनक	१८३	कर्मस्थिति	१९, ५७
कनकपाषाण	१८३	कर्मान्तग्रह	३७, ३३७
कनकावली	३७, ६०, ३३६	कर्मान्तशाला	३७, ३३७
कन्यकान्तपुर	३७, ३३८	कलशभवमृगेन्द्र	३५, ३१७
कपडर्वन	४५, ३९८	कला	३३०
कपिल	११, २५, ७९, १०९, २४५		
कप्प	२७७		
कमलसयम उपाध्याय	३९, ३५३		
करकडु	१०, ५९		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कलाय	१०२	कषायदुष्ट	२११
कलाल	३८, ३४३	कस्तूरचन्द्र	३९, ३५३, ४५३
कलिंग	३०, २८०	कल्प	१६
कलिट	२३, २३६	काचनपुर	३०, २८०
कलिकाल-सर्वज्ञ	४८	काती	४१६
कलेवर	९२, १६०	कापिल्य	३१, २८०
कल्प १२, १९, २०, ३०, ३१, ६४,		काकी	१९३
६६, ६७, १२३, २१०, २१८,		काठियावाड	४७२
२५०, २६४, २७७, २८१,		कान	३६
३४५, ४३९		काननद्वीप	४३, ३८५
कल्पकरण	२२, २२०	कापोतिका	२३३
कल्प टिप्पणक	३४६	काम १०, ११, ६५, १००, १०२,	
कल्पधारी	२२		१०९, ३०६
कल्पना	२०६	काम कथा	१०१, ३३६
कल्पसूत्र	५५, ३४५	काम-क्रोडा	३७, ५८, ३३६
कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी	५५, ४६५	कामगुण	३०३
कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका	५५, ४६३	कामदेव	३४, ५९, ३००
कल्पसूत्र-कल्पलता	५५, ४६५	कामभोग	३११
कल्पसूत्र-टिप्पणक	५६, ४६६	कामविकार	२२५
कल्पसूत्र-सुबोधिका	५५, ४६४	कामविज्ञान	५८
कल्पस्थित	२१०, २४६	कामी	३७, ५८
कल्पस्थिति	२१०, २५०	काय २५, ३६, ७३, ११३, १४८,	
कल्पिक	२१४		१६०, ३०४
कल्पिका	३२४, ४३२, ४३३	कायक्लेश	९९
कल्प्य	४३३	कायगुप्ति	२०७
कल्याणविजयसूत्रि	५५, ४६३	कायघटक	३६९
कवि	५५	कायिकीभूमि	२३५
कवींद्र	४३, ३८८	कायोत्सर्ग १०, ३०, ७२, १४८,	
कषाय १६, १८, ७३, १०८, १५३,			२७२, ३०४, ३३३
३०१		कायोत्सर्ग-अकरण	२१०
		कायोत्सर्ग-भग	२१०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कारण	१५, १६, ८१, १८६, २१०, २३८	किरणावली	५५, २६४
कारणगृहीत	२०८	कीर्तिवल्लभ	३९, ३५३, ४५३
कार्पाटिक	२३, २३५	कीर्तिविजयगणि	५५, ४६४
कार्पासा	२६९	कुडग्राम	८०, ११९
कार्मणशरीर	१६४	कुडल	३७, ६०, ३३६
कार्मिकी	१४३	कुमकार	३२३
काल	१०, १६, ७३, ७६, ८१, ९७, ११९, १८६, २०९, २७७	कुकुटी	२६९
कालक	७, ३३९	कुकुटीभङ्क	२६९
कालकल्प	३१	कुक्कुटी	२९, २६८
कालगुच	२५४	कुक्षीअड	२६८
कालप्रमाण	२९६	कुणाल	३१, २८०, ३३४
काललघु	२६, २५४	कुणाला	३८, ५९, ३४३
कालातिक्रान्त	२५, २४६	कुत्र	१६
कालातीत	२०८	कुत्रिकापण	१९४, २४१
कालातीतकरण	२१०	कुदाला	११३
कालानुयोग	९७	कुधावना	२१०
कालिक	८२, २८८, ३००	कुमार	२७, ५९, २५७, २५८
कालिकश्रुत	१७	कुमारपालप्रवच	४१५
कालिकाचार्य	३४, ५९, ६७	कुघ	३०, २८०
कालिकी	१४४	कुल	२३, ३०, ३८, ५९
कान्यरस	२९६	कुल्क	३६२
काशी	३०, २८०	कुल्कर	७६, ३७५
काश्यपक	२१, २१६	कुल्य १०, २८, १०२, २५८, ३३०	
काष्ठ	११, १०२, ११३, ३३०	कुलप्रभ	३९, ३५३, ४५२
किं	७६	कुलमद	७९
किंचिद्वमौदर्य	२९, २६८	कुलिक	११३
किम्	१६	कुवलयमाला	३५९
क्रियन्चिर	१६, २१	कुशलत्व	१०८
		कुशावर्त	३१, २८०
		कुशील २७, २५६, २५७, २७०, २७७	

अनुक्रमणिका

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कुसुबल	२२५	कोटिकगणि	३२
कुसुम	९८	कोटिवर्ष	३१, २८०
कुह	९८	कोट्टवीर	१९५
कुडुण	११४	कोट्टार्य १४, ३९, १३४, ३५३, ३७८	
कुचेरा	३९६	कोट्ट्याचार्य ९, ३९, ४१, ४२, ५२,	
कुटागार	३७, ३३७	१३४, ३५३, ३५८, ३७८,	
कूपकट	१०, ७८		४४५
कूर	३८, २६६, ३४८	कोट्ट्याचार्यवादिगणिमहत्तर	३५८
कुर्वापुर	३९६	कोट्ट्यार्य ३९, ४०, ३५३, ३५५,	
कूर्म	४०६		३५७, ३५८
कृतकरण	२३४	कोट्ट्यार्यवादिगणि	४०, ३५८
कृतपुण्य	३००	कोडालसगोत्र	७९
कृतयोगी	२८, २०८	कोणिक	३४, ५९, २०३
कृति	४४, २३३	कोद्रव १०, २८, १०२, २५८, २३०	
कृतिकर्म	८७, २११, २४२, ३०१	कोट्टाकग्राम	१०
कृतिका	४२२	कोशक	२३३
कृत्स्न	२४, २३८, २३९	कोशल	२९, ३०, २६८, २८०
केंद्र	४३	कोशलक	२६७
केकयार्थ	३१, २८०	कोशिका	२४७
केवल	७२, २०४, २९४	कोष्टागार	३७, ६०, ३३७, ३३८
केवलज्ञान	१५, १७, १९, ३४, ४०, ५७, ७४, ८०, १४०, १४७, २००, २९४	कौडिन्य	२८, १९२, १९५, २५८
केवलज्ञानी	६७	कौकुचिक	२५०
केवलदर्शन	१९, ४०, ५७, २००, २९४	कौटुचिक	४१४
केवली	१९, २१, १०६, २००	कौतुक	१०, ७७
केवलोत्पाद	३४	कौरव	२३६
केशिकुमार	४३४	कौशावी ३१, ३८, ५९, २८०, ३४३	
केतु	१६	क्रम	१८
कोट	२२४	कर्मिकत्व	४०
		क्रिया	३०३, ३६६, ३७९
		क्रियावादी	१२, ५७, ११९

शब्द		पृष्ठ	शब्द		पृष्ठ
क्रियास्थान		३०३	क्षीरगृह	३९, ६०, ३३८	
क्रीडा	११, १०२, २१०		कुषा	३२३	
क्रीत		२०९	कुल्लक	१०, २१, १०१, २०९, २२८	
क्रीतकृत		२२	कुल्लिका	२१, ९८, २२८	
क्रोध	१५३, २०९		कुल्लिकाचार	६५	
क्रोध-दोष		२०९	क्षेत्र	१५, १६, २३, ७३, ७६, ८१,	
क्रोध निग्रह		२७२		१८६	
क्लीब	२५, ३०, २४५		क्षेत्रकल्प	३०, ३१, ५९	
क्लेश	२३१, २४७		क्षेत्रकाल	१५	
क्षणलव		७७	क्षेत्रप्रत्युपेक्षक	२१	
क्षणिकवाद		१६९	क्षेत्रसमासटीका	४९, ४२८	
क्षत	१२, १११		क्षेत्रसमासवृत्ति	३६२	
क्षत्रिय	११, २३, १११, २३६		क्षेत्रातिक्रान्त	२५, २४६	
क्षपक		२०९	क्षेमकीर्ति	३९, ५०, ५१, ५३, २८४,	
क्षपकश्रेणी	१५२, १५४			३५३, ४३८, ४५२, ४५४	
क्षपणा		१४९	क्षोभ	१२२	
क्षपित	१२४, २३१				
क्षमाक्ल्याण		३६३			
क्षमारत्न	३९, ३५४, ४५३		ख		
क्षमाश्रमण	१३, १४, १५, ४०,		खड	१०८	
	१३१, १३५		खडपाणा	३२३	
क्षमित		१२४	खभात	५४, ४५९	
क्षात	१००, १०३		खड्गस्तभन	९४	
क्षामणा		३०५	खर	११३	
क्षामित		२३१	खरतरगच्छ	५४, ५५, ४५९, ४६२	
क्षायिक		२१३	खरतरगच्छपट्टावली	३६३	
क्षायोपशामिक		२१३	खरखर	११९	
क्षार	२५, ३६		खसडमश्रुगाल	२३६	
क्षितचित्त	२५, २८, ५८, २५०, २६०		खादिम	९५	
क्षिप्र	१४३		खिसित	२४९	
			खिल्लूर	६१५	
			खेट	४३, ३८४, ४०८	

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
खेड	१२, २०, ५९, १२४, २३६	गजपुर	३०, २८०
खेलापन	१०, ७७	गण	२८, १४८, २६१
खोल	२३३	गणक	४१४
ग		गणघर	१६, २०, २१, २२, २३, ३४ ६४, ७४, ८०, १५१, २३८, २९४, ३३३
गग	१७, १८, ५९, १८८, १९२, १९३	गणघरवाद	९, १५, १६, ४०, ५७, १५६
गगदत्त	३४, ५९, ३००	गणघरस्थापना	२९
गंगसूरि	८२, ३००	गणनायक	४१४
गगा	२४७	गणातरोपसपदा	२५, २४६
गजशाला	३७, ६०, ३३८	गणावच्छेदक	२८, २९, २६५
गड	३३३	गणावच्छेदिनी	२६४
गडि	१०६	गणि	१२१
गघ	१०, ११, १४, ७७, १०२, ३३०	गणित	९, ७७
गघपलिय	३७	गणितशास्त्र	१४
गघर्व	६९	गणितानुयोग	१७, ९७, १८८, २७२
गघहस्ती	३९, ४२, ४३, ४४, ३५३, ३८०, ३८२, ३८४, ३९३, ४०२	गणिपद	१७
गघाग	११, १०७	गणिसपदा	१२१, २०४
गघिकाशाला	२६९	गणी	१२
गभूता	४३, ३८५	गति	७३
गच्छ	२१, २२, २५	गद्य	१००
गच्छपति	४०	गम	१४५
गच्छप्रतिबद्धयथालदिक	२२, २२२	गमन	२१, २०८, २१०
गच्छवासी	२२, २१८	गमनागमन	२१, २७३
गच्छशक्तिका	२२, २२०	गमिक	७३, १४४, १४५, १९९
गच्छाचार	५४	गर्दभ	११, ३३१
गच्छाचारटीका	५४, ४५८	गर्दभिल्ल	३८, ३३९
गच्छाचारवृत्ति	५४, ४५७	गर्भ-परिवर्तन	८०
गज	८०	गर्भाधान	२४, ५८, २४०
		गर्भापहरण	४९९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
गर्भापहार	७९	गुरुभ्राता	५२
गर्मिणी	३०	गुरुमास	३२७
गर्हा	२०१, ३०३	गुलिका	२३३
गलि	११, १०६	गुल्म	११४
गवेषणा	२२, ७३	गुहासिंह	२३, २२४
गाथा १, १२, १३, १९, २६, ११९		गूढार्य	७
गावडिक	२२४	गृह	६०
गार्द्धपृष्ठ	११६	गृहबिनमदिर	२१९
गिरनार	४४, ३८९, ४१५	गृहपतिकुलमध्यवास	२३०
गिरा	१०३	गृहस्य	२२
गीत	२१०, ३४३	गृहस्थाभम	५१
गीतार्थ	२८, २१०, २१५, २५२	गृहिप्रांत	२३४
गुजा	११४	गृहिभद्र	२३४
गुच्छ	११४	गृहिभाजन	३६९
गुजरात	४७२	गोय	१००
गुजराती	५६	गो	११, १०३
गुण १८, ३७, ६०, १९४, ३३६		गोश्व	३७, ६०, ३३७
गुणप्रत्यय	७३, १४६	गोच्छक	२३९, २४१
गुणप्रात्ययिक	७४	गोत्र	१८, १५१
गुणरत्न	३९, ३५३, ४५२	गोधूम	१०, २८, १०२, २५८, ३३०
गुणम्रत	१०२, ३०५	गोप	३४, ८०
गुणशेखर	३९, ३५३, ४५३	गोपालगणि	३२, ३४, २९१
गुणसौभाग्यगणि	५४, ४५८	गोपालगणिमहत्तर	३०८
गुणस्थान	३०३	गोपुर	३७, ३३७, ४१४
गुति	३०, २०७, २७२	गोमास	३१२
गुरु ३५, ४०, ४२, ७७, १५५, २०८		गोवर्ग	२२४
गुरु-परम्परा	४६, ६४	गोविंद	२६६
गुरुमार्ग	३२	गोविंदनिर्युक्ति	८, ३३, ३८, २९७, ३४८
		गोविंदवाचक	६८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
गोविदाचार्य	८, १२६	घन	११४
गोशालक	३४, ५९, ३००	घर	३३१
गोशालकमतनिरास	३१२	घर्षण	२५, ३६
गोशाला	३७, ३३७	घात	१०, १६, ७७
गोष्ठामाहिल	१७, १८, ५९, १८८, १९४, २६६, ३००	घासीलालजी	४६७
गौ	३३१	घृतकूट	२५४
गौडदेश	४१५	घोटक	११, ३३१
गौण	२७५	घोष	१२, २०, १२४, २१६
गौतम	१५७	घ्राणेन्द्रिय	७३
गौलिका	२६९		
ग्रय ७, १५, ६५, ७५, १२३, १४८,		च	
	१५४	चडकौशिक	३४, ३००
ग्रथिभेद	१५२	चदन	११, ९४, १०२, ३३०
ग्रथित	१००	चदनबाला	३४, ५९, ३००
ग्रहण	१२, ११९, १४६	चद्र	१३२, १७८
ग्रहणशिक्षा	३०३	चंद्रकुल	५६
ग्रहणैषणा	२०९	चद्रगच्छ	५४
ग्राम १२, २०, २१, २२, ४३, ५९, १२४, २१६, ३८४, ४२८		चद्रगुप्त	३३४
ग्राममहत्तर	३२९, ३३३	चद्रप्रज्ञप्ति	५६
ग्रामानुग्राम	२३	चंद्रप्रज्ञप्तिटीका	४८, ४९, ४२९
ग्रीष्म	२३२	चंद्रप्रज्ञप्त्युपागटीका	४१७
ग्लान २२, २९, २२१, २४६, २६४, २७२, ३३९		चद्रमा	४२२
ग्लानकल्प	२१०	चद्रमास	२०
		चपा	३०, २८०
		चक्रपुर	१०, ७८
		चक्ररत्न	७८
		चक्रवर्ती	२०, ७८, २९६
घटाशृगाल	२१४	चक्रारवद्ध	३३१
घटीमात्रक	२२७	चक्रिका	२६९
घड़ा	२२७	चक्षुरिन्द्रिय	७३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
चक्षुर्लोल	२५०	चर्मपत्रक	२३८
चणक	२८, २५८	चर्या	११६, ११७
चतुरग	६५	चल	७३
चतुरगीय	१०७	चलनिका	२४०
चतुर्गुह	२६, २५४	चवल	२५८
चतुर्दशपूर्वघर	१९, २०, ६५, १४१, २११	चहारदीवारी	२२४
चतुर्दशपूर्वविद्	६७	चाडाल	१२, १११
चतुर्मुख	४१४	चातुर्थिक	१०७
चतुर्विंशति	८६	चातुर्मास	२९
चतुर्विंशतिप्रबन्ध	३६३	चार	२३१
चतुर्विंशतिस्तव	१०, ५०, ७२, ८६, १४८, ३०१	चारित्र १६, २३, २६, २७, ५६, ७५, ८२, ११५, १५१, १५२, १५३, १९६, २०९, २७७	
चतुर्विंशतिस्तुतिसटीक	३६२	चारित्रकल्प	३१
चतुर्व्रत	२५०	चारित्रधर्म	२८, ३६९
चतुष्क ११, २०, १०७, २२६, ४१४		चारित्रलाभ	१५
चतुष्पद १०, ११, १०२, ३३१		चार्याक	१६
चत्वर २०, २२६, ४१४		चावल	२८
चय ९२		चिता ११, १०२, २२५	
चर ११, ११६		चिकित्सा ९, २२, २५, ५८, ७७, ११७	
चरक १००, १०३		चिकित्सादोष २०९	
चरण ११, १०९, ११०, १११, ११२ ११६, २७२		चिता ७९	
चरणकरणानुयोग १७, ९७, १८८, २७२		चितिकर्म ८७, ३०१	
चरम ७३, ९५		चित्त १२, १२१	
चरिक ४१४		चित्तवमाधिस्थान १२१	
चरिका ३७, ३३७		चित्तौह ४०, ३६०	
चरित्र ५९		चित्रकर्म २२८	
चर्म ११, १२, १०२, २३३, २७९, ३३०		चित्रकूट ३६०	
चर्मकार ३८, ३४३		चित्रा ४२२	

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
चिरकषाय	२१०	चोलपट्ट	२३९
चिलातिपुत्र	३४, ५९, ३०१	चौर्ण	१००
चिलिमिलिका	२२७, ३२६		छ
चिलिमिली	२७९, ३२६	छदशास्त्र	१४
चीवर	३९१	छः	१०१
चुवन	११, ३७, १०२, ३३६	छद्मस्य	२०७
चुष्णि	७	छद्मस्यवीतराग	१०६
चूडा	१११	छन्न	३७
चूर्ण	१०८, २०९, २७५	छदन	९२
चूर्णदोष	२०९	छर्दित	२०९
चूर्णि	७, ३१, ३४, ३९, २८९	छिडिका	२३०
चूर्णिकार	३२, २८९, २९०, ४३८	छुसगृह	३७, ३३७
चूला	१०, ७७, ३२१	छुसशाला	३७, ३३७
चूलिका	१०, ११, ७०, ९८, १०४, ११७, ३२२	छेद	२०, २१०, २११, २६५, २७०, ४३१
चेट	४१४	छेदन	२५, ३६, ३७, २७७, ३३६
चेटक	३४, ५९, ३०३	छेदसूत्र	१७, १८८
चेतना	१६७	छेदसूत्रकार	९, ३०, ६६, ६७
चेदि	३१, २८०	छेदोपस्थापन	१५३
चेल्लणा	३४, ५९, ३०३	छेदोपस्थापना	१६
चैतन्य	१६६, १८२	छेदोपस्थापनीय	२७१
चैत्य	८०, २२०, २४१, ४३५		ज
चैत्यपूजा	२२०	जगल	३१
चैत्यवन्दन	२२४	जघा	३६
चैत्यवन्दनभाष्य	३६२	जबू	३३४
चैत्यवन्दन-महाभाष्य	४४, ३८९	जंबूद्वीपप्रशति	३१, २८६
चैत्यवन्दनश्रुति—ललितविस्तार	३६२	जंबूद्वीपप्रशतितिका	४८, ४९, ४१७, ४२८
चैत्यवन्दना	२३२		
चैत्र	८०	जगच्चन्द्रसूरि	४५४, ४६६
घोर	३८, ३४८	जघन्य	३६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
जड	- ३०	जिणदास	३४४
जनपद	२७, ३०	जिणदासगणिमहत्तर	३४४
जन्म	३३, ५८, ७७, ७९	जितशत्रु	४२१
जन्माभिषेक	८०	जितारि	४०, ३६०
जमदग्नि	३०१	जिन	७८, ८७, १५१
जमदग्निजटा	१०७	जिनकल्प	२३, ३१, ५७, १९५, २१०, २१७, २२४, २७७, ३३२
जमालि	१७, १८, ५९, ८२, १८८, १८९, २६६, ३००	जिनकल्पिक	२०, २१, ३६, १२४, २१६, २३९, २४०, २५४, ३३२
जयकीर्तिसूरि	४५६	जिनकल्पी	२६४, ३३२
जयतिहुम्भणस्तोत्र	४५	जिनचैत्य	२१
जयतिहुयणस्तोत्र	३९६	जिनचैत्यवन्दना	२१९
जयदयाल	३९, ३५४, ४५३	जिनदत्त	४०, १३२, ३६१, ३७७
जयविजयगणि	५५, ४६४	जिनदास	१४, ३२, ३४, ३५, २०७, ४६८
जयसिंह	५२, ४४६	जिनदासगणि	९, ३८, २८९, २९०, ३४४, ४४९
जल	२१, ४३, १६६, १७३	जिनदासगणिमहत्तर	३१, ३२
जलपत्तन	४३	जिनदेव	३८९
जलरुह	११४	जिनग्रभ	१३०
जलाशय	२२७	जिनप्रवचन	१८, ७५
जल्ल	३३८, ४१४	जिनमट	३९, ४०, ३५३, ३६१, ३७७, ३७९, ४५२
जव	३३०	जिनभद्र	९, १४, १५, १७, १९, ३२, ४०, ४२, ४४, ७२, १३०, २०२, २९१, २९२, ३१४, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९, ३७८, ४४५
जागल	२८०	जिनभद्रगणि	१३, १५, ३५, ३९, ५२, १३६, ३५३, ३६८
जागिक	२४, ६०, २३७		
जातभसमाप्तकल्प	२९		
जातसमाप्तकल्प	२९		
जाति	१०, ११, २३, ३०, ५८, ६०		
जातिवादनिरास	३१२		
जातिस्मरणज्ञान	७७, ७९		
जामनगर	४६८		
जिज्ञानु	७		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण	३२	जीव	१०, १६, १८, ८१, १०१
जिनमडनगणि	४१५		१५८, १६०, १६५, १६७,
जिनमदिर	२१		१६८, १७६, १९३, ३६९
जिनमत	८१	जीवन-चरित्र	५९
जिनभाणिक्यगणि -	५५, ४६३	जीवनी	३९
जिनरत्नकोश	४५३	जीवप्रदेश	८२
जिनराजसूरि	४६५	जीवप्रदेशिक	१८, १९०
जिनविजयजी	१३३, ३५९	जीवरक्षा	९८
जिनहस	३९, ३५३, ४५२	जीवस्त	२१०
जिनालय	७९	जीवविचारप्रकरण	४४, ३८९
जिनेन्द्रबुद्धि	४४, ३९३	जीवविजय	३९, ३५३, ४५३
जिनेन्द्रसूरि	४६२	जीवसत्तासिद्धि	४१९
जिनेश्वर	३९६, ४०८	जीवसमास	४४१
जिनेश्वरसूरि	४५	जीवसमास-विवरण	५१, ४४२
जीत	१९, २७०, ३१४, ४३१	जीवाभिगम	३१, ४०, ४६, ४९, ५६
जीतकल्प	१३, १९, ३१, ५२, १२९,		२८९, ३५०
	१३३, १३५, २०२,	जीवाभिगमचूर्णि	४९, ४२२
	२८९, २९२	जीवाभिगमटीका	४८
जीतकल्पचूर्णि	३१, ३२, १३२, २९१,	जीवाभिगममूलटीका	४९, ५०, ४२९,
	२९२, ३१४		४३५
जीतकल्पबृहच्चूर्णि	३५, ५३, ३१४	जीवाभिगमलघुवृत्ति	३६२
जीतकल्पबृहच्चूर्णि-विषमपदव्याख्या	५३,	जीवाभिगमविवरण	४९, ४२७
	४५०	जीवाभिगमोपागटीका	४१७
जीतकल्पभाष्य	१३, १९, ५६, १३०,	जुंगित	३०
	१३५, २०२, २७२, ३१४	जुगुप्सा	१०८
जीतकल्पसूत्र	१९, ३२, ३५	जुगुप्सित	३८, ३४२
जीतयन्त्र	२११	जुंभिकामाम	८०
जीतव्यवहार	१९, २०३, २०६	जेकीवी	३५९
जीर्णान्तापुर	३७, ३३७	जैन ७, ८, १३, १५, २०, २६, ३१,	३८, ६८, ३७०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
जैनन्याय	६३	ज्येष्ठ	४४, २११
जैनसंघ	४४	ज्येष्ठग्रह	१२, १२१, ३३९
जैनागम	१५	ज्येष्ठा	१९०, ४२२
जैसलमेर	१३४, ३१५	ज्योति	२३७
ज्ञात	२३६, ४०६	ज्योतिर्विद्	९, ६६, ६८, ६९
ज्ञात-कौरव	२३	ज्योतिष्क	१७८
ज्ञातविधि	२६६	ज्योतिष्करडक	४९, ४२४, ४२५
ज्ञाता	२८	ज्योतिष्करडक-टीका	४८, ४१७
ज्ञाताधर्मकथा	४५, ४६, ४७	ज्योतिष्करडकवृत्ति	४९, ४२३
ज्ञाताधर्मकथाविवरण	४०५	ज्वर	२२५
ज्ञातिक	२९	ज्वाला	११४
ज्ञान २३, २७, ५४, ७२, ७३, १२३, १५१, २०८, २७७, २९६, ३६६, ३७१		ट	
ज्ञानदर्शन-अमेदनिरास	४१९	टनाकार	४६८
ज्ञानदेव	३९७	टिप्पण	४४
ज्ञानपञ्चक ९, २०, ५७, १४०, २१३		टिप्पन	३५४
ज्ञानपञ्चक-विवरण	३६२	टिप्पनक	३५४
ज्ञानपञ्चकसिद्धि	४१९	टीका ७, ३२, ३८, ३९, ४४, ४७, ५१, ३५३, ३५४	
ज्ञानवाद	५७	टीकाकार	१३, ३८, ३५३
ज्ञानविमलसूरि ३९, ५४, ३५३, ४१२, ४५३, ४६०, ४६१		ड	
ज्ञानशीलमणि ३९, ३५३, ४५३		डेपन	२१०
ज्ञानसागर ३९, ३५३, ४५२, ४५३		त	
ज्ञानाचार	२७	ततुण	२३, २३६
ज्ञानादित्यप्रकरण	३६२	तत्र	७५, १५४
ज्ञानादित्रिक	२७२	तदुल्लवैचारिक	२९६
ज्ञानाधिकार	७२	तदुल्लवैचारिकवृत्ति	५८, ८५७
ज्ञानावरण	१५२	तघ	३३०
ज्ञानोपयोग	७७	तच्चणिय	३६, ५७, ३०२
		तज्जीयतच्छरीरवाद	३१२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
तट	२७	तमालपत्र	१०७
तडाग	४१४	तमिल	३४८
तत्क्षणिक	३३, ५७	तर	३३२
तत्परिभोग	२१०	तरगवती	३४, ३८, ३३६
तत्प्रतिषेध	१०, १००	तरणिपुर	३६१
तत्त्व	१६	तरु	९८, ३३१
तत्त्वादित्य	४२, ३८२, ३८६	तर्क	३९
तत्त्वार्थटीका	४९	तर्णादि-बधन	२१०
तत्त्वार्थभाष्य	४२, ४९, ४२९	तल	२१४
तत्त्वार्थभाष्य बृहद्वृत्ति	४२	तलवर	४१४
तत्त्वार्थभाष्य-वृत्ति	३८०	तलिका	२३३
तत्त्वार्थभाष्यन्याख्या	२९२	तलु	३३०
तत्त्वार्थमूळटीका	४९	ताडन	७७
तत्त्वार्थसूत्र	२९३	ताडना	१०
तत्त्वार्थाधिगम	३८	ताडपत्र	३३
तत्त्वार्थाधिगमसूत्रटीका	४१७	तापस	३४, ५७, १००, १०३, ३०२
तदुभय	३१, २०९	तामलिसि	४३, ३८५
तद्भावना	११, १०२	ताम्र	१०, १०२
तनु	९२	ताम्रलिसि	३०, २८०
तप.कर्म	११७	तायी	१०३
तप	१०, २०, २६, ३०, ७७, ९९, २०७, २५४, २७०, २७२, ४३१	ताचींथीक	१०७
तपस्वी	२८, ७७	ताल	१२, २०, १२३, २१४
तपागच्छ	५४, ५५, ४६०	तालाचर	४१४
तपागच्छनायक	५५	तितिणिक	२५०
तपोगुरु	२६, २५४	तितिष्ठा-	१०८
तपोदान	२१०	तित्थ	१५०
तपोरत्नवाचक	३९, ३५३, ४५३	तिनिघ	११, १०२, ३३०
		तिमिर	१०७
		तिरीटपट्टक	२४, २३७
		तिर्यक्	३७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
तिर्यञ्च	११३	तृणफलक	२१
तिर्यञ्च-प्रतिमा	२२९	तृणशाला	३७, ३३७
तिल १०, २८, १०२, २५८, ३३०		तृषा	७
तिलकमञ्जरी ४४, ३८८, ३८९		तेज	१६६
तिष्णगुप्त १७, १८, ५९, ८२, १८८,		तेजस्	११
१९०, ३००		तेजस्काय	११४, ३२३
तिसरिय ३७, ६०, ३३६		तेतलीपुत्र ३४, ५९, ३०१, ४०६	
तीरार्थी १००, १०३		तैदुक्क	१८९
तीर्ण १००, १०३		तोरण	४१४
तीर्थ ६४, ७५, ८७, १५४		तोसलिपुत्राचार्य	६७
तीर्थकर १०, २०, २१, ३३, ५८,		त्यजन	९२
५९, ६४, ७४, ७५, ७६,		त्याग	७७
७७, ७९, ८७, १७९, २१६,		त्रपु	१०, १०२
२९४, २९७, ३०१		त्रस	११, १६१
तीर्थकरनामकर्म १८७		त्रसकाय	११४, ३२३
तीर्थकरनाम-गोत्रकर्म ३७५		त्राता	१००
तीनमद ७३		त्रिक	४१४
तुंब ४०६		त्रिकुस्त्न	२४१
तुबवीणिक ४१४		त्रिदडी	७८
तुटिक ४२२		त्रिपुटक	१०, १०२
तुडिय ३७, ६०, ३३६		त्रिपुडा	३३०
तुवर ३३०		त्रिपृष्ठ	७९
तुवरी १०, २८, १०२, २५८		त्रिराशि	८२
तुषगृह ३७, ३३७		त्रिराशिवाद	३१२
तुषशाला ३७, ३३७		त्रिविष	८५
तूणइल्ल ४१४		त्रिशला	८०
तूळ ४१४		त्रिस्य	१५०
तृण ११४		त्रैराशिक	१८, १९३
तृणगृह ३७, ६०, ३३७		त्रैवार्षिकस्यापना	२९
तृणपचक २१०, २३८		त्र्यर्थ	१५०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
त्वक्	४१४	वर्ष	४३३
थ		दर्शन १६, २३, २७, ७३, ११५, २०८, २७७	
थरादनगर	३८८	दर्शनकल्प	३१
थारापद	३८८	दर्शनशास्त्र	१४, ५६, ५७
थारापदगच्छ	४३	दर्शन-सम्यक्त्व	७७
द		दर्शनावरण	१५२
दड	३६, ६०, २७९, ३२७	दर्शनेच्छा	२२५
दडनायक	४१४	दलमुल मालवणिया	१३१, १३४, १५६
दडनीति	२८, २५८		२९२, ३५५
दडासन	२४८	दश	१०, ९७, १२०
दत्त	११, १०२, ३३०	दशक	९७
दत्तघावन	२७९	दशकालिक	९८, ३१५, ३६७
दत्तनिपात	११, १०२	दशपुर	१८८
दक	३७, ३३७	दशपूर्वघर	६७
दकतीर	३७, २२७, ३३७	दशभाग	१०८
दकपथ	३७, ३३७	दशवैकालिक	८, १३, ३१, ३२, ४०, ६३, ६४, ९८, १२९, २८९, ३१५, ३५९, ४३६
दकमार्ग	३७, ३३७		
दकस्थान	३७, ३३७	दशवैकालिकभवचूरि	३६२
दक्षत्व	१०८	दशवैकालिक-आत्मज्ञानप्रकाशिका	५६
दक्षिण	५९, ६६	दशवैकालिकचूर्णि	३१, ३२, ३५, २८९, २९०, ३०६, ३०९, ३१५, ३२२
दत्ति	१०, ७७		
दधि	२३७	दशवैकालिकचूर्णिकार	३३
दमदत्त	३०९	दशवैकालिकदीपिका	५४, ४५९
दमिल	३८, ३४८	दशवैकालिकदीपिकाकार	५५
दया	१०८	दशवैकालिकनिर्युक्ति	८, १०, ४१, ५७, ५८, ६०, ६४, ६५, ७०, ९७
दरयाखान	४७०		
दरियापुर	४७२		
दरियापुरी	४७२		
दर्प	२०६, २१०		
दर्पिका	३२४, ४३२, ४३३		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
दशवैकालिकनिर्युक्ति-दीपिका	५३, ४५५	दाह	२२५
दशवैकालिकबृहद्दीका	३६२	दिक्	११, ११२
दशवैकालिकभाष्य	१३, १२९	दिगंबर	१८, ४०, ६६, ६८, १९५, ३००
दशवैकालिकघृत्ति	४१, ५७, ३६६	दिग्विजय-यात्रा	३४
दशवैकालिक-सौभाग्यचद्रिका	५६	दिनकरप्रश्रुति	४२६
दशवैतालिक	३१५	दिवसशयन	२१०
दशा	३०, ९७	दिवाकर	१४, १३१
दशार्ण	३१, २८०	दिव्य	३७
दशार्णभद्र	३००	दिव्यध्वनि	८०
दशाभीमाली	४६८	दिशा	२१०
दशाश्रुतस्कध ८, १२, ३१, ६३, ६४, ६६, ६७, १२०, २८९		दीक्षा	२९, ३४, ३७, ४३, ४५, २४१, २६७, २७८, ३४०
दशाश्रुतस्कध-गणपतिगुणप्रकाशिका	५६	दीक्षादाता	४०
दशाश्रुतस्कधचूर्णि	३१, ३८, ३४५, ३४७	दीप	२१, १८३
दशाश्रुतस्कधनिर्युक्ति	९, १२, ६६, ६७, १२०	दीपक	२३७
दोत	१००, १०३	दीपविजयगणि	३०५
दाक्षिण्यचिह्न	३५९	दीपिका	५३, ५५, ३५४, ४६४
दाता	२७३, ३३१	दीपिकाकार	५३
दान	३४, ८०	दीपित्त	२८, ५८, २५०, २६०
दानशेखर	४५२	दीर्घनि-वास	२२५
दानशेखरसुरि	३९, ५५, ३५३, ४६२	दीर्घाध्वकल्प	२१०
दामनक	९६	दीर्घिक	४१६
दाय	४१४	दु ल	१८१
दायक	२०९	दुग्ध	२३७
दावदंडक	२४८	दुहपनीत	९९
दार्शनिक	४१, ४३	दुर्ग	१२, २२, २५०
दावद्रव	४०६	दुर्निपण्ण	२४
दास	३०	दुर्बलिकापुष्पमित्र	१९६
		दुर्लभराज	३९७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
दुर्वचन	२४९	देशविनय	७८
दुर्विबुद्ध	२४	देशविरति	१५२, १९८, २००
दुष्कल्प	३१, २८१	देशातर-गमन	२१५
दुष्काल	२०, २१५	देशावसन्न	२७
दुष्ट	३०, २४४	देशीनाममाला	४९, ५०, ४१५
दूत	४१४	देशैकदेशविरति	२००
दूतीदोष	२०९	देह	१६, ९२, १५९, १६०
दूष्यपंचक	२१०, २३८	देहावसान	५१
दृष्टात	[१०, २७, १००	दोषनिर्घातविनय	२०५
दृष्टिवाद	१७, १८८	दोहडि	५२, ४४८
दृष्टिवादोपदेशिकी	१४४	दौवारिक	४१४
दृष्टिसपात	११, १०२	दौषिका	२६९
देव	१६, १७, ८१, १५७, १७८, ३०३	द्रव्य	१८, २३, ३१, ७३, १००, १०३, १९४, ३३०, ३६५
देवगुप्तसूरि	३२, २९२	द्रव्यकल्प	३१
देवग्रह	४३५	द्रव्यभुक्त-	७४
देवजी मुनि	४६८	द्रव्यहिंसा	२४
देवदारु	१०७	द्रव्यानुयोग	१७, ९७, १८८, २७२
देवप्रतिमा	२२९	द्रव्यौषध	११, १०२
देवद्विगणि	४५५	द्राक्षा	१०७
देवसेनगणि	५६, ४६७	द्रुम	१०, ९८, १०९
देवानदा	७९, २९९	द्रोणमुख	१२, २०, ४३, ५९, १२४, २१६, ३८४, ४२८
देवी	३४, ३००	द्रोणसूरि	३९, ४४, ३५३, ३९४
देवेंद्रगणि	३९, ५२, ३५३, ४४७	द्रोणाचार्य	४४, ४५, ४६, ४७, २७४
देवेंद्रनरकेंद्रप्रकरण	३६२	द्रोणसूरि	३९५, ३९७, ३९९, ४०८
देवेंद्रनरकेंद्रप्रकरणटीका	४१८	द्रोणसूरि	४११, ४१४
देवेंद्रसूरि	४१५	द्वादशागविद्	५०
देश	७३, १०८, २८०	द्वादशारनयचक्र	३९१
देशत-पादवैल्य	२७	द्वादशारनयचक्र	३९१
देशनी	१०३	द्वादशारनयचक्र	३९१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
द्वारवती	१०, ३१, ७८, २८०	धर्मकीर्ति	४२, ३५९, ३८०
द्वाषष्टि	४२२	धर्मकुल	४०
द्वि	२८, २५९	धर्मगुरु	३२
द्विक्रिया	८२	धर्मघोष	१०, ५६, ५९
द्विलवदनचपेटा	३६२	धर्मघोषसूरि	४६७
द्विपद	१०, १०२, ३३१	धर्मचक्र	१०, ७८
द्विविषद्रव्य	२३३	धर्मजननी	४०
द्वेष	३०१	धर्मतीर्थ	८७
द्वैक्रिय	१९३	धर्मतीर्थकर	८७
द्वैक्रियवाद	१८	धर्मधर्मिभेदाभेदसिद्धि	४१९
द्वैराज्य	२३२	धर्मध्यान	३६८
द्रथाश्रय	४४०	धर्मपाठक	२५७
		धर्मत्रिन्दु	६६२
		धर्ममदिर उपाध्याय	३९, ३५३, ४५३
घन	३११, ३७५	धर्मवचि	२०, ३४, ५९, २०७, २७३, ३०१
घनगुप्त	१९३		
घनदेव	४५, ३८८, ३९७	धर्मलामसिद्धि	३६२
घनपाल	४३, ४४, ३८८	धर्मवरचक्रवर्तित्व	८०
घनविजयगणि	५५, ४६३	धर्मश्रुति	१०८
घनभी	३८८	धर्मसग्रहणी	३६२
घनसार्यवाह	३३, २९८	धर्मसग्रहणी-टीका	४९, ४२७
घनिक	२७, २८, २५७, २५८	धर्मसग्रहणी-वृत्ति	४१७
घनुष	११९	धर्मसमा	२१६
घन्वन्तरी वैद्य	१०, ५९	धर्मसागरगणि	५५, ४६४, ४६५
घम्मतित्यवर	८७	धर्मसारमूलटीका	३६२
घम्मिल	९६	धर्मसारप्रकरणटीका	४१८
घर्म	१०, ६५, ७५, ८७, ९८, ९९, १०२, ३०१	धर्मसिंह	५६, ४६८
घर्मकथा	१०१, २२५, ४०६	धर्मसेनगणि	१३५
घर्मकथानुयोग	१७, ९७, १८८, २७२	धर्मोपदेशमाला	४४१
धर्मकरक	२३३	धर्मित	२४०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
घवलक	४५, ३९७	ध्यान	१०, १९, ९३, ९९, ३०३,
घात्रीदोष	२०९		३६७, ३७६
धानक	३३०	ध्यानशतक	१४, १३५, ३६७, ३७६
धान्य १०, ६०, १०२, २५८, ३३०		ध्यापन	१०
धान्यक	१०, १०२	ध्यापना	७७
धान्यकर	७८	ध्रुव	११२, १४३, १४८
धान्यपुर	१०		न
धान्यभण्डार	६०	नदि	४१९
घारण	१४६	नदि-टिप्पण	५१, ४४२
घारणा १७, १९, ७२, १४२, २०३,		नदिवर्धन	२०७
२७०, ४३१		नदी	३१, ४०, ५२, १३९, २१३,
घारणाव्यवहार	२०६		२३३, २८९, ३५९, ४१८
धारा	४५, ३९६	नदीचूर्णि	३१, ३२, ३३, ४०, ५७,
धारानगरी	३८८, ३९७		२८९, २९०, २९१, २९४,
धारिणी	४२१		२९६
धार्मिक	२६	नदीटीका	४१, ४८
धावन	२१०	नदीदुर्गापदव्याख्या	४४९
धीर	२८	नदीपुर	३१, २८०
धीरविमलगणि	५४, ४६१	नदीफल	४०६
धीरसुन्दर	३९, ३५३, ४५२	नदीभावन	२३३
धुत्तकखाणग	३२४	नदी-विशेषविवरण	४०
धूत	११, ११६	नदीवृत्ति	४०, ४८, ५७, ३६२, ३६३,
धूर्ताख्यान	३८, ३२३, ३६२		४१८
धूर्त्य	१२२	नदीसूत्रटीका	४१७
धूम	२०९	नदीसूत्र-भाषाटीका	५६
धूमपलिय	३७	नकर	४३
धृति	९८	नकार	१२३
धृतिसहननोपेत	२१०	नकुली	१९३
घोळका	४५, ३९७	नक्षत्रमास	२०
		नख	३६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
नलछेदन	२७९	नवागीवृत्तिकार	४४
नखनिपात	११, १०२	नवातःपुर	३७, ३३७
नखहरणिका	२३३	नाक	३६
नगर १०, १२, २०, २१, २२, ४०, ४३, ५९, १२४, २१६, ३८४		नाग	६९
नगर्विगणि ३९, ३५३, ४५२, ४५३		नागदत्त	१०, ५९, ६९
नट ३३८, ४१४		नागर	४१४
नट्ट ३३८		नागरिकशास्त्र	५६, ५९
नदी २५, २०८, २२७		नागार्जुनीय	३९०
नपुंसक ३०, ३७, २२९, ३४०, ३७२		नागेन्द्र	१३२
नपुंसकवेद २५		नाट्यविधि	४२९
नमस्कार १०, १५, १८, ४८, ५०, ६४, ८२, ८५, ९५, २००, ३०१		नाडोल	३८९
नमस्कार-प्रकरण १०		नाभि ७६, ३७५	
नमस्कार-भाष्य १९		नाम २३, ७३, ७७, १५१, २९६, ३६५	
नाभि ११, १०९		नामकर्म ७६	
नामिसाधु ३९, ३५३, ४५२		नामकल्प ३१	
नय १५, १६, ७६, ८१, १४८, १४९, १५०, १८७, २०१		नामावली ९	
नयचक्र ३९१		नारक १६, १७, ११३, १५७, १७९, १८०	
नयन १४२		नारी २६२, ३०८	
नयविमल्लाणि ५४, ४६१		नालदा ११९	
नयातर ३१		नाव २०८	
नरक ८१		नास्तिकमतचर्चा ३१२	
नरकवासी ११९		निंदा २०१, ३०३	
नरवाहनदत्तकथा ३३६		नि शक्ति २०९	
नर्तक ४१४		निकर १४८	
नर्तकी २४०		निकाचना २५५	
नवनीत २३७		निकाय १०, १४८, १०१	
नवरस ३३		निबिस्त २०९	
नवागवृत्तिकार ५४		निषेप १५, १८, २३, ६३, १४८, १५९	
		निषेप पद्धति ८, १०, ११, ६३	

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
निक्षेप-पूर्वक	१०, ११, १२	निर्णय	८
निगम	१२, २०, ५९, १२४, २१६, ४२८	निर्देश	१६, ७६, १५६
निगमन	१०, १००	निर्याण	३७, ३३७
निग्रह	१४८	निर्याणग्रह	३७, ६०, ३३७
निघट्टभाष्य	६३	निर्याणशाला	३७, ३३७
निष्कृति	७	निर्युक्ति	७, ८, ११, १२, १८, ३०, ३४, ६३, ६८, ७४, १४९, १५१
निष्कृतिअणुगम	६८	निर्युक्तिकार	८, ९, १७, ६३, ६६, ६७
नित्यानित्य	१६	निर्युक्ति-गाथा	९
निद्रा	१०८, ३२३	निर्वन्न	३६
निपुण	१५	निर्वाचन	२१
निमित्तदोष	२०९	निर्वाण	१६, १७, ७४, १११, १८२
नियतिक	२७, ५९, २५७, २५८	निर्वाणसिद्धि	८१
नियतिवाद	३१२	निर्विचिकित्सा	२०९
नियोग	७५, १५४	निर्विण्ण	९३
निरति	१२२	निर्विशमान	२१०
निरयावल्लिका	५२	निर्विष्ट	२१०
निरयावल्लिकावृत्ति	५३, ४५०	निर्वृति	३८६
निरयावल्लिकासूत्र	५३	निर्वेश	३१
निराकार	१९	निवृत्तिकुल	१४, १३१
निरुक्त	१५, ६३, ६८, १२३, १९९	निवृत्ति	१३२, ३०३
निरुक्ति	१६, ७६, १९९	निवेश	१२, २०, १२४, २१६
निर्गत	२६, २५४	निशीथ	११, १३, १९, ३१, ३६, ४४, ५२, ७०, १०९, ११८, १२९, २६५, २७१, २८९, ३२१, ३२२, ३९२
निर्गम	१६, ७६, १५६	निशीथचूर्णि	५२, २८६, ३२१
निर्ग्रय	२१, २४, १००, १०३, १०९, २७०, २७७	निशीथचूर्णि-दुर्गपदव्याख्या	५२, ४४९
निर्ग्रथी	२१, २२, २४, २२३, २४०, २४८	निशीथचूला	३२१
निर्वरा	२२	निशीथनिर्युक्ति	८, ७०, ११८, १२६
निर्वाव	३७		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
निशीथभाष्य	१३, ६८, ११८, २८६	नेमिनाथ	५०, ४१६
निशीथविशेषचूर्णि	३१, ३२, ३५, ५८, ५९, ६०, २९१, ३२१	नैगम	४३, १८७, ३८४, ४१४
निश्चयवाद	१४४	नैमित्तिक	९, ६९
निश्चित	१४३	नैयतिक	२५८
निश्चेष्टा	२२५	नैरात्म्यनिराकरण	४१९
निश्वा	२४१	नोअपराधपद	१००
निघण्ण	९२	नोजीव	१८, १९३
निघण्ण	२४८, २७९, ३६९	नोमातृकापद	१००
निषाद	१२, १११	नोभयतर	२१०
निषेध	८	नोश्रुतकरण	३९२
निष्काक्षित	२०९	नोस्थल	२४७
निष्कासित	३०	न्याय	१४८, ४३१
निष्कमण	२२, २२०	न्यायप्रवेशसूत्रवृत्ति	३६२
निष्पत्ति	२१, १३९	न्यायविनिश्चय	३६२
निष्पन्न	२३	न्यायशास्त्र	८
निष्पादक	२३	न्यायसागरगणि	३०५
निष्पाव	१०, २८, १०२, २५८, ३३०	न्यायामृततरंगिणी	३६२
निहव	१७, १८, ८२, १०८, १८८ ३००	न्यायावतार-विवृतिकार	५०, ४३८
निहवमत	९	न्यायावतारवृत्ति	३६२
निहववाद	१५, १७, १८, ५७, १८९ ७९		
नीच	९, ७७, १०८	प	
नीति	२७	पक	१२२
नीतिशास्त्र	२३५	पच	४१८
नीहारभूमि	३४३	पचक	३८
नृत्य	६५	पचकल्प	१३, ३१, १२९, २७८, २८९
नेपाल	३९, ५२, ३५३, ४४७	पचकल्पचूर्णि	२९२
नेमिचन्द्रसूरि	१५२	पचकल्पनिर्युक्ति	८, ९, ३०, ६६, १२६
नेमिचन्द्राचार्य	१५२	पचकल्पमहाभाष्य	७, १३, १५, १९, ३०, ५६, ५८, ५९, १३०, १३५, २०२, २७६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पचकल्पलघुभाष्य	२८३	पडालि	२१, २१६
पचनमस्कार	८५	पणित	४१४
पचनिर्गोथी	४५, ३६२, ३९६	पण्यशाला	३७, ३४२
पचमहाभूतिक	३१२	पत्तन	१२, २०, ४३, ५९, १२४, २१६, ३८४, ४२८
पचमहाव्रत	७८	पत्यपद्र	३९७
पचलिगी	३६२	पद	१०, १८, ८३, १००, ३०६
पचवस्तुक	४९, १३६, ४२९	पदवी	२८, ४४
पचवस्तुसटीक	३६२	पदार्थ	१८
पचव्रत	२५०	पद्मखड	१०, ७८
पचसंग्रह	४९, ३६२, ४२८	पद्मचद्र	४५४
पचसंग्रह टीका	४९, ४२९	पद्मदेव	३८९
पचसंग्रहवृत्ति	४१७	पद्मसागर	३९, ३५३, ४५३
पचसिद्धान्तिका	९, ७०	पद्मसुन्दरगणि	३९, ३५३, ४५३
पचसूत्रवृत्ति	३६२	पद्य	१००
पचस्थानक	३६२	पनक	१२२
पचाशक	३६२, ३६३	परपरसिद्धकेवल	४१९
पचाशकवृत्ति	४५, ३९६,	परतर	२७, २१०, २५५
पचेन्द्रियव्यपरोपण	२१०	परतीर्थिको	२३३
पञ्जिका	३५४	परदा	२२७, ३२६
पडक	२५, २४५	परदारप्रत्याख्यान	३०५
पडित	१४, १६, २८, ४३	परभव	८१
पडितमरण	३४०	परमाधार्मिक	११९, ३०३
पथ	२३, २३४	परमेष्ठी	८३
पक	२१५	परलोक	१७, ८१, १५७, १७४, १८२
पचनशाला	३७, ३४२	परलोकसिद्धि	३६२
पच्छिन्न	१९, २०३	परावर्तित	२०९
पटल	१०८	परिकुचना	२५३
पटलक	२३९	परिक्षेप	२२४
पट्ट	३७, ६०, २४०, ३३६	परिखा	३२४
पट्टघर	१४		
पट्टावली	४५		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
परिग्रह	१८, ३२४	परोक्ष	१३, १४१, २०४, २१४
परिग्रह-परिमाण	३०५	पर्येक	३६९
परिघ	४१४	पर्यय	१४०
परिज्ञा	११, ११२, २००	पर्ययन	१४०
परिणमन	२०	पर्यवखिल	१०८
परिणामिकी	३०१	पर्यवन	१४०
परिणामी	२१०	पर्याप्तक	७३
परिभाषा	४७	पर्याय	१४०, ३५४
परिभोग	२३	पर्यायग्रह	३७, ३३७
परिमथ	२५, २५०	पर्यायवाची	१२
परिवसना	१२, १२१, ३३९	पर्यायशाला	३७, ३३७
परिवासित	२४९	पर्यालोचन	१४६
परिव्राजक	३४, ५७, ७९, १००, १०३, ३०३	पर्युपशमना	१२, १२१, ३३९
परिशाटी	२४३	पर्युषणा	१२, १२१, २११, ३३९
परिशातना	९२	पर्युषणाकल्प	१२१
परिष्ठापना	२५, ३०३	पर्व	१०८
परिष्ठापनिकासमिति	२०७	पर्वक	११४
परिष्वजन	३७, ३३६	पर्वचीज	११४
परिस्थापना	३७६	पर्वद	९४, २९४
परिहरणा	३०३	पर्वदा	२१४
परिहार	२६, २५३, २५५, २६०	पलना	३७, ६०, ३३६
परिहारकल्प	२४९	पलाहु	३१२
परिहारतप	२५, २४७, २५६, २६५	पलायित	३०
परिहारविशुद्धि	१६, १५३, २७१	पलिय	३७
परीक्षा	२१	प्रक्षिम	५९
परीत्त	७३	पश्यत्ता	३७३
परीषह	११, ८०, १०६, ११५, ११७, ३०३	पहकर	४३५
परुष	२४९	पाद्व-टीका	४४, ३८९
		पाद्वलञ्छीनाममाला	३८९
		पाचाल	३१, २८०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पाक्षिकसूत्र	७, ६८	पापा	३१, ८०, २८१
पाखंडी	१००	प्रायच्छिन्न	१९
पाटन	४३, ४४, ४५, ४६, ५२, ३८८, ३९६	पारगत	९
पाटलिखंड	१०, ७८	पारांचिक	२०, २४, २०७, २११, २४४
पाठ	७५, १५४	पाराचित	२६०, २७०, ४३१
पाठभेद	४७, ५०	पारिणामिकी	८४, १४३
पाठान्तर	४२, ४४,	पारिभाषिक	८, १३, ४७, ६३
पाणिपात्र	३६	पार्वचंद्र	४५२, ४५३
पाणिपात्रभोजी	३६	पार्वचंद्रगणि	५६, ४६८
पात्र	११८, ३९१	पार्वदेवगणि	४४९
पात्रकवच	२३९	पार्वनाथ	४५९
पात्रकेसरिका	२४८	पार्वस्य	२७, ८८, २५६, ३०२
पात्रप्रत्युपेक्षणिका	२३९	पाशस्य	२७, २५६
पात्रलेप	२७३	पाषाण	११, १०२, ३३०
पात्रस्थापन	२३९	पासडी	१०३
पादप	९८	पिंड	१०, २२, २३, ३०, १०१, ११८, १४८, २०८, २३७, २७२, २७५
पादपोषगमन	२०, ११६, २०६	पिंडदाह	१०७
पादप्रौढन	३२८	पिंडनिर्युक्ति	८, १३, १९, ३४, ४०, ५०, ६७, ७०, १२६, १२९, २०२, ३५९, ४३६
पादलिप्त	२०९	पिंडनिर्युक्तिटीका	४८, ४१७
पादलिप्तधरि	४९, ४२५, ४२८	पिंडनिर्युक्तिदीपिका	५२, ४५५
पादलिप्ताचार्य	६७	पिंडनिर्युक्तिभाष्य	१३, ३०, १३०, २७२, २७५
पान	९५	पिंडनिर्युक्ति-विषमपदवृत्तिकार	५०
पानक	२१, २४८	पिंडनिर्युक्ति वृत्ति	५०, ३६२, ४३६
पानागार	३७, ६०, ३३८		
पानासवरण	२१०		
पानी	१०७		
पाप	१६, १७, ८१, १२२, १५७, १८०		
पापभ्रुत	३०३		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
परिग्रह	१८, ३२४	परोक्ष	१३, १४१, २०४, २९४
परिग्रह-परिमाण	३०५	पर्येक	३६९
परिघ	४१४	पर्यय	१४०
परिज्ञा	२१, ११२, २००	पर्ययन	१४०
परिणमन	२०	पर्यवखिल	१०८
परिणामिकी	३०१	पर्यवन	१४०
परिणामी	२१०	पर्याप्तक	७३
परिभाषा	४७	पर्याय	१४०, ३५४
परिभोग	२३	पर्यायगृह	३७, ३३७
परिमथ	२५, २५०	पर्यायवाची	१२
परिवसना	१२, १२१, ३३९	पर्यायशाला	३७, ३३७
परिवासित	२४९	पर्यालोचन	१४६
परित्राजक	३४, ५७, ७९, १००, १०३, ३०३	पर्युपशमना	१२, १२१, ३३९
परिश्राटी	२४३	पर्युषणा	१२, १२१, २११, ३३९
परिश्रातना	९२	पर्युषणाकल्प	१२१
परिष्ठापना	२५, ३०३	पर्व	१०८
परिष्ठापनिकासमिति	२०७	पर्वक	११४
परिष्वजन	३७, ३३६	पर्वचीज	११४
परिस्थापना	३७६	पर्षद	९४, २९४
परिहरणा	३०३	पर्षदा	२१४
परिहार	२६, २५३, २५५, २६०	पलवा	३७, ६०, ३३६
परिहारकल्प	२४९	पलाडु	३१२
परिहारतप	२५, २४७, २५६, २६५	पलायित	३०
परिहारविशुद्धि	१६, १५३, २७१	पलिय	३७
परीक्षा	२१	पश्चिम	५९
परीत्त	७३	पश्यत्ता	३७३
परीषद्	११, ८०, १०६, ११५, ११७, ३०३	पहकर	८३५
पदध	२४९	पाइअ-टीका	४४, ३८९
		पाइअल्छीनाममाला	३८९
		पाचाल	३१, २८०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पेशी	२२५	प्रणयन	१२४, २३१
पेषण	२५, ३६	प्रणिधान	९८
पैर	३६	प्रणिधि	१०, १०३
पोट्टशाल	१९३	प्रणेत्या	५४, ६४
पोत	९, ५८, ७७	प्रतिक्रंतव्य	८९
पोतक	२४, २३७	प्रतिक्रमण	१०, २०, ३४, ७२, ८९, १४८, २०७, २११, २७०, ३०२, ४३१
पोताकी	१९३	प्रतिक्रमण-प्रकरण	१०
पौरुष्य	९५	प्रतिक्रमितव्य	८९
पौल्लषाढ	१९१	प्रतिक्रामक	८९
प्रकट	३७	प्रतिग्रह	२४१
प्रकरण	५८	प्रतिग्रहधारी	३६
प्रकल्प	१९, ३१, २८१, ३२१, ३२२	प्रतिचरणा	३०३
प्रकार	३७, ३३७	प्रतिज्ञा	१०, १००, ३३५, ३६८
प्रकाश	१८३	प्रतिपत्तित	१९८
प्रकीर्णक	४९, ५४, १०१	प्रतिपत्ता	१९८
प्रकृति	१६, १५९	प्रतिपन्न	१९८
प्रच्छादना	२३८	प्रतिपातोत्पाद	७३
प्रजा	२५८	प्रतिपृच्छा	१४६
प्रज्ञा	७३	प्रतिबद्ध	२२९
प्रज्ञाकर गुप्त	५०, ४३८	प्रतिबद्धशय्या	२२९
प्रज्ञापक	१०३	प्रतिबोध	५६, १००
प्रज्ञापन	१४८	प्रतिभा	१४
प्रज्ञापना	४०, ५६, ३५९, ४०२, ४२०	प्रतिभा	१२, २१, २६, २९, ३०, ११६, १२१, २५४, ३५६
प्रज्ञापनाटीका	४८, ४९, ४२७	प्रतिमास्थित	२४८
प्रज्ञापनातृतीयपदसमहणी	४५, ३९६	प्रतिखेखना	२१, २२, २३, ३०, २१९
प्रज्ञापनाप्रदेशव्याख्या	४१, ३६२, ३७०		२७२, ३०३
प्रज्ञापना-भूल्टीका	४९, ४२७	प्रतिलोम	९९
प्रज्ञापनावृत्ति	४८, ४२०		
प्रज्ञापनासूत्र	४१, ४८		
प्रज्ञापनी	१०३		
प्रज्ञापनोपाङ्गटीका	४१७		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पिंडविशुद्धि	२६, २१०, २५४, २७२		२६७, ३२८, ३४०, ३७२
पिंडवैषणा	११८, ४३६		
पितृमाम	३३५	पुरुषजात	२७१
पितृपक्ष	२७	पुरोहड	२३०
पिप्पलक	२३३, २७९	पुरोहित	३३३
पिप्पली	१०७	पुलाक	२७०, २७७
पिलक	३३३	पुलाकभक्त	२४९
पिहित	२०९	पुष्प	१०, ९८
पीठ	३६	पुष्पभूति	१० ५९
पीठफलक	२४८	पुष्पमित्र	१७, ५९, १८८
पीठमर्द	४१४	पुस्तक	४६
पीठिका	२०, २६, ३५, ३८, ३५४	पुस्तकपत्रक	२१०, २३८
पीठिकामाष्य	५०	पूजा	११, १०९
पुज	१४८	पूजाकर्म	८७, ३०१
पुडरीक	१२, ११९, ४०६	पूज्यभक्तोपकरण	२३७
पुट	२३३	पूरक	८, १२
पुटभेदन	२०, २१६	पूर्णाशिरोरोग	१०७
पुण्य	१६, १७, ८१, १५७, १८०	पूर्तिकर्म	२०९
पुण्यविजय	६८, १३५, १३६, २३१, २७४, २८४, २८६, ३१५, ३१७, ३४५, ३४७, ३५५, ४१५, ४२३	पूर्व	१०, ५९, ३०६
		पूर्वक	१००
		पूर्ववर्ती	४१
		पूर्वांग	२९६
पुण्यशाला	३००	पृच्छन	१०
पुण्यसागर	३९, ३५३, ४५३	पृच्छना	७७
पुनर्वसु	४२२	पृथक्करण	१५
पुद्गळ	३२३	पृथ्वी	११, ११३, १६६, १७३
पुर कर्म	२२, २२१	पृथ्वीकाय	११३, ३२३
पुरिमाद	९५	पृथ्वीचन्द्र	३४५, ३४६, ४६६
पुरुष	१२, १६, २४, ३७, ७६, ८१, ११९, १५९, १८६,	पृथ्वीचन्द्रसुरि	५६, १६७
		पृथ्वीराज जैन	१५६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पेशी	२२५	प्रणयन	१२४, २३१
पेषण	२५, ३६	प्रणिधान	९८
पैर	३६	प्रणिधि	१०, १०३
पोद्दुशाल	१९३	प्रणेता	५४, ६४
पोत	९, ५८, ७७	प्रतिकृतव्य	८९
पोतक	२४, २३७	प्रतिक्रमण	१०, २०, ३४, ७२, ८९,
पोताकी	१९३		१४८, २०७, २११, २७०,
पौरुष्य	९५		३०२, ४३१
पौलाषाढ	१९१	प्रतिक्रमण-प्रकरण	१०
प्रकट	३७	प्रतिक्रामितव्य	८९
प्रकरण	५८	प्रतिक्रामक	८९
प्रकल्प	१९, ३१, २८१, ३२१, ३२२	प्रतिग्रह	२४१
प्रकार	३७, ३३७	प्रतिग्रहधारी	३६
प्रकाश	१८३	प्रतिचरणा	३०३
प्रकीर्णक	४९, ५४, १०१	प्रतिशा	१०, १००, ३३५, ३६८
प्रकृति	१६, १५९	प्रतिपतित	१९८
प्रच्छादना	२३८	प्रतिपत्ता	१९८
प्रजा	२५८	प्रतिपन्न	१९८
प्रज्ञा	७३	प्रतिपातोत्पाद	७३
प्रज्ञाकर गुप्त	५०, ४३८	प्रतिपृच्छा	१४६
प्रज्ञापक	१०३	प्रतिबद्ध	२२९
प्रज्ञापन	१४८	प्रतिबद्धशय्या	२२९
प्रज्ञापना	४०, ५६, ३५९, ४०२, ४२०	प्रतिबोध	५६, १००
प्रज्ञापनायीका	४८, ४९, ४२७	प्रतिभा	१४
प्रज्ञापनातृतीयपदसमूहणी	४५, ३९६	प्रतिमा	१२, २१, २६, २९, ३०,
प्रज्ञापनाप्रदेशन्याख्या	४१, ३६२, ३७०		११६, १२१, २५४, ३५६
प्रज्ञापना-मूल्टीका	४९, ४२७	प्रतिमास्थित	२४८
प्रज्ञापनावृत्ति	४८, ४२०	प्रतिलेखना	२१, २२, २३, ३०, २१९
प्रज्ञापनावृत्त	४१, ४८		२७२, ३०३
प्रज्ञापनी	१०३	प्रतिलोम	९९
प्रज्ञापनोपाङ्गीयीका	४१७		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
प्रतिश्रय	२३०	प्रभास	१६, ८०, १५७, १८२
प्रतिषेध	१०	प्रमत्त	२४४
प्रतिष्ठा	२१०	प्रमाण	२०९, २९६
प्रतिष्ठाकरूप	३६२	प्रमाणशास्त्र	५७
प्रतिसंलीनप्रतिमा	१२१	प्रमाणागुल	२९६
प्रतिसार्थ	२३३	प्रमाणाहारी	२९, २६९
प्रतिसेवक	३२२	प्रमाद	११, १०२, १०८, २४४
प्रतिसेवना	२६, २५३, ३२२, ४३१	प्रमार्जन	३३२
प्रतिसेवितव्य	३२२	प्रमेथरत्नमजूषा	४५२
प्रत्यक्ष १३, १४०, १५८, २०४, २९४		प्रयोगसपदा	२०४
प्रत्यक्ष परोक्ष-स्वरूपविचार	४१९	प्रयोजन	१०, १८
प्रत्यय	१६, ७६, ८१, १८७	प्ररूपणा	१८, ८३, १११
प्रत्याख्याता	९४	प्रलव	१२, १२३, २१४
प्रत्याख्यान	१०, १२, ७२, ८५, ९४ ११९, १४८, २००, २०१, ३०५	प्रलम्बसूरि	३२, ३३, २९१, २९३
प्रत्याख्येय	९४	प्रलोक	८६
प्रत्युपेक्षण	२७	प्रवचन	११, १५, ७५, ७७, १०९, १५४, २०३
प्रथमसमवसरण	१२१	प्रवचन प्रभावना	७७
प्रथमानुयोग	३७५	प्रवण	१५
प्रदेश	४३, १०८	प्रवर्तक	२८, ४०, ६४
प्रदेशन्याख्या टिप्पण	५१, ४४२	प्रवर्तिनी	२१, २८, २२८, २६२, २६४
प्रदेशी	४३४	प्रवाल	११, १०२, ३३०, ४१४
प्रद्युम्न	३६, ५१, २९१, ३२१, ४४०	प्रवृत्ति	३७७
प्रद्युम्न क्षमाभ्रमण	३२	प्रनजित	१००, १०३
प्रध्वसाभाव	१७८	प्रपत्न्या	२१, २५, ३०, ३७, ५८, १३९, २७८, ३४०
प्रभव	३३८	प्रनाजन	३०, २७८
प्रभावक-चरित्र	४५, ३६१, ३६३, ३७८, ३८८, ३९६	प्रनाजना	२४५
प्रभावना	२०९	प्रदान	८६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
प्रशस्ति	५२	प्राभृत	१२४, २३१
प्रशस्त्य-भाव्यसस्यकाश्यपीकल्प	१५	प्राभृतिका	२१, २२, २०९, २२०, २७५
प्रशात	२९६	प्राभृत्य	२०९
प्रशासन	४७	प्रायश्चित्त	१९, ९९, २०२, २०३,
प्रशिष्य	५५		२०७, २५२, २७०, ३०४,
प्रश्नव्याकरण ४५, ४७, ४११, ४६०			३१४, ४३०, ४३१
प्रश्नव्याकरणदशा	४६१	प्रायश्चित्तदाता	१९, २०५
प्रश्नव्याकरणवृत्ति	४७, ५४, ४११	प्रायश्चित्तदान	१९, २०५, ४३०
प्रश्नव्याकरण सुखबोधिकावृत्ति	५४, ४६४	प्रावचन	१५४
प्रसव	९८	प्रावृट्	२३२
प्रसिद्धि	१८	प्रास्वस्थ	२५६
प्रस्तार	२५, २४९	प्रियगु	१०७
प्रस्थापना	२५६	प्रियदर्शना	१९०
प्रस्रवण	२१, ११३, २७९	प्रियमित्र	७९
प्रहरण	१०८	प्रेमपत्र	३७
ग्रहेणक	१२४, २३१	प्रेमपत्र-लेखन	५८, ३३५
प्राकृत ८, ९, १३, १४, ३१, ३५,		प्रोतन	७७
३८, ४१, ४२, ४४, ४८, ६३		प्लवक	३३८, ४१४
प्राघुणक	२३८		
प्राघूर्णक	२१९	फ	
प्राचीन	६६, ६७	फल	१८, ४१, ९१
प्राचीर	२२४	फल्गुरक्षित	६७
प्राणातिपात	२५, ३२३	फुफुक	२२५
प्राणी	११, १६०	फुल्ल	९८
प्राणु	९२		
प्रादुष्करण	२०९	व	
प्राप्तकारिता	१४३	वघ ९, १६, ७७, ८१, १५७, १७६	
प्राप्तावमौदर्य	२९, २६८	वघशतक	४४१
प्राप्ति	७६	वक्रुश	२७०, २७७
प्राप्तिकाल	७६	वल	३२९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
बलदेव	२०, ७८	बुद्धि	८४, ३०१
बलभद्र	१९१	बुद्धिसागर	३९६
बहिर्निवसनी	२४०	बूर	४१४
बहिलक	२३, २३५	बृहट्टीका	३७४
बहु	११, १०९, १४३	बृहत्कल्प ८, १२, १३, १९, २०,	
बहुमान	२०९	३१, ६३, ६४, १२५, १२९,	
बहुरत	१८, ८२, १८९	२८९, ४३९, ४३०	
बहुविध	१४३	बृहत्कल्पचूर्णि	३१, ३२, ३८, २९१,
बहुभुत	१९, २८, ४०, ७७, २१४		३४७
बह्वागम	२८	बृहत्कल्पचूर्णिकार	१४, ३३, ५१,
बादर	११३		१३६
बादरसपराय	१०६	बृहत्कल्पनिर्युक्ति	८, १२, १२३
बाल	३०, ३६, १०२	बृहत्कल्प-पीठिकानिर्युक्ति	५०
बाल दीक्षा	३०, २६९, ३४०	बृहत्कल्प-पीठिकाभाष्य	५०
बालदीक्षित	२१	बृहत्कल्प पीठिकावृत्ति	४८, ५०, ४१७,
बालपंडित	२००		४३८
बालंभा	६०	बृहत्कल्प बृहद्भाष्य	१४, २६, ५६,
बालमरण	३४०		२८४
बालवत्सा	३०	बृहत्कल्प लघुभाष्य	१३, १५, १९, २०,
बालावबोध	५६, ४६८		२६, ५६, १३०,
बाल्यकाल	४५		१३५, २०२, २१३,
बाल्यावस्था	४३		२७२, २८४
बाहु	३६	बृहत्कल्प लघुभाष्यकार	५१
बाहुगलि	१०, ३४, ५९, ७८, २९९	बृहत्कल्प विशेषचूर्णिकार	१४, १३६
बाह्मसयोग	१०६	बृहत्कल्पवृत्ति	५३, ४१४
बिंदुसार	७४, ३३४	बृहत्क्षेत्रसमास	१३५, २९२
बिंडाली	१९३	बृहत्क्षेत्रसमासवृत्ति	४१७
बिस्वमूल	१०७	बृहत्सग्रहणी	१३५
बीज	११३	बृहत्सग्रहणीवृत्ति	४१७
बीजदह	११४	बृहदारण्यक	४४
बुद्ध	१०३		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
बृहद्भाष्य	१३	भते	२०१
बृहद्वृत्ति	४२	भक्त	२३
बृहन्मिथ्यात्वमथन	३६२	भक्तपरिज्ञा	२०, २०६
बौदि	९२	भक्तपान	२५
बोटिक १७, १८, ३४, ५७, १९४,	३००, ३०२	भक्ताचचि	२२५
बोधिका	२६९	भगदर	३३३
बौद्ध	२३, ४२, ३६२	भगवती ३१, ४२, ४५, ४६, ५६	
बौद्ध उपासक	२०९	भगवती-विशेषपदव्याख्या	५५, ४६२
बौद्धमतनिरास	३१२	भगवतीवृत्ति	५५
बौद्ध भावक	२२३	भगवतीसूत्र	५५
ब्रह्मचर्य	१११	भगवतीसूत्र द्वितीयशतकवृत्ति	४१७
ब्रह्मचर्यगुप्ति	२७२	भगवान्	२९७
ब्रह्मद्वीपिक	६७	भगिनी	३८
ब्रह्मद्वैपिक	२०९	भङ्गौच	२३, १३१, २२३
ब्रह्ममुनि	४५३	भदत	८५, २०१
ब्रह्मरक्षा	२४८	भद्विलपुर	३१, २८०
ब्रह्मर्षि	३९, ३५३, ४५३	भद्रक	१०६, २२२
ब्रह्मस्थल	१०, ७८	भद्रगुप्त	६७
ब्रह्मापाय	२४७	भद्रदारु	१०७
ब्राह्मण १२, १६, ७९, १०३, १११		भद्रबाहु ८, ९, १२, १३, २०, ३०,	
ब्राह्मणकुडग्राम	७९, २९९	५०, ६३, ६४, ६५, ६७,	
ब्रीडनक	२९६	६८, ७०, १२०, २११,	
ब्रीहि	१०, २८	२७६, ३२२, ४५४	
		भद्रबाहुसहिता	९, ६९, ७०
		भद्रबाहुसुरि	४९, ४२१
		भद्रबाहुस्वामी	४३९, ४४५
		भय	२८, ८५, ३३९
भग	३१	भयभीत	३०
भगि	२८०	भयोत्पादन	७९
भङ्गशाला	३७, ३४२	भरत ३३, ३४, ५९, ७८, ७९, २९८	
भङ्गी	२३, २३५		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
भूगोल	५९	मन्त्रविद्या	९, ६९
भूत १७, ८१, १६२, १६६, १७०,		मन्त्री	४१४
	१८२	मन्दिर	१०, ७८
भूतगृह	१९३	मगध ३०, ३८, ५९, २८०, ३४३, ३४८	
भूतग्राम	३०३	मगधसेन	३८, ३३६
भूतघर्म	१६	मघा	४२२
भूतवाद	१७	मडन १२, २०, ४३, ५९, १२४,	
भूमि	३३१		२१६, ३८४, ४२८
भूमिका	३६	मणि ११, ३७, ६०, १०२, ३३०, ३३६	
भूमित्रिकाप्रेक्षण	२१०	मणिनाग	१९३
भेद ११, ७६, १०८		मत	१८, ५७
भेदन	२५, ३६	मतातर	५७
भोग २३, ३०, २३६, २७८		मति १५, १७, ५७, ७३, १४१,	
भोज ४४, ३८९, ३९६			१४३, २९४
भोजन	२२	मतिज्ञान	१५, १४०
भोजराल	३८८, ४३	मतिषपदा	२०४
		मत्स्य	२८०
म		मत्स्यादिक्रमस्थापना	४१९
मल ४१४		मत्स्यादिस्वरूपनिश्चय	४१९
मगल १०, ७७, ८५, ९७, ९९,		मथुरा ३१, ४३, १३१, २८०,	
१२३, १३९, २१३, २९७,			३८५, ४२५
	३६७	मद	१८२
मगल गाथा	३६	मदन	१००
मगलद्वार	१३९	मदशक्ति	१६६
मगलवाद	२०, २१३	मघ	१०८, १६६, ३१२
मडलिका	११४	मघपान	३४, ३०६
मडिक १६, १७, ८०, १५७, १७६		मद्याग	११, १०७, १८१
मडूक	४०६	मध्यमा	८०
मतव्य	१६	मन	७४, १४२
मत्र	२०९	मनक	९८
मत्रदोष	२०९		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मन'पर्यय १५, ५७, ७२, २०४, २९४		मलयवती	३८, ३३६
मन पर्ययज्ञान ७४, १४०, १४६		मल्ल	३३८, ४१४
मनुजजीवकल्प ३०		मल्लिकावासित	१०७
मनुष्य ११, ५८, ११२, २९६		मल्ली	४०६
मनुष्यक्षेत्र ७४		मसार	४१४
मनुष्यजाति १११		मसुरक	२८, २५८
मनुष्यप्रतिमा २२९		मसूर	१०, १०२, ३३०
मनुष्य-लोक १७९		महती	९८
मनोगुप्ति २०७		महत्	१०, १०१
मनोविज्ञान ५६, ५८		महत्तरक	२७, ५९, २५७, २५८
मनोवैज्ञानिक २८, ५८		महत्तरा	३६१
ममता ९, ७७		महद्भाव	२६०
मरकत ४१४		महन्मेद्र	२५
मरण ११, १०२, १०९, ११६, २२५		महर्द्धिक	२२१, २३८
मरणविभक्ति ६७		महसेन	८०, ८१, १५७
मराठी ३७		महाकल्प	३८, ३४८
मरालि १०६		महाकल्पश्रुत	१७, १८८
मरिच १०७		महाकवि	४४
मरीचि ७७, ७८, ७९, २९९		महाकाल	११९
मरुडराज २०९		महाकुल	३७, ३३७
मरुदेवी ७६		महागिरि	१०, ५९, १९२, ३३४
मलघारी अमयदेवसूरि ५१		महागृह	३७, ३३७
मलघारी हेमचद्र ९, ३९, ४२, ७२, १३४, १५६, १९७, ३५३, ४४०		महाघोष	११९
मलघारी हेमचद्रसूरि ५१, ३७८		महानदी	२४७
मलय ३१, २८०		महानसशाला	३७, ६०, ३३८
मलयगिरि ९, ३९, ४८, ४९, ५०, ५१, ३५३, ४१५, ४५४		महानिशीय	३१, १३१, २८९
मलयगिरि शब्दानुशासन ४१७		महापन्ननद	३४, ५९, ३०३
मन्यगिरि सूरि ४७		महापथ	८१४
		महापरिशा	४३, ११२, ३८४

अनुक्रमणिका

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
महापुर	१०, ७८	माणिक्यशेखरसुरि	५३, ४५५
महाभारत	१४५	माणिभद्र	४२१
महाभिनिष्क्रमण	८०	मातृकापद	१००
महामन्त्री	४१४	मातृग्राम	३६, ३७, ३३५
महामति	४४, ३९०	मातृपक्ष	२७
महामाडलिक	४२८	मात्रक	२४०
महाराष्ट्र	२९, २६८	माथुरी	४२५
महावीर ८, १६, १७, ३३, ५९, ६४, ७४, ७६, ७९, १३२, १५६, २९८, २९९, ४२१		मान	१५३, २०९
महावीर चरित्र	९	मानदण्ड	९, ५८, ७७
महावीर-जन्मकल्याण	५३	मानदोष	२०९
महाव्रत	३०३, ३६९	मानुष्य	३७, १०८
महिला-स्वभाव	२५	माया	१५३, २०९
महिषी	११, ३३१	मायादोष	२०९
मही	२४७	मारणातिक	२०
महीरुह	९८	मार्ग	१२, २३, ७५, १४८, १५४, १९९, २३४, ४३१
महेंद्रप्रभसुरि	५३, ४५५	मार्गणा	७३
महेंद्रसुरि	४५२	मालव	४३
महेश्वरसुरि	५४, ४५६	मालवप्रदेश	३८८
महोत्सव	३४	मालाहृत	२०९
मांडग्याम	३७, ३३५	माल्य	१०, ७७
माडलिक	४२८	माष	१०, २८, १०२, २५८, ३३०
मास	४१	मास	२६, २११, २१६, २५३
मासाहार	३४, ३०६	मासकल्प	२१, ३२
मागध	१२, १११	मासकल्पविहारी	२०
माघ	५३	मासगुरु	२६, २५४
माडविक	४१४	मासपुरी	२८०
मादर	२८, २५८	मासा	३३०
माणिक्यशेखर	९, ३९, ३५३, ४५२, ४५३	माहिल	८२
		माहेंद्रफल	१०७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मित्र	२९	मूर्च्छा	२२५
मित्रवती	९४	मूल २०, २०७, २११, २७०, ४३१	
मित्रश्री	१९१	मूलकर्मदोष	२०९
मिथिला १०, ३१, ७८, १८८, २८०,		मूलगुण	२६, २५४, ३१४
	४२१	मूलटीकाकार	४०४, ४३८
मिथ्या	१७३	मूलदेव	३२३
मिथ्यात्व	२७	मूलपाठ	४९
मिथ्याश्रुत	१४५	मूलबीज	११४
मिश्र २०, २०७, २०८, २७०, ४३१		मूलभाष्य	१२९
मिश्रकथा	१०१	मूलभाष्यकार	४३८
मिश्रजात	३०, २०९	मूलवृत्तिकार	४०४
मुजचिप्पक	२४, २३८	मूलसूत्र	१३, २०
मुडन	३०, २७८	मूलाचार	६८
मुकुट	३७, ६०, ३३६	मूलावश्यकटीका	१९८
मुकुदानूर्य	१०७	मूलावश्यकविवरण	१५६
मुक्त	१००, १०३	मूषक	१०७
मुक्तावली	३७, ६०, ३३६	मूषकी	१९३
मुक्ति	१८१, १८५	मृगपर्पदा	२३३
मुखवल्लिका ३६, १९५, २३९, ३३२		मृगशृंग	११३
मुद्ग १०, २८, १०२, २५८, ३३०		मृगावती	२५५, २९८
मुनि	१००, १०३, ११५	मृगी	१९३
मुनिचन्द्रसूरि ३९, ५२, ३५३, ३८९,		मृतक पूजन	१०
	४४८, ४५३	मृतपूजना	७७
मुनिपतिचरित्र	३६२	मृत्तिकावती	३१, ०८०
मुनिविमलसूरि	४५८	मृत्यु	१०९
मुर्मुर्	११४	मृत्युप्राप्त	२४६
मूक	१४२	मृदुवाक्	२५
मूका	७९	मृपावाद	३२३
मूढ	३०	मैठ	३००
मूत्र	२५	मेघकुमार	६०६
		मेघराज वाचक	३९, ३५३, ६५३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मेतार्थ	१६, ३४, ५९, ८०, १५७, १८२, ३००	यज्ञ	१०, ५८, ७७, ८०
मेधा	१७	यज्ञपाट	८०
मेखतुगसूरि	५३, ४५५, ४५६	यज्ञवाटिका	८०
मेखसुदर	४५३	यत्तना	२३, २५
मेवाङ्ग	४०, ३६०	यति	१०३
मेघ	३३१	यतिदिनकृत्य	३६२
मैथुन	१२, २५, ३६, ५८, २४४, ३२३, ३२४, ३३५	यथाख्यात	१६, १५३, २७१
मैथुनप्रतिसेवना	२६६	यथाच्छद	२७, २५६, २५७
मैथुनभाव	२५	यथालदिक	२२, २२२
मैथुनसेवन	२६२	यमुना	२४७
मोक	२४९, २६९	यव	१०, २८, १०२, २५८
मोकप्रतिमा	२६९	यवनिका	३२६
मोक्ष	११, १६, ७४, ८१, १०९, १५७, १७६, १८०	यवमध्यप्रतिमा	३०, २६९, २७०
मोतीचन्द्र	२१३	यज्ञोदेवगणि	४५, ३९९
मोदक	३२३	यज्ञोदेवसूरि	३२, २९२
मोरी	१९३	यज्ञोघरचरित्र	३६२
मोह	१२, १२२	यज्ञोभद्र	३३४
मोहनीय	१५२	यज्ञोभद्रसूरि	५६, ४६७
मोहनीयस्थान	१२२, ३०३	याकिनी महत्तरा	४०, ३६१, ३७७
मोहित	२६०	याकिनी महत्तरासूनु	१३६
मौक्तिक	११, १०२, ३३०	याग	४१४
मौखरिक	२५०	यात्रा	८९
मौर्यपुत्र	१६, ८०, १५७, १७८	यान	१०८, ४१४
मौष्टिक	४१४	यापक	९९
म्रक्षित	२०९	यापना	८९
य		यावज्जीव	२०१
यक्षाविष्ट	२६०	यावज्जीवन	८५
		यावत्कथिक	३८
		यावदर्थिकमिभ्र	२२
		यासासासा	२९८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
यास्क	६३	रतिवाक्य	३१६
युगपद्	१९, ४०	रत्न	१०, ६०, १०२, ३३०
युगपद्-उपयोगनिरास	४१९	रत्नकब्रल	१९५
युगप्रधान	१४, १३३	रत्नप्रभसूरि	३९, ३५३, ४५३
युग्य	४१४	रत्नविजय	१५७
युद्ध	९, ७७	रत्नसिंह	४५८
युद्धकला	२९८	रत्नाधिक	२४१
युद्धांग	११, १०७	रत्नावली	३७, ६०, ३३६
युवराज २७, ५९, २५७, २५८, ४१४		रथनेमि	३६८
योग ७३, ८५, १०३, २०१, २०९		रथयात्रा	२२, २२०
योगद्वष्टिसमुच्चय	३६२	रथवीरपुर	१८८, १९५
योगदोष	२०९	रथ्यामुख	२०, २२६
योगद्वार	१३९	रविवार	५३
योगबिंदु	३६२	रसनेंद्रिय	७३
योगशास्त्र	५८	रसपरित्याग	९९
-योगसंग्रह	३०३	राग	२४, २८, ५७, ३०१
योद्धा	२२४	राजगृह १०, ३०, ७८, ११९, १९०,	
-योनि	२४, २७, २४०	१९१, १९३, २८०	
-योगपद्य	४०	राजचंद्र	३९, ३५३, ४५३
-यौवराज्य	२३२	राजधानी	१२, २०, २७, ३०, ४३,
		५९, १२४, २१६, २८०,	
		३८४, ४२८	
		राजनीति	५९
रक्षित १७, ६७, ८२, १८८, ३००		राजन्य	२३, २३६
रत्नत	१००, १०२, ३३०	राजपिंड	२१०, २५०, ३३७
रजोहरण २३, २४, २६, ६०, १९५,		राजपुर	१०, ७८
२३९, २४१, ३३२,		राजपुरोहित	४०
३२६		राजप्रसनीय	५०, ४३८
रञ्जुक	४७	राजप्रसनीयटीका	५८
-रद्धउड	४७	राजप्रसनीयविवरण	५०, ४३३
रद्धकूड	४५	राजप्रसनीयोपांगटीका	४१७
रक्तविकार	१०, १०४		
रति			

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
राजमन्त्री	५१	रुग्ण	२२, २२१
राजमाष	१०, १०२	रुग्णावस्था	४५
राजवल्लभ	३९, ३५३, ४५२	रुचक	२१, २१६
राजशील	३९, ३५४, ४५३	रुद्र	११९
राजशेखर	४४०	रुक्ष	१००, १०३
राजशेखरसूरि	३६३	रुत	४१४
राजा	२७, ४०, ५९, २५०, २५७ २५८, ३३३, ४१४	रूप	९, ३०, ७७
राजापकारी	३०	रूपयक्ष	२७, २८, ५९, २५७, २५८
राबीमती	३६८	रूपवती	३८, ३३९
राज्यसम्राट्	७७	रोग	३७, २१५, ३४०
राज्याभिषेक	३४	रोगी	३०
रात्रि	२३३	रोपक	९८
रात्रिभक्त	२३३	रोहगुप्त	१७, १८, ५९, १९३
रात्रि-भोजन	२१, २४, २४४, ३२४	रोहिणी	४०६, ४२२
रात्रिभोजनविरति	२४८	रैवतक	४१५
रात्रिभोजनविरमण	३६९	रौद्र	२९६
रात्रिवस्त्रादिप्रहण	२३४	रौद्रध्यान	३६८
रात्रिन्युत्सर्ग	२१०	ल	
राधनपुर	४३, ३८८	लक्ष	४१४
रामविजय	४६४	लंचा	२८
रालक	१०, २८, १०२, २५८, ३३०	लक्षण	९, १६, ७६, ७७, ८१, १८७
राशि	१४८	लक्ष्मीकल्लोलमणि	३९, ३५३, ४५२
राशित्रय	१९४	लक्ष्मीकीर्तिगणि	५५, ४६२
राष्ट्रकूट	४७	लक्ष्मीपति	३९६
राष्ट्रमहत्तर	३२९, ३३३	लक्ष्मीवल्लभ	३९, ३५३, ४५३
रिष्टपुर	१०, ७८	लक्ष्मीवल्लभगणि	५५, ४६२
रिष्टक	४१४	लक्ष्मीसागरसूरि	५५, ४६३
रुंचक	९८	लगडशापी	२४८
रुक्ल	३८, ३४८	लग्नशुद्धि	३६२
		लघीयत्रयालकारकार	५०, ४३८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
लघुभाष्य	१३, ३८, ४४, ५०	लोकश्री	४९
लघुमास	३२७	लोकसज्ञा	३७२
लघुमृधावाद	२०८	लोकसार	११२, ११५
लज्जा	१०८	लोकाचार	२७
लज्जानाश	११, १०२	लोकातिकागमन	३४
लता	११४	लोग	८६
लब्धयक्षर	१४४	लोभ	१५३, २०९
ललित	११, १०२	लोभदोष	२०९
लवणसमुद्र	४२९	लोह	१०, १०२, २३३
लघुन	२१०	लोहकार	३८, ३४३
लघुन	३१२	लौकिक	२७२
लाट	३१, ३८, २८०, ३४८	लौह	३३०
लाठी	३६, ६०, ३२७		व
लासक	३३८, ४१४	वग	३०, २८०
लिंगकल्प	३१	वदन	२१
लित्रक	११३	वदनक	२४२
लिपिछन्न	३७	वदनकर्म	३०१
लिपिविद्या	१४	वदना	१०, १८, २२, ३४, ७२, ८७,
लिप्त	२०९		१४८, ३०१
लूषक	९९	वदनाकर्म	८७
लेख	३३, ५८, ७७, ३३५	वद्यावद्य	३४
लेखन	९, ५८	वशी	२३७
लेपकृत	२२	वगडा	२२४
लेपालेप	२१	वचन	१२, १०३, १४८, २४९
लेख्या	७३	वचनगुप्ति	२०७
लौकागच्छ	५६, ४६८	वचनविभक्ति	९८
लोक	११, ८६, ११५, ३०१	वचनसपदा	२०४
लोकतत्त्वनिर्णय	३६२	वचनापौरुषेयत्वखडन	८१९
लोकविदु	३६२	वच्चकचिप्पक	२४, २३८
लोकभाषा	७, ५६	वज्र	११, १७, ८२, १०२, १८८,
लोकावित्रय	११२, ११४		३००

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वज्रमध्यप्रतिमा	३०, २६९, २७०	वर्तमान	२६, २५४
वज्रशाली	३२	वर्धमान	१०, ७८, २९९, ३३४
वज्रसेन	१३२, ४५४	वर्धमानसूरि	४५, ३९६
वज्रस्वामी	३३, ३५, ६७, २९३, ३००, ३१५, ३१७	वर्ध	२३३
वट्ट	२८०	वर्ष	५८
वणिक्	२७	वर्षा	२३२
वत्स	३१, २८०	वर्षाश्रुतु	२३, २९, २३१
वत्सल्लता	७७	वर्षावाच	१२, १२१, १२२, २३१, २४१, २६४, ३३९
वत्स्यथ	२१	वलभी	२१, १३०, २१६, ४२५
वध	११, ११४	वलय	११४
वनराज	३९७	वल्क	१४१
वनस्पति	११, ११४	वल्कि	११४
वनस्पतिकाय	३२३	वसति	२१, २६६
वनीपकदोष	२०९	वसु	१९०
वपु	१६०	वसुदेव	२०७
वप्पिणि	४१४	वसुदेवचरित	४९, ४२८
वमन	२५	वसुदेवहिंडि	१५, ३३, ४९, १३५, २९७
वर	३२९	वसुदेवहिंडिकार	१५
वरण	३१, २८०	वसुदेवहिंडी	३७६, ४२८
वररुचि	३४, ५९, ३०४	वसुधु	४२, ३८०
वराहमिहिर	९, ६६, ६८, ६९, ७०	वस्तु	१८
वराही	१९३	वज्र	१०, ११, २४, ३६, ६०, ७७, १०२, ११८, १९६, २३२, २३९
वर्ग	१४८	वज्रविभाजन	२४१
वर्जन	९२	वाक्	१०३
वर्ज्य	१२२	वाक्य	१०, १०३
वर्ण	११, १११	वाग्योग	१०३
वर्षना	२७७	वाचक	१४, १३१, १३५, ३९१
वर्णभेद	२५	वाचना	२२, २५, ४५, २४६, २६८
वर्णान्तर	११, १२, ८५, १११		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वाचनाचार्य	१४, १३१	वाहरिगणि	४३, ३८७
वाचनाभेद	४७, ५०	वाहरिसाधु	४३, ३८६
वाचनासपदा	२०४	विंध्य	१९४
वाणिज्यकुल	३२	विंशति	३६२
वातिक	२५, २४५	विंशिका	३६३
वात्सल्य	२०९	विकट	२३७
वात्स्यायन	४४, ३९१	विकथा	१०१, १०८, २६६, ३०३
वादिचक्रवर्ती	४३, ३८८	विकल्प	३१, २८१
वादिमुख्य	४१, ३७४	विकाल	२३, २३३
वादिवेताल	४३, ४४, ३८८	विकृति	९५
वादिवेताल शान्तिसूरि	३९, ५२, ३५३	विकृतिप्रतिबद्ध	२५
वादी	१४, १३१	विक्रम	४२, ४४, ५३
वाद्य	३४३	विक्लवता	११, १०२
वानरर्षि	३९, ५४, ३५३, ४५२, ४५८	विक्षेपणविनय	२०५
वायु	११, १७, १६६, १७२, १७३	विचरण	२७२
वायुकाय	११४, ३२३	विचारभूमि	२१४, २३५
वायुभूति	१६, ८०, १५७, १६६	विच्छेदन	३७, ३३६
वारणा	३०३	विच्युत	२१०
वारणसी	३०, २८०	विजय	११, ११५
वाराहीसहिता	६९	विजयचन्द्रसूरि	५३, ४५४
वार्तिक	७५, ७६, १५४, ३५४	विजयदेवसूरि	४६३
वाल	११, ३३०	विजयपुर	१०, ७८
वालभा	३७, ३३६	विजयराजेंद्रसूरि	४६७
वालक	१०७	विजयविमल	३९, ३५३, ६५२
वालभी	४२५	विजयविमलगाणि	५४, ४५७
वालुक	११९	विजयसिंह	८४१
वासना	७२	विजयसिंहसूरि	४३, ३८८
वासवदत्ता	१०७	विजयसेनसूरि	३९, ५५, ३५३, ४५३, ८६३
वासी	९४		
वासुदेव	२०, ७८, २९९	विजयादशमी	६६
वास्यवासकभावखण्डन	४१९		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
विज्ञान	१६, १६२, १६९	विपाक	४५
विज्ञानसतति	१६९	विपाकवृत्ति	४७, ४१२
विज्ञापना	३३५	विपाकश्रुत	४१२
विटपी	९८	विबुधचन्द्र	४४१
विडम्बक	४१४	विभग	७३
विद्व	३६, ६०, ३२७	विभक्ति	१०, १२, १००, ११९
विदक	२३, २३६	विभाषा	६५, ७६, १५४
विदेह	१२, ३१, ७९, १११, २८०	विभूषणा	९, ७७
विद्या	२०९	विमर्श	७३
विद्यागुह	३२, ३६	विमलसूरि	७४
विद्यादोष	२०९	विमान	" १७९
विद्याघर	१३२, १७९, ३७७	विमलेश्वरदेव	१५, ३, ४१६
विद्याधरगच्छ	४०, ३६१	विमुक्ति	६५, ११८
विद्याभ्यास	४५	विमोक्ष	११, ११२, ११६
विद्वान्	१०३	विरत	१००, १०३
विधान	२०	विरताविरति	२००
विधि	११, २०, २१, १०९	विरमण	३१
विधूनन	११, ११६	विरह	३६३
विनय	१०, ६४, ७७, ९८, ९९, १०३, १०६, २०८, २०९, ३६९	विरहकाल	७६
विनयकर्म	८७, ३०१	विराधना	२७
विनयप्रतिपत्ति	२०४	विरुद्धराज्य	२३२
विनयराजगणि	३९, ३५३, ४५३	विलङ्घी	३६, ६०, ३२७
विनयविनय	४६४	विवरण	४२, ४६, ५०, ३५४
विनयविजयोपाध्याय	५५	विवरणसूत्र	५०
विनयभुत	१०६	विवाद	१८
विनयसमाधि	६४	विवाह	१०, ३३, ३४, ५८, ७७, ८०
विनयहस	३९, ३५३, ४५२	विविक्तचर्या	९८, ३१६
विनाशित	१२४, २३१	विविध	२०१
विनीत	१०६	विवृति	३५४
विपक्ष	१०, १००	विवेक	२०, ९२, २०७, २०८, २७०, ४३१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वाचनाचार्य	१४, १३१	वाहरिगणि	४३, ३८७
वाचनाभेद	४७, ५०	वाहरिसाधु	४३, ३८६
वाचनासपदा	२०४	विंध्य	१९४
वाणिज्यकुल	३२	विंशति	३६२
वातिक	२५, २४५	विंशिका	३६३
वासल्य	२०९	विकट	२३७
वास्त्यायन	४४, ३९१	विकथा	१०१, १०८, २६६, ३०३
वाद्रिचक्रवर्ती	४३, ३८८	विकल्प	३१, २८१
वादिमुख्य	४१, ३७४	विकाल	२३, २३३
वादिवेताल	४३, ४४, ३८८	विकृति	९५
वादिवेताल शान्तिस्वरि	३९, ५२, ३५३	विकृतिप्रतिबद्ध	२५
वादी	१४, १३१	विक्रम	४२, ४४, ५३
वाद्य	३४३	विकल्पता	११, १०२
वानरर्षि	३९, ५४, ३५३, ४५२, ४५८	विक्षेपणविनय	२०५
वायु	११, १७, १६६, १७२, १७३	विचरण	२७२
वायुकाय	११४, ३२३	विचारभूमि	२१४, २३५
वायुभूति	१६, ८०, १५७, १६६	विच्छेदन	३७, ३३६
वारणा	३०३	विच्युत	२१०
वाराणसी	३०, २८०	विजय	११, ११५
वाराहीसहिता	६९	विजयचन्द्रस्वरि	५३, ४५८
वार्तिक	७५, ७६, १५४, ३५४	विजयदेवस्वरि	४६३
वाल	११, ३३०	विजयपुर	१०, ७८
वालभा	३७, ३३६	विजयराजेंद्रस्वरि	४६७
वालक	१०७	विजयविमल	३९, ३५३, ४५२
वालभी	४२५	विजयविमलगणि	५४, ४५७
वालुक	११९	विजयसिंह	८४१
वासना	७२	विजयसिंहस्वरि	४३, ३८८
वासवदत्ता	१०७	विजयसेनस्वरि	३९, ५५, ३५३, ४२३, ५६३
वासी	९८	विजयादशमी	६६
वासुदेव	२०, ७८, २९९		
वास्यवासकभावखडन	४१९		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
विज्ञान	१६, १६२, १६९	विपाक	४५
विज्ञानधतति	१६९	विपाकवृत्ति	४७, ४१२
विज्ञापना	३३५	विपाकभुत	४१२
चिट्ठी	९८	विशुद्धचन्द्र	४४१
विडम्बक	४१४	विभाग	७३
विदड	३६, ६०, ३२७	विभक्ति	१०, १२, १००, ११९
विदक	२३, २३६	विभाषा	६५, ७६, १५४
विदेह	१२, ३१, ७९, १११, २८०	विभूषणा	९, ७७
विद्या	२०९	विमर्श	७३
विद्यागुरु	३२, ३६	विमलसूरि	७४
विद्यादोष	२०९	विमान	१७९
विद्याघर	१३२, १७९, ३७७	विमलेश्वरदेव	४१६
विद्याघरगच्छ	४०, ३६१	विमुक्ति	६५, ११८
विद्याभ्यास	४५	विमोक्ष-	११, ११२, ११६
विद्वान्	१०३	विरत	१००, १०३
विधान	२०	विरताविरति	२००
विधि	११, २०, २१, १०९	विरमण	३१
विधूनन	११, ११६	विरह	३६३
विनय	१०, ६४, ७७, ९८, ९९, १०३, १०६, २०८, २०९, ३६९	विरहकाल	७६
विनयकर्म	८७, ३०१	विराघना	२७
विनयप्रतिपत्ति	२०४	विषद्वाराज्य	२३२
विनयराजगणि	३९, ३५३, ४५३	विलङ्घी	३६, ६०, ३२७
विनयविनय	४६४	विवरण	४२, ४६, ५०, ३५४
विनयविजयोपाध्याय	५५	विवरणसूत्र	५०
विनयभुत	१०६	विवाद	१८
विनयसमाधि	६४	विवाह	१०, ३३, ३४, ५८, ७७, ८०
विनयहस	३९, ३५३, ४५२	विविक्तचर्या	९८, ३१६
विनाशित	१२४, २३१	विविध	२०१
विनीत	१०६	विवृति	३५४
विपक्ष	१०, १००	विवेक	२०, ९२, २०७, २०८, २७०, ४३१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
विवेकप्रतिमा	१२१	विषमपदव्याख्या	३२
विवेकहस उपाध्याय	३९, ३५३, ४५३	विषय	१५, १०८
विवेचन	३५४	विषयदुष्ट	२११
विशाला	४२२	विष्कम	४१४
विशालसुन्दर	३९, ३५३	विष्वग्भवन	२४६
विशुद्धि	१४८, ३०५	विसर्जन	२५
विशेष	१८, १९४	विस्मृत	२१०
विशेषणवती	४९, १३५, १३६, १३७, ४२८	विहगम	१०, ९९
विशेषनिशीयचूर्णि	३८	विहार	२१, २३, २८, २९, ३४, १३९, २०८, २१८, २५७, २५९, २६३, २६४
विशेषविवरण	३७५	विहारभूमि	२३५
विशेषावश्यकटीका	४८, ४१७	वीतिभय	३१
विशेषावश्यकभाष्य	९, १३, १५, ३८, ३९, ४४, ५०, ५१, ५२, ५६, ५७, ५८, ७२, १२९, १३०, १३४, १३५, १३८, २७२, २९५, ३४८, ४३८, ४४१	वीतिरागस्वरूपविचार	४१९
विशेषावश्यकभाष्यकार	१४, १५, ४२९	वीतिभय	२८०
विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्बृत्ति	४२, ५१, ४४२, ४४४	वीर	२९६
विशेषावश्यकभाष्यविवरण	४१, ४२, ३५८, ३७८	वीरगणि	५०, ४३६
विशेषावश्यकभाष्य स्वोपज्ञवृत्ति	४०, ४२, ४९, १३५, ३५५	वीरपुर	१०, ७८
विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्तिकार	५०	वीरप्रभु	७९
विशेषावश्यकलघुवृत्ति	३५८	वीरभूमि	४०
विशोधि	२७५	वीरशुनिका	२१९
विभ्रामस्यान	२१	वीरस्तव	३६२
विष	६९, ११३	वीरांगदकथा	३६२
		वीराचार्य	४०, ३५९
		वीरासन	२४८
		वीर्य	१०८
		वृक्ष	३८, ९८, ११४, २३७, ३४८
		वृक्षपलिय	३७
		वृक्षादिप्रलोकन	२३३
		वृक्षायुर्वेद	१७५
		वृत्त	३४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वृत्तान्त	३८	वैयावृत्यकार	२२
वृत्ति	३५४	वैर	१२२
वृत्तिसंक्षेप	९९	वैराज्य	२३२
वृद्ध	३०	वैराटपुर	३१, २८०
वृद्धाचार्य	४०, ३६४	वैशाख	८१
वृद्धि	७७, ७९	वैशाली	३४, ३००
वृश्चिकी	१९३	वैशेषिक	१८
वृषभ	८०, २२८	वैश्य	११, १११
वृषभपर्षदा	२३३	वैहानस	११६
वेगवदना	२१०	व्यजन	२०९
वेताल	४४	व्यजनाक्षर	१४४
वेद	७३	व्यजनावग्रह	१४२
वेदक	२१३	व्यतरायतन	४३५
वेदना	२१	व्यसक	९९
वेदनीय	१५२	व्यक्त	१६, ८०, १५७, १६९
वेदवाक्यतानिराकरण	३६२	व्यतिक्रम	२६, २५४
वेदानुयायी	१६	व्यधारणशाला	३८, ३४२
वेर	३३०	व्यवशमन	२५, २३१
वैकक्षिकी	२४०	व्यवशमित	१२४, २३१
वैतरणी	११९	व्यवशमितोदीरण	२४९
वैदिक	६३	व्यवसाय	१०८
वैदेह	२३, २३६	व्यवहर्तव्य	२६, २५२, ४३१
वैद्य	२०, २२, २७, २८, २१५, २२२, २५७, २५८	व्यवहार	८, ९, १३, १९, २०, २६, ३०, ३१, ६३, ६४, ६६, ६७, ७७, १२३, १२५, १२९, १८७, २५२, २६९, २७०, २८९, ३१४, ४३०, ४३१, ४३९
वैद्यकशास्त्र	२८	व्यवहारकल्प	३६२
वैद्यपुत्र	२३६	व्यवहारचूर्णिकार	५०
वैनयिक	१२, ११९		
वैनयिकवाद	३१२		
वैनयिकी	८४, १४३, ३०१		
वैयावृत्य	३०, ७७, ८०, ९९, २५५, २७२		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
व्यवहारनिर्युक्ति	१२, १२५	व्रत	३०, २११, २५०, २७२, ३०४
व्यवहारभाष्य	१३, १४, १९, २६, ५८, ५९, ६०, १३०, १३६, २०२, २५२, २७२	व्रतघट्टक	३६९
व्यवहारवाद	१४४	व्रती	१०३
व्यवहारविवरण	५०, ४३०	व्रीहि	१०२, २५८, ३३०
व्यवहारवृत्ति	४८	श	
व्यवहारसूत्र	१२	शकर	२०, २१६
व्यवहारसूत्रवृत्ति	४१७	शक्ति	२०९
व्यवहारी	२६, २५२, २६२, ४३१	शल्ल	११, १०२, ३३०
व्याख्या	११, १३, ४६, ५५, ३५४	शकटाल	३४, ५९, ३०४
व्याख्याभ्रम	७, ३८	शकराजा	२७१
व्याख्यान पद्धति	८, ६३	शकुन	२१, २१९
व्याख्यानविधि	७६	शठ	२०८, २१०
व्याख्यान-शैली	८	शतक	२८९, ४४१
व्याख्याप्रज्ञप्ति	३१, ४२, ४४, ४६, ५५, २८९	शतक विवरण	५१
व्याख्याप्रज्ञप्ति चूर्ण	३१, २८९	शतपुष्पा	१०७
व्याख्याप्रज्ञप्ति द्वितीयशतकवृत्ति	४८	शताब्दी	४४
व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति	४२, ४६, ४०२, ४०३	शती	५३, ५६
व्याघात	२५, २५०	शनक	२४
व्याघ्री	१९३	शवर-निवसनक	१०७
व्याधि	३७, ३४०	शबल	१२, ११९, १२०, ३०३
व्यालक	४१४	शब्द	८, १०, ४७, ७३, ७७, १८७
व्युत्सर्ग	२०, ९९, २०७, २०८, २७०, ४३१	शब्दशास्त्र	१४
व्युत्सर्जन	९२, २०१	शब्दानुशासन	४९, ४१६, ४२२
व्युत्सर्जन	२५	शब्दार्थ	५३
व्युत्सर्जन	२४४	शयन	२९, २६८
व्युत्सर्जन	३०४	शय्यभव	९८, ३०६, ३३४, ३६७
व्युत्सर्जन		शय्या	३६, ११७, ११८, २०८, २८३, २७९, ३३२, ३३४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
शय्यातर	२९, २१०, २२८, २६९, ३३१	शासन	१५८
शय्या सस्तारक	२४, २४३	शास्त्र	१४, ७५, १५४
शरीर	८१, ९२, १०८, १४३, १५७, १६६, २९६	शास्त्रवार्तासमुच्चय सटीक	३६२
शरीरसपदा	२०४	शिक्षण	३०, २७८
शरीराग	११, १०७	शिक्षा	२१, ३०३
शलाकोपसर्ग	३४	शिक्षापद	१३९
शल्य	१२२	शिक्षाव्रत	१०२, ३०५
शशक	३२३	शिक्षिका	४१४
शस्त्र	१०, ११, १०१, ११२	शिल्प	९, २३, ३३, ५८, ७७
शस्त्रपरिज्ञा	४२, ११२	शिल्पी	४१६
शस्त्रपरिज्ञाविवरण	४२, ४३, ३८०, ३८२	शिव	८६
शाब्दिल्य	३१, २८०	शिवप्रभसूरि	४५२
शांति	८६, ३८८	शिवभूति	१७, १८, ५९, १९५
शांतिचन्द्रगणि	३९, ३५३, ४५२	शिवभूतिबोटिक	१७, १८८
शांतिदेवसूरि	३९, ३५४, ४५३	शिवराजर्षि	३४, ५९, ३००
शांतिमति	३१७	शिवशर्म	३९१
शांतिसागर	४६६	शिवशर्मन्	४४
शांतिसागरगणि	५५, ४६५	शिवा	४६८
शांतिसूरि	४३, ३८८	शिष्य १४, १६, ३२, ३४, ४५, ७६, १५५, २०८, २९८	
शात्याचार्य	४४७	शिष्यहिता	४१, ३७७
शाकभरी	५६, ४६७	शिष्यहितावृत्ति	४४, ५१, ४४४
शास्त्रा	३३, ३५, १०८, ४१४	शिष्यानुशिष्य	५४
शातना	९२	शीत	११, २८, ११५
शाब्दप्रामाण्य	४१९	शीतोदकविकटकुम्भ	२३७
शाल	८०	शीतोष्णीय	११५
शाला	६०, २३०, ४१४	शीतोष्ण्य	११२
शालि	१०, २८, १०२, २५८, ३३०	शीलभद्रसूरि	४४९, ४६७
शाल्मलीपुष्प	१०७	शीलव्रत	७७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
शीलाक	४२, ४६, ५७, ६६, ३७८, ३८२, ४०३	शैली	३३
शीलाकसूरि	३९, ३५३	शैलेशी	१९, २००
शीलाकाचार्य	४२, ५४, ५९, ३८०	शैलेशी अवस्था	५७
शीलागसहस्र	३०६	शोभावर्जन	३६९
शीलाचार्य	४३, ३८२, ३८५	शौडिकशाला	२६९
शीलादित्य	१३४	शौक्तिकावती	३१, २८०
शीलभद्र	५२	श्मश्रु	३६
शीलभद्रसूरि	५६	श्याम	११९
शीशक	३३०	श्यामक	८०
शीशमहल	७९	श्रद्धा	११, ८१, १०२, १०८
शुब	१४१	श्रमण १०, १५, २०, २१, ३८, ७४, ८८, १००, १०३, ११५, २२८	
शुक्र-पुद्गल	२४, २४०	श्रमणधर्म	३०, ८०, २७२, ३६९
शुक्लध्यान	२००, ३६८	श्रमणसूत्र	५६
शुक्ला	५३	श्रमणी	२१, २२, २२८, २४०
शुद्ध	११४	श्रमणोपासक प्रतिक्रमण	५२
शुद्धि	१०, १०३, ३०३	श्रवण	१४६
शुभवर्धनगणि	३९, ३५३, ४५२	श्रामण्य	१००
शुभ	८६	श्रावक	२३, १२१, ३०५
शुश्रूषा	१४६	श्रावकत्व	१५२
शूद्र	११, १११	श्रावकधर्म	३७७
शून्यग्रह	३७, ६०, ३३७	श्रावकधर्मतत्र	३६२
शून्यग्राम	२३३	श्रावकप्रज्ञतिवृत्ति	३६२
शून्यवाद	१६, १७, १५७, १६९	श्रावकभिन्नु	२६६
शून्यशाला	३७, ३३७	श्रावस्ती १०, ३१, ७८, १८८, १८९, २८०	
शूरसेन	२८०	श्रीगुप्त	१९३
श्रुगभेद	४१४	श्रीचन्द्र	४४१
श्रुगाटक	२०, २२६, ४१४	श्रीचन्द्रसूरि	३२, ३९, ५१, ५२, २९२, ३५३, ४४०, ४४९ ४५२
श्रुगार	२९६		
शैक्षकभूमि	२७१		
शैलक	४०६		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
श्रीतिलकसुरि	३९, ३५३, ४५२	श्रोत्रेन्द्रिय	७३
श्रीघर	३९६	इलक्ष्य	११३
श्रीपति	३९६	इलोक	३५, ४१
श्रीविजय	४६४	इवेतविका	१८८, १९१
श्रुत ११, १५, १९, २१, ६३, ६४, ७२, ७४, ७५, ८२, १०६, १०९, ११९, १४०, १४१, १४५, १९६, १६८, २०३, २०८, २६०, २९४, २९६, ४३१		इवेताम्बर	६५, ६८, ३६१
श्रुतकरण	३९२	इवेताम्बिका	३१, २८०
श्रुतकल्प	३१	पडशीतिवृत्ति	८१७
श्रुतकेवली	६६, ६७, २१५		
श्रुतज्ञान ६४, ७३, ९७, १४०, १४४, २१३		ष	
श्रुतदेवी	४५४	पड्डुलक	१७, १८, ८२, १८८, १९३, ३००
श्रुतघर्म	१५४	पड्डर्शनसमुच्चय	३६३
श्रुतनिघर्ष	२८	पड्डपदार्थ	१८
श्रुतमक्ति	७७	पष्टिक	१०, १०२, ३३०
श्रुतविनय	२०५	पष्टतप	८०
श्रुतन्यवहार	२०६	षोडश	१२, ११९
श्रुतसम्पदा	२०४	षोडशक	३६२, ३६३
श्रुतसागरगणि	५५, ४६५		
श्रुतस्कन्ध	४२, ४३, ५९, १०५	स	
श्रुताभिधान	९८	सकरक्षत्रिय	१२, १११
श्रुतावतार	२९७	सकर	१२
श्रुति	१४, ५७	सकरवैश्य	१२, १११
श्रेणिक	३४, ५९, ३०३	सकरशूद्र	१२, १११
श्रेय पुर	१०	सकल्प	८, ३१, २८१
श्रेष्ठिभार्या	९४	सकितपचासी	३६२
श्रेष्ठी	४१४	सक्रम	२४७
		सकिलष्ट	३६
		सकिलष्टकर्म	२१०
		सक्षित	१२
		सक्षेप	२००, २७२
		संखडि	२३५

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सख्या	९, ७६	सनिधान	१८६
सख्यात	२९६	सपचासित्तरी	३६२
सग	११, १०२, १२२	सपकविहार	३८८
सगमक	३४, ३००	सपदा	१२, १२१
सगीतशास्त्र	२९६	सपातिम	२२८
सग्रह	१८७	सपुटकमल्लक	२१, २१६
सग्रहणिकार	३७६	सपुटखडमल्लक	२१६
सग्रहणित्ठीका	४२७, ४२९	सप्रतिराज	१२४, २३६
सग्रहणी	७	सप्रदान	१८६
सग्रहणीवृत्ति	३६२	सप्रदाय	४०
सग्रहपरिज्ञासपदा	२०४	सप्राप्त	११
सप्रामनीति	२८	सप्राप्तकाम	११, ५८
सघ	१७, २९, १५०	सबंध	१५, ७६
सघदास	५०	सबधन	१०६
सघदासगणि १३, १४, १५, १३०, १३५, १३६, २१३, ४५४		सबाध १२, २०, १२४, २१६, ४२८	
सघर्ष	२१०	सबोध	३४, ८०
सघचिजयगणि	५५, ४६३	सबोधप्रकरण	३६२
सघाटक	४०६	सबोधसिचरी	३६२
सघाटी	२४०	सभाषण	११, १०२
सघात	९२, १४८	सभूत	३३४
सघातपरार्थत्व	१६	सभोग	२६४, ३३३
सज्ञा ११, ७३, ११२, १४४, ३७१		सभोगकल्प	३१
सज्ञाक्षर	१४४	सभोगिक	२६४
सज्ञाप्य	२४६	समूर्च्छनञ	११८
सञ्जी	७३, १४४, १९९	सयत ७३, १००, १०३, २७७	
सतानवादखडन	४१९	सयतप्रात	२३८
सतार	२०८	सयतमद्र	२३४
संधारा	४४	सयम १०, ११, ३०, ९९, १०८, १११, २७२	
सधिपाल	४१४	सयोग	११, १०६

अनुक्रमणिका

५३८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सयोजना	२०९, २५३	सहनन	२१
सरक्षणता	२१	सहंत	२०९
सरम	३३३	सकलचद्रगणि	४६५
सलीनता	९९	सकलचद्रसूरि	५४, ४५९
सलोक	८६	सकार	१०, १०३
सवत्सर	४२२	सचेलक	२५०
सवरपचक	४११	सजीव	३७
सवर्त	२४४	सण	२८, २५८
सवसन	३०, २७८	सत्त्व	१६०
सवृतासवृत	२००	सदाधार	३१
सवेगभावना	७७	सदृष्टान्तबुद्धिभेदनिरूपण	४१९
सवेदन	३७१	सनबघन	४१४
सवाय	१४२, १४३, १५८	सनिमित्त	३६
सशोधन	४४, ४५, ५५	सन्निवेश	४३, ३८४
ससक्त	२७, २५६, २५७	सन्निहित	३७
ससक्तनिर्युक्ति	८, १२६	सन्मतितर्क	४०
ससारदावा	३६३	सपर्यवसित	७३, १४४, १९९
ससारदावास्तुति	३६२	सपिन्नक	१०७
ससारी	१६१	सप्ततिकाभाष्य	४५, ३९६
ससुमा	४०६	सप्ततिकावृत्ति	४१७
ससेतिम	३७	सप्तनिष्पव	९, ५९
सस्कृत	७, ११, १४, ३१, ३५, ३८, ३९, ४१, ४४, ४८, १०८	सप्तशतारनयचक्र	४४, ३९१
सस्कृति	२०, ६०, २१३	सप्त-सप्तिका	११८
सस्तव	३२९	सप्तस्वर	३३, २९६
सस्तवदोष	२०९	सप्रायश्चित्त	२६०
सस्तारक	२७, ३६, २३९, २४३, ३३२	सप्रावरण	३६
सस्थान	७३, १०६	सभा	४३
सस्थापना	२१	सम्यता	६०
सस्थित	२१०	समकालीन	४१
सस्तरण	११, १०२	समता	८६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
समभिरुद्ध	१८७	सम्यक्चारित्र	११५
समयसुन्दर	३९, ३५४, ४५३	सम्यक्तप	११५
समयसुन्दरगणि	५५, ४६५	सम्यक्त्व	११, ७३, ८२, ८६, ११२, ११५, १४५, १५२, १९६, १९८, २१३, ३०५
समयसुन्दरसूरि	५४, ४५९	सम्यक्त्वप्राप्ति	१६
समरचद्र	४५३	सम्यक्श्रुत	१४५
समरचद्रसूरि	३९, ३५३, ४५३	सम्यगनुष्ठान	१४६
समराइच्छकहा	३६२	सम्यग्ज्ञान	११५
समवतार	१६, १७, ७६, ८२, १८८	सम्यग्दर्शन	११५
समवसरण	१२, २०, ३४, ८०, २१६, २४१, ३००, ३३९	सम्यग्वाद	२००
समवाय	१०, १८, ७७, १९४, ४०१, ४२०	सरयू	२४७
समवायाग	४४, ४६, ४०१	सरस्वती	१०३
समवायागवृत्ति	४६, ४००	सर्पदश	१०७
समाजशास्त्र	५६, ५८	सर्पा	१९३
समाधि	१२, ७७, ११९, १२१	सर्व	८५, २०१
समाधिप्रतिमा	१२१	सर्वशसिद्धि	४१९
समारभ	३३३	सर्वशसिद्धिप्रकरण-सटीक	३६२
समाप्त	२००, २७२	सर्वत पार्श्वव्य	२७
समितसूरि	६७	सर्वविरति	१९८, २००
समिति	२६, ३०, २०७, २५४, २७२, ३०३	सर्वावसन्न	२७
समुच्छेद	१८, ८२, १९२	सलोम	२५
समुच्छ्रय	९२	सवन्न	३६
समुदायार्थद्वार	१४७	सहनशील	२१०
समुदात	१९, ५७, ८४, १४३, २००, ३०१	सहोदर	९
समूह	१४८	साख्य	१६, १५९
सम्भूर्च्छनन	११२	साख्यमतचर्या	३१२
सम्यक्	७३, १४४, १९९	साख्यमुक्तिनिरास	४१९
		सातर	१६
		सौप	२६४
		साभोगिक	३३४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सांस्कृतिक	२६, ३८, ४७	सामान्य	१८, १९८
साकार	१९	सामायिक	९, १३, १५, १६, १७, १८, ३३, ३४, ५६, ७२, ७४, ८१, ८२, ८५, ८६, १२९, १३८, १४८, १५१, १५३, १८१, १९६, २००, २०१, २१०, २१८, ३००
साकेत	१०, ३०, ७८, २८०	सामायिकचारित्र	७५
सागारिक	२३, २९, २२८, २६९ ३३१, ३४२	सामायिकनिर्गम	५७
सागारिकनिष्ठा	२२८	सामायिकसूत्र	१९
सागारिकोपाश्रय	२२९	सामुच्छेदिक	१८, १९२
सादिक	७३, १४४, १९९	सार	११
साधर्मिक	२८, २५९	साराभाई मणिबाल नन्नाव	३४५
साधर्मिकस्तैन्य	२४, २४५	सार्थ	२३, २३५, २४४
साधर्मिकावग्रह	२४३	सार्थवाह	२३, ५८, २१३, २३५, ३३३, ४१४
स	११४	सार्थव्यवस्थापक	२३, ५८, २३५
साधिकरण	२६०	सावद्य	२०१
साधु	१०, १२, २०, २६, २८, ५८, ८३, ८५, १०३, २६७, ३११	सावद्यस्वप्न	२०८
साधुरग उपाध्याय	३९, २५३, ४५२	सास्वादन	२१३
साधुरलक्षरि	४६८	साहित्य	७, १३, २६, ३८, ३९
साध्वी	२०, २२, २९, ३६, २२३, २६४, २६७	सिंधु	३१
सानक	२४, २३७, २३८	सिंधुसौवीर	२८०
साम	११, १०९	सिंह	८०
सामग्री-वैविध्य	५६	सिंहकेसर	२०९
सामपुरिवट्ट	३१	सिंहगिरि	६७
सामर्थ्य	२७७	सिंहत्रिकघातक	२३४
सामाचारी	२१, २२, २१७, २१९	सिंहपर्षदा	२३३
सामाचारीस्थिति	१३९	सिंही	१९३
सामाजिक	२६, ३८, ४६	सिताम्बर	३६१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सिद्ध	१०, १९, ७७, ८३, ८४, १६१, २००, २९४, ३०१	सुबोध-विवरण	४३
सिद्धचक्र	४१६	सुबोधा	५२
सिद्धनमस्कार	१९, ५७, ५८,	सुभद्रा	९४, २५५
सिद्धप्राभृत	४९, ४२८, ४४१	सुभिक्षु	३६९
सिद्धर्षि	२९२, ४४०	सुमतिकल्लोल	३९, ३५३, ४५३
सिद्धव्याख्यानिक	२९२, ४४०	सुमतिसाधुसूरि	५५, ४६३
सिद्धसेन ३१, ४०, २९२, ३२३, ३६४, ३७६, ३८०, ३९०, ३९१		सुमतिसूरि	३९, ३५४, ४५३
सिद्धसेनगणि	१३२, २९२, ४५०	सुमन	९८
सिद्धसेनदिवाकर	३२, ४०, २९२, ३६४	सुरसेन	३१
सिद्धसेनसूरि	३२, ३५, ५३, २९१, २९२, ३१४	सुराविकटकु भ	२३७
सिद्धान्त	७, १५, १४८	सुराष्ट्र	३१
सिद्धातवादी	४०	सुरेंद्रदत्त	१०, ५९
सिद्धार्थ	२९९	सुलसा	३४, ५९, ३०३
सिद्धार्थपुर	१०, ७८	सुवर्ण	१०, १०२, ३३०
सिर	३६	सुहस्ती	३३६
सिलिंद	१०, १०२	सूक्ष्म	७३, ९८, ११३
सीमा	५९	सूक्ष्मप्राभृतिका	३०
सीसक	११, १०२	सूक्ष्मसपराय	१६, १०६, १५३, २७१
सुठी	१०७	सूची	२३३, २७९
सुकल्प	३१	सूत	१२, १११
सुख	१८५	सूतक	३८
सुखलालजी	२९२	सूत्र	१२, १५, ७५, ११९, १८८, १५१, १५८, २३६, ४३१
सुखसागर	५५, ४६१	सूत्रमृत	२७१
सुत्ताणुगम	६८	सूत्रकृताग	८, १२, ३१, ३५, ८३, ६३, ६४, २८९, ४३६
सुदर्शना	१९०	सूत्रकृतागचूर्णि	३१, ३२, ३५, २८९, ३१२
सुधर्मा १६, १७, ८०, १५७, १७४, ३३४		सूत्रकृतागनिर्युक्ति	१२, ५७, ६५, ११९
		सूत्रकृतागविवरण	४२, ८३, २८६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सूर्य	१७८, ४२१	स्कंधबीज	११४
सूर्यप्रज्ञप्ति ८, १७, ५६, ६३, ६४, ७०, १८८, ४२१, ४२४, ४२६		स्कंधवाद	३१२
सूर्यप्रज्ञप्तिटीका	४८, ४९, ४२९	स्तमतीर्थ	५४, ४५९
सूर्यप्रज्ञप्ति-निर्युक्ति	४९, ४२९	स्तमनाधीश	४५९
सूर्यप्रज्ञप्तिचिचरण	४२१	स्तत्रक	३५४
सूर्यप्रज्ञप्त्युपागटीका	४१७	स्तव	८६, ३०१
सेटिका	२१०	स्तुति	३२९
सेठ	४५, ५२, ३३३	स्तूप	१०, ७७, ७९, १३१
सेना	२४४	स्तेन	३०
सेनापति	४१४	स्तेनपल्ली	२३३
सेरीसक	४१६	स्त्यानर्द्धिप्रमत्त	२११
सेवा	२७, ३०, २५५, २६९, २७१	स्त्री	२४, ३७, २६२, २६७, ३४०, ३७२
सोदास	९४	स्त्री निर्वाणसूत्र	४४, ३९३
सोपारक	१३२	स्त्रीशुक्तिसिद्धि	४१९
सोमनस	१०, ७८	स्थडिल	२१
सोमविमलसूरि	३९, ३५४, ४५३	स्थडिलभूमि	२१, २१४,
सोमसुदर	३९, ३५३	स्थपिति	२१०
सोमिलार्य	८०	स्थल	४३, २४७
सोमेश्वर	३९७	स्थलपत्तन	४३
सौत्रिक	३२६	स्थविर	२१, २८, ३३, ७७, २२८, २७१, २९४
सौत्रिका	२६९	स्थविरकल्प	२३, ३१, ५७, १३९, २१०, २२४, २२७
सौधर्म	४३४	स्थविरकल्पिक	२०, २१, २२, ३६, १२४, २१६, २१८, २३९, २४०, २५४, २७०
सौभाग्यसागर	३९, ३५३, ४५३	स्थविरकल्पी	३३२
सौराष्ट्र	२८०	स्थविरभूमि	२७१
सौरिक	३१, २८१	स्थविरा	२१, २२८
सौवीर	३१		
सौवीरिणी	२२, २२०		
स्कदाचार्य	१२४, २३६		
स्कंध	११, ६३, ११९, १४८, ४१४		
स्कंधकरणी	२४०		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
स्थान	१२, २६, ३१, ७६, २५३, २७९	स्याद्वाद	३१२
स्थानकवासी	५६, ४६८	स्याद्वादकुचोद्यपरिहार	३६२
स्थानाग	४४, ४५	स्याद्वादी	२३
स्थानागवृत्ति	४५, ३९८	स्वग्रहपाषडमिश्र	२२
स्थानायत	२४८	स्वग्रहयतिमिश्र	२२
स्थापक	९९	स्वजन	२९, ११४
स्थापना	१२, २३, ७३, १२१, २०९, २१०, ३३९, ३६५	स्वदारसतोष	३०५
स्थापनाकल्प	३१, ३४३	स्वदेहपरिमाण	१६
स्थापनाकुल	२२, २१०, २१९, २७२, ३३३	स्वप्न	७९, ८०, १४२, १७१
स्थावर	१०, १०२, १६१, ३३१	स्वभाव	१८०
स्थित	३१	स्वरभेद	२५
स्थितकल्प	३१, ३४३	स्वरूप	१५, ७३
स्थिति	१६, ७६, १५२, २१०	स्वर्गवास	४५
स्थिरीकरण	९८, २०९	स्वस्थान	२७५
स्थूणा	३८, ५९, ३४३	स्वादना	३२५
स्थूलभदत्तादानविरमण	३०५	स्वादिम	९५
स्थूलप्राणातिपातविरमण	३०५	स्वामित्व	७६
स्थूलभद्र	१०, ३४, ५९, ३०४, ३३४	स्वामी	१५
स्थूलमृषावादविरमण	३०५	स्वाभ्याय	९९, २६८
स्नातक	२७०, २७७	स्वाभ्यायभूमि	२३५
स्नान	३२८, ३६९	स्वाहा	६९
स्नेह	२५, ३६	स्वोपसृष्टि	१४, ३९, ५२
स्पर्शन	१६, ७६, १९९		ह
स्पर्शनेन्द्रिय	७३	हरित	११८
सृष्टप्ररोदिका	१७३	हरिताहृत	२३४
स्युति	१०, ७२, ७३	हरिद्रा	१०७
स्यंदमानिक	४१४	हरिनैगमेयी	८०
		हरिमद्र	९, ३२, ४१, ४८, ४९, ५०, ५७, १३०, २९१, ३२०, ३६१, ३७७, ३७८, ४१९, ४२१, ४३६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
हरिभद्रस्वरि १४, ३९, ४०, ४९, १३६, ३५३, ३५९, ४२३		हारिभद्रीयवृत्ति	२९२
हरिमय १०, १०२		हारिभद्रीयावश्यकवृत्ति-टिप्पणक	५१, ४४२
हरेणुका १०७		हारिल वाचक ४४, ३९२	
हर्षकुल ३९, ५४, ३५३, ४५२, ४५८		हास्य २९६, ३३३	
हर्षनदन ३९, ५५, ३५३, ४५३, ४६५		हिंसक १७४, २३९	
हर्षनदनगणि ३९, ४५३		हिंसा १७, २४, ५६, ९९, १७३, २३९	
हर्षवल्लभ उपाध्याय ३९, ३५३, ४५३		हित ८६	
हल ११३		हितवचि ३९, ३५३, ४५२,	
हलघरकोसेज ४१४		हिरण्य ११, १०२, ३३०	
हसन ३४३		हिरिमया ३३०	
हसित ११, १०२		हीन २१०	
हस्त ३२५		हीनभाव २६०	
हस्तकर्म २४, २५, ३६, ५८, २४४, २६५, ३२५		हीरविजयस्वरि ३९, ३५३, ४५२	
हस्तक्रिया ३२५		हीलित २४९	
हस्ततल ३६		ह्रण ३०४	
हस्ताताल २११		हत २३४	
हस्ताताल २५, २४५		हताहत २३४	
हस्तादान २११		हेट्ठा २०३	
हस्तालव २११		हेतु १०, १६, ३९, ९९, १००, ३६८	
हस्तिदत्त ३२३		हेतुवादोपदेशिकी १४४	
हस्तिनापुर १०, ५९, ७८		हेमत २३२	
हस्तिमल ५६, ४७२		हेमकुमार २४५	
हस्ती ११, ३३१		हेमचद्र ४८, ५१, ४१५, ४१६	
हस्तोपतल ३६		हेमचद्रगणि ३९, ३५३, ४५३	
हाथ ३६		हेमचद्रस्वरि ४४०	
हार ३७, ६०, ३३६		हेमविमलस्वरि ५५, ४६३	
हारिव २३, २३६		ही १०८	
		हीवेर १०७	

सहायक ग्रन्थों की सूची

- ऐतिहासिक नोंध—वाडीलाल मो० शाह—हिन्दी संस्करण
कर्मग्रंथ (पचम तथा षष्ठ)—आत्मानन्द जैन ग्रन्थमाला, भावनगर,
सन् १९४०.
- गणधरवाद—दलसुख मालवणिया—गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद,
सन् १९५२.
- ३ त्तकोश—हरि दामोदर वेलणकर—भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन
मंदिर, पूना, सन् १९४४.
- जैन —दलसुख मालवणिया—जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, बनारस,
सन् १९४७
- जैन गुर्जर कविधो—जैन श्वेताम्बर कॉन्फरेन्स, बम्बई, सन् १९३१.
जैन ग्रन्थावली—जैन श्वेताम्बर कॉन्फरेन्स, बम्बई, वि० सं० १९६५.
जैन दर्शन—अनु० प० बेचरदास, प्रका० मनसुखलाल खन्वीभाई मेहता,
राजकोट, वि० सं० १९८०.
- जैन सत्यप्रकाश—अहमदाबाद
- जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास—मोहनलाल दलीचन्द देसाई—जैन
श्वेताम्बर कॉन्फरेन्स, बम्बई, सन् १९३३.
- जैन साहित्य संशोधक—अहमदाबाद
- तत्त्वार्थसूत्र—उमास्वाति—भारत जैन महामण्डल, वर्षा, सन् १९५२.
प्रभावकचरित—प्रभाचन्द्र—सिंधी जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता, सन् १९४०.
प्रशस्तिसंग्रह—अमृतलाल शाह—श्री शातिनाथजी शानभडार, अहमदाबाद,
वि० सं० १९९३.
- प्राकृत और उसका साहित्य—मोहनलाल मेहता—बिहार राष्ट्रभाषा
परिषद्, पटना, सन् १९६६.
- ब्रह्मविन्दु उपनिषद्—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९३२
- महावीर जैन वि : रजत महोत्सव ग्रन्थ—बम्बई, सन् १९४०.

मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ—व्यावर, सन् १९६५

मुनिसुव्रतचरित—श्रीचद्रसूरि

विविधतीर्थकल्प—जिनप्रभसूरि—सिधी जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता,
सन् १९३४

विशेषणवती—जिनभद्र

श्रमण भगवान् महावीर, भाग-३—स० मुनि रत्नप्रभविजय, अनु० प्रो०
धीरूमाई पी० ठाकुर, प्रका० जैनग्रन्थ प्रकाशक
सभा, पाजरापोल, अहमदाबाद, सन् १९५०.

सार्थवाह—मोतीचन्द्र—बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सन् १९५३

हिस्ट्री ऑफ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ दी जैन्स—हीरालाल
रसिकदास कापड़िया—सुरत, सन् १९४१.



परिचय

वाराणसीस्थित पार्श्वनाथ विद्याश्रम देश का प्रथम एच अपने ढंग का एक ही जैन शोध-संस्थान है। यह गत ३१ वर्षों से जैनविद्या की निरन्तर सेवा करता आ रहा है। इसके तत्त्वावधान में अनेक छात्रों ने जैन विषयों का अध्ययन किया है व यूनिवर्सिटी से विविध उपाधियाँ प्राप्त की हैं। अब तक २० विद्वानों ने पी-एच० डी० एच डी० लिट्० के लिए प्रयत्न किया है जिनमें से अधिकांश को सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान में इस संस्थान में ५ शोधछात्र पी-एच० डी० के लिए प्रबन्ध लिखने में सलग्न हैं। प्रत्येक शोधछात्र को २०० रु० मासिक शोधवृत्ति दी जाती है। एम० ए० में जैन दर्शन का विशेष अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को ५० रु० मासिक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। संस्थानाध्यक्ष को एम० ए० की कक्षाओं में जैन दर्शन का अध्यापन करने तथा पी-एच० डी० के शोध-छात्रों को निर्देशन देने की मान्यता बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से प्राप्त है।

पार्श्वनाथ विद्याश्रम की स्थापना सन् १९३७ में हुई थी। इसका संचालन अमृतसरस्थित सोहनलाल जैनवर्म प्रचारक समिति द्वारा होता है। यह समिति एक्ट २१-सन् १८६० के अनुसार रजिस्टर्ड है तथा इन्कमटैक्स एक्ट सन् १९६१ के सेक्शन ८८ व १०० के अनुसार इसे आयकर-मुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त है। समिति ने अब तक पार्श्वनाथ विद्याश्रम के निमित्त लगभग साढ़े सात लाख रुपये खर्च कर दिये हैं। संस्थान का निजी विशाल भवन है जिसमें पुस्तकालय, कार्यालय आदि हैं। अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों के निवास के लिए उपयुक्त आवास हैं। संस्थान से अब तक ग्यारह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।